CON. 3. 1. 1. 46.
1000

सोमवार,
९ दिसम्बर
सन् १९४६ ई०

भारतीय विधान-परिषद
के
वाद-विवाद

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

——:०:——

विषय सूची

PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, INDIA
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI
Price annas 4 or 5d.

भारतीय विधान–परिषद

सोमवार, ६ दिसम्बर सन् १९४६ ई०

भारतीय विधान-परिषद् की प्रथम बैठक कांस्टीट्यूशन हाल नई दिल्ली में सोमवार ता० ६ दिसम्बर १९४६ के सवेरे ११ बजे बैठी।

अस्थायी सभापति का चुनाव

आचार्य जे० बी० कृपलानी (संयुक्तप्रांत : जनरल): (डा० सच्चिदानन्द सिनहा से अस्थायी सभापति के नाते सभापति का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करते हुए) आपने कहा :—

मित्रो, इस ऐतिहासिक और शुभ अवसर पर आप लोगों की ओर से मैं डा० सच्चिदानन्द सिनहा को आमंत्रित करता हूँ कि वह अस्थायी सभापति का आसन ग्रहण करें। डाक्टर साहब का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आप लोग जानते हैं। वह हम लोगों में न केवल वयोवृद्ध ही हैं, वरन् भारत के सबसे पुराने पार्लियामेन्टेरियन भी हैं। आप सन् १९१० से १९२० तक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौन्सिल के सदस्य रह चुके हैं और इसके अलावा सन् १९२१ में आप सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव एसेम्बली के न सिर्फ सदस्य बल्कि उसके उप-सभापति (Deputy President) भी थे। उसके बाद आप बिहार और उड़ीसा की गवर्नमेंट में एक्जीक्यूटिव कौंसिलर (Executive Councillor) और अर्थ-सदस्य (Finance Member) रहे। जहां तक मुझे याद है, प्रथम भारतीय जो किसी प्रांतीय सरकार में अर्थ-सदस्य बना, वह डाक्टर सिनहा ही थे। आप जानते हैं कि शिक्षा के साथ आपका खास सम्बन्ध है। आप आठ वर्ष तक पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं। इन सब बातों के अलावा आप लोग यह भी जानते हैं कि डा० सिनहा सबसे पुराने कांग्रेसी हैं। सन् १९२० तक आप बराबर कांग्रेस के सदस्य थे और एक समय आप इसके मन्त्री भी रह चुके हैं।

सन् १९२० के बाद जब हम आजादी हासिल करने के लिए एक नई राह पर चले, तो आप हमसे अलग हो गए। फिर भी आपने हमें कभी भी बिलकुल छोड़ नहीं दिया। हमेशा से ही आप हम लोगों की मदद करते आ रहे हैं। आप कभी किसी दूसरे संगठन में शामिल नहीं हुए और आपकी सहानुभूति

सदा हमारे साथ रही हैं। ऐसा व्यक्ति इस विधान-परिषद् का अस्थायी सभापति होने का सर्वथा अधिकारी है। उनका कार्य है इस परिषद् की कार्रवाई का उद्घाटन करना। यह काम अल्पकालीन है, पर है बड़े महत्व का। हम लोग हर-एक काम परमात्मा के मंगलमय आशीर्वाद से प्रारम्भ करते हैं। अतः हम आदरणीय डा० सिनहा से अनुरोध करेंगे कि वे इस आशीर्वाद का आवाहन करें, ताकि हमारा काम सुचारु रूप से चले। अब मैं पुनः आपकी ओर से डा० सिनहा से सभापति का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ।

(इसके बाद आचार्य कृपलानी ने डा० सच्चिदानन्द सिनहा को सभापति के आसन तक आदर के साथ पहुँचाया और हर्षध्वनि के बीच आप उस पर विराजमान हुए।)

शुभ कामनाओं के संदेश

सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : माननीय सदस्यो, आज मैं आपको शुभ कामना के तीन सम्वाद सुनाता हूँ, जो मुझे अमेरिका और चीन के जिम्मेदार राजकीय पदाधिकारियों तथा आस्ट्रेलिया की सरकार से प्राप्त हुए हैं।........ ....अमेरिकन सरकार के भारत स्थित प्रतिनिधि लिखते हैं:—

प्रिय डा० सिनहा,

निम्नलिखित तार मुझे अमेरिका के स्थानापन्न सेक्रेटरी आफ स्टेट से मिला है। इसे आपके पास भेजने में मुझे बड़ी खुशी है।

तार की इबारत यों है :—

"स्थानापन्न सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाशिंगटन, डी० सी० से—

डाक्टर सच्चिदानन्द सिनहा

अस्थायी सभापति, विधान-परिषद,

नई दिल्ली।

नवीं दिसम्बर के आगमन पर मैं, विधान-परिषद् के अस्थायी सभापति होने के नाते आपको और आपके द्वारा भारतीय जनता को इस महान कार्य की सफलता के लिए, जो आप प्रारम्भ करने जा रहे हैं, अमेरिकन सरकार एवं अमेरिका की जनता की शुभ-कामनाएं समर्पित करता हूँ। मानवजाति के स्थायित्व, शान्ति और सांस्कृतिक समुन्नति के लिए भारत को बहुत कुछ देना है। आपके काम को संसार की स्वातंत्र्य-प्रेमी जनता गम्भीर उत्साह और आशा से देखेगी।"

(हर्षध्वनि)

दूसरा सम्वाद मिला है चीनी प्रजातन्त्र के दूत से, जो यों है:—

"नई दिल्ली,

विधान-परिषद् के प्रारम्भिक सभापति डा० सच्चिदानन्द सिनहा को :—विधान-परिषद् के उद्घाटन समारोह के शुभ अवसर पर मैं आपको चीन की राष्ट्रीय सरकार की ओर से ससम्मान अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरी हार्दिक कामना है कि आपकी यह विधान-परिषद् सुसम्पन्न और प्रजातंत्रीय भारत की ठोस नींव डालने में सफल हो।

वांग शीह् चेह्
चीन प्रजातंत्र के वैदेशिक मन्त्री"

(हर्षध्वनि)

तीसरा और अन्तिम सम्वाद जो मुझे इस परिषद् को पढ़कर सुनाना है, वह है आस्ट्रेलियन सरकार की तरफ से भारतीय विधान-परिषद् के सदस्यों को; वह यों है :—

"आस्ट्रेलिया ने बड़ी दिलचस्पी और हमदर्दी से उस घटनाक्रम को देखा है, जिससे आज भारतीय जनता को विश्व की राष्ट्रसभा में उसका उचित स्थान मिला है। अतः आस्ट्रेलियन सरकार विधान-परिषद् के उद्घाटन के शुभ अवसर पर इसे भारत के नवीन युग का प्रतीक समझ कर, इसकी सफलता के लिए विधान-परिषद् के सदस्यों को अपनी हार्दिक शुभ-कामनाएं भेजती है।"

(हर्षध्वनि)

मुझे विश्वास है, यह सभा मुझे अधिकार और अनुमति देगी कि मैं इसकी तरफ से इन सरकारों को, जिन्होंने हमें ऐसे प्रसन्नता और प्रेरणापूर्ण सम्वाद भेजे हैं, धन्यवाद भेज दूँ। मैं यह और भी कहना चाहता हूँ कि आपके कार्य की सफलता के लिए यह बड़ा ही शुभ चिन्ह है।

(हर्षध्वनि)

ब्रिटिश बलूचिस्तान के खान अब्दुस्समद खां का चुनाव सम्बंधी आवेदन

सभापति (Chairman): दूसरी चीज जो मुझे इस सभा को निगाह में लानी है, वह यह है कि मुझे ब्रिटिश बलूचिस्तान के खान अब्दुस्समद खां से एक अर्जी मिली है, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश बलूचिस्तान की तरफ से नवाब मुहम्मद खां जोगजाई के विधान-परिषद् के प्रतिनिधि होने पर वैधानिक आपत्ति की है।

निश्चय ही यह सभा स्थायी सभापति के चुनाव हो जाने पर यथासमय इस मामले पर ध्यान देगी। पर, मेरा यह निर्णय है कि स्थायी सभापति के चुनाव हो जाने पर जब तक इस मामले का फैसला नहीं हो जाता, तब तक यही सदस्य जो प्रतिनिधि घोषित किये गये हैं, इस सभा के सदस्य बने रहेंगे।

कार्यक्रम का दूसरा विषय है, अस्थायी सभापति का उद्घाटन विषयक भाषण। मैं यथाशक्ति कोशिश करूंगा कि सारा भाषण पढ़कर सुना दूँ, पर यदि इसमें मुझे थकावट मालूम हुई, तो आप कृपया मुझे अनुमति दें कि भाषण की टाइप की हुई प्रति सर बी० एन० राव को दे दूँ जिन्होंने बड़ी कृपा कर मेरी तरफ से इसे पढ़ देने का भार स्वीकार किया है; परन्तु मुझे आशा है इसका अवसर न आयेगा।

सभापति का उद्घाटन-भाषण

प्रथम भारतीय विधान-परिषद् के माननीय सदस्यो, मुझे अपनी विधान-परिषद् का प्रथम सभापति स्वीकार करने में आप सब सहमत हैं, इसके लिए मैं आपका बड़ा ही आभारी हूं। इससे मैं इस सभा के प्रारम्भिक कार्यक्रम को—जैसे स्थायी सभापति का चुनाव, कार्य संचालन के लिये नियम-निर्माण, विभिन्न समितियों की स्थापना, परिषद् की कार्यवाही को जो स्वतंत्र भारत के लिए एक उपयुक्त और स्थायी विधान बनाकर आपके प्रयास को सफल करेगी, गुप्त रखने या प्रकाशन देने आदि का कार्य—सम्पादित कर सकूंगा। आपकी महती कृपा के प्रति प्रशंसात्मक भावना व्यक्त करते हुए मैं अपनी एक और अनुभूति को छिपा नहीं सकता, वह यह है कि मैं ऐसा अनुभव करता हूं—अवश्य ही यह लघुता की महत्ता से तुलना होगी—कि वर्तमान अवसर पर मैं अपने को उसी स्थिति में पाता हूं, जिस में लार्ड पामर्स्टन (Palmerston) ने अपने को उस समय पाया था, जब साम्राज्ञी विक्टोरिया ने उन्हें शूरता की उच्चतम उपाधि "नाइटहुड ऑफ दी गार्टर" (Knighthood of the Garter) प्रदान की थी। साम्राज्ञी की इस कृपा को स्वीकार करने के सम्बन्ध में लार्ड पामर्स्टन (Lord Palmerston) ने अपने एक मित्र को यों लिखा था:—

> "मैंने साम्राज्ञी की इस उपाधि को इसलिए कृतज्ञता-पूर्वक स्वीकार किया है कि परमात्मा को धन्यवाद है—उपाधि प्राप्ति की योग्यता सन्देह से परे है।"

मैं खुद को कम या बेशी उसी स्थिति में पाता हूं। यह बात मैं इसलिए कहता हूं कि आपने मुझे अपना सभापति स्वीकार किया है केवल इस आधार पर कि मैं इस

सभा का सबसे वयोवृद्ध सदस्य हूँ। अस्तु, चाहे जिन कारणों से भी आपने मुझे सभापति चुना हो, मैं इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूँ। सार्वजनिक सेवाओं के लिए मुझे इस दीर्घ जीवन में अनेक सम्मान मिले हैं, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी इस कृपा को सर्वोच्च सम्मान समझता हूँ और इसे अपने अवशिष्ट जीवन में सदा सुरक्षित रक्खूँगा।

इस ऐतिहासिक और स्मरणीय अवसर पर अगर मैं विधान-परिषद् क्या है, इस पहलू पर आपके सामने कुछ बात कहूँ तो मुझे विश्वास है कि आप कुछ ख्याल न करेंगे। देश के लिए विधान बनाने की यह राजनैतिक प्रणाली हमारे ब्रिटेन निवासी प्रजा बन्धुओं को नहीं मालूम थी। यह इसलिए कि ब्रिटिश विधान में विधान मूलक नियम (Constituent law) बोल कर कोई चीज नहीं है। सर्वशक्ति सम्पन्न सभा होने के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट को सभी कानूनों को, यहां तक कि विधान मूलक नियमों को भी बनाने और रद्द करने का खास अधिकार या सुविधा प्राप्त है। अतः विधान-परिषद् की वास्तविक स्थिति क्या है, इसे जानने के लिए हमें ब्रिटेन को छोड़ दूसरे देशों की ओर देखना होगा। यूरोप में स्विटजरलैन्ड के प्राचीनतम प्रजातंत्र के पास भी वास्तविक अर्थ में विधान मूलक नियम (Constituent Law) नहीं हैं, क्योंकि यह कई शताब्दियां पहले ऐतिहासिक कारणों और घटनाओं के वशवर्ती हो, अपने आज के आकार से कहीं अधिक छोटे आकार में उत्पन्न हुआ था। जो भी हो, स्विटजरलैंड की वर्तमान वैधानिक प्रणाली ने कई उल्लेखनीय और उपदेशात्मक बातों की पूर्ति की है, जिनकी सिफारिश बड़े-बड़े योग्य अधिकारियों या विद्वानों ने भारतीय विधान निर्माताओं से की है। मुझे विश्वास है, यह सभा स्विस-विधान का ध्यान से मनन करेगी और स्वतंत्र भारत के उपयुक्त-विधान के निर्माण में लाभ उठाने के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश करेगी।

यूरोप का एकमात्र दूसरा राज्य जिसके विधान की ओर सुविधा प्राप्ति के लिए हम दृष्टि डाल सकते हैं, वह है फ्रांस का विधान। इसकी पहली विधान-परिषद् "फ्रांसीसी राष्ट्रीय परिषद्" (The French National Assembly) के नाम से सन् १७८९ में जब फ्रांसीसी राज्य-क्रान्ति फ्रेन्च राजतंत्र को उखाड़ फेंकने में सफल हुई, बुलाई गई थी। पर तब से समय-समय पर फ्रांसीसी गणतंत्र प्रणाली परिवर्तित होती आई है और फिलहाल भी यह कम या बेशी निर्माण प्रक्रिया में है। अतः यद्यपि विधान मूलक नियमों से सम्बन्ध रखने वाली फ्रांसीसी प्रणाली के अध्ययन से आप उतना लाभ नहीं उठा सकते, जितना कि स्विस प्रणाली के अध्ययन से, फिर भी कोई कारण नहीं कि आप विधान-निर्माण के

अपने महान कार्य में उससे जो भी लाभ मिलते हों, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास न करें।

फ्रांसीसी विधान निर्माता, जो सन् १७८९ में अपने देश की प्रथम विधान-परिषद में सम्मिलित हुए थे, वे इससे दो वर्ष पूर्व १७८७ में फिलाडेल्फिया में होने वाले अमेरिकन विधान निर्माताओं के ऐतिहासिक विधान-सम्मेलन (Constitutional Convention) की कार्रवाई से वस्तुतः स्वयं बहुत प्रभावित थे। स-पार्लियामेंट ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी राजनिष्ठा (allegiance) का परित्याग कर अमेरिका के विधान-निर्माता समवेत हुए थे और उन्होंने ऐसा विधान बनाया, जो आज दुनिया में सबसे ठोस और व्यावहारिक विधान समझा जाता है और वह है भी ऐसा। यही महान विधान बाद में बने सभी विधानों के लिए, न केवल फ्रांस के, बल्कि कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका प्रभृति ब्रिटिश कामनवेल्थ के स्वायत्त शासन पूर्ण सभी उपनिवेशों के विधानों के लिए आदर्श स्वरूप माना गया था। मुझे सन्देह नहीं है कि आप भी और देशों की विधान-पद्धति की अपेक्षा अमेरिकन विधान-पद्धति की ओर अधिक ध्यान देंगे।

मैंने ऊपर चर्चा की है कि ब्रिटिश कामनवेल्थ के उपनिवेशों के स्वायत्त शासन प्राप्त विधान अगर अमेरिकन विधान की हूबहू प्रति नहीं है, तो कम से कम बहुत हद तक उसके ही आधार पर बने हैं। अमेरिका की विधान-प्रणाली से लाभ उठाने वाला पहला देश कनाडा था। स्व-शासन-विधान बनाने के लिए इस देश का ऐतिहासिक सम्मेलन (Convention) सन् १८६४ में क्वेबेक में हुआ था। इसी सम्मेलन ने कनाडा का विधान बनाया, जो बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा सन् १८६७ में स्वीकृत "ब्रिटिश नार्थ अमेरिकन ऐक्ट" (The British North American Act) में मिला दिया गया, जो Act आज भी Statute Book में दर्ज है। आपको यह जान कर शायद दिलचस्पी होगी कि क्वेबेक सम्मेलन (Quebek Convention) में केवल ३३ प्रतिनिधि ही थे, जो कनाडा के सारे प्रांतों से आये थे और केवल तेतीस प्रतिनिधियों के इस सम्मेलन ने छिहत्तर प्रस्ताव पास किये, जो बाद में ज्यों के त्यों "ब्रिटिश नार्थ अमेरिकन ऐक्ट" (British North American Act) में समवेत कर दिये गये और इन्हीं के आधार पर सन् १८६७ में ब्रिटिश कामनवेल्थ ऑफ कनाडा (British Commonwealth of Canada) के स्वायत्त शासन प्राप्त उपनिवेश की उत्पत्ति हुई। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस कनाडियन सम्मेलन की सारी योजनाएं केवल एक संशोधन के साथ ज्यों की त्यों स्वीकार करलीं। माननीय सदस्यो, मेरी आशा और प्रार्थना है कि आपका प्रयास भी इसी तरह साफल्य मंडित हो।

अमेरिका की विधान प्रणाली आस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका के विधान निर्माण की योजनाओं में भी कमी-वेशी व्यवहृत की गयी हैं। इससे स्पष्ट है कि सन् १७८७ में फिलाडेल्फिया में समवेत अमेरिकन सम्मेलन का परिणाम विभिन्न देशों के स्वतंत्र संघ-शासन-विधान के बनाने के लिए आदर्श स्वरूप माना गया था। इन्हीं कारणों से मैंने यह उचित समझा कि आपका ध्यान अमेरिका की विधान-प्रणाली और विधान मूलक नियमों की ओर आकृष्ट करूं कि आप ध्यान से उसका अध्ययन करें, इसलिए नहीं कि आप उसे पूर्णतः ग्रहण करें, बल्कि इसलिए कि अपने सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन के अनुसार उनकी व्यवस्थाओं को आवश्यक संशोधनों के साथ, देश की आवश्यकतानुसार विवेक के साथ अपनायें। श्री मुनरो (Munro) का जो इस विषय के सर्वमान्य अधिकारी हैं, कथन है कि अमेरिका का विधान बहुत सी शर्तों और समझौतों के आधार पर निर्मित है। श्री मुनरो के मन्तव्य के अनुसार ही मैंने आपको यह राय दी है। अपने आधी शताब्दी के सार्वजनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर मैं यह और भी कहना चाहता हूँ कि भारत जैसे देश के लिए विधान बनाने में तर्क-संगत शर्तों और विवेकपूर्ण समझौतों की जितनी आवश्यकता है, उतनी और कहीं नहीं।

अमेरिकन विधान के आधार-भूत सिद्धान्तों को तर्क संगत शर्तों एवं विवेकपूर्ण समझौतों के साथ खूब सोच विचार कर आप स्वीकार करें, ऐसी सिफारिश करते हुए बहुत अच्छा होगा कि मैं इस विषय के सर्वोच्च ब्रिटिश विद्वान श्री विस्काउन्ट ब्राइस (Viscount Bryce) के उल्लेखनीय कथन को उद्धृत करूं जो उन्होंने अपनी अमर पुस्तक दी अमेरिकन कामनवेल्थ (The American Commonwealth) में अमेरिकन विधान के आधार-भूत सिद्धान्तों का सारांश रखते हुए यों लिखा है :—

> "अमेरिका का केन्द्रीय संघ केवल एक लीग (जमाअत) नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व वहां के भिन्न-भिन्न स्टेटों या प्रान्तों पर निर्भर नहीं करता। यह तो खुद सर्वशक्ति सम्पन्न कामनवेल्थ और कतिपय कामनवेल्थों का संघ है, क्योंकि उसे तो सीधे प्रत्येक नागरिक पर शासनाधिकार प्राप्त है और वह इस अधिकार को अपने न्यायालयों और अधिकारियों या हाकिमों (Executives) के द्वारा प्रत्येक नागरिक पर लागू करता है। इंग्लैंड या फ्रांस की तरह यहां के भिन्न-भिन्न स्टेट या रियासतें महज संघ के अन्तर्गत एक छोटा

सा इलाका नहीं है, बल्कि उनको अपने नागरिकों पर शासना-
धिकार प्राप्त है, जो उन्हें केन्द्रीय संघ से नहीं मिला है।"

यह सम्भव है कि अपनी आवश्यकतानुसार बुद्धिमत्तापूर्वक अपनाई हुई किसी ऐसी ही योजना में स्वतंत्र भारत के विधान का सन्तोषजनक हल मिल जाय और वह विधान इस देश के प्रायः सभी प्रमुख दलों की वाजिब आशाओं और आकांक्षाओं को सन्तोष दे सके। अमेरिकन विधान के महान गुणों पर सर्वोच्च ब्रिटिश विद्वान का उद्धरण मैंने आपको दिया है। अब मैं जॉसेफ स्टोरी (Joseph Story) नामक सर्वोच्च अमेरिकन jurist का काफी लम्बा उद्धरण सुनाता हूँ और आशा है, मेरी तरह धीरज रखकर आप सुनेंगे। "Commentaries on the Constitution of the United States" नामक प्रसिद्ध पुस्तक के अन्त में आपने कुछ उल्लेखनीय और उत्साहप्रद बातें कही हैं, जिसे आपके मनन योग्य समझकर मैं आपके सामने रखता हूँ।

वह यों है:—

"अमेरिका के नवयुवकों को यह कभी न भूलना चाहिए कि अपने विधान में उन्हें एक ऐसी ऊंची विरासत मिली है, जिसे उनके पूर्वजों ने अथक परिश्रम, कष्ट और बलिदान करके, अपना खून देकर उपार्जित किया था और यदि ईमानदारी से इसकी रक्षा की जाय और बुद्धिमत्ता से इसे और समुन्नत बनाया जाय तो वह इस योग्य है कि वह उनके सुदूरभावी वंशजों को जीवन की समस्त कामनायें— स्वातंत्र्य, सम्पन्नता और धर्म का सुखद उपभोग—प्रदान कर सकता है। इस विधान की इमारत को बड़े-बड़े कुशल कारीगरों ने बनाया है; इसकी नींव ठोस है; इस इमारत का हर हिस्सा बड़ा फायदेमन्द और खूबसूरत है; इसकी व्यवस्था बुद्धि और तारतम्य से पूर्ण है; इसकी रक्षात्मक व्यवस्था बाहर से अजेय है; यह इस तरह खड़ी की गयी है कि अमर रहे—यदि मनुष्य-कृति अमरत्व प्राप्ति का अधिकारी हो सकती है। पर अपने रक्षकों की यानी प्रजा की मूर्खता, उपेक्षा और आचार-हीनता से यह इमारत क्षण भर में ढहकर खंडहर बन जा सकती है। मैं चाहूँगा, आप इसे याद रक्खें कि प्रजातंत्रों की स्थापना होती है नागरिकों के बुद्धिबल से, उनकी जनसेवा भावना और उनके गुणों से, और जब ईमानदार बने रहने का साहस रखने के कारण बुद्धिमान और विवेक परायण पुरुष जन सभाओं से बहिष्कृत कर दिये जाते हैं और सिद्धान्त विहीन

> व्यक्ति जनता को ठगने के लिये उसकी मिथ्या प्रशंसा या खुशामद कर सम्मान प्राप्त करने लगते हैं, तो प्रजातंत्र विनष्ट हो जाते हैं ।"

अमेरिका के आदर्श विधान के बारे में एक और विद्वान का कथन मैं उद्धृत करता हूँ। श्री जेम्स (James) जो एक समय अमेरिका के सालिसिटर जनरल थे। "The Constitution of the United States—Yesterday, Today and Tomorrow" नामक अपनी पाण्डित्यपूर्ण पुस्तक में लिखते है :—

> "शासन प्रणालियों के महौषधि स्वरूप कितने ही विधान बने और बिगड़े, पर अमेरिकन विधान की स्थिरता के सम्बंध में वह ऊंचा उद्गार लागू किया जा सकता है, जो डाक्टर जॉनसन ने महाकवि शेक्सपियर की अमरकीर्ति की प्रशंसा में कहा है। जहां बड़े-बड़े ठोस विधान समय के प्रबल प्रवाह में बह गये, अमेरिका का शक्तिशाली विधान इससे बिल्कुल अछूता बच गया। प्रथम दस संशोधनों को छोड़ कर जो प्रायः मूल प्रस्ताव के ही भाग थे, केवल नौ संशोधन ही १३६ वर्षों के दीर्घकाल में अपनाये गये। भला कौनसी दूसरी शासन प्रणाली है जो जमाने की जांच में इससे ज्यादा पक्की साबित हुई हो ?"

माननीय सदस्यो, मेरी यह प्रार्थना है कि जो विधान आप बनाने जा रहे हैं वह भी अमर हो, 'यदि मानव कृति ऐसा महत्व पाने का वस्तुतः अधिकारी हो सकती है' और ऐसा प्रबल शक्ति-सम्पन्न हो कि वर्तमान और भविष्य की तमाम विनाशकारी शक्तियों को पद्दलित कर दे।

अमेरिका और यूरोप के विधान-निर्माण के कुछ पहलुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर लेने के बाद अब मैं अपने विधान सम्बन्धी प्रश्न के कुछ पहलुओं की ओर लाभ के लिये आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी के सन् १६२२ में दिये एक वक्तव्य में विधान-परिषद का जिक्र मुझे मिला है, यद्यपि इस नाम से नहीं । महात्माजी ने लिखा था :—

> "स्वराज्य ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से एक उपहार की तरह नहीं होगा। यह तो भारत की समस्त मांगों की स्वीकृति सूचक एक घोषणा होगी, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट एक कानून पास कर, प्रदान करेगी। परन्तु यह घोषणा तो भारतीय जनता की चिर घोषित मांगों की केवल सौजन्यपूर्ण स्वीकृति ही होगी। यह स्वीकृति

बतौर सन्धि या समझौते के होगी जिसमें ब्रिटेन एक पार्टी रहेगा। जब यह समझौता होगा तो ब्रिटिश पार्लियामेंट भारतीय प्रजा की इच्छानुसार चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की हुई भारतीय जनता की मांगों को स्वीकार करेगी।"

समय-समय पर भिन्न-भिन्न राजनैतिक संगठनों और नेताओं ने भारतीय जनता की इच्छानुसार चुने प्रतिनिधियों से बनी विधान-परिषद सम्बन्धी महात्माजी की मांग का जबरदस्त समर्थन किया था। पर मई सन् १९३४ में रांची (बिहार) में संगठित 'स्वराज पार्टी' ने एक योजना बनाई जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव भी शामिल था। प्रस्ताव यों था :—

"यह कान्फ्रेन्स भारतवर्ष के लिये आत्म-निर्णय के अधिकार का दावा करती है और इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करने का एकमात्र रास्ता यह है कि भारतीय जनता के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विधान-परिषद बुलाई जाय, जो एक स्वीकृति-योग्य विधान बनाये।"

जो नीति इस प्रस्ताव में सन्निहित है, उसे कुछ दिनों बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, जिसकी बैठक बिहार की राजधानी पटना में मई सन् १९३४ में हुई थी, स्वीकार किया। इस तरह भारतीय विधान बनाने के लिए विधान-परिषद की योजना को अखिल भारतीय कांग्रेस ने व्यक्तरूप से अपनाया।

दिसम्बर सन् १९३६ में फैजपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में उक्त प्रस्ताव का पुनः समर्थन किया गया। समर्थन करने वाले प्रस्ताव में यों घोषणा की गई थी :—

"कांग्रेस भारत में वास्तविक प्रजातंत्रीय राज्य चाहती है, जहां सम्पूर्ण राजनैतिक सत्ता जनता को हस्तान्तरित कर दी गयी हो और हुकूमत (Government) सम्पूर्णतः प्रजा के हाथ में हो। ऐसे राज्य का निर्माण तो ऐसी विधान-परिषद ही कर सकती है, जो देश के लिए विधान बनाने की समस्त सत्ता रखती हो।"

नवम्बर सन् १९३९ में कांग्रेस की कार्य-समिति ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें यह कहा गया था :—

"भारत की स्वतंत्रता तथा उसकी जनता को विधान-परिषद के द्वारा अपना विधान निर्माण करने के अधिकार की स्वीकृति परमावश्यक है।"

मैं यह भी कह दूं कि उपरोक्त प्रस्तावों में जिनसे मैंने उद्धरण दिया है, (जिसे नवम्बर सन् १९३९ में कार्य-समिति ने पास किया और सन् १९३६ में फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन ने पास किया) यह कहा गया था कि विधान-परिषद् बालिग मताधिकार के सिद्धान्त के आधार पर चुनी जानी चाहिए। जब से सन् १९३४ में कांग्रेस ने इस प्रश्न पर नेतृत्व प्रदान किया, देश के प्रायः सभी राजनीति-चेतना- सम्पन्न वर्गों में विधान-परिषद् का विचार बतौर विश्वास (Article of Faith) की तरह जोर पकड़ गया है।

मार्च सन् १९४० के पहले जबसे मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान सम्बन्धी प्रस्ताव रखा, यह राजनैतिक संगठन (मुस्लिम लीग) इस देश के विधान-निर्माण के लिये विधान-परिषद् ही उचित और उपयुक्त उपाय है, इस विचार के पक्ष में मैं कभी न था। पाकिस्तान सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद मुस्लिम लीग का रुख विधान-परिषद् की स्थापना के पक्ष में बदल गया है। पर वे दो विधान-परिषदें चाहते हैं, एक तो उस क्षेत्र के लिये जिसे लीग पृथक मुस्लिम स्टेट बनाने की मांग करती है और दूसरा शेष भारत के लिए। इस तरह कहा जा सकता है कि देश के विधान निर्माण के लिये विधान-परिषद् की कल्पना को इन दोनों प्रमुख राजनैतिक दलों ने सन् १९४० में स्वीकार किया और प्रश्रय दिया। पर दोनों में अन्तर यह था कि कांग्रेस समस्त भारत के लिये एक विधान-परिषद् चाहती थी जब कि मुस्लिम लीग देश में दो राज्यों की मांग के अनुसार दो विधान-परिषदें चाहती थी। अस्तु, चाहे एक परिषद् हो या दो, देश के विधान-निर्माण के लिए विधान-परिषद् ही उपयुक्त उपाय है, यह विचार उस समय तक स्पष्ट रूप में उत्पन्न और जागृत हो चुका था। इसी जबर्दस्त मानसिक जागरण के सम्बन्ध में पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था — "इसका मतलब है कि एक राष्ट्र अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा अपने लिए, स्वशासन निर्माण के लिए अग्रसर हो चुका है"।

मुझे इतना और भी बता देना है कि सप्रू - समिति (Sapru Committee) के सदस्यों ने भी भारत का शासन-विधान बनाने के लिये विधान-परिषद् ही सर्वोत्तम उपाय है, इस कल्पना को पसन्द किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में, जो गत वर्ष सन् १९४५ में प्रकाशित हुई है, विधान-परिषद् के निर्माण के लिए एक विशेष योजना भी बनाई है। पर आज हम सब इस सभा में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन द्वारा निर्मित योजना के अनुसार समवेत हुए हैं। कांग्रेस, लीग एवं अन्य राजनैतिक संगठनों द्वारा इस मसले पर दिये गये सुझावों से मतभेद रखते हुये भी ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने एक योजना बनाई है। इस योजना को

यद्यपि सबने तो नहीं स्वीकार किया है, पर न सिर्फ देश के प्रमुख राजनैतिक दलों ने और राजनीति-चेतना-सम्पन्न वर्गों ने ही, बल्कि उन लोगों ने भी जिनका किसी खास राजनैतिक-दल से सम्बन्ध नहीं है, उसे वर्तमान राजनैतिक गतिरोध को दूर करने के लिये परीक्षणीय मान कर स्वीकार किया है। यह राजनैतिक गतिरोध अर्से से चला आ रहा है और इसने हमारी समस्त कामनाओं और लक्ष्यों पर पानी फेर रक्खा है। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की योजना के गुणों पर और कुछ कहूं, क्योंकि इससे मैं मतभेद के प्रश्नों पर विषयान्तरित हो जाऊंगा और मेरी इच्छा नहीं कि मैं इस अवसर पर विषयान्तर में पड़ूँ। मैं जानता हूं कि ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की योजना के कुछ भाग पर हमारे कुछ राजनैतिक दलों में गहरा मतभेद है और इसलिये मैं नहीं चाहता कि ऐसे स्थल पर चला जाऊं, जहां जाने में बड़े-बड़े राजनैतिक-देव भी डरते हों।

माननीय सदस्यो, मुझे भय है कि शायद मैंने आपका काफी समय ले लिया, अतः अब अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। भारतीय इतिहास का यह महान और स्मरणीय अवसर अभूतपूर्व है। देश की जनता की बहुसंख्यक श्रेणियों ने जिस अदम्य उत्साह से इस परिषद् का स्वागत किया है, वह बेजोड़ है। परिषद् सम्बंधी प्रश्नों ने देश के विभिन्न सम्प्रदायों में जो दिलचस्पी उत्पन्न की है वह अद्वितीय है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या—हमारी राजनैतिक स्वतन्त्रता, हमारी आर्थिक स्वतंत्रता—पर समझौता प्राप्त करने की उज्वल आशा आज भी वर्तमान है; और आपको इतनी देर तक रोक रखने में यही एक-मात्र औचित्य है। मेरी कामना है कि आपका प्रयत्न सफलीभूत हो। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह आपको अपना मङ्गलमय आशीर्वाद दे, जिससे आपकी परिषद् की कार्रवाई केवल विवेक, जन-सेवा-भावना और विशुद्ध देश भक्ति से ही परिपूर्ण न हो, बल्कि बुद्धिमत्ता, सहिष्णुता, न्याय और सबके प्रति सम्मान, सद्भावना से भी ओतप्रोत हो। भगवान परिषद् के कार्य संचालन में आपको वह दूरदृष्टि दे, जिससे भारत को पुनः अपना अतीत गौरव प्राप्त हो और उसे विश्व के महान राष्ट्रों के बीच प्रतिष्ठा और समानता का स्थान मिले। महान भारतीय कवि इकबाल की चन्द चिर सुन्दर पंक्तियां आपको इस पुनीत अवसर पर सुनाता हूं। उस कवि को देश का कितना अभिमान था! इस प्राचीन ऐतिहासिक और महान देश के सौभाग्य की अमरता के प्रति उसका कितना ध्रुव विश्वास था! स्मरण रहे कि आपको इस कवि के अमर विश्वास और अभिमान को सही साबित करना है। कविता यों है :—

यूनान, मिस्र, रोमां, सब मिट गये जहां से,
बाक़ी अभी तलक है नामो-निशां हमारा ।
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमां हमारा ।।

इसका अर्थ यों है :— "ग्रीस, मिस्र और रोम प्रभृति सभी देश दुनिया के पर्दे से उठ गये, पर हमारे देश का नाम और गौरव आज भी समय के विनाश-कारी प्रवाह से संघर्ष करता हुआ जीवित है। शताब्दियों से दैव की ही कोप-दृष्टि हम पर रही है, पर अवश्य ही हम में कुछ ऐसे अमर-तत्व हैं, जिन्होंने हमारे विनष्ट करने वाले सारे प्रयासों को पछाड़ दिया है।"

मैं आपसे यह विशेष अनुरोध करता हूं कि आप अपने प्रयत्न में विशाल और उदार दृष्टि से काम लें। पवित्र ग्रंथ बाइबिल हमें सिखाता है —"जहां दूर-दृष्टि नहीं है, वहां मनुष्य का विनाश है।" (हर्षध्वनि)

उप-सभापति का मनोनीतकरण

सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : मुझे केवल व्यक्तिगत कारणों से आपके सामने एक प्रस्ताव रखना है। आशा है, कृपया आप इसका समर्थन करेंगे। अपने चिकित्सक की सलाह से मैं गत कई वर्षों से दोपहर बाद कुछ भी काम करने में असमर्थ हूँ। मैं नहीं चाहता कि जलपान के अवकाश के बाद मैं फिर कार्य-संचालन करूँ। अतः जब तक मैं अस्थायी सभापति हूँ और सभा में परिचय-पत्र (Credential) पेश करने और रजिस्टर में हस्ताक्षर करने का काम चलता है, तब तक के लिये मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि वह मुझे एक उप-सभापति की सहायता दे। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस पद के लिये श्री फ्रैंक एन्थॉनी (Mr. Frank Anthony) को आप नामजद करें। (कुछ रुककर) मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृत घोषित करता हूँ।

श्री प्रसन्नदेव रैकुट की मृत्यु

सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : मुझे सूचना मिली है कि नियमानुसार चुने हुए इस परिषद् के एक सदस्य बंगाल के श्री प्रसन्नदेव रैकुट की मृत्यु हो

गई है। इस सभा (Constituent Assembly) की ओर से मैं उनके सम्बन्धियों को समवेदना भेजना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं इसे स्वीकृत समझ सकता हूँ।

परिचय-पत्र की पेशी और रजिस्टर में हस्ताक्षर

सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : अब मैं समझता हूँ कि हमें परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर में हस्ताक्षर की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। मैं अपना परिचय-पत्र स्वयं अपने सामने पेश करता हूँ। यद्यपि माननीय सदस्यों को इसमें कुछ खास रस्में अदा करनी पड़ती हैं, पर हस्ताक्षर करने के बाद सदस्यों का मंच तक आकर सभापति से हाथ मिलाने की रस्म को मैं हटा देता हूँ। कल हम लोगों ने इसकी परीक्षा की और देखा कि हर सदस्य को हस्ताक्षर करने के बाद घूमकर मंच पर आने और सभापति से हाथ मिलाकर अपने स्थान पर जाने में दो मिनट नहीं तो कम से कम डेढ़ मिनट तो अवश्य ही लग जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि यह रस्म हटा देनी चाहिये। मंत्री (secretary) अब माननीय सदस्यों का नाम पुकारेंगे और सदस्य उनके पास जाकर आप अपना परिचय-पत्र देंगे और रजिस्टर में हस्ताक्षर कर अपने स्थान पर वापिस चले जायंगे।

निम्नलिखित सदस्यों ने तब अपने परिचय-पत्र (credential) पेश किये और रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर किये :—

मद्रास

१. माननीय श्री सी० राजागोपालाचार्य
२. डा० बी० पट्टाभि सीतारमैया
३. माननीय श्री टी० प्रकाशम्
४. माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर
५. दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
६. श्रीमती अम्मू स्वामिनाथन एम० एल० ए० (केन्द्रीय)
७. मिस्टर एस० एच० प्रेटर, ओ० बी० ई०, जे० पी०, सी० एम० जेड० एस०, एम० एल० ए० (बम्बई)
८. डा० पी० सुब्बरायन्
९. महाराज बोब्बिली

१०. श्री एम० अनंतशयनं आयंगर एम० एल० ए० (केन्द्रीय)
११. प्रोफेसर एन० जी० रंगा एम० एल० ए० (केन्द्रीय)
१२. श्री टी० ए० रामालिंगम चेट्टियर एम० एल० ए० (केन्द्रीय)
१३. श्री के० कामराज नाडर एम० एल० ए०
१४. श्री के० माधव मेनन एम० एल० सी०
१५. श्री बी० शिवाराव
१६. श्री के० सन्तानम्
१७. श्री टी० टी० कृष्णमाचार्य
१८. श्री बी० गोपाल रेड्डि एम० एल० ए०
१९. श्रीमती दाक्षायणी वेलायुदन एम० एल० सी० (कोचीन)
२०. श्री वी० आई० मुनिस्वामी पिल्लई एम० एल० ए०
२१. श्री के० चन्द्रमौलि एम० एल० ए०
२२. श्री डी० गोविन्ददास एम० एल० ए०
२३. रेवरेन्ट जेरोम डी सौजा एस० जे०
२४. श्री रामनाथ गोयनका
२५. श्री एच० सीताराम रेड्डी एम० एल० ए०
२६. श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या
२७. श्री काला वेंकटराव एम० एल० ए०
२८. श्री पी० कुन्हीरामन
२९. श्रीमती जी० दुर्गाबाई
३०. श्री पी० कक्कन एम० एल० ए०
३१. श्री एन० संजीव रेड्डी एम० एल० ए०
३२. श्री ओ० पी० रामास्वामी रेड्डियर एम० एल० सी०
३३. श्री सी० पेरूमलस्वामी रेड्डी एम० एल० सी०
३४. श्री एम० सी० वीरबाहु पिल्लई
३५. मिस्टर टी० जे० एम० विल्सन एम० एल० ए०
३६. श्री पी० एल० नरसिम्हा राजू एम० एल० ए०
३७. श्री एस० नागप्पा एम० एल० ए०
३८. श्री एल० कृष्णास्वामी भारती
३९. श्री ओ० वी० अलगेसन
४०. श्री वी० सी० केशवराव
४१. डा० वी० सुब्रह्मण्यम

४२. श्री सी० सुब्रह्मण्यम्
४३. श्री वी० नाडीमुथु पिल्लई

बम्बई

१. माननीय सरदार वल्लभ भाई जे० पटेल
२. माननीय श्री बी० जी० खेर
३. माननीय डा० एम० आर० जयकर पी० सी०
४. श्री के० एम० मुंशी
५. श्री शंकर दत्तात्रेय देव
६. श्री नरहर विष्णु गाडगिल
७. श्री एस० के० पाटिल
८. श्रीमती हंसामेहता एम० एल० सी०
९. डा० जोसफ आल्बन डी० सौजा एम० एल० ए०
१०. श्री एम० आर० मसानी एम० एल० ए० (केन्द्रीय)
११. श्री आर० एम० नलवदे एम० एल० ए०
१२. श्री बी० एम० गुप्ते एम० एल० ए०
१३. श्री एस० निजलिंगप्पा
१४. श्री आर० आर० दिवाकर
१५. श्री एस० एन० माने एम० एल० ए०
१६. श्री खन्डूभाई कासनजी देसाई
१७. श्री एच० वी० पातास्कर एम० एल० ए०
१८. श्री कन्हैयालाल नानाभाई देसाई एम० एल० ए०
१९. श्री के० एम० जेधी

बंगाल

१. श्री शरतचन्द्र बोस
२. डा० बी० आर० अम्बेडकर
३. श्री किरणशंकर राय एम० एल० ए०
४. मि० फ्रैन्क रेजीनाल्ड एन्थॉनी एम० एल० ए० (केन्द्रीय)
५. श्री सत्यरंजन बख्शी
६. डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष

७. सर उदयचंद महताब के० सी० आई० ई०, एम० एल० ए०
८. डा० सुरेशचंद्र बनर्जी एम० एल० ए०
९. श्री देवीप्रसाद खेतान एम० एल० ए०
१०. मिसेज़ लीला रे
११. श्री डम्बर सिंह गुरुंग एम० एल० ए०
१२. डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी एम० एल० ए०
१३. श्री आशुतोष मल्लिक एम० एल० ए०
१४. श्री राधानाथ दास एम० एल० ए०
१५. श्री प्रमथरंजन ठाकुर एम० एल० ए०
१६. श्री हेमचंद्र नस्कर एम० एल० ए०
१७. श्री सोमनाथ लाहिरी
१८. श्री राजकुमार चक्रवर्त्ती
१९. श्री प्रियारंजन सेन
२०. श्री प्रफुल्लचंद्र सेन
२१. श्री जे० सी० मजूमदार
२२. श्री सुरेंद्र मोहन घोष
२३. श्री अरुणचंद्र गुहा
२४. श्री धनंजयराय एम० एल० ए०
२५. श्री धीरेन्द्र नाथ दत्ता एम० एल० ए०

यू० पी०

१. आचार्य जे० बी० कृपलानी
२. माननीय श्री पं० गोविंद बल्लभ पंत
३. माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन
४. माननीय श्री पं० हृदयनाथ कुंजरू
५. श्री गोविन्द मालवीय एम० एल० ए० (केन्द्रीय)
६. पं० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल एम० एल० ए० (केन्द्रीय)
७. श्री मोहनलाल सक्सेना एम० एल० ए० (केन्द्रीय)
८. आचार्य जुगल किशोर एम० एल० ए०
९. श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी एम० एल० ए०
१०. श्री श्रीप्रकाश एम० एल० ए० (केन्द्रीय)
११. श्रीमती सुचेता कृपलानी
१२. सरदार जोगेन्द्र सिंह एम० एल० ए० (केन्द्रीय)

१३. श्री दामोदरस्वरूप सेठ एम० एल० ए० (केन्द्रीय)

१४. श्री अलगूराय शास्त्री एम० एल० ए०

१५. श्री बंशीधर मिश्र एम० एल० ए०

१६. श्री भगवानदीन एम० एल० ए०

१७. श्री कमलापति तिवारी एम० एल० ए०

१८. श्रीमती कमला चौधरी

१९. राजा जगन्नाथ बख्शसिंह एम० एल० ए०

२०. श्री हरिहर नाथ शास्त्री एम० एल० ए०

२१. श्री गोपाल नारायण एम० एल० ए०

२२. श्री फिरोज़ गांधी

२३. श्री जसपत राय कपूर

२४. माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू

२५. माननीय मि० रफीअहमद किदवई

२६. सर एस० राधाकृष्णन्

२७. श्री दयालदास भगत एम० एल० ए०

२८. श्री ए० धर्मदास एम० एल० ए०

२९. श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव

३०. श्री धर्मप्रकाश

३१. श्री अजीतप्रसाद जैन एम० एल० ए०

३२. श्री रामचन्द्र गुप्त एम० एल० सी०

३३. श्री प्राणीलाल एम० एल० ए०

३४. श्री फूलसिंह एम० एल० ए०

३५. श्री मसूरिया दीन एम० एल० ए०

३६. श्री शिब्बन लाल सक्सेना

३७. श्री खुरशीद लाल

३८. श्री सुन्दर लाल

३९. श्री हरगोविन्द पंत एम० एल० ए०

४०. श्री आर० वी० धुलेकर एम० एल० ए०

४१. श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी एम० एल० ए०

४२. श्री वेंकटेश नारायण तिवारी एम० एल० ए०

पंजाब

१. दीवान चमनलाल एम० एल० ए० (केन्द्रीय)
२. सरदार हरनामसिंह
३. सरदार करतारसिंह एम० एल० ए०
४. सरदार उज्जलसिंह एम० एल० ए०
५. माननीय श्री मेहरचन्द खन्ना
६. सरदार प्रतापसिंह एम० एल० ए०
७. बख्शी सर टेकचंद
८. सरदार पृथ्वीसिंह आज़ाद एम० एल० ए०
९. पंडित श्रीराम शर्मा एम० एल० ए०
१०. राव बहादुर चौधरी सूरजमल एम० एल० ए०
११. डा० गोपीचंद भार्गव एम० एल० ए०
१२. श्री चौधरी हरभजराम एम० एल० ए०

बिहार

१. माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद
२. श्रीमती सरोजिनी नायडू
३. माननीय श्री जगजीवन राम
४. माननीय श्री श्रीकृष्ण सिनहा
५. श्री सत्यनारायण सिनहा एम० एल० ए० (केन्द्रीय)
६. माननीय महाराजाधिराज सर कामेश्वरसिंह के० सी० आई० ई०, दरभंगा
७. डा० पी० के० सेन
८. माननीय श्री अनुग्रहनारायण सिनहा
९. श्री बनारसी प्रसाद झुनझुन वाला एम० एल० ए० (केन्द्रीय)
१०. माननीय राय बहादुर श्रीनारायण मेहता
११. श्री देशबंधु गुप्त एम० एल० ए० (केन्द्रीय)
१२. श्री रामनारायण सिंह एम० एल० ए० (केन्द्रीय)
१३. श्री ए० के० घोष एम० एल० ए०
१४. श्री भगवत प्रसाद एम० एल० ए०
१५. श्री बोनीफेस लकरा एम० एल० सी०
१६. श्री रामेश्वरप्रसाद सिनहा एम० एल० ए०

१७. श्री फूलन प्रसाद वर्मा एम० एल० ए०

१८. श्री महेश प्रसाद सिनहा एम० एल० ए०

१९. श्री शारंगधर सिनहा एम०एल०ए०

२०. राय बहादुर श्यामनंदन सहाय एम० एल० ए०, सी०आई० ई०

२१. श्री ब्रजेश्वर प्रसाद

२२. श्री जयपाल सिंह

२३. श्री चन्द्रिका राय एम० एल० सी०

२४. श्री कमलेश्वरी प्रसाद यादव एम० एल० ए०

२५. श्री जगत नारायण लाल एम० एल० ए०

२६. श्री यदुवंश सहाय एम० एल० ए०

२७. श्री गुप्तनाथ सिंह एम० एल० ए०

२८. श्री दीपनारायण सिनहा एम० एल० ए०

२९. श्री देवेन्द्रनाथ सामन्त एम० एल० सी०

३०. डा० सच्चिदानन्द सिनहा एम० एल० ए०

मध्यप्रान्त और बरार

१. माननीय पं० रविशंकर शुक्ल
२. डा० सर हरीसिंह गौड़
३. माननीय श्री ब्रजलाल नन्दलाल वियाणी
४. श्री रुस्तम खुर्शेदजी सिधवा एम० एल० ए०
५. श्री सेठ गोविन्ददास एम० एल० ए० (केन्द्रीय)
६. श्री ठाकुर छेदीलाल एम० एल ०ए०
७. श्री हरि विष्णु कामठ
८. मि० सेसिल एडवर्ड गिब्बन एम० एल० ए०
९. श्री शंकर त्र्यम्बक धर्माधिकारी
१०. श्री गुरु आगमदास अगरमनदास एम० एल० ए०
११. डा० पंजाबराव शामराव देशमुख
१२. श्री बी० ए० मंडलोइ एम० एल० ए०
१३. श्री एच० जे० खांडेकर
१४. श्री एल० एस० भाटकर एम० एल० ए०

आसाम

१. माननीय श्रीयुत गोपीनाथ बारदोलोई
२. माननीय रेवरेन्ट जे० जे० एम० निकल्सराय
३. श्रीयुत अमियकुमारदास एम० एल० ए०
४. माननीय श्रीयुत बसन्त कुमार दास
५. श्रीयुत धरणीधर बासू मातारी एम० एल० ए०
६. श्रीयुत रोहिणीकुमार चौधरी एम० एल० ए० (केन्द्रीय)
७. बाबू अक्षयकुमार दास एम० एल० ए०

सीमाप्रांत

१. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
२. खान अब्दुल गफ्फार खां

उड़ीसा

१. माननीय श्री हरेकृष्ण मेहताब
२. श्रीमती मालती चौधरी
३. श्री विश्वनाथ दास
४. श्री बोधराम दुबे एम० एल० ए०
५. श्री लक्ष्मी नारायण साहु एम० एल०ए०
६. श्री बी० दास
७. श्री नन्दकिशोर दास
८. श्री राजकृष्ण बोस एम० एल० ए०
९. श्री शान्तनुकुमार दास एम० एल० ए०

सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : मुझे यह सूचित किया गया है कि सिंधमें कोई स्पीकर नहीं है, क्योंकि फिलहाल वहां धारासभा नहीं है। इस स्थिति में वहां की धारासभा के सेक्रेटरी ने परिचय-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं, ये स्वीकार किये जा सकते हैं।

सिंध

१. श्री जयरामदास दौलतराम

दिल्ली

१. माननीय श्री एम० आसफअली

अजमेर-मेरवाड़ा

१. पं० मुकुटबिहारी लाल भार्गव एम०एल०ए० (केन्द्रीय)

कुर्ग

१. श्री सी०एम०पुनाका एम०एल०सी०

सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। दोपहर में कोई बैठक न होगी। अब सभा कल बैठेगी। नया कार्यक्रम तैयार किया जायगा जो अभी प्रस्तुत नहीं है। मैंने वैधानिक सलाहकार के कार्यालय को कहा है कि वह माननीय सदस्यों को कार्यक्रम यदि सम्भव हो तो आज शाम तक पहुँचा दें। मुझे आशा है यह हो जायगा। जैसा आप चाहें, सभा कल ११ बजे या ११॥ बजे बैठेगी।

बहुतेरे सदस्य : ११ बजे।

सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : हम लोग कल ११ बजे समवेत होंगे।

तब सभा मंगलवार ता० १० दिसम्बर सन् १९४६ ई० के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई।

अंक १
संख्या २

मंगलवार,
१० दिसम्बर
सन् १९४६ ई०

भारतीय विधान-परिषद

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

——:०:——

विषय-सूची

Published by the Manager of Publications, Delhi, India.
Printed by the Manager Government of India Press, New Delhi, India.
Price annas 4 or 5d.

भारतीय विधान-परिषद्

मंगलवार, १० दिसम्बर सन् १९४६ ई०

भारत की विधान-परिषद् कांस्टीट्यूशन हाल नई दिल्ली में प्रातः ११ बजे अस्थायी सभापति डा० सच्चिदानन्द सिनहा के सभापतित्व में बैठी।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): यदि कोई माननीय सदस्य कल दोपहर के बाद आये हों और अपना परिचय-पत्र दिखाकर अब तक रजिस्टर पर हस्ताक्षर न किये हों, तो इस समय ऐसा कर सकते हैं।

(हस्ताक्षर करने कोई नहीं आया)

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): अब मैं स्थायी सभापति के चुनाव के लिए विधि निर्धारित करने का प्रस्ताव लेता हूँ जो कार्यक्रम की दूसरी चीज़ है। मैं समझता हूँ, आचार्य कृपलानी उस प्रस्ताव को पेश करेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे प्रस्ताव उपस्थित करें।

स्थायी सभापति के चुनाव की विधि

*आचार्य जे० बी० कृपलानी (संयुक्तप्रांत: जनरल): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूँ, जो स्थायी सभापति के चुनाव की व्यवस्था निर्धारित करता है। स्थायी सभापति को आगे हम सभापति विधान-परिषद् के नाम ही से सम्बोधित करेंगे। प्रस्ताव यों है:—

> "यह सभा निश्चय करती है कि सभापति के चुनाव के लिए निम्नलिखित नियम प्रयोग किए जायँ:—
>
> (१) आज दोपहर २-३० के पहले कोई भी सदस्य सभापति के चुनाव के लिए किसी भी सदस्य का नाम उपस्थित कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह नामज़दगी के पर्चे को जिस पर प्रस्तावक का तथा किसी तीसरे समर्थक

---

*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[आचार्य जे० बी० कृपलानी]

सदस्य के हस्ताक्षर हों, अस्थायी सभापति को या वे जिसे नियुक्त करें, उसे उक्त समय के पहले दे दें। नामजदगी के पर्चे में इन बातों का उल्लेख आवश्यक है —

(क) मनोनीत सभापति का नाम।

(ख) यह कि प्रस्तावक ने इस बात का खुलासा कर लिया है कि वह सज्जन सभापति चुने जाने पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये प्रस्तुत हैं।

(२) किसी भी समय अस्थायी सभापति होने के नाते अस्थायी सभापति सभा के सामने मनोनीत सदस्यों का तथा उनके प्रस्तावकों और समर्थकों का नाम पढ़कर सुना देंगे और यदि एक ही सदस्य मनोनीत किये गये हैं, तो वे उन्हें निर्वाचित घोषित करेंगे। यदि एक से अधिक सदस्य मनोनीत किये गये हैं, तो सभा अस्थायी सभापति द्वारा निर्धारित दिन बैलट (अप्रकट-मत प्रणाली) द्वारा सभापति का चुनाव करेगी।

(३) नियम (२) की उद्देश्य-पूर्ति के लिए कोई भी सदस्य नियमानुसार मनोनीत या मत देने का अधिकारी न समझा जायगा, यदि उसने या उसके प्रस्तावक अथवा समर्थक ने एसेम्बली के रजिस्टर पर बहैसियत सदस्य के हस्ताक्षर न किया हो।

(४) यदि दो ही उम्मीदवार सभापति-पद के लिये मनोनीत किये गये हों, तो वह उम्मीदवार जिसे बैलट में अधिक मत मिले होंगे, चुना हुआ घोषित किया जायेगा। यदि दोनों को समान मत मिले हैं, तो लाटरी से इसका फैसला होगा।

(५) जब दो से ज्यादा उम्मीदवार मनोनीत किये गये हों और पहली मत गणना (बैलट) में किसी भी उम्मीदवार को शेष समस्त उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों के कुल जोड़ से अधिक मत नहीं मिला है, तो वह उम्मीदवार जिसे सबसे कम मत मिले हैं चुनाव से हटा दिया जायगा और फिर मत गणना (बैलटिंग) की जायगी। इस तरह हर मतगणना में सबसे कम मत पाने वाला उम्मीदवार चुनाव से अलग होता जायगा, जब तक कि एक उम्मीदवार अपने प्रतिद्वन्द्वी से अधिक मत न पा ले, या शेष समस्त उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल मत से अधिक

मत न पा ले। इस तरह अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीद्वार निर्वाचित घोषित किया जायगा।

(६) किसी मतगणना (बैलट) में यदि तीन या अधिक उम्मीदवारों को समान मत मिले हों और उनमें से एक को नियम (४) के अनुसार चुनाव से अलग करना है, तो समान मत प्राप्त उम्मीदवारों में से कौन अलग किया जाय, इसका फैसला लाटरी से किया जायगा।"

सभापति के निर्वाचन की विधि निर्धारित करने वाले इस प्रस्ताव के लिये इसकी आवश्यकता नहीं है कि मैं सभा से इसकी सिफ़ारिश करूं। सभी धारा-सभाओं (Legt. Assembly) में सर्वदा ये ही नियम प्रयोग किए जाते हैं।

*माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू (संयुक्तप्रांत : जनरल) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : प्रस्ताव बाक़ायदा पेश हो चुका है और इसका समर्थन किया जा चुका है। अब मैं उस पर मत लेता हूँ।

*डा० पी० एस० देशमुख (मध्यप्रांत और बरार : जनरल) : सभापति महोदय, क्या प्रस्ताव में कुछ शाब्दिक परिवर्तन का सुझाव पेश करने की अनुमति मुझे मिल सकती है?

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : माननीय सदस्य को पूरा हक़ है कि वह जैसा चाहें सुझाव पेश करें। हम उन सुझावों पर विचार करेंगे। क्या सुझाव पेश करने के पहले माननीय सदस्य मंच पर आना चाहते हैं?

*डा० पी० एस० देशमुख : (मंच पर आकर) मेरा सुझाव है कि पैरा (१) की पंक्ति (४) में 'तीसरे' (third) शब्द की जगह अन्य शब्द रख दिया जाय। और पैरा तीन की दूसरी पंक्ति में 'और' की जगह दोनों स्थानों पर 'या' रख दिया जाय। मेरी राय में यह परिवर्तन आवश्यक है।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : क्या आचार्य कृपलानी इन परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं?

आचार्य कृपलानी : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

*श्री के० सन्तानम (मद्रास : जनरल) : इस परिवर्तन से तो यह अर्थ निकलता है कि समर्थक ऐसा भी हो सकता है, जो सभा का सदस्य न हो ।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : मैं यहां भाष्य करने के लिये नहीं हूँ । भाष्य करना संकट का कार्य है। यदि सभा अनुमति दे तो मैं प्रस्तावित संशोधन पढ़कर सुनादूं । पहला संशोधन है कि पैराग्राफ (१) में 'तीसरे' शब्द की जगह 'अन्य' शब्द रक्खा जाय । क्या आचार्य कृपलानी इसे स्वीकार करते हैं ?

*आचार्य कृपलानी : जहां तक मेरा सम्बंध है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ । मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : 'तीसरे' शब्द के स्थान पर 'अन्य' शब्द रक्खे जाने पर और किसी सदस्य को आपत्ति है ?

*श्री एम० अनंतशयनं आयंगर (मद्रास : जनरल) : मुझे इस संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं है। पर इस परिवर्तन को मान लेने में एक असुविधा है। इस पैराग्राफ के पहले के पैराग्राफ की दूसरी पंक्ति में 'अन्य' सदस्य शब्द आ चुका है। यदि आप इस संशोधन को स्वीकार करते हैं, इससे यह मतलब हो जाता है कि जो सदस्य सभापति बनाये जारहे हैं, उन्हें खुद समर्थक होना चाहिए और यह बात बिल्कुल अर्थहीन है। अतः इस संशोधन का मैं विरोध करता हूं। मूल शब्द 'तीसरे' रहना चाहिए। यह संशोधन अनावश्यक है।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : क्या आप चाहते हैं कि आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव में जो शब्द हैं, वे ही रहें, उनमें कोई रद्दोबदल न हो ?

*श्री एम० अनंतशयनं आयंगर : हां ।

*डा० पी०एस०देशमुख : संशोधन पर उठाई गई आपत्ति मेरी समझ में आगई और मैं अपने संशोधन पर जोर देना नहीं चाहता। पर मैं समझता हूं यह ज्यादा अच्छा मालूम पड़ेगा, यदि प्रथम 'किसी' की जगह कोई 'किसी एक' और 'तीसरे' शब्द की जगह 'अन्य' रख दिया जाय। मुझे डर है कि कहीं ऐसा न समझा जाय कि बहुत रद्दोबदल का सुझाव पेश कर रहा हूं। पर हम लोग विधान बनाने बैठे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ सभा के बाहर.............. ।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : यह तो वैधानिक बात नहीं है। पहले आपने एक सुझाव दिया कि 'तीसरे' शब्द की जगह 'अन्य' रख दिया जाय।

आपके प्रथम संशोधन पर कोई निर्णय हो, इसके पूर्व ही यदि आप दूसरा संशोधन रक्खेंगे तो सभा के साथ ज्यादती होगी। इस समय तो सभा के सामने केवल यह प्रश्न है कि आया आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव में 'तीसरे' शब्द की जगह 'अन्य' रक्खा जाय या नहीं ; उसके तय हो जाने पर आप चाहें तो दूसरा संशोधन रख सकते हैं।

*डा० पी० एस० देशमुख : यह तो अनुवर्ती सुझाव है। मैं इसे पढ़कर सुना देना............।

*सभापति (डा. सच्चिदानन्द सिनहा) : नहीं, नहीं।

*आचार्य जे० बी० कृपलानी : मेरी समझ में प्रस्ताव का मूलरूप बहुत अच्छा है। मैंने तो वाद-विवाद बचाने के विचार से ही सुझाव स्वीकार कर लिया था।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : यदि सभा मेरी राय मांगे तो मैं यही कहूंगा कि प्रस्ताव के मूल शब्दों से कोई अन्य अर्थ नहीं लगता। वे ज्यों के त्यों रखे जा सकते हैं, पर उसका फैसला करना सभा के हाथ में है।

*माननीय श्री सी० राजगोपालाचार्य (मद्रास: जनरल) : मैं समझता हूं, संशोधन के उपस्थित करने वाले सज्जन गलत-फहमी में हैं। यह तो सिर्फ भाषा के सौन्दर्य की बात है। प्रस्ताव के मूल शब्दों से जो अर्थ निकलता है वह यह है— प्रस्तावक, प्रस्तावित व्यक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा सदस्य होना चाहिये। दूसरी बात है कि समर्थक भी प्रस्तावक या प्रस्तावित सदस्य के अलावा कोई और सदस्य होना चाहिए। अतः प्रस्ताव में 'तीसरे' शब्द उपयुक्त है और उसकी जगह कोई भी अन्य शब्द रखने से गलत-फहमी पैदा हो सकती है।

*एक सदस्य : जब प्रस्तावक ने खुद संशोधन स्वीकार कर लिया है, तो मैं नहीं समझता कि उस पर और बहस जरूरी है।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : पर अवश्य ही आप प्रस्ताव उपस्थित करने वाले सदस्य को वाद-विवाद सुनने के बाद अपनी राय बदलने की अनुमति देंगे। इससे कोई क्षति न होगी। आप उनको राय बदलने से जबरदस्ती रोक नहीं सकते। मेरी समझ में इतने वाद-विवाद के परिणामस्वरूप अब प्रस्ताव में 'तीसरे' शब्द ज्यों का त्यों रह जाना चाहिए।

*एक सदस्य : सभापति महोदय, आचार्य कृपलानी ने पहले यह संशोधन रखा था कि चेयरमैन को प्रेसीडेन्ट कहा जाय। इस पर सभा की राय नहीं ली गई है। मैं नहीं जानता, आया इस पर राय लेना जरूरी है या यह मंजूर किया गया है।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : नहीं, वह अभी मंजूर नहीं किया गया है। वैधानिक सलाहकार से मुझे परामर्श मिला है कि पार्लियामेंट के नियमानुसार स्थायी और अस्थायी दोनों सभापतियों के लिए हमें चेयरमैन शब्द का ही प्रयोग करना होगा। मेरे लिए अस्थायी चेयरमैन और दूसरे को स्थायी चेयरमैन कहा जायगा। परन्तु नियम-निर्मातृ-समिति (Rules Committee) जो शीघ्र ही निर्मित होगी, इस मामले का फैसला करेगी। नियम-निर्मातृ-समिति को अधिकार है, वह 'प्रेसीडेन्ट' शब्द का ही व्यवहार करे। अत: फिलहाल 'चेयरमैन' शब्द ज्यों का त्यों रहने देना चाहिए।

अब हम आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव के तीसरे भाग को लेते हैं, जो यों है :—

"नियम नं० (२) की उद्देश्य पूर्ति के लिए कोई भी सदस्य नियमानुसार मनोनीत या मत देने का अधिकारी न समझा जायगा, यदि उसने और उसके प्रस्तावक और समर्थक ने एसेम्बली के रजिस्टर पर बहैसियत सदस्य के हस्ताक्षर न किये हों।"

संशोधन यह है कि इस भाग में 'और' शब्द जो दो जगह आया है, उसकी जगह 'या' शब्द रख दिया जाय। मैं आचार्य कृपलानी से जानना चाहता हूं कि क्या वे यह संशोधन मंजूर करते हैं ?

*आचार्य जे० बी० कृपलानी : मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता, बल्कि 'और' शब्द ज्यादा उपयुक्त है।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : मैं समझता हूं आप 'और' शब्द पर ही कायम रहना चाहते हैं, बजाय उसे 'या' में बदलने के, यद्यपि आप दोनों में अन्तर नहीं समझते।

*आचार्य जे० बी० कृपलानी : हां जनाब, जो शब्द प्रस्ताव में है, मैं उसे ही चाहता हूं।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : सभा की क्या राय है ?

कुछ सदस्य : 'या' उपयुक्त है ।

बहुत से सदस्य : कोई रद्दोबदल न हो ।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : सभा की यह राय मालूम पड़ती है, 'और' शब्द को 'या' में बदलने की कोई जरूरत नहीं है और प्रस्ताव ज्यों का त्यों रहना चाहिए ।

*श्री एच० वी० कामठ (मध्यप्रांत, बरार : जनरल) : सभापति महोदय, इस प्रस्ताव पर मैं चन्द शब्द कहना चाहता हूँ । इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है कि प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सके ।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य जो सभा के सामने बोलने आये हैं, वह यह कहना चाहते हैं कि ऐसे नियमों में यह व्यवस्था रहती है कि कोई सदस्य चुनाव की प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले सके । मेरी समझ में यह बात सच है । उनका कहना है कि—हो सकता है इसकी जरूरत न पड़े—प्रस्ताव में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि चुनाव के लिए नामजद किया हुआ कोई सदस्य यदि प्रतियोगिता से हटना चाहे, तो वह समय पर ऐसा कर सके । ऐसी व्यवस्था जोड़ देने में मैं कोई क्षति नहीं समझता ।

*श्री एच० वी० कामठ : सभापति महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं निम्नलिखित भाग जोड़ने की सिफारिश करूंगा । "जब एक से ज्यादा उम्मीदवार का नाम आजाय, तो चेयरमैन एक तारीख और समय निर्धारित कर देंगे कि कोई उम्मीदवार जो प्रतियोगिता से हटना चाहते हैं, उस समय तक अपना नाम वापस ले लें ।"

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : बहुत ठीक । मैं आपके अभिप्राय को जहां तक मुझसे हो सकता है, सीधी-साफ भाषा में रखने की कोशिश करूँगा, यह व्यवस्था जोड़ी जा सकती है ।

अब सारे संशोधन तय हो गये हैं और अब मैं आचार्य कृपलानी का प्रस्ताव बदस्तूर सभा के सामने रखता हूँ, ताकि यह पास होजाय ।

प्रस्ताव मंजूर किया गया ।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : मैं आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव को स्वीकृत घोषित करता हूँ ।

केन्द्रीय धारा सभा के नियमों और स्थायी आज्ञाओं की स्वीकृति

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : अब मैं माननीय सदस्य पं० जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित करता हूँ कि बाकी तीन प्रस्तावों में पहला सभा के सामने रखें।

*माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू (संयुक्त प्रांत : जनरल) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूँ और आशा है, इससे सभा के कार्य संचालन में मदद मिलेगी।

> "यह सभा तब तक के लिए जब तक कि विधान-परिषद् के कार्य संचालन के लिये इसके अपने नियम न बन जांय, केन्द्रीय धारा-सभा के नियमों और स्थायी आज्ञाओं को ऐसे परिवर्तनों के साथ जो सभापति उचित समझे, मंजूर करती है।"

सभा को मालूम है कि विधान-परिषद ने बिना ऐसे नियमों के जिन्हें किसी विदेशी सत्ता ने बनाये हों, अपना काम शुरू किया है। इसे अपने नियम खुद बनाने हैं। बाद में मैं नियम निर्माण के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव सभा के सामने रखूंगा। सम्भवतः उस समिति को अपना काम पूरा करने में दो-तीन दिन लग जायंगे। इन चन्द दिनों तक जब तक नियम नहीं बन जाते, हमें अपना काम जारी रखना है। इसलिए यह वांछनीय है कि हम किसी व्यवस्था का सहारा लें। उसके लिये सरलतम उपाय यह है कि हम धारा-सभा के सारे नियम और स्थायी आज्ञाओं को अपनालें; पर ज्यों का त्यों नहीं, क्योंकि इससे काफी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। हम उन्हें मंजूर करलें और सभापति को अधिकार दे दें कि वह अवसर के अनुकूल यदि आवश्यक समझें, तो उसमें परिवर्तन करलें।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : क्या माननीय प्रस्तावक प्रस्ताव के इन शब्दों को—'जो सभापति उचित समझे'—क्या स्पष्ट कर देंगे? मैं समझता हूँ यहां स्थायी सभापति से मतलब है।

*माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू : मतलब है, उस समय जो भी सभापतित्व करता हो।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : बहुत अच्छा।

* मानीय पं० गोविन्द वल्लभ पन्त (सँयुक्तप्रान्त: जनरल) : मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

* सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : अब माननीय सदस्य, यदि संशोधन या सुझाव हों, तो पेश कर सकते हैं।

* श्री विश्वनाथ दास (उड़ीसा : जनरल) : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता······।

* सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि आया सदस्य महोदय संशोधन पेश करने जा रहे हैं ?

* श्री विश्वनाथ दास : प्रस्ताव की रचना में मुझे कुछ कठिनाइयाँ दिखाई दे रहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रस्तावक स्थिति पर गौर करें और विचारें कि क्या प्रस्ताव को वापस ले लेना सम्भव या वांछनीय नहीं है ?

* सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : क्षमा कीजिऐ, मैं समझ नहीं पाया कि आपने क्या कहा।

* श्री विश्वनाथ दास : प्रस्ताव की असली सूरत में मुझे कुछ कठिनाइइयां नजर आ रहीं हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ।

* सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : दूसरे शब्दों में यों कहना चाहिए कि आप प्रस्ताव का, जिस सूरत में वह रखा गया है, विरोध करते हैं।

* श्री विश्वनाथ दास : हां।

* सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : यानी आप प्रस्ताव नहीं चाहते ? आशा है प्रस्तावक महोदय इसे समझेंगे। पं० नेहरू द्वारा उपस्थित किये गये प्रस्ताव को अमली रूप देने में वक्ता को कुछ कठिनाइयां दिखाई पड़ रही हैं। इससे वे इसका विरोध करते हैं, यद्यपि वह 'विरोध' शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।

* श्री विश्वनाथ दास : खेद है कि मुझे एक ऐसा कार्यभार लेना है, जिसका मैं अभ्यस्त नहीं हूँ। इस सम्बंध में क्या मुझे यह बताने की जरूरत है कि वर्किंग कमेटी और पं० नेहरू द्वारा प्रदर्शित पथ का मैं सदा ही नीरव समर्थक रहा हूँ ? पर मुझे इस प्रस्ताव को अमली रूप देने में कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। प्रस्ताव दो या तीन बातें कहता है। पहली बात तो वह यह कहता है कि "ऐसे परिवर्तनों

[श्री विश्वनाथ दास]

के साथ जो सभापति जरूरी समझें" फिर प्रस्ताव कहता है "केन्द्रीय धारा सभा के नियम अमल में लाए जायँ"। सभापति जी, नियम निर्मातृ-समिति शीघ्र ही बनने जा रही है। मैं समझता हूँ नियम बनें और सभा के सामने आयें, इसमें ज्यादा से ज्यादा तीन दिन लगेंगे। उम्मीद है कि इस बीच हम कोई महत्वपूर्ण काम न करेंगे। इसलिए इस अस्थायी प्रस्ताव से कुछ विशेष लाभ न होगा और इसे लागू करने में भी तरह-तरह की दिक्कतें पेश होंगी।

दूसरे, सभापति महोदय, प्रस्ताव में बहुत कुछ सभापति की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। मैं अपने नेता से अपील करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या यह ठीक न होगा कि तीन दिनों तक सभा का कार्य संचालन सभापति पर छोड़ दिया जाय। बाद में नियम बन कर सभा के सामने आ जायंगे। मेरा सुझाव है कि इस बीच में यदि सभा कोई काम करना चाहे तो कार्य संचालन बिल्कुल सभापति पर छोड़ दिया जाय, जैसा प्रस्ताव में कहा गया है।

तीसरे, केन्द्रीय धारा सभा के नियमों और स्थायी आज्ञाओं को जानना हमारे लिए कठिन है। मैं खुद नहीं जानता और मेरा ख्याल है बहुत से सदस्य ऐसे हैं जिन्हें इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। सभी प्रांतों में ये एक से नहीं हैं; आवश्यक मामलों में भी इनमें प्रांत-प्रांत में भेद है। केन्द्रीय धारा सभा के नियमों को जानने में सदस्यों को दो-तीन दिन लग जायंगे। सदस्यों को इस कठिनाई में डालने के बजाय मेरी समझ में यह बहतर होगा कि तब तक के लिए जब तक अपने नियम नहीं बन जाते, सभा का यदि कोई काम हो तो उसे सभापति पर छोड़ दिया जाय।

सभापति जी, इस के अलावा सभा के २२० सदस्यों को केन्द्रीय धारा सभा के नियमों की एक-एक प्रति देनी होगी। मैं नहीं समझता कि केन्द्रीय धारा सभा इतने कम समय में नियमों की इतनी प्रतियां दे सकेगी। इन कठिनाइयों को देखते हुए मुझे यकीन है कि इस में कोई नुकसान न होगा, यदि पंडित जी प्रस्ताव वापस लेने पर राजी हो जायँ और सब कुछ सभापति की मर्जी पर छोड दें, जैसा प्रस्ताव में भी है। मुझे और कुछ नहीं कहना है। सभापति जी, मुझे बहुत खेद है कि मुझे इसका विरोध करना पड़ रहा है—जैसा आप कहते हैं—यद्यपि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं।

* सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : श्री विश्वनाथ दास को मैं सूचित कर दूं कि आप चाहे जो भी उपयुक्त शब्द इसके लिए समझें, प्रयुक्त करें; पर बहैसियत सभापति के इसके सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं कि मैं आपके इस रूख को विरोध कहूँ।

* श्री विश्वनाथ दास : हो सकता है, पर विरोध की भावना से मैंने यह नहीं कहा है।

* श्री श्रीप्रकाश (संयुक्तप्रांत : जनरल) : मैं माननीय पं० नेहरू द्वारा उपस्थित प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। यदि माननीय मित्र श्री विश्वनाथ दास केन्द्रीय धारा सभा के नियमों को पढ़ें तो देखेंगे कि वे बिलकुल दुरुस्त हैं। उन्हें और अच्छा नहीं बनाया जा सकता। मुझे विश्वास है कि हमारी समिति बैठेगी और अपना काम शुरू करेगी तो उसे मालूम होगा कि उसे केन्द्रीय धारा सभा के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं करना है। सभापति जी, यदि मन्त्री केन्द्रीय धारा सभा के नियमों की एक-एक प्रति परिषद् के सदस्यों को वितरित कर दें—और इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं है—तो श्री विश्वनाथ दास और दूसरे सदस्य भी यह देखेंगे कि जो नियम केन्द्रीय धारा सभा के लिए उपयुक्त हैं, वे हमारे लिए भी उपयुक्त हैं। मेरी समझ में यह महज़ वक्त की बर्बादी होगी कि हम नियम बनाने के लिए सभा का काम स्थगित करें। सभापति जी, मैं नहीं समझता कि बहैसियत अस्थायी सभापति आप यह पायें कि केन्द्रीय धारा सभा के नियम, परिषद् के बहस-मुबाहसे के सिलसिले में जो भी उलझनें सम्भव हैं, उनके लिए काफी नहीं हैं। मैं माननीय मित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू का समर्थन करता हूं।

* सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : मुझे तो यह जानने की ज्यादा फिकर है कि श्री विश्वनाथ दास का कोई समर्थन कर रहा है या नहीं। (हंसी) मुझे तो प्रश्न के इस वैधानिक पहलू की फिक्र है कि श्री विश्वनाथ दास के मन्तव्य का किसी ने समर्थन भी नहीं किया। मेरी समझ में सभा का सब बहुमत इसी पक्ष में है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव मंजूर किया जाय।

* श्री एन० वी० गाडगिल (बम्बई : जनरल) : मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि परिषद् के सभी सदस्यों को केन्द्रीय धारा सभा के नियमों की एक-एक प्रति दी जाय।

* सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : मुझे नहीं मालूम है कि इतनी प्रतियां प्राप्य हैं या नहीं। हो सकता है कि न प्राप्य हों, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छा पूरी कर सकूं।

अब मैं पंडित नेहरू के प्रस्ताव पर मत लेता हूं..........। मैं इसे स्वीकृत घोषित करता हूं।

अब मैं पंडित नेहरू से अनुरोध करूंगा कि वे प्रस्ताव नं० ६ को उपस्थित करें।

विधान-परिषद कार्यालय के वर्तमान संगठन की स्वीकृति

* माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू (संयुक्त प्रांत : जनरल) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं :—

"यह सभा विधान-परिषद का अन्तिम निर्णय होने की अवधि तक विधान-परिषद कार्यालय के वर्तमान संगठन को मंजूर करती है।"

सभा को शायद यह मालूम है कि गत कई महीनों से विधान-परिषद का कार्यालय काम कर रहा है और हमारे पहले यानी इस सभा के समवेत होने के पहले जो कुछ हो चुका है; उसको इसी ने संगठन किया था। इसका बहुत कुछ काम तो नैपथ्य में ही हुआ है और सभा के समवेत होने के पूर्व के जो कठिन काम इस कार्यालय ने किये हैं, उनका अनुमान शायद कम ही सदस्यों को होगा। जो भी हो, जब तक यह सभा कुछ अन्य निर्णय नहीं करती, इस कार्यालय को जारी रखना है। किसी न किसी तरह का कार्यालय तो सभा को रखना ही है। सभा वर्तमान कार्यालय को ही जारी रख सकती है, चाहे तो इसे बढ़ा या इसमें रद्दोबदल कर सकती है, पर कार्यालय को तो जारी रखना ही होगा। मेरा प्रस्ताव एक तरह से इस कार्यालय के संगठन को तब तक के लिए, जब तक सभा अन्य निर्णय न करे, वैधानिक रूप देता है। सभापति जी, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव पेश करता हूं।

* सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : क्या इस प्रस्ताव का समर्थन हो रहा है?

* माननीय श्री एम० आसफअली (दिल्ली) : पंडित नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करने में मुझे बड़ी खुशी है।

* सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : आपका मत लेने के लिए प्रस्ताव रखने में मुझे भी बड़ी खुशी है। (हंसी) क्या बिना हंसाये मैं कुछ भी आपके सामने नहीं कह सकता? (और हंसी) पं० नेहरू, आपके कथन के समर्थन में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन चंद दिनों में, जबसे मुझे सर बी० एन० राव के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है, मैंने उनसे हर तरह की सम्भव मदद पाई है और मुझे विश्वास है कि मेरे उत्तराधिकारी को भी

वे अपनी बहुमूल्य सहायता देते रहेंगे।............मैं प्रस्ताव को स्वीकृत घोषित करता हूँ।

अब आचार्य कृपलानी सातवां प्रस्ताव उपस्थित करेंगे।

——:०:——

कार्य संचालनार्थ नियम-निर्मातृ-समिति की स्थापना

* आचार्य जे० बी० कृपलानी (संयुक्तप्रांत : जनरल) : सभापति महोदय, हम यहां एकत्र तो हुए हैं पर कार्य संचालन के लिए हमारे पास नियमादि नहीं हैं। इसीलिए पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रथम प्रस्ताव पेश किया, ताकि उस अवधि तक जब तक हम अपने नियम नहीं बना लेते, उन्हीं से काम लें। हम अपनी तजवीजों के बहस-मुबाहिसे के सिलसिले में उन्हीं नियमों से काम लें, जो केन्द्रीय धारा सभा के कार्य संचालन में बरते जाते हैं। इन नियमों पर काफ़ी विचार करने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक समिति बना दी जाय; अतः यह प्रस्ताव आपके सामने रखता हूँ।

"यह सभा निश्चय करती है कि :—

(१) सभापति और १५ सदस्यों की एक समिति निम्नलिखित विषयों पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए बनादी जाय।

(क) सभा के कार्य संचालनार्थ नियमादि"

जो प्रति आपको मिली है, उसमें आप 'सेक्शन्स और समितियां' शब्द भी पायंगे। सेक्शन्स और समितियां सभा के ही अंग हैं और इसलिए मुझे ये शब्द अनावश्यक मालूम पड़े। इसी आधार पर मैंने ये शब्द हटा दिये हैं—

"(क) सभा के कार्य संचालनार्थ नियमादि।

(ख) सभापति के अधिकार।

(ग) सभा के कार्य का संगठन, जिसमें नियुक्तियों तथा सभापति के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों के अधिकार भी सम्मिलित हैं।

(घ) सभा के रिक्त स्थानों की घोषणा तथा उनकी पूर्ति की व्यवस्था।

[आचार्य जे० बी० कृपलानी]

(२) परिषद् के सभापति ही इस समिति के सभापति होंगे।

(३) समिति के सदस्य सूची में दिये हुए तरीकों के मुताबिक चुने जायं।

(४) इस मामले में समिति का निर्णय होने तक सभापति ही निम्नलिखित बातें तय करेंगे :—

(क) सभा के सदस्यों का भत्ता नियत करना।

(ख) केन्द्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों का, जिनकी सेवाएं परिषद् के काम में ली जायंगी, वेतन और भत्ता, सम्बंधित हुकूमतों के परामर्श से नियत करना।

(ग) विधान-परिषद् के काम के लिए जो लोग नियुक्त किये जायँगे उनका वेतन और भत्ता नियत करना।

सूची

(१) समिति के सदस्य, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर एकाकी हस्तान्तरित मत की पद्धति द्वारा चुने जायंगे। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय धारासभा में जो नियम बरते जाते हैं, यथासम्भव उन्हीं के अनुकूल चुनाव किया जायगा।

(२) समिति के सदस्यों का चुनाव करने के लिए (यदि यह आवश्यक हुआ) सभापति तारीख़ और समय निर्धारित तथा घोषित करेंगे।

(३) कोई भी सदस्य जो चुनाव के लिए किसी सदस्य या सदस्यों का नाम प्रस्तावित करना चाहते हैं, इसकी सूचना दे सकते हैं। सदस्य परिषद् के मंत्री के नाम स्वहस्त लिखित सूचना अपने हस्ताक्षर सहित नोटिस आफ़िस में सभापति द्वारा नियत तारीख़ के दिन १२ बजे मध्याह्न तक दे सकते हैं। सूचना देने वाले सदस्य को यह पहले ही पक्का कर लेना होगा कि जिसका नाम वह प्रस्तावित करते हैं, वह (सज्जन) चुने जाने पर समिति में काम करने के लिए राज़ी हैं।"

इसके बाद मैंने एक दूसरा पैराग्राफ जोड़ दिया, जो यों है, यह पैरा जो कागज़ आपको दिया गया है उसमें नहीं है, पर बढ़ाया जा सकता है :—

"सभापति द्वारा नियत किये हुए समय के अन्दर यदि कोई प्रस्तावित सदस्य अपना नाम वापस लेना चाहें, तो वे वापस ले सकते हैं।

(४) यदि नामज़द सदस्यों की संख्या उन जगहों या सीटों से कम है, जिन्हें

भरना है, तो सभापति और अवधि निर्धारित कर देंगे, जिसके भीतर उक्त सूचना (notice) दी जा सकती है और इसके बाद भी जब तक जगहों की संख्या के बराबर सदस्य नामज़द नहीं हो जाते, सभापति इसके लिये और अवधि बढ़ा सकते हैं।

(५) यदि नामज़द उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली जगहों के बराबर होगी तो सभापति सभी उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर देंगे।

(६) यदि नामज़द उम्मीदवारों की संख्या जगहों से ज्यादा हो तो नियम १ के मुताबिक चुनाव होगा।

(७) इन नियमों के उद्देश्यों को सामने रखते हुए कोई भी सदस्य बाकायदा नामज़द न समझा जायगा और न वोट (मत) देने का अधिकारी माना जायगा, अगर उसने या उसके प्रस्तावक ने परिषद् (Assembly) के रजिस्टर में बहैसियत सदस्य के हस्ताक्षर नहीं किये हैं।"

*एक सदस्य : इन नामज़दगियों के लिए क्या किसी समर्थक की ज़रूरत नहीं है? यहां केवल प्रस्तावक या उम्मीदवार का ही नाम आया है।

*राय बहादुर श्याम नन्दन सहाय (बिहार : जनरल) : इन नियमों में जिनका प्रस्ताव अभी किया गया है, समर्थक नहीं रखा गया है। मैं इसका ख़ुलासा करना चाहता था कि आया इन नामज़दगियों के लिए समर्थक की ज़रूरत है या केवल प्रस्तावक से ही काम चल जायगा।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : राय बहादुर श्याम नन्दन सहाय यह जानना चाहते हैं कि समिति के चुनाव के लिए जो नामज़दगियां होंगी, उनके लिए केवल प्रस्तावक की आवश्यकता है या समर्थक की भी?

*आचार्य जे० बी० कृपलानी : जनाब, इसके लिए समर्थक ज़रूरी नहीं है।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : बहुत अच्छा।

*श्री एच० वी० कामठ (मध्यप्रांत, बरार : जनरल) : सभापति जी, निवेदन करूँगा कि चुनाव की अर्ज़ियों के फ़ैसले के सिलसिले में एक ज़बरदस्त दोष रह गया है। जनाब, मेरी राय में जहां चुनाव को चैलेंज किया गया हो यानी उस पर वैधानिक आपत्ति की गई हो, ऐसे चुनाव की दरख़्वास्तों को निबटाने के लिए परिषद् को एक ट्रिब्यूनल ज़रूर मुकर्रर कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए, कल ही

[श्री एच० वी० कामठ]

बलूचिस्तान के चुनाव पर आपत्ति की गयी थी । कल वह कार्यक्रम में था, पर ट्रिब्यूनल नियत करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : मैं समझता हूँ समिति इसके लिए कुछ नियम बनायेगी। मैं सलाह देता हूँ कि उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि चुनाव सम्बंधी मामलों को निबटाने के लिए भी उन्हें नियम वगैरह बनाने जरूरी हैं।

*डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी (बंगाल : जनरल) : क्या प्रस्तावक महोदय का यह अभिप्राय है कि ये नियम सेक्शनों पर भी लागू होंगे? मेरी राय में यहां 'सैक्शन' शब्द खोलकर लिख देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ खास सैक्शनों को लेकर कठिनाइयां हैं।

*डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी (बंगाल : जनरल) : डा० सुरेशचंद्र बनर्जी के मसविदे का मैं भी समर्थन करता हूँ। मैं समझता हूँ इसे स्वीकार कर लेना ज्यादा सुरक्षा-मूलक है । यदि प्रस्तावक का यह अभिप्राय है कि नियम-निर्मातृ-समिति सैक्शनों (वर्गों) और समितियों के लिए भी नियम बनायेगी, तो यह वांछनीय है कि प्रस्ताव में साफ़-साफ़ सैक्शन और समितियां भी सम्मिलित कर दी जायें, ताकि वह यों पढ़ा जाय, "सैक्शनों और समितियों सहित सभा के कार्य संचालनार्थ नियमादि"।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी आपको एक सुझाव दे रहे हैं कि आप कृपाकर इस स्थल पर एक शब्द और शामिल करने की बात स्वीकार कर लें।

*आचार्य जे० बी० कृपलानी : मैं समझता हूं जनाब, कि "सभा के कार्य संचालनार्थ नियमादि" में सैक्शनों और समितियों के नियम भी आजाते हैं और मैं नहीं समझता कि सभा के सम्मुख उपस्थित प्रस्ताव में यह अनावश्यक जोड़ क्यों किया जाय।

*डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी : सभापतिजी, क्या मैं आपकी अनुमति से इस बात को स्पष्ट करदूं कि "सैक्शनों और समितियों सहित" का जोड़ा जाना यहां क्यों आवश्यक है? जब सैक्शनों की परिषदें बैठेंगी तो हो सकता है, वे कार्य संचालनार्थ अपना पृथक-पृथक नियम बनावें। उस समय यह प्रश्न उठ सकता है कि विधान-परिषद को सैक्शनों के लिए कार्य संचालनार्थ नियमादि बनाने का

अधिकार भी है या नहीं ? उस समय नियम-निर्मातृ-समिति को अधिकार प्रदान करने वाले इस प्रस्ताव का प्रसंग जरूर ही उठेगा और तब उसमें केवल यही ज़िक्र पाया जायगा कि समिति केवल विधान-परिषद् के कार्य संचालनार्थ नियमादि बनाने के लिए नियुक्त की गयी थी। उस समय इस भाष्य का प्रश्न उपस्थित होगा कि आया इस नियम-निर्मातृ-समिति को सैक्शनों के लिए भी नियमादि बनाने का अधिकार है या नहीं ? यदि आपका यह अभिप्राय है कि नियम-निर्मातृ-समिति सैक्शनों के लिए भी नियम बनायेगी, तो साफ़-साफ़ यहां "सैक्शनों और समितियों सहित" क्यों नहीं जोड़ देते; ताकि जब सैक्शन अपना काम शुरू करें; तो उन्हें इस सम्बन्ध में कोई दुविधा न रह जाय।

*माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन (सयुंक्त प्रान्त : जनरल) : डा० मुकर्जी के संशोधन का मैं समर्थन करता हूँ।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): अभिप्राय को और स्पष्ट करने के लिए सुझाए हुए शब्दों को जोड़ लेने में आप को कोई आपत्ति है ?

*आचार्य जे० बी० कृपलानी : मैं समझता हूँ कि सैक्शनों को अगर और अतिरिक्त नियमों की जरूरत हुई, तो यह निर्धारित कर दिया जायगा कि सैक्शन कोई ऐसे नियम न बनायेंगे जो विधान-परिषद् के नियमों से असामंजस्य रखते हों। सभापति महोदय, मेरा मतलब है कि नियम-निर्मातृ-समिति व्यापक ढंग के नियम बनायेगी जो सैक्शनों और समितियों पर भी लागू होंगे। यदि कोई समिति या सैक्शन को और नियमों की ज़रूरत है तो वह अपना स्वयं बना लेगा पर प्रतिबंध यही रहेगा कि उसके बनाये नियम विधान-परिषद् के बनाये नियमों से बेमेल न होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रस्ताव का यह हिस्सा ज्यों का त्यों रहे।

*सरदार हरनाम सिंह (पंजाब : सिख) : सभापति जी, आचार्य कृपलानी द्वारा उपस्थित किये प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे सभा के सामने दो बातें कहनी हैं। एक तो प्रस्ताव के पैरा १(क) के सम्बन्ध में है। मैं डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी से पूर्ण सहमत हूँ कि पैरा १(क) में बजाय "सभा के कार्य संचालनार्थ नियमादि" के यों हों "सभा, सैक्शनों और समितियों के कार्य संचालनार्थ नियमादि" यह मेरा पहला सुझाव है। कैबिनेट मिशन ने अपने स्पष्टीकरण में सैक्शनों का ज़िक्र हमेशा विधान-परिषद् के सैक्शनों के नाम से ही किया है। अतः मेरा मत है कि

[सरदार हरनाम सिंह]

नियम सम्बन्धी पैरा १ (क) यों पढ़ा जाय "सभा, सैक्शनों और समितियों के कार्य संचालनार्थ नियमादि"।

एक बात और है। प्रस्ताव पेश करते हुए आचार्य कृपलानी ने कहा है कि "सैक्शनों और समितियों" का जोड़ना अनावश्यक है और इसलिए वे इसके निकाल देने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि सभा के कार्य संचालनार्थ जो नियम प्रस्तावित हैं उनमें सैक्शनों और समितियों के नियम भी शामिल हैं। इस प्रारम्भिक बैठक में आप जो समितियां बनायेंगे, उनमें एक परामर्श-दातृ-समिति (Advisory Committee) भी होगी, जो उन चंद खास बातों के लिए होगी जिनका ब्यौरा कैबिनेट मिशन की योजना के पैराग्राफ २० में है।

कैबिनेट मिशन ने यह साफ़-साफ़ कहा है कि परामर्श-दातृ-समिति (एडवाइज़री कमेटी) में सभी अल्प-संख्यकों का पूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एडवाइज़री कमेटी के कार्य संचालन के लिए नियमों का निर्माण जब एक ऐसी समिति करेगी जिसको यह सभा सूची के पैराग्राफ १ के अनुसार चुनेगी, तो मुझे संदेह है कि उन नियमों के निर्माण में जिन के अनुसार एडवाइज़री कमेटी का कार्य संचालित होगा; अल्प-संख्यंकों की कोई आवाज़ न होगी। इसलिए मेरा दूसरा सुझाव है कि सूची का पैरा १ इस तरह हो "समिति के १० सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर एकाकी हस्तान्तरित मतपद्धति से चुने जायं"। मैं एक दूसरा पैरा भी जोड़ना चाहता हूं, जो यों हो "बाकी ५ सदस्य परिषद् के सभापति द्वारा मनोनीत किये जायं ताकि आवश्यक अल्प-संख्यकों को समिति में यथेष्ट प्रतिनिधित्व प्राप्त होसके।" अन्यथा मुझे डर है कि एडवाइज़री कमेटी का काम इस ढंग पर होगा जो सभा के एक आवश्यक वर्ग (अल्प-संख्यक) के हितों के प्रतिकूल होगा। ये मेरे दो सुझाव हैं कि सूची का पैरा १ उपरोक्त ढंग से संशोधित होजाय, सूची में एक दूसरा और पैरा बढ़ा दिया जाय और इस तरह सूची में बजाय सात के साठ पैराग्राफ हों।

*श्री के०एम०मुंशी (बम्बई : जनरल) : सभापति महोदय, मैं श्री सुरेशचंद्र बनर्जी के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिसका समर्थन डा०श्यामाप्रसाद मुकर्जी कर चुके हैं। हाउस आफ़ कामन्स के शब्दों में इस परिषद् के काम में सैक्शनों और समितियों का काम भी स्वयं शामिल है; अतः यदि यहां "सभा के कार्य संचालनार्थ नियमादि" इतना ही रहा तो भी सैक्शनों और समितियों के जिक्र की ज़रूरत नहीं है। इसमें सन्देह नहीं है, पर साथ ही इस सम्बंध में स्टेट

पेपर ने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। अतः सभापति महोदय, यहां "सैक्शनों और समितियों" का न जोड़ना बुद्धिमत्ता से ख़ाली होगा, क्योंकि इससे यह जाहिर होगा कि विधान-परिषद् सर्वसत्ता सम्पन्न नहीं है। जिस बात पर हम जोर देते हैं उस हालत में हमारे सामने यह तर्क पेश किया जा सकता है कि इसका कोई भाग, सैक्शन या समिति खुदमुख्तारी से काम कर सकती है और अपना विधान बना सकती है। स्वयं आचार्य कृपलानी ने कहा है कि यदि हम इस प्रस्ताव को ज्यों का त्यों रहने दें तो हम ऐसे रूल या नियम बनायेंगे जिनसे सैक्शनों या समितियों को ऐसे नियम बनाने का अधिकार न होगा, जो इस समिति द्वारा बनाये नियमों के प्रतिकूल या असंगत हो। यह तर्क स्वयं यह प्रकट करता है कि इस प्रोसीज्योर कमेटी को अख्तियार है कि कुछ हद तक वह सैक्शनों और समितियों के कार्य संचालन-पद्धति को नियंत्रित रखे। जो बहस-मुबाहिसा यहां हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए यह बेहतर है कि "सैक्शन और समितियों" रखा जाय बजाय इसके कि इन शब्दों की अनुपस्थिति में इस प्रस्ताव के अर्थ पर पुनः आगे बहस खड़ी हो। मुझे एक पाइन्ट ऑफ़ आर्डर की मुश्किल दिखाई दे रही है। मान लीजिए कि प्रोसीज्योर कमेटी सैक्शनों के प्रश्न पर विचार करती है या कोई नियम बनाती है, जैसा आचार्य कृपलानी चाहते हैं, तो निश्चय ही यह पाइन्ट आफ़ आर्डर उठाया जायगा कि आया "एसेम्बली" शब्द में सैकशन और समितियां भी शामिल हैं या नहीं। उस समय प्रोसीज्योर कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन को इस पर रूलिंग देनी होगी। यह ज्यादा अच्छा है कि यह प्रश्न प्रोसीज्योर कमेटी के चेयरमैन पर न छोड़ा जाय जो सम्भव है स्थायी सभापति ही हों। इस सभा को यहां यह बात साफ-साफ निर्धारित कर देनी चहिए कि विधान-परिषद् एक और अविभाज्य है। सैक्शन जिनका जिक्र किया गया है वे इस एसेम्बली के ही सैक्शन हैं; और ये सैक्शन स्वतंत्र संस्था नहीं है कि अपने कार्य संचालन के लिए ऐसे नियम बनावे जो परिषद् के नियमों से बेमेल हों। अतः मैं अर्ज करता हूं कि यह बहुत जरूरी है और इसी समय जब कि यह प्रश्न सभा के सामने उठाया गया है कि इस प्रस्ताव की सीमा और क्षमता सभा के सैक्शनों और समिति सहित इन शब्दों को जोड़कर स्पष्ट कर दी जाय "सभा के कार्य संचालनार्थ, जिसमें इसके सैक्शन और समितियां भी शामिल हैं नियमादि"

*माननीय श्री बसन्त कुमार दास (आसाम : जनरल) : सभापति महोदय मैं जो कहना चाहता था उसमें से बहुत कुछ श्री मुन्शी ने कह दिया। मैं यहां इस

[माननीय श्री बसन्त कुमार दास]
बुनियादी सवाल पर कि आया विधान-परिषद् को सैक्शनों और एडवाइज़री कमेटियों के कामों की जांच-पड़ताल करने का हक है या नहीं, एक पाइन्ट आफ़ आर्डर उठाना चाहता हूं। प्रस्ताव की सीमा के अन्दर सैक्शनों और समितियों को सम्मिलित करने वाले संशोधन में जो सिद्धान्त सन्निहित है उसे देखते हुए यह आवश्यक है। सैक्शनों और एडवाइज़री कमेटियों को अलग-अलग काम दिये गये हैं। सैक्शन गुट (ग्रुप) और प्रान्त दोनों का ही विधान बनायेगा। अल्प-संख्यकों के हित कैसे सुरक्षित रहेंगे और Excluded areas के नाम से परिचित क्षेत्रों की शासन व्यवस्था की क्या योजना होगी, इन बातों को ध्यान में रख कर एडवाइज़री कमेटी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बाबत परामर्श देगी। सैक्शन और एडवाइज़री कमेटियां चाहे जो भी करें, उसमें वे कह सकते हैं कि विधान-परिषद् एवं उसके प्रारम्भिक अधिवेशन को कोई हक नहीं है कि उनके कामों की जांच-पड़ताल करें। इसलिए जनाब, मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रश्न पर अपनी रूलिंग (निर्णय) दें कि सैक्शनों और एडवाइजरी कमेटियों के कामों में आदेश देने या उनकी जांच-पड़ताल करने का कितना अधिकार इस एसेम्बली को होगा। अतः सभापति जी, पेश्तर इसके कि प्रस्ताव पेश हो तथा प्रस्ताव और संशोधनों के सम्बन्ध में उठाये हुए प्रश्नों पर आगे बहस हो, मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस पर अपनी रुलिंग दें।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): मेरी यह इच्छा नहीं है कि मेरी रूलिंग फेडरल कोर्ट तक घसीटी जाय। इसलिए बजाय रूलिंग देने के, जो मैं नहीं चाहता, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित करूंगा कि इस पर वे अपने विचार व्यक्त करें।

*माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू (संयुक्तप्रांत : जनरल): सभापति महोदय, यह तो महज एक रस्मी तजवीज समझी गयी थी। पर बहस-मुबाहिसे के रुख से मालूम पड़ता है कि सदस्यों के दिमाग में कुछ गलत-फहमियां हैं। कुछ लोग इस पर कड़ी राय रखते हैं। इसमें शक नहीं कि सैक्शनों में जो कुछ किया जायगा उस पर यह सभा विचार करेगी। मेरी समझ में असली मसविदा बहुत दुरुस्त था पर जब मसला संशोधन की शक्ल में आ गया, तब जरूर ही यह एक जुदा चीज हो जाती है। इसका विरोध किया जा रहा है और एक संशोधन स्वीकार करने को कहा जा रहा है। अगर सभा के विचारों की यह तस्वीर है, इससे तो आप

ज़ाहिर है कि कमेटी को पूरा हक है कि वह सारी बातों पर सोच-समझ कर काम करे। इस हालत में संशोधन मौलिक प्रस्ताव के प्रतिकूल है। अब आसाम के एक सदस्य ने एडवाइज़री कमेटी का भी जिक्र कर दिया। यह साफ़ है कि एडवाइज़री कमेटी को विधान-परिषद के सामने अपनी रिपोर्ट देनी है। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं नहीं समझता कि सभा के किसी भी सदस्य को इस पर कोई सन्देह होगा और मैं तो यह मानता हूं कि इस सभा की सभी समितियां सभा को अपनी रिपोर्ट देंगी। इसलिए मैं तो माननीय सदस्य को यही सुझाव दूंगा कि जब खास मसले पर सभा एकमत है, तो यह समय बिलकुल इसके लिये उपयुक्त नहीं है कि हम इस मसले के सब पहलुओं पर विचार करें। अतः मैं तो प्रस्तावक महोदय आचार्य कृपलानी को यह सुझाव दूंगा कि वे उपस्थित संशोधन को मंजूर करलें।

*आचार्य जे० बी० कृपलानी : मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री आर० वी० धुलेकर (संयुक्तप्रांत : जनरल) : सभापति महोदय, मैं चाहता हूँ कि संशोधन में.................।

सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : क्या मैं माननीय सदस्य से यह पूछ सकता हूं कि क्या वह अँग्रेज़ी नहीं जानते ?

श्री आर० वी० धुलेकर : मैं अंग्रेज़ी जानता हूं पर हिन्दुस्तानी में बोलना चाहता हूं।

सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : बहुतेरे सदस्य हिन्दुस्तानी नहीं जानते। उदाहरण के लिए श्री राजागोपालाचार्य को ही लीजिए।

श्री आर० वी० धुलेकर : जो हिन्दुस्तानी नहीं जानते, उन्हें हिन्दुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। जो लोग यहां भारत का विधान निर्माण करने आये हैं और हिन्दुस्तानी नहीं जानते हैं, वे इस सभा के सदस्य होने योग्य नहीं हैं। अच्छा हो वे सभा से चले जायँ।

सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : कृपया आप जो कहना चाहते हैं वह कहिए।

श्री आर० वी० धुलेकर : मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रोसीज्योर कमेटी अपने सारे नियम हिन्दुस्तानी भाषा में बनाये और फिर उसका अनुवाद अंग्रेजी में हो।

सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : आर्डर, आर्डर, Bi-lingualism के प्रश्न पर और सभा के कागज़ात दो या ज्यादा जुबानों में छपें, इस पर सभा के सामने बोलने की अनुमति आपको नहीं है। आप एक दम क़ायदे के खिलाफ़ हैं। आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव पर पेश संशोधन पर आप बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

श्री आर० वी० धुलेकर : मेरा यह संशोधन है कि प्रोसीज्योर कमेटी अपने नियम हिन्दुस्तानी में बनाये। फिर उनका अनुवाद अंग्रेजी में हो। जब कोई सदस्य नियम पर बहस करेंगे तो वे उसका हिन्दुस्तानी रूप पढ़ेंगे और उसी के आधार पर फ़ैसला चाहेंगे। अंग्रेजी रूप के आधार पर नहीं। मुझे खेद है......।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : आर्डर, आर्डर।

श्री आर० वी० धुलेकर : मैं आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव पर संशोधन पेश कर रहा हूं। सभा का सदस्य होने के नाते मुझे इसका अधिकार है। मैं संशोधन रखता हूं कि प्रोसीज्योर कमेटी अपने सब नियम हिन्दुस्तानी में बनाये और बाद में उनका अंग्रेजी में अनुवाद हो। भारतीय होने के नाते मैं अपील करता हूं कि हम लोगों को और उन लोगों को जो देश को आज़ाद करने पर तुले हैं और इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी भाषा में सोचना और बोलना चाहिए। हम अरसे से अमेरिका, जापान, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और हाउस आफ़ कामन्स की चर्चा कर रहे हैं। इसने मेरे सिर में दर्द पैदा कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि भारतीय अपनी भाषा में क्यों नहीं बोलते। मैं भारतीय हूं और यह महसूस करता हूं कि सभा की कार्रवाई हिन्दुस्तानी भाषा में होनी चाहिए। दुनिया के इतिहास से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे पास अपने लाखों वर्ष के प्राचीन देश का इतिहास है।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : आर्डर, आर्डर।

श्री आर० वी० धुलेकर : मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे संशोधन पेश करने को

अनुमति दी जाय।

सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : आर्डर, आर्डर। मैं आपको आगे बोलने की इजाज़त नहीं देता। सभा मुझसे पूर्ण सहमत है कि आप क़ायदे के बाहर हैं।

*आचार्य जे० बी० कृपलानी : मैं अर्ज़ करता हूं कि यदि सुझाव मंजूर कर लेने से सभा का बहस-मुबाहिसा कम होजाता हो तो मैं उसे मंजूर कर लूंगा।

*माननीय डा० एम० आर० जयकर (बम्बई : जनरल) : इस प्रस्ताव पर मैं चन्द शब्द कहना चाहता हूं। मुझे पक्का मालूम नहीं है कि जो मैं कहने जारहा हूं उसे सभा अति सतर्कता मूलक न समझेगी, पर आपके सामने चन्द बातें कहने के लिए मजबूर हूं और मैं चाहता हूं कि इन पर पूरा ग़ौर करें। ये चंद बातें "सैकूशनों और समितियों" का स्पष्ट उल्लेख हो, इसके विरुद्ध हैं। अवश्य ही मेरा यह विचार सतकता से प्रेरित है और मैं समझता हूं कि इस समय सतर्कता वांछनीय भी है। 'सैकूशन' शब्द को याद रखें। आपसे यह स्पष्ट शब्दों में कहा जारहा है कि आप सैकूशन के संगठन के पहले ही उनके लिए नियम (क़ानून) बनादें। यह भी याद रखें कि 'सैकशनों' में "बी" और "सी" सैकूशन्स भी शामिल हैं। यह भी याद रखें कि 'बी' और 'सी' सैकूशनों में इस बात की सम्भावना है, बल्कि यह निश्चित है कि एक दल विशेष के आदमियों का बाहुल्य होगा जो आज उपस्थित नहीं है, पर उस समय मौजूद हो सकते हैं जब सैकूशनों का काम शुरू हो। उस दल के लोग अगर विरोध नहीं तो सन्देह की भावना से आज यहां अनुपस्थित हैं। क्या आप अभी उनके लिए यहां पहले ही से नियमादि बना देना चाहते हैं? आप इस मसले को फ़िलहाल यहीं न रहने देंगे, यानी चूंकि 'एसेम्बली' शब्द में क़ानूनी रू से 'सैकूशन' खुद शामिल है। कोई भी सैकूशन 'ए' या 'बी' अथवा 'सी' ऐसे नियम नहीं बना सकता जो एसेम्बली के निर्मित नियमों से प्रतिकूल हों, यही आम वैधानिक रास्ता होगा। इस मसले को यहीं रहने दें। क्या आप आगे बढ़कर सेकूशनों का स्पष्ट उल्लेख कर इस बात पर रगड़ा करेंगे? इससे यही ज़ाहिर होगा कि हम उस दल की गैरहाज़िरी में सैकूशंन्स का स्पष्ट उल्लेख करके उनके लिए यह लाज़मी कर देना चाहते हैं कि एसेम्बली द्वारा बनाये नियम सैकूशनों पर लागू होंगे? इस तरह का रगड़ा बिलकुल अनावश्यक हैं, क्योंकि क़ानूनी रू से एसेम्बली के नियमों में सैकूशनों के नियम भी शामिल हैं। यह याद रखें कि इस दल के लोग आज मौजूद नहीं हैं और इसके अलावा वे आपकी कार्रवाई को सन्देह और ईर्ष्या से देख रहे हैं। वे इस ताक में हैं कि कहीं आप उनके हाथ से कुछ छीन तो नहीं रहे हैं,

[माननीय डा० एम० आर० जयकर]

उनके यहां आने के पहले ही आखिरी फैसला तो नहीं कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या इस बात में बाधा न पड़ेगी कि वे यहां मैत्री और विश्वास के वातावरण में आवें ? इसलिए मेरा सुझाव है कि बजाय 'सैक्शनों और समितियों' का स्पष्ट उल्लेख करने के आचार्य कृपलानी के असली प्रस्ताव को ज्यों का त्यों मंजूर कर लिया जाय।

*श्री देवीप्रसाद खेतान (बंगाल : जनरल) : सभापति महोदय, इस प्रस्ताव पर बोलने की मेरी इच्छा न थी, पर संशोधन के सिलसिले में श्री मुंशी ने कहा है कि इसमें "इसके" जोड़ दिया जाय, इस बात को तथा आदरणीय मित्र डा० जयकर के भाषण को मद्देनज़र रख मुझे चंद शब्द कहने की इच्छा हुई। पहले मैं श्री मुंशी के इस सुझाव पर कि संशोधन में 'इसके' जोड़ा जाय विचार करूंगा। आशा है, संशोधन को रखने वाले माननीय सदस्य डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी इस सुझाव को स्वीकार न करेंगे। प्रस्ताव में 'इसके' के जोड़े जाने से एक ऐसा अर्थ निकलने लगेगा जो न तो आचार्य कृपलानी का ही अभिप्राय है और न डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी का। इससे यह अर्थ लग सकता है कि 'इसके' शब्द से केवल एसेम्बली द्वारा नियुक्त समिति का ही मतलब है न कि सैकशनों द्वारा नियत समितियों का। अतः सभापति जी, मेरा सुझाव है कि डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी द्वारा उपस्थित "सभा, सैक्शन और समितियों सहित" के संशोधन को सभा मंजूर करे।

डा० जयकर द्वारा व्यक्त आशंका के सम्बंध में मैं यही कहूंगा, जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू और आचार्य कृपलानी ने समझाया है कि यह परिषद् एक ऐसी संस्था है, जिसे न सिर्फ यूनियन कान्स्टीट्युऐंट एसेम्बली के कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है, बल्कि इसके द्वारा निर्मित सभी समितियों तथा सैक्शनों के कार्य संचालनार्थ नियम बनाने का भी अधिकार है। मुझे इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि चाहे किसी दल के लोग यहां उपस्थित हों या नहीं, इस सभा को अपना सारा काम करते जाना है। यह दल इसमें शामिल होने का फैसला करता है या नहीं, इस प्रश्न की अपेक्षा न कर हमें अपना काम करना है। और मुझे अवश्य ही इस बात की आशा है कि ज्यों-ज्यों समय बीतता है, यह दल इस बात को आवश्यक या ठीक समझेगा कि उसे इस सभा में शामिल होकर एवं देश का विधान कैसा बने, इसमें हमें परामर्श देकर समस्त देश के हितों की सेवा करनी चाहिए। मैं अपना विचार फिर दुहराता हूं कि जब तक यह दल

शामिल नहीं है, हमें सारे मुल्क के हितों को ध्यान में रख अपना काम करते जाना है। अतः मुझे आशा है कि आप कोई भय न अनुभव करेंगे और म प्रकट करेंगे और पेचीदगी से बचने के लिए प्रस्ताव में "सैक्शन्स और समितियां" हम जोड़ लेंगे। आशा है समूची सभा इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

*श्री एस० एच० प्रेटर (मद्रास : जनरल) : सभापति महोदय, डा० एम० आर० जयकर ने जो कुछ भी कहा है, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं यह अनुभव करता हूं कि यह सभा कार्य संचालन के लिए जनरल रूल तो बनावे पर इस जगह सैक्शनों के नियमों में न हस्तक्षेप करे न उन्हें बनावे ही। ऐसा करने का क्या अर्थ होगा, इसे डा० जयकर ने बताया है और उनकी बात मानना अच्छी राजनीति होगी। यह काम तो हम सब करना ही चाहते हैं, पर इस समय नहीं। इसलिए आचार्य कृपलानी के असली प्रस्ताव का मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

*श्री शरतचन्द्र बोस (बंगाल : जनरल) : सभापति महोदय, मेरा ख्याल है कि यदि डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी का सुझाव जिसका डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने समर्थन किया है, प्रस्ताव में शामिल कर दिया जाय तो इससे बात और साफ हो जायगी।

*एक सदस्य : क्या ये शब्द "इसके सैक्शनों और समितियों सहित" ?

*एक दूसरे सदस्य : 'इसके' नहीं।

*श्री शरतचन्द्र बोस : 'इसके' शब्द से कोई अच्छाई नहीं आती। मैं पूर्ण सहमत हूं यदि "सैक्शनों और समितियों सहित" प्रस्ताव में जोड़ दिया जाय। प्रस्ताव पेश करते हुए आचार्य कृपलानी ने कहा है कि उनका यही अभिप्राय है कि एसेम्बली के कार्य संचालक नियम सैक्शनों और समितियों पर भी लागू होंगे। पर चूंकि सभा के कई सदस्यों ने इस बात पर पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है कि आया ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं, मैं समझता हूं कि यदि ये शब्द शामिल कर लिए जायं तो इससे भविष्य के सारे झगड़े तय हो जायंगे। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान डा० जयकर के कथन की ओर ले जाऊंगा। मैं नहीं समझता कि अगर एसेम्बली ने ऐसे नियम बनाये जो इसके कार्य संचालन के साथ ही सैक्शनों और समितियों की भी कार्य-पद्धति पर लागू हों, तो इससे भविष्य में कोई विवाद खड़ा होगा। बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि इससे बहुतेरे झगड़े पहले ही से सुलझ

[श्रीशरतचन्द्रबोस]

जायँगे। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता कि अगर हम यही समझते हैं कि आगे इस एसेम्बली और सैक्शनों में विवाद उत्पन्न होगा तो बेहतर है कि "सैक्शनों और समितियों" जोड़ कर हम झगड़े को यहीं दफ़ना दें।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : मैं समझता हूं कि इस प्रसंग पर हम काफ़ी लम्बी बहस कर चुके।

*माननीय श्री बी० जी० खेर (बम्बई : जनरल) : सभापति जी, मुझे एक सुझाव देना है।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : आशा है कि माननीय सदस्य का सुझाव एक लम्बे भाषण के साथ न होगा।

*माननीय श्री बी० जी० खेर : मैं भाषण देने के लिए जरा भी इच्छुक नहीं हूँ। इस सभा के दिमाग़ में या बाहरी दुनिया के दिमाग़ में हमें जरा भी इस बात का शक न रहने देना चाहिए कि यह सभा जहां तक इसके सैक्शनों और उनकी कार्य-पद्धति का सम्बंध है, अधिकार सम्पन्न है। इस बहस और व्यक्त की हुई आशंकाओं के बाद "सैक्शनों और समितियों" को न जोड़ना राजनीतिज्ञता के प्रतिकूल होगा। हमें आज इस बात का निश्चय नहीं है कि आया सैक्शन शामिल होंगे या अलग रहेंगे। इस स्थिति से निकलने का यही अच्छा उपाय होगा कि "सम्मिलित करने के अधिकार के साथ" इतना और जोड़ दें ताकि जब दूसरे लोग आयें और ये नियम उन्हें नामंजूर हों, या इनमें कोई संशोधन आवश्यक हो जाय अथवा कोई सुझाव पेश हो जाय, तो उन्हें संशोधित करना सम्भव रहे। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो समिति हम बनाने जा रहे हैं उसे और सदस्य सम्मिलित करने का अधिकार दे दें, ताकि वे समय-समय पर संशोधन या परिवर्तन का सुझाव दे सकें जो बाद में इस सभा द्वारा स्वीकृत, अस्वीकृत या संशोधित हो। अतः मेरी समझ में फिलहाल डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी के संशोधन को "सम्मिलित करने के अधिकार के साथ" इतना जोड़कर हमें प्रस्ताव मंजूर कर लेना चाहिए। यदि ऐसा किया गया, तो मैं समझता हूँ कि परिस्थिति जन्य आवश्यकताओं को हम और अच्छी तरह पूरा कर सकेंगे।

*श्री जयरामदास दौलतराम (सिंध : जनरल) : मैं वाद-विवाद की वर्तमान हालत में सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। जो कुछ कहना है बहुत संक्षेप में कहूंगा। मेरी राय में हर आदमी को इस पर दृढ़ रहना

चाहिए कि यह विधान-परिषद् सर्वसत्ता सम्पन्न है। मैं नहीं समझता कि यह बुद्धिमानी की बात होगी कि हम सिर्फ "एसेम्बली" शब्द ही रखें और इसबात को भाष्य के लिए छोड़ें कि सैक्शनों और समितियों को भी शामिल करने का हमारा अभिप्राय था। 'अभिप्राय' और 'भाष्य' ये दोनों ही, जैसा अनुभवों ने बताया है, खतरनाक हैं। हमें हर बात को जहां तक हो सके साफ़ कर देना चाहिए। साथ ही अपने अनुपस्थित मित्रों के बाद में शामिल होने की सम्भावना का भी हमें ख्याल रखना है, ताकि अगर वह हालत आई तो हम उसका भी उचित बन्दोबस्त करलें। अतः मेरे मित्र खेर के कथन का मैं समर्थन करता हूं। साथ ही मेरी राय में 'सहित' (including) शब्द अनुपयुक्त है। अगर प्रस्ताव का मौलिक रूप ही रखा जाता है, तो 'सहित' शब्द में जो थोड़ा रगड़ा है वह भी खुद-ब-खुद दूर हो जाता है। इसके अलावा हमें सभी नियम एक साथ तो बनाने नहीं हैं। सम्भव हे, सैक्शनों के सम्बन्ध में आगे चलकर नियम बनाने हों या हम अभी ही नियम बना दें, पर यह समझ कर कि यदि कोई संशोधन या परिवर्तन जरूरी हुए तो प्रोसीज्योर कमेटी उन्हें ठीक कर लेगी। यदि इसे और सदस्य शरीक करने का अधिकार मिल जाये तो सारी कठिनाइयों और आने वाली उलझनों से बचाव का रास्ता पहले से ही निकल आयगा।

आचार्य जे० बी० कृपलाणी : इस समिति की कार्यसीमा तथा यह कितने दिनों तक रहेगी, इस सम्बंध में सदस्यों में कुछ ग़लत- फ़हमियां हैं। जैसा कि प्रस्ताव पेश करते हुए मैंने कहा था, जिन नियमों को बनाने की जरूरत है, वे यहां के वर्तमान कार्यों के संचालन के लिए होंगे। हमारे पास कोई भी क़ायदे नहीं हैं और हम नये सिरे से काम शुरू कर रहे हैं। मैंने यह भी कहा था कि नियम उसी तरह के होंगे, जिनसे अमुमन सभाओं का कार्य संचालन होता है। इस सम्बंध से मुझे जरा भी सन्देह नहीं है कि सैक्शनों और समितियों को स्वयं और नियम बनाने होंगे। वे उपनियम (बाई-रूल्स) या इसी तरह और कुछ कहे जा सकते हैं। यह समिति विस्तृत नियम न बनायेगी। जहां तक शरीक करने (कोआप्शन) का सवाल है, वह अभी नहीं उठता। यह समिति स्थायी नहीं होगी। सभा का कोई भी वर्ग आज अनुपस्थित है, यदि बाद में शामिल होने का फ़ैसला करता है और उसे इन नियमों पर कोई आपत्ति है, तो यह सभा आज्ञा दे सकती है कि उन्हें दुहरा कर फिर ठीक किया जाय। इसलिए शरीक करने (कोआप्शन) का सवाल भी नहीं उठता। मेरी समझ में यह

[आचार्य जे० बी० कृपलानी]

ग़लत तरीक़ा है कि कोई भी कमेटी एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति द्वारा बनाई जाय और फिर उसे शामिल करने का अधिकार दिया जाय। सभापति जी, मुझे नहीं मालूम कि आपने इस संशोधन को पेश करने की इजाज़त दी है या नहीं कि १० सदस्य एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति से चुने जायँ और बाकी ५ अल्प संख्यकों से लेकर शामिल किये जायँ। हमने तो यह व्यवस्था कर ही दी है कि इस समिति के सदस्य एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति से चुने जायँ। इस व्यवस्था से सभी अल्प-संख्यकों का प्रतिनिधित्व हो जायगा। यह अच्छा नहीं कि अल्प-संख्यक दस सदस्यों की एक समिति द्वारा नियुक्त किये जायँ। इसलिए सभापति जी, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं, अगर आपने इसे रखने की इजाज़त दी है। प्रस्ताव में "सैक्शनों और समितियों सहित" को जोड़ने की बात को मैं मंज़ूर करता हूं, चूंकि इसके पक्ष में एक बड़ा बहुमत है। (हर्षध्वनि)

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): आचार्य कृपलानी ने एक प्रस्ताव पेश किया था। डा० सुरेशचंद्र बनर्जी ने उस पर एक संशोधन पेश किया। उसपर एक लम्बी बहस हुई है और सवाल के सारे पहलुओं पर पूरा प्रकाश डाला जा चुका है। उत्तर में आचार्य कृपलानी ने यह घोषित किया है कि वे डा० सुरेशचंद्र बनर्जी के संशोधन को मंज़ूर करते हैं। अब मैं इस पर सभा का मत लेता हूं।

*सरदार उज्जल सिंह (पंजाब : सिख): उस संशोधन का क्या हुआ, जिसमें सभापति द्वारा मनोनीत करने तथा मेम्बरों द्वारा शामिल करने की बात थी?

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): वह पेश नहीं हुआ था और इस समय मैं किसी भी संशोधन को रखने की इजाज़त न दूंगा, जिसका मज़मून मेरे सामने नहीं है।

इस सभा के सामने यह संशोधन है कि भाग (क) में 'एसेम्बली' शब्द के बाद "सेक्शनों और समितियों सहित" जोड़ दिया जाय।

संशोधन मंज़ूर हुआ।

*सरदार उज्जल सिंह: सभापति जी, मैं यह संशोधन रखता हूँ कि—

"दूसरी पंक्ति में '१५ अन्य सदस्य' शब्द के बाद 'जिन्हें कोआप्ट करने का अधिकार है' जोड़ दिया जाय।"

इस संशोधन को रखने में मेरा उद्देश यह है—आनुपातिक प्रतिनिधित्व की

पद्धति में सम्भव है, कुछ आवश्यक अल्प संख्यकों को प्रतिनिधित्व न मिले। आचार्य कृपलानी ने कृपा कर इस बात का ज़िक्र किया था कि सभी अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था कर दी गयी है। पर शायद वह इस बात को भूल गये कि २१२ सदस्यों की सभा को १५ व्यक्ति चुनना है और यदि सभा में कोई दल सिर्फ ४ या ५ सदस्यों का ही है, तो सम्भव है उसे प्रतिनिधित्व मिले ही नहीं। हो सकता है उस दल के सदस्य को आवश्यक मत न मिले और कमेटी में स्थान पाना उसके लिए सम्भव न हो। उस लघु अल्प मत को प्रतिनिधित्व देने का एकमात्र रास्ता है, सभापति द्वारा मनोनीत करने की या शामिल करने की व्यवस्था। उसी बात को दृष्टि में रखकर मैं यह संशोधन पेश करता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि यह उपयुक्त होगा कि इस प्रश्न को हम सभापति पर छोड़ दें कि जिस दल को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उसके सदस्य कमेटी में कैसे लिए जायँ। इससे सभापति के अधिकारों में वृद्धि होगी। पर यदि यह सम्भव नहीं है या सभा को ग्राह्य नहीं है, तो मैं सुझाव दूंगा कि यह अधिकार खुद कमेटी को दे दिया जाय। बहुत सी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व न पाए हुए हितों को प्रतिनिधित्व देने की ऐसी व्यवस्था है। इन चंद शब्दों में मैं यह संशोधन पेश करता हूँ।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): संशोधन यह है कि दूसरी पंक्ति में "मेम्बर्स" शब्द के बाद "जिन्हें कोआप्ट करने का अधिकार है" जोड़ दिया जाय।

*सरदार हरनाम सिंह (पंजाब : सिख) : सभापति जी, मेरा सुझाव है कि यदि जरूरत हो तो हम इतना और जोड़ दें "पाँच से अधिक नहीं"।

*सरदार उज्जल सिंह : इस संशोधन को मैं मंजूर करता हूँ।

*श्री एस० एच० प्रेटर : मैं संशोधन का समर्थन करता हूँ।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): श्री मोहन लाल सक्सेना ने एक संशोधन का नोटिस दिया है। वह कृपया संक्षेप में इसे पेश करें।

श्री मोहनलाल सक्सेना (संयुक्तप्रान्त: जनरल): मैं यह संशोधन रखना चाहता हूँ कि पैरा ४ में............।

सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : किस पैरे से जनाब का मतलब है ?

श्री मोहनलाल सक्सेना : मैं चाहता हूँ कि पैरा न० ४ में चेयरमैन के बाद ये

[श्री मोहन कल सक्सेना]

शब्द जोड़े जाँय । "सदस्यों को......................................।"

मौजूदा तजवीज यह है कि अगर जो लोग नामज़द किये गये हैं, उनकी तादाद चुने जाने वाली जगहों से कम हो तो नामज़दगी के लिए दूसरा मौका देना होगा और उस समय तक ऐसा करते रहना होगा, जब तक नामज़द किये जाने वालों की तादाद खाली जगहों के बराबर या उससे ज्यादा न हो जाय। आम तौर से यह कायदा होता है कि अगर नामज़द किये आदमियों की तादाद कम होती है, तो ऐसे जितने लोग नामज़द किये जाते हैं वह चुन लिए जाते हैं और बाकी जगहों के लिए दोबारा कार्रवाई की जाती है। मेरे संशोधन का भी यही मतलब है। मैं समझता हूँ सभा इस संशोधन को मंजूर करेगी। आचार्य कृपलानी ने भी इसे मंजूर कर लिया है।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : श्री मोहनलाल सक्सेना का संशोधन यह है कि सूची के पैरा नं० ४ में 'चेयरमैन' के बाद इतना और जोड़ दिया जाय "ऐसे नामज़द किये सदस्यों को चुना हुआ घोषित करेंगे और बाकी जगहों के लिए"।

कोई इसका समर्थन कर रहा है ?

*श्री एफ० आर० एन्थॉनी (बंगाल : जनरल): सभापति जी, मैंने आखिरी पैरा नहीं सुना।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : आपने आखिरी हिस्सा नहीं सुना ? सर बी० एन० राव कृपया पढ़ कर सुनादें।

*सर बी० एन० राव (वैधानिक सलाहकार) : सूची के पैरा नं० ४ में 'चेयरमैन' के बाद ये शब्द जोड़ दिये जायँ "ऐसे नामज़द किये हुए सदस्यों को चुना हुआ घोषित करेंगे और बाकी जगहों के लिए"। सभापति जी यदि आपकी इच्छा है कि मैं संशोधित पैराग्राफ पढ़कर सुना दूं, तो मैं खुशी से वैसा कर दूँगा।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : हां, सर नरसिंह पढ़ कर सुना दीजिए।

*सर बी० एन० राव : संशोधित पैराग्राफ यों है, "यदि नामज़द सदस्यों की संख्या उन जगहों से कम है जिन्हें भरना है, तो सभापति ऐसे नामज़द किये सदस्यों को चुना हुआ घोषित करेंगे और बाकी जगहों के लिए और अवधि निर्धारित करेंगे, जिसके अन्दर उक्त सूचना दी जा सकती है। और इसके बाद भी जब तक

जगहों की संख्या के बराबर सदस्य नामज़द नहीं हो जाते, सभापति इसके लिए और अवधि बढ़ा सकते हैं।"

*श्री एफ० आर० एन्थॉनी : सभापति जी, एक जानकारी चाहता हूँ। मेरे एक सिख मित्र द्वारा उपस्थित संशोधन का क्या हुआ ?

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : वह तो पास हो गया।

*एक सदस्य : 'पांच से अधिक सदस्य न कोआप्ट किए जायँ' क्या यह संशोधन पास हो गया ?

*आचार्य जे० बी० कृपलानी : इसके सम्बंध में मुझसे राय ही नहीं ली गयी कि आया मैं इसे मंजूर करता हूँ या नहीं।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : आपके प्रस्ताव पर आये हुए संशोधन के बारे में आपकी राय नहीं ली गयी ?

*आचार्य जे० बी० कृपलानी : मुझे मालूम ही नहीं कि संशोधन सभा के सामने आया है। यह पेश किया गया था और इसका समर्थन भी हुआ था, पर सभा ने इसे पास नहीं किया।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : सभा की राय पक्ष में मालूम पड़ी और इस तरह वह पास हो गया।

*आचार्य जे० बी० कृपलानी : यह भी नहीं हुआ था (लोग बीच में बोलने लगे)।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : आर्डर, आर्डर। संशोधन मंजूर किया गया था।

*डा० पी० सी० घोष (बंगाल : जनरल) : सभा की राय उस पर नहीं ली गयी थी। सभापति के आसन से आपने सिर्फ कह दिया था कि वह मंजूर हो गया।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : सभा का काम कुछ तेजी से चलाना होगा। यदि माननीय सदस्य सावधान नहीं थे, तो इसके लिए वह खुद जिम्मेदार हैं।

मैं मोहनलाल सक्सेना के संशोधन को पढ़ कर सुनाता हूँ। आशा है सभा पुनः मुझ पर इल्ज़ाम न लगायेगी कि मैं सभा का काम शीघ्रता से निपटाता जा रहा हूं।

[सभापति]

मैंने उसे एक बार सुना दिया था और सर बी० एन० राव ने इसे पुनः पढ़ दिया। यदि सभा चाहती है तो मैं इसे फिर पढ़ दूंगा। सूची के पैरा नं० ४ में 'चेयरमैन' शब्द के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें........(बाधा)...........।

मैं नहीं चाहता कि जब मैं सभा के सामने बोलता रहूं, तो मुझे बीच में टोका जाय। संशोधन है "सभापति ऐसे नामजद किये सदस्यों को नियमानुसार निर्वाचित घोषित करेंगे और बाकी जगहों के लिए"। चाहे इसका जो अर्थ हो, संशोधन यही है। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे हाथ उठाकर अपनी स्वीकृति दें। मिस्टर आयंगर, कृपया गिन तो लीजिए।

*माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू : सभापति जी, जब तक कोई विरोध न हो इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं।

*श्री एच० वी० आर० आयंगर (सेक्रेटरी, विधान-परिषद) : ५० पक्ष में।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : विपक्ष में कितने हैं ?

*श्री एच० वी० आर० आयंगर (सेक्रेटरी, विधान-परिषद) : एक।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : ५० पक्ष में और एक विपक्ष में, इसलिए यह पास हुआ — संशोधन मंजूर हो गया।

*श्री० एच० वी० कामठ : मैंने एक जुबानी संशोधन रखा था। क्या मैं बोलने के लिए खड़ा हो सकता हूँ ?

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : आपके जुबानी संशोधन औरों के बाजाब्ता आए हुए संशोधन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। आप यह चाहते हैं कि भाग १ (सी) में "नियुक्ति" के बाद "कार्यों" जोड़ दिया जाय। फिर वह भाग यों होगा :—

"(ग) सभा के कार्य का संगठन जिसमें नियुक्तियां, कर्तव्य तथा सभापति के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों के अधिकार भी सम्मिलित हैं।"

धारा (घ) में भी 'पूर्ति' शब्द के बाद 'में' जोड़ा जाय। आइये, प्रायः अपने संक्षिप्त भाषणों से आप अपनी बात मनवा लेने में सफल हो जाते हैं।

*श्री एच० वी० कामठ : सभापति जी, मैं चाहता हूँ कि धारा (ग) में 'नियुक्तियां'

शब्द के बाद, 'कर्तव्य' भी जोड़ दिया जाय और वह धारा यों हो :—

"जिसमें नियुक्तियां, कर्तव्य तथा सभापति के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों के अधिकार भी सम्मिलित हैं।"

दूसरा संशोधन जो मैं रखना चाहता हूँ, वह है धारा (घ) में। सभापति जी, प्रस्तावक महोदय से ससम्मान मैं निवेदन करूँगा कि 'पूर्ति में' (filling in) यह मुहाविरा अधिक शुद्ध है और इसलिए यही प्रस्ताव प्रयुक्त हो।

*एक सदस्य : मैं एक संशोधन रखना चाहता हूँ।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : श्री कामठ के संशोधन का, जिसे एक बार मैंने पढ़ा और फिर उन्होंने भी पढ़ा, समर्थन हो चुका है। क्या इस पर कोई जबरदस्त विरोध है ?

*श्री के० एम० मुंशी : हम लोगों ने नहीं सुना।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : मैं काफी ऊंचा बोलता हूँ। अगर आपने नहीं सुना तो मैं फिर पढ़ देता हूँ।

*दीवान चमनलाल (पंजाब : जनरल) : मैं "filling in" इस मुहाविरे के प्रयोग का विरोध करता हूं। न तो यह शुद्ध है और न सभाओं के कार्य संचालनादि के नियमों में प्रयुक्त ही होता है। प्रस्ताव में जो मुहाविरा है वह बिल्कुल सही है और माननीय मित्र का यह संशोधन कि 'नियुक्ति' के बाद 'कर्तव्य' भी जोड़ दिया जाय, ठीक है। इसे मानने में कोई दिक्कत नहीं है, यद्यपि यह स्पष्ट है कि 'पदाधिकारियों के अधिकार' में उनका कर्तव्य भी शामिल है। यदि अधिक स्पष्टीकरण के लिए यह जोड़ा जा रहा है तो इस पर आपत्ति नहीं हो सकती। पर असली प्रस्ताव में दिये हुए मुहाविरे के प्रयोग पर जो आपत्ति उठाई गयी है, वह नहीं स्वीकार की जा सकती, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हम लोग यहां व्याकरण और मुहाविरों पर बहस कर सकते हैं।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : मैं समझता हूँ कि मिस्टर मुंशी चाहते हैं कि संशोधन फिर पढ़ा जाय।

नियम १ के धारा (ग) में 'नियुक्ति' शब्द के बाद 'कर्तव्य' जोड़ दिया जाय, ताकि वह धारा यों पढ़ी जाय "नियुक्ति, कर्तव्य तथा सभापति के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों के अधिकार" 'कर्तव्य' शब्द जोड़ने के लिए ही यह संशोधन रखा गया

[सभापति]

है। यदि सभा का रुख समझने में मैं भूल नहीं कर रहा हूँ, तो सभा इस संशोधन को मंजूर करने के पक्ष में है...... मैं उसे स्वीकृत घोषित करता हूँ।

श्री कामठ का एक दूसरा संशोधन है धारा (घ) में, मुहाविरा के सम्बंध में।

*कई सदस्य : नहीं, नहीं।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): सभा का रुख इसके विरुद्ध मालूम पड़ता है; वह नहीं मंजूर हुआ। कोई और संशोधन है?

*श्री एच० जी० खान्डेकर (मध्य प्रान्त और बरार : जनरल): धारा ७ में 'ही' शब्द के बाद 'शी' शब्द भी जोड़ देना चाहिए, क्योंकि सभा में महिला सदस्य भी हैं और यहां उनका जिक्र नहीं है। 'सदस्य' शब्द से यह ध्वनि निकलती है कि कोई महिला सदस्य नहीं है और इसलिए 'ही' के बाद 'शी' और 'हिज' के बाद 'हर' भी धारा में जोड़ देना चाहिए।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): संशोधन का अभिप्राय यह है कि जहां तक सभा के महिला सदस्यों का सम्बंध है, हमें 'शी' शब्द रखकर उनकी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। मेरी रूलिंग है कि 'ही' में 'शी' भी शामिल है।

*माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू: सभापति जी, प्रस्ताव पर समष्टि रूप से मत नहीं लिया गया है।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): मैं यही कहने जा रहा था। सारे संशोधनों पर फैसला हो चुका है। अब मैं लम्बे प्रस्ताव को बिना पुनः पढ़े, राय के लिए आपके सामने रखता हूँ। यदि आचार्य कृपलानी चाहते हैं, तो वे इसे पुनः सुना सकते हैं। हमने इन पर अच्छी तरह विचार कर लिया है। तमाम संशोधनों के साथ मैं इसे स्वीकृत घोषित करता हूँ।

सभापति तथा समिति के सदस्यों के मनोनीतकरण के सम्बन्ध में विज्ञप्ति

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): आज मुझे दो ऐलान करने हैं। पहला तो यह कि इस समिति के लिये नामजदगी बुधवार ११ दिसम्बर, १२ बजे दिन

सेक्रेटरी (श्री आयंगर) के कमरे में होगी। सब नामजदगियां कल १२ बजे तक हो जानी चाहिये। चुनाव कल चार बजे अंडर सेक्रेटरी के कमरे में होगा। मुझे नहीं मालूम कि एक काम के लिए सेक्रेटरी का कमरा और दूसरे काम के लिए अंडर सेक्रेटरी का कमरा क्यों रखा गया है। शायद सेक्रेटरी का कमरा ज्यादा बड़ा है। बैलट बक्स वहां हैं; मैं उस समय अनुपस्थित रहूँगा। मेरी तरफ़ से श्री एन्थानी उपस्थित रहेंगे।

दूसरी विज्ञप्ति मुझे करनी है स्थायी सभापति के नामजदगी की। स्थायी सभापति के चुनाव के लिए...नामजदगी का समय कल दोपहर २-३० है और यह होगा सेक्रेटरी के कमरे में। यदि चुनाव की जरूरत पड़ो तो उसकी व्यवस्था कर दी जायगी। इसके बाद आज का काम समाप्त हुआ। दूसरी पहर अब कोई काम नहीं है।

*श्री शरतचन्द्र बोस (बंगाल: जनरल) : स्थायी सभापति की नामजदगी के लिए प्रस्ताव में यह है कि नामजदगी का परचा आपको या आपके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को देना होगा।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): नामजदगी का परचा लेने के लिए मैंने सेक्रेटरी श्री आयंगर को नियुक्त किया है।

*बख़्शी सर टेकचन्द : कल दिन को २-३० तक ?

सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): आज अभी एक बजा है और नामजदगी के लिए डेढ़ घंटा और है। नाम वापस लेने का समय आज दो बजे तक है। कल सभा ११ या ११॥ बजे, जैसा आपको अनुकूल हो समवेत होगी।

*बहुत से सदस्य: ११ बजे।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): बुधवार ता० ११ दिसम्बर सन् १६४६ ई० को ११ बजे तक सभा स्थगित हुई।

इसके बाद सभा बुधवार ता० ११ दिसम्बर सन् १६४६ ई० को ११ बजे दिन के लिए स्थगित हो गई।

अंक १
संख्या ३

बुधवार,
११ दिसम्बर
सन् १९४६ ई०

भारतीय विधान-परिषद

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

—:०:—

विषय-सूची

(मूल्य ४ आने)

भारतीय विधान-परिषद्

बुधवार, ११ दिसम्बर सन् १९४६ ई०

भारतीय विधान-परिषद् कान्स्टीट्यूशन हाल नई दिल्ली में ११ बजे प्रातः डा० सच्चिदानन्द सिनहा के सभापतित्व में समवेत हुई।

---

*सभापति : यदि किसी सदस्य ने अब तक अपना परिचय-पत्र न पेश किया हो और रजिस्टर पर हस्ताक्षर न किया हो वह इस समय ऐसा कर सकते हैं।

(कोई नहीं)

विधान-परिषद् द्वारा प्राप्त शुभ-कामना के संदेशों का उत्तर

*सभापति : यद्यपि यह आज के कार्यक्रम में नहीं है, पर मैंने अपने दायित्व पर यही अच्छा समझा कि मैं उस उत्तर को सभा के सामने पेश कर दूं जिसे मैं अमेरीका, प्रजातंत्रीय चीन तथा आस्ट्रेलिया की सरकारों के पास, उनसे प्राप्त शुभ-कामना के उत्तर में उनके दिल्ली स्थित प्रतिनिधि द्वारा भेजने का इरादा करता हूं। अवश्य ही मेरा मसविदा आपकी स्वीकृति पर निर्भर करता है।

उत्तर यों है :—

"आप से प्राप्त सद्भावना एवं शुभकामना के कृपापूर्ण सम्वाद को विधान-परिषद् तथा समस्त देश ने सम्मान के साथ स्वीकार किया है। इसके उत्तर में विधान-परिषद् की ओर से, एवं अपनी ओर से मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हमारा यह विश्वास कि संयुक्त-राष्ट्र, चीन तथा आस्ट्रेलिया के देशवासी और उनकी हुकूमतें हमारे कार्य को बड़ी सहानुभूति की दृष्टि से देख रहीं हैं, हमें साहस प्रदान करता है। हमें विश्वास है कि उनकी सहानुभूति भारतीय विधान-निर्माण में हमारे लिए बड़ी सहायक होगी।"

माननीय सदस्यो, यह उत्तर आपकी स्वीकृति पर निर्भर करता है।

(हर्षध्वनि)

---

*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेज़ी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

स्थायी सभापति का निर्वाचन

*सभापति : आज के कार्यक्रम का दूसरा विषय है, सभापति का निर्वाचन। मुझे निम्नलिखित नामजदगी के परचे मिले हैं।

"विधान-परिषद् के सभापति पद के लिए मैं परिषद् के सदस्य डा० राजेन्द्रप्रसाद् का नाम प्रस्तावित करता हूं। प्रस्तावित सदस्य की स्वीकृति मैंने प्राप्त कर ली है।

प्रस्तावक—जे० बी० कृपलानी

समर्थक—बल्लभभाई पटेल

मनोनीतकरण से मैं सहमत हूं। राजेन्द्रप्रसाद्"

यह परचा नियमानुकूल है। दूसरा भी एक परचा है।

"विधान-परिषद् के सभापतित्व के लिए मैं परिषद् के सदस्य डा० राजेन्द्रप्रसाद् के नाम का प्रस्ताव करता हूं। मैंने पता लगा लिया है कि वह कार्यभार ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हैं, यदि चुने जायें।

प्रस्तावक—माननीय श्री हरेकृष्ण मेहताब

मैं इसका समर्थन करता हूं—नन्द किशोर दास"।

यह भी परचा नियमानुकूल है।

अन्य दो परचे जो मुझे मिले हैं वे जायज नहीं हैं। उनमें एक जिसे माननीय श्री प्रकाशम् ने दिया है, वह निश्चित अवधि के बाद आया और उसमें किसी समर्थक का नाम भी नहीं है।

इसी तरह एक और परचा सर एस० राधाकृष्णन् से मिला है। यह भी नियमानुकूल नहीं है, क्योंकि इसका कोई समर्थक नहीं है। इन दोनों में किसी पर भी (एक माननीय श्री प्रकाशम् और दूसरा सर एस० राधाकृष्णन् द्वारा प्राप्त) डा० राजेन्द्र प्रसाद की यह स्वीकृति नहीं है कि वे कार्यभार लेने के लिए प्रस्तुत हैं।

अस्तु, चूँकि अन्य दो प्रस्ताव पूर्णतः नियमानुकूल हैं और दूसरा कोई मनोनीतकरण-पत्र मेरे सामने नहीं है, मैं माननीय डा० राजेन्द्रप्रसाद को नियमानुसार निर्वाचित स्थायी सभापति घोषित करता हूं। (हर्षध्वनि)

अब अस्थायी सभापति के नाते मैं आचार्य कृपलानी तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब से अनुरोध करूंगा कि वे परिषद् की ओर से उसके नियमानुकूल निर्वाचित सभापति के पास जायं और उन्हें प्लेटफार्म पर लाकर मेरे पास के आसन पर आसीन करें। (हर्षध्वनि)

(आचार्य कृपलानी तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने डा० राजेन्द्र प्रसाद को ससम्मान सभापति के आसन पर बिठाया)

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे।

*माननीय सदस्यगण: इनक़लाब ज़िन्दाबाद, इनक़लाब ज़िन्दाबाद। जय हिन्द, जय हिन्द।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): अब जब सभा के स्थायी सभापति ने अपना आसन ग्रहण किया है, सदस्यों को हक़ है कि वे उनका अभिनन्दन करें, इसके लिए सर्व प्रथम मैं सर एस० राधाकृष्णन् को आमन्त्रित करता हूं।

——:o:——

स्थायी सभापति को बधाइयां

*सर एस० राधाकृष्णन् (संयुक्त प्रान्त: जनरल): आदरणीय सभापति महोदय, मैं इसे अपना महान सम्मान समझता हूं कि परिषद् के स्थायी सभापति के निर्वाचनोपरान्त मैं यहां पहला वक्ता बन रहा हूं। मैं सभा की ओर से इस अतुल-नीय सम्मान प्राप्ति पर स्थायी सभापति महोदय का सादर अभिनन्दन करता हूं।

यह परिषद् यहां समवेत हुई है विधान बनाने के लिए, ब्रिटेन के राजनैतिक आर्थिक तथा सामरिक नियंत्रण की वापसी को कार्यान्वित करने के लिए, एवं स्वतंत्र भारत की राज्य स्थापना के लिए। यदि हम सफल हुये, तो सत्ता हस्तान्तरित करने का यह काम मानव इतिहास में जितने भी ऐसे कार्य हुये हैं, उनमें सर्वाधिक महान और रक्तपात-शून्य होगा। (हर्षध्वनि)

सब से पहला अङ्गरेज जो भारत में सन् १५७६ में आया, वह था एक ईसाई धर्मप्रचारक। उसके बाद व्यापारी आये, जो आये तो थे व्यापार करने पर शासन करने के लिए यहां जम गये। सन् १७६५ में राज्य सत्ता ईस्ट इन्डिया कम्पनी को हस्तान्तरित हुई। बाद में धीरे-धीरे कम्पनी का शासन पार्लियामेंट के आधीन होता गया और फिर पार्लियामेंट ने शासन स्वयं अपने हाथ में ले लिया। तब से पार्लियामेंट ही यहां शासन कर रही है और यह शासन चल रहा है—"विश्व प्रेम एवं मुनाफा" के प्रसिद्ध सिद्धान्त पर जो साम्राज्यवाद का आधारभूत सिद्धान्त है

[सर एस० राधाकृष्णन्]

जिसे श्री सेसिल रोड्स ने निकाला था। परन्तु ब्रिटिश-शासन के विरुद्ध यहां हमेशा ही आवाज उठती रही। सन् १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना से उन समस्त विरोधों का प्रवाह एक धारा में बहने लगा। महात्मा गांधी के आगमन तक महासभा नम्र उपायों से काम लेती रही, पर बाद में यह उग्र और तीव्र-गामी हो गई। सन्१९३० में लाहौर में भारतीय स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हुआ और आज हम उसी प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए यहां समवेत हुये हैं। अङ्गरेज जाति अथ से इति पर्यन्त अनुभवगामी है। लार्ड पामर्स्टन ने कहा था—"हम अंग्रेजों का कोई नित्य सनातन सिद्धान्त नहीं है, हमारे लिए हित ही सनातन एवं नित्य है"। अंग्रेज जब कोई विशेष पथ अपनाते हैं, तो आप इसे सत्य समझें, वे सत्ता को बाध्य हो समर्पित करने की भावना से ऐसा नहीं करते, प्रत्युत् स्थिति की गम्भीरता एवं ऐतिहासिक आवश्यकता के उत्तर स्वरूप ही ऐसा पथ ग्रहण करते हैं। जब असंतोष उग्र हुआ तो उन्होंने हमें मोर्ले-मिन्टो सुधार दिया और साम्प्रदायिक निर्वाचन की पद्धति प्रारम्भ की। यह पद्धति जनता को परस्पर पृथक रखने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी। ब्रिटेन के उच्च मस्तिष्कों ने—विवेकी विद्वानों ने—यहां के अधि-कारियों को यह परामर्श दिया था कि यदि साम्प्रदायिक निर्वाचक-संघ की पद्धति को उन्होंने चतुराई से यहां चालू कर दिया, तो वे उस धरोहर के प्रति विश्वासघात करेंगे जो उन्हें सौंपी गई है। इससे वे यहां के राजनैतिक समुदाय में एक ऐसा घातक विष प्रविष्ट करा देंगे, जिसका निकालना बहुत ही कठिन होगा और यदि हम उसे निकाल भी सके, तो गृह-युद्ध, रूपी मूल्य चुका कर ही यह कर सकेंगे। हम देख रहे हैं कि ये पूर्वज्ञान या आशंकाएं आज सत्य सिद्ध हो रही हैं। इसके बाद क्रमशः हमें मांन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार, सन् १९३५ का ऐक्ट, क्रिप्स-प्रस्ताव मिले और आज मंत्रिमंडल की योजना मिली। इस विषय पर सम्राट की सरकार का हाल का वक्तव्य यह प्रकट करता है कि अधिकार का सहज आत्म-समर्पण मानव-स्वभाव के लिए मुश्किल है। (हर्षध्वनि) एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा देना महती जाति की मर्यादा के प्रतिकूल है। यह तो चालाकी की अति है और टिक नहीं सकती। यह ग्रेट ब्रिटेन और भारत के पारस्परिक सम्बन्ध को बड़ा अप्रिय बना देगी। (प्रशंसा सूचक ध्वनि) ब्रिटेन को यह जानना नितान्त आवश्यक है कि अगर कोई काम करना है, तो उसे यथा सम्भव सुन्दरता से पूरा करना चाहिए। फिर भी हम सब

यहां समवेत हुए हैं, भावी भारत का विधान बनाने के लिए। विधान राष्ट्र के मौलिक नियम हैं। इसमें जाति की आकांक्षाओं, अभिलाषाओं और कल्पनाओं का वास्तविक चित्र आना चाहिए। यह समस्त देश की स्वीकृति से ही निर्मित होना चाहिए और इस महान देश में बसने वाले सभी समुदायों के अधिकारों का इसे सम्मान करना होगा।

हम एक दूसरे से अलग रखे गये हैं। अब हमारा यह कर्तव्य है कि एक दूसरे को अपनायें। विधान-परिषद से मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि अनुपस्थित हैं, इसका हम सभी को दुःख है। कल और परसों वक्ताओं ने इस पर दुःख प्रकट किया है। हम तो यही मानते हैं कि उनकी अनुपस्थिति क्षणिक होगी, क्योंकि हम जो भी विधान यहां बनायें उसकी सफलता के लिए उनका सहयोग नितान्त आवश्यक है। समस्याओं के समाधान के लिए हमें वास्तविकता की ओर दृष्टि रखनी होगी। इन समस्याओं को ही लीजिए—हमारी क्षुधा, पीड़ा, गरीबी, बीमारी और अपर्याप्त पोषण—ये सब के लिए समान हैं। इन मनोवैज्ञानिक बुराइयों को लीजिए—प्रतिष्ठाभावना का अभाव, मानसिक गुलामी, सद्बुद्धि का बिलकुल नष्ट हो जाना, पराधीनता की शृंखला—ये हिन्दू और मुसलमान, राजा और रंक सब को समान रूप से कष्टप्रद हैं। हो सकता है दासता की यह शृंखला सोने की हो, पर है तो शृंखला ही, जो हमें बांधे है। देशी रजवाड़ों को भी यह समझना होगा कि वे इस देश में पराधीन हैं, गुलाम हैं। (हर्ष ध्वनि) यदि उनमें आत्म सम्मान की किंचितमात्र भी भावना है और वे अपनी स्थिति का विश्लेषण करें, तो उन्हें ज्ञात होगा कि उनकी स्वतंत्रता कितनी सीमाबद्ध है।

और फिर जाति चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, राजा हो या किसान, है तो इसी एक देश की। जमीन और आसमान ने मिलकर उन्हें एक दूसरे का बना दिया है। यदि वे इस सत्य को अस्वीकार करने की चेष्टा करेंगे तो उनका रहन-सहन, उनकी आकृति, उनकी विचार-पद्धति, उनकी व्यवहार-पद्धति ये सब उनकी इस कुचेष्टा को व्यर्थ कर देंगी। (प्रशंसासूचक ध्वनि) हमारी राष्ट्रीयता पृथक है, ऐसा सोचना हमारे लिए असम्भव है। हमारी वंश परम्परा-पूर्व पुरुषों की परम्परा—प्रमाणित करती है कि हमारी राष्ट्रीयता एक है। जो भी विधान बने उसमें यह बात तो होनी ही चाहिए कि सभी नागरिक यह अनुभव करें कि उनके आधार भूत अधिकार—शिक्षा सम्बन्धी, सामाजिक और आर्थिक—उन्हें प्राप्त होंगे;

[सर एस० राधाकृष्णन्]

उनको सांस्कृतिक स्वतंत्रता रहेगी ; किसी को दबाया न जायगा ; वह विधान सही-सही मानी में गणतांत्रिक होगा, जिसकी छत्रछाया में हम राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक स्वतंत्रता एवं समानता प्राप्त करेंगे। हर व्यक्ति को इस गौरव का ज्ञान होना चाहिए कि वह इस महान राष्ट्र का नागरिक है।

इसके अलावा जाति-सादृश्य, भाव-सादृश्य या पूर्वजों की यादगार पर राष्ट्रीयता नहीं निर्भर करती ; यह तो निर्भर करती है उस जीवन-पद्धति पर, जिसे हम चिरकाल से बरतते चले आ रहे हैं। यह जीवन-पद्धति तो इस देश की भूमि की निजी वस्तु है। यह जीवन-पद्धति तो इस देश की निजी वस्तु है उसी तरह, जिस तरह गंगा का जल या हिमालय का बर्फ इसमें हैं। हमारी सभ्यता की तह में, सिन्धु नदी के मैदान में इसकी समुत्पत्ति काल से आज पर्यन्त एक ही संस्कृति है, जो हम—हिन्दू और मुसलमान—दोनों में ही व्याप्त है ; इस दीर्घ काल में हम लोगों ने बुद्धिवाद तथा परोपकार का आदर्श सामने रखा है।

मुझे स्मरण होता है कि पहली मई सन् १८९० को किस तरह फ्रांस का परम प्रसिद्ध लेखक अनातोले फ्रांस, पेरिस के प्रख्यात म्युजियम गुमेट में गया और वहां एशियाई देवताओं की प्रशान्त मधुर प्रतिमाओं के बीच बैठ ध्यान मग्न हो जीवन के उद्देश्य पर, उसकी वास्तविकता पर और उस सार या महात्म्य पर विचार करने लगा, जिसे जनता और सरकारें आज तलाश रही हैं। उसकी दृष्टि भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पड़ी। चिर-युवा भगवान बुद्ध सन्यासी वेश में पद्मासन पर समासीन हो, दो अंगुलियां उठाये मीठी झिड़की से मानवता को समझा रहे थे कि वह ज्ञान एवं परोपकार, बुद्धि एवं प्रेम, प्राण और करुणा की वृद्धि करे। अनातोले के जी में आया कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के आगे झुककर प्रार्थना करे, जैसे भगवान से की जाती है। अगर आप में ज्ञान है, करुणा है, तो आप विश्व की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेंगे। उनके महान शिष्य अशोक ने अपने राज्य को भिन्न-भिन्न धर्म और जाति के लोगों से बसा हुआ पाया, तो उसने यह आदेश दिया, समवाय एव साधु। "संयोग ही सर्व श्रेष्ठ है," अर्थात् एकता ही सर्वोत्तम वस्तु है।

भारत एक स्वर-लहरी के समान है, एक आरचेस्ट्रा के समान है, जिसमें भिन्न भिन्न वाद्य-यंत्र, भिन्न-भिन्न स्वर, अपनी-अपनी मधुर ध्वनि और मिठास

के साथ एक ही चीज को अदा करते हैं। इसी तरह का सामञ्जस्य या ऐक्य देश अरसे से चाहता है। दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं, इसे किसी तरह जानने की उसने कभी कोशिश नहीं की। पारसी, यहूदी, ईसाई, मुसलमान जो यहां शरण लेने आए, उनसे इसने यह कभी नहीं कहा कि वे इसका धर्म मान लें या हिन्दुओं में मिल जायं। "जिओ और दूसरे को जीने दो" यही हमेशा इस देश की भावना रही है। यदि हम सच्चाई से इस भावना पर स्थिर हैं, यदि हम उस आदर्श पर दृढ़ हैं, जो पांच-छ हजार वर्षों से हमारे संस्कृति में व्याप्त है, तो हमें रंच मात्र भी सन्देह नहीं है कि हम समुपस्थित संकट पर उसी तरह विजय पायेंगे, जिस तरह अपने अतीत-इतिहास के संकटों पर पाये थे।

आत्म-हत्या सबसे बड़ा पाप है। आत्मा का हनन करना, आत्म प्रवंचना करना, क्षुद्र भौतिक सुख के लिए अपनी आध्यात्मिक सम्पत्ति दे देना, आत्मा का हनन कर शरीर की रक्षा करना यह महान पातक है। यदि हम उन महान आदर्शों पर स्थिर न रह सके जिन पर यह देश हमेशा दृढ़ रहा है; उन आदर्शों पर जो विदेशी आक्रमणों के निरन्तर आघात पर भी जीवित रहे; जिनकी ओर से आज का असावधान संसार मुँह फेर चुका है; यदि हम आज दृढ़ रह सके तो वह ज्वाला; जिससे हम विदेशी शासन पर विजय पासके हैं; हमारे स्वतंत्र और संगठित भारत के निर्माणात्मक प्रयासों को प्रबलतर बनायेगी।

यह केवल संयोग की ही बात नहीं है कि हमारे अस्थायी और स्थायी सभापति डा० सच्चिदानन्द सिनहा एवं डा० राजेन्द्र प्रसाद दोनों ही बिहार के हैं। दोनों ही 'बिहार' की भावना से—अजेय सौजन्य—से परिपूरित हैं। महर्षि व्यास महाभारत में कहते हैं :—

मृदुना दारुणंम हन्ति
  मृदुना हन्ति अदारुणम्,
नासाध्यं मृदुना किंचित्
  तस्मात्तीक्ष्णतरं हि मृदु।

अर्थात्, मृदुता या सुजनता; कठोरतम और कोमलतम दोनों ही पर विजयप्राप्त करती है। सौजन्य के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। अत: सौजन्य ही तेज से तेज अस्त्र है।

[सर एस० राधाकृष्णन्]

मृदुता और सौजन्य ऐसे अमोघ अस्त्र हैं, जिससे भयंकर से भयंकर शत्रु भी पराजित हो जायगा। हम इसके प्रति सच्चे नहीं रहे। हमने अपने ही लाखों बन्धुओं को ठगा और उनके साथ अन्याय किया। हमारे अतीत अपराधों के प्रायश्चित का आज समय आया है। यह न्याय और परोपकार की बात नहीं है, यह तो हमारे विशुद्ध प्रायश्चित की बात है। मैं तो इसे इसी दृष्टि से देखता हूं।

डा० राजेन्द्र प्रसाद को पाकर हम ऐसा व्यक्ति पा गये हैं जो सौजन्य की स्वयं प्रतिमा है। (हर्षध्वनि) इनमें असीम धैर्य है, असीम साहस है। इन्होंने घोर कष्ट सहे हैं। यह राष्ट्रीय महासभा का ६० वां वर्ष है और आज हम विधान-परिषद का प्रारम्भ कर रहे हैं। यह केवल संयोग की ही बात नहीं है। कृतज्ञतापूर्वक हमें उन महान विभूतियों को याद करना है, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए आज के स्वर्णिम दिन के लिए प्रयास किया है और कष्ट सहे हैं। हजारों मर गये; हजारों ने कारावास, निर्यातन और यातनायें सहीं। उनकी असीम यातनाओं के बल पर ही भारतीय राष्ट्रीय महासभा रूपी यह विशाल अट्टालिका निर्मित हुई है। (प्रशंसा-ध्वनि) हमें उन सभी त्यागियों को याद रखना है। डा० राजेन्द्र प्रसाद सदा ही देश के, कांग्रेस के कष्ट झेलने वाले सेवक रहे हैं। देश की भावना के आप मूर्तिमान प्रतीक हैं। हमारी तो यही आशा है कि बन्धुत्व और ऐक्य की वह भावना, जो हमारी संस्कृति में भगवान शिव से लेकर महात्मा गांधी और डा० राजेन्द्र प्रसाद तक चली आई है, हमारे प्रयत्नों को प्रेरणा प्रदान करेगी। (प्रशंसा-ध्वनि)

*श्री श्रीप्रकाश (संयुक्तप्रान्त : जनरल) : क्या मैं जान सकता हूँ कि इस समय कौन सभापति है ?

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : मैं सभापति हूं।

*माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपाल स्वामी आयंगर (मद्रास : जनरल) : सभापति महोदय, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को जो सर्व सम्मति से इस परिषद के स्थायी सभापति चुने गये हैं, मैं भी अपनी क्षुद्र श्रद्धाञ्जलि समर्पित करना चाहता हूं। मेरे मित्र सर० एस० राधाकृष्णन् अंग्रेजी भाषा के एक श्रेष्ठ भारतीय वक्ता हैं। उनके लालित्यपूर्ण प्रवाह के बाद मैं कह सकता हूं कि मेरा भाषण आपको नीरस ही लगेगा।

डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद का निर्वाचन उस असीम विश्वास का प्रतीक है जो विधान-परिषद् ही क्या समस्त देश इनमें रखता है। सभापति चुन कर वस्तुतः हम उनका उतना सम्मान नहीं कर रहे हैं, जितना वह हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर हमारा कर रहे हैं। (हर्ष ध्वनि) इसलिए वस्तुतः हमें अपना अभिनन्दन करना है कि उन्होंने विधान-परिषद् के स्थायी सभापति का आसन स्वीकार किया।

डा० राजेन्द्र प्रसाद जी एक दुःसह दायित्व स्वीकार कर रहे हैं। उनका जीवन समर्पण देश सेवा के लिए आत्म समर्पण का जीवन रहा है। अनुपम त्याग और तपस्या से इनका जीवन पवित्र हो चुका है। मेरे लिए यह अनावश्यक है कि मैं उनके महान पाण्डित्य, गम्भीर विद्वत्ता, तथा मनुष्य और स्थिति के विस्तृत ज्ञान पर प्रकाश डालूं। इन गुणों ने ही उन्हें इस महान कार्य के योग्य बनाया है और इसके निर्वाह में उन्हें जिन कठिनाइयों, जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उनके समाधान के लिए उन्हें इन गुणों का ही सहारा लेना होगा। गत कई दिनों से ही मैं उनके सम्पर्क में आया हूं और उनसे मेरा साक्षात हुआ है। अब मुझे दुख होता है कि और पहले से तथा अधिक घनिष्ठतापूर्वक उन्हें जानने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। मैं इनके सम्बंध में सुन चुका था, पढ़ चुका था; पर गत दिनों के अनंतर जब से साक्षात हुआ है और इन्हें जानने का अवसर मिला है, मैंने यह अनुभव किया है कि अपनी तीव्र बुद्धि और गम्भीर ज्ञान के कारण ही वह देशवासियों का आदर-सम्मान पाते हैं और पाते रहेंगे ही। इनकी सर्वोपरि विशेषता जिसके कारण ये समस्त देशवासियों के बिना सम्प्रदाय, वर्ग भेद के, स्नेह और सम्मान के भाजन हैं और सदा रहेंगे, वह हैं इनके महान मानव-गुण—इनका स्वाभाविक सौजन्य, समस्या को समझने की इनकी पद्धति, जो वाद्-विवाद में आवेश की ओर प्रवाहित होने वाले व्यक्तियों को शान्त होने के लिए बाध्य कर देती है और इनके मधुर वचन जो क्रोध को फटकने नहीं देते— ये इतनी बहु-मूल्य निधि हैं, जो इनके उस दायित्व को सफल बनाने में बड़ी सहायक होंगी जिसे इन्होंने स्वीकार किया है।

इनके सभापति निर्वाचित हो जाने पर यह कहा जा सकता है कि विधान-परिषद् ने अपने भाग्य-निर्णायक जीवन का श्री गणेश किया है। यह सभा अपना

[माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपाल स्वामी आयंगर]

सारा काम समाप्त करे, इसके पहले निश्चय ही इसके सामने ऐसी कठिनाइयां और जटिल स्थितियां आयेंगी, जो डा० राजेन्द्र प्रसाद जैसे अतुलगुण-सम्पन्न व्यक्ति की क्षमता को भी क्लान्त कर देंगी। निस्सन्देह, हमें पूर्ण विश्वास है कि वे सारी कठिनाइयों पर विजय पायेंगे। अवश्य ही वे सभा के गौरव और प्रतिष्ठा को स्थिर रखेंगे, सदस्यों के अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे। पर इनका सब से कठिन काम होगा, उन सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयासों को परास्त करना, जो इस सभा की सत्ता को कमजोर बनाने के लिए किये जायेंगे। यह अवसर नहीं है कि मैं विस्तारपूर्वक इस बात पर प्रकाश डालूँ कि यह सभा उस कार्य के लिए वस्तुतः सर्व सत्ता सम्पन्न है, जिसे इसने पूरा करने का भार लिया है। यह तथ्य कि इसके सदस्यों को वर्त्तमान भारत सरकार की मशीनरी ने समवेत किया है, इस सभा की सत्ता को लघु नहीं कर सकता। (हर्षध्वनि) इस सभा का काम है—जिसे मंत्रिमंडल ने अपने बयान में सुन्दर शब्दों में तो नहीं दिया है—सम्पूर्ण भारत के लिए, जिसमें संघ (यूनियन) ही नहीं बल्कि इकाइयां भी शामिल हैं, विधान बनाना। और यदि यह सभा और इसके अन्य सैक्शन फैसला करें तो गुटबंदी (grouping) हो सकती है।

मंत्रि-मंडल के वक्तव्य को मैं इस सभा की रचना विषयक योजना का आधार-भूत कानून समझता हूँ। इस योजना या संगठन को केवल इस बात से सत्ता नहीं प्राप्त होती है कि इसे सम्राट की सरकार के तीन मंत्रियों ने बनाया है, वरन् इसे सत्ता इसलिए प्राप्त है कि इस योजना के अन्तर्गत जो भी प्रस्ताव हैं उन्हें इस देश की जनता ने स्वीकार किया है। इस सभा के अधिकारों पर जो भी पाबन्दियां वक्तव्य में हैं, वे स्वकीय हैं जिन्हें हमने स्वयं अपने ऊपर ले लिया है। योजना ने तथा बाद में उसके निर्माताओं की व्याख्याओं ने यह साफ़ कर दिया है कि इस सभा को विधान में रद्दोबद्दल करने, योजना की दी हुई व्यवस्था को घटाने या बढ़ाने और यहां तक कि योजना के बुनियादी मामलों में परिवर्तन करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। इस सभा का कार्य संचालन किसी बाहरी शक्ति पर, चाहे वह शासन सम्बंधी हो, या न्याय सम्बंधी, स्थिर नहीं है।

सिर्फ एक स्थल पर ही आवश्यक है कि कोई निर्णय करने के पहले सभा के प्रमुख सम्प्रदायों के बहुमत के अनुरोध पर सभापति मामले पर संघ न्यायालय की राय मांगें। उससे यह साफ है कि उस सभा की कार्य-पद्धति पर जो भी वैधानिक

प्रश्न उठेगा, उसका निर्णय स्वयं सभापति करेंगे और वह भी सभा द्वारा प्राप्त आदेशों के आधार पर करेंगे। अन्य मसले फैसला या राय के लिए बाहरी सत्ता के सामने तभी पेश किए जा सकते हैं, जब इस सभा का ऐसा आदेश हो और उसका फैसला स्वीकार करना भी इस सभा के लिए लाज़िमी नहीं है, जब तक उसने इस बात को स्वीकार न कर लिया हो। अतः सम्राट की सरकार के हाल के वक्तव्य की यह विचार धारा कि 'कोई भी पक्ष' (यही उनके शब्द हैं) इसके लिए स्वतंत्र है कि वह व्याख्या सम्बंधी प्रश्न पर बाहरी सत्ता से फैसला मांगे और यह सभा उस फैसले को स्वीकार करे, कभी भी कार्यान्वित नहीं की जा सकती, जब तक यह सभा एक प्रस्ताव द्वारा ऐसा अधिकार न दे दे। (हर्ष ध्वनि) इस वक्तव्य में दिया हुआ सुझाव, यदि बिना इस सभा के स्वीकारात्मक प्रस्ताव के ही कार्यान्वित किया गया, तो इससे इस सभा की सत्ता पर आघात पहुँचेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि डा० राजेन्द्र-प्रसाद ऐसे प्रयास को यथाशक्ति रोकेंगे। (हर्ष ध्वनि)

भाषण समाप्त करने के पहले मैं इस सभा के सर्वसत्ता सम्पन्न होने के प्रश्न के एक पहलू की चर्चा करूँगा। इस सभा के सामने सिर्फ विधान बनाने का ही काम नहीं है, बल्कि इसे यह भी तय करना है कि विधान कार्यान्वित कैसे किया जाय। दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिए कि उन लोगों से अधिकार लेना है, जिनके हाथ में आज हैं। अधिकार या सत्ता किस तरह हस्तान्तरित की जाय इसका निर्णयभी यह सभा ही करेगी। मेरी राय में सम्राट की सरकार के इस दावे से कि सत्ता हस्तान्तरित करने की पद्धति का फैसला वह करेगी, सभा की सत्ता को कम नहीं करता। सत्ता हस्तान्तरित करना इन्होंने मंजूर कर लिया है। मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता।

महोदय, आपको इस सभा का सभापति पाकर हमें अभिमान है और हम आपकी पूर्ण सफलता की कामना करते हैं। (तुमुल हर्षध्वनि)

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : इस सभा के दो बड़े प्रमुख सदस्य महान् दार्शनिक और अध्यापक सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् और परम प्रसिद्ध शासक सर एन० गोपालस्वामी आयंगर ने डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद को बधाई देते हुए सभा के समक्ष अपना भाषण दिया है और प्रासंगिक रूप से कतिपय उन प्रश्नों पर भी अपना मत व्यक्त किया है जो डा० राजेन्द्रप्रसाद के सम्मुख उपस्थित होंगे।

[सभापति]

अब मैं आने वाले वक्ताओं से कहूंगा कि वे संक्षेप में डा० राजेन्द्रप्रसाद के सम्बंध में बोलें, (हंसी) और विधान विषयक बातों को छोड़दें।

अब मैं श्री एफ० एन्थॉनी को आमंत्रित करूंगा कि वे सभा के समक्ष बोलें।

*श्री एफ० एन्थॉनी (बंगाल : जनरल): अस्थायी सभापति महोदय, चंद मिनट पहले मुझसे यह पूछा गया कि क्या डा० राजेन्द्र प्रसाद को बधाई देने में, उनका अभिनन्दन करने में मैं भी शरीक होऊंगा। मैंने हार्दिक प्रसन्नता से यह आमंत्रण स्वीकार किया था।

महोदय, डा० राजेन्द्र प्रसाद को व्यक्तिगत रूप से जानने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला है, पर मैं उन्हें जानता हूं और मेरे लिये यह अनावश्यक है कि मैं उनके गुणों और वहुविदित तथा पाण्डित्य-पूर्ण कारनामों की व्याख्या करूं। जिस पद के लिये वह सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं, वह न केवल महान और अपूर्व ही है वरन् साथ ही दुःसह भी है। आपका यह सतत कर्तव्य होगा, आपकी यह निरंतर चेष्टा होगी कि देश के भिन्न-भिन्न हितों पर आपकी समदृष्टि रहे। इन विभिन्न हितों ने ही इस देश को विशालता प्रदान की है। आज हमें अपने नेताओं में सर्वाधिक जिन गुणों की आवश्यकता है वे हैं सहिष्णुता, दूरदर्शिता और उदार दृष्टि। डा० राजेन्द्रप्रसाद के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ भी सुना है, उससे मुझे विश्वास है कि आप उन नेताओं में हैं, जिनमें ये गुण प्रचुर मात्रा में वर्तमान हैं। मुझे इस बात का भी विश्वास है कि आज प्रत्येक भारतीय चाहे वह किसी सम्प्रदाय का हो उसकी स्वाभाविक और तीव्र प्रवृति है कि वह अपनी मातृभूमि की महत्ता - वृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। (प्रशंसासूचक ध्वनि) मुझे इस बात का भी विश्वास है कि भाषा, सम्प्रदाय तथा सामाजिक जीवन सम्बंधी जितने भी भेद हों — और हमारे भारत जैसे विशाल देश में ये तो अवश्य ही रहेंगे — उदारता तथा व्यापक दृष्टि के गुणों से सुसम्पन्न नेता इन समस्त विभिन्न सम्प्रदायों को मिलाने में, उनकी एक सम्मिलित तीव्र धारा प्रवाहित करने में अवश्य सफल होंगे और यह विशाल धारा अपने पथ पर निर्बाध्य आगे बहती हुई हमारे देश को उसके गन्तव्य-स्थान, उसके अधिकार पूर्ण स्थान पर पहुँचा कर उसे संसार का अग्रणी बना देगी। अन्त में मुझे इस बात का भी विश्वास है कि मैं सभा की ही राय व्यक्त कर रहा हूं, जब मैं यह विश्वास प्रकट करता हूं

कि डा० राजेन्द्र प्रसाद न केवल मर्यादा पूर्वक ही बल्कि श्रेष्ठतापूर्वक अपने प्रतिष्ठित पद को सुशोभित करेंगे। (हर्षध्वनि)

*सरदार उज्जलसिंह (पंजाब : सिख) : सभापति महोदय, डा० राजेन्द्र प्रसाद के सर्वसम्मति से परिषद् का सभापति चुने जाने पर सभा एक स्वर से प्रशंसा गान कर रही है और मुझे बड़ा हर्ष है कि मैं भी इसमें अपना सुर मिला रहा हूं। वस्तुतः मेरा विश्वास है कि इस अपूर्व और ऐतिहासिक सभा के सभापति के लिए इससे अधिक उपयुक्त और सुन्दर चुनाव हो ही नहीं सकता। अपने अतुल त्याग और सेवा, अनुपम पाण्डित्य और योग्यता, सौजन्य और सर्वोपरि निष्कलंक चरित्र के कारण आप न केवल बिहार के ही वरन् समस्त-भारत के आराध्य बन गये हैं। मुझे निश्चय है कि सभा को इस बात पर सन्तोष-बोध होगा कि डा० राजेन्द्रप्रसाद के सभापति रहते हुये इस सभा की क्षमता पर सिवा उन नियन्त्रणों को, जिन्हें हमने स्वीकार कर लिया है और कोई नियंत्रण या पाबन्दी न लगाने दी जायगी। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सचाई, चरित्र और विनम्रता दोष से परे है। ऐसा व्यक्ति सभा के प्रत्येक सदस्य के विश्वास का अधिकारी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह अवश्य सभा का विश्वास प्राप्त करेंगे। मैं जानता हूं कि एक दल है जो आज सभा में उपस्थित नहीं है, परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि इस दल के लोग भी जो डा० राजेन्द्र प्रसाद के राजनीतिक विरोधी कहे जा सकते हैं, सभा के कार्य संचालन में उनकी निष्पक्षता और न्याय पर भरोसा कर सकते हैं। सभापति जी, मुझे आशा है और पूरा भरोसा है कि उनके योग्य-पथ प्रदर्शन और प्रेरणा में यह सभा न केवल विधान बनाने में ही सफल होगी, वरन् स्वतंत्र, प्रजातंत्रीय राज्य स्थापित करने में भी सफल होगी। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि वह उन्हें उन दुःसह कर्त्तव्यों और कठोर दायित्वों के सम्पादन की शक्ति दे, जो खाद्यमंत्री तथा इस ऐतिहासिक सभा के सभापति के नाते उन पर लागू हैं।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : अब मैं दरभंगा के महाराजाधिराज लेफ्टिनेंट कर्नल सर कामेश्वर सिंह से बोलने का अनुरोध करूंगा।

*माननीय महाराजाधिराज दरभंगा नरेश सर कामेश्वर सिंह (बिहार : जनरल): सभापति महोदय, वस्तुतः हम सबों के लिए आज अभिमान का दिन है

[माननीय महाराजाधिराज दरभंगा नरेश सर कामेश्वर सिंह]

भारत के अधिकारी प्रतिनिधियों ने देशरत्न डा० राजेन्द्रप्रसाद को उस गौरव-शालिनी परिषद् की सत्ता का संरक्षक चुना है। ऐसा करके उन्होंने न केवल उनकी महत्ता का ही आदर किया है, वरन् हमारे प्रान्त को भी सम्मानित किया है जिसके वे सर्वोत्कृष्ट रत्न हैं। उनकी उत्कृष्टता आज स्वीकृत हुई है, इसका हमें अपार हर्ष है। उनका चरित्र, योग्यता, विद्वत्ता, सौजन्य, त्याग, सेवाभाव और सर्वोपरि मातृभूमि के लिए उनका आत्मोत्सर्ग—ये सब गुण अवश्य ही लोगों को उनकी ओर आकृष्ट करेंगे। उन्हें उनका भी सम्मान और आदर प्राप्त है जो उनकी राजनीति के अनुयायी नहीं हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ उस संत पुरुष की तरह, जो घर और बाहर दोनों जगह समादृत है। मैं समझता हूं कि उनका कार्य बहुत गुरु है। उन्हें देश को दासता से हटा स्वाधीनता की ओर ले जाना है। सही रास्ते पर चलने में और पथ की असंख्य बाधाओं को पार करने में उन्हें हमको सहायता देनी होगी। जब भी हमारे अधिकारों पर आघात किया जायगा, उन्हें हमारी रक्षा करनी होगी और अपनी दृढ़ता, न्याय तथा निष्पक्षता में लोगों का विश्वास पैदा करना होगा। मैं उनके सौजन्य, कर्तव्य परायणता, उदार दृष्टि से सुपरिचित हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपने महान पद की प्रतिष्ठा का जिस पर देश ने सर्व-सम्मति से उन्हें बिठाया है और जो देश वासियों का सर्वोच्च उपहार है—निर्वाह सन्तोषपूर्वक करेंगे। परमात्मा उन्हें स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन दे, जिससे वे अपने दुःसह कर्तव्य का पालन कर सकें और अपने परिश्रम का फलोपभोग भी कर सकें। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनके साफल्य की कामना करता हूं। मुझे आशा है, उन्हें सभा के सभी सदस्यों का सच्चा सहयोग मिलेगा, जो उनके तत्वावधान में शान्तिमय उपायों से स्वराज-प्राप्ति के लिए यहां समवेत हुए हैं।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): डा० जोसफ आलूबन डी० सौज़ा।

*डा० जोसफ आलूबन डी० सौज़ा (बम्बई : जनरल): सभापति महोदय, इस ऐतिहासिक परिषद् के स्थायी सभापति निर्वाचित होने पर डा० राजेन्द्र प्रसाद के अभिनन्दन-गान में बड़ी प्रसन्नता से मैं सम्मिलित होता हूं। गत दो दिन तक अस्थायी सभापति डा० सच्चिदानन्द सिनहा ने अपनी तेज समझ, वाक्

चातुर्य और सर्वोपरि अपनी रसिकता से परिषद् का कार्य संचालन खूब खूबी से किया। विधान-परिषद् रूपी पोत को आपने कठिन तरंगों से पार कर किनारे पहुँचा दिया है। पोत को विधान-रूपी समुद्र के तरंगों में लाकर उसे स्थायी सभापति के हवाले कर दिया है। इस समय यह कहना कठिन है कि इन उठती हुई तरंगों का अन्तिम स्वरूप क्या होगा। परन्तु इसमें रंचमात्र भी सन्देह नहीं है कि स्थायी सभापति के सामने एक बड़ा ही दायित्वपूर्ण कार्य है। इस पुरानी और सच्ची कहावत में कि "हर अंधकार में प्रकाश छिपा रहता है" मुझे पूरा विश्वास है और सदा बना रहेगा। इस विधान-परिषद् पर काली घटायें छाई हुई हैं, परन्तु इसमें भी रजत-रेखा अवश्य छिपी हैं और इसी बल पर भारत के आसन्न और सुदूर सुन्दर भविष्य का मुझे पूरा विश्वास है।

डा० सच्चिदानन्द सिनहा ने अभी यह आदेश दिया था कि प्रथम दो वक्ताओं के बाद जो वक्ता आयें वे डा० राजेन्द्र प्रसाद के अभिनंदन तक ही अपने को सीमित रखें और वैधानिक या ऐतिहासिक प्रश्नों पर न जायं। पर मैं उनसे इस की अनुमति चाहता हूं कि मैं एक वैधानिक प्रश्न का लघु उल्लेख करूं।

इस विधान-परिषद् की तथा इसके विधान निर्माण सम्बंधी कार्य की सूचना आज से सौ वर्ष पूर्व हमें मिल चुकी थी। हम यह तो नहीं कहते कि इसकी भविष्य-वाणी हो चुकी थी, पर इसकी सूचना अवश्य हमें मिली थी। आज सौ वर्ष से कुछ अधिक हुआ, तब महामना बर्क ने भारतीय साम्राज्य पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए ट्रस्टीशिप या अमानतदारी के सिद्धान्त को लागू किया। उस समय उन्होंने यह घोषित किया था कि बालक भारत ज्यों ही वयस्क होगा, हमारी अमानतदारी समाप्त हो जायगी।

अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत राजनीतिक रूप में अभी बालिग नहीं हुआ है? क्या अभी भी वह नाबालिग है? जब मैं इस महती परिषद् की पहली पंक्ति पर दृष्टि डालता हूं, तो मुझे ऐसी बड़ी-बड़ी विभूतियां दिखाई देती हैं, जो चर्चिल, रूजवेल्ट या स्टालिन का न केवल पार्ट ही अदा कर सकती हैं; बल्कि उनसे अच्छा अदा कर सकती हैं। यह तो हुआ भारत के चरम श्रेणी के नागरिकों के सम्बंध में। निम्न से निम्न श्रेणी के नागरिकों की—देहात के रहने वालों की—आज क्या अवस्था है? यदि हमारे नेता आज देहात में उस रैयत से मिलें जो कुछ दिनों पहले घोर अज्ञान में थी, जिसे अपने अधिकारों और आवश्यकताओं का

[डा० जोसफ आलूबन डी० सौज़ा]

भी ज्ञान न था और अब उससे स्वतंत्र भारत की चर्चा करें तो वह तुरंत उनसे कह उठेंगी "यदि आप स्वयं हमारे लिए आजादी नहीं प्राप्त कर सकते तो हम ख़ुद उसे पाने की कोशिश करेंगे" वह जानती है कि यह उसका पावना है, उस का जन्म-सिद्ध अधिकार है।

मेरी समझ में यह विधान-परिषद भारत के बालिग होने का एक महोत्सव समारोह है और इसलिए हिन्दू, मुसलमान, सिख, क्रिस्तान, पारसी, हरिजन, सबको यथा शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सम्मिलित रूप से काम शुरू कर देना चाहिए।

इस काम में मुझे विश्वास है कि हमारे स्थायी सभापति हमें सहायता देंगे और हमारा पथ-प्रदर्शन करेंगे। मध्यकालीन सरकार में आपने थोड़े ही दिनों से कार्य भार सम्भाला है, पर इन थोड़े दिनों में ही खाद्यस्थिति को सुन्दरता से काबू में लाकर आपने अपनी योग्यता का परिचय दिया है। उनके अल्पकालीन कार्यों से हमें इस बात का परिचय मिल गया है कि आप बड़ी लगन और योग्यता से इस परिषद का कार्य-संचालन करेंगे। आप सबकी ओर से मेरी यह कामना है कि हमारे स्थायी सभापति को स्वाध्य और शक्ति प्राप्त हो, ताकि वह इस परिषद के सभापतित्व का गुरु भार वहन करने में समर्थ हों।

*श्री वी० आई० मुनिस्वामी पिल्लई (मद्रास : जनरल) : स्थायी सभापति महोदय, मैं इसे अपना परम गौरव समझता हूं कि इस महती सभा के सम्मुख खड़ा हो मैं सर्वसत्ता सम्पन्न इस सभा के सर्वसम्मत सभापति चुने जाने पर आपका अभिनन्दन कर रहा हूं। ६ करोड़ अछूतों की ओर से, ६ करोड़ जमीन खोदने वालों और लकड़ी काटने वालों की ओर से, जो देश की राजनैतिक एवं आर्थिक सीढ़ी के निचले पाये पर हैं, मैं आपका अभिनन्दन करता हूं। सन् १८६० में हमारे प्रान्त के अपने एक श्रद्धेय नेता ने हाउस ऑफ़ कॉमन्स के सदस्यों के नाम एक खुली चिट्ठी भेजी, जिसमें अछूतों की असहाय अवस्था का चित्रण था, पर १९३२ में महात्मा गांधी को यह भार दिया गया कि वे इसकी रूप-रेखा निश्चित करें कि अछूतों को किस तरह सहायता दी जाय। इसी स्मरणीय अवसर पर मैं आपके सम्पर्क में आया और यह जान पाया कि अछूतों के प्रति आपको कितनी सहानुभूति है। उसी समय से मैं यह जान पाया हूं कि आपने हरिजन सम्प्रदाय की कितनी बड़ी सेवा भी की है और वस्तुतः इस परिषद का प्रत्येक हरिजन सदस्य आपकी इन अमूल्य सेवाओं से परिचित है। इनकी

ओर से मैं यह विश्वास प्रकट करता हूं कि आपके सभापतित्व में यहां सबको समानता मिलेगी और इस विशाल देश के लिए जो भी विधान बनेगा, उसमें हरिजनों को उचित स्थान प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि आप अपने महत् पद पर मर्यादापूर्वक आसीन रहेंगे और हरिजनों के साथ न्याय करेंगे, ताकि उनको और सम्प्रदायों के समान स्थान प्राप्त हो सके। आदरणीय महोदय, ६ करोड़ अछूत हिन्दू समाज की रीढ़ हैं, मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि आपके अधिनायकत्व में जो विधान बनेगा, उसमें आप यह चेष्टा करेंगे कि हरिजनों को अयोग्यताओं या कमियों की समुचित व्यवस्था हो, जिससे वे इस देश में औरों के समान अधिकार का उपभोग कर सकें।

श्री खान अब्दुल गफ्फार खां साहब: जनाब सदर साहब, बहनो और भाइयो, मेरा कोई इरादा नहीं था कि इस एसेम्बली के बहस-मुबाहिसे में कुछ हिस्सा लूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं इस ख्याल का आदमी हूं कि बहुत तकरीरों और तारीफों को मुनासिब नहीं समझता। लेकिन चंद भाइयों ने मुझे मजबूर किया कि इस मौके पर मुझे भी कुछ जरूर कहना चाहिए। अब मैं यहाँ इस गर्ज के लिये खड़ा हुआ हूं कि बाबू राजेन्द्र प्रसाद को जो सभा की तरफ से इतनी बड़ी इज्जत दी गई है, उसके लिये मैं आपकी तरफ से और सूबा सरहद की तरफ से इनको मुबारकबाद दूं।

मैं राजेन्द्र प्रसाद को खूब जानता हूं और यह कह सकता हूं कि जो लोग जेलखानों में और मुसीबतों और तकलीफों की जगहों में इकट्ठे रहे हों, उनको मौका मिलता है कि एक दूसरे को पहचानें। चुनाचे मुझे यह फक्र है कि मैं बाबू राजेन्द्रप्रसाद के साथ जेल में काफी मुद्दत तक रहा हूं। मैं इनको खूब जानता हूं, मैं इनकी आदतों से वाकिफ हूं। मैं यह कहता हूं कि सबसे बड़ी तारीफ जो मैं उनकी कर सकता हूँ और जिसकी हर एक हिन्दुस्तानी को जरूरत है, वह यह है कि इनके दिल में भेद-भाव नहीं है। बदकिस्मती से हिन्दुस्तानियों के दिलों में भेद-भाव और खराबियां हैं। आप जानते हैं कि एक खाना हिन्दू के लिए है और दूसरा मुसलमान के लिए। मैं यह दावे से कह सकता हूँ कि बाबू राजेन्द्र प्रसाद का दिल सबके लिए एक है। मैं यह बात महसूस करता हूं और मुझे इस बात का दुख भी है कि मेरे मुस्लिम लीग वाले भाई इस सभा में नहीं हैं, मैं यह भी देखता हूं कि हिन्दुस्तान के जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वह हमारे सूबा सरहद के लोगों से और खास कर मुझ से नाराज से हैं। वह कहते हैं कि आप मुसलमानों के साथ नहीं हैं। हमेशा जब मैं रेल में सफर करता हूं, तो ऐसी त

[श्री खान अब्दुल गफ्फार खां साहब]

मुझे बहुत से भाई कहते हैं, लेकिन हमेशा मैं उनको यही जवाब देता हूं कि मैं हमेशा मुसलमानों के साथ हूं और उनसे जुदा नहीं हूं। जब वह कहते हैं कि तुम लीग के साथ नहीं हो तो मैं कहता हूं कि लीग के साथ होना कोई जरूरी बात नहीं है, क्योंकि यह तो सियासी जमाअत है और हरएक आदमी अपना ख्याल रखता है और रख सकता है। मैं यह कहता हूं कि हर आदमी को यह आजादी होनी चाहिए और उसको मजबूर नहीं करना चाहिए। हर आदमी को यह हक हासिल है कि जिस चीज़ को वह ईमानदारी या दियानतदारी से कौम और मुल्क के लिये बेहतर समझे वही करे। इस वक्त यह कोई नहीं पूछ सकता कि मैं कांग्रेस के साथ क्यों हूं। मैं मानता हूं कि सूबा सरहद के लोग तालीम में आप से बहुत पीछे हैं और यह भी मानता हूं कि सूबा सरहद के लोग दौलत में भी आपसे बहुत पीछे हैं। हमारा छोटा सा सूबा है, आपके बड़े-बड़े सूबे हैं, लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि सूबा सरहद के लोग हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों से अगर आगे नहीं है तो पीछे भी नहीं हैं। जब हम हिन्दुस्तान की उस वक्त की तवारीख पढ़ते हैं जब कि अंग्रेज नहीं आये थे और फिर अब जब कभी हिन्दुस्तान के सूबों में, उसके मुख्तलिफ हिस्सों में फिरने का मौका मिलता है—शहरों में नहीं देहात में क्योंकि मैं देहाती आदमी हूं—तो मैं देखता हूं, इस खुश हिन्दुस्तान के बच्चों और देहातियो में कितनी गरीबी है। सबसे अफ़सोस की बात यह है कि मुल्क की तरक्की और बहबूदी का जो भी काम हमारे दिल में आता है और हमारी ख्वाइश होती है कि उसे पूरा करें, तो हम देखते हैं कि उसमें बड़ी रुकावटें डाली जाती हैं। हमारा मुल्क और क़ौम तबाह और बर्बाद हो रहा है, पर इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते इस बेबसी ने सूबा सरहद के लोगों को मजबूर कर दिया है और हम बिल्कुल तंग आगये हैं। हमारे दिमागों में और दिलों में यह खयाल पैदा हो गया है कि जब तक इस बदकिस्मत मुल्क को आजाद नहीं कर लेते, इसकी तबाही और बर्बादी दूर नहीं होगी। मैं अपने हिन्दुस्तानी भाइयों को बताना चाहता हूं कि हम इसलिए कांग्रेस के साथ हैं कि हमारा यकीन है कि कांग्रेस इस मुल्क को आज़ाद कराना चाहती है और हम समझते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी जमाअत है जो इस देश की गरीबी को दूर कर सकती है। हम कांग्रेस के साथ हैं क्योंकि हम लोग गुलामी से तंग आगये हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अगर तालीम में हम लोग पीछे हैं तो उस अहिंसात्मक युद्ध में जो सन् १९४२ में शुरू हुआ था, सिर्फ एक सूबा सरहद ही था जिसने अहिंसात्मक उपायों से काम लिया था और युद्ध किया था।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : अब मैं कुर्ग के प्रतिनिधि मि० पुनाका से कहूंगा कि वे संक्षेप में अपना भाषण दें।

*श्री सी० एम० पुनाका (कुर्ग) : सभापति महोदय, मैं इसे अपना सम्मान और सौभाग्य समझता हूं कि पूर्व वक्ताओं की अभिव्यक्ति को दुहराने के लिए मैं भी यहां खड़ा हूँ। स्थायी सभापति महोदय, मैं कुर्ग से आया हूं और कुर्ग निवासियों की ओर से आपका सादर अभिनन्दन करता हूं। राष्ट्रपति की हैसियत से आपने हमारे प्रान्त का दौरा किया था और हमें अपनी बहुमूल्य सलाह दी थी, जिससे आजादी के आन्दोलन में हमें बड़ी सहायता मिली थी। आदरणीय महोदय, मैं लम्बा भाषण देना नहीं चाहता। संक्षेप में हम आपको अपना सादर अभिनन्दन समर्पित करते हैं। हमें विश्वास है कि आपके अधिनायकत्व में इस सभा को पूरी सफलता मिलेगी। (हर्षध्वनि)

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : श्री एच० वी० कामठ कृपया सभा के समक्ष अपना भाषण दें।

*श्री एच० वी० कामठ (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल) : सभापति महोदय, स्थायी सभापति के निर्वाचन पर इस पुनीत परिषद् के बहुसंख्यक सदस्यों ने अभिनंदन गायन किया है और यदि आपकी अनुमति है, तो मैं भी इसमें सम्मिलित होता हूं। यह परिषद भारत में अपने किस्म की पहली परिषद है। इस पुनीत और प्रसन्नता के अवसर पर जब हमने देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी सभापति के गौरवमंडित आसन पर सर्व सम्मति से बैठाया है, हमारे लिए यह स्मरण रखना अच्छा है कि हम इस स्थिति में क्योंकर पहुँचे हैं। हम इस स्थिति में पहुँचे हैं, भारतीय जाति की सम्मिलित इच्छा-शक्ति और परिश्रम से, महात्मा गांधी द्वारा परिचालित भारतीय राष्ट्रीय महासभा के कठोर तप और वीरोचित संग्राम से और साथ ही नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में परिचालित आज़ाद हिन्द फौज की बहादुराना लड़ाई से। यह मेरे बस की बात नहीं है कि मैं डा० राजेन्द्र प्रसाद के हृदय और मस्तिष्क की खूबियों का वर्णन करूं। भारत की आत्मा उनमें स्वयं सन्निहित है—वह आत्मा जिसने हमारे ऋषियों और महर्षियों को परब्रह्ममय-विश्व के प्राचीन परन्तु चिर नवीन सिद्धान्त की शिक्षा देने की प्रेरणा दी—वही आत्मा डा० राजेन्द्र प्रसाद में सन्निहित है। जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे गुरुदेव

[श्री एच० वी० कामठ]

रवीन्द्रनाथ टैगोर की वह कविता याद आजाती है, जिसका भाव है "भगवन मुझे वह शक्ति दो कि सेवा द्वारा अपने प्रेम को सार्थक रख सकूं, मुझमें वह बल दो कि मैं अपनी समस्त शक्ति को श्रद्धा और प्रेम से आपकी इच्छा के सामने समर्पित कर सकूं"। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं डा० राजेन्द्र प्रसाद का सादर अभिनन्दन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। सर्व शक्तिशाली परम दयालु परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि वह डा० राजेन्द्र प्रसाद को शक्ति और स्वास्थ्य दे, उत्साह और साहस प्रदान करे, जिससे परिषद रूपी छोटी नौका को वह खेकर सुख और शान्ति, स्वातंत्र्य और सम्मिलन के तट पर लगादें। मित्रो, मैंने अपना वक्तव्य समाप्त किया। हां बैठने के पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि गीता का निम्नलिखित संदेश सदा हमें ध्यान में रखना चाहिए।

" उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्त वरान्निबोधत। "
जागो, उठो और अपने लक्ष्य तक पहुँचो। जय हिन्द।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): अब श्री सोमनाथ लाहिरी सभा के समक्ष अपना भाषण देंगे।

*श्री सोमनाथ लाहिरी (बंगाल : जनरल): कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जिसका प्रतिनिधित्व करने का मुझे गौरव है, मैं सर्व सम्मति से परिषद का स्थायी सभापति चुने जाने पर डा० राजेन्द्र प्रसाद का अभिनन्दन करता हूं।

श्रीमान् डा० राजेन्द्र प्रसादजी, जब आप राष्ट्रीय महासभा के सभापति थे, तब हमारी पार्टी ने आपका धैर्य, आपकी सहन शीलता देखी। दूसरे दल के दृष्टि-कोण को जानने की तीव्र अभिलाषा भी हमने आपमें देखी। महोदय, हमें आशा है कि परिषद के सभापति पद पर रहकर आप अपने इन गुणों पर सदा अमल करेंगे और हमें भी औरों की तरह अपना मत व्यक्त करने की पूरी सुविधा देंगे। जनाब, एक जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वह यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद अभी भी हम पर सत्ता रखता है। इस परिषद के किसी भी सदस्य का रूप, राज-नैतिक विचार कुछ भी क्यों न हो, हमें पक्का विश्वास है कि स्वत्रंत होने की एक तीव्र आकांक्षा सब में जोर मार रही है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बंधनों से सद्यः और सम्पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो जाने की जबर्दस्त भावना सब में वर्तमान है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने गत दो शताब्दियों से हमारा रक्त शोषण किया है और आज

भी अपनी सेना से, अपने वाइसराय से, अपनी नौकरशाही से, अपनी आर्थिक जंजीरों से, तथा अपने मित्र–देशी रियासतों के शासकों–की मदद से हमको दबाये बैठा है। जनाब, बहुत से लोग आपसे यह आशा करेंगे कि सभापति पद पर आसीन होकर आप सब दलों के प्रति निष्पक्ष रहें। पर आप देशभक्त हैं, तपे-तपाये देशभक्त हैं और उन मामलों में जहां कि हमें अपनी सत्ता स्थापित करनी है—अपने ही एक वर्ग के विरुद्ध नहीं, सैकूशन और कमेटी के शब्दजाल के झगड़ों से नहीं, वरन् ब्रिटिश वायसराय को, ब्रिटिश सेना को यहां से हट जाने का आदेश देकर बल्कि हट जाने के लिए उन्हें बाध्य करके—ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमें अपनी सत्ता स्थापित करनी है, हम आपसे निष्पक्ष रहने की आशा नहीं करेंगे। हमें तो इसका विश्वास है कि हम अपनी सत्ता की घोषणा यहां और अभी ही कर सकते हैं। यह पुनीत परिषद अभी ही इसकी यह घोषणा करके कि हम अब आजाद हैं, हम अब ब्रिटिश हुकूमत की, ब्रिटिश वायसराय और उनके शब्दजाल की सत्ता नहीं स्वीकार करते, संग्राम का श्रीगणेश कर सकते हैं और जनता का आवाहन कर सकते हैं। मेरी तो अभिलाषा है कि हम इस परिषद में ही इस बात की घोषणा करदें कि सत्ता हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में अब हम मंत्रिमंडल की योजना, अथवा ब्रिटिश साम्राज्यवाद जनित भ्रम के चक्कर में न आयेंगे। मैं जानता हूं कि भ्रम मुश्किल से पिंड छोड़ता है। मुझे विश्वास है कि इन भ्रमों को दूर करने में मंत्रिमंडल की पैशाचिक योजना—वह योजना जिसने हमें आज संसार में हास्यास्पद बना दिया है—के विरुद्ध भारतीय जनता को पुनः दृढ़ भाव से युद्ध संलग्न करने में आपकी पूर्ण सहायता प्राप्त होगी। मंत्रिमंडल की योजना से उत्पन्न भ्रातृ-युद्ध तथा मृत्यु की काली छाया के बीच आज हम यहां समवेत हुए हैं और......... ।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : मिस्टर लाहिरी, क्षमा कीजियेगा मैं टोक रहा हूं। आप डा० राजेन्द्र प्रसाद के सम्बंध में कुछ फरमा सकते हैं।

*श्री सोमनाथ लाहिरी : मैं यह जानता हूं। इसीलिए तो मैंने डा० राजेन्द्र-प्रसाद की प्रशंसा की है और आशा है अपना विचार व्यक्त करने के लिए, अपना दृष्टिकोण सामने रखने के लिए हमें भी उनसे वही उदारता प्राप्त होगी, जो दूसरों को होती है। हम यह इसलिए कहते हैं कि हमारा यही अनुभव रहा है कि हम जब भी अपना विचार व्यक्त करते हैं, हमसे संक्षिप्त होने को कहा जाता है। वस्तुतः यहां भी बोलने के पहले ही मुझे दो बार कहा गया था कि संक्षेप में अपना वक्तव्य

[श्री सोमनाथ लाहिरी]

समाप्त करूं। अस्तु, मैं इसकी परवाह नहीं करता। इस परिषद के सभापति के नाते मैं जिस बात की उम्मीद डा० राजेन्द्र प्रसाद से करूंगा, वह यह है कि वे हमारे देशवासियों के भ्रम को दूर करने में, हमारे दृष्टिकोण को पूर्णतः प्रकट करने में तथा मंत्रिमंडल की योजना को ठुकरा कर संघर्ष के लिए सबको सम्मिलित होने में सहायता देंगे।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : माननीय सदस्यो, आप इस बात से अवश्य ही सहमत होंगे कि मैं गलतियों से परे नहीं हूं। अब मैं श्री जयपाल सिंह से कहूंगा कि वे चंद मिनटों में अपना मंतव्य पूर्ण करें। वे छोटा नागपुर के आदि-निवासियों के प्रतिनिधि हैं।

*श्री जयपाल सिंह (बिहार : जनरल): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने नागपुर के आदि निवासियों के प्रतिनिधि की हैसियत से मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। डा० राजेन्द्र प्रसाद का अभिनन्दन करने को मैं चन्द बातें कहना चाहता हूं और विशेषतः आदि निवासियों की ओर से। जहां तक मैं समझता हूं हम केवल पांच सदस्य ही यहां हैं। पर हमारी संख्या कई लाख है और वस्तुतः भारतवर्ष हमारा है। 'क्विट इन्डिया' (भारत छोड़ो) कुछ दिनों से प्रचलित हुआ है। मेरी तो यह दृढ़ आशा है कि यहां के आदि निवासियों के पुनः स्थिर होने और पूर्वावस्था में आने का यही समय है। अंग्रेजों को भारत छोड़ने दीजिए, फिर बाद में आये हुए लोग यहां से कूच करें और तब यहां के मूल निवासी यहां रह जायंगे। सचमुच हमें बड़ी प्रसन्नता है कि डा० राजेन्द्र प्रसाद को हमने इस परिषद का स्थायी सभापति पाया है। चूँकि डा० राजेन्द्र प्रसाद उस प्रान्त के हैं जिसके दक्षिणी भाग में आदि-निवासियों का एक बड़ा इलाका है, एक बड़ी आबादी है जैसी भारत भर में और कहीं नहीं है। हमें विश्वास है कि हम अपने मामलों में उनसे पूर्ण सहानुभूति पायेंगे। उनकी योग्यता के सम्बंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वह सर्व विदित है। हम यही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि डा० राजेन्द्र प्रसाद से जहां हमें सहानुभूति मिलेगी, वहीं यह सभा भी उनके साथ वैसा ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगी। (हर्षध्वनि)

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : अब मैं भारत-कोकिला, बुलबुले हिन्द से अनुरोध करूंगा कि वे सभा के समक्ष अपना भाषण दें, पर गद्य में नहीं,

पद में। (हंसी और हर्षध्वनि)

(श्रीमती सरोजिनी नायडू तुमुल करतलध्वनि के बीच रंगमंच पर आईं)

*श्रीमती सरोजिनी नायडू (बिहार : जनरल) : सभापति महोदय आपको मुझे सम्बोधित करने का तरीका वैधानिक नहीं है। (हंसी)

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : आडर, आर्डर, सभापति पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता। (ज़ोर की हंसी)

*श्रीमती सरोजिनी नायडू : इस अवसर पर मुझे प्रसिद्ध काश्मीरी कवि की ये पंक्तियां याद आरही हैं :—

"बुलबुल को गुल मुबारक गुल को सखुन मुबारक।
रंगीन तबियतों को रंगे सखुन मुबारक"

मेरेमहान नेता और साथी, आज हम लोग डा० राजेन्द्र प्रसाद की प्रशंसा में दी हुई इन्द्रधनुष के समान सुन्दर बहुरंगी वक्तृताओं के प्रवाह में बह रहे हैं। (हर्षध्वनि) मैं नहीं समझती कि कवित्त-कल्पना भी इन्द्रधनुष की सुमनोहर आभा में और कोई सुन्दरता जोड़ सकती है। इसलिए मैं तो स्वयं राजेन्द्र बाबू के आदर्श का अनुकरण करती हुई विनम्र और अल्पभाषी होकर किसी कुलाचार एवं गृहस्थी सम्बंधी प्रश्नों तक ही अपने को सीमित रखूँगी जैसा कि एक महिला को चाहिए। (हंसी) हम सभी अपने महान दार्शनिक सर राधाकृष्णन् के वक्तृत्व-कला के प्रवाह में वह गये और मालूम होता है कि वे भी दृश्यस्थल से तिरोहित हो चले हैं।

*श्री सर राधाकृष्णन् : न, न, मैं यहां वर्तमान हूं। (और हंसी)

*श्रीमती सरोजिनी नायडू : आपने अपनी वक्तृता से हम पर ज्ञान-वृष्टि की है। भिन्न-भिन्न प्रांत, मत और सम्प्रदाय के अन्य सभी वक्ताओं ने और हमारे सद्यः पूर्व वक्ता ने भी जो अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद हम सबको भारत छोड़ने का आदेश देकर इस देश पर आदिवासियों का दावा पेश कर रहे हैं, सबने बारी-बारी से अपने मत व्यक्त किये हैं, पर राजेन्द्र बाबू के सम्बंध में सभी एकमत हैं। प्रथम जब मुझसे कहा गया कि मैं राजेन्द्र बाबू के सम्बंध में कुछ कहूँ, तो मैंने

[श्रीमती सरोजिनी नायडू]

जवाब दिया था कि मेरे लिए यह तभी सम्भव है जब मेरे पास सोने की कलम और शहद की स्याही हो, क्योंकि संसार भर की स्याही भी काफी नहीं है, जिससे राजेन्द्र बाबू के गुणों का वर्णन किया जा सके या उनकी गुणावलि का अभिनन्दन किया जा सके। हमारे एक पूर्व वक्ता ने ठीक ही कहा था—यद्यपि मैं उनके कथन के एक भाग से ही सहमत हूँ—कि परिषद् के अस्थायी और स्थायी सभापति दोनों ही की जन्म भूमि बिहार है और दोनों ने ही बिहारोत्पन्न भगवान् बुद्ध के कतिपय गुणों को अपना लिया है। मैंने कहा कि उक्त वक्ता की एक बात से मैं सहमत हूँ दूसरी से नहीं। जिस बात से मैं सहमत हूं वह यह है कि राजेन्द्र-प्रसाद जी आध्यात्मिक रूप से करुणा, ज्ञान, त्याग, और प्रेम के अवतार भगवान् बुद्ध के वंशज हैं। कई वर्षों तक उनके घनिष्ठ संपर्क में रहने का सौभाग्य मुझे मिला है। वह हमारे नेता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे छोटे भाई हैं—बहुत छोटे, वह मुझसे पूरे पांच साल छोटे हैं यह बात मुझे उनके जन्म-दिवस पर मालूम हुई—इसलिए मैं इस स्थिति में हूँ कि उन्हें आशीर्वाद दूं और उनका अभिनन्दन भी करूं। प्रत्येक वक्ता ने इस सभा में विश्वास के साथ यह कहा है कि राजेन्द्र बाबू सभा के संरक्षक रहेंगे, इसके जनक स्वरूप रहेंगे। पर मेरी कल्पना में वह संरक्षक एक कठोर खड्ग धारी न होकर एक सुमनोहर पुष्पधारी देवदूत के समान होगा, जो मानव हृदय पर विजय पाता है। यह इसलिए कि राजेन्द्र बाबू में स्वाभाविक माधुर्य है जो बल का काम करता है, उनमें अनुभव जन्य सहज ज्ञान है, शुद्ध दृष्टि है, रचनात्मक कल्पना शक्ति और विश्वास है, जो गुण उन्हें स्वयं भगवान् बुद्ध के चरणों के सन्निकट पहुँचा देते हैं। इस सभा-भवन में कुछ जगहें खाली दिखाई दे रही हैं और इन मुस्लिम बन्धुओं की अनुपस्थिति से मुझे हार्दिक क्लेश है। मैं उस दिन की ओर देख रही हूँ जब ये बन्धु भी चिर परिचित मित्र मि० मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में यहां उपस्थित होंगे। यदि इसके लिए प्रोत्साहन आवश्यक है, जादू की छड़ी जरूरी है तो मैं समझती हूँ कि राजेन्द्र बाबू का सहज सौजन्य, उनकी बुद्धि और उनका निर्माणात्मक विश्वास इसका काम करेंगे। मुझे आशा है, और मैं विश्वास करती हूँ कि यह आशा ठीक है कि मेरे मित्र डा० अम्बेडकर, जो आज इतने विरोधी हैं, शीघ्र ही इस विधान-परिषद् के कट्टर समर्थक बन जायेंगे और उनके द्वारा इनके लाखों अनुयायियों को भी यह बोध हो जायगा कि उनके हित भी उसी तरह सुरक्षित रहेंगे जैसे और अधिक सुविधा प्राप्त वर्गों के। मुझे आशा है कि आदिवासी भी, जो अपने को इस देश का मौलिक स्वामी समझते हैं

यह जान जायेंगे कि इस परिषद् में जाति और धर्म का, प्राचीन और नवीन का कोई भेद-भाव नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस देश का छोटे से छोटा अल्प-संख्यक सम्प्रदाय भी, उसे चाहे जिस रूप में यहां प्रतिनिधित्व मिला हो, यह अनुभव करेगा कि उनके हितों की रखवाली वाला एक ऐसा सतर्क और स्नेह-परायण संरक्षक है. जो कभी भी ऐसा न होने देगा कि सुविधा प्राप्त सम्प्रदाय उनके जन्मजात अधिकारों को समानता और सम अवसर के अधिकारों को रत्ती-भर भी दबा सकें। मुझे आशा है कि देशी नरेश भी, जिन में बहुतों को मैं अपना मित्र मानती हूं, जो आज चिन्ता, अस्थिरता अथवा भय में पड़े हैं, यह समझ जायंगे कि भारत का विधान ऐसा विधान होगा, जो प्रत्येक भारतीय को चाहे राजा हो या रंक सबको स्वतंत्रता और मुक्ति प्रदान करेगा। मैं चाहती हूं कि सभी लोग इसे समझें, सभी इसका विश्वास करें और ऐसी समझ और ऐसा विश्वास उत्पन्न कराने का सर्वोत्तम माध्यम है राजेन्द्र बाबू की संरक्षकता और उनका तत्वावधान। मुझे बोलने के लिए कहा गया है पर कितनी देर तक ? मैं समझती हूं कि मुझे निश्चय ही इस पुरानी कहावत का खंडन करना चाहिए कि "औरत अन्त में बोलती है और बहुत ज्यादा बोलती है"। मैं अन्त में तो बोल रही हूं पर इसलिए नहीं कि मैं औरत हूं बल्कि इसलिए कि आज मैं भारतीय राष्ट्रीय महासभा की मेजबान (यजमान) हूं और महासभा ने प्रसन्नता-पूर्वक इन अतिथियों को जो सभा के सदस्य नहीं है, विधान बनाने में हमारा साथ देने के लिए आमंत्रित किया है और यह विधान भारतीय स्वतंत्रता का अमर विधान होगा।

मित्रो, मैं राजेन्द्र प्रसाद की प्रशंसा नहीं करती और न उनकी सिफ़ारिश ही करती हूं। मैं तो यह जोर देकर कहती हूं कि वे आज भारतीय भाग्य के, उसके लक्ष्य के प्रतीक हैं। वह हमें विधान बनाने में सहायता देंगे और ऐसा विधान बनाने में जो हमारी मातृ-भूमि को आज भी श्रृंखला में बद्ध भारत-भूमि को उसका उचित स्थान दिलायेगा और उसके हाथ में शान्ति, स्नेह और स्वातंत्र्य का प्रदीप दे उसे संसार का पथ-प्रदर्शक बनायेगा।

बर्फानी छतों और समुद्री दीवारों के चिर प्राचीन अपने भवन में खड़ी होकर हमारी भारत-भूमि मानव इतिहास में फिर एक बार ज्ञान और प्रेरणा का दीपक जलाकर संसार के स्वातंत्र्य पथ को आलोकित करेगी। इस तरह पुनः उसे अपनी संतति का गौरव और संतति को अपनी माता का गौरव प्राप्त होगा।

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): माननीय सदस्यो, अन्तिम वक्ता ने यह कह कर कि बहैसियत औरत के अन्त में बोलने का अधिकार उन्हें है, मेरा बोलना ही

[सभापति]

रोक दिया, पर आप में से बहुतेरे जो कानूनदां हैं, यह जानते हैं कि आखिरी बात आखिर आखिरी बात है।

मैं आप लोगों को ज्यादा देर तक नहीं रोके रखूंगा। अगर मैं चाहूं तो कल सुबह तक आपको रोके रख सकता हूं, क्योंकि इस महती सभा में जो लोग अभी यहां मौजूद हैं, उनमें मैं ही एक नाम का ऐसा व्यक्ति हूं, जिसे डा० राजेन्द्र प्रसाद को गत ४४ वर्षों से घनिष्ठ रूप से जानने की सबसे ज्यादा सुविधा प्राप्त है। मैं उन्हें उस समय से जानता हूं जब उन्होंने सन् १९०२ में कलकत्ता विश्वविद्यालय की, जिसका विस्तार उन दिनों आसाम से पंजाब और सीमाप्रांत तक था, मैट्रीकुलेशन परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मुझे याद है कि उन्होंने जब मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान पाया था तो मैंने "हिन्दुस्तान रिव्यू" में जिसका तब मैं संचालक था और आज भी हूं इस आशय का एक नोट लिखा था कि राजेन्द्र प्रसाद सरीखे प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति को कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है। मैंने कहा था कि हम लोग इस बात की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वे एक दिन भारतीय राष्ट्रीय महासभा के सभापति बनेंगे और सभापति का भाषण पढ़ते समय जैसा कि गतवर्ष लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में सर नारायण चन्द्रावरकर के साथ हुआ इन्हें भी वायसराय से पत्र मिलेगा, जिसमें उन्हें हाई कोर्ट की जजी देने की बात लिखी होगी। इनके सम्बन्ध में उस समय मैंने यह भविष्यवाणी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय महासभा के एकाधिक-बार सभापति तो हुए पर हाई कोर्ट का जज न होकर इन्होंने मुझे अवश्य ही बहुत निराश किया है। भला मैं क्यों इतना चिंतित था कि वे हाई कोर्ट के जज बनें? यह इसलिए कि उस पद पर पहुँच कर ये अपनी स्वतंत्र न्याय-बुद्धि और तीव्र आलोचना से ब्रिटिश नौकर शाही के प्रबंध विभाग को ठीक कर देते। परन्तु यदि डा० राजेन्द्र प्रसाद हाई कोर्ट के जज नहीं हुए तो भारतीय विधान-परिषद के स्थायी सभापति तो निर्वाचित हुए। आज मुझे इस बात का गौरव है और मेरे जीवन का यह महत्तम गौरव है कि मैं उन्हें विधान-परिषद का प्रथम भारतीय सभापति कह कर सभापति के आसन पर आसीन करता हूं (जिसको आयोग्यता पूर्वक कई दिनों तक मैं सम्भाले रहा)। (हर्षध्वनि) अब मैं सभापति का आसन खाली करता हूं और इस महती सभा की ओर से डा० राजेन्द्र प्रसाद से अनुरोध करूंगा कि वे आकर इसे सुशोभित करें। वे सर्वथा इसके योग्य हैं।

(इनकलाब जिन्दावाद, राजेन्द्र बाबू जिन्दावाद की ध्वनि)

(इसके बाद अस्थायी सभापति डा० सच्चिदानन्द सिनहा ने सभापति का आसन खाली किया और । हर्षध्वनि के बीच माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद ने सभापति का आसन ग्रहण किया)।

आचार्य जे० बी० कृपलानी (सयुँक्तप्रांत: जनरल): सभापति महोदय, अंग्रेजी में इतनी वक्तृताएं हुई हैं कि यह जरुरी है कि मैं जो कुछ बोलूँ वह हिन्दी में ही बोलूँ। मैंने हिन्दुस्तानी ही में डा० सिनहा को इस सभा के अस्थायी सभापति होने की दावत दी थी और यह ठीक होगा कि आपकी तरफ से मैं डा० सिनहा को मुबारकबाद दूँ जिन्होंने इस खूबी से अपने काम को पूरा किया है। हम लोग नहीं समझते थे कि सचमुच आप हम सब लोगों से उम्र में बड़े हैं। मैं यह कहूंगा कि मैं डा० सिनहा साहब से उम्र में बहुत कम हूं, लेकिन फिर भी मुझको अपने केशों पर अभिमान है। मैं देखता हूं उनके केश मुझ से ज्यादा काले हैं और जिस बुलंद आवाज से आपने हमलोगों को अपनी जगह पर बिठाया और 'आर्डर, आर्डर, कहा, इससे तो कभी नहीं मालूम पड़ता कि आप हम लोगों से उम्र में भी बड़े हैं। और फिर आप उस जोश से जिसको जवानी का जोश समझना चाहिए, कभी-कभी हम लोगों के संशोधन को भी खतम कर देते थे। एक संशोधन पर आपने कहा "मुझे आशा है आप विवेक से काम लेंगे"। यदि हम लोग इसके बाद कुछ कहते तो हमारी विवेकबुद्धि पर उन्हें संदेह होता और इसीलिए हमें चुप होकर बैठना पड़ा। आप इस तरह अपने काम को खूबी से अंजाम देते रहे और इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि जिस रसिकता के साथ आपने यह काम निबाहा है उसी रसिकता से आप हम लोगों के साथ आकर बैठेंगे और इस काम में हम लोगों का साथ देंगे।

सभापति (मा० डा० राजेन्द्र प्रसाद): बहनो और भाइयो, मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे माफ करेंगे और बुरा न मानेंगे, अगर मैं यह कहूं कि इस वक्त इस भार से मैं अपने को दबा हुआ महसूस कर रहा हूं, जो आपने मुझे इस ऊँचे पद पर चुन करके मेरे कन्धों पर डाला है। आपने मुझे इस पद पर चुनकर एक इतनी बड़ी इज्जत दी है, जो हिन्दुस्तान के किसी भी आदमी के लिए सबसे बड़ी इज्जत हो सकती है। अगर आप माफ करें तो मैं यह भी कहूंगा कि इस देश में जहां जाति-पांति के इतने झगड़े फैले रहते हैं, आपने हमको चुनकर अपनी जाति

[सभापति]

से एक तरह बाहर कर दिया है और अपनी जात-पांत में बैठने से मुझे वंचित करके एक अलग दूसरी जगह, दूसरे किस्म की कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर किया है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने मुझे अपने से अलग हटा दिया है, बल्कि शायद आप में से हर एक यह भी उम्मीद रखेगा कि इस सभा के कार्यों में मैं कोई ऐसा काम न करूं जिससे यह बात जाहिर हो कि मैं किसी एक दल का आदमी हूं या किसी एक फिरके का आदमी हूं। आप यह आशा रखेंगे कि यहां जो कुछ मैं करूं वह आप में से हर एक के खिदमतगार की हैसियत से करूं, हर एक के सेवक के रूप में करूं। मेरी कोशिश भी यही होगी कि मैं इस पद को जो आपने मुझे दिया है, ऐसे तरीके से निबाहूं कि आज जिस तरह आपमें से बहुतेरे भाइयों ने और मेरी बड़ी बहन ने मुझे मुबारकबाद दिया है। इससे भी और ज्यादा खुशी आप उस दिन जाहिर करें जिस दिन मुझे यहां से हटना पड़े। मैं जानता हूं कि मेरे रास्ते में बड़ी कठिनाइयां हैं। बहुत मुश्किलें हैं। इस विधान-परिषद का काम बहुत मुश्किल है। इसके सामने तरह-तरह के सवाल दरपेश होंगे। ऐसी-ऐसी बातें आयेंगी जिनके बारे में फैसला करना किसी के लिये आसान नहीं होगा, मेरे लिये तो हरगिज आसान न होगा। मगर मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि हमें इस काम में हमेशा आपकी मदद मिलती रहेगी। आपने जिस उदारता और फैय्याजी के साथ मुझे चुनकर यहां बिठाया है, उसी उदारता और फैय्याजी के साथ मेरी मदद करते रहेंगे।

मा री विधा रिषद का यह जल्सा बड़े कठिन समय में हो रहा है। हम यह मा ते हैं कि इस तरह की दिक्कतें, और-और विधान-परिषदों के सामने, जहां-जहां वह हुई हैं, रही हैं। वहां भी आपस में मतभेद रहे हैं और इन मत भेदों को जोरों के साथ विधान-परिषद के सामने पेश भी किया गया है। हम यह भी जानते हैं कि बहुत सी विधान-परिषदें लड़ाई-झगड़ा और खूँरेजी के बीच हुई हैं और उनकी बहुत सी कार्रवाइयां भी झगड़े और फसाद के बीच हुई हैं। मगर बावजूद इन दिक्कतों के इन परिषदों ने अपना काम पूरा किया और उस जमाने में जो इसके सदस्य हुआ करते थे उन्होंने हिम्मत, सद्भावना, फैय्याजी और रवादारी से एक दूसरे के विचारों को सामने रखते हुए आपस में मिलकर इस तरह के विधान तैयार किये हैं, जिन्हें उन देशों के सभी लोगों ने समय पाकर मंजूर किया है। आज बहुत दिनों के बीत जाने के बाद भी उन देशों के लोग इन विधानों को अपने लिए एक

बड़ी कीमती चीज़ मानते हैं। कोई कारण नहीं कि हमारी यह विधान-परिषद् भी बावजूद इन कठिनाइयों के जो हमारे सामने हैं, अपने काम को उसी ख़ूबी के साथ, उसी सफलता के साथ अंजाम न दे। चाहिए हममें सचाई, चाहिए हममें एक दूसरे के ख्याल के लिए अपने दिल में इज्ज़त और हुरमत। चाहिए हमको वह ताक़त कि हम दूसरे की बातों को सिर्फ समझ ही न सकें, बल्कि जहां तक हो सके उनके दिलों में घुस कर उनको खुद अनुभव कर सकें, महसूस कर सकें और इस तरह से काम कर सकें कि जिसमें कोई यह न समझे उसकी उपेक्षा की गयी या उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर ऐसा हो, अगर हममें स्वयं ऐसी शक्ति आ जाय तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि बावजूद इन कठिनाइयों के और सब मुश्किलों के हम अपने काम में पूरी तरह से कामयाब होकर रहेंगे।

मैं यह जानता हूँ कि इस परिषद् की पैदाइश तरह-तरह के प्रतिबंधों के साथ हुई है। बहुत से प्रतिबंध तो ऐसे हैं कि मुमकिन है, उन्हें अपने कार्यवाही के सिलसिले में हमें याद भी रखना पड़े। मगर साथ ही मैं यह भी जानता हूँ कि इस विधान-परिषद् को पूरा अधिकार, मुकम्मिल अख्तियार इस बात का है कि वह अपनी कार्रवाई जिस तरीके से चाहे करे। इसके अन्दर वह जो कुछ करना चाहे करे। किसी भी बाहरी ताकत को अख्तियार नहीं है कि इसकी कार्रवाई में वह कुछ भी हस्तक्षेप या दस्तन्दाज़ी कर सके। इतना ही नहीं, मैं यह भी मानता हूँ कि जो पाबन्दियां इसको जन्म के साथ मिली हैं उनको तोड़ देने और उनको खत्म कर देने का अख्तियार भी इस एसेम्बली को है। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इन बंधनों से बाहर निकलकर एक ऐसा विधान, एक ऐसा कायदा अपने देश के लिए तैयार करें, जिससे इस देश के हर एक स्त्री-पुरुष को यह मालूम हो जाय कि चाहे वह किसी भी मज़हब का क्यों न हो, किसी भी प्रान्त का क्यों न हो, किसी भी विचार का क्यों न हो, उसके सभी अधिकार सदा सब तरह से सुरक्षित हैं। अगर हमारी एसेम्बली में इस तरह का प्रयत्न किया गया और उसमें हमें सफलता मिली, तो मैं यह भी मानता हूं कि संसार के इतिहास में यह एक इतना बड़ा काम होगा, जिसके मुकाबिले की दूसरी मिसालें कम मिल सकती हैं।

यह भी याद रखने की चीज है और हम जो यहां आज बैठे हुए हैं, इस बात को एक लहमे के लिए भी नहीं भूल सकते हैं कि आज इस जल्से के अन्दर बहुत

[सभापति]

सी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। और चूँकि मुस्लिम लीग के हमारे भाई इस जल्से में आज शामिल नहीं हैं, हमारी जवाबदेही और हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमको हर कदम पर यह सोचना होगा कि अगर वह यहां हाजिर होते तो वे क्या कहते, क्या सोचते और क्या करते। इन सब बातों पर ध्यान रखकर इनें सारी कार्रवाई को चलाना होगा। साथ ही हम यह भी उम्मीद रखेंगे कि वे जल्दी ही आकर इन कुर्सियों पर बैठेंगे और मुल्क को आज़ाद करने में तथा आज़ादी का कायदा तैयार करने में अपनी जगह लेंगे और सबके साथ मिलकर इसे आगे बढ़ायेंगे। पर अगर हमारी बदकिस्मती से यह जगह खाली रहे तो हमारा यह फर्ज होगा, हमारा यह काम होगा कि हम ऐसा विधान तैयार करें, जिसमें किसी को किसी तरह की शिकायत की गुंजाइश न रहे।

स्वराज्य हासिल करने की हमारी लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है और आज यह एसेम्बली, मैं समझता हूं कि तीन शक्तियों के कारण से पैदा हुई है। पहली चीज़ है, हमारे देश के लोगों की जानें जो कुर्बान हुई हैं। आज तक हमारे कितने ही स्त्रियों और पुरुषों ने अपनी जान देकर, अपने ऊपर हर तरह की मुसीबत और तकलीफ़ उठाकर, हर तरह का त्याग और तपस्या करके यह हालत पैदा की है और फिर इस एसेम्बली के पैदा करने में ब्रिटिश जाति का इतिहास, उनका अपना स्वार्थ और उनकी फैय्याजी सबने मिलकर मदद की है। उसके अलावा आदमियत रखने वाली दुनिया की कार्रवाइयां, दुनिया का वातावरण और दुनिया की उठती हुई शक्तियां इन्होंने भी इस विधान-परिषद को पैदा करने में कम हिस्सा नहीं लिया है। ये तीनों शक्तियां हमारा काम होते-होते अपना काम भी करती रहेंगी और हो सकता है कि उनमें से कुछ एक तरफ खींचे और कुछ दूसरी तरफ खींचे। मगर मेरा विश्वास है कि अन्त में हम सफल होकर रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें दूरदर्शिता दे, ताकि हम एक दूसरे के दिल को शुद्ध करें और मिल करके हिन्दुस्तान को आज़ाद कर सकें।

जिन भाइयों और बहनों ने मुझे मुबारिकवाद दिया है उनसे मैं क्या कहूं? मैं शर्म से नीचे गड़ा जाता था और महसूस करता था कि चन्द मिनटों के लिए अगर मैं यहां नहीं रहता तो बेहतर होता। खासकर मैं डा० सिनहा का शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूं कि उस वक्त तक उन्होंने अपनी सदारत जारी रखी और

मुझ पर यह भार नहीं डाला कि मैं भाइयों से कहूं कि वे मेरी तारीफ करें। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं और यह विशवस दिलाना चाहता हूं कि आइन्दा की कार्रवाई में जो कुछ शक्ति ईश्वर ने मुझे दी है और जो कुछ थोड़ी बुद्धि मुझे मिली है और जो कुछ संसार का थोड़ा-बहुत तजुर्बा मुझे हासिल हुआ है, वह सब आपकी सेवा में अर्पित रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी ओर से जो कुछ मदद हमें दे सकते हैं, देते रहेंगे।

*मित्रो, उन लोगों के लाभ के लिए जिन्होंने मेरी हिन्दी वक्तृता न समझी हो, मैं चन्द शब्द अंग्रेजी में भी बोल देना चाहता हूं। माननीय सदस्यो, आप इसे मेरी अशिष्टता न समझें यदि मैं आपसे निवेदन करूँ कि इस अवसर पर आपने जो महान सम्मान मुझे दिया है, उससे प्रसन्न होने की अपेक्षा मैं अपने को इस दायित्व-भार से दबा हुआ अनुभव करता हूं, जो आपने मेरे कन्धों पर डाला है। मैं मानता हूं कि इस महती सभा ने मुझे सबसे बड़ा सम्मान दिया है, जो यह किसी भी भारतीय को दे सकती है। मैं इस सम्मान को बहुमूल्य समझता हूँ और इसके लिए आपका आभारी हूं। यह बात में केवल शिष्टाचार के नाते नहीं कह रहा हूं।

आपके आदेश से मैं यह भार ग्रहण कर रहा हूं और इसके निर्वाह में जो-जो कठिनाइयां आयेंगी उन्हें मैं समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि विधान-परिषद के कार्य-संचालन में तरह-तरह की कठिनाइयां आयेंगी, पर मुझे इस बात का भी विश्वास है कि अपना फर्ज अदा करने में मुझे आपका पूरा सहयोग मिलेगा और आप उसी उदारता से काम लेंगे, जिससे आपने मुझे यह महान सम्मान दिया है। बड़ी कठिन स्थिति में हमारी विधान-परिषद समवेत हो रही है। इस अभागे देश में आज कई जगह लड़ाई-झगड़े के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। परन्तु दूसरे देशों ने जब विधान-परिषदों का निर्माण किया और उन्हें विधान बनाने को कहा, तो उन्हें भी इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस बात से हमें आश्वासन मिलना चाहिए कि इन कठिनाइयों के बावजूद भी, उन मतभेदों के बावजूद भी जो उग्र रूप धारण किये और कभी-कभी लड़ाई-झगड़ों में बदल गये, परिषदों को विधान बनाने में कामयाबी हासिल हुई और उन विधानों को अंत में वहां की जनता ने स्वीकार किया और समय पाकर वे विधन उन देशों के निवासियों के लिए कीमती बसारस साबित हुए।

कोई कारण नहीं कि हम भी उसी तरह सफल न हों। जरूरत है केवल हममें

[सभापति]

सच्चाई की, दृढ़ता की और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की इच्छा की। हममें यह भावना जरूरी है कि हम सबके साथ न्याय करेंगे, सबके साथ यथासम्भव समानता का, सौजन्य का व्यवहार करेंगे। यदि हममें ऐसी इच्छाशक्ति, ऐसी भावना हो तो कोई कारण नहीं कि हम मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय न पायें। मैं जानता हूं कि इस विधान-परिषद पर प्रारम्भ से ही कई प्रतिबंध लगा दिये गये हैं। अपनी कार्रवाई में और किसी फ़ैसले पर पहुँचने में हमें उन प्रतिबंधों को न भूलना होगा और न उनकी उपेक्षा ही करनी होगी। पर साथ ही मैं यह भी जानता हूं कि उन प्रतिबंधों के बावजूद भी यह परिषद स्वतंत्र, सत्ता सम्पन्न संस्था है; इसे अपना शासन-विधान बनाने की पूरी आजादी है और कोई भी बाहरी शक्ति इसके काम में न हस्तक्षेप ही कर सकती है और न इसके निर्णय को पलट सकती है। वस्तुतः इस परिषद् को इस बात का अधिकार है कि वह उन प्रतिबंधों को हटा दे जो इस पर प्रारम्भ से ही लगा दिये गये हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई और बहन जो स्वतंत्र भारत का शासन-विधान बनाने के लिये यहां समवेत हुये हैं, वे इन प्रतिबंधों को हटाने में समर्थ होंगे और दुनिया के सामने एक ऐसा आदर्श विधान पेश कर सकेंगे, जो इस विशाल देश के सभी वर्गों को, सभी सम्प्रदायों को और सभी मतों के मानने वालों की आकांक्षा पूर्ण कर सकेगा; जिससे सभी नागरिकों को हर तरह की आजादी — काम करने की, विचार व्यक्त करने की, इच्छानुसार और मनानुसरण पूजा करने की आजादी—और उन्नति प्राप्त करने के अवसर मिल सकें।

मुझे आशा है और विश्वास है कि और परिषदों की तरह यह परिषद भी समय पाकर शक्तिसम्पन्न बनेगी। जब ऐसे संगठन काम में लगते हैं, तो उन्हें गति मिल जाती है और ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं, शक्ति संचय करते जाते हैं, जिससे राह में आने वाली समस्त दुर्दमनीय बाधाओं पर भी उन्हें विजय मिलती है। परमात्मा से प्रार्थना है कि यह परिषद भी अपनी गति के साथ-साथ अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करती जाय।

मुझे दुख है कि आज सभा में बहुत सी कुर्सियां खाली दिखाई पड रही हैं। आशा करता हूं कि मुस्लिम लीग के बन्धु भी शीघ्र ही यहां अपना स्थान ग्रहण कर देशवासियों के लिए विधान बनाने के काम में प्रसन्नतापूर्वक भाग लेंगे और

विधान निर्माण करेंगे, जो ऐसा संसार के अनुभव के आधार पर, हमारे अनुभवों के आधार पर, हमारी अवस्था के आधार पर हर नागरिक को हर तरह का वांछनीय आश्वासन दे सके, जो हर नागरिक को सन्तोप प्रदान करने की गारन्टी करे और जिसमें किसी को कोई शिकायत की गुंजाइश न रहे। मेरी यह भी आशा है कि आप सब इस महान लक्ष्य की प्राप्ति की पूरी चेष्टा करेंगे।

हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, स्वतंत्रता। किसी ने ठीक कहा है "आज़ाद रहने की आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ है"। आइए हम सब इस बात की प्रार्थना करें कि इस विधान-परिपद का श्रम सार्थक हो और इससे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो ऐसी स्वतंत्रता जिसका हमें अभिमान हो सके।

कार्य संचालन के लिए नियम-निर्मातृ-समिति का निर्वाचन

*सभापति : इससे आज का हमारा काम समाप्त हुआ, पर मैं सदस्यों से कहूंगा कि वे थोड़ी देर और ठहरने का कष्ट करें। आपको याद होगा कि कल हमने एक नियम-निर्मातृ-समिति बनाना तय किया था और इसके सदस्यों की नामज़दगी के लिए १२ बजे तक का वक्त तय किया था। हमें १५ सदस्य चुनने हैं। मैं देखता हूं कि केवल १५ सदस्य ही नामजद किये गये हैं। इससे अब बैलट द्वारा चुनाव करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मैं निम्न लिखित १५ सदस्यों को, जिनके नाम प्रस्तावित हुये हैं, निर्वाचित घोषित करता हूं :—

१. माननीय श्री जगजीवन राम
२. श्री शरतचंद्र बोस
३. श्री एफ० आर० एन्थॉनी
४. दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर
५. श्री बख्शी सर टेकचंद
६. माननीय श्री रफीअहमद किदवई
७. श्रीमती जी० दुर्गाबाई
८. डा० जोसफ आलूबन डी० सौजा
९. माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर
१०. माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन
११. माननीय श्रीयुत गोपीनाथ बारदोलोई
१२. श्री डा० बी० पट्टाभि सीतारमैया

[सभापति]

१३. श्री के० एम० मुंशी

१४. माननीय श्री मेहरचंद खन्ना

१५. सरदार हरनाम सिंह

ये लोग नियम-निर्मातृ-समिति में नियमानुसार निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

एक काम और है। पहले दिन डा० सिनहा ने सदस्यों की सुविधा और समय बचाने के ख्याल से सदस्यों के साथ हाथ मिलाने की रस्म को बन्द कर दिया था। आपके सभा स्थान छोड़ने के पहले मैं प्रत्येक सदस्य से मिलना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इनमें बहुतेरे ऐसे हैं जिन्हें अरसे से जानने का मुझे सौभाग्य है। बहुतेरे ऐसे हैं जिनके साथ मेरा घनिष्ट सम्पर्क तो नहीं है, पर उनको मैं पहचानता हूं, कुछ के नाम भी याद हैं। परन्तु कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें मैं नहीं जानता और आज उनका परिचय पाना चाहता हूं यदि आपको कष्ट न हो तो यह भी काम पूरा कर लिया जाय।

इसके बाद सभा बरखास्त हो जायगी और कल प्रातः ११ बजे तक स्थगित रहेगी।

(तब सभापति ने सभा भवन में घूमकर सभी उपस्थित सदस्यों से हाथ मिलाया)

इसके बाद सभा मंगलवार ता० १२ दिसम्बर सन् १९४६ ई० के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———:०:———

CON S L A 46
1000

अंक १
संख्या ४

बृहस्पतिवार,
१२ दिसम्बर
सन् १९४६ ई०

भारतीय विधान-परिषद

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

विषय-सूची

(मूल्य ४ आने)

भारतीय विधान-परिषद

बृहस्पतिवार १२ दिसम्बर, सन् १९४६ ई०

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कान्स्टीट्यूशन हॉल नई दिल्ली में प्रातः ११ बजे माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई।

*<u>सभापति</u> : जिन सदस्यों ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर न किये हों, वह इस समय हस्ताक्षर कर सकते हैं। (कोई आगे नहीं आया)

मालूम होता है कि ऐसा कोई सदस्य नहीं रह गया है जिसने हस्ताक्षर न किया हो। अब हम दूसरा मुद्दा लेते हैं, यह है पंडित जवाहर लाल नेहरू का प्रस्ताव। मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनका ख्याल है कि इस आवश्यक प्रस्ताव पर विचार करने का उन्हें काफी समय नहीं मिला है। इसमें शक नहीं कि प्रस्ताव महत्वपूर्ण है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी सदस्य यह समझे कि उसे इस पर पूरी तरह से विचार करने का समय नहीं मिला। यदि सभा की राय हो, तो कल तक के लिये इस पर वाद-विवाद मैं स्थगित कर द ।

*<u>कई सदस्य</u> : हां।

*<u>सभापति</u> : और फिर इस सम्बंध में एक और बात है जिस पर मैं सभा की राय चाहूंगा। नियम-निर्मातृ-समिति के सदस्यों को बैठ कर नियम बनाने हैं जिन्हें वे हमारे सामने पेश करेंगे। विधान-परिषद् की साधारण बैठक के अलावा भी उन्हें समय मिलना चाहिये। यदि आप सहमत हों तो सभा स्थगित होने के बाद उक्त समिति की बैठक प्रारम्भ हो जाय और इस तरह यथासम्भव अधिक काम हम कर सकें। पर यदि समिति अपना काम समाप्त न कर पाये तो उसे कल पुनः बैठना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि सभा अपनी बैठक प्रातः ११ बजे प्रारम्भ करना चाहेगी या दोपहर बाद। मेरी तो राय है कि सभा की एक ही बैठक हो चाहे प्रातः या दोपहर को, ताकि नियम-निर्मातृ-समिति दिन के एक भाग में अपनी बैठक कर सके। यदि सभा चाहती है कि उसकी बैठक प्रातः काल हो तो हम लोग सवेरे समवेत हों।

---

* इस संकेत का अर्थ है कि यह अंगरेज़ी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

*कुछ सदस्य : हम लोग प्रातःकालीन बैठक चाहते हैं।

*कुछ सदस्य : दोपहर में बैठक हो।

*सभापति : इस सम्बंध में किसी निर्णय पर पहुँचना, मुझे डर है, मेरे लिए मुश्किल है। मैं सदस्यों को कष्ट दूंगा कि वे हाथ उठा कर अपनी राय जाहिर करें। जो सबेरे की बैठक चाहते हैं वे हाथ उठायें।

(प्रातःकालीन बैठक के पक्ष में अधिकतर सदस्यों ने हाथ उठाये)

जान पड़ता है बहुसंख्यक सदस्य सवेरे की बैठक चाहते हैं। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए हमारी बैठक कल प्रातः ११ बजे होगी और यदि जरूरी हुआ तो नियम-निर्मातृ-समिति की बैठक दोपहर बाद होगी। यदि सदस्यों को प्रस्ताव पर संशोधन पेश करने हैं तो वे कृपया दिन में अपना संशोधन मंत्री को दे दें। हम कल इस पर बहस शुरू करेंगे। मंत्री इस बात के लिए प्रयत्नशील रहें कि प्राप्त संशोधनों को वे यथा सम्भव सभी सदस्यों को पहुँचा दें।

*एक सदस्य : क्या हम शनिवार को बैठ रहे हैं?

*सभापति : मेरा ख्याल है, हम लोग शनिवार को समवेत होंगे। यह मेरा विचार है पर यह प्रश्न सभा के आधीन है। मैं समझता हूं कि हम लोग शनिवार को भी बैठेंगे।

*माननीय पं० हृदयनाथ कुंजरू (संयुक्त प्रांत : जनरल) : मैं समझता हूं कि शनिवार को हमारी बैठक न होनी चाहिए। एक दिन का हमें अवकाश लेना चाहिए, ताकि उपस्थित समस्याओं पर हम शान्तिपूर्वक विचार कर सकें।

*श्री श्रीप्रकाश (संयुक्तप्रान्त : जनरल) : मेरे ख्याल में हर रविवार को अवकाश रहना चाहिए और पं० हृदयनाथ कुंजरू को शान्ति पूर्वक विचार करने के लिए यह काफी है।

*सभापति : इस पर हम कल विचार करेंगे। जहां तक इस सभा का प्रश्न है, हमें इसे कल प्रातः ११ बजे तक स्थगित कर देना चाहिये, पर मैं चाहूंगा कि नियम-निर्मातृ-समिति के सदस्य आध घन्टा बाद बैठें। इसी बीच में हम यह तय कर लेंगे कि वे किस-किस कमरे में बैठेंगे।

सभा कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

*डा० सर हरीसिंह गौड़ (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल) : मेरी समझ में यह बहुत लाभप्रद होगा, यदि प्रस्तावक महोदय अपना प्रस्ताव उपस्थित कर अपना विचार व्यक्त करदें, ताकि सदस्यों को उसका पूरा तात्पर्य मिल जाय और तदनुसार वे उस पर संशोधन पेश कर सकें, जिन पर कल या परसों विचार किया जा सके।

*श्री सत्यनारायण सिनहा : (बिहार : जनरल) : सभा तो स्थगित कर दी गयी है

*सभापति : सर हरीसिंह गौड़ का सुझाव है कि प्रस्तावक अपना प्रस्ताव उपस्थित कर भाषण से अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर दें, ताकि सदस्यों को वह मालूम हो जाय और प्रस्ताव पर कल बहस की जा सके। मैंने स्वयं पहले ऐसा ही सोचा था, पर बाद में मैंने समझा कि सदस्य कल सारी बातों पर विचार करना चाहते हैं।

*कुछ सदस्य : कल।

*सभापति : इस पर कुछ मतभेद मालूम पड़ता है और मैं इस पर मत लेना नहीं चाहता। विशेषतः इसलिये कि मैं सभा को स्थगित घोषित कर चुका हूं। अब सभा कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित है।

इसके बाद सभा शुक्रवार १३ दिसम्बर, सन् १९४६ ई० के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अंक १
संख्या ५

शुक्रवार
१३ दिसम्बर
सन् १९४६ ई०

भारतीय विधान-परिषद

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

——: ० :——

विषय-सूची

(मूल्य ४ आने)

भारतीय विधान-परिषद्

शुक्रवार, १३ दिसम्बर सन् १६४६ ई०

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक, कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रात: ११ बजे प्रारम्भ हुई । चेयरमैन (माननीय डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद) ने सभापति का आसन ग्रहण किया था।

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव

*सभापति : पं० जवाहरलाल नेहरू अब वह प्रस्ताव पेश करेंगे जो उनके नाम से है।

माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू (यू० पी० : जनरल) : साहबे सदर, कई दिनों से यह कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली (Constituent Assembly) अपनी कार्यवाही कर रही है। अभी तक कुछ जाब्ते की कार्यवाही हुई है और अभी और जाब्ते की कार्यवाही बाकी है। हम अपना रास्ता साफ कर रहे हैं ताकि आइन्दा उस साफ जमीन पर विधान की इमारत खड़ी करें। यह जरूरी काम था लेकिन मुनासिब है कि कब्ल इसके कि हम और आगे बढ़ें इस बात को साफ कर दें कि हम किधर जाना चाहते हैं, हम देखते किधर हैं और कैसी इमारत हम खड़ी करना चाहते हैं। जाहिर है कि ऐसे मौकों पर किसी तफसील में जाना मुनासिब नहीं होगा। वह तो आप बहुत गौर करके इस इमारत की एक-एक ईंट और पत्थर लगायेंगे। लेकिन जब कोई इमारत बनाई जाती है तो उसके पहले कुछ-कुछ नक्शा दिमाग में मौजूद होता है और ईंट-पत्थर जमा किये जाते हैं। हमारे दिमागों में एक जमाने से आज़ाद हिन्दुस्तान के तरह-तरह के नक्शे रहे हैं। लेकिन अब जब कि हम इस कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली का काम शुरू कर रहे हैं तो मुझे यह जरूरी मालूम होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसको मंजूर करेंगे कि इस नक्शे को हम जरा ज्यादा जाब्ते से अपने सामने, हिन्दुस्तान के लोगों के सामने और दुनिया के लोगों के सामने रखें। चुनांचे जो रिजोल्यूशन (Resolution) मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वह इस तरह के एक मक्सद को साफ करने का, कुछ थोड़ा-सा नक्शा बतलाने का कि किधर हम देखते हैं, और किस रास्ते पर हम चलेंगे, मजमून का है।

आप जानते हैं कि यह जो कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली है, बिलकुल उस किस्म की नहीं है जैसा कि हममें से बहुत से लोग चाहते थे। खास हालत में यह पैदा हुई और इसके पैदा होने में अंग्रेजी हुकूमत का हाथ है। कुछ शरायत भी इसमें उन्होंने लगाई हैं। हमने बहुत गौर के बाद उस बयान को, जो कि इस कान्स्टीट्यूएंट असे-

---

*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू]

म्बली की बुनियाद-सा है, मंजूर किया है। हमारी कोशिश रही है और रहेगी कि जहां तक मुमकिन हो हम उसे उन हदों में चलायें, लेकिन इसके साथ आप याद रखें कि आखिर इस कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली के पीछे क्या ताकत है और किस चीज ने इसको बनाया है।

ऐसी चीजें हुकूमतों के बयानों से नहीं बनती हैं। हुकूमत के जो बयान होते हैं, वे किसी ताकत की और किसी मजबूरी की तरजुमानी करते हैं और अगर हम यहां मिले हैं तो हिन्दुस्तान के लोगों की ताकत से मिले हैं। जो बात हम करें, उसी दरजे तक कर सकते हैं, जितनी कि उसके पीछे हिन्दुस्तान के लोगों की ताकत और मंजूरी हो—कुल हिन्दुस्तान के लोगों की, किसी खास फिरके या किसी खास गिरोह की नहीं। चुनांचे हमारी निगाह हर वक्त हिन्दुस्तान के उन करोड़ों आदमियों की तरफ होगी और हम कोशिश करेंगे कि उनके जो जजबात हों उनका तर्जुमा हम इस विधान में करें। हमको अफसोस है कि इस असेम्बली के अक्सर मेम्बरान इसमें इस वक्त शरीक नहीं हैं। इससे हमारी एक मानी में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें ख्याल करना पड़ता है कि हम कोई बात ऐसी न करें जो औरों को तकलीफ पहुंचाये, या जो बिलकुल किसी उसूल के खिलाफ हो। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग शरीक नहीं हैं वे जल्द शरीक हो जायंगे और वे भी इस आईन के बनाने में पूरा हिस्सा लेंगे, क्योंकि आखिर यह आईन उतनी ही दूर तक जा सकता है जितनी ताकत उसके पीछे हो। हम चाहते हैं कि इससे हिंदुस्तान के सभी लोग सहमत हों और हमारी कोशिश यह रही है और रहेगी कि ऐसी चीज हम बनायें जो कसरत से हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों को मंजूर हो और उनके लिए मुफीद हो। उसके साथ यह भी जाहिर है कि जब कोई बड़ा मुल्क आगे बढ़ता है तो फिर चन्द लोगों के या किसी गिरोह के रोकने से वह रुक नहीं सकता। अगरचे यह असेम्बली, बावजूद इसके कि चन्द मेम्बर इसमें शरीक नहीं हैं, बैठी है, ताहम यह अपना काम जारी रखेगी और कोशिश करेगी कि बहर सूरत इस काम को जारी रखे।

यह जो रिजोल्यूशन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक घोषणा है, एक ऐलान है जो रिजोल्यूशन की शक्ल में है। काफी गौर और फिक्र से यह बनाया गया है। इसके अल्फाज पर ग़ौर किया गया है और कोशिश की गई है कि इसमें कोई ऐसी बात न हो जो खिलाफ समझी जाय और बहुत ज्यादा बहस तलब हो। यह तो जाहिर है कि एक बड़े मुल्क में बहस करने वाले ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कोशिश यही हुई है कि उसमें बहस-मुबाहिसे की बातें कम-से-कम हों। इसमें बुनियादी बातें हों, उसूल की बातें हों, जो कि एक मुल्क आमतौर से पसंद करता है और मंजूर करता है। मैं नहीं समझता कि इस रिजोल्यूशन में कोई ऐसी बात है जो कि अव्वलन इस ब्रिटिश केबिनेट के बयान की हद से बाहर हो, दोयम यह कि कोई भी हिन्दुस्तानी, चाहे वह किसी गिरोह में हो, उसको नामंजूर करे। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बहुत सारे इख्तलाफ हैं लेकिन इन बुनियादी उसूलों में, जो इनमें लिखे हैं, इक्के-दुक्के

आदमियों के अलावा कोई इख़तलाफ मैं नहीं जानता। इस रिजोल्यूशन का क्या बुनियादी उसूल है। वह यह है कि हिन्दुस्तान एक आज़ाद मुल्क हो—एक सोवरन रिपब्लिक (Sovereijn Republic) हो। रिपब्लिक लफ्ज का जिक्र हमने अभी तक जाहिर नहीं किया था, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान में और हो क्या सकता है। सिवा रिपब्लिक के कोई रास्ता नहीं है। इसकी एक ही शक्ल है कि हिन्दुस्तान में रिपब्लिक हो।

हिन्दुस्तान की जो रियासतें हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, मैं इस बात को साफ करना चाहता हूं। क्योंकि इस वक्त खास तौर से रियासतों के नुमाइन्दे इसमें शरीक नहीं हैं। यह भी तजवीज हुई है और शायद एक तरमीम की शक्ल में पेश भी हो कि चूंकि बाज लोग यहां मौजूद नहीं हैं, इसलिए यह रिजोल्यूशन मुलतवी कर दिया जाय। मेरा खयाल यह है कि यह तरमीम मुनासिब नहीं है। चूंकि पहली बात जो हमें करनी है और जो हमारे सामने है-दुनिया के सामने है-वह अगर हम न करेंगे तो हम बिलकुल एक बेजान चीज हो जायंगे और मुल्क हमारी बातों में दिलचस्पी नहीं रखेगा। लेकिन रियासतों का जो जिक्र किया गया है, उसके मुताल्लिक हमारा इरादा है और हम चाहते हैं और उसको समझना भी लाजिमी बात है कि हिन्दुस्तान का जो यूनियन बने उसमें हिन्दुस्तान के सब हिस्से खुशी से आयें। कैसे आयें, किस ढंग से आयें, उनके क्या अख्तियारात हों—ये तो उन सबों की खुशी पर है। प्रस्ताव में कोई तफसील नहीं है, सिर्फ बुनियादी बातें हैं। उसमें कुछ खुद-मुख्तार हिस्से हैं, उसकी कोई भी तफसील रिजोल्यूशन में नहीं है। लेकिन उसकी जो मौजूदा शक्ल है, उससे रियासतों के ऊपर कोई मजबूरी नहीं आती है। यह ग़ौर करने की बात है कि वह किस ढंग से आयंगे। रियासतों में अन्दरूनी हुकूमत कैसी हो इस बारे में मेरी अपनी एक राय है, लेकिन मैं उसको आपके सामने नहीं रखूंगा। सिवाय इसके कि जाहिर है कि किसी रियासत में वह काम नहीं हो सकता जो हमारे बुनियादी उसूलों के खिलाफ हो या जो और हिन्दुस्तान के हिस्सों के मुकाबले में आज़ादी कम करे। वहां किस शक्ल की हुकूमत हो, जैसे कि आजकल की तरह राजा-महाराजा या नवाब (हैं या नहीं)। इस रिजोल्यूशन को इस बात से मतलब नहीं है। यह वहां के लोगों से ताल्लुक रखता है। यह बहुत मुमकिन है कि राजाओं को अगर लोग चाहें तो रखें, क्योंकि इन बातों से उन्हीं का ताल्लुक है, फैसला वही लोग करेंगे। हमारी रिपब्लिक सारे हिन्दुस्तान के यूनियन की है और उसके अन्दर अलग किसी हिस्से में वहां के लोग अगर चाहें तो अपना अन्दरूनी इन्तजाम दूसरा करें।

इस रिजोल्यूशन में जो लिखा हुआ है मैं नहीं चाहता कि आप उसमें कमी या बेशी करें। मैं यह मुनासिब समझता हूं कि इस कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली में कोई ऐसी बात न हो जो मुनासिब नहीं हो और किसी वक्त में खास-तौर से वे, जिनका इन सवालों से ताल्लुक है और यहां मौजूद नहीं है, यह कहें कि इस असेम्बली में बेकायदा बातें हुई हैं। जहां तक इस रिजोल्यूशन का ताल्लुक है मैं चाहता हूं कि

[माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू]

आपकी खिदमत में उसे पेश कर दूं। एक तफ़सीली चीज की तरह नहीं, बल्कि इस तरह से कि हमें हिंदुस्तान को किस तरह पर ले जाना चाहिए। आप उसके अलफ़ाजों पर गौर करें और मैं समझता हूं कि आप उसे मंजूर करेंगे। लेकिन असल चीज यह है कि इस रिजोल्यूशन का क्या जज्बा है। कानून वगैरा लफ्जों से बनते हैं लेकिन यह उससे ज्यादा जरूरी चीज मालूम होती है। अगर आप उसके लफ्जों में एक कानूनदां की तरह जायंगे तो आप एक बेजान चीज पैदा कर सकते हैं। हम इस वक्त एक दरवाजे पर हैं, एक जमाना खत्म हो रहा है और एक नया जमाना शुरू होने वाला है। इस मौके पर हमें एक जानदार पैगाम हिन्दुस्तान को देना है और हिन्दुस्तान के बाहर भेजना है। उसके बाद हम अपने विधान और आईन को लफ्जों का ऐसा जामा पहनायेंगे जैसा मुनासिब समझेंगे। लेकिन इस वक्त एक पैगाम भेजना है और यह दिखाना है कि हम क्या करना चाहते हैं। इसलिए इस रिजोल्यूशन से, इस घोषणा से और इस ऐलान से हमें यह दिखाना है कि इससे क्या शक्ल और तस्वीर पैदा हो सकती है। यह इन्सानी दिमाग में जान पैदा करने वाली चीज है, कानूनी चीज नहीं है। लेकिन कानून भी जरूरी चीज है, जरूरी मामलों में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप साहेबान इस रिजोल्यूशन को मंजूर करेंगे और जिस शक्ल में चाहें मंजूर करेंगे। रिजोल्यूशन आपके सामने आया है और यह खास हैसियत रखता है। एक तरह से यह एक इकरारनामा-सा है, अपने साथी—अपने लाखों करोड़ों भाई-बहनों के साथ जो इस मुल्क में रहते हैं। अगर हम इसे मंजूर करते हैं तो यह एक तरह की प्रतिज्ञा या इकरार होगा कि हम इसको पूरा करेंगे। इस शक्ल में मैं इसको आपके सामने पेश करता हूं। आपके पास हिन्दुस्तानी में इस रिजोल्यूशन की नकलें मौजूद हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। चुनांचे मैं उनको नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मैं अंग्रेजी में उसको पढ़कर सुनाये देता हूं और कुछ और भी उसकी निस्बत अंग्रेजी जबान में कहूंगा।

भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा-पत्र

*यह विधान-परिषद् भारतवर्ष को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतन्त्र घोषित करने का दृढ़ और गम्भीर संकल्प प्रकट करती है और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिए एक विधान बनाया जाय।

जिसमें उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा जो आज ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के अन्तर्गत तथा इनके बाहर भी हैं और जो आगे स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हों।

और जिसमें उपर्युक्त सभी प्रदेशों को, जिनकी वर्त्तमान सीमा(चौहद्दी)चाहे कायम रहे या विधान-सभा और बाद में विधान के नियमानुसार बने या बदले, एक स्वाधीन इकाई या प्रदेश का दर्जा मिलेगा व रहेगा। उन्हें वे सब शेषाधिकार प्राप्त होंगे व रहेंगे जो संघ को

नहीं सौंपे जायंगे और वे शासन तथा प्रबंध सम्बन्धी सभी अधिकारों को बरतेंगे सिवाय उन अधिकारों और कामों के जो संघ को सौंपे जायंगे अथवा जो संघ में स्वभावतः निहित या समाविष्ट होंगे या जो उससे फलित होंगे।

और

जिसमें सर्वतंत्र स्वतंत्र भारत तथा उसके अंगभूत प्रदेशों और शासन के सभी अंगों की सारी शक्ति और सत्ता (अधिकार) जनता द्वारा प्राप्त होगी।

तथा

जिसमें भारत के सभी लोगों (जनता) को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अनुकूल, निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय के अधिकार, वैयक्तिक स्थिति व सुविधा की तथा मानवी समानता के अधिकार और विचारों की, विचारों को प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की, ईश्वरोपासना की, काम-धन्धे की, संघ बनाने व काम करने की स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे और माने जायंगे।

और

जिसमें सभी अल्प-संख्यकों के लिए, पिछड़े हुए व कबाइली प्रदेशों के लिए तथा दलित और पिछड़ी हुई जातियों के लिए काफी संरक्षण-विधि रहेगी।

और

जिसके द्वारा इस जनतंत्र के क्षेत्र की अक्षुण्णता (आन्तरिक एकता) रक्षित रहेगी और जल, थल और हवा पर उसके सब अधिकार, न्याय और सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार रक्षित होंगे।

और

यह प्राचीन देश संसार में अपना योग्य व सम्मानित स्थान प्राप्त करने और संसार की शान्ति तथा मानव जाति का हित-साधन करने में अपनी इच्छा से पूर्ण योग देगा।

विधान-परिषद् की पहली बैठक का आज पांचवां दिन है। अब तक हम, कार्य-संचालन के लिए नियमादि बनाने का काम कर रहे थे और यह जरूरी भी था। अब हमारा कार्य-क्षेत्र साफ है। हमें अब आधार तैयार करना है और यह काम कुछ दिनों से कर रहे हैं। अभी हमें बहुत-कुछ करना बाकी है। इसके पहले कि हम उस परिषद् के असली काम यानी जाति की आकांक्षाओं को, उसके चिर-स्वप्नों को लिखित रूप देने का महान् काम प्रारम्भ करें, हमें कार्य-संचालन के लिए नियम पास करने हैं और समितियां बनानी हैं। परन्तु इस अवसर पर भी निश्चय ही यह बहुत वांछनीय है कि हम खुद को, उन लोगों को जिनकी निगाहें परिषद् की ओर हैं, इस

[माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू]

देश की करोड़ों जनता को, जो हमारी ओर देख रही है तथा सारी दुनिया को यह आभास दे दें कि हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं! इसी उद्देश्य से मैंने यह प्रस्ताव इस सभा के सामने रखा है। प्रस्ताव होते हुए भी यह प्रस्ताव से बहुत कुछ ज्यादा है। यह एक घोषणा है, यह एक दृढ़ निश्चय है यह एक प्रतिज्ञा और दायित्व है और हम सबों के लिए तो, हमें विश्वास है कि कि यह एक व्रत है! मैं चाहता हूं कि सभा इस प्रस्ताव पर कानूनी शब्द-जाल की संकुचित भावना से विचार न करे बल्कि उसके मूल में जो भावना है उसे मद्दे-नजर रखकर उस पर विचार करे। अक्सर शब्दों में जादू का-सा चमत्कार होता है; पर कभी-कभी यह शब्दों का जादू भी मानव-भावना को, जाति की जबरदस्त लालसा को पूर्णरूपेण व्यक्त नहीं कर पाता। अतः मैं यह नहीं कह सकता कि प्रस्तुत प्रस्ताव उस लालसा को व्यक्त करता है जो आज भारतीय जनता के दिल और दिमाग में है। यह प्रस्ताव संसार को टूटे-फूटे शब्दों में यह बतलाना चाहता है कि हमने इतने दिनों से किस बात की अभिलाषा कर रखी थी, हमारा स्वप्न क्या था ? और निकट भविष्य में हम लक्ष्य तक पहुंचने की आशा करते हैं। इसी भावना से, मैं यह प्रस्ताव सभा के सामने रख रहा हूं और मुझे विश्वास है कि सभा भी इसी भावना से उस प्रस्ताव को ग्रहण करेगी और अन्त में स्वीकार करेगी। सभापति महोदय, मैं आपके सामने और सभा के सामने विनम्रता पूर्वक यह सुझाव रखना चाहता हूं कि जब प्रस्ताव को मंजूर करने का समय आवे तो हम सिर्फ रस्म के रूप में हाथ उठाकर ही उसे न स्वीकार करें बल्कि भक्ति भाव से खड़े होकर उसे स्वीकार करें और इसे अपना नवीन व्रत समझें।

सभा को मालूम है कि यहां बहुत से लोग अनुपस्थित हैं और बहुत से सदस्य, जिन्हें इसमें शामिल होने का हक है, यहां नहीं आये हैं। हमें इस बात का दुःख है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों और भिन्न-भिन्न दलों से ज्यादा-से-ज्यादा प्रतिनिधियों को, हम अपने साथ सम्मिलित करें। हमने एक महान् काम उठा लिया है और इसमें हम सब लोगों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। यह इसलिए कि भारत का भविष्य, जिसकी कल्पना हमने की है, किसी खास दल, सम्प्रदाय या प्रान्त के लिए ही सीमित न होगा बल्कि वह तो भारत की चालीस करोड़ जनता के लिए होगा। हमें इन कुछ बेंचों को खाली देखकर और कुछ साथियों को, जो यहां उपस्थित हो सकते थे, अनुपस्थित पाकर बड़ा दुःख होता है। मुझे आशा है और मैं समझता हूं कि वे आयेंगे और यह सभा पीछे चलकर उन सबके सहयोग का लाभ प्राप्त करेगी। पर इस बीच में हम सब पर एक दायित्व है कि हम अपने अनुपस्थित मित्रों का ध्यान रखें और हमेशा यह स्मरण रखें कि हम यहां किसी खास दल के लिए काम करने नहीं आये हैं। हमें सारे हिन्दुस्तान का, यहां के चालीस करोड़ नर-नारियों का सदा ख्याल रखना है। हम सब फिलहाल अपनी-अपनी सीमाओं में दल विशेष के हैं, चाहें इस दल के या उस दल

के, और शायद अपने-अपने दलों के साथ काम करना भी जारी रखेंगे । फिर भी ऐसा मौका आता है कि हमको दल-भावना से ऊपर उठ जाना पड़ता है और सारी जाति या देश का–यहां तक कि कभी-कभी उस समूचे संसार का, ख्याल रखना पड़ता है, जिसका यह देश भी एक महत्त्वपूर्ण भाग है । जब मैं इस विधान-परिषद् के काम का ख्याल करता हूं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अब समय आ गया है कि जहां तक हमसे बन पड़े हम व्यक्तिगत भावना और दलबन्दी के झगड़ों से ऊपर उठकर अधिक-से-अधिक व्यापक, सहिष्णु और प्रभावकारी ढंग से उस महती समस्या पर विचार करें जो आज हमारे सामने है ताकि हम जो भी विधान बनावें वह समस्त भारत के योग्य हो; सारा संसार स्वीकार करे कि हमने सचमुच महान् कार्य का सम्पादन उसी योग्यता से किया, जिससे हमें करना चाहिए था।

एक और भी व्यक्ति यहां आज अनुपस्थित है जो अवश्य ही हममें से बहुतों के दिल में मौजूद है । हमारा इशारा उस व्यक्ति की ओर है, जो सारे देश का नेता है जो समस्त राष्ट्र का जनक है, (हर्ष-ध्वनि) जो इस सभा का निर्माता रहा है, जो हमारे कितने ही अतीत-कार्यों का कर्त्ता रहा है और हमारी भविष्य की बहुतेरी कार्रवाइयों का कर्त्ता-धर्त्ता रहेगा । आज वह यहां उपस्थित नहीं है । वह अपने महान् आदर्शों की पूर्ति के लिए भारत के एक सुदूर कोने में निरंतर कार्य-रत है । परंतु मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि उसकी आत्मा इस भवन में वर्त्तमान है और इस महान् कार्य के सम्पादन में हमें सतत आशीर्वाद दे रही है ।

सभापति महोदय, यहां बोलते हुए मैं चतुर्दिक व्याप्त स्मृतियों और समस्याओं के बोझ से अपने को बोझिल अनुभव करता हूं । हम लोग एक युग को समाप्त कर सम्भवतः बहुत शीघ्र ही एक नए युग में प्रवेश करने वाले हैं । मेरा ध्यान आज भारत के महान् अतीत की ओर, उसके पांच हजार वर्ष के इतिहास की ओर जाता है उसके इतिहास के प्रारंभ से—जो मानव-इतिहास का प्रारंभ माना जा सकता है—आज तक का सारा इतिहास हमारी आंखों के सामने है । वह समस्त अतीत आज हमारे चतुर्दिक है और हमें आनन्द और जीवन प्रदान कर रहा है पर साथ-ही-साथ उससे, यह सोचकर मुझे कुछ वेदना भी होती है कि क्या हम उस अतीत के योग्य हैं ।

शक्तिशाली अतीत और अधिकतर शक्तिशाली भविष्य के बीच स्थित वर्त्तमान की तलवार के धार पर खड़े होकर जब मैं भविष्य की सोचता हूं, उस भविष्य की , जो मुझे विश्वास है कि अतीत से भी महत्तर है, तो अपने महान् कार्य-भार से अभिभूत हो जाता हूं और भयभीत हो जाता हूं । भारतीय इतिहास के अद्भुत अवसर पर हम यहां समवेत हुए हैं । इस परिवर्त्तन क्षण में प्राचीन युग से एक नवीन युग में प्रविष्ट होने के इस परिवर्त्तन काल में मुझे कुछ विस्मय-सा मालूम होता है, वैसा ही विस्मय जैसा रात से दिन होने में मालूम पड़ा है, हो सकता है दिन मेघाच्छन्न हो; पर है तो आखिर दिन; इसलिए बादल फटने पर दिन अवश्य निकलेगा। इन सब बातों के कारण मुझे इस सभा के सम्मुख बोलने और अपने सारे विचार रखने में कुछ कठिनाई मालूम होती है । मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन पांच हजार

[माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू]

वर्षों के लम्बे सिलसिले में बड़ी-बड़ी विभूतियां, जो आईं और चली गईं, आज मेरी आखों के सामने हैं। उन मित्रों की मूर्तियां भी मानों आज मेरे सन्मुख हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए निरंतर प्रयास किया है। आज हम समाप्त-प्राय: युग के छोर पर खड़े हैं और नवीन युग में प्रवेश पाने के लिए परिश्रम और प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सभा वर्त्तमान अवसर की गंभीरता समझेगी और उसी गंभीरता से इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। जिसे सभा के सन्मुख उप-स्थित करने का मुझे गौरव है। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव पर बहुत से संशोधन सभा के सामने आरहे हैं। इनमें से बहुतों को मैंने नहीं देखा है। सभा के किसी भी सदस्य को अधिकार है कि वह इसके सामने कोई भी संशोधन रखे और सभा को अधिकार है कि वह उसे मंजूर करे या नामंजूर। पर मैं स-सम्मान आपको यह सुझाव दूंगा कि यह अवसर ऐसा नहीं है कि हम छोटी-छोटी बातों में कानूनी और रस्मी ढंग अपनायें; जब कि हमें बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना करना है, बड़े-बड़े कामों को अन्जाम देना है और महत्त्वपूर्ण मसले तय करने हैं। अतः मैं आशा करूंगा कि सभा गंभीरता से ही इस महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पर बहस करेगी और शाब्दिक झगड़े में ही अपने को न भुला देगी।

मुझे विभिन्न विधान-परिषदों का भी ख्याल आता है जो पहले बैठ चुकी हैं। अमेरिकन राष्ट्र के निर्माताओं ने विधान-परिषद् में समवेत होकर राष्ट्र-निर्माण के लिए एक विधान तैयार किया था, जो आज डेढ़ सौ बरस की परीक्षा में पक्का साबित हुआ है। इस विधान-निर्माण में क्या-क्या बातें हुईं, उन सबकी मैं कल्पना कर रहा हूं। इस विधान के फलस्वरूप जो महान् राष्ट्र उत्पन्न हुआ उसको मैं सोच रहा हूं; मेरी कल्पना उस जबर्दस्त क्रांति की ओर जा रही है जो आज से १५० वर्ष पहले हुई थी। मैं कल्पना कर रहा हूं उस विधान-परिषद् की, जो आनन्ददायक उस पेरिस नगर में समवेत हुई थी, जिसने आजादी की कितनी ही लड़ाइयां लड़ीं हैं। मैं सोच रहा हूं उन कठिनाइयों को जो इस विधान-परिषद् को मिलीं, मैं सोच रहा हूं उन बाधाओं को जिन्हें सम्राट् तथा अधिकारियों ने उस परिषद् की राह में रोड़े डाले। इस सभा को स्मरण होगा कि जब इसके मार्ग में रोड़े अटकाए गए, यहां तक कि उसे समवेत होने के लिए स्थान देने से भी इंकार किया गया तो परिषद् ने टेनिस कोर्ट में अपनी बैठक की और वहां ही उसने शपथ ग्रहण की; जो 'दी ओथ आव् टेनिस कोर्ट' के नाम से मशहूर है। सम्राट् और अधिकारियों की; समस्त बाधाओं के बावजूद वे समवेत होकर तब तक अपना काम करते रहे जब तक कि उन्होंने अपने काम को पूरा न कर लिया, जिसे पूरा करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। मुझे विश्वास है कि हम लोग भी उसी गम्भीरता और पवित्र भावना से यहां समवेत हुए हैं और हम भी चाहे इस भवन में हो या अन्यत्र, मैदान में, बाजार में, कहीं भी समवेत होकर-तब तक अपना काम करते जायंगे जब तक कि उसे पूरा न कर लें।

इसके बाद हमारी याद जाती है निकट भूत की उस महती क्रांति की ओर जो रूस में हुई थी और जिसके फलस्वरूप एक नये ढंग के राज्य—रूस यूनियन आव् सोवियत् रिपब्लिक—जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का प्रादुर्भाव हुआ जो आज विश्व के कामों में प्रमुख भाग ले रहा है। यह महान् शक्तिशाली राष्ट्र हम भारत-वासियों के लिए न सिर्फ एक महान् शक्तिशाली राष्ट्र ही है वरन् पड़ौसी भी है।

इस तरह हम आज इन बड़े-बड़े उदाहरणों को स्मरण करते हैं और उनकी सफलताओं से लाभ उठाने की एवं उनकी असफलताओं से बचने की कोशिश करते हैं। शायद हम असफलताओं से बच न सकें क्योंकि कुछ-न-कुछ असफलता तो मानव-प्रयास में सन्निहित रहती ही है। फिर भी हमें निश्चय है कि हम तमाम बाधाओं और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ेंगे और अपनी चिर-संचित आकांक्षाओं और स्वप्नों को प्राप्त करेंगे। इस प्रस्ताव में, जो सभा जानती है कि बड़ी सावधानी से बनाया गया है, हमने अत्यधिक या अत्यल्प कथन को दूर ही रखा है। इस तरह के प्रस्ताव का बनाना बड़ा कठिन है। यदि आप उसमें बहुत कम बात व्यक्त करते हैं तो वह केवल एक कोरा प्रस्ताव ही रह जाता है और दूसरे यदि आप उसमें अधिक कुछ कहते हैं तो यह विधान बनाने वाले सदस्यों के कार्य में कुछ हस्त-क्षेप-सा होता है। यह प्रस्ताव उस विधान का मार्ग नहीं है जो हम बनाने जा रहे हैं और हमें इसी दृष्टि से इसे देखना चाहिए। सभा को विधान बनाने की पूरी स्वतन्त्रता है और दूसरे लोगों को भी, जब वे सभा में आ जायं तो विधान बनाने की पूरी आज़ादी है। अतः यह प्रस्ताव दोनों सीमाओं के बीच की राह है और केवल कुछ बुनियादी उसूलों को निर्धारित करता है जिन पर, मुझे पक्का विश्वास है, किसी दल या व्यक्ति को विवाद नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि हमारा यह दृढ़ और पवित्र निश्चय है कि हम सर्वाधिकारपूर्ण स्वतन्त्र राष्ट्र कायम करेंगे। यह ध्रुव निश्चय है कि भारत सर्वाधिकारपूर्ण स्वतन्त्र, प्रजातन्त्र होकर ही रहेगा। मैं राज-तन्त्र की बहस में न जाऊंगा। अवश्य ही हम भारत में शून्य से (बिना किसी आधार के) राजतन्त्र नहीं स्थापित कर सकते। जब भारत को हम सर्वाधिकारपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बनाने जा रहे हैं तो किसी बाहरी शक्ति को हम राजा न मानेंगे और न किसी स्थानीय राजतंत्र की ही तलाश करेंगे। यह तो निश्चय ही प्रजातन्त्रीय (Re-public) होगा। कुछ मित्रों ने यह प्रश्न उपस्थित किया है कि मैंने प्रस्ताव में लोक-तन्त्रीय (Democratic)शब्द क्यों नहीं रखा। मैंने उन्हें बताया कि रिपब्लिक राज्य डेमोक्रेटिक न हो ऐसा समझा जा सकता है, पर हमारा सारा अतीत इस बात का गवाह है कि हम लोकतन्त्रीय संस्था (Democratic Institution) ही की स्था-पना चाहते हैं। स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य लोकतन्त्रीय व्यवस्था की स्थापना ही है और उससे कम हम कुछ नहीं चाहते। उस लोकतन्त्र का क्या रूप हो, यह बात दूसरी है। वर्त्तमान युग के लोकतन्त्र ने यूरोप की और अन्य स्थानों की लोकतन्त्रीय शासन-पद्धति ने संसार की तरक्की में बड़ा हिस्सा लिया है। इसमें संदेह है कि ये लोकतंत्र, यदि सही माने में इन्हें लोकतंत्र रहना है तो, अपना वर्त्तमान स्वरूप अधिक दिनों तक

[माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू]

रख सकेंगे। मुझे आशा है कि हम लोग किसी विशेष तथाकथित लोकतन्त्रीय देश की पद्धति की नकल न करेंगे। हो सकता है हम लोग वर्त्तमान लोकतन्त्र को और भी अच्छा बनायें। जो भी हो, हम जो भी शासन-पद्धति यहां स्थापित करें वह हमारी जनता की मनोवृत्ति के अनुकूल और सबको ग्राह्य होनी चाहिए। हम लोकतन्त्र चाहते हैं। यह काम इस सभा का है कि वह निश्चय करे उस लोकतन्त्र को, पूर्णत: लोकतन्त्र को, वह क्या स्वरूप देगी। सभा देखेगी कि हमने इस प्रस्ताव में डेमोक्रेटिक शब्द नहीं रखा है क्योंकि हमने समझा कि रिपब्लिक शब्द के अन्दर वह सन्निहित है और हम अनावश्यक अतिरिक्त शब्द रखना नहीं चाहते हैं। पर हमने प्रस्ताव में डेमोक्रेटिक (लोकतन्त्रीय) शब्द से बहुत कुछ अधिक रख दिया है। इस प्रस्ताव में हमने लोकतन्त्र का सार सन्निहित कर दिया है बल्कि मैं तो कहूंगा कि लोकतन्त्र का ही सार नहीं वरन् इसमें हमने (Economic Democracy) आर्थिक लोकतन्त्र का सार भी सन्निहित कर दिया है। कुछ लोग इस बिना पर इस प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं कि इसमें समाजवादी राष्ट्र (Socialist State) नहीं अपनाया है। सज्जनो, मैं समाजवाद का समर्थक हूं और मुझे आशा है कि सारा हिन्दुस्तान समाजवाद का समर्थन करेगा और वह समाजवादी शासन विधान बनायेगा और सारी दुनिया को भी इसी दिशा में चलना होगा। उस समाजवाद का स्वरूप क्या हो यह भी आपका दूसरा विचारणीय विषय है। पर असली बात यह है कि यदि मैं अपनी इच्छानुसार इस प्रस्ताव में यह रखता कि हम समाजवादी राष्ट्र चाहते हैं तो शायद इसमें कुछ ऐसी बातें आ जातीं जो बहुतों को ग्राह्य होती और कुछ को अग्राह्य। हम यह नहीं चाहते थे कि ऐसी बातों को लेकर यह प्रस्ताव विवादात्मक हो जाये। इसलिए प्रस्ताव में हमने पारिभाषिक शब्द नहीं रखे हैं बल्कि हम क्या चाहते हैं इसका निचोड़ रख दिया है। यह आवश्यक है और मैं समझता हूं इसमें कोई विवाद नहीं उठ सकता। कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि इस प्रस्ताव में रिपब्लिक (प्रजातन्त्र) का रखा जाना देशी नरेशों को कुछ नाराज कर सकता है। सम्भव है इससे वे नाराज हों मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं और सभा जानती है कि मैं वैयक्तिक रूप से राजतन्त्रीय पद्धति में, वह चाहे कहीं भी हो, विश्वास नहीं करता। संसार से राजतन्त्र आज तेजी से मिटता जा रहा है। फिर भी यह मेरे विश्वास की बात नहीं है। देशी राज्यों के सम्बन्ध में हम लोगों के विचार बहुत दिनों से यही रहे हैं कि सर्व प्रथम इन राज्यों की प्रजा को आने वाली आजादी में पूरा-हिस्सा मिलना चाहिए। यह बात तो मेरी कल्पना में ही नहीं आती कि देशी रियासतों की प्रजा और भारत के अन्य भागों की प्रजा की स्वतन्त्रता का भिन्न-भिन्न मापदंड हो। संघ में देशी रियासतें किस तरह सम्मिलित होंगी इस बात को तो यह सभा ही रियासतों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके तय करेगी और मुझे आशा है कि सभा, रियासतों से सम्बन्ध रखने वाले सभी मसलों को रियासतों के सच्चे प्रतिनिधियों से ही बातचीत कर तय करेगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि उन मसलों को तय करने में जिनका

देशी राज्यों के शासकों से सम्बन्ध है, हम शासकों के साथ या उनके प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करने के लिए पूरी तरह रजामन्द हैं। पर अन्त में जब हम भारत का विधान बनायंगे तो जिस तरह भारत के अन्य भागों के जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क रखकर उसका निर्माण करेंगे उसी तरह देशी रियासतों के जन प्रतिनिधियों से भी सम्पर्क रखकर हम विधान को अन्तिम रूप देंगे। (हर्ष-ध्वनि) जो भी हो, हम या तो नियम निर्धारित कर देंगे या खुद आपसी रजामन्दी से तय कर लेंगे कि देशी रियासतों और अन्य भागों के लिए स्वतन्त्रता का स्तर समान होगा। मैं खुद तो यह चाहूंगा और इसकी सम्भावना भी है कि सारे देश में शासन-व्यवस्था या हुकूमत की मशीनरी एक समान हो। पर यह बात ऐसी है जिसका फैसला रियासतों के परामर्श और सहयोग से करना होगा। मैं नहीं चाहता और मेरा ख्याल है यह सभा भी नहीं चाहेगी कि देशी राज्यों पर उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ लादा जाय। अगर किसी रियासत की प्रजा कोई खास तरह की शासन-प्रणाली चाहती है, चाहे वह राजतन्त्रात्मक ही क्यों न हो, उन्हें वैसी प्रणाली रखने का अधिकार है। इस सभा को मालूम होगा कि ब्रिटिश कामनवेल्थ में भी आज आयरलैण्ड एक रिपब्लिक (प्रजातन्त्र) है और फिर भी कई तरह से यह ब्रिटिश कामनवेल्थ का एक सदस्य भी है। इसलिए यह बात तो समझ में आ सकती है। मैं नहीं कह सकता कि होगा क्या, क्योंकि उसका निश्चय करना कुछ इस सभा का और कुछ दूसरों का काम है। इसकी असम्भावना या इसमें कोई असामंजस्य नहीं है कि रियासतों में किसी खास तरह की शासन-प्रणाली हो; बशर्ते कि वहां पूरी स्वतन्त्रता और दायित्वपूर्ण शासन (Responsible Government) हो और वह प्रजा के आधीन हो। यदि किसी रियासत की प्रजा राजतन्त्र के प्रधान यानी राजा, महाराजा और नवाब को पसंद करती है तो, मैं चाहूं या न चाहूं, निश्चय ही मैं इसमें कतई दखल देना नहीं पसन्द करता। अतः मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक इस प्रस्ताव या घोषणा का सम्बन्ध है यह, आगे जो कुछ करना चाहेगी या जो बात-चीत चलायेगी इसमें किसी तरह की रुकावट नहीं डालता। सिर्फ एक ही माने में यह प्रस्ताव हम पर कुछ सीमा या पाबन्दी (यदि आप इसे पाबन्दी समझें) डाल देता है। वह यह कि इस घोषणा में जो बुनियादी उसूल हैं हम उन पर ही चलेंगे। मैं तो कहता हूं कि ये बुनियादी सिद्धांत, सही माने में, विवादात्मक हैं ही नहीं। हिन्दुस्तान में कोई भी इनका विरोध नहीं करता और न किसी को इनका विरोध करना ही चाहिए पर यदि कोई विरोध करता है तो हम उनका मुकाबला करेंगे और अपनी-अपनी जगह पर डटे रहेंगे। (हर्ष-ध्वनि)

सभापति महोदय, हम भारत के लिए विधान बनाने बैठे हैं। स्पष्ट है कि हमारे इस काम का बाकी दुनिया पर जोरदार प्रभाव पड़ेगा। यह इसलिए नहीं कि इससे संसार-क्षेत्र में एक नये शक्तिशाली राष्ट्र का अभ्युदय होता है बल्कि इस कारण से कि भारत ऐसा देश है; जो न सिर्फ अपनी आबादी या क्षेत्रफल के विस्तार से वरन् अपने प्रचुर साधनों और उसके उपयोग की क्षमता से विस्तृत संसार के

[माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू]

कामों में शीघ्र ही जबरदस्त हाथ बंटा सकता है। आज भी जब हम आजादी के किनारे खड़े हैं, भारत ने संसार के मामलों में जबरदस्त हाथ बंटाना शुरू कर दिया है। इसलिए विधान-निर्माताओं के लिए यह उचित है कि इस अंतर्राष्ट्रीय पहलू को हमेशा ध्यान में रखें।

हम संसार के साथ दोस्ताना बर्ताव चाहते हैं। हम सब देशों से मित्रता चाहते हैं। अतीत के झगड़ों के एक लम्बे इतिहास के बावजूद इङ्गलैंड को अपना मित्र बनाना चाहते हैं। सभा को मालूम है कि मैं हाल ही में विलायत गया था। मैं कुछ कारणों से, जिन्हें यह सभा अच्छी तरह जानती है वहां नहीं जाना चाहता था। पर ग्रेट-ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री के व्यक्तिगत अनुरोध के कारण मैं वहां गया। वहां मुझे सभी जगह सौजन्य मिला। फिर भी भारतीय इतिहास के इस भावनापूर्ण मनोवैज्ञानिक अवसर पर जब हम दुनिया से और अपने अतीत सम्पर्क एवं संघर्ष के कारण ग्रेट-ब्रिटेन से तो खासतौर पर सहयोग, मैत्री, तथा खुशी के सम्वाद पाने के भूखे थे; दुर्भाग्य से हम खुशी का सम्वाद तो दूर रहा, बहुत कुछ निराशा का सम्वाद लेकर लौटे। मुझे उम्मीद है कि ये नई कठिनाइयां जो ब्रिटिश मन्त्रिमंडल और वहां के अन्य अधिकारियों के हाल के वक्तव्यों से उत्पन्न हुई हैं वे हमारी राह न रोकेंगी। और हम, यहां उपस्थित और अनुपस्थित सब के सहयोग से आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। मुझे इस बात से सख्त सदमा पहुँचा है, सख्त चोट पहुँची है कि ऐन मौके पर जब हम कदम बढ़ाने जा रहे हैं हमारे रास्ते में रुकावटें डाली गई। हम पर नई-नई पाबन्दियां जिनका पहले कहीं जिक्र भी न था, लगायी गई और नये तरीके सुझाये गए। मैं किसी व्यक्ति की सद्भावना पर कोई आपत्ति नहीं करना चाहता पर मैं अवश्य ही यह कह देना चाहता हूं कि इसका कानूनी पहलू चाहे कुछ भी क्यों न हो, पर जब हमें ऐसे राष्ट्र से काम पड़ता है जो आजादी के लिए मतवाला हो तो ऐसे भी अवसर उपस्थित होते हैं कि कानून लचर हो जाता है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यहां हममें से बहुतों ने गत वर्षों से एक या अधिक पीढ़ियों से भारत की आजादी की लड़ाई में अक्सर हिस्सा लिया है। हम आफतों के बीच से गुजरे हैं। हम इसके आदी हैं और यदि जरूरत आ गई तो हम पुनः विपत्तियों से खेलेंगे (हर्ष-ध्वनि)। फिर भी इन तमाम संघर्षों के दौरे में हम हमेशा ही ऐसे अवसर की बात सोचते रहे हैं जब हम संघर्ष और विध्वंस नहीं बल्कि निर्माण के काम में लग जायं। और उस समय जब हम लोगों को ऐसा मालूम पड़ा कि स्वतन्त्र भारत में रचनात्मक काम करने का समय आ रहा है जिसकी बड़ी खुशी से बाट जोह रहे थे कि नई बाधायें हमारे रास्ते में डाली गई। चाहे जो भी शक्ति इसके पीछे हो, इससे यही जाहिर होता है कि चतुर, बुद्धिमान और योग्य व्यक्तियों में भी अपनी मर्यादा और पद के अनुकूल कल्पनामूलक साहस का अभाव होता है। यदि आपको किसी राष्ट्र से काम पड़ता है तो अपनी कल्पना, भावना और साथ-ही-साथ बुद्धि की दौड़ से ही आप उसको ठीक-ठीक

समझ सकते हैं। अतीत से ही यह दुखद परम्परा चली आती है कि भारतीय समस्याओं को समझने में शासकों में कल्पना-शक्ति का सर्वथा अभाव रहा है। इन लोगों ने अक्सर हमारी समस्याओं में अनावश्यक हाथ डाला या हमें राय दी और यह न समझा कि वर्त्तमान भारत न किसी की सलाह चाहता है और न अपनी मर्जी के खिलाफ किसी का समाधान ही अपने ऊपर लादना चाहता है। भारत को प्रभावित करने का एक मात्र रास्ता है मैत्री, सहयोग और सद्भावना का बर्ताव। जबर्दस्ती उस पर कुछ भी लादने या मध्यस्थ बनने की थोड़ी भी चेष्टा पर हम आक्रोश करते हैं और करेंगे (हर्षध्वनि)। गत कई महीनों में, बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद भी हमने ईमानदारी से सहयोग का वातावरण पैदा करने की हरचन्द कोशिश की। हमारी यह कोशिश जारी रहेगी पर मुझे भय है कि अगर दूसरी ओर से इसका काफी जवाब न मिला तो सहयोग का वातावरण नष्ट या दुर्बल हो जायगा। हमने महान् काम का बीड़ा उठाया है, हमें विश्वास है कि हम उसे पूरा करने का प्रयास जारी रखेंगे। हमें यह भी विश्वास है कि यदि इस कार्य में प्रयत्नशील रहे तो सफलता भी अवश्य मिलेगी। जहां हमें अपने ही देशवासियों से निबटना है हम सद्भावना से उस काम में लगे रहेंगे यद्यपि हम समझते हैं कि हमारे कुछ देशवासी गलत रास्ता पकड़ते हैं। जो भी हो आज नहीं तो कल या परसों हमें इस देश में मिलकर ही काम करना है और हमारा आपसी सहयोग अवश्यम्भावी है। अतः हमें इस समय ऐसे किसी भी काम से बचना होगा जिससे हमारे भविष्य के मार्ग में जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, कोई नई बाधा उपस्थित हो जाय। इसलिए जहां तक हमारे देशवासियों का सम्बन्ध है उनका अधिक-से-अधिक सहयोग पाने के लिए हमें यथाशक्ति चेष्टा करनी है। परन्तु सहयोग का यह अर्थ नहीं कि हम अपने उन मौलिक सिद्धान्तों का ही त्याग कर बैठें जिनके लिए हम यह सब कुछ कर रहे हैं और करना चाहिए। सहयोग का यह मतलब नहीं है कि हम उन सिद्धान्तों को ही कुर्बान कर दें जिनके लिए हम जीते हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा मैंने अभी कहा है हम इंग्लैंड का भी सहयोग चाहते रहे और इस समय भी चाहते हैं जब वातावरण आपसी संदेह से भरा हुआ है। हम समझते हैं कि यदि उन्होंने सहयोग देने से इन्कार किया तो अवश्य ही इससे भारत को क्षति पहुंचेगी, पर इंग्लैंड को उससे भी ज्यादा क्षति पहुँचेगी और संसार को भी कुछ नुकसान पहुँचेगा। युद्ध से हम अभी फुरसत पाये हैं और लोगों में व्यापकरूप से आगामी युद्ध की मन्द-मन्द चर्चा चलने लगी है। ऐसे समय में नवीन प्राणपूर्ण और निर्भय भारत का पुनर्जन्म होने जा रहा है। विश्व की इस उथल-पुथल से भारत के पुनर्जन्म का यह शायद उपयुक्त अवसर है। पर ऐसे समय में हम लोगों की दृष्टि जिन पर भारत का विधान बनाने का जबर्दस्त भार है, खूब साफ दूरदर्शिनी होनी चाहिए। हमें वर्त्तमान की महती आशाओं और भविष्य की उससे भी महत्तर आशाओं पर सोच विचार करना है और इस दल या उस दल के क्षुद्र लाभ की तलाशी में ही अपने को नहीं खो देना है। विधान-परिषद् में बैठ कर आज हम विश्व के रंग-मंच पर अभिनय कर रहे हैं और सारे संसार की

[माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू]

निगाह, हमारे सम्पूर्ण अतीत की दृष्टि, हमारी ओर है। हम यहां जो कुछ भी कर रहे हैं। उसे हमारा अतीत देख रहा है और भविष्य भी देख रहा है यद्यपि अभी उसका जन्म नहीं हुआ है। मैं इस प्रस्ताव को इसी दृष्टि से देखता हूं और मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह अपने महान् अतीत को, वर्तमान के जबर्दस्त उथल-पुथल को और उदित होने वाले महत्तर भविष्य को दृष्टि में रखकर उस पर विचार करे। सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं।

सभापति : श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

माननीय पुरुषोत्तमदास टंडन (यू० पी० : जनरल) : सभापति महोदय, पं० जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का पूरी तौर से मैं समर्थन करता हूं। विधान-परिषद् की आज की बैठक एक ऐतिहासिक अवसर है। शताब्दियों के बाद हमारे देश में ऐसी सभा समवेत हुई है। यह सभा हमें अपने वैभवशाली अतीत की याद दिलाती है जब हम स्वतंत्र थे और बड़ी प्रतिनिधि सभायें बैठती थीं जहां बड़े-बड़े विद्वान् देश के महत्त्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श किया करते थे। यह हमें अशोककालीन बड़ी-बड़ी सभाओं की याद दिलाती है। उन दिनों का एक धुंधला चित्र आज हमारी आंखों के सामने है। यह सभा हमें अमेरिका, फ्रांस और रूस प्रभृति अन्य देशों की परिषदों की याद दिलाती है। अन्य स्वतंत्र देशों के विधान-निर्माण के लिए जो परिषदें बैठी थीं उनके साथ-साथ हमारी यह परिषद् भी सबको सदा याद रहेगी। हम यहां एक ऐसा शासन-विधान बनाने बैठे हैं जिससे संसार को यह साफ मालूम हो जाय कि भारत का यह पक्का इरादा है कि वह संसार के साथ मिलकर बाइज्जत रहेगा उससे अलग नहीं। भारत तमाम मुल्कों को सहयोग देगा और उनकी मुसीबतों में उन्हें हरचन्द मदद देगा, वह उन सब प्रयत्नों में साथ देगा जिससे संसार का भला हो। हमें विश्वास है कि हम आज यहां जो कुछ भी कर रहे हैं वह ऐतिहासिक होगा और उसकी गणना भी उन ऐतिहासिक घटनाओं में होगी जिनसे संसार की समुन्नति में सहायता मिली है।

गत डेढ़ सौ वर्षों से हिन्दुस्तान ब्रिटेन के आधीन रहा है। हम उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहते जिनके विरुद्ध हमने ब्रिटिश हुकूमत के प्रारम्भ से ही लगातार आवाज उठाई है। इन डेढ़ सौ वर्षों के अन्दर हिन्दुस्तान को जो भी चोटें दी गई हैं, हम यहां उनका जिक्र नहीं करेंगे। उन चोटों ने हमें न केवल अपनी आजादी से ही वंचित किया बल्कि हममें एक आपसी भेद-भाव पैदा कर दिया। आज हम उन सब बातों का जिक्र न करेंगे। पर हम अपने नेताओं के त्याग और संघर्ष को नहीं भूल सकते। प्रारम्भ में हमारे नेताओं ने महज प्रस्ताव पास कर और उन्हें सव्याख्या सरकार के पास भेजकर आजादी की मांग की। हुकूमत ने खुल्लम-खुल्ला हमारे साथ ज्यादती की और सब जगह अंग्रेजों का पक्ष लिया। हमने शासकों से हर तरह अपील की कि हमारे साथ न्याय का बर्ताव हो। हमारे नेताओं ने उनके ऊंचे आदर्शों की

और–महामना बर्क और मिल के बताये आदर्शों की ओर–हुकूमत का ध्यान खींचा। हमारे नेता ब्रिटिश आदर्शों से प्रभावित थे और उन्हें पूरी आशा थी कि ब्रिटेन उनके साथ न्याय करेगा और उन्हें आजादी देगा। वह जमाना अब गुजर गया। अनुभवों ने सिखाया कि आजादी अपील या प्रार्थना से नहीं मिल सकती, उसे पाने के लिए हमें अब बहादुराना कदम उठाना लाजिमी है। हमारे इतिहास के पन्ने बताते हैं कि उसके बाद नये-नये आन्दोलन चलाये गए और ब्रिटेन के साथ खुली बगावत की गई। १६०५–६ के आन्दोलन ने देश को उन्नति की सीढ़ी पर कुछ और आगे बढ़ा दिया। उस समय हमारे वीर बंगाली नेताओं और युवकों ने ऐसे-ऐसे बहादुराना काम किये जो हमारे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जायंगे। हम आगे और राष्ट्र के कर्णधार महात्मा गांधी राजनीति के मैदान में पहुंचे और उन्होंने हमारे युद्ध का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने हमें एक नया सबक सिखाया और हमने एक नये सिलसिले से लड़ाई शुरू की। ब्रिटिश कानूनों की न सिर्फ अवहेलना ही की गई बल्कि सरे-आम वह तोड़े जाने लगे और हमने जरा भी परवाह न की कि इसका क्या कठोर परिणाम भुगतना होगा। हमारे हजारों देशवासियों ने कानून तोड़े और जेल गये। उन वीरों की तस्वीरें जिन्होंने संग्राम में जीवन बलिदान किया या वर्षों जेलों में सड़ते रहे, आज हमारी आंखों के सामने हैं। दरअसल अभी हाल का आन्दोलन—सन् १६४२ का आन्दोलन—ही इस सभा का जन्मदाता है। ब्रिटेन द्वारा इस परिषद् के बुलाये जाने में इस आन्दोलन का जबर्दस्त हाथ है। हमारी आगे की तरक्की के लिए इसने एक नई राह निकाल दी। ब्रिटिश हुकूमत अब भारत में टिक नहीं सकती। इस वास्तविकता को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेन्ट की आंखें खुल गईं और संसार चकित हो गया। दूसरे देशों ने खुलकर तो हमारा साथ नहीं दिया पर हमें यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि हमने अपनी ताकत का इजहार तो किया ही जो हमें अपनी मंजिल पर पहुंचाने में खास चीज है। पर साथ-ही-साथ उन बड़ी ताकतों ने भी जो आज दुनिया को एक करने में लगी हैं हमें सहायता दी है। संसार ने यह समझ लिया है कि दुनिया के एक सुदूर कोने में भी जो अत्याचार किया जाता है, उसका व्यापक असर खुद अत्याचारी के देश पर और उसके पड़ोसी देशों पर पड़ता है। गत दो महायुद्धों ने यह बात प्रमाणित कर दी है। आज संसार के बड़े-बड़े नेता उपाय ढूंढने में लगे हैं कि विश्व को तृतीय महायुद्ध की बर्बादी से कैसे बचाया जाय। वे संसार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, जहां न और युद्ध होंगे, न इंसान का खून बहाया जायगा, जहां अमीर और गरीब का भेद-भाव न रह जायगा, जहां हर एक को भोजन और अन्न मिलेगा, जहां हर आदमी को हक हासिल होगा कि वह अपने आदर्शों के अनुसार जीवन यापन करें। जहां प्रत्येक बालक को शिक्षा पाने का अधिकार होगा, जहां आदर्श उच्च और उच्चतर होंगे, जहां निवासियों के बीच एक आत्मिक सम्बन्ध होगा।

बुद्धिमान् लोग ऐसे कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे संसार उस दलदल से बाहर निकल सके जिसमें वह आज फंस गया है, जिससे सारे मुल्कों को

[माननीय पुरुषोत्तमदास टंडन]

बराबर हक हासिल हो सके। जमाना तेजी से बदल रहा है और दुनिया की ताकतें इन नये विचारों को अमली रूप देने के लिए पूरा प्रयत्न कर रही हैं। हम लोग भी जब इसी दुनिया में रहते हैं, उनसे बच नहीं सकते। इन नई शक्तियों का हम भी हृदय से स्वागत करते हैं। ये ही शक्तियां हमारी बड़ी-बड़ी आशाओं का हमेशा आधार रही हैं। भारत के बारे में यह खास तौर से कहा जा सकता है कि उसके निवासियों ने "वसुधैव कुटुम्बकम्" का ऊंचा आदर्श सदा अपनाया है और संसार को एक देश समझा है। हमारे देश के महापुरुषों ने संसार के मनुष्यों में कोई भेद-भाव नहीं माना। बहुत से विदेशी हमारे देश में आये और हमने खुशी से उन्हें अपने गले लगाया। हमने यह नीति कभी भी अख्तियार नहीं की जिसे कुछ मुल्कों ने आज भारतवासियों के विरुद्ध अपना रखा है। हमारा इतिहास बतलाता है कि हमने बाहरी देशों से आये हुए आदमियों का सदा स्वागत किया, जो भी सहायता जरूरी थी, हमने उन्हें दी और यहां बसने में उनकी हर तरह मदद की। इंगलैंड के निवासी ही यहां पहले कैसे आये ? उन्हें यहां पनाह दी गई। भारत में झगड़े और लड़ाइयां भी हुईं पर इतिहास गवाह है कि हमने हमेशा मानव-अधिकारों की रक्षा की। भाई-भाई के बीच के भेद पैदा करना हम उचित नहीं समझते और न उनके राजनैतिक अधिकारों में ही भेदभाव रखते हैं। इसमें शक नहीं कि हममें कमजोरियां थीं और आज भी हैं। हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते।

हमारा अतीत इतिहास हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। जहां हम समानता के आदर्शों को न सिर्फ अपने देशवासियों के सामने बल्कि दुनिया के सामने रख सकें। इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारा ख्याल अपने अतीत इतिहास की ओर, गुजरी हुई घटनाओं की ओर जाता है, हमारे संघर्ष और बलिदान की ओर जाता है उस सहायता की ओर जाता है जो हमें दूसरे देशों से मिली है और जिसने आज हमें यहां समवेत किया है। इन सबसे हमें बल प्राप्त करना चाहिए। हम एक ऐसा विधान बनाने के लिए यहां समवेत हुए हैं जिससे देश को सुख-शान्ति मिल सके। अपनी मातृ-भूमि के प्रत्येक निवासी को समानता देना ही हमारा लक्ष्य है।

जो प्रस्ताव आपके सामने पेश किया गया है उसकी तह में समानता का ही सिद्धान्त है। देश के भिन्न-भिन्न वर्गों को स्वायत्त-शासन या शासन में खुद-मुख्तारी मिली हुई है। और हिन्दुस्तान समूचे को सर्वोपरि राजसत्ता या पूरे अख्तियार रखता है। उन विषयों में जिनमें हम एकता चाहते हैं, हम सब सम्मिलित रहेंगे। प्रस्ताव में सबसे महत्त्वपूर्ण बात है कि इसमें भारत एक आजाद मुल्क माना गया है। हमारा देश सम्मिलित रूप से एक है पर इसके भिन्न-भिन्न अंगों को पूरी आजादी हासिल है कि वे अपने लिए जैसी हुकूमत चाहें रखें। देश का मौजूदा प्रान्तों में विभाजन बदल सकता है। हम सब सम्प्रदायों के साथ न्याय करेंगे और उनके धार्मिक और सामाजिक मामलों में उन्हें पूरी आजादी देंगे।

प्रस्ताव पर इस आशय का एक संशोधन पेश किया गया है कि प्रस्ताव तब तक मुल्तवी रखा जाय, जब तक कि मुसलिम लीग विधान-परिषद् में सम्मिलित नहीं होती। हमें यह लक्ष्य न भूलना चाहिए कि हर एक काम के लिए समय हुआ करता है। अगर आज हम यह प्रस्ताव स्थगित रखते हैं तो फिर कब यह हमारे सामने आयेगा? हम इस बारे में निश्चित नहीं हैं कि मुसलिम लीग कब विधान-परिषद् में शामिल होगी। हम आज यहां जब एकत्र हुए हैं तो क्या बिना कुछ किये-धरे ही यहां से उठ जायं? क्या हमें कम-से-कम अपनी आगे की कार्यवाही के लिए आज एक लक्ष्य नहीं निश्चित कर लेना चाहिए? महज एक निधि-निर्माण कमेटी ही बनाकर उठ जायं? हमारे बन्धु हमें यह राय देते हैं कि हम प्रस्ताव पर विचार अभी आगे के लिए स्थगित कर दें। अगर वे यही चाहते थे कि मुसलिम लीग की गैर हाजिरी में हम यहां कुछ न करें तो आखिर यहां आये किस लिए हैं?

हम अवश्य चाहते हैं कि मुसलिम लीग हमें सहयोग दे। पर क्या हम आज उनके वर्त्तमान अभिलाषाओं और उद्देश्यों की पूर्त्ति में कुछ भी हाथ बटा सकते हैं? हम भरसक कोशिश करेंगे कि मुसलिम लीग के उद्देश्य को किसी तरह नुकसान न पहुंचे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रस्ताव में इस बात का ध्यान रखा गया है। हममें से बहुत ऐसे हैं जो इस बात के खिलाफ हैं कि प्रान्तों को अवशिष्ट अधिकार दिये जायं। व्यक्तिगत रूप से मैं खुद मुल्क की भलाई के लिए हिन्दू-मुसलिम तनातनी के कारण प्रान्तों में उत्पन्न वर्त्तमान परिस्थिति को देखते हुए प्रान्तों को अवशिष्ट अधिकार दिये जाने का विरोध करूंगा। बंगाल तथा और प्रान्तों में क्या हुआ? जो हुआ है, उसे हम भली-भांति जानते हैं। अवशिष्ट अधिकार और राजनैतिक अधिकार (Political Rights) जिनसे देश की उन्नति और एकता में मदद मिल सकती है, केन्द्रीय या संघ सरकार के साथ ही होने चाहिए। पर यह प्रस्ताव अवशिष्ट अधिकार प्रांतों को दे देता है, ताकि मुसलिम लीग यह न कहे कि उनकी गैरहाजिरी में हमने मनमाने ढंग से काम किया। इसके अलावा ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा प्रकाशित स्टेट पेपर ने भी जो इस परिषद् का आधार है अवशिष्ट अधिकारों (Residuery Powers) को प्रान्तों को देने की बात कही है। हमने इस व्यवस्था को इस आशा से मंजूर कर लिया कि इससे मुसलिम लीग हमारे साथ मिल-जुल कर काम कर सकेगी। मुसलिम लीग हमें सहयोग दे, इस बात के लिए जहां तक साध्य था हम आगे बढ़े। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इसके लिए हम जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गए। क्योंकि मुसलिम लीग का लक्ष्य हमारे लक्ष्यों से बिलकुल प्रतिकूल है। और इससे हमारे भविष्य में काफी कठिनाइयां पैदा होंगी। लीग की सहयोग-प्राप्ति के लिए हमने अपने आदर्शों के प्रतिकूल भी बहुत-सी बातें मंजूर कर ली हैं। अब हमें यह बन्द कर देना चाहिए और मुसलिम लीग के साथ समझौते के लिए अपने बुनियादी उसूलों को नहीं भूल जाना चाहिए। मैं प्रस्ताव को स्थगित रखने के विरुद्ध हूं और मुझे विश्वास है कि प्रस्ताव के महत्त्व को सभा समझती है। दूसरे देशों की विधान-परिषदों ने अपने लक्ष्यों को सामने रखकर ही अपना काम शुरू किया था। यदि

[माननीय पुरुषोत्तमदास टंडन]

आप प्रस्ताव को स्थगित रखते हैं तो दुनिया क्या सोचेगी ? जब वे प्रस्ताव को जानेंगे तो समझेंगे कि भारत स्वतंत्र होने जा रहा है, ब्रिटेन के खिलाफ सन् १९४२ की "भारत छोड़ो" की लड़ाई अब हम जीतने जा रहे हैं। यह प्रस्ताव स्वतंत्रता-प्राप्ति के मार्ग में बड़ा सहायक होगा। इसका मुल्तवी रखना मैं समझता हूं बुद्धिमानी का काम न होगा।

प्रस्ताव पर और दूसरे संशोधन भी हैं। प्रस्ताव में यह बात साफ तौर पर कही गयी है कि समस्त सत्ता जनता के हाथ में होगी। कुछ लोगों का सुझाव है कि "जनता" की जगह "काम करने वाली जनता" रख दिया जाय। मैं इसके खिलाफ हूं। जनता शब्द से मतलब है, तमाम निवासियों का। मैं खुद किसानों का एक सेवक हूं। उनके साथ काम करना ही मेरे लिये एक बड़ा गौरव है। जनता शब्द काफी बोधगम्य है और इसमें सभी लोग शामिल हैं। अतः मेरी राय में उसके आगे कोई विशेषण न रखा जाना चाहिए। ऐसे भी संशोधन लाये गये हैं जिनमें अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। यह सब साधारण बातें हैं, जमाना बदल चुका है और प्रांतीय सरकारों ने ऐसी बातों के लिए कानून बना लिए हैं। इस समय बड़ी-बड़ी समस्याओं पर ही अपना ध्यान केन्द्रित रखना चाहिए। ये सब संशोधन बहुत जरूरी नहीं हैं और इन्हें उपस्थित न करना चाहिए।

जैसा मैं कह चुका हूं, बहुत-सी विपत्तियां झेलने के बाद हमें विधान बनाने का यह अवसर मिला है। सन् १९३५ में हमें कुछ रियायतें मिली थीं पर हमने अपनी लड़ाई सन् १९४२ तक जारी रखी। इन संघर्षों के फलस्वरूप आज हम यहां विधान बनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारे प्रयासों का क्या फल होगा हम नहीं जानते। हमारे पथ में अभी भी बहुतेरी बाधायें हैं। लंदन से हमारे मित्र अभी भी राय भेजा करते हैं। किसी उसूल पर बोलते हुए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हमें परामर्श देते हैं कि हमें यह व्यवस्था (Formula) मंजूर कर लेनी चाहिए कि बहुमत को अपना विधान बनाना चाहिए और अल्पमत को हक है कि वह बहुमत द्वारा लगायी रुकावटों के लिए विशेष संरक्षण मांगे। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि यद्यपि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हमें मदद देने की बात कहते हैं पर उनका असली अभिप्राय है हमारी राह में रुकावटें डालना। ब्रिटेन के साथ हमारे लम्बे सम्बन्धों का इतिहास बतलाता है कि हिन्दू-मुसलिम भेद-भाव की सृष्टि अंग्रेजों ने की।

हिन्दू-मुसलिम मनमुटाव की समस्या जिसका राग अंग्रेज अलापते हैं, वह तो उन्हीं की पैदा की हुई चीज है। उनके हिन्दुस्तान में पधारने के पहिले यहां इस मनमुटाव का नामोनिशां भी न था। दोनों की सभ्यता एक थी और दोनों ही मित्र-वत रहते थे। क्या कलेजे पर हाथ रखकर अंग्रेज कह सकते हैं कि वर्त्तमान भारतीय परिस्थिति को उन्होंने नहीं पैदा किया है ? और उन्होंने उसे बढ़ावा नहीं दिया है ? जो लोग ब्रिटेन के बहकावे में आकर आज हमारा विरोध कर रहे हैं, वे हमारे ही भाई हैं। अवश्य ही हम उनका सहयोग

चाहते हैं। परन्तु उनको अपने साथ लेने के लिए हम उन बुनियादी उसूलों को ही कुर्बान नहीं कर सकते जिन्हें आज तक हम अपनाये रहे और जिनसे राष्ट्र का निर्माण होता है। सर स्टेफोर्ड हमें गृहयुद्ध से सावधान करते हैं और सीख देते हैं कि गृहयुद्ध बचाने के लिए हमें आपस में मिल जाना चाहिए। कोई भी देशभक्त यह न चाहेगा कि गृहयुद्ध हो और भाई-भाई का खून बहे। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस ने देश के भिन्न-भिन्न वर्गों को मिलाने की सदा कोशिश की है। हमारे नेता साम्प्रदायिक झगड़ों में कभी नहीं पड़े। कांग्रेस ही एक मात्र ऐसा राजनैतिक संगठन है जिसमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, जैन, बौद्ध सभी संगठित हो सकते हैं। राजनैतिक क्षेत्र में धर्म के आधार पर किसी तरह का भेद-भाव कांग्रेस नहीं मानती। यह कहना कि अमुक-अमुक प्रांत या वर्ग धर्म की बिना पर देश से अलग कर दिए जायं, धर्म की बात नहीं है वल्कि यह तो कोरी राजनीति है, ऐसी राजनीति देश की एकता को नष्ट कर देती है। हम सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और अन्य ब्रिटिश नेताओं से पूछते हैं: यदि आज से १०० वर्ष पहिले या २५ ही वर्ष पहिले आपके देश के भिन्न-भिन्न वर्गों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया होता तो आज आप कैसी हुकूमत रखते ? हम अमेरिका से भी पूछते हैं यदि आपके मुल्क में भिन्न-भिन्न ईसाई सम्प्रदायों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया होता तो क्या आपके यहां उसी किस्म की गवर्नमेंट होती जो आज है ? क्या फिर आपके मुल्क में निरन्तर गृहयुद्ध न हुआ होता ? हमारे देश में गृहयुद्ध की सम्भावना तो ब्रिटिश हुकूमत ने पैदा की है। ब्रिटिश गवर्नमेन्ट अपनी पुरानी चाल चल रही है। ब्रिटिश मंत्रि-मंडल के वक्त में इसी मनोवृत्ति का आभास मिलता है। उनके द्वारा दिया हुआ भाष्य भी इसी बात पर जोर देता है कि भारतीय-संघ के भिन्न-भिन्न वर्गों को पूरा हक है कि वे अपने लिए जैसा विधान चाहें, बनावें। जैसा वे पहिले कहते थे, आज भी कहते हैं कि प्रांतों को अधिकार है कि वह चाहे तो किसी ग्रुप में शामिल रहें या उससे बाहर हो जायं। पर साथ ही अपने वक्तव्य में वे एक ऐसी शर्त्त भी रख देते हैं जो, इस सम्भावना को—प्रांत अपने अधिकारों को काम में लावें—पहले से ही खारिज कर देती है। आप एक प्रांत को यह तो कहते हैं कि उसे हक है कि चाहे तो किसी वर्ग में शामिल हो या नहीं। पर साथ ही यह भी कहते हैं कि ग्रुप के सभी लोग विधान बनाने के लिए सम्मिलित होंगे। पच्छिमोत्तर सूबा प्रांत को पंजाब के साथ बंधना होगा और सिंध, बलूचिस्तान और आसाम को बंगाल के साथ बंधना होगा। इन प्रांतों का विधान ग्रुप बी और ग्रुप सी बनायेंगे। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान वाला गुट पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के लिए विधान बनायेगा और बंगाल आसाम के लिए। क्या यह ईमानदारी की बात है ? एक तरफ तो आप कहते हैं कि प्रांत को हक है कि वह ग्रुप में रहे या अलग हो जाय। पर आप विधान ऐसा बना देते हैं जो प्रांत के गुट से बाहर निकल जाने की सम्भावना को ही खारिज कर देता है। मंत्रिमण्डल के वक्तव्य में यह साफ तौर पर कहा गया था कि गुट में शामिल होना प्रांतों की मर्जी पर है। वक्तव्य के अन्त में गुटों से बाहर निकलने की स्वतंत्रता

[माननीय पुरुषोत्तमदास टंडन]

दे दी गई। वक्तव्य के प्रथम भाग का अर्थ यह है कि गुटबंदी के समय प्रांत को आज़ादी है वह उसमें शामिल हो या नहीं। हमने तो यही अर्थ समझा और इसी-लिए कांग्रेस ने उसे स्वीकार किया। पर अब यह कहा जाता है कि गुट बनते समय भी प्रांत को यह आजादी नहीं है कि वह गुट में शामिल न हो और न उसे यही अधिकार है कि वह अपना विधान खुद बनाये। विधान तो समूचे गुट के प्रतिनिधि मिल कर बनायेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम हिन्दुस्तान का विभाजन मंजूर करलें और पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत और आसाम को उन लोगों के हवाले कर दें जो खुल्लमखुल्ला यह कहते हैं कि वे भारत को दो भागों में विभक्त करने पर तुले हैं। गृहयुद्ध यदि अनिवार्य ही हो गया है तो हो पर गृहयुद्ध की धमकी से हम गलत काम करने पर लाचार नहीं किये जा सकते। बहुत सम्भव है कि भारत के एक कोने में गृहयुद्ध हो और हमें अंग्रेजों से भी लड़ना हो। वे हमें गृहयुद्ध की धमकी देते हैं। पर असल बात यह है कि वे हमारे बीच में गृह युद्ध का बीज बोरहे हैं। वे चाहते हैं कि हम आपस में लड़ते रहें ताकि वे हम पर हुकूमत कर सकें। मुझे यह सब कहने में दुख होता है। ब्रिटिश जनता के लिए मेरे मन में बड़ी इज्जत है। वे राजनैतिक मैदान में बहुत उन्नति कर चुके हैं और बुद्धिमान एवं स्वातंत्र्य प्रिय हैं। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। मेरे मन में उनके लिए लेशमात्र भी घृणा नहीं है। मुझे इस बात पर बड़ी प्रसन्नता थी कि इंग्लैंड में एक नया जमाना आया है, वहां की हुकूमत मजदूर दल के हाथ में आ गई है और यह दल पुरानी नीति बदल देगा। गत सौ वर्षों से ब्रिटिश हुकूमत की नीति दूसरे मुल्कों के साथ स्वार्थ और चातुरी की रही है। और अपने अंदरूनी मामलों में वे बड़े उदार हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अपने देशवासियों के लाभ के लिए दूसरे राष्ट्रों को दबाना या खसोटना वे बुद्धिमत्ता की बात समझते हैं। टोरियों और कट्टरवादियों की हार और नई हुकूमत के आ जाने से यह आशा थी कि ब्रिटेन की नीति बिलकुल बदल जायगी और उनकी वैदे-शिक नीति सच्चाई और ईमानदारी के आधार पर स्थगित होगी। पर मुझे यह देख-कर बड़ा दुःख होता है कि उनके हाल के कुछ वक्तव्यों का यही लक्ष्य रहा है कि भारतवासियों में मनमुटाव पैदा हो।

मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस कैबिनेट मिशन मंत्रिमंडल की योजना को मंजूर करके ही विधान-परिषद् में सम्मिलित हुई है। पर मैं यह बता देना चाहता हूं कि विधान-परिषद् समवेत होने के बाद अपना बिलकुल भिन्न मार्ग पकड़ सकती है। राजा लुइस के आमंत्रण पर फ्रांस में परिषद् समवेत हुई। जब उन्होंने देखा कि वे जो करना चाहते हैं, नहीं कर सकते तो उन्होंने अपनी स्वतंत्र कार्यवाही प्रारम्भ की। अपनी आर्थिक मांग स्वीकार कराने के लिए राजा ने उन्हें आमंत्रित किया था पर उनका इरादा समझ कर उसने परिषद् को भंग करना चाहा पर परिषद् ने विघटित होने से इनकार कर दिया। हमारी परिषद् ब्रिटिश हुकूमत के आमंत्रण पर समवेत हुई है पर हम आजाद हैं कि अपनी इच्छानुसार कार्य संचालन करें। हममें से कुछ

इसके खिलाफ थे कि कांग्रेस परिषद् में शामिल हो। वे ब्रिटिश कूटनीति से डरते थे पर कांग्रेस को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। मेरी विनम्र राय भी यही थी कि हमें इसमें शरीक होना चाहिए। मुझे अपने साथियों की शक्ति और दृढ़ता में विश्वास था। यह अवसर खोने लायक नहीं था। यदि ब्रिटेन की अड़ंगेबाजी के कारण हम कामयाब न हुए तो कम-से-कम दुनिया को तो हम यह बता सकेंगे कि हम कैसा विधान चाहते हैं। हमारे सभापति ने अपने भाषण में बहुत-सी अच्छी बातें कही हैं। उनके मुख से यह सुनकर कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के हम पाबन्द न होंगे, हमारा हौसला बढ़ गया है।

इस सभा में ब्रिटिश हुकूमत के इस प्रस्ताव को हम स्वीकार नहीं कर सकते कि भारत वर्गों में विभक्त कर दिया जाय और प्रान्तों का विधान बनाने का अधिकार उन्हें दे दिया जाय जो भारत को विभक्त करने पर तुले हुए हैं। मैं यह सब कहना नहीं चाहता पर यह कह देना मुझे अपना फर्ज मालूम पड़ता है कि मुसलिम लीग की ओर से दावे पेश करने में ब्रिटिश हुकूमत अपनी सच्चाई की कमी जाहिर करती है।

किसी ने यह ठीक कहा है कि लीग ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोर्चा है। पंडित नेहरू ने अभी उस दिन कांग्रेस में कहा था कि दर्मियानी गवर्नमेंट में शामिल होने वाले लीग-सदस्य सम्राट की पार्टी की तरह आचरण कर रहे हैं। तथ्य यह है कि लीग को ब्रिटिश हुकूमत की ओर से धोखा दिया जा रहा है। वे हमारे देशवासी हैं, हमारे भाई हैं और उनके साथ समझौता करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज ब्रिटिश हुकूमत लीग को मोर्चा बनाकर उसके पीछे से हम पर तीर चला रही है। हम ब्रिटिश वार को खूब समझते हैं और हमें अपनी हिफाजत करनी है। जो विधान हम बनायेंगे, उसमें यह कोशिश करेंगे कि हम उन तीरों से बच सकें। ऐसा करने में यदि हमें ब्रिटिश हुकूमत और उसके हिमायतियों से लड़ना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमें पक्का विश्वास है कि हम सब बाधाओं पर विजय पायेंगे। यह हमारे लिए परीक्षा-काल है। ज्यों-ज्यों सफलता सन्निकट आती जाती है तरह-तरह की कठिनाइयां पैदा होती जाती हैं। जब योगी योग के ऊंचे स्तर पर पहुँचता है तो प्रेतात्मायें उसे और परेशान करती हैं। वे उसे धमकाती हैं और धोखा देने की कोशिश करती हैं। हम सफलता के निकट पहुंच गये हैं और भिन्न-भिन्न दुष्प्रवृत्तियां हमें अपने उद्देश्य से विचलित करने के लिए आज सर उठा रही हैं। हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनके जाल में न पड़ें और न उनसे भयभीत हों।

विधान बनाने में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि समुन्नति की चाहे जो योजना बनावे, हम भारत को विभक्त करने का प्रस्ताव कभी स्वीकार न करेंगे। भारत एक रहना चाहिये। इस तरह अपनी प्राचीन सभ्यता की रक्षा करते हुये हम आगे बढ़ सकते हैं और विश्व में शान्ति स्थापना में बड़ा हिस्सा ले सकेंगे।

*सभापति—प्रस्ताव पेश हो चुका है और इसका समर्थन भी हो गया है। बहुत से संशोधनों की सूचना हमें मिली है। मैं समझता हूं चालीस से भी ज्यादा

[सभापति]

संशोधन मेरे पास आ चुके हैं और संशोधनों के लिए समय देना मैं आवश्यक नहीं समझता। आये हुये बहुसंख्यक संशोधनों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि संशोधनों के इच्छुक सदस्यों का दृष्टिकोण आ चुका है।

११ बज चुके हैं और मेरी समझ में हम लोग उठ सकते हैं। उठने के पेश्तर मैं सभा को बता देना चाहता हूँ कि कल से सम्भव है कि वक्ताओं पर समय की पाबन्दी लगाने का अप्रिय काम मुझे करना पड़े। पहला दिन होने के कारण आज हस्तक्षेप करना मैंने ठीक नहीं समझा और वक्ताओं को पूरा समय दिया।

कल शनिवार है और मैं नहीं चाहता कि कल सभा बैठे। इसका मतलब यह नहीं कि मैंने यह नियम बना दिया कि शनिवार को बैठक ही न होगी। कल तो हम इसलिए समवेत न होंगे कि रूल्स कमेटी (नियम-निर्धारिणी-समिति) में भाग ले रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इस समिति का काम शीघ्र समाप्त हो जाय। अतः इस समिति के सदस्यों को पूरा समय देने के लिये ही कल सभा न बैठ सकेगी। हम सोमवार को दोपहर के तीन बजे बैठेंगे। प्रातः नहीं। सभा सोमवार को तीन बजे तक स्थगित होती है।

तदनन्तर सभा सोमवार, १६ दिसम्बर सन् १९४६ ई० को तीन बजे तक स्थगित की गई।

अंक १
संख्या ६

सोमवार
१६ दिसम्बर
सन् १९४६ ई०

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

—:०:—

विषय-सूची

(मूल्य ४ आने)

भारतीय विधान-परिषद्

सोमवार, १६ दिसम्बर सन् १९४६ ई०

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कान्स्टीट्यूशन हाल नई दिल्ली में सोमवार, १६ दिसम्बर, सन् १९४६ ई० दोपहर ३ बजे माननीय डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव

*सभापति: जो प्रस्ताव १३ दिसम्बर को उपस्थित किया गया था उस पर हम अब आगे बहस शुरू करते हैं। प्राप्त संशोधनों की संख्या लम्बी है पर मैं समझता हूं कि उनमें सभी पेश नहीं किये जायेंगे। अब मैं डा० जयकर से कहूंगा कि वे अपना संशोधन पेश करें।

*माननीय डा० एम० आर० जयकर (बम्बई: जनरल): सभापति महोदय और मित्रो, अपना संशोधन पेश करने से पहले मैं चन्द शब्द उस सुन्दर वक्तृता की प्रशंसा में कहना चाहता हूं जो प्रस्ताव उपस्थित करते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने दी है। उसकी स्पष्टता, विनयशीलता और उसका गाम्भीर्य सभी प्रभावोत्पादक थे। वक्तृता सुनते समय मेरा ध्यान अतीत के उन दिनों की ओर गया जब यहां से कुछ ही गज की दूरी पर उनके प्रसिद्ध पिता स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हम कानूनी युद्ध का संचालन करते थे। इस महती परिषद् की तुलना में वह वाग्युद्ध आज बड़ा अवास्तविक और छोटा मालूम पड़ता है। मैं सदा ही पं० मोतीलाल नेहरू को बड़ा भाग्यशाली समझता था। उनकी दोनों संतानें उनके देहावसान के बाद यशस्वी निकलीं। एक तो पं० जवाहरलाल नेहरू जो इस महती सभा के पथ-प्रदर्शक एवं प्राण हैं दूसरी उनकी गौरवशालिनी पुत्री जिन्होंने न्यूयार्क में सम्मिलित राष्ट्र-संघ की बैठक में महती विजय प्राप्त की है और जिसके स्वागत की हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

पेश्तर इसके कि मैं अपना संशोधन पढ़ कर सुनाऊं मैं एक गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ जो मेरे संशोधन के सम्बन्ध में पैदा हो गई है। मेरे कई प्रसिद्ध और स्नेही मित्रों ने मिलकर मुझे गम्भीरतापूर्वक यह समझाया है कि मुझे अपना संशोधन नहीं पेश करना

* इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[माननीय डा० एम० आर० जयकर]

चाहिए। मैं यह संशोधन क्यों पेश करना चाहता हूँ उसको लेकर जो भी गलतफहमियां पैदा हुई हैं उन्हें मैं दूर कर देना चाहता हूँ। यह कहा गया है कि संशोधन से इस परिषद् में फूट पड़ जायगी जो वर्त्तमान समय में बहुत बुरी बात होगी। जब आप मेरी वक्तृता सुनेंगे तो आशा है कि आप इससे सहमत होंगे कि यह संशोधन फूट पैदा करने की गरज से नहीं पेश किया जा रहा है। और न उससे इस तरह की फूट पैदा ही होगी जैसा कि हमारे मित्र समझते हैं। कुछ लोगों ने यह कहा है कि मैं जानबूझ कर मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। यदि इस सभा के श्रम को सफलीभूत करने के लिए यह आवश्यक हो, तो इसमें मैं कोई क्षति नहीं देखता। एक मित्र ने तो यहां तक कह दिया है कि मैं मि० चर्चिल का समर्थन कर रहा हूं। उस विश्व विख्यात चर्चिल का जिसकी कलई खोलने की कोशिश मैंने राउन्ड टेबुल कांफ्रेंस में अपनी जिरह से की थी। इसकी किंचित मात्र सम्भावना नहीं है कि मैं मि० चर्चिल का किसी तरह से समर्थन करूं। कुछ लोगों ने यह कहकर कि मैं जीवन भर हिंदू हितों का हामी रहा हूँ पर अब मुसलमानों का समर्थन करना और उन्हें संतोष देना चाहता हूँ, मेरी भावना को उत्तेजित किया है। उत्तर में मैंने कहा कि इन दोनों में मुझे कोई परस्पर विरोध नहीं दिखाई देता। हिंदू हितों का मैं समर्थक हूँ, इसका यह अर्थ नहीं कि मैं दूसरे सम्प्रदाय के उन हितों पर कुठाराघात करूं जिन्हें मैं जायज समझता हूँ। संशोधन उपस्थित करने में मेरा वास्तविक उद्देश्य है इस परिषद् को नाकाम होने से बचाना। मुझे इस बात का डर है कि हम यहां जो कुछ भी कर रहे हैं वह शीघ्र ही व्यर्थ हो जायगा। मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ कि हमारी राह में आने वाली दो-एक कठिनाइयों की उपेक्षा से कहीं इस परिषद् का काम असफल और प्रभावशून्य न हो जाय। एक मित्र ने कहा है कि आप कांग्रेस टिकट पर चुने गए हैं। मैं इस उदारता को स्वीकार करता हूँ और जब यह आमंत्रण मुझे मिला तो मैंने व्यक्तिगत असुविधा के बावजूद भी उसे स्वीकार किया। पर उसकी कृतज्ञता के लिए यदि मुझे अपनी सेवायें सदा लोकप्रिय ही बनानी पड़ें तो मुझे डर है कि मेरे लिए यह सम्भव न हो सकेगा। अवश्य आपको मेरी सेवाओं पर अधिकार है पर यह लाजिमी नहीं है कि वह सदा लोकप्रिय ही हों। अवश्य मैं आपको अपना सहयोग और सेवा देने के लिए यहां आया हूँ पर मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वे सदा आपकी इच्छानुसार

ही होंगी। हो सकता है कि कभी-कभी मेरी सेवायें दुखद जान पड़ें अर्थात् अपनी त्रुटियां और राह की कठिनाइयों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूं।

सभापति महोदय, मैं दो बातों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। एक तो केवल शुद्ध कानूनी बात है और संक्षेप में उस पर अपना मत व्यक्त करके मैं इसे आप पर और वैधानिक सलाहकार पर छोड़ दूंगा। मैं सलाहकार महोदय को आज १० वर्षों से जानता हूं। वे विधान के ज्ञाता हैं, स्वतंत्र बुद्धि के आदमी हैं और उनका व्यवहार सदा सच्चा होता है। मैं तो यह कहूंगा कि यह हमारे लिए बड़ी सुविधा की बात है कि सर बी० एन० राव सरीखे योग्य विधान-वेत्ता की हमें मदद मिल रही है और मुझे इसमें रंच-मात्र भी संदेह नहीं है कि जो बात मैं कह रहा हूं, उस पर वे पूरा ध्यान देंगे। मैं एक वैधानिक आपत्ति (प्वाइंट आफ आर्डर) की तरह यह बात नहीं उठा रहा हूँ बल्कि राह की कानूनी कठिनाइयों को बताने के लिए यह कह रहा हूँ। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि जो भी समय हमारे पास है उसमें आप इस पर अच्छी तरह गौर करेंगे और जैसा उचित समझें, फैसला देंगे। जो बात मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि विधान-परिषद् की प्रारम्भिक बैठक में इस स्थल पर विधान के बुनियादी प्रश्नों पर विचार नहीं किया जा सकता। पं० जवाहरलाल नेहरू ने भी मंजूर किया है कि यह प्रस्ताव विधान की बुनियादी बातों को स्पष्ट करने के अभिप्राय से ही रखा गया है। प्रस्ताव बड़ा महत्त्वपूर्ण है। यह आगामी विधान की बुनियादी बातों को तय करता है। अगर आप इसकी छान-बीन करें तो एक बार पढ़ने से ही आपको यह मालूम हो जायेगा कि बहुत-सी बातें जिनका प्रस्ताव में उल्लेख है विधान के सिद्धांतों से सम्बन्ध रखती हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इस-में एक गणतंत्र की—एक संघ की—चर्चा की गई है। इसमें वर्त्तमान सीमाओं की तथा प्रांतीय अधिकारियों के अधिकारों की चर्चा की गई है। इसमें अवशिष्ट अधिकारों का, अल्पसंख्यकों के हकों का—बुनियादी हकों का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि सत्ता जनता से प्राप्त है। साफ है कि ये सारी बातें विधान की बुनियादी बातें हैं। मेरा कहना है कि कैबिनेट मिशन के १६ मई के वक्तव्य में इस प्रारम्भिक बैठक की जो अधिकार-सीमा निर्धारित की गई है उसके मुताबिक यह बैठक कानूनन विधान सम्बन्धी सिद्धांतों की रूप-रेखा भी निश्चित नहीं कर सकती। जब हम सेक्शनों में बैठते हैं और प्रांतीय विधान बन जाते हैं तभी इसका प्रसंग आ सकता है। उस

[माननीय डा० एम० आर० जयकर]

समय तक हमारे दो अन्य साथी मुस्लिम लीग और देशी रियासतें भी शामिल हो जायेंगी, इसकी आशा है। फिलहाल इस प्रारम्भिक बैठक में हमारा कार्य साफ-साफ शब्दों में सीमित रखा गया है। मैं वक्तव्य के इन शब्दों को अभी पढ़कर सुना देता हूं। इसमें विधान की बुनियादी बातों को रखने की या स्वीकार करने की बात शामिल नहीं है। इसके लिए तो हमें उस समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है। सभापति महोदय, निस्संदेह जैसा आपने फरमाया है और ठीक फरमाया है, यह सभा सर्वसत्ता-सम्पन्न है। पर कैबिनट मिशन के वक्तव्य से ही इस सभा की उत्पत्ति है और उस वक्तव्य द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर ही हमारी सत्ता है। बिना पारस्परिक समझौते के हम इन सीमाओं के बाहर नहीं जा सकते और चूंकि अन्य दो दल अनुपस्थित हैं, समझौते की बात नहीं सोची जा सकती, इसलिए हम उन सीमाओं के अन्दर रहने के लिए बाध्य हैं। हां, अगर कुछ लोगों का यह ख्याल हो कि इन सीमाओं की बिलकुल उपेक्षा की जाय और कैबिनेट मिशन के वक्तव्य द्वारा निर्धारित सीमाओं की अवहेलना कर परिषद् द्वारा राजनैतिक सत्ता प्राप्त की जाय और इस तरह देश में क्रान्ति उत्पन्न की जाय तो यह बात इस योजना से बाहर है। और हमें इस संबंध में कुछ नहीं करना है। पर चूंकि कांग्रेस ने उक्त वक्तव्य को पूर्ण रूपेण स्वीकार किया है, यह उससे निर्धारित सीमाओं को मानने के लिए बाध्य है। यदि आप अनुमति दें तो मैं चन्द मिनटों में वक्तव्य के आवश्यक हिस्सों को पढ़ कर......।

***श्री किरणशंकर राय (बंगालः जनरल)** : सभापति महोदय, एक नियम सम्बन्धी आपत्ति है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आया जयकर साहब नियम सम्बन्धी आपत्ति उठा रहे हैं या संशोधन पेश कर रहे हैं? यदि वे नियम सम्बन्धी आपत्ति उठा रहे हैं तो हमारा ख्याल है कि पहले उस आपत्ति का फैसला हो जाय तब वे अपना संशोधन पेश करें।

***सभापति** : मेरी समझ में डा० जयकर ने कहा है कि वे नियम सम्बन्धी आपत्ति नहीं पेश कर रहे हैं बल्कि यह बतला रहे हैं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में क्या कठिनाइयां हैं। मैं समझता हूं वह इसी दिशा में चल रहे हैं; जैसा मैं समझता हूं वे विधान-सम्बन्धी आपत्ति पर नहीं बोल रहे हैं।

***डा० बी० पट्टाभि सीतारमैया (मद्रास, जनरल)** : सभापति जी, क्या वे प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने का कोई प्रस्ताव पेश कर

रहे हैं ? मैं तो यही समझता हूं।

*सभापति: मैं नहीं समझता कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने का वह प्रस्ताव कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि प्रस्ताव पर विचार हो। पर इस प्रस्ताव पर अभी यहां विचार करना ठीक है या नहीं, इस बात पर वे अपना मत व्यक्त कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमें वे बता रहे हैं कि प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार करने में क्या कठिनाइयां हैं।

*डा० बी० पट्टाभि सीतारमैया: सभापति महोदय, मैं ससम्मान यह बताना चाहता हूं कि वे नहीं चाहते कि हम इस विषय पर विचार करना जारी रखें। यह बात तो उनके संशोधन के शब्दों से साफ है। जनाब, मैं उनके शब्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

*श्री मोहनलाल सक्सेना (संयुक्त प्रान्तः जनरल): सभापति जी, एक नियम सम्बन्धी आपत्ति है। धारा सभा के नियमानुसार संशोधन पेश करने वाले सदस्य को अपना भाषण प्रारम्भ करने से पहले संशोधन उपस्थित करना होता है। मैं सुझाव दूंगा कि डा० जयकर से कहा जाय कि भाषण प्रारम्भ करने से पहले वे अपना संशोधन उपस्थित करें।

*माननीय डा० एम० आर० जयकर: बहुत अच्छा, मैं संशोधन पढ़े देता हूं। मैं तो चंद मिनटों में अपनी बात कहकर आपका समय बचाना चाहता था। संशोधन यह है—

"यह सभा अपना दृढ़ और गम्भीर निश्चय घोषित करती है कि भारत के भावी शासन के लिए जो विधान यह बनायेगी वह एक स्वतन्त्र, गणतांत्रिक सत्ता-सम्पन्न राज्य का विधान होगा। परन्तु ऐसा विधान बनाने में मुस्लिम लीग और देशी रियासतों का सहयोग पाने तथा इस तरह अपने निश्चय को और उग्र बनाने के उद्देश्य से सभा इस प्रश्न पर और विचार आगे के लिए स्थगित रखती है, ताकि उपरोक्त दोनों संगठनों के प्रतिनिधि, यदि चाहें, इस सभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकें।"

संक्षेप में मेरे संशोधन का यह अभिप्राय है कि इस प्रस्ताव पर और विचार आगे के लिए स्थगित रखा जाय—उस वक्त के लिए स्थगित रखा जाय जब संघ विधान बने जिस समय आशा की जाती है कि मुस्लिम लीग और देशी रियासतें दोनों ही मौजूद होंगी। मैं इस बात को नियम सम्बन्धी आपत्ति बोल कर नहीं उठा रहा हूं। बल्कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के पूर्व हमें जिस कठिनाई को दूर करना है, उसे मद्देनजर रख कर मैं यह बात उठा रहा हूं

[माननीय डा० एम० आर० जयकर]

और इस प्रश्न पर आगे विचार स्थगित रखने के लिए यह एक तर्क है। इस प्रारम्भिक बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर करने में परिषद् के मार्ग में जो कानूनी कठिनाइयां हैं उन्हें मैं बता रहा हूं। इसलिए जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस प्रारम्भिक बैठक में काम को अंजाम देने का हमारा अधिकार सीमित है। साफ-साफ शब्दों में हमारे अधिकारों को सीमित रक्खा गया है। और जब हमने इन सीमाओं को—इन पाबन्दियों को मंजूर कर लिया है तो उस सभा को यह अधिकार नहीं है कि वह इस समय विधान सम्बन्धी कोई सिद्धान्त यहां पास करे। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मंत्रिमण्डल के वक्तव्य के चंद पैरों की ओर आकृष्ट करूंगा। मैं धारा १९ को प्रारम्भ में लेता हूं। उपधारा (१) उन तरीकों का जिक्र करती है जिनके मुताबिक भिन्न-भिन्न संगठनों के प्रतिनिधि चुने जायेंगे। उसके बाद सेक्शन ए, बी, और सी का जिक्र आता है। और उसके बाद चीफ कमिश्नर वाले प्रान्तों के सम्बन्ध में एक नोट है। मैं इसे छोड़ देता हूं। फिर उपधारा (२) आती है जिसमें रियासतों की बाबत कहा गया है। और फिर उपधारा (३) है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह चुने हुए प्रतिनिधि—यानी हिन्दू, मुसलमान और देशी रियासतों की निगोशिएटिंग कमेटी—निगोशिएटिंग कमेटी का प्रसंग मैं अभी यहीं छोड़ देता हूं—यथाशीघ्र नई दिल्ली में समवेत होंगे—हम लोग अब समवेत हो चुके हैं। इसके बाद प्रारम्भिक बैठक की बात कही गई है। और इसी प्रारम्भिक बैठक में हम आज शामिल हैं। इस बात में तो कोई विवाद ही नहीं उठ सकता कि यह प्रारम्भिक बैठक है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान २० नवम्बर के आमंत्रण पत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसे वायसराय ने इस बैठक में शामिल होने के लिए आपके पास भेजा था। उसमें इसे पहली बैठक कहा गया है। इसलिए यही प्रारम्भिक बैठक है, जिसका उल्लेख उपधारा (४) में किया गया है। अब आइये, हम यह देखें यह प्रारम्भिक बैठक क्या करने का हक रखती है:

"एक प्रारम्भिक बैठक होगी जिसमें (१) कार्य-क्रम की सूची निश्चित की जायगी। (२) सभापति तथा अन्य पदाधिकारी चुने जायेंगे। (३) नागरिकों के, अल्प-संख्यकों के, कबीले वालों तथा पृथक् क्षेत्रों (Excluded areas) के बाशिन्दों के अधिकारों पर विचार करने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी मुकर्रर की जायगी। (नीचे पैराग्राफ २० देखिए।) मैं समझता हूं शीघ्र ही ऐसा

किया जायगा । इसको छोड़ कर विधान के सिद्धान्तों को या उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में यहां एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

*श्री के० सन्तानम (मद्रास : जनरल) : सभापति महोदय, एक वैधानिक आपत्ति है। यदि माननीय सदस्य का तर्क सही है तो उनके संशोधन का प्रथम वाक्य भी इस सभा के अधिकार के बाहर है, जिस तरह पं० जवाहर लाल नेहरू का मूल प्रस्ताव।

*माननीय डा० एम०आर० जयकर—दूर से सुनने में कठिनाई होती है इसलिए यह अधिक सुविधाजनक होगा अगर मेरा भाषण समाप्त हो जाने पर सदस्य मंच पर आकर अपनी आपत्तियां प्रकट करें। उस समय उनकी बात सुनना ज्यादा आसान होगा और इस बीच में कुछ होगा नहीं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बजाय इसके कि सदस्य अभी मेरे भाषण में हस्तक्षेप करें, यह ज्यादा अच्छा होगा कि मेरी वक्तृता पर उन्हें जो भी आपति हो उसे मेरा भाषण समाप्त होने पर यहां मंच पर आकर व्यक्त करें। और मैं, यदि मुझे मौका दिया गया तो उनका जवाब दूंगा। मेरा कथन यह है, चाहे वह गलत हो या सही कि प्रारम्भिक बैठक के अधिकार इन्हीं बातों तक सीमित हैं।

*सभापति : शान्ति, शान्ति (आर्डर आर्डर)। श्री सन्तानम आपकी क्या आपति है ?

*श्री के० सन्तानम : मेरी वैधानिक आपत्ति यह है कि यदि माननीय सदस्य का तर्क सही है तो उनके संशोधन का प्रथम वाक्य इस सभा के अधिकार के बाहर है।

*सभापति : डा० जयकर की ओर मुड़ कर—श्री सन्तानम का कहना है कि आपके संशोधन का पहला वाक्य आपके ही तर्क के अनुसार नियम से बाहर है।

*माननीय डा० एम० आर० जयकर : यदि आपकी यह राय है तो वह हटा दिया जा सकता है। मैं इसके लिए राजी हूं, इस विचार के खिलाफ बहस करने में मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता। यदि जरूरत हो तो मैं इस हिस्से को हटा देने के लिए और बाकी को रखने के लिए तैयार हूं। मेरे मतलब के लिए इतना काफी है।

*डा० बी० पट्टाभि सीतारमैया : इसलिए मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि यह तो प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने की एक तजवीज है।

*सभापति : वस्तुतः इससे एक कठिनाई पैदा होजाती है कि मंत्रि प्रतिनिधि मंडल

[सभापति]

के वक्तव्य के अनुसार आपके संशोधन का पहला हिस्सा इसे एक संशोधन बताता है...यदि आपका तर्क सही है और यह हटा दिया जाता है तो नतीजा यह होता है कि आपका संशोधन सभा स्थगित करने का एक प्रस्ताव बन जाता है।

*माननीय डा० एम० आर० जयकर : अगर एक क्षण के लिए यही मान लिया जाय कि आप इसे स्थगित रखने का प्रस्ताव मानते हैं तो क्या मैं इसे फिलहाल पेश नहीं कर सकता ? यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिस पर औचित्य या श्रेष्ठता के ख्याल से और अन्य संशोधनों से पहले विचार करना चाहिए। इसलिए माना कि आप इसे स्थगित रखने का प्रस्ताव मानते हैं फिर भी इस पर अभी विचार करने के लिए मैं जोर दे सकता हूं।

*सभापति : इस मामले में मैं सभा के सदस्यों की सहायता चाहता हूं। कठिनाई यह है कि यदि कानूनी दृष्टि से डा० जयकर का तर्क सही है तो पं० जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव नियम के बाहर है। यह प्रश्न उसी समय उठाना चाहिए था, जब प्रस्ताव पेश हुआ था परंतु इस समय मैं नहीं समझता कि यह आपत्ति उठाई जा सकती है। इसलिए हम लोग प्रस्ताव और संशोधन दोनों को ही नियमानुकूल मानते हैं और उस पर विचार जारी रखते हैं।

*माननीय डा० एम० आर० जयकर : तब क्या कानूनी प्रश्न बोल कर मैं इस पर जोर दे सकता हूं ?

*सभापति—मैं समझता हूं कि यह-कानूनी सवाल उठेगा ही नहीं। गुण के आधार पर आप इसे पेश करें।

*माननीय डा० एम० आर० जयकर—सभापतिजी, मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि इस समय विधान की बुनियादी बातों पर न तो विचार किया जा सकता है और न उन्हें मंजूर किया जा सकता है। मैं चंद और धारायें पढ़कर सुना देता हूं। वाक्यांश (५) कहता है:—

"ये सेक्शन अपने अन्तर्गत प्रान्तों के लिए प्रान्तीय विधान बनाने का काम शुरू करेंगे।"

मैं समझता हूं कि ये सेक्शन आगामी मार्च या अप्रेल में बैठेंगे। मैं और अप्रासंगिक भागों को नहीं पढ़ता हूं। इसके बाद वाक्यांश (६) आता है। जिसमें यह बताया गया है कि विधान-सम्बन्धी प्रश्नों को क्या तय किया जा सकता है।

"सेक्शनों और देशी रियासतों के प्रतिनिधि संघ-विधान

बनाने के लिए पुनः एकत्र होंगे।"

उस समय विधान की बुनियादी बातों को तय किया जा सकता है क्योंकि उस समय रियासतें, मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस सभी मौजूद रहेंगे। यह इसलिए कि योजना के अनुसार यह आवश्यक है कि उक्त तीनों संगठनों को विधान-सम्बन्धी प्रश्नों पर अपना मत व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए। वह समय अभी नहीं आया है। इसलिए मेरी अर्ज यह है कि इस प्रश्न पर न तो इस समय विचार ही किया जा सकता है और न अन्तिम फैसला किया जा सकता है। मैंने तो आपको इस कठिनाई से बचने का रास्ता सुझाया है और अगर आप पसंद करें तो इसे मंजूर कर सकते हैं।

***श्री० एन०वी० गैडगिल (बम्बई : जनरल):** धारा ४ में कोई रुकावट या मनाही नहीं है।

***माननीय डा० एम० आर० जयकर:** यहां यह बात स्वयं सूचित है। आप वाक्यांश (४) और (६) को पढ़िए। उसका साफ-साफ मतलब यह है कि प्रारम्भिक बैठक में केवल चन्द बातों पर ही विचार किया जायगा और विधान तय करने की बात तब आयेगी, जब हम धारा ६ पर आते हैं। अन्यथा वाक्यांश ६ बिलकुल अनावश्यक और पूर्व के वाक्यांशों से प्रतिकूल है। इसलिए इन दोनों वाक्यांशों को मिलाकर पढ़ने से यह साफ जाहिर होता है कि वाक्यांश ४ में साफ-साफ शब्दों में बताया गया है कि इस वक्त क्या किया जा सकता है। संघ-विधान-सम्बन्धी सारी बातें चाहे विस्तृत रूप से उन पर विचार कर उन्हें तय किया जाय या बुनियादी बातों की महज एक रूपरेखा तैयार की जाय, तभी तय की जा सकती हैं, जब वाक्यांश ६ का समय आवे।

अब मैं वाक्यांश ७ पर आता हूं। जिसमें इस प्रश्न पर और प्रकाश डाला गया है। उसमें यह व्यवस्था है कि अगर कोई बड़ा साम्प्रदायिक प्रश्न उठे तो इस वाक्यांश में बताई हुई व्यवस्था के अनुसार उस पर विचार किया जायगा। यहां कोई दल नहीं है जो बड़ा साम्प्रदायिक प्रश्न उठायेगा। इसलिए अगर आप वाक्यांश ७ को पुनः पढ़ें तो मालूम होगा कि वह बात उसमें साफ तौर पर दी गई है जो मैंने बताई है, कानूनी पहलू पर मेरा यही कहना है।

कानूनी प्रश्न के अतिरिक्त कतिपय और व्यावहारिक आवश्यकता की बातों पर भी मैं जोर दूंगा कि भला क्यों हमें यह प्रश्न बाद में विचार करने के लिए अभी स्थगित रखना चाहिए। इस कठिनाई से निकलने के लिए मैं यह सुझाव पेश कर रहा हूं कि चूंकि इस प्रस्ताव पर अब तक काफी वाद-विवाद हो चुका और जनमत जानने का

[माननीय डा० एम० आर० जयकर]

भी मौका मिल चुका। यह सभा इस पर अभी वोट न लेकर बाद में इस पर विचार करे जब वाक्यांश ६ में उल्लिखित समय आये ताकि उस पर पुनः विचार करते समय दोनों दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहें और कार्यवाही में हिस्सा ले सकें। कठिनाइयों से निकलने का मैं यह रास्ता बता रहा हूं।

*श्री आर० के० सिधवा (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल) : सभापतिजी, एक वैधानिक आपत्ति की बात कहता हूं, डा० जयकर का संशोधन कहता है :—

"यह सभा इस प्रश्न पर और विचार आगे के लिए स्थगित रखती है ताकि उपरोक्त दोनों संगठनों के—देशी रियासतें और मुस्लिम लीग के—प्रतिनिधि यदि चाहें इस सभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकें।" उन्होंने पैरा १९ के वाक्यांश (२) का उदाहरण दिया है। यह वाक्यांश कहता है—"अभिप्राय यह है कि रियासतों को अंतिम विधान-परिषद् में उचित प्रतिनिधित्व दिया जायगा...।"

वह मौका अभी नहीं आया है इसलिए यह आपत्ति कि देशी रियासतों का यहां प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो पाया है, आधार-हीन है। पुनः यदि आप आगे...... ।

*सभापति : यह तो वैधानिक आपत्ति नहीं है बल्कि जो कुछ कहा गया है, उसके विरुद्ध यह केवल एक तर्क है।

*माननीय डा० एम० आर० जयकर : अब मैं अपनी बात कह सकता हूं, सभापति जी ?

*सभापति : हां।

*माननीय डा० एम० आर० जयकर : जिस बात पर मैं जोर दे रहा हूं वह यह है। यह विधान-परिषद् अपनी आज की सूरत में मुकम्मिल नहीं है। दो संगठन यहां अनुपस्थित हैं। देशी रियासतें अनुपस्थित हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। क्योंकि वे इस समय यहां शरीक हो नहीं सकतीं। यह है असली स्थिति। रियासतों ने अपनी निगोशिएटिंग कमेटी बना ली है पर हमने अपनी यह कमेटी अभी तक नहीं बनाई है। जब हम उसे बना लेंगे तो दोनों कमेटियां बैठेंगी। योजना के अनुसार उस समय रियासतें शरीक होंगी। पर जहां तक मुस्लिम लीग की बात है यह स्थिति नहीं है। उन दोनों में जबर्दस्त अन्तर है। मुस्लिम लीग को अभी हाल में तीन-चार जरूरी रियायतें मिली हैं। ये रियायतें उन्होंने अपने श्रेष्ठतर कौशल से पायी हैं या और किसी तरह से इस पर कुछ

यहां बोलना मेरा काम नहीं है। उन्होंने तीन-चार जरूरी बातें अपने हक में मनवा ली हैं।

दो बातें ऐसी हैं जिन पर भाष्य या स्पष्टीकरण जरूरी है। एक तो वोटिंग यानी मत देने की बात और दूसरे सेक्शनों में शामिल होने की बात। मैं समझता हूं, यह प्रश्न फेडरल कोर्ट के सामने पेश किया जायगा। फेडरल कोर्ट के एक भूतपूर्व जज तथा प्रिवी कौंसिल की न्याय सम्बन्धी बड़ी अदालत के एक वर्त्तमान सदस्य की हैसियत से, इस मसले को फेडरल कोर्ट में भेजने अथवा इसके औचित्य के सम्बन्ध में मैं और कुछ कहना ठीक नहीं समझता। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। मैं आपको बधाई देता हूं कि इस काम के लिए योग्यतम वैधानिक कानून वेत्ता मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर की सेवाएं आपको प्राप्त हैं। इस प्रश्न को फेडरल कोर्ट में भेजने के सम्बन्ध में मैं इस के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। पर यह बात तो साफ है कि गुटबंदी और वोटिंग के प्रश्न पर स्पष्टीकरण पाने के लिए आप फेडरल कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अखिरी बात को लेकर जिस पर लीग को रियायत मिल चुकी है आप फेडरल कोर्ट नहीं जा सकते हैं। हाल के वक्तव्य में सम्राट् की सरकार ने यह व्यवस्था दी है कि अगर विधान-निर्माण में जाति का एक बड़ा भाग शामिल नहीं होता है तो सरकार विधान को किसी देश के अनिच्छुक वर्ग पर जबर्दस्ती नहीं लादेगी। यह व्यवस्था मुस्लिम लीग के पक्ष में है और आप इसे फेडरल कोर्ट के सामने नहीं ले जा सकते। इसमें किसी भाष्य या टीका का प्रश्न ही नहीं उठता। १६ मई के वक्तव्य के अलावा मुस्लिम लीग को यह नई रियायत दी गई है। यह रियायत प्रधान मंत्री मिस्टर एटली के हाउस आफ कामन्स में दिये हुए १५ मार्च सन् १९४६ के वक्तव्य के प्रतिकूल है। जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्प संख्यकों को संरक्षण अवश्य मिलेगा, पर बहुमत की प्रगति में वे बाधा नहीं डाल पायेंगे। मार्च सन् १९४६ में यह बात कही थी ब्रिटेन के सर्वोच्च जिम्मेदार व्यक्ति ने यानी वहां के प्रधान मंत्री ने। आज यह बात खत्म होगई। वस्तुतः इससे अब स्थिति में जबरदस्त अन्तर आगया है।

*माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल (बम्बई: जनरल) : सभापति महोदय, क्या माननीय सदस्य सम्राट् की सरकार द्वारा निर्धारित नीति की व्याख्या कर रहे हैं? ये सारी तथाकथित रियायतें जिनका जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं, ह्वाइट पेपर या योजना में नहीं हैं। ये तो लीग को ऊपर से दी जा रही हैं। हमने इन्हें नहीं मंजूर किया

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

है और यह सभा १६ मई के वक्तव्य में और किसी परिवर्त्तन या वृद्धि को मानने के लिए तैयार नहीं है। (हर्ष ध्वनि)

*माननीय डा० एम० आर० जयकर: मैं तो केवल आपकी कठिनाइयों को बता रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप मूल-योजना में कोई बढ़ाव मंजूर करें। मैं तो आपको यह बता रहा हूं कि मुस्लिम लीग को क्या-क्या नई रियायतें मिली हैं, जिनसे आपके मार्ग में बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है। और इसके लिए क्यों आपको तब तक इस पर विचार बंद रखना चाहिए जब तक कि लीग परिषद् में शामिल न हो जाय। इस सम्बन्ध में मेरा कथन बिलकुल प्रासंगिक है। यदि माननीय सरदार पटेल यह समझते हैं कि कांग्रेस ऐसे बढ़ाव को कभी मंजूर न करेगी तो वे लोग शौक से ऐसा कर सकते हैं।

जनाब इसका मतलब क्या है? यदि यहां विधान-निर्माण में मुस्लिम सरीखा सम्प्रदाय शामिल नहीं होता है तो उसका क्या परिणाम होगा? सर स्टेफोर्ड जिसने "देश के अनिच्छुक भाग" उसकी भी स्वयं व्याख्या कर दी है, उनका कहना है कि इन शब्दों का मतलब है, भारत के उस भाग से जहां मुसलमानों का बाहुल्य है। यदि मुस्लिम सम्प्रदाय की अनुपस्थिति में आप विधान बनायेंगे तो वह हिंदुस्तान के उन भागों पर जहां के लोग उसे नहीं मंजूर करते हैं, जबर्दस्ती नहीं लागू किया जायगा। ये शब्द हैं "देश के अनिच्छुक भाग"। मैं नहीं जानता कि इस व्यवस्था से कोई दूसरा सम्प्रदाय भी लाभान्वित हो सकता है। यह ऐसा मसला है जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक हो सकता है। पर इतना निश्चित है और हाउस आफ कामन्स के बहस-मुबाहसे में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने साफ-साफ शब्दों में यह कहा था कि ऐसा विधान, जिसके निर्माण में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं है, देश के उन भागों पर जबर्दस्ती नहीं लादा जायगा जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। इन शब्दों पर ध्यान दीजिये, "उनका प्रतिनिधित्व नहीं है"। अर्थात् वे अनुपस्थित हैं।

मूल-योजना में इस बढ़ाव पर इंग्लैंड में एक विशेष विचार-धारा के व्यक्तियों ने हर्ष प्रकट किया है और इसका स्वागत किया है। मि० चर्चिल ने कहा है कि हमारी लम्बी यात्रा में यह एक महत्वपूर्ण मंजिल है। यह महत्वपूर्ण मंजिल है या खतरनाक मंजिल है इससे हमें कोई वास्ता नहीं। असलियत यह है कि फिलहाल मुसलमानों ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया है।

इसलिए स्थिति यह है कि यदि वे आपकी कार्रवाई में न शामिल होना ही पसंद करें, चाहे किसी कारण से, तो आपके प्रयास को वे व्यर्थ और असफल कर सकते हैं। आपकी सारी कोशिशें उन्हें मजबूर करने में असफल होंगी। उनकी अनुपस्थिति में आप चाहे जैसा भी विधान बनायें वह सेक्शन ए के समान इच्छुक भाग पर ही लागू होगा। बी और सी सेक्शनों पर भी यह लागू होगा इसमें मुझे बहुत संदेह है। परिणाम यह होगा कि समस्त भारत के लिए विधान बनाने के हेतु यहां अभी आप चाहे जो कुछ भी करें—जैसा इस प्रस्ताव का अभिप्राय है; मुस्लिम लीग की गैर-हाजिरी में यदि आप इसे पास करते हैं तो आपका प्रयास उनको किसी तरह बाध्य नहीं कर सकता। इसलिए यह सवाल उठता है समय और श्रम बचाने के विचार से, क्या यह उचित न होगा कि इन वैधानिक प्रश्नों पर विचार आगे के लिए स्थगित रख दिया जाय ? इससे कम-से-कम आपकी मेहनत तो बच जायगी।

इस प्रस्ताव में सुझाये हुए विधान पर अगर आप गौर करें तो मालूम होगा कि इसमें ऐसी बातें हैं जिनसे रियासतों और मुसलमानों का बहुत सम्बन्ध है। आप यहां गणतंत्र की चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

***डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी (बंगालः जनरल) :** सभापति जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं। अगर मुसलमान न शामिल होंगे तो हम कितनी देर उनका इंतज़ार करेंगे ? हम कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे ? वे यहां आ सकते थे पर अपनी मर्जी से नहीं आये हैं।

***माननीय डा० एम० आर० जयकर :** यह तो कोई वैधानिक आपत्ति की बात नहीं है।

***डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी :** यह जानकारी डा० जयकर से मिलनी चाहिए।

***सभापति :** यह एक तर्क है जिसे माननीय सदस्य अपनी बारी आने पर पेश कर सकते हैं।

***माननीय डा० एम० आर० जयकर :** यदि माननीय सदस्य ने हस्तक्षेप न किया होता और कुछ देर प्रतीक्षा करते तो मैं उनके इस प्रश्न का भी उत्तर दे देता।

हां, सभापतिजी, परिणाम यह होगा कि यहां अनुपस्थित रहकर ही मुस्लिम लीग आपके समस्त प्रयास को व्यर्थ कर सकती है। इसका क्या अर्थ होता है ? इसका अर्थ यह है कि यदि मुस्लिम-लीग शामिल न हुई तो हो सकता है रियासतें भी शामिल न हों।

[माननीय डा० एम० आर० जयकर]

उन्होंने एकाधिक बार इस बात को स्पष्ट कर दिया है। हाउस आफ कामन्स में यह बात साफ तौर पर कही गई थी कि देशी रियासतें ऐसी विधान-परिषद् से कोई बातचीत नहीं चलायेंगी, जिसमें केवल एक दल के ही लोग हैं। अतः यह बात स्पष्ट है कि यदि मुस्लिम लीग यहां अनुपस्थित रहना ही पसन्द करे और हम उसे अपने काम में ऐसा करने के लिए उत्तेजित करें तो हो सकता है कि रियासतें भी न शामिल हों।

*माननीय पं० गोविन्दवल्लभ पंत (संयुक्त प्रान्तः जनरल) : माननीय सदस्य ने यह बात कैसे कही कि हाउस आफ कामन्स में यह साफ तौर पर कहा गया है कि यदि मुस्लिम लीग शामिल न होगी तो रियासतें भी विधान-परिषद् में शामिल नहीं होंगी ?

*माननीय डा० एम० आर० जयकर : हां मैंने यह कहा है।

*माननीय पं० गोविन्दवल्लभ पंत : हाउस आफ कामन्स में कही हुई बात का आप जो अर्थ लगाते हैं उससे मेरा मत-भेद है।

*माननीय डा० एम० आर० जयकर : मैं जो अर्थ समझता हूं, आपके सामने रखता हूं। माननीय सदस्य को स्वतंत्रता है कि वह अपना अर्थ सभा के सामने रखे।

*माननीय पं० गोविन्दवल्लभ पंत : डा० जयकर को अधिकार नहीं है कि वे रियासतों के विचार को यहां व्यक्त करें जब तक कि रियासतों के प्रतिनिधि या उनकी निगोशिएटिंग कमेटी स्थिति को स्पष्ट न कर दे।

*माननीय डा० एम० आर० जयकर : मैं रियासतों का विचार यहां नहीं व्यक्त कर रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि हाउस आफ कामन्स में क्या कहा गया था। यदि मुस्लिम लीग नहीं शामिल होती है तो हो सकता है कि रियासतें भी शामिल न हों। अनुमानतः रियासतें ऐसी विधान-परिषद् से बात-चीत करना न पसंद करेंगी जिसमें एक दल के ही लोग हों। यदि ऐसा हुआ तो क्या नतीजा होगा ? (बाधा)

*सभापति : मेरी समझ में यह अच्छा होगा कि हम लोग डा० जयकर को आगे बोलने दें।

*माननीय डा० एम० आर० जयकर : क्या आप मुझे २० मिनट तक अपनी बात न कहने देंगे ? मैं समझता हूं कि मेरे भाषण में छिद्र निकालने के लिए आपके पास पूरा एक सप्ताह पड़ा है।

*माननीय पं० गोविंदवल्लभ पंत : आपके भाषण में दोष निकालने से भी अधिक आवश्यक काम हमारे पास करने के लिए हैं।

*माननीय डा० एम० आर० जयकर : अगर मुस्लिम लीग नहीं शामिल होती है तो बहुत सम्भव है रियासतें भी न शामिल हों। इसका क्या नतीजा होगा? शायद आप सेक्शन ए के लिए एक विधान बनायेंगे। संभवतः ए सेक्शन के प्रान्तों के केन्द्रीय संघ के लिए भी आप एक विधान बनायेंगे। इन प्रान्तों के लिए एक केन्द्रीय संघ बनाना शायद आप चाहें। पर यह निश्चित है कि आप सेक्शन बी के लिए विधान बनाने में असमर्थ होंगे, क्योंकि वहां मुसलमानों की संख्या अधिक है। परिणाम यह होगा कि सेक्शन बी और सी के विधान बनाने के वास्ते एक दूसरी विधान-परिषद् बिठानी होगी जैसा मिस्टर जिन्ना चाहते हैं। "अनिच्छुक भाग को विधान मंजूर करने पर मजबूर नहीं किया जायगा।" इस व्यवस्था से उन सेक्शनों के अल्प संख्यक समुदाय अर्थात् पंजाब के हिंदू और सिख तथा बंगाल और आसाम के हिंदू लाभ उठा पायेंगे या नहीं, इसे मैं नहीं जानता। इस सम्बन्ध में मैं कोई राय नहीं जाहिर कर सकता। हो सकता है ये लोग इस व्यवस्था से लाभ उठावें और कहें कि चूंकि इस विधान के निर्माण में हमारा हाथ नहीं था, हम इसे मंजूर नहीं करते। यह सम्भव है, पर यह बात तो निश्चित है कि समस्त भारत के लिए विधान बनाने का हमारा प्रयत्न असफल हो जायगा। सम्भवतः इसका परिणाम यह होगा हिंदुओं के लिए एक विधान होगा और मुसलमानों के लिए अलग एक। और अगर ऐसा हुआ तो रियासतों के लिए एक अलग विधान होगा और इस हालत में बजाय संगठित हिंदुस्तान के हमें मजबूर होकर हिंदुस्तान, कटे-छटे पाकिस्तान और राजस्थान तीनों के लिए अलग-अलग विधान रखने होंगे। आपका केन्द्रीय संघ समाप्त हो जायगा। इसकी स्थापना न हो पायेगी। फिलहाल आपको कम-से-कम यह लाभ तो है कि सेक्शन बी और सी में किसी किस्म का पाकिस्तान स्थापित हो भी गया तो आपके पास एक केन्द्रीय संघ तो होगा, गो कि हो सकता है कि वह दुर्बल हो। इसलिए वर्त्तमान समय में यही जरूरी है कि मुस्लिम लीग को यहां बुलाने के लिए हम हर तरह प्रयास करें और यह नहीं कि हम उनका यहां आना और कठिन बना दें। यह केवल इसलिए कि हमारा काम सफल हो सके। प्रस्तुत प्रस्ताव को पेश करते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने जो भाव व्यक्त किये हैं मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। वस्तुतः उन्होंने कहा है कि हम लोग मुस्लिम लीग का सहयोग चाहते हैं। हमको अपना प्रयास जारी

[माननीय डा० एम० आर० जयकर]

रखना चाहिए, यद्यपि भूतकाल में उनकी ओर से हमें इसका कोई समुचित उत्तर नहीं मिला है। मैं नहीं समझता कि मेरा तर्क और अच्छे शब्दों में रखा जा सकता है। यह साफ़ है कि विधान बनाने का कोई काम आप कम-से-कम आगामी अप्रैल तक नहीं कर सकते। इसलिए इसमें क्या नुकसान है अगर आप इस प्रस्ताव पर विचार कुछ हफ्तों के लिए स्थगित रख दें? हां अगर आपको यह बात मालूम है कि मुस्लिम लीग ने बाकायदा प्रस्ताव पास कर अपनी यह मंशा जाहिर कर दी है कि वह इस परिषद् में शामिल न होगी तो बात दूसरी है। वे चन्द हफ्तों में अपना इरादा जरूर जाहिर करेंगे।

मैंने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का वक्तव्य देखा है जो उन्होंने हाउस आफ कामन्स में वाद-विवाद के सिलसिले में दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि यह तय है कि यदि कांग्रेस ने ६ दिसम्बर के वक्तव्य को मंजूर किया तो मिस्टर जिन्ना हिन्दुस्तान वापिस जाने पर इस सवाल पर फैसला देने के लिए मुस्लिम लीग की बैठक बुलायेंगे। यह वक्तव्य हाउस आफ कामन्स के सामने दिया गया था। जब आपको यह बात मालूम हो जाय कि मुस्लिम लीग ने बाजाब्ता प्रस्ताव द्वारा यह तय कर लिया है कि वह परिषद् में न शामिल होगी तो आप विचार करें कि क्या किया जाय। उस हालत में एक बाधा तो दूर हो चुकी होगी। पर मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मुस्लिम लीग आयेगी ही नहीं। यह व्यावहारिक तजवीज नहीं है। आज सवेरे मेरे एक मित्र आये और मुझसे बोले "डा० जयकर, कल तक तो मैं आपके प्रस्ताव के बिलकुल पक्ष में था पर अब मि० जिन्ना की लन्दन वाली प्रेस कान्फ्रेंस ने बड़ा अन्तर ला दिया है।" मैंने पूछा, उससे क्या फर्क पड़ गया? वे बोले मि० जिन्ना ने कहा कि वे अब विधान-परिषद् में शामिल न होंगे। मैं नहीं समझता कि मि० जिन्ना ने ऐसा बयान दिया है और अगर उन्होंने दिया भी है तो मैं उसे मुस्लिम लीग का आखिरी तयशुदा और बाजाब्ता फैसला मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या नुकसान है अगर हम तब तक के लिए इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित रख दें? कम-से-कम २० जनवरी तक यानी आज से करीब चार हफ्तों तक आप कोई अहम काम करने नहीं जा रहे हैं। कम-से-कम तब तक के लिए तो मुस्लिम लीग के लिए आपको रास्ता साफ रख देना चाहिए कि वे यहां आकर हमारी कार्रवाई में हिस्सा लें। मेरे तर्क का एक जवाब यह हो सकता है "हम ऐसा

कोई काम नहीं कर रहे हैं जिस पर मुस्लिम लीग को कोई जायज ऐतराज हो सके।" यह तो मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। सवाल यह नहीं है कि हम ऐसा काम करें, जिस पर मुस्लिम लीग को आपत्ति न हो। सवाल है उन्हें इस बात का अधिकार और मौका देने का कि वे इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श में उपस्थित हों। इसी बात के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर यह भी कहा जाता है कि इस प्रस्ताव में ऐसी कोई बात है जो योजना के प्रतिकूल हो। यह भी मेरी दलील का जवाब नहीं है। मेरा उद्देश्य विधान-परिषद् के प्रयास को असफल होने से बचाना है। आप प्रतीक्षा कीजिये, धीरे-धीरे बढ़िए, कुछ हफ्तों तक रुक जाने से कोई बड़ा फर्क न आ जायगा। प्रस्ताव को इस अधिवेशन में पास करने के बजाय अगर आप इसे कुछ हफ्तों तक स्थगित रखते हैं तो इससे बड़ा नुकसान न हो जायगा। यह सच है कि आप जनवरी के अन्त तक बैठक तो स्थगित करने जा रहे हैं पर मेरे संशोधन के अनुसार आप तब तक के लिए प्रस्ताव स्थगित न रखेंगे, यह अजीब बात है। आप कुछ और इंतजार क्यों नहीं करते जिससे मुस्लिम लीग का यहां आना कम कठिन हो जाय? मुझ से कहा गया है कि आखिर इसमें शिकायत की क्या बात है? मुस्लिम लीग प्रस्ताव पास हो जाने के बाद भी शामिल हो सकती है। मेरा जवाब यह है कि उन्हें इस बात का हक है कि वे कार्रवाई में शरीक हों और अपना सहयोग दें। याद रखिए कि मुस्लिम लीग के नेता मि० जिन्ना लन्दन की कान्फ्रेंस में अपनी शिकायत जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि परिषद् में जाने पर हमें बतौर उपहार के उसके तय किये-कराये फैसले मिलें। क्या अभी भी आप उन्हें इस बात की शिकायत और उचित शिकायत का मौका देंगे—कि परिषद् ने यह जानते हुए भी कि हम शरीक हो सकते हैं, हमारी गैर हाजिरी में बड़े-बड़े जरूरी प्रश्नों को—विधान सम्बन्धी बुनियादी सिद्धान्तों को तय कर लिया है? क्या इससे आप मुस्लिम लीग का यहां आना और मुश्किल नहीं बना रहे हैं? जिस बात पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, वह यह है कि जब आप बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं जैसा मेरा संशोधन चाहता है तो फिर मेरे संशोधन को मान लेने में ही क्या नुकसान है? मैं कहता हूं धीरे-धीरे बढ़िये। इसमें क्या नुकसान है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हम चलेंगे तो धीरे-धीरे पर आपके संशोधन को मान कर नहीं यानी मुस्लिम लीग को यहां आने देने के लिए हम धीरे-धीरे नहीं चलेंगे। यह तो अशोभनीय है।

[माननीय डा० एम० आर० जयकर]

सुन्दर और सौजन्यपूर्ण तो यह होगा कि आप कहें हम इस पर विचार स्थगित रखते हैं। क्योंकि हम लीग को मौका देना चाहते हैं कि वह भी शामिल हो ताकि उसकी मौजूदगी में हम इस प्रस्ताव पर परस्पर विचार कर निर्णय करें। सभापति जी, जैसा पं० जवाहर-लाल नेहरू ने कहा है स्थिति यह है, कि इस समयजिन कठिनाइयों से हम गुजर रहे हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना बड़ी जरूरी है। मैंने सारी कठिनाइयां बतादीं हैं। और इस संकट पर भी प्रकाश डाला है कि सभा का प्रयत्न व्यर्थ न हो जाय। इस सम्भावना को देखते हुए मैं हरचंद अपील करूंगा कि पं० जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर—उनकी वाणी पर अमल किया जाय। हम मुस्लिम बन्धुओं का सहयोग चाहते हैं, उनका सहयोग पाने के लिए ही हम प्रस्ताव स्थगित कर अपने पथ से हटते हैं। महात्मा गांधी के अनुयायी बनने का हम दावा करते हैं। वह महिमामय महापुरुष आज दुखित होकर यहां से बहुत-बहुत दूर एकाकी, दुर्बलगात, परिमित भोजन और परिमित निद्रा का कठोर व्रत ले सद्भावना और सहयोग द्वारा मुसलमानों को अपनाने के लिए अथक परिश्रम कर रहा है। उस महापुरुष के आदर्श का हम यहां अनुसरण क्यों नहीं कर सकते? सभापति जी, यदि अनुमति हो तो मैं कहूंगा कि मुझे इस बात की बड़ी ही प्रसन्नता है कि इस महती सभा के कार्य संचालक के लिए आप जैसा सभापति यहां मौजूद है। इन कतिपय वर्षों में जो कुछ भी मैं आपको जान पाया हूं, आपकी सद्भावना सम्बन्धी असीम क्षमता आपका सौजन्य,आपकी सहिष्णु भावना, और विरोधी दृष्टिकोण को जानने की आपकी असीम योग्यता, आपके इन सब गुणों को देखते हुए मैं इसे बड़ा ही महत्त्व-पूर्ण समझता हूं कि इस समय आप सभापति के आसन पर आसीन हैं और मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि सद्भावना का वातावरण तैयार हो सके और इस दिशा में आपका प्रयास आपके सहज आकर्षणशील स्वभाव के कारण अधिक सफल हो सकता है। इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हम इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखें ताकि हमें मुसलमानों का सहयोग प्राप्त हो सके। परन्तु यह कहा जाता है कि जब मुसलमान आजायेंगे तो हम प्रस्ताव बदल देंगे। सोच-समझ कर पास किये हुए प्रस्ताव को बद-लना न बुद्धिमानी है और न आसान ही है। मेरी दलील का सार यह है कि मुस्लिम लीग को मौका दिया जाये कि वह परिषद् की कार्रवाई में हिस्सा ले, हमारे साथ बैठे और यहां भाषण दे। पर

प्रस्ताव पास हो जाने के बाद नहीं बल्कि उसके पास होने के पहले और पास होते समय। वास्तविक सहयोग यहीं है और यह नहीं कि आपके सब कुछ कर लेने के बाद जब वे आना चाहें तो आप उनसे कहें कि आइये और जो कुछ हमने कर लिया है उसे स्वीकार कीजिए।

मुझे डर है कि मेरे इस विचार से आप में से बहुतेरे सज्जन असहमत होंगे। मुझे चेतावनी दी गई थी "आप अपने को बहुत अप्रिय बना रहे हैं।" मैंने अपने मित्र को जवाब दिया "बाल्यकाल से मुझे अप्रियता ही पारितोषिक स्वरूप मिली है।" मैं बहुत अप्रियता के बीच गुजरा हूँ। जब मैंने स्वराज्य पार्टी स्थापित करने में मदद दी तो बदनाम हुआ। जब जवाबी सहयोग पार्टी (Responsive Co-operation Party) चलाई तब मैं अप्रिय बना। जब गोलमेज कान्फ्रेंस में शामिल होने लंदन गया तब अप्रिय बना। मैं उस समय अप्रिय बना जब सन् १९३५ के कानून को पास कराने में मैंने हाथ बटाया, उस कानून को, जिसे मेरी राय में आपने विवेकहीनता से ठुकरा दिया था। अब उसी ठुकराये हुए कानून से आप चार महत्त्वपूर्ण चीजें ले रहे हैं। वह चार चीजें ये हैं, संघ, कमजोर केन्द्र, स्वायत्तशासन प्राप्त प्रान्त और प्रान्तों में अवशिष्ट अधिकार। क्या मैं यह कहूँ कि समय के साथ-साथ मेरी अप्रियतायें भी बढ़ गई हैं? इसलिए अब इस उम्र में और उतने अनुभवों के बाद मुझे अप्रियता का कोई डर नहीं है। मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं आपको बता दूं कि जो रास्ता आप पकड़ रहे हैं वह गलत है, गैर कानूनी है, असामयिक है, विनाशकारी है, संकटपूर्ण है; यह आपको मुसीबत में डाल देगा। आपने मुझे अपने टिकट पर चुना है मैं बाध्य हूं कि आप से साफ-साफ कह दूं कि आगे संकट है, असफलता का सङ्कट है, कलह का सङ्कट है, जबर्दस्त मतभेद का डर है। आपका फर्ज है कि आप इससे बचें। सभापतिजी, बस, मुझे जो कुछ भी कहना था कह दिया।

*सभापतिः सर हरिसिंह गौड़ ने एक संशोधन की सूचना दी है। यह नियम के खिलाफ़ मालूम होता है। पर ऐसा घोषित करने के पहले मैं सर हरिसिंह गौड़ से कहूंगा कि वे इस बात पर प्रकाश डालें कि संशोधन क्योंकर प्रासंगिक है। यह यों है:—

"उक्त प्रस्ताव में इन शब्दों की जगह कि यह सभा इस प्रश्न पर और विचार आगे के लिए स्थगित रखती है ताकि उपरोक्त दोनों संगठनों के प्रतिनिधि यदि चाहें तो इस सभा की कार्यवाही में हिस्सा

[सभापति]

ले सकें।" ये शब्द रखे जायें :—

"सभा की यह राय है कि अन्य स्थानों में पाकिस्तान का इतिहास देखते हुए मुस्लिम लीग की मांग आत्मघाती है। इसकी राय में मुसलमानों और अन्य सम्प्रदायों के लिए यह हितकर होगा कि संयुक्त निर्वाचक समूह बनाया जाय और अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के लिए आगामी पांच वर्षों तक समानता का दर्जा सुरक्षित रखा जाये और यह भी सुरक्षा मूलक व्यवस्था रखी जाये कि किसी सम्प्रदाय का कोई सदस्य नियमानुसार निर्वाचित न समझा जायेगा अगर उसे दूसरे सम्प्रदाय का एक निश्चित प्रतिशत वोट न मिले।"

ऐसा मालूम पड़ सकता है कि यह संशोधन, मूल प्रस्ताव अथवा डा० जयकर के संशोधन में जो कुछ कहा गया है उससे बहुत अधिक है। अतः मैं कहना चाहता हूं कि यह नियम के प्रतिकूल है पर फिलहाल मैं अपना फैसला नहीं दूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि वे बतायें कि यह कैसे नियमानुसार है ?

*डा० सर हरिसिंह गौड़(मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): सभापति महोदय, मैं यह बताने के लिए यहां बुलाया गया हूं कि मेरा संशोधन, जिसे डा० जयकर के संशोधन पर मैंने उपस्थित किया है, कैसे नियमानुकूल है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर डा० जयकर का संशोधन नियमानुकूल है तो उस पर मेरा जो संशोधन है वह भी नियमानुकूल है। यह तो मान लेना होगा कि मैंने अपने संशोधन के नियमानुकूल होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा है। मैं यह अनुभव कर रहा था कि अगर डा० जयकर सारे मसले को टाल देना चाहते हैं, दबा देना चाहते हैं तो उनका संशोधन शायद संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन का मतलब है ठीक करना। इसलिए डा० जयकर के संशोधन का मतलब है कि माननीय पं० नेहरू का मूल प्रस्ताव उनके सुझाये हुए संशोधन के आधार पर मंजूर किया जाये। यह तो संशोधन हो सकता है परन्तु यदि आप का यह मतलब है कि मूल प्रस्ताव एक दम लुप्त ही कर दिया जाये और इस पर बीच में बहस न हो तो मैं नहीं समझता कि डा० जयकर आखिर किस बात का संशोधन चाहते हैं ? बेहतर होगा कि वह पहले अपना ही संशोधन दुरुस्त कर लें। मैं समझता हूं कि उनका संशोधन विचारा जा सकता है। इसीलिए मैंने अपने संशोधन की सूचना दी है। परन्तु सभापति जी, आप आगे यह भी देखेंगे कि डा० जयकर के तथा अपने संशोधन की नियमानुकूलता

के सम्बन्ध में कुछ बात मन में रख कर ही मैंने मूल प्रस्ताव पर एक दूसरे संशोधन की भी सूचना दी है जिसमें मेरे वर्त्तमान संशोधन की मुख्य-मुख्य बातें आ जाती हैं। संक्षेप में मुझे यह कहना है। यदि डा० जयकर का प्रस्तुत संशोधन नियमानुकूल है और उस पर विचार किया जायेगा तो उसे संशोधित करने का मुझे अधिकार है। अन्यथा, यदि वह संशोधन नियम के प्रतिकूल ठहराया जाता है तो मैं अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहता। इस हालत में मैं अपना दूसरा संशोधन पेश करूंगा जिसकी सूचना मैं दे चुका हूं।

*सभापति: समय आने पर हम आपके दूसरे संशोधन पर विचार करेंगे।

डा० हरिसिंह गौड़ के संशोधन के साथ प्रस्ताव यों होगा:—

"यह सभा अपना यह दृढ़ और गम्भीर निश्चय घोषित करती है कि भारत के भावी शासन के लिए जो विधान यह बनायेगी वह एक स्वतन्त्र गणतांत्रिक सत्ता सम्पन्न राज्य का विधान होगा। परन्तु ऐसा विधान बनाने में मुस्लिम लीग और देशी रियासतों का सहयोग पाने तथा इस तरह अपने निश्चय को और उग्र बनाने के उद्देश्य से सभा की यह राय है कि अन्य स्थानों में पाकिस्तान का इतिहास देखते हुए मुस्लिम लीग की मांग आत्मघाती है। इसकी राय में मुसलमानों और अन्य सम्प्रदायों के लिये यह हितकर होगा कि संयुक्त निर्वाचक समूह बनाया जाये और अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के लिए आगामी पांच वर्षों तक एक निश्चित संख्या की सीटें सुरक्षित रखी जायें और यह भी सुरक्षा मूलक व्यवस्था की जाये कि किसी सम्प्रदाय का कोई सदस्य नियमानुसार निर्वाचित न समझा जायेगा अगर उसे अन्य सम्प्रदाय का एक निश्चित प्रतिशत वोट न मिले।"

डा० हरिसिंह गौड़ प्रस्ताव के दो भागों को ठीक-ठीक नहीं जोड़ पाये हैं और यह नियम के प्रतिकूल है।

अब मैं उन सदस्यों से जिन्होंने संशोधन की सूचना दी है यह कहना चाहता हूं कि अपने संशोधन बारी-बारी से पेश करें यदि वे नियमानुकूल हैं। मूल प्रस्ताव और संशोधन सब पर साथ विचार किया जा सकता है। मेरी समझ में इससे समय की बचत होगी।

*डा० पट्टाभि सीतारमैया: माननीय डा० जयकर का संशोधन मूल प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने का एक तरह से प्रस्ताव-सा है। इसलिए अन्य संशोधनों के पहले, जो मूल प्रस्ताव से वस्तुतः स्वतंत्र है, डा० जयकर के संशोधन पर ही विचार और फैसला

[डा० पट्टाभि सीतारमैया]

करना चाहिए।

*दीवान चमनलाल (पंजाब : जनरल): डा० जयकर का संशोधन भी स्वतंत्र और पृथक् ही है। यह विधि विहित नहीं है। इसमें गणतंत्र को हटा कर प्रजातंत्र की बात कही गई है और यद्यपि यह कहता है कि और विचार करना स्थगित रखा जाये फिर भी यह विधि विहित संशोधन नहीं माना जा सकता।

*सभापति: हम लोगों ने इसे एक संशोधन माना है। दूसरा संशोधन है श्री सोमनाथ लाहिरी का, जिसकी सूचना आचुकी है। इस संशोधन के संबंध में भी मेरा मत यही है कि यह नियमानुकूल नहीं है। मैं श्री लाहिरी से कहूँगा कि वे बतावें कि यह नियमानुकूल कैसे है?

*श्री सोमनाथ लाहिरी (बंगाल : जनरल): मेरा संशोधन मूल प्रस्ताव पर है। मूल प्रस्ताव विधान-परिषद का यह लक्ष्य निश्चित करता है कि विधान-परिषद् भारत को स्वतंत्र सर्व सत्तासम्पन्न गणतांत्रिक राज्य घोषित करेगी। मेरा संशोधन केवल इस कारण से ही संशोधन माना जा सकता है कि यह भी मूल प्रस्ताव के विषय से ही सम्बन्ध रखता है और उसके मुख्य विचारों के प्रतिकूल नहीं है।

*सभापति: आपके संशोधन के सम्बन्ध में आपत्ति यह है कि यह कुछ कार्यवाही करने की बात कहता है जो मूल प्रस्ताव में नहीं है। उदाहरण के लिए यह कहता है कि यहां, और अभी ही भारतीय गणतंत्र की घोषणा करदी जाय। यह मध्यकालीन सरकार से कहता है कि वह एक खास तरीके से काम करे और इसी तरह की बहुत-सी बातें इसमें हैं। यह एक प्रस्ताव है जो अभी और यहां ही कुछ काम शुरू करने का आदेश देता है और इसी माने में इसे नियम के बाहर बताया गया है।

*श्री सोमनाथ लाहिरी: मैं समझता हूं कि अगर प्रस्ताव के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यवाई सुझाई जाये तो निश्चय ही वह संशोधन के अंतर्गत है। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं कि आपने डा० जयकर के प्रस्ताव में मुस्लिम लीग से सम्बन्ध रखने वाली और बहुत-सी दूसरी बातें भी शामिल करने के लिए इजाजत दे दी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मूल प्रस्ताव में नहीं है। चूंकि डा० जयकर समझते हैं कि मुस्लिम लीग और दूसरों को यहां शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। इस सभा को स्थगित रखने तक की कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए उन्होंने अपना

संशोधन मंजूर करने का सुझाव दिया और आपने उसे नियमानुकूल माना है। जिस तरह सभा स्थगित रखना भी कार्यवाही ही है उसी तरह दूसरा सुझाव भी निश्चय ही नियमानुकूल है। सभापति महोदय, अगर आज्ञा हो तो एक प्रसंग की याद दिलाऊं। सन् १६३६ में जब आप राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष थे, युद्ध की घोषणा होने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने एक प्रस्ताव पेश हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया जिसमें अंग्रेजों से कहा गया था कि वे युद्ध का उद्देश्य घोषित करें और जिसमें कुछ शर्तें भी रखी गई थीं जिनके आधार पर भारत युद्ध में सहयोग देने के लिए रजामंद था। मुझे याद है कि मैंने इस आशय का संशोधन रखा था कि देश को संघर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाय। आपने सभापति के आसन से कहा था कि "संशोधन नियमानुकूल है।" यद्यपि पं० जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि संशोधन का अभिप्राय मूल प्रस्ताव के आशय से प्रतिकूल था।

*एक सदस्य : क्या यह तहरीर में आचुका है ?

*सभापति : मुझे डर है कि उक्त विवरण नजीर नहीं माना जा सकता। (हंसी)

*श्री सोमनाथ लाहिरी : यह तो मेरा निवेदन है। यदि इतने पर भी आप समझते हैं कि मेरा संशोधन नियम के बाहर ठहराया जाना चाहिये, तो मूल प्रस्ताव पर ही मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिये ताकि मैं अपना विचार व्यक्त कर सकूं।

*सभापति : मेरी समझ में संशोधन नियम के बाहर है। मूल प्रस्ताव पर बोलने का मौका आपको बाद में दूंगा।

मुझे सूचना मिली है कि प्राप्त संशोधनों में से बहुतेरे वापस ले लिये गये हैं। मैं उन्हीं सदस्यों को संशोधन उपस्थित करने के लिये कहूंगा, अवश्य ही यदि वे ऐसा चाहते हैं जिन्होंने अपने संशोधन वापस लेने की इच्छा नहीं प्रकट की है। अब क्रम से दूसरा संशोधन जो वापस नहीं लिया गया है वह है श्री रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय का। यदि उनकी इच्छा हो तो कृपया आगे आकर अपना संशोधन पेश करें।

*रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय (विहार : जनरल) : सभापति महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं :—

प्रस्ताव के प्रथम और दूसरे पैरों की जगह यह रखा जाये:-

"यह विधान-परिषद् कम-से-कम समय में भारत को एक स्वतन्त्र

[रायबहादुर श्याम नंदन सहाय]

सर्वसत्तासम्पन्न प्रजानन्त्र बनाने के दृढ़ और गम्भीर निश्चय की घोषणा करती है जिसमें प्रारम्भ में ये भाग शामिल रहेंगे :—

(क) वह भाग जो आज ब्रिटिश भारत कहलाता है और यथा शीघ्र वे भी......

(ख) वह भाग जिसको लेकर आज रियासतें बनी हैं.

(ग) अन्य दूसरे भाग जो आज ब्रिटिश इंडिया और रियासतों के बाहर हैं,

(घ) दूसरे ऐसे भाग जो स्वेच्छा से स्वतन्त्र सर्वसत्तासम्पन्न भारतीय प्रजातन्त्र में सम्मिलित होना चाहते हैं,

और यह भी निश्चय करती है कि भावी शासन चलाने के लिए एक विधान प्रस्तुत और लागू किया जाय।"

सभापति महोदय, यह बात नहीं है कि संशोधन उपस्थित करने में मुझे कुछ संशय या लज्जा का बोध न होता हो। माननीय प्रस्तावक महोदय की महत्त्वपूर्ण और शानदार वक्तृता के बाद मैंने बहुत देर तक सोच विचार कर संशोधन रखना ही तय किया। खास करके इसलिए कि मेरी समझ में संशोधन बजाय बाधक होने के प्रस्तावक के उद्देश्यों को सहायता पहुंचाता है। मुझे डर है कि शायद कुछ स्वार्थी लोग हम लोगों को—परिषद् के सदस्यों को—विच्छिन्न करने की कोशिश करें परन्तु चाहे जो हो, यह मेरी दृढ़ इच्छा है और मैं जानता हूं कि यहां समवेत सभी सदस्यों की यह इच्छा है कि परिषद् अपना काम जारी रखे। माननीय डा० जयकर ने अपने भाषण में कई कठिनाइयों का उल्लेख किया है। उनमें एक कठिनाई यह भी बताई गयी थी कि हमें मन्त्रि-मंडल के प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करना है। विधान-सम्बन्धी कानून की जानकारी में मैं उनकी आगे कुछ नहीं हूं। पर मैंने विधान-परिषद् के सभापति को भाषण के सिलसिले में यह कहते हुए सुना कि यद्यपि परिषद् पर पाबन्दियां लगाई गई हैं, इसे उन पाबन्दियों को उल्लंघन करने का स्वाभाविक अधिकार है। इसी आधार पर मैंने अपना संशोधन रखा है। अब मैं यह बताऊंगा कि मूल प्रस्ताव और मेरे संशोधन में क्या अंतर है क्योंकि यह समझाना निहायत जरूरी है। प्रस्ताव में मैंने चन्द परिवर्त्तन क्यों किये हैं। पहला परिवर्त्तन यह है कि 'घोषित करने' की जगह 'बनाने' शब्द मैंने रखा है। इस परिवर्त्तन का कारण मैं पीछे समझाऊंगा। इस समय मैं केवल इतना ही बताऊंगा कि मूल प्रस्ताव और संशोधन में क्या अन्तर है। और फिर सम्मिलित

संघ (यूनियन) को बिलकुल बाद दे दिया है और "कम-से-कम समय में" इतना बढ़ा दिया है। मैंने संशोधन में यह भी कहा है, विधान न सिर्फ बनाया जाये बल्कि लागू किया जाय। मूल प्रस्ताव और मेरे संशोधन में अन्तर की यही चन्द खास बातें हैं। मैंने प्रस्ताव को बड़े ध्यान से पढ़ा है। और एक बार माननीय प्रस्तावक महोदय के सम्मुख कुछ हद तक अपना मत व्यक्त करने का मौका भी मुझे मिला था। प्रस्तावक महोदय ने स्वीकार किया था कि प्रस्ताव की रचना कहीं-कहीं कुछ पुराने ढंग पर है। शायद कानून बनाने में और विधान बनाने में उन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग आवश्यक है जिन्हें आज से सौ वर्ष पहले अमेरिकन विधान के निर्माताओं ने या अन्य देशों के विधान-निर्माताओं ने प्रयुक्त किया था। परन्तु मैं समझता हूं कि हम लोगों के लिए यह अधिक उपयोगी और सहायक होगा कि हम अपना विधान संक्षेप में और साफ-साफ शब्दों में बनायें जिनके अर्थ स्पष्ट हों और जिन्हें सभी समझें। इसमें कोई लाभ नहीं कि विधान बनाने में प्राचीन शब्दों का प्रयोग केवल इस बिना पर करें कि पुराने विधानों में उनका प्रयोग किया गया है। अब मैं प्रस्तावित परिवर्त्तनों का कारण बताने की कोशिश करूंगा। मेरी समझ में वस्तुतः जो सभा चाहती है वह उसका अभिप्राय "घोषित करने" इस शब्द में नहीं आता है। मैं समझता हूं कि आज से पहले दूसरे मौकों पर भी स्वतंत्रता की घोषणा की जा चुकी है। अब हमारा फर्ज यह है कि हम राज्य को वस्तुतः स्वतंत्र सत्तासम्पन्न प्रजातन्त्र बनादें और इसीलिए मैंने "घोषित करने" की जगह "बनाने" रखा है। सभापति जी, मैंने "संघ" शब्द को बाद दे दिया है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, इसे संघ की जरूरत नहीं है। उसे तो दैव से ही एक महान "संघ" प्राप्त हुआ है। और इसको दुहराने से, पुनः प्रयुक्त करने से यह अर्थ लगाया जा सकता है कि भारतीय संघ अभी बनना बाकी है। यह अलग बात है कि हम अपने बनाये विधान को फिलहाल हिंदुस्तान के केवल एक भाग पर ही लागू कर सकें। पर हम इसे यथाशीघ्र दूसरे भागों में भी चालू करने की फिक्र में हैं। इसलिए अगर यह मेरे ही बस की बात होती तो मैं तो केवल हिंदुस्तान ही शब्द रहने देता, "संघ" शब्द को न रखता। दूसरे देशों के विधान में जहां भी "संघ" का प्रयोग किया गया है वहां इस शब्द के प्रयोग की खासी वजह थी। फिर जैसा मैंने बताया है संशोधन में मैंने 'विधान बनाने और उसे लागू करने' इन शब्दों का प्रयोग किया है। मैंने इस सभा में अपना संशोधन पेश करने के पहले

[रायबहादुर श्यामनंदन सहाय]

यह बात किसी से सुनी थी कि विधान-परिषद् को अधिकार है कि वह अपने बनाये विधान को लागू करे। मैंने १६ मई की घोषणा भी ध्यान से पढ़ी है। घोषणा किसी भी रूप में यह नहीं कहती है कि परिषद् के बनाये विधान को ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्वीकृति आवश्यक है। उसमें ये दो जरूरी शर्तें दी हुई हैं। एक तो यह कि भारत और इंग्लैंड के बीच संधि होगी और दूसरी यह कि अल्प-संख्यकों की सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी। इसलिए मैं तो यह मानता हूं कि हम लोगों को न सिर्फ विधान बनाने का हो बल्कि उसे लागू करने का भी अधिकार प्राप्त है। इसीलिए मैंने "विधान बनाने" की जगह "विधान बनाने और उसे लागू करने" शब्दों का प्रयोग किया है।

दूसरा परिवर्त्तन जो मैंने संशोधन में रखा है वह यह है कि मैंने विधान को सम्पूर्ण भारत में लागू कर देने के लिए क्रमशः भिन्न-भिन्न समय निर्धारित करने की कोशिश की है। मैं बता दूं कि मूल प्रस्ताव में भी कुछ ऐसे प्रदेशों की बात सोची गई है जो शायद 'संघ' में देर से शामिल हों। सभापति जी, उदाहरण के लिए मैं दो प्रदेशों का हवाला दूंगा जिनका जिक्र मूल प्रस्ताव में यों है "वे प्रदेश जो ब्रिटिश भारत तथा रियासतों से बाहर हैं और अन्य ऐसे प्रदेश जो संघ में शामिल होना चाहते हों।" उक्त दोनों भाग 'संघ' में इसी वक्त शामिल नहीं होने जा रहे हैं। इसलिए मूल-प्रस्ताव में संघ की मुकम्मिल स्थापना के लिए क्रमशः भिन्न-भिन्न मंजिलें सोची गई हैं। मैंने भी अपने संशोधन में इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि हमारा प्रजातन्त्र प्रारम्भ में उन्हीं प्रदेशों को लेकर बनेगा जो आज ब्रिटिश भारत के नाम से मशहूर हैं और फिर यथाशीघ्र उन भागों को भी शामिल कर लेगा जो देशी रियासतों के नाम से परिचित हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, संशोधन पेश करने में मेरा मतलब यही है कि पहला प्रस्ताव हम इस तरह बनायें कि हमें उसे फिर कभी न बदलना पड़े। यह प्रस्ताव विधान-परिषद् के काम का प्रारम्भ—श्रीगणेश—है और यह कोई नहीं चाहेगा कि बाद में परिस्थिति में परिवर्त्तन होने से प्रस्ताव में भी परिवर्त्तन आवश्यक हो जाय। ब्रिटिश-भारत के बहुसंख्यक सम्प्रदायों ने भूतकाल में अपने प्रदेश के लिए स्वतन्त्र सत्तासम्पन्न प्रजातन्त्र स्वीकार किया है। वहां के अल्प-संख्यक सम्प्रदाय इसमें कुछ कठि-नाइयां बता सकते हैं। इन कठिनाइयों पर हमें ध्यान देना होगा और उन्हें हल करना होगा। इसलिए प्रस्ताव में मैंने वक्त या

मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं जिसके जरिये हम स्वतंत्र सत्तासम्पन्न प्रजातन्त्र की मुकम्मिल स्थापना कर लेंगे। परन्तु यदि हम उन लोगों का सहयोग न भी पा सके, जिनका सहयोग हम पाना चाहते हैं, बल्कि जिनके सहयोग के लिए हम बहुत चिन्तित हैं, तो भी हम आजादी की ओर बढ़ते जायंगे। हमारे कदम न रोके जायंगे और हमें इसके लिए इन्तजार न करना पड़ेगा कि सभी प्रदेश राजी हो जायं, तब विधान लागू किया जाय। सभापति महोदय, इन्हीं बातों ने मुझे यह संशोधन रखने के लिए प्रेरित किया है। मुझे खेद है कि माननीय प्रस्तावक महोदय आज अनुपस्थित हैं। वस्तुतः मेरी यह इच्छा थी कि जो बातें मेरे दिमाग में हैं उनकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट करूं और उनसे अनुरोध करूं कि वे इस पर विचार करें कि क्या मेरे संशोधन को या उसके उन भागों को, जो उनके बताये ख्यालों के खिलाफ न हों, स्वीकार करना उनके लिए सम्भव न होगा।

*सभापति : दूसरा संशोधन है श्रीगोविन्द मालवीय का जिसकी सूचना आ चुकी है। यह संशोधन बाजाब्ता वापस नहीं लिया गया है। श्रीगोविन्द मालवीय उपस्थित नहीं हैं पर उन्होंने मुझ से कहा है कि वे उसे नहीं रखना चाहते। अतः मेरी राय में यह प्रस्ताव वापस ले लिया जा चुका है।

अब, रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय का एक दूसरा संशोधन है।

*रायबहादुर श्यामनन्दनसहाय : सभापति जी, दूसरा संशोधन जिसकी सूचना मेरी ओर से आयी है वह यह है कि प्रस्ताव के पैरा ४ में ये शब्द बाद दे दिये जायं :—

"सर्वसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र भारत को, इसके अन्तर्गत भागों को, तथा इसके शासन के सब अंगों को"

*प्रोफेसर एन० जी० रंगा (मद्रास: जनरल) : क्या कोई सदस्य एक ही प्रस्ताव पर एक से ज्यादा मर्तबा बोल सकता है ? जब उनके दो या तीन संशोधन हों तो वे सब एक साथ पेश करें और एक वक्तृता दें।

*रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : प्रस्ताव के कई पैराग्राफों के अनुसार संशोधन रखे गये हैं।

*सभापति: श्री सहाय का एक और भी संशोधन है। दोनों को एक साथ ही पेश कर सकते हैं।

*रायबहादुर श्यामनन्दनसहाय : सभापति जी, दूसरा संशोधन यह है:—

"प्रस्ताव के पैरा ५ में 'कानून की दृष्टि में सबका दर्जा बराबर होगा,

[राय बहादुर श्यामनंदन सहाय]

सबको समान अवसर मिलेगा की जगह यह रखा जाय:—

"कानूनन सबको बराबर दर्जा, समान अवसर और सुरक्षा मिलेगी" मैं इस संशोधन को पेश नहीं करूंगा।

"सर्वसत्ता सम्पन्न भारत को, इसके अन्तर्गत भागों को तथा इसके शासन के सब अंगों को" इसे प्रस्ताव के चौथे पैरा से हटाने का संशोधन तो मैं केवल इसलिए रखना चाहता हूं कि परिषद् के सुचारुरूप से काम करने में कोई रुकावट न आये और इसलिए भी कि परिषद् के अन्य सदस्यों के शामिल होने के पहले हम कुछ ऐसा न कर बैठें जिससे उन्हें आरम्भ में ही भय हो।

चौथा पैरा यह कहता है:—

"जिसमें सर्वसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र भारत को, इसके अन्तर्गत भूभागों को तथा इसके शासन के सब अंगों को सारी शक्ति, सारे अधिकार जनता से प्राप्त होंगे"

इसके अंतर्गत भूभागों में देशी रियासतों के प्रदेश भी हैं। मैं समझता हूं इस सभा के बहुत से सदस्यों का ध्यान बीकानेर की रियासत की धारा-सभा में—या जो भी नाम हो—हाल ही में दिये हुए वहां के प्रधान मंत्री के वक्तव्य की ओर जरूर गया होगा। वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि जहां तक रियासतों का प्रश्न है, हमारा यह मत है कि अधिकार जनता से नहीं प्राप्त हैं बल्कि राज्य से। मैं यह कहता हूं कि ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर मतभेद हो सकता है और ऐसे प्रस्ताव को पास करना उचित नहीं है जिसके आशय से विधान परिषद् के एक आवश्यक अंग को परिषद् से अलग रहने के लिए वास्तविक शिकायत की गुंजाइश मिल सके।

मेरे संशोधन पर प्रस्ताव का स्वरूप यह हो जाता है:—

'जिसमें सारी शक्ति और सारे अधिकार जनता से प्राप्त होंगे।'

इसमें अन्तर्गत भूभागों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय प्रस्तावक महोदय ने कहा था कि उनकी कल्पना के प्रजातंत्र में राजतंत्रीय पद्धति वाले राजाओं और रियासतों की गुंजाइश रहेगी। इस हालत में ऐसा प्रस्ताव पास करना ठीक न होगा जो यह कहता हो कि प्रजातंत्र के अंतर्गत भूभागों को सारे अधिकार जनता से प्राप्त होंगे। सभा के सदस्यों ने शायद वह वक्तव्य देखा होगा जो कल रात को ब्राडकास्ट किया गया था और जिसमें भिन्न-भिन्न रियासतों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव पर कुछ आपत्ति की है और यह शिकायत की है कि इसके सम्बन्ध में पहले उनसे कोई परामर्श नहीं लिया गया। इन सब बातों को मद्देनजर रख कर और

सभा में उपस्थित सभी सदस्यों की इस जबरदस्त इच्छा को मद्देनजर रख कर कि सभा का काम सुचारुरूप से चले, मेरी समझ में हमें न तो ऐसा प्रस्ताव पास करना चाहिये और न ऐसा वक्तव्य ही देना चाहिये जिससे वास्तविक मत-भेद का समुचित कारण पैदा हो।

संशोधन न० ३० को मैं नहीं पेश करूंगा क्योंकि उसमें सिर्फ शाब्दिक परिवर्तन हैं। मेरी ओर से एक और संशोधन की सूचना दी गयी है। वह है संशोधन नं० ४३, मैं उसे भी नहीं पेश करूंगा।

***सभापति :** दूसरा संशोधन नं० २५ सर उदयचन्द महताब का है।

***सर उदयचन्द महताब महाराजाधिराज बर्दमान (बंगाल: जनरल):** मैं अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहता।

***सभापति :** मैं देखता हूँ कि अन्य सभी संशोधन जिनकी सूचनायें आयी थीं वापस ले लिये गये हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई भूल नहीं और अगर कोई संशोधन रह गया तो सदस्य मुझे बता सकते हैं। एक संशोधन है जिसकी सूचना डा० हरिसिंह गौड़ ने दी है पर दुर्भाग्य से उसकी सूचना आज सवेरे मिली है। संशोधनों की सूचना के लिए मैंने अवधि निर्धारित कर दी थी और चूंकि डाक्टर हरिसिंह गौड़ ने अवधि बीतने पर सूचना दी है, मैं उन्हें संशोधन पेश करने की इजाजत देने में असमर्थ हूं।

अब प्रस्ताव और सारे संशोधन पेश हो चुके हैं। अब सभा इन पर विचार करेगी।

मैं सदस्यों से कहूँगा कि वे कम समय में ही अपनी बात कहें क्योंकि इस पर हमें दो दिन लग चुके हैं और यद्यपि मैं किसी सदस्य के भाषण सम्बन्धी अधिकार को कम करना नहीं चाहता पर सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि वे मेरी बात पर ध्यान रखें। वाद-विवाद में भाग लेने वाले सज्जनों के नाम की सूची मेरे पास है पर मैं इसे मुकम्मिल नहीं मानता। इसके अतिरिक्त भी सदस्य हो सकते हैं जो बोलना चाहते हों। पर मैं इस सूची के अनुसार चलूंगा और यदि अतिरिक्त सदस्य भी बोलना चाहेंगे तो बीच-बीच में उन्हें भी मौका दूंगा। सूची में पहला नाम है, श्री कृष्ण-सिन्हा का। सभा के समक्ष अब वे अपनी बात कहें।

***माननीय श्री श्रीकृष्ण सिन्हा (बिहार: जनरल):** आदरणीय सभापति महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरी राय में वस्तुतः यह दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का पवित्र प्रस्ताव भी आलोचना से न बच पाया और इस

[माननीय श्री कृष्णसिन्हा]

पर अनेक संशोधन पेश किये गये हैं। मैं इसे पवित्र इसलिए कहता हूँ क्योंकि इस प्रस्ताव में स्वतन्त्र होने की हमारी भावना और प्रेरणा व्यक्त की गई है, जिसने आज कई वर्षों से हमें आन्दोलित कर रखा है।

सभापति महोदय, अगर ध्यान से उस पर विचार किया जाय तो इसमें भावी भारत की एक पूरी तस्वीर दिखाई देगी। भावी भारत एक प्रजातन्त्र होगा जिसके अंतर्गत प्रदेशों को खुद-मुख्तारी हासिल रहेगी। इस भारतीय प्रजातन्त्र में सत्ता जनता के हाथ में होगी और अल्प-संख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहेगी। प्रस्ताव की ये तीन प्रधान विशेषतायें हैं और इन्हीं विशेषताओं के कारण मैं इसे पवित्र मानता हूं। मैं अपनी बात संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा। फिर भी मैं सभा को यह याद दिलाये बिना नहीं रह सकता कि हम लोग यहां उस अधिकार की बिना पर समवेत हुए हैं जो मनुष्यों के लिए बहुमूल्य है और जिसे मनुष्य जाति ने कठोर कष्ट और त्याग के बाद प्राप्त किया है। हर समाज में जीवन को चलाने के लिए एक-न-एक राजनैतिक संगठन की—शासन पद्धति की जरूरत होती है। यदि हम संसार के राज्यों की क्रमागत उन्नति का इतिहास देखें तो मालूम होगा कि जीवन-सम्बन्धी विचारधारा में परिवर्त्तन होने के साथ-साथ शासन पद्धति में भी परिवर्त्तन होता आया है। मुझे सभा के एक सदस्य के मुंह से यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वस्तुतः इस बात पर कोई मत-भेद नहीं हो सकता कि समाज में राजनैतिक सत्ता-अधिकार कहां स्थित है। स्वयं यह सभा जनता की सत्ता पर समवेत हुई है। अवश्य ही अभी कुछ ही दिन पहले संसार इस बात पर विश्वास नहीं रखता था कि समाज के प्रत्येक सदस्य को सुख और स्वतन्त्रता का समान अधिकार है। समाज में व्यक्ति का कोई स्थान नहीं था और समाज का संगठन वर्ग-भेद के आधार पर था। समाज में व्यक्ति का स्थान उसके वर्ग से निश्चित होता था और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की सुरक्षा का प्रश्न ही नहीं था। गरीबी एक रोग नहीं समझी जाती थी, जिससे समाज को बचाना हो। अठारहवीं शताब्दी में फ्रांस के कुछ बड़े-बड़े विचारकों की यह राय थी कि सम्पत्ति के समुचित उत्पादन के लिए समाज में गरीबी का होना बहुत जरूरी है। ऐसे समाज में भला इस सिद्धांत के लिये कहां स्थान है कि सत्ता जनता के हाथ में है। तब सत्ता राजाओं में सन्निहित थी और उन्हें शासन का विशेषाधिकार प्राप्त

था। जनता सिर्फ इसलिए थी कि वह राजा द्वारा लगाये करों को चुकाये और उनके द्वारा बनाये कानूनों को सिर-आंखों पर रखे। पर ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, जीवन और समाज सम्बन्धी विचारों में भी परिवर्त्तन आता गया। मनुष्य विश्वास करने लगे कि हर व्यक्ति को सुख स्वतन्त्रता का समान अधिकार प्राप्त है। जीवन-सम्बन्धी विचार-धारा में यह परिवर्त्तन आजाने से यह आवश्यक हो गया कि राजकीय शासन-पद्धति में परिवर्त्तन किया जाये। पर जिनके हाथ में सत्ता थी वे इसे छोड़ने के लिए और शासन व्यवस्था में परिवर्त्तन लाने के लिये तैयार न थे। इस तरह से इन दो आदर्शों के बीच, (एक तो जिससे जनता प्रभावित थी और दूसरे वह जिससे सत्ताप्राप्त वर्ग प्रभावित था) एक घनघोर संघर्ष छिड़ गया। १८वीं शताब्दी के अन्त में, अन्ध महासागर की दोनों तट-वर्त्ती भूमियों पर भयानक क्रान्तियां हुईं और इस सिद्धान्त की विजय हुई कि सत्ता जनता के हाथ में है। इसके बाद भी बहुतेरे ऐसे शासक आये जो इस सिद्धान्त को न मानते थे और इस तरह एक और सशस्त्र क्रान्ति हुई जिसमें भयंकर रक्तपात हुआ और तब कहीं इस सिद्धान्त को सबने स्वीकार किया। इसी अधिकार की प्राप्ति के लिये ही हम कई वर्षों से इस देश में ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ते आ रहे हैं। इसी के लिए सन् १९२१ में सारा देश इस कोने से उस कोने तक मुह्यमान हो उठा और लाखों आदमी महात्मा गांधी द्वारा परिचालित सत्याग्रह-संग्राम में कूद पड़े। जनता के इस बुनियादी अधिकार की स्थापना के लिये ही सैकड़ों फांसी पर झूल गये, हजारों गोलियों के शिकार हुए और लाखों जेल गये। जनता और भारत सरकार के राजनैतिक आदर्शों में, विचारधारा में जबरदस्त अन्तर था और इसके फलस्वरूप इन दोनों के बीच सदा संघर्ष रहा है। इसलिए सभापतिजी, हम लोग इस परिषद् में इस बिना पर नहीं समवेत हुए हैं कि आज सरकार ने अपनी उदारता के आवेश में यह उचित समझ लिया है कि अब हमें अधिकार दे दिये जायं। मैं इस स्थिति में रहा हूं कि इस सम्बन्ध में अपनी राय कायम कर सकूं कि आया शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरित करने की जो बात कही जा रही है उसमें सच्चाई भी है या नहीं। जो लोग इंडिया ऐक्ट के राजनैतिक आदर्शों के अनुसार आज भी भारत पर शासन करने का स्वप्न देख रहे हैं उनको हमने बाध्य कर दिया है कि वह अपना यह विचार त्याग दें और इसीलिए आज यहां हम समवेत हो पाये हैं। विद्रोह की जो क्रान्तिमयी भावना सन् १९४२ में देश भर में फैल गई उसने हमें कामयाब

[माननीय श्री श्रीकृष्णसिन्हा]

बनाया और उसी का नतीजा है कि हम आज यहां समवेत हुए हैं। इस महती परिषद् में समवेत होने पर हमारा फर्ज होना चाहिये कि हम भावी भारत की रूपरेखा तैयार करें और उसे देश के सामने रखें। माननीय डा० जयकर ने अपनी ओजमयी वक्तृता में उन कठिनाइयों पर पूरा प्रकाश डाला है जो हमारे मुस्लिम लीगी बन्धुओं की गैरहाजिरी से पेश होगी। मैं नहीं समझता कि इन कठिनाइयों पर प्रकाश पाने के लिए माननीय डा० जयकर सरीखे महत्त्वपूर्ण और प्रसिद्ध व्यक्ति के भाषण की कोई जरूरत थी।

कठिनाइयां क्या हैं, इसे हम सभी जानते हैं। यदि हमने उनका भाषण ठीक-ठीक समझा है तो मेरे ख्याल में उन्होंने हमें निराशा की कोई बात नहीं कही है। वस्तुतः उन्होंने यह राय दी है यदि हमारे लीगी मित्र कुछ समय तक न आये तो फिर हमें अपने काम में अग्रसर हो जाना चाहिये।

हमारे नेता पं० जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि हम इसके लिए चिन्तित हैं कि हमारे मुस्लिम लीगी मित्र इस परिषद् में शामिल हों जिसका उन्हें हक है। हम सब इसके लिए फिक्रमन्द हैं कि वे यहां आवें। पर मैं यह नहीं समझ पाता कि आखिर यह प्रस्ताव उनके भविष्य में यहां आने में कैसे रुकावट डालता है। अगर हमने मुस्लिम लीग की राजनैतिक विचारधारा को ठीक-ठीक समझा है, अगर हमने मंत्रि प्रतिनिधि मंडल की घोषणा को ठीक-ठीक समझा है तो एक बात जिसमें हम सभी सहमत हैं और वह यह है कि भावी भारत संयुक्त हो और यदि जनता चाहे तो वह ब्रिटिश कामन वेल्थ से बाहर भी रह सकता है। समय-समय पर मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा दिये हुए वक्तव्यों से हम दरअसल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मुस्लिम लीग भी स्वतन्त्र भारत की हामी है। इसलिए जैसा कि हम सभी चाहते हैं और मुसलिम लीग चाहती है, भावी भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र होगा। उस स्वतन्त्र भारत में सारी शक्ति, सारे अधिकार यहां बसने वाली जनता के हाथ में होंगे। इसी सिद्धान्त के लिए हम सब इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे। अब जब परिषद् समवेत हुई है और हम अपनी घोषणा प्रकाशित करने जा रहे हैं, तो पहली चीज जो इस घोषणा में होनी चाहिये वह यह है कि जाति को, जो स्वतन्त्र होने का फैसला कर चुकी है, आजादी का बुनियादी हक हासिल है। इसलिए प्रस्ताव के उस पहलू पर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, जो संघ हम भारत में बनाने जा रहे हैं, वह भारत के सभी प्रदेशों का संघ होगा। अवश्य ही इसका यह मतलब हुआ कि भावी भारत संयुक्त होगा, सम्मिलित होगा। मैं फिर कहूंगा कि इस प्रस्ताव में स्वतन्त्र भारत के जिस स्वरूप की कल्पना की गई है उससे यह स्पष्ट है कि इस प्रस्ताव के रचयिता ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि इस प्रस्ताव में कोई ऐसी चीज न हो जिससे आगे चल कर मुस्लिम लीगी मित्रों के शामिल होने में कोई रुकावट पेश हो। मैं जानता हूँ सभापतिजी, इस सभा में ऐसे सदस्य भी हैं और मैं मंजूर करता हूं कि मैं भी उन्हीं में से हूं जिनका यह विश्वास है कि भारत में एक राष्ट्र का—भारतीय राष्ट्र का—प्रादुर्भाव हो चुका है जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति से सराबोर है। ऐसे लोग इस बात के लिए चिन्तित हैं कि भारत में एकात्मक शासन पद्धति मूलक (Unitary Govt) गणतन्त्र हो। संसार में उत्पादन सम्बन्धी आर्थिक शक्तियां इतनी बढ़ गई हैं कि उनका पूरा-पूरा फायदा उठाने के लिए यह जरूरी हो गया है कि राष्ट्रीय सीमाओं को लांघ कर—मौजूदा राष्ट्रीयता के सीमित दायरे को फांद कर—शासन संचालन के लिए कई प्रदेशों को मिलाकर और भी बड़े-बड़े संघ या खण्ड बनायें। बहुत से लोग अब इस तथ्य को, इस आवश्यकता को समझ गये हैं और यही कारण है कि बहुत से भारतीय यह महसूस करते हैं कि हिन्दुस्तान में एक केन्द्रीय गणतन्त्र होना चाहिए। परन्तु इसके बावजूद भी अगर हम इस प्रस्ताव द्वारा भारत में लोकतन्त्रीय पर विकेन्द्रित गणतन्त्र चाहते हैं तो यह केवल इसलिए कि इस प्रस्ताव के रचयिता ने प्रस्ताव बनाने में मुस्लिम लीगी मित्रों की भावनाओं का पूरा ध्यान रखा है। एक जमाना था जब संसार की तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार बड़े-बड़े राज्य बन सके थे जिनके निवासियों में भाषा और धर्म का सामंजस्य या एकरूपता थी। इसमें शक नहीं कि राष्ट्र-राज्य (National State) जिसके निवासियों में सांस्कृतिक ऐक्य या एक-रूपता हो, एक बड़ी जबरदस्त चीज है, जीवन से ओतप्रोत राज्य है परन्तु दुर्भाग्य से जब राष्ट्र-राज्यों के मिट जाने का ही खतरा पैदा हो गया हो या ऐसी परिस्थिति आ गई हो कि उनका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाये तो हमें उन राष्ट्र-राज्यों की पेचीदी विरासत से निबटना पड़ता है और वह विरासत है कि छोटे-छोटे प्रदेश जिनकी आबादी कहीं कुछ लाख और कहीं कुछ हजार ही है, अपने अलग राजनैतिक अस्तित्व के लिए हो-हल्ला मचाते हैं। संसार में इससे मुसीबत

[माननीय श्री श्रीकृष्ण सिन्हा]

पैदा हो गई हैं। आज समूचा पूर्वी यूरोप युद्ध का संक्रामक रोग पैदा करने वाला स्थान बन गया है क्योंकि उस हिस्से में इतनी छोटी-छोटी जातियां इस कदर सम्मिलित रूप से बस गई हैं कि उनको छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त करना बड़ा मुश्किल है और फिर भी वे अपने पृथक् राजनैतिक अस्तित्व के लिए शोरगुल मचा रही हैं।

यह प्रस्ताव इस भावना को भी व्यक्त करता है कि भारत को संसार के राष्ट्रों में समुचित स्थान मिलना चाहिए। प्रत्येक भारतीय की यह उत्कट पर उचित अभिलाषा है कि एक दिन भारत समस्त एशिया का नेतृत्व करे। हम भारत में एक विकेन्द्रित गणतन्त्र की सफलतापूर्वक स्थापना करके (जिसमें भिन्न-भिन्न भाषा और धर्म के गुट आपस में सम्मिलित होकर इस विशाल प्रजातन्त्र में रह सकें) इसका नेतृत्व करने का काम प्रारम्भ कर सकते हैं। आशा की जाती है कि शीघ्र ही पाश्चात्य साम्राज्यवाद की लहर एशिया से उठ जायेगी और इसके खतम होते ही एशियावासियों को अपने-अपने राज्य-निर्माण की समस्या हल करनी होगी। राष्ट्रीयता या राष्ट्र-राज्य का प्रश्न उन प्रदेशों में भी अवश्य ही जोर शोर से उठेगा। फिलस्तीन में, अरब में और एशिया के दक्षिण-पूर्वी प्रदेश के द्वीपों में यह समस्या आज पेश है। यदि हमको इन्हें ठीक-ठीक नेतृत्व देना है जिससे ये एशियायी प्रदेश बाल्कन राष्ट्रों की तरह पश्चिमी साम्राज्यवाद की रणभूमि न बन सकें तो यह आवश्यक है कि हम भारत में एक ऐसे राज्य की स्थापना कर एक आदर्श पेश करें जो समस्त भारत का हो और जिसमें सांस्कृतिक अल्प-संख्यकों की हर प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था हो। इस देश के व्यक्ति और वर्ग के बुनियादी अधिकारों की सुरक्षामूलक व्यवस्था करके यह प्रस्ताव इसी दिशा में प्रयास कर रहा है।

सभापति महोदय, प्रस्ताव की इन विशेषताओं के कारण ही मैंने कहा है कि यह प्रस्ताव पवित्र है और उन घोषणाओं के समकक्ष है जिनका ऐलान अतीत में जातियों ने दासता का बंधन तोड़कर ऐसे मौकों पर किया था। यह न केवल पवित्र ही है वरन् दुःसाध्य भी है क्योंकि इसके मार्ग में बड़ी कठिनाइयां हैं, जिन पर अभी डा० जयकर ने प्रकाश डाला है। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के रुख के कारण भी इसमें कठिनाइयां हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि बतौर शासक के मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ऐसा नहीं बोध कर पाता कि अंग्रेजों ने भारतीयों को शांतिपूर्वक सत्ता

हस्तांतरित करने का निश्चय कर लिया है। अभी उस दिन आपने चर्चिल का भाषण पढ़ा है। उस महान् साम्राज्यवादी की ओर से हमें एक भी उत्साहवर्धक शब्द नहीं मिला है। भारतीय इतिहास के ऐसे समय में भी जब देश का विधान बनाने के लिए इतने लोग समवेत हुए हैं तो बजाय इसके कि आशा और उत्साह की बात कहें वह अपनी पुरानी चाल चल रहे हैं। भाषण में उन्होंने कांग्रेस पर कीचड़ उछाला है, पं० जवाहरलाल पर छींटा मारा है। मध्य-कालीन सरकार में पं० जवाहर लाल नेहरू के आ जाने के बाद से मिस्टर चर्चिल को बिहार में निर्दोष मनुष्यों की नृशंस हत्या ही दिखाई दे रही है। सात समुद्र पार बसने वाले मिस्टर चर्चिल को मैं कहूंगा कि जनाब, आपको किसी स्वार्थी ने यह झूठी खबर दी है और आप जान-बूझ कर इस झूठ का प्रचार कर रहे हैं। बिहार सरकार ने इस उपद्रव को दबाने के लिए बल-प्रयोग करने में एक क्षण भी आनाकानी नहीं की और प्रांत के लाखों मुसलमानों की रक्षा के लिए उसने तुरन्त अपनी सारी शक्ति लगा दी। बिहार सरकार को इस बात का अभिमान है। जब तक सन् १६३५ के ऐक्ट के अनुसार उसका काम चल रहा है वह भारत सरकार का आदेश लेने के लिए तैयार नहीं है। पं० जवाहरलाल नेहरू हमारे नेता हैं और इस नाते वह बिहार पधारे थे। उनसे हम सबों को प्रेरणा प्राप्त होती है, उत्साह मिलता है। मैं मिस्टर चर्चिल को बतादूं कि चन्द दिनों के तूफानी दौरे में उन्होंने बिहार की जनता को अपना इरादा बता दिया। मैंने इस देश के सर्वोच्च अधिकारी को यह बात कही थी कि वह खुद भी बिहार में इतने अल्प समय में शांति नहीं स्थापित कर पाते जितने में कि हम लोगों ने की। वहां शीघ्र शांति स्थापित होने का कारण न तो बिहार-सरकार की गोलियां हैं और न भारत सरकार के सैनिक ही हैं जो बिहार सरकार को मदद के लिए भेजे गये थे। शीघ्र शांति स्थापित करने का एक-मात्र श्रेय है पं० नेहरू के व्यक्तित्व को, बाबू राजेन्द्र प्रसाद सरीखे साधु पुरुष की मौजूदगी को और महात्माजी की आमरण अनशन की धमकी को। मिस्टर चर्चिल ने इस झूठ का प्रचार कर बड़ी शैतानी का काम किया है। मैंने आपका बहुत समय लिया है। पर मैं आपसे यह जरूर कहूंगा कि प्रस्ताव पास करने के पहले आप उन कठिनाइयों को भी सोच लें जो आगे पेश हो सकती हैं। एक कानूनदां की हैसियत से मैंने ब्रिटिश मन्त्रि-प्रतिनिधि मंडल की घोषणा नहीं पढ़ी है। मैं जीवन भर सिपाही रहा हूं और सिपाही की दृष्टि से मैं इसे देखता हूं। ब्रिटिश

[माननीय श्री श्रीकृष्णसिन्हा]

राजनीतिज्ञों के वक्तव्यों से हमें कुछ भी मदद नहीं मिलती। डा० जयकर द्वारा बताई कठिनाइयों की वजह से तो नहीं पर उन लोगों की पैदा की हुई मुश्किलों की वजह से मुमकिन है कि इस विधान-परिषद् को भी एक दिन वही रास्ता अख्तियार करना पड़े जिसे सन् १७९९ में फ्रान्सीसी विधान-परिषद् को, तत्कालीन राजा और राजनीतिज्ञों के रुख के कारण अपनाना पड़ा था। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं इस परिषद् के सदस्यों से कहूंगा कि इस प्रस्ताव के हक में अपना वोट देने का फैसला करें इसके पहले उन मुश्किलों पर खूब गौर करलें जिनका कि उन्हें अपने इरादे को पूरा करने में सामना करना पड़ेगा। अगर हम यह प्रस्ताव पास करते हैं तो हमें इस बात का पक्का संकल्प कर लेना होगा कि हम भारत के मौजूदा राजनैतिक ढांचे को, जो सन् १९३५ के ऐक्ट पर मायावी वैधानिक जाल खड़ा है, चकनाचूर कर देंगे और उस तरह का प्रजातन्त्र कायम करेंगे जिसकी कल्पना इस प्रस्ताव में आगई है, चाहे हमारे रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों न आयें।

*सभापति : पांच बज चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सदस्य साढ़े पांच तक बैठना पसन्द करेंगे ?

*बहुत से सदस्य : हां साढ़े पांच बजे तक।

*सभापति : इस प्रश्न पर सभा एकमत नहीं मालूम पड़ती।

*माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल : सबकी राय है कि पांच बजे तक बैठा जाय।

*सभापति : जो लोग साढ़े पांच बजे तक बैठने के पक्ष में हैं कृपया हाथ उठावें। जो साढ़े पांच बजे तक बैठने के खिलाफ हैं अब हाथ उठावें।

*सभापति : पांच वालों का बहुमत है। अब सभा कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके बाद सभा मंगलवार १७ दिसम्बर सन् १९४६ ई० प्रातः ११ बजे के लिए स्थगित हुई।

अंक १
संख्या ७

मंगलवार
१७ दिसम्बर
सन् १९४६ ई०

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

——:०:——

विषय-सूची

(मूल्य ४ आने)

भारतीय विधान-परिषद्

मंगलवार, १७ दिसम्बर सन् १६४६ ई०

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रात: ११ बजे माननीय डा० राजेन्द्रप्रसाद के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई।

माननीया श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने अपना परिचय-पत्र पेश कर रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया।

*सभापति : श्रीमती पंडित अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बहुत बड़ी सफलता पाकर स्वदेश लौटी हैं। मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूँ।(हर्ष-ध्वनि) मुझे विश्वास है कि मेरे साथ समूची सभा उनका हृदय से स्वागत करती है जैसा कि तुमुल हर्ष-ध्वनि से स्पष्ट है। (प्रशंसा-सूचक ध्वनि) ऐसा भी कोई सदस्य है जो रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना चाहता हो ?

(कोई नहीं)

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पर बहस—(गत संख्या से आगे)

*सभापति: अब हम प्रस्ताव और संशोधनों पर बहस-मुबाहिसा जारी करते हैं। मेरे पास उन सदस्योंकी एक बड़ी सूची है जो बोलना चाहते हैं और उसमें ५०से ज्यादा नाम हैं। मैं नहीं समझ पाता कि इन ५० वक्ताओं को बोलने का मौका मैं कैसे दे सकूँगा। इनके अलावा और लोग भी शायद बोलना चाहते हों। इसलिए मैं खुद वक्ताओं को चुन लूँगा। हो सकता है कि इससे बाज हल्कों में कुछ असन्तोष हो, पर मेरी समझ में इसके सिवा और चारा नहीं है। मैं वक्ताओं से अनुरोध करूँगा कि जहाँ तक हो सके वे संक्षेप में बोलें क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं और हमें यह प्रस्ताव पास करके आगे का काम करना है। हमारी बैठक रोज दो घंटा होती है और अगर हर वक्ता १५ मिनट ले तो ५० वक्ताओं के लिए ६ दिन चाहिएँ और हमारी बैठक सुबह-शाम दोनों वक्त हो तो तीन दिन लगेंगे। मैं नहीं समझता कि हम लोग इस प्रस्ताव पर इतना समय दे सकेंगे। इसलिए मैं वक्ताओं से अनुरोध करूँगा कि वे जहाँ तक हो सके संक्षेप में ही अपनी बात खत्म कर दें। मैं वक्त की पाबन्दी नहीं लगाऊँगा। १० मिनट का समय हर वक्ता के लिए काफी समझा जा सकता है। अब मैं श्री मसानी से कहूँगा कि वे सभा के सामने अपनी बात कहें।

*श्री एम० आर० मसानी (बम्बई :जनरल): सभापति महोदय, प्रस्ताव पर कुछ भी बोलने से पहले मैं यह साफ-साफ कह देना चाहता हूँ कि मैं इस प्रस्ताव पर किसी सम्प्रदाय का सदस्य होने के नाते नहीं बोल रहा हूं आज (हमारा देश दुर्भाग्य से

---

*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी भाषण का हिन्दी अनुवाद है।

[श्री एम० आर० मसानी]

सम्प्रदायों में बँटा है) बल्कि केवल एक भारतीय की हैसियत से इस पर बोल रहा हूँ। (हर्ष-ध्वनि) यद्यपि मैं भारत के एक बड़े छोटे अल्प-संख्यक सम्प्रदाय का सदस्य हूँ पर फिर भी मैं एक भारतीय की हैसियत से ही बोलूँगा। भारत में आने वाली अन्य जातियों की तरह हमारी जाति कोभी यहाँ वही स्वागत, वही आतिथ्य और वही सुरक्षा मिली जिसका जिक्र अभी प्रस्तावका समर्थन करते हुए श्री पुरुषोत्तमदास जी टंडन ने किया था। मुझे आशा है कि भारत के अल्प-संख्यक सम्प्रदाय यहाँ के बहु-संख्यक सम्प्रदाय के साथ एक जाति या राष्ट्र के रूपमें समुन्नत होने की प्रक्रिया में लगे रहेंगे। इस प्राचीन देश में जो-जो भी नई जातियाँ आई इसमें घुल-मिल गई और यह प्रक्रिया कई शताब्दियों तक चलती रही। पर गत कुछ शताब्दियों से जात-पाँत की कट्टरता के कारण तथा पृथक्-पृथक् समाज बन जाने से इस प्रक्रिया में बाधा पड़ गई है। इस समय मैं इतना ही कहूंगा कि राष्ट्र या जाति की कल्पना में किसी ऐसे अल्पमत की गुंजाइश नहीं है जो सदा अल्पमत ही बना रहे। या तो राष्ट्र अल्प-संख्यकों को अपने में जज्ब कर लेगा या फिर काल-क्रम से यह खुद ही मिट जायेगा। इसलिए प्रस्ताव में अल्प-संख्यकों की सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसका स्वागत करते हुये मैं यह कहूंगा कि कानूनी व्यवस्था तो ठीक है पर ऐसी कोई भी व्यवस्था अल्प-संख्यकों को जबरदस्त बहुमत या जनता के दबाव से नहीं बचा सकती जब तक कि दोनों ओर से एक दूसरे से नजदीक आने की और मिल-जुल कर एक सुसंगठित सजातीय राष्ट्र बनने की कोशिश न हो। अमेरिका ने इस बात का उदाहरण हमारे सामने रखा है। वहां भिन्न-भिन्न जाति, फिरके के लोगों ने आपस में मिल-जुलकर, सिवा एक अपवाद के, एक राष्ट्र का रूप ग्रहण कर लिया है।

इस सभा का शायद ही कोई सदस्य ऐसा हो जो उस वक्तृता से प्रभावित न हुआ हो और गौरवबोध न किया हो जिसके साथ माननीय प्रस्तावक महोदय ने प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने भविष्य को खूब गौर से देखा और यह जानने की कोशिश की कि भारतवासियों के भविष्य का क्या स्वरूप होगा। उन्होंने यह अपील की है कि हम इस प्रस्ताव को एक बुनियादी चीज समझें और उसके शब्दों पर कानूनी झगड़े या बहस से बचें। इस अपील के जवाब में, सभापति जी, जो चन्द मिनट का समय आपने मुझे दिया है उसके अन्दर मैं सभा का ध्यान प्रस्ताव के उस पहलू की ओर खींचूंगा जिसे मैं प्रस्ताव का सामाजिक और टिकाऊ पहलू कह सकता हूँ और इस बात पर विचार करूंगा इसे समझने की कोशिश करूंगा, कि प्रस्ताव में इस देश के निवासियों के लिए किस तरह के समाज, राज्य या जीवन-पद्धति की व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूं कि हमारा जो फिलहाल झगड़ा है उसे अलग रख दें तो देश की साधारण जनता का अधिक से अधिक ध्यान प्रस्तावके इस पहलू पर ही जायगा।

प्रस्ताव के इस भाग को मैं एक उस प्रजातन्त्रीय समाजवादी की दृष्टि से देखता हूं जो यह महसूस करता है कि अब प्रजातन्त्र न केवल राजनैतिक दायरे तक

ही सीमित रहना चाहिए वरन् इसका प्रसार आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी होना चाहिए अन्यथा समाजवाद व्यर्थ है। बावजूद इस बात के कि इस प्रस्ताव में प्रजातन्त्र और समाजवाद का उल्लेख नहीं है, मैं इसका स्वागत करता हूं। शायद ये शब्द इसमें जान-बूझ कर नहीं रखे गए हैं क्योंकि प्रजातन्त्र समाजवाद आदि शब्दों से ढेर-के ढेर गुनाह ढके जा सकते हैं जैसा कि अभी मेरठ-कांग्रेस के मौके पर हमारे एक नेता ने अपने सभापति के भाषण में कहा था कि शब्दजाल से प्रायः सत्य पर परदा पड़ जाया करता है। हम जानते हैं कि फ्रांसीसी राज्य-क्रान्ति की उत्पत्ति बन्धुता के नाम पर हुई थी पर फ्रांसीसी क्रान्तिके अवसान कालमें एक हंसोड छिद्रान्वेषी ने कहा था--

"जब मैंने देखा कि बन्धुत्व के नाम पर लोग क्या अनर्थ कर रहे हैं तो मैंने यह सोचा अगर मेरे अपना भाई होता तो मैं उसे भतीजा कहने लगता।"

मुझे डर है कि अन्य क्रान्तियों के सम्बन्ध में भी यही तथ्य है।

सभापति जी, मैं एक समाजवादी की हैसियत से इस प्रस्ताव के इस भाग का स्वागत करता हूं क्योंकि आर्थिक प्रजातन्त्र का सार इस प्रस्ताव में सन्निहित है, यद्यपि इसका दिखावटी लेबुल इस पर नहीं लगा हुआ है जैसा कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने ठीक ही कहा है। यह प्रस्ताव मेरे ख्याल में, वर्त्तमान सामाजिक व्यवस्था को नामंजूर करता है। प्रस्ताव के ५वें पैरे में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के सम्बन्ध में जो बात कही गई है उनका इसके सिवा कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं समझता कि सभा का कोई भी उपस्थित सदस्य यह मानता होगा कि हमारा वर्त्तमान सामाजिक संगठन न्याय के आधार पर हुआ है। मैं समझता हूं कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि अगर आज हमारी मौजूदा राष्ट्रीय आय बराबर-बराबर तीन भागों में बांटी जाय तो एक तिहाई यहां की ५ प्रतिशत आबादी को मिलती है, दूसरी तिहाई ३३ प्रतिशत को और बाकी तिहाई शेष ६२ प्रतिशत आबादी पायगी। अवश्य ही यह कोई सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं है। इसलिए जैसा कि मैं समझता हूं यह प्रस्ताव देश की वर्त्तमान भयंकर असमानता को कभी नहीं बरदाश्त करेगा। यह इस बात को कभी न बरदाश्त करेगा कि मिहनत तो करे कोई और उसका लाभ ले दूसरा ही व्यक्ति। अवश्य ही इस प्रस्ताव का यह मतलब है कि सर्व-साधारण के लाभ के लिए जो भी श्रम किया जायगा, उसके फल में श्रम करने वाले व्यक्ति को उचित हिस्सा मिलेगा। इस प्रस्ताव का यह भी मतलब है कि विधान के अन्तर्गत इस देशके निवासियों को सामाजिक सुरक्षा पानेका हक होगा। अर्थात् वह काम करेगा और समाज को उसका प्रतिपालन करना होगा। प्रस्ताव में यह व्यवस्था भी है कि सबको समान अवसर प्राप्त हो सके। अवसर की समानता से यह बात स्वयं सिद्ध है कि सबको शिक्षा की और प्रतिभा-विकास की समान सुविधा प्राप्त होगी। आज हमारे विशाल जन-समूह के अन्दर ढेर-की-ढेर प्रतिभा दबी हुई पड़ी है जिसे विकास पाने और मुल्क की तरक्की में हाथ बटाने का मौका ही नहीं मिलता है। अवसर की समानता का यही मतलब है कि देश के प्रत्येक बालक-बालिका को अपने-

[श्री० एम० आर० मसानी]
अपने विशेष गुणों को विकसित करने का समान अवसर दिया जायगा जिससे वह सार्वजनिक हित के कामों में हाथ बंटा सके ।

प्रस्ताव का यह समाजवादी पहलू है। इस प्रस्ताव में समाजवाद की व्यवस्था नहीं रखी गई है। उस तरह की व्यवस्था करना भी भूल होगी क्योंकि इस सभा को इस बात का आदेश नहीं प्राप्त है कि वह देश में बड़े-बड़े आर्थिक परिवर्त्तन लाये, ऐसे व्यापक परिवर्त्तन तो कोई नियमानुमोदित पार्लियामेंट ही अस्तित्व में आने पर जनमत के आदेश से कर सकती है। विधान-परिषद् होने के नाते यह सभा केवल इतना ही कर सकती है कि एक विधान बना दे जिसमें ऐसे व्यापक परिवर्त्तनों की व्यवस्था हो जिनकी मुल्क में जरूरत है। सभापति जी, मैं यह मानता हूं कि कट्टर से कट्टर समाजवादी को भी सन्तुष्ट करने की यथा सम्भव व्यवस्था इसमें की गई है।

जैसा मैं कह चुका हूं, मैं इस प्रस्ताव को एक प्रजातन्त्रीय समाजवादी की दृष्टि से देखता हूं और यदि इसमें समाजवाद का तत्व है तो फिर इसमें प्रजातन्त्र का भी सार है। मैं नहीं समझता कि यहां 'रिपब्लिक गणतन्त्र शब्द'का समावेश काफी है। जैसा कि पं० जवाहरलाल जी ने खुद कहा है, यह तो मुमकिन है कि राजा-विहीन लोक-तन्त्र में (Republic) में वास्तविक लोक-तन्त्र (Democracy) न हो। अगर हम वर्त्तमान संसार पर दृष्टि दौड़ायें तो मालूम होगा कि ऐसे कितने ही प्रदेश हैं जहां राजा-विहीन लोक-तन्त्र होने पर भी वास्तविक लोक-तन्त्र का अभाव है। इसलिए इतना कहने के बाद भी कि हमारा राज्य रिपब्लिक होगा हमें इस बात को साफ कर देना चाहिए जैसा कि पैरा ४ और ५ में किया गया है कि हमारी दृष्टि में प्रजातन्त्र का यह अर्थ नहीं है कि पुलिस का शासन हो और लोगों के बिना मुकदमा चलाये ही खुफिया पुलिस गिरफ्तार कर ले या जेल दे दे। प्रजातन्त्र का मतलब यह नहीं है कि राज्य ही सब कुछ हो और प्रजा मानो महज राज्य का आदेश मानने के लिए ही हो, और एक दल का शासन चले और विरोधी दलों को कुचल दिया जाये और उन्हें अपना मन्तव्य प्रकट करने का समान अवसर न दिया जाये इसका मतलब ऐसे राज्य या समाज से नहीं है, जहां व्यक्ति की कोई हैसियत न हो और वह राज्य की बड़ी मशीनरी का महज एक छोटा आज्ञा-वाहक पुरजा ही समझा जाय। पं० जवाहरलाल नेहरू ने यह बताया है कि यह प्रस्ताव प्रजातन्त्र के आधार पर बनाया गया है और हमारा सम्पूर्ण अतीत इस बात का साक्षी है कि हम प्रजातन्त्र चाहते हैं और कुछ नहीं। परन्तु हमारा अतीत ही हमारे प्रजातन्त्रीय विश्वास का साक्षी नहीं है हमारा वर्त्तमान भी इसी को व्यक्त करता है।

हमारे राष्ट्रीय जीवन का प्रवाह बहुमुखी है पर व्यक्ति की स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रीय राज्य के हम सभी हामी हैं। यह बात बताने के लिए कि हमारे देश में व्यापक अन्तर वाली विचार-धाराओं के लोग आज किस तरह इस बात पर एकमत हैं कि अधिकार और शक्ति साधारण जनतामें बांट दिये जायं,राजनैतिक और आर्थिक

अधिकार इतने विस्तृत पैमाने पर बांट दिये जायं कि कोई व्यक्ति या वर्ग दूसरों का शोषण न कर सके उन पर हावी न हो सके, मैं सर्वप्रथम उस व्यक्ति का कथन उद्धृत करूंगा जो हमारे बीच मौजूद नहीं है और जिसको प्रस्तावक महोदय ने राष्ट्र का जनक कह कर उल्लेख किया था। मैं महात्मा गांधी की बात कहता हूं (हर्ष-ध्वनि)। ये हैं गांधीजी के शब्द जिन्हें श्री लुइस फिशर ने अपनी किताब 'ए वीक विद् गान्धी' (गान्धी के साथ एक सप्ताह) में उद्धृत किये हैं:—

"इस समय समस्त क्षमता नई दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई में ही केन्द्रित है और मैं चाहता हूँ कि यह क्षमता हिन्दुस्तान के सात लाख ग्रामों में बांट दी जाये।"....

"ऐसा होने पर इन सात लाख ग्रामों में परस्पर स्वेच्छापूर्वक सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। लोग जबरदस्ती बाध्य किये जाने पर ही सहयोग नहीं देंगे जैसा कि नाजी-व्यवस्था में है। इस स्वेच्छापूर्वक सहयोग से वास्तविक स्वतन्त्रता और एक नवीन व्यवस्था का जन्म होगा जो रूस की वर्त्तमान व्यवस्था से भी ऊंची होगी...

"कुछ लोग कहते हैं कि रूस में दमन है पर यह दमन राष्ट्र के बहुत गरीब और नीचे पड़े हुए वर्ग की भलाई के लिए ही किया जाता है। मुझे इसमें कोई भलाई दिखाई नहीं देती।"

एक दूसरी ही श्रेणी के विचारक के विचारों में भी यही ध्वनि मिलती है। भारतीय समाजवादी दल के नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने अभी हाल में समाजवाद के वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उससे चन्द वाक्य मैं यहां उद्धृत करता हूं। मुझे अफसोस है कि वे हमारे काम में अभी तक यहां शामिल नहीं हुए हैं। पर उनका कथन मैं उद्धृत करता हूं जो आप देखेंगे कि महात्माजी के विचारों की प्रतिध्विनि स्वरूप है। आप कहते हैं:—

"समाजवादी व्यवस्था वाले राज्यों के दुर्बल होने का तो कोई अंदेशा ही नहीं है बल्कि उससे सदा यह भय बना रहता है, जैसा आज रूस में है, कि वह सारी सत्ता हस्तगत करके प्रजापीड़क बन जायेगा और नागरिकों की जीवन व्यवस्था अपने हाथ में रख लेगा। इस तरह वहां राज्य ही सर्वेसर्वा हो जाता है जैसा कि आज रूस में हम देखते हैं। यदि कल-कारखानों के स्वामित्व और उनकी संचालन व्यवस्था को व्यक्तियों के हाथ से ले ली जाये और गांवों को प्रजातन्त्र में परिवर्तित कर दिया जाये तो राज्य के सर्वेसर्वा बनने का डर बहुत कुछ जाता रहता है।"

इस तरह मेरी कल्पना के अनुसार समाजवादी भारत एक आर्थिक एवं राजनैतिक प्रजातन्त्र होगा। उस प्रजातन्त्र में मनुष्य न तो पूंजी का गुलाम होगा और न दल या राज्य का ही। वह पूर्ण स्वतन्त्र होगा।

आज यह दलील पेश करने का रिवाज-सा चल गया है कि तब तक कोई आवश्यक सामाजिक और राजनैतिक परिवर्त्तन नहीं किये जा सकते जब तक कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र को समाप्त न कर दिया जाय और सर्वशक्तिशाली राज्य अपने कार्य-क्रम को ज़ोर देकर पूरा न करे। यह प्रस्ताव, यदि मैं इसे

[श्री० एम० आर० मसानी]

सही-सही समझता हूं तो इस मत का खंडन करता है। प्रस्ताव में बड़े व्यापक सामाजिक परिवर्त्तनों की कल्पना की गयी है अर्थात् सही-सही माने में सामाजिक न्याय प्रदान करने की बात प्रस्ताव में कही गयी है। खूबी यह है कि राजनैतिक प्रजातन्त्र और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के जरिये ही ये सब आवश्यक परिवर्त्तन किये जायेंगे। उन निराशावादियों को या हर काम में पराजय की मनोवृत्ति रखने वाले सज्जनों को, जो यह कहते हैं कि ऐसा करना असम्भव है, यह प्रस्ताव कहता है कि यह किया जा सकता है और हम इसे करने के लिये कमर कस चुके हैं। वर्त्तमान समय की प्रधान समस्या यह है कि आया जनता राज्य के आधीन है या राज्य जनता के आधीन। जहां राज्य जनता के आधीन है वहां राज्य सिर्फ एक साधन है। वहां राज्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को उतनी ही दूर तक अपने हाथ में ले सकता है जहां तक जन-मत चाहता है और जहां जनता ही राज्य के आधीन है वहां प्रजा राज्यरूपी विशाल मशीनरी का सिर्फ मनुष्यरूपी पुर्जा है जिसको एक शक्तिशाली डिक्टेटर या राजनैतिक दल अपने इशारे पर नचाया करता है। सभापति जी, मेरा तो विश्वास है कि प्रस्तुत प्रस्ताव ऐसा विधान बनाने का आदेश देता है जिसमें जनता के हाथ में अधिकार होंगे और जहां व्यक्ति की ओर ध्यान दिया जायेगा और व्यक्ति विकास ही जहां समाज का लक्ष्य होगा। अपने इस विश्वास के कारण ही मैं प्रस्ताव के इस भाग का समर्थन करता हूं; क्योंकि मेरा विश्वास है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को स्वतन्त्रता का, सुख तलाश करने का पूरा अधिकार है जैसा कि अमेरिकन विधान के निर्माताओं ने अपने नागरिकों के अधिकारों के सम्बन्ध में कहा है। (हर्ष-ध्वनि)

श्री एफ० आर० एन्थॉनी (बंगाल: जनरल) : सभापति महोदय, डा० जयकर के संशोधन का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। पंडित नेहरू के प्रस्ताव और डा० जयकर के संशोधन पर मैंने खूब सोच-विचार किया है। प्रस्ताव के गाम्भीर्य की, उसके निश्चय-मूलक स्वरूप की मैं प्रशंसा करता हूं पर संशोधन का समर्थन मैं केवल कानूनी दलीलों की बिना पर नहीं करने जा रहा हूं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि प्रस्ताव का पहला हिस्सा हमारे इस पक्के इरादे का ऐलान करता है कि हम भारत को स्वतन्त्र, खुद मुख्तार प्रजातन्त्र बनायेंगें। मैं जानता हूं कि कांग्रेस दल इस बात को अपना धर्म समझता है। यह प्रस्ताव उन महान् लक्ष्यों और आदर्शों को जाहिर करता है जिनके लिये कांग्रेस ने इतने दिनों तक कठिन संघर्ष किया है। इसलिये कोई भी सदस्य इस बात का साहस नहीं कर सकता है और न करना चाहिये कि वह कांग्रेस से कहे कि इस परम उपयुक्त अवसर पर वह अपनी चिरकालीन प्रतिज्ञा को न दुहराये। इसके अलावा यह एक ऐसी प्रतिज्ञा है जो प्रत्येक भारतीय के दिल में घर कर चुकी है। मैं जानता हूं कि हम लोगों के सामने अनेक उदाहरण हैं

कि हमारी तरह अन्य विधान-परिषदों ने भी समवेत होने पर सबसे पहले अपने लक्ष्य की ही घोषणा की थी । हमारा भी उद्देश्य यही है कि हम भारत को स्वतन्त्र सत्तासम्पन्न प्रजातन्त्र घोषित करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें ठीक ही कहा है कि हम लोकतन्त्र (Republic) शब्द में अनावश्यक भय न देखें। यह तो सिर्फ इस बात को स्पष्ट करने के लिये रखा गया है कि हमारा विधान ऐसा हो जहां राजा-विहीन लोकतन्त्र हो, न कि राजतांत्रिक लोकतन्त्र। साथ ही साथ पं० नेहरू ने इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रस्ताव में खुदमुख्तार प्रदेशों (इकाइयों) पर यह पाबन्दी नहीं है कि वे संघ में शामिल होकर अपने लिये राजतन्त्रीय व्यवस्था नहीं रख सकते हैं। ये खुद मुख्तार प्रदेश संघ में शामिल होकर अपने शासन के लिये राजतन्त्रीय या जैसी व्यवस्था चाहें रख सकते हैं। डा० जयकर के संशोधन का समर्थन मैंने इसी कारण से किया है कि मेरा विश्वास है कि इससे ये दोनों ही बातें पूरी होती हैं। संशोधन कांग्रेस प्रतिज्ञा का समर्थन करता है । यह हमारे इस इरादे को भी पुष्ट करता है कि हम स्वतन्त्र भारतीय प्रजातन्त्र के लिये विधान बनायेंगे । हो सकता है कि प्रस्ताव और संशोधन के शब्द एक से न हों। यदि प्रस्ताव के ही शब्द संशोधन में रखे गये होते तो ज्यादा अच्छा होता पर मैं समझता हूँ कि वैधानिक दृष्टि से जहां तक अर्थ या भाव का सम्बन्ध है दोनों की वाक्य रचना समान है। डा० जयकर के संशोधन से हमारी यह एक दूसरी आवश्यकता भी पूरी हो जाती है कि हम प्रारम्भ में ही उस बात की घोषणा कर देते हैं कि स्वतन्त्र सर्वसत्ता सम्पन्न भारतीय प्रजातन्त्र का विधान हम किन लक्ष्यों और उद्देश्यों के आधार पर बनायेंगे। मैं समझता हूँ कि डा० जयकर के संशोधन का अभिप्राय यही है कि इस प्रस्ताव के बाकी हिस्सों की घोषणा हम अभी स्थगित रखें। अर्थात् प्रस्ताव के उस भाग की घोषणा अभी न करें जिसमें देशी रियासतों का तथा प्रान्तों और संघ के अधिकारों और कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मैं समझता हूं कि संशोधन का यह आशय है कि हम एक ऐसी घोषणा, चाहे वह कितनी ही न्याय संगत क्यों न हो, न करें जिससे हम पर यह अभियोग ख्वाह वह बिलकुल बेबुनियाद ही क्यों न हो, लगाया जा सके कि हमने उन तफसीली बातों को पहले से ही तय कर लिया जिन पर इस सभा में पूरी तरह से वाद-विवाद होना चाहिए था और सभी लोगों का मत लिया जाना चाहिये था। सभापति जी, यही बात है कि मैं डा० जयकर के संशोधन का समर्थन आवश्यक समझता हूं। राजनीतिज्ञता की भावना से यह उपस्थित किया गया है। यह इसलिये उपस्थित किया गया है कि हम सभी यह चाहते हैं कि हमारे दोनों प्रमुख दलों में अधिक-से-अधिक सद्भावना और मतैक्य हो, हम सभी चाहते हैं कि हमारे देशवासी आदान-प्रदान की भावना से परस्पर शक्तिसम्पन्न बनें और बनायें तथा आपस में प्रेम से रहें। इसलिये यह संशोधन मंजूर किया जाना चाहिये।

डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी (बंगाल:जनरल) : आदरणीय सभापति महोदय,

[डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी]

अपने देश के बहुरंगी इतिहास में हमने अक्सर भिन्न-भिन्न दलों की ओर से अपने देश के लिये स्वतन्त्र सर्वसत्ता सम्पन्न राज्य की मांग के प्रस्ताव पास किये हैं। पर आज का प्रस्ताव एक खास और गंभीर महत्व रखता है। अपने इतिहास में ब्रिटिश हकूमत में आने के बाद आज पहला मौका है, जब हम अपना विधान बनाने के लिये एकत्र हुये हैं। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वस्तुतः जैसा कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने हमें याद दिलाया है, यह एक पवित्र कर्त्तव्य है, जिसे पूरा करने का हमने बीड़ा उठाया है और अपनी योग्यतानुसार यथाशक्ति इसे पूरा करने का हम इरादा रखते हैं। सभापति जी, डा० जयकर के संशोधन से कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं, जिनका बुनियादी महत्व है। मुझे दुःख है कि मैं इस संशोधन का समर्थन करने में असमर्थ हूं। इस संशोधन का यह अर्थ होता है कि हम इस आशय का कोई भी प्रस्ताव तब तक पास ही नहीं कर सकते, जब तक कि सेक्शनों की बैठक न हो जाये और वे अपनी सिफारिश न पेश कर दें। डा० जयकर यह चाहते हैं कि हम इस प्रस्ताव को तब तक न स्वीकार करें, जब तक कि देशी रियासतें और मुस्लिम लीग दोनों विधान-परिषद् में शामिल न हो सकें। जहां तक रियासतों की बात है वे चाहने पर भी परिषद् में तब तक शामिल नहीं हो सकतीं, जब तक कि सेक्शन बैठकर प्रान्तीय विधान न बना लें। इसका मतलब यह हुआ कि रियासतों के शामिल होने में कितने महीने लगेंगे कोई नहीं बता सकता। जहां तक मुस्लिम लीग का सवाल है, अवश्य ही प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का दुःख है कि वह इस प्रारम्भिक बैठक में सम्मिलित होने में असमर्थ है। पर इस बात की ही क्या गारण्टी है कि अगर हम इस प्रस्ताव को आगामी २० जनवरी तक स्थगित कर देते हैं जैसा कि डा० जयकर का सुझाव है, तो मुस्लिम लीग आयेगी और अधिवेशन में शरीक होगी।

सभापति जी, मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर हमें एक दूसरे ही दृष्टिकोण से विचार करना होगा। सोचना यह है कि क्या इस प्रस्ताव में कोई ऐसी भी बात है, जो मंत्रिमंडल की १६ मई वाली योजना के विपरीत है। यदि प्रस्ताव में ऐसी बात है, जो उक्त योजना से सामंजस्य नहीं रखती तो निश्चय ही हम समय से पहले ही बहुत सी बातों का निर्णय कर लेते हैं और ऐसी बातों पर विचार करते हैं, जिन पर यह कहा जा सकता है कि हमें अभी विचार करने का अधिकार नहीं है। परन्तु यह योजना मुझे तो एक तिलस्म-सी जान पड़ती है। भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से इस पर विचार करके आप इसका भिन्न-भिन्न अर्थ निकाल सकते हैं। समूचे प्रस्ताव को ज्यों-का-त्यों रखकर देखिये कि यह क्या घोषणा करता है। यह कुछ ऐसी बुनियादी बातों का ऐलान करता है, जो योजना के अन्तर्गत हैं। मैं जानता हूं कि अगर हम विस्तार में जायंगे तो मुझे कम-से-कम एक ऐसे प्रसंग की चर्चा करनी होगी, जिसपर हम भिन्न-भिन्न मत रखते हैं। वह है अवशिष्ट अधिकारों का प्रश्न। पर इस बात को भी, इस प्रश्नको भी मंत्रिप्रतिनिधिमंडलकी योजनाने विधानके अन्तर्गत रखा है। यह एक ऐसा

प्रश्न है जिसपर राष्ट्रीय महासभा ने भी अपनी राय जाहिर कर दी है। इस प्रश्न पर मैं समझता हूं, मुस्लिम लीग भी अपना विचार व्यक्त कर चुकी है। हममें से कुछ लोग लीग के विचार से मतभेद रखते हैं और भारत की भलाई के ख्याल से एक मजबूत केन्द्रीय सरकार पर जोर देते हैं। बाद में उपयुक्त मौके पर हम लोग इस प्रश्न पर विचार करेंगे। पं० जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावक की हैसियत से इस बात का खुलासा कर दिया है कि यहां अभी हम भारत के लिये विधान नहीं बना रहे हैं। यहां इस प्रारम्भिक अवस्था में हम केवल एक प्रस्ताव मंजूर कर रहे हैं, जिसमें भारत के भावी शासन विधान की रूपरेखा दी हुई है। दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते हैं कि जब विधान-निर्माण का समय आयेगा और विधान विषयक प्रस्ताव उपस्थित होगा तो हमें अधिकार है कि हम सभा के सामने अपना संशोधन उपस्थित करें। सभा संशोधन के गुण-दोष के अनुसार उसपर अवश्य विचार करेगी। इस प्रस्ताव के पास हो जाने से सभा के सदस्यों पर ऐसी कोई कानूनी पाबन्दी नहीं लगती है कि बादमें जब सभा विधान-निर्माण करेगी तो वे कोई संशोधन नहीं पेशकर सकते। आप दो बातोंको देखिये एक तो यह कि कहीं यह प्रस्ताव मंत्रिप्रतिनिधिमंडल की योजना की मुख्य-मुख्य बातों के प्रतिकूल तो नहीं जाता है। दूसरे यह कि प्रस्तुत प्रस्ताव भावी विधान के विस्तार पर किसी तरह विधान-परिषद् को वचन-बद्ध तो नहीं करता है। यदि ये दोनों बातें नहीं हैं तो मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि इस प्रस्ताव को इस समय मंजूर करने में क्यों कोई रुकावट डाली जाय।

प्रस्ताव एक निजी महत्व रखता है। आखिर हम यहां अपनी व्यक्तिगत हैसियत से नहीं आये हैं, बल्कि इस विशाल देश के निवासियों के प्रतिनिधि की हैसियत से हम यहां समवेत हुए हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्वीकृति के बल पर हम यहां नहीं समवेत हुए हैं, बल्कि हम यहां समवेत हुए हैं भारतीय जनता की स्वीकृति के बल पर। (हर्ष-ध्वनि) और यदि यही तथ्य है तो हमें न केवल नियमादि निर्माण के सम्बन्ध में यहां बोलना है, बल्कि जनता को हमें कुछ ठोस बातें बतानी होंगी कि हम भला सन् १९४६ की ९वीं दिसम्बर को यह क्यों समवेत हुए हैं। अगर वस्तुस्थिति वही है, जैसा डा० जयकर बता रहे हैं तो फिर विधान-परिषद को बुलाना ही नहीं था और सच तो यह है कि डा० जयकर को भी सभा में न आना था। उनको चाहिए था कि गवर्नर जनरल को सूचित कर देते, "मुझे खेद है कि आपका आमन्त्रण नहीं स्वीकार कर सकता। मैं यह महसूस करता हूँ कि विधान-परिषद् को बुलाकर आप भूल कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम लीग और देशी रियासतें उसमें नहीं शामिल हो रही हैं।" पर यहां आकर इस तरह की आपत्ति उठाना तो मुस्लिम लीग के फंदे में पड़ना है और ब्रिटेन के प्रतिक्रियावादियों का हाथ मजबूत करना है। मैं जानता हूँ डा० जयकर कभी भी ऐसा काम न करेंगे। मैं डा० जयकर के दृढ़-विश्वास की प्रशंसा करता हूँ। वस्तुतः जब हम समझते हों कि अमुक काम किया जाना चाहिये तो हममें इस बात की क्षमता होनी चाहिये कि आगे बढ़कर हम अपना

. [डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी]

विचार व्यक्त करें। पर मैं सम्मान पूर्वक डा० जयकर को बताना चाहता हूं कि उनके इस भोली सूरत वाले संशोधन में बड़ा खतरा है। मुझे आशा है कि डा० जयकर समय आने पर अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

इस प्रश्न के एक दूसरे पहलू पर भी मैं चन्द शब्द कहना चाहता हूं। प्रस्ताव तो पास होगा पर इसे आप कार्यान्वित कैसे करेंगे ? हमें सोचना होगा कि हमारे सामने क्या कठिनाइयां हैं जो इस प्रस्ताव को अमली रूप देने से हमें रोक सकती हैं। अवश्य ही एक कठिनाई तो यह है कि मुस्लिम लीग की गैरहाजिरी में इस परिषद् का क्या स्थान होगा ? कल डा० जयकर ने इसकी तुलना एक भोज से की थी। उन्होंने कहा था "फर्ज कीजिये दावत में कुछ लोग आमन्त्रित किये जाते हैं। कुछ मेहमान आते हैं और कुछ नहीं। इस हालत में वह दावत होगी कैसे ?" पर आप यह बताना तो भूल ही गये कि फिर आये हुये मेहमानों की क्या गति होगी ? कल्पना कीजिये कि डा० जयकर मेजबान हैं और आप ६ मेहमानों को दावत देते हैं। पांच मेहमान तो आते हैं पर एक अनुपस्थित रहता है। इस हालत में क्या डा० जयकर उन पांच मेहमानों को भूखा रखेंगे और यह कहकर घर से बाहर कर देंगे कि "चलिये एक मेहमान नहीं आये और अब आपको भोजन नहीं दिया जायेगा।" निश्चय ही वह ऐसा नहीं करेंगे। यहां भी लोग आये हैं उनकी स्वतन्त्रता की भूख तृप्त करनी होगी। मिस्टर चर्चिल का कहना है कि मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में यह विधान-परिषद् उस शादी की तरह है जिसमें दुलहिन ही नदारद हो। मुझे नहीं मालूम कि मुस्लिम लीग और देशी रियासतें परिषद् में कब शामिल होंगी। मुझे यह भी नहीं मालूम है कि इस विधान-परिषद् की ऐसी कितनी दुलहिनें होंगी। जो भी हो, अगर मिस्टर चर्चिल का यही दृष्टिकोण है तो उन्हें एक यार का पार्ट तो न अदा करना चाहिए था। उन्हें चाहिए था कि मिस्टर जिन्ना से कहते कि "हिन्दुस्तान वापस जाइये और विधान-परिषद् में उपस्थित होकर अपना विचार भारतीय जनता के सामने रखिये।" किसी ने भी यह बात नहीं कही है कि मुस्लिम लीग को नहीं शामिल होना चाहिये। दरअसल हम तो यह चाहते हैं कि मुस्लिम लीग आवे ताकि हमारा और एक दूसरे का विचार विनिमय हो। अगर हमारे सामने कठिनाइयां हैं, मतभेद हैं तो हम यह नहीं चाहते कि सिर्फ बहुमत के बिनां पर हम काम करते चले जायें। वह तो और कोई उपाय न रह जाने पर करना होगा। यह निश्चय है कि हर तरह की कोशिश की जानी चाहिये और जरूर की जायेगी कि भारत के भावी शासन-विधान के सम्बन्ध में हम लोग किसी समझौते पर पहुंच जायें। पर मुस्लिम लीग को यहां आने से रोका क्यों जाता है ? मेरा तो यह अभियोग है कि ब्रिटेन का रुख ही ऐसा है कि उससे बढ़ावा पाकर मुस्लिम लीग यहां नहीं आरही है। मुस्लिम लीग को इस विश्वास के लिये बढ़ावा मिलता है कि अगर वह विधान-परिषद् में नहीं शामिल होती है तो वह विधान-परिषद् के फैसले को रद्द करने में कामयाब हो सकती

है। यह विशेषाधिकार किसी-न-किसी रूप में फिर मुस्लिम लीग के हाथ आगया है और यही खतरा है जो इस महती परिषद् की भावी कार्यवाही पर छाया हुआ है। सभापति जी, मैं विस्तारमें नहीं जाऊंगा क्योंकि न तो समय है और न यह अवसर है कि ब्रिटिश मंत्रिप्रतिनिधिमंडलके वक्तव्य की विभिन्न बातों पर मैं बहस करूं। पर मैं इतना अवश्य कहूँगा कि यद्यपि फिलहाल विधान-परिषद् का निर्माण ब्रिटेन ने किया है पर एक बार अस्तित्व में आजाने पर इसे इस बात का पूरा अधिकार है कि अगर वह चाहे तो भारत की स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये तथा जाति, धर्म और सम्प्रदाय को भूलकर समूची जनता की भलाई के लिये जो भी आवश्यक और उचित समझती हो, करे। (हर्षध्वनि)

हमने यह बात कही है या यों कहिये कि राष्ट्रीय महासभा ने यह बात कही है, क्योंकि जिन राजनैतिक दलों से कैबिनेट मिशन की बातचीत चली थी उनमें कांग्रेस ही प्रधान दल था, कि कैबिनेट मिशन की १६ मई वाली योजना पर हम कायम हैं। मुझे कल बड़ी ही प्रसन्नता हुई जब माननीय सरदार बल्लभभाई पटेल ने डा० जयकर को टोकते हुए यह कहा कि कांग्रेस ने १६ मई सन् १९४६ के वक्तव्य के अलावा और कुछ नहीं स्वीकार किया है। (हर्षध्वनि) माननीय सरदार पटेल के इस ऐलान को मैं एक महत्वपूर्ण और बुनियादी बात मानता हूं। हमें यह बात स्पष्ट कर देनी है कि हम यहां किसलिये समवेत हुये हैं। मेरी राय में हम लोगों का रुख यह होना चाहिये कि ब्रिटिश मन्त्रिमंडल की १६ मई वाली योजना को व्यावहारिक रूप देने का हम एक मौका देंगे। सच्चाई और ईमानदारी से हम इस बात की कोशिश करेंगे कि उक्त योजना के आधार पर हम अन्य दलों के साथ किसी समझौते पर पहुंच जायें। पर १६मई सन्१९४६ वाली योजना पर बाद में जो भी भाष्य दिये गये हैं हम उन्हें नहीं मानते और अगर कोई भी दल इस योजना से पीछे हटता है और अलग हो जाता है तो हम अपना काम प्रारम्भ कर देंगे और इच्छानुसार विधान तैयार करेंगे।

१६ मई सन्१९४६के वक्तव्य के एक वाक्यांश के सम्बन्धमें अर्थात् गुटबन्दी के प्रश्न पर काफी मतभेद चला आरहा है। मंत्रिमंडल से बातचीत करने में कांग्रेस बहैसियत एक प्रधान दल के शामिल थी। इसलिये यह फैसला कांग्रेस को करना होगा कि वह क्या भाष्य स्वीकार करती है। अगर सम्राट की सरकार का भाष्य अस्वीकृत होता है और कांग्रेस यह समझतीहै कि ब्रिटिश मंत्रिप्रतिनिधिमंडलके वक्तव्यके गुटबन्दी वाले अंशपर उसका अपना भाष्य सही है तो अवश्य ही एक संकट की स्थिति पैदा होजाती है। प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के अतिरिक्त इस प्रश्न पर भी हमें विचार करना होगा। वस्तुतः जहाँ तक इस परिषद् की कार्यवाही की बात है, इस प्रश्न पर निर्णय करने में हम जितना ही विलम्ब करेंगे उतना अवास्तविकता का वातावरण उत्पन्न होता जायेगा। इस प्रश्न पर निर्णय हो जाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिये कि सम्राट् की सरकार का भाष्य ही मंजूर होता है चाहे फैडरल कोर्ट में जाने पर या अन्यथा, फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग फिर आवे या न आवे

[डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी]

इस पर हमें कोई बहस नहीं। अगर वह आती है तो बहुत खुशी की बात है परन्तु अगर नहीं भी आती है तो वह भारतीय स्वतन्त्रता को रोक नहीं सकती। इस हालत में हमारा यह दावा है कि हम विधान-परिषद् में अपना काम जारी रखेंगे। सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि यदि कोई संकट आया, जिसकी सम्भावना मुझे दिखाई दे रही है तो फिर हमारी आजादी वैधानिक उपायों से न प्राप्त होगी। गत कुछ दिनों के अन्दर जो घटनायें घटी हैं उनको देखते हुए जान पड़ता है कि हमारा काम आसानी से न पूरा होगा। परन्तु एक बात पर मैं जरूर जोर दूंगा कि चाहे जो कुछ किया जाये वह विधान-परिषद् की मार्फत ही किया जाये और किसी के नहीं। हमें तो काम करना है और हम अपनी जिम्मेदारी पर काम करेंगे और एक ऐसा विधान तैयार करेंगे जिसे हम संसार के सामने पेश कर सकें और सबको इस बात पर सन्तोष दे सकें कि हमने समस्त भारतीय जनता के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ न्याय और समानता का व्यवहार किया है।

आखिर दक्षिणी अफ्रीका के प्रश्न पर क्या हुआ? आज हमारे बीच में माननीया श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित बैठी हैं जो एकएक बड़ी शानदार जीत हासिल कर स्वदेश लौटी हैं। इस प्रश्न पर भी श्रीमती पंडित को सम्राट की सरकार से, हमारे स्वयंभू ट्रस्टी की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला। वस्तुतः जहाँ तक ब्रिटेन का सम्बन्ध है उसने हमारे खिलाफ वोट दिया। फिर भी श्रीमती विजयलक्ष्मी की विजय हुई। संसार की अदालतमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल की जीत हुई। विधान परिषद् के सम्बन्ध में भी यही बात हो सकती है। यदि साहसपूर्वक एक ऐसा विधान बनायें जो न्यायसंगत हो, जिसमें सबको समान रूप से सुविधा प्राप्त होती हो तो आवश्यकता पड़ने पर हम इस विधान-परिषद् को स्वतन्त्र सत्ता सम्पन्न भारतीय प्रजातन्त्र की पहली पार्लियामेंट घोषित कर देंगे। (हर्षध्वनि) इस हालतमें अपनी राष्ट्रीय सरकार कायम कर सकेंगे और उसके फैसलों को इस देश पर लागू कर सकेंगे। अभी कुछ मिनट पहले मैंने कहा है कि हम ब्रिटिश जनता या पार्लियामेंट की स्वीकृति के बल पर यहाँ समवेत नहीं हुए हैं। हम तो यहां समवेत हुए हैं भारतीय जनता की इच्छा के बल पर और इसलिए हमें अपनी अपील तो देशवासियों से ही करनी है।

जब हम अल्प संख्यकों के सम्बन्ध में कुछ कहते हैं तो उससे ऐसा आभास मिलता है मानों केवल एक मुसलमान ही यहां अल्पसंख्यक हैं। पर बात ऐसी नहीं है। यहां और भी बहुत से सम्प्रदाय अल्पसंख्यक हैं। मैं बंगाल के दुर्दशाग्रस्त प्रान्त से आया हूं और इस सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि भारत के कम-से-कम चार प्रान्तों में हिन्दू अल्पसंख्या में हैं। अगर अलपसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करनी है तो सभी अल्प संख्यकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये। आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिये जो भी सुरक्षा मूलक व्यवस्था करें उसका लाभ हर प्रान्त के अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिये।

अभी कल रात को लार्ड साइमन ने यह आश्चर्यप्रद घोषणा की है कि दिल्ली में समवेत होनेवाली विधान-परिषद् में तो केवल सवर्ण हिन्दू ही हैं। गत कई दिनों के अन्दर विलायत से इतने झूठे वक्तव्य निकले हैं कि उनकी संख्या बतानी मुश्किल है। आखिर इस सभा में किसके प्रतिनिधि उपस्थित हैं? हिन्दुओं के प्रतिनिधि हैं और कुछ मुसलमानों के भी हैं। मुस्लिम प्रधान प्रान्त सीमा प्रान्त के प्रतिनिधि भी यहां मौजूद हैं। ये वहां की उस हुकूमत के प्रतिनिधि की हैसियत से आये हैं जो मुस्लिम लीग के बावजूद भी सीमाप्रांत में शासन चला रही है। यहां आसाम के भी प्रतिनिधि हैं जिसे मिस्टर जिन्ना अपने काल्पनिक पाकिस्तान का एक भाग मानते हैं। इस प्रान्त के भी बहुत से प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं। इस सभा में हरिजन भी उपस्थित हैं। इस परिषद् के सभी हरिजन प्रतिनिधि यहां मोजूद हैं। डा० अम्बेडकर भी यहां मौजूद हैं। (हर्षध्वनि) हो सकता है वे हम से सभी बातों में सहमत न हों पर जब हम उन स्वार्थों और हितों पर विस्तारपूर्वक विचार करेंगे जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमें विश्वास है कि हम उनको भी (डा० अम्बेडकर को) अपने पक्ष में कर लेंगे। खूब (हर्षध्वनि) अन्य हरिजन प्रतिनिधि भी यहां मौजूदा हैं। सिखों के सब प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं। भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इण्डियनों के प्रतिनिधि भी यहां मौजूद हैं। तो फिर लार्ड साइमन क्यों यह झूठ(एक आवाज आईपारसी भी यहां मौजूद हैं) हां और फिर पारसी सम्प्रदाय के भी प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं। फिर भला लार्ड साइमन ने यह झूठ.... (एक आवाज आई "द्राविड़ प्रतिनिधि भी हैं")। आदि वासियों के प्रतिनिधि हमारे मित्र श्री जयपाल सिंह भी यहां मौजूद हैं। यथार्थ में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को छोड़ कर अन्य सभी निर्वाचित प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं। मुस्लिम लीग मुसलमानों के केवल एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है और मैं मानता हूं कि मुस्लिम सम्प्रदाय का वह एक बहुत बड़ा वर्ग है। पर यह कहना तो सरासर झूठ है कि विधान-परिषद् में केवल सवर्ण हिन्दू ही शामिल हैं। मानों सवर्ण हिन्दू इसीलिये पैदा ही हुये हैं कि दूसरों को सतायें और केवल ऐसा ही काम करें जो हिन्दुस्तान के हितों पर आघात पहुँचायें। सभा के सामने एक साहब ने सुझाव दिया है कि इस देश का कोई वर्ग अगर यहां अनुपस्थित रहना पसन्द करता है तो भारत को दास ही बना रहना चाहिये ('एक आवाज नहीं') यह जवाब तो उनको दिया जाना चाहिये जो गैरहाजिर हैं, यह जवाब उनको मिलना चाहिये जो इन गैरहाजिरों को उभाड़ते हैं। सभापति जी, मैं तो कहूंगा कि हम लोग अंग्रेजों से यह आखिरी बार कह दें "हम आपसे दोस्ताना ताल्लुक रखना चाहते हैं। इस देश में आपने व्यापारियों की तरह पदार्पण किया, एक याचक या प्रार्थी की हैसियत से आप महान् मुगल सम्राट् के सामने आये। इस देश की अपार सम्पत्ति से आपने अपना वैभव बढ़ाना चाहा। भाग्य ने आपका साथ दिया। इस देश में आपने अपनी हुकूमत कायम की पर यहां के निवासियों के स्वेच्छापूर्ण सहयोग से नहीं बरन् धोखेबाजी से, जालसाजी से और जबरदस्ती करके और इतिहास इस बात

[डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी]

का गवाह है। आपने यहां पृथक् निर्वाचन की पद्धति चलाई, भारतीय राजनीति में आपने धर्म को घुसेड़ा। यह सब काम भारतीयों ने नहीं किया बल्कि आपने किया और इसलिये किया कि इस मुल्क में अपनी हुकूमत स्थायी बना दें। आपने उस देश में विशेष हितों की सृष्टि की और ये विशेष हित आज इतने अमिट हो बैठे हैं कि हम देशवासियों की हर चन्द कोशिश पर नहीं मिट पाते हैं। इन सब बातों के बावजूद भी अगर सचमुच आप यह चाहते हैं कि भारत और आपके बीच भविष्य में मित्रता बनी रहे तो हम आपकी मैत्री के लिये तैयार हैं। पर हमारे घरेलू मामलों में 'मान न मान मैं तेरा मेहमान' न बनिये। हर देश में घरेलू समस्यायें हैं और भारत में भी यह समस्या है पर इसका निपटारा यहां के निवासी ही कर सकते हैं।" सभापति जी, हम अभी विधान नहीं बना रहे हैं बल्कि केवल इस बात की रूपरेखा निश्चित कर रहे हैं कि आगे हमें क्या करना है। मुझे विश्वास है कि सभा इन संकुचित पारिभाषिक झगड़ों अथवा वैधानिक बारीकियों पर माथापच्ची न करेगी। बावजूद तमाम बाधाओं और कठिनाइयों के हम अपना काम करते जायेंगे और एक संयुक्त दृढ़ महान् भारत का निर्माण करेंगे। वह महान् भारत इस देश की ४० करोड़ जनता का होगा, किसी दल विशेष, सम्प्रदाय विशेष या व्यक्ति विशेष का हर्गिज न होगा। उस भारत में सबको समान अवसर, समान आज़ादी मिलेगी और सबका दर्जा समान होगा ताकि प्रत्येक नागरिक स्त्री हो या पुरुष अपनी योग्यता का पूर्ण विकास कर सके और निर्भय हो देश की सेवा कर सके।

सभापति : अब डा० अम्बेडकर बोलेंगे।

डा० बी० आर० अम्बेडकर (बंगाल: जेनरल) : सभापति महोदय, आपके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि इस प्रस्ताव पर बोलने के लिये आपने मुझे आमन्त्रित किया। मैं अवश्य ही यह स्वीकार करूंगा कि आपका आमन्त्रण पाकर मैं आश्चर्यित होगया। सूची में बीस-बाइस सदस्यों का नाम मुझ से ऊपर है और इसलिए मैं समझता था कि अगर बोलने का मौका मिले भी तो कल मिलेगा। मैं पसन्द भी यही करता कि कल बोलने का मौका मिलता क्योंकि आज मैं बिना किसी तैयारी के आया हूँ। मैं चाहता था कि इस अवसर पर एक विस्तृत वक्तव्य दूं और उसके लिए मैं तैयारी कर लेना चाहता था। इसके अलावा आपने वक्ताओं के लिए १० मिनट का समय निर्धारित कर दिया है। इन सब असुविधाओं के बीच मैं नहीं समझ पाता कि प्रस्तुत: प्रस्ताव पर समुचित रूप से किस तरह बोल पाऊंगा। अस्तु, जहां तक हो सकेगा... संक्षेप में इस पर अपना मत व्यक्त करूंगा।

सभापतिजी, कल से जो बहस हो रही है उसे मद्देनजर रखते हुये इस प्रस्ताव के दो हिस्से किये जा सकते हैं। एक हिस्सा ऐसा है जिस पर कोई विवाद नहींहै और दूसरा विवादास्पद है। प्रस्ताव के उस भाग पर जिसमें ५वां और ७ वां पैरा है

कोई विवाद नहीं है। इन पैरों में देश के भावी विधान के लक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्ताव को पेश किया है पं० जवाहरलाल नेहरू ने जो एक समाजवादी की इस हैसियत से मशहूर हैं; परन्तु मैं अवश्य यह स्वीकार करूंगा कि मुझे इससे बड़ी से बड़ी निराशा हुई, यद्यपि यह विवाद-मूलक नहीं है।

मैं तो यह आशा करता था कि वह उससे कहीं आगे जायंगे जितना कि वह प्रस्ताव के इस मार्ग में गये हैं। इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं यह पसन्द करता कि यह भाग प्रस्ताव में शामिल ही न किया जाता। प्रस्ताव को पढ़ने से वह घोषणा याद आजाती है जिसे फ्रांस की विधान-परिषद् ने मानव-अधिकार-घोषणा के नाम से घोषित किया था। मैं समझता हूँ कि मेरा यह कहना बिलकुल दुरुस्त है कि आज ४५० वर्ष बीत जाने पर भी उक्त घोषणा और उसमें दिये हुए सिद्धान्त लोगों के दिमाग में बस गये हैं। मैं तो कहूँगा कि यह दुनिया के सभ्य मुल्कों के नई रोशनी वाले आदमियों के ही दिमाग में ही नहीं घर कर गये हैं बल्कि हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में भी, जो विचार और सामाजिक जीवन में इतना कट्टर और पुरातनवादी है शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो इनकी उपयोगिता न मंजूर करता हो। इन बातों को दुहराना, जैसा कि प्रस्ताव में किया गया है, केवल पाण्डित्य-प्रदर्शन करना है। यह सिद्धान्त हमारी विचार-धारा या दृष्टिकोण में व्याप्त है।

अतः यह घोषित करना कि ये हमारे सिद्धांत के अंग हैं नितान्त अनावश्यक है। इस प्रस्ताव में और भी कई त्रुटियां हैं। मैं देखता हूँ कि प्रस्ताव के इस भाग में यद्यपि अधिकारों की चर्चा की गई है पर उनकी सुरक्षा का कोई उपचार नहीं दिया गया है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि अधिकारों का कोई महत्व नहीं यदि उनकी रक्षा की व्यवस्था न हो ताकि अधिकारों पर जब कुठाराघात हो तो लोग उनका बचाव कर सकें। ऐसे उपचारों का इस प्रस्ताव में बिलकुल अभाव है। इस सामान्य सिद्धान्त का भी इसमें उल्लेख नहीं कि किसी नागरिक के जीवन और सम्पत्ति का तब तक अपहरण नहीं किया जायेगा जब तक कि कानून खूब जांच-पड़ताल कर इसकी आज्ञा न दे दे। प्रस्ताव में उल्लिखित मौलिक अधिकारोको भी कानून और सदाचार के आधीन रख दिया गया है. निश्चय ही कानून और सदाचार क्या है इस बात का निर्णय जमाने का शासन-प्रबन्ध (Executive) करेगा, किसी प्रबंध का एक फैसला हो सकता है और दूसरे का दूसरा। हम निश्चय रूप से यह नहीं जानते कि इन मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या होगी अगर ये शासन-प्रबन्ध की मर्जी पर छोड़ दिये जाते हैं। प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था भी रखी गयी है। यदि प्रस्ताव में कोई वास्तविकता है, इसमें कोई सच्चाई है और इनकी सच्चाई पर मुझे जरा भी शक नहीं है क्योंकि उसे उपस्थित किया है माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए थी जिससे राज्य के लिए यह सम्भव हो जाता कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय

[डा० बी० आर० अम्बेडकर]

प्रदान कर सकता। और इसी विचार से मैं इस बात की आशा करता कि प्रस्ताव साफ-साफ शब्दोंमें कहता, कि ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान किया जा सके। देश में उद्योग-धंधों का और भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जायगा। मेरी समझ में नहीं आता कि जब तक देश की अर्थ-नीति समाजवादी नहीं होती किसी भी भावी हुकूमत के लिए यह कैसे सम्भव होगा कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान कर सके। अतः यद्यपि व्यक्तिगत रूप से मुझे इन सिद्धान्तों के सन्निहित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी प्रस्ताव मेरे लिए निराशाप्रद ही है। अस्तु इतना कह देने के बाद इस विषय को मैं यहीं समाप्त कर देता हूं।

अब मैं प्रस्ताव के पहिले हिस्से पर आता हूं, जिसमें प्रथम चार पैरा शामिल हैं। सभा के वाद-विवाद को देखकर मैंने कहा था कि यह प्रसंग विवादास्पद हो गया है। सारा विवाद 'रिपब्लिक' शब्द पर केन्द्रित है। पैराग्राफ चार के इस वाक्य पर "सारी शक्ति, सारे अधिकार जनता से प्राप्त होंगे," सारा विवाद है, अतः डाक्टर जयकर ने कल जो यह बात कही कि मुस्लिम लीग की गैरहाजिरी में यह उचित न होगा कि सभा इस प्रस्ताव पर विचार करे, उसी पर सारा विवाद है। आगे चलकर इस देश में क्या विकास होगा और उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक ढांचा क्या होगा इस बात को लेकर मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं है। मैं जानता हूँ कि आज हम राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी दृष्टियों से विभक्त हैं। आज हमारा देश कई लड़ाकू दलों में बट गया है। और मैं तो यहां तक मंजूर करूंगा कि ऐसे ही एक लड़ाकू दल के नेताओं में शायद मैं भी एक हूँ। परन्तु सभापति महोदय, इन सब बातों के बावजूद भी मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि समय और परिस्थिति अनुकूल होने पर दुनिया की कोई भी ताकत इस मुल्क को एक होने से रोक नहीं सकती। (हर्ष-ध्वनि) जाति और धर्म की भिन्नता के बावजूद भी हम किसी न किसी रूप में एक होंगे, इसमें मुझे जरा भी शक नहीं है। (हर्ष-ध्वनि) यह कहने में मुझे रंच-मात्र भी संकोच नहीं है कि यद्यपि मुस्लिम लीग आज भारत के विभाजन के लिये भयानक आन्दोलन कर रही है पर एक-न-एक दिन स्वयं मुसलमानों में बुद्धि आयेगी और वे समझने लगेंगे कि उनके लिए भी संयुक्त भारत ही अधिक कल्याणकर है। (तुमुल-ध्वनि)

इसलिए जहां तक हमारे लक्ष्य का सम्बन्ध है, हममें से किसी को भी कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कोई संदेह न होना चाहिए। हमारी कठिनाई यह नहीं है कि हमारा भविष्य क्या होगा। हमारी कठिनाई तो यह है कि अपनी आज की इस विशाल, पर बेमेल आबादी को किस तरह इस बात पर आमादा करें कि वह मिल जुलकर एक फैसला करें और ऐसा पथ ग्रहण करें कि हम सब एक होजायं। हमारी कठिनाई इति को लेकर नहीं अथ को लेकर है। हमारा लक्ष्य क्या है, यह

तो साफ है। पर परेशानी यह है कि काम शुरू कैसे करें। इसलिए सभापति महोदय, मैं तो समझता हूं कि सभी को रजामन्द करने के लिए, हमारे देश के प्रत्येक वर्ग को इस बात पर आमादा करने के लिए कि हम सब एक राह पर चलें, बहुमत वाले दल की यह बड़ी से बड़ी राजनीतिज्ञता होगी कि वह उन लोगों की बद्धमूल और गलत धारणा को दूर करने के लिए कुछ रियायतें दे दें जो आज हमारे साथ चलने में दुविधा बोध कर रहे हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर मैं यह अलाप कर रहा हूं। हम ऐसे नारे लगाने बन्द कर दें जिनसे लोगों को भय होता हो। अपने विरोधियों की बद्धमूल धारणा को, पक्षपातपूर्ण धारणा को, दूर करने के लिए उन्हें कुछ रियायतें दें, ताकि वह स्वेच्छा से हमारे साथ उस पथ पर चलें जिस पर कुछ दूर चलने के बाद हम अपनी एकता की मंजिल पर पहुँच जायेंगे। अगर मैं यहां डाक्टर जयकर के संशोधन का समर्थन कर रहा हूं तो केवल इसी उद्देश्य से कि हम सभी यह समझें कि यह कानूनी प्रश्न नहीं है। हम सही हैं या गलत, जो रास्ता हम ग्रहण कर रहे हैं वह हमारे कानूनी अधिकारों से संगत है या नहीं, वह १६ मई या ६ दिसम्बर के वक्तव्यों के अनुकूल है या नहीं, इन सब बातों को छोड़ दीजिये। हमारी समस्या इतनी गहन है कि कानूनी अधिकारों से उसका समाधान न होगा। यह कानूनी समस्या है ही नहीं। हमें कानूनी ख्याल को छोड़कर कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे वे लोग जो नहीं शामिल हैं, शामिल होजायं। हम उनका यहां आना सम्भव बनायें, यही मेरी प्रार्थना है।

बहस-मुबाहिसे के दौरान में दो ऐसे प्रश्न उठाये गये थे जो मुझे इतने खटके कि मैंने उन्हें कागज़ पर नोट कर लिया है। एक प्रश्न मेरा ख्याल है, मेरे मित्र बिहार के प्रधान मंत्री ने उठाया था जिन्होंने कल सभा में वक्तृता दी थी। आपने कहा था भला यह प्रस्ताव मुसलिम-लीग को विधान-परिषद् में सम्मिलित होने से कैसे रोक सकता है? आज मेरे मित्र डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जीने एक दूसरा प्रश्न उपस्थितकिया कि क्या यह प्रस्ताव मंत्रिप्रतिनिधिमंडल की योजना के विपरीत है? मैं समझता हूँ कि ये बड़े गम्भीर प्रश्न हैं और इनका उत्तर और स्पष्ट उत्तर आवश्यक है। यह प्रस्ताव चाहे खूब सोच-समझ कर शान्त चित्त से प्रस्तुत किया गया हो या केवल संयोगवशात बन गया हो, पर मैं तो यही मानता हूं कि इसका यह परिणाम होगा कि मुसलिम लीग बाहरही रह जायगी, भले ही यह प्रस्ताव इस परिणाम के अभिप्राय से न बनाया गया हो। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान प्रस्ताव के पैरा ३ की ओर आकृष्ट करूंगा जो मेरी समझ में बहुत महत्त्वपूर्ण और आवश्यक है। इस पैरा में भारत के भावी विधान की तस्वीर है। मैं नहीं जानता कि प्रस्तावक महोदय का क्या अभिप्राय है। पर मैं मानता हूं कि पास होजाने पर विधान-परिषद् के लिए यह प्रस्ताव एक तरह से आदेश-मूलक हो जायगा कि वह इसके पैरा ३ के अनुसार ही विधान बनाये। पैरा ३ क्या कहता है? यह कहता है कि इस देश में दो भिन्न-भिन्न राज्य पद्धतियां होंगी एक तो उन खुद मुख्तार प्रान्तों, रियासतों या अन्य प्रदेशों के लिए जो भारतीय संघ में शामिल

[डा० बी० आर० अम्बेडकर]

होना चाहते हैं। इन खुद मुख्तार प्रदेशों को सारे अधिकार प्राप्त होंगे। इन्हें अवशिष्ट अधिकार भी प्राप्त रहेंगे। उन खुद मुख्तार प्रदेशों के ऊपर एक संघ सरकार होगी जिसके अधिकार में कुछ विषय होंगे, जिन पर कानून बनाने का, शासन चलाने का संघ सरकार को ही अधिकार होगा। प्रस्ताव के इस हिस्से में गुटबन्दी का कहीं जिक्र नहीं है। यह गुट संघ सरकार और घटकों के बीच एक मध्यवर्ती संगठन है। कैबिनेट मिशन के वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुए या कांग्रेस के वर्धा वाले प्रस्ताव को भी देखते हुए मैं स्वीकार करता हूं कि स्वयं मुझे बड़ा आश्चर्य है कि प्रस्ताव में गुटबन्दी की कल्पना का कहीं जिक्र भी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं प्रान्तों की गुटबन्दी के विचार को नहीं पसन्द करता। (हर्ष-ध्वनि) मैं एक दृढ़ और संयुक्त-केन्द्र चाहता हूं उससे भी ज्यादा मजबूत केन्द्र जो सन् १९३५ के ऐक्ट के मुताबिक बना है। (हर्ष-ध्वनि) पर सभापति महोदय, इन इच्छाओं का, रायों का स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ने का। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस स्वयं दृढ़ केन्द्र को विघटित करने पर राजी होगई, ऐसे दृढ़ केन्द्र को विघटित करने पर जो १५० वर्षों के लम्बे शासन के बाद बना था और जो, मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए एक प्रशंसा, सम्मान और कल्याण की चीज थी। पर जब हमने उस स्थिति को त्याग दिया है, जब हमने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि हम मजबूत केन्द्र नहीं चाहते, जब हमने मंजूर कर लिया है कि संघ सरकार और प्रान्तों के बीच उपसंघ की-सी एक मध्यवर्ती राज्य पद्धति होनी चाहिए, तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रस्ताव के पैरा ३ में गुटबन्दी का जिक्र क्यों नहीं किया गया है? मैं जानता हूं कि कांग्रेस, मुसलिम लीग और सम्राट की सरकार तीनों ही योजना की गुटबन्दी सम्बन्धी धारा के अर्थ पर मतभेद रखते हैं। परन्तु मैं तो हमेशा से यही समझता हूं कि कांग्रेस ने यह मंजूर कर लिया है कि यदि भिन्न-भिन्न गुटों के प्रान्त अपना उपसंघ बनाने पर राजी हों तो कांग्रेस को इस व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई मुझे बता दे कि मेरा ऐसा समझना गलत है तो मैं अपनी भूल स्वीकार कर लूंगा। मेरा विश्वास है कि कांग्रेस-दल की विचारधारा समझने में मैं सही हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्रस्तावक और उनके दल ने जिस बिनां पर प्रान्तों की गुटबन्दी या उनके उपसंघ बनाने की कल्पना को स्वीकार किया था उसका उस प्रस्ताव में आखिर प्रस्तावक ने हवाला क्यों नहीं दिया है? इस प्रस्ताव में मध्यवर्ती संघ का जिक्र दूर ही क्यों रक्खा गया है? मुझे कोई भी उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए बिहार के प्रधान मन्त्री ने और डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने जो सभा से प्रश्न किया है कि भला यह प्रस्ताव १६ मई के वक्तव्य के विपरीत कैसे है और यह लीग को विधान-परिषद् में आने से कैसे रोकता है, उसके उत्तर में मैं कहूंगा कि आपके इस प्रस्ताव के तीसरे पैरे से मुसलिम लीग अवश्य लाभ उठायेगी और अपनी अनुपस्थिति का औचित्य दिखायेगी। सभापतिजी, कल मेरे मित्र डा० जयकर ने इस प्रश्न पर बहस मुल्तवी रखने के लिए अपने पक्ष का

प्रतिपादन कुछ कानूनी ढंग पर किया उनकी दलील का यह आधार था कि आयां हमें इस प्रस्तावको पास करनेका अधिकार भी है। उन्होंने मंत्रिप्रतिनिधिमंडल के वक्तव्यका कुछ भाग पढ़कर सुनाया जो इस परिषद की कार्य-विधि से सम्बन्ध रखता है। उनका मन्तव्य यह था कि इस प्रस्ताव पर तुरन्त निर्णय करने की जो पद्धति परिषद् अपना रही है वह योजना में दी हुई पद्धति के प्रतिकूल है। मैं इस बात को दूसरी तरह से सभा के सामने रखना चाहता हूं। मैं आपसे यह नहीं पूछना चाहता कि आपको यह प्रस्ताव जल्दीबाजी में पास कर देने का हक है या नहीं। हो सकता है कि आपको यह अधिकार हो। पर जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वह यह है कि क्या इस प्रस्ताव को पास करना आपके लिए बुद्धिमानी और नीतिज्ञता की बात होगी? अधिकार एक बात है और बुद्धिमत्ता दूसरी। मैं चाहता हूं कि सभा इस बात पर दूसरे ही दृष्टिकोण से विचार करे। वह इस दृष्टिकोण से इस पर विचार न करे कि उसे इस प्रस्ताव को पास करने का हक है या नहीं। वरन् इस ख्याल से कि क्या इसे अभी पास करना बुद्धि-सङ्गत होगा, नीतिज्ञता की बात होगी? मेरा कहना है कि ऐसा करना बुद्धिमत्ता और नीतिज्ञता से विपरीत है। मेरा सुझाव है कि कांग्रेस और मुसलिम लीग के झगड़े को सुलझाने के लिए एक और प्रयास करना चाहिए। यह मामला इतना संगीन है, इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसका फैसला एक या दूसरे दल की प्रतिष्ठा के ख्याल से ही नहीं किया जा सकता। जहां राष्ट्र के भाग्य का फैसला करने का प्रश्न हो, वहां नेताओं, दलों तथा सम्प्रदायों की शान का कोई मूल्य नहीं होना चाहिए। वहां तो राष्ट्र के भाग्य को ही सर्वोपरि रखना चाहिए। मैं केवल इस बिनां पर ही डा० जयकर के संशोधन का समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि इससे विधान-परिषद् सुसंगठित रूप से अपना काम करेगी और कार्यारम्भ के पहले मुसलिम लीग की प्रतिक्रिया को जान लेगी, बल्कि इसलिए भी कि हमें यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि अगर हम जल्दीबाजी से काम लेंगे तो हमारे भविष्य का क्या फैसला होगा। मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस के दिमाग में, जिसका इस सभा में प्रबल बहुमत है, क्या नकशा है। मुझमें यह दैवी शक्ति नहीं है कि इस बात को जान जाऊं कि वे क्या सोच रहे हैं? उनकी युक्ति और युद्ध-कौशल क्या है इसे मैं नहीं जानता। परन्तु इस उपस्थित मसले पर बहैसियत एक बाहरी आदमी के जब मैं अपना दिमाग लगाता हूँ तो मुझे तीन ही रास्ते दिखाई देते हैं, जिनसे हम अपने भविष्य का निर्णय कर सकें। एक रास्ता तो यह है कि एक दल दूसरे दल की इच्छा के सामने आत्म-समर्पण कर दे। दूसरा रास्ता यह है कि हम आपस में विचार-विनिमय कर समझौता करलें और तीसरा रास्ता है कि खुलकर लड़ाई की जाय। सभापति जी, परिषद् के कुछ सदस्यों की ओर से मैं यह भी सुनता आ रहा हूँ कि वे युद्ध के लिए तैयार हैं। मैं अवश्य यह स्वीकार करूंगा। मैं इस कल्पना से ही कांप उठता हूँ कि इस देश का कोई भी व्यक्ति यह सोचे कि युद्ध द्वारा वह देश की राजनैतिक समस्या हल कर लेगा। मुझे नहीं मालूम कि देश के कितने लोग इस विचार का समर्थन करते हैं। बहुत से लोग इस विचार का समर्थन करते हैं और मेरी

[डा० बी० आर० अम्बेडकर]

समझ में बहुत से लोग तो इसलिए समर्थन करते हैं कि उनका विश्वास है कि उनका यह युद्ध अंग्रेजों के साथ होगा। अगर यह युद्ध जो लोगों के दिमाग में है, परिमित दायरे में होता और सिर्फ अंग्रेजों तक ही सीमित रहता तो मुझे इस कौशल पर, इस युक्ति पर कोई आपत्ति न होती। परंतु क्या आप समझते हैं कि यह युद्ध सिर्फ अंग्रेजों के ही विरुद्ध होगा? मुझे यह कहने में रंचमात्र भी दुविधा नहीं है और सभा के सामने मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर देश में युद्ध हुआ और उसका सम्बन्ध हमारी आज की समस्या से रहा तो फिर यह युद्ध अंग्रेजों के साथ न होगा, यह होगा मुसलमानों के साथ। बल्कि यह उससे भी बुरा होगा और यह युद्ध होगा मुसलमानों और अंग्रेजों की सम्मिलित शक्ति के साथ। मैं नहीं समझ पाता कि यह सम्भावित युद्ध किस तरह उससे भिन्न होगा, जिसकी विभीषिका की कल्पना मैंने की है। महामना ब्रूक की उस प्रसिद्ध वक्तृता का एक अंश मैं सभा को पढ़कर सुना देना चाहता हूँ जो उन्होंने पार्लियामेंट में अमेरिका से मेल-मिलाप करने के सम्बन्ध में दी थी। मेरा विश्वास है कि शायद सभा के उद्देश्य पर इसका कुछ असर पड़ सकता है। आप जानते हैं कि अंग्रेज अमेरिका के विद्रोही उपनिवेशों को जीत कर उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें अपने आधीन रखने की कोशिश कर रहे थे। उन उपनिवेशों को जीतने का विचार परित्याग करने के सम्बन्ध में ब्रूक ने यों कहा था:—

> "सभापति महोदय, प्रथम तो मुझे यह कहने की अनुमति दें कि केवल बल प्रयोग कभी स्थायी नहीं होता। उससे कुछ देर के लिए किसी को दबाया जा सकता है पर उससे पुनः दबाने की आवश्यकता दूर नहीं की जा सकती। उस जाति पर कभी शासन नहीं किया जा सकता जिसे हमेशा ही जीतने की जरूरत पड़े।"

> "मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि बल-प्रयोग का परिणाम अनिश्चित होता है। बल-प्रयोग से सदा आतंक ही नहीं पैदा होता। अगर हम सदा शस्त्र ही उठाये रहें तो फिर यह विजय कैसी? बलप्रयोग में अगर आप असफल होते हैं तो फिर कोई साधन आपके पास नहीं रह जाता। अगर आप मीठे तरीके से सुलह करने में असफल होते हैं तो बलप्रयोग का साधन आपके हाथ में रहता है पर बलप्रयोग में अगर आप हारे तो फिर समझौते की कोई और गुंजायश नहीं रहती। दया दिखाने से अधिकार और शक्ति तो कभी-कभी प्राप्त होजाते हैं पर बल-प्रयोग में पराजित होने पर आप अधिकार की भीख नहीं मांग सकते।"

> "बल-प्रयोग के विरुद्ध मेरी और आपत्ति यह है कि इसके द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास में आप अपने लक्ष्य को ही क्षीण और दुर्बल बना देते है। बल-प्रयोग में विजयी होने पर आपको क्या मिलता है? जो भी आप पाते हैं, वह युद्ध के सिलसिले में प्रायः मूल्यहीन, जर्जरित और बर्बाद हो चुका रहता है। निश्चय ही आप इसे पाने के लिए युद्ध नहीं करते हैं।"

यह मेरी गम्भीर चेतावनी है और इसकी उपेक्षा करना खतरनाक होगा। अगर किसी के दिमाग में यह ख्याल हो कि बल-प्रयोग द्वारा, युद्ध द्वारा, क्योंकि बल-

प्रयोग ही युद्ध है...हिंदू-मुस्लिम समस्या का समाधान किया जाय ताकि मुसलमानों को दवाकर उनसे वह विधान मनवा लिया जाय जो उनकी रजामन्दी से नहीं बना है, तो इससे देश ऐसी स्थिति में फंस जायगा कि उसे मुसलमानों को जीतने में सदा लगा रहना पड़ेगा। एक बार जीतने से ही जीत का काम समाप्त न हो जायगा। मैं आपका और अधिक समय नहीं लेना चाहता। पुनः एक बार वर्क के कथन का हवाला देकर मैं अपना भाषण समाप्त कर देता हूं। वर्क ने कहीं पर कहा है कि "शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन है।" आइये,हम अपने आचरणसे यह प्रमाणित कर दें कि अगर इस परिषद् ने सर्वोच्च सत्ता जबर्दस्ती अन्याय पूर्वक ले ली है तो वह उस सत्ता का प्रयोग बुद्धिमानी से करेगी। यही एक मात्र रास्ता है जिसके जरिये हम देश के सभी वर्गों को साथ लेकर चल सकते हैं। और कोई मार्ग नहीं है जिस पर चलकर हम एकता पा सकें। इस बात के सम्बन्ध में हम लोगों को कोई सन्देह न होना चाहिए।

सरदार उज्ज्वलसिंह (पंजाब : सिख) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिसे पं० जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी योग्यता और वाक् पटुता के साथ उपस्थित किया था। यह प्रस्ताव उन लक्ष्यों को हमारे सामने रखता है। निश्चय ही भारतीय इतिहास में यह अवसर बड़ा ही पवित्र और अद्वितीय है कि इस देश के चुने हुए व्यक्ति एक स्वतन्त्रता पत्र तैयार करने के लिए और देश-शासन की योजना बनाने के लिए समवेत हुए हैं। इसलिए पेश्तर इसके कि हम अपना काम शुरू करें, यह आवश्यक है कि इस देश की करोड़ों मूक जनता को और बाहरी दुनिया को, जिसकी निगाह आज हम पर है, हम आशा और प्रसन्नता का सन्देश देवें। मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत प्रस्ताव से देश के दलित और मूक जनसमूह को, जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए आज मुद्दत से संग्राम करता आ रहा है, इस बात की एक नवीन आशा प्राप्त होगी कि उसका चिरवांछित स्वप्न शीघ्र ही पूरा होने जा रहा है। और बातों की तरह स्वतन्त्रता-संग्राम में वही होता है, जैसा इतिहास में होता आया है। यह हमारा ही देश नहीं है, जिसे आजादी के लिये इतना लम्बा और कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। स्वतन्त्रता की देवी हर व्यक्ति से अपना समुचित बलिदान लेगी। हां यह बात जरूर है कि संग्राम हिंसात्मक होता है और सभी जगह संग्राम में हिंसा हुई, पर हमारा संग्राम अहिंसात्मक रहा है। इस नवीन संग्राम-शैली के लिए तथा और बहुत सी बातों के लिए जिनका यह देश हामी है और जिन्हें निकट भविष्य में पाने की आशा रखता है, हम कृतज्ञ हैं। महात्मा गांधी के, उस अपूर्व कुशल कारीगर के जिसे पं० जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्र का जनक बताया है।

यह विधान-परिषद् हमारे स्वतन्त्रता-संग्राम की चरम सीमा या आखिरी मंजिल है। यह प्रस्ताव देश की करोड़ों जनता की दबी हुई भावना को व्यक्त करता है।

[सरदार उज्ज्वलसिंह]

प्रस्ताव के तीन भाग किये जा सकते हैं। पहले भाग में स्वतन्त्र सर्वसत्ता सम्पन्न भारतीय प्रजातन्त्र के घोषित किये जाने की बात है। दूसरे भाग में खुद-मुख्तार या स्वायत्त शासन प्राप्त प्रदेशों घटकों की, जिनमें देशी रियासतें भी शामिल हैं, चर्चा की गई है। जो संघ में रहेंगे और जिन्हें अवशिष्ट अधिकार प्राप्त रहेंगे। तीसरे भाग में कहा गया है कि सबको सामाजिक, आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी, सबको समान न्याय प्राप्त होगा और अल्प संख्यकों को, दलित जातियों को तथा कबायली क्षेत्रों को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त होंगे। हो सकता है कि प्रस्ताव की वाक्य-रचना को लेकर अथवा कहीं-कहीं इसके बहुत संक्षिप्त होने पर कुछ मतभेद हो; पर कुल मिलाकर प्रस्ताव भारतीय जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है।

सभापति महोदय, माननीय मित्र डा० जयकर के लिए मेरे दिल में बड़ी श्रद्धा है। आपने यह आपत्ति की है कि प्रस्ताव पर सभा में इस समय विचार न किया जाय, यह आपत्ति इस बिना पर की गयी है कि योजना के अनुसार हम इस प्रारम्भिक अधिवेशनमें केवल उन्हीं बातों पर विचार कर सकतेहैं, जिनकाउल्लेख मन्त्रिप्रतिनिधिमण्डल के १९वें पैरे में आया है। और बातों पर नहीं। आपने यह भी सुझाव दिया है कि अच्छा होगा कि सभा इस प्रस्ताव पर २० जनवरी को विचार करे जब बड़े दिनों के लिए स्थगित रहने के पश्चात् सभा पुनः बैठे। मेरे माननीय मित्र शायद यह जानते होंगे कि बाकी काम को पूरा करने के लिए २० जनवरी को जो बैठक होगी वह भी प्रारम्भिक बैठक ही रहेगी। और इस हालतमें उनकी यह आपत्ति कि इस प्रस्ताव पर इस प्रारम्भिक बैठक में विचार स्थगित रखा जाय, उस दिन २० जनवरी की बैठक में भी लागू रहेगा जैसे आज है। (खूब खूब)

आपका दूसरा सुझाव यह है कि इस प्रस्ताव पर विचार कुछ हफ्तों के लिए हम लोग स्थगित कर दें, ताकि मुस्लिम लीग और रियासतों को इस मामले में अपना मत व्यक्त करने का अवसर मिल सके। औरों की तरह मुझे भी मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति पर खेद है और मैं भी लीग के सहयोग को कीमती समझता हूं और उसे पाना चाहता हूं। पर वे मित्र अनुपस्थित हैं, इसमें इस सभा का कोई दोष नहीं है। वे कब आयेंगे, इसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं है। इस हालत में यह उचित नहीं है कि सभा समवेत होने के बाद बिना किसी जानकारी के वे लोग कब आयेंगे, अनिश्चित काल तक इन्तजार करती रहे। जहां तक रियासतों के शामिल होने की बात है, योजना पढ़ने से मेरे मित्र को स्पष्ट हो जायगा कि रियासतें अन्त में परिषद् में आयेंगी। जब प्रान्तीय विधान तैयार कर लेने पर संघ का विधान बनाने के लिए हम सब बैठेंगे। फिर क्या हम उस तरह के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को तब तक के लिए स्थगित रख दें, जब कि विधान-निर्माण का बहुत कुछ हमारा काम समाप्त हो चुका होगा? इस प्रस्ताव पर तो कार्यारम्भ में ही विचार कर हमें इसे स्वीकार करना चाहिए।

प्रस्ताव पर दूसरी आपत्ति है डा० अम्बेडकर की कि इसमें गुटबन्दी (Grouping) शब्द का जिक्र नहीं आया है। डा०अम्बेडकर को मालूम होना चाहिए कि गुटबन्दी अनिवार्य नहीं है। यह ऐच्छिक है और मैं तो कहूंगा कि प्रायः हम सभी इसके खिलाफ हैं। योजना में भी यह सेक्शनों या प्रान्तों की इच्छा पर छोड़ा गया है। इस तरह के प्रस्ताव में प्रस्तावक कोई ऐसी बात नहीं रख सकते थे जिस पर सेक्शन या प्रान्त कोई अन्यथा निर्णय करें।

देशी रियासतों को प्रस्ताव में रिपब्लिकन या लोकतन्त्र शब्द के रखने पर आपत्ति हो सकती है। रियासतें राजतन्त्रीय शासन-पद्धति की आदी हो गई हैं। और उनको इस प्रश्न पर हो सकता है कि कुछ आशंका हो। परन्तु पं० जवाहरलाल नेहरू के भाषण को देखते हुए उनकी यह आशंका असंगत है। भारतीय प्रजातन्त्र में रियासतों के लोग अगर पसंद करें तो अपने प्रदेश में राजतन्त्रीय पद्धति रख सकते हैं।

सभापति जी, मेरा विश्वास है कि इस विधान-परिषद् के परिश्रम के फलस्वरूप जो योजना तैयार होगी, वह ऐसी होगी जो भारत के सभी सम्प्रदायों को, सभी वर्गों को मान्य होगी और देश की विचित्र स्थिति और उसकी योग्यता के अनुकूल होगी।

प्रस्ताव के दूसरे भाग में संघ और घटकों (प्रदेशों) के बारे में विचार किया गया है और अवशिष्ट अधिकार घटकों को दिये गये हैं। हममें से कुछ लोगों को घटकों को अवशिष्ट अधिकार दिये जाने पर एतराज हो सकता है। पर यह व्यवस्था मन्त्रिप्रतिनिधिमण्डल की योजना के बिलकुल अनुरूप है और योजना के १५वें पैराग्राफ का आवश्यक अङ्ग है। हम में से बहुतों के लिए यह एक कड़वा घूंट है पर इसे तो निगलना ही पड़ेगा।

प्रस्ताव का तीसरा भाग अल्प संख्यकों को और पिछड़ी हुई जातियों को यह आश्वासन देता है कि उनके स्वार्थ पर्याप्त रूप से संरक्षित रहेंगे। इस सम्बन्ध में मेरा सम्प्रदाय यह समझता है कि सिक्खों को और अन्य अल्पसंख्यकों को जो संरक्षण दिये जायं वे न केवल पर्याप्त ही हों, बल्कि संतोषपूर्ण हों। सभापतिजी, आपकी अनुमति हो तो मैं सभा को उस आश्वासन से अवगत करा दूं जो कि दिसम्बर १६२६ में राष्ट्रीय महासभा के लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस के एक प्रस्ताव द्वारा सिखों को प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव का वह प्रासंगिक भाग जो सिखों और अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में था, यों है:—

> "भारत के किसी भावी विधान में इस समस्या का (साम्प्रदायिक समस्या का) कोई भी ऐसा समाधान कांग्रेस को मान्य न होगा जिससे मुसलमानों को, सिक्खों को तथा अन्य अल्पसंख्यकों को पूरा सतोष न प्राप्त होता हो।"

जब से यह प्रस्ताव पास हुआ है सिखों ने देशकी आजादी को लक्ष्य बना लिया है। और कांग्रेस के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर स्वतन्त्रता-संग्राम में भे हुआ

[सरदार उज्जलसिंह]

मोर्चा लिया है। दुर्भाग्य से ब्रिटिश मिशन ने यहां आकर जो योजना पेश की यानी १६ मई का जो वक्तव्य दिया, उसमें यह मंजूर करके भी कि सिख भी भारत के तीन प्रमुख सम्प्रदायों में शामिल हैं वहां सिखों को संरक्षण न दे सके। मुसलमानों के सम्बन्ध में तो मिशन ने यह कहा कि एकात्मक भारत में जहां हिंदुओं को प्राधान्य होगा, मुसलमानों की संस्कृति और उनके सामाजिक और राजनैतिक जीवन के लुप्त हो जाने की, हिंदुओं में जज्ब हो जाने की वास्तविक आशंका है। परन्तु मिशन यह न समझ सका कि मुस्लिम बहुमत के अन्दर यही संकट सिखों पर पंजाब में है जो उनका पवित्र तीर्थ और जन्म स्थान है। यह तो कैबिनेट मिशन का बहुत बड़ा अन्याय था कि सेक्शन बी में पंजाब में उन्होंने सिखों को वहीं संरक्षण नहीं दिये जो उन्होंने सिन्ध में मुसलमानों को दिये। अभी उस दिन पार्लियामेंट में बोलते हुए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा था कि पंजाब में और सैक्शन बी में वे सिखों को वे अधिकार नहीं दे सकते जो उन्होंने मुसलमानों को सिन्ध में दिये हैं। क्योंकि इस हालत में और अल्पसंख्यकों को भी इसी तरह के अधिकार देने होंगे। क्या मैं कैबिनेट मिशन से पूछ सकता हूं कि केन्द्र में मुसलमानों को ये अधिकार देते समय क्या उन्होंने अन्य अल्पसंख्यकों का भी ख्याल किया था? सिखों को यद्यपि उन्होंने भारत का एक प्रमुख सम्प्रदाय माना पर उनका ख्याल नहीं किया। पर मैं समझता हूं कि केन्द्र में संरक्षण पाने का जो हक मुसलमानों का है, उससे भी ज्यादा मजबूत हक सिखों का है, पंजाब में संरक्षण पाने का। मैं यह भी समझता हूं और विश्वास करता हूं कि अगर सेक्शन बी में और पंजाब में सिखों को कोई संरक्षण मिला तो इससे वहां के अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। चूंकि मिशन ने सिखों के लिए संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की। सारे सिख सम्प्रदाय में असन्तोष और क्षोभ की एक लहर फैल गई और उनका क्षोभ चरम सीमा तक पहुँच गया। अपने पवित्र तीर्थ स्थान अमृतसर में एक विशेष सभामें सिखों ने यह प्रस्ताव पास कियाकि सिख विधान-परिषद् का बायकाट करदें, उन्होंने विधान-परिषद् का बायकाट किया परन्तु कांग्रेस ने मिशन की योजना को स्वीकार किया और प्रमुख कांग्रेसी नेताओं ने सिखों से अपील की कि वे भी उसे मंजूर करलें। अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी की बम्बई की बैठक में सरदार पटेल ने सिख हितों की बहुत वकालत की। हम सब उनके आभारी हैं। गत १८ जुलाई को हाउस आफ लार्ड्स में बहस के दौरान मेंबोलते हुए भारत-मन्त्री ने इन शब्दों में सिखों की ओर महत्वपूर्ण संकेत किया था।

फिर भी यह आवश्यक है कि इनके हकों का पूरा ख्याल किया जाय। उन पर विचार किया जाय। क्योंकि उनका सम्प्रदाय एक महत्वपूर्ण सम्प्रदाय है। पर जनगणना या आबादी के आधार पर उनके रियायती अधिकार खतम हो जाते हैं। हमें आशा है कि १६ मई के वक्तव्य के पैरा २० के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिए जो 'एडवाइजरी कमेटी बनायी जायगी, उसमें सिक्खों को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त

होगा और इस तरह इस स्थिति का बहुत कुछ प्रतिकार हो जायगा।'

आपने यह भी कहा :—

"इसके अलावा हमने दोनों प्रमुख दलों से जो इस मामले में हर तरह सुझाव ग्रहण करने के लिए तैयार थे, यह कहा है कि पंजाब में या पच्छिमोत्तर गुट में सिखों की स्थिति दृढ़ बनाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।"

यह आश्वासन यद्यपि कई बातों में संतोषजनक था फिर भी इतना संतोषपूर्ण नहीं था कि सिख विधान-परिषद् के प्रति अपना रुख बदल दें। उसके बाद कांग्रेस की कार्यसमिति ने ६ अगस्त को एक प्रस्ताव पास कर सिखों से अपील की कि वे अपनी स्थिति पर पुनः विचार करें। प्रस्ताव में कहा गया था कि:—

"कार्यसमिति जानती है कि सिखों के साथ अन्याय हुआ है और इसने इस बात की ओर केबिनेट मिशन का ध्यान आकृष्ट किया है, फिर भी हमारी यह दृढ़ राय है कि सिख अपने हितों को तथा देश की स्वतंत्रता को परिषद् में शामिल होकर जितना लाभ पहुँचा सकते हैं, उतना परिषद् से बाहर रह कर नहीं। इसलिए समिति सिखों से अपील करती है कि वे अपने फैसले पर फिर विचार करें और विधान-परिषद में सम्मिलित होने की सम्मति व्यक्त करें। कार्यसमिति सिखों को विश्वास दिलाती है कि उनकी जायज शिकायतों को दूर कराने में तथा उन्हें पर्याप्त संरक्षण दिलाने में वह उनको प्रत्येक सम्भव सहयोग देगी।"

सिखों ने १४ अगस्त को सारी स्थिति पर विचार किया। कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव उनके लिए बहुत वजन रखता था और इसी प्रस्ताव के कारण पंथिक बोर्ड ने अपनी विशेष बैठक में यह फैसला किया कि परिषद् में सम्मिलित होने पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है, वह हटा लिया जाय। पंथिक बोर्ड ने एक प्रस्ताव द्वारा तय किया कि सिखों के लिए उसी तरह के संरक्षण प्राप्त करने के लिए जैसा कि मुसलमानों को सिंध में प्राप्त हैं, परिषद् में शामिल होकर एक बार परीक्षा ली जाय। पंथिक बोर्ड के इस आदेश के अनुसार सिख यहां आये हैं। मुझे कांग्रेस नेताओं पर बड़ा विश्वास है और हृदय से आशा करता हूं कि सिखों को जो आश्वासन दिये गये थे वे बिना विलम्ब पूरे किये जायेंगे। क्योंकि उनको कार्यान्वित करने का समय अब आ गया है।

मुझे खेद है कि मैंने सिखों की स्थिति का विस्तारपूर्वक वर्णन कर सभा का समय लिया। पर सिखों के मामले से सभा को अवगत करा देना मैं अपना कर्त्तव्य समझता था। फिर भी मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि पंजाब और पच्छिमोत्तर गुट में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सिख जो संरक्षण मांगते हैं, वे भारतीय प्रजातन्त्र के अन्दर हैं बाहर नहीं। वे इस बात के लिए चिन्तित हैं कि सभी सम्प्रदाय शान्तिपूर्वक आपस में मिल-जुलकर रहें। पंजाब और पच्छिमोत्तर गुट में अपने मुसलमान भाइयों के साथ सुखपूर्वक रहने के लिए हम तैयार हैं, यहां तक कि मुसलमानों को अपना बड़ा भाई मानकर रहने के लिए

.[सरदार उज्ज्वलसिंह]
तैयार हैं। पर अपने से ऊंची और शासक जाति मान कर या एक पृथक जाति मानकर हरगिज नहीं। इसलिए सिख इस महान् और प्राचीन देश के विभाजन के लिए तैयार नहीं हैं। वे पाकिस्तान की स्थापना का अथवा और सारे उद्देश्यों का घोर विरोध करेंगे।

सभापतिजी, मुझे यह कहने की अनुमति दें कि सिखों के दिल में स्वतंत्रता की एक तीव्र लालसा है। भारतीय इतिहास में किसी भी अकेले सम्प्रदाय ने इतना कठोर और दीर्घकालीन संग्राम नहीं किया है, जितना कि सिखों ने इस देश से विदेशी लुटेरों को मार भगाने के लिए किया है। आधुनिक युग में स्वतन्त्रता संग्राम में उनकी कुर्बानियां किसी से कम नहीं हैं। आजादी की लड़ाई में अथक परिश्रम और उत्साह से वे कांग्रेस के साथ सदा मोर्चे पर डटे रहेंगे। (हर्ष ध्वनि) परन्तु वे चाहते हैं कि उनका पृथक अस्तित्व और स्थिति कायम रहे और मजबूत रहे ताकि देश-सेवा में अपना पूरा हिस्सा बटा सकें।

मैं समझता हूं कि वह काम बहुत ही गहन है, अति विशाल है, जिसे पूरा करने का भार इस महती परिषद् ने लिया है। हमारे मार्ग में बाधाएं और कठिनाइयां हैं पर मेरा यह पक्का विश्वास है कि हम सारी बाधाओं को पार कर जायेंगे, सारी कठिनाइयों पर विजय पायेंगे। अगर हम खूब सावधानी से सोच-विचार कर चलें और जरूरत आने पर दृढ़ता से मुकाबला करें; इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। (हर्ष ध्वनि)

सेठ गोविन्ददास (मध्य प्रांत और बरार : जनरल) : सभापति महोदय, इतने अंग्रेजी भाषणों के बाद, चाहे असेम्बली और कौंसिल आफ स्टेट में मैं भले ही अंग्रेजी में बोलता हूं क्योंकि नियम के अनुसार वहां ऐसा करना पड़ता है, इस विधान-परिषद् में मैं राष्ट्रीय भाषा में ही बोलना पसंद करूंगा। मैं प्रस्ताव का समर्थन करने और जो उस पर संशोधन पेश हुआ है, उसका विरोध करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। परन्तु प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भी मैं माननीय डाक्टर अम्बेडकर को उनकी सुन्दर वक्तृता के लिए बधाई देना चाहता हूं। डा० जयकर का भाषण सुनकर कल मैं दंग रह गया। उनका और मेरा सम्बन्ध स्वराज्य पार्टी के दिनों से है। मैं उनके सुधार को समझ सकता था। मुस्लिम लीग के भाइयों के लिए यदि वे चाहते थे कि प्रस्ताव पर अभी वोट न लिया जाय और इस पर बहस मुल्तवी रखी जाय, उसे भी मैं समझ सकता था। लेकिन जो दलीलें उन्होंने अपने भाषण में दीं वह मेरी समझ में नहीं आईं। जहां तक उनके भाषण का कानूनी पहलू है उसके मुतल्लिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वह तो वकीलों का काम है लेकिन उनके इस कथन पर कि यदि हम इस प्रस्ताव को पास कर देंगे तो हमारा काम ही खत्म हो जायगा और जो बात हम

चाहते हैं नहीं प्राप्त कर सकेंगे, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और सन् १६२०. से पहिले के वे दिन याद आगये जब हमारे कौमी दल के भाइयों को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था, और उन्हें हर चीज में हर मौके पर एक निराशा और नाउम्मेदी दीख पड़ती थी। हम जब यहां कुछ करने बैठे हैं, तो यह सोचकर नहीं बैठे हैं कि हम जो कुछ करेंगे, उसका कोई नतीजा ही नहीं निकलने वाला है। हम देखेंगे कि उसका नतीजा निकलता है, हम उसका नतीजा निकालेंगे। हम क्या-क्या करने वाले हैं, कितनी दूर तक जाने वाले हैं, इस सम्बन्ध में आज कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

आज तो इतना ही कहना काफी है कि हम देखेंगे कि हम जो कुछ कर रहे हैं, उसका ठीक और जल्द से नतीजा निकलता है।

डा० जयकर साहब ने युद्ध की बात कही है। जहां तक कांग्रेसवादियों का सम्बन्ध है, सत्याग्रह सिद्धान्त मानने वालों का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि वे सदा शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। लेकिन वह सच्ची शान्ति चाहते हैं। महात्मा जी की जो दुनिया को सबसे बड़ी देन है, वह सत्याग्रह की देन है। सत्याग्रही शांति चाहते हुए भी जब देखते हैं कि सच्ची शान्ति की स्थापना विना युद्ध के नहीं हो सकती, उस समय युद्ध करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए मैं यह कहता हूं कि हम युद्ध नहीं चाहते बल्कि शान्ति चाहते हैं, न तो हम मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं और न ब्रिटिश गवर्नमेंट से, लेकिन यदि ब्रिटिश हुकूमत मुसलमानों को शिखंडी बनाकर हमसे लड़ाना चाहती है तो हम भीष्म पितामह की तरह इसलिए शस्त्र नहीं रख देंगे कि हमारे सामने शिखंडी खड़ा किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई आवें और हमारा साथ दें, परन्तु हमारे यह सब चाहने पर भी हमारे धैर्य रखने पर और शान्ति चाहने पर भी यदि वे नहीं आना चाहते हैं तो हम इसके लिए काम नहीं रोकेंगे।

डा० जयकर साहब ने हमें यह नहीं कहा कि २० जनवरी तक यदि हम इस प्रस्ताव को मुल्तवी कर दें तो हमारे लीगी भाई आजायेंगे। यदि हमको यहां पर यह कहा जाता, यह आश्वासन दिया जाता कि अगर हम इस प्रस्ताव को मुल्तवी कर दें तो हमारे मुसलमान भाई यहां आने को तैयार हैं, तो मुझे उम्मीद है कि पं० जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति होते जो यह कहते कि यदि हमारे मुसलमान भाई यहां आने को तैयार हैं तो इस प्रस्ताव को मुल्तवी कर दिया जाय। जहां तक प्रस्ताव का सम्बन्ध है, पंडितजी ने बहुत ही ठीक कहा था कि यह प्रस्ताव नहीं है एक प्रतिज्ञा है, और जब हम किसी प्रस्ताव को मंजूर करते हैं, उस पर दस्तखत करते हैं, तो हमको समझ लेना चाहिए कि हम कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं। विधान-परिषद् का यह प्रस्ताव एक प्रतिज्ञा-पत्र है और जब हम उसे पास करें तो हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे पास करना चाहिए। इस प्रस्ताव

[सेठ गोविन्ददास]

में रिपब्लिक की बात कही गयी है। वह रिपब्लिक लोकतंत्रीय होगा या समाजतंत्रीय होगा। इस सम्बन्ध में अलग-अलग मत हो सकते हैं, लेकिन इस समय इस वाद-विवाद में पड़ना निरर्थक है। दुनिया को जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है वह चीज आपसे आप होकर रहती है। हमारे देश की जो दशा है, उसे देखते हुए हमारा रिपब्लिक लोकतन्त्रीय और समाजतन्त्रीय दोनों ही होना चाहिए। समाजवाद से जो लोग घबड़ाते हैं, समाजवाद का नाम सुन कर कांपने लगते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस समय जिनके पास कुछ नहीं है वही दुखी नहीं है, बल्कि जिनके पास सब कुछ है, वे उनसे ज्यादा दुखी हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, वह यदि इसलिए दुखी है कि उनको सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा है; तो जिनके पास सब कुछ है, वे इसलिए दुखी हैं कि वे नाना प्रकार के षड़यन्त्र करते हैं ऐसी बातें करते हैं, जो नैतिकता की दृष्टि से कभी भी उचित नहीं कही जा सकती। वह लोग जिनके पास सब कुछ है यदि नैतिकता से हटकर उसकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं, उसको कायम रखने की कोशिश करते हैं तो मैं कहूंगा कि उनको सच्चा सुख कदापि नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए आज भले ही मैं उस फिरके से आया हूं जिसके पास सब कुछ है, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि देश और संसार का जो कुछ नक्शा देख रहा हूं उसमें जो लोग रहते हैं चाहे वे अमीर हों या गरीब, उनको सच्चा सुख अगर किसी रास्ते से मिल सकता है तो वह स्वराज्यवाद के रास्ते से ही मिल सकता है। दूसरे किसी रास्ते से नहीं। इसलिए हमारा जो रिपब्लिक होगा वह लोकतन्त्रीय और समाजतंत्रीय दोनों ही होगा। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और जहां तक एंग्लो-मुस्लिम पैक्ट को रोकने का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेज और मुस्लिम लीग के भाई मिलकर भी हमारे इस प्रस्ताव को नहीं रोक सकेंगे। हमारा इतना बड़ा देश है; इसकी इतनी बड़ी आबादी है कि यदि इंगलैण्ड वाले चाहें भी तो हमारे देश की आजादी, उन्नति और स्वतन्त्रता को नहीं रोक सकते। जहां तक हमारे मुस्लिम लीग के भाइयों का सम्बन्ध है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं और बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं, वह यह है कि अंग्रेज तो विदेशी हैं। वह यदि इस देश की आजादी में बाधक भी हों तो इतिहास में वह दोषी नहीं होंगे, लेकिन जो लोग इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश की आबोहवा में पले हुए हैं और इस देश का अन्न खाते हैं और पानी पीते हैं, वह यदि इस देश की आजादी रोकने की कोशिश करेंगे तो उनकी भावी संतानें भी उनके सर पर काला टीका लगाये बिना न छोड़ेंगी। इसलिए जहां तक अंग्रेजों का सम्बन्ध है हमने कह दिया कि वह हमारी आजादी नहीं रोक सकते, लेकिन जहां तक मुस्लिम लीग के भाइयों का सम्बन्ध है मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अंग्रेजों

से मिलकर इस देश को परतन्त्र रखने की कोशिश की तो भावी इतिहास और आने वाली पीढ़ियां उन्हें दोष देंगी।

यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने इधर गत दिनों के वक्तव्यों के अनुसार इस बात की कोशिश की कि विधान-परिषद् के फैसले के बिनां पर नवीन भारतीय शासन-विधान न पायें तो मैं उनको बताये देता हूं कि इस दशा में उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ होंगे। उन्होंने हमेशा ही हिंदुस्तान को और दूसरे अधीनस्थ देशों को इस बात से रोका है कि वे अपनी समस्यायें न हल कर पायें, उन्हें हमेशा अपने आधीन रखने की कोशिश की है; यदि इस देश के साथ आप भी यही रवैया रक्खेंगे तो शायद कभी भी वह वक्त न आये कि हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय शासन-विधान पेश करें, और भारत और इंगलैण्ड की सन्धि पर हस्ताक्षर हों। मैं कांग्रेस की ओर से यह बात नहीं कह रहा हूं। मुझे तो भविष्य दिखाई दे रहा है। यदि अंग्रेजों ने विधान-परिषद् द्वारा निर्मित विधान न माना तो यहां पर एक ऐसी समानान्तर गवर्नमेंट की स्थापना होगी जो समूचे इंगलिस्तान से लड़ेगी। सात समुद्र पार से आये हुए लोग कभी भी हमारी अहिंसात्मक लड़ाई को नहीं जीत सकेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता इसके पहिले कि मेरे पास चिट पहुंचे मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर देना चाहता हूं। मैं फिर कहता हूं कि आप पूरी जिम्मेदारी के साथ इस प्रस्ताव को प्रस्ताव नहीं प्रतिज्ञा समझ कर पास करें और इस तरह आगे बढ़ें, जिस तरह एक स्वतन्त्र देश आगे बढ़ता है।

सभापति : १ बज चुका है। अब सभा कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित होती है। दोपहर को नियम-निर्माण-समिति (Rules committee) की बैठक है, इसलिए हम लोग उस समय समवेत नहीं हो सकते।

इसके बाद सभा बुधवार ता० १८ दिसम्बर सन् १९४६ ई० को प्रातः ११ बजे के लिए स्थगित हुई।

CON. 3. 1. 8. 46.
1000

अंक १

संख्या ८

बुधवार
१८ दिसम्बर,
सन् १९४६ ई०

भारतीय विधान-परिषद

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

—:०:—

विषय-सूची

(मूल्य ४ आने)

भारतीय विधान-परिषद

बुधवार, १८ दिसम्बर सन् १९४६ ई०

कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में ग्यारह बजे माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में असेम्बली की बैठक हुई।

कार्यक्रम

*सभापति : मुझे श्री मोहनलाल सक्सेना से एक नोट प्राप्त हुआ है, जिसमें मुझसे अनुरोध किया गया है कि मैं इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दूँ कि रूल्स कमेटी ने अपने काम में कितनी उन्नति की है। मैं समझता हूं कि यदि वह वक्तव्य मैं आज दूँ तो मेम्बरों को उससे अपना आगे का कार्यक्रम निश्चित करने में सहायता मिलेगी। हम उन मसविदों पर बहस करते रहे हैं जो पहले से तैयार हो चुके थे और हमने बहुत कुछ काम कर लिया है, लेकिन कुछ काम अभी बाकी है और आखिरी मसविदे को इस सभा में पेश करने के पहले रूल्स कमेटी को उस पर विचार करना होगा। मुझे आशा है कि हम लोग शुक्रवार तक इस काम को पूरा कर लेंगे और मैं मेम्बरों को रूल्स कमेटी के पास किये हुए नियमों को उनके अन्तिमरूप में शनिवार को दे सकूँगा ताकि अगले सोमवार को हम इस सभा में उन पर विचार कर सकें। सोमवार को २३ तारीख है और उसके बाद क्रिसमस की छुट्टियां हैं। मैं नहीं समझता कि हम एक दिन में नियमों को पूरा कर देंगे। उन्हें पूरा करने में कम-से-कम दो दिन या तीन दिन लगेंगे। अगर मेम्बर सहमत हों तो मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि हम लोग ता० २४ और २५ को क्रिसमस की छुट्टियां मनायें और उसके बाद असेम्बली की बैठक बराबर होती रहेगी। इसलिये ता० २६ और २७ को हम नियमों के बारे में बहस करेंगे और उसे ता० २७ तक खत्म कर देंगे, और यदि नियमों के बारे में कोई दूसरी बातें पैदा हो जायें तो उन पर बाद को विचार हो सकता है। मैं समझता हूं कि हमें इस प्रारंभिक अधिवेशन को बिना नियमों को बनाये हुए और बिना कुछ कमेटियों को बनाये हुए, जिनको बनाना इस अधिवेशन का उद्देश्य है, खत्म नहीं करना चाहिये। इस समय यह कार्यक्रम मैं आपके सामने रखता हूं। किंतु सब कुछ सभा की इच्छा पर निर्भर है। चूंकि हमारे पास बहुत कम समय है। मेरे विचार में क्रिसमस के सारे हफ्ते में कुछ भी काम न करना हमारे लिये उचित न होगा। मैं चाहता हूं कि इस साल ता० २४ और २५ को हमें छुट्टी लेनी चाहिये।

---

* इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

*श्री एम० अनंतशयनम् आयंगर (मद्रास : जनरल) : हम चाहते हैं कि क्रिसमस के हफ्ते भर हम छुट्टी लें और उस समय के लिये यहां से वापस चले जायें और अगले साल के शुरू में फिर सम्मिलित हों।

*सभापति : यदि हम सिर्फ दो दिन की छुट्टियां लें, तो यह आशा नहीं की जा सकती कि मेम्बर अपने घरों को जा सकेंगे।

*माननीय पंडित हृदयनाथ कुंजरू (संयुक्तप्रांत : जनरल) : सभापति महोदय, जब यह अधिवेशन शुरू हुआ था, तो हम में से बहुत से लोगों का यह विचार था कि यह क्रिसमस से पहले खत्म हो जायगा और इसीको ध्यान में रखते हुए हमने कई काम निश्चित किये थे, जिनको पूरा करने में क्रिसमस का सारा हफ्ता लग जायगा। मैं छुट्टियों के लिये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। मैं भी छुट्टियां बिल्कुल नहीं लेने के लिये तैयार हूं, लेकिन यदि यह अधिवेशन २३ दिसम्बर से आगे किया जाय तो चूँकि पहले से कुछ महत्वपूर्ण कामों को निश्चित कर लिया है, इसलिये हम में से बहुत से लोगों के लिये उसमें उपस्थित रहना सम्भव न हो सकेगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इसके पूर्व कि आप यह निश्चय करें कि नियमों को पास करने और उन कमेटियों को बनाने के लिये जिनका हवाला आपने दिया है, कब विधान-परिषद की बैठक हो, आप इन बातों पर कृपा करके विचार करेंगे।

*श्री धीरेन्द्र नाथ दत्त (बंगाल : जनरल) : सभापति महोदय, श्रीमान् ने अभी कहा कि २३ दिसम्बर को हमारे सामने नियम पेश किये जायेंगे और उन पर २६ तारीख को विचार होगा, लेकिन संशोधनों को पेश करने के लिये कुछ वक्त जरूरी है। मुझे मालूम नहीं है कि यहां क्या प्रथा है, किन्तु अन्य धारा सभाओं में कम से कम चार या पांच दिन का समय दिया जाता है। इस तरह २६ तारीख को नियमों पर विचार करना असम्भव है और इस दशा में मैं समझता हूं कि यह उचित है कि हम लोग २ जनवरी को सम्मिलित हों।

*माननीय रेवरेंड जे० जे० एम० निकोल्स राय (आसाम : जनरल) : सभापति महोदय, क्रिसमस की छुट्टियों का ईसाइयों के लिये बहुत महत्व है और आम तौर से हमें २४, २५, २६, और २७ तारीखों को छुट्टियां मिला करती हैं और यदि विधान-परिषद की बैठक दूसरी और तीसरी जनवरी को हो तो हमें बहुत

खुशी होगी। उसके बाद हम जब तक चाहें अधिवेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इस साल २५ तारीख के बाद यानी क्रिसमस की छुट्टियों में अधिवेशन करें, तो उससे हमारे कई कामों में जिनको हमने क्रिसमस की छुट्टियों के लिये रख छोड़ा है, गड़बड़ पैदा हो जायेगी। श्रीमान्, मुझे इस सभा के सम्मुख इतना ही कहना है।

*श्री डी० पी० खेतान (बंगाल : जनरल) : श्रीमान्, आपके बताये हुये कार्यक्रम से विधान-परिषद् के मेम्बर जिस ढंग से सहमत नहीं हुए हैं उस पर मुझे आश्चर्य हुआ है। विधान-परिषद् के काम को हमें अन्य कामों की अपेक्षा तरजीह देनी चाहिये और जितनी जल्दी हो सके हमें काम खत्म कर देना चाहिये। हमें बिना जाब्ते के नियमों को पास किये हुए, जिनका कि बहुत महत्व है, अधिवेशन को खत्म न करना चाहिये। इसलिये श्रीमान्, आपके द्वारा मैं विधान-परिषद् के सभी मेम्बरों से अपील करता हूं कि वे अपने सब अन्य कामों को अलग रख दें और हमारे सामने जो महत्वपूर्ण काम है उसे तरजीह दें।

*श्री मोहन लाल सक्सेना (संयुक्त प्रान्त : जनरल) : सभापति महोदय, मैं यह सुझाव पेश करता हूं कि जाब्ते की कमेटी के काम में सहूलियत पैदा करने के लिये इस सभा की कल बैठक न हो लेकिन परसों दोपहर के बाद बैठक हो, ताकि कमेटी की पूरी रिपोर्ट हमको मिल सके और शनिवार से हम नियमों पर विचार कर सकें और यदि हो सके तो सोमवार को हम इस काम को खत्म कर दें।

*श्री आर० के० सिधवा (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल) : मेरी राय में रिपोर्ट के अध्ययन के लिये और संशोधनों को पेश करने के लिये इस सभा को कुछ दिन मिलने चाहियें। अपनी पार्टी की बैठकों में भी हमें इन पर विचार करना होगा। इसमें भी दो तीन दिन लग जायेंगे। इस काम को दो या तीन दिन में खत्म करना सम्भव नहीं होगा, जैसा कि श्री मोहन लाल सक्सेना का विचार है, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि हम २१ और २३ तारीख को कमेटी की रिपोर्ट पेश करने के बाद जनवरी की दूसरी और तीसरी तारीख को सम्मिलित हों।

*सभापति : जनवरी के पहले सप्ताह में कुछ अन्य सार्वजनिक कार्य हैं, जिनके बारे में बहुत पहले घोषणा हो चुकी है। इसी कारण से मैं साल खत्म होने के पहले असेम्बली का काम पूरा करने के लिये चिंतित था। उदाहरणार्थ अगले

[सभापति]
साल दूसरी जनवरी से साइंस कांग्रेस शुरू होने वाली है। सारे संसार के प्रमुख वैज्ञानिक उसमें आ रहे हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेना है। अन्य मेम्बरों को भी उसमें दिलचस्पी हो सकती है। इसी तरह दूसरे कार्यों की भी तिथि निश्चित है। इसलिये मुझे इसकी चिंता थी कि उन सार्वजनिक कार्यों में, जिनके बारे में पहले घोषणा हो चुकी है, कोई बाधा न डाली जाय और अपना काम जहां तक हो सके इस साल के अन्दर ही खत्म कर लिया जाय। निस्सन्देह यह असेम्बली के मेम्बरों की इच्छा पर निर्भर है। यदि वे २३ तारीख के आगे अधिवेशन न करना चाहें तो हमें उस पर भी विचार करना होगा और अगले साल के लिये काम छोड़ना होगा। हमारे सामने जो कठिनाइयां हैं उन्हें मैंने आपको बता दिया है। जनवरी में एक कठिनाई और होगी। कुछ प्रांतीय असेम्बलियों की बैठकें होंगी।

*माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन (संयुक्त प्रांत : जनरल) : प्रांतीय असेम्बलियों के काम की यहां के काम के अनुसार व्यवस्था की जा सकती है।

*माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल (बम्बई : जनरल) : श्रीमान, एक ऐसी सभा में जिसमें लगभग ३०० महत्वपूर्ण मेम्बर हैं, सभी की सुविधा के अनुसार काम करना कठिन है। सभी प्रांतों में बजट अधिवेशन शुरू होने वाले हैं। केन्द्रीय असेम्बली का बजट अधिवेशन शुरू होने वाला है। सभी लोगों की सुविधा के अनुसार काम करना सम्भव नहीं है। यह राय ठीक ही दी गई है विधान-परिषद के काम को तरजीह दी जानी चाहिये। जब तक कि हम नियमों को पास न कर दें, हम विधान-परिषद के काम को कुछ भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। बैठक खत्म करने के पहले हमें नियमों को समाप्त कर देना चाहिये और तब हम सभा को स्थगित कर सकते हैं। यह सम्भव है कि इस महीने में या जनवरी के पहले हफ्ते तक भी प्रारंभिक अधिवेशन समाप्त न हो, इसलिये तीसरी और चौथी जनवरी को बैठक करने का जो सुझाव दिया गया है, उस पर अमल नहीं हो सकता। चाहे हमको जितनी भी असुविधा हो, हमें नियमों को खत्म ही कर देना चाहिये, इसलिये जैसी कि सभापति महोदय की राय है, यदि नियम २३ तारीख को तैयार हो जायें, तो हमें २४ और २५ तारीखों को छुट्टी नहीं लेनी होगी, या २६ और २७ तारीख को आकर नियमों को समाप्त करना होगा। इसके बाद हम सभा स्थगित करने की तारीख तय कर सकते हैं। जब तक कि कार्यक्रम निश्चित न हो, हम अपने

काम को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिये हमें अस्थायी रूप से कार्यक्रम निश्चित कर लेना चाहिये और उसके बाद दूसरी बातों पर विचार करना चाहिये।

*श्री० के० सन्तानम् (मद्रास : जनरल) : मैं यह राय देना चाहता हूं कि नियम जैसे-जैसे तैयार होते जायं, असेम्बली में पेश किये जायं। हम सभी नियमों के पूरे होने तक क्यों रुकें ? हम उन पर कल से या आज शाम से विचार कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि कमेटी ने एक हिस्से का भी मसविदा तैयार नहीं किया है। हम एक-एक हिस्से पर विचार कर सकते हैं और उन्हें पास कर सकते हैं। जब वे पूरे हो जायंगे तो हम भी अपना काम खत्म कर चुकेंगे।

*सभापति : मेरी राय में नियमों के एक-एक हिस्से पर विचार करना सम्भव नहीं है। हमें सभी नियमों पर एक साथ विचार करना होगा।

*माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन : श्रीमान, मेरी राय में हमें इसे दृष्टि में रखना चाहिये कि बहुत से मेम्बर क्रिसमस के सप्ताह के लिये कार्य निश्चित कर चुके हैं। अब हमसे यह कहने से कोई फायदा नहीं होगा कि हमें ये कार्य निश्चित नहीं करने चाहिये थे। मामूली तौर पर यह खयाल किया जाता है कि क्रिसमस के सप्ताह में हमारे पास बहुत काम नहीं रहेगा। निस्सन्देह यदि बैठक खत्म होने के पहले नियम पेश किये जायं, तो मेम्बर अपना कुछ समय उनको देंगे। उन्हें उन पर विचार करने के लिये कुछ समय देना चाहिये। जैसा कि बताया गया है, शायद पार्टियों को भी अपनी बैठकों में उन पर विचार करना है। श्रीमान, मेरी राय में हमें क्रिसमस के सप्ताह में नियमों के प्रश्न को नहीं उठाना चाहिये। मेम्बरों को उन पर विचार करने, उनको समझने और संशोधन पेश करने के लिये काफी समय देना चाहिये। हम लोग जनवरी के पहले सप्ताह में कभी भी सम्मिलित हो सकते हैं।

*सभापति : अब हमने विभिन्न वक्ताओं के भाषण व उनके विचार सुन लिये हैं। इन बातों पर विचार करने के बाद हम कल किसी निर्णय पर पहुँच जायेंगे। फिलहाल हम अपना काम शुरू करेंगे। हम अब प्रस्ताव और संशोधनों पर विचार करेंगे।

लक्ष्य सम्बंधी प्रस्ताव—गत संख्या से आगे

*माननीय रेवरेंड जे० जे० एम० निकोल्स राय : सभापति महोदय, इस प्रस्ताव पर बोलने के लिये श्रीमान् ने मुझे जो अवसर दिया है

[माननीय रेवरेण्ड जे० जे० एम० निकोल्स राय]

उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं पंडित नेहरू द्वारा पेश किये हुए प्रस्ताव का पूरे बल से समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव में वे सभी सिद्धांत निहित हैं, जो इस सभा में पेश होने वाले इस प्रकार के प्रस्ताव में होने चाहिये। सबसे पहले इसमें उस उद्देश्य को बताया गया है, जो हिन्दुस्तान में सभी के दिमाग में है, यानी किसी निश्चित तिथि को हिन्दुस्तान की आजादी की घोषणा कर देना। इस सभा में हमने यह निश्चय किया है कि हम हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा करेंगे और अपने मस्तिष्क में हमने दृढ़ निश्चय किया है कि हम हिन्दुस्तान की आजादी हासिल करेंगे। हिन्दुस्तान में हर एक शख्स की यही इच्छा है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस प्रकार के उद्देश्य के विरुद्ध हो। इसके अलावा इसमें इसकी भी घोषणा है कि वह एक ऐसे गणतंत्र या लोकतंत्र शासन का विधान होगा जिसमें लोग स्वयं लोगों के लिये शासन करेंगे। निस्सन्देह हिंदुस्तान के सभी लोगों की यही इच्छा है। यह सच है कि हिंदुस्तान में कुछ राजतंत्र हैं, किन्तु हम उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब कि ये सब राजतंत्र कम से कम पूर्णतया वैधानिक राजतंत्र हो जायंगे, जैसे कि इङ्गलैंड का राजतंत्र है और मेरा विश्वास है कि देशी रियासतों के लोग भी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके यहां भी लोकतंत्रशासन स्थापित हो जायेगा। इसलिये इस प्रस्ताव में जो घोषणाएं हैं उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा इसमें उन क्षेत्रों का उल्लेख है जो भारतीय संघ में शामिल किये जायंगे और यह काफ़ी विस्तृत है। इसके अलावा तीसरे पैराग्राफ में स्वतंत्र प्रदेशों का उल्लेख है—वे स्वतंत्र प्रदेश जो वर्त्तमान सीमाओं के अंदर स्वतंत्र हैं या उन सीमाओं के अंदर स्वतंत्र होंगी जो बाद को निश्चित की जायेंगी। इन प्रदेशों या क्षेत्रों के अपने अवशिष्ट अधिकार होंगे और वे, उन अधिकारों के अलावा जो केन्द्रीय सरकार के हों, सभी शासन सम्बंधी अधिकारों को प्रयोग में लायेंगे। यह हमारी इच्छा है और यही इस देश के सभी लोगों की इच्छा है। हमारा यह उद्देश्य है कि हर एक प्रांत स्वतंत्र होगा। श्रीमान्, इस सम्बंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात हुई कि मंत्रिमंडल की घोषणा में सेक्शनों का विचार प्रकट किया गया और श्रीमान् सम्राट की सरकार ने हाल में जो व्याख्या की है उसके अनुसार किसी सेक्शन में हर प्रांत को अन्य प्रांतों के बहुसंख्यक मेम्बरों के बहुमत का सामना करना पड़ेगा। मैं विशेषतया सेक्शन 'सी' के बारे में कह रहा हूं जिसका सम्बंध आसाम से है। आसाम

गैर मुस्लिम प्रांत है। विधान-परिषद में आसाम के ७ गैर मुसलमान प्रतिनिधि हैं और ३ मुसलमान प्रतिनिधि हैं। मुझे खेद है कि मेरे मुसलमान मित्र इस असेम्बली में मौजूद नहीं हैं। मेरी इच्छा थी कि वे यहां होते। श्रीमान्, बंगाल के २७ गैर मुसलमान और ३३ मुसलमान प्रतिनिधि हैं। अगर हमको एक ही सेक्शन में सम्मिलित किया जाय, तो ३६ मुसलमान और ३४ गैर मुसलमान प्रतिनिधि होंगे और यदि उस भाग में बहुमत से वोट लिया जाय—सीधी तौर पर बहुमत से वोट, जैसी कि श्रीमान सम्राट की सरकार की व्याख्या है—तो इसका अर्थ है कि हमारा विधान, हमारे आसाम का विधान, बंगाल के लोगों के बहुमत से बनेगा, यानी मुस्लिम लीग द्वारा बनेगा। श्रीमान, हम नहीं समझते कि इससे भी अधिक अन्याय हो सकता है। (हर्षध्वनि) यह एक ऐसा विषय है, जिसपर इस विधान-परिषद के सभी मेम्बरों को विचार करना चाहिए। जब मंत्रिमंडल ने अपनी घोषणा की तो हम आसाम निवासियों ने समझा कि आगे चलकर इस तरह की व्याख्या भी की जा सकती है। लेकिन हमने इस पर विश्वास किया कि मंत्रिमंडल इतनी अनुचित बात नहीं करेगा कि आसाम को, जो एक गैर मुस्लिम प्रांत है, एक मुस्लिम प्रांत के आधीन रख दे और यह कि हमारे विधान को हमारे सेक्शन के मेम्बरों के बहुमत से बनाने दे। हमने कभी भी यह नहीं सोचा कि ऐसा होगा, क्योंकि हमने विचार किया कि आसाम के लोगों को इस स्थिति में रखना उनके प्रति अन्याय होगा। जून सन् १९४६ ई० में हमने शिलांग में एक सार्वजनिक सभा की। मैं उस सभा का सभापति था, हम लोग मंत्रिमंडल की घोषणा पर बहस कर रहे थे और उस सभा में मैंने यह कहा था :—

> "मंत्रिमंडल की घोषणा के पैराग्राफ १५ (५) से मैं यह समझता हूं कि मंत्रिमंडल ने जिस समूह का सुझाव किया है, उसको बनाने या न बनाने की हर एक प्रांत को स्वतंत्रता होगी। दूसरे यह कि स्वतंत्र प्रांतों का यह समूह इसलिये बनाया जायगा कि वह यह तय करे कि कौन से ऐसे पारस्परिक विषय हैं, जो समूह को सौंपे जायं। तीसरे यह कि यदि कोई प्रांत ऐसे बिषयों को सौंपने के लिये सहमत नहीं होता है, जिनका उसके लिये बहुत महत्त्व है, तो कोई ऐसा समूह-विधान नहीं होगा, जिसकी सिफारिश घोषणा के पैराग्राफ १९ (५) में की गई है। चौथे यह कि यदि समूह में बहस के दौरान में किसी प्रांत के लिये इस प्रश्न को हल करना असंभव हो जाय, तो उसका हल उससे दूसरे प्रांत के मेम्बरों के बहुमत से बलपूर्वक स्वीकार नहीं कराया जायगा। पांचवें यह कि पूरा प्रश्न विधान-परिषद के सामने रक्खा जायगा और उसको उस पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार होगा।"

[माननीय रेवरेंड जे० जे० एम० निकोल्स राय]

मंत्रिमंडल की घोषणा का हमने यह आशय समझा और श्रीमान, मुझे विश्वास है कि उस समय कांग्रेस का भी यही दृष्टिकोण था। सरदार वल्लभभाई पटेल ने हाल में यह घोषित किया है कि कांग्रेस ने इस समय तक श्रीमान सम्राट की सरकार की व्याख्या को स्वीकार नहीं किया है और उसे देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। श्रीमान्, हमारा अब भी वही मत है। मुझे यह दिखाई देता है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का अब वह विचार नहीं है जो उसका उस समय था जब कि वह हिन्दुस्तान में था। जब वे लोग हिन्दुस्तान में थे तो उस समय उनको कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था और उन पर यहां के लोगों के मत का प्रभाव पड़ा था। इंगलैंड वापिस जाने पर उनके सामने दूसरी परिस्थितियां हैं और वे कंजरवेटिव पार्टी से प्रभावित हुये हैं। मि० जिन्ना ने भी उनके दिमागों पर जोर डाला है। उन्होंने अपना विचार बिलकुल बदल दिया है, मुझे तो यही दिखाई देता है। मैं लार्ड पैथिक लारेंस से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रिमंडल के मस्तिष्क में, जब वह हिन्दुस्तान में था, वास्तव में यही विचार था। उनकी घोषणाओं में और उनके लेखों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं था कि सेक्शनों में सीधे-सीधे बहुमत का वोट निर्णयकारी होगा। एक गैरमुस्लिम प्रांत को बलपूर्वक एक मुस्लिम प्रांत के आधीन लाने का सिद्धांत बिल्कुल गलत है। मि० जिन्ना ने श्रीमान् सम्राट की सरकार को इसके लिये मजबूर कर दिया है कि वह हमारे प्रांत के प्रति यह अन्याय करे और श्रीमान्, हम समझते हैं कि इस आदरणीय सभा की हमारे साथ सहानुभूति होगी और हमें इसकी सहायता प्राप्त होगी ताकि हमारा प्रांत उस दयनीय दशा को प्राप्त न हो। मैं चाहता हूं कि मि० जिन्ना और लीग के मेम्बर यहां उपस्थित हों और मेरी इच्छा है कि वे हिन्दुस्तान का विधान बनाने में हाथ बटायें। मैं उनसे व दूसरे सभी लोगों से आशा करता हूं कि वे न्याय करेंगे। मैं उनसे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता कि वे सज्जनों का व्यवहार करें और न्याय करें। हर कोई जानता है कि हमको बलपूर्वक इस स्थिति में रखना अन्याय है जो कि श्रीमान सम्राट की सरकार की हाल की व्याख्या से हमारे सामने उपस्थित है। हमारा प्रांत एक स्वाधीन प्रांत है और वह एक गैरमुस्लिम प्रांत है। हमको एक ऐसे सेक्शन में जाने के लिये क्यों मजबूर किया जा रहा है जो आसाम को बहुमत से हरा सकता है और कृत्रिम बहुसंख्यकों की इच्छानुसार विधान बना सकता है। श्रीमान्, यह कहा जा सकता है कि इससे तुरंत ही ब्रिटिश सरकार और इस विधान-परिषद् के बीच कलह उठ खड़ा होगा। यह जरूरी नहीं है। किसी महाशय ने कहा था कि मई १६ की घोषणा की परिधि के बाहर जाना और दूसरी व्याख्या करना क्रांतिकारी होगा। इस

विधान-परिषद को इस तरह का रुख दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा विश्वास है कि हम लोग मैत्री का रुख दिखा सकते हैं। हम ब्रिटिश सरकार से कहेंगे " आपने हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच समझौता करने के लिये जो प्रयत्न किये उनके लिये हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें बहुत अच्छी सलाह दी है और आपने बहुत अच्छी सिफारिशें भी की हैं लेकिन जब कभी हम यह समझें कि आपकी किसी सिफारिश को अक्षरशः प्रयोग में लाना अव्यावहारिक या अन्यायपूर्ण है तो जिम्मेदार लोग होते हुए हमें इसकी स्वतंत्रता होगी कि हम उसकी परिधि के बाहर चले जायँ। हम एक ऐसा विधान बनायेंगे जिसमें सभी अल्पसंख्यकों के प्रति न्याय होगा और किसी भी जाति की उपेक्षा नहीं की जायेगी। यदि मुस्लिम लीग के मेम्बर सहयोग करेंगे तो हम उनका हृदय से स्वागत करेंगे। जब हम विधान बना चुकेंगे तो सारे हिन्दुस्तान को यह देखने का अवसर मिलेगा कि इस विधान-परिषद ने किस तरह का विधान बनाया है। हम आपसे, ब्रिटिश सज्जनों से, प्रार्थना करते हैं कि आप पार्लियामेंट में ऐसे भाषण न दें जिनसे यह प्रकट हो कि हिन्दुस्तान में क्रांतिकारी कार्यवाही हो रही है। कृपा करके जब तक हम अपना काम खत्म न कर लें हमारे साथ सहयोग कीजिये और तब उस पर अपना निर्णय दीजिये "। तभी ब्रिटिश सरकार को यह देखने का अवसर मिलेगा कि इस असेम्बली ने किस तरह का विधान बनाया है। तभी वे कह सकते हैं और इससे पहले नहीं कह सकते हैं कि इस विधान-परिषद ने किसी जाति या मुसलमानों के प्रति न्याय किया है या अन्याय। हमें अवश्य ही इसकी आशा है कि मुस्लिम जाति के लोग यहां आयेंगे और हिन्दुस्तान का विधान बनाने में योग देंगे। सबसे अधिक मुझे इसकी इच्छा है कि वे लोग यहां आयें। मुस्लिम लीग के कुछ मेम्बर मेरे बड़े मित्र हैं और मैं चाहता हूं कि वे लोग यहां आयें और इस असेम्बली के साथ सहयोग करें।

अब मैं इस प्रस्ताव के दूसरे हिस्से पर आता हूं, यानी पैराग्राफ ५ पर, और उस पर विचार प्रकट करने के पहले मैं एक दूसरी बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा यह विचार है कि स्वाधीन प्रांतों में से हर एक प्रांत में ऐसे प्रदेश होंगे जो स्वशासित और प्रांत से सम्बद्ध होंगे। आसाम ऐसे प्रांत के लिये निस्सन्देह यह आवश्यक होगा।

अब पैराग्राफ ५ के बारे में मुझे यह कहना है कि इस पैराग्राफ में न्याय और स्वतंत्रता के सम्बन्ध में आदेश है। सबको यह आश्वासन दिया गया है कि

[माननीय रेवरेंड जे० जे० एम० निकोल्स राय]
उनके प्रति सामाजिक न्याय होगा और आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में भी न्याय होगा। राजनैतिक न्याय का अर्थ निस्सन्देह यह होगा कि हर एक जाति का धारासभाओं में और इस देश के शासन-प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व होगा। इसलिये किसी जाति को इसका भय न होना चाहिये कि यह विधान-परिषद उनके हितों की रक्षा नहीं करेगी।

इसके अलावा इसमें विचार, भाषा, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इस देश में कुछ दलों ने यह प्रचार किया है कि जब हिन्दुस्तान में स्वशासन हो जायेगा तो कुछ धर्मों के लोगों को अपने धर्मों को फैलाने की स्वतंत्रता नहीं होगी। यह वास्तव में झूठा प्रचार है। इस प्रस्ताव द्वारा यह घोषित कर दिया गया है कि ऐसा नहीं होगा। हिन्दुस्तान के विधान में इस सम्बंध में आदेश होंगे कि सभी धर्मों के अनुयाइयों को स्वतंत्रता है और उन्हें अपने धर्मों को जिस प्रकार भी वे चाहें फैलाने की स्वतंत्रता है। मुझे यह देखकर विशेष रूप से प्रसन्नता हुई है कि इस पैराग्राफ़ में कानून और सार्वजनिक नैतिकता को ध्यान में रखते हुए मिलने-जुलने और काम करने की स्वतंत्रता का भी उल्लेख है। यह आवश्यक है कि सरकार सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा करे और यह भी आवश्यक है कि सदाचार को ऊंचा उठाया जाय। सदाचार से राष्ट्र ऊंचा उठता है, लेकिन पाप किसी भी जनसमाज के लिये निन्दनीय है।

इस प्रस्ताव की अन्य बातों पर भी मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह अनावश्यक है। हमारे सामने कई कठिनाइयां और रूकावटें हैं। हिन्दुस्तान इस तरह की कठिनाइयों से अछूता नहीं रह सकता है। कैनेडा, आस्ट्रेलिया और संयुक्त राष्ट्र अमरीका भी जब अपने विधान बना रहे थे तो उन्हें भी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और इन देशों के कुछ भागों ने शुरू में विधान बनाने में भाग नहीं लिया; यद्यपि वे बाद को सम्मिलित हो गये। यहां हिन्दुस्तान में भी वही बात हो सकती है। हमें विधान-निर्माण का काम करते रहना होगा और फिर जब वह दुनिया के सामने और इस देश के सामने रक्खा जायगा तभी इसका अवसर होगा कि ब्रिटिश सरकार कहे कि यह विधान उनकी घोषणा के अनुसार नहीं बनाया गया है। इसके पहले उन्हें पहले से इसका निर्णय करने का प्रयास न करना चाहिये कि यह विधान-परिषद क्या करेगी और ऐसा करके हमारे काम में बाधा न डालनी चाहिये।

*सभापति : माननीय मेम्बर ने अपने समय से अधिक समय ले लिया है।

*माननीय रेवरेंड जे० जे० एम० निकोल्स राय : मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूँ जो मुझे वाइकाउंट साइमन के उस भाषण से सूझी है जो उन्होंने लार्डस् सभा में दिया था। वाइकाउंट साइमन का कहना है कि यदि यह विधान-परिषद् हिन्दुस्तान के लिये विधान बनाने का काम करती रहे तो यह हिन्दुस्तान के लिये 'हिन्दू राज' की धमकी होगी। इन शब्दों को आज एक अखबार में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब मैं पश्चिमी देशों में था—इंगलैंड और अमरीका में—तो मैंने यह देखा कि उन देशों में कुछ लोगों का यह विचार था कि हिन्दू एक ऐसा मनुष्य है, जो वर्ण-व्यवस्था से जकड़ा हुआ है और जो गाय की पूजा करता है। यदि वाइकाउंट साइमन हिंदूराज की ओर इसी विचार से संकेत करते हैं, यानी इस विचार से कि हिन्दुस्तान के लोग वर्णव्यवस्था बनाये रखने के लिये और गाय की पूजा करने के लिये मजबूर किये जायेंगे, तो उनका विचार बिल्कुल गलत है। यदि जो लोग यहां सम्मिलित हुए हैं वे—चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान ; इसाई हों या किसी दूसरे धर्म के अनुयायी—एक ऐसा विधान बनायें, जो लोकतंत्रात्मक हो, जिसमें हर एक के प्रति न्याय हो तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह विधान 'हिन्दू राज' का विधान क्यों कहा जाय। और यदि 'हिन्दू' शब्द से हिन्दुस्तान के रहने वाले लोग समझे जायें तो निश्चय ही हमारा विधान हिन्दुस्तान के लोगों के लिये होना चाहिये। यही वास्तव में हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के लोग एक विधान बनायें। लेकिन अगर हिन्दुस्तान के कुछ लोग इस समय विधान-निर्माण के कार्य में सम्मिलित होना नहीं चाहते हैं तो वे बाद को उसमें सम्मिलित हो जायंगे और मैं समझता हूं कि एक ऐसा समय आयेगा, जब वे सब विधान बनाने के काम में हाथ बटायेंगे और हिन्दुस्तान को एक मुल्क बनायेंगे—एक संयुक्त देश जिसका कि शासन एक ही प्रजातंत्रात्मक सरकार करेगी। मुझे विश्वास है कि ईश्वर से प्रार्थना करने से ये सब रुकावटें दूर हो जायेंगी। हमें महात्मा गांधी—अपने बापू जी—का अनुकरण करना चाहिये और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिये। हमें ईश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिये कि हमारे रास्ते से ये सब रुकावटें दूर हो जायँ और यह कि हम एक ऐसा विधान बनाने का काम कर सकें जो हमारे सारे देश के लिये कल्याणकारी हो।

श्री० आर० के० सिधवा : सभापति महोदय, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत का विधान बनाने की जो मांग की थी, वह अब पूरी हो गई है। हम यहां हिन्दुस्तान का विधान बनाने के लिये सम्मिलित हुए हैं और हमें विश्वास है कि चाहे मुस्लिम लीग के हमारे मित्र, जिनका हम

[श्री आर० के० सिधवा]

स्वागत करते हैं और जिनके बारे में इतने वक्ता कह चुके हैं कि उन्हें खेद है कि वे उपस्थित नहीं हैं, आयें या न आयें और चाहे अंग्रेजों ने पिछले चार या पांच दिनों के बीच कामन्स-सभा और लार्डस-सभा में कितनी ही धमकियां दी हों, हम अपना काम करते रहेंगे और एक विधान बनायेंगे और कोई मजाल नहीं कि वे उसे प्रयोग में न लायें। यदि अवसर आने पर वे उसे प्रयोग में लाना उचित न समझें तो हम जानते हैं कि उसे किस प्रकार प्रयोग में लायेंगे। श्रीमान्, यदि हिन्दुस्तान से गरीबी दूर करनी है और इस देश के लोगों को सुखी बनाना है तो हमारे विधान की इमारत समाजवादी सिद्धांतों की बुनियाद पर खड़ी की जानी चाहिये और मुझे विश्वास है कि जब यह विधान पूरा हो जायेगा तो इसका इस देश में व बाहर स्वागत होगा। कई बार अल्पसंख्यकों के सवाल के बारे में बड़ा बखेड़ा उठाया गया है। श्रीमान्, इस विधान को बनाने में हर प्रकार की न्यायोचित सुरक्षा और सभी के हितों पर विचार किया जायगा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रश्न को इतनी प्रधानता क्यों दी गई है। इस प्रस्ताव में भी पैराग्राफ ३ में आप देखेंगे कि बिना किसी के कहे हुए हमने किस प्रकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की है। पैराग्राफ ४ अवशिष्ट अधिकारों के सम्बंध में है, जिसको हमने स्वीकार कर लिया है और वह इसलिये नहीं कि ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ऐसा चाहता है। श्रीमान्, जैसा कि आपको ज्ञात है कई वर्षों से कांग्रेस इस विषय पर विचार कर रही थी और मुस्लिम लीग के लोगों के भय को दूर करने के लिये अगस्त सन् १९४० ई० में हमने यह निर्णय किया था कि प्रांतों के अवशिष्ट अधिकार होने चाहिये। हम लोगों में से बहुत से लोगों को आज तक भी यह पसंद नहीं है कि प्रांतों के अवशिष्ट अधिकार हों। हम लोग एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार चाहते हैं। यदि इस सभा का या देश का स्वतंत्र रूप से इस बारे में मत लिया जाय कि प्रांतों को अवशिष्ट अधिकार दिये जायँ या नहीं तो वे विरोध में ही अपना मत प्रकट करेंगे। किन्तु केवल इसलिये कि हम मुस्लिम लीग के काल्पनिक या वास्तविक भय को दूर करना चाहते हैं और हम उनके विचारों का आदर करते हैं, हमने यह स्वीकार कर लिया है कि प्रांतों को अवशिष्ट अधिकार दिये जायेंगे। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिये कौन आगे बढ़ा? कांग्रेस और बहुसंख्यक जाति ही ने कहा कि प्रांतों के अवशिष्ट अधिकार होंगे। चाहे लीग के लोग यहां हैं, या नहीं हैं, माननीय कांग्रेसियों की हैसियत से हम अपने निश्चय से नहीं डिगेंगे।

हम पीछे हटना नहीं चाहते चाहे मुस्लिम लीग यह प्रतिज्ञा करते समय मौजूद रहना पसन्द न करे। अपनी इच्छा के विरुद्ध भी हम अपने निश्चय के अनुसार कार्य करेंगे। यह केवल एक उदाहरण है, जिसे मैं अंग्रेजों के सामने रखना चाहता हूँ ताकि उनकी समझ में आ जाये कि हम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिये कितने सचेष्ट हैं। किन्तु यदि आप अनुचित मांग करें तो बहुसंख्यक जाति के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह अल्पसंख्यक जाति हो जाय। प्रांतों की सरहदें ठीक करने का हवाला इस पैराग्राफ में ही है। मेरी यह पक्की धारणा है कि वर्त्तमान प्रांतों की सरहदें ठीक की जानी चाहिये। आजकल के प्रांत बिना सोच विचार के और जिस बेमेल ढंग से बनाये गये हैं उसमें तुरंत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सिंध प्रांत का निवासी होने के नाते मैं जानता हूं कि दस वर्ष पहले जब हमें बंबई प्रांत से अलग किया गया था, तो हमें भारत सरकार का २२ करोड़ रुपये का ऋण चुकाना था। सात वर्ष में हमने वह ऋण चुकाया। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि अलग होने से हमें क्या फायदा हुआ है और क्या नुकसान, मगर मैं यह कहूंगा कि यह पैराग्राफ मुसलमानों की भावनाओं का आदर करते हुए बहुत सोच समझ कर लिखा गया है : ताकि सेक्शनों में बैठने के पहले वर्त्तमान प्रांतों पर विचार हो सके। यदि हम स्वतंत्र होते तो मैं इस संशोधन को पेश करता कि प्रांतों की सरहदें तुरंत ही ठीक की जायें और सरहद ठीक करने को एक समिति तुरंत ही नियुक्त की जाय और उसके बाद विधान बनाया जाय। परंतु इस सम्बन्ध में भी हम अपने इस वादे को पूरा करना चाहते हैं कि मई १६ को घोषणा के अंतर्गत हम सेक्शनों में बैठेंगे। मैं इन बातों की ओर इसलिये संकेत कर रहा हूँ कि संसार यह जान जाये कि उस बाधा की ओर ध्यान न देते हुए जो प्रतिदिन कामन्स-सभा और लार्ड्स-सभा की सलाहों और आज्ञाओं से होती है व उन दुष्टतापूर्ण भाषणों से होती है जिन्हें अंग्रेज आज दे रहे हैं, हम अपने न्यायोचित कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं। हम इस तरह के प्रचार को सहन नहीं कर सकते जिसने झूठ-मूठ अल्पसंख्यकों का सवाल और सांप्रदायिक कलह का भय खड़ा किया है। जब प्रतिनिधि मंडल आया तो उसका रुख दूसरा था, क्योंकि राजनैतिक बलवे हो रहे थे। सेना, सामुद्रिक सेना और हवाई सेना ने उनके आने के पहले विद्रोह किया था। वह एक राजनैतिक बलवा था। श्रीमान्, हिन्दुस्तान की ऊंची नौकरियों के लोग अब यह समझने लगे हैं कि उनके दिन ढल चुके हैं। वे साम्प्रदायिक कलह से खूब

[श्री आर० के० सिधवा]

फायदा उठा रहे हैं। चूंकि साम्प्रदायिक तनातनी है, इसलिये ब्रिटिश मंत्रि-मंडल उन बातों पर अमल नहीं करना चाहता जो उसने यहां रह कर कही थी। ब्रिटिश सरकार ने हमसे कहा है कि यदि हम वाक्यखंड १५ की उनकी व्याख्या के अनुसार विधान न बनायेंगे तो अल्पसंख्यक जाति उसको स्वीकार करने के लिये मजबूर नहीं की जायेगी। मैं एक अल्पसंख्यक जाति का सदस्य हूं, मेरी जाति बहुत ही अल्पसंख्यक है और तुलनात्मक दृष्टि से उसका कुछ भी महत्व नहीं है। लेकिन उस जाति को, चाहे वह सिर्फ एक लाख पारसियों की है, सारा संसार जानता है। जैसा कि इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बाबू पुरुषोत्तम-दास टंडन ने कहा, पूर्वकाल में इस देश में जो कोई भी आया उसका स्वागत किया गया। १३०० वर्ष पूर्व, जैसा कि इतिहास बतलाता है, जब हम ईरान से निकाल दिये गये और तीन महीने तक समुद्र में भ्रमण करते रहे, तो सिवाय गुजरात में संजान के जधवा राना के हमें और किसी ने शरण नहीं दी। हम सब उनके कृतज्ञ हैं। जब से हम यहां रहे हैं, हमें हिन्दू जाति से कोई शिकायत नहीं रही है। पारसियों ने राजनीति और सामाजिक व औद्योगिक कार्यों में प्रमुख भाग लिया है। भारतीय कांग्रेस की जिन लोगों ने नींव डाली, उनमें एक महान पुरुष दादाभाई नौरोजी भी थे। (हर्षध्वनि) सन् १६०६ ई० में कलकत्ता में सभापति के पद से भाषण देते हुए उन्होंने "स्वराज" का शब्द गढ़ा था। जहाज बनाने और कपड़े के धंधों में पारसी अगुआ रहे हैं। उन्हीं लोगों ने पहले-पहल स्त्री-शिक्षा का प्रचार किया और अस्पताल इत्यादि जैसी खैराती संस्थाएं खोली जिनमें जात-पात का कुछ भी भेद नहीं रक्खा। हाल में केवल ३७ वर्ष पहले टाटा परिवार ने लोहे और फौलाद का धँधा ऐसे पैमाने में चलाया कि इस समय संसार में उसका दूसरा स्थान है। मैं यह सब कुछ अपनी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये नहीं कह रहा हूँ ; मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता हूं कि बहुसंख्यक जाति ने हमको कभी नहीं भुलाया और हम भी अपना योग देने में पीछे नहीं रहे। अपने लिये अलग निर्वाचन-समूह की मांग करने के लिये अंग्रेजों ने हम पर जोर डाला। हमने इससे इन्कार कर दिया। साधारण निर्वाचन-समूह में हमारी जाति के हित सुरक्षित हैं। मुझे एक मिसाल मालूम है जिससे यह ज्ञात होगा कि किस प्रकार ३० वर्ष पूर्व अलग-अलग निर्वाचन-समूह बनाने के लिये जोर डाला गया और यह शरारत इसलिये की गई कि इस देश में ब्रिटिश राज बना रहे। सिंध में हमारे यहां म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में

साधारण प्रतिनिधित्व था। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं था। उस समय के सिंध के कमिश्नर ने कुछ मुसलमानों को चुपचाप गवर्नमेंट हाउस बुलाया और उनसे कहा, "आप हमें अलग निर्वाचन-समूहों के लिये एक प्रार्थनापत्र दीजिये और इसकी सिफारिश मैं बम्बई के गवर्नर से कर दूँगा"। इस तरह का प्रतिनिधित्व मंजूर कर दिया गया और तब से हमारी सिंध की म्युनिसिपैलिटी में अलग-अलग निर्वाचन समूह हैं। इस प्रकार हमने अपनी आंखों देखा है कि किस तरह अंग्रेजों ने एक जाति को दूसरी जाति के विरोध में खड़ा करने की दुष्टता की है। पारसियों से कई बार अपने लिये अलग निर्वाचन-समूह की मांग करने के लिये कहा गया। हमने इन्कार कर दिया और कहा, "हम अपनी बहुसंख्यक जाति के साथ पूर्णतया सुरक्षित हैं"। इस असेम्बली में ही बहुसंख्यक जाति की भलमंसाहत को देखिये। हम सब लोग उनकी वोटों से चुने गये हैं। क्या मैं यह कह सकता हूं कि जो लोग हमारे इच्छित उद्देश्य के विपरीत रहे हैं वे भी बहुसंख्यक जाति द्वारा निर्वाचित किये गये हैं। हम किसी को अपना शत्रु नहीं समझते, भले ही उसने हमारे विचारों का, हमारी मांग का, विरोध किया हो। मेरा मतलब ऐंग्लो-इंडियनों से है। लेकिन हमने उनको भी निर्वाचित किया है। इस उदारता की हर एक को प्रशंसा करनी चाहिये। यदि अंग्रेजों का उद्देश्य पहले की तरह शरारत करना नहीं है तो वे किस तरह की सुरक्षा चाहते हैं? लेकिन मैं ब्रिटिश सरकार से कहना चाहता हूं कि अब वह समय आगया है जब कि उन्हें उस दुष्टतापूर्ण प्रचार से कुछ भी सहायता नहीं मिल सकती जो वे जानबूझ कर विधान-परिषद के काम में बाधा डालने के लिये कर रहे हैं। हम अपना काम जारी रक्खेंगे, चाहे जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े और चाहे जितनी रुकावटें व अड़ंगे आये-दिन और खास तौर से इस समय लगाये जायं, हम अपना काम करते रहेंगे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स या भारत-मंत्री ने मि० जिन्ना से यह नहीं कहा कि "आपके कहने पर उस खास वाक्यखंड की व्याख्या कर दी गई है और आपको पाकिस्तान का प्रचार खत्म कर देना चाहिए"। मंत्रिमंडल ने बहस की और जांच की और वे इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि पाकिस्तान न तो व्यावहारिक है और न उसको स्थापित करना ठीक ही है। इसलिए यह सवाल हमेशा के लिये दफना दिया गया है। इसके बावजूद क्या आपने मि० जिन्ना से एक शब्द भी इस आशय का कहा है कि उन्हें पाकिस्तान के बारे में खतरनाक और जहरीला प्रचार करने के लिये भाषण नहीं देने चाहिए। मि० जिन्ना आये दिन संवाददाताओं के सम्मेलनों

[श्री आर. के. सिधवा]

में या अपने बयानों में पाकिस्तान ही की कहानी दुहराते जाते हैं। इसलिये बावजूद इसके कि ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल ने मई १६ के बयान में अपना फैसला सुना दिया है; हमें यह मालूम नहीं है कि मि० जिन्ना क्या चाहते हैं।

जब तक कि ब्रिटिश सरकार अपना वादा ही पूरा न करना चाहे, उसे मि० जिन्ना से कहना चाहिए कि वे अपना प्रचार खत्म करें, जिसके जहर से लोगों के दिमाग दूषित हो जाते हैं और इस देश में सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं। उनसे ऐसा कहने के बदले उसने अल्पसंख्यक जाति को सलाह देने की धृष्टता की है। हमारी समझ में नहीं आता कि वास्तव में वे क्या चाहते हैं और उनके दिमागों में क्या नाच रहा है। क्या उन्होंने मुस्लिम लीग को लंदन इसीलिये बुलाया कि हम लोग यहां ६ दिसम्बर को सम्मिलित नहीं हो सकें? लेकिन धन्य हैं हमारे नेता! वे ६ दिसम्बर को विधान-परिषद की पहली बैठक करने के अपने निश्चय पर डटे रहे, बावजूद इसके कि उसके पहले हफ्ते में पं० जवाहरलाल नेहरू को इंगलैंड जाना पड़ा। यद्यपि उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वे ६ दिसम्बर को वापस चले आयेंगे और विधान-परिषद के उद्घाटन-उत्सव में सम्मिलित होंगे। हमारा कई तरह से विरोध किया गया है। वे हमारे काम को रोकना चाहते हैं, यह पार्लियामेंट में दिये भाषणों से स्पष्ट हो जाता है। एक दिन पहले हमसे कहा गया—"आप फेडरल कोर्ट के सामने इस मामले को पेश कर सकते हैं और तुरंत ही इस पर उसका फैसला सुन सकते हैं"। दूसरे दिन भारतमंत्री कहते हैं—"आप फेडरल कोर्ट के सामने इस मामले को रख सकते हैं, परन्तु यह जरूरी नहीं है कि उसका फैसला हमें मान्य हो"। क्या इस असेम्बली में हम लोग एक बड़ी संख्या में इकट्ठे नहीं हुये हैं? हम अपना काम करते रहेंगे। चाहे जो भी कठिनाई हो, हम उसका सामना करेंगे और पहले की तरह हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। हमने एक बात तो अभी कर दी है; वह यह कि बहुसंख्यक जाति को एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने दिया है। हमने पहले भी ऐसा किया है और इसे फिर करेंगे, ताकि हममें एकता पैदा हो और हम अंग्रेजों को बाहर निकाल सकें। हम यह कर सकते हैं।

मगर मैं पूछता हूं कि मुस्लिम लीग क्यों शरीक नहीं हो रही है? वे चाहते हैं कि अंग्रेज हम से यह कहें कि अगर हम यहां सम्मिलित होकर विधान बना भी लें, तो वे उसे प्रयोग में नहीं लायेंगे। उन्हें ऐसा कहने दीजिये। हम एक विधान

बनायेंगे और उसे लोगों के सामने रख देंगे ताकि वे उस पर अपना फैसला दे सकें। इस संसार में कई निष्पक्ष देश भी हैं जिनकी निर्पेक्ष विचार धारा है और वे हमारे कार्य को ठीक तौर से और सच्चे ढंग से जाचेंगे और न्याय करेंगे। सिर्फ कमल रोग का रोगी सब कुछ पीला और गलत देखता है। दक्षिणी अफ्रीका के झगड़े में संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रतिनिधियों ने हमारे न्याययुक्त पक्ष का समर्थन किया, यद्यपि अंग्रेज हमारे विरोधी थे। हमने जिस काम का बीड़ा उठाया है, वह न्याययुक्त है और हम अपना काम करते रहेंगे और एक ऐसा विधान बनायेंगे जिस पर हम गर्व कर सकेंगे। (हर्षध्वनि)

*श्री विश्वनाथ दास (उड़ीसा): श्रीमान्, उड़ीसा के प्रतिनिधियों की तरफ से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रस्ताव को पेश किया है वह चार भागों में विभाजित है। पहले भाग में उस लक्ष्य का उल्लेख है जिसके लिए हम लड़ते रहे हैं; दूसरे भाग में स्वतंत्र भारतीय रिपब्लिक के जल, थल और आकाश में अधिकार-क्षेत्र का उल्लेख है; तीसरे भाग में यह घोषणा की गई है कि हमारी जो शक्ति है और हमारे जो अधिकार हैं वह हमें लोगों से प्राप्त हैं। चौथा भाग एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें कबाइली और दूसरे क्षेत्रों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख है।

श्रीमान्, किसी भी विधान में इस तरह की आरम्भिक बातें आवश्यक हैं। इसलिए यह ठीक नहीं होगा और अनुचित भी होगा कि हम आरंभ में ही इस प्रश्न को हल न करें। इस प्रस्ताव का कुछ भी विरोध नहीं है, क्योंकि माननीय डा० एम० आर०, जयकर ने जो संशोधन पेश किया है, उसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि इस प्रस्ताव पर एक महीने बाद विचार हो। माननीय मेम्बर यह स्वीकार करते हैं कि वे प्रस्ताव से पूर्णतया सहमत हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि एक महीने के लिये बहस स्थगित करने से क्या फर्क पड़ेगा।

श्रीमान्, मेरे मित्र डा० अम्बेडकर ने बहस में एक अच्छा सुझाव पेश किया है। उन्होंने कहा है कि उनको प्रस्ताव के दूसरे पैराग्राफों से कोई आपत्ति नहीं है, सिवाय इसके कि पैराग्राफ ३ में 'समूहबन्दी' का शब्द छूट गया है। श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मुझे उनसे एक अपील करनी है। यह कोई ऐसी गम्भीर बात नहीं है कि 'समूहबन्दी' का शब्द छूट गया है क्योंकि प्रस्ताव में 'समूहबन्दी' के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया है। इससे यह स्पष्ट है कि समूहबंदी का प्रश्न एक खुला

[श्री विश्वनाथ दास]

प्रश्न है। मैं यहां अपने मित्र डा० अम्बेडकर को मंत्रिमंडल की योजना के पैराग्राफ १६ (५) का हवाला देता हूँ जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह सेक्शन ही तय करेंगे कि कोई समूह-विधान बनाया जाय कि नहीं। श्रीमान्, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने इस सम्बंध में एक दूसरा प्रस्ताव पेश किया था। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव की आलोचना की और उनकी आलोचना पैराग्राफ १४ (२) में दी हुई है। इस योजना के आधीन यदि प्रांत किसी ऐसी आर्थिक व शासनप्रबंध-सम्बंधी व्यवस्था में भाग लेना चाहते हैं जो बड़े पैमाने में की जाये, तो वे अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त स्वेच्छा से कुछ विषय केन्द्र को सौंप देंगे। कांग्रेस की कार्यकारिणी के तर्क का उल्लेख करते हुए मंत्रिमंडल ने अपनी आलोचना की है। उनका कहना है कि केन्द्र में कोई ऐसी प्रबन्धकारिणी या धारा सभा बनाना बड़ा कठिन होगा, जिसमें कुछ ऐसे मंत्री हों, जिनके जिम्मे अनिवार्य विषय हों और जो सारे हिन्दुस्तान के प्रति उत्तरदायी हों और कुछ ऐसे मंत्री हों जिनके जिम्मे स्वेच्छा से सौंपे हुए विषय हों और जो प्रांतों के प्रति उत्तरदायी हों। श्रीमान, यह आपत्ति करके मंत्रिमंडल ने कार्यकारिणी के सुझाव को अलग रख दिया है। छोटे प्रांतों का यदि केन्द्र पथप्रदर्शन न करे तो उनके लिए उन्नति करना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव ही हो जायेगा। इस सम्बंध में मैं 'बी' और 'सी' सेक्शनों का हवाला नहीं दे रहा हूं। मैं सेक्शन 'ए' का हवाला दे रहा हूं जिससे उड़ीसा, बिहार, मध्यप्रांत, मद्रास और दूसरे प्रान्तों का सम्बन्ध है। श्रीमान, कांग्रेस ने जब यह स्वीकार किया कि हिन्दुस्तान का विभाजन भाषाओं के आधार पर किया जाय, तो इसका यह अर्थ है कि बहुत से छोटे-छोटे प्रांत बन जायेंगे। उड़ीसा, कैरल, कर्नाटक और दूसरे ऐसे छोटे प्रांतों को अपने यहां आर्थिक व शासन प्रबन्ध सम्बंधी योजनाओं को बनाने में बड़ी कठिनाई पड़ेगी। इस दशा में यह हो सकता है कि ये प्रांत सभी सम्बंधित अधिकारों को केन्द्र को सौंप देंगे। इसके बाद किसी भी ऐतराज के लिये गुँजाइश नहीं रह जाती। बाद को सेक्शनों में इस तरह के कई सवाल पैदा हो सकते हैं। यदि दरवाजा खुला हुआ है, तो वह ऐसे ही प्रस्तावों के लिये खुला हुआ है, जो बाद को पेश किये जा सकते हैं। इन दशाओं में मेरा विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र डा० अम्बेडकर को इस व्याख्या से संतोष हो जायगा और वे 'समूह' शब्द के छूट जाने पर आपत्ति नहीं करेंगे।

[श्री विश्वनाथ दास]

श्रीमान्, कंज़रवेटिव पार्टी के प्रमुख मेम्बरों ने कहा है कि विधान-परिषद सवर्ण हिन्दुओं की सभा है। मुझे प्रसन्नता है कि हिन्दुस्तान की अल्प-संख्यक जातियों के प्रतिनिधियों ने इस अनुचित सुझाव का जवाब दे दिया है और मुझे आशा है कि अल्पसंख्यकों के दूसरे प्रतिनिधि भी इस सुझाव का जवाब देकर इसे दफना देंगे, क्योंकि वह इंगलैंड व विदेश में प्रचारार्थ ही पेश किया गया है। श्रीमान, इस महान असेम्बली में केवल बहुसंख्यक हिन्दुओं के प्रांतों के हिन्दुओं के ही प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि उन अल्पसंख्यक हिन्दुओं के भी प्रतिनिधि हैं जो ऐसे प्रांतों में रहते हैं, जहां मुसलमानों का बहुमत है। यहां परिगणित जातियों, ईसाइयों, सिक्खों, पारसियों, ऐंग्लो-इंडियनों और कबाइली और अंशतः प्रथक क्षेत्रों के भी प्रतिनिधि हैं। हमारे बीच में महान मुस्लिम जाति के भी प्रतिनिधि हैं, सिवाय इसके कि यहां मुस्लिम लीग के नेता नहीं हैं। इस दशा में यह बहुत ही अनुचित है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह महान असेम्बली, जिसमें कि महान भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, सवर्ण हिन्दुओं की सभा कही जाय और विशेषतः यह कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को वैदेशिक प्रचार का मंच बनाया जाय। पार्लियामेंट के भाषणों में अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा देश है, जहां अल्पसंख्यक नहीं हैं? इंगलैंड में भी अल्पसंख्यक हैं। क्या वेल्श लोग अल्पसंख्यक नहीं हैं? स्काट भी अल्पसंख्यक हैं। वेल्श लोगों की जाति और भाषा अंग्रेजों से बिलकुल भिन्न है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में ऐसे अल्पसंख्यक हैं जिनकी भाषा और जाति भिन्न है। सोवियट रूस में भी यही हाल है। इस दशा में यह अनुचित है कि इंगलैंड की कंज़रवेटिव पार्टी के नेता इस देश और इस विधान-परिषद के विरुद्ध प्रचार करें। यह स्पष्ट हो गया है कि मि० जिन्ना और मि० चर्चिल के बीच अजीब दोस्ती पैदा हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि मि० जिन्ना ऐसे राजनीतिज्ञ कंज़रवेटिवों और विशेषतया मि० चर्चिल के जाल में फंस गये हैं। सब कोई यह जानते हैं और इतिहास भी यह बतलाता है कि कंज़रवेटिव पार्टी ने किस तरह परतंत्र देशों में खास-खास लोगों व संस्थाओं से काम निकाला है। इस सूरत में मि० जिन्ना आसानी से यह समझ सकते हैं कि अंग्रेज किस तरह उनसे व मुस्लिम लीग से काम निकाल रहे हैं। यह हमें भी देखना है कि कौन किसको किस हद तक काम में लाता है। हम आशा करते हैं कि आगे चलकर मि० जिन्ना की समझ में सब कुछ आ जायगा और कंज़रवेटिवों को ही मुंह की खानी पड़ेगी।

*माननीय पंडित हृदयनाथ कुंजरू : सभापति महोदय, इस सभा में दिये हुए कुछ भाषणों से मालूम होता है कि कुछ वक्ताओं ने यह समझा है कि जो संशोधन इस सभा में पेश किया गया है, वह विरोध की भावना से किया गया है। मेरा विचार है कि उसका उद्देश्य इस सभा के काम में बाधा डालना नहीं है, बल्कि उसमें सहूलियत पैदा करना है। उसका उद्देश्य यह है कि ऐसा वातावरण बनाया जाय, जिससे हम जल्दी ही और आसानी से उस महान लक्ष्य को समझ सकें जिसे हमने अपने सामने रक्खा है। मैं समझता हूं कि मेरा यह कहना गलत न होगा कि इस सभा के हर भाग में ऐसे लोग हैं जिन्हें डा० जयकर के संशोधन से सहानुभूति है। किसी भी पक्षपात रहित आदमी को यही बात विश्वास दिलाने के लिये काफी है कि इस संशोधन का उद्देश्य यह नहीं है कि हमारे रास्ते में रोड़े अटकाये जायं, किन्तु ऐसा रास्ता दिखाना है जो निश्चय ही सफलता की ओर ले जाये। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि अखबारों की यह खबर ठीक है कि असेम्बली की अगली बैठक जनवरी के आखीर तक होगी, तो इससे यह प्रकट होता है कि यह सभा समझती है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय मनोवैज्ञानिक कारणों से कुछ काल के लिये स्थगित किया जाना चाहिये। ऐसा करने से उन सबों को जिनके हितों पर इन निर्णयों का असर पड़ता है, यह आश्वासन मिलता है कि इन नतीजों पर पहुँचने के पहले उन्हें भी अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलेगा। मैं उन सबको जिन्होंने यह तय किया है, बधाई देता हूँ। यह हमने समझदारी का काम किया है कि हमने हिन्दुस्तान के लोगों के हर वर्ग को यह महसूस करा दिया है कि हम किसी पार्टी या जाति को अपना मत मानने के लिये मजबूर नहीं कराना चाहते और यह कि हम आपस में वाद-विवाद करके ही ऐसे निर्णय करेंगे, जिनका उद्देश्य हिन्दुस्तान को स्वतंत्र बनाना और अल्पसंख्यकों और पिछड़े हुए वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना होगा। इस संशोधन का भी वही उद्देश्य है, जो कि उस निर्णय को करने वालों का है, जिसका हवाला मैंने दिया है। यह केवल उस सूझ के लिये तर्क रखता है, जिसका जिक्र सर राधाकृष्णन् ने अपने ओजस्वी भाषण में किया और जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि प्राचीन भारतीय सभ्यता की यह विलक्षणता थी।

श्रीमान, डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने कल हम लोगों से यह सवाल किया था कि यदि इस संशोधन में प्रकट किये हुए विचारों को यह सभा स्वीकार कर ले, तो क्या बहुत काल तक भी यह सभा कुछ काम कर पायेगी ? मिसाल के तौर पर मैं

[माननीय पंडित हृदयनाथ कुंजरू]
पूछता हूँ कि जब तक कि रियासतों के प्रतिनिधि संघ-विधान बनाने में हिस्सा न लें, तो क्या यह सभा कुछ कर सकेगी ? मैं नहीं समझता कि इस आपत्ति में कुछ बल है। यदि इस सभा के सामने जो प्रस्ताव रक्खा गया है, उसके उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो यह स्पष्ट है कि वह बहुत कुछ संघ की विधान-परिषद् द्वारा ही प्राप्त हो सकता है जो कि संघ के लिये विधान बनायेगी।

यह प्रस्ताव सेक्शन-कमेटियों को रास्ता दिखा सकता है। लेकिन उनकी बैठकें भी अप्रैल या मई से पहले मुश्किल से हो सकेंगी। जो भी सूरत हो, संघ की विधान-परिषद् ही वह मुख्य संस्था है, जिसका मार्ग प्रदर्शन इस प्रस्ताव के आदेशों से होगा और उसकी बैठक सेक्शन-कमेटियों का काम खत्म होने पर ही होगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पं० जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर बहस स्थगित करने से इस सभा के काम में बिल्कुल भी देर नहीं होगी। चूंकि उसका मुख्य उद्देश्य संघ की विधान-परिषद् को विचार-विनिमय में रास्ता दिखाना है। इसलिये यदि थोड़े समय के लिये उस पर बहस न की जाय तो कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन वर्गों को जिनके हितों पर प्रभाव पड़ता है, अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिल जायगा। रियासतों के कुछ प्रतिनिधियों ने इस असेम्बली द्वारा इस प्रस्ताव को तुरन्त ही स्वीकार किये जाने पर आपत्ति की है। उनके विचार ठीक हों या गलत, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल इसकी ओर ध्यान देना चाहिये कि यदि इस प्रस्ताव को तुरंत पास कर दिया जाय, तो हमारा यह फैसला सिर्फ एक तरफ का फैसला होगा। इस प्रस्ताव के उद्देश्यों का समर्थन करने के लिये इस सभा के पास बाद को काफी वक्त होगा। इस तरह का भय करने की कोई आवश्यकता नहीं कि इस प्रस्ताव को स्थगित करने से उसका सारा उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। मेरा अपना यह विचार है कि कुछ देर करने से हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये अधिक बल प्राप्त हो जायगा।

श्रीमान, एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे कल डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने हमारे सामने रक्खा था। उन्होंने हमसे पूछा था कि क्या हमें यह स्थिति स्वीकार है कि जब तक मुस्लिम लीग इस असेम्बली के काम में हाथ बटाने के लिये राजी न हो जाय, यहां कुछ भी काम न किया जायगा ? मैं समझता हूँ कि जो संशोधन पेश किया गया है, उसका विरोध मुख्यतः उसी भावना से किया गया है,

जिसे डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने प्रकट किया है वह यह है कि इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित करने से इस सभा का काम रुक जायेगा। डा० मुकर्जी ने जोरदार शब्दों में डा० जयकर से पूछा कि यदि वे इस तरह के विचारों के हैं, तो उन्होंने इस समय विधान-परिषद में भाग लेना स्वीकार ही क्यों किया? श्रीमान्, मेरा विचार है कि उन लोगों की राय मानना जो कि यह चाहते थे कि इस असेम्बली का उद्घाटन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाय, बड़ी नासमझी का काम होता। मेरी राय में वायसराय को इसके लिये मजबूर करके कि इस असेम्बली की बैठक पूर्वनिश्चित तिथि के अनुसार हो; हमने एक बड़ी मंजिल तय कर ली है। यदि असेम्बली का उद्घाटन न होता, तो उसका भविष्य अधिकारियों की स्वेच्छा पर निर्भर रहता। लेकिन अब वह वायसराय या ब्रिटिश सरकार की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। यह अब इस सभा पर, श्रीमान, आप पर निर्भर है कि इस सभा की बैठक कब हो और यहां का काम किस प्रकार समाप्त किया जाय। जहां तक श्रीमान्, इस प्रश्न का सम्बंध है कि मुसलमानों की अनुपस्थिति में यह असेम्बली कुछ कर सकती है या नहीं, मैं इस विषय पर संक्षेप में बोलूंगा। कई एक वक्ताओं का यह मत है कि यदि इस प्रस्ताव पर जो बहस हो, उसमें हिस्सा लेने के बारे में हम मुस्लिम लीग और देशी रियासतों का अधिकार मान लें, तो हम उनके हाथ में इस असेम्बली का काम रोकने के लिये पूरी ताकत दे देंगे। मेरी राय में इससे यह प्रकट होता है कि वर्त्तमान स्थिति गलत तरीके से समझी गई है। कामन्स-सभा और लार्डस-सभा में ब्रिटिश सरकार के वक्ताओं ने जो भाषण दिये हैं, उनसे यह प्रकट होता है कि ब्रिटिश सरकार यह चाहती है कि प्रांतीय विधानों और समूहों को बनाने में जो तरीका काम में लाया जाय उसके सम्बन्ध में समझौता होना चाहिये। केवल १६ मई के बयान के पैराग्राफ १६ की जो व्याख्या की गई है वही विचारणीय है। मेरे विचार में यह मामला तुरंत ही फेडरल कोर्ट के सामने रक्खा जायगा : इसलिये मैं आशा करता हूं कि विधान-परिषद में आने के लिये मुस्लिम लीग के लिये तुरंत ही रास्ता खुल जायेगा। लेकिन यदि लीग इसी कारण से नहीं, वल्कि अन्य कारणों से भी इस असेम्बली में नहीं आ रही है और यदि सेक्शन-कमेटियों में जो तरीका काम में लाया जायेगा उसके बारे में समझौता होने के बाद भी लीग के प्रतिनिधि यहां नहीं आते हैं, तो मेरी राय में उनको यह कहने का अधिकार नहीं होगा कि इस असेम्बली की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी जाय।

[माननीय पंडित हृदयनाथ कुंजरू]

मंत्रिमंडल ने ६ दिसम्बर को जो बयान दिया, उसके आखिरी पैराग्राफ से बहुत भ्रम पैदा हो गया है। आजकल जैसी राजनैतिक स्थिति है उसमें वे लोग जिन के हित में यह है कि इस असेम्बली का काम ठीक ढंग से न चले, इससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन सब बातों को देखते हुए मेरी राय में जो भाषण कामन्स-सभा और लार्डस-सभा में दिये गये हैं, उनसे यह प्रकट नहीं होता है कि लेबर गवर्नमेंट की नीयत ठीक नहीं है। यदि मुसलमान किसी ऐसी शर्त पर अड़ते हैं कि जिसका जिक्र १६ मई के बयान में नहीं है, तो जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है, हमें इस पर सहमत नहीं होना चाहिये। हमें यह स्थिति स्वीकार नहीं है कि किसी पार्टी की हठधर्मी से हमारा काम असफल हो। हम उसकी सभी उचित मांगों पर विचार करने के लिये तैयार हैं; लेकिन हम किसी भी सूरत में इस पर राजी नहीं हो सकते कि वह इस असेम्बली के भाग्य का निर्णय करे। यदि दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो हम ब्रिटिश सरकार को मि० एटली के इस वायदे की याद दिलाने के लिये तैयार हैं कि अल्पसंख्यकों को देश की उन्नति रोकने का अधिकार नहीं होगा। भारत-मंत्री ने भी इस वादे को दुहराया है। इसलिये हमें इसका भय न होना चाहिये कि १६ मई के बयान के पैराग्राफ १९ की व्याख्या के सम्बन्ध में समझौता होने के बाद भी यदि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि इस असेम्बली में नहीं आते, तो उन्हें अपनी हठधर्मी से इस असेम्बली का काम रोकने दिया जायगा। श्रीमान्, इन कारणों से जो संशोधन पेश किया गया है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। लेकिन मेरे समर्थन से यह न समझा जाय कि मैं १६ मई के बयान के उस वाक्यखंड से सहमत हूं जिसमें समूहबन्दी का उल्लेख है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों किसी प्रांत को किसी समूह में जाने के लिये मजबूर किया जाय। मेरी राय में विशेषतः आसाम को इसके लिये मजबूर करना कि वह बंगाल के साथ मिलकर एक ही सरकार बनाये, चाहे वह किसी भी काम के लिये हो, किसी प्रकार भी ठीक नहीं कहा जासकता। नोआखाली में जो कुछ हुआ और उसके फलस्वरूप बिहार में हाल में जो शोचनीय घटनायें घटित हुईं, उनको देखते हुए आसाम के लोगों को और भी अधिक भय हो गया है और यह स्वाभाविक ही है। लेकिन समूहबन्दी, जैसा कि मंत्रिमंडल उस दिन से ही कहता रहा जब कि उन्होंने अपना बयान निकाला, उनकी योजना का आवश्यक अंग है। वे कहते हैं कि इस बारे में समझौता हुए बिना इस असेम्बली को वह नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जो अन्यथा इस प्रकार की सभा को होना हमारी दृष्टि में यह संतोषजनक स्थिति नहीं है. लेकिन बाद को जब सेक्शन-कमेटियों की रिपोर्ट हमारे सामने आ जायेंगी,

तो हम उन प्रांतों के विषय में विचार कर सकेंगे, जो अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी समूह के मेम्बर होने के लिये मजबूर किये जायं। श्रीमान्, मैं पूरे जोर से कहना चाहता हूँ कि ब्रिटिश सरकार का इस बात पर अड़ना कि ऐसे प्रांत भी समूहों में जाने के लिये मजबूर किये जायं, जो उनमें नहीं जाना चाहते हैं, बिल्कुल अनुचित है। परन्तु जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि सेक्शन-कमेटियां और बाद में संघ की विधान-परिषद जिस रूप में विधान को हमारे सामने रक्खेगी, उस पर विचार करने के लिये हमारे पास काफी समय होगा।

इस समय श्रीमान्, हमें सिर्फ इस प्रश्न पर विचार करना है कि आया इस प्रस्ताव पर तुरन्त ही बहस शुरू कर दी जाय, या उसे स्थगित करने से कोई हानि तो नहीं होगी। मैंने यह बताया है कि यदि हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न की बहस में सम्मिलित होने के लिये मुस्लिम लीग और रियासतों के प्रतिनिधियों के लिये रुक जायं, तो उससे कुछ भी हानि नहीं होगी। यदि हम इस प्रस्ताव को पास भी करदें, तो बाद में इन प्रतिनिधियों के यह कहने पर कि इस प्रस्ताव के पास करने से जिन बुनियादी प्रश्नों का असेम्बली ने समर्थन कर दिया है, उन पर फिर विचार होना चाहिए। क्या हममें उनसे यह कहने के लिये नैतिक बल होगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते ? श्रीमान्, मुझे विश्वास है कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तो मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिये हमारा हृदय समर्थ न होगा।

श्रीमान्, मैं एक ही शब्द और कहूंगा। हिन्दुस्तान में और इङ्गलैंड में दोनों जगह हमारे रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां हैं। अब भी लार्ड लिनलिथगो जैसे लोग मौजूद हैं, जिनका विचार है कि ब्रिटिश अधिकार का हिन्दुस्तान में फिर प्रयोग किया जा सकता है। उनको एक भ्रम हो गया है, जो बहुत खतरनाक है। यदि इङ्गलैंड का पथ-प्रदर्शन ऐसे लोग करें, तो वहां ऐसी गम्भीर स्थिति पैदा हो जायगी जैसी कि पिछले २५ वर्षों में कभी भी पैदा नहीं हुई थी। कुछ समय तक वह भले ही हिन्दुस्तान को बलपूर्वक दबाये रहें, लेकिन वह यहां एक दिन के लिये भी शासन नहीं कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि लेबर गवर्नमेंट इसको समझती है और वह इसके लिये तैयार नहीं है कि वह मि० चर्चिल और लार्ड लिनलिथगो ऐसे लोगों की और लार्ड साइमन ऐसे लोगों की भी सलाह माने, जो वास्तव में कंजर्वेटिव हैं लेकिन उन्होंने लिबरलों का वेष रख लिया है। फिर भी श्रीमान्, हमारे सामने जो आंतरिक

[माननीय पंडित हृदयनाथ कुंजरू]

और बाह्य कठिनाइयां हैं और जिनको हमें दूर करना है, उन्हें देखते हुए हमें समझ-बूझकर इस तरह काम करना चाहिये कि इस सभा का नैतिक मान बढ़े। इस देश में ही नहीं, बल्कि इंगलैंड में भी हमारे बहुत से मित्र हैं। हमें इस तरह काम शुरू करना चाहिये जिससे उनका बल बढ़े। हमें यह सोचना नहीं चाहिये कि १६ मई के बयान की शर्तों के आधीन हमें क्या करने का अधिकार है। हमें यह सोचना चाहिये की इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें कौन से ऐसे काम करने चाहिये जो हमारे हित में हों। हम यह सोच सकते हैं कि हमें पं० जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव पास करने का पूरा अधिकार है, लेकिन यदि अपने अधिकारों को प्रयोग में लाने से असंतोष और अशांति ही बढ़े, जिसका अंत करना हमारा उद्देश्य है, तो उनको प्रयोग में लाने से क्या फ़ायदा ? इसलिये श्रीमान, मैं आशा करता हूँ कि हम इस तरह काम करेंगे कि हिन्दुस्तान, सभी वर्गों के लोगों की सम्मति से और यदि दुर्भाग्य से यह सम्भव न हो, तो उन सब लोगों की सम्मति से जो यह स्वीकार करते हैं कि इस देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर होने का अधिकार है, तेजी से उस लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, जिसको हमने अपने सामने रक्खा है—यानी स्वतंत्रता और एकता की ओर। (हर्ष ध्वनि)

*माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर (मद्रास : जनरल): सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये आगे बढ़ा हूं और कहूंगा कि मैं इसलिए आगे बढ़ा हूं कि मैं अपनी पूरी ताक़त से इसका अनुरोध करूँ कि इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद इन्हीं बैठकों में खत्म हो जाना चाहिए। (हर्ष ध्वनि) श्रीमान्, मैं डा० जयकर और पं० कुँजरू का बहुत आदर करता हूँ। उन्होंने इस संशोधन पर कि जब तक मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित न हो जायं, इस बहस को स्थगित कर देना चाहिये। जो कुछ कहा है, उस पर मैंने बड़ी सावधानी से विचार किया है। इस बहस के स्थगित करने के प्रस्ताव के खिलाफ मेरी एक ही शिकायत है। श्रीमान्, मेरी राय में इसमें कल्पना का अभाव है। मैं यह अपने मित्रों का अनादर करने के लिये नहीं कह रहा हूँ। इसमें कल्पना का अभाव है यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि इसमें इसकी उपेक्षा है कि हमने इस समय एक महान कार्य का बीड़ा उठाया है और यह आवश्यक है कि हम अपने देश को और संसार को यह समझा दें कि हम वास्तव में कुछ काम कर दिखाना चाहते हैं।

अब श्रीमान्, मुख्य प्रस्ताव को देखिये, यह उन उद्देश्यों की ओर संकेत करता है, जिनको विधान बनाते समय हमें अपने सामने रखना है। क्या इस तरह का प्रस्ताव तब तक स्थगित कर दिया जाय जब तक कि हम असेम्बली का काम लगभग पूरा ही न कर लें ? मेरे विचार में श्रीमान्, बहस स्थगित करने के प्रस्ताव का यही पूरा-पूरा जवाब है। इस संशोधन के प्रस्तावक व समर्थकों ने मुख्य प्रस्ताव पर बहस स्थगित करने के लिये कारण बताये हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि प्रस्ताव में कोई भी ऐसी बात नहीं है, जिससे वे सहमत नहीं हैं। श्रीमान्, मैं उनसे अपील करता हूं कि यदि उनका इस प्रस्ताव पर विश्वास है, तो उनको इसे इस सभा का असली काम शुरू होने के पहले इन्हीं बैठकों में पास कर देना चाहिये और उसे उस समय के लिये स्थगित न करना चाहिये जब कि हम सब कुछ काम खत्म कर चुकेंगे। मैं जानता हूं कि डा० जयकर ने अपने भाषण के अंत में यह सुझाव पेश किया कि इस प्रस्ताव पर बहस लगभग एक महीने के लिये स्थगित कर दी जाय, क्योंकि उनका विचार है कि उस समय तक मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि हमारे साथ सम्मिलित हो जायेंगे। लेकिन देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के बारे में हमें क्या कहना है ? देशी रियासतों के प्रतिनिधि शुरू में इस असेम्बली में नहीं आये हैं। यद्यपि इसका दोष इस असेम्बली पर नहीं है और मैं समझता हूं कि उन्हें यहां आने का हक है। लेकिन यहां का कार्यक्रम इस तरह रक्खा गया है कि वे विधान-परिषद् की आखिरी बैठकों में ही आ सकते हैं। क्या हम उनके लिये रुके रहें ? वास्तव में इस सभा के बाहर इस प्रस्ताव पर जिन लोगों ने सब से अधिक आपत्ति की है, वह देशी रियासतों के प्रतिनिधि ही हैं।

अब जहां तक मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों का सम्बन्ध है, क्या इस प्रस्ताव पर विचार करके हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं ? हम इस समय जो कुछ कर रहे हैं, उस पर उनको सिर्फ यह एतराज है कि समूहबन्दी के वाक्यखंड की उन्होंने दूसरी व्याख्या की है। लेकिन हम इस समय समूहबन्दी पर बहस नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं जो यह बतलाता है कि हमारे कार्य का उद्देश्य क्या है। इस विषय के बारे में उनको यह हक है कि वे इस बहस में शरीक हों। यहां आने में और अपनी जगहों में बैठने में और अपना महत्वपूर्ण काम करने के पहले शुरू की बातों पर हमारे साथ बहस करने में उनको क्या आपत्ति है ? जब यह असेम्बली अपनी पहली बैठक खत्म करके सेक्शनों में विभाजित होने का प्रस्ताव करेगी उसी समय वे अपनी मुख्य आपत्ति इस सभा

[माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर]
के सामने रख सकते हैं और श्रीमान्, जैसा कि मैं एक क्षण में बताऊँगा, वे उस समय चाहे जो सवाल भी उठाना चाहें उन्हें उठा सकते हैं। (वाह-वाह)

अब श्रीमान्, इस महीने की ६ तारीख को श्रीमान् सम्राट की सरकार ने जो बयान दिया है, उससे समूहबन्दी का प्रश्न एक नये स्तर पर पहुँच गया है, लेकिन मैं उनके बयान के औचित्य पर विचार नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यह कहूंगा कि जब वाद-विवाद इस हद तक पहुँच गया है, तो यह बड़े आश्चर्य की बात है कि श्रीमान् सम्राट की सरकार के ऐसे प्रतिष्ठित अधिकारियों ने इस तरह का बयान दिया है। वह बयान चाहे जैसा भी हो, मैं उसके औचित्य पर विचार नहीं करना चाहता। अब हमें यह देखना है कि उस बयान से हम किस नतीजे पर पहुँचते हैं। श्रीमान्, सम्राट की सरकार ने कहा है कि मंत्रिमंडल की योजना की उनकी व्याख्या और मुस्लिम लीग की व्याख्या में अंतर नहीं है। लेकिन उनका कहना है—"चूंकि आप इस सम्बंध में सहमत हैं कि यह मामला फेडरल कोर्ट के सामने रक्खा जाय या चूँकि आप कहते हैं कि विधान-परिषद् उसे फेडरल कोर्ट के सामने रक्खेगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं"। इसके अलावा लार्ड पेथिक लारेंस ने कल जो बयान दिया, उसमें उन्होंने इस विषय को सीमित कर दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि "यदि फेडरल कोर्ट से भी अपील करें तो भी श्रीमान्, सम्राट की सरकार अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हटेगी"। अब श्रीमान्, स्थिति क्या है? अगर हम फेडरल कोर्ट के सामने इस मामले को रखते हैं और वह अपना फैसला कांग्रेस के पक्ष में देती है, तो मुस्लिम लीग ने निश्चित रूप से यह कह दिया है कि वह उसे मान्य नहीं होगा। श्रीमान् सम्राट की सरकार कहती है कि इस सम्बंध में उनकी जो धारणा है उसे वे बिल्कुल भी बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। निस्सन्देह मेरी राय में श्रीमान् सम्राट की सरकार के अधिकार में यह नहीं है कि वह फेडरल कोर्ट के निर्णय को माने या न माने। यह बात उनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। विधान-परिषद् यदि इस मामले को फेडरल कोर्ट के सामने रक्खे, तो ऐसा करने के पहले यह उसी के अधिकार में है कि वह कहे कि फेडरल कोर्ट का निर्णय उसको मान्य होगा। तब क्या होगा? यदि हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि फेडरल कोर्ट की राय वही होती है जो कि श्रीमान् सम्राट की सरकार का मत है, तो उन लोगों की स्थिति क्या होगी जिनका उससे भिन्न मत है? उन्होंने अलग-अलग प्रांतों को और जातियों को जो वचन दिये हैं, उनको देखते हुए वे सिर्फ यही कर सकते हैं कि इस असेम्बली से कहें कि पैराग्राफ १९ को इस प्रकार

संशोधित किया जाय कि उसमें उनका मत अधिक स्पष्ट रूप में प्रकट हो जाय। जैसा लार्डस-सभा में भारतमंत्री ने कहा है कि सबसे अधिक कठिनाई यह तय करने में पड़ेगी कि सेक्शनों में किस तरह वोट ली जाय। यदि पैराग्राफ १६ (५) को उसी तरह रहने दिया जाय, तो इस पर अवश्य विवाद हो सकता है कि उस वाक्य-खंड के शब्दों में संशोधन न होने पर व्यक्तिगत रूप से वोट ली जाय और किसी प्रश्न का निर्णय सीधे-सीधे बहुमत से हो। यह निस्संदेह एक विवादग्रस्त विषय है। यदि हम चाहें कि प्रांतों के आधार पर वोट ली जाय, तो यह आवश्यक है कि हम उस वाक्यखंड में संशोधन करें और मेरे विचार में यह असेम्बली इस संम्बन्ध में प्रस्ताव पेश करके इस प्रकार का संशोधन कर सकती है। क्या हम ऐसा करने जा रहे हैं ? मेरी राय में श्रीमान्, सम्राट की सरकार ने ६ दिसम्बर के बयान में जो कुछ कहा है और पार्लियामेंट की सभाओं में उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया है, और जो नई स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसे देखते हुए समझदारी की बात यही है कि इस मामले को फेडरल कोर्ट के सामने न रक्खा जाय, बल्कि एक दूसरी राह ली जाय, जिसकी ओर मैंने इशारा किया है; यानी इस विधान-परिषद् में वाक्यखंड १६ (५) में संशोधन करने के लिये इस आशय का एक प्रस्ताव पेश किया जाय कि सेक्शनों में जहां तक समूहबन्दी का सम्बन्ध है, वोट प्रांतों के आधार पर ली जाय।

*श्री धीरेन्द्र नाथ दत्त : कृपा करके ऐसे प्रार्थना के प्रस्ताव हमारे सामने न रखिये।

*माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर : जिस प्रस्ताव के बारे में मैंने राय दी है, वह इस असेम्बली में पेश किया जायगा और हम उस पर निर्णय करेंगे। यह सम्भव है और इस पर मेरे विचार में विवाद हो सकता है कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि यहां आयें और यह कहें कि इस संशोधन से एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न उठ खड़ा होता है। श्रीमान्, यदि आप यह निर्णय करें कि वह एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न है, या फेडरल कोर्ट की राय लेने के बाद आप यह तय करें कि इससे एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न पैदा हो जाता है, तो मुस्लिम लीग को यह कहने की स्वतंत्रता होगी कि दो मुख्य जातियों के बहुमत के बिना आप यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैं पूछता हूं कि हम ऐसा क्यों नहीं करें ? हम इस असेम्बली की एक स्थगित बैठक में यानी जनवरी तक इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे

[माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर]

और इस असेम्बली के सभी मेम्बरों को—उनको भी जिन्होंने अपने परिचय-पत्र नहीं दिये हैं और रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं किये हैं—यानी मुस्लिम लीग के मेम्बरों को उचित रूप से सूचित करेंगे कि हम इस आशय का एक प्रस्ताव पेश करेंगे और उस पर विचार करेंगे। इससे उनको इसके लिये पर्याप्त संकेत मिल जायगा कि वे इस असेम्बली में अपनी जगहों पर आयें और यदि वे दूसरे पक्ष के प्रस्ताव को अनुचित समझें तो उसका विरोध करके उसको रद्द कर दें। मेरा यह सुझाव है और यह उन लोगों के लिये है जिन्होंने इस सम्बन्ध में निर्णय करना है। फेडरल कोर्ट के सामने इस मामले को लेजाना बिलकुल बेकार है और जहां तक मैं समझता हूं इससे हमारी कोई भी कठिनाइयां दूर नहीं होंगी।

अब जहां तक इस प्रस्ताव पर बहस स्थगित करने का सम्बन्ध है, मैं उस कानूनी पहलू से इस पर विचार नहीं करना चाहता, जिसका जिक्र मेरे माननीय मित्र डा० जयकर ने अपने भाषण में किया है। मैं उन दूसरी आलोचनाओं पर अपना मत प्रकट करूँगा, जो इस सभा में की गई हैं। इसके पहले मैं राय देना चाहता हूँ कि १६ मई के बयान की व्याख्या पर विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हम किसी प्रांतीय कानून के आधीन या प्रांतीय धारा-सभाओं के मेम्बरों की हैसियत से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं; या पार्लियामेंट के किसी कानून के आधीन केन्द्रीय धारा सभा के मेम्बरों की हैसियत से काम नहीं कर रहे हैं। हम एक विधान-परिषद् में काम कर रहे हैं और यदि उस पत्र में जिसके आधीन हम यहां एकत्रित हुए हैं, कुछ बातें नहीं कही गई हैं, तो उनके सम्बन्ध में हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। हमने जिस कार्य का बीड़ा उठाया है, उसको पूरा करने के लिये हमें पूरे अवशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं। (वाह वाह) इसको ध्यान में रखते हुए हमें इस बयान के विशेष वाक्य-खंडों को आंख गड़ाकर नहीं देखना चाहिये और यह नहीं कहना चाहिये—"इस वाक्यखंड में यह नहीं कहा गया है और उस वाक्यखंड में यह नहीं कहा गया है और इसलिए जो बातें इन वाक्यखंडों में नहीं कही गई हैं, उन्हें हम नहीं कर सकते"। मेरे विचार में जो कुछ भी नहीं कहा गया है और हमारा काम पूरा करने के लिये जरूरी है, उसे तय करना हमारे अधिकार में है।

इस प्रस्ताव पर विचार करने के विरोध में जो दूसरी कानूनी बातें उठाई गई

हैं, उनको मैं उन लोगों के लिये छोड़ देता हूं, जिनको इस विषय में अधिक अधिकार है। मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा समय रह गया है, उसमें मैं उन आपत्तियों पर बोलना चाहता हूं, जो रियासतों के बारे में की गई हैं। नरेन्द्र मंडल की तरफ से सिर्फ तीन मुख्य आपत्तियां लोगों के सामने रक्खी गई हैं। पहली यह है कि चूंकि रियासतों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में प्रस्ताव पर विचार होगा और वह पास किया जायगा, इसलिये वह आपत्तिजनक है। श्रीमान्, इस पर मैं अपना मत प्रकट कर चुका हूं। दूसरी आपत्ति यह है कि "स्वतंत्र सार्वभौम-सत्ता-सम्पन्न रिपब्लिक" शब्दों का प्रयोग हुआ है। मैं इस विषय में बोल कर आपका समय नहीं लेना चाहता। क्योंकि इस पर दूसरे वक्ता बोल चुके हैं। वाक्य खण्ड (४) के विरुद्ध जो तीसरी आपत्ति की गई है, उस पर मैं कुछ अधिक विस्तार से बोलना चाहता हूं। इस वाक्यखण्ड में कहा गया है :—

> "जिसमें सार्वभौम-सत्ता-सम्पन्न स्वतंत्र भारत, उसके भूभागों और सरकारी साधनों को सारी शक्ति और अधिकार लोगों से प्राप्त होंगे।"

एक प्रतिष्ठित भारतीय ने, जिन्हें मेरे विचार में देशी रियासतों के नरेशों, कम से कम कुछ रियासतों के नरेशों की तरफ़ से बोलने का अधिकार है, अपने एक बयान में इस पर आपत्ति की है। वे कहते हैं :—

> "इस प्रकार का सिद्धांत मान्य हो या न हो, लेकिन भारतीय भारत में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह मान्य है। विशेषतः जब हम इसका स्मरण करते हैं कि इङ्गलैंड में भी, जहां तक कानून के सिद्धांत का सम्बन्ध है, वहां भी यह सिद्धांत निश्चित रूप से प्रयोग में नहीं आता।"

कानून के सिद्धांत की दृष्टि से मैं इस सिद्धांत को कसौटी पर नहीं रखना चाहता। मैं केवल उसके वैधानिक पहलुओं पर विचार करूँगा। इङ्गलैंड में यह निश्चय ही अविवाद है कि यद्यपि परम्परा से जो सम्राट होता है, वही सारे राज्य का अध्यक्ष होता है और कानून की दृष्टि से सारी शक्ति उसीसे प्राप्त होती है, मगर वास्तविक शक्ति और अधिकार लोगों से ही प्राप्त होते हैं।

अब देशी रियासतों में क्या स्थिति है? मैं केवल दो ऐसे दस्तावेजों से उद्धरण दूंगा, जिनको दो प्रमुख रियासतों में स्थापित की हुई कमेटियों ने

[माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर]

प्रामाणिक बताया है। पहला एक ऐसे दस्तावेज से है जो लगभग २५ वर्ष पहले मैसूर में प्रकाशित किया गया था। वहां की सुधार की रिपोर्ट में यह कहा गया है :—

"ऐसे विधान में किसी राज्य के अध्यक्ष को, चाहे वह परम्परा से राजपद पर आरूढ़ हुआ हो या लोगों द्वारा सभापति निर्वाचित किया गया हो, लोगों की सार्वभौम-सत्ता का प्रतिनिधित्व करने के नाते दो अधिकार प्राप्त हैं; यानी कानून के क्षेत्र में उसे समर्थन करने का अधिकार है, जिसमें कानून को रोक लेने का अधिकार भी शामिल है, और शासन-प्रबन्ध के क्षेत्र में सरकार के संचालकों यानी मंत्रिमण्डल को पदारूढ़ करने या पदच्युत करने का अधिकार है। ये दोनों अधिकार किसी उत्तरदायी सरकार के आधीन सीमित राजतंत्र के वैधानिक अध्यक्ष के अधिकारों की तुलना में अधिक ही नहीं है, बल्कि उनके वास्तविक रूपमें प्रयोग में लाये जाते हैं।"

अब मैं हैदराबाद की एक सुधार कमेटी की रिपोर्ट से उद्धरण देता हूँ :—

"इङ्गलैंड का विधान वहां के दीर्घकालीन इतिहास की देन है और वहां के राजा और पार्लियामेंट के बीच कई शताब्दियों तक घोर संघर्ष चलने पर उसका निर्माण हुआ है। वहां दो दलों की प्रणाली, जिसको वहां के लोगों की समझौते की भावना और उनकी सार्वभौम-सत्ता की भावना ने बनाये रक्खा है, घर कर गई है। लेकिन देशी रियासतों की विलक्षणता यह है कि राज्य का अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से लोगों का प्रत्यक्षतया प्रतिनिधित्व करता है और इसलिये उनसे उसका सम्बन्ध चुने हुए अस्थायी प्रतिनिधियों की तुलना में अधिक, प्राकृतिक और स्थायी होता है। वह राज्य का सर्वोच्च अधिकारी ही नहीं होता, बल्कि लोगों की सार्वभौम-सत्ता का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिये ऐसे विधान में राज्य के अध्यक्ष को किसी कानून का समर्थन करने या उसे रोक लेने का ही अधिकार प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे अपनी प्रबन्धकारिणी को बनाने या उसे खत्म करने या

लोगों की आवश्यकता के अनुसार सरकार के संचालन में रद्दोबदल करने का भी विशेषाधिकार प्राप्त होता है।"

देशी रियासतों में सार्वभौम-सत्ता कहां स्थित है? इस सम्बन्ध में ये दो विचार-धाराएं एक समान हैं। परम्परा से जो राजा होता है, उसके बारे में यह समझा जाता है कि उसे लोगों की सार्वभौम-सत्ता प्राप्त है। व्यवहार में यह देखा गया है कि वह कई सूरतों में सार्वभौम-सत्ता के अधिकारों को प्रयोग में लाने में लोगों के हितों की उपेक्षा करता है।

मंत्रिमंडल ने कहा था कि जब विधान-परिषद् अपना काम समाप्त कर लेगी और हिन्दुस्तान के लिये एक विधान बन जायगा तो श्रीमान् सम्राट की सरकार पार्लियामेंट से यह सिफारिश करेगी कि हिन्दुस्तान के लोगों को सर्वोच्च अधिकार सौंपने के लिये जो कार्यवाही भी जरूरी हो, की जाय। वर्त्तमान दशा में भी ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों का एक ही केन्द्र है, जिसको ऐसे विषय दिये गये हैं, जो चाहे एक सत्ता हो या संघसत्ता, केन्द्र के ही विषय होंगे। मोटे तौर पर भारत की सार्वभौम-सत्ता-सम्बन्धी अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट सन् १९३५ ई० के आदेशों के आधीन श्रीमान् सम्राट को प्राप्त हैं। ये अधिकार ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों में भी प्रयोग में लाये जा सकते हैं, यद्यपि इनकी सीमा और इनको प्रयोग में लाने का तरीका दोनों जगह भिन्न-भिन्न है। इसलिये इस देश में ब्रिटेन को जो सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं, उनको सौंपने का सम्बन्ध सारे भारत से है। इसलिये जब मंत्रिमंडल ने हिन्दुस्तान के लोगों को अधिकार सौंपने की बात कही, तो उनके ध्यान में देशी रियासतों के लोग भी होंगे। (वाह वाह) इसलिये मंत्रिमंडल के इस वक्तव्य से कि अंग्रेजी सत्ता के हटने पर रियासतें स्वतंत्र हो जायेंगी, यह समझना चाहिए कि देशी रियासतों में श्रीमान् सम्राट को जो सार्वभौम अधिकार प्राप्त हैं, वे उन रियासतों के लोगों को सौंप दिये जायेंगे।

इस सम्बन्ध में ध्यान देने की बात यह है कि रियासतों की संधियों और सर्वोच्च अधिकारों के मेमोरेंडम, २० मई सन् १९४६ ई० के पैराग्राफ ५ में, जिसमें सर्वोच्च अधिकारों को खत्म करने का उल्लेख है, सब जगह सिर्फ देशी रियासतों के बारे में कहा गया है और केवल शासकों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। लेकिन रियासतों के शासकों का इस समय तक यही दावा रहा है कि रियासतों में उनके

[माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर]

सार्वभौम अधिकार हैं, सिवाय इसके कि वे ब्रिटिश सम्राट की सर्वोच्च सत्ता द्वारा सीमित कर दिये गये हैं। राजनैतिक दृष्टि से उनको ये सीमाएं स्वीकार ही करनी पड़ीं। ब्रिटिश सम्राट की सर्वोच्च सत्ता का अर्थ है, एक-सत्ता। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि कुछ मामलों में ब्रिटिश सम्राट के सर्वोच्च और अंतिम अधिकार होंगे। यह दावा करते समय रियासतों के शासकों ने बराबर इसकी उपेक्षा की है कि वहां के लोगों के भी सर्वोच्च अधिकार हैं। जिस परिधि में उन्होंने अपने सर्वोच्च अधिकार माने हैं, उसमें उनका दावा है कि उनके कानून बनाने व विधान बनाने के भी अधिकार हैं और यदि कुछ रियासतों के लोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा कुछ वैधानिक अधिकारों को प्रयोग में लाते हैं, तो वे उनको उनके शासकों ने उपहार के रूप में दिये हैं।

अब रियासतों के शासकों और वहां के लोगों के बीच के ये सम्बन्ध उस विचारधारा के अनुरूप नहीं हैं, जो एक ऐसी विधान-परिषद के विधान-निर्माण में निहित है जो कि लोगों के प्रतिनिधियों की सभा है और वह भी चूंकि यह समझा गया है कि लोगों को ही विधान बनाने का अधिकार है। जब श्रीमान् सम्राट भारतीयों को अधिकार सौंपेंगे, तो रियासतों के लोग तथा-कथित ब्रिटिश भारत के लोगों के साथ उन अधिकारों को प्रयोग में ला सकेंगे, जो अखिल भारतीय संघ-सरकार के कर्त्तव्यों के बारे में होंगे। प्रांतों के जो कर्त्तव्य होंगे, उनके सम्बन्ध में सर्वोच्च अधिकार प्रांतों के प्रतिनिधियों के और समूहों में यदि कोई लोग हों तो उन लोगों के होंगे जिनको कि प्रांतों ने अपने कर्त्तव्य सौंपे हों; यह काफी स्पष्ट है।

जिस प्रस्ताव पर इस समय विचार हो रहा है, उसके अनुसार केन्द्र को जो अधिकार नहीं सौंपे गये हैं, उनके सम्बन्ध में देशी रियासतों का वही स्थान होगा, जो प्रांतीय अधिकारों के सम्बन्ध में प्रांतों का होगा; यानी वह इस पर जोर देता है कि सार्वभौम-सत्ता-सम्पन्न स्वतंत्र भारत के भूभाग होने के नाते देशी रियासतों को सारी शक्ति और अधिकार अपने यहां के लोगों से प्राप्त हैं, जैसे कि प्रांतों में यह शक्ति और अधिकार प्रांतों के लोगों से प्राप्त हैं। यदि देशी रियासतों में संघ के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में अधिकार वहां के लोगों को दिये जायं और रियासतों के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में अधिकार वहां के शासकों को दिये जायं

तो यह बहुत ही अनियमित कार्यवाही होगी। विधान-परिषद् जब हिन्दुस्तान के लिये एक संघ-विधान बनायेगी, तो यह आवश्यक होगा कि जिन रियासतों के लिखित विधान हैं, उन्हें दुहराया जाय और यही प्रान्तों के विधानों के सम्बन्ध में करना होगा और जिन रियासतों के लिखित विधान नहीं हैं, उनके लिए नये विधान बनाने होंगे। यह सम्भव है कि इस काम को इस समय स्थगित कर दिया जाय और संघ-विधान में इसके लिये आदेश रख दिये जायँ कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायगी।

यदि विधान-परिषद् के रियासतों के प्रतिनिधि इससे सहमत हों, तो संघ-विधान में इसका आश्वासन दिया जा सकता है कि रियासतों की प्रादेशिक सीमायें वही रहेंगी, जो इस समय हैं: मगर शर्त्त यह है कि बाद को नियत तरीके से और रियासतों और दूसरे सम्बन्धित क्षेत्रों की सम्मति से उनकी सीमाओं में कोई परिवर्त्तन न किया जाय। किसी रियासत के विधान में, जिसे कि वहां के लोग अपने शासक से मिलकर बनायेंगे, रियासत के अध्यक्ष के सम्बन्ध में यह आदेश रक्खा जा सकता है कि वह उसी वंश का होगा, जिसे इस समय रियासत में राज्याधिकार है, और उसे परम्परागत उत्तराधिकार प्राप्त होगा और संघ-विधान में यह आदेश रक्खा जा सकता है कि यदि किसी रियासत के विधान में इस तरह का आदेश हो, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जायगा। यद्यपि यह शर्त्त रखना जरूरी होगा कि किसी रियासत के लिखित विधान के दुहराने में या उसके लिए एक नया विधान बनाने में उसका उत्तराधिकार प्राप्त अध्यक्ष वैधानिक नरेश होगा, या निकट भविष्य में हो जायेगा, और वह एक ऐसी प्रबन्ध-कारिणी की अध्यक्षता करेगा, जो कि धारासभा के प्रति उत्तरदायी होगी और उस धारासभा के मेम्बर प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के अनुसार चुने जायेंगे।

अब श्रीमान्, प्रस्ताव के वाक्यखंड ४ के आदेशों पर जोर देने के लिये मैं सिर्फ एक बात और कहूंगा। कुछ रियासतों के लिखित विधानोंमें लगभग सभी में यह व्यवस्था है कि रियासत के सभी भूभागों की सरकार के अधिकार शासक के अधिकार हैं और वही उनका उन आदेशों के आधीन प्रयोग कर सकता है, जो शासक की आज्ञा से ही विधान में रक्खे गये हैं। शासकों के असीम सार्वभौम अधिकारों पर जोर डालने के लिये इन विधानों में यह आदेश भी है कि बिना विधान ऐक्ट या किसी दूसरे ऐक्ट के आशय के विपरीत जाते हुए कानून, प्रबन्ध

[माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर]

और न्याय सम्बन्धी सब अधिकार शासक के हैं और हमेशा से रहे हैं और इस ऐक्ट के किसी आदेश से शासक के अपनी सत्ता से कानून बनाने, घोषणा करने, आज्ञा देने और नियम बनाने के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ऐसा समझा जायगा। रियासतों के विधानों में इस तरह के आदेश सर्व-सत्ता-सम्पन्न एकतंत्र के भग्नावशेष हैं और यह आवश्यक है कि उनको निकाल दिया जाय, और उनकी जगह इस आशय का आदेश रक्खा जाय कि सरकार के सब अधिकारों के सम्बन्ध में, चाहे वे कानून और प्रबन्ध के बारे में हों या न्याय के बारे में, यह समझा जायगा कि वे लोगों से प्राप्त हैं और यह कि वे रियासत के ऐसे संचालकों द्वारा, जिनमें परम्परागत शासक भी सम्मिलित है, प्रयोग में लाए जायेंगे, जिनका लिखित विधान में उल्लेख होगा और वे उसी सीमा तक प्रयोग में लाए जायेंगे, जहां तक कि उस विधान में इस सम्बन्ध में व्यवस्था हो।

श्रीमान, मैं समझता हूं कि मैं अपना समय खत्म कर चुका हूं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता ; लेकिन मुझे आशा है कि मैं यह दिखा सका हूं कि इस प्रस्ताव के वाक्यखंड ४ में रियासतों को शामिल करना कितना आवश्यक है। यह सच है कि जब तक इस असेम्बली में रियासतों के लोगों के प्रतिनिधि न आयें, वे वास्तव में यहां के काम में हाथ नहीं बटा सकते और अपनी रियासतों के लिए व भारतीय संघ के लिए भी विधान बनाने में मदद नहीं दे सकते।

*सभापति : सवा बज चुका है। यह सभा अब कल सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित रहेगी।

इसके बाद असेम्बली की बैठक बृहस्पतिवार, १९ दिसम्बर, सन् १९४६ ई० के ग्यारह बजे सुबह तक के लिए स्थगित रही।

———०———

अंक १
संख्या ६

बृहस्पतिवार
१९ दिसम्बर
सन् १९४६ ई०

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

—:०:—

विषय-सूची

(मूल्य ४ आने)

भारतीय विधान-परिषद्

बृहस्पतिवार, ता० १९ दिसम्बर सन् १९४६ ई०

माननीय डा० राजेन्द्रप्रसादजी की अध्यक्षता में काँस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में दिन के ग्यारह बजे भारतीय विधान-परिषद् की बैठक हुई।

कार्यक्रम

* **सभापति :** कल मैंने सदस्यों से यह कहा था कि आज प्रातः काल परिषद् के कार्यक्रम के सम्बन्ध में मैं कुछ निश्चय दे सकूंगा। मैं इस विषय पर विचार करता रहा हूं और कुछ सदस्य मुझसे इस सम्बन्ध में मिले भी हैं। जिस कार्य को हमें करना है वह यह है। हमारे सामने यह प्रस्ताव है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। हमें नियम भी स्वीकृत करने हैं। विवादास्पद विषयों की व्याख्या के लिये फेडरल कोर्ट का एक और प्रश्न है, जिस पर परिषद को अपना मत प्रगट करना है। अन्त में हमें कुछ समितियों का चुनाव करना है, जो नियम के अन्तर्गत होंगी। इस प्रकार ये चार बातें हैं, जिनको इस अधिवेशन में घर जाने से पहिले हमें पूरा करना है।

नियमों पर लगभग विचार किया जा चुका है और उनको अन्तिम रूप दिया जा रहा है। मैं नियम-कमेटी के सामने उन नियमों को कल प्रातः काल रखने का प्रस्ताव करता हूं और यदि नियम-कमेटी से स्वीकृत होते हैं, तो वे परसों अर्थात् शनिवार को इस परिषद में उपस्थित किये जायंगे। यदि सदस्यों की ऐसी इच्छा हो तो फेडरल कोर्ट से सम्बन्धित स्पष्टीकरण के विषय को हम शनिवार को ले सकते हैं और इसके पश्चात् नियमों को। मेरा विचार है कि यह कार्य लगभग दो दिन लेगा, जो नियमों से आमन्त्रित संशोधनों की संख्या पर निर्भर है। इसके पश्चात् हम एक दिन कमेटियां नियुक्त करने के लिये दें। इस प्रकार यदि हम शनिवार, रविवार और सोमवार को कार्य करें और यदि सदस्योंमें आत्मनियन्त्रण की भावना हो और यथा सम्भव कम बोलें और कम समय लें तो सम्भव है कि हम इस कार्य को समाप्त कर सकें। यदि हम सोमवार तक समाप्त न कर सके तो हमें बड़े दिन के पश्चात् कार्य करना होगा अर्थात् इस माह की २५ तारीख के पश्चात् कुछ दिन लेने होंगे। २४, २५ और २६ तारीखों की सार्वजनिक छुट्टियां हैं और हम इन तीन दिनों तक नहीं बैठ सकते हैं। इस प्रकार हम फिर २७ और २८ को तर्क कर सकते हैं। २९ तारीख का रविवार है और ३० तारीख को गुरु गोविन्द सिंहजी के जन्म-दिन के उपलक्ष में सिखों

---

* इस चिन्ह का अर्थ है कि यह अंग्रेजी भाषण का हिन्दी रूपान्तर है।

[सभापति]

की छुट्टी है। अतः यदि रविवार को बैठने और शनिवार और सोमवार को अधिक परिश्रम करने को सदस्य तत्पर नहीं हैं, तो बड़े दिन के पूर्व इस कार्य को समाप्त करने की सम्भावना नहीं है। और मैं दूसरे माह के लिए जो कि दूसरे वर्ष में है, इस कार्य को ले जाना नहीं चाहता। मैं इसी माह में इस कार्य को समाप्त करना चाहता हूं। मैं इसलिये यह सुझाव रखता हूं कि हम इस कार्यक्रम का पालन करें। हम नियमों पर शनिवार को दोपहर बाद तर्क आरम्भ करें और यदि ईसाई सदस्यों को कोई आपत्ति न हो तो हम रविवार को भी बैठें, तब हम सोमवार को समस्त कार्य समाप्त कर सकेंगे। यदि आप २५ तारीख के पश्चात् नहीं बैठना चाहते हैं, तो किसी सीमा तक यह कार्य शीघ्रता से करना होगा; अन्यथा हमें २५ तारीख के पश्चात् तब तक बैठना होगा, जब तक कि कार्य समाप्त न हो। इस विषय में यह कठिनाई है जिसको मैंने सदस्यों के सामने उपस्थित किया है और मैं यह जानना चाहूंगा कि वे किसे पसन्द करते हैं। मैं स्वयं यदि सम्भव हो सके, तो सोमवार तक इस कार्य को समाप्त करना चाहूंगा।

***अनेक माननीय सदस्य :** यही उत्तम है।

***सभापति :** हम यह आशा करें कि सोमवार को हम कार्य समाप्त कर देंगे। सबसे पहले बड़े दिनों के सप्ताह में कार्य करना ईसाइयों के लिये कठिन होगा। मैं आशा करता हूं कि हम शनिवार, रविवार और सोमवार को बैठ सकेंगे और कार्य समाप्त कर सकेंगे, अन्यथा हमें बड़े दिन के सप्ताह में कार्य करना होगा।

***श्री एफ०आर०एन्थॉनी (बंगाल : जनरल) :** यह बिलकुल असम्भव है। मैं स्वयं जब तक सदस्य बैठें, बैठने को तैयार हूं, परन्तु २६ तारीख के बाद नहीं।

***माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू (यू० पी० : जनरल) :** मैं आप लोगों की सूचना के लिये, जिसमें कि परिषद का हित है, यह बतलाना चाहता हूँ कि युनाइटेड नेशन्स जनरल असेम्बली की कमेटियां और जनरल असेम्बली दोनों कार्य को शीघ्र समाप्त करने के लिये रविवार को भी बैठीं।

***सभापति :** आज हम केवल एक बजे तक बैठेंगे, जिससे कि नियम-कमेटी को कार्य करने का पूर्ण अवसर मिले और कल हम बिलकुल ही नहीं बैठेंगे। फिर हम शनिवार को प्रातःकाल बैठेंगे। मैं आशा करता हूं कि शुक्रवार के सायंकाल तक सदस्यों को नियम पहुंचाने में मैं समर्थ हो सकूंगा, अन्यथा शनिवार को प्रातःकाल तो वे अवश्य ही मिल जायेंगे और प्रातःकाल के अधिवेशन में हम फेडरल कोर्ट के प्रश्न को ले लेंगे और दोपहर बाद आप नियमों पर तर्क कर सकते हैं। यह कार्यक्रम अब निश्चित हुआ।

*श्री एफ़० आर० एन्थॉनी : मुझे भय है कि ईसाई सदस्यों को इस विषय में बहुत दुःख होगा। हम समस्त रविवार को कार्य करने के लिये तत्पर हैं और हम सोमवार को तो कार्य करेंगे ही। मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि हम लोग २७ और २८ को बड़े दिन और नई साल के बीच के दिनों में न बैठें। ईसाई सदस्यों को इस समय उपस्थित होना नितान्त असम्भव है। वर्ष में केवल यही समय है जब कि वे अपने परिवार के साथ रहने की तीव्र इच्छा रखते हैं, जो अत्यन्त आवश्यक है। हम समस्त रात्रि और रविवार को कार्य करने के लिये तत्पर हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि २७ तारीख और १ तारीख के बीच के दिनों में फिर अधिवेशन न हो।

*सभापति : मैं आशा करता हूं कि हम सोमवार के सायंकाल तक कार्य समाप्त कर सकेंगे।

*श्री एफ़० आर० एन्थॉनी : हमें रात्रि में अधिवेशन करना चाहिए।

*सभापति : यदि आवश्यक हुआ, तो हम करेंगे।

*श्री किरणशंकर राय (बंगाल : जनरल) : मेरा विचार है कि सदस्यों को नियमावली तर्क करने के दो या तीन दिन पूर्व मिल जानी चाहिये, जिससे कि वे नियमों पर विचार कर सकें। जब कि कमेटी ने नियम बनाने में इतना समय लिया है, तो इस प्रकार शीघ्रतापूर्वक उन नियमों पर विचार करना वास्तव में अनुचित होगा। यह बड़ी सुखद कल्पना होगी कि जब हम इस प्रस्ताव को तीन या चार दिन में पास न कर सके, तो नियमों को दो या तीन दिन में पास कर सकें। मेरा विचार है कि नियमों को पास करने में कम से कम एक सप्ताह लग जायेगा। मैं इसलिये यह सुझाव पेश करता हूँ कि आप नियमों पर विचार करने के लिये काफी समय दें। यह विचार लाभदायक नहीं है कि हम नियमों को दो दिन में समाप्त कर देंगे।

*सभापति : यह विचार समस्त कार्यक्रम को उथल-पुथल करता है।

*माननीय बी०जी० खेर (बम्बई:जनरल) : क्या मुझे यह निवेदन करने की आज्ञा है कि नियमों को बनाना वकीलों के लिए किसी सीमा तक पारिभाषिक विषय है और १५ व्यक्तियों ने, जिनको नियम बनाने का काफी अनुभव है और जिनके साथ कुशल मन्त्री-कार्यालय हैं, नियम बनाये हैं। क्या हम यत्र तत्र शब्दों को लेकर झगड़ा और तर्क करेंगे ? मैं यह अनुरोध करूंगा कि आप एक समय-निश्चित करें और कह दें कि सोमवार के पांच बजे तक उन सदस्यों को-जिनके कि संशोधन महत्वपूर्ण हैं, उपस्थित करने और राय लेने की आज्ञा दी जायेगी और पांच बजे कार्य-नियन्त्रण का नियम लागू कर दिया जाये और सात बजे तक सब नियम पास किये जायें और फिर हम दूसरे कार्य को लेलें। दूसरा विकल्प समस्त रात्रि बैठने का है। मैं यह

[सभापति]
सुझाव रखूंगा कि हम रात्रि के ११ बजे तक नियमों को समाप्त करने के लिये प्रतिदिन बैठें। मैं एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण उपस्थित करता हूं, जो केवल ईसाइयों के ही पक्ष में नहीं, वरन् ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो कि बहुत दूर से इस अधिवेशन में उपस्थित होने आये हैं और यह विचार कर कि कार्य २३ तारीख को समाप्त हो जायेगा और उनको बड़े दिनों के सप्ताह में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने अन्य कार्यक्रमों को निश्चित कर चुके हैं। मैं नाम नहीं बतलाना चाहता। हम सब के पास समान महत्व के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके लिये एक दीर्घ काल के पश्चात् भारतवर्ष में आकर बड़े दिनों के सप्ताह में यहां बैठना जब कि वे अपने परिवार के साथ रहना चाहेंगे, दुष्कर है। हम देर तक रात्रि अथवा दिन में बैठ सकते हैं और सोमवार को तीसरे पहर तक कार्य समाप्त कर सकते हैं।

*सभापति : यह सभा की सामान्य भावना प्रतीत होती है।

*डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी (बंगाल : जनरल) : मेरा विचार है कि हम बड़े दिनों के सप्ताह में न बैठें। हमारे पास इस सप्ताह के लिये अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण कार्यक्रम है, जो कि सप्ताह ही नहीं बल्कि महीनों पूर्व निश्चित किये जा चुके हैं और यह उचित नहीं है कि हमें अपने कार्यक्रम में परिवर्त्तन करने के लिये विवश किया जाये। यदि हम अपना कार्य समाप्त कर सकते हैं, तो बहुत ही उत्तम है, अन्यथा हमें जनवरी में कुछ दिन लेने चाहिये। नियमों को पास करना इतना सरल विषय नहीं होगा। नियमों को सदस्यों की सूचना के लिये उनके पास भेजना चाहिये। सदस्य नियमों के अध्ययन के लिये यथोचित समय चाहेंगे और संशोधन भी पेश करेंगे। यह आपकी इच्छा पर निर्भर है कि वह समय काफी है अथवा नहीं, जिसमें कि सदस्य-गण अपने संशोधन पेश कर सकें और उन पर तर्क कर सकें। यदि हम सोमवार और मंगलवार को समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो हमें जनवरी में किसी समय मिलना चाहिये।

*सभापति : नियमों पर विचार और दूसरे कार्यक्रम को सोमवार तक समाप्त करने का हम प्रयत्न करेंगे। यदि हम इस कार्य में असफल रहे तब यह विचार करेंगे कि फिर कब बैठें।

नियम-कमेटी में १५ सदस्य हैं जो कि भिन्न-भिन्न दल और मत के प्रतिनिधि हैं। वे समय ले रहे हैं क्योंकि वे ऐसे निश्चय तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो सब के लिये मान्य हो। यही कारण है कि नियम-कमेटी इतना अधिक समय ले रही है। नियम बनाने का कार्य उन मनुष्यों के हाथ में है, जो कि उस कार्य के विशेषज्ञ हैं और मेरा विचार है कि

श्री किरणशंकर राय जिस कठिनाई का अनुमान कर रहे हैं, वह उपस्थित न होगी। यदि कोई तर्क सिद्धान्त के प्रश्न पर उपस्थित होता है, तो मैं वाद-विवाद के लिये समय दूंगा; और सदस्यों से यह आशा करूंगा कि केवल शब्दों पर सुझाव उपस्थित करने के विषय को वे कमेटी पर छोड़ दें, जिसने कि इस पर बहुत समय व्यतीत किया है।

अब हम प्रस्ताव पर अग्रसर होगे। श्री सोमनाथ लहिरी !

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव जारी

*श्री सोमनाथ लहिरी (बंगाल : जनरल) : श्रीमान् सभापति जी, माननीय डाक्टर जयकर ने, जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नियमों की व्याख्या करने में वृद्ध होगये हैं, मन्त्रि प्रतिनिधि मंडल योजना की सीमा की व्याख्या सम्भवत: ठीक की हो। लेकिन हमें उनसे भयभीत नहीं होना चाहिये। डा० जयकर राजाओं की प्रतीक्षा करना चाहते हैं कि वे आवें और हमारी भावी स्वतन्त्रता का रूप बिगाड़ दें। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हम उन नरेशों को, एकतन्त्रीय राजाओं को नहीं चाहते हैं कि वे आयें और हमारे भविष्य का रूप बिगाड़ें। हां, जहां तक मुस्लिम लीग का प्रश्न है, वह बिलकुल दूसरे आधार पर है। लेकिन मुझे मुस्लिम लीग के यहां न होने पर खेद नहीं है। मुझे केवल इस बात का खेद है कि कांग्रेस ब्रिटिश योजना से बाहर नहीं जा सकी और ब्रिटिश योजना को अपने स्वार्थ-साधन के लिये अकेला नहीं छोड़ दिया। देश की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लियें और अपने देश के लिये वास्तविक स्वतन्त्र विधान बनाने के लिये मुस्लिम लीग से समझौता अत्यन्त आवश्यक है। यदि आप यह विचार करते हैं कि मुस्लिम लीग की प्रतीक्षा करने से या कांग्रेस के यहां होने से और मुस्लिम लीग के बाहर रहने से आप ठीक विधान बनाने में समर्थ हो सकेंगे, तो मुझे भय है कि आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और आप ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की उपेक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने यह योजना बनाई है। अन्त:कालीन सरकार का उदाहरण आपके समक्ष है। लीग और कांग्रेस दोनों वहां हैं, परन्तु इससे देश में झगड़े और परस्पर मारकाट की समस्या हल नहीं हो पाई है। ठीक वैसा ही हुआ है जैसा कि ब्रिटिश चाहती थी। उसने चाहा कि पार्टियां एक दूसरे के विरुद्ध लड़ें और ब्रिटिश एक पार्टी को दूसरी पार्टी के विरुद्ध सहायता दे, जिसके फलस्वरूप इन लड़ाइयों में ब्रिटिश राज्य और भी अधिक शक्ति से जम जाये।

अंत:कालीन सरकार देश के लिए न तो स्वतन्त्रता ला सकी और न शांति। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार की बनाई हुई विधान-परिषद् में कांग्रेस अथवा लीग न हो, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही हों और जिस प्रकार ब्रिटिश चाहती है उसी प्रकार ब्रिटिश योजना को कार्यान्वित किया

[श्री सोमनाथ लहिरी]

जाये, तो वही बातें उत्पन्न होंगी, अर्थात् वही झगड़े जो कि आज देश में हैं, परिषद् में भी और उग्र रूप धारण करेंगे। बस यही और कुछ नहीं। इसीलिये, श्रीमान् जी, मुझे लीग के यहां न होने पर दुःख नहीं है, बल्कि मुझे केवल यही खेद है कि कांग्रेस इस योजना को अपना स्वार्थ-साधन करने के लिये छोड़ कर इस से बाहर क्यों नहीं हुई? श्रीमान्‌जी, मैं पं० जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता की प्रवृत्ति के सुन्दर भाव प्रकट करने के लिए बधाई देता हूँ, जब कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता द्वारा ब्रिटिश का कोई आरोपण स्वीकार न किया जायेगा। आरोपण पर क्रोध प्रकट किया जायेगा और विरोध किया जायेगा और उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हुई, तो हम संघर्ष के लिए आगे बढ़ेंगे। श्रीमान्‌जी, यह विचार बहुत सुन्दर हैं, साहसपूर्ण शब्द हैं, सुन्दर शब्द हैं। परन्तु प्रश्न है कि कब और किस प्रकार आप उस चुनौती को प्रयोग में ला रहे हैं। श्रीमान् जी, आरोपण ठीक इस समय है। ब्रिटिश योजना ने केवल भविष्य के लिये विधान ही नहीं बनाया है—बशर्ते कि आप कोई विधान बना सकें—जिसमें मुझे शंका है, यदि आप कुछ बना भी सके, तो वह केवल ब्रिटिश से सन्तोषजनक सन्धि पर निर्भर ही न होगा, बल्कि वह यह सुझाता है कि जरा-जरा से मतभेद के लिये हम फेडरल कोर्ट को दौड़ें या इंगलैंड में उपस्थित हों या एटली या अन्य किसी के पास जायें। यह केवल सत्य ही नहीं है कि यह विधान-परिषद्, चाहे जो कुछ भी योजना हम बनायें हम ब्रिटिश तोप, ब्रिटिश सेना की छत्र-छाया और उनके आर्थिक और माली पंजे में हैं, बल्कि इसका आशय है कि अन्तिम शासन-शक्ति अब भी ब्रिटिश के हाथ में है और शासन-शक्ति के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है, जिसका आशय है कि भविष्य अभी पूर्ण रूप से आपके अधिकार में नहीं है। यही नहीं बल्कि एटली और अन्य व्यक्तियों के अभी हाल के वक्तव्यों से यह स्पष्ट है कि यदि आवश्यकता हुई तो वे पूर्णरूप से विभाजन करने की धमकी भी देंगे। श्रीमान् जी, इसका आशय है कि इसदेश में स्वतंत्रता नहीं है। जैसा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने अभी कुछ दिन पूर्व बताया था कि हमें केवल आपस में लड़ाई झगड़े करने की स्वतन्त्रता है। यही स्वतंत्रता हमें मिली है, एक और स्वतन्त्रता जिसकी मुझे सूचना मिली है आज के आज्ञा-पत्र पर है, जिसके द्वारा पंडित नेहरू अब माननीय पंडित नेहरू हैं और मैं विचार करता हूँ कि पंडित नेहरू को इस सम्मान के त्यागने तक की स्वतन्त्रता नहीं है। इसीलिये मैं कहता हूं कि आपके यह विचार करने से कुछ लाभ नहीं है कि ब्रिटिश योजना की सीमाओं से, एक भाग जिसका अन्तःकालीन सरकार है और दूसरा भाग उसका विधान बनाने की विधि है, आप स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकेंगे। अंग्रेजों

की धृष्टता—जैसाकि आपने अभी देखा है और जिसके लिये परिषद् के कई सदस्यों ने अपने भाव प्रकट किये हैं—यह धृष्टता इतनी क्यों बढ़ती चली जा रही है, यह तो देश भक्तों को देखना है। धृष्टता बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें विदित है कि देश के बड़े-बड़े दल, कांग्रेस और लीग यह विचार करते चले आ रहे हैं कि अपने दलों के अधिकार—मेरे दल के अधिकार दूसरे दल के विरुद्ध—प्राप्त करने में मैं अंग्रेजों की मदद पा सकूंगा। वे आपको लड़ते-झगड़ते रहने देना चाहते हैं, केवल इसी फल के लिये कि आपस के झगड़े हों—जैसा कि आज सारे देश में हुआ है और जैसा कि प्रतिदिन हमारी आंखों के सामने हो रहा है—अंग्रेजों के विरुद्ध हमारी शक्ति क्षीण होती है और स्वतन्त्रताका अंश मात्र भी हमारे हाथ नहीं लगता। भाई होने के विपरीत हम एक दूसरे को मारते हैं, मानों हम दुश्मन हैं। मिस्टर अलेक्जेंडर १६४६ ई० के इसी मास में लोक-सभा House of Commons में यह कहने का साहस करते हैं कि वायसराय की विशेष सत्ताओं के प्रयोग में कोई परिवर्त्तन नहीं किया है और जो कुछ सत्ता प्राप्य है, वह उसकी सहायता के लिये है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इस योजना पर कार्य कर कुछ प्राप्त करने का विषय नहीं है, बल्कि अभी, यहीं, स्वतन्त्रता की घोषणा की जाये और अन्तःकालीन सरकार और भारतीय जनता को यह आदेश दिया जाये कि वह पारस्परिक झगड़ों को बन्द करें और अपने बैरियों का विरोध करें, जिसके हाथों में अब भी ब्रिटिश साम्राज्यशाही का अंकुश है—और उस ब्रिटिश साम्राज्यशाही से युद्ध करने को संगठित हों और फिर जब कि स्वतन्त्र हो जायें अपने अधिकारों को निश्चित करें। वास्तव में, श्रीमान जी, हमने अपने देशकी स्वतन्त्रता के दीर्घकालीन इतिहास से यह प्राप्त किया है कि चाहे हमारे आपसी मतभेद बहुत बढ़े चढ़े हों, पर जब हम अंग्रेजों का विरोध करते हैं, तो लड़ाइयों के ही प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं, जो व्यक्ति अंग्रेजों से लड़ रहा है उसके मार्ग में कोई रुकावटें नहीं डाली जाती। यह एक मार्ग वर्त्तमान पारस्परिक वैमनस्य की कठिन परिस्थिति से बचने का है। सभापतिजी, मैं इस प्रस्ताव के उपस्थित करने वाले से भी निवेदन करूंगा कि डाक्टर जयकर—एक कुशल तार्किक और निर्दयी तार्किक तो वे हैं ही—ने आपके सामने केवल विकल्प उपस्थित किये हैं, जब कि उन्होंने आपके सामने कहा है कि या तो हमें योजना की सीमा में कार्य करना है, या आगे बढ़कर सत्ता अपनाना है, क्रान्तिकारी सत्ता अपनाना है। ये विकल्प हैं और एक वृद्ध, कुशल वैधानिक, उदार व्यक्ति जैसे कि वे हैं, उन्होंने उसे ठीक ही समझा है और क्रान्ति से डर, जो कि आप लोगों में से भी कुछ को हो, उन्होंने आपको वैधानिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए निवेदन किया है और कहा—"मैं जानता हूं कि कांग्रेस भी क्रांति से सत्ता ग्रहण करना नहीं चाहती।"

[श्री सोमनाथ लहिरी]

भारतीय जनता के सामने आज यही विकल्प है और आज विधान-निर्मात्री-परिषद् के सामने भी यही कि या तो आप ब्रिटिश योजना का अनुसरण करने का प्रयत्न करें, एक दल के अधिकारों को दूसरे दल के विरुद्ध रखें और प्रतिदिन पारस्परिक युद्ध के दलदल में फंसें, जिसके फलस्वरूप कि अन्त में ब्रिटिश आप पर उतना ही शक्तिशाली हो सके, जितना कि पहले था और या आप अग्रसर होकर क्रान्ति से सत्ता ग्रहण करें। मैं कहता हूं कि आप सब से पहले ब्रिटिश को, ब्रिटिश वायसराय को, ब्रिटिश सेना इत्यादि को बाहर खदेड़ने के लिये—जो कि अपनी बन्दूकें अब भी हमारे सरों पर ताने हुये हैं—आगे बढ़ें।

*श्री राजकृष्ण बोस (उड़ीसा : जनरल) : हमें यह जानने का अधिकार है कि वक्ता प्रस्ताव का समर्थक है या विरोधक ? मुझे भय है कि जो कुछ भी वे इस समय कह रहे हैं असंगत है।

*श्री सोमनाथ लहिरी : यह तो सभापति के निश्चय करने की बात है। मैं आशा करता हूं कि मैं उस राजनैतिक दल का, जो भारत में तीसरा बड़ा दल है, प्रतिनिधि हूं। (पीछे की बैंचों से हंसी) सभापति जी, मैं आशा करता हूं कि आप मुझे बिना बाधा बोलने देंगे। हमारे दल को सात लाख वोट मिले हैं···(बाधा) गत जनरल चुनाव में। यह सत्य है कि वह एक बड़ा दल नहीं है, पर वास्तव में वह तीसरा बड़ा दल तो है। (फिर हंसी)

*सभापति : मैं आशा करता हूं कि हाउस वक्ता को बोलने देगा। (श्री लहिरी से) लेकिन मैं आपको समय-सीमा की याद दिलाऊंगा और इस बात की भी कि आप उपस्थित विषय की सीमा में रहें।

*श्री सोमनाथ लहिरी : हां, श्रीमान् जी, मैं विषय पर आरहा हूं। मैं आशा करता हूं कि श्रीमान् जी मुझे वही सुविधाएं प्रदान करेंगे, जो कि डाक्टर अम्बेडकर या अन्य दलों के नेताओं को दी गई हैं। (पिछली बैंचों से हंसी)

*सभापति : यह सत्य है कि मैंने उनके साथ कुछ नर्माई से व्यवहार किया, लेकिन हाउस की उनके सुनने में रुचि थी, अब हाउस की वैसी वृत्ति प्रतीत नहीं होती। मुझे हाउस की वृत्ति का अनुसरण करना है।

*श्री सोमनाथ लहिरी : चाहे हाउस जो कुछ मैं कहता हूं, उसे पसन्द करे या नहीं, यह आप पर निर्भर है कि मुझे—एक स्वतन्त्र विचारणीय विषय के प्रतिनिधि की हैसियत से—अपने पूर्ण विचार प्रगट करने दें।

*सभापति : आप कहते चलिये।

*श्री विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी (यू० पी० : जनरल) : श्रीमान् जी, हमें यह

विदित होना चाहिये कि वक्ता प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, या संशोधन का ?

*श्री सोमनाथ लहिरी : और अधिक बाधायें हैं.........

*सभापति : सदस्यगण अपना-अपना अनुमान लगा लें कि वक्ता प्रस्ताव का समर्थन या विरोध कर रहा है, अथवा कुछ नहीं।

*श्री सोमनाथ लहिरी : मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा। आप जान जायेंगे जब कि मेरे वक्तव्य को सुन लेंगे। श्रीमान् जी, मूल प्रस्ताव के तीसरे पैरा का विचार करने पर मैं समझता हूँ कि आप अखंड भारत चाहते हैं। यह इसी इच्छा के कारण है कि आपने स्वायत्तसत्ता (autonomy) और शेष सत्ता (Residuary) के अधिकार तीसरे पैरा में दे दिये हैं, परन्तु भाषा इत्यादि के आधार पर प्रादेशिक इकाइयां बनाने का अधिकार नहीं दिया। मैं भी भारतवर्ष की एकता का उतना ही इच्छुक हूं, जितने कि आप हैं। पर प्रश्न यह है कि क्या आप उस एकता को बलपूर्वक या दबाव द्वारा ला सकते हैं ? मैं बंगाल का हूँ। बंगाल की ओर देखिये। बंगाल में आबादी का एक बहुत बड़ा भाग किसानों का है और उसका एक बड़ा भाग मुसलमानों का, जो ब्रिटिश साम्राज्यशाही और ऊंची जाति के हिन्दुओं के दासत्व के दो पाटों में पीसा जाता है। अब स्वतन्त्रता की कल्पना में बंगाल के किसान और बंगाली मुसलमान अगर यह चाहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी और उच्च-वर्णीय हिन्दू उनसे अपना स्वार्थ साधन न कर सकें, उनकी भूमि—बंगाली भाषा बोलने वाला प्रदेश—स्वतन्त्र और सर्व सत्ता सम्पन्न हो। भारत के किसी भाग के अधिकार में न हो, तो क्या आप उनकी इस स्वतन्त्रता को अस्वीकार कर देंगे ? आप नहीं कर सकते। और यदि मुस्लिम लीग—मुस्लिम लीग के नेतृत्व में प्रतिक्रियावादी भाग—बंगाली मुसलमानों को स्वतंत्रता की भावना से विमुख कर धार्मिक विभाजन की भावना उत्पन्न करने में या आसामी भाषा-भाषी प्रदेश की मांग करने में सफल होता है, तो मैं यह कहूंगा कि इसका उत्तरदायित्व कांग्रेस के नेतृत्व पर है। क्यों ? क्योंकि कांग्रेस ने जातीय भाषा के आधार पर जातीयता को पृथक् होने के अधिकार को स्पष्टतया स्वीकार कभी नहीं किया है और प्रधान कांग्रेस की जो कुछ भी स्वीकृति निर्धारित निर्णय (Ruling) में थी कि भारतीय संघ में कोई प्रान्त उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्मिलित होने के लिए विवश नहीं किया जायगा—आपने इस प्रस्ताव में उसको भी अंतिम विदा दे दी। आपने कहा है कि कोई भी प्रदेश भारत से बाहर नहीं रह सकता, चाहे उसकी बाहर रहने की कितनी ही तीव्र अभिलाषा क्यों न हो। अधिक से अधिक वह स्वायत्त शासन और अवशिष्ट सत्ता की आशा कर सकता है। श्रीमान् जी, यह वह मार्ग नहीं है, जिसके द्वारा आप बंगाल के मुसलमानों को अपनाने की आशा कर सकेंगे। यह वह मार्ग नहीं है, जिससे आप अन्य जातियों

[सोमनाथ लहिरी]

को जो कि समयानुसार आपके विरोध में खड़ी होंगी, अपनाने की आशा कर सकेंगे।

इस प्रकार आप एक विधान उन पर लादकर भारत की एकता प्राप्त नहीं कर सकते और यदि आप आधुनिक विधान की ओर दृष्टिपात करें, तो आप देखेंगे कि यूगोस्लेविया, जैकोस्लेविया इत्यादि देशों ने आत्म-निर्णय (self-determination) के अधिकार को पृथक् होने के अधिकार के साथ स्वीकार किया है। उदाहरण स्वरूप यूगोस्लेविया के नये विधान की प्रथम धारा और सर्वस (Serbs) क्रोट्स (Croates) स्लोवेनीज (slovanis) मोन्टेनोग्रिस (Montenegrins) इत्यादि को आत्म-नियंत्रण और पूर्ण पृथक होने के अधिकार देती है। यही कारण है कि आज यूरोप में यद्यपि यूगो-स्लेवियाँ एक छोटा देश है, फिर भी वह सुसंगठित है और तीव्र गति से उन्नति की ओर अग्रसर है।

मैंने कुछ कांग्रेसियों को यह कहते हुए सुना है कि "इस आत्म-निर्णय और पृथकत्व होने के अधिकार को हम दे देंगे, परंतु बाद में जब कि मुस्लिम लीग उसके लिए विवश करे।" श्रीमान्जी, क्या यह सौदा करने का दबाव पड़ने पर सौदागर के यहां जाकर जनता के अधिकारों से झगड़ना एक निकृष्ट राजनैतिक अवसरवाद नहीं होगा ? क्या यह श्रेयस्कर न होगा कि आप केवल नेताओं के लिए ही नहीं, बल्कि जनता के लिए—मुस्लिम जनता के लिए—यह स्पष्ट शब्दों में कह दें कि वे अपने-आप विचारें और विश्वास रखें और उन्हें भारतीय संघ (Indian Union) में निर्भय आने की गारंटी दी जाय।

दूसरा विषय जिसका मैं जिक्र करूंगा, वह मूल प्रस्ताव के ४, ५ और ६ पैरा हैं। श्रीमान्जी, यहां आपने कुछ मौलिक सिद्धान्त बनाये हैं, जिनके ऊपर कि भारतीय जनता के अधिकार और समानता निर्भर है। ठीक है; शुभ अभिप्राय है। कोई भी इसके शुभ अभिप्राय से इन्कार नहीं करता। परंतु बहुधा शुभ अभिप्राय नरक के मार्ग का अनुसरण कराते हैं और यहां अभिप्राय से सब कुछ आशय हो सकता है और कुछ भी नहीं। यह सब इस बात पर निर्भर है कि भूत और भविष्य को दृष्टि में रखते हुए आप किस प्रकार उन सिद्धान्तों की व्याख्या करते हैं। आपने कहा है कि राजनियम के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। आपने कहा है कि सम्पूर्ण कानूनी अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिये जायेंगे। इसके साथ-ही-साथ इतिहास आपको बताता है कि इस देश में लोक-प्रिय मंत्रि-मंडल हैं, कांग्रेस के मंत्रि-मंडल हैं और फिर भी आप बम्बई में देखते हैं कि मनुष्यों को देश निकाला होता है, स्त्रियों को भी न्यायालय में उपस्थित किये बिना ही गुंडों के सदृश देश निकाला होता है। साथ-ही-साथ आप यू० पी० में देखते हैं कि एक राज-नियम बनाया जा रहा

है, जिसके द्वारा बिना मुकदमा (trial) किये हवालात (Detention) हो सकती है। साथ-ही-साथ बंगाल में आप देखते हैं कि जातीयता के नाम पर कानून बनाया जा रहा है, जो कि प्रत्येक समाचार-पत्र और व्यक्ति की स्वाधीनता का अपहरण करता है। और अब श्रीमान्‌जी, जनता अपने विगत अनुभव के प्रकाश में आपके प्रस्ताव को देखेगी और यदि इन बातों को, जैसा कि आप वास्तव में चाहते हैं, वैसा ही रूप देना है, तो जो कुछ भी आप चाहते हैं, उसके प्रति आपको और भी अधिक स्पष्ट होना चाहिए और साफ कह देना चाहिए। इसी प्रकार दलित वर्ग के प्रति आपने कहा है कि पर्याप्त संरक्षण दिया जायगा। यह अच्छा है, परंतु कौन यह निश्चय करने को है और कब यह निश्चय किया जायगा कि संरक्षण पर्याप्त हैं अथवा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक पृथकत्व की, जो कि आज देश में प्रचलित है, निन्दा करता है, परंतु आपने अपने इस प्रस्ताव में जनता के लिए और जनता की अभिलाषा के लिए क्या राजनैतिक व्यवस्था की है?

*एक माननीय सदस्य : आप क्या सुझाव पेश करते हैं?

*श्री सोमनाथ लहिरी : मैं किसी भी भविष्य में होने वाले चुनाव में वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सुझाव पेश करता हूं, जिससे कि प्रत्येक दल को, चाहे वह साम्प्रदायिक हो अथवा राजनैतिक अपना प्रतिनिधित्व वोटों की कुल संख्या के आधार पर प्राप्त करने का विश्वास होगा और तब दलों को, मुस्लिम लीग और (शिड्यूल कास्ट फैडरेशन) दलित-जाति संघ जैसे साम्प्रदायिक दलों को अपना-अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का विश्वास होजाने पर कोई भी शिकायत नहीं हो सकेगी। इसके साथ-साथ यह राजनैतिक दलों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने को प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार हम शनैः-शनैः उस धार्मिक पृथकत्व का, जो कि देश में उत्पन्न हो चुका है नाश कर देंगे और उचित राजनीति में, राजनैतिक विभाग और राजनैतिक संघर्षों के आधार पर प्रगति होगी। परन्तु आपने इस विषय को स्पष्ट नहीं किया है। मैं आशा करता हूं कि जब आप विधान का मौलिक निर्माण करेंगे तब आप इसको स्पष्ट करेंगे। आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि जनता आपका निर्णय आपके अतीत को देखकर करेगी—आपके उस निकटकालीन अतीत से—जिसके लिए मुझे खेद है कि कांग्रेस के अच्छे कार्य-क्रम और घोर संघर्ष के होते हुए भी अपने सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है। मुझे आशा है कि जब आप भारतवर्ष का भावी विधान बना रहे होंगे, इन बातों का प्रतिकार होजायगा।

*श्री० एच० वी० कामठ (सी० पी० और बरार : जनरल) : श्रीमान्‌जी, मैं निवेदन करता हूँ कि श्रीयुत लहिरीजी को, जब कि वे अपने संशोधन पर बोल रहे थे, आपने नियम-विरुद्ध घोषित कर दिया था। अब क्या वे वैसा

[श्री एच० बी० कामठ]

ही करने में नियमानुकूल हैं ?

श्री सोमनाथ लहिरी : मुझे अपने तर्क को सिद्ध करने का पूर्ण अधिकार है। खैर, मैं लगभग समाप्त कर चुका हूं और एक या दो मिनट और लूंगा। इस प्रस्ताव की व्यापकता और अच्छी बातें, जो इसमें हैं इसके अतिरिक्त मैं यह पसन्द करता कि आप यहां अभी हमारी स्वतन्त्रता की घोषणा कर देते। प्रत्येक भारतीय पहले परिच्छेद को स्वीकार करेगा कि भारत को एक स्वतन्त्र सर्वशक्तिसम्पन्न राज्य होना चाहिए। इन बातों के अतिरिक्त आपका प्रस्ताव राजनैतिक दृष्टिकोण से एक दबाव (Pressure) डालने वाला प्रस्ताव है। यह ब्रिटिश से कहता है—"देखो, यदि आप यह विचार करते हैं कि हम जो कुछ भी आदेश करेंगे उसको सुनेंगे, तो आप भीषण भूल करते हैं। हम अपना खुद का विधान भारत पर लागू करने को हैं।" ठीक, यदि आप चाहते हैं, तो इसे और भी अधिक शक्तिशाली बनायें, परन्तु प्रस्ताव का दूसरा भाग मुस्लिम लीग के विरुद्ध है। "देखिये यदि आप यह सोचते हैं कि विभाजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप त्रुटि करते हैं। हम अखंड भारत के लिए एक विधान लागू करना चाहते हैं और उसमें विभाजन के लिए स्थान नहीं है।" यह मुस्लिम लीग के विरुद्ध दबाव है। "मैं यह नहीं खयाल करता हूं कि दूसरा दबाव पहले दबाव को बढ़ाने में आपकी मदद करता है।" जितना अधिक दबाव हम अपने भाइयों के विरुद्ध डालते हैं, उतना ही अधिक हम मुसलमानों के विरुद्ध लड़ते हैं और उतना ही अधिक जो कुछ हम चाहते हैं, उसे देने के लिए ब्रिटिश अस्वीकार करते हैं। आप अपना दबाव ब्रिटिश के विरुद्ध जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइये, परन्तु इस दबाव को अपने भाइयों के विरुद्ध न बढ़ाइये। श्रीमान्जी, पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने समय के जादू की बाबत कहा है। हां जादू, लेकिन यह ब्रिटिश जादूगरनी का वह जादू है, जो कि देशभक्तों को गहरी नींद में सुला देता है। यह ब्रिटिश जादूगरनी का वह जादू है कि जिसके खूनी पंजे से अगणित शहीदों के खून की बूंदें टपक रही हैं और फिर भी वह देशभक्तों के हृदय में यह विचार उत्पन्न करने में समर्थ है कि उसके जादू के षड्यंत्र (Plan) को कार्यान्वित करने से ही वह (देशभक्त) दूसरे दल के विरुद्ध अपने अधिकार प्राप्त कर लेगा। मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक कांग्रेस देशभक्त इसे स्मरण रखेगा और इस संघर्ष में जादूगरनी के षड्यंत्र के विरुद्ध और ब्रिटिश साम्राज्यशाही के विरुद्ध न कि मुसलमानों के विरुद्ध, संघर्ष करने में अग्रसर होगा।

श्रीमती हंसा मेहता (बम्बई : जनरल) : पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इतनी योग्यता से उपस्थित किये गये इस ऐतिहासिक प्रस्ताव का समर्थन करने में मैं अपना गौरव समझती हूं। डा० जयकर द्वारा उपस्थित किये हुए वाद-हेतु

(Issue) का उल्लेख करना मैं नहीं चाहती हूं और छः हजार मील की दूरी पर वक्ताओं द्वारा दिए हुए वक्तव्यों पर, जिनका आशय उत्पात से है, या जो वास्तविक दशा से बिलकुल अनभिज्ञ हैं, कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं इस प्रस्ताव के भाग पर एक नई टिप्पणी उपस्थित करना चाहती हूं—वह मौलिक अधिकार जो कि जनता के एक भाग यानी स्त्रियों पर अपना प्रभाव डालता है।

यह अनेक स्त्रियों के हृदय में हर्ष उत्पन्न करेगा कि स्वतंत्र भारत का आशय केवल स्थिति की समानता से ही नहीं, वरन् अवसर की समानता से भी होगा। यह सत्य है कि कुछ थोड़ी-सी स्त्रियां अतीत काल में और आज भी उच्च स्थिति का आनन्द उपभोग कर रही हैं और हमारी सहेली श्रीमती सरोजनी नायडू के सदृश उस उच्च मान को प्राप्त हुई हैं, जो कि शायद ही किसी पुरुष को मिल सकता हो। परन्तु ऐसी स्त्रियां बहुत कम और यत्र-तत्र हैं। यह केवल सांकेतिक उदाहरण ही हो सकता है, क्योंकि इन स्त्रियों से देश की स्त्रियों की वास्तविक स्थिति का परिचय नहीं मिलता।

इस देश की सामान्य स्त्री शताब्दियों से उस पुरुष-समाज के राज-नियम, व्यवहार और रीति-रिवाज द्वारा लादी हुई असमानताओं से पीड़ित है जो कि सभ्यता के उच्च शिखर से, जिसका कि हम सब को गौरव था, पतित हो गया है, जिसकी प्रशंसा में डाक्टर सर राधाकृष्णन् सदैव कहते रहे हैं। आज ऐसी हजारों स्त्रियां है, जिनको साधारण मानवी अधिकारों से वंचित रखा जाता है। उनको परदे के अन्दर घर की चहारदीवारी में बन्द रखा जाता है। वे स्वतन्त्रता-पूर्वक घर से बाहर भी नहीं जा सकती हैं। भारतीय स्त्री-जाति की दशा इस शोचनीय अवस्था तक गिराई जा चुकी है कि इन परिस्थितियों में जो भी उनका शोषण करना चाहते हैं, उनकी वह सरल आखेट बन जाती हैं। स्त्रियों का पतन कर पुरुष ने अपना ही पतन किया है। स्त्री की उन्नति करने में पुरुष केवल अपनी ही उन्नति नहीं करता, वरन् समस्त जाति की उन्नति करता है। इस हाउस में महात्मा गांधी का उल्लेख किया गया है। यह मेरी कृतघ्नता होगी, यदि मैं जो कुछ भी महात्मा गांधी ने उन (स्त्रियों) के लिए किया, उस कृतज्ञता के अतुल ऋण को स्वीकार न करूं, जो कि भारत की देवियों के नाम अंकित है। ये सब होने पर भी हमने कभी विशेष अधिकार नहीं मांगे हैं। स्त्रियों के संघ ने, जिसके सदस्य होने का मुझे गौरव है, कभी भी संरक्षित स्थान (Reserved Seats) अपना आनुपातिक भाग (Quota) या पृथक् निर्वाचन (Separate electorate) की मांग नहीं की है। जो कुछ भी हमने मांगा है, वह सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय है। हमने केवल उस समानता की मांग की है, जो कि पारस्परिक सम्मान और समझौते का आधार हो सकती है और जिसके बिना पुरुष और स्त्री में वास्तविक सह-

[श्रीमती हंसा मेहता]

योग सम्भव नहीं है। इस देश की आधी जन-संख्या स्त्रियों की है, इस कारण बिना उसके सहयोग के पुरुष अधिक अग्रसर नहीं हो सकता। यह प्राचीन भूमि आधुनिक जगत् में बिना स्त्रियों के सहयोग के अपना उचित और आदरणीय स्थान नहीं प्राप्त कर सकती। इस कारण मैं इस प्रस्ताव का, उस विशाल प्रतिज्ञा के लिए जो इसके अन्तर्गत है, स्वागत करती हूं और आशा करती हूँ कि इस प्रस्ताव में जिन उद्देश्यों का समावेश है, वे पत्र पर अंकित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें क्रियात्मक रूप दिया जायेगा। (करतल ध्वनि)

*श्री पी० आर० ठाकुर (बंगाल:जनरल) : श्रीमान् सभापतिजी, श्रीयुत डा० अम्बेडकर ने पिछली बार दलित वर्गों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इस कारण भारतवर्ष की परिगणित जातियों की ओर से विधान-परिषद् के सदस्यों के सन्मुख बोलने के इस अवसर को मैं अपना गौरव समझता हूं। मैं यहां पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के समर्थन के लिए उपस्थित होता हूं। समस्त प्रस्ताव का विश्लेषण करने और उस पर पूर्ण रूप से विचार करने पर मुझे यह विदित होता है कि भारत की जनता के हृदय में स्वतंत्रता की आशाओं को प्रसारित करने वाला यह सबसे उत्तम अधिकार-पत्र है। मेरे कुछ मित्रों ने, जो कि मुझसे पूर्व बोल चुके हैं, इसमें कुछ त्रुटियां बतलाई हैं। तो भी जिस रूप में प्रस्ताव हमारे सामने उपस्थित है, वह कई समस्याओं को जो कि विधान बनाने के पूर्व हल होनी चाहिए, सुलझाने में सहायक होगा। मैं यह अनुभव करता हूं कि हमारे मार्ग में अनेकों रुकावटें हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमें उन्हें पार करना है। यदि हम संसार के प्रजातंत्र राष्ट्रों के पूर्व इतिहास की ओर दृष्टि डालें, तो हमें विदित होगा कि प्रत्येक विधान-परिषद् को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कभी-कभी गति-अवरोध का भी। परन्तु फिर वे अंत में सफल हुईं।

यह खेद की बात है कि हमारे मुसलमान मित्रों ने अपने आपको इस से बाहर रखा है और वे इस परिषद् के विमर्श में भाग नहीं ले रहे हैं। जब हम यह जानते हैं कि हम हिंदू और मुसलमानों को अपने इसी देश में रहना है, तो हमें शांति-पूर्वक किसी-न-किसी तरह अपने मत-भेदों को भी दूर करना होगा। यह आशा की जाती है कि मुस्लिम लीग के सदस्य अभी या कुछ समय पश्चात् परिषद् में अपने उचित स्थानों को ग्रहण कर विचार-विमर्श में भाग लेंगे, और सर्वमान्य विधान बनाने में सहायक होंगे।

श्रीमान्जी, विधान-परिषद् के इस महान भवन में हम दलित-वर्गीय संख्या में बहुत कम हैं। परन्तु देश में हमारी जनसंख्या छः करोड़ है। इसमें संशय नहीं कि हम हिंदू जाति के अंग हैं, परन्तु हमारी सामाजिक

स्थिति इतनी गिरी हुई है कि हमें यह अनुभव करना पड़ता है कि हमें पर्याप्त संरक्षणों की आवश्यकता है। सर्व प्रथम हमें अल्पसंख्यकों में माना जाय। जिस तरह एक जाति धार्मिक और कौमी आधार पर अल्पसंख्यक होती है, उस प्रकार नहीं, वरन् वह अल्पसंख्यक जिसका कि भिन्न राजनैतिक अस्तित्व हो। यह बताना अनावश्यक है कि हमारा भिन्न राजनैतिक अस्तित्व है। मेरा विचार है कि जो दलितवर्ग की उन्नति में स्वयं रुचि रखता है, वह यह स्वीकार करेगा कि राजनैतिक उन्नति के लिए इस वर्ग को समुचित संरक्षण की आवश्यकता है, जैसा कि महात्मा गांधी ने स्वयं वचन और कर्म से स्वीकार किया है। पूना-संधि महात्मा गांधी की उपज है, और हरिजन-पत्र में उनके लेख इस बात को सिद्ध करते हैं कि दलित-वर्ग के हितों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

१६ मई का मंत्रि प्रतिनिधि मंडल का विवरण (Statement) दलित-वर्ग के बारे में कुछ नहीं कहता है। लेकिन दिल्ली में विवरण के छप जाने के बाद ब्रिटिश मंत्रियों ने जो प्रेस कान्फ्रेंस की, वह यह स्पष्ट बतलाती है कि दलित-वर्ग को अल्पसंख्यक मानना चाहिए। इसके पश्चात् लोक-सभा (House of Commons) और सरदार सभा (House of Lords) के वाद-विवाद में भी दलित-वर्ग को अल्पसंख्यकों के समान संरक्षण देने के महत्त्व पर जोर दिया गया।

श्रीमान्‌जी, अल्पसंख्यकों की समस्या एक बड़ी पेचीदा समस्या है, विशेष कर भारत जैसे देश में जहां अनेकों सम्प्रदाय भिन्न-भिन्न प्रकार के हित लिए हुए रहते हैं। अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में और उनके लिए संतोषजनक समाधान खोजने में मेरा विश्वास है कि इस विधान-परिषद् को बड़ी महत्त्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि यह हो चुका, तो हाउस को अन्त में विधान बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम दलित-वर्ग के सदस्यों को यह आशा है कि विधान-परिषद् हमारे साथ न्याय करेगी। समस्त प्रान्तों और देशी रियासतों में दलित-वर्ग हैं, वे देशी रियासतों, प्रान्तों और केन्द्र के व्यवस्थापक मंडलों (Lagislatiured) में जन-संख्या के आधार पर अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। वे किसी अधिक प्रतिनिधित्व की मांग नहीं करते हैं, लेकिन यदि किसी प्रकार का अधिक प्रतिनिधित्व किसी जाति को दिया जाय तो वे भी अनुपात में उसकी मांग करते हैं।

प्रस्ताव का चौथा पैरा बतलाता है :—

"सर्व शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र भारत, उसके वैधानिक अंग और शासन के अंग को सब शक्ति और अधिकार जनता से प्राप्त होंगे।"

मैं विचार करता हूं कि यह प्रस्ताव का सबसे अच्छा भाग है। यह भारत की सर्व-साधारण जनता के हृदय में वास्तविक शक्ति का संचार करेगा। अन्य प्रजातंत्र देशों की जनता के समान भारत की जनता में इतनी

[श्री पी० आर० ठाकुर]
अधिक राजनैतिक जागृति न हो सके, परन्तु यही भावना कि राज्य को सर्व-सत्ता जनता से प्राप्त होगी, दलित-वर्ग में शीघ्र ही राजनैतिक जागृति उत्पन्न करेगी।

प्रस्ताव का सातवां पैरा बतलाता है:—

"जिसके द्वारा प्रजातंत्र राष्ट्र की अखंडता का निर्वाह किया जायगा।"

यह भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। हम दलित-वर्गीय इस देश के आदि निवासी हैं। सवर्ण हिंदू और मुसलमानों के सदृश हम विजयी बन कर भारत में बाहर से आने का दावा नहीं करते हैं। सत्य तो यह है कि भारतवर्ष हमारा है और हम यह नहीं सह सकते कि हमारा यह प्राचीन देश केवल मुसलमानों और सवर्ण हिंदुओं में बांटा जाय।

मैं बंगाल का हूं, आपमें से अनेकों ने वहां के गृह-उत्पातों (Civil Disturbance) के सम्बन्ध में सुना होगा। दलित-वर्ग को सबसे अधिक हानि हुई। हम मुस्लिम लीग के, अपने प्यारे बंगाल को हमसे छीनने और पाकिस्तान में मिला देने के, किसी भी दावे को अस्वीकार करते हैं। हम समूह बनाने के विचार का भी विरोध करते हैं। हम भारतवर्ष की अखंडता का निर्वाह करने के लिए घोर संग्राम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि मुस्लिम लीग समझदारी से काम लेगी।

इस सम्बन्ध में मैं यही कह सकता हूं कि बंगाल में मुस्लिम लीग के नेता दलित-वर्ग के एक भाग पर अपनी इच्छा के नेता थोपकर उससे सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा विचार है कि वे अपनी पाकिस्तान की झक को दृढ़ बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। परंतु सौभाग्य से दलितवर्ग का वह भाग बहुत छोटा है। मैं आशा करता हूं कि यह विधान-परिषद् ध्यान रखेगी कि बिना दलित वर्गों की स्वीकृति प्राप्त किये बंगाल के सम्बन्ध में कुछ भी न किया जाय। वे बहुल संख्या में हैं।

अंत में मैं अपने हर्ष को प्रकट किये बिना नहीं रह सकता हूं कि भारतवर्ष शीघ्र ही स्वतन्त्र होगा। वह समय आ गया है। संसार में कोई भी शक्ति नहीं है जो इसे रोक सके। कुछ मेरे मित्रों ने, विशेष कर डाक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व देश में गृह-युद्ध होगा। दलित-वर्ग उसका सहर्ष मुकाबला करेगा, वास्तव में वे उसके लिये तैयार हैं।

इन थोड़े से शब्दों के द्वारा मैं माननीय पंडित जवाहरलाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सभापति: इसके पश्चात् सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर को बोलने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। क्योंकि वे खड़े होकर बोलने योग्य नहीं हैं, मैं उनको बैठकर बोलने की आज्ञा देता हूँ। मुझे आशा है कि हाउस को इसमें कोई आपत्ति न होगी।

*माननीय सदस्य गण : कोई आपत्ति नहीं।

*दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर (मद्रास जनरल) : श्रीमान् जी, हमारे नेता माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुख्य प्रस्ताव पर प्रभावशाली वक्तव्य के पश्चात् और माननीय जयकर के संशोधन पर अन्य वक्ताओं के प्रभावयुक्त वक्तव्यों के पश्चात्, मैं यथा शक्ति संक्षेप में बोलने का प्रयत्न करूंगा।

अपने संशोधन के पक्ष में मेरे मित्र माननीय डाक्टर जयकर ने अनेक विषय उठाये, जो कि सब-के-सब मुझे भय है कि परस्पर एक दूसरे से संगत नहीं है। उनका पहला विषय था कि इस अधिवेशन में, विधान-परिषद् का केवल यही कर्त्तव्य था कि वह कार्य-क्रम का निश्चय करती और तुरन्त ही ए, बी और सी भागों में विभाजित हो जाती, क्योंकि मन्त्रिप्रतिनिधि मण्डल की घोषणा में कार्य-क्रम के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के करने का विचार न था। दूसरा उनका यह संशय था कि क्या इस परिषद् को यह अधिकार होगा और किसी हालत में वह उचित और अनुमति-योग्य होगा कि मुस्लिम लीग के विधान-परिषद् में आने के निश्चय के पूर्व कोई प्रस्ताव पास करे। अन्त में उन्होंने यह विषय उठाया कि रियासतों के प्रतिनिधियों के आने से पूर्व परिषद् को यह उचित नहीं कि वह प्रस्ताव स्वीकार करे।

मैं यह कहने का साहस करता हूं कि एक भी विषय में पुष्टता नहीं है। पहले विषय के सम्बन्ध में मन्त्रिप्रतिनिधि-मण्डल की घोषणा किसी कानून के रूप में नहीं है, जिसका आशय विधान-परिषद् को भारत के लिए विधान बनाने के मार्ग का अनुसरण करने के प्रत्येक विवरण को सामने रखने का हो। मन्त्रि-प्रतिनिधि-मण्डल की स्वयं की भाषा में, उनका उद्देश्य केवल उस व्यवस्था से है, जिससे कि भारत का विधान भारतीयों द्वारा ही निश्चित हो सके। यह अविचारणीय है कि बिना आदेश-मूलक लक्ष्य के जिसे कि परिषद् को अपने सामने निश्चय करना है, कोई भी विधान बनाया जा सकता है या इस सम्बन्ध में किसी मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है। वास्तव में आदेश-मूलक लक्ष्य बनाने में किसी प्रकार भी यह परिषद् मन्त्रिप्रतिनिधि-मण्डल की घोषणा के मुख्य सिद्धान्तों का विरोध अथवा प्रतिवाद नहीं करती है। किसी भी विधान-परिषद् या सम्मेलन (Convention) की कार्यवाही की, जिसने कि इस प्रकार के लक्ष्य को कार्यवाही के आरम्भ होने पर न बनाया हो, आप व्यर्थ खोज कर सकते हैं। इसलिये मन्त्रिप्रतिनिधि-मण्डल की घोषणा के "कार्य-प्रणाली" शब्दों का ठीक अर्थ क्या है, इस विषय को और अधिक विस्तृत करने का प्रस्ताव मैं नहीं रखता हूँ।

अब प्रस्ताव के गुणों पर आइये। प्रस्ताव में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर कि मुसलमान या रियासतें यदि सम्मिलित होने का निश्चय करती हैं, तो अपवाद कर सकें। वास्तव में इन दोनों दलों में से कोई भी इस परि-

[दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर]

षद् में स्थान प्राप्त नहीं कर सकेंगी, जब तक कि वे स्वतन्त्र भारत के लक्ष्य को स्वीकार नहीं करतीं। मन्त्रिप्रतिनिधिमंडल की घोषणा कई पैरों में बताती है कि विधान-परिषद् "स्वतन्त्र भारत का विधान बनने का कार्य-भार ग्रहण करती है।" वे घोषणा के २४ वें पैरे में अपील करते हैं कि "भारतीय जनता के नेतागणों को अब पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने का अवसर है" और वे कहते हैं कि "वे विश्वास करते हैं कि प्रस्ताव भारत की जनता को कम-से-कम समय में स्वतन्त्रता प्राप्त करा सकेंगे"। मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा अनेकों प्रकार से घोषित करती है कि "नवीन स्वतन्त्र भारत की इच्छा पर है कि वह ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य रहे अथवा नहीं" और सदैव वे यही आशा प्रकट करते हैं कि "भारत ब्रिटिश जनता के निकट और मैत्री पूर्ण सम्पर्क में रहे।" जनतन्त्र भारत को, जैसे कि आयरलैंड है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य होने में कोई भी बाधा नहीं है। वास्तव में यह साधारण ज्ञान है कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की विचार-धारा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की सत्ता के कारण वर्ष-प्रतिवर्ष और दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। मुस्लिम लीग ने कई मौकों पर यह स्पष्ट कहा है कि स्वतन्त्रता की वह उतनी ही पक्षपातिनी है, जितनी कि कांग्रेस। इस हाउस में हमें अव्यक्त भावों को व्यक्त करने का अधिकार नहीं है कि मुस्लिम-भारत इस उद्देश्य से जो कुछ कहता है, वह आशय नहीं रखता। केवल पाकिस्तान के सम्बन्ध में मुस्लिम लीग ने वाद-हेतु उपस्थित किया था। इस पर मन्त्रिप्रतिनिधि-मंडल की घोषणा एक भारतीय संघ (यूनियन) को निश्चित रूप में स्वीकार करती है। यदि मुस्लिम लीग एक भारतीय संघ को स्वीकार करती है, तो मुस्लिम लीग के सदस्य विधान-परिषद् में कोई स्थान पा सकते हैं या पा सकेंगे। न ऐसा आश्वासन है और न कोई संकेत है कि इस प्रस्ताव को अगले माह के किसी अन्य दिवस के लिए स्थगित करने से मुस्लिम लीग परिषद् की कार्यवाहियों में सम्मिलित होने का निश्चय करेगी। इसलिए यह तर्क कि मुस्लिम लीग वर्त्तमान विधान-परिषद् से बाहर है और भविष्य में उसके आने की सम्भावना है, हाउस के समक्ष उपस्थित प्रस्ताव के औचित्य को अपुष्ट नहीं करता है।

अब रियासतों पर आइये। यहां फिर देशी रियासतें या रियासतों के प्रतिनिधि इस परिषद् में केवल तभी स्थान पा सकते हैं, जब कि वे स्वतन्त्र भारत के सिद्धान्त और मत को स्वीकार करें और स्वतन्त्र भारत के विधान बनाने के कार्य को स्वीकार करें, अन्यथा उनके लिए कोई स्थान नहीं है। उनको स्वतन्त्र भारत के वैधानिक अंग बनने या न बनने में से किसी एक को अपनाना होगा। यदि वे सम्मिलित होते हैं तो केवल इसी आधार पर सम्मिलित हो सकते हैं कि वे भी स्वतन्त्र भारत के विधान बनाने के आदर्श और उद्देश्यों को उतना ही स्वीकार करते हैं, जितना कि हम ब्रिटिश भारत में। मैं यह

[दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर]

ही उल्लेख किया है, जिसका आशय है ब्रिटिश भारत और देशी राज्य दोनों स्थान के भारतीयों से। भारत का भावी विधान निश्चित करने में वर्त्तमान ब्रिटिश भारत और वर्त्तमान रियासतों के भारतीयों में कोई अन्तर नहीं रखा है। मुझे केवल मन्त्रिप्रतिनिधि मण्डल की घोषणा के १, ३,१४ और २४ परिच्छेदों का हवाला देने की आवश्यकता है।

एक और साधारण प्रश्न है, जो कि आलोचना का विषय बन गया है—डाक्टर अम्बेडकर द्वारा उपस्थित—प्रस्ताव में दलबन्दी पर खामोशी। मुझे यह कहने में हर्ष है कि डाक्टर साहब ने वाद-विवाद में अखंड भारत का पक्ष ग्रहण कर अत्यन्त लाभदायक विचार उपस्थित किये हैं। मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा का गम्भीर विवेचन इस धारणा की ओर संकेत करता है कि दलों (Groups) का बनाना वैधानिक ढांचे का आवश्यक अंग नहीं है। वास्तविक रूप में, मुख्य सिफारिशें हैं कि कुछ विषयों से सम्बन्ध रखने के लिये एक भारतीय संघ हो, संघ के विषयों के अतिरिक्त अन्य विषय और शेषाधिकार प्रांत और रियासतों के अन्तर्गत हों, मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की योजनाअके नुसार रियासतें मिलकर प्रांत की स्थिति ग्रहण करें। मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल के विचारानुसार प्रांतों को स्वयं दल (Groups) बनाने में बाधा उपस्थित करने के लिये इस प्रस्ताव में कोई बात नहीं है। "कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक" निर्बलता की व्यवस्था में कुछ टिप्पणियां हैं। "कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक" कथन का आशय यद्यपि इस देश और परिषद् से किसी विशेष प्रकार की राज्य-शासन-विधि को किसी विशिष्ट निर्देशानुसार स्वीकृत कराने का नहीं, परन्तु आधुनिक प्रत्येक प्रजातन्त्र राज्य के मौलिक उद्देश्यों को दृढ़ करने का है। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि बनाया हुआ विधान उन्नति के आवश्यक तत्व और उन्नतिशील समाज के लिये आवश्यक व्यवस्था रखेगा। कदाचित् हमें यह स्मरण रखना है कि जिस प्रस्ताव पर हम विचार कर रहे हैं, वह इस परिषद् के मुख्य उद्देश्य को दृढ़ करने वाला है न कि व्यवस्था की भूमिका।

प्रस्ताव के विभिन्न भागों की पूर्ण परीक्षा की ओर अग्रसर हुए बिना ही जो कुछ मुख्य बात है, वह यह है कि इस अधिवेशन में हम इस स्थिति पर पहुंचने चाहिये कि हम अपनी जनता और सभ्य संसार के सामने अपने लक्ष्य के प्रयत्न की घोषणा कर सकें। लोकल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के विधान के ढंग का विधान बनाने के लिए यह परिषद् नहीं है, या देश के यत्र-तत्र भागों के वर्त्तमान विधान में परिवर्तन करने के लिए यह परिषद् नहीं है। बल्कि यह परिषद् स्वतन्त्र भारत का विधान सम्पूर्ण जनता की, इस विशाल ऐतिहासिक देश की, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय या मत से निरपेक्ष हो अनेकों शताब्दियों से अवनति को प्राप्त हुई, उस प्राचीन सभ्यता की भलाई के

लिए और स्वतन्त्रता के लिए हुलसित जन-समाज की उमड़ती हुई आकांक्षाओं के लिए साकार चित्र बनाने के लिए है। किसी तर्क से अधिक हाउस के समक्ष प्रस्ताव को सुदूरपूर्वीय बंगाल के गांव से, भारत के राजनैतिक भाग्य-विधाता महात्मा गांधी का आश्रय और आर्शीर्वाद प्राप्त हो गया है, मैं विश्वास करता हूं कि बिना किसी मत-भेद के समस्त हाउस खुशी से इस प्रस्ताव को स्वीकृत करेगा और मेरे आदरणीय मित्र महामान्य डाक्टर जयकर अपने संशोधन को वापस लेने का अपना मार्ग निकालेंगे। यदि उनकी इस सुझाई हुई विधि के विरुद्ध अन्तःकरण से प्रेरित अधिक शक्तिशाली आपत्ति न हो। (करतल ध्वनि)

*श्रीजयपालसिंह (बिहार: जनरल) : श्रीमान् सभापति जी, मैं उन लाखों अपरिचित फिर भी बहुत प्रमुख स्वतन्त्रता के अप्रमाणित योद्धाओं, भारत के आदि-वासियों जो कि भिन्न-भिन्न प्रकार की पिछड़ी हुई जाति, असभ्य जाति, जरायन पेशा कौम, और जो कुछ भी हो, नामों से परिचित की गई है की ओर से बोलने खड़ा होता हूं। श्रीमान्जी, मुझे जंगली होने का गौरव है, यही नाम है जिससे कि हम अपने देश में पुकारे जाते हैं। जिस प्रकार का जीवन-यापन हम जंगलों में कर रहे हैं, हम जानते हैं कि इस प्रस्ताव का पक्ष लेने का क्या अर्थ है। तीन करोड़ से अधिक आदिवासियों की ओर से (करतल ध्वनि) मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, केवल इसीलिए नहीं कि यह प्रस्ताव भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता ने प्रस्तुत किया है, बल्कि मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि यह वह प्रस्ताव है, जो कि देश के प्रत्येक हृदय के हुलसित भावों को विदित करता है। मुझे इस प्रस्ताव की शब्द-योजना पर कोई आपत्ति नहीं है। एक जंगली और आदिवासी होने के नाते से इस प्रस्ताव की कानूनी उलझनों को समझने की मुझसे आशा नहीं की जाती है। लेकिन मेरी सामान्य बुद्धि और मेरी जनता की सामान्य बुद्धि मुझे यह बतलाती है कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति को इस स्वतन्त्रता के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिये और मिलकर संघर्ष करना चाहिये। श्रीमान्जी, यदि कोई दल है जिसके कि साथ भद्दा बर्ताव किया गया है, तो वह मेरा ही दल है। गत ६००० वर्षों से उसकी अवहेलना की गई है और उनके साथ अनादर-पूर्वक व्यवहार किया गया है। "सिन्ध की तराई की सभ्यता" का इतिहास—जिसका एक बच्चा मैं भी हूं—यह स्पष्ट बतलाता है कि वे नवागन्तुक थे—आपमें से बहुत से यहां अनिमंत्रित आगन्तुक हैं, जहां तक मेरा सम्बन्ध है—जिन्होंने मेरी जनता को सिन्ध की तराई से जंगलों में खदेड़ा। यह प्रस्ताव आदिवासियों को जनतन्त्र-शासन-व्यवस्था सिखलाने के लिए नहीं है। आप जंगली कौमों को जनतन्त्र-शासन-व्यवस्था नहीं सिखा सकते हैं, आपको जन-तन्त्रात्मक प्रयोग उनसे सीखने होंगे। पृथ्वी पर वे सर्वोच्च कोटि के जन-तन्त्रात्मक व्यक्ति हैं। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बतलाया है,

[श्री जयपालसिंह]

मेरी जनता जो कुछ चाहती है वह पर्याप्त संरक्षण नहीं है। उन्हें मंत्रियों से रक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है, जैसी कि आज की स्थिति है–हम किसी विशेष रक्षा की मांग नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं कि अन्य भारतीय व्यक्ति के समान हमसे भी व्यवहार किया जाय। हिन्दुस्तान की समस्या है। पाकिस्तान की समस्या है। आदिवासियों की समस्या है। यदि हम सब विभिन्न परस्पर विद्रोही दिशाओं में चिल्लायें, विभिन्न प्रकार से विचार करें, तो उसका फल कब्रिस्तान होगा। मेरा समाज का समस्त इतिहास भारत में बाहर से आये हुये व्यक्तियों द्वारा निरन्तर स्वत्व-हरण और शोषण का इतिहास है, जो विद्रोह और अव्यवस्था से अंकित है और फिर भी मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को स्वीकार करता हूं। मैं आप सबके शब्दों में विश्वास करता हूं कि अब हम भारत में नया परिच्छेद आरम्भ करने को हैं–यह वह स्वतन्त्र भारत का नया परिच्छेद है, जिसमें कि अवसर की समानता होगी और किसी की अवहेलना न होगी—मेरे समाज में जाति का प्रश्न नहीं है। हम सब समान हैं। क्या तीन करोड़ से अधिक व्यक्तियों को पूर्णतया विस्मरण कर मंत्रिप्रतिनिधि मंडल ने हमारे साथ लापरवाही का बर्ताव नहीं किया है? क्या यह केवल राजनीति का कोरा दिखावा है कि आज हमारे ६ सदस्य इस विधान-परिषद् में हैं। यह किस प्रकार? हमारे उचित प्रतिनिधित्व के लिए भारतवर्षीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? क्या नियमों में ऐसा विधान लागू होगा, जिसके द्वारा आदिवासियों की और भी अधिक संख्या में आने की सम्भावना हो? श्रीमान् जी, आदि वासियों से मेरा आशय केवल पुरुषों से ही नहीं स्त्रियों से भी है। विधान-परिषद् में बहुत से पुरुष हैं। हम अधिक स्त्रियां चाहते है—श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित के सदृश स्त्रियां, जिसने कि इस जाति विशिष्टता का संहार कर अमेरिका में विजय पा ही ली। मेरा समाज ६००० वर्षों से केवल आपकी जाति-विशिष्टता, हिन्दुओं की और प्रत्येक अन्य व्यक्ति की जाति-विशिष्टता से यंत्रणा उठाता चला आ रहा है। श्रीमान् जी, एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) है। मेरा समाज आदिवासियों का भारतीय भी है। वे सलाहकार कमेटी के चुनाव में जो कुछ होने वाला है, उसके लिए विशेष चिन्तित हैं। जब कि पहले मुझे स्मारक पत्र की प्रति जैसी कि मंत्रिप्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रथम प्रेषित की गई थी, दी गई थी, २० वें सेक्शन की भाषा निम्न प्रकार की थी:—

> "सलाहकार कमेटी नागरिकों, अल्पसंख्यकों,...कबाइलियों और पृथक् किये क्षेत्रों के अधिकारों के आघात किये हुये हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त करेगी। (ध्यान रखिये पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त करेगी)"

अब जब कि आज्ञा पत्र ६८२१ में मैं उसकी प्रतिलिपि पढ़ता हूं, तो वही २० वां परिच्छेद भिन्न तथा इस प्रकार है:—

"सलाहकार कमेटी नागरिकों, अल्प संख्यकों कबाइलियों और पृथक् किये क्षेत्रों के अधिकारों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करेगी।"

*सरदार हरनामसिंह (पंजाबः सिख) : गलत छपा। मूल ग्रन्थ में "आघात किये हुये हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त करेगी" है।

*माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू : क्या ऐसा है?

*सरदार हरनामसिंह : मुझे पूर्ण विश्वास है।

*जयपालसिंह : इस विषय में मैं बिलकुल स्पष्ट होना चाहता हूं। मेरे विचार से हमको धोखा देने के लिए यह शाब्दिक जाल है। आदवासियों को उचित व्यवहार देने के आश्वासन के अनेकों वक्तव्य और प्रस्ताव पढ़े हैं। यदि इतिहास मुझे कुछ भी सिखाता है, तो मुझे इस प्रस्ताव पर अविश्वास प्रकट करना चाहिये, पर मैं ऐसा नहीं करता। अब हम नवीन पथ पर हैं। अब हमें केवल परस्पर विश्वास करना सीखना है। मैं अपने अन्य मित्रों से जो आज हमारे साथ उपस्थित नहीं हैं, निवेदन करता हूं कि वे सम्मिलित हों, वे हम पर विश्वास करें और हम इसके एवज में उन पर विश्वास करना सीखें। मुझे दुःख है कि हाउस में दलों और अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में आवश्यकता से अधिक वार्तालाप हुआ है। श्रीमान् जी, मैं अपने समाज को अल्पसंख्यकों में नहीं समझता। आज सुबह इसी भवन में हमने यह भी सुना है कि दलित-वर्ग भी अपने आपको आदिवासियों-इस देश के मूल-निवासियों-में समझता है। यदि आप बाह्य जातियों को और अन्य व्यक्तियों को, जो कि सामाजिक दृष्टि से मानव-समाज के अन्तर्गत नहीं हैं, इस प्रकार बढ़ाते चले जायेंगे, तो हम अल्पसंख्यकों में नहीं हैं। किसी प्रकार भी हमारे चिरकालीन अधिकार हैं, जिनको अस्वीकार करने का कोई साहस नहीं कर सकता। मुझे विश्वास हो गया है कि इस प्रस्ताव का प्रेषक ही नहीं, वरन् प्रत्येक व्यक्ति जो यहां है, हमारे साथ न्यायोचित व्यवहार करेगा।

थोथे शब्दों की घोषणा करने से नहीं, वरन् यह न्यायोचित व्यवहार के कारण ही होगा कि हम ऐसा विधान, जिसका आशय वास्तविक स्वतन्त्रता से होगा, बना सकें। मैंने देश के विभिन्न भागों में दिये गये पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्यों को सुना है। चुनाव के समय में आसाम के दौरे में जो कुछ उन्होंने कहा, उससे मैं विशेष कर अधिक प्रभावित हुआ। जब मैं रामगढ़ में था, मैंने उन्हें आने और साठ हजार आदिवासियों को, जो कि रांची में केवल ३० मील की दूरी पर एकत्रित थे, व्याख्यान देने के लिये निमन्त्रित किया। दुर्भाग्यवश वे कार्य-रत रहे और न आ सके। बड़े सुन्दर विचार प्रकट किये गये हैं। अब श्रीमान् जी, यदि मुझे आज्ञा हो तो उन शब्दों को उद्धृत करूं, जो कि मौलाना अबुलकलाम आजाद ने रामगढ़ में कहे :—

[श्री जयपालसिंह]

"कांग्रेस अपनी शर्तों को स्वीकार कराना नहीं चाहती है। वह अल्प-संख्यकों को स्वयं अपने संरक्षण-सूत्र बनाने के पूर्ण अधिकार को स्वीकार करती है। जहां तक कि उनकी समस्या के निर्णय का सम्बन्ध है, वह बहु- संख्यकों के शब्द पर निर्भर नहीं है।"

श्रीमान्जी, आदिवासियों की अनेकों समस्याओं का हल मेरे मस्तिष्क में स्पष्ट है—और इस विषय को किसी भावी तिथि में स्पष्ट किया जायेगा-यहां मैं केवल उस न्यायोचित हल की जिसमें मेरा विश्वास है, रूप-रेखा दे सकता हूं और वह है प्रान्तों की सीमाओं का साहसपूर्वक पुनरंकन। मेरे क्षेत्र की स्थिति को स्वयं आपने भली प्रकार कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में जबकि आप स्वागत समिति के प्रधान थे, उपस्थित किया था। क्या मैं हर्षातिरेक के शब्दों को, जो आपने वहां कहे थे, पढ़ूं ?

"बिहार का यह भाग जहां यह विशाल जन-समूह एकत्रित हो रहा है, अपनी स्वयं विशेषता रखता है। सौंदर्य में यह अनुपम है। इसका इतिहास भी अनोखा है। इन भागों में अधिकतर वे लोग बसते हैं, जो कि भारतवर्ष के मूल निवासी माने जाते है। अन्य व्यक्तियों की सभ्यता से इनकी सभ्यता कई बातों में भिन्न है। प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता बहुत पुरानी है। आदिवासी आर्यों से भिन्न वंश के हैं-और इनके वंश के मनुष्य भारत के दक्षिण पूर्व के कई टापुओं में सुदूर तक फैले हुये हैं-इनकी प्राचीन सभ्यता इन भागों में पर्याप्त सीमा तक सुरक्षित रही है। सम्भवतः अन्य स्थानों से अधिक।"

श्रीमान्जी, मैं कहता हूं कि आप मेरे समाज को प्रजातन्त्र शासन-विधि नहीं सिखा सकते हैं। मैं इसको दुबारा कहूं कि यह केवल आर्यों के दलों के पदार्पण से ही है कि प्रजातन्त्र शासन-विधि के चिह्न अवसान को प्राप्त हो रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी हाल की प्रकाशित पुस्तक में इस स्थिति को बड़े सुन्दर ढंग से रखा है और मेरा विचार है कि मैं उसे उद्धृत करूं। अपनी पुस्तक हिन्दुस्तान की कहानी (Discovery of India) में वे सिन्ध की तराई की सभ्यता और तद्गामी शताब्दियों का उल्लेख करते हुये कहते हैं :—

"अनेकों कबाइली प्रजातंत्र शासन थे, उनमें से कुछ बड़े-बड़े क्षेत्रों को घेरे हुये थे।

श्रीमान्जी, अब भी फिर अनेकों कबाइली प्रजातंत्र होंगे वे प्रजातंत्र जो कि भारत की स्वतन्त्रता के युद्ध में सबसे आगे रहेंगे। मैं हृदय से प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि वे सदस्य जो कि अभी सम्मिलित नहीं हुये हैं, अपने देशवासियों में वैसा ही विश्वास करेंगे। आओ, हम

साथ-साथ बैठकर, साथ-साथ काम कर, साथ ही साथ लड़ें। तभी हमें वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी। (करतल ध्वनि)

***सभापति :** मैं केवल एक शब्द कहना चाहता हूं। १६ मई १६४६ ई० की घोषणा की पुनः प्रकाशित प्रति को उसी रूप में स्वीकार किया गया था। जिस रूप में कि वह पार्लियामेंट के हाउसों में उपस्थित की गई थी।

***श्री जयपालसिंह :** जो प्रति मुझे दी गई है, उस पर बिहार के गवर्नर के हस्ताक्षर हैं।

***सभापति :** मैं नहीं जानता कि परिवर्त्तन किसने किया है। इस पुस्तक में वैसी ही घोषणा है, जैसे कि आज्ञापत्र में पार्लियामेंट को उपस्थित की गई थी।

***डाक्टर सुरेशचन्द्र बनर्जी (बंगाल : जनरल) :** क्या मैं यह जान सकता हूं कि सही शब्द क्या है ? "उपयुक्त" या "पूर्ण" ?

***सभापति :** "उपयुक्त" शब्द है जो मुझे छपा हुआ मिलता है।

***डाक्टर सुरेशचन्द्र बनर्जी :** जो पुस्तकें हमें दी गई हैं; उनमें पूर्ण का प्रयोग किया गया है।

***सभापति :** कुछ गड़बड़ प्रतीत होती है। मुझे यह मालूम करना है कि यह किस प्रकार हुआ ? यह ठीक वैसा ही है जैसा कि पार्लियामेंट को उपस्थित किया गया था।

***डाक्टर सुरेशचन्द्र बनर्जी :** पुस्तक जो हमें मिली है, श्रीमान् जी......।

***सभापति :** मैं इस सम्बन्ध में जांच करूंगा। मैं समझता हूं कि घोषणा जैसी कि इस पुस्तक में छपी है, ठीक वैसी ही पार्लियामेंट में उपस्थित की गई थी।

***श्री जयपालसिंहजी :** पार्लियामेंट में पेश होने से पूर्व 'पूर्ण' शब्द था।

***श्री देवीप्रसाद खेतान (बंगाल : जनरल) :** श्रीमान् सभापतिजी, व्यापारिक दल के प्रतिनिधि होने के नाते, मैं इस प्रस्ताव को व्यापारिक दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं। इस दृष्टिकोण के आधार पर मैं हृदय से पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय डाक्टर जयकर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का विरोध करता हूं। हमें यह स्मरण कराके कि वे संघ शासन सम्बन्धी न्यायालय (Federal Court) के न्यायाधीश रहे और प्रिवीकौंसिल के वर्त्तमान सदस्य हैं। डाक्टर जयकर ने हमारे सामने अपना मत रखा है, जिसका समर्थन सम्भवतः न तो घोषणा और न वर्त्तमान परिस्थिति से ही होता है। मेरे विनम्र विचार से जो कुछ मन्त्रि प्रतिनिधि मण्डल ने किया, वह जनता की स्वतन्त्रता प्राप्त करने की अभिलाषा को मान्य करना, विधान-परिषद् के विचार-विमर्श पर कुछ जंजीरें कसना और शेष कार्य को

[श्री देवीप्रसाद खेतान]

देश के प्रतिनिधियों की बुद्धि और चातुर्य पर छोड़ना था। मन्त्रि प्रतिनिधि मंडल की घोषणा में अनेकों रिक्त स्थान हैं, जिनकी पूर्त्ति करने का और अपने विधान को इस प्रकार का रूप देने का जो कि हमारी समझ से जनता की अभि-लाषाओं की पूर्त्ति करे और हमें एक अच्छा विधान प्राप्त कराये, ये अधिकार हैं। सम्भवतया डाक्टर जयकर विचार करते हैं कि इस स्थिति में हम केवल प्रधान चुनने और सामान्य कार्य-प्रणाली बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। श्रीमान्‌जी, मैं समझता हूं कि वे सामान्य कार्य-प्रणाली की व्याख्या बहुत संकीर्णता से कर रहे हैं। जब तक कि हम उन सामान्य लक्ष्यों को, जो हमें प्राप्त करने हैं, बनाने के लिए तत्पर नहीं होते, जब तक कि हम इस देश का विधान बनाने के लिए कुछ समितियां, जो कि आवश्यक हैं, बनाने के लिए उद्यत नहीं होते और जब तक कि हम केन्द्रीय विषयों की व्याख्या करने के लिए समिति नियुक्त करने को तैयार नहीं होते, मैं नहीं जानता कि देश का विधान बनाने के लिए अग्रसर होना हमारे लिए किस प्रकार संभव है। डाक्टर जयकर के तर्कानुसार इस प्रथम अधिवेशन में हम केन्द्रीय विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति भी नियुक्त नहीं कर सकेंगे। मैं नहीं समझ पाता कि बिना ऐसा किये हम किस प्रकार अग्रसर हो सकेंगे? यदि इस समय हम केन्द्रीय विषयों की व्याख्या नहीं कर पाते, तो प्रांतों और दलों के लिए अपना विधान बनाना संभव नहीं होगा। वे उन सत्ताओं को स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, जो कि अंत में केन्द्रीय सरकार से ले लेनी हैं। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि लक्ष्यों के बनाने के अतरिक्त हमें यह विदित कर लेना चाहिये कि केन्द्रीय विषयों से क्या आशय है और उनको प्रबन्ध के लिये कितना धन आवश्यक है? इसी प्रकार हमें अन्य सिद्धांत बनाने चाहिये। अल्प-संख्यकों के अधिकारों पर विचार करने के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त करना, उनके हितों का किस प्रकार संरक्षण करना तथा अन्य कार्यों को करना जो कि इष्ट हैं और मेरे विचार से विधान बनाने के लिए किस प्रकार प्रयत्न करना। वे (डाक्टर जयकर) डरते हैं कि यदि हम अब लक्ष्य रखते हैं, तो मिस्टर जिन्ना और उनका दल विधान-परिषद् में शायद शामिल न हो। मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक उनके इस विचार से मत-भेद प्रकट करता हूं। हम अनेकों बार मिस्टर जिन्ना से मिले। क्या हम कभी उनके हृदय को स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये सच्चाई से और हमसे ईमानदारी से मिलने के लिये पिघला सके? यहां तक कि जब अन्तःकालीन सरकार बनी, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के अन्तःकालीन सरकार में सम्मिलित होने के निमन्त्रण को स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसके विरोध में कहा कि वे वाइसराय का निमन्त्रण स्वीकार कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस अनेकों बार किसी निर्णय पर पहुंचने

के लिये उनसे मिली, तो उन्होंने अपने मित्र मिस्टर चर्चिल से निवेदन किया कि वे उसे कुछ कांग्रेस और उनके मध्य मिथ्या-भ्रमों के स्पष्टीकरण के लिये इंग्लैंड बुलायें—मैं उन्हें मिथ्या भ्रम कहता हूं—अब भी जब कि हम विधान-परिषद् के कार्य में अपने देश का भाग्य-निर्माण करने अग्रसर हो रहे हैं, वे अपना समय कैरो में एक रोग फैलाने में व्यतीत कर रहे हैं, जिसे मैं हिन्दू- फोबिया (Hindu Phobia) कहूंगा, कि हिन्दू राज मध्य-पूर्व तक प्रसारित होगा। उनके लिये न मुझे खेद है और न आश्चर्य कि वे कैरो में प्रचार-कार्य करने में संलग्न हैं। यदि वे यह सोचते हैं कि हिन्दू अपना राज्य मध्य पूर्व तक बढ़ाने में यथेष्ट शक्तिशाली हैं, तब तो उनके लिये अपने देश वापस होना और स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए विधान शांति-पूर्वक और उन्नति-सहित समस्त अल्पसंख्यकों के हितों का उचित ध्यान रखते हुये, बनाने के लिये हम में सम्मिलित होना अधिक उपयुक्त है। श्रीमान्जी, मैं आशा करता हूं कि हम लोग उस रोग से जिसे मैं जिन्ना-फोबिया (Jinnah Phobia) कहूँ पीड़ित नहीं होंगे और सदैव मिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग से भयभीत होकर अपने आपको पूर्णतया असहाय नहीं बनायेंगे तथा अपने अत्यावश्यक विधान के बनाने में देर नहीं करेंगे। हमें साहस का संग्रह करना चाहिये। हमें देखना चाहिये कि जो विधान बने, वह सब के हितों का संरक्षण करने में न्याययुक्त हो, जिससे कि देश की आर्थिक और राजनैतिक स्वतन्त्रता जितना शीघ्र सम्भव हो, प्राप्त हो सके। यदि हम व्यर्थ देर करते चले गये, तो मैं नहीं समझता कि आगे क्या-क्या कष्ट उत्पन्न हों। भविष्य में कष्ट निवारणार्थ मैं इस हाउस के सामने निवेदन करूंगा कि वह साहस धारण करे और विधान बनाने में अग्रसर हो, जिससे कि जितना शीघ्र सम्भव हो सके, हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। श्रीमान्जी, मैं आशा करता हूँ कि हम व्यर्थ समय नहीं गवांयेंगे, बल्कि अपने कार्य में अग्रसर होंगे और इसलिये मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। (करतल ध्वनि)

*श्री डम्बर सिंह गुरंग (बंगाल : जनरल) . श्रीमान् सभापतिजी, मैं समझता हूं कि यहां आज भारतवर्ष के स्थाई निवासी ३० लाख गोरखों का केवल मैं प्रतिनिधि हूं। वे तीस लाख हैं–सिखों की आबादी के लगभग, फिर भी इस हाउस में मैं अकेला ही प्रतिनिधि हूं। मुझे यह परिचय देने की आवश्यकता नहीं है कि ये गुरखे कौन हैं। उन्होंने अपने प्रशंसनीय युद्ध कौशल से समस्त संसार को स्वयं अपना यथेष्ट परिचय दे दिया है। विगत पहले और दूसरे विश्व-युद्ध के समय में यह पूर्णतया सिद्ध किया जा चुका है कि संसार में उनकी जाति एक महान् योद्धा जाति है।

यह उन बहादुर गुरखों की ओर से है कि मैं अखिल भारतवर्षीय गुरखा संघ (All India Gurkha League) के प्रधान के नाते पंडित

[श्री डम्बर सिंह गुरंग]

जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं। यह उपयुक्त समय है जब कि हमें ऐसे शक्तिशाली कदम को उठाना चाहिए। यदि 'हम देखें और प्रतीक्षा करें' वाली नीति को धारण करें जिसका कि डाक्टर जयकर ने पक्ष लिया है और डाक्टर अम्बेडकर ने समर्थन किया है,तो हम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पायेंगे। यदि हम इस नीति का अवलम्बन करते तो अन्त:कालीन सरकार जो आज कार्य कर रही है, बन ही नहीं सकती थी। सौभाग्य से ये डाक्टर औषधोपचार के डाक्टर नहीं हैं। अन्यथा ऑपरेशन में देर कर ये रोगी को मार डालते। (हंसी) हमने काफी समय तक प्रतीक्षा की और अब हमको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यह केवल अपनी दुर्बलता का प्रदर्शन होगा।

श्रीमान्‌जी, यह बहुधा कहा गया है कि गोरखे स्वतन्त्रता के मार्ग में बाधक रहे हैं। यदि उस दृष्टिकोण से देखा जाय तो यह सच हो, पर यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि विशेषतया सेना विभाग (Military Dept.) में कर्त्तव्य की भारी प्रमुखता और अनुशासन अत्यन्त आवश्यक अंग है, जिस की अनुपस्थिति में कोई राष्ट्र राज्य नहीं कर सकता। अब स्वतन्त्र भारत में आप हम से वही करने के लिए कहेंगे, जो कि ब्रिटिश सरकार हम से कहती थी और यदि कोई विधान द्वारा स्थापित सरकार में गड़-बड़ करने वाला हुआ तो आप उनकी (गुरखों) उस अनुशासन के रखने के लिए प्रशंसा करेंगें।

श्रीमान्‌जी, गुरखों की समस्या बिल्कुल भिन्न है। वे समस्त भारत में फैले हुए हैं। केवल दार्जिलिंग के जिले और आसाम प्रांत में ही ये लोग किसी सीमा तक घनी आबादी में हैं। इन दोनों क्षेत्रों में इनकी जन-संख्या लगभग १४ लाख है और शेष समस्त भारत में फैले हुए हैं। शिक्षा और अर्थ संबंधी क्षेत्रों में बहुत ही पिछड़े हुये हैं। यद्यपि हम से भारत में घृणित-से-घृणित कार्य कराये गये, जिनके कारण भारतीयों द्वारा हम कसाई कहे गये। यद्यपि ब्रिटिश शासन को भारत या अन्य स्थानों में रक्षित रखने के लिये सैकड़ों और हजारों गुरखों के जीवनों को बलिदान किया गया, तो भी ब्रिटिश सरकार ने गुरखों की उन्नति के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया। हमारी अत्यन्त दुखदाई उपेक्षा की गई। केवल युद्ध-काल में वे गुरखाओं को स्मरण करते हैं। ब्रिटिश सरकार की सदैव हमें पिछड़ी हुई और अज्ञान अवस्था में रखने की नीति रही, जिससे कि हमारा बलिदान किसी समय और कहीं भी जहां वे चाहें कर सकें।

गुरखे शंका करते हैं कहीं कांग्रेस भी इसी नीति का अनुसरण न करे। इस शंका के लिए एक शक्तिशाली आधार है। विधान-परिषद् के सदस्यों का

चुनाव होने के पूर्व अखिल भारतवर्षीय गुरखा संघ ने (All India Gurkha League) कांग्रेस हाई कमान्ड से विधान-परिषद् में पर्याप्त प्रतिनिधित्व पाने की प्रार्थना की, पर हमारे अधिकारों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई और तीस लाख गुरखाओं को एक सीट भी नहीं दी गई, जबकि एंग्लो-इंडियन को तीन सीटें दी गई जिनकी आबादी भारत में केवल एक लाख बियालीस हजार है। मैं नहीं समझ सकता कि गुरखे इस प्रकार के और अधिक अन्याय को सहन करेंगे। मैं अभी-अभी नैपाल-नरेश की सेवा में अखिल भारतवर्षीय गुरखा संघ की ओर से एक शिष्टमंडल (डेलीगेशन) के नेतृत्व में गया था और मुझे आशा है कि नैपाल कभी गुरखों का ऐसा शोषण नहीं होने देगा। श्रीमान्जी, गुरखों की मांग है कि उनको अल्प-संख्यक जाति माना जाय और सलाहकार समिति (Advisory Committee) में जो कि बनने वाली है। उनके पर्याप्त प्रतिनिधि होना चाहिए। जब कि केवल १ लाख ४२ हजार एंग्लो-इंडियन की आबादी को अल्प-संख्यक जाति मान लिया गया है और हिन्दुओं में परिगणित जातियों की एक अलग ही जाति मान ली गई है, तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि तीस लाख गुरखों की आबादी को क्यों इसी प्रकार न माना जाये। गुरखों को जिनकी कि पूरी जन संख्या नैपाल सहित एक करोड़ पचास लाख है, स्वतन्त्र भारत में बड़ा प्रमुख कार्य करना है। मैं नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करें।

अन्त में श्रीमान्जी, मैं एक शब्द और कहूंगा। यदि मिस्टर जिन्ना अपने आपको भारतीय समझते हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे भारत-वर्ष में आयें और यहां आकर अपने मत-भेदों को तय करें। क्योंकि यह हमारा घरेलू झगड़ा है। वे क्यों उन लोगों की सहायता खोजते हैं, जिन्होंने कि शताब्दियों तक हमें दासता में रखा है? मैं एक विदेशी के पाखंड-पूर्ण दुलार से भाई की ठोकर को अधिक हितकर समझूंगा। यदि बहुसंख्यक दल अल्पसंख्यकों के निमित्त कोई न्याय नहीं करता, तो हम संगठन करेंगे, विद्रोह करेंगे और भारतवर्ष में असह्य कठिनाई उत्पन्न कर देंगे। मुझे भय है कि भारत के प्राचीन इतिहास की पुनरावृत्ति न हो। मैं एक विषय स्पष्ट कर दूं कि कोई भी अल्पसंख्यक (जाति) मिस्टर जिन्ना के मूर्खतापूर्ण पाकिस्तान के अड़ंगे के अधिकार का समर्थन नहीं करेगी। हम अखंड भारत के समर्थक हैं।

इस सबके विरुद्ध यदि मिस्टर जिन्ना ग्रह-युद्ध की धमकी देते चले आ रहे हैं, तो मैं देशवासियों से उस धमकी को स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं और हमें लड़कर उसका निबटारा कर देना चाहिये। गुरखे उनके साथ लड़ेंगे, जो अखंड भारत चाहते हैं और उनका विरोध करेंगे जो भारत का विभाजन चाहते हैं।

*डाक्टर सर हरीसिंह गौड़ (सी० पी० और बरार : जेनरल) : श्रीमान्‌जी, ज्यों ही कि मैंने माननीय सदस्यों के वक्तव्य सुने, मेरे मस्तिष्क में तीन भिन्न बातें खटकने लगी। प्रथम—पंडित जवाहरलाल नेहरू का भली प्रकार विचारा हुआ सुन्दर वाक्य-शैली-युक्त प्रस्ताव। द्वितीय—मेरे मित्र डाक्टर जयकर का अवरोधक संशोधन के रूप में प्रस्ताव और तृतीय—मिस्टर जिन्ना के पाकिस्तान के विरोध में बारम्बार चीख और चौथी प्रसंगवश देशी रियासतों का उल्लेख।

श्रीमान्‌जी, आरम्भ में मैं प्रस्ताव की ओर संकेत करूं, यह बताया गया है कि विधान-परिषद् का यह प्राथमिक अधिवेशन है और प्रस्ताव के विषय में अग्रसर होने का हमको अधिकार नहीं। जिन व्यक्तियों के ऐसे विचार हैं, उनके प्रति उचित सम्मान-सहित मैं यह बतलाना चाहता हूं कि विधान-परिषद् सर्व-शक्ति युक्त संस्था निरूपित की गई है। और यह निरूपण यथार्थ है। यदि यह भारत की सर्वशक्ति-सम्पन्न संस्था है, तो उसे इस प्रस्ताव को जो कि भावी भारत के सम्पूर्ण विधान के मौलिक सिद्धान्त को अंकित करता है, स्वीकार करने का अधिकार है। माननीय सदस्यों का ऐसा विचार प्रतीत होता है कि विधान-परिषद् भारत में आये हुये ब्रिटिश मंत्रि-मंडल की उपज है और यह उस लेख की शर्तों के आधीन है, जो कि १६ मई के मंत्रि प्रतिनिधि मंडल की घोषणा से विख्यात है। मैं संमान-पूर्वक यह बता देना चाहता हूं कि विधान-परिषद् भारतीय जनता की ध्वनि है। (वाह-वाह) और इस देश में आये ब्रिटिश मंत्रि प्रतिनिधि मंडल की उपज नहीं और भारत की आवाज होने के नाते से यह भारतीय जनता के प्रति कर्त्तव्य पालन के लिए ऋणी है और जब वह आवाज शक्तिशाली तथा अटल और दृढ़ हुई, तब ब्रिटिश मंत्रि प्रतिनिधि मंडल ने भारत के दबाव से विवश होकर भारत को इस परिषद् के लिए अपना विधान बनाने के अधिकार को देना स्वीकार किया जिसे भारत अनेक वर्षों से मांग रहा था। इसलिए हम अपने मस्तिष्क से यह बात बिदा न करें कि यद्यपि हम मंत्रि प्रतिनिधि मंडल की इच्छाओं का उचित सम्मान करते हैं, फिर भी हम उन शर्तों में जो उन्होंने रखी हैं, बंधे नहीं हैं और हमारा, प्रथम कर्त्तव्य, हमारा प्रमुख कर्त्तव्य-अपने स्वामियों भारतीय जनता-के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना है। यदि इस बात को दृष्टि में रखा जाय, तो अन्य प्रश्न पीछे पड़ जायेंगे।

उन प्रश्नों में से एक प्रश्न प्रसंग की शर्तें हैं (Terms of Reference) और श्री जयकर का परिणामभूत संशोधन। मैं यह निवेदन करता हूं कि विधान-परिषद् अपना मान और गौरव खो देगी, यदि वह हमारे मुस्लिम लीग के मित्रों से सहायता पाने के लिए पीछे-पीछे भागती फिरेगी। यदि भारतीय जनता के प्रति हमारा कर्त्तव्य है, तो उस कर्त्तव्य का पालन

करना पड़ेगा और करना चाहिये; चाहे मिस्टर जिन्ना या पंडित जवाहर लाल नेहरू या अन्य कोई व्यक्ति इस परिषद् में सम्मिलित हों, अथवा न हों। ये व्यक्तिगत घटनायें और प्रसंग हैं, लेकिन हमारी विधान-परिषद् को अपना कार्य करना चाहिये, चाहे और लोग आयें, चाहे जायें। (वाह-वाह) मान लीजिये मेसर्स जिंन्ना एन्ड कम्पनी आरम्भ में सम्मिलित हो गई-और अपने किसी कारणवश किसी बहुत अच्छे कारणवश मैं आपको विश्वास दिलाता हूं-वे परिषद् से बाहर प्रस्थान कर गये, तो क्या परिषद् को स्थगित करने का—उनके पीछे भागकर उनके आंचल को पकड़ कर उनसे कहने का—"कृपया भागिये नहीं, अन्दर आइये, यदि आप भागेंगे तो हम भी आपके साथ बाहर भाग जायेंगे" कोई आधार होगा? (हंसी) मैं निवेदन करता हूं कि कोई भी विधान-परिषद् कम-से-कम आर्यावर्त्त की विधान-परिषद् स्वयं दीनता और अस्तित्व-हीनता की अवस्था में न गिरेगी।

समाचार-पत्रों के अनुसार मिस्टर जिन्ना आजकल पाकिस्तान के पक्ष में मुस्लिम मत को प्रभावित करने के लिए कैरो में हैं। मैंने पहले मिस्टर जिन्ना को लिखा है और मैं एक बार फिर इस हाउस को स्मरण कराता हूं कि हम उनको (जिन्ना को) एक संदेश भेजें कि वे अपनी यात्रा को अन्य दर्सों पाकिस्तानों के भ्रमण के लिए और भी बढ़ा सकते हैं, जो हजारों बरसों से ईराक, ईरान, लीबिया और अन्य स्थलों में हैं और लागू किए गये हैं। उनको देखने और इन पाकिस्तानों की स्वयं कल्पना करने दीजिये और इसके पश्चात् वे अपने देश को वापिस लौटेंगे—एक दुखी पर अधिक समझदार व्यक्ति होकर पूर्णतया गर्व-हीन होकर—और यह विश्वास कर कि हमारे देशवासी भारत के मुसलमानों के हित के लिए पाकिस्तान लाभदायक नहीं है—यदि भारत को पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में विभाजित किया जाता है, तो कितने घंटों तक वह पाकिस्तान स्वतंत्र रहेगा और चारों ओर की शक्तियों का ग्रास नहीं बनेगा, जैसा कि समस्त मुस्लिम-संसार में पाकिस्तान के साथ हुआ है?

श्रीमान्जी, इतिहास का एक विद्यार्थी होने के नाते मैं तुर्की का इतिहास पढ़ रहा था-मैंने देखा कि किस प्रकार कमाल पाशा अतातुर्क ने राजनीति को धर्म से मिलाने की अज्ञानता और निस्सारता का अनुभव किया। सबसे पहला कार्य जो उसने किया, वह पाकिस्तान का अंत करना और टर्की में प्रजातन्त्र की स्थापना करना था। और समस्त मुस्लिम देशों में ईरान से लेकर पेलेस्टाइन तक के राष्ट्रों के आकार-प्रकार में केवल टर्की ही सम्भवतया अकेला स्वतन्त्र देश है। हमारे मित्र मुसलमानों को इस बात का अनुभव और स्मरण करने दीजिए, तब उन्हें पाकिस्तान को जिन्ना साहब का एक खतरनाक और आत्मघातक आंदोलन समझ कर इसे छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

[डाक्टर सर हरीसिंह गौड़]

श्रीमान् जी, अब तक तो बहुसंख्यक जाति ही पाकिस्तान के इस आधार पर कि वे भारत की अखंडता के हामी हैं, दोष निकालती रहीं। हम किसी भावुक आधार पर भारत की अखंडता के हामी नहीं; हम भारत की अखंडता के हामी इसलिये हैं कि हमने बहुधा भारत के मुसलमानों की भलाई के लिए विशेष रूप के क्रियात्मक सुझाव पेश किये हैं। और मैं अपने मित्रों की ओर से एक बार फिर इन सुझावों को इस हाउस में पेश कराना चाहता हूँ। संयुक्त जनमत होने दीजिए और मुसलमानों को अपनी सीटों की निर्धारित संख्या रखने दीजिये, लेकिन जनमत में यह आदेश रखिये कि एक जाति का कोई भी सदस्य चुना हुआ नहीं समझा जायगा, जब तक कि वह दूसरी जाति की कुछ प्रतिशत वोट प्राप्त नहीं करेगा। इस प्रकार हम जाति-चुनाव के स्थान में प्रादेशिक और प्रजातंत्रात्मक चुनाव प्रचलित करेंगे और जातिभेद और विषमता को कालान्तर में अदृश्य करना प्रारंभ करेंगे। यदि यह प्रस्ताव मुस्लिम-लीग को मान्य है, तो इसमें संदेह नहीं कि बहुसंख्यक जाति और कांग्रेस इस प्रस्ताव पर अनुकूल विचार करेगी, क्योंकि दोनों प्रजातंत्रात्मक हैं, साम्प्रदायिक नहीं और देश में प्रादेशिक चुनाव के सिद्धांत का प्रचलन फिर से होगा। मेरे मुसलमान मित्रों को रचनात्मक नीति रखनी चाहिए, भारत का विभाजन और पृथक करने के लिए नहीं, वरन् भारत की भिन्न-भिन्न जाति, सम्प्रदाय और वर्ग में समानता का व्यवहार उत्पन्न करने के आशय से; जिससे कि अखंड स्वतन्त्र भारत बनाया जा सके।

श्रीमान् जी, अमेरिका में अनेकों प्रकार और श्रेणी की ५० भिन्न-भिन्न जातियां हैं, पर जैसे ही अमेरिका का स्वतन्त्रता-युद्ध हुआ और विजय हुई, उन्होंने स्वतंत्रता का धर्म से सम्बन्ध स्थापित करना कभी नहीं सोचा और यही कारण है कि अमेरिका आज संसार की एक प्रभुत्वशालिनी जाति हो गई है और भारत—मैं आपको बतादूं—यदि अपनी आत्मरक्षा के लिए शक्तिशाली और अखंड रहता है, तो प्रभु तो नहीं वरन, एशियाई प्रदेशों का प्रमुख सेवक बनेगा।

भारतीय जनता का एक और भाग—देशी रियासतें—अभी कोई निर्णय नहीं कर रहीं हैं, वे कहते हैं कि आप विधान-परिषद् को, जब तक हम न आयें, स्थगित रखिये। कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं निवेदन करता हूं कि देशी रियासतों की स्थिति बहुत सरल है और वह यह है कि वे कहती हैं कि उनकी क्राउन से संधियां हैं। मैं मानूंगा कि वे या अन्य सब-के-सब क्राउन से संधियां रखते हैं और ये संधियां सौ या डेढ़ सौ वर्ष पुरानी हैं। पर १५० वर्ष पूर्व इंग्लैंड का क्राउन क्या था? वह शासन करने वाली सरकार की, ब्रिटिश मंत्रि प्रतिनिधि मण्डल की ध्वनि थी, अतः जब वे क्राउन से हुई

अपनी संधियों का उल्लेख करते हैं, तो वे यही अभिप्राय रखते हैं कि उन की संधियां इंग्लैंड की सरकार से हुई थीं, जो कि उस समय सत्ता धारण किये थीं। यह साधारण बात है, यदि मैं कहूं कि जब इंग्लैंड के क्राउन ने सौ या डेढ़ सौ वर्षों से पूर्व ब्रिटिश मंत्रि प्रतिनिधि मंडल की सलाह को माना तो क्या इंग्लैंड का क्राउन आज भारतीय मन्त्रि-मण्डल की सलाह के अनुसार कार्य करना त्रुटिपूर्ण समझेगा ? क्या भारतीय राजा या नवाब यह शिकायत कर सकते हैं कि क्राउन को अपने सलाहकार चुनने का अधिकार अब नहीं है ? इसलिए उनकी स्थिति व्यर्थ है। जब वे क्राउन से अपनी संधियों का उल्लेख करते हैं, तब वे कहते हैं कि क्राउन को सार्व-भौम सत्ता प्राप्त है, परन्तु वह भूल जाते हैं कि भारत में ब्रिटिश सरकार को बड़े राज्य हिज एक्जाल्टेड हाइनेस हैदराबाद के निज़ाम से लेकर काठियावाड़ की सब से छोटी रियासत तक के सब देशी राज्यों की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। और जिसको कि रक्षा के अधिकार प्राप्त हैं, वस्तुतः सर्व अधिकार प्राप्त करता है। ब्रिटिश भारत का रक्षा-विभाग विधान-परिषद् को दे दिया गया है, विधान-परिषद् देशी शासकों की रक्षा की उत्तरदायी है, अतः इतने से ही सर्व-अधिकार इंग्लैंड के राजा या इंगलैंड की पार्लियामेंट से अन्तःकालीन सरकार को प्राप्त हो गये।

तीसरा विषय जिसकी ओर मैं देशी शासकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह मान लेने पर भी कि सार्वभौम सत्ता (इंग्लैंड के)राजा में नाम मात्र की ही है, हाउस आफ लार्डस् की बहस में यह बताया गया था कि जब भारत में अधिकारों को हस्तान्तरित करने के पश्चात् वे सार्वभौम सत्तायें समाप्त हो जायंगी और अन्त में या तो देशी रियासतें भारत की अन्तःकालीन सरकार से मैत्री करें और या उस स्वतन्त्र भारत के आधीन और आश्रित होकर अकेली अलग रहें। इसलिए मैं अपने देशी रियासतों के मित्रों को सलाह देता हूं कि वे विधान-परिषद से सम्मिलित होने के निमन्त्रण पाने की व्यर्थ प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि वे सम्मिलित होना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। देशी रियासतों से संधियों के सम्बन्ध का विषय—यह फिर ऐसा प्रश्न है—जिस पर विधान-परिषद् को अन्तिम निर्णय करना होगा। मैं इसलिए विचार करता हूं कि पाकिस्तान और देशी रियासतों के प्रश्न से हमें व्यथित नहीं होना चाहिए। हम अपने कर्तव्य में अग्रसर हों पर यह याद रखिये कि इस विधान-परिषद् को कांग्रेस के सर्वोच्च सत्ता (हाई कमांड) ने भी गलत समझा है कि मानो हम ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश मन्त्रि प्रतिनिधि मंडल की उपज हैं। यह ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन की उपज नहीं है। (वाह-वाह) इसकी सत्ता इस बात के आधार पर है कि देश की राजनैतिक जागृति इस सीमा तक उन्नत हो चुकी है कि ब्रिटिश सरकार को वैधानिक स्वतन्त्रता या प्रतिरोधी स्वतन्त्रता

[डा० सर हरीसिंह गौड़]

का सामना करना पड़ेगा। बल या प्रोत्साहन ही ब्रिटिश सरकार के लिए बचा है। पहले वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने अभी कुछ दिन हुए सरदार सभा (House of Lords) में बताया कि ब्रिटिश सरकार भारत पर उस समय तक अपना प्रभुत्व जमाये नहीं रह सकती, जब तक कि उसके पीछे ब्रिटिश सहायता का नैतिक अधिकार न हो। ग्रेट ब्रिटेन में इसके पक्ष में कोई नहीं है और निश्चित रूप से भारत से पक्ष प्राप्त करना समाप्त हो चुका। अतः यह राजनैतिक आवश्यकता का प्रश्न हो गया है और ब्रिटिश मंत्रि प्रतिनिधि मंडल और ब्रिटिश मजदूर दल ने अब भारत को स्वतन्त्रता देने की ठान ली है। स्वतन्त्रता मिलेगी—और जरूर मिलेगी। जब हम यहां भारत का भावी विधान बनाने के लिए बैठे हैं, तो हम इधर-उधर न देखें और इस ओर दृष्टिपात न करें कि मुस्लिम लीग क्या सोचेगी, या ब्रिटिश सरकार क्या विचारेगी और अपने संदेहों को संघ-शासन सम्बन्धी न्यायालय (Federal-Court) में भेजें।

फैडरल कोर्ट के सम्बन्ध के विषय पर हाउस के निश्चय की पूर्व कल्पना मैं नहीं करना चाहता, परन्तु मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि इस हाउस को इस बात का ध्यान न करते हुए कि विरोध का सामना करना है या आलोचना का, चाहे वे कहीं से भी आवें या उत्पन्न हों, अपना कार्य करने के लिए यथेष्ट रूपेण आत्म सम्मानित होना चाहिए। (घोर करतल ध्वनि)

*श्रीमती दाक्षायणी वेलायुदन (मद्रास : जनरल) : श्रीमान् जी, प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने के पूर्व मुझे अपने क्रान्तिकारी पिता महात्मा गांधी के प्रति विनम्र भक्ति-प्रसून अर्पण करने दीजिये। (करतल-ध्वनि) यह उनकी अन्तर्दृष्टि, उनके राजनैतिक आदर्शवाद और उनकी सामाजिक उत्कंठा है, जिसने हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराये। मैं निवेदन करती हूं कि विधान-परिषद् केवल विधान ही नहीं बनाती, वरन् जनता को जीवन का एक नया स्वरूप भी देती है। विधान बनाना सरल कार्य है, क्योंकि हमारे लिए अनुकरण करने को अनेकों नमूने हैं। परन्तु नवीन आधार पर जनता को नूतन बनाने के लिए कल्पना करनेवाले (व्यक्ति) को संयोगात्मक दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वतन्त्र सर्वशक्ति-सम्पन्न भारत एक स्वतन्त्र समाज की कल्पना करता है। हमारे प्राचीन शासन-विधान में निरंकुश शासन और जनतन्त्र शासन में संघर्ष थे। प्रजातन्त्रवाद की क्षीण ज्योति को सत्ता-लोलुप राज्य की शक्ति से बुझा दिया गया था। लिच्छवी जनतन्त्र (The Lichavi Republic) हमारे पूर्वजों की जनतन्त्रात्मक मेधा का सुन्दर प्रदर्शन था। उसमें प्रत्येक नागरिक राजा कहा जाता था। भारत के आनेवाले प्रजातन्त्र में अधिकार जनता से प्राप्त होंगे।...

समझौता समिति (नैगोशियेटिंग कमेटी) के उन सदस्यों की घोषणा से जो

कि नरेन्द्र मंडल के प्रतिनिधि हैं, हम शासकों का दृष्टिकोण इस विषय में समझ सकते हैं। परन्तु अपनी जनता के लिए ऐतिहासिक संदेश देनेवाले महाराजा भी हैं। मेरा अभिप्राय कोचीन के महाराज से है—जो कि भारत में एक अत्युन्नत रियासत है और मुझे यह कहने का गौरव है कि मैं उसी रियासत की हूं। यह सन्देश का भाग है:—

"मैं केवल वैधानिक नियम में विश्वास करता हूं और अपने समस्त जीवन में मैंने (मानव) जीवन और संस्थाओं के प्रति, जो कि एकतन्त्र और व्यक्ति शासन के विरुद्ध है, परिश्रम से एक दृढ़ भाव को ग्रहण कर लिया है।"

इस सन्देश से यह स्पष्ट है कि अधिकार जनता से प्राप्त होते हैं। भारतीय जनतन्त्र में जाति और सम्प्रदाय-आश्रित कोई रुकावटें नहीं होंगी। भारतीय संघ के जनतन्त्रात्मक राज्य में हरिजन सुरक्षित होंगे। मैं अनुमान करती हूं कि नीचे के वर्ग के लोग भारतीय जनतन्त्र के शासक होंगे। मैं इसलिए विधान-परिषद् के हरिजन प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगी कि वे पृथक्-वाद का राग न अलापें। पृथक्-वाद के राग को अलापकर हम अपने आपको अपनी भावी संतानों के लिए हास्यास्पद न बनायें। साम्प्रदायिकता चाहे हरिजन, मुसलमान या सिख (किसी की हो) राष्ट्रीयता के विरुद्ध है। (वाह-वाह) जो कुछ हम चाहते हैं, वह सब प्रकार का संरक्षण नहीं है। वह नैतिक संरक्षण है, जो कि देश के नीचे वर्ग के लोगों को वास्तविक शरण देता है। मैं हरिजनों के भविष्य के लिए बिलकुल भयभीत नहीं हूं। वे संरक्षण जो हरिजनों की स्थिति में सुधार करते हैं, संरक्षण नहीं हैं।

कुछ दिन हुए हमने श्री चर्चिल का हरिजनों के विषय पर चिकना-चुपड़ा धारा-प्रवाहिक वक्तव्य सुना। उन्होंने कहा कि भारत की परिगणित नामक जातियों के जीवन और कल्याण का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर है, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। ब्रिटिश सरकार ने हरिजनों की सामाजिक स्थिति के सुधार के लिए क्या किया ? क्या उन्होंने सिवाय चपरासी और खानसामा बनाने के कभी उनकी सामाजिक हीनताओं को दूर करने के लिए कोई विधान निर्माण किया ? फिर भी श्री चर्चिल ने यह अभियोग लगाया कि हरिजन सवर्ण हिंदुओं की—अपने कष्टदायकों की—दया पर आश्रित थे। श्री चर्चिल इस देश के सात करोड़ हरिजनों को शरण लेने के लिए इंग्लैंड नहीं ले जा सकते है। वे केवल कुछ सम्प्रदायवादियों को शरण दे सकते हैं, जो कि इंग्लैंड जा सकें। श्री चर्चिल को समझना चाहिए कि हम भारतीय हैं। हरिजन भारतीय हैं और उनको भारत में भारतीयों के समान रहना है और वे भारत में भारतीयों के समान रहेंगे। हमने भी अभी सुना है कि परिगणित जातियां अल्पसंख्यकों में समझी गई हैं। इस प्रकार का कोई भी उल्लेख १६ मई के राजपत्र (State Paper) में नहीं

[श्रीमती दाक्षायणी बेलायुदन]

किया गया है। मैं सात करोड़ हरिजनों को अल्पसंख्यक समझने के विचार को अस्वीकार करती हूं। न तो भारत के राजमन्त्री लार्ड पैथिक लारेंस, न प्रधान मन्त्री श्री एटली और न विरोधी दल के नेता श्री चर्चिल हरिजनों की दशा सुधारेंगे। जो कुछ हम चाहते हैं, वह हमारी सामाजिक अयोग्यताओं का उन्मूलन—शीघ्र ही उन्मूलन-करना है। केवल स्वतन्त्र समाजवादी भारतीय जनतन्त्र ही हरिजनों को स्वतन्त्रता और स्थिति की समानता प्रदान कर सकता है। हमारी स्वतन्त्रता केवल भारतीयों से प्राप्त हो सकती है न कि ब्रिटिश सरकार से।

मुझे डाक्टर अम्बेडकर से इस देश की राष्ट्रीय सेना में सम्मिलित होने की अपील करने दीजिये। हरिजन जाति के केवल वही नेता हैं और उनका राष्ट्रीय दल से असहयोग हरिजनों के लिए एक बड़ी दुर्घटना है; उनका राष्ट्रीय दल से सहयोग हरिजनों के लिए मोक्षदायक होगा। श्रीमान् जी, (डाक्टर अम्बेडकर की ओर आदेश करते हुए) यह आपके लिए देश के समक्ष अपनी सेवाएं अर्पण करने का एक अनमोल अवसर है।

हरिजन केवल समाजवादी जनतन्त्र भारत में स्वतन्त्र होंगे, आओ हम सब इस प्रस्ताव का समर्थन करें और इसे पूर्ण करने का कार्य करें; चाहे यह हमसे बड़े-से-बड़े त्याग की मांग करे।

माननीय डाक्टर जयकर द्वारा रखे गए संशोधन के सम्बन्ध में मैं सोचती हूँ कि जो इस संशोधन का समर्थन करते हैं, उनको व्हाइट हाल से प्रेरणा मिलती है न कि इस देश की जनता से। हाल में विभिन्न क्षेत्रों से विधान-परिषद के स्थगित करने के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना। लार्ड वेवल ने इसका पक्ष-समर्थन किया, श्री जिन्ना ने इस पर जिद की। मुझे प्रतीत होता है कि डाक्डर जयकर इस संशोधन को रखकर विधान-परिषद् की वास्तविकता पर प्रश्न कर रहे हैं और लोक-सभा (हाउस आफ कॉमन्स) में कुछ दिन हुए श्री चर्चिल द्वारा उपस्थित किए गए तर्क की पुष्टि कर रहे हैं।

डाक्टर जयकर ने भी रियासत की जनता के लिए पवित्र सहानुभूति प्रकट की है। यदि रियासत शब्द से माननीय सदस्य का अभिप्राय रियासत के वास्तविक प्रतिनिधियों से है, तो मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला सकती हूँ कि रियासतों की जनता कांग्रेस और विधान-परिषद के साथ है। (करतल ध्वनि) और विधान-परिषद् द्वारा किया हुआ कोई भी निश्चय रियासतों की जनता को मान्य होगा।

मैं सोचती हूं कि मुझे कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा प्रकट किये विचारों का भी उल्लेख करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेषित ऐतिहासिक प्रस्ताव में इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति के लिए हर प्रकार की

व्यवस्था की गई है और अब वह दल जो कि विगत युद्ध को जन-युद्ध कहता था, कुछ समय के लिए विधान-परिषद् को इस प्रस्ताव पर विचार करने को स्थगित करने की शिक्षा देने यहां आया है। यदि मैं त्रुटि करती हूं, तो मुझे क्षमा किया जाय। इस प्रकार के कहे जानेवाले कम्युनिस्ट हरिजनों को लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त उनका शोषण ही कर रहे हैं। वे हरिजनों के लिए पृथ्वी के टुकड़ों की प्रतिज्ञा करते हैं और इस प्रकार वे उन्हें (हरिजनों को) राष्ट्रीय सेना से दूर हटाने का प्रयत्न करते हैं। मेरे विचार से कम्युनिस्ट दल किसी बाह्य स्थान से प्रेरणा प्राप्त कर रहा है और इसलिए यह हमारे लिए उचित नहीं है कि कम्युनिस्टों के विचारों को स्वीकार करें। हम अपनी उन्नति के लिए ऐसे दल पर निर्भर नहीं रह सकते हैं और हमारी उन्नति राष्ट्रीय सेना में है, जिसके प्रतिनिधि परिषद् में हैं। इसलिए मैं आशा करती हूं कि भावी स्वतन्त्र भारत में हरिजनों को देश के प्रत्येक नागरिक के समान सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त होगा।

*सभापति : एक बजकर १५ मिनट हो चुके हैं। परिषद् परसों ग्यारह बजे तक के लिए अब स्थगित की जाती है।

परिषद् शनिवार, २१ दिसम्बर सन् १९४६ ई० के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

भारतीय विधान-परिषद

शनिवार, २१ दिसम्बर, सन् १९४६ ई०

भारतीय विधान-परिषद की बैठक ग्यारह बजे कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में हुई।

परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर

*सभापति : मैं आशा करता हूं कि एक दूसरी महिला मेम्बर का स्वागत करने में यह सभा मेरा साथ देगी। आप आज सुबह पहली बार इस सभा में पधारी हैं क्योंकि आप अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिये बाहर गई हुई थीं। मैं राजकुमारी अमृतकौर से प्रार्थना करता हूं कि वे रजिस्टर पर हस्ताक्षर करें।

इसके बाद नीचे लिखे हुये मेम्बरों ने अपने परिचय-पत्र दिये और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये :—

राजकुमारी अमृतकौर (मध्यप्रांत और बरार : जनरल)

सर पदमपत सिंघानिया (संयुक्त प्रांतः जनरल)

विधान-परिषद की निगोशियेटिंग कमेटी के चुनाव के सम्बन्ध में प्रस्ताव

*श्री के० एम० मुंशी (बम्बई : जनरल) : सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं :—

"यह असेम्बली निश्चय करती है कि नीचे लिखे हुये मेम्बरों, यानी—

(१) मौलाना अबुलकलाम आज़ाद,

(२) माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू,

(३) माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल,

(४) डा० बी० पट्टाभि सीतारमैया,

(५) श्री शंकरराव देव और

(६) माननीय सर एन० गोपालस्वामी आयंगर

---

* इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[श्री के० एम० मुंशी]

की एक कमेटी होगी जो नरेन्द्र मंडल द्वारा बनाई हुई निगो-शियेटिंग कमेटी और देशी रियासतों के दूसरे प्रतिनिधियों से इस उद्देश्य से बातचीत करेगी कि वह :—

(क) इस असेम्बली की उन जगहों का वितरण निश्चित करे जो ९३ से अधिक नहीं होंगी और जो मन्त्रिमंडल के १६ मई सन् १९४६ ई० के बयान के अनुसार देशी रियासतों के लिये सुरक्षित रक्खी गई हैं।

(ख) इस असेम्बली के लिये रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका निश्चित करे।

यह असेम्बली यह भी निश्चय करती है कि इस कमेटी में बाद को तीन मेम्बरों से अधिक अतिरिक्त मेम्बर न रक्खे जायेंगे और वे इस असेम्बली द्वारा ऐसे समय में और ऐसे तरीके से निर्वाचित किये जायेंगे जिनको कि सभापति निश्चित करें।"

*श्री सोमनाथ लहिरी (बंगाल : जनरल) : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव में संशोधन पेश करने का क्या तरीका है। मैं समझता हूं कि संशोधनों को पेश करने के लिये हमें कम से कम कुछ घंटे अवश्य दिये जायेंगे।

*सभापति : क्या यह संशोधन प्रस्ताव के विषय के सम्बन्ध में है या उसमें बताये हुये नामों के बारे में ?

*श्री सोमनाथ लहिरी : प्रस्ताव के विषय के सम्बन्ध में।

*सभापति : हम इस पर विचार करेंगे।

*श्री श्रीप्रकाश (संयुक्तप्रांत : जनरल) : सबसे अच्छा यह होगा कि यह तय किया जाये कि सवा बजे तक सब संशोधन पेश किये जायें और तब तक हम प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।

*सभापति : मेरा विचार है कि प्रस्तावक और समर्थक एक घंटे से कुछ ही अधिक समय लेंगे और इतने समय में आप संशोधन पेश कर सकेंगे।

*श्री के० एम० मुंशी : यह बहुत कुछ एक रस्मी प्रस्ताव है और वह केवल इस कारण से कि मन्त्रिमंडल ने अपने बयान में और लार्ड पैथिक लारेंस ने अपने भाषण में कहा है कि इस प्रस्ताव में बताये हुये उद्देश्यों के सम्बन्ध में रियासतों से बातचीत करने के लिये इस असेम्बली को एक कमेटी नियुक्त करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में श्रीमान् लार्ड पैथिक लारेंस ने हाल में जो कुछ बातें कहीं उन्हें मैं बताना चाहता हूं। लार्ड पैथिक लारेंस ने कहा है कि :—

"यह तय करने के लिये कि विधान-परिषद् में रियासतों के प्रतिनिधियों की जगहें किस तरह भरी जायें, देशी रियासतों की बनाई हुई कमेटी और विधान-परिषद के ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई हुई कमेटी को एक दूसरे से सलाह लेनी चाहिये। रियासतों ने अपनी कमेटी बनाली है और जब असेम्बली के ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि भी अपनी कमेटी बना लेंगे तो बातचीत शुरू हो सकती है।"

इस सभा को तुरन्त ही स्पष्ट हो जायेगा कि यह बातचीत जल्दी से जल्दी शुरू की जानी चाहिये। इसीलिये यह प्रस्ताव आज इस सभा के सामने रक्खा गया है। इस समय इस कमेटी में सिर्फ छः मेम्बर रक्खे गये हैं। इस कमेटी को बहुत से नाजुक मामले तय करने हैं। इसलिये यह जरूरी है कि यह जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी बनाई जाये। इसके अलावा जिन उद्देश्यों से यह कमेटी बनाई जा रही है उनका पूरी तौर से बयान में उल्लेख है। इसलिये मैं यह सिफारिश करता हूं कि इस सभा को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिये।

*डा० सच्चिदानन्द सिनहा (बिहार : जनरल) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*एक माननीय मेम्बर : क्या इस असेम्बली को यह बताया जायेगा कि इस बातचीत का क्या नतीजा हुआ है ?

*श्री के० एम० मुंशी : मैं माननीय मेम्बरों के सूचनार्थ यह बताना चाहता हूं कि जहां तक मंन्त्रिमंडल के बयान का सम्बन्ध है, उसमें रियासतों की एक निगोशियेटिंग कमेटी की व्यवस्था है। विधान-परिषद को निगोशियेटिंग कमेटी उससे मिलेगी और यह तय करेगी कि असेम्बली में रियासतों

[श्री के० एम० मुंशी]

का प्रतिनिधित्व किस प्रकार का हो। जहां तक मैं समझता हूँ मन्त्रिमंडल के बयान का यही अर्थ है। लेकिन इस मामले को अवश्य ही इस सभा के सामने रक्खा जायेगा और मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि इस सभा को इस पर अपना मत प्रकट करने का अवसर मिलेगा।

*श्री पी० आर० ठाकुर : (बंगाल : जनरल) : श्रीमान, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि माननीय सर एन० गोपालस्वामी आयंगर के नाम के बाद इस सभा के एक हरिजन मेम्बर का नाम रख दिया जाये।

मैं इस बात पर जोर सिर्फ इसलिये दे रहा हूं कि यह आवश्यक है कि इस कमेटी में, जो यह तय करने जा रही है कि रियासतों के लिये इस असेम्बली में जो जगह सुरक्षित रक्खी गई हैं उनका वितरण किस प्रकार हो और रियासतों के प्रतिनिधि किस तरीके से चुने जायें, एक हरिजन मेम्बर भी रक्खा जाये। रियासतों में हरिजन हैं और सामाजिक व राजनैतिक दृष्टि से उनकी दशा प्रान्तों के हरिजनों से खराब है। इसलिये मैं इस सभा से प्रार्थना करता हूं कि इस सभा का एक हरिजन मेम्बर कमेटी में रख दिया जाये।

*सभापति : क्या आप किसी का नाम तजवीज कर सकते हैं ?

*श्री पी० आर० ठाकुर : यह सभा ही तय करेगी कि कौन रखा जाये।

*श्री सोमनाथ लहिरी : श्रीमान, मैं दो संशोधन पेश करता हूं। पहला संशोधन मैं उस बात को साफ करने के लिये पेश कर रहा हूं जिसे प्रस्तावक महोदय ने साफ नहीं किया था और वह यह है कि कमेटी जिन नतीजों पर पहुँचेगी वह समर्थन के लिये इस सभा के सामने रक्खे जायेंगे कि नहीं। संशोधन यह है :—

(१) प्रस्ताव के आखिरी पैराग्राफ के बिल्कुल पहले ये शब्द जोड़ दिये जायें :—

"आवश्यक बातचीत और सलाह मशविरे के बाद यह कमेटी विभिन्न रियासतों के बीच जगहें वितरित करने के सम्बन्ध में और रियासतों के प्रतिनिधि चुनने के तरीके के बारे में अपनी अंतिम सिफारिशें समर्थन के लिये असेम्बली के सामने रक्खेगी।"

(२) कमेटी के कामों की मद (ख) के अन्त में ये शब्द जोड़े जायें :—

"लेकिन कमेटी को यह स्पष्ट रूप से समझ कर बातचीत करनी चाहिये कि यह असेम्बली केवल यह स्वीकार करती है कि रियासतों के लोगों को ही इस असेम्बली में रियासतों के प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है और वह भी सीधे-सीधे चुनाव के आधार पर।"

मैं ये दो संशोधन पेश करता हूं। इन संशोधनों का उद्देश्य, विशेषतया पहले संशोधन का उद्देश्य, रियासतों के प्रतिनिधियों के प्रश्न को हल करना है क्योंकि आप जानते हैं कि वह अभी हल नहीं हुआ है। मैं यह जानता हूं कि जिस कमेटी की आपने तजवीज की है, उसके अधिकांश मेम्बर और इस सभा के अधिकांश मेम्बर यह समझते हैं कि इस सभा में रियासतों के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये, न कि रियासतों के स्वेच्छाचारी शासकों का। दुर्भाग्यवश सरकारी बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है। उसकी कई प्रकार व्याख्या की गई है जैसा कि पिछले दिन, मैं समझता हूं, सर एन० गोपालस्वामी आयंगर ने कहा था। हमें यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम यह नहीं चाहते कि रियासतों के नरेश और शासक यह तय करें कि इस असेम्बली में रियासतों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार का हो, क्योंकि हमें भय है कि एक तो स्वेच्छाचारी शासक होने के कारण और दूसरे अंग्रेजी साम्राज्यशाही की कठपुतलियां होने से, जो कुछ भी थोड़ी सी स्वतन्त्रता की हम भारत के विधान में व्यवस्था करेंगे उसको भी वे कम करने का प्रयत्न करेंगे। यह रियासतों के जनसाधारण के प्रति न्याय नहीं होगा।

श्रीमान्, आप जानते हैं कि इस समय बहुत सी रियासतों में वहां के शासकों की तरफ से एक भयानक दमन चक्र चल रहा है। आपने देखा कि काश्मीर में किस प्रकार अधिकारियों ने श्रीमती अरुणा आसफअली की सभा में गड़बड़ पैदा करदी और किस प्रकार सारी नेशनल कांफ्रेंस को दमन द्वारा असफल बनाने की चेष्टा की जा रही है; यद्यपि यह समझा जाता है कि वहां प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के आधार पर या जिस तरह भी आप कहिए चुनाव हो रहा है। हमने यह भी सुना है कि हैदराबाद में पिछले चंद महीनों में, हैदराबाद रियासत की सेना और पुलिस ने, ७००० लोगों, स्त्री-पुरुष और बच्चों की हत्या कर डाली। हम यह कभी नहीं चाहते कि ये शासक यहां आयें, हमसे बातचीत करें और हमारे देश

[श्री सोमनाथ लहिरी]

का विधान बनाने में भाग लें। इसी कारण से श्रीमान, मेरा दूसरा संशोधन यह है कि कमेटी को यह स्पष्ट रूप से समझ कर बातचीत करनी चाहिए कि यह असेम्बली केवल यह स्वीकार करती है कि रियासतों के लोगों को ही इस असेम्बली में रियासतों के प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है और वह भी सीधे-सीधे चुनाव के आधार पर।

मुझे इसमें सन्देह नहीं कि जिन प्रतिनिधियों को आपने चुना है वे रियासतों के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रक्खेंगे। लेकिन यह एक ऐसी बात है जिसे आखिर रियासतों के लोगों को ही तय करना है। इसलिए जो मेम्बर चुने गये हैं उनका विश्वास करते हुए और आगे की घटनाओं को ध्यान में रख कर और इसको भी ध्यान में रखकर कि रियासतों के शासकों का क्या रुख होगा और यह कि वहां के लोगों की क्या मांगें होंगी, मैंने यह प्रस्ताव किया है कि जिन निर्णयों पर पहुँचा जाय वे समर्थन के लिए इस असेम्बली के सामने रक्खे जायें।

*श्री के० एम० मुंशी : श्रीमान, क्या मैं एक शब्द कह सकता हूँ ?

*सभापति : प्रस्ताव पेश हो चुका है और संशोधन भी पेश हो चुके हैं। अब इन सभी बातों पर सभा बहस कर सकती है।

प्रस्ताव और संशोधनों पर अब बहस की जा सकती है। जो कोई भी मेम्बर इस पर बोलना चाहते हैं, आगे बढ़ें।

*श्री के० संथानम् (मद्रास : जनरल) : मैं एक दूसरा संशोधन पेश करना चाहता हूं। मैं यह पेश करना चाहता हूं कि :—

"इस उद्देश्य से बातचीत करेगी कि वह" शब्दों के बाद "नीचे दी हुई बातों के बारे में सिफारिश करे" शब्द जोड़ दिये जायँ और (क) और (ख) में "निश्चित करे" शब्दों को निकाल दिया जाए।

मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि इस सभा की किसी भी कमेटी को किसी मामले में अंतिम निर्णय करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। इसका सम्बन्ध एक सिद्धान्त से है और इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं कमेटी के मेम्बरों का विश्वास नहीं करता। जिन मेम्बरों के बारे में प्रस्ताव किया गया है उन पर मेरा

पूरा विश्वास है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण विषय है और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी कमेटी को अन्तिम अधिकार दिये जायँ।

सभापति : मेरे विचार में श्री लहिरी के संशोधन में आपके संशोधन का आशय आ गया है।

*श्री के० सन्थानम् : मैंने उसे आसान बना दिया है।

*सभापति : यह श्री लहिरी के संशोधन में आगया है।

*श्री के० सथानम् : मेरा संशोधन पढ़ने में उससे अच्छा होगा। इस सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिये कि इस सभा को अन्तिम निर्णय करने का अधिकार है और चाहे हम जो भी कमेटी बनायें या जो भी कार्यवाही करें उसमें इस सिद्धान्त के अनुसार काम होना चाहिये। निस्सन्देह मेरे संशोधन में वे आधारभूत बातें आ जाती हैं जिनको श्री लहिरी ने पेश किया है, लेकिन यदि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये तो यह नियम पढ़ने में पहले से अच्छा लगेगा।

*श्री धीरेन्द्र नाथ दत्त (बंगाल : जनरल) : सभापति महोदय, मैं उस संशोधन का विरोध करने के लिये उठा हूं जो मेरे मित्र श्री सोमनाथ लहिरी ने पेश किया है। संशोधन में जो भावना प्रकट की गई है उससे मेरी पूरी सहानुभूति है लेकिन श्री लहिरी एक बात भूल गये हैं। यह एक सलाह-मशविरा करने वाली कमेटी है। यदि आप १६ मई के बयान के पैराग्राफ १६ के वाक्यखंड (२) को देखें तो उसमें कहा गया है कि :—

> "विचार यह है कि अन्तिम विधान-परिषद में रियासतों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा और ब्रिटिश भारत में जिस आधार पर जनगणना की गई है उसको देखते हुये उनके प्रतिनिधि ९३ से अधिक नहीं होंगे, लेकिन वे किस तरीके से चुने जायें यह सलाह-मशविरे से तय होगा। शुरू में रियासतों का प्रतिनिधित्व एक निगोशियेटिंग कमेटी करेगी।"

इसलिये चुनाव का तरीका सलाह-मशविरे से तय होना है और सभापति महोदय, यह स्पष्ट है कि एक सलाह-मशविरा करने वाली कमेटी बनाई जाये। रियासतों ने एक निगोशियेटिंग कमेटी बनाई है और हमें एक दूसरी सलाह-मशविरा करने वाली कमेटी बनानी ही है। यह मुमकिन नहीं है कि यह सारी

[श्री धीरेन्द्र नाथ दत्त]

सभा प्रतिनिधियों की संख्या और उनके चुनने के तरीके को तय करने के लिये निगोशियेटिंग कमेटी से बातचीत करे। इसलिये यह जरूरी है कि सलाह-मशविरा करने वाली एक कमेटी बनाई जाये और इस कमेटी में बहुत थोड़े मेम्बर हों। यदि इस संशोधन को स्वीकार किया जाये तो प्रस्ताव का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है, क्योंकि दो छोटी कमेटियों के बीच सलाह-मशविरा होना चाहिये जिनमें से एक हम बनायेंगे और दूसरी रियासतें बनायेंगी। इसलिये श्रीमान, मेरे मित्र श्री लहिरी ने जो संशोधन पेश किये हैं उनका मैं विरोध करता हूं, यद्यपि उन्होंने जो भावना प्रकट की है उससे मुझे पूरी सहानुभूति है। इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र श्री के० एम० मुंशी द्वारा पेश किये हुये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और श्री लहिरी ने जो संशोधन पेश किये हैं उनका विरोध करता हूं।

*श्री जयपाल सिंह (बिहार : जनरल): मैं अपने मित्र श्री लहिरी से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने संशोधन वापस ले लें। मैं समझता हूं कि जाब्ते और नियमों की कमेटी ने जो काम किया है उसकी रिपोर्ट की एक नकल उनको मिली होगी। उसमें यह बताया जा चुका है कि कमेटियां जो काम भी करेंगी वह किसी न किसी समय इस सभा के सामने रक्खा जायेगा और सभा को इसकी स्वतन्त्रता होगी कि वह उनकी सिफारिशों को स्वीकार करे या न करे। ऐसी सूरत में श्री लहिरी की बात पूरी हो जाती है।

दलित जातियों के एक मेम्बर ने—मैं नहीं जानता की दलित जातियों और परिगणित जातियों में क्या अन्तर है—इसके लिये दलील पेश की है कि कमेटी में दलित जाति का एक मेम्बर होना चाहिये। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मुझे उन नामों के विरोध में कुछ भी नहीं कहना है जिनका सुझाव इस प्रस्ताव को पेश करने वालों ने किया है। वे प्रतिष्ठित लोग हैं। वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रियासतों में काम किया है और वे रियासतों से परिचित हैं। मगर श्रीमान्, मैं विनयपूर्वक कहूंगा कि मेरे विचार में उन्हें पूर्वी रियासतों का बहुत ज्ञान नहीं है। भारतीय रियासतों के प्रजा-मंडल का सम्बन्ध साधारणतया उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत और मध्य भारत व पश्चिमी भारत के एक भाग से रहा है। उनको उड़ीसा की रियासतों की ऐजेंसी या बंगाल और उत्तर पूर्व की ऐजेंसियों से शायद ही कभी कोई काम पड़ा हो। यदि मैं अपनी तूती थोड़ी बहुत खुद ही बजाऊं तो मैं आशा

करता हूं कि यह सभा मुझे क्षमा करेगी। जब से मैं ब्रिटिश पश्चिमी अफ्रीका से वापस लौटा हूं, मैं आदिवासियों के बीच में और आदिवासियों के क्षेत्रों में बहुत घूमा हूं और पिछले ६ वर्षों में मैंने १,१४,००० मील का सफर किया है। इससे मैं यह जान सका हूं कि आदिवासियों की जरूरतें क्या हैं और इस सभा से उनके लिये क्या करने की आशा की जाती है। भारतीय भारत में, राजस्थान में, नरेन्द्रों के भारत की ६ करोड़ की आबादी में, १ करोड़ ५० लाख आदिवासी हैं, १ करोड़ ५० लाख कबीले हैं। श्रीमान, इतनी बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुये, निगोशियेटिंग कमेटी में एक आदिवासी होना चाहिये। मेरी राय में वह कमेटी की सहायता कर सकेगा। मैं कमेटी के काम में बाधा नहीं डाल रहा हूं। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि आदिवासियों के अधिकारों के लिये लड़ने के लिये उसमें एक आदिवासी होना चाहिये। जब आप आदिवासियों के अधिकारों के लिये लड़ेंगे तो आपको एक आदिवासी की जरूरत होगी और वह निगोशियेटिंग कमेटी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेगा। श्रीमान्, मैं यह राय देता हूँ कि इस प्रस्ताव के निर्माताओं और प्रस्तावक को कमेटी में एक आदिवासी शामिल कर लेना चाहिये और उसके मेम्बरों की संख्या सात कर देनी चाहिये।

*माननीय श्री बी० जी० खेर (बम्बई : जनरल) : सभापति महोदय, मैं दलित जातियों और आदिवासियों के हितों के लिये यहां किसी मेम्बर से कम चिन्तित नहीं हूं। लेकिन आदिवासियों या दलित जातियों या ईसाइयों या अन्य किसी जाति के प्रतिनिधि के लिये जोर देना इस प्रस्ताव के उद्देश्य को ही गलत तरीके से समझना है। नरेन्द्र एक निगोशियेटिंग कमेटी बनाने जा रहे हैं और यदि आप नरेन्द्र-मंडल के चांसलर के उस पत्र को देखें जो उन्होंने १६ जून सन् १६४६ को वायसराय को लिखा, तो आप देखेंगे कि उसके पैराग्राफ ४ में वे लिखते हैं :—

"श्रीमान्, आपके निमन्त्रण के फलस्वरूप स्टैंडिंग कमेटी ने यह तय किया है कि एक निगोशियेटिंग कमेटी बनाई जाय जिसके मेम्बरों के नाम इस पत्र के साथ भेजी हुई सूची में दिये हुये हैं। श्रीमान की इच्छानुसार कमेटी ने इसके लिये भरसक प्रयत्न किया कि मेम्बरों की संख्या बहुत कम रक्खी जाय लेकिन उन्होंने यह अनुभव किया कि यह संख्या इससे कम न हो सकेगी। मैं बड़ा आभारी हूंगा यदि मुझे शीघ्र ही सूचित किया जाये

[माननीय बी० जी० खेर]

कि इस कमेटी की कब तक और कहां बैठक होगी और इसी तरह की उस दूसरी कमेटी में कौन लोग होंगे जिसे कि विधान-परिषद के ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि बनायेंगे। इस सलाह-मशविरे का जो नतीजा होगा उसके सम्बन्ध में यह तजवीज है कि उस पर नरेन्द्रों की स्टैंडिंग कमेटी, मन्त्रियों की कमेटी और कांस्टीट्यूशनल एडवाइज़री कमेटी विचार करेंगी और उनकी सिफारिशें नरेन्द्रों और रियासतों के प्रतिनिधियों के एक साधारण सम्मेलन के सामने रक्खी जायेंगी।"

अब अगर हम इस प्रस्ताव की शर्तों को देखें तो उसमें कहा गया है कि:—

"यह कमेटी इसलिये बनाई जायेगी कि वह नरेन्द्र-मंडल द्वारा बनाई हुई निगोशियेटिंग कमेटी और देशी रियासतों के दूसरे प्रतिनिधियों से केवल इसलिये बातचीत करेगी कि वह इस असेम्बली की उन जगहों का वितरण निश्चित करें, जो ९३ से अधिक नहीं होंगी, और इसलिये कि वह इस असेम्बली के लिये रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका निश्चित करें।"

इस प्रकार श्रीमान्, अब हमें ब्रिटिश भारत की तरफ से ऐसे लोगों को चुनना है जिन्होंने आजतक ब्रिटिश भारत के ही नहीं बल्कि भारतीय भारत के लोगों के हितों के सम्बन्ध में भी दिलचस्पी दिखाई है। हमारे बीच पं० जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति हैं जो रियासतों के प्रजामंडल के सभापति रहे हैं और डा० पट्टाभि सीतारमैया, शंकरराव देव ऐसे लोग भी हैं। एक संशोधन पेश करने वाले मेम्बर ने कहा है कि रियासतों में दलित जातियां हैं इसलिए इस कमेटीमें उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यदि यह बात है तो रियासतों में सिक्ख, देशी ईसाई और एंग्लोइण्डियन भी रहते हैं। यह कमेटी केवल यह तय करने के लिये बनाई गई है कि इस सभा में रियासतों का प्रतिनिधित्व किस तरीके से किया जाये। इस सीमित उद्देश्य के लिये साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न को उठाना ठीक नहीं। प्रस्ताव के शब्दों से यह स्पष्ट है कि हमारी कमेटी निगोशियेटिंग कमेटी से बातचीत करेगी और प्रस्तावक ने यह स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि उस बातचीत का जो नतीजा होगा उसे अन्तिम समर्थन के लिये इस सभा के सामने रक्खा जायेगा। इसलिये मैं संशोधनों के पेश करनेवालों से, जिनमें श्री संथानम् भी शामिल हैं, यह प्रार्थना करता हूं कि वे अपने संशोधनों को वापस ले लें। कमेटी का कार्य-क्षेत्र

सीमित है। मेरी राय में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व इत्यादि से मुख्य उद्देश्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ ऐसी रियासतें हैं जिनकी आबादी इतनी कम है कि उनके एक समूह का एक ही प्रतिनिधि हो सकता है। हम जानते हैं कि लगभग ६५० रियासतें हैं और यह आशा नहीं की जा सकती है कि उनके ६५० प्रतिनिधि होंगे। इन सभी रियासतों के उचित प्रतिनिधित्व के लिये ही यह कमेटी बनाई गई है। यह ठीक नहीं है कि उसके अधिकार को सीमित कर दिया जाये और मैं संशोधन पेश करने वालों से एक बार और अपील करता हूं कि वे अपने संशोधनों को वापस ले लें। इस सभा के सामने जो प्रस्ताव रक्खा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि वह एकमत से पास हो जायेगा।

*श्री के० संथानम् : यदि सभापति महोदय यह निर्णय करें कि इस कमेटी की तजवीजें समर्थन के लिये इस सभा के सामने रक्खी जायेंगी तो मैं खुशी से अपना संशोधन वापस ले लूंगा।

*सभापति :- पं० जवाहर लाल नेहरू !

*श्री सोमनाथ लहिरी : श्रीमान्, यदि आप यह निर्णय करें कि कमेटी की तजवीजों का समर्थन आवश्यक है तो मैं भी अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

*सभापति : मैं उचित समय में इस बारे में अपना निर्णय बताऊंगा। पंडित जवाहर लाल नेहरू !

*माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू (यू० पी० : जनरल) :- सभापति महोदय, श्री मुंशी ने जिस प्रस्ताव को सभा के सामने रक्खा है वह एक बहुत ही सीमित प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि वह इस असेम्बली में रियासतों के प्रतिनिधित्व के तरीके को निश्चित करे। यह उन तमाम सवालों को हल करने के लिये नहीं पेश किया गया है जो रियासतों और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में एक से हैं। श्री लहिरी ने एक दो ऐसी रियासतें बताईं जहां राजनैतिक संघर्ष चल रहा है। स्पष्टतः इस कमेटी का रियासतों की अन्दरूनी बातों से कोई मतलब नहीं है। इस सम्बन्ध में, मुझे आशा है, हम तब विचार करेंगे जब रियासतों के प्रतिनिधि यहां आ जायेंगे। हम उनसे बातचीत कर सकते हैं उनसे विचार-विनिमय कर सकते हैं और इन मामलों को तय कर सकते हैं। इसलिये इस समय हमें सिर्फ इस पर विचार करना है कि उनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार हो।

[माननीय पण्डित जवाहर लाल नेहरू]

अब श्रीमान्, दलित जातियों या आदिवासियों के सम्बन्ध में जो संशोधन पेश किये गये हैं उनमें इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि हम एक सीमित विषय पर विचार कर रहे हैं। निस्सन्देह दलित जातियों को अपने हितों की रक्षा करना है। लेकिन यह सवाल इस कमेटी को तय नहीं करना है। यह कमेटी रियासतों के अलावा हिन्दुस्तान के अन्य भागों का प्रतिनिधित्व करती है और यह नरेशों के प्रतिनिधियों से मिलेगी। मैं इसे साफ तौर से बता देना चाहता हूं कि इसे नरेशों की निगोशियेटिंग कमेटी से मिलना है। मेरे विचार में निगोशियेटिंग कमेटी में रियासतों के लोगों के प्रतिनिधि होने चाहियें थे और मेरी राय में अब भी यदि निगोशियेटिंग कमेटी सही बात करना चाहती है तो उसे कुछ ऐसे प्रतिनिधियों को शामिल कर लेना चाहिये। लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस समय हम इस पर जोर नहीं दे सकते। जब तक इस मामले में बातचीत करने के लिये हम एक कमेटी न बनायें, रियासतों के प्रतिनिधियों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। इसलिये इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि हम नरेन्द्र मंडल की बनाई हुई निगोशियेटिंग कमेटी से ही नहीं मिलेंगे लेकिन रियासतों के दूसरे ऐसे प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे जो कि शायद उसमें शामिल नहीं किये गये हैं और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हम उनसे यह तय करने के लिये मिल रहे हैं कि किस तरीके से रियासतों के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व हो। इस सूरत में, और रियासतें जैसी हैं उनको देखते हुये, आपकी समझ में आजायेगा कि कुछ बड़ी रियासतों को छोड़कर कई ऐसी छोटी रियासतें हैं जिनका हम, उन्हें समूहों में रख के या किसी दूसरे तरीके से प्रतिनिधित्व करना चाहेंगे क्योंकि यह सम्भव नहीं होगा कि हर एक रियासत का एक प्रतिनिधि हो। आप देखिये कि कितनी रियासतें हैं और हमें कितने प्रतिनिधि बुलाने हैं। हैदराबाद और काश्मीर जैसी रियासतों का प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर होगा। कुछ बड़ी रियासतों के दो, तीन या चार प्रतिनिधि हो सकते हैं लेकिन अधिकतर रियासतों का सिर्फ एक प्रतिनिधि होगा। उनमें से कई का एक प्रतिनिधि भी नहीं होगा। हमें उन्हें एक समूह में रखना होगा या कोई दूसरा तरीका निकालना होगा। हमें इन प्रश्नों को हल करना है। इनके अलावा कोई दूसरा प्रश्न जिसका किसी वर्गविशेष या रियासतों की अंदरूनी बातों से सम्बन्ध हो, इस कमेटी के सामने नहीं आयेगा। वे प्रश्न बाद को, जब रियासतों के प्रतिनिधि भी यहां रहेंगे, इस असेम्बली में पेश किये जायेंगे।

मैं निवेदन करता हूं कि इस कमेटी के सामने किसी विशेष समूह सम्प्रदाय, प्रान्त या रियासत का प्रश्न नहीं आयेगा। यहां जो लोग उपस्थित हैं उनमें से हम इस कमेटी में उन्हीं लोगों को शामिल करेंगे जिनको इस मामले की जानकारी है। लेकिन इस विशेष उद्देश के लिये आप समूहों के प्रतिनिधियों को रखने के बारे में विचार नहीं कर सकते क्योंकि यदि हम ऐसा करें तो कोई वजह नहीं है कि जितने भी वर्ग यहां हैं उनका प्रतिनिधित्व हो। यदि आप ट्रावनकोर की रियासत को लें तो आप देखेंगे कि धर्मों की दृष्टि से वहां की बहुत बड़ी आबादी ईसाइयों, रोमन कैथलिकों, की है। ट्रावनकोर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रियासत है और वहां के लोगों का अक्सर सरकारी अधिकारियों से कलह उठ खड़ा होता है। काश्मीर एक दूसरी महत्वपूर्ण रियासत है। इस प्रकार यदि आप इस छोटी सी कमेटी में साम्प्रदायिक आधार पर लोगों के प्रतिनिधि रखना चाहेंगे तो आपको बड़ी कठिनाई पड़ेगी। यह स्पष्ट है कि इसे एक छोटी कमेटी होनी चाहिये, क्योंकि यदि हम एक बड़ी कमेटी बनायें तो उसे नरेशों के प्रतिनिधियों से परामर्श करने में बड़ी कठिनाई पड़ेगी। इसलिये इस कमेटी को अलग-अलग वर्गों के आधार पर नहीं बनाना चाहिये, जैसी कि कुछ लोगों की राय है।

श्री जयपाल सिंह ने जो बयान दिया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। वह यह है कि रियासतों का प्रजामंडल उड़ीसा की रियासतों में बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहा है। रियासतों का प्रजामंडल बहुत से ऐसे काम नहीं कर पाया है जो उसे करने चाहिये थे क्योंकि उसे एक बहुत बड़े प्रश्न को हल करना है। लेकिन वास्तव में उड़ीसा की रियासतों पर रियासतों के प्रजामंडल में अक्सर विचार हुआ है और रियासतों के प्रजामंडल की स्थायी समिति का एक मेम्बर उड़ीसा का ही है।

अब श्री संथानम् और दूसरे लोगों ने जो संशोधन पेश किये हैं उनका लक्ष्य यह है कि इस सभा को ही अंतिम अधिकार हो। लेकिन यदि सभापति महोदय इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दें तो वे अपने संशोधन को वापस लेने के लिये तैयार हैं। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है कि ऐसे विषयों पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार इस सभा का ही होना चाहिये और यह कि इस कमेटी को एक बातचीत करने वाली कमेटी होनी चाहिये और इसे बातचीत करने के बाद इस सभा के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करनी चाहिये। यदि यह सभा इनके किसी कार्य से सहमत न हो तो उन्हें फिर उस सम्बन्ध में बातचीत करनी होगी। निस्सन्देह ऐसे सभी मामलों में कुछ

[माननीय पण्डित जवाहर लाल नेहरू]

अधिकार दिया जाता है। उदाहरण के लिये आप जब अन्य देशों से बातचीत करने के लिये अपने प्रतिनिधि भेजते हैं तो उन्हें बहुत कुछ अधिकार देते हैं। सभी देशों को उनकी राय मानने और न मानने का अधिकार है लेकिन आमतौर पर जब दो देशों के प्रतिनिधि एक साथ बैठते हैं और किसी मामले पर बहस करते हैं और कोई बात तय कर लेते हैं तो जब तक कि किसी सिद्धान्त की हत्या न हो, उनके समझौते को मान लिया जाता है क्योंकि उससे दूसरे लोगों का भी सम्बन्ध होता है। यही बात इस बारे में भी कही जा सकती है। लेकिन मैं यह राय देता हूँ कि, यदि यह सम्भव हो, मेरे सामने प्रस्ताव नहीं है, यह सम्भव हो सकता है कि ये शब्द रक्खे जायें कि कमेटी को अपनी रिपोर्ट इस सभा के सामने रखनी चाहिये।

*श्री अजीत प्रसाद जैन (संयुक्तप्रांत : जनरल) : क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? इस प्रस्ताव के अनुसार तीन समितियां बननी चाहियें। एक निगोशियेटिंग कमेटी जिसे कि यह सभा बनायेगी, एक दूसरी निगोशियेटिंग कमेटी जिसे कि नरेशों ने बनाया है और जिसके मेम्बरों के नाम घोषित हो चुके हैं और एक तीसरी निगोशियेटिंग कमेटी जिसमें कि रियासतों के दूसरे प्रतिनिधि होंगे। ये कमेटियां किस तरह अपना काम करेंगी और मतभेदों को मिटायेंगी? यदि नरेशों का एक रुख हो और रियासतों के दूसरे प्रतिनिधियों व अन्य लोगों का दूसरा रुख हो तो वे किस तरह अपना काम करेंगे?

*सभापति : मेरे विचार में मतभेदों को मिटाना निगोशियेटिंग कमेटियों का काम है और यह कमेटी व दूसरी कमेटी, जिसका हवाला आपने दिया है, मेरे विचार में इसको ध्यान में रख कर काम करेंगी।

*डा० पी० एस० देशमुख (मध्यप्रांत और बरार : जनरल) : यदि मुझे अपने माननीय मित्र के सवाल का जवाब देने को इजाजत हो तो मैं यह कहूंगा कि इस प्रस्ताव का वास्तव में यही उद्देश्य है। अगर रियासतों के विभिन्न प्रतिनिधियों के बीच मतभेद है तो श्रीमान्, हम जानते हैं कि इस असेम्बली में भी हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न वर्गों के बीच और रियासतों के लोगों के बीच और ब्रिटिश भारत के लोगों के बीच मतभेद है। इस प्रस्ताव में एक ऐसी समिति बनाने की तजवीज है जिसमें हमारा विश्वास हो और वह रियासतों के उन प्रतिनिधियों से बातचीत

करेगी जो निगोशियेटिंग कमेटी के लिये निर्वाचित किये गये हों या चुने गये हों। यह छोटी सी कमेटी बनाने की तजवीज़ इसीलिए की गई है कि इस सभा से यह आशा नहीं की जा सकती है कि यह नरेशों और रियासतों के लोगों के प्रतिनिधियों से वातचीत करे। सभापति महोदय, जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ और जो संशोधन पेश किये गये हैं उन सभी का विरोध करता हूं। विपक्षियों ने जो कोई भी बातें कहीं उनके जवाब मुझसे पहले बोलने वाले लोगों ने दे दिये हैं और मैं उन्हें दुहराने नहीं जा रहा हूं। मैं इस सभा का ध्यान सिर्फ एक खास बात की ओर दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि इस कमेटी से किन सीमाओं के अन्दर काम करने की उम्मीद की जा सकती है। यह बताते हुये मैं माननीय मेम्बरों का ध्यान मंत्रिमण्डल की योजना के पैराग्राफ १६। २ के वास्तविक शब्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। आप कृपा करके इस पर विचार करें कि यह कमेटी उस निगोशियेटिंग कमेटी से बातचीत करेगी जिसे कि रियासतों ने बना लिया है या बनाने वाले हैं। योजना के शब्द ये हैं "चुनने का तरीका सलाह-मशविरे से तय किया जायेगा"। यह बहुत सम्भव है कि "चुनने" शब्द की कई तरह से व्याख्या की जायेगी। रियासतों के प्रतिनिधि सम्भवतः हमारी व्याख्या से दूसरी ही व्यवस्था करें और यही अन्य लोग भी कर सकते हैं। इसलिये इस पर जोर देकर कि प्रतिनिधित्व का यही तरीका हो और दूसरा नहीं, कमेटी के हाथ बांध नहीं देना चाहिए। हमें इसे बातचीत करने वालों पर छोड़ देना चाहिये। इसलिये श्रीमान, मैं यह निवेदन करता हूं कि श्री सोमनाथ लहिरी का संशोधन, जिसमें कमेटी को आदेश किया गया है कि उसे क्या करना चाहिये, अनियमित है क्योंकि वास्तव में वह सारे प्रस्ताव को ही खत्म कर देता है। यदि हम यह चाहें कि कोई कमेटी एक ख़ास तरीके से काम करे तो वह बातचीत करने वाली कमेटी नहीं रह जाती, क्योंकि उसे हमारे आदेशानुसार पहले से निश्चित किये हुये कार्यक्रम के अनुसार ही काम करना होगा। हमारे लिये यह उचित न होगा कि हम हिन्दुस्तान के लोगों के कई वर्गों को अपने विरुद्ध कर लें और यह जानते हुये भी कि इस सभा की यह भावना है कि रियासतों के लोगों के प्रतिनिधियों को ही हम से बातचीत करने का अधिकार है, हमें बड़ी सावधानी से इस दिशा में कदम उठाना होगा और इस कमेटी को भी बड़ी सावधानी से काम करना होगा। हमें इस समय इस सम्बन्ध में पहले से निर्णय नहीं करना चाहिये

[डा० पी० एस० देशमुख]

और न कोई ऐसी बात करनी चाहिए जिससे नुकसान पहुँचे, और कमेटी को इसे तय करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए कि हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान के सभी लोगों और रियासतों के लोगों की भलाई के लिये उसे किस ढंग से काम करना चाहिए। यदि हम उनके निर्णयों पर टिप्पणी करना चाहेंगे तो, जैसा कि पंडितजी ने आश्वासन दिया है, इसके लिए बहुत समय मिलेगा और हम लोग इस सभा में अपना मत प्रकट कर सकेंगे। इसलिए में यह निवेदन करता हूं कि इस सभा को यह प्रस्ताव पास कर देना चाहिए, और यह कि जो संशोधन पेश किये गये हैं, उन्हें वापिस ले लेना चाहिए।

*श्री वी० आई० मुनिस्वामी पिल्लई (मद्रास : जनरल) : श्री मुंशी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़ा हूं। जब दलित जातियों के एक प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए संशोधन पेश किया गया तो मैंने देखा कि इस बारे में बहुत शोर मचाया गया। चाहे उसका अवसर हो या न हो साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पर जोर दिया जाता है। मैं इस सभाको यह बताना चाहता हूं कि रियासतों में दलित जातियों की दशा यहां से कहीं गई बीती है। पिछले दिन जब मेरी कोचीन की बहिन हरिजनों की सामाजिक दशा पर बोल रही थीं तो उन्होंने रियासतों के लोगों की आर्थिक और राजनैतिक दुर्दशा का उल्लेख नहीं किया। मैं कोचीन रियासत के नायडियों का उदाहरण देता हूं। जिनको सिर्फ यह नहीं है कि छुआ नहीं जाता और उनके पास नहीं जाया जाता बल्कि उनको देखा भी नहीं जाता। यह जाति राज-मार्गों से होकर नहीं जा सकती। इसलिए जो कमेटी रियासतों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए बनाई गई है उससे मैं अनुरोध करता हूं कि उसे दलित जातियों के कुछ प्रतिनिधियों को या ऐसे लोगों को, जो परिगणित जातियों की असली जरूरतों को उन्हें बता सकें, शामिल करना चाहिए।

श्री दयालदास भगत (संयुक्तप्रांत : जनरल) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मैं अंग्रेजी भाषा नहीं जानता। मैं हिन्दी जानता हूं और मेरे कई प्रतिष्ठित मित्र भी केवल इसी भाषा को जानते हैं। इसलिए इस सभा की कार्यवाही की कोई उपयोगी बात हमारी समझ में नहीं आती। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन मित्रों को जो हिन्दी जानते हैं यह कहें कि वे हिन्दी में ही बोलें ताकि हमारे समझने में आसानी हो।

*श्री वी० आई मुनिस्वामी पिल्लई : यह प्रस्ताव यह तय करने के लिए पेश किया गया है कि कितनी जगहें दी जायेंगी और उन्हें किस तरह बांटा जायगा। इसलिए मैं अपने मित्रों से विनयपूर्वक कहूंगा कि उन्हें चाहिए कि वे अछूत भाइयों के हितों की रक्षा के लिए उचित प्रबंध करें।

*दीवान चमनलाल (पंजाब: जनरल) : यद्यपि इस विषय को माननीय प्रस्तावक श्री के० एम० मुंशी ने बिलकुल स्पष्ट कर दिया है और सन्देह की कोई गुंजायश नहीं रह गई है। मैं उपवाक्यखंड (ख) में एक संशोधन करना चाहता हूं यानी 'निश्चित' शब्द की जगह "तय" शब्द रखा जावे और उसके आखिर में यह शब्द जोड़े जायँ "और उसके बाद विधान-परिषद् के सामने ऐसी बातचीत के नतीजे के बारे में एक रिपोर्ट रखेगी"।

चूँकि इस सम्बन्ध में कुछ सन्देह किया गया है कि निगोशियेटिंग कमेटी के प्रयत्नों का जो फल होगा उसे इस सभा के सामने रखा जायगा या नहीं, इसलिए स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ही मैंने यह संशोधन पेश किया है।

इसके अलावा श्रीमान्, प्रस्ताव के उपवाक्यखंड (क) में 'निश्चित' शब्द की जगह भी "तय" शब्द रखा जाय।

इस सम्बन्ध में मैं दूसरी बातें न कह के सिर्फ इस पर जोर दूँगा कि इसे अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है कि यह कमेटी जो कुछ बात-चीत करेगी उसका ब्योरा इस सभा के सामने रखेगी और उसके बारे में एक रिपोर्ट पेश करेगीताकि यह सभा अच्छी तरह समझ सके कि इस सभा की बनाई हुई कमेटी और नरेन्द्रमंडल की बनाई हुई कमेटी के बीच क्या बातचीत हुई। मेरे विचार में विधान-परिषद् के इस अधिकार को प्रस्ताव में स्पष्ट कर देना चाहिए।

*श्री के० एम० मुंशी : सभापति महोदय, प्रस्ताव पेश करते समय मैंने यह काफी साफ तौर से बता दिया था कि बातचीत का जो भी नतीजा होगा उसे इस सभा के सामने रखा जायगा और इस सम्बन्ध में यह भय होने का कोई कारण नहीं कि कमेटी कोई ऐसी बात तय करेगी जिसे कि सभा ठीक नहीं समझे। अब माननीय मेम्बर दीवान चमनलाल ने एक संशोधन पेश किया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कमेटी की रिपोर्ट इस सभा के सामने रखी जायेगी। मुझे इस संशोधन को स्वीकार करने में कुछ भी संकोच नहीं है।

[श्री के० एम० मुंशी]

दूसरी बात यह कही गई है कि परिगणित जातियों का एक मेम्बर कमेटी में रखा जाये। माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का जवाब दे दिया है। यह कमेटी सभी वर्गों और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यह एक छोटी सी कमेटी है और इसके सुपर्द बहुत थोड़े से काम किये गए हैं और यह निश्चित उद्देश्य से बातचीत करेगी और कमेटी की रिपोर्ट सभा के सामने रखी जायेगी।

वहां (पीछे की कुर्सियों में) एक माननीय मेम्बर ने एक बात और कही। उन्होंने यह सवाल किया है कि "निगोशियेटिंग कमेटी और देशी रियासतों के दूसरे प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी" शब्दों को रखने की क्या ज़रूरत है। प्रस्ताव में इन शब्दों के रखने का विशेष कारण है।

मंत्रिमंडल ने कहा है:—"विचार यह है कि अंतिम विधान-परिषद में रियासतों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा और यह कि चूँकि ब्रिटिश भारत में आबादी के हिसाब से प्रतिनिधि रक्खे गये हैं उनके प्रतिनिधि ९३ से अधिक नहीं होंगे, लेकिन उनके चुनाव का तरीका सलाह-मशवरे से तय किया जायेगा। शुरू में एक निगोशियेटिंग कमेटी रियासतों का प्रतिनिधित्व करेगी।"

इसलिए रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली निगोशियेटिंग कमेटी का यह काम है कि वह यह तय करे कि उनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार हो। इस सभा को यह इत्तिला मिली है कि नरेन्द्र मंडल ने एक निगोशियेटिंग कमेटी बनाई है। लेकिन इस सभा को और मुझे भी इस बारे में कोई इत्तिला नहीं है कि आया जिस कमेटी को नरेन्द्रमंडल ने बनाया है वह सभी रियासतों का प्रतिनिधित्व करती है और आया सभी रियासतें इस पर सहमत होगई हैं कि यह निगोशियेटिंग कमेटी उनका प्रतिनिधित्व करेगी। इसलिए ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि हमारी निगोशियेटिंग कमेटी को सिर्फ नरेन्द्र मंडल की बनाई हुई निगोशियेटिंग कमेटी से ही बातचीत न करनी होगी, लेकिन रियासतों से अलग अलग भी बातचीत करनी होगी। यही कारण है कि प्रस्ताव में ये शब्द रक्खे गये हैं। इसलिए श्रीमान्, मैं यह निवेदन करता हूं कि माननीय मेम्बर दीवान चमनलाल ने जो संशोधन पेश किया है उसे इस सभा को स्वीकार कर लेना चाहिए।

[सभापति]

"इस असेम्बली के लिए रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका कैसे तय किया जाय और इसके बाद विधान-परिषद के सामने ऐसी बातचीत के नतीजे के बारे में एक रिपोर्ट रक्खेगी।"

यह प्रस्ताव उस संशोधन के साथ जिसे कि प्रस्तावक श्री के० एम० मुँशी ने स्वीकार कर लिया है, इस तरह होगा—

"यह असेम्बली यह निश्चय करती है कि नीचे लिखे हुये मेम्बरों, यानी :—

१. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
२. माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू।
३. माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल।
४. डा० बी० पट्टाभि सीतारमैया।
५. श्री शंकरराव देव, और
६. माननीय सर एन० गोपालस्वामी आयंगर,

की एक कमेटी होगी जो नरेन्द्र मंडल द्वारा बनाई हुई निगोशियेटिंग कमेटी और देशी रियासतों के दूसरे प्रतिनिधियों से इस उद्देश्य से बातचीत करेगी कि वह—

(क) इस असेम्बली की उन जगहों का वितरण तय करे जो ९३ से अधिक नहीं होंगी और जो मंत्रिमंडल के १६ मई सन् १९४६ ई० के बयान के अनुसार देशी रियासतों के लिए सुरक्षित रक्खी गई हैं।

(ख) इस असेम्बली के लिए रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका तय करे।

और इसके बाद विधान-परिषद के सामने ऐसी बातचीत के नतीजे के बारे में एक रिपोर्ट रक्खेगी।

यह अम्बसेली यह भी निश्चय करती है कि इस कमेटी में बाद को तीन मेम्बरों से अतिरिक्त मेम्बर न रक्खे जायेंगे और वे इस असेम्बली द्वारा ऐसे समय में और ऐसे तरीके से निर्वाचित किये जायेंगे जिनको कि सभापति निश्चित करें।"

अब मि० लहिरी के दूसरे संशोधन का क्या होगा?

*श्री सोमनाथ लहिरी : यह देखते हुये कि हम बातचीत की रिपोर्ट पर विचार कर सकेंगे और यदि रियासतों के लोगों की आवश्यकताओं पर पूरी तौर से ध्यान न दिया गया हो तो उन पर उस समय जोर दे सकेंगे, मैं अपने दूसरे संशोधन को वापस लेता हूं।

*सभापति : अब सब संशोधनों पर विचार हो चुका है। प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया।

——): ० :(——

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने के बारे में सभापति का वक्तव्य

*सभापति : अब हमें जाब्ते के नियमों की कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करना है। इसके पहले मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं, जिसे मेरे विचार में मुझे आज इसके पहिले ही देना चाहिये था लेकिन मैं भूल से ऐसा न कर सका। परसों सभा विसर्जित होने के पहले हम पं० जवाहरलाल नेहरू के पेश किये हुये प्रस्ताव पर बहस कर रहे थे और उस प्रस्ताव पर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। जो लोग उस पर बोलने वाले हैं; उनकी संख्या बहुत बड़ी है। मेरे सामने अब भी करीब ५० नाम हैं। यह साफ है कि इस बहस को अब जारी रखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इससे इस असेम्बली का दूसरा जरूरी काम रुक जायेगा। इसलिए मैंने इस प्रस्ताव पर बहस रोक दी और अब मेरी यह तजवीज है कि उसकी जगह इन जरूरी बातों को रख दिया जाय। उसके बाद यदि हमारे पास समय होगा तो हम उस प्रस्ताव पर फिर बहस करने लगेंगे। यह हो सकता है कि क्रिसमस के लिये सभा विसर्जित करने के पहले हमें उस प्रस्ताव पर बहस करने के लिए कुछ भी समय न मिले। इसलिए जब हम फिर मिलें तो इस पर आगे बहस करेंगे। इस बीच में जो लोग यहां नहीं हैं वे यहां आकर हमें फायदा पहुँचा सकते हैं और इस प्रस्ताव पर उनके विचारों को सुनकर भी हमें लाभ हो सकता है। इसलिए अगली बैठक तक इस पर और बहस स्थगित रखी जाती है।

——): ० :(——

रूल्स कमेटी की रिपोर्ट पर विचार

*सभापति : श्री मुंशी रूल्स कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे।

*श्री सोमनाथ लहिरी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर किस समय तक संशोधन स्वीकार किये जायेंगे ?

*सभापति : आज शाम तक।

*श्री सोमनाथ लहिरी : कल सुबह ११ बजे तक।

*सभापति : जी हां, कल सुबह ११ बजे तक। लेकिन हम बहस को बंद नहीं करेंगे। हम उसे जारी रक्खेंगे। यदि कोई संशोधन पेश किया जायगा तो हम उस बारे में दुबारा विचार करेंगे, लेकिन मैं बहस को बंद नहीं करूंगा। हम इस प्रस्ताव पर बहस करेंगे।

*श्री के० एम० मुंशी : सभापति महोदय, मैं इस सभा के सामने रूल्स कमेटी की रिपोर्ट पेश करता हूं। इस रिपोर्ट की एक प्रति मेम्बरों के सामने रख दी गई है और इस समय मैं सभा का ध्यान केवल नियमों के कुछ महत्वपूर्ण अंगों की ओर दिलाना चाहता हूं। लेकिन इसके पहले मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि उसे रूल्स कमेटी से सहानुभूति होनी चाहिए। रूल्स कमेटी पर काम का बड़ा भार रहा है। श्रीमान्, यह सभा इसे अच्छी तरह जानती है कि यह बहुत जरूरी है कि हम बैठक खत्म करने से पहले नियमों को स्वीकार कर लें और इस संगठन का काम शुरू कर दें ताकि विधान-परिषद के संगठन का काम पूरा हो जाये। मैं बताना चाहता हूं कि इस कमेटी के मेम्बरों ने नियमों के हर एक अंग पर बड़ी सावधानी से विचार किया है और हमें इस कार्य में अपने वैधानिक सलाहकार सर बी० एन० राव ऐसे योग्य और प्रतिष्ठित कानून के विशेषज्ञ से सहायता मिली है। कमेटी ने उन्हें अच्छे से अच्छा रूप देने का यथासम्भव प्रयत्न किया है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि सम्भव है कि बहुत से दोष रह गये हों और सभा इनमें कुछ असंगत बातों को पाये। मुझे विश्वास है कि इनमें विभिन्न मतों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें सहानुभूति की दृष्टि से देखें। ये असेम्बली के नियम हैं। फिर सम्मिलित होने पर हम इनमें बदलाव कर सकते हैं या इनमें कुछ जोड़ सकते हैं। यदि कुछ बातें रह गई हों और नई बातें रखने की राय हो तो हम उन्हें किसी समय भी शामिल कर सकते हैं लेकिन यह बहुत जरूरी है कि हम नियमों को स्वीकार कर लें और एक या दो ऐसी कमेटियां बना लें जो विधान-परिषद के संगठन को चलावें।

इन बातों को कह कर मैं अभी नियमों की कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताता हूं ताकि इस सभा के मेम्बर अच्छी तरह समझ लें कि इस संगठन का क्या रूप है।

श्रीमान्, मैं इस सभा का ध्यान नियम २ वाक्यखंड (घ) की ओर दिलाना चाहता हूं। हमने नामों में इस हद तक बदलाव किया है कि हमारे स्थायी सभापति

अब अध्यक्ष कहे जायेंगे। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि कई सभापति होंगे जैसे कि सेक्शनों के सभापति, कमेटियों के सभापति, ऐडवाइज़री कमेटी के सभापति इत्यादि। यह जरूरी है कि स्थायी सभापति का कोई अलग ऐसा नाम हो जिसे दूसरे सभापति के नाम से आसानी से पहिचाना जा सके। दूसरा कारण यह है कि हम एक स्वतंत्र सभा के रूप में काम कर रहे हैं; इस समय इस असेम्बली के काम के लिए भारत सरकार से कर्मचारियों का एक संगठन लिया गया है। लेकिन जैसे ही नियम पास हो जायेंगे हम एक अपना संगठन बनायेंगे और स्वभावतः अध्यक्ष उस संगठन के शासन-प्रबंध के सर्वोच्च अधिकारी होंगे। इसलिए एक संगठन के प्रधान होते हुये उनका नाम सभापति होना उचित नहीं है। इस सम्बंध में मैं नियम २७ के उप पैराग्राफ ८ की ओर इस सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें कहा गया है :—

"अध्यक्ष इस असेम्बली के अधिकारों का संरक्षक, इसका वक्ता और प्रतिनिधि और इसके शासन-प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी होगा"

इसी कारण से रूल्स कमेटी ने यह प्रस्ताव किया कि स्थायी सभापति का नाम अध्यक्ष हो।

अध्याय २ मेम्बरों को पदासीन करने और जगहों के खाली होने के सम्बन्ध में है। यदि मैं यह कहूं कि यह बहुत कुछ एक रस्मी अध्याय है तो यह अनुचित न होगा।

अध्याय ३ इस असेम्बली की कार्यवाही के सम्बन्ध में हैं। इसमें अधिकतर यह बताया गया है कि इस असेम्बली और उसकी कई शाखाओं में काम किस तरीके से किया जाय। यदि कोई महत्वपूर्ण आदेश है तो वह पृष्ठ ५ में है जिसमें नियम ७ दिया गया है उसमें कहा गया है :—

"यह असेम्बली तब तक खत्म न की जायगी जब तक कि इस असेम्बली के मेम्बरों की पूरी संख्या के दो तिहाई मेम्बर तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहमत न हों"

जैसा कि सभापति महोदय ने उद्घाटन के समय कहा था कि हमारी सभा सार्वभौम-सत्ता-सम्पन्न है और इसलिए यह बिलकुल हम पर निर्भर है कि हम इसे खत्म करें या न करें। यह इस नियम में स्पष्ट कर दिया गया है।

[श्री के० एम० मुंशी]

दूसरा महत्वपूर्ण नियम जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, नियम १५ है। नियम १५ असेम्बली के लिये ही नहीं बल्कि उसकी शाखाओं के लिए भी कोरम (उपस्थिति) निर्धारित करता है। जब किसी प्रान्तीय विधान को निश्चित किया जा रहा हो तो यह आवश्यक है कि उस प्रान्त के कम से कम २।५ प्रतिनिधि मौजूद हों।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं इस सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं नियम १८ है, उसमें दिया हुआ है कि :—

"असेम्बली की कार्यवाही हिन्दुस्तानी (हिन्दी या उर्दू) या अंग्रेजी में होगी। मगर सभापति किसी मेम्बर को जो इन भाषाओं में से किसी भाषा को जानता हो, इस असेम्बली में अपनी मातृभाषा में बोलने की इजाजत देंगे। सभापति जब कभी आवश्यक समझेंगे किसी मेम्बर ने जिस भाषा में भाषण दिया हो उससे दूसरी भाषा में उस भाषण का सारांश असेम्बली के सामने रखने का प्रबंध करेंगे और यह सारांश असेम्बली की कार्यवाही की रिपोर्ट में दर्ज किया जायगा।"

कुछ मिनट पहले एक मेम्बर महोदय ने, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, यह शिकायत की थी कि यहां जो कुछ हो रहा है उसे वे नहीं समझ रहे हैं। यह नियम इस कठिनाई को दूर करने के लिये बनाया गया है। इस नियम के उपवाक्यखंड २ में कहा गया है कि—

"असेम्बली के सरकारी कागजात हिन्दुस्तानी भाषा (हिन्दी और उर्दू) दोनों में और अंग्रेजी में रक्खे जायेंगे।"

इससे यह होगा कि हमारे सरकारी कागजात तीन भाषाओं में यानी हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी में रक्खे जायेंगे।

दूसरी महत्वपूर्ण बात पृष्ठ ६ में नियम २३ और २३ ए में कही गई है। यह उस कार्यक्रम के अनुसार है जिसका उल्लेख मंत्रि-मंडल के बयान में किया गया है।

"कार्यवाही के तरीके के सम्बन्ध में सभी मामलों में सभापति का निर्णय अंतिम होगा।

मगर शर्त यह है कि यदि किसी प्रस्ताव से कोई ऐसा प्रश्न उठ खड़ा हो जो प्रमुख साम्प्रदायिक प्रश्न समझा जाय तो सभापति किसी प्रमुख जाति के प्रतिनिधियों के बहुमत के प्रार्थना करने पर अपना निर्णय देने के पहले फेडरल कोर्ट से सलाह लेंगे।"

यह बयान का एक हिस्सा है।

"मगर शर्त यह भी है कि कोई सेक्शन यूनियन असेम्बली के कर्त्तव्यों का अतिक्रमण नहीं करेगा और न बयान के पैराग्राफ २० में बताई हुई एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट पर यूनियन असेम्बली जो निर्णय करे, उसमें कोई बदलाव करेगा।"

नियम २३ ए में एडवाइज़री कमेटी के कर्त्तव्यों का पूरा ब्योरा दिया हुआ है: —

"बयान के पैराग्राफ १९ और २० में बताई हुई एडवाइज़री कमेटी का ही यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्रस्ताव पेश करे और उन पर विचार करे और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों की रक्षा और कबायली और पृथक क्षेत्रों के शासन-प्रबंध के वाक्यखंडों के बारे में असेम्बली के सामने रिपोर्ट पेश करे और यह असेम्बली का ही कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसी रिपोर्ट पर निर्णय करे और इस सवाल को तय करे कि विधान में इन अधिकारों को उचित स्थान पर रक्खा जाय।"

एडवाइज़री कमेटी का यह काम है कि वह सारे हिन्दुस्तान के खास-खास मामलों पर और प्रान्तों की कठिनाइयों पर भी विचार करे; इसलिए नियम २० के अनुसार जब कभी यूनियन असेम्बली की बैठक हो, उसमें इन पर विचार होगा।

अध्याय ४ अध्यक्ष के विषय में है, और उसमें बताया गया है कि यदि यह जगह खाली हो या जब कभी खाली हो तो वह कैसे भरी जाय। जैसा कि यह सभा देखेगी यह प्रस्ताव बहुत कुछ रस्मी है।

अध्याय ५ उपाध्यक्षों के बारे में है और यह तजवीज की गई है कि ५ उपाध्यक्ष हों। दो उपाध्यक्ष इस सभा द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे और हर एक सेक्शन का अध्यक्ष, जब कि वह अपना अध्यक्ष निर्वाचित करे, अपने पद की हैसियत से असेम्बली का उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष और ५ उपाध्यक्ष मिलकर असेम्बली व उसकी विभिन्न शाखाओं के कामों में एकसानियत पैदा करेंगे।

[श्री के० एम० मुंशी]

अध्याय ६ विधान-परिषद् के दफ्तर के बारे में है। यह दो शाखाओं में विभाजित है—एडवाइज़री ब्रांच और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच। एडवाइज़री ब्रांच के अध्यक्ष कांस्टिटयूशनल एडवाइज़र होंगे और पूरे समय काम करने वाले सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच के अध्यक्ष होंगे।

अध्याय ७ कमेटियों के बारे में है और कमेटियों में सबसे प्रथम और सम्भवतः सबसे महत्वपूर्ण कमेटी स्टीयरिंग कमेटी है। माननीय मेम्बर देखेंगे कि नियम ३९ में स्टीयरिंग कमेटी के कर्त्तव्यों को स्पष्ट रूप से बतां दिया गया है। इस अध्याय के नियमानुसार बनाई हुई स्टीयरिंग कमेटी का काम यह है कि वह एक तरह के प्रस्ताव और संशोधनों को एक साथ रक्खे और यदि सम्भव हो तो एक तरह के प्रस्तावों और संशोधनों पर सम्बन्धित पार्टियों को सहमत कराये और यह कि असेम्बली और उसके दफ्तर के बीच, सेक्शनों के बीच, कमेटियों के बीच और सभापति और असेम्बली के किसी भाग के बीच साधारणतया सम्बन्ध स्थापित करने वाली समिति का काम करे। इस प्रकार यह कमेटी एक केन्द्रीय शासन-संगठन हो जाता है जो कि असेम्बली की सभी शाखाओं के कार्य का एकीकरण करेगा।

इसके बाद स्टाफ को नियुक्त करने और फिनेन्स कमेटी बनाने का सवाल आता है। निर्वाचित और दूसरे मेम्बरों के परिचय-पत्रों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठें उनको हल करने के लिए क्रेडेंशियल कमेटी को भी नियुक्त करना है। दूसरी कमेटियों के लिए भी व्यवस्था की गई है।

अध्याय ८ बजट के बारे में है।

अध्याय ९ वेतनों और भत्तों के बारे में है जिन्हें कि स्टाफ और फिनेंस कमेटी से स्वीकार कराना होता है।

इसके बाद अध्याय १० में चुनावों के बारे में संदेह और झगड़ों का उल्लेख है। ये आदेश बहुत कुछ रस्मी हैं और साधारणतया ये उन कानूनों के आधार पर हैं जो हिन्दुस्तान के चुनाव के झगड़ों के बारे में हैं। एक ही बात रह गई है और वह नियम ५५ में दे दी गई है। नियम ५५ में कहा गया है कि—

"यदि ऐसी सिफारिश की गई हो तो सभापति प्रार्थनापत्र की जांच के लिए एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल नियुक्त करेंगे जिसमें एक या एक से

अब जहां तक उन विषयों का सम्बन्ध है जिनके बारे में ट्रिब्यूनल निर्णय करेगा, वे नियमों में नहीं आ सकते। वह इस सभा के किसी मेम्बर की हैसियत के बारे में ही निर्णय करेगा और यह समझा जा रहा है कि यह एक आर्डिनेंस द्वारा ही सम्भव होगा क्योंकि वह कानून का एक हिस्सा हो जायेगा। वरना यह सम्भव है कि बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसलिए यह अध्यक्ष महोदय पर छोड़ा जाता है कि वे आवश्यक आर्डिनेंस को जारी करने के लिए उचित अधिकारी से कहें।

अध्याय ११ में कुछ ऐसे आदेशों का उल्लेख है जो सारे देश का मत लेने और प्रान्तीय विधान के बारे में हैं। यह सभा देख सकती है कि नियम ५८ (१) उन आदेशों के बारे में है जिनके अनुसार कई प्रान्तों और रियासतों को, अपनी धारासभाओं द्वारा, इस असेम्बली के उन प्रस्तावों पर जिनमें विधान के मुख्य अंगों का उल्लेख हो और, यदि असेम्बली तय करे तो, विधान के प्रारम्भिक मसविदे पर अपना मत प्रकट करने का अवसर दिया गया है।

इसके अलावा वाक्यखंड २ में सम्बन्धित प्रान्तों को अपने विधानों पर मत प्रकट करने के लिए इसी प्रकार का अवसर दिया गया है। उसमें कहा गया है:—

> "इसके पूर्व कि किसी प्रान्त का विधान अंतिम रूप से निर्धारित किया जाय उसको नियत समय के अन्दर सेक्शनों के प्रस्तावों और निर्णयों इत्यादि के बारे में अपना मत प्रकट करने का अवसर दिया जायगा।"

इससे स्वभावतः सारे देश को उन विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने का अवसर मिल जाता है जिनके बारे में, इस असेम्बली में, सेक्शनों में या विधान के हिस्सों पर विचार करने वाली किसी दूसरी कमेटी में बहस हो।

नियम ५९ में हमारे सभी चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू करने का उल्लेख है। नियम ६१ नियमों में संशोधन के बारे में है और नियम ६२ में इसकी व्यवस्था है कि इन नियमों के आदेश, आवश्यक परिवर्तन के साथ, सेक्शनों और असेम्बली की कमेटियों पर लागू होंगे। सेक्शन ऐसी स्थायी आज्ञायें निर्धारित कर सकते हैं जो इन नियमों के विपरीत न हों।

इन नियमों को प्रयोग में लाने में यदि कोई कठिनाई आ पड़े तो उसे दूर करने के लिए नियम ६३ में अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है। साधारणतया यह

[श्री के० एम० मुंशी]

नियमों का ढांचा है और मुझे आशा है कि सभा उनको स्वीकार कर लेगी। इसलिए अब मैं सभा के सामने नियमित रूप से कमेटी की रिपोर्ट रखता हूँ और यह प्रस्ताव पेश करता हूं, ताकि वाद-विवाद और काम रस्मी न हो, इसलिए यह सभा सारे असेम्बली की एक कमेटी का रूप धारण कर ले और यह कि उसकी कार्यवाही गुप्त रूप से हो।

*श्रीमती जी० दुर्गाबाई (मद्रास: जनरल): मैं इसका समर्थन करती हूं।

(प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया)

*श्री बी० शिवाराव (मद्रास: जनरल): महोदय, मैं इस सभा को एक राय देना चाहता हूं और मैं जानता हूँ कि कई मेम्बर मुझसे सहमत हैं।

यह रिपोर्ट हमको कल रात देर से या आज बड़े सवेरे मिली है और हम में से बहुत से लोगों को इसे पढ़ने के लिए काफ़ी समय नहीं मिला। मेरी यह राय है आज दोपहर के बाद इस सभा की बैठक न हो जिससे हम में से वे लोग जिनकी इन नियमों में दिलचस्पी है, सम्मिलित हो सकें और अपने संशोधनों को विषयानुसार रखकर उनमें से मुख्य संशोधनों को छांट सकें ताकि उन पर कल सुबह इस सभा में बहस हो सके। यदि हम इस ढंग से काम करें तो ऐसे बहुत से संशोधनों पर जो आज पेश किये जायेंगे पहिले ही विचार हो जायगा और बहुत सम्भव है कि हम सब काम कल ही खत्म कर दें। इसलिए मैं यह राय देता हूँ कि हम आज दोपहर के बाद बैठक न करें बल्कि कल सुबह ही सम्मिलित हों।

*सभापति: मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। तब कल हम सिर्फ़ नियमों पर विचार करेंगे। परसों हमें कुछ उन कमेटियों को चुनना है जिनकी व्यवस्था इन नियमों में की गई है। यदि सभा का यह विचार है कि वह कल और परसों नियमों पर विचार करके उन्हें पास कर देगी तो इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं नहीं जानता कि कोई व्यक्ति सभा की तरफ से इसका आश्वासन दे सकता है कि हम काम खत्म कर लेंगे।

*एक माननीय मेम्बर: हम कल सम्मिलित होंगे।

*श्री एम० अनंतशयानम् आयंगर (मद्रास: जनरल): श्रीमान्, मुझे

नियम आज सुबह ही मिले। मैंने इनको पढ़ा और श्रीमान्, मैंने देखा कि अधिकतर नियम अविवाद हैं। हम इनमें कुछ और जोड़ नहीं सकते। सिवाय नियम २०, २३ और २३ ए के उन विवादग्रस्त भागों के ज बहुत कुछ विषय-सम्बन्धी संशोधनों के रूप में हैं। इसलिए काम रोकने का प्रस्ताव करके हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। कल कभी नहीं आता, हमें आज ही काम शुरू करना चाहिए।

*श्री सोमनाथ लहिरी : श्रीमान्, माननीय सज्जन ने अभी कहा है कि नियमों में कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। कम से कम यही मालूम करने के लिए हमें उन्हें पढ़ना तो है ही।

*श्री के० एम० मुंशी : श्रीमान्, मेरे माननीय मित्र श्री शिवाराव ने जो प्रस्ताव किया है उसका मैं विरोध करता हूं। आखिर काम रोकने का कोई अर्थ नहीं है। कल हम लोग सम्मिलित होंगे और पूर्ण व स्वतन्त्र रूप से विचार करेंगे। जैसा कि एक माननीय मेम्बर ने अभी कहा, नियमों को बड़ी सावधानी से बनाया गया है। यह सम्भव है कि कुछ त्रुटियां रह गई हों जिनको सुधारा जा सकता है। केवल सैद्धान्तिक और विवादग्रस्त विषयों में अधिक समय लगेगा। पहले की तरह हम एक-एक नियम को लेकर विचार करेंगे और यदि कुछ विवाद न हो तो हम उन्हें आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इस तरीके से हम नियमों पर कम-से-कमसमय में विचार कर सकेंगे।

*श्री एम० अनंतशायानम् आयंगर : श्रीमान्, मेरे माननीय मित्र श्री मुंशी एक-एक नियम को लेकर पढ़ेंगे और थोड़ी देर खड़े रहेंगे। यदि उसमें कुछ जोड़ने को न हो तो हम उसे फौरन ही स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरे नियम को उठायेंगे। यदि कोई नियम विवादग्रस्त हो तो वह दूसरे दिन के लिए छोड़ा जा सकता है। इस बीच में हम इसका निर्णय कर सकते हैं कि आया कोई संशोधन आवश्यक है या नहीं।

*सभापति : क्या मैं यह समझूं कि यह सभा यह चाहती है कि हम नियमों पर विचार करें ?

*कई माननीय मेम्बर : जी हां।

*सभापति : जो लोग इसके विरोध में हों ?

(कोई नहीं)

*सभापति : हम नियमों पर विचार करेंगे चूंकि १ बजने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है इसलिए हम ढाई बजे या तीन बजे काम शुरू करेंगे।

*कई माननीय मेम्बर : तीन बजे।

*श्री के० एम० मुंशी : आधे घंटे में हम कुछ नियमों को समाप्त कर सकते हैं।

*सभापति : हम तीन बजे काम शुरू करेंगे और फिर गुप्त रूप से सभा करेंगे। सभा एक कमेटी का रूप धारण कर लेगी। तीन बजे उसकी बैठक होगी। इसके बाद तीन बजे तक दोपहर के भोजन के लिए असेम्बली स्थगित रही।

दोपहर के भोजन के बाद तीन बजे माननीय डा० राजेन्द्रप्रसाद के सभापतित्व में असेम्बली की फिर बैठक हुई।

(इसके बाद सभा की कार्यवाही गुप्त रूप से हुई।)

केवल सदस्यों के निजी व्यवहार के लिए

अंक १

संख्या ११

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

गोपनीय

केवल सदस्यों के लिए

भारतीय विधान-परिषद्

शनिवार, ता० २१ दिसम्बर सन् १६४६ ई०

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पर वाद-विवाद स्थगित

***सभापति** : कार्यक्रम का दूसरा विषय है नियम-निर्मातृ समिति की रिपोर्ट पर विचार। इस रिपोर्ट पर विचार करने के पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूं। मुझे यह पहले कह देना चाहिए था पर मैं इसे कहना भूल गया था। परसों जब सभा उठी तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के लक्ष्य-सम्बंधी प्रस्ताव पर वाद-विवाद कर रहे थे। उस प्रस्ताव पर वाद-विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस प्रस्ताव पर बोलने वाले सज्जनों की सूची बड़ी लम्बी है। अब भी हमारे सामने करीब ५० वक्ताओं के नाम हैं। अवश्य ही यह सम्भव नहीं है कि सभा के दूसरे जरूरी कामों को रोके बिना हम आगे इस प्रस्ताव पर बहस जारी रख सकें। इसलिए उक्त प्रस्ताव पर मैंने बहस रोक दी और अब मैं चाहता हूं कि अन्य आवश्यक विषय निबटा दिये जायं। उसके बाद अगर हमारे पास समय रहता है तो हम उस प्रस्ताव पर पुनः बहस शुरू करेंगे। हो सकता है कि बहुत दिनों के लिए सभा बरखास्त हो, और उसके पहले इस पर बहस करने का समय आपको न मिले। इसलिए आगामी बैठक में इस पर आगे बहस की जायगी। इस बीच में हमें इस बात का भी लाभ हो सकता है कि आज जो शामिल नहीं हैं, वह भी शामिल हो जायं और हम यह भी जान सकें कि इस प्रस्ताव पर उनके क्या विचार हैं, इसलिए इस प्रस्ताव पर आगे बहस आगामी बैठक तक स्थगित रखी जाती है।

नियम-निर्मातृ-समिति की रिपोर्ट की स्वीकृति

* **सभापति** : नियम-निर्मातृ-समिति की रिपोर्ट श्रीयुत के० एम० मुंशी सभा के सामने पेश करेंगे।

***श्री सोमनाथ** लाहिरी (बंगाल : जनरल) : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर संशोधन कब तक स्वीकार किया जायगा ?

***सभापति** : आज शाम तक।

***श्री सोमनाथ लाहिरी** : कल प्रातः ११ बजे तक नहीं ?

---

* इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी भाषण का हिन्दी रूपान्तर है।

*सभापति : कल प्रातः ११ बजे तक भी हो सकता है। पर हम वाद-विवाद नहीं रोकेंगे। यह काम जारी रहेगा। अगर कोई संशोधन आया तो हम उस बात पर विचार करेंगे पर बहस नहीं रुकेगी। प्रस्ताव पर हम बहस जारी रखेंगे।

*श्री के० एम० मुंशी (बम्बई : जनरल) : सभापति महोदय, नियम-निर्मातृ-समिति की रिपोर्ट मैं सभा के सामने पेश करता हूं। रिपोर्ट की एक-एक नकल सभी सदस्यों के पास है। इस समय नियमों के चन्द खास पहलुओं की ओर ही मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करूंगा। आशा है यह सभा उक्त समिति की त्रुटियों का ख्याल न करेगी। नियम-निर्मातृ समिति पर काम का बहुत भार रहा है। सभा अच्छी तरह जानती है कि पेश्तर इसके कि उक्त समिति भंग हो, यह बहुत आवश्यक है कि नियम वगैरह हम स्वीकार कर लें और इस संगठन को चालू कर दें ताकि विधान-परिषद् का संगठन-मूलक काम पूरा हो जाय। मैं आप को बता दूं कि समिति के सदस्यों ने नियमों के प्रत्येक पहलू पर पूरा ध्यान दिया है और हमें इस काम में अपने योग्य और प्रसिद्ध वैधानिक सलाहकार श्री बी० एन० राव से पूरी मदद मिली है। जहां तक इससे हो सका है समिति ने यथासम्भव सभी नियम बनाने की कोशिश की है। पर मैं कहूंगा कि हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हों और सभा को कुछ खामियां दिखाई पड़ें। हो सकता है कुछ बातें छूट गई हों। इसलिए मैं सभा से क्षमा-प्रार्थी हूँ। ये असेम्बली के नियम हैं। जब हम पुनः समवेत होंगे तो इनमें परिवर्तन या जोड़ कर सकते हैं। इनमें अगर कोई बात छूट गई है तो हम सदा जोड़ सकते हैं। पर यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम इन नियमों को मंजूर कर लें और एक या दो कमेटियां नियुक्त करदें जो इस परिषद् के संगठन को चालू रखें।

इतना कहने के बाद अब मैं संक्षेप में नियम सम्बंधी कुछ आवश्यक बातों पर प्रकाश डालूंगा ताकि सदस्यों के दिमाग में उस ढांचे का नक्शा साफ-साफ आजाय जिसे हम प्रस्तुत करना चाहते हैं।

सभापतिजी, मैं सभा का ध्यान नियम नं० २ धारा घ की ओर आकृष्ट करूंगा। हमने नामकरण में यहां तक परिवर्त्तन कर दिया है कि स्थायी चेयरमैन को अब हम प्रेसीडेंट कहेंगे। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि चेयरमैन बहुत से बनाये जायंगे जैसे सेक्शनों के चेयरमैन, समितियों के चेयरमैन और एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन इत्यादि। यह बहुत आवश्यक है कि स्थायी चेयरमैन का नामकरण ऐसा हो कि उससे अन्य चेयरमैनों का बोध न होकर खास स्थायी चेयरमैन का ही बोध हो। दूसरा कारण यह है कि एक स्वतंत्र संस्था की हैसियत से हम काम कर रहे हैं। फिलहाल भारत सरकार द्वारा इस परिषद् को एक संगठन अथवा कार्यालय उधार स्वरूप प्राप्त हुआ है। पर इन नियमों की स्वीकृति होते ही हमारा अपना संगठन हो जायगा और स्वभावतः

प्रेसीडेण्ट इस संगठन के सर्वोच्च अधिकारी होंगे । इसलिए इस परिषद् के सभापति के लिए "चेयरमैन" शब्द का प्रयोग उपयुक्त न होगा। इस सम्बन्ध में नियम नं० २७ सब-पैरा ८ की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा :—

"प्रेसीडेन्ट इस परिषद् के विशेषाधिकारों के रक्षक, इसके प्रतिनिधि और सर्वोच्च अधिकारी होंगे।"

यही कारण है कि नियम-निर्मातृ-समिति ने स्थायी चेयरमैन को प्रेसीडेण्ट कहना चाहा है।

रिपोर्ट के दूसरे अध्याय में सदस्यों की भर्ती तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति के सम्बन्ध में विचार किया गया है।

तीसरे अध्याय में परिषद् के कार्य संचालन पर विचार किया गया है । इसमें विशेष रूप से इन्हीं बातों पर प्रकाश डाला गया है कि इस परिषद् और उसकी भिन्न-भिन्न शाखाओं के कार्य संचालन में क्या विधि बरती जाय । इसके सम्बन्ध में एक-मात्र आवश्यक व्यवस्था पृष्ठ ५ पर नियम नं० ७ है :—

"यह परिषद् एक ऐसे ही प्रस्ताव द्वारा भंग की जा सकती है जिस पर समस्त सभा के कम-से-कम दो तिहाई सदस्यों की स्वीकृति हो, अन्यथा नहीं।"

सभापति महोदय ने अपने प्रारम्भिक भाषण में यह कहा था कि यह परिषद् एक सर्वसत्ता सम्पन्न संगठन है। इसलिए यह बात केवल हम पर ही निर्भर करती है कि परिषद् भंग की जाय या नहीं । उक्त नियम से यह बात स्पष्ट कर दी गई है।

दूसरा आवश्यक नियम जिसकी ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है नियम नं० १५। इस नियम में परिषद् तथा उसकी भिन्न-भिन्न शाखाओं का कोरम (कार्य-निर्वाहक-संख्या) निर्धारित किया गया है । प्रांतीय विधान बनाने के लिए प्रांत की प्रतिनिधि संख्या का ⅕ वां हिस्सा कोरम निर्धारित किया गया है।

दूसरी आवश्यक बात जिसकी ओर मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करूंगा वह है नियम नं० १८। इसमें कहा गया है कि—

"परिषद् की कार्रवाई हिन्दुस्तानी (हिंदी या उर्दू) या अंग्रेजी में होगी। जो सदस्य उक्त दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं जानते हैं उन्हें सभापति उनकी मातृ-भाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं और वे अपनी मातृ भाषा में सभा के सामने अपनी बात कह सकते हैं । सभापति जब आवश्यक समझेंगे तो इस बात का प्रबंध कर देंगे कि सभा को किसी भी सदस्य के भाषण का संक्षेप दूसरी भाषा में (जिस भाषा में सदस्य बोला हो उससे अन्य भाषा में) भी मिल जाय और यह संक्षेप परिषद् की कार्यवाही की किताब में शामिल कर दिया जायगा।"

अभी कुछ मिनट पहले एक सदस्य की ओर से जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, यह शिकायत आई थी कि सभा में क्या हो रहा है वह नहीं समझ पाते हैं। इस कठिनाई को दूर करने के अभिप्राय से यह नियम बनाया गया है। इस नियम की

[श्री के० एम० मुंशी]

उपधारा २ कहती है:—

"परिषद् की कार्रवाही की सरकारी रिपोर्ट हिन्दुस्तानी (हिन्दी और उर्दू दोनों) तथा अंग्रेजी जुबान में रहेगी।"

इसका अर्थ यह है कि सरकारी रिपोर्ट तीन भाषाओं में—हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी में रहेगी।

दूसरी आवश्यक बात पृष्ठ ६ पर नियम नं० २३ और २३ (क) में है। मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल के वक्तव्य में जो विधि निर्धारित की गई है उसी के अनुसार यह व्यवस्था की गई है :—

"कार्य-संचालन की पद्धति से सम्बंध रखनेवाले सभी मामलों में सभापति का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा :

"मगर शर्त यह है कि यदि किसी प्रस्ताव से ऐसा प्रश्न उठता है जिसे वृहत् साम्प्रदायिक प्रश्न मानने का दावा किया जाय तो सभापति, दोनों प्रमुख सम्प्रदायों में से किसी भी सम्प्रदाय के बहुसंख्यक प्रतिनिधियों के अनुरोध पर, इस प्रश्न पर अपना फैसला देने के पहले फेडरल कोर्ट से परामर्श करेंगे। यह मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल के वक्तव्य का एक हिस्सा है।

"फिर शर्त यह है कि कोई सेक्शन संघ की असेम्बली के कामों में अनधिकार हस्तक्षेप न करेगा या संघ की असेम्बली के किसी ऐसे निर्णय में हेर-फेर करेगा जो एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया हो जिसका जिक्र मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल के वक्तव्य के पैरा २० में आया है।"

उसके बाद एडवाइजरी कमेटी के कामों का विस्तार नियम २३ (क) में दिया गया है :—

"जिस एडवाइजरी कमेटी का जिक्र मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल के वक्तव्य के पैरा १९ और २० में आया है, उसका खास तौर से यह काम होगा कि वह मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों की रक्षा, कबायली क्षेत्रों और पृथक् क्षेत्रों के शासन आदि के सम्बंध में प्रस्ताव तैयार करे या इस सम्बंध में आए प्रस्तावों पर विचार करे और इस परिषद् के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे। फिर यह केवल इस परिषद् का काम होगा कि वह इस रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला करे और इन अधिकारों को विधान में यथास्थान सम्मिलित किये जाने के प्रश्न पर भी अपना निर्णय करे।"

एडवाइजरी कमेटी का यह काम होगा कि समस्त भारत का खयाल रखते हुए तथा प्रान्तीय कठिनाइयों को मद्देनजर रखकर वह खास-खास मामलों पर विचार करे। और इसलिए नियम नं० २० के अनुसार, संघ की असेम्बली जब बैठेगी तो इन मामलों पर विचार करेगी।

चौथे अध्याय में प्रेसीडेंट के सम्बन्ध में तथा स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति के सम्बन्ध में विचार किया गया है। जैसा कि सभा देखेगी—थोड़ा-बहुत यह अध्याय एक तरह केवल रस्मी मामलों से सम्बन्ध रखता है।

पांचवां अध्याय उप-सभापति (Vice-President) के सम्बंध में हैं और इसमें यह कहा गया है कि ५ उप-सभापति हों। दो उप-सभापतियों को यह सभा चुनेगी। जब सेक्शन अपने चेयरमैन का चुनाव कर लेगा तो उसके तीनों चेयरमैन भी इस पद की हैसियत से इस परिषद् के उप-सभापति होंगे। इसका नतीजा यह होगा कि सभापति और पांचों उप-सभापति समवेत होकर परिषद् और इसकी भिन्न-भिन्न शाखाओं के कामों को एक सिलसिला दिया करेंगे।

छठां अध्याय इस विधान-परिषद् के कार्यालय से सम्बंध रखता है। यह दो भागों में बंटा है। एक परामर्श-विभाग (Advisory Branch) और दूसरा प्रबंध-विभाग (Administration Branch)। वैधानिक सलाहकार परामर्श-विभाग के प्रधान होंगे और प्रबंध विभाग के प्रधान होंगे पूर्ण-कालीन (full time) सेक्रेटरी।

सातवां अध्याय समितियों के सम्बंध में है, और सब से पहली जरूरी कमेटी है स्टीयरिंग कमेटी (Steering Committee) यानी चलाने वाली कमेटी। जैसा कि सदस्य देखेंगे नियम नं० ३९ में इस स्टीयरिंग कमेटी के कामों की व्याख्या की गई है। स्टीयरिंग कमेटी का काम, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, यह होगा कि वह समान आशय वाले प्रस्तावों और संशोधनों को छांट लेगी और अगर सम्भव हुआ तो इन प्रस्ताव और संशोधनों से सम्बंध रखने वाले दलों की स्वीकृति प्राप्त कर इनको (प्रस्तावों और संशोधनों) को एक कर देगी। यह कमेटी असेम्बली (परिषद्) और उसके कार्यालय के बीच, कमेटियों के बीच, सेक्शनों के बीच तथा सभापति और इस असेम्बली के किसी भाग के बीच एक मध्यवर्त्ती संस्था का-सा काम करेगी। इस तरह यह स्टीयरिंग कमेटी एक प्रबंध सम्बंधी-केन्द्रीय संगठन होगा जो इस असेम्बली और इसकी अन्य शाखाओं के भिन्न-भिन्न कामों में समानता स्थापित करेगा।

इसके बाद "स्टाफ और फाइनेन्स कमेटी" के निर्माण की बात आती है। एक "क्रेडेन्शियल्स कमेटी" भी बनानी है,जो इस बात का निर्णय करेगी कि सदस्यों का चुनाव जायज़ है या नाजायज़। दूसरी कमेटियों की भी व्यवस्था की गई है।

आठवां अध्याय बजट से सम्बंध रखता है।

नवें अध्याय में वेतन और भत्ते की बातें हैं जिनकी 'स्टाफ और फाइनेन्स कमेटी' से मंजूरी जरूरी है।

दसवें अध्याय में चुनाव सम्बंधी झगड़ों और सन्देहों पर विचार किया गया है। ये नियम कम या बेशी रस्मी ढंग के हैं और उन्हीं नियमों की तरह के हैं जो भारत में चुनाव सम्बंधी झगड़ों का निपटारा करते हैं। एक मात्र आवश्यक बात जो छूट गई है, वह नियम ५५ में दी गई है। नियम ५५ कहता है :—

> "जहां ऐसी सिफारिश की गई है, सभापति एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों की चुनाव सम्बंधी एक अदालत (Tribunal मुकर्रर कर देंगे जो दरख्वास्तों की जांच करेगी।"

जहां तक उन मामलों का सम्बंध है जिन पर यह अदालत विचार करेगी,

[श्री के० एम० मुंशी]
वे नियम में शामिल नहीं किये जा सकते। इस अदालत का काम होगा सभा के सदस्यों की हैसियत पर फैसला देना। पर ऐसा महसूस किया जा रहा है कि यह एक आर्डिनेंस (विशेष कानून) द्वारा ही किया जा सकता है ताकि यह कानून में शामिल हो जाय, वरना बड़ी कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। इसलिए यह सभापति का काम होगा कि जरूरी आर्डिनेंस जारी करने के लिए वे समुचित अधिकारी से दरख्वास्त करें।

११ वां अध्याय कतिपय उन व्यवस्थाओं से सम्बंध रखता है जो समस्त देश तथा प्रान्तीय परिषदों की राय जानने के लिए रखी गई हैं। जैसा कि सभा देख सकती है नियम ५८ (१) में इस बात की व्यवस्था की गई है कि प्रान्तों और रियासतों को यह मौका दिया जाय कि वे अपनी धारा-सभाओं के जरिये परिषद् के उस प्रस्ताव पर अपना मत व्यक्त कर सकें जिसमें विधान-सम्बंधी मुख्य-मुख्य बातों की रूप-रेखा निर्धारित की गई है अथवा विधान के प्रारम्भिक मसविदे पर अपनी राय जाहिर कर सकें बशर्ते कि परिषद् ऐसा तय करे।

खंड (२) में ऐसा ही मौका प्रान्तों को दिया गया है कि वे अपने विधान के सम्बंध में अपनी राय जाहिर कर सकें। यह कहता है:—

> "पहले इसके कि किसी भी प्रान्त का विधान अन्तिम रूप से तय हो, उस प्रान्त को इस बात का मौका दिया जायगा कि वह सेक्शन के प्रस्तावों और फैसलों पर, इसके लिए निर्धारित समय के अन्दर, अपनी राय जाहिर कर सके।"

इससे स्वभावतः समस्त देश को इस बात का मौका मिल जाता है कि वह उन सभी प्रस्तावों पर विचार कर सके जिस पर असेम्बली, सेक्शन या विधान-निर्माण से सम्बंध रखने वाली और कोई समिति वाद-विवाद करे।

नियम ५० में इस बात पर विचार किया गया है कि हमारे सब निर्वाचनों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त लागू किया जाय। नियम नं० ६१ में नियमों में संशोधन करने की बात कही गई है। नियम नं० ६२ यह कहता है कि इन नियमों की व्यवस्थाएं संक्षिप्त परिवर्त्तनों के साथ असेम्बली के सेक्शन और कमेटियों पर भी लागू होंगी। सेक्शन अपने नियम बना सकते हैं पर वे इन नियमों के प्रतिकूल नहीं हो सकते।

नियम नं० ६३ में सभापति को यह अधिकार दिया गया है कि इन नियमों को पालन करने में अगर कोई कठिनाई उपस्थित हो तो वह उसकी व्यवस्था करें। यह है नियमों का एक खाका और मुझे उम्मीद है कि सभा इसे मंजूर करेगी। इसलिए अब मैं नियमानुसार कमेटी की रिपोर्ट सभा के सामने पेश करता हूँ और यह प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि अब समूची सभा कमेटी में बदल जाय और इसकी कार्यवाही बंद कमरे में हो ताकि वाद-विवाद में पूरी आजादी रहे।

*श्रीमती जी० दुर्गाबाई (मद्रास : जनरल): मैं इसका समर्थन करती हूँ।

*श्री बी० शिवाराव (मद्रास : जनरल): सभापति महोदय, मैं सभा के

सामने एक सुझाव रखना चाहता हूँ और मुझे मालूम है कि इस सुझाव से, सभा के बहुतेरे सदस्य सहमत हैं। यह रिपोर्ट हम लोगों को कल रात को बहुत देर से और आज प्रातःकाल मिली है। हममें से बहुतों को रिपोर्ट पढ़ने का भी मौका नहीं मिला हैं। जो सुझाव मैं रखना चाहता हूँ वह यह है। सभा आज दोपहर बाद न बैठे ताकि हममें से जिनको नियमों में दिलचस्पी है उन्हें इस बात का मौका मिल सके कि वे आपस में मिल सकें और अपने संशोधनों को छाँटकर बड़े-बड़े संशोधनों को चुन लें जिन पर सभा में कल प्रातः विचार किया जाय। अगर यह तरीका अख्तियार करना हमारे लिए सम्भव हो तो बहुत-से संशोधन जो यहां आज पेश किये जा सकते हैं, प्रारम्भिक स्थिति में ही तय हो जायं और कल हम सारा काम समाप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आज दोपहर बाद हम लोग समवेत न हों बल्कि कल सबेरे बैठें।

*सभापति : व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस हालत में हम नियमों को निपटाने में ही कल का दिन लगा सकते हैं। परसों हमें कई समितियां चुननी हैं जिनका नियमों में उल्लेख जरूरी है। अगर सभा समझती है कि वह कल और परसों के भीतर नियमों को देख जायगी और उनको पास कर देगी तो निजी रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं नहीं समझता कि सभा की ओर से कोई भी इसका जिम्मा लेगा कि हम लोग काम समाप्त कर देंगे।

*एक सदस्य : हम लोग कल बैठेंगे।

*श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर (मद्रास : जनरल) : सभापति महोदय, नियम मुझे आज सवेरे ही मिले हैं। मैं इनको पढ़ चुका हूँ और देखता हूँ कि बहुत से नियम ऐसे हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हम इसमें बढ़ा सकें। हां, नियम नं० २०, २३ और २३ (क) के कुछ विवादास्पद भागों में गम्भीर संशोधन के तौर पर हमें कुछ जोड़ना पड़ सकता है। इसलिए बैठक स्थगित करने की मांग पेश कर हमें समय न बर्बाद करना चाहिए। कहावत है, कल कभी नहीं आता, आइये आज ही काम में लग जायं।

*श्री सोमनाथ लाहिरीः सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि अब इस में कुछ भी जोड़ना नहीं है। जो भी हो हमें नियमों को पढ़ जाना है ताकि हम भी माननीय सदस्य के निष्कर्ष पर पहुंच सकें।

*श्री के० एम० मुंशीः सभापति जी, माननीय मित्र श्री शिवाराव के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूँ। जो भी हो, सभा स्थगित करने का कोई प्रयोजन नहीं है। कल हमारी बैठक होगी और उसमें स्वतंत्रतापूर्वक पूर्ण वाद-विवाद होगा जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है, प्रायः सभी नियम सावधानी से बनाये गये हैं। हो सकता है कि उनमें कुछ त्रुटियां हों जिनको सुधारना हो। केवल विवाद-मूलक और सिद्धान्त-सम्बंधी बातों में ही समय लगेगा। हम एक-एक नियम उठाकर उस पर विचार करते जायंगे और अगर कोई विवाद नहीं है तो हम उन्हें मंजूर करते जायंगे। मेरा कथन है कि नियमों को निपटाने का यही तरीका है जिसमें कम-से-कम समय लगे।

[श्री के० एम० मुन्शी]

*श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर : सभापति जी, मेरे माननीय मित्र श्री के० एम० मुंशी थोड़ी देर खड़ा होकर एक-एक नियम पढ़ते जायेंगे और यदि उसमें कोई परिवर्त्तन नहीं करना है तो हम तुरन्त उसे पास कर देंगे और फिर दूसरा नियम लेंगे। जो नियम विवादास्पद होंगे उन्हें कल के लिए छोड़ देंगे। उस समय तक हमें मालूम हो जायगा कि कोई संशोधन जरूरी है या नहीं।

*सभापति : तो क्या मैं यह मान लूं कि सभा की यही इच्छा है कि हम नियमों पर विचार जारी रखें ?

*बहुत से सदस्य : हां।

*सभापति : विरोध में कौन है ?

(कोई नहीं)

*सभापति : विचारार्थ नियमों को हम लेंगे। चूंकि एक बजने में सिर्फ आध घंटा बाकी है। हम २॥ या ३ बजे काम शुरू करेंगे।

*बहुतेरे सदस्य : ३ बजे।

*श्री के० एम० मुन्शी : इस आध घंटे में हम लोग कुछ नियम निपटा सकते हैं।

*सभापति : हम ३ बजे काम शुरू करेंगे और बन्द कमरे में। यह सभा समिति बन जायगी और ३ बजे बैठेगी।

इसके बाद सभा दोपहर के भोजन के लिए ३ बजे तक स्थगित हुई।

सभा भोजनोपरान्त पुनः ३ बजे श्री चेयरमैन (माननीय डा० राजेन्द्रप्रसाद) के सभापतित्व में बैठी। अब कार्यवाही बन्द कमरे में संचालित हुई।

*सभापति : श्री मुंशी !

नियम नं० १

बन्द कमरे *श्री के० एम० मुंशी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभा की कार्रवाई नियम नं० १ को स्वीकार करती है।

*सभापति : मैं समझता हूँ नियम नं० १ पर कोई आपत्ति नहीं है।

*श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त (बंगाल : जनरल) : सभापति जी, नियम २ (क) में यह कहा गया है—'असेम्बली' का मतलब......... ।

*श्री के० एम० मुंशी : हम लोग नियम १ पर विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं नियम १ पर कोई आपत्ति नहीं है।

*माननीय श्री बसन्तकुमार दास (आसाम : जनरल) : मैं सविनय यह बताना

चाहता हूं कि नियम १ पर अभी नहीं विचार किया जा सकता। इस पर अन्त में विचार करना चाहिए जब अन्य सारे नियम तय कर दिये जायं।

***एक सदस्य :** "कहा जायगा" की जगह "कहा जा सकता है" रखना चाहिए।

***श्री के० एम० मुंशी :** मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं।

नियम १ स्वीकृत हुआ।

नियम २

***श्री के० एम० मुंशी :** अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम २ स्वीकार किया जाय।

***श्री सी० सुब्रह्मण्यम् (मद्रास : जनरल) :** मैं समझता हूँ कि "प्रमुख सम्प्रदाय" इन शब्दों की हमें व्याख्या कर देनी चाहिए क्योंकि ये शब्द नियम २३ में प्रयुक्त हुए हैं। केबिनेट मिशन के वक्तव्य के पैराग्राफ १८ में कहा गया है:—

> "हिन्दुस्तान के इन तीन प्रधान सम्प्रदायों को मान लेना काफी है—जनरल, मुस्लिम और सिख जनरल में मुसलमानों और सिखों को छोड़कर सभी शामिल हैं।"

इसलिए जब हम 'प्रमुख सम्प्रदायों' का उल्लेख करते हैं तो इससे हमारा क्या मतलब है ? हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदायों से या जनरल और मुस्लिम सम्प्रदायों से ? और फिर क्या 'हिन्दू' शब्द में परिगणित जातियां भी शामिल है ? इसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। इसलिए मेरा सुझाव है कि "प्रधान सम्प्रदायों" की यों व्याख्या कर दी जाय कि इसका मतलब मुसलमानों और हिन्दुओं से जिसमें परिगणित जातियां भी शामिल हैं अथवा यदि आप ठीक समझें तो यों भी मुसलमान तथा 'जनरल सम्प्रदाय' जो मुसलमान और सिख नहीं हैं।

***श्री के० एम० मुंशी :** 'प्रमुख सम्प्रदाय' ये शब्द केवल नियम नं० १ में आये हैं और यह कहीं अच्छा होगा कि बजाय इनकी परिभाषा करने के इन्हें यहां उसी तरह रहने दिया जाय जिस तरह केबिनेट मिशन के वक्तव्य में इनका प्रयोग हुआ है।

***श्री सी० सुब्रह्मण्यम् :** 'मुसलमान और जनरल सम्प्रदाय' इसका आखिर अर्थ क्या है ? हमें यहां इसका निर्णय करना होगा। यदि यहां हम उन शब्दों की व्याख्या नहीं कर देते तो आगे चलकर जरूर गड़बड़ी पैदा होगी।

***माननीय दीवानबहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर (मद्रास : जनरल) :** मैं समझता हूं मेरे माननीय मित्र वक्तव्य के पैरा १८ और १९ (७) का जिक्र कर रहे हैं जहां सम्प्रदायों का उल्लेख आया है। उक्त दोनों स्थानों की भाषा में अन्तर है। पैरा १८ में यह कहा गया है :—

> "उन कामों के लिए हम समझते हैं कि हिन्दुस्तान के इन तीन प्रमुख सम्प्रदायों को मान लेना काफी है, जनरल, मुस्लिम और सिख।"

पर पैरा १९ (७) में खास तौर पर दो प्रमुख सम्प्रदायों का ही उल्लेख है। मैं

[माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपाल स्वामी आयंगर]

समझता हूं कि केबिनेट मिशन ने जान-बूझकर यह भाषा व्यवहृत की है और दो प्रमुख सम्प्रदायों से केवल हिन्दू और मुसलमानों का ही उल्लेख किया जा सकता है।

***श्री एच० वी० कामथ (मध्यप्रांत और बरार : जनरल) :** सभापति जी, नियम २ के सम्बंध में कुछ बातों का मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं सादर यह सुझाव रखता हूँ कि 'चेयरमैन' शब्द के पहले 'प्रेसीडेन्ट' शब्द की परिभाषा की जाय। यदि स्थायी चेयरमैन को प्रेसीडेन्ट कहकर सम्बोधित करना है तो मेरा यह विवेदन है कि 'चेयरमैन' के पहले 'प्रेसीडेन्ट' रखा जाय क्योंकि इस हालत में 'चेयरमैन' का अर्थ प्रेसीडेन्ट के अलावा और किसी व्यक्ति से होगा जो सभा का तात्कालिक सभापतित्व करेगा। यह तो हुई पहली बात। इसको और साफ किये देता हूँ। यदि किसी समय सभापति कहीं अन्यत्र चले गये हों तो तत्कालीन सभापति को क्या कहियेगा। प्रेसीडेन्ट कहा जायगा या चेयरमैन ?

***डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी (बंगाल : जनरल) :** यह तो वर्णानुक्रम से दिया हुआ है।

श्री एच० वी० कामथ : किसी भी अनुक्रम से दिया हो पर इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्योंकि आगे चलकर अध्याय ५ में नियम ३ और उपनियम (१) में १३ पृष्ठ पर हम यह पाते हैं :—

"५ उप-सभापतियों में से २ परिषद् द्वारा इसके सदस्यों में से चुने जायंगे।"

और उपनियम (२) कहता है:—

"सेक्शनों द्वारा चुने हुए चेयरमैन पद की हैसियत से परिषद् के उप-सभापति होंगे।'

अब जब सभापित की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापतित्व कर रहे हों तो उन्हें क्या कहा जायगा "चेयरमैन" या "प्रेसीडेन्ट" ?

***एक सदस्य :** वह चेयरमैन होंगे।

***श्री एच० वी० कामथ :** यानी सभापति की गैर-हाजिरी में सभापतित्व करने वाले सभी सज्जन 'चेयरमैन' कहे जायंगे न कि 'प्रेसीडेन्ट'। इसलिए चेयरमैन का मतलब है प्रेसीडेन्ट के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से। मेरा कहना यह है कि 'चेयरमैन' की यों व्याख्याकर देनी चाहिए कि प्रेसीडेन्ट के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति। स्थायी चेयरमैन मैं समझाता हूं सभापति ही है।

***सभापति :** आपका सुझाव क्या है ?

***श्री एच० वी० कामथ :** मेरा सुझाव यह है कि 'चेयरमैन' शब्द की साफ-साफ यों व्याख्या कर दी जाय कि इससे सभापति, जो स्थायी चेयरमैन हैं, उनके सिवाय अन्य व्यक्ति समझा जायगा।

मेरा दूसरा मन्तव्य यह है कि (घ) में जिसकी इबारत यों है :—

"प्रेसीडेंट का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे परिषद् ने अपने प्रारम्भिक अधिवेशन में कैबिनेट--मिशन के वक्तव्य में की हुई व्यवस्था के अनुसार बतौर चेयरमैन के चुना हो और वह व्यक्ति जो इस पद पर उक्त व्यक्ति के बाद आसीन हो "

'स्थायी' शब्द जोड़ दिया जाय ताकि यह यों पढ़ा जाय "जिसे परिषद् ने............बतौर स्थायी चेयरमैन के चुना हो इत्यादि

***माननीय श्री बी० जी० खेर (बम्बई : जनरल) :** संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है।

***श्री एच० वी० कामथ :** जो भी हो मैं अपने इस मंतव्य पर आग्रह नहीं करता।

***श्री के० एम० मुंशी :** सभापति जी, 'चेयरमैन' शब्द की साफ-साफ व्याख्या कर दी गई है और समूची नियमावली में 'चेयरमैन' का मतलब है उस व्यक्ति से जो परिषद् का या इसके सेक्शनों या समितियों का तात्कालिक चेयरमैन हो। प्रेसीडेंट या सभापति शब्द से वही व्यक्ति विशेष सूचित होगा जो परिषद् की प्रारम्भिक बैठक में सभापति चुना गया हो। भेद स्पष्ट है और मुझे इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि उसको लेकर कोई गड़बड़ी पैदा हो। यदि माननीय सदस्य श्री कामथ का संशोधन हम स्वीकार करते हैं तो उससे हमें नियमों में अनेक परिवर्त्तन करने पड़ेंगे जो इस भेद के आधार पर बनाये गये हैं। इसके अलावा यह बिलकुल अनावश्यक है—मेरा मतलब है 'स्थायी' शब्द—क्योंकि स्थायी बोल कर कोई चीज नहीं है।

***सभापति :** श्री अनन्तशयनम् आयंगर और काला वेंकटराव का एक जबानी संशोधन है। और वह यह कि उपपैरा (घ) 'जिसमें शामिल हैं' इतना जोड़ दिया जाय।

***श्री अनन्तशयनम् आयंगर :** मैं इस पर जोर नहीं देता। मैं नहीं समझता कि यह जरूरी है।

***सभापति :** तो आप इसे रखना नहीं चाहते ?

***श्री अनन्तशयनम् आयंगर :** नहीं।

सभापति : श्री दिवाकर, आप एक संशोधन पेश करना चाहते थे। क्या उसे पेश करना चाहते हैं ?

***श्री आर० आर० दिवाकर (बम्बई : जनरल) :** हां श्रीमान्, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि "प्रेसीडेंट का मतलब है वह व्यक्ति जो परिषद् द्वारा इसकी प्रारम्भिक बैठक में विधान-परिषद् का चेयरमैन चुना जाय।" इससे मतलब और साफ हो जायगा।

***श्री के० एम० मुंशी :** यह बिलकुल ही आवश्यक नहीं है क्योंकि व्यवहृत

[श्री के० एम० मुंशी]

शब्द ये हैं :—

"जिसे परिषद् ने अपनी प्रारम्भिक बैठक में बतौर चेयरमैन चुना हो।" इसका यही मतलब हो सकता है कि परिषद् का चेयरमैन। परिषद् के अलावा वह और किसी का चेयरमैन हो, यह अर्थ हो ही नहीं सकता।

***सभापति :** फिर मैं यह मान लेता हूं कि नियम पर कोई आपत्ति नहीं है। यह स्वीकार किया गया।

नियम २ स्वीकृत हुआ।

नियम ३

***श्री के० एम० मुंशी :** सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि "सदस्यों की भरती तथा स्थानों का रिक्त होना" शीर्षक दूसरा अध्याय स्वीकार किया जाय।

***एक सदस्य :** श्रीमान्, सिलसिलेवार एक-एक भाग पेश कीजिए।

***श्री के० एम० मुंशी :** बहुत अच्छा। सभापतिजी मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ३ स्वीकार किया जाय।

***श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त (बंगाल : जनरल) :** आदरणीय सभापति महोदय, क्या मैं एक संशोधन रख सकता हूं ?

***सभापति :** हां।

***श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त :** संशोधन यह है कि नियम ३ में "सभापति की मौजूदगी में" इन शब्दों के बाद इतना जोड़ दिया जाय "या किसी उप-सभापति की मौजूदगी में"।

***सदस्य गण :** नहीं-नहीं।

***श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त :** फिर मैं संशोधन उठा लेता हूँ।

***श्रीयुत रोहिणीकुमार चौधरी (आसाम : जनरल) :** मेरा प्रस्ताव है कि नियम ३ में से ये शब्द हटा दिए जायं "यदि सभापति की मौजूदगी में परिषद् की बैठक न होती हो" और "परिषद्" शब्द के बाद विराम चिह्न रख दिया जाय।

सभापतिजी, सभी सभाओं में यही प्रथा है कि रजिस्टर पर हस्ताक्षर और परिचय-पत्र की पेशी समूची सभा के समक्ष किया जाता है न कि केवल सभापति के समक्ष। इसलिए यह शब्द हटा दिये जा सकते हैं।

***एक सदस्य :** नहीं, प्रांतीय धारा सभाओं में सदस्य सभा की गैरहाजिरी में केवल सभापति के समक्ष ही हस्ताक्षर करते थे। मान लीजिये कि सभा की बैठक नहीं हो रही है तो क्या आप का यह मतलब है कि एक सदस्य के हस्ताक्षर के लिए समची सभा की बैठक बुलानी चाहिए ?

*श्री काला वेंकटराव (मद्रास : जनरल) : सभापति जी, आमतौर पर यही रीति है। कहीं भी यह रीति नहीं है कि एक सदस्य को जो सभा के खुले अधिवेशन में आना नहीं पसंद करता इस बात की इजाजत दी जाय कि वह सदस्यों के पीठ पीछे सभापति के सामने अपना परिचय-पत्र पेश कर हस्ताक्षर करे और इस तरह जब चाहे मुख्य सभा का तो वह बहिष्कार करे और सेक्शनों में शामिल हो। मेरा यही कहना है।

*श्री एच० वी० कामथ : मेरा निवेदन है कि इस भाग में "Until he has" के बाद दूसरी पंक्ति में "presented his credentials and" यह और जोड़ दिया जाय।

*श्री के० एम० मुन्शी : प्रथम संशोधन के सम्बन्ध में यह बात आवश्यक है कि अन्तिम भाग रखा जाय। यदि असेम्बली का अधिवेशन न होता हो तो यह असम्भव होगा कि एक सदस्य को दाखिल करने के लिए समूची सभा की बैठक बुलाई जाय। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि हो सकता है जब तक स्थान रिक्त होते रहें।

*श्री काला वेंकटराव : आखिर मुस्लिम लीग के सम्बन्ध में क्या होगा? क्या वे यहां न आयें और रजिस्टर पर हस्ताक्षर न करें?

*श्री के० एम० मुन्शी : यदि असेम्बली का अधिवेशन होता हो तो वे उसके सामने हस्ताक्षर करेंगे। अन्यथा यदि असेम्बली का अधिवेशन न होता हो वे सभापति के समक्ष जाकर अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसमें तो कोई रुकावट नहीं है। यही नियम का मतलब है।

दूसरे संशोधन के सम्बन्ध में यह कहना है कि (परिचय-पत्र) 'Credential' शब्द जानबूझ कर नहीं रखा गया है क्योंकि कई सदस्य उसे साथ नहीं लाये हैं या खो दिये हैं। इसलिए मैं संशोधन स्वीकार नहीं करता।

*डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी (बंगाल : जनरल) : यदि असेम्बली का अधिवेशन न होता हो तो सदस्य केवल सभापति के सामने रजिस्टर पर अपना हस्ताक्षर कर सकता है। बंगाल की धारा-सभा में यही विधि बरती जाती है।

*श्री एच० वी० कामथ : यहां परिचय-पत्र की पेशी का कोई उल्लेख नहीं है। एजेंडा (कार्यक्रम) से आज यह मालूम है कि रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के पहले सदस्यों को अपना परिचय-पत्र अवश्य पेश करना होगा और यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि सदस्यों को अपना परिचय-पत्र पेश करना ही होगा।

*एक सदस्य : जो सदस्य बोलना चाहते हों उन्हें माइक 'Mike'—(ध्वनि-विस्तार-यन्त्र) पर आना चाहिए अन्यथा कार्रवाई हम नहीं समझ सकते।

*सभापति : दो संशोधन रखे गये हैं। मैं उन पर मत लेता हूं। पहला संशोधन श्री कामथ का इस आशय का है कि दूसरी पंक्ति में 'has' शब्द के बाद presented his credential जोड़ दिया जाय।

यह संशोधन नामंजूर हुआ

*सभापति : दूसरा संशोधन यों है। अन्त के ये शब्द हटा दिये जायं:—

'या यदि असेम्बली का अधिवेशन न होता हो तो सभापति की उपस्थिति में'

यह संशोधन सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ।

नियम ३ मंजूर हुआ।

नियम ४

*श्री के० एम० मुंशी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ४ स्वीकार किया जाय।

*श्री० आर० के० सिधवा (मध्यप्रांत और बरार : जनरल) : मैं यह प्रस्ताव पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि नियम ४ के बाद निम्नलिखित नियम जोड़कर उसे ४ (क) कर दिया जाय :—

> "यदि कोई सदस्य असेम्बली की लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो यह समझा जायगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है बशर्ते कि सभा ने मत लेकर उसे अनुपस्थित रहने का अवकाश न दिया हो या किसी प्रतिनिधि-मंडल का सदस्य बन वह भारत से कहीं बाहर न गया हो।"

यदि बीमारी या ऐसे ही कारण से कोई सदस्य अनुपस्थित है तो सभा उसे अवकाश दे सकती है। और अगर कोई सदस्य सार्वजनिक काम के लिए प्रतिनिधि-मंडल का सदस्य होकर भारत के बाहर जाता है तो उसे इस पाबन्दी की छूट दी जायगी क्योंकि उस हालत में सम्भव है वह नियमित रूप से असेम्बली में मौजूद न रह सके और दो महीनों से भी ज्यादा गैर हाजिर रह जाय। मेरा संशोधन सहज ग्राह्य है और स्वीकार किया जाना चाहिए। अन्यथा कुछ सदस्य गैर हाजिर रहना पसंद करेंगे और सभा के सदस्य बने रहेंगे।

*श्री के० सन्तानम् (मद्रास : जनरल) : असेम्बली का प्रारम्भ से अन्त तक एक ही अधिवेशन होगा। बीच-बीच में व्यवधान होता रहेगा या सभा स्थगित होती रहेगी पर मैं नहीं समझता कि सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जायगी या इसका दूसरा अधिवेशन होगा। इसलिए यह संशोधन नियम के प्रतिकूल है।

*श्री राजकृष्ण बोस (उड़ीसा : जनरल) : श्री सिधवा ने वृद्धिकरण का जो प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि प्रान्तों के कई प्रधान-मंत्री इस असेम्बली के सदस्य हैं और अपने-अपने प्रान्त के आवश्यक कामों के कारण हो सकता है कि लगातार दो बैठकों में शामिल रहना उन्हें कठिन मालूम पड़े।

*श्री आर० के० सिधवा : मैंने इसकी व्यवस्था कर दी है।

*श्री राजकृष्ण बोस : आपने सिर्फ बीमारी का जिक्र किया है।

*श्री आर० के० सिधवा : केवल कारण स्वरूप मैंने बीमारी का उल्लेख

किया है। "बीमारी या ऐसे ही कारण से" कहकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है।

*श्री राजकृष्ण बोस : स्पष्टरूप से इसकी व्यवस्था का उल्लेख होना चाहिए। जो कुछ मैं चाहता हूं वह यह है कि अगर कोई सदस्य जरूरी सरकारी काम से रुक जाता है तो वह असेम्बली का सदस्य बना रहेगा यद्यपि असेम्बली की लगातार दो बैठकों में वह शरीक न रहेगा।

*डा० सुरेशचंद्र बनर्जी : १९३५ के एक्ट के अनुसार अनुपस्थिति की मियाद ६० दिनों की है। यदि कोई सदस्य लगातार ६० दिनों तक गैर हाजिर रहता है तो वह सदस्य नहीं रह जायगा, यदि सम्बंधित प्रांतीय धारा-सभा उसकी अनुपस्थिति स्वीकार या क्षमा न कर दे। इसलिए यहां भी समय की मियाद होनी चाहिए।

*श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर : यह नियम कहां है कि लगातार ६० दिनों तक उपस्थिति लाजिमी है? साल में ६० या इससे ज्यादा दिन केन्द्रीय धारा-सभा की बैठक नहीं होती।

*डा० सुरेशचंद्र बनर्जी : केन्द्रीय धारा सभा में १९१९ के एक्ट के अनुसार काम होता है और मैं बात कर रहा हूं १९३५ के एक्ट की।

*एक सदस्य : हम कार्यवाही को नहीं समझ सकते जब तक कि सदस्य माइक (ध्वनि-विस्तार-यंत्र) पर न आवें।

*सभापति : मैं नहीं समझता कि आपका कुछ ज्यादा हर्ज हो पाया है। श्री सिधवा का संशोधन यह है कि अगर कोई सदस्य सभा से अवकाश लिये बिना लगातार दो अधिवेशनों में अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी जगह खाली समझी जायगी।

*माननीय पं० रविशंकर शुक्ल (मध्यप्रांत और बरार : जनरल) : मुस्लिम लीग वाले सदस्यों का क्या होगा अगर बिना अवकाश लिये वे अनुपस्थित रहते हैं?

*एक सदस्य : मैं समझता हूं कि वे भी अयोग्य करार दिये जायंगे।

*श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर : श्री सन्तानम् के इस वैधानिक प्रश्न के बारे में क्या तय हुआ कि असेम्बली का एक ही अधिवेशन है, ज्यादा नहीं? जब सभा अनिश्चित् काल के लिए स्थगित की जाती है तभी उसका दूसरा अधिवेशन होता है। केन्द्रीय धारा-सभा जब अनिश्चित् काल के लिए स्थगित होती है तो गवर्नर जनरल उसका दूसरा अधिवेशन बुलाते हैं। यहां ऐसी कोई बात नहीं है। असेम्बली का यह अधिवेशन तब तक चालू रहेगा जब तक कि यह भंग नहीं कर दी जाती और इसलिए यह संशोधन नियम के खिलाफ है।

*सभापति : मैं समझता हूँ यह ज्यादा अच्छा होगा कि इस वैधानिक प्रश्न पर आदेश पाने के बजाय हम संशोधन को ही निपटा दें।

मैं संशोधन पर मत लेता हूँ।

संशोधन नामंजूर हुआ।

नियम ४ स्वीकार किया गया।

नियम ५

*श्री के० एम० मुंशी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नियम ५ स्वीकार किया जाय।

*श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त : सभापति महोदय, नियम नं० ५ के उपनियम (३) पर मुझे दो आपत्तियां हैं। इसमें कहा गया है कि सभापति सम्बन्धित प्रांतीय धारा-सभा के अध्यक्ष से किसी व्यक्ति के चुनाव के लिए लिखित अनुरोध करेंगे। परन्तु यदि अध्यक्ष ने चुनाव की व्यवस्था करने से इन्कार किया तो क्या किया जायगा? मैं जानता हूँ कि ऐसे भी प्रान्त हैं जहां के अध्यक्ष चुनाव की व्यवस्था करने से इन्कार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बंगाल प्रान्त के ही अध्यक्ष किसी सदस्य के चुनाव के लिए प्रान्तीय धारा-सभा की बैठक बुलाने से इन्कार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

*श्री के० एम० मुंशी : माननीय सदस्य ने जिस परिस्थिति का जिक्र किया है उसके निर्वाह के लिए नियम ६३ है। यह कहता है:—

"जिस किसी भी बात की व्यवस्था इन नियमों में नहीं की गई है उसके सम्बन्ध में कठिनाई दूर करने के लिए सभापति ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसे वह ठीक समझते हों।"

*श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त : जैसा कि उपनियम (६) में कहा गया है यह यों होना चाहिए:—

"उपनियम (३) में उल्लिखित अनुरोध पाने के बाद यथा सम्भव शीघ्र"

*श्री के० एम० मुंशी : वस्तुतः इससे कोई दिक्कत न पेश होगी। यों ही यह महसूस किया जायगा कि विलम्ब ऐसा है कि वह नियम ६३ में दी हुई कठिनाई बन जाता है, वह नियम लागू हो जायगा।

*एक सदस्य : आखिर उस मियाद का जिक्र क्यों नहीं कर देते जिसके भीतर नियम ६३ लागू हो जायगा?

*श्रीयुत रोहिणी कुमार चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दूसरी पंक्ति में, नियम ५ के उपनियम (१) में (या, अन्यथा) "or, otherwise" शब्द हटा दिये जायं। यहां "or, otherwise" शब्द रखकर आप एक ऐसे रिक्तस्थान की कल्पना करते हैं जो न तो मृत्यु और न त्याग-पत्र के कारण ही रिक्त हुआ है। और सदस्य को हटाने की व्यवस्था को अभी सभा ने नामंजूर कर दिया है।

*सभापति : निर्वाचन सम्बंधी आवेदन-पत्र के फलस्वरूप भी स्थान रिक्त हो सकता है। ऐसी ही स्थिति के निर्वाह के लिए शायद "or, otherwise" शब्द

रखे गये हैं।

*श्री रोहिणीकुमार चौधरी : मैं अपनी भूल मंजूर करता हूं, सभापति जी।

मेरा दूसरा संशोधन उपनियम (४) में है। मेरा सुझाव है कि तीसरी पंक्ति में 'चुनाव' (election) शब्द के बाद ये शब्द जोड़ दिये जायं—"जहां तक हो सके उसी सम्प्रदाय के सदस्य द्वारा जिस सम्प्रदाय का उसका पूर्ववर्त्ती सदस्य था" (As for as practicable by a member belonging to the community to which his previous incumbent belonged) जिस बात ने मुझे यह संशोधन रखने के लिए प्रेरित किया वह यह है। कांग्रेस के प्रभाव से भिन्न-भिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को विधान-परिषद् का सदस्य चुनवाकर हमने सिवा मुसलमानों के अन्य सभी सम्प्रदायों की सद्भावना प्राप्त कर ली है। अब अगर कोई स्थान खाली होता है और हम उस जगह पर अन्य सम्प्रदाय के सदस्य को बैठाने की कोशिश करते हैं तो हम सारी प्राप्त सद्भावना को खो बैठेंगे। इसीलिए मैंने यह संशोधन पेश किया है।

*श्री आर० के० सिधवा : सभापति जी, इस नियम को लेकर मेरा भी एक संशोधन है। मेरा सुझाव है कि पैराग्राफ ५ (३) के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायं, "और त्याग-पत्र देने की तिथि से दो माह के बाद नहीं" (and not later than two months from the date of the resignation) मूल में ये शब्द हैं "यथोचित रीति से जहां तक साध्य हो शीघ्र" (as soon as may reasonably be practicable) मैं समझता हूं कि रिक्त स्थान की पूर्त्ति के लिए एक अवधि जरूर निर्धारित कर देनी चाहिए। दो महीने का समय उसके लिए आवश्यक है।

मैं चाहता हूं कि उपनियम (३) को (३) (क) बना देने के बाद बतौर (३) (ख) के इतना और बढ़ा दिया जाय :-

> "यदि सम्बन्धित निर्वाचन-क्षेत्र में रिक्त स्थान की पूर्त्ति न की जा सके या चुनाव न किया जा सके तो उपनियम (५), (६), (७) और (८) में दी हुई व्यवस्था अपनाई जायगी"। मान लीजिए कि मुस्लिम लीग असेम्बली में न शामिल होनेका फैसला करती है और बंगाल या सिंध में कोई जगह खाली होती है तो सम्भवतः साधारण निर्वाचन-क्षेत्र से जगह पूरी करने के लिए कोई कार्रवाई न की जायगी, इसलिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है जिससे कि साधारण निर्वाचन-क्षेत्र का सदस्य अगर आना चाहे तो उस क्षेत्र द्वारा ऐसा करने से वह रोक न दिया जाय। इसलिये मेरी समझ में ऐसी व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। यदि वह असेम्बली में आयं और सहयोग दें तो बात दूसरी है।

*एक सदस्य : मैं समझता हूं कि नियम ५ के उपनियम (३) की प्रथम दो पंक्तियां पढ़ने में ठीक नहीं मालूम पड़ती हैं। मेरा सुझाव है कि इन शब्दों की जगह कि "जब मृत्यु या त्याग-पत्र के कारण अथवा अन्यथा कोई सदस्य नहीं रह जाता" ये शब्द रखे जाये "मृत्यु, या त्याग-पत्र के कारण अथवा अन्यथा यदि कोई स्थान रिक्त हो जाय"।

*सभापति : माननीय सदस्य कृपा कर अपने संशोधन की एक प्रति मुझे दे दें।

*श्री० वी० आई० मुनिस्वामी पिल्लई (मद्रास : जनरल) : सभापति महोदय, उपनियम (५) की तीसरी पंक्ति में मैं एक संशोधन रखना चाहता हूं। मेरा संशोधन यह है—"ऐसा भारतीय जो किसी देशी रियासत का अधिवासी हो गया हो, विशेष रूप से देशी रियासतों को दी हुई ९३ सीटों में से किसी सीट पर मनोनीत या निर्वाचित किया जायगा"।

ब्रिटिश योजना द्वारा यह तय हो चुका है कि ९३ सीटें रियासतों के निवासियों को दी जा सकती हैं। हम सभी जानते हैं कि इस असेम्बली के लिए किये गये गत निर्वाचन में रियासतों के बहुत से लोगों ने प्रांतीय धारा-सभाओं के जरिये यहां आने की कोशिश की। चूंकि रियासतों का चुनाव अभी भी बाकी है यह देखने में आयेगा कि प्रांतों के बहुत से लोग इस बात की कोशिश करेंगे कि रियासतों में जाकर निर्वाचित हो जायं। मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूं जो प्रांतीय धारा-सभाओं के जरिये रियासतों से यहां निर्वाचित हो चुके हैं। भविष्य में अगर स्थान खाली हों तो रियासतों के लोग अपने प्रतिनिधियों को भेजें और प्रांत अपने अधिवासियों को।

*श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त : सभापति जी, उपनियम (५) में "भारतीय" शब्द के बाद मैं ये शब्द जोड़ना चाहता हूं—"जो २५ वर्ष से कम का न हो"। केन्द्रीय धारा-सभा और प्रांतीय धारा-सभाओं के सम्बन्ध में यह बात स्वीकृत है।

श्री एच० वी० कामथ : मेरा कहना है कि ये शब्द इस नियम के उपनियम (४) में रखे जायं। मेरे मित्र श्री रोहिणी कुमार चौधरी ने इसी आशय का संशोधन रखा था। मैं एक कदम और आगे बढ़कर यह रखना चाहता हूं :—

> "रिक्त स्थान की पूर्त्ति चुनाव द्वारा उसी सम्प्रदाय के सदस्य के द्वारा की जायगी जिस सम्प्रदाय का उसका पूर्ववर्त्ती सदस्य था।" सौभाग्य या दुर्भाग्य से हमने इस विधान-परिषद् के लिए साम्प्रदायिक निर्वाचन-पद्धति स्वीकार कर ली है और यह वांछनीय है और सम्भवतः आवश्यक भी हो सकता है कि जब भी स्थान रिक्त हो हम इसी पद्धति को बरतें। और अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता।"

श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त : सभापति जी, उपनियम ७ में मैं एक और व्यवस्था जोड़ना चाहता हूं :—

> "मगर फिर शर्त यह है कि अगर वोट (मत) रजिस्ट्री डाक से भेजे गये हों तो दस्तखतों की तसदीक प्रांतीय धारा-सभा के किसी सदस्य द्वारा अथवा न्याय या प्रबंध विभाग के किसी गजटेड अफसर द्वारा की जाय।"

पहली व्यवस्था में कहा गया है कि "जब असेम्बली की बैठक न होती हो तो मतदाता चाहे तो स्वयं उपस्थित होकर मत दे सकता है या रजिस्ट्री डाक से अपना मत भेज सकता है", यदि वोट रजिस्ट्री से भेजा गया हो तो मतदाता के दस्तखत की तसदीक की जानी चाहिए।

*श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर : मेरे पूर्व वक्ता ने जो संशोधन पेश किया है उसके सम्बंध में मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। वह चाहते थे कि मत-पत्र की तसदीक किसी गजटेड अफसर से कराली जाय। इसके सम्बंध में कुछ गलत-फहमी पैदा हो गई है। मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि मत-पत्र बिलकुल गोपनीय चीज है और इस बात पर जोर देना कि उसकी तसदीक की जाय, बिलकुल अप्रासंगिक है। जब भी मत-पत्र डाक से भेजा जाता है तो उसके साथ एक घोषणा-पत्र भी रहता है और धारा-सभा के किसी सदस्य के सामने इस बात की तसदीक की जाती है कि सदस्य ने ही दस्तखत किया है। मत-पत्र दूसरे लिफाफे में रखा जाता है और उस पर "गोपनीय" लिख दिया जाता है। यही बात है जो मेरे मित्र चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि सभा इसे अवश्य स्वीकार करेगी। मैं इसका समर्थन करता हूँ।

*श्री के० एम० मुन्शी : मैं पसन्द करूंगा कि प्रत्येक संशोधन पढ़ दिया जाय, क्योंकि मेरे पास इसकी नकल नहीं है।

*सभापति : मैं आपको बताये देता हूँ। वाक्यांश (३) में देखिये। "जब कोई सदस्य, सदस्य न रह जाय" इसकी जगह संशोधन कहता है कि ये शब्द रखे जायं— "जब कोई स्थान रिक्त हो।"

*श्री के० एम० मुन्शी : मुझे यह संशोधन मंजूर है।

*श्री पी० आर० ठाकुर (बंगाल : जनरल) : बंगाल के परिगणित जाति के एक सदस्य का देहावसान हो गया है। क्या इन नियमों में कोई ऐसी व्यवस्था रखी जायगी जिससे परिगणित जाति का ही कोई सदस्य उनकी जगह आवे ? अन्यथा इस स्थान पर कोई सवर्ण हिन्दू चला जायगा।

*सभापति : एक संशोधन है जिसमें यह बात आ जाती है। फिर एक संशोधन के जरिये यह सुझाव रखा गया है—"दो माह से अधिक देर न करके।"

*एक सदस्य : ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है जो हमारे काबू से बाहर हो।

*श्री के० एम० मुन्शी : इस तरह रखना तो एक जबरदस्त पाबन्दी होगी। एक-न-एक कठिनाई तो आ ही सकती है और उस हालत में हमें नियमों में संशोधन करने पड़ेंगे। फिलहाल इसे ज्यों-का-त्यों छोड़ देना चाहिए।

*सभापति : मैं इस संशोधन को सामने रखता हूँ। संशोधन के जरिये यह सुझाव रखा गया है कि वाक्यांश के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायं :—"दो माह से अधिक देर न करके"

संशोधन नामंजूर हुआ।"

*सभापति : उपनियम (४) के सम्बंध में यह संशोधन है कि उसकी तीसरी पंक्ति में "चुनाव द्वारा पूर्ति की जायगी" की जगह यह रखा जाय :—"जहां तक सम्भव होगा उसी सम्प्रदाय के सदस्य द्वारा जिस सम्प्रदाय का उसका पूर्ववर्त्ती

[समापन]

सदस्य था।"

*श्री के० एम० मुन्शी : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ।

*दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर (मद्रास : जनरल) : मंत्रि-प्रतिनिध मंडल की योजना के अनुसार हमारे सामने तीन सम्प्रदाय हैं। नियम के उद्देश्यको देखते हुए आप किसी दूसरे सम्प्रदायका समावेश नहीं कर सकते। यह तो बुद्धि की बात है। हम इस सिद्धान्त पर चलेंगे कि अगर परिगणित जाति का कोई सदस्य हट जाता है तो हम उसकी जगह उसी के सम्प्रदाय के किसी सदस्य को सभा में लेंगे। हमें विश्वास है कि जिन्हें परिगणित जातियों से दिलचस्पी है वे ऐसा ही करेंगे पर नियम-निर्वाह के लिए हम किसी चौथे सम्प्रदाय की सृष्टि यहां नहीं कर सकते।

*श्री के० एम० मुन्शी : श्रीमान्, मेरा कहना है कि सदस्यगण भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों के तीन सम्प्रदायों में से किसी सम्प्रदाय द्वारा चुने गये हैं और जैसा कि मेरे माननीय मित्र सर अल्लादी कृष्णा स्वामी ने फरमाया है, मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि निर्वाचक उस सम्प्रदाय का पूर्ववत् विचार क्यों न करेंगे। परन्तु यदि हम इस तरह का बन्धन-मूलक नियम बना देंगे तो परिणाम यह होगा कि पहले तो आपने उस सम्प्रदाय के किसी सदस्य को इस बिना पर चुना था कि उसका स्थान था और वह वास्तविक प्रतिनिधि होने की हैसियत रखता था पर अब उसके रिक्त स्थान पर आप उसी सम्प्रदाय के किसी-न-किसी व्यक्ति को बिठायेंगे चाहे वह प्रतिनिधि होने योग्य न हो और उससे भी योग्य प्रतिनिधि दूसरे सम्प्रदाय का मिलता हो। इसलिए इस तरह का नियंत्रण मूलक वर्गीकरण ठीक न होगा। यह बात तो जनरल सम्प्रदाय पर छोड़ देनी चाहिए कि वह अपने विवेक से जो उचित समझे करे।

*श्री० बी० गोपाल रेड्डी (मद्रास : जनरल) : इससे तो अल्पसंख्यकों के हित को नुकसान पहुँचेगा। मान लीजिए मद्रास प्रांत की धारा-सभा में ईसाई सम्प्रदाय के आठ प्रतिनिधि हैं। उन्हें अपने बल पर दो सदस्य विधान-परिषद् में भेजने का अधिकार है। अब यदि उनका कोई स्थान खाली होता है तो सम्भव है कि कोई सवर्ण हिन्दू उस पर आ जाय और ईसाइयों का एक ही प्रतिनिधि यहां रह जाय। इस नियम से तो आप "एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व" के सिद्धांत के वास्तविक उद्देश्य का ही हनन कर देते हैं।

*श्री के० एम० मुन्शी : माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं कि वक्तव्य के उद्देश्य को दृष्टि में रख कर उन्हें आम जाति (जनरल कम्युनिटी) में शामिल कर दिया गया है और जनरल कम्युनिटी का यह कर्त्तव्य है कि वह इस बात पर सदा ध्यान रखे कि उसके प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ।

संशोधन नामंजूर हुआ।

*श्री. के. एम. मुन्शी :-श्री धीरेन्द्रनाथदत्त का संशोधन है कि उप-खंड (५) में यह जोड़ दिया जाय "जिसकी उम्र २५ वर्ष से कम न हो" । इस संशोधन के सम्बन्ध में मैं कहूँगा कि यह जमाना युवकों का है । व्यर्थ बूढ़ों को हमें यहां नहीं लाना चाहिए । आज तो २० वर्ष का युवक भी उतना ही राज-नीतिज्ञ है जितना २५ वर्ष का। युवकों पर ऐसा कोई प्रतिबंध न लगाना चाहिए कि वे विधान-परिषद् में न आ सकें। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ।

संशोधन नामंजूर हुआ।"

*श्री के. एम. मुन्शी : जहां तक श्री मुनिस्वामी पिल्लई के संशोधन का सम्बन्ध है मैं उसका विरोध करता हूँ क्योंकि विधान-परिषद् में दोनों के ही—ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के—प्रतिनिधि यहां आये हैं और हो सकता है वे रियासत के बाशिन्दे हों या रियासत के बाहर के। मैं नहीं समझता कि हम ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों में उतना अन्तर क्यों पैदा करें। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ।

संशोधन गिर गया।"

*श्री के. एम. मुन्शी : श्री सिधवा का संशोधन है खण्ड (३) को लेकर। उसके सम्बन्ध में मुझे कहना है कि "यथासम्भव शीघ्र" इन शब्दों से स्थिति साफ हो जाती है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, यह बात सभापति पर छोड़ देनी चाहिए कि "यथा सम्भव शीघ्र" का क्या अर्थ है और देर की वजह से कठिनाई तो नहीं होती। यह ठीक न होगा कि यहां कोई कठिन पाबंदी रखी जाय। मैं इसका विरोध करता हूँ।

यह संशोधन गिर गया।

*श्री के. एम. मुन्शी : उपनियम (४) में मिस्टर दत्त का संशोधन है कि मत-पत्र रजिस्ट्री डाक से मुहरबंद लिफाफे में मय दो गज़टेड अफसरों के दस्तखत-शुदा एक घोषणा-पत्र के साथ भेजे जायं। इसके सम्बंध में मुझे यह कहना है कि यह सिद्धांत ठीक है और वैधानिक सलाहकार की मदद से जब उसका मसविदा तैयार होकर आयेगा तो मैं उसे मंजूर कर लूंगा।

*दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर : बाद में आने वाले इस आशय के वाक्य-खण्डों से कि इस सम्बन्ध में प्रांतीय धारा-सभाओं के नियम लागू होंगे, इस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है।

*श्री के. एम. मुन्शी : या स्थायी आज्ञाओं के जरिये भी यह किया जा सकता है। नियमों में इसका उल्लेख जरूरी नहीं है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

*दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर : सब बातों की व्यवस्था तो आप नहीं कर सकते। इसीलिए यह रखा गया है।

*श्री० के० एम० मुन्शी : सभापति को यह अधिकार दिया गया है कि चुनावों के संबंध में वह स्थायी आज्ञायें जारी करें।

यह संशोधन नामंजूर हुआ।

*श्री सी० एम० पुनाका (कुर्ग) : सभापति महोदय, उपनियम (७) के प्रथम पैरा में मैं एक छोटे से शाब्दिक परिवर्त्तन का सुझाव रखना चाहता हूँ। वह यह है कि इस पैरा के इन शब्दों में "मगर शर्त यह है कि असेम्बली की बैठक न होती हो"। असेम्बली को हटाकर 'ऐसी असेम्बली' रखा जाय क्योंकि अन्य स्थल पर इस बात की व्याख्या कर दी गई है। एसेम्बली का अर्थ है, भारतीय विधान-परिषद्। 'ऐसी असेम्बली' के रख देने से मतलब साफ हो जायगा और कोई संदिग्धता न रह जायगी।

*सभापति : मिस्टर मुंशी इस संशोधन को स्वीकार करते हैं ?

*श्री के० एम० मुंशी : सभापति जी, 'सम्बन्धित असेम्बली' शब्द ज्यादा अच्छा होगा।

यह संशोधन मंजूर हुआ।

*सभापति : मैं नहीं समझता कि खण्ड (८) में कोई संशोधन हमें रखना है।

खण्ड (९) में भी कोई संशोधन नहीं है।

*श्री सिधवा : सभापति जी, मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। उप-खण्ड (९) में, इस असेम्बली के सदस्य चुनने के उद्देश्य से यह कहा गया है कि प्रांतीय धारा सभाओं के चालू नियम यहां भी लागू होंगे। यहां "निर्वाचनाधिकारी" (रिटर्निंग आफीसर) का कहीं जिक्र नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रांतीय धारा-सभा के ही निर्वाचनाधिकारी क्या उस काम के लिए निर्वाचनाधिकारी रहेंगे ? वे तो जिलों के कलेक्टर हुआ करते हैं।

*माननीय पं०. जवाहरलाल नेहरू (संयुक्त प्रांत : जनरल) : अध्यक्ष निर्वाचनाधिकारी होता है।

*श्री आर० के० सिधवा : नहीं, यहां यह कहा गया है कि फिलहाल जो नियम प्रांतीय धारा सभाओं के चुनाव के सम्बन्ध में बरते जाते हैं वही यहां भी माने जायंगे। इस काम के लिए प्रांतीय धारा-सभाओं में कोई नियम नहीं है।

*सभापति: अवश्य कुछ नियम होंगे। प्रांतीय धारा सभाओं के द्वारा आखिर समितियां कैसे चुनी जाती हैं ?

*श्री आर० के० सिधवा : यह काम मंत्री करता है श्रीमान्।

*सभापति : फिर हम इसे मंत्री पर छोड़ देते हैं। जो भी नियम वहां है

वही यहां बरते जायंगे।

*श्री अजितप्रसाद जैन (संयुक्त-प्रांत : जनरल) : श्रीमान्, क्या यह उचित न होगा कि खण्ड (६) में यह बात साफ तौर पर कह दी जाय कि यहां "एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व" के सिद्धांत से संबंध रखने वाले नियम ही लागू होंगे।

*सभापति : हमने इसकी व्यवस्था कर दी है।

*श्री अजीतप्रसाद जैन : इस खण्ड में तो इसका उल्लेख नहीं किया गया है। प्रान्तीय असेम्बलियों में दो तरह के नियम हैं। एक तो एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर और दूसरा केवल साधारण बहुमत के आधार पर। अगर नियम इसी रूप में रखा गया तो इसके प्रारम्भिक शब्दों की वजह से सम्भवतः प्रांतीय धारा-सभा के नियमों के लागू होने की गुञ्जाइश न रह जाय पर साधारण बहुमत का नियम तो लागू हो सकता है। नियमों का जो आशय है उसमें ये लागू नहीं हो सकते। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, उपनियम (४) और (६) परस्पर सम्बन्धित हैं। एक में तो असल तजवीज है और दूसरे में केवल विधि बताई गई है। अगर आप दोनों को मिला देते हैं तो—"save as otherwise provided" इन प्रारम्भिक शब्दों के रखने की जरूरत न रह जायगी।

*श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर : इस आपत्ति में कोई दम नहीं है, क्योंकि खण्ड (६) को खण्ड (४) के साथ पढ़ना होगा जिसमें एकाकी हस्तांतरित मत-पद्धति के द्वारा चुनाव की व्यवस्था रखी गई है और खण्ड (६) में इस जगह कहा गया है कि—

"इसको देखते हुए यह आपत्ति अग्राह्य है।"

*श्री के० एम० मुन्शी : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

संशोधन नामंजूर हुआ।

*सभापति : अब हम खण्ड (१०) को लेते हैं।

*श्री एच० वी० कामठ : सभापति जी, इस पर मैं कुछ और प्रकाश चाहता हूं। यह कहा गया है कि पहले के नियम कुर्ग के सम्बन्ध में लागू होंगे। ब्रिटिश बिलोचिस्तान का हमने यहां कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रतिनिधित्व का क्या तरीका है मुझे ठीक-ठीक नहीं मालूम है। योजना में केवल इतना ही कहा गया है कि सेक्शन 'बी' में ब्रिटिश बिलोचिस्तान के एक प्रतिनिधि बढ़ाये जायंगे। क्या यह ठीक न होगा कि ब्रिटिश बिलोचिस्तान के एक प्रतिनिधि को इस परिषद् में निर्वाचित करने के लिए हम नियम बना दें। यह बात यहां नहीं कही गयी है कि ब्रिटिश बिलोचिस्तान के प्रतिनिधि यहां कैसे चुने जायंगे। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

*श्री के. एम. मुंशी : मैं आखिरी संशोधन का हवाला देता हूं। कमेटी

[श्री के० एम० मुंशी]

ने जान-बूझकर ब्रिटिश बिलोचिस्तान का उल्लेख दूर ही रखा है क्योंकि चुनाव सम्बन्धी एक दरख्वास्त पर अभी फैसला होना बाकी है और कमेटी नहीं चाहती थी कि वह ऐसी कोई बात कहे जिसका अनुकूल या प्रतिकूल असर इस मामले पर पड़े।

*एक सदस्य : सभापति जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम इस नियम को व्यवस्थापिका-सभा के गैर सरकारी सदस्यों तक ही सीमित रख सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह तो योजना की कार्य-सीमा के बाहर है। २५ मई वाले वक्तव्य में वे कहते हैं कि कुर्ग में समूची व्यवस्थापिका-सभा को मत देने का अधिकार होगा; परन्तु सरकारी सदस्यों को यह आदेश मिल जायगा कि वे चुनाव में भाग न लें। श्रीमान्, मैं समझता हूं कि व्यवस्थापिका-सभा के सरकारी सदस्यों पर हम यह प्रति-बंध नहीं लगा सकते। यह सरकारी सदस्यों की मर्जी की बात है कि वे इस आदेश को माने या न माने।

*सभापति : हम यह नियम बना देते हैं कि अब से वे चुनाव में भाग नहीं ले सकते। उनके लिए मत देना हम असम्भव बना देंगे।

सभापति ने समूचे निमय पर मत मांगा।

नियम (५) अपने संशोधित रूप में मंजूर हुआ।

नियम ६

*श्री के० एम० मुंशी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अध्याय तीन का शीर्षक और नियम ६ स्वीकार किया जाय।

*सभापति : नियम ६ (१) लिया जाता है। इस पर कोई संशोधन नहीं है।

*श्री के० संतानम् : मेरा प्रस्ताव है कि नियम ६ (२) में ये शब्द जोड़े जायं :-

> "मगर शर्त यह है कि जब इस असेम्बली का अधिवेशन न होता हो तो सभापति नई दिल्ली से बाहर अन्यत्र इसकी कार्रवाही को संचालित करने की अनुमति दे सकते हैं।"

मौजूदा सूरत में जल-वायु सम्बन्धी या अन्य कारणों से अगर कमेटी यह चाहे कि उसकी बैठक शिमला में हो तो एक प्रस्ताव द्वारा इसी समस्त सभा की अनु-मति लेनी पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभापति को अधिकार हो कि वह अपवाद रख सकें।

*श्री के० एम० मुंशी : सभापतिजी, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। नियम कहता है "असेम्बली का कार्य-क्रम नई दिल्ली में संचालित होगा, यदि असेम्बली अन्यथा न तय करे"। यह फैसला करना असेम्बली का काम है कि कमेटियां और सेक्शन कहां समवेत होंगे। जब कार्यालय और संगठन यहां है तो किसी कमेटी के

[श्री बी० दास]
इस पर अपना निर्णय करेगी।

*सभापति : अवश्य। एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों की संख्या यह सभा स्थिर करेगी। खण्ड (२) पर कोई संशोधन नहीं है और अब हम खण्ड (३) पर आते हैं। क्या इस पर कोई संशोधन है ?

*सदस्यगण : नहीं।

*एक सदस्य : मैं चाहता हूं कि प्रस्तावक महोदय एक बात स्पष्ट कर दें। मान लीजिए सेक्शन के सभापति इस सभा द्वारा स्वीकृत नियमों के प्रतिकूल कोई निर्णय देते हैं तो फिर इस सूरत से बचाव क्या है ?

*श्री के० एम० मुंशी : कठिनाई की कल्पना करने से कोई लाभ नहीं। जब-जब वह स्थिति आयेगी तो हम उससे बचाव का रास्ता सोचेंगे।

*सभापति : तो मैं समूचे नियम पर मत लेता हूं।

नियम ६ स्वीकृत हुआ।

नियम ७

*श्री के० एम० मुंशी : श्रीमान्, मेरा प्रस्ताव है कि यह नियम स्वीकार किया जाय।

*श्री आर० वी० धुलेकर (संयुक्त प्रांत : जनरल) : सभापति जी, मेरा यह संशोधन है कि इस प्रस्ताव में शब्द इस प्रकार रखे जायं:—

> "असेम्बली भंग न की जायगी" शब्दों के बाद जो शब्द हैं "जब तक कि सभा की समस्त संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों की स्वीकृति-प्राप्त प्रस्ताव से ऐसा तय न हो" ये हटा दिये जायं और उनकी जगह ये शब्द रखे जायं। "जब तक कि भारत के लिए अन्तिम रूप से विधान न बन जाय।"

हम यह समझते हैं कि यह विधान-परिषद् एक ऐसी सर्व सत्ता-सम्पन्न सभा है। जिसे समूचे देश के लिए विधान बनाने का पूर्ण अधिकार है। इसे मालूम है कि शासन-विधान बनाने के लिए जहां-जहां पर इस प्रकार की विधान-समितियां बैठी हैं उन सबों को विपरीत अवस्थाओं का मुकाबला करना पड़ा है। और उन्हें राज्य-स्थान अर्थात् राज गृहमें जगह नहीं मिली। जैसा कि एक पूर्व वक्ता ने कहा था कि विधान बनाने वाली ऐसी एक सभा को टेनिस कोर्ट में बैठना पड़ा। मैं समझता हूं कि कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली ऐसी चीज नहीं है कि उसके दो-तिहाई सदस्य बैठ कर यह कह दें कि अब हम घर जाते हैं, अब हम विधान नहीं बनाते। ऐसी बात कदापि नहीं हो सकती। भारतवर्ष के लोग सैकड़ों वर्ष से यह देख रहे थे कि हम भारतवर्ष पर स्वयं शासन करें और उसके लिए स्वयं शासन-विधान बनायें। समय आ गया कि अंग्रेज मजबूर हो गये और इस बात पर आ गये कि मजबूरन हमारे हाथ में इस बात की शक्ति दें कि हम अपना विधान बनायें। जब हम वह विधान बनाने यहां आये

तो अब हमारे मस्तिष्क में यह बात क्यों आये कि हम बिना विधान बनाये हुए घर लौट जायं और इस तरह लौट जायं कि यहां के दो-तिहाई सदस्य अगर किसी समय यह समझें कि अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में हमें ज्यादा तकलीफें हो रही हैं, अथवा शायद यह विधान या यह गृह टूटने वाला है या कायदा या कानून बनाने में कोई नई अड़चन आ रही है, या शायद वायसराय यह हुक्म दे रहे हैं कि कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली के सदस्य अब यहां से निकाल दिये जायंगे या हमारी नहीं सुनी जायगी। या मुस्लिम लीग इस बात को कहे कि चूंकि हम नहीं बैठना चाहते, इसलिए आप भी विधान न बनायें या राजघरानों के बड़े-बड़े लोग, जिन्हें राजा और नवाब कहते हैं, यह कहें कि हम शामिल नहीं होते इसलिए आप विधान न बनायें। तो मैं समझता हूं कि यह दो-तिहाई का नियम जो रखा गया है वह इन्हीं कारणों से रखा गया है। आज मिस्टर एटली या चर्चिल इस बात को कहते हैं कि हम आपको शासन-विधान नहीं बनाने देंगे क्योंकि अगर आप शासन-विधान बनायेंगे, तो इस तरह से बनायेंगे कि उसके बनाने में हमारे दोस्त या ऐसे लोग जिन पर हमारा हाथ है, शामिल नहीं होंगे और इसलिए हम आपका शासन-विधान नहीं मानेंगे; तो मैं समझता हूं कि शायद यही ख्याल रख कर दो-तिहाई का मसला पेश किया गया है। अगर ऐसा है तो मेरा कहना है कि आप पीछे नहीं हट सकते। जो कुछ होना है वह हो। मैं आप से यह बात कहना चाहता हूं कि शासन-विधान बनाने के लिए जो सभा आज बनी है वह अब हिन्दुस्तान में दुबारा नहीं बन सकती। दो विधान-परिषदें नहीं हो सकतीं। यदि हमने इस बात का निर्णय कर लिया है कि भारतवर्ष स्वाधीन हो जाय और उसके लिए हम अपना शासन-विधान बनायें तो मेरा कहना है और यह कहने का मैं हक रखता हूं कि यही कांस्टीट्यूएंट असेम्बली देश के लिए आखिरी होनी चाहिए इसी कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली के सदस्य जब तक जीवित हैं या इसके सदस्य रहें और चाहे वे जेलखाने के अन्दर हों या बाहर, चाहे वे दूसरी दुनिया भेज दिये जायं, विधान बनावें। उनका कर्त्तव्य है कि वह भारत को आज़ाद करायें। इसलिए यह सुधार मैं आप के सामने पेश करता हूं।

*माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू (संयुक्तप्रांत : जनरल) : सदर साहब, धुलेकर जी ने जो तजवीज पेश की है वह एक अजीब ओ गरीब तजवीज है। यह तो उन्होंने इस तरह से रखा कि अब हम तय कर चुके हैं कि हम बैठे ही रहेंगे, जब तक काम न खत्म कर लें। लेकिन जो तजवीज है उसके माने उन्होंने नहीं समझे हैं। उसके माने यह हैं कि कोई बाहरी ताकत उसको खत्म नहीं कर सकती, उसको कोई External power dissolve नहीं कर सकती। असल बात यह है। हम क्या करें क्या न करें, यह हमारे हाथ में है। उन्होंने कहा कि हम-आप ऐसा नहीं करेंगे लेकिन आपकी असेम्बली खुद मिलकर इस कायदे को रद्द कर सकती है। आपका आज यह फैसला करना कि हम कभी dissolve (भंग) नहीं होंगे कोई माने नहीं रखता। आप जब चाहेंगे bare magority (केवल एक लघु बहुमत) से खुद अपने कायदे को बदल सकते हैं।

[माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू]

सभापति महोदय, इस नियम का कुल उद्देश यह है कि कोई बाहरी सत्ता इस विधान-परिषद् को खत्म न कर सके और न केवल आकस्मिक बहुमत ही ऐसा कर सके। इस सम्बन्ध में परिषद् को अधिकार है कि वह जैसा चाहे फैसला करे और स्पष्ट है कि आप परिषद् से यह अधिकार नहीं छीन सकते हैं दो तिहाई काफी बड़ी संख्या है और सभा को यदि इस बात का ध्यान हो कि यह समूची संख्या का दो-तिहाई है तो अवश्य ही यह बहुत बड़ी रोक है। धुलेकर की कल्पना का झुकाव नर्मी की ओर है परन्तु साथ-ही-साथ यह क्रान्तिकारी ढंग का भी हो सकता है। हो या न हो पर इसका झुकाव दोनों तरफ है। इसलिए मिस्टर धुलेकर की दलील की सारी बुनियाद गलत है। उन्होंने सारी बात को गलत-समझा है। नियम का अभिप्राय यही है कि कोई बाहरी सत्ता सभा के कार्य में हस्तक्षेप न कर सके और उसे खत्म करने का हक स्वयं इस सभा को प्राप्त हो।

*श्री पी० आर० ठाकुर: बाहरी शक्ति से आपका क्या मतलब है? आप तो स्वयं अपने को सर्व सत्ता सम्पन्न सभा मानते हैं और फिर भी बाहरी सत्ता का भय आपको बना हुआ है। मैं कहता हूं यह आपकी कमजोरी है।

*माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू: माफ कीजिए मैंने आपका सवाल समझा नहीं। 'बाहरी शक्ति' में सैकड़ों चीजें आ सकती हैं मसलन सेनाएं, वायसराय, भारत-मंत्री, या हुकूमतें वगैरह। सर्व सत्ता-सम्पन्न अधिकारी कौन है इस प्रश्न पर बड़ा उलझाव है। कभी-कभी शब्दों का प्रयोग फैले हुए अर्थ में किया जाता है। स्पष्ट है कि हम उसी अर्थ में सत्ता-सम्पन्न नहीं हैं जिस अर्थ में एक राज्य होता है। हम सत्ता-सम्पन्न हैं पर कुछ पाबन्दियों को लेकर जिनके अनुसार हम आज अपना कार्य का रहे हैं। इनमें से कुछ पाबन्दियों तो बाहरी हैं और कुछ अन्दरूनी। पर इन पाबन्दियों के बावजूद भी कोई इस असेम्बली को खत्म नहीं कर सकता। सिवा बल-प्रयोग के और किसी तरह इसे कोई नहीं हटा सकता। उस हालत में हम जो चाहें कर सकते हैं और तब तक कर सकते हैं जब तक कि और कोई प्रबलतर शक्ति हमें गतिहीन न बना दे। यह बात तो किसी सर्वाधिकार पूर्ण राज्य के साथ भी हो सकती है।

*श्री एच० वी० कामथ: सभापति महोदय, विनम्रतापूर्वक मैं यह सुझाव दूंगा कि डाक्टर नेहरू द्वारा सुझाये गए दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम यह निश्चय करें कि यह असेम्बली तभी खत्म हो सकती है जब सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव ऐसा आदेश दे अन्यथा नहीं। (हंसी)

*श्री एल० कृष्णास्वामी भारती (मद्रास: जनरल): मैं इस खण्ड में 'whole' शब्द की जगह 'total' शब्द रखना चाहता हूं। ऐसे ही प्रसंग में और इसी अर्थ का यह शब्द नियम १५ में भी आया है। यह अधिक उपयुक्त है।

*श्री के० एम० मुंशी: सिवा अन्तिम संशोधन के अन्य सभी संशोधन को मैं नामंजूर करता हूँ। आखिरी संशोधन को लेकर सभा के कई हल्कों की ओर से

कुछ सवाल उठाये गये हैं। 'whole' शब्द और कतिपय विधानों में भी प्रयुक्त हुआ है और इसी कारण इसका प्रयोग किया गया है।

*श्री एल० कृष्णास्वामी भारती: क्या यह 'total' के माने में है ?

*श्री के० एम० मुंशी : 'whole' का और कोई मतलब नहीं हो सकता। अवश्य ही इसका अर्थ है 'टोटल'। जैसा मैंने बताया है यह शब्द कतिपय विधानों से लिया गया है। परन्तु अभी भी अगर आप 'टोटल' पसन्द करते हों......

*दीवानबहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर : 'टोटल' शब्द अधिक सुन्दर मालूम पड़ता है और मैं सुझाव दूंगा कि 'टोटल' ही स्वीकार किया जाय।

*श्री के० एम० मुंशी : मैं सर अल्लादी कृष्णा स्वामी की सलाह मानता हूं। और 'टोटल' शब्द को मंजूर करता हूं।

*सभापति : एक और संशोधन श्री धुलेकर ने रखा था। उसका क्या हुआ ?

*श्री के० एम० मुंशी : पंडित नेहरू ने उसके सम्बंध में कारण बताये थे और मैं उनके तर्कों को दुहराना नहीं चाहता। मैं उस संशोधन का विरोध करता हूं।

सभापति : जो लोग उस संशोधन के पक्ष में हों हाथ उठायें। (केवल चार सदस्यों ने हाथ उठाये) जो उसके विरुद्ध हो हाथ उठायं।
मैं समझता हूं कि विरोधियों की संख्या देखते हुए यह संशोधन गिर गया।

नियम ७ अपने संशोधित स्वरूप में स्वीकृत हुआ।

नियम ८

*श्री के० एम० मुंशी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ८ स्वीकार किया जाय।

*श्री एल० कृष्णा स्वामी भारती : क्या मैं अपना वह संशोधन पेश करूं जिसकी सूचना मैं दे चुका हूं ? मेरा संशोधन यह है कि नियम में "Permission" शब्द की जगह "Consent" शब्द रखा जाय। असेम्बली के प्रेसीडेन्ट के सिलसिले में "Permission" से 'consent' शब्द बेहतर है।

*श्री के० एम० मुन्शी : मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं।

*श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर : नियम में यह व्यवस्था है कि प्रेसीडेन्ट बिना असेम्बली की स्वीकृति के लगातार तीन दिनों से अधिक काल के लिए इसकी बैठक स्थगित नहीं करेंगे। शाम को ५ बजे हो सकता है कि प्रेसीडेंट सभापति के आसन पर न हों और कोई दूसरे व्यक्ति चेयरमैन हों। यहां इस बात की व्यवस्था नहीं रखी गई है कि चेयरमैन दूसरे दिन की बैठक स्थगित रख सकें और इस हालत

[श्री एम० अनंतशयनम् आयंगर]

में दूसरे दिन इस असेम्बली की बैठक नहीं हो सकती। नियम के प्रथम भाग के अनुसार दिन नियत करने का अधिकार प्रेसीडेंट को है। और फिर नियम कहता है कि प्रेसीडेंट बिना सभा की स्वीकृति के लगातार तीन दिनों से अधिक के लिए बैठक स्थगित नहीं करेंगे। नियम २ कहता है कि "असेम्बली समूची सभा को समिति के रूप में बैठने का निर्णय कर सकती है" नियम १० कहता है "असेम्बली की बैठक प्रात: ११ बजे प्रारम्भ होगी.........।"

*सभापति : अभी हम नियम ८ पर विचार कर रहे हैं।

*श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर : नियम १० तो मैं इस बात को बताने के लिए पढ़ रहा हूं कि रोज-मर्रा की कारवाई को स्थगित रखने के लिए कोई व्यवस्था रखनी चाहिए अन्यथा ऐसा कोई साधन अवश्य प्रस्तुत कर देना चाहिए जिससे दूसरे दिन की बैठक के लिए सदस्य बुलाये जा सकें। आपको इसकी उपयुक्त व्यवस्था नियम ८ या १० में मिल सकती है। मेरा सुझाव है कि हम इस बात की एक और व्यवस्था कर दें कि किसी बैठक के चेयरमैन दूसरे दिन प्रात: ११ बजे तक के लिए बैठक को स्थगित कर सकें। यह व्यवस्था जरूर जोड़ देनी चाहिए अन्यथा इस नियम में त्रुटि रह जाती है।

श्री के० एम० मुंशी० : इस तरीके से नियम बनाने का कुल उद्देश यह है कि जहां तक कार्य-पद्धति के इस भाग का सम्बंध है प्रेसीडेंट ही कार्यवाही का नियंत्रण करें और वह चेयरमैन पर न छोड़ी जाय। नियम का पहला हिस्सा कहता है:—

> "असेम्बली की बैठक उन तारीखों पर हुआ करेगी जिनको प्रेसीडेंट असेम्बली की कार्य-स्थिति देखते हुए समय-समय पर नियत करेंगे।"

मान लीजिए चेयरमैन ही अध्यक्ष हैं फिर भी जहां तक तिथि नियत करने का सम्बंध है उसे प्रेसीडेंट ही नियत करेंगे। इसलिए स्थगित करने का अधिकार केवल प्रेसीडेंट को ही दिया गया है और प्रेसीडेंट को अधिकार है कि वह अपना कार्य वाइस प्रेसीडेंट को सौंप दें।

*श्री के० सन्तानम् ५ बजे हो सकता है कि चेयरमैन ही सभापतित्व करते हों। वह अवश्य यह कह सकते हैं कि "मैं कल प्रात: ११ बजे के लिए सभा स्थगित करता हूं"।

*श्री गोविंद मालवीय (यू० पी० : जनरल) : क्या मैं यह सुझाव पेश कर सकता हूं कि बजाय इसके कि हम विस्तार में जायं केवल इतना ही कहें कि नियम के पहले हिस्से में तारीख नियत करने के अधिकार पर विचार किया गया है और दूसरे हिस्से में बैठक स्थगित करने के अधिकार पर विचार किया गया है। हम नहीं चाहते कि प्रेसीडेंट से पहला अधिकार छीन लिया जाय पर हम केवल इस बात को पक्का कर लेना चाहते हैं कि जहां तक बैठक को स्थगित करने की बात है, कार्य-संचालन

में कोई कठिनाई न आयगी। मेरा सुझाव है कि ये शब्द जोड़ दिये जायं:—

"प्रेसीडेंट या उनका स्थानापन्न कोई व्यक्ति" इसमें चेयरमैन भी आ जायंगे। या कोई सदस्य जो अस्थायी रूप से सभापतित्व करते होंगे, वह भी आजायंगे।

*श्री के० एम० मुन्शी : व्याख्या के अनुसार 'चेयरमैन' शब्द में वह भी शामिल है जो असेम्बली का सभापतित्व करता हो। मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं और इसका स्वरूप यों होगा:—

"मगर आगे शर्त्त यह है कि चेयरमैन बैठक को दूसरे working day (काम के दिन) के लिए स्थगित कर सकते हैं।"

*श्री एल० कृष्णास्वामी भारती : क्या मैं यह सुझाव पेश कर सकता हूं कि इस फिकरे-State of business of the Assembly-में से state of निकाल दिया जाय? ये शब्द अनावश्यक मालूम पड़ते हैं।

*श्री के० एम० मुन्शी : "State of business" और "business" दोनों एक दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं। सभा के सामने क्या काम है, कार्य-स्थिति क्या है यह तो हुआ "State of business" पर "business" (कार्यवाही) उससे भिन्न है।

*श्री एल० कृष्णास्वामी भारती : यदि प्रस्तावक मेरा संशोधन नहीं मंजूर करते हैं तो सभापति जी, मैं इसके लिए आग्रह नहीं करता।

*श्री देवीप्रसाद खेतान (बंगाल : जनरल) : बैठक स्थगित करने के सम्बन्ध में जो संशोधन था उसे श्री मुन्शी ने मंजूर किया है। इसको देखते हुए नियम १० के सिलसिले में इस नियम की क्या हैसियत रहती है?

*श्री के० एम० मुन्शी : वह तो कार्यवाही को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में है न कि स्थगित करने के सम्बन्ध में। नियम १० इस बात पर विचार करता है कि असेम्बली की कार्यवाही किस समय शुरू हो।

नियम ८ अपने संशोधित स्वरूप में पास हुआ।

नियम ९

*श्री के० एम० मुंशी : मेरा प्रस्ताव है कि नियम ९ मंजूर किया।

नियम ९ मंजूर किया गया

नियम १०

*श्री के० एम० मुन्शी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम १० स्वीकार किया जाय।

नियम १० मंजूर किया गया।

नियम ११

*श्री के० एम० मुन्शी : मेरा प्रस्ताव है कि नियम ११ स्वीकार किया जाय।

*श्री एच० वी० कामथ : बड़ी ही अनिच्छा से मैं एक मौखिक संशोधन पेश करना चाहता हूँ और नियम बनाने वाले विशेषज्ञों से क्षमा-याचना करता हूं। अंग्रेजी भाषा के संबंध में मेरा ज्ञान बड़ा ही सीमित है। जो भी हो बहुत डरते-डरते मैं यह सुझाव रखता हूँ कि बजाय "Orders of the day" के हम 'Order of the day' रखें। मैं नहीं समझता कि 'Orders of the day' यह मुहाविरा सही है।

*श्री सत्यनारायण सिनहा (बिहार : जनरल) : केन्द्रीय धारा-सभा में और अन्यत्र प्राय: "Business of the day" का प्रयोग किया जाता है। हमने यहां जो फिक़रा रखा है वह सही है।

*श्री के० एम० मुन्शी : विलायत की लोक-सभा (House of commons) में इसी जुम्ले—'Orders of the day' का व्यवहार किया जाता है।

*सभापति : श्री मे की "पार्लियामेंटरी पैक्टिस" नामक पुस्तक से मैं यही पाता हूं कि 'Orders of the day' का जुमला ही लिखा जाता है।

*श्री एच० वी० कामथ : लोक-सभा (House of Commons) के दस्तूर का हम क्यों अनुसरण करें ? (हंसी)

*श्री आर० के० सिधवा : श्रीमान्, नियम ११ के उप-नियम (२) में कहा गया है कि कोई ऐसा मामला जो दैनिक कार्यक्रम (Orders of the day) में दर्ज न हो, उस पर बिना चेयरमैन की स्वीकृति के विचार नहीं किया जा सकता। मेरा सुझाव है कि अगर उपस्थित सदस्यों की तीन चौथाई संख्या नोटिस की मांग करती हो तो सभा के लिए यह उचित न होगा कि वह बगैर नोटिस दिये केवल सभापति की अनुमति से मामले को विचारार्थ ले। मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

*श्री के० एम० मुन्शी : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। प्रेसीडेंट को इस बात की जानकारी रहती है कि बाकी बचे हुए काम की क्या स्थिति है या जिस विषय पर विचार करना है उसका क्या महत्त्व है। इसलिए अगर प्रेसीडेंट के हाथ से यह अधिकार ले लिया गया तो बड़ी कठिनाई होगी। यह बहुत अच्छा होगा कि शब्द ज्यों-के-त्यों रहने दिये जायं।

*एक सदस्य : श्रीमान्, क्या हम लोग जान सकते हैं कि संशोधन का स्वरूप क्या है ?

*सभापति : संशोधन यह है कि नियम ११ (२) के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायं :—

> "अगर उपस्थित सदस्यों की तीन चौथाई संख्या इस बात की मांग करती हो कि नये विषय की पहले सूचना दी जाय तो वह विषय विचारार्थ नहीं लिया जायगा"। मैं देखता हूं कि असेम्बली के नियमों में निम्न-लिखित नियम भी आता है :—
>
> "जब तक कि नियमों या स्थायी आज्ञाओं में इसके विपरीत कोई आदेश न

हो, कोई भी काम जो दैनिक कार्य-क्रम में नहीं रखा गया हो, बिना प्रेसीडेंट की अनुमति के किसी भी बैठक में न किया जायगा"।

यहां उपस्थित सदस्यों का कोई उल्लेख नहीं है।

*श्री आर० के० सिधवा : अध्यक्ष जी, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूँ।

*अध्यक्ष : राय के लिए मैं नियम ११ को सभा के सामने रखता हूं।

नियम ११ स्वीकृत हुआ।

नियम १२

*श्री के० एम० मुंशी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नियम १२ मंजूर किया जाय।

*श्री के० सन्तानम् : मेरा प्रस्ताव है कि नियम १२ (सी) में से ये शब्द हटा दिये जायं "किसी संशोधन पर कोई संशोधन"। संशोधन पर संशोधन बड़ा पेचीदा काम है। मूल प्रस्ताव में पहले संशोधन शामिल करना पड़ता है और फिर दूसरा संशोधन शामिल करना पड़ता है। केवल प्रस्ताव और संशोधन रहने चाहिएं।

*श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर : अभी-अभी मैंने एक संशोधन रखा था और उस पर मेरे मित्र ने एक संशोधन पेश किया था। उनका वह संशोधन एक संशोधन पर ही था। अब वह चाहते हैं कि यह दस्तूर बिलकुल बंद कर दिया जाय। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपनी आपत्ति उठा लें।

अब मुझे नियम १२ (बी) में एक सुनिश्चित संशोधन रखना है। मैं समझता हूँ कि यह आवश्यक न होगा कि कमेटी की रिपोर्ट शामिल की जाय। कमेटी की रिपोर्ट पर तब विचार किया जायगा जब इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश हो। प्रस्ताव मौलिक होना चाहिए। मेरा संशोधन है कि नियम १२ (ए) प्रस्ताव (motion) की जगह मौलिक प्रस्ताव ('original motion') रखा जाय।

*माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपाल स्वामी आयंगर (मद्रास : जनरल) : मैं उसका विरोध करना चाहता हूं क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि प्रस्ताव आने पर ही किसी कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जाय। कमेटी कोई रिपोर्ट तैयार कर सकती है और वह असेम्बली के सामने पेश की जा सकती है। रिपोर्ट का पेश किया जाना भी उसका एक भाग है।

*श्री के० एम० मुंशी : मैं सर एन० गोपालस्वामी से सहमत हूं कि यह जरूरी नहीं है कि प्रस्ताव के जरिये ही किसी कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाय।

*श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

*अध्यक्ष : अब मैं नियम १२ पर मत लेता हूं।

नियम १२ मंजूर किया गया।

नियम १३

*श्री के० एम० मुंशी : मेरा प्रस्ताव है कि नियम १३ स्वीकार किया जाय।

*श्री मोहनलाल सक्सेना (संयुक्त प्रांत : जनरल) : क्या मैं यह संशोधन पेश कर सकता हूं कि 'शाम को ५ बजे' इन शब्दों के बाद ये शब्द जोड़ दिये जायं—"रविवार और अन्य आम छुट्टी के दिनों के अलावा"। मैं कारण बता चुका हूं और समझता हूं कि सभा उसे स्वीकार करेगी।

*श्री के० एम० मुंशी : मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं।

*श्री के० सन्तानम् : समय की बचत के लिए मैं इस बात पर राजी हूं कि खण्ड (४) में नोटिस के लिए दो दिन और एक पूरा दिन नोटिस घुमाने के लिए रखा जाय ताकि खंड यों पढ़ा जा सके कि तीन दिन की जगह दो पूरे दिन नोटिस के लिए दिये जायं। तदनुसार मंत्री प्रस्ताव की नकल सदस्यों के पास उसे पेश होने के कम-से-कम एक दिन पहले भेज देंगे और दूसरे मामलों में जहां तक हो सके नोटिस पाते ही उसकी नकल सदस्यों के पास भेज देंगे।

*अध्यक्ष : जो लोग तीन दिन के बजाय दो दिन के और दो दिन के बजाय एक दिन के पक्ष में हैं वह हाथ उठायें...... ....(बहुत से सदस्यों ने हाथ उठाये) कोई विरोध में भी है ? (कोई नहीं)

संशोधन मंजूर हुआ।

*श्री वी० आई० मुनिस्वामी पिल्लई : खंड (३) में बजाय 'On the next opening day' आगामी अधिवेशन के दिन मैं चाहता हूं 'On the next working day' आगामी कार्य करने के दिन रखा जाय।

*श्री के० एम० मुंशी : मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं करता।

*श्री सोमनाथ लाहिरी : उप-खंड (५) में और तजवीजों का भी जिक्र है, यानी ऐसी तजवीजों का जिनके बारे में अन्यथा अध्यक्ष आदेश देते या ऐसी तजवीजें जो उप-खंड (५) (ई) के अनुसार अध्यक्ष की राय में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं और जिन पर शीघ्र विचार करना चाहिए। इन तजवीजों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इनकी सूचना भी उतने दिन पहले दी जाय जितने दिन पहले साधारणतः दी जाती हैं। जो बात मैं जानना चाहता हूं वह यह है कि माना कि इसके लिए सूचना की जरूरत नहीं है पर संशोधन के लिए समय की अवधि कैसे निर्धारित की जायगी और उसे कौन निर्धारित करेगा ?

*श्री के० एम० मुंशी : माननीय सदस्य शायद यह बात पूछते हैं कि अगर अध्यक्ष ने किसी प्रस्ताव को बहुत महत्त्वपूर्ण माना तो क्या उसकी भी सूचना जरूरी है ? यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि प्रस्ताव का महत्त्व क्या है और उसके लिए शीघ्रता की कैसी आवश्यकता है। अध्यक्ष का आदेश प्रतिबंध से परे ही रहेगा।

*रामनारायणसिंह (बिहार : जनरल) : उप-खंड (५) में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। क्या यह सार्वजनिक महत्त्व के मामलों पर विचार करने के लिए असेम्बली को स्थगित करने की व्यवस्था तो नहीं करता ? भिन्न-भिन्न धारा-सभाओं के नियमों में इस बात की व्यवस्था है कि सरकार की आलोचना या निन्दा की जा सके। परन्तु इस तरह की व्यवस्था यहां नहीं है।

नियम १३ संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

नियम १४

*अध्यक्ष : आगे का नियम नं० १४ काम-रोको प्रस्ताव को पेश करने का हक़ रद्द करता है।

*श्री के० एम० मुंशी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नियम १४ स्वीकार किया जाय।

नियम १४ मंजूर हुआ।

नियम १५

*श्री के० एम० मुन्शी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम १५ स्वीकार किया जाय। नियम १५ के सम्बंध में सभा के बहुत से सदस्यों ने मुझसे कहा है कि उसमें शर्त वाला खण्ड विवादास्पद है और उसमें समय लग सकता है। मेरा सुझाव है कि सभा नियम १५ के और हिस्सों को मंजूर करे और शर्त वाले खण्ड को अभी छोड़ दे। साधारण नियमों को तय कर लेने के बाद हम उस पर विचार करेंगे।

*अध्यक्ष : ५ बज चुके हैं। अब सभा समाप्त होती है और कल प्रात. ११ बजे पुनः समवेत होगी।

इसके बाद सभा रविवार, २२ दिसम्बर सन् १९४६ ई० के ११ बजे के लिए स्थगित हुई।

गोपनीय

केवल सदस्यों के निजी प्रयोग के लिए

भारतीय विधान-परिषद्

रविवार, २२ दिसम्बर सन् १९४६ ई०

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कान्स्टीट्यूशन हाल नई दिल्ली में प्रातः ११ बजे अध्यक्ष माननीय डा० राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।

नियम-निर्मातृ-समिति की रिपोर्ट—गत संख्या से आगे

*अध्यक्ष : हम नियमों पर बहस जारी रखेंगे। मैं समझता हूं नियम १५ के सम्बन्ध में कुछ विवाद है। फिलहाल उसे हम छोड़ देते हैं।

*श्री के० एम० मुन्शी : अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम १५ बाद में लिया जाय।

प्रस्ताव मंजूर हुआ।

नियम १६

*श्री के० एम० मुन्शी : अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम १६ सभा द्वारा स्वीकृत हो। इस पर एक संशोधन है। संशोधन का आशय यह है कि 'नियुक्ति' (appoint) शब्द की जगह 'निर्देश' (direct) शब्द रखा जाय। मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

*अध्यक्ष : मैं माने लेता हूं कि इस नियम पर और कोई संशोधन या आपत्ति नहीं है।

*श्री एल० कृष्णास्वामी भारती(मद्रास : जनरल): क्या मैं यह सुझाव रख सकता हूं कि "सदस्य बैठेंगे"(members shall sit)की जगह "असेम्बलीभवन में बैठेंगे" (sit in the Assembly House)इस तरह के शब्दों का रखना ज्यादा अच्छा होगा?

अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि यह नियम स्वीकृत हुआ।

नियम १६ संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

नियम १७

*श्री के० एम० मुंशी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम १७ स्वीकार किया जाय।

*डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी (बंगाल : जनरल) : विनम्रतापूर्वक मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि "असेम्बली के सामने किसी बात पर कुछ कहना चाहते हों तो वह"

इन शब्दों के बाद "तभी खड़े होंगे और बोलेंगे" ये शब्द जोड़ दिये जायें। फिर नियम का रूप यह हो जायगा :—

"यदि कोई सदस्य सभा के सामने किसी बात पर कुछ कहना चाहते हों तो तभी खड़े होंगे और बोलेंगे जब अध्यक्ष उन्हें इसकी आज्ञा देंगे।" इसलिए "and Shall rise when he speaks......Chairman" इन शब्दों को निकालकर इनकी जगह ये शब्द—"no one should speak except when ordered by the Chairman" रख दीजिये। इस संशोधन का उद्देश्य स्पष्ट है। जब भी कोई सदस्य कुछ कहना चाहेगा वह जरूर खड़ा होगा ताकि अध्यक्ष का ध्यान उसकी ओर जाय। मैं इसे आवश्यक समझता हूं क्योंकि यदि कोई सदस्य कुछ कहना चाहेगा तो वह खड़ा होगा पर बोलेगा तभी जब अध्यक्ष उसे इसकी आज्ञा देंगे।

*एक सदस्य : यह साफ नहीं है पर मैं यह समझता हूँ कि सदस्य खड़ा होगा और जब अध्यक्ष उसे बोलने के लिए कहेंगे तभी वह बोलेगा परन्तु वह बैठे-बैठे नहीं बोलेगा।

*दीवान चमनलाल(पंजाब : जनरल) : क्या इस प्रस्ताव का यह मतलब है कि कोई सदस्य किसी वैधानिक आपत्ति को तब तक नहीं उठा सकता जब तक कि इस नियम का रूप वैसा न हो जाय जैसा मेरे मित्र चाहते हैं ? यह किसी भी सदस्य को वैधानिक आपत्ति पर खड़ा होकर बोलने से नहीं रोकेगा। आखिर जब आप कोई वैधानिक आपत्ति पेश करते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि खड़े होकर ही आपत्ति पेश करें। मैं समझता हूँ कि यह नियम अपने वर्त्तमान स्वरूप में स्पष्ट है और कोई कारण नहीं है कि उसे इस तरह संशोधित किया जाय, जिस तरह संशोधित करने की बात कही जा रही है।

*श्री एल० कृष्णास्वामी भारती : 'वैधानिक आपत्ति'(प्वाइन्ट आफ आर्डर) के जरिये अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट किया जाता है और तब अध्यक्ष आदेश देते हैं। जब सभापति आगे कहने की इजाजत देते हैं तभी वैधानिक आपत्ति बयान की जाती है। मैं समझता हूं कि संशोधन अनावश्यक है।

*दीवान चमनलाल : सदस्य यह भी नहीं कह सकता कि "मैं वैधानिक आपत्ति पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।" वह इतना भी नहीं कह सकता। वाक्य का स्वरूप यह होगा :—

> "यदि कोई सदस्य सभा के सामने किसी बात पर कुछ कहना चाहते हों तो वह तभी बोलेंगे जब अध्यक्ष उन्हें इसकी आज्ञा देंगे"। बाद में आये हुए शब्दों में बाकी सभी आ जाता है और मैं यह संशोधन नहीं स्वीकार करता।

संशोधन गिर गया

*श्री श्रीप्रकाश (यू० पी० : जनरल) : मैं समझता हूँ कि हमें उस स्थिति के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए जब कि अध्यक्ष महोदय स्वयं खड़े ही नहीं होते जैसा कि हमारे अस्थायी अध्यक्ष ने किया है। जब खुद अध्यक्ष ही नहीं उठते तो फिर

[श्री श्रीप्रकाश]

हम सदस्यों को क्या करना चाहिए इसका आदेश नहीं है।

*अध्यक्ष : मुझे बताया गया है कि इस सम्बन्ध में अस्थायी अध्यक्ष ने कोई भूल नहीं की बल्कि भूल हो रही है मुझसे! (हंसी)

*एल० कृष्णास्वामी भारती : अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ कि "Chairman rises" इन शब्दों के बाद और "the members shall take his seat" उनके पहले ये शब्द—"or begins to make observation" जोड़ दिये जायं।

*अध्यक्ष : मैं नहीं समझता कि यह आवश्यक है।

*श्री एल० कृष्णास्वामी भारती : बहुत अच्छा, श्रीमान्।

नियम १७ संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

नियम १८

*श्री के० एम० मुंशी : अध्यक्ष जी, मैं देखता हूँ कि नियम १८ को लेकर बहुत से संशोधन हैं, जो बड़े ही दिलचस्प हैं। मैं चाहता हूँ कि और नियमों को निपटा लेने के बाद हम इनको लें।

*अध्यक्ष : बाद में हम इन पर गौर करेंगे।

नियम १९

*श्री के० एम० मुंशी : अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नियम १९ मंजूर किया जाय।

*अध्यक्ष : नियम १९ के सम्बन्ध में दो संशोधन हैं। मैं समझता हूँ कि नियम १९ पर भी हम पीछे विचार करेंगे।

नियम १३ और २०

*श्री के० एम० मुन्शी : श्रीमान्, मेरा प्रस्ताव है कि नियम २० स्वीकार किया जाय। इस पर कोई संशोधन नहीं है।

*श्री के० सन्तानम् : मैं कोई संशोधन पेश नहीं कर रहा हूँ।

*श्री देवीप्रसाद खेतान (बंगाल : जनरल) : नियम २० के (३) (क) में ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि किसी भी प्रस्ताव पर पेश किये जाने वाले संशोधन की सूचना प्रस्ताव पेश होने से कम-से-कम पूरा एक दिन पहले दी जानी चाहिये। पूरे एक दिन की व्यवस्था इसलिए रखी गई थी कि पहले नियम १३ (४) में दो दिनों की व्यवस्था रखी गई थी। अब हमें बदल कर पूरा एक दिन करना पड़ता है क्योंकि यह सम्भव न होगा कि प्रस्ताव पेश होने के एक दिन पहले सूचना दी

जा सके।

*श्री के०एम० मुन्शी : कुछ गलतफहमी पैदा हो गई है। हम प्रस्ताव की सूचना के लिए अवधि को ३ दिन से घटाकर दो दिन करते हैं। संशोधन की सूचना तो कम-से-कम एक दिन पहले देनी ही होगी।

*श्री देवीप्रसाद खेतान : मैं श्री मुन्शी का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि नियम १३ (४) के अनुसार मंत्री प्रस्ताव की एक प्रति उसके पेश होने से कम-से-कम एक दिन पहले सदस्यों के पास भेज देंगे। फिर यही रहा कि सदस्यों को बाज-बाज मौकों के सिवा प्रस्ताव की सूचना उसके पेश होने से पूरे एक दिन पहले न मिल सकेगी। इसलिए यह जरूरी है कि कुछ परिवर्त्तन कर दिया जाय।

*माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर (मद्रास : जनरल) : कृपया नियम १३ (४) को इस तरह पढ़िये:—

"और दूसरे मामलों में प्रस्ताव की सूचना पाते ही यथासम्भव शीघ्र वह उनकी प्रति सदस्यों के पास भेज देंगे।"

*श्री देवीप्रसाद खेतान : इसमें खतरा यह है कि और 'दूसरे मामलों में' (in other cases) आम बात हो जायगी और यह हो सकता है कि सदस्य प्रस्तावों की सूचना पूरे दो दिन पहले न भेजें और इस तरह आपके दफ्तर के लिए शायद यह सम्भव न हो सके कि वह प्रस्ताव पहुंचने से पूरे एक दिन पहले उसकी नकल सदस्यों के पास भेज सके। अध्यक्ष जी, इसलिए सर एन० गोपाल-स्वामी आयंगर के इस संशोधन के बावजूद भी कि "और दूसरे मामलों में प्रस्ताव सूचना पाते ही यथासम्भव शीघ्र वह उनकी एक प्रति सदस्यों के पास भेज देंगे"। सदस्यों को हक़ है कि वे प्रस्ताव पेश किये जाने के केवल दो दिन पहले उसकी सूचना दें। इसलिए कार्यालय के लिए यह सम्भव न होगा कि वह प्रस्ताव पेश किये जाने से एक दिन से ज्यादा पहले उसकी प्रति सदस्यों को दे पाये। इसलिए यह वांछनीय है कि 'पूरा एक दिन' (one clear day) को बदल कर कुछ और रख दिया जाय। मेरा सुझाव है कि संशोधन की सूचना प्रस्ताव पेश होने के दिन ११ बजे से पहले मंत्री को दे दी जाय।

*अध्यक्ष : श्री खेतान की आपत्ति बिलकुल ठीक है। कुछ व्यवस्था करनी ही होगी।

*श्री के०एम० मुन्शी : यहाँ एक अनुवर्त्ती परिवर्त्तन होना ही चाहिए। जिस दिन असेम्बली में प्रस्ताव पेश हो उससे एक दिन पहले शाम को ५ बजे से पूर्व उस पर संशोधन की सूचना आ जानी चाहिए क्योंकि प्रस्ताव की सूचना प्रस्ताव पेश किये जाने से पूरे दो दिन पहले देनी होगी।

*श्री देवीप्रसाद खेतान : अध्यक्ष जी, हो सकता है कि असेम्बली की बैठक

[श्री देवीप्रसाद खेतान]

५ बजे तक होती रहे। इसलिए यह अनुचित होगा कि नियम द्वारा सदस्यों पर यह शर्त लगा दी जाय कि वे संशोधन की सूचना ५ बजे से पहले दें। यदि आप ७ बजे कर दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

*अध्यक्ष : कठिनाई इसलिए पैदा हो रही है कि हमने मूल नियम में दो दिन से एक दिन का परिवर्त्तन कर दिया है। मैं नहीं जानता कि आया यह सभा उस बात के लिए तैयार होगी कि वह इस नियम पर पुनः विचार करे और उसे ज्यों-का-त्यों रहने दे।

*श्री देवीप्रसाद खेतान : यह बहुत ठीक होगा श्रीमान्।

*अध्यक्ष : तो क्या मैं यह मान लूं कि हमने नियम १३ पर पुनः विचार कर लिया है और इसे पूर्ववत् रहने देने की स्वीकृति देते हैं?

*श्री देवीप्रसाद खेतान : अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करूंगा कि नियम १३ में तीन और दो दिनों की व्यवस्था कायम रहे वरना बड़ी दिक्कतें आयेंगी।

*श्री आर०के० सिधवा : (सी०पी० और बरार : जनरल) : मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि मूल नियम ज्यों-का-त्यों रहे।

*श्री के० एम० मुन्शी : यहां सिर्फ दो ही रास्ते हैं तीसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो पूर्ववत् तीन और दो दिनों की व्यवस्था रहने दीजिये या फिर यह रखिये कि "प्रस्ताव पेश किये जाने से एक दिन पहले शाम को ५ बजे से पूर्व" और दूसरा कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं है।

*श्री सोमनाथ लाहिरी : (बंगाल : जनरल) : यह शाम को ३ बजे या ४ बजे भी पेश किया जा सकता है। मेरी समझ में स्पष्ट कर देना चाहिए।

*श्री के० एम० मुंशी : साफ तो है कि प्रस्ताव पेश किये जाने से एक दिन पहले शाम को ५ बजे से पूर्व।

*अध्यक्ष : एक दिन पहले या उस दिन प्रातः ११ बजे से पहले?

*श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर (मद्रास : जनरल) : संशोधन को भी आखिर घुमाना होगा।

*श्री के० एम० मुंशी : 'शाम ५ बजे' ऐसा रहने से संशोधन घुमाने के लिए समय रहेगा।

*अध्यक्ष : मेरी समझ में सबसे अच्छा यह होगा कि मूल नियम ज्यों-का-त्यों रहने दिया जाय।

जो लोग नियम १३ में पूर्ववत् तीन और दो दिनों की व्यवस्था चाहते हैं, वे 'हां' कहें।

*बहुत से सदस्य : हां।

*अध्यक्ष : नियम १३ पर पुनः विचार कर लिया गया। नियम १३ (१) और १३ (४) में पूर्ववत् तीन और दो दिनों की व्यवस्था रखी जाती है।

पुनर्विचार के बाद नियम १३ स्वीकृत हुआ।

*अध्यक्ष : क्या नियम २० में और कोई बात बाकी है?

*एक सदस्य : नियम २० के खण्ड (२) में "being the negative of" की जगह "which has the effect of negativing" रखा जाय।

*श्री के० एम० मुंशी : मैं नहीं मानता कि इसमें बड़ा अन्तर है।

*अध्यक्ष : मैं इस पर सभा की राय लेता हूं.........सभा इस बात के पक्ष में है कि "which has the effect of negativing" रखा जाय।

संशोधन मंजूर हुआ।

*श्री के० एम० मुंशी : एक और संशोधन दीवान चमनलाल जी का है। वह यह है कि (३) (क) में "जब तक कि चेयरमैन अन्यथा आदेश न दें" (unless otherwise permitted by chairman) जोड़ा जाय।

*श्री दीवान चमनलाल : यह संशोधन सभा के काम को सुविधा देने के ख्याल से रखा गया है। किसी भी समय कोई संशोधन पेश किया जा सकता है जो सम्भवत: सभा को ग्राह्य हो पर यदि यह नियम रहता है तो हमें ऐसे संशोधन को पेश करने के पहले पूरे एक दिन रुकना पड़ेगा।

*अध्यक्ष : क्या आप दीवान चमनलाल के इस संशोधन को स्वीकार करते हैं कि खण्ड (३) (क) में ये शब्द "unless otherwise permitted by the chairman" जोड़ दिया जाय।

*माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर: मेरी समझ में ये शब्द "unless otherwise permitted by Chairman" शुरू में रखे जाने चाहिएं और (क) और (ख) दोनों पर लागू रहें।

*श्री के० एम० मुंशी : मैं उस संशोधन को स्वीकार करता हूं कि "unless otherwise permitted by the Chairman" ये शब्द (क) और (ख) खण्डों के प्रारम्भ में रखे जायं।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

*एक सदस्य : मैं चाहता हूँ कि खण्ड (३) (क) में पहले दिन शाम के ५ बजे तक के बजाय "पूरा एक दिन पहले" रखा जाय।

*अध्यक्ष : उस नियम को हम बदल चुके हैं। अब मैं नियम २० (३) (क) पर मत लेता हूँ।

उपनियम (३) (क) अपने संशोधित स्वरूप में मंजूर हुआ।

[अध्यक्ष]

नियम २० अपने संशोधित स्वरूप में स्वीकृत हुआ।

नियम २१

*श्री के० एम० मुंशी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नियम २१ स्वीकार किया जाय।

*श्रीधीरेन्द्र नाथ दत्त (बंगाल : जनरल) : जिस प्रश्न पर असेम्बली में निर्णय हो चुका हो उस पर फिर विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि सभा की सदस्य संख्या का एक तिहाई अंश इसके लिए राजी न हो।

*श्रीमोहनलाल सक्सेना (संयुक्त-प्रांत : जनरल) : यह ६० प्रतिशत होना चाहिए। यदि सुझाव उचित हो तो सभी को स्वीकार करना चाहिए नहीं तो कम-से-कम ५० प्रतिशत से तो यह ऊपर ही होना चाहिए।

*श्री आर० के० सिधवा : मेरा संशोधन है कि बजाय एक चौथाई के तीन चौथाई रहे। यह बहुत जरूरी है कि हम यह नियम बना लें। २५० सदस्यों की सभा में जब भी कभी कोई प्रस्ताव यदि केवल नाम-मात्र के बहुमत से पास होगा तो ५० सदस्य मिलकर पुनः विचार की मांग पेश कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि किसी स्वीकृत प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए और अधिक सदस्यों की ओर से मांग आयें।

*अध्यक्ष : हमारे सामने तीन संशोधन हैं। एक कहता है कि एक तिहाई संख्या होनी चाहिए। दूसरा कहता है कि यह संख्या ६० प्रतिशत होनी चाहिए और तीसरा कहता है कि तीन चौथाई संख्या रखनी चाहिए।

*श्री के०एम० मुंशी: 'एक-चौथाई' सदस्यों का नियम इसलिए रखा गया था कि यह सभा हिंदुस्तान के विधान पर बहस करने जा रही है और बहुत-से ऐसे मौके आ सकते हैं, जब एक बार की तय की हुई बात फिर-फिर विचार के लिए सामने आये। अगर सदस्यगण अन्य विधान-परिषदों की कार्यवाही पर नजर डालेंगे तो वे यह देखेंगे कि कुछ बातें बार-बार सामने आयीं थीं, इसलिए यह उचित न होगा कि सवाल फिर सामने लाने के लिए ज्यादा सदस्यों की जरूरत हो। इसमें कोई अड़चन इसलिए न आयेगी कि अध्यक्ष को अधिकार है कि वह एक ही तर्क को दुहराने से रोक दें।

*श्री के० सन्तानम् : मैं नहीं समझता कि एक ही सवाल को बार-बार उठाने के लिए आग्रहपूर्ण अल्प-मत की स्वीकृति क्यों दी जाय?

*अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि मैं इस नियम पर मत (वोट) ले लूं।

*श्री मोहनलाल सक्सेना : मैं दो-तिहाई सदस्यों की स्वीकृति पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि दूसरे विधानों का उदाहरण यहां नहीं लागू होगा। हमारे यहां की स्थिति अलग है।

*अध्यक्ष : मैं इस पर मत-गणना कर लेना चाहूँगा।

*दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर (मद्रास : जनरल) : महोदय, मैं थोड़ा समय चाहूंगा। यदि हम अपने को इतना बुद्धिमान न समझते हों कि किसी भी प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने की जरूरत ही न मानें, तब तो और बात है, नहीं तो हमें यह मान लेना चाहिए कि अगर अल्पसंख्यकों में कुछ सम्माननीय सदस्य प्रश्न पर फिर विचार करना चाहें तो वे वैसा कर सकते हैं। समय-समय पर ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय किये जा सकते हैं, जिन पर फिर विचार करना जरूरी ही नहीं, बुद्धिमानी का काम होगा—खास कर ऐसे वैधानिक मामलों में यही होना चाहिए। इसलिए हमें इन मामलों में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। व्यवस्थापिका असेम्बली (Legislative Assembly) या व्यवस्थापिका कौंसिल (Legislative Council) ही हो। आपको चाहिए कि अल्पसंख्यावालों को यह मौका दें कि वह मामले पर फिर विचार कर लें और आखिर लोगों को दूसरे विचार का बना देने के लिए तब तक फुसलाया नहीं जा सकेगा जब तक कि उसके लिए प्रबल विश्वास दिलाने योग्य विरोधी कारण न होंगे। मैं समझता हूं कि ऐसे वैधानिक मामले में इस सभा को हम भिन्न निश्चय करने पर तैयार कर सकेंगे।

*दीवान चमनलाल : मैं सर अल्लादी की बात का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूँ कि इस मामले में जो कठिनाई पैदा हो गई है वह आसानी से टल भी सकती है। कठिनाई यह है कि कुछ सदस्यों को डर है कि इस नियम का उपयोग इस सभा की कार्यवाही में अड़चन डालने के लिए किया जा सकता है। उसे दूर करने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कि जिस से वह ऐसे मामलों पर फिर से विचार करने का अवसर पा सकें, असेम्बली के हक़ में यह जरूरी हो सकता है कि वह मामले पर फिर से विचार कर लें। मेरा सुझाव है कि नियम यों होना चाहिए :—

"जो सवाल एक बार असेम्बली द्वारा तय हो चुका हो अध्यक्ष की आज्ञा बिना वह दुबारा न उठाया जायगा और उठाया जायगा भी तो उपस्थित सदस्यों में से कम-से-कम एक-चौथाई की मंजूरी और मत-गणना द्वारा।"

इससे अड़चन का डर दूर हो जायगा और साथ ही अल्पसंख्यकों को अधिकार भी मिल जायगा कि वह एक बार तय पाये मामले को फिर पेश कर सकेंगे।

*डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी (बंगाल : जनरल) : मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ।

*अध्यक्ष : डा० मुकर्जी, मैं समझता हूँ कि इस नियम पर काफी बहस हो चुकी है। मैं समझता हूँ अब इसे मत-गणना के लिए रखा जा सकता है।

*डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी : मैं समझता था, मैं इसमें कुछ जोड़ सकता हूँ।

*अध्यक्ष : बहुत अच्छा, मैं अब घड़ी अपनी आंखों के सामने रखना

[अध्यक्ष]

हूँ। (हँसी)

*डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी : मैं समझता हूँ कि समिति ने जो सुझाव रखा है उससे मिलती-जुलती धारा पर सभा को सहमत हो जाना चाहिए। आखिर इस सभा में बैठे हुए जो लोग बहुमत में हैं वे अल्पसंख्यकों की सम्भव अड़चनों की बात सोच रहे हैं, पर इन सेक्शनों पर यह नियम लागू होने की आशा है—कम-से-कम दो सेक्शन ऐसे हैं जहां अल्पसंख्यकों को कुछ रक्षा की आवश्यकता हो सकती है। इस कारण और सामान्य कारणों से भी हमने नियम-समिति में यह सोचा था कि कुछ सदस्यों को यह मांग करने का अधिकार होना चाहिए कि जो सवाल एक बार तय किया गया है उसे फिर से उठाया जा सकता है। हम यह कह सकते हैं कि इस सेक्शन के अनुसार ऐसे सवाल को तिबारा नहीं उठाया जा सकता जिस पर दुबारा विचार किया जा चुका हो। जान-बूझकर डाली जाने वाली अड़चन को रोकने के लिए यह एक रास्ता हो सकता है। हम कह सकते हैं कि जब तक अध्यक्ष न सहमत हों वह तीसरी बार विचार करने के लिए पेश नहीं किया जा सकता। यह नियम दुधारे हथियार की तरह है। यदि आप यहां अल्पसंख्यकों को इस से वंचित रखना चाहें, तो कृपया यह न भूलिए कि दो सेक्शनों में ऐसे अल्पसंख्यक हैं जिन्हें रक्षा की बड़ी जरूरत है।

*श्री के०एम०मुन्शी : अध्यक्ष महाशय, मुझे सभी तरह के संशोधनों का विरोध इसलिए करना है कि जैसा डा० मुकर्जी ने बतलाया है यह नियम सिर्फ इसी असेम्बली पर लागू नहीं किया जायगा, बल्कि इसको सेक्शनों पर प्रयुक्त किया जायगा। यह नियम इस प्रकार के मामलों को दृष्टि में रखते हुए बनाया गया है और अगर किसी सवाल पर दस बार भी विचार हो तो कोई नुकसान नहीं होगा। सच्ची बात तो यह है कि जैसा मैंने कहा है कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन (Convention) की रिपोर्ट से माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि वहां कुछ सवाल एक-दो बार नहीं, बल्कि फिर-फिर करके उन पर छः-छः सात-सात बार तक विचार किया गया है, क्योंकि विभिन्न स्थितियों में नयी-नयी बातों पर विचार करना था। इसलिए अगर सभा की नजर से कोई बात छूट जाती है तो उसे वह बात फिर सुनने का हक़ होना चाहिए। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ।

सभी संशोधन वापिस ले लिये गए।

*श्री के०एम० मुन्शी : एक छोटा-सा जबानी संशोधन सुझाया गया था। उसके शब्द हैं "मंजूरी से" (with the consent of) इससे यह अर्थ निकल सकता है कि मतगणना (Vote)के अलावा भी किसी तरह से मन्जूरी ली जा सकती है और संशोधन का सुझाव यह है कि इन "मंजूरी से" शब्दों की जगह "मत-गणना द्वारा" कर दिया जाय। इसका अर्थ सभा की मत-गणना (Vote) से है।

*अध्यक्ष : अन्त में रखे गए शब्द हैं—"जितने सदस्य हाजिर हैं और 'मत'

दे रहे हैं, कम-से-कम उनके एक चौथाई की मंजूरी से"। 'हाजिर हैं और मत दे रहे हैं' का अर्थ यही होता है।

नियम २१ स्वीकार किया गया।

नियम २२

*श्री के०एम० मुन्शी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम २२ स्वीकार किया जाय।

*राय बहादुर श्यामनन्दन सहाय (बिहार : जनरल) : मुझे इस नियम में एक संशोधन पेश करना है। २२वें नियम के अन्त में मैं यह जोड़ना चाहूँगा:—

"जो सदस्य यह प्रस्ताव करेगा कि 'यह सवाल पेश किया जाय' उसे उसके समर्थन में भाषण करने की मंजूरी नहीं मिलेगी।"

यही रीति असेम्बलियों में भी प्रचलित है और मैं चाहता हूँ कि वह यहां भी चालू की जाय। मेरा कथन है कि यह ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब देना है। एक बार जहां यह प्रस्ताव किया गया कि सवाल रखा जाय, फिर जवाब देने की कोई बात नहीं रह जाती। अध्यक्ष या तो उसे मंजूर करते हैं या अस्वीकार। सदस्य सिर्फ खड़ा होकर इतना कहेगा—"मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सवाल पेश किया जाय।" अगर अध्यक्ष मंजूर करते हैं तो 'मत' (Vote) ले लिया जायगा। यदि अध्यक्ष स्वीकार नहीं करते तो मौलिक प्रस्ताव पर बहस जारी हो जाती है। यह नियम तो पहले ही से मौजूद है कि यदि बहस में अनुचित हस्तक्षेप हुआ है तो अध्यक्ष उस पर मत ले लेंगे।

*अध्यक्ष : इसमें यह सुझाव नहीं है कि "ऐसा प्रस्ताव करनेवाले को कि 'अब सवाल पेश किया गया' बोलना ही होगा"।

*रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : सभी प्रस्तावों पर प्रस्तावकर्त्ताको बोलने का अधिकार होता है और वह बोलता है। सिर्फ इस मामले में खास नियम बनाने की जरूरत है। यह सभी असेम्बलियों में होता है।

*श्री के०एम० मुंशी : इस तरह के प्रस्ताव पर बोलने का प्रस्तावकर्त्ता को कोई अधिकार नहीं है और मैं नहीं समझता कि हम ऐसे अनावश्यक शब्द क्यों रखें।

*एक माननीय सदस्य : प्रस्ताव अध्यक्ष की ओर से रखा जाय और उस पर भाषण करने की स्वीकृति न हो।

*श्री श्रीप्रकाश : व्यवस्थापिका सभाओं में यह रीति है कि कोई भी सदस्य जो किसी खास विषय की बहस में भाग ले चुका है उसे यह अधिकार न होगा कि वह उसी सिलसिले में यह प्रस्ताव करे कि "अब यह सवाल पेश किया जाय" और मैं समझता हूँ यह अच्छी रीति है। इन नियमों के बारे में भी वैसा ही रखा गया।

*अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि अगर यह अच्छी रीति है तो हमें उसका अनुसरण करना चाहिए।

[अध्यक्ष]

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

*श्री एच०वी० कामठ(मध्यप्रांत और बरार : जनरल) : मेरा निवेदन है कि इस नियम की पहली और अन्तिम पंक्तियों में "प्रस्ताव बनाया गया" (has been made) शब्दों का व्यवहार ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप इसके लिए "प्रस्ताव पेश किया गया" (a motoin has been moved) शब्द रखे जाने चाहिएं।

*दीवान चमनलाल : 'प्रस्ताव बनाना' शुद्ध प्रयोग है।

*अध्यक्ष : (श्री कामठ से) मैं समझता हूँ कि आप इसे यों ही रहने दें।

*श्री एच०वी०कामठ : मुझे एक और अनुरोध करना है। सर अल्लादी जब बोलते हैं तो उन्हें'माइक्रोफोन' (ध्वनि विस्तारक यंत्र)के आगे-पीछे बढ़ने में शारीरिक दंड के समान तकलीफ उठानी पड़ती है। मेरा सुझाव है कि उनके बैठने के स्थान के बहुत पास एक यंत्र लगा दिया जाय जिससे उनकी यह असुविधा दूर हो जाय।

निमय २२ पास किया गया।

नियम २३ और २३ (क) तब तक के लिए रोक दिये गये जब तक कि और नियमों की कार्रवाई समाप्त न कर ली जाय।

नियम २४

*श्री के०एम०मुंशी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नियम२४ स्वीकार किया जाय।

नियम २४ स्वीकार किया गय।

नियम २५

*श्री के०एम०मुंशी : प्रस्ताव करता हूँ कि नियम२५ स्वीकार किया जाय।

*श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त : नियम २५ लेने के पहले मुझे नियम २४ (क) में एक संशोधन पेश करना है। मैं यह पेश करना चाहता हूँ:—

" अध्यक्ष की स्वीकृति के बिना कोई भी भाषण तीस मिनट से अधिक देरी तक न ज़ारी रखा जाय।"

*कुछ सम्मानीय सदस्य : नहीं, नहीं।

*श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त : मैंने यह शब्द कहे हैं कि अध्यक्ष की स्वीकृति के बिना"। यदि अध्यक्ष ठीक समझें तो किसी भी सदस्य को कितने ही अधिक समय तक बोलने की मंजूरी दे सकते हैं, पर मामूली तौर पर किसी सदस्य को तीस मिनट से अधिक देर तक नहीं बोलने देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भाषणों का एक प्रतिबन्ध रखा जाय।

*अध्यक्ष : मालूम होता है कि सदस्यगण समय का कोई भी प्रतिबन्ध नहीं चाहते।

(इस नये नियम के सुझाव पर जोर नहीं दिया गया)

*दीवान चमन लाल : इस नियम में कहा गया है कि "सभी आवश्यक अधिकार" वह आवश्यक अधिकार क्या हैं ?

*श्री मोहनलाल सक्सेना : नियम २५ (२) कहता है:—

"अध्यक्ष यदि चाहें तो······तीन दिन तक बैठक स्थगित रख सकते हैं।"

जो नियम स्वीकार किये जा चुके हैं उनके अनुसार अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह तीन दिन से अधिक सभा की कार्रवाई स्थगित कर सकें और तीन दिन से अधिक के लिए न स्थगित कर सकने का कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे कि यह नियम व्यवस्थापिका सभा (असेम्बली) के नियमों के समान ही है।

पहले नियम के अनुसार अध्यक्ष सभा को तीन दिन से अधिक स्थगित नहीं कर सकते। इसलिए २५ (२) के अन्त में "तीन दिन से अधिक नहीं" शब्द रखने की जरूरत नहीं है।

*श्री के०एम० मुंशी : इसकी जरूरत इसलिए पैदा हुई कि 'स्थगित करना' 'आगे के लिए टालने' में अन्तर है, इसलिए 'आगे के लिए टालने' के लिए नियम बनना चाहिए।

*श्री आर० के० सिधवा : महोदय, अगर कोई सदस्य अव्यवस्थित ढंग का व्यवहार करता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जानी चाहिए ? अगर कोई सदस्य अशान्ति फैलाकर सभा की कार्रवाई स्थगित करा देता है, तो वह अपना उद्देश्य तो पूरा कर लेता है, पर उसे सजा क्या मिलनी चाहिए ? इसके अलावा यह नियम बन सकता है कि अध्यक्ष कार्रवाई दूसरे दिन तक स्थगित रख सकते हैं, पर आप अध्यक्ष को तीन दिन तक स्थगित रखने का अधिकार दे रहे हैं।

*श्री के०एम०मुंशी : हमने सिर्फ यही कहा है—'तीन दिन से अधिक नहीं'। इसका यह अर्थ नहीं कि तीन दिन के लिए ही स्थगित की जाय। यह नियम इसलिए बनाया जा रहा है जिससे यदि किसी खास स्थिति पर सदस्यगण बहुत अव्यवस्थित हो जायँ और सभा की कार्रवाई आगे न बढ़ सके तो ऐसा नियम बनना जरूरी है, जिससे ऐसे सदस्यों को शान्त और सुव्यवस्थित किया जा सके।

*डा०सुरेशचन्द्र बनर्जी : महोदय, स्थगित करने (suspension) और आगे के लिए टालने (adjournment) में क्या फर्क है ?

*श्री के०एम० मुंशी : स्थगित करने में असन्तोष की भावना सम्मिलित होती है जब कि आगे के लिए टाल देने में ऐसी कोई बात नहीं होती।

*डा०सुरेशचन्द्र बनर्जी : ऐसी हालत में मैं 'स्थगित करने' की जगह 'टाल देने' शब्द का संशोधन पेश करता हूँ।

*श्री अनन्त शयनम् आयंगर : पहले के एक नियम द्वारा हम अध्यक्ष को यह अधिकार दे चुके हैं कि वह असेम्बली की राय से तीन दिन तक कार्रवाई स्थगित कर सकते हैं। एक दूसरे नियम में यह कहा गया है कि अध्यक्ष केवल दूसरे दिन

[श्री अनंतशयनम् आयंगर]

तक कार्रवाई रोक सकते हैं। तीन दिन तक कार्रवाई स्थगित करने के अधिकार की बात अपवाद-स्वरूप है और विशेष आवश्यकता के लिए यह अधिकार दिया गया है। कार्रवाई स्थगित करने या आगे के लिए टालने के कारण अलग-अलग हो सकते हैं। केन्द्रीय असेम्बली के नियमों में भी ये शब्द आये हैं, इसलिए हमें 'स्थगित' शब्द को अपवाद नहीं बनाना चाहिए। यह कहना भी ठीक नहीं है कि यह नियम व्यर्थ है। यह नियम अपने वर्त्तमान रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

*श्री के० माधव मेनन (मद्रास : जनरल) : मैं नियम २५ के उप-नियम (१) में कुछ संशोधन पेश करना चाहता हूँ—अर्थात् अन्त के इन शब्दों को निकाल देना चाहता हूँ—वैधानिक आपत्ति पर (on the point of order) यदि ये शब्द नहीं हटाये जाते तो इसका यह अर्थ है कि अध्यक्ष को कार्रवाई स्थगित करने का अधिकार तभी होगा जब 'व्यवस्था-सम्बन्धी आपत्ति' का प्रश्न उठाया जाता है। मैं चाहता हूँ कि हमें अध्यक्ष को उस हालत में भी यह अधिकार देना चाहिए जब वैधानिक आपत्ति का सवाल न उठा हो। यदि किसी सदस्य को बाहर निकालना है तो अध्यक्ष को उसका अधिकार होना चाहिए। अध्यक्ष को अधिकार तो मिल जाने चाहिए कि वैधानिक आपत्ति (point of order) उठने या न उठने की हालत में भी वह अपना निश्चय काम में ला सकें।

*श्री एल०कृष्णास्वामी भारती : मेरा संशोधन है कि उप-नियम (१) के बाद में और 'अशान्ति रोकने' शब्द और जोड़ दिये जायं। उप-नियम इस प्रकार है:-

"अध्यक्ष शान्ति-रक्षा करेंगे और किसी भी वैधानिक आपत्ति पर अपना निश्चय काम में लाने के लिए सभी जरूरी अधिकार उन्हें प्राप्त होंगे।"

मेरा निवेदन है कि ऐसे ही शब्द मद्रास व्यवस्थापिका सभा (असेम्बली) के नियमों में भी आये हैं। इससे उस प्रश्न की पूर्त्ति भी हो जाती है जो मेरे माननीय मित्र श्री माधव मेनन ने उठाया है।

*श्री के० एम० मुंशी : मैं दोनों ही संशोधनों का विरोध करता हूँ।

*अध्यक्ष : अब मैं पहले संशोधन अर्थात् यह कि 'स्थगित करने'(suspend) की जगह 'आगे के लिए टाल देने' (adjournment) पर 'मत' (vote)लूंगा।

संशोधन नामंजूर हो गया।

नीचे लिखे संशोधन भी अस्वीकृत हुए :—

(१) 'वैधानिक आपत्ति पर' शब्द हटाया जाय।

(२) 'आदेश का' शब्द हटा दिया जाय।

(३) 'अव्यवस्था रोकने' शब्द अन्त में जोड़ा जाय।

*श्री आर०के०सिधवा : महोदय,मेरे 'अशान्त सदस्य' सम्बन्धी संशोधन का क्या हुआ?मेरा सुझाव है कि अध्यक्ष को यह अधिकार होना चाहिए कि वह ऐसे सदस्य

को सभा-भवन से बाहर निकाल दें और उसे कार्रवाई में भाग लेने की स्वीकृति तब तक न मिले जब तक कि वह अपनी कारस्तानी के लिए माफी न मांग ले। यह संशोधन बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसा सदस्य सभा की कार्रवाई में बाधा डालना जारी रखेगा।

अध्यक्ष : हम इसे एक नये उप-नियम में जोड़ देंगे कि जो सदस्य अशान्ति पैदा करेगा वह अध्यक्ष की आज्ञा से बाहर निकाल दिया जायगा।

श्री के०एम० मुंशी : इस संशोधन की जरूरत नहीं है। इसमें वह सभी अधिकार शामिल हैं जिनके अनुसार अध्यक्ष को अपना यह निर्णय काम में लाने का हक होगा कि वह किसी ऐसे सदस्य को बाहर निकल जाने को कहें, या जरूरत होने पर निकलवा दें।

संशोधन नामंजूर हुआ।

श्री एम० अनंतशयनम् आयंगर: अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूँ कि व्यवस्था-संबंधी आपत्ति पर जो संशोधन (कुछ शब्दों के निकाल देने का) पेश किया था उस पर फिर विचार किया जाय? (अनेक सदस्य 'नहीं-नहीं') वह बहुत महत्त्वपूर्ण बात है—मैं अध्यक्ष को ऐसे सभी अधिकार दिलाना चाहता हूं जिससे वह अपने निर्णय को कार्यरूप में परिणत कर सकें। व्यवस्था-संबंधी आपत्ति विशेष अर्थयुक्त होती है। वर्त्तमान रूप में तो आप अध्यक्ष को अधिकार दे रहे हैं कि जो प्रश्न उनके आदेश के लिए उठाया गया है उस पर वह अपना निर्णय दें। पर अध्यक्ष के लिए और भी निर्णय करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए अध्यक्ष किसी भी प्रस्ताव पर 'मत' लेने के लिए सदस्यों से 'हां' या 'नहीं' कहने के लिए कहते हैं। मान लीजिए कि 'हां' कहने वालों ने हठ किया कि 'मत' तो उन्हीं के पक्ष में आया है, जब कि वास्तव में ऐसा हुआ नहीं है और वह अनिश्चित् रूप में 'हां हां' ही कहते जायँ। तो इस नियम के अनुसार अध्यक्ष यह नहीं कह सकते कि वे सभा-भवन के बाहर निकल जायँ, क्योंकि उस पर कोई 'वैधानिक आपत्ति' नहीं खड़ी हुई है। (आवाजें—यह वैधानिक आपत्ति तो है।) 'हां' या 'नहीं' चिल्लाना वैधानिक आपत्ति या ऐसा सवाल नहीं है जिस पर अध्यक्ष वक्ता को आदेश देकर रोक सकें। 'वैधानिक आपत्ति' (point of order) तो तब खड़ी होती है जब बहस के बीच कोई बाहरी या अप्रासंगिक बात कही गई हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि उपनियम (१) में से 'वैधानिक आपत्ति' शब्द निकाल दिये जायँ।

*सर अल्लादी कृष्णास्वामी आयंगर : अपने सभी निर्णयों को कार्य रूप में परिणत करने का भार अध्यक्ष पर डालना बहुत ज्यादा है। वह ऐसे मामलों का निर्णय कर सकते हैं जहाँ 'वैधानिक 'आपत्ति' नहीं हैं। अध्यक्ष पर ऐसा कठिन कर्त्तव्य-भार डालना और उन्हें ऐसे मौकों पर उन सभी को काम में लाने के लिए कहना बहुत मुश्किल है।

*श्री के०एम० मुंशी : मेरे माननीय मित्र श्री आयंगर ने जो सवाल उठाया है उसका

[श्री के० एम० मुंशी]

तो यह मतलब है कि सदस्य तब भी बोलता रह सकता है जब अध्यक्ष अपना 'आदेश' (Ruling) दे चुके हों। मेरा यह कहना है कि ऐसी स्थिति आने पर अन्य सदस्य 'वैधानिक आपत्ति' का सवाल खड़ा करके उस सदस्य का बोलना रुकवा देंगे।

*श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर : और दूसरे लोग चुप रहेंगे?

सवाल पर फिर विचार करने का प्रस्ताव नामंजूर हुआ।

नियम २५ मंजूर हुआ।

नियम २६

*श्री के०एम० मुंशी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम २६ मंजूर किया जाय।

*श्री के०संतानम् : मेरा प्रस्ताव है कि २६ वें नियम के शर्तिया फिकरे में 'in camera' के बाद "ऐसी रिपोर्ट तभी निकाली जायगी जब अध्यक्ष आज्ञा देंगे और अगर निकाली गयी तो उस पर इस आशय का निशान लगा दिया जायगा" शब्द जोड़े जायँ। यह संशोधन पेश करने का सीधा कारण यह है कि इस नियम के वर्त्तमान रूप में मंत्री को स्वयं यह अधिकार होगा कि वह गुप्त रूप में होने-वाली बैठक की रिपोर्ट प्रकाशित कर सके। हो सकता है कि रिपोर्ट गुप्त बैठक के कुछ समय बाद तक न प्रकाशित हो सके। यदि यह रिपोर्ट पत्रोंमें प्रकाशित होकर जनता तक पहुँची तो इससे खतरा पैदा हो सकता है। उसे रोकने के लिए ही मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूं कि यह तभी प्रकाशित होगी जब अध्यक्ष उसके लिए आज्ञा देंगे और अगर प्रकाशित होगी तो......आदि।

*श्री आर०के०सिधवा : मेरा प्रस्ताव है कि नियम २६ (१) के अन्त में नीचे लिखे शब्द जोड़ दिये जायँ :—

"फिर भी इस (गुप्त) सभा की शब्दशः रिपोर्ट उसी तरह ली जायगी जिस तरह जनता के लिए खुली सभाओं की ली जाती है।"

मैं समझता हूं कि यह किया जा रहा है।

अध्यक्ष : समिति की बैठक की शब्दशः रिपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। इस सम्बन्ध में समितियों में हमने एक बेजाब्ता बहस में विचार भी किया था और मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि सम्पूर्ण बहस की शब्दशः रिपोर्ट ली जाय।

*श्री आर०के० सिधवा : मुझे एक और संशोधन पेश करना है कि नीचे लिखे शब्दों—

"असेम्बली-चेम्बर (कक्ष) में सदस्यों के अलावा अन्य लोगों का प्रवेश" की जगह उप-नियम (३) में ये शब्द रख दिये जायं:—

"विधान-परिषद् के सदस्य और अफसर तथा काम पर लगे स्टाफ के आदमियों के सिवा कोई और आदमी असेम्बली-चेम्बर में प्रवेश न पा सकेगा।"

महाशय, यह बहुत जरूरी है कि इस चेम्बर (Chamber) में सिर्फ सदस्य

ही जा सकें और उनके साथ अफसर और स्टाफ के लोग ही हों। जो सदस्य नहीं हैं उन्हें उसके अन्दर प्रवेश न करने दिया जाय। किसी भी दूसरी जगह में ऐसे (बाहरी) आदमी को अन्दर नहीं जाने देते।

*अध्यक्ष : आपके संशोधन का क्या यह मतलब है कि दर्शक-विभाग में दर्शक भी न रहें?

*श्री आर० के० सिधवा : नहीं श्रीमान्, मेरा मतलब उस कक्ष (Chamber) से है जहां हम (सदस्यगण) बैठते हैं।

श्री एस० निजालिंगप्पा (बम्बई : जनरल) : मैं धारा (४) में 'प्रचारित करने' की जगह में 'पहुंचाया जाना' शब्द बदलवाना चाहूंगा।

*माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर : मैं इस (संशोधन) का समर्थन करता हूं।

*श्री बी० एम० गुप्ते (बम्बई : जनरल) : मैं अपनी सूचना के आधार पर जानना चाहूँगा कि क्या "जो रिपोर्ट तीन भाषाओं—हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी में छपेगी उन सभी की प्रतियां सदस्यों को दी जायंगी?"

*अध्यक्ष: मैं इसे जरूरी नहीं समझता। जो जिस भाषा को समझता हो उसी की रिपोर्ट में उसे सन्तोष करना चाहिए। यदि कोई सदस्य अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में रिपोर्ट लेना ही चाहे तो वह मांगने पर मिल सकेगी।

अब हमें संशोधन को निबटा देना चाहिए। पहले श्री के० सन्तानम् का संशोधन।

के० एम० मुंशी : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं, क्योंकि सदस्यों को कार्रवाई की एक-एक प्रति पाने का अधिकार है।

*श्री के० सन्तानम् : यह जनता और अखबारों में तो जायगी।

*श्री के० एम० मुंशी : यदि सदस्य समुचित आत्म-नियंत्रण न रखेंगे तो कोई भी बात अखबारों में जायगी।

*अध्यक्ष : श्री सन्तानम् का संशोधन यह बात अध्यक्ष पर छोड़ता है कि वह यह निर्णय स्वयं करें कि रिपोर्ट प्रचारित की जाय या नहीं।

* के० एम० मुंशी : इस मामले पर समिति में काफी बहस हुई थी और अधिकांश सदस्यों का मत था कि उन्हें कार्रवाई की एक-एक प्रति मिलनी चाहिए।

*श्री जयपालसिंह (बिहार : जनरल) : सदस्य जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उन्हें जानना चाहिए कि 'गुप्त' शब्द का क्या अर्थ है।

*अध्यक्ष : मैं श्री सन्तानम् के संशोधन पर 'मत' (Vote) लूँगा। चौथे नियम की धारा (४) में यह शब्द कि "और अगर प्रकाशित हुई तो" अध्यक्ष के आदेश से ही प्रकाशित की जायगी, "ऐसी रिपोर्ट" शब्द के बाद जोड़ दिये जायं।

[अध्यक्ष]

संशोधन नामंजूर हो गया।

*श्री एच० वी० कामठ : मैं श्री सिधवा के दूसरे संशोधन में दो परिवर्त्तन करने का प्रस्ताव करता हूँ। उन्होंने इन (परिवर्त्तनों) को स्वीकार कर लिया है। "असेम्बली" के बाद "सिवा" (except) शब्द के बदले "और" शब्द रख दिया जाय। इस प्रकार संशोधन का स्वरूप यह हो जायगा :—

"असेम्बली के सदस्यों और अफसरों तथा स्टाफ वालों के सिवा और किसी को अन्दर न जाने दिया जायगा।"

इससे प्रवेश पाने के अधिकारी लोगों की श्रेणी निर्धारित हो जाती है। दूसरा परिवर्त्तन यह हो कि "असेम्बली-कक्ष (Chamber)" की जगह "असेम्बली-कक्ष के भीतर (Inside)" शब्द रख दिये जायं।

*अध्यक्ष : नियम २६ की धारा (३) के बदले नीचे लिखे शब्द बदले जायंगे—

"विधान परिषद् के सदस्यों और काम में लगे अफसरों तथा स्टाफ के लोगों के अलावा और कोई व्यक्ति असेम्बली-कक्ष (chamber) के अन्दर प्रवेश न कर सकेगा।"

*दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णस्वामी आयंर : कोई व्यक्ति (सदस्य) अगर शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो और वह खुले अधिवेशन की कार्रवाई में भाग न ले सकता हो, तो उस समय उसे किसी सहायक के सहारे असेम्बली-कक्ष में आने की जरूरत पड़ सकती है।

*अध्यक्ष : आपके संशोधन के साथ यह नियम इस प्रकार पढ़ा जायगा—

"सदस्यों (Members) के अलावा और किसी का असेम्बली-कक्ष (Chamber) में प्रवेश" इन शब्दों को हटा दीजिए, और इसके बाद आपका कहना है कि नीचे लिखे शब्द बदले में रख दिये जायं—"विधान-परिषद् के सदस्यों, और काम पर तैनात अफसरों और स्टाफ के लोगों के अलावा और कोई भी व्यक्ति असेम्बली-कक्ष (चेम्बर) में और उसकी गैलरी में तब तक प्रवेश न कर सकेगा जब तक कि असेम्बली की कार्रवाई चालू रहेगी।"

*श्री आर० के० सिधवा : मैं श्री कामठ का संशोधन स्वीकार करता हूँ। मेरा विचार है कि "असेम्बली में" के बदले "असेम्बली के अन्दर" कर दिया जाय। सदस्यों के अलावा और किसी को अन्दर न जाने दिया जाय, यही इसका अभिप्राय है। इसको दो भागों में विभाजित कर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

*श्री देवीप्रसाद खेतान : महोदय, भाषा की दृष्टि से संशोधन इस प्रकार रखा जाय :—

"असेम्बली की बैठक के समय सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का

गैलरी के भीतर प्रवेश अध्यक्ष की आज्ञा के अनुसार व्यवस्थित होगा और असेम्बली-कक्ष (चेम्बर) में विधान-परिषद् के सदस्यों, काम पर तैनात अफसरों और स्टाफ के अलावा और कोई भी व्यक्ति अन्दर न जा सकेगा।"

इस प्रकार "असेम्बली की बैठक के समय सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का गैलरी के भीतर प्रवेश अध्यक्ष की आज्ञा के अनुसार व्यवस्थित होगा" इसके अन्त में श्री सिधवा का संशोधन आयेगा। अन्यथा शब्दावली ठीक नहीं बैठती।

*अध्यक्ष : विचार के अनुसार शब्द-समूहों को दो खण्डों में विभाजित कर देना है—एक में तो गैलरी में प्रवेश करने देने के लिए अध्यक्ष की इच्छा, और दूसरा असेम्बली-चेम्बर (कक्ष) का प्रवेश, जो केवल सदस्यों के लिए परिसीमित है।

*श्री देवीप्रसाद खेतान : यही श्री सिधवा चाहते हैं।

*श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर : इस बात पर भ्रम फैला मालूम होता है। नियम २६ एक गैर-सदस्य को सभा-भवन में आने का उपाय बताता है जो बैठक खुले सार्वजनिक रूप में चालू रहने की हालत के लिए भी है और गुप्त बैठक के लिए भी है। अपना संशोधन पेश करते समय श्री सिधवा उपनियम (३) को केवल उसी समय के लिए परिसीमित कर देते हैं जब बैठक गुप्त रूप में हो रही हो। पर बात यह नहीं है। जो असेम्बली के सदस्य नहीं हैं उनका प्रवेश अध्यक्ष के आदेशानुसार होना है, इसलिए अगर यह उपनियम (३) ऊपर रखकर इसका क्रम (number) उपनियम (१) कर दिया जाय और उपनियम (१) और (२) को क्रमशः (२) और (३) बना दिया जाय तो बहुत-सी कठिनाई सुलझ जायगी। मैंने जो कुछ कहा है उसके होते हुए भी आप देखेंगे कि उपनियम (४) और उसके भी पहले उपनियम (३) भी है जो इस प्रकार है—"असेम्बली की बैठकें अध्यक्ष के आदेशानुसार व्यवस्थित होंगी।" उपनियम (४) में कहा गया है—"मन्त्री असेम्बली की पूरी रिपोर्ट छपवाने और सब सदस्यों में प्रचारित करने का काम करेंगे। बशर्ते कि जहां कोई बैठक गुप्त रूप में हुई हो ...."इसलिए यह नियम कि जहां यह कहा जाता है कि सार्वजनिक खुले अधिवेशन और गुप्त बैठक में, वहां सामान्य रूप में क्या होना चाहिए। इनका सान्निध्य ही भ्रम पैदा करने का कारण है। इनको पृथक् और ठीक स्थिति में लाने के लिए उपनियम (३) को उपनियम (१) बना देना चाहिये और उपनियम (१) और (२) को (२) और (३)—ऐसा कर देने पर कोई कठिनाई न होगी।

*अध्यक्ष : मैं प्रसन्न होऊंगा अगर आप ऐसा पूरा मजमून हमारे नियमों के बारे में बनाकर देंगे जिसमें सभी बातें आ जायं। कृपया लिखित रूप में दें। इससे बहुत समय बच जायगा।

*श्री देवीप्रसाद खेतान : सभा की इच्छा केवल विचारों के बारे में जान ली जानी चाहिए, भाषा के सम्बन्ध में नहीं।

*श्री एम०वी० कामठ : केवल एक ही विचार के कारणश्री सिधवा का संशोधन स्वीकार किये जाने में आड़े आ रहा है। उदाहरण के लिए उस दिन फिल्म बनाने वाले और कैमरामैन असेम्बली के अन्दर आने दिये गए थे । इसके अलावा विदेश से कुछ विशिष्ट राजनीतिज्ञ आ सकते हैं और यदि वह सभा में कुछ बोलना चाहें तो ? इस संशोधन के द्वारा ऐसे लोगों को अन्दर जाने देने का आपका अधिकार छिन जायगा।

संशोधन अस्वीकार कर दिया गया।

*अध्यक्ष : उनके नियम और रहे खंड, सो उनके बारे में श्री अनन्तशायनम् आयंगर हमें एक मजमून तैयार करके देंगे।

* श्री के० एम० मुन्शी : अब केवल उपनियमों के पुनर्व्यवस्थित करने की शर्त पर हम इसे मंजूर कर सकते हैं। उपनियम (२) में भी कुछ व्यवस्था बाकी है।

*अध्यक्ष : उसे हम बाद में लेंगे।

नियम २७

*श्री के० एम० मुन्शी : मैं यह प्रस्ताव करता हूँ महोदय, कि परिच्छेद ४ में शीर्षक "अध्यक्ष" और नियम २७ स्वीकार किये जायं।

*मर सी० सुब्रह्मण्यम् (मद्रास : जनरल) : महोदय, मेरे खयाल में एक ऐसा नियम भी बनना चाहिए जिससे अध्यक्ष अपने स्थान से तब तक न हटाये जा सकें जब तक कि असेम्बली अपने सारे सदस्यों की संख्या के दो तिहाई भाग द्वारा प्रस्ताव पास करके उन्हें न हटाये। अगर ऐसा नियम नहीं बनता तो सभा केवल कुछ बहुमत पर इस आधार को लेकर अध्यक्ष को अलग कर सकती है कि सभा जिस प्रकार से उन्हें चुनने का अधिकार रखती है उसी प्रकार से उन्हें अलग कर देने का भी परम्परागत अधिकार भी। ऐसी स्थिति में मैं यह जरूरी समझता हूं कि इस आशय का एक नियम रखा जाय कि अध्यक्ष तब तक अलग न किये जा सकेंगे जब तक कि असेम्बली अपने समस्त सदस्यों की संख्या के दो तिहाई भाग द्वारा उसे अलग करने का प्रस्ताव न पास कर देगी। और किसी भी हालत में मेरा यह खयाल है कि अध्यक्ष के हटाने के बारे में असेम्बली की स्थिति पर एक नियम बनना चाहिए। जब तक हमारे वर्त्तमान अध्यक्ष हैं, नियम की कोई जरूरत नहीं पड़ सकती और मेरी हार्दिक प्रार्थना और पूर्ण आशा है कि हमारे अध्यक्ष कार्रवाई के अन्त तक इस पद पर रहेंगे। पर यदि कोई ऐसा मौका बाद में आजाय, इसलिए हमें कोई व्यवस्था अभी से बना रखनी चाहिए।

*श्री के०एम० मुंशी : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ। असेम्बली को कोई ऐसा परम्परागत अधिकार (अध्यक्ष को अलग करने का) नहीं है। हमने अध्यक्ष का चुनाव कर लिया है और वह असेम्बली के अन्त तक अध्यक्ष रहेंगे। अलग किये जाने का कोई सवाल नहीं है। इसके विपरीत इस बात को स्वीकार करके हम दो-तिहाई बहुमत से उन्हें हटाने का अधिकार तैयार कर देंगे।

*श्री आर०के० सिधवा : मैं सिर्फ यही परामर्श दूंगा कि इस प्रकार जो इस पद का उम्मीदवार होगा वह लिखित रूप में देगा कि अगर वह चुना गया तो वह अध्यक्ष का कार्य-भार ग्रहण करेगा जब कि नियम में यह लिखा गया है कि प्रस्ताव-कर्त्ता ने यह निश्चय कर लिया है कि वह सदस्य अध्यक्ष चुने जाने पर उस पद पर कार्य करने को प्रस्तुत है।

*अध्यक्ष : हम एक-एक खंड लेकर आगे बढ़ेंगे। क्या खंड (१) में कोई संशोधन है ? खंड (१) में कोई संशोधन नहीं है। खंड (१) पास हुआ।

खंड (२) : क्या खंड (२) में कोई संशोधन है ?

*श्री बी० दास (उड़ीसा : जनरल) : महोदय, मैं कानून का पंडित नहीं हूं और नियमों की रचना कानून के विशेषज्ञों द्वारा की हुई है। मैं खंड (२)की उपयोगिता नहीं समझ रहा हूँ जिसमें कहा गया है कि अगर अध्यक्ष असेम्बली का सदस्य न रहेगा तो वह अध्यक्ष-पद पर नहीं रहेगा। एक बार इस असेम्बली का सदस्य हो जाने पर तो वह मरने तक सदस्य रहेगा या इस्तीफा दे देने तक। फिर इस खंड की क्या जरूरत है। मैं समझता हूँ कि यह अनुपयोगी और व्यर्थ है।

*अध्यक्ष : खण्ड (२) पर यह आपत्ति है कि यह व्यर्थ है क्योंकि जब तक अध्यक्ष सदस्य नहीं है तब तक तो अध्यक्ष-पद पर आ ही नहीं सकते, इसलिए यह खण्ड अनावश्यक है।

*श्री के० एम० मुन्शी : ऐसे विचारणीय मामले भी तो हो सकते हैं जब अध्यक्ष का स्थान किसी चुनाव सम्बन्धी पंचायत के फैसलों से खाली हो जाय, इस-लिए इसको पूर्ण बनाने की दृष्टि से ही यह खण्ड रखा गया है।

*अध्यक्ष : विचारणीय मामले हो सकते हैं। केवल ऐसे मामलों के निर्वाह के लिए यह खण्ड रखा गया है।

*श्री बी० दास : कानूनदां न होने के कारण मैं अपने दोस्त श्री मुन्शी की बात नहीं समझ सका। मैं नहीं समझ सकता कि ऐसी स्थिति कैसे आयेगी जब तक कि श्री मुन्शी मुझे विश्वास न दिला दें। मैं समझता हूँ कि यह खण्ड व्यर्थ है और यहां नहीं होना चाहिए।

*श्री के०एम० मुन्शी : इस पर 'मत' ले लिया जाय, श्रीमान्!

*श्री बी०दास : मैं तो नियम की उपयोगिता पर विश्वास दिलाने की मांग कर रहा हूँ।

*अध्यक्ष : भारत-सरकार के एक्ट में भी एक ऐसा ही नियम है।

*श्री के०एम०मुन्शी : मैं इस खण्ड को रद्द किये जाने का विरोध करता हूँ। यह एक आवश्यक खण्ड है।

*अध्यक्ष : हम इस पर 'मत' लेंगे।......उपनियम (२) स्वीकार किया गया।

[श्री सभापति]

खण्ड (३) : क्या इसमें कोई संशोधन है ?

*श्री मोहनलाल सक्सेना : केवल छोटा-सा संशोधन है महोदय। "गजट आफ इंडिया में प्रकाशित" की जगह सिर्फ "अखबार में प्रकाशित" काफी होगा। "गजट आफ इंडिया" के बदले "अखबार" कर दिया जाय।

*एक माननीय सदस्य : कौन-सा अखबार ?

*श्री मोहनलाल सक्सेना : 'गजट आफ इंडिया' का प्रकाशन सरकार के हाथों में है—मैं इसे सरकार के हाथों में नहीं छोड़ना चाहता।

*श्रीके०एम० मुन्शी : 'अखबार' शब्द अस्पष्ट है।

*श्री मोहनलाल सक्सेना : 'गजट आफ इंडिया' जरूरी नहीं है, उसे निकाल दिया जाय।

* अध्यक्ष : किसी अखबार का नाम लीजिए।

*श्री देवीप्रसाद खेतान : अगर यह महत्त्वपूर्ण न हो तो मैं यह सुझाव पेश करता हूँ जो कि जैसा कम्पनियां किया करती हैं, यह नई दिल्ली में प्रचारित दो पत्रों में प्रकाशित कराया जा सकता है।

*श्री के०एम० मुन्शी : क्या सभा की यह इच्छा है कि 'गजट आफ इंडिया' शब्द निकाल दिया जाना चाहिए।

*श्री मोहनलाल सक्सेना : "यह प्रकाशित किया जायगा" इतना ही काफी होगा महोदय।

*दीवान चमनलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ यह नाम नियमानुकूल है।

*श्री एल० कृष्णास्वामी भारती : दोनों शब्द—"गजट आफ इंडिया" और "अखबार" निकाले जा सकते हैं। उनके बदले 'सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाय' ये शब्द रख दिये जायं और यह अध्यक्ष की इच्छा पर छोड़ दिया जाय कि वह जिस तरह चाहें उसे प्रकाशित करायें।

*श्री के०एम० मुन्शी : बात यह है कि कुछ समय भी निर्धारित होजाना चाहिए जिससे इस्तीफे को अमल में लाया जा सके। दूसरा खंड और उसके बाद वाले खंड यह दिखाते हैं कि 'गजट आफ इंडिया' में प्रकाशित होना समय से सम्बन्ध रखता है।

*एक माननीय सदस्य : आप दिल्ली के दो अखबारों के नाम नहीं ले सकते ?

* अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि अन्य अखबारों को छोड़कर दिल्ली के दो अखबारों का नाम लेना ईर्ष्याजनक होगा।

*एक माननीय सदस्य : इस असेम्बली का एक खास पर्चा (बुलेटिन) निकाला जा सकता है।

*श्री जयपालसिंह : मैं अपने उन सम्माननीय मित्र की बात नहीं समझता जो अभी बोल चुके हैं। 'गजट आफ इंडिया' अखबारों के लिए स्वतंत्र समाचारों का साधन है। इसका यह मतलब है कि 'गजट आफ इंडिया' में प्रकाशित करने पर व्यापक-प्रचार हो जायगा।

*अध्यक्ष : जब 'गजट आफ इंडिया' न मिल सकेगा, तब हम और उपाय सोचेंगे।

*श्री मोहनलाल सक्सेना : महोदय, श्री मुंशी कहते हैं कि कुछ समय भी निर्धारित होना चाहिए। मैं इस विषय में प्रेस-विज्ञप्ति प्रकाशित कर देने का सुझाव पेश करता हूँ।

*दीवान चमनलाल : मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। इस तरह अनावश्यक रूप में समय बर्बाद किया जा रहा है। यही ठीक रास्ता है और आप उसी का उपयोग करें।

*अध्यक्ष : सभा इसे ज्यों-का-त्यों रहने देने के पक्ष में है। साढ़े बारह बज चुके हैं और हमें इन नियमों पर विचार करना है। पांच बजे के बाद भी बैठना जरूरी होगा।

*श्री मुंशी : क्या मैं सदस्यों को यह सुझाव दे सकता हूं कि अगर उन्हें कोई जबानी संशोधन रखना हो तो वे कृपया उसे अध्यक्ष को दे दें जिस पर बाद में कार्य-वाहक-समिति (Steering Committee) में विचार हो सकता है।

*अध्यक्ष : खंड (४)के बारे में कोई सुझाव है ?

*श्री धीरेन्द्रनाथदत्त : खंड (४) की दूसरी पंक्ति में 'असेम्बली के अध्यक्ष' शब्द के बाद 'मृत्यु, इस्तीफा या अन्य कारणों से' शब्द जोड़ देने चाहिए।

*अध्यक्ष: यह अनावश्यक है। इस पर जोर न दीजिए।

*श्री सी० ई० गिब्बन (मध्यप्रांत और बरार : जनरल) : 'दूसरे अध्यक्ष' के चुनाव के बारे में सभा को मालूम है कि इन शब्दों के बारे में कैसा मत-भेद गूंज रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हो सकता है। 'दूसरे अध्यक्ष' शब्द के अनुसार वही व्यक्ति फिर से अध्यक्ष पद के लिए खड़ा नहीं हो सकता जो इस्तीफा दे देता है। इसलिए मैं सुझाव पेश करता हूँ कि 'दूसरा अध्यक्ष' के बदले 'एक अध्यक्ष' शब्द काम में लिया जाय।

*श्री के०एम०मुंशी : इसका यही मतलब था कि वह व्यक्ति फिरसे अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हो। मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूँ।

*अध्यक्ष : सभा इसे स्वीकार करती है। अब खण्ड (५) लीजिए।

*श्री आर० के० सिधवा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नियम २७ के (५) (ख) के बदले नीचे लिखी शब्दावली काम में लाई जायः—

"यह कि इस प्रकार जिस उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित होगा उसे लिखित रूप में अपनी स्वीकृति प्रकट करनी होगी कि चुने जाने पर वह अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए तैयार है।"

और वह इस बात को लिखित रूप में दे।

*अध्यक्ष : यह मंजूर किया गया। अब खण्ड (६) को लीजिए।

*श्री एम०अनन्तशयनम् आयंगर : अब खण्ड (६)की पांचवीं पंक्ति कृपा करके पढ़ें, जो इस प्रकार है :—

"इस तरह अगर सिर्फ एक ही सदस्य का नाम पेश होता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा। और अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार नामजद किये गये तो असेम्बली अध्यक्ष का चुनाव करेगी।"

यह सच है कि एक से ज्यादा सदस्य नामजद किये जा सकते हैं और उनमें एक को छोड़ और सब अपने नाम वापस भी ले सकते हैं। इसके बारे में विधान नहीं बना है। इसीलिए मैंने एक संशोधन रखा है कि "इस प्रकार नामजद" शब्दों की जगह "या अगर औरों के नाम निश्चित समय के अन्दर वापस ले लेने पर एक ही नामजद शेष रहता है" शब्द जोड़ दिये जायँ।

*श्री एच० वी० कामठ : मैं सिद्धान्ततः अपने माननीय मित्र श्री अनन्तशयनम् आयंगर से सहमत हूँ, फिर भी मेरा मत है कि इसे शर्त के रूप में न रख अधिक स्पष्ट बना दिया जाय। हमें कहना चाहिए कि अगर कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहता है, तो सदस्यों के लिए एक निश्चित् समय के अन्दर ऐसा करने की छूट है। आपको इसे शर्तिया ढंग पर न रखकर निश्चित रूप में रखना चाहिए।

*श्री के०एम०मुंशी : श्री आयंगर के संशोधन में श्री कामठ की बातें आ जायँगी।

*रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : आपने किसी निश्चित् समय के अन्दर नाम वापस करने के बारे में कोई विधान नहीं बनाया है।

*श्री के०एम०मुंशी : सम्मानीय सदस्य देखेंगे कि इसके अन्दर नाम वापस लेने का अर्थ सन्निहित है।

*रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : पर आपने "एक निश्चित् समय के अन्दर" शब्द रखे हैं, इसलिए आपको समय निर्धारित करना ही चाहिए।

महाशय, मुझे एक और संशोधन पेश करना है। वह इस प्रकार है :- नियम २७ (६) के बाद नीचे लिखे को २७ (७) के रूप में और २७ (७) और २७

(८) को क्रमशः २७(८) और २७ (६) के रूप में पढ़िए :—

"कोई भी व्यक्ति जिसका नाम अध्यक्ष-पद के लिए नामजद हो चुका है, अपनी नामजदगी लिखित रूप में चुनाव के पहले वापिस ले सकता है।"

*श्री एच० वी० कामठ : यही मेरा कथन है।

*अध्यक्ष : मैं समझता हूं यद्यपि इसके बारे में विभिन्न दृष्टिकोण हैं, पर सिद्धांत में मतभेद नहीं है। (श्री कामठ से) क्या कृपया आप एक मजमून बनाकर जलपान के समय श्री मुंशी को दे देंगे ?

*एक माननीय सदस्य : इस खंड में अंतिम पंक्ति व्यर्थ है, क्योंकि जब केवल एक व्यक्ति का चुनाव करना है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) का सवाल उठता ही नहीं।

*श्री देवीप्रसाद खेतान : आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सवाल वहीं लागू हो सकता है जहां एक व्यक्ति को एक से अधिक मत (vote) देने का अधिकार होता है। या तो विलोप प्रणाली (process of elemination) या सब से अधिक मत प्राप्त करने की प्रणाली का आधार यहां लागू करना होगा, क्योंकि यहां कोई प्राथमिकता देने की (priority) आवश्यकता नहीं है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सवाल वहीं खड़ा होता है जब आप प्राथमिकता (priorities) दे रहे हों।

*श्री के०एम०मुंशी : मुझे भय है कि मेरे माननीय मित्र श्री खेतान ठीक नहीं कह रहे हैं। हम एक जगह के लिए भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व का नियम लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि २० वोट हैं और अनुपात (quota) ११ का है, अगर तीन उम्मीदवार क, ख और ग में—क को ६ मत, ख को ७ मत और ग को ४ मत मिलते हैं, तो दूसरे आदमी (ख) का निर्वाचन उस हालत में हो सकता है यदि 'ग' अपने मत उसे दे दे।

*अध्यक्ष : इस बहस को संक्षिप्त बनाने के लिए क्या मैं आयर्लैंड के विधान का एक नियम बता सकता हूं जिसमें कहा गया है—"अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मत-दान द्वारा और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से एकाकी हस्तांतरित मत-पद्धति (single transferable vote) के जरिये सम्पन्न होगा।" मैं मानता हूं कि आयर्लैंड में केवल एक अध्यक्ष है और उसका चुनाव इसी सिद्धांत पर होता है।

*श्री शिब्बनलाल सक्सेना (संयुक्तप्रांत : जनरल) : विलोप प्रणाली (process of elimination) अच्छी रहेगी।

*अध्यक्ष : यह (सिद्धांत) भी उसी ढंग का है जैसी कि विलोप प्रणाली (process of elimination) है।

*श्री मोहनलाल सक्सेना : जब सभाने अध्यक्ष का चुनाव स्वीकार किया तो सभा ने भी विलोप प्रणाली (process of elimination) का अनुसरण किया था। मेरा निवेदन है कि यह प्रणाली अधिक स्पष्ट और सीधी है और इसका

[श्री मोहनलाल सक्सेना]
अनुसरण किया जाना चाहिए।

*श्री अध्यक्ष : जो लोग इस संशोधन के पक्ष में हैं कि अध्यक्ष के चुनाव में जो प्रणाली पहले काम में लायी गयी थी वही काम में लाई जाय वे "हाँ" कहें। ...... ("हाँ" की पुकार) "नहीं" कहने वाले न होने के कारण संशोधन मंजूर किया जाता है।

*सर एल०कृष्णास्वामी भारती : खंड (६) में पहली पंक्ति में "चुनाव के लिए निश्चित् तारीख" में 'तारीख' के पहले 'इस' (the) शब्द जोड़ दिया जाय और वाक्य के प्रथम खंड के अन्त में अल्प विराम (,) लगा दिया जाय। खंड (४) में भी 'चुनाव' के पहले 'इस' शब्द का प्रयोग हुआ है।

*श्री के०एम० मुंशी : मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं।

*रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : नामजदगी के पर्चों की जांच के लिए कोई नियम नहीं बना है और मेरा सुझाव है कि नामजदगी (Nominatiou) के बाद नीचे लिखे शब्द जोड़ दिये जायँ—"अगर नामजदगी विधि-विहित (valid) हुई।"

*श्री के०एम० मुंशी : नामजदगी शब्द के साथ ही यह भाव है कि वह विधि-विहित (valid) होगी। नामजदगी का मतलब ही विधि-विहित नामजदगी है। विधि-रहित नामजदगी नामजदगी है ही नहीं।

*अध्यक्ष : इसका यह अर्थ हुआ कि यहां पहले दिन अध्यक्ष के चुनाव के बाद में जो प्रस्ताव पास हुआ था, सदस्यगण उसे फिर उद्धृत करना चाहते हैं।

*श्री रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : मैं समझता हूं कि जो जाब्ता वहां रखा गया है वही यहां शामिल कर लेना चाहिए।

*श्री के०एम० मुन्शी : अगर सभा की इच्छा यही है तो वह तो पूरा जाब्ता है और मैं समझता हूं उसे यहां भी सम्मिलित कर लेना चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

*श्री आर०-के० सिधवा : मेरा प्रस्ताव है कि 'मतदान' (Ballot) के पहले गुप्त (secret) शब्द जोड़ देना चाहिए। आयर्लैण्ड का जो विधान आपने पढ़ा है उसमें गुप्त मतदान (Secret Ballot) शब्द मौजूद है।

*अध्यक्ष : मैं समझता हूं इसे मंजूर किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि सभा इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है कि वर्त्तमान अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो ज़ाब्ता (procedure) काम में लाया गया था वही यहां भी सम्मिलित (incor porated) कर लिया जाय।

(श्री एल० कृष्णास्वामी भारती अपने स्थान पर खड़े हुए)

*अध्यक्ष : मेरा ख्याल है कि अब हमें खण्ड(७) लेना चाहिए।

खण्ड (७) स्वीकार हुआ।

*अध्यक्ष : खण्ड (८)!

*श्री आर० के० सिधवा : मैं खण्ड (८) के बाद यह जोड़ना चाहता हूं—"अध्यक्ष असेम्बली चेम्बर (कक्ष) का रक्षक होगा और यह चेम्बर अध्यक्ष की आज्ञा के बिना विधान-परिषद् के कार्य के अतिरिक्त और किसी काम में नहीं लाने दिया जायगा।

*श्री अध्यक्ष : मुझे भय है कि यह मंजूर नहीं किया जा सकेगा। हमने यह कक्ष (Chamber) उधार लिया है। हम उस पर हमेशा के लिए कब्जा जमाकर दूसरों को दूर नहीं रख सकते।

*श्री आर० के० सिधवा : केन्द्रीय असेम्बली के सदस्यों का दावा है कि कक्ष (Chamber) उनकी जायदाद है। उसी तरह हम भी दावा कर सकते हैं कि यह हमारी सम्पत्ति है।

खण्ड (८) मंजूर हुआ।

*श्री रामनाथ गोयनका (मद्रास : जनरल) : आप नियम २८ पर विचार करना शुरू करें उसके पहले मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यहां अध्यक्ष का उपाध्यक्ष के पृथक् करने का कोई विधान नहीं है। जब श्री सुब्रह्मण्यम् ने यह संशोधन पेश किया कि अध्यक्ष के अलग किये जाने के बारे में कोई विधान होना चाहिए, तो मैंने श्रीयुत् मुन्शी को कहते सुना कि एक बार हमने अध्यक्ष का चुनाव कर लिया तो उसके अलग करने का सवाल नहीं उठता। मैं नहीं समझता कि यह स्थिति ठीक है या नहीं। वास्तव में उपाध्यक्ष (Vice President) के बारे में नियम (३०) के अन्तर्गत पृथक् करने का कोई विधान नहीं है। मैं नहीं जानता कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अलग करने के बारे में कोई विधान न रखना उचित होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पृथक् न किये जाने योग्य (irremovable) नहीं बन सकते, क्योंकि इस सभा के परंपरागत अधिकार छीने नहीं जा सकते। मैं समझता हूं कि खास परिस्थितियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलग किये जाने का एक विधान तो यहां शामिल कर लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इस सभा के परंपरागत अधिकार के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सामान्य बहुमत से हटाये जा सकेंगे। अगर हम इस सम्बन्ध में नियम नहीं बनाते तो विभिन्न परिस्थितियों का लाभ लिया जा सकता है और नाजुक स्थिति पैदा हो सकती है। मैंने इस बात की ओर आपका ध्यान इसलिए दिलाया जिससे सभा इसके बारे में अपने कर्त्तव्य का निर्णय कर सके। आखिर यह तो कानूनी पंडित ही कहेंगे कि श्री मुन्शी ने जो स्थिति ली है, वह ठीक है या नहीं।

*अध्यक्ष : सवाल तो यह है कि क्या हम अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के हटाये जाने के बारे में कोई विधान जोड़ें?

*श्री सी. सुब्रह्मण्यम् : अगर श्री मुन्शी की ली हुई स्थिति ठीक है, तो, मान लीजिये दूसरा अध्यक्ष इस आसन पर होता और एक सदस्य अध्यक्ष में अविश्वास का प्रस्ताव रखता है जिसे अध्यक्ष स्वीकार करने के लिए सभा के समक्ष आने देते हैं। इस तरह की अनिश्चितता से बचने के लिए हमें पद से पृथक् करने के बारे में कोई विधान बनाना है।

*दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर : यह दूरदर्शिता का नियम है। इस मामले में कठिनाई पेश आ सकती है। साधारण मामलों में जो नियुक्ति का अधिकार रखता है वही पृथक् करने का भी। कानून का यह स्वीकृत सिद्धांत है। यदि यह नियम लागू किया गया तो उससे यह खतरा पैदा हो सकता है जिसकी ओर श्रीयुत् गोयनका ने इशारा किया है; पर मुझे यह तथ्य स्वीकार करना चाहिए कि हमने इस पहलू पर समिति में विचार नहीं किया।

*श्री बी० गोपाल रेड्डी (मद्रास : जनरल) : क्या इसका मतलब यह है कि उसको सदस्यों पर भी लागू किया जा सकता है? हम सब प्रांतीय व्यवस्थापिका-सभाओं (असेम्बलियों) द्वारा निर्वाचित हुए हैं। क्या उन्हें यह अधिकार है कि वे निर्वाचित् सदस्यों को हटाकर उनकी जगह दूसरों को रखें? जब तक इस बात का खास तौर से उल्लेख नहीं है तब तक कोई अलग नहीं किया जा सकता।

*दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर : एक तो पदाधिकारी है और दूसरा नहीं।

*श्री विश्वनाथ दास : हम स्थिति को मर्यादा-भ्रष्टता की ओर ले जा रहे हैं। हमने अभी अपना अध्यक्ष चुना है। अब हम बड़ा बुद्धिमत्ता पूर्ण नियम बना रहे हैं। मैं अपने किसी भी माननीय मित्र का दिल नहीं दुखाना चाहता, फिर भी मैं कहता हूं कि मतभेद कम-से-कम होना चाहिए। आप अविश्वास के प्रस्ताव की बात क्यों नहीं सोचते; आप अध्यक्ष को हटाने के लिए नियम बनाने की बात क्यों सोचते हैं? अध्यक्ष तभी तक अपने पद पर आसीन रहते हैं जब तक सभा का विश्वास उनको प्राप्त है। मुझे निश्चय है कि यह नियम (अविश्वास के प्रस्ताव वाला) किसी भी जिम्मेदार देश की जिम्मेदार सरकार का अमर नियम है। हमारे माननीय अध्यक्ष इस पद को स्वीकार करने के लिए सबसे कम इच्छुक थे और बहुत समझाने-बुझाने पर राजी हुए हैं.........।

*अध्यक्ष : श्री विश्वनाथदास, इस नियम में कोई बात व्यक्तिगत नहीं है।

*श्री विश्वनाथदास : मैं मानता हूं। पर मैं समझता हूँ कि यह नियम सभा के सामने लाना समय का दुरुपयोग है।

[अध्यक्ष]
विभाग के एक सदस्य को उसके अध्यक्ष पदपर तब तक के लिए नियुक्त कर सकते हैं जब तक कि विभाग अपना अध्यक्ष स्वयं नहीं चुन लेता।"

*श्री एल०कृष्णास्वामी भारती : 'विभाग' (Section) के बाद "अस्थायी तौर पर" (Temporarily) शब्द जोड़ दिया जाना चाहिए और "जब तक" उसके पहले।

*श्री के०एम० मुंशी : यह सुझाव अनावश्यक है। वह तो स्पष्ट है कि "तब तक के लिए जब तक कि विभाग अपना अध्यक्ष स्वयं नहीं चुन लेता।" यह तो अस्थायी व्यवस्था है ही।

*अध्यक्ष: अब मैं नियम २९ संशोधनों सहित सभा के सामने रखूँगा जो इस प्रकार है:—

"अध्यक्ष विभाग की पहली सभा बुला सकते हैं और विभाग के सदस्यों में से ही एक की नियुक्ति सभा के अध्यक्ष पद पर तब तक के लिए कर दे सकते हैं जब तक कि विभाग अपना अध्यक्ष स्वयं नहीं चुन लेता।"

*श्री एल०कृष्णास्वामी भारती : मेरा सुझाव है कि "अध्यक्ष पद पर" की जगह "कार्य-संचालन के लिए" शब्द रख देना अधिक उपयुक्त होगा।

* श्री एच० वी० कामठ : क्या मैं यह सुझाव पेश कर सकता हूं कि "पहली" की जगह "आरम्भिक" शब्द रख दिया जाय ?

(सुझाव स्वीकार नहीं किये गए)

नियम २९ संशोधनों सहित स्वीकार किया गया।

*अध्यक्ष : चूंकि हमने अभी आधे नियमभी समाप्त नहीं किये हैं इसलिए कार्रवाई सवा बजे तक चलेगी।

नियम ३०

*श्री के०एम० मुन्शी : मेरा प्रस्ताव है श्रीमान्,कि नियम३० और शीर्षक सहित (Heading) स्वीकार किया जाय।

नियम ३० शीर्षक सहित मंजूर किया गया।

नियम ३१

*श्री के०एम०मुन्शी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नियम३१ मंजूर किया जाय।

*श्री धीरेन्द्रनाथदत्त : क्या आप उपाध्यक्ष (Vice-President) के चुनाव के लिए कोई विशेष विधान बनाना चाहते हैं ?

*श्री के०एम० मुन्शी : उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए भी वही यंत्र (Machinery) होना चाहिए जो अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए काम में लाया गया है— फर्क इतना ही होगा कि चुनाव दो होंगे, इसलिए 'तारीखों' (dates) और समयों

(Times) शब्दों को नियम ३२ में रख दिया गया है। मेरा ख्याल हैं कि 'अध्यक्ष द्वारा निर्धारित ढंग पर' शब्द रहने चाहिएं।

*अध्यक्ष : मैं मानता हूँ कि इसे ज्यों-का-त्यों रहने देना पड़ेगा। नहीं तो कठिनाइयां पैदा होंगी।

*श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त : कोई जाब्ता (Procedure) तो रखना ही होगा। चुनाव का ढंग निश्चित् कर लेना चाहिए।

*श्री देवीप्रसाद खेतान : मेरे खयाल में "अध्यक्ष द्वारा निर्धारित ढंग पर" शब्द रहने चाहिएं। महाशय, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नियम बना देंगे।

नियम ३१ संशोधनों सहित स्वीकार हुआ।

नियम ३२

*श्री के० एम० मुन्शी : मेरा प्रस्ताव है कि नियम ३२ मंजूर किया जाय।

*श्री सी० ई० गिब्बन : इस नियम में कहा गया है कि अध्यक्ष दो उपाध्यक्षों की नामजदगी और चुनाव की तारीख और समय निश्चित करेंगे। इस तरह उसमें दो उपाध्यक्षों के मुकाबले के लिए निर्वाचनों का विचार सम्मिलित है। इस तरह यह स्पष्ट है कि दोनों का चुनाव एक साथ नहीं होगा। आप कृपया नियम ३३ (४) देखिए। उस में कहा गया है:—

> "इस तरह अगर एक से ज्यादा सदस्यों की नामजदगी हुई तो असेम्बली के उपाध्यक्ष का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर एकाकी हस्तान्तरित मत प्रणाली (single transferable vote) द्वारा करेगी।

इस तरह एक उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद भी एक की जगह खाली रह सकती है।

*अध्यक्ष : यह तो नियम-विरुद्ध है कि हमने खाली जगह भरने का जाब्ता (procedure) तो तैयार कर लिया, पर बुनियादी चुनाव के नियम नहीं बनाये।

*श्री के० एम० मुन्शी : इसीलिए कहता हूं कि इस (नियम) में भी नियम ३१ के अनुसार होना चाहिए। जब जगह खाली होगी तो चुनाव अध्यक्ष द्वारा निर्धारित ढंग से हो जायगा जैसा कि नियम ३१ में है।

*अध्यक्ष : अगर यह स्वीकार्य है तो नियम ३२ और ३३ फिर से बनाये जायं।

*श्री सी०ई० गिब्बन : नियम ३२ में चूंकि दो चुनाव करने का विचार है इसलिए वह इस प्रकार होना चाहिए:—

> "अध्यक्ष दोनों उपाध्यक्ष में से हर एक नामजदगी और चुनाव की तारीख और समय निश्चित् करेगा।

*श्री के० एम० मुन्शी : मैं संशोधन स्वीकार करता हूं।

संशोधन मंजूर किया गया।

नियम ३२ संशोधनों सहित स्वीकार किया गया।

नियम ३३ अगले दिन के लिए छोड़ दिया गया।

नियम ३४ और ३५

*श्री के० एम० मुन्शी : नियम ३४ और ३५ बहुत आसान हैं। मेरा प्रस्ताव है कि वे स्वीकार किये जायं।

*श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : महाशय, नियम ३४ कहता है कि:—

"अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह उपाध्यक्ष जिसे अध्यक्ष निर्धारित करे असेम्बली की अध्यक्षता कर सकता है।

हमें ऐसी आकस्मिक स्थिति के लिए भी तय्यारी कर लेनी चाहिए जब अध्यक्ष ने यह निर्णय न किया हो कि दो उपाध्यक्षों में असेम्बली की अध्यक्षता कौन कर सकता है।

*अध्यक्ष : आप उनमें पद के बड़प्पन (Seniority) का निर्णय कैसे करेंगे।

*श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : अवस्था से।

*अध्यक्ष : मैं नहीं समझता कि यह ऐसी बात है जिस पर आपको आग्रह करना चाहिए। उपाध्यक्षों की अवस्था के सवाल में पड़ने से कोई लाभ नहीं। एक बार हम ऐसा कर चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि हम ऐसा ही फिर करें।

नियम ३४ स्वीकार किया गया।

*श्री आर० के० सिधवा : महाशय, नियम ३५ कहता है :—

"अगर अध्यक्ष गैर-हाजिर है और असेम्बली की अध्यक्षता कोई उपाध्यक्ष करने में असमर्थ हैं तो असेम्बली किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के कार्य-संचालन के लिए चुन सकती है।"

मेरा प्रस्ताव है कि उसके बदले नीचे लिखी शब्दावली रख दी जाय :-

"अध्यक्ष हर बैठक के आरम्भ में चार अध्यक्षों की एक सूची तैयार कर देंगे जो अध्यक्ष या उपाध्यक्षों की गैर-हाजिरी में अध्यक्ष का कार्य-संचालन करेंगे।"

*श्री अध्यक्ष : इन नियमों के अनुसार तो पांच उपाध्यक्ष होने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि सूची में लिखे गये किसी सज्जन के लिए कभी अध्यक्षता करने का मौका मिलेगा। साधारणतः सूची में दर्ज कोई व्यक्ति कभी अध्यक्षता नहीं किया करता।

*श्री के० एम० मुंशी : एक यह संशोधन सुझाया गया है कि इस नियम

में योग्य (able) शब्द को बदलकर 'हाजिर' कर दिया जाय। मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

संशोधन मंजूर किया गया।

नियम ३५ संशोधन सहित स्वीकार किया गया।

इसके बाद असेम्बली ३ बजे तक के लिये जल-पान के लिए स्थगित होगई।

जल-पान के बाद तीन बजे असेम्बली की बैठक फिर अध्यक्ष माननीय डा० राजेन्द्रप्रसाद के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

*श्री एच० वी० कामठ : महोदय, आपकी आज्ञा से बहस जारी करने के पहले मैं आपका ध्यान इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जाब्ते के नियम (Rules of Procedure) यत्र-तत्र के संशोधनों के अलावा सभा के सदस्यों की सुविधाओं की बात पर बिलकुल ही मौन हैं। उदाहरण के लिए असेम्बली में किये जाने वाले भाषणों के कारण गिरफ्तारी न हो सकने की बात कही जा सकती है। यह तो स्पष्ट है कि हम यहां कानून नहीं बना सकते, पर जिस तरह हमने पंचायतों आदि के बारे में हवाले दिये हैं, उसी तरह हम भारतीय व्यवस्थापिका परिषद् (केन्द्रीय असेम्बली) को प्रेरित कर सकते हैं कि वह सदस्यों को गिरफ्तारी से बचाने, असेम्बली की सीमा में मार-पीट से उनकी रक्षा करने का कानून बनायें। अभी उस दिन की बात है कि (ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की) कामन्स सभा के एक सदस्य को पीट दिया गया था। मुझे आशा है कि वैसा यहां नहीं होगा। फिर भी हमें इस आशय के कुछ विधान बनवाने चाहिएं। महाशय, मेरा अनुरोध है कि इन्हीं नियमों में कुछ ऐसी बातें जोड़ देनी चाहिएं कि भारतीय व्यवस्थापिका सभा (केन्द्रीय असेम्बली) इस सभा के सदस्यों की सुविधा के लिए कुछ कानून बना दे। सुविधाओं से मेरा मतलब है यहां दिये गए भाषणों के कारण गिरफ्तारी से बचाव, मार पीट से बचाव और इस तरह की कई बातें।

*अध्यक्ष : यह सवाल नियमों से नहीं पैदा होता। यह तो एक अलग ही बात है। यदि सभा की ऐसी इच्छा हो तो इसके लिए एक स्वतन्त्र प्रस्ताव पेश करना पड़ेगा।

नियम ३६

*श्री के० एम० मुंशी : मेरा प्रस्ताव है कि परिच्छेद छठा (Chapter VI) "विधान-परिषद् कार्यालय" शीर्षक और नियम ३६ मंजूर किया जाय। नियम ३६ में केवल एक संशोधन है। इसे पेश करने के पहले और सभा का समय बचाने के खयाल से, मैं यह कह सकता हूं कि मैं उसे मंजूर कर लूंगा। उप-नियम (४) के अनुसार एक ऐसे मंत्री (Secretary) रखे जाने की जरूरत है जो पूरे समय तक काम करें। इसमें कहा गया है कि "अगर इस काम के लिए असेम्बली का कोई सदस्य मुकर्रर किया जाता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा"। संयुक्त मंत्रियों (Joint Secretaries) के और प्रान्तीय मंत्रियों (Provincial Secre-

[श्री के० एम० मुंशी]

taries) के बारे में भी ऐसी ही छूट रह गई है। यह मजमून लिखते समय की एक छूट-मात्र है और मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

*श्री एल० कृष्णास्वामी भारती : संशोधित रूप में इसे पढ़ दिया जाय।

*श्री के० एम० मुंशी : खण्ड (४), (६) और (७) को एक खण्ड का (क) (ख) और (ग) कहा जायगा और उसमें यह शर्त जोड़ी जायगी कि "बशर्ते कि अगर असेम्बली का कोई सदस्य मंत्री (secretary), संयुक्त मंत्री या प्रान्तीय मंत्री नियुक्त होता है तो उसे अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा"। इसमें तीनों ही बातें आ जायंगी।

*श्री के० सन्तानम् : खण्ड (४) में इसका जो जिक्र है वह निकाल दिया जाय।

*श्री के० एम० मुंशी : यह वहां से निकाल दिया जायगा और अन्त में रख दिया जायगा जिससे यह तीनों ही की पूर्त्ति कर लेगा।

*अध्यक्ष : उप-खण्ड (१) में कोई संशोधन नहीं है?

*माननीय सदस्यगण : नहीं।

*अध्यक्ष : खण्ड (२)।

*श्री एच० वी० कामठ : अध्यक्ष महोदय, मैं उस सिद्धान्त से सहमत हूं कि दो शाखाएं होनी चाहिएं; पर मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि उन दोनों शाखाओं को परस्पर एक दूसरे से बिलकुल विलग और अछूती रखा जाय। मेरा ख्याल है कि एक दफ्तर तो समूची असेम्बली के लिए होना चाहिए और उसका प्रमुख व्यक्ति होना चाहिए वैधानिक सलाहकार (Constitutional Adviser) जिसके नीचे मंत्री (secretary) को काम करना चाहिए। दो स्वतंत्र शाखायें नहीं होनी चाहिएं।

*श्री आर० के० सिधवा : महाशय, कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं और वह यह है कि सलाहकार विभाग (Advisory Department) और व्यवस्थापक विभाग (Administrative Deptt.) का मतलब क्या है? मैं साधारण अर्थ समझता हूं। व्यवस्थापक का मतलब इन्तजाम करने वाला और सलाहकार का अर्थ है सलाह या परामर्श देने वाला। मैं जानना चाहता हूं कि आप दो अलग-अलग विभाग क्यों बना रहे हैं, और इन शाखाओं के काम क्या होंगे। क्या मैं विशेषज्ञ समिति(Expert Committee)के विचार जान सकता हूं कि वे सरकारी मंत्री चाहते हैं या गैर-सरकारी?

*श्री के०एम० मुंशी : पहली बात का जवाब यह है कि सलाहकार शाखा और व्यवस्थापिका शाखा विधान-परिषद् के दफ्तर की दो शाखायें हैं जैसा कि परिच्छेद (chapter) के शीर्षक (heading) से बहुत स्पष्ट है। सलाहकार शाखा के प्रधान वैधानिक सलाहकार होंगे जो सदस्यों को ऐसी सुविधाएं देंगे जिनका सम्बन्ध

अधिकारियों, तथ्यात्मक सामग्रियों और विभिन्न विधानों के नियमादि से होगा और जिनकी सदस्यों को अध्ययन और बहस के लिए आवश्यकता होगी। इसलिए हमें सब प्रकार की सहायता के लिए सलाहकार शाखा की आवश्कयता है। साथ ही अध्यक्ष को किसी खास वैधानिक समस्या के विचार की उस समय आवश्यकता हो सकती है जब आप विधान-निर्माण में लगेंगे। इसलिए सलाहकार शाखा सभा के अध्यक्ष को ऐसी सहायता देती रहेगी जो वैधानिक समस्या के लिए आवश्यक होगी; जब कि व्यवस्थापिका शाखा की देख-रेख वैधानिक असेम्बली के मंत्री करेंगे। सलाहकार शाखा का व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं होगा? यह तो एक प्रकार की हवाला या संदर्भ की शाखा होगी जब दूसरी शाखा दिन-प्रति-दिन के सभी मामलों की व्यवस्था करेगी। इसीलिए दोनों शाखायें अलग-अलग रखी गई हैं।

रहा मेरे माननीय मित्र श्री सिधवा का दूसरा सवाल। खण्ड (४) यह स्पष्ट कर देता है कि मंत्री इस सभा का सदस्य नहीं होगा, क्योंकि वह दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। अगर नियुक्त किया गया मंत्री सभा का सदस्य है तो उसे सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। मतलब पूरा समय देकर मंत्री का काम कराने से है जिससे वह विधान-परिषद् के संगठन को ठीक तौर पर चला सके।

*श्री आर०के० सिधवा : मैं जानना चाहता हूं कि सदस्यों में से किसी को मंत्री रखने का विचार है या किसी सरकारी आदमी को।

*श्री के० एम० मुन्शी : वह सदस्य नहीं होगा। यदि अध्यक्ष चाहेंगे तो वह सदस्यों में से चुना जा सकता है। फिर उसको सभा की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। वह सभा का सदस्य न रह सकेगा।

*सरदार उज्ज्वलसिंह (पंजाब:सिख) : वह गैर-सरकारी हो सकता है।

*श्री के० एम० मुन्शी : गैर-सरकारी हो या सरकारी: वह सभा का सदस्य नहीं हो सकता।

*श्री एच०वी० कामठ : जिन विशेषज्ञों ने नियमों का निर्माण किया है उनके प्रति उचित आदर की भावना रखते हुए मेरा निवेदन है कि यह बिलकुल ठीक नहीं है कि दो प्रधान रखे जायं—दो शाखाओं के दो स्वतंत्र प्रधान अफसर नियुक्त किये जायं। मैं समझता हूं कि दफ्तर एक ही होना चाहिए और उसका अफसर भी एक ही होना चाहिए। वैधानिक सलाहकार सारे दफ्तर का प्रधान अफसर रहे और दोनों शाखाओं का एक ही प्रधान अफसर हो। मंत्री (Secretary) वैधानिक सलाहकार के नीचे काम करे। सम्भव है कि उस समय दोनों प्रधानों की अच्छी तरह निभ रही हो। लेकिन अगर दोनों में संघर्ष होगया और झगड़ा चल पड़ा तो दफ्तर का ठीक तौर पर काम चलना कठिन होगा। मेरा सुझाव है कि दोनों शाखाओं के लिए एक मुख्य अफसर हो।

*श्री जयपालसिंह : महोदय, निश्चय ही दफ्तर के प्रधान तो अध्यक्ष महोदय हैं। दफ्तर के दो भाग हैं जिनके प्रधान अध्यक्ष जी हैं। दोनों उनके नीचे

[श्री जयपालसिंह]

हैं। अध्यक्ष जी देखेंगे कि वे दोनों ही अपना-अपना काम ठीक तौर पर करते हैं। किसी सदस्य को मंत्री के पद पर नियुक्त करने के बदले, वर्त्तमान इन्तजाम कायम रह सकता है।

*अध्यक्ष : हम अब उपनियमों पर मत लेंगे।

उपनियम (२) स्वीकार किया गया।
उपनियम (३) स्वीकार किया गया।
उपनियम (४) के० एम० मुन्शी के संशोधन सहित स्वीकार किया गया।
उपनियम (५) स्वीकार किया गया।

खण्ड (६)

*श्री के० सन्तानम् : मुझे एक संशोधन रखना है--"अध्यक्ष के समर्थन की शर्त पर" शब्दों को नियम ३६ के उप-नियम (६) से निकाल दिया जाय। जब विभाग अपने मंत्री नियुक्त करते हैं तो मैं नहीं समझता कि उसके लिए किसी समर्थन की आवश्यकता है। अगर अध्यक्ष नियुक्ति पसन्द नहीं करते तो अध्यक्ष और विभाग में ही संघर्ष हो सकता है। विभाग सदस्यों की एक बड़ी संस्था है और अगर उन्होंने एक संयुक्त मंत्री चुना है, तो मैं नहीं समझता कि हमें विभागों और अध्यक्ष के बीच सैद्धान्तिक संघर्ष की भी गुंजाइश रखनी चाहिए।

*श्री के० एम० मुन्शी : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ जिसका कारण यह है कि विधान-परिषद् का कार्यालय एक है,और अविभाज्य है और अध्यक्ष उसके प्रधान हैं। यह वांछनीय नहीं है कि विधान परिषद् के एक से अधिक दफ्तर हों और दोनों एक दूसरे से अलग और स्वतन्त्र रूप से काम करें। इसमें सन्देह नहीं कि विभागों के प्रधान असेम्बली के उपाध्यक्ष, पूर्व-पदाधिकारी ही होने जा रहे हैं और यह स्वाभाविक है कि जब विभाग नाम भेजेंगे तो अध्यक्ष उस प्रधान से राय लेकर ही नियुक्ति करेंगे; पर इस संगठन की एकता और दृढ़ता कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि अध्यक्ष, जो कि उच्चतम व्यवस्थापक अधिकारी है, नियुक्ति का समर्थक अधिकारी भी हो। समिति का यही सर्व सम्मत मत रहा है और इसका कोई कारण नहीं है कि हम विधान-परिषद् की शाखाओं को स्वतन्त्र और पृथक संचालित होने दें। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

संशोधन अस्वीकार कर दिया गया।

*श्री एल०कृष्णास्वामी भारती : एक छोटा-सा सुझाव मेरा है महाशय! मेरा सुझाव है कि 'एकत्रित होने' (meet) के बदले 'उसकी पहली सभा करने' (held its first meeting) शब्द रख दिया जाय। मेरा खयाल है कि इससे अर्थ स्पष्ट हो जायगा।

*श्री के० एम० मुंशी : विभागों को मंत्रियों की नियुक्ति करने में एक

सप्ताह का समय लग सकता है। मेरा कहना यह है कि जब तक कि विभाग अपने मंत्री नियुक्त करेंगे तब तक संयुक्त मंत्री काम चलायेंगे।

*श्री मोहनलाल सक्सेना : जब तक कि विभाग अपने मंत्री नियुक्त नहीं करते तब तक के लिए प्रधान ऐसा अस्थायी इन्तजाम कर दें जैसा जरूरी हो, पर इसका समर्थन अध्यक्ष द्वारा होने की शर्त हो। विभागों को मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष ही मंत्रियों की नियुक्ति विभागों के प्रधान (Heads) की राय से करें।

*अध्यक्ष : इस पर तो मत लिये जा चुके हैं।

*श्री के०एम० मुंशी : "जब तक विभाग अपने मंत्री नहीं नियुक्त कर लेते तब तक सभा करने के लिए अस्थायी तौर पर अध्यक्ष अस्थायी नियुक्तियां कर दें।"

इसमें सब बातें आ जायंगी।

*रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : यह इस प्रकार होना चाहिए:—

"जब तक कि विभाग अपने मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर लेते और अध्यक्ष उसका समर्थन नहीं कर देते।"

*दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर : विभाग को नियुक्ति का अधिकार है। उसमें समर्थन या दृढ़ीकरण की शर्त जरूर है। इसका अभिप्राय यह है कि संस्था की स्वतन्त्रता भी कायम रहे और क्रियाशीलताएं भी संयुक्त रूप में चलती रहें। इसलिए यह जिस रूप में है वैसा ही ठीक है। आप दुहरी स्वतंत्रता नहीं पा सकते।

*श्री सी०ई० गिब्बन : मैं समझता हूं कि किसी दृष्टि-दोष के कारण आप यहां कह रहे हैं कि अगर असेम्बली का कोई सदस्य मंत्री नियुक्त हुआ तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इस तरह तो असेम्बली का कोई सदस्य संयुक्त मंत्री नियुक्त हुआ तो उसे भी तो अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा।

*अध्यक्ष : हां, यह स्वीकार किया गया है। हमें सलाह दी गई है कि मजमून जिस रूप में है वह हमें पसन्द है। हम उसे स्वीकार करते हैं। क्या खण्ड (७) के लिए भी कुछ है?

*श्री रामनाथ गोयनका : क्या मैं जान सकता हूं कि खण्ड (७) का अभिप्राय क्या है? हमारा प्रान्तों के गवर्नरों से क्या सम्बन्ध है? हम अपने आदमी नियुक्त करते हैं और गवर्नरों के प्रान्त सभी आवश्यक सामग्री देंगे। क्या आप खण्ड (७) की व्याख्या कर देंगे जिससे हम पूर्णतः समझ सकें?

*श्री के० एम० मुंशी : इस धारा (७) के पीछे मतलब यह है कि प्रान्तों में इस पर काम हो रहा है और यह कि वर्त्तमान प्रान्तीय सरकारों द्वारा नियुक्त कोई अफसर इस काम के लिए तैनात किया जायगा, जिससे वह प्रान्तीय मंत्री नियुक्त हो

[श्री के० एम० मुंशी]

सके। फिर वह सभी सेक्रेटेरियट की सामग्रियों तक पहुंच सकेगा और वह उन सभी कागजातों को विभागों के सामने रख सकता है। अगर विभाग का अपना स्वतन्त्र मंत्री होगा तो विभाग उन सामग्रियों को न पा सकेगा और न वह उस प्रान्त की वर्त्तमान सरकार की राय ही जान सकेगा। विधान-परिषद् चाहती है कि उसे प्रान्तों से एक विशेषज्ञ मिल जाय जिससे वह प्रान्तीय प्रतिनिधियों को आवश्यक सहायता दे सकें। यह जरूरी है कि विभाग या अन्य संस्था जो प्रान्तीय विधान का काम करें, ऐसा अफसर रखे जो सरकार का विश्वास-पात्र हो और उसके सामने प्रान्तीय सरकारों के सभी तथ्य और विचार रख सके।

*श्री के० सन्तानम् : हमारे पास ११बेकार और निरुपयोगी अफसर तो पूरे समय काम करेंगे। जब हमें जरूरत पड़े तो उन्हें बुला सकेंगे। प्रान्त एक ऐसे अफसर को, जो सम्भवतः मुल्क की सर्विस का होगा,हमारे पास स्थायी रूप में क्यों रखेंगे।

*श्री बी० दास : अगर आप प्रान्तीय सरकारों को अपने मंत्री रखने देंगे तो देशी राज्यों का क्या होगा ? नरेन्द्र मंडल रियासतों की ओर से अपना एक अलग ही मंत्री रखवाना चाहेगा और यह न्याययुक्त मांग होगी।

*श्री आर० के०सिधवा : मैं श्री मुंशी द्वारा प्रकट की गई बातों से सहमत हूं। यह बहुत ही अच्छा नियम है। वास्तव में कुछ प्रान्तों ने तो पहले ही अपने ऐसे मंत्री इस काम पर लगा दिये हैं कि वे उनके प्रान्त के हितों की रक्षा करें। मैं समझता हूं कि यह पैराग्राफ ठीक है। तो भी मेरा सुझाव है कि इन मंत्रियों का खर्च प्रान्तीय सरकारें ही उठायें, क्योंकि उन्होंने पहले से अपने आदमी यहां भेज रखे हैं। हम उनका खर्च क्यों बर्दाश्त करेंगे ? मैंने एक संशोधन पेश किया है कि—

"इन प्रान्तीय मंत्रियों का खर्च क्रमशः उनके ही प्रान्त बर्दाश्त करेंगे।"

*श्री के०सन्तानम् : तब तो हर देशी राज्य को अपना मंत्री नियुक्त करने का अधिकार होगा और ५६२ राज्य अगर हमसे कहेंगे कि हमें भी अपने-अपने मंत्री रखने हैं। फिर तो यह दफ्तर स्वयं विधान-परिषद् से बड़ा हो जायगा।

*श्री के०एम० मुंशी : मैं अपना दृष्टिकोण सभा के सामने पहले ही रख चुका हूं। जब कभी देशी राज्य आयेंगे, तो उनमें से हर एक मंत्री रखेगा, यह अलग बात है। यह सब बातें अभी तक अनिश्चित हैं। पर जहां तक ब्रिटिश भारत का सम्बन्ध है, हम गवर्नरों के प्रान्त वाले अपना एक अफ़सर अवश्य रखेंगे जिससे असेम्बली, विभाग और प्रान्तीय प्रतिनिधियों को वे अपने प्रान्तों के तथ्यों से अवगत कराते रहें। इसीलिए समिति की राय में यह जरूरी है कि एक प्रान्तीय मंत्री प्रत्येक गवर्नरी प्रान्त की सरकारों द्वारा चुना जाना चाहिए।

*दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर : इस मतभेद के

बारे में मेरा निवेदन है कि कुछ तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। समिति को यह सूचना मिली थी कि प्रान्तीय सरकारों या गवर्नरों द्वारा पहले ही बहुत-से नाम सुझाव के रूप में पेश किये गए हैं। साथ ही हम असेम्बली की स्वतन्त्रता कायम रखना चाहते थे। इन दोनों बातों को एक दूसरी से सम्बद्ध करने के विचार से यह खण्ड रखा है। प्रत्येक प्रांत का गवर्नर एक आदमी चुन सकता है और इस शर्त पर कि इसके लिए अध्यक्ष का समर्थन आवश्यक है, क्योंकि इस असेम्बली के प्रतिनिधि तो अध्यक्ष ही हैं और वही इनकी स्वीकृति के लिए अन्तिम अधिकारी हैं। प्रान्तों को कोई भी क्ष, त्र, ज्ञ आदमी भेजने दीजिए, अन्तिम स्वीकृति का अधिकार तो अध्यक्ष को है। दोनों बातों को एक साथ रखने की जरूरत थी—एक तो जो कुछ हो चुका है, और दूसरे असेम्बली और असेम्बली के प्रतिनिधि रूप में अध्यक्ष के जो कुछ अधिकार हैं।

*श्री मोहनलाल सक्सेना : महाशय, मैं नीचे लिखे शब्द जोड़ देने का सुझाव पेश करता हूं :—

"और केन्द्रीय सरकार एक अफसर अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिए नियुक्त कर सकती है।"

क्योंकि प्रान्तों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी आप करना चाहेंगे।

*अध्यक्ष : जैसा कि मैं इसे समझता हूं इसका तात्पर्य यह था कि प्रान्तों से सम्पर्क बना रहे, जिससे ऐसी सभी तरह की सूचनाएं मिलती रहें जिन्हें सरकारी अफसर इस सभा को दे सकेंगे। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, हम लोग हैं ही और हम आसानी से केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित करके सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। रहा प्रान्तों के बारे में, सो अगर प्रान्तों की ओर से ही एक मंत्री आ रहा है तो वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जल्दी कर सकेगा।

*डा० पट्टाभि सीतारमैया (मद्रास : जनरल) : मैं समझता हूं कि 'नियुक्त करना' (Appoint) शब्द की जगह नामजद (Nomination) शब्द रख देना चाहिए।

*श्री के० एम० मुन्शी : मैं यह संशोधन मंजूर करता हूं; क्योंकि जो शब्द सुझाया गया है वह अच्छा है। प्रान्तीय गवर्नरों को कोई अधिकार नहीं है कि वह हमारे लिए प्रान्तीय मंत्री की नियुक्ति कर सकें। इसलिए डा० पट्टाभि सीतारामय्या का संशोधन बिलकुल शुद्ध है। वह प्रान्तीय मंत्री होने के लिए कोई व्यक्ति नामजद करेंगे और नियुक्ति का अधिकार इस सभा के सभापति को होगा। नियम में ऐसा संशोधन कर दिया जायगा कि प्रत्येक प्रान्त का गवर्नर प्रान्तीय मंत्री को नामजद करेगा और सभापति महोदय उसकी नियुक्ति करेंगे। मेरा खयाल है कि यही ठीक होगा।

*अध्यक्ष : मैं समर्थन करता हूं कि खण्ड का रूप अब यह हो जायगा :—

[अध्यक्ष]

"प्रत्येक प्रान्त का गवर्नर किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष द्वारा प्रान्तीय मंत्री नियुक्त होने के लिए नामजद कर सकेगा।"

*श्री एल० कृष्णास्वामी भारती : मैं समझता हूं हम इसे इस रूप में रख सकते हैं:—

"अध्यक्ष प्रान्तीय मंत्री की नियुक्ति प्रान्तों की राय से कर सकता है।"

"राय से" शब्द अच्छा रहेगा। अध्यक्ष नामों की सूची मंगाकर चुन सकते हैं।

*एक माननीय सदस्य : पर उसका खर्च कौन देगा ?

*श्री एल० कृष्णास्वामी भारती : खर्च तो अवश्य ही हम लोगों को देना पड़ेगा।

*माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर : मैं एक-दो परिवर्तन सुझाना चाहता हूं। असेम्बली तो पूरी ही बैठेगी और विभाग अलग-अलग सभाएं करेंगे। हमें अभी तक कोई ऐसा जाब्ता बनाना है जिसके द्वारा प्रत्येक प्रान्त के प्रतिनिधि आपस में भी बैठक कर सकें। मैं यह मानता हूं कि मंत्री की नियुक्ति प्रान्तों के प्रतिनिधियों को प्रान्तीय मामलों में सहायता पहुँचाने के लिए होगी। जहां तक असेम्बली और उसकी शाखाओं का सम्बन्ध है, हमें असेम्बली और उसके विभागों के बारे में अब विचार करना है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर हम अध्यक्ष के दफ्तर में अनेक सहायक मंत्री (Deputy Secretaries) रखें, जिनमें से प्रत्येक एक-एक प्रान्त के लिए निश्चित् हो, तो उन सहायक मंत्रियों की नियुक्ति अध्यक्ष महोदय प्रत्येक सम्बद्ध प्रान्त की सरकार की सिफारिश पर करेंगे, इसलिए मैं समझता हूं कि नियम को बदलकर निम्नलिखित ढंग पर कर दिया जाय:—

"प्रत्येक प्रान्त के लिए एक सहायक मंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति सभापति प्रान्तीय सरकार की सिफारिश पर करेंगे।" कुछ इस तरह का रूप होना चाहिए।

*श्री एल० कृष्णास्वामी भारती : "सिफारिश पर" शब्दों की जगह यदि "राय से" शब्द रख दिया जाय तो वह इस सभा के गौरव के अनुकूल होगा। मेरा खयाल है कि यह अधिक सुन्दर है।

*श्री के०एम० मुंशी : मैं माननीय सदस्य श्री भारती से सहमत हूं जिन्होंने अन्त में कहा है कि नीचे लिखे शब्द अधिक अच्छे रहेंगे—"अध्यक्ष ...... की राय से नियुक्ति कर सकते हैं, आदि।"

*अध्यक्ष : तो फिर श्री सिधवा की बात का क्या होगा ? अफसर का खर्च कौन बर्दाश्त करेगा ?

*श्री के०एम० मुंशी : मैं समझता हूं कि प्रान्तीय मंत्री की नियुक्ति प्रान्त

की सुविधा के लिए नहीं होगी। वह इस सभा के प्रान्तीय प्रतिनिधियों के फायदे के लिए नियुक्त होगा, और वह प्रान्तों के बारे में आवश्यक सामग्री उनके सम्मुख रखने के लिए प्रस्तुत रहेगा और इस तरह उनके प्रान्त के लिए वैधानिक सामग्री उपस्थित करेगा। सो वास्तव में तो इस सभा के लिए ही मंत्री की नियुक्ति होगी, ऐसी अवस्था में उसका खर्च तो इस सभा को ही बर्दाश्त करना होगा।

*श्री आर०के० सिधवा : वह तो निश्चय ही प्रान्तों का काम करेगा। वह अपने प्रान्त की हित-रक्षा के लिए यहां आ रहा है, फिर मैं नहीं समझता कि उसका खर्च यह सभा क्यों बर्दाश्त करे ?

*अध्यक्ष : मेरे खयाल में इस नियम पर मत ले लिया जाय। जो लोग प्रान्तों द्वारा खर्च किये जाने के पक्ष में हैं वह "हां" कहें और जो इस असेम्बली द्वारा खर्च देने के हक में हों, वह "नहीं" कहें।

"नहीं" कहने वालों का बहुमत रहा।

श्री सिधवा का संशोधन नामंजूर हो गया।

*श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त : खण्ड (८) में मैं चाहता हूं कि "नियुक्ति" और "नियंत्रण" के बीच में "बरखास्तगी" (Dimissal) शब्द और जोड़ दिया जाय जिससे उसका स्वरूप इस प्रकार बन जाय:—

"असेम्बली के दफ्तर की नियुक्ति, बरखास्तगी और नियंत्रण तथा अनुशासन के सभी अधिकार अध्यक्ष को होंगे।"

मैं 'बरखास्तगी' शब्द और जोड़ देना चाहता हूँ।

*श्री के०एम० मुंशी : मैं समझता हूँ कि नियुक्ति का अधिकार अपने साथ हटाने का अधिकार भी रखता है और यह संशोधन अनावश्यक है।

खण्ड (८) मंजूर किया गया।

नियम ३७

*श्री के०एम० मुंशी : मेरा प्रस्ताव है कि नियम ३७ स्वीकार किया जाय।

*रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : इस नियम में इस बात का विधान नहीं है कि कोष कहां से आयेगा ?

*श्री के०एम० मुंशी : यदि कोष न होगा तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा ?

नियम ३७ स्वीकार किया गया।

नियम ३८

*श्री के०एम० मुंशी : परिच्छेद ७—मेरा प्रस्ताव है कि नियम ३८ स्वीकार किया जाय।

*श्री बी० दास : ७ वें परिच्छेद पर एक-एक नियम लेकर विचार किया जाय, इसके पहले मैं सभा को सूचित कर देना चाहता हूँ कि नियम-समिति ने उन समितियों के बारे में ठीक तौर पर विचार नहीं किया है जो इन नियमों में सम्मिलित

[श्री बी० दास]
की जाने वाली हैं। एक समिति तो संयुक्त साम्राज्य (U. K.) और विधान-परिषद् के बीच समझौते के लिए काम करने वाली थी ? उस दिन मैंने सलाहकार-समिति की नियुक्ति की विधि पर कुछ कहा था और मुझे आश्वासन दिया गया था कि वह एक प्रस्ताव के रूप में लायी जाकर स्वीकार की जायगी। समिति ने एक नियम—नियम २३-क अल्पसंख्यकों और बुनियादी अधिकारों के बारे में बनाया है, जो बाद में विचार करने के लिये स्थगित कर दिया गया है । नियम-समिति ने यहां सिफारिश की थी कि कई समितियां–कार्यवाहक समिति (Steering Commoittee), स्टाफ और अर्थ-समिति (Staff & Finance committee) और फिर एक परिचय-समिति (Credential Committee) बने। इसके अतिरिक्त नियम में कहा गया है कि सभा बाद में प्रस्ताव पास करके अन्य समितियां भी नियुक्त कर सकती है। मैं नहीं चाहता कि इस सभा में कैबिनेट मिशन (मंत्रिमंडल शिष्ट दल) के वक्तव्य का बार-बार हवाला दिया जाय और कैबिनेट मिशन के इरादे पर कार्यवाही करने की चर्चा की जाय। कैबिनेट मिशन के २२ वें वाक्य समूह (Paragraf) में कहा गया है:—

"यह आवश्यक होगा कि यूनियन (संघीय) वैधानिक-समिति और यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटिश साम्राज्य) के बीच समझौते की चर्चा चलाई जाय जिससे अधिकार हस्तान्तरित करने के बारे में उत्पन्न बातों के बारे में समुचित विधान बना लिया जाय......"

उसके लिए हम यहां नियम बना सकते हैं। यदि हम विधान-परिषद् के संचालन के लिए नियम बना रहे हैं, तो नियम-समिति का काम था कि वह समिति के लिए एक नियम पेश करती। समिति ने यह उपेक्षा क्यों की ? मैं समझता हूँ कि इसके बारे में हमें विस्तृत नियम पास करने चाहिएं। हम मंत्रिमंडल मिशन का यह वक्तव्य नहीं चाहते जो बार-बार परिवर्द्धित होता रहता है। हमें उसका हवाला अक्सर क्यों देना चाहिए, हमें तो उन सबको नियमों और जाब्ते की एक विस्तृत पुस्तक में प्रकाशित करना चाहिए ?

*अध्यक्ष : मैं उस बात को पहले ही समझा चुका हूं। जहां तक इस सलाहकार समिति का सम्बन्ध है, यह बिलकुल स्वतन्त्र चीज है। यह नियमों में नहीं आती। मंत्रिमिशन के वक्तव्य में जिन समितियों की नियुक्ति की चर्चा है उनमें एक यह भी है। मुझे निश्चय है कि यह सभा इस विषय को बिलकुल स्वतंत्र-विषय मानेगी, सदस्यों की संख्या निश्चित करेगी, सदस्यों के चुनाव का ढंग निर्धारित करेगी, आदि। यहां हम न्यूनाधिक रूप में व्यवस्थापक ढंग की समितियों के बारे में विचार कर रहे हैं, जिसकी नियुक्ति वैधानिक असेम्बली दिन-प्रति-दिन का काम चलाने के लिए करेगी।

*श्री बी० दास : इसका तो यह मतलब हुआ कि वह कार्यवाहक-समिति (Steering Committee) के सामने पहले आयेगी। पर उसे इसीमें क्यों न

सम्मिलित पर किया जाय ?

*अध्यक्ष : मुझे निश्चय है कि इस अवसर पर यह सभा यूनाइटेड किंगडम के साथ वार्तालाप करने के लिये एक समिति नियुक्त कर देगी।

*श्री बी० दास : यह अध्यक्ष और कार्यवाहक-समिति पर छोड़ा जाता है।

*अध्यक्ष : नहीं, नहीं। यह सभा पर छोड़ा जाता है।

*श्री बी० दास : तो यह नियम पूर्ण विस्तार के साथ क्यों नहीं बनाये जाते जिससे यह आशा की जाय कि ब्रिटिश साम्राज्य (यूनाइटेड किंगडम) के साथ यह एडवाइजरी कमेटी समझौते की बातचीत कर सकेगी। मेरा अभिप्राय यह है।

*अध्यक्ष : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं जब तक सलाहकार-समिति विधान-परिषद् को अपनी रिपोर्ट नहीं देती तब तक विधान नहीं बनाया जा सकता। इसलिए सलाहकार-समिति की नियुक्ति करनी ही है और वह नियुक्त की ही जायगी। सवाल यह है कि क्या हम इन नियमों में सलाहकार-समिति की नियुक्ति के बारे में विधान बना लें ? हम कहते हैं यह जरूरी है, क्योंकि उसे खुद मंत्रि-मंडल मिशन के वक्तव्य में रखा गया है। समय आने पर एडवाइजरी कमेटी की नियुक्ति होगी और वह अपनी रिपोर्ट सीधे विधान-परिषद् को देगी और विधान-परिषद् उस रिपोर्ट के बारे में कार्रवाई करेगी। इस समय उसके लिए नियमों में कोई व्यवस्था सम्मिलित करना जरूरी नहीं है।

*श्री बी० दास : तो फिर आपका यह फैसला है कि इस समय ब्रिटिश-साम्राज्य (यूनाइटेड किंगडम) के साथ समझौते के लिए एडवाइजरी कमेटी की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती।

*अध्यक्ष : इस समय वह अनावश्यक है।

*सरदार हरनामसिंह (पंजाब : सिख) : वक्तव्य के बाईसवें पैरे (वाक्य-समूह) में "संघीय विधान-परिषद्" शब्द आये हैं। प्रस्तावित समिति तब बनेगी जब संघीय विधान-परिषद् बन लेगी। इस समय हम विधान-परिषद् की बैठक में शामिल हैं—संघीय विधान-परिषद् की बैठक में नहीं।

*श्री के० सन्तानम् : नियम ३८ (१) में हमें यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि अध्यक्ष के अतिरिक्त ग्यारह सदस्य और होंगे।

*श्री के० एम० मुन्शी : हां, मैं इसे स्वीकार करता हूं।

*रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : मैं (५) में "जैसा यह निश्चय करे" की जगह "जैसा अध्यक्ष निश्चय करें" बदल देने का प्रस्ताव करता हूं।

*श्री के० एम० मुन्शी : मैं इसे स्वीकार करता हूं। सभी अवस्थाओं में हमने कहा है कि "जैसा अध्यक्ष निश्चय करें।"

नियम ३८ संशोधन सहित स्वीकार किया गया।

नियम ३६

*श्री के० एम० मुन्शी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ३६ स्वीकार किया जाय।

*श्री यदुवंश सहाय (बिहार : जनरल) : जैसा कि नियम ३६ (१) (ग) में देखा जा रहा है, कार्यवाहक-समिति (Steering Committee) असेम्बली और इसके दफ्तर के मध्यवर्त्ती संस्था (liaison body)का काम करेगी, पर इस (नियम) में यह भी कहा गया है कि यह संस्था अध्यक्ष और असेम्बली के किसी भी भाग के बीच मध्यवर्ती का काम करेगी। मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष और असेम्बली के बीच कोई भी मध्यवर्त्ती अधिकारी (अफसर) नहीं होना चाहिए। हम लोग अध्यक्ष से सीधा व्यवहार कर सकें, यही मेरा निवेदन है।

*श्री के० एम० मुन्शी : मुझे भय है कि माननीय सदस्य ने ' अध्यक्ष और असेम्बली के किसी भी भाग के बीच" शब्दों का अर्थ ठीक तौर से नहीं समझा। इसका मतलब यह नहीं है कि अध्यक्ष और बैठक में उपस्थित सदस्यों के बीच। इसका अर्थ तो यह है कि अगर असेम्बली को कोई हिस्सा या अंग अध्यक्ष के पास असेम्बली के काम के बारे में प्रतिनिधित्व के रूप में आवेदन करना चाहे, तो पहले वह आवेदन कार्यवाहक-समिति (Steering Committee) के सामने आयेगा। सभा की बैठक के समय यह समिति अध्यक्ष और सदस्यों के बीच कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।

*श्री यदुवंश सहाय : इस सभा में असेम्बली के सदस्यों को अधिकार होना चाहिए कि वे अध्यक्ष तक पहुंच सकें और कार्यवाहक-समिति (Steering Committee) उसमें कोई हस्तक्षेप न कर सके।

*श्री के० एम० मुन्शी : अध्यक्ष के लिए यह तो कठिन होगा कि सभा के किसी भी भाग से जो आवेदन सीधे पहुंचें उस पर वह न्याय कर सकें। कार्यवाहक-समिति (Steering Committee)सब बातों से अवगत होगी और वह उसे अध्यक्ष के ध्यान में लायेगी।

*श्री यदुवंश सहाय : और अगर कार्यवाहक-समिति ऐसे आवेदन को नामंजूर कर दे तो?

*श्री के० एम० मुंशी : महाशय, यह बहस तो बात-चीत के रूप में बदलती जा रही है। फिर भी मैं कह सकता हूँ कि, कार्यवाहक-समिति (Steering Committee) को कोई भी फैसला करने का अधिकार नहीं है। वह सभा के कार-बार को ठीक रूप से संचालित करने के लिए होगी।

*श्री जयपालसिंह : मैं नियम ३६ (१) (ग) से निम्नलिखित शब्द हटा देने का प्रस्ताव करता हूँ—"और अध्यक्ष तथा असेम्बली के किसी भी भाग के बीच"

संशोधन नामंजूर हो गया।

*श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर : उसी उपनियम में से "असेम्बली और उसके दफ्तर" शब्द निकाल दिये जायं। मैं समझ सकता हूँ कि कार्यवाहक-समिति असेम्बली और सभापति के बीच मध्यवर्ती संस्था का काम करेगी। क्या सदस्य दफ्तर का काम कराने के लिए कार्यवाहक समिति (steering committee) के पास जायंगे ?

*श्री के०एम० मुंशी : इरादा यह नहीं है कि कार्यवाहक-समिति असेम्बली के किसी भी व्यक्तिगत सदस्य और असेम्बली के दफ्तर के बीच हस्तक्षेप करे। यह मध्यवर्त्ती संस्था केवल दफ्तर और असेम्बली के बीच काम करेगी। अगर असेम्बली कोई काम किसी खास तौर पर कराना चाहती है तो यह काम कराने के लिए उपयुक्त संस्था कार्यवाहक-समिति (steering committee) होगी।

*श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर : मैं "सारी असेम्बली" का ही अर्थ नहीं समझ सका। मैं समझता हूँ कि श्री मुंशी को "असेम्बली और उसके दफ्तर" शब्द रोक रखने का हठ नहीं करना चाहिए। शायद ये शब्द असावधानी से रख दिये गये हैं। (हास्य)

*श्री के०एम० मुंशी : यद्यपि इन शब्दों के रखने का कुछ अभिप्राय था, तथापि मैं उनको हटा देने का संशोधन स्वीकार कर लेना चाहता हूं।

*श्री बी० दास : महाशय, मैं नहीं जानता कि नियम ३६ (२) में कार्यवाहक समिति के लिए अध्यक्ष की स्थायी आज्ञा (standing order) का उल्लेख क्यों किया गया है। मैं समझता हूँ कि उसके लिए यह असेम्बली ही उचित स्थल है।

*अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि 'कोरम' (सदस्यों की किसी सापेक्ष उपस्थिति) के लिए निर्दिष्ट संख्या और अन्य मामलों का उल्लेख करने के लिए ही स्थायी आज्ञा (standing order) रखना चाहिए।

*श्री के० सन्तानम् : पर निमम ४४ कहता है कि किसी भी समिति के लिए—जिसमें कार्यवाहक समिति भी सम्मिलित है—'कोरम' अनुपात में होना चाहिए। इस समिति के लिए पांच सदस्यों का 'कोरम' क्यों न रखा जाय ?

*श्री के०एम० मुंशी : नियम ४४ अन्य समितियों पर लागू होता है; उस पर नहीं। शायद कार्यवाहक-समिति के लिए बाद में और सदस्य आ सकते हैं। नियम ३८ (२) कहता है कि ११ सदस्य अब चुने जायंगे और ८ बाद में चुन लिये जायेंगे। ऐसी अवस्था में अभी 'कोरम' निश्चित् नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रतिशत या फीसदी का अनुपात निश्चित् किया जा सकता है। पर यह सब स्थायी आज्ञा (stanrling order) के द्वारा किया जा सकता है।

*श्री एल० कृष्णास्वामी भारती : महोदय, उपनियम [१] [ए] दो बातों

[श्री एल० कृष्णास्वामी भारती]
का जिक्र करता है। साधारणतः बाकी खण्ड बाद में आते हैं, इसलिए इस उपनियम के दो टुकड़े कर दिये जायं—उपनियम [घ] और उपनियम [ङ]

*श्री के०एम० मुंशी : मैं यह सुझाव स्वीकार करता हूं। बाकी धाराओं पर अलग-अलग नम्बर लग सकते हैं।

*दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर : अध्यक्ष का हवाला स्वाभाविकतया बाद में आयेगा।

*श्री के० सन्तानम् : सभी बाकी बची हुई धाराएं हैं।

नियम ३९ श्री अनन्तशयनम् आयंगर के संशोधन के साथ स्वीकार किया गया।

नियम ४०

*श्री के० एम० मुंशी : मैं नियम ४० स्वीकार किये जाने का प्रस्ताव करता हूं।

*श्री बी० एम० गुप्ते : क्या मैं इस समय यह कह सकता हूं कि इस नियम में समिति की अवधि का जिक्र नहीं किया गया है। मैं अपना संशोधन पेश करता हूं :—

नियम ४० के उपनियम (१) में 'स्थापित' (setup) के बाद 'असेम्बली की अवधि तक के लिए' शब्द और जोड़ दिये जायं।

*श्री के०एम० मुंशी : यह खास तौर से इसलिए नहीं रखा गया कि यह जरूरी नहीं समझा गया। पर अब मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का कहना ठीक है। कार्यवाहक समिति असेम्बली के कार्यकाल तक के लिए स्थापित होगी, अन्यथा कोई कहेगा कि यह स्थापित होते ही भंग हो जाने के लिए बनी है।

*श्री जसपतराय कपूर : [सयुक्तप्रान्त जनरल] खण्ड १ [क] में अध्यक्ष (president) शब्द के बाद हम "जो पद की हैसियत से समिति के अध्यक्ष होंगे" जोड़ दिया जाय। मुझे नियम में चेअरमैन [अध्यक्ष] की नियुक्ति का कोई विधान नहीं मिला। अध्यक्ष तो इस समिति का सदस्य होगा इसलिए यह उचित प्रतीत होता है कि वह पद की हैसियत से समिति के अध्यक्ष हों।

*श्री के० एम० मुंशी : मैं संशोधन स्वीकार करता हूं।

*श्री सी० ई० गिब्बन : यह खास समिति ही अध्यक्ष के निश्चय के अनुसार क्यों निर्वाचित होगी—आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा क्यों नहीं ?

*अध्यक्ष : इसके पहले के संशोधित नियम ३८ में आप देखेंगे कि "निर्वाचन अध्यक्ष-द्वारा निर्धारित ढंग पर असेम्बली करेगी।"

*श्री सी०ई०गिब्बन : एक बात और नियम ४० [२] [क] में इस प्रकार है:-

असेम्बली के दफ्तर में बनी नई जगह के बारे में और उससे सम्बद्ध वेतन तथा खर्च आदि के बारे में सभापति को सलाह देने के लिए।

क्या इसका यह मतलब है कि सभी जगहें जिसमें स्टेनोग्राफर, क्लर्क, चपरासी आदि भी होंगे, इस समिति द्वारा ही भरी जायेंगी ?

*अध्यक्ष : इसका अभिप्राय है जगह बनाना। ऊंची जगहों का फैसला सभापति करेगा और छोटी नियुक्तियां मंत्री।

*श्री के०एम०मुंशी : मैं नियम ३६ [८] की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा जिसमें इसके लिए विधान है और जो इस प्रकार है :—

"बशर्ते कि किसी अफसर को इन अधिकारों में से कोई ऐसा अधिकार दे दें जिसे वह उचित समझे और जैसी शर्तों के साथ देना उसे ठीक जँचे।"

*अध्यक्ष : मैं यही बात उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। छोटी नियुक्तियों के सम्बन्ध में अध्यक्ष अपना अधिकार मंत्री को दे देंगे और ऊंची नियुक्तियों के बारे में वह अधिकार अपने हाथ में रखेंगे।

मैं समझता हूं कि नियम ४० पूरा-का-पूरा मंजूर किया गया है।

नियम ४० संशोधन सहित स्वीकार किया गया।

नियम ४१

*श्री के०एम०मुंशी : मेरा प्रस्ताव है कि नियम ४१ स्वीकार किया जाय।

नियम ४१ स्वीकार किया गया।

नियम ४२

*श्री के०एम० मुंशी : मेरा प्रस्ताव है कि नियम ४२ स्वीकार किया जाय।

*श्री जसपतराय कपूर : खण्ड (१) में मेरा संशोधन यह है कि "पांच सदस्यों" शब्द की जगह हम "एक सभापति और चार अन्य सदस्य" शब्द रखें। महोदय, इस संशोधन का कारण यह है समिति बड़ी ही महत्वपूर्ण है और यह पंचायत के सदृश है। इसलिए सभापति का चुनाव इस असेम्बली के द्वारा होना चाहिए।

*श्री के०एम० मुंशी : इस सभा के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह सभापति का चुनाव करे। काम शुरू करने पर समिति खुद अपना सभापति चुनेगी। इस संशोधन की जरूरत नहीं है।

*श्री जसपतराय कपूर : ऐसी दशा में संशोधन केवल इतना रह जाता है कि "समिति अपना सभापति स्वयं चुनेगी।"

*श्री के०एम० मुंशी : मैं यह संशोधन स्वीकार करूंगा, श्रीमान्।

*श्री बी०एम० गुप्ते : मेरा प्रस्ताव है कि उपनियम (१) में (Consist)

[श्री बी० एम० गुप्ते]

शब्द के बाद 'आरम्भ में' (Initially) जोड़ दिया जाय, और "असेम्बली" के बाद अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकांकी हस्तान्तरित मत-पद्धति द्वारा" शब्द जोड़ दिये जायं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि वर्त्तमान उपखण्ड (२) को बदलकर यह कर दिया जाय:—"असेम्बली समय-समय पर दो सदस्य तक का अतिरिक्त चुनाव कर सकती है।" और उपनियम (३) में से "या नियुक्त सदस्य स्वयं चुन (co-opt कर) लें जैसी भी स्थिति हो" यह शब्द निकाल दिये जायं।

महाशय, मैं चाहता हूं कि चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा हों, क्योंकि हमने अन्य समितियों के लिए भी ऐसा ही किया है। मैं यह भी चाहता हूं कि स्वतः चुनाव कर लेने (Co-option) की प्रणाली हटा दी जाय। यह उचित नहीं है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनाव होने के बाद ऐसी समिति को और सदस्य चुन लेने (Co-option करने) का अधिकार भी दे दिया जाय।

*माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर : संशोधन केवल यह प्रस्ताव करता है कि "समिति समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त सदस्य चुन सकती है, पर दो से ज्यादा नहीं।" मैं नहीं समझता कि दो सदस्यों का चुनाव करने वाली और स्वयं चुन लेने (Ca-opt) करने वाली कमटियों में कोई अन्तर है।

*श्री के०एम० मुंशी : आपत्ति तो समिति द्वारा स्वयं चुन लेने (co-option) में है। माननीय सदस्य श्री गुप्ते चाहते हैं कि सारी समिति आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनी जाय।

संशोधन में तीन बातें हैं। पहली बात है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सवाल की। यह उस खंड में से इसलिए निकाल दिया गया कि समिति ने यह अनुभव किया कि परिचय-समिति आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा नियुक्त नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उसे हटा दिया गया था। मैंने शुरू में ही यह सोचा था कि सभा का एक भाग इस विचार का है कि इस खास समिति पर दृष्टि रखने का यही उचित मार्ग है।

दूसरा संशोधन यह है कि जगहें स्वतः चुनकर (co-option) द्वारा नहीं भरी जानी चाहिए। किन्तु कुछ खास अनिश्चित अवस्थाओं में सभा के कुछ सदस्यों का चुन लिया जाना (co-option) आवश्यक हो जाता है। किसी खास प्रांत में यह सवाल समिति से विशेष सम्बन्ध रख सकता है और हो सकता है कि समिति का एक भी सदस्य स्थिति से परिचित न हो। यही कारण था कि स्वयं चुन लेने (co-option) करने को सदस्यों पर छोड़ दिया गया था। परिचय-समिति जिन कर्त्तव्यों का पालन करेगी उनको ध्यान में रखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि वह स्वतः चुन लेने (co-option) का अधिकार रखे। इसलिए हम संशोधन का विरोध करते हैं।

*श्री बी० गोपाला रेड्डी (मद्रास : जनरल) : क्या अतिरिक्त सदस्य सभा के सदस्य होंगे?

*अध्यक्ष : मैं श्री गुप्ते के आनुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी संशोधन पर मत लेता हूँ।

संशोधन नामंजूर होगया।

*अध्यक्ष : क्या स्वयं न चुन लेने (co-option) की बात अमल में आयेगी ? जो लोग उपनियम (२) रखने के पक्ष में हों 'हां' कहें।

उपनियम (२) स्वीकार किया गया।

*डा० गोपीचन्द भार्गव (पंजाब : जनरल) इस समिति के कार्य के लिए कोई स्थायी आज्ञा (स्टैंडिंग आर्डर्स) नहीं हैं।

*श्री के० एम० मुंशी : मैं समझता हूँ कि इस आशय का एक नियम इसके बाद में आता है। इसके अलावा जहां नियमों में कोई त्रुटि पाई जाय वहां स्थायी आज्ञा (Standing orders)) बनाने के लिए आम अधिकार भी हैं।

*श्री बी०गोपाला रेड्डी : समिति पांच सदस्यों की होगी जो सभा के सदस्यों में से ही चुने जायँगे।

नियम ४२ स्वीकार किया गया।

*अध्यक्ष : अब हम नियम ४३ को लेते हैं

*श्री काला वेंकट राव (मद्रास : जनरल) : हमने एक भवन-समिति की नियुक्ति के बारे में नियम 'ए' अलग बनाने के लिए पृथक् सूचना दी थी जो इस प्रकार है :—

"असेम्बली के कार्य-काल तक के लिए एक भवन-समिति बनाई जाय जो सदस्यों के दिल्ली-निवास के समय कार्य से सम्बन्ध रखेगी। यह समिति स्थान, भोजन, औषधि-सम्बन्धी सुविधा, मनोरंजन, वाचनालय और पुस्तकालय-सम्बन्धी व्यवस्था करेगी।

समिति में ११ सदस्य होंगे जिनका चुनाव असेम्बली अध्यक्ष के बताये ढंग के अनुसार करेगी।

समिति को अतिरिक्त सदस्य स्वयं चुन लेने (co-option) का अधिकार होगा और अपने काम के लिए अलग-अलग उपसमितियां बनाने का भी उसे अधिकार होगा।"

*श्री के० एम० मुन्शी : मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं।

*श्री के० सन्तानम् : क्या मेरा दिया हुआ संशोधन इसमें शामिल है ?

*श्री के० एम० मुंशी : समिति में ११ सदस्य होंगे जिनका चुनाव असेम्बली अध्यक्ष के बताये ढंग पर करेगी। प्रत्येक प्रान्त का एक सदस्य इसमें आयेगा। समिति को अपने और सदस्य स्वयं चुन लेने (co-option)का भी अधिकार होगा। मैं संशोधन स्वीकार करता हूँ। महाशय, इसके विचार से मुझे नियम ६ की ओर वापस जाना पड़ेगा और समितियों की सूची में यह नाम और जोड़ देना होगा।

[श्री के० एम० मुंशी]
उप-नियम (१) (सात) में परिचय-समिति, उसके बाद उपनियम (१) (आठ) में यह भवन-समिति रख दी जायगी।

*अध्यक्ष : यह संशोधन स्वीकार किया गया।

नियम ४२—'क' स्वीकार किया गया।

[सूचना—इस नये नियम ४२—ए. के जोड़ देने के परिणाम-स्वरूप नीचे लिखा संशोधन नियम ६ में कर दिया:—

नियम ६ के उपनियम (१) की मद (सात) में 'और' शब्द निकालकर नीचे लिखी नई मद (जिसका नम्बर (सात—क) डाल दिया जायगा) मद (सात) के बाद जोड़ दी जायगी

"(सात—क) भवन-समिति में, और"]

नियम ४३

*श्री के० एम० मुंशी : मेरा प्रस्ताव है कि नियम ४३ स्वीकार किया जाय।

*माननीय दीवानबहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर : मैंने चार संशोधनों के सुझाव पेश किये हैं। नियम ४३ के उपनियम (२) में मेरा सुझाव है कि "होगा" (shall) और "चुना जाय" (be elected) शब्दों के बीच नीचे लिखे शब्द जोड़ दिये जायं:—"जब तक कि यह प्रस्ताव जिसके द्वारा समिति बनी है, दूसरे रूप में न बना दिया जाय।" उदाहरण के लिए मैं उस समिति का जिक्र करूंगा जो कल बनाई गई है। प्रस्ताव में कुछ नामों का जिक्र किया गया और सभा ने उनको स्वीकार कर लिया, इसलिये हमें उन सदस्यों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व के नियमानुसार एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति के आधार पर चुनने का अवसर नहीं मिला। हमारी कार्रवाई के बीच में मेरे खयाल से कई ऐसे अवसर आयेंगे जब हमें विशेष उद्देश्यों की अनेक समितियां बनानी पड़ेंगी और उनका सीमित उद्देश्य होगा, और हमारे लिए फिर यह जरूरी न हो जाय कि इस आनुपातिकप्र तिनिधित्व के आधार पर होनेवाले चुनाव का नियम कठोर हो जाय।

*श्री के० एम० मुंशी : यह सभा को अधिक विस्तृत अधिकार देता है। मैं संशोधन स्वीकार करता हूं।

*श्री एल० कृष्णास्वामी भारती : "ऐसी समिति" शब्द का एक सीमित महत्त्व है और वह केवल उन्हीं समितियों पर लागू हो सकता है जो नियम ४३ के अन्तर्गत हैं। मैं चाहूंगा कि असेम्बली के मंत्री भूतपूर्व अधिकारी मंत्री के रूप में सभी समितियों—कार्यवाहक-समिति आदि में हों। इसलिए "ऐसी" शब्द हटा दिया जाय बशर्ते कि वह सभी समितियों के लिए अभीष्ट हों।

*श्री के० एम० मुंशी : यह तो अलग नियम में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो स्टाफ और अर्थ-समिति के लिए भी मंत्री नहीं हैं। इसलिए इसके लिए अलग

नियम बन सकता है।

*श्री एल० कृष्णास्वामी भारती : अगर 'ऐसी' शब्द हटा दिया जाय तो वह नियम सभी समितियों पर लागू होगा।

*श्री के० एम० मुंशी : अच्छा तो यह होगा कि वह वाक्य निकाल दिया जाय और उसे एक अलग नियम में रख दिया जाय जो सभी समितियों पर लागू हो सके। नियम ४३ "अन्य समितियों" के लिए है। हम मंत्री को सभी समितियों के लिए पद की हैसियत से (Ex-officio) मंत्री बनाना चाहते हैं। उप-नियम (३) एक अलग नियम के रूप में बना दिया जाय। महाशय, यही मेरा निवेदन है और उसका नम्बर ४३—ए होगा।

नियम ४३ संशोधन-सहित स्वीकार किया गया।

नियम ४३-'क' स्वीकार किया गया।

नियम ४४

*श्री के०एम० मुंशी : मेरा निवेदन है कि नियम४४ मंजूर किया जाय।

*अध्यक्ष : क्या इसमें कोई संशोधन है ?......

नियम ४४ स्वीकार किया गया।

नियम ४५

*श्री के० एम० मुंशी : नियम ४५ के बारे में मेरा प्रस्ताव है कि इसे दो परिवर्तनों के साथ स्वीकार किया जाय जो मैंने प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार स्वीकार कर लिये हैं। पहला यह है कि "जब तक समिति अन्यथा न निश्चय करे" ये शब्द "समिति के सभापति द्वारा" इन शब्दों के बाद जोड़ दिये जांय। यहां कहा गया है कि समिति की रिपोर्ट सभापति के द्वारा पेश की जायगी। सम्भव है उस अवसर पर सभापति मौजूद न हों या बीमार हों। फिर तो रिपोर्ट रुक जायगी। नियम में यह व्यवस्था आदेशात्मक होगी। अच्छा हो कि धारा इस प्रकार बना दी जाय—"जब तक कि समिति अन्यथा न निश्चय करे।" यह संशोधन श्री गिब्बन द्वारा किया गया है। मैं इसे जरूरी समझता हूं और स्वीकार करता हूं।

इसके बाद महोदय, विधान-परिषद् शब्द आवश्यक नहीं है। 'असेम्बली' की परिभाषा बताई जा चुकी है इसलिए उसे यहां जोड़ने की जरूरत नहीं है।

*श्री के०सन्तानम् : महोदय, ज्यों ही रिपोर्ट पेश की जाती है वह दफ्तर के हाथ में आ जाती है। रिपोर्ट पेश किसके सामने करनी है ? क्या हमें उसकी एक प्रतिलिपि दफ्तर को और दूसरी असेम्बली को भेजनी पड़ेगी ?

*श्री के०एम०मुंशी : यह बात विभागों के लाभ के लिए है। उन्हें एक प्रति मंत्री के पास भेजनी चाहिए।

*अध्यक्ष : यह नियम विभागों को रिपोर्ट भेजने के लिए भी है।

*माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर : नियम ४४ में एक छोटा-सा संशोधन है। महाशय, मैं इसे खास तौर पर आवश्यक समझता हूं। दुर्भाग्यवश नियम-समिति की नजर से यह बात छूट गई है। जिस प्रस्ताव के द्वारा समिति का निर्माण होता है उसमें अनिवार्य रूप से यह बताना पड़ेगा कि समिति की सभाओं का कार्य-संचालन करने लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति (Quorum) आवश्यक होगी, और समिति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह रिपोर्ट पेश करे और वह भी एक निश्चित समय के अन्दर। हम ऐसी समितियों का निर्माण कर रहे हैं। जिन्हें रिपोर्ट न पेश करनी पड़ेगी और हम ऐसी समितियों का भी निर्माण कर रहे हैं, जिनके लिए रिपोर्ट पेश करने की कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है। मैं इस नियम का मजमून नीचे लिखे ढंग पर रखना चाहता हूँ :—

> "जिस प्रस्ताव के द्वारा समिति का निर्माण होगा उसमें यह बात स्पष्ट रूप से बताई जायगी कि समिति की सभा के लिए कम-से-कम उपस्थिति सदस्यों की संख्या (Quorum) क्या होगी, और साथ ही यह बात भी बताई जायगी कि यदि समिति को रिपोर्ट पेश करनी है तो वह कितने समय के अन्दर।"

*श्री के० एम० मुंशी : "समय निश्चित किया जा सकता है" और "अगर कोई रिपोर्ट" यह बाद में जोड़ देना है। मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं।

*अध्यक्ष : इस पर फिर विचार करना होगा। सर गोपालस्वामी आयंगर के संशोधन का सुझाव महत्त्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि सभा को इस नियम पर फिर विचार करने में कोई आपत्ति न होगी और वह यह संशोधन स्वीकार करेगी।

नियम ४४ संशोधन सहित स्वीकार किया गया।

नियम ४५ संशोधन सहित स्वीकार किया गया।

नियम ४६

*श्री के०एम० मुंशी : मेरा प्रस्ताव है कि परिच्छेद आठ, शीर्षक 'बजट' (Budget) और नियम ४६ स्वीकार किये जायं।

*श्री आर०के० सिधवा : मैं एक संशोधन सुझाता हूं महोदय, बजट पर बहस की जाय और उसे केवल 'पसन्द' ही न करके 'स्वीकार' किया जाय। 'पसन्द' (Approve) की जगह 'ग्रहण' (Adopted) शब्द रख दिया जाय।

*एक माननीय सदस्य : क्या मैं यह सुझाव पेश कर सकता हूं महाशय, कि परिच्छेद (Chapter) शब्द स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। परिच्छेद विधान का कोई अंग नहीं है।

*श्री के०एम० मुंशी : मैं संशोधन मानता हूँ।

*अध्यक्ष : बजट (Budget) असेम्बलीके सामने स्वीकृति के लिए या पसन्दगी के लिए रखा जाना चाहिए ?

*श्री के० एम० मुंशी : स्वीकृति के लिए।

*माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर : अगर आप 'पसन्द' (Approve) शब्द को बदलते ही हैं तो उसके बदले में ग्रहण करने (Adopted) का शब्द न रखकर 'स्वीकार करने' (Sanction) का शब्द रखिए।

*श्री आर०के० सिधवा : "स्वीकार" (sanction)

*श्री के० एम० मुंशी : स्वीकार (sanction)

*श्री रामनाथ गोयनका : आमदनी (income) के बारे में कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। बजट Budget में तो आमदनी और खर्च का अनुमान भी आना चाहिए।

*श्री के० एम० मुन्शी : आमदनी होगी।

*डा० पट्टाभि सीतारामैया : यह एक विशिष्ट संस्था sovereign body है जो कर पर नहीं निर्भर करती और न उसे लगाने का अधिकार ही रखती है। यह तो तालुका [तहसील] बोर्ड की तरह है जो जिला बोर्ड से सहायता पाता है।

*श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर : बजट में आमदनी और खर्च दिखाना ही चाहिए, यह बात गलत है। बजट तो खर्च का अनुमान है।

*श्री एल० कृष्णास्वामी भारती : बजट में किसी समय का जिक्र भी होता ही है। कोई अवधि-३१ मार्च के अन्त तक-लिख देना चाहिए।

*अध्यक्ष : हम सालाना बजट बनाने का इरादा नहीं रखते। हम साल पूरा होने के पहले ही अपना काम समाप्त कर लेंगे।

*श्री के० एम० मुन्शी : असेम्बली के सामने अतिरिक्त बयान पेश किया जा सकता है।

*अध्यक्ष : मैं समझता हूं नियम ४६ केवल एक शब्द के संशोधन 'पसन्द' से स्वीकार हो गया है। हमने रकम भी प्राप्त कर ली है। मैं 'पसन्द' शब्द को ठीक समझता हूं। हमें भारत-सरकार के पास बजट भेजना होगा और उससे रकम लेनी होगी। मैं समझता हूं "approval" उपयुक्त शब्द है।

*माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर : भारत-सरकार विधान-परिषद् के लिए एक इकट्ठी रकम मंजूर करने वाली है। इस असेम्बलीके सामने तो उस रकमके खर्चका विवरण आयेगा। मैं नहीं समझता कि यह असेम्बली इस सम्बन्ध में कोई विवरण युक्त बयान केन्द्रीय असेम्बली की स्वीकृति के लिए भेजेगी।

*अध्यक्ष : भारत-सरकार की स्वीकृति के लिए बजट भेजने का विचार

[अध्यक्ष]

नहीं है। हम अपने खर्च का निश्चय करके उसका जोड़ भारत-सरकार के पास लिख भेजेंगे और उससे वह रकम मांगेंगे। आप क्या 'पसंद' (Approval) की जगह 'स्वीकृति' (Sanction) शब्द पसन्द करेंगे।

*माननीय सदस्य गण : हां।

*अध्यक्ष : 'स्वीकृति' (Sanction) शब्द तो बदलकर रख दिया जायगा।

नियम ४६ संशोधन सहित मंजूर किया गया।

नियम ४७

*श्री के० एम० मुन्शी : महाशय, मेरा प्रस्ताव है कि नियम ४७ स्वीकार किया जाय।

*श्री बी० दास : खण्ड [१] कहता है:—

"खास अवस्थाओं में सदस्यों को विशेष भत्ता दिया जायगा। जो गैर-सदस्य असेम्बली के काम में लगेंगे उन्हें भी विशेष भत्ता दिया जा सकेगा।"

हमने कुछ समितियों में गैर-सदस्यों को भी चुन (Co-opt) लिया है और अध्यक्ष ऐसी पंचायतों की नियुक्ति कर सकते हैं जिनके सदस्यों को तनख्वाहें दी जायेंगी, इसलिए आप 'गैर-सदस्यों को वेतन' शब्द जोड़ दें।

*श्री के० एम० मुन्शी : सभी वेतन-भोगी अफसरों का जिक्र खण्ड (२) में है। रहा खण्ड [१]सो यह तो केवल सदस्यों पर लागू होत है और सदस्यगण विधान-परिषद् से वेतन लेने वाले नहीं हैं। खण्ड [१] समिति के काम के लिए विशेष भत्ते [जेबखर्च] के बारे में है और खण्ड [२] में सरकारी अधिकारियों और जिन्हें भरती किया गया है उनकी तनख्वाहों का जिक्र है। इसलिए मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

*दीवान चमनलाल : खण्ड (१) में गैर-सदस्यों का जिक्र भी है।

*श्री के०एम० मुन्शी : वह उन गैर सदस्यों के लिए है जिन्हें सलाहकार-समिति में चुन लिया (coopt) गया है। उन्हें तनख्वाह पाने का हक नहीं होगा; उन्हें सिर्फ जेब-खर्च मिलेगा।

*दीवान चमनलाल : आप कानूनी विशेषज्ञों का भी उपयोग करें। उनको रकमें कैसे दी जायेंगी ?

*श्री के० एम० मुन्शी : वह खण्ड (२)-के अन्तर्गत आयेंगे।

*श्री बी० दास : अगर चुनाव की पंचायत के लिए कोई विशेष अफसर नियुक्त हुआ तो वह खण्ड [१] या खण्ड [२] के अन्तर्गत आयेगा ?

*श्री के०एम० मुंशी : कुछ लोग विधान-परिषद् के स्टाफ में काम कर रहे हैं। वे खंड (२) के अन्तर्गत आयेंगे। कुछ गैर-सदस्य एडवाइजरी कमेटी में भी

असेम्बली के काम में लगे हैं उनकी व्यवस्था खंड (१) में की गयी है। इस खंड का अभिप्राय यही है।

*श्री देवीप्रसाद खेतान : अगर खंड (२) की ओर ध्यान दिया जाय तो बात स्पष्ट हो जायगी। "जिन लोगों की सीधी भर्ती हुई है उनकी तनख्वाह और जेब-खर्च स्टाफ और अर्थ समिति की राय से अध्यक्ष द्वारा निश्चित होगी।" उप नियम (१) उन सब के बारे में है जिन्हें तनख्वाहें न दी जाकर केवल जेब खर्च दिया जाता है।

*अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि इन दोनों नियमों में सभी सम्भव खर्च आ जाते हैं।

श्री बी० दास यह जानना चाहते हैं कि अगर एक जज नियुक्त किया गया तो वह किस खंड के अंतर्गत आयेगा ?

*श्री के० एम० मुंशी : अगर वह वेतन भोगी अधिकारी नहीं होगा तो वह खंड (१) के अनुसार जेब खर्च के अन्तर्गत आयेगा।

*श्री देवीप्रसाद खेतान : उपनियम (२) कहता है :—

"भारतीय सरकार या प्रांतीय सरकार का ऐसा कोई नौकर जिसकी सेवाएँ एसेम्बली को दे दी जायँगीं उसे उसकी तनख्वाह और जेब खर्च दिया जायगा।"

अगर एसेम्बली की सेवा में कोई जज रखा जायगा तो उसकी तनख्वाह खंड (२) के अन्तर्गत आयेगी। यह खंड पूर्ण हैं, इनमें किसी को भी छोड़ा नहीं गया है।

*अध्यक्ष : मेरा खयाल है कि सभा इसे अब ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेगी।

नियम ४७ स्वीकार किया गया।

नियम ४८

*श्री के० एम० मुंशी : महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि नियम ४८ स्वीकार किया जाय।

नियम ४८ स्वीकार किया गया।

नियम ४९

*श्री के० एम० मुंशी : महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि नियम ४९ स्वीकार किया जाय।

नियम ४९ स्वीकार किया गया।

नियम ५०

*श्री के०एम०मुंशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि नियम ५० स्वीकार किया जाय।

*श्री आर० के० सिधवा : इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार (Corrupt practices) को भी समझ लेना जरूरी है। उसके आधार का जिक्र हो जाना चाहिए।

*अध्यक्ष : केवल अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का जिक्र भर कर देने से चुनाव रद्द न हो सकेगा।

*श्री आर० के० सिधवा : जब तक कोई स्वतः सिद्ध मामला न हो तब तक उसे विचार के लिए स्वीकार न किया जाय।

*अध्यक्ष : अगर आप नियम ५३ और ५४ को पढ़ें तो उद्देश्य स्पष्ट हो जायगा। उसमें कहा गया है :—

> "परिचय-समिति यदि उचित समझे तो अध्यक्ष से सिफारिश कर सकती है कि प्रार्थना-पत्र पर विचार करने के लिए चुनाव की पंचायत नियुक्त की जाय।"

एक आरम्भिक जांच हो और यदि परिचय-समिति को विश्वास हो कि चुनाव की पंचायत नियुक्त की जानी चाहिए तो वह सभापति के पास उसकी रिपोर्ट भेजे, अन्यथा नहीं। मैं समझता हूं नियम ५० स्वीकार किया गया है।

नियम ५० स्वीकार किया गया।

नियम ५१

*श्री के० एम० मुंशी : महाशय, मेरा प्रस्ताव है कि नियम ५१ इस संशोधन के साथ स्वीकार किया जाय:—"जिस तारीख को यह नियम 'गजट आफ इण्डिया' में प्रकाशित हो, उसके सात दिन के अन्दर" यह संशोधन श्री गिब्बन का है। कोई बहुत दिन बाद तक भी नियमों के बारे में अनभिज्ञ रह सकता है। मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

*एक माननीय सदस्य : महोदय, आपके सामने पहले से ही एक चुनाव सम्बन्धी दरख्वास्त आ चुकी है। अस्थायी सभापति ने उसे आपके विचारार्थ सुरक्षित रख दिया है। इस असेम्बली के पहले चुनाव-सम्बन्धी मामले में, जमानत की रकम सात दिन के अन्दर दाखिल हो जानी चाहिए। यह बात जोड़ ली जाय।

*श्री के० एम० मुंशी : इसकी व्यवस्था कर ली गई है। नियम ५० (१) (प्रथम) कहता है:—

> "असेम्बली के चुनाव के पहले मामले में, नियमों के अमल में आने के सात दिन के अन्दर,"

यह नियम गजट आफ इण्डिया में प्रकाशित होने के सात दिन के अन्दर अमल में आयेंगे।

*एक माननीय सदस्य : सात दिन काफी नहीं हैं।

*श्री के०एम० मुंशी : यह बहुत काफी हैं।

*एक माननीय सदस्य : जब तक आप खास तौरपर इसका प्रचार न करें, यह सूचना दक्षिण भारत में सात दिन के अन्दर न पहुंच सकेगी।

*श्री के० एम० मुंशी : हम इन नियमों को 'गजट आफ इंडिया' में प्रकाशित भर कर देंगे। हम विशेष प्रचार की व्यवस्था नहीं कर सकते।

*माननीय सदस्यगण : कृपया पन्द्रह दिन कर दीजिए।

*अध्यक्ष : बहुत अच्छा। पन्द्रह दिन।

*श्री के० माधव मेनन : मैं नियम ५० (१) में श्री मुंशी को एक वैधानिक संशोधन की याद दिलाऊंगा। वहां भी "सात दिन" आता है। उसे बदल कर "पन्द्रह दिन" कर दिया जाय।

*श्री के० एम० मुंशी : मैं संशोधन स्वीकार करता हूं। नियम ५० पर पुनर्विचार हुआ और नियम ५० और ५१ संशोधन-सहित स्वीकार किये गये।

नियम ५२

*अध्यक्ष : अब हम नियम ५२ लेते हैं।

*श्री आर०के०सिधवा : इस नियम में एक व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति निश्चित समय के अन्दर दरख्वास्त न दे सके तो सभापति को अधिकार होगा कि वह उसकी इस असफलता को माफ कर दें। मैं समझता हूं कि इसकी अवधि पन्द्रह दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति छः महीने के बाद आकर कहे कि अमुक कारण से वह दरख्वास्त नहीं दे सका था, इसलिए अध्यक्ष उसकी देरी माफ कर दें तो यह मंजूर नहीं होना चाहिए।

*श्री के० एम० मुंशी : नियम ५० में पन्द्रह दिन रखे गये हैं। अगर कोई छः महीने बाद आयेगा तो स्वाभाविक ही है कि उसका देरी का बहाना न माना जायगा।

*अध्यक्ष : तो यह नियम स्वीकार किया गया ?

*माननीय सदस्यगण : हां।

नियम ५२ स्वीकार किया गया।

नियम नं० ५३

*श्री के० एम० मुंशी : महाशय, मेरा प्रस्ताव है कि नियम ५३ स्वीकार किया जाय।

*सरदार हरनामसिंह : श्रीमान् अध्यक्ष जी, मैं नियम ५० के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। उसमें "किसी अनियमितता और भ्रष्टाचार" का जिक्र

[सरदार हरनामसिंह]

हैं। 'अनियमितता' और 'भ्रष्टाचार' की परिभाषा भी होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि इन शब्दों के बदले "कोई अनियमितता और भ्रष्टाचार जिसका प्रमाणित हो जाना वर्त्तमान कानून के अनुसार केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के चुनाव को रद्द कर देता है" रख दें।

*श्री के०एम० मुंशी : माननीय सदस्य उस सूचना को पढ़ें जो नियम ५५ के पास टाइप की हुई है और इस प्रकार है:—

> "हिन्दुस्तान में चुनाव-सम्बन्धी दरखास्तों की जांच खास पंचायतें करती हैं जिन्हें खास कानून द्वारा अधिकार दिये गये हैं। जब तक कि इसी तरह का कानून विधान-परिषद् के लिए भी नहीं बन जाता तब तक उसी तरह की पंचायतें विधान-परिषद् के चुनाव सम्बन्धी झगड़ों को तय करने के लिए नहीं बन सकतीं। इस काम के लिए 'आर्डिनेन्स' विशेष कानूनों का मज-मून तैय्यार कर लिया गया है।"

और मुझे सन्देह नहीं हैं कि अध्यक्ष महोदय समुचित अधिकारियों तक पहुंच कर यह 'आर्डिनेंस' पास करायेंगे, पर जब तक वह 'आर्डिनेंस' न पास हो जाय तब तक हम 'अनियमितता' और 'भ्रष्टाचार' की परिभाषा नहीं कर सकते। इसीलिये यह शब्द अस्पष्ट रूप में छोड़ दिये गये हैं जिससे आर्डिनेंस इनकी परिभाषा तय्यार कर दे।

*श्री के० सन्तानम् : क्या मैं जान सकता हूं कि इस असेम्बली को अपनी 'चुनाव पंचायत' बनाने में क्या कठिनाइयां हैं ?

*श्री के०एम० मुंशी : यह असेम्बली दीवानी जाब्ता की धाराओं के अनुसार पंचायत को कोई अधिकार नहीं दे सकती।

*श्री के० सन्तानम् : अब श्रीमान्, यह सभा एक सर्वसत्ता सम्पन्न सभा है।

*श्री के० एम० मुंशी : जैसा कि कल पंडितजी ने घोषित किया, निस्सन्देह हमारी यह सभा सर्वसत्ता सम्पन्न है। परन्तु हमारे फैसलों को अमली रूप देने के लिए हम किसी दिन प्राप्त करना चाहते हैं।

*दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर : उठाई हुई आपत्ति में कोई दलील नहीं है। आर्डिनेंस की आवश्यकता हो सकती है पर यदि सभा की यह राय हो कि सर्व सत्ता सम्पन्न सभा होने के नाते इसे निर्वाचन सम्बन्धी दरख्वास्तों को खुद निपटा देना चाहिए और धारा-सभा के पास न जाना चाहिए तो हमें जो भी मसाला मिल सकेगा उसकी मदद से बखूबी निपटा सकते हैं। यह उसी तरह होगा जैसे एक गैर सरकारी सभा जांच का काम करती है। फिलहाल

नियमों को स्पष्ट रखा जा सकता है। परन्तु चूंकि यह सभा सर्व सत्ता सम्पन्न है हम उस परिवर्तन स्थिति में वर्तमान धारा-सभा से विमुख नहीं हो सकते, यद्यपि अगर आप उससे कोई सहायता नहीं लेना चाहते तो आप ऐसा कर सकते हैं। नियमों में ऐसी कोई बात नहीं जो हमें धारा-सभा के पास पहुंचने के लिए मजबूर करती हो।

*अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि "अनियमितता" और 'दुर्व्यवहार' (Irregularity & corrupt practice) इन शब्दों की स्पष्ट व्याख्या हमें करनी करनी चाहिए कि नहीं।

*श्री के०एम० मुंशी : इनकी व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी अच्छी तरह व्याख्या हो चुकी है और साधारण निर्वाचन-नियमों में यह लागू होते हैं।

*माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपाल स्वामी आयंगर : अभी आपने जिस प्रश्न का उल्लेख किया है, मेरा विचार है कि विधान-परिषद् के सम्मुख जिस रूप में ये नियम उपस्थित किये गये हैं, उनमें एक खामी है। चुनावों के सम्बन्ध में उठने वाले संदेहों और झगड़ों के लिए इन नियमों के अन्त में, नियम ५७ में यह कहा गया है --

"क्रिडेंशियल्स कमेटी अथवा इलेक्शन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट मिलने पर जैसी भी परिस्थिति हो अध्यक्ष उनके अनुसार आदेश जारी करेंगे।"

श्रीमान्, मुख्य प्रश्न तो यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट मिलने पर आपको यह निर्णय करना होगा कि क्या उस निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाय अथवा नहीं ? यही मुख्य प्रश्न होगा और मेरा विचार है कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में हमें एक ऐसे नियम की आवश्यकता है, जिससे अध्यक्ष को कुछ पथ-प्रदर्शन प्राप्त हो सके कि किन परिस्थितियों में वे किसी चुनाव को अवैध घोषित कर सकते हैं। भारतीय व्यवस्थापिका-सभा से सम्बन्ध रखने वाले ऐसे ही नियमों में से एक नियम अर्थात् नियम ४४ है, जिसमें यह कहा गया है—

> "(१) उस अवस्था के अलावा, जिसकी इस नियम में व्यवस्था कर दी गई है, यदि कमिश्नरों की राय में:—
>
> क—यदि कोई सफल उम्मीदवार किसी नाजायज कार्रवाई के कारण चुना गया हो अथवा निर्वाचकों को ऐसा करने के लिए आमादा किया गया हो, अथवा नाजायज कार्रवाई के कारण चुनाव के परिणाम पर काफी प्रभाव पड़ा हो, अथवा
>
> ख—तालिका ५ के भाग १ में विशेष रूप से उल्लिखित नाजायज कार्रवाइयों में से कोई ऐसी कार्रवाई की गई हो, अथवा
>
> (ग) किसी नामजदगी की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति अथवा कोई

[मा० दीवान बहादुर सर एन० गोपाल स्वामी आयंगर]

अनुचित वोट पड़ने या उसके अस्वीकार होने अथवा कोई अवैध वोट पड़ने अथवा कानून या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों की किसी धारा पर आचरण न करने अथवा उससे सम्बंधित किसी फार्म में किसी गलती की वजह से चुनाव के परिणाम पर काफी प्रभाव पड़ा हो, अथवा

(घ) बहुत से वोटरों पर तालिका ५ के भाग १ या भाग २ के माने में बहुत वोटरों पर अगर अनुचित दबाव डालने अथवा उन्हें रिश्वत देने के कारण चुनाव स्वतंत्र रूप से न किया गया हो, तो सफल उम्मीदवार का निर्वाचन अवैध घोषित किया जायगा।"

मेरा विचार है कि हमें नियम ५७ को इतना विस्तृत कर देना चाहिए कि उसमें इन धाराओं का सार आ जाय। हमें यह व्यवस्था करनी होगी कि यदि अध्यक्ष की राय में ये बातें निश्चित रूप से हुई हों, तो वे चुनाव को अवैध घोषित कर सकते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि इस धारा को उसमें जोड़ दिया जाय।

*श्री बी० दास : नियम ५१ पर विचार करने के बजाय हम नियम ५७ पर विचार करने लग गए हैं। पर इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि जो आर्डिनेन्स जारी किया जाय उस पर अध्यक्ष के भी हस्ताक्षर होने चाहिएं। चाहे कोई भी सरकारी मेम्बर उस पर हस्ताक्षर क्यों न करे, विधान-परिषद् के अध्यक्ष के भी उस आर्डिनेन्स पर हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिएं ....(हस्तक्षेप)...... यदि अध्यक्ष उस पर हस्ताक्षर न करें तो भारत-सरकार के गृह-विभाग अथवा किसी और विभाग के सेक्रेटरी के अलावा विधान-परिषद् के सेक्रेटरी के भी उस पर हस्ताक्षर रहने चाहिएं आर्डिनेन्स का मसविदा कमेटी के पास है और उसे चाहिए कि वह उसे इस परिषद् के सदस्यों के पास भेज दे। नियम ५५ के अन्तर्गत अध्यक्ष को एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है मैं सर गोपालस्वामी आयंगर की इस राय से सहमत हूं कि चुनाव संबन्धी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत कार्य-प्रणाली से संबंध रखने वाले नियम निर्धारित कर दिये जाने चाहिएं। परन्तु मैं उनकी इस राय से सहमत नहीं हूँ कि हमें इस सम्बन्ध में व्यवस्थापिका-सभा के नियम ही अक्षरशः नकल कर लेने चाहिएं, क्योंकि वे नियम तो एक विदेशी सरकार के द्वारा शोषण की दृष्टि से बनाये गए थे। मेरा सुझाव तो नियमों और स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सभी अधिकार अध्यक्ष को देने का है। लेकिन क्या अध्यक्ष को ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के संबन्ध में अपना निर्णय देने का अधिकार होगा, यह एक ऐसा प्रश्न है, जिस पर इस परिषद् के प्रमुख न्यायवेत्ता और वकील सोच-विचार कर सकते हैं। परन्तु मैं अपना यह विचार जोर देकर उपस्थित करना चाहता हूँ कि अध्यक्ष के पथ-प्रदर्शन के लिए नियम और स्थायी आदेश अवश्य होने चाहिएं। दूसरे इस आर्डिनेन्स की स्वीकृति इस परिषद् से अवश्य ही ली जानी चाहिए अथवा यदि उसे स्वीकार करने का उत्तरदायित्व स्वयं

अध्यक्ष अपने ऊपर लेने को तैयार हों तो इस परिषद् को उस पर सोच-विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

*श्री के० एम० मुंशी : सर गोपालस्वामी आयंगर ने कानून संबन्धी नियमों की जिस योजना का उल्लेख किया है, उसमें दो बातें हैं। इसके दो भाग हैं— किसी चुनाव को अवैध घोषित करने के कारण। और ये कारण गवर्नर-जनरल द्वारा न बनाकर कमिश्नरों द्वारा बनाए जायँगे। इसके अलावा इसके कुछ अपवाद भी हैं– अर्थात् यदि उम्मीदवार अथवा उसके चुनाव-एजेन्ट की जानकारी के बिना कोई नाजायज कार्रवाई की गई हो तो चुनाव अवैध नहीं घोषित किया जायगा। उस अवस्था में इसे संबद्ध नियम का ही भाग मानना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत कमिश्नर की रिपोर्ट गवर्नर-जनरल के सम्मुख उपस्थित की जानी चाहिए और गवर्नर-जनरल को उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि परिषद् सहमत हो तो मेरा सुझाव है कि इस बात का निर्णय करने की जिम्मेदारी कि कोई कार्रवाई नाजायज है या नहीं—विधान-परिषद् के अध्यक्ष पर डालना उचित नहीं होगा। गवर्नर-जनरल की भांति उन्हें भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल की राय स्वीकार कर लेनी चाहिए जिससे कि यह निर्णय करने की जिम्मेदारी उन पर नहीं आयेगी कि क्या कोई नाजायज कार्रवाई की गई है अथवा नहीं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि यदि इस धारा को इन नियमों में सम्मिलित करना है तो यह ५६-ए होनी चाहिए और इसमें केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा के चुनाव संबन्धी नियम ४४ और ४५ का सार उस सीमा तक आ जाना चाहिए जहांतक उसका संबन्ध हमारे मामले से हो।

*अध्यक्ष : क्या आप नियम ४४ और ४५ के आधार पर एक नियम का मसविदा तैयार करके उसे कल पेश कर सकेंगे ?

*श्री बी०दास : आर्डिनेन्स के बारे में क्या हुआ ?

*श्री के०एम०मुंशी : यदि यह आवश्यक समझा जाय, अन्यथा यह एक उचित ट्रिब्यूनल नहीं होगा, लोगों के कहने पर स्वयं मेम्बरों पर भी दीवानी कार्रवाई की जा सकती है। किसी उचित कानून के बिना यह कहना असम्भव है कि कौन व्यक्ति नाजायज तरीके से चुना गया है! आपको इसमें बड़ी कठिनाई होगी। हो सकता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर मान-हानि का मुकदमा चलाया जाय और उसे मुआवजा देना पड़े।

*श्री बी०दास : वह आर्डिनेन्स कहां है, हमें उस आर्डिनेन्स की एक प्रति क्यों नहीं दिखाई जाती जिसका "मसविदा बन चुका है और तैयार पड़ा है।"

*माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपाल स्वामी आयंगर : आर्डिनेन्स जारी करने के प्रस्ताव के संबन्ध में एक कठिनाई हमें यह होगी। कोई आर्डिनेन्स तभी उचित ठहराया जा सकता है जब कि आप भारतीय व्यवस्थापिका-

[माननीय दीवानबहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर]

सभा से काम न करा सकते हों। यह तो एक नया कानून बनाने का प्रश्न है। उदाहरण के तौर पर यदि कार्यक्रम के अनुसार भारतीय व्यवस्थापिका-सभा की बैठक फरवरी के प्रारंभ में होती है, तो उचित यह होगा कि इस आधार पर एक बिल उस असेम्बली के सामने उपस्थित करके उससे पास करा लिया जाय। मैं चाहता हूँ कि आप किसी ऐसे अधिकार की कल्पना करें, जिसके अनुसार भारतीय व्यवस्थापिका-सभा द्वारा पास किये जाने वाले एक कानून के अन्तर्गत विधान-परिषद् में ही ऐसे प्रश्नों के निर्णय की व्यवस्था की जा सके। जहां तक मेरा निजी संबन्ध है मैं इसप्रकार के आर्डिनेन्स के पक्ष में नहीं हूँ और मेरा विचार है कि हमें जो भी अधिकार प्राप्त हैं उन्हीं के अन्तर्गत हम अधिक-से-अधिक लाभ उठाने की कोशिश करें।

*श्री जसपतराय कपूर : क्या मैं इस विषयमें दो एक शब्द कह सकता हूं? मैं इन नियमों के अन्तर्गत 'अनियमित अथवा नाजायज़ कार्रवाई' शब्दोंकी परिभाषा जोड़ देने के सख्त खिलाफ हूँ। जितना ही हम इन शब्दों की परिभाषा नियत करने का प्रयास करेंगे उतना ही हम अपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को सीमाबद्ध करेंगे। मैं इस मामले में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हाथ नहीं बांध देना चाहता और न उसके निर्णय के अधिकार पर ही प्रतिबंध लगा देना चाहता हूँ। इस समय हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि कोई उम्मीदवार स्वयं अपने आप अथवा इस देशके बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों की मदद और उनके प्रोत्साहन अथवा सलाह-मशविरे से और सम्भव है कि कभी कभी इस देश के सब से बड़े सरकारी अधिकारियों की मदद और उनके प्रोत्साहन से कौन-कौन सी नाजायज कार्रवाइयां कर सकता है। मैं यह नहीं चाहता कि हम लोग इन शब्दों की परिभाषा निर्धारित करें। हमें यह बात पूर्णतः इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर ही छोड़ देनी चाहिए और इस बात का फैसला भी उसी पर छोड़ देना चाहिये कि क्या चुनाव के समय की कोई खास कार्रवाई अनियमित तथा नाजाइज थी या नहीं।

*श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर : मैं कोई आर्डिनेंस जारी करने अथवा व्यवस्थापिका द्वारा पास किये जाने वाले किसी कानून के सर्वथा पक्ष में नहीं हूँ। हम सभी यहां उपस्थित हैं। हम समय-समय पर रिक्त होनेवाले स्थानों की पूर्ति करने की व्यवस्था का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष एक ट्रिब्यूनल नियुक्त कर सकते हैं फ्रिडिशियल कमेटी एक ट्रिब्यूनल नियुक्त कर सकती है जिसका निर्णय अन्तिम माना जायगा। अध्यक्ष निर्णय को स्वीकार कर लेंगे और इस तरह वह अन्तिम निर्णय हो जायेगा। वह निर्णय इसी परिषद् के प्रत्येक सदस्य को मानना होगा। हम यह अधिकार किसी और अधिकारी को क्यों दें ? हमें अपनी परिषद् को छोड़कर किसी और परिषद् का मुंह नहीं ताकना चाहिए। हम अपने आपको एक सर्वसत्ता संपन्न सभा बना लेंगे और यह सभा सर्वसत्ता-संपन्न है।

कामन्स सभा में भी यही परम्परा चली आती है। रिपोर्ट परिषद् के सन्मुख उपस्थित की जानी चाहिए।

जहां तक गवाह बुलाने का संबंध है, हम वकील तथा साधारण लोग भी जो किसी-न-किसी मुकदमेबाजी में फंसे रहे हैं यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि समन जारी करने का क्या अर्थ होता है? इन सब बातों से अनावश्यक कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। इस परिषद् को इस विषय पर सोच-विचार और निर्णय करने का अधिकार है। उसका निर्णय अंतिम होगा और अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जायगा।

*श्री के० एम० मुंशी : मेरा विचार है कि यह वाद-विवाद अप्रासंगिक है। मैं अपने माननीय मित्र सर गोपाल स्वामी आयंगर का संशोधन स्वीकार करने को तैयार हूँ। मैं चुनाव सम्बन्धी नियमों और व्यवस्थाओं के नियम ४४ और ४५ की धाराओं का सारांश नियम ५६ के अन्तर्गत शामिल करने को तैयार हूँ। मैं अन्तिम मसविदा कल इस परिषद् के सम्मुख उपस्थित कर दूंगा।

*अध्यक्ष : तब यह टेकनिकल कठिनाई पैदा होती है, क्योंकि हमने नियम ५० पास कर दिया है।

मेरे विचार में पहले आपको परिषद् से यह आज्ञा लेनी चाहिए कि क्या "नाजायज कठिनाई" शब्दों को उसमें जोड़ देने के लिए इस प्रश्न पर पुनः सोच-विचार किया जाय या नहीं? मेरी समझ में परिषद् "नाजायज कार्रवाई" और "अनियमितताओं" शब्दों की परिभाषा स्पष्ट कर देना चाहती है।

नियम ५७

*श्री के० एम० मुंशी : मैं इन नियमों—५३ से लेकर ५७ तक का मसविदा फिर से इस परिषद् के सम्मुख उपस्थित करूंगा।

*अध्यक्ष : मैं यह मान लेता हूं कि उसमें यह व्यवस्था भी रहेगी कि अर्जी के झूठा साबित हो जाने पर कितनी रकम जमा करानी चाहिए।

हमें उसमें ऐसी धारा रखनी चाहिए जिसके अन्तर्गत ट्रिब्यूनल को यह आदेश दिया गया हो कि यदि खर्चा न देने का फैसला किया गया हो तो वह रकम वापस लौटा दी जाय।

मैं समझता हूँ कि अब हम नियम ५७ पास कर सकते हैं।

*अध्यक्ष : हम ग्यारहवें अध्याय पर कल प्रातः ११ बजे सोच-विचार करेंगे।

*श्री के० एम० मुंशी : श्रीमान्! क्या मैं यह सुझाव पेश कर सकता हूँ कि हम पांच मिनट और बैठे रहें और नियम ५८ भी समाप्त कर दें? इस पर कोई संशोधन नहीं आया है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नियम ५८ स्वीकार कर लिया जाय। मैं इस सम्बन्ध में सिर्फ एक शब्द और कहना चाहता हूँ। नियम ५८ (१) में कहा

[श्री के० एम० मुन्शी]

गया है:—"अन्तिम रूप से नया संघ-विधान बनाने के पूर्व, परिषद्......" "संघ" से पूर्व "नया" शब्द हटा दिया जाय। यहां इस शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है।

*श्री आर० के० सिधवा : मैं प्रारम्भिक और अन्तिम विधानों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

*अध्यक्ष : इस पर हम कल सोच-विचार करेंगे।

इसी बीच में एक-दो बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कल हमारे इस अधिवेशन का अन्तिम दिन है। इन नियमों के अन्तर्गत हमने जिन कमेटियों के बनाने का फैसला किया है, उनमें से कुछ के सदस्यों का निर्वाचन हमें करना है। कल तक नियम पास नहीं किये जा सकेंगे। इसलिए हम चुनाव कल नहीं कर सकते।

*कतिपय माननीय सदस्य : नहीं।

*अध्यक्ष : क्या मैं यह सुझाव पेश कर सकता हूँ कि यदि सभा चाहे तो कल १२ बजे तक इन कमेटियों के सदस्यों के नाम पेश करने को इस आशा से कहा जाय कि तब तक नियम भी पास हो चुके रहेंगे और यदि वास्तव में चुनाव करना आवश्यक समझा जाय तो कल चुनाव कर लिया जाय।

*माननीय सदस्य : हां।

कमेटियों के निर्वाचन

*एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय! क्या मैं यह जान सकता हूँ कि कल कौन-सी कमेटियों का चुनाव होने जा रहा है?

*अध्यक्ष : स्टीयरिंग कमेटी, स्टाफ और फाइनेन्स कमेटी, हाउस कमेटी, और क्रिडेंशियल्स् कमेटी। परन्तु, यदि हमें स्टीयरिंग कमेटी का चुनाव कल तक संभव न दिखाई पड़ता हो तो हम दूसरी कमेटियों का चुनाव कर सकते हैं। स्टीयरिंग कमेटी का निर्माण समयानुसार आगामी अधिवेशन तक करना पड़ेगा। कल किस समय तक हमें ये नाम पेश करने को कहना चाहिए?

*कुछ माननीय सदस्य : बारह।

*अन्य माननीय सदस्य : ग्यारह।

*अध्यक्ष: निर्वाचन से पूर्व हमें कागज-पत्र तैयार करने होंगे और उसके लिए समय चाहिए।

*आचार्य जे० बी० कृपलानी (संयुक्तप्रान्त : जनरल) क्या मैं यह सुझाव पेश कर सकता हूँ कि नाम कल ११ बजे तक पेश कर दिये जायं?

*अध्यक्ष : यदि सदस्यों को कोई आपत्ति न हो, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति

नहीं है। तब मैं नामजदगी के लिए ११ बजे का समय निश्चित करता हूं और यदि आवश्यक हो तो अपरान्ह में ३ बजे चुनाव कर लिये जायं।

डा० बी० पट्टाभी सीतारमैय्या : नियम पास किये जाने से पूर्व नाम पेश करना अनियमित होगा और आपने सोच-समझ कर १२ बजे का समय निर्धारित किया है।

*श्री के० एम० मुंशी : मेरा सुझाव है कि हम कल ६ बजे अपनी बैठक शुरू करें और ११ बजे तक अपना काम समाप्त कर दें।

*अध्यक्ष : मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं। यदि सदस्यों को कोई आपत्ति न हो, तो सभा की बैठक कल ६ बजे प्रातःकाल शुरू हो। उस हालत में नामजदगी के कागज दाखिल करने का समय १२ बजे होगा।

तब सभा कल ६ बजे तक के लिए उठ जायगी।

उसके बाद सभा सोमवार, २३ दिसम्बर, १६४६ ई० के ६ बजे तक※ के लिए उठ गई।

※बाद में यह समय बदलकर ११ बजे प्रातःकाल कर दिया गया।

गोपनीय

केवल मेम्बरों के निजी उपयोग के लिए

भारतीय विधान-परिषद्

सोमवार, २३ दिसम्बर, १६४६

भारतीय विधान-परिषद की बैठक माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में ग्यारह बजे कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में हुई।

(सभा की कारवाई बन्द कमरे में हुई)

रूल्स आफ प्रोसीजर कमेटी की रिपोर्ट पहले से जारी

अध्याय ११—विधानों के मसविदे और नियम ५८ पर विचार ?

*श्री के०एम० मुन्शी (बम्बई-जनरल) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अध्याय ११ विधानों के मसविदे और नियम ५८ पर सोच-विचार—स्वीकार कर लिया जाय। इस नियम के संबन्ध में, मैं यह उल्लेख कर दूं कि मैं दूसरी पंक्ति में "संघ-विधान" शब्द से "नया" शब्द हटा देने संबन्धी संशोधन को स्वीकार करने को तैयार हूं क्योंकि "नया" शब्द अनावश्यक है।

*श्री धीरेन्द्र नाथ दत्त (बंगाल-जनरल) : अध्यक्ष महोदय कुछ रियासतों में धारा-सभाएं हैं ही नहीं। नियम में यह कहा गया है कि सिफारिश धारा सभाओं के मार्फत भेजी जानी चाहिए। इसलिए मैं इस विषय का स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

*श्री के० एम० मुंशी : मुझे निश्चय है कि प्रत्येक रियासत में धारा सभा की स्थापना होजायगी। यह नियम इसी कल्पना के आधार पर है।

*श्री बी०दास(उड़ीसा : जनरल) मुझे पैरा २२में इस बातका कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि सभा क्या कारवाई करेगी उस नियम के अन्तर्गत सत्ता-हस्तान्तरित किये जाने के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होनेवाले कुछ विषयों की व्यवस्था करने के लिए संघीय विधान-परिषद् और ब्रिटेन के बीच बात-चीत या समझौता आवश्यक होगा। इसका मतलब मैं यह समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था दो सर्व-सत्तासंपन्न देशों के बीच नहीं हो सकती,किन्तु इसका अर्थ तो भारत के ऊपर ब्रिटेन के अवशिष्ट अधिकारों की व्यवस्था क्या होगी। कामन सभा में सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि यह एक संधि होगी जिसके द्वारा उन बातों की व्यवस्था निर्धारित की जायगी जिनका निपटारा सत्ता-हस्तान्तरित होने के परिणाम स्वरूप बाकी रह जायगा

[श्री एम० के० मुंशी]
सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ

*श्री देवीप्रसाद खेतान (बंगाल : जनरल) : श्रीमान्, मुझे व्यवस्था के सम्बन्ध में एक वैधानिक आपत्ति है। श्रीमान् मेरे विचार में श्री बी० दास का संशोधन सर्वथा अव्यवस्थित है। यह संशोधन नियम५८ के परिणामस्वरूप नहीं उठता। जिस पर हम सोच-विचार कर रहे हैं और जिसका सम्बन्ध संघ विधानसे है—केबिनेट मिशन के पैरा २२ से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो एक स्वतंत्र प्रस्ताव है। मुझे इसमें तनिकभी संदेह नहीं कि संघ विधान-परिषद् केबिनेट मिशन के वक्तव्य के पैरा२२की व्यवस्था धाराओंको कार्यान्वित करनेके उद्देश्यसे उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन निश्चय ही इसका नियम ५८ से, जिस पर हम सोच विचार कर रहे हैं, कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा मेरा यह विचार भी है कि इसका कार्य-प्रणाली से भी कोई संबंध नहीं है। उसके लिए तो हमें एक स्वतंत्र और पृथक प्रस्ताव पेश करने की आवश्यकता होगी और मुझे आशा है कि श्री बी० दास नियम ५८ के संबंध में अपनी बात पर जोर नहीं देंगे बल्कि उसे उचित समय तक के लिए स्थगित कर देंगे।

*श्री आर० वी० धुलेकर (संयुक्तप्रान्त : जनरल) : श्री बी० दास ने जो प्रश्न उठाया है वह नियमित है।

*श्री बी०दास : मैं श्री धुलेकर का अपना समर्थन करने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं श्री खेतान की भांति कोई वकील अथवा बड़ा कारबारी नहीं हूं जो कानूनी दृष्टि से यह कह सकूं कि मेरा संशोधन अनियमित है। मैं ही नहीं, हम सभी यहां इस देश के लिए एक सर्वसत्ता सम्पन्न विधान तैयार करने के लिए एकत्र हुए हैं (वाह, वाह) और उसी के लिए हम ये नियम भीबना रहे हैं। हमें बिनेट के मिशन के वक्तव्य के पैरा २२ की त्रुटि पर क्योंकर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका सम्बन्ध ब्रिटेन के साथ एक स्वतन्त्र संधि से न होकर केवल उन महत्त्वपूर्ण अवशिष्ट अधिकारों से है जिनका हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है? आप इस समस्या का मुकाबला करने में क्यों संकोच करते हैं? नियम ५८ (१) में कहा गया है : "संघ विधान का अन्तिम रूप से निर्णय हो जाने से पूर्व"। जब तक ५० प्रतिशत अधिकारों पर ब्रिटेन का नियंत्रण है तब तक आप संघ विधान नहीं तैयार कर सकते। क्या आप मिस्र जैसा विधान चाहते हैं? जाब्ते के नियम ऐसे होने चाहिएं कि जिनसे माननीय अध्यक्ष को इस बात के लिए पथ प्रदर्शन मिल सके कि विधान का निर्माण किस प्रकार होना चाहिए। आप इस सम्बन्ध में संकोच क्यों करते हैं? हम संसार के सामने यह घोषणा क्यों न करें कि हम अपनी हीनता की स्थिति को छोड़कर संपूर्ण समस्या पर विचार-विनिमय करने के लिए तैयार हैं?

*अध्यक्ष : वह प्रश्न उचित अवसर आने पर उठेगा। इस समय तो हम

केवल नियम ५८ पर विचार कर रहे हैं। उस नियम का सम्बन्ध एक खास कार्य-प्रणाली से है, जिस पर अपना काम चलाने के लिए विधान परिषद् को अमल करना है। केबिनेट मिशन के वक्तव्य का पैरा २२ एक बिलकुल अलग विषय है। इसका नियम ५८ से कोई सम्बन्ध नहीं है।

*श्री बी०दास : अध्याय ११ के शीर्षक में कहा गया है : "विधानों के मसविदे पर विचार।"

*अध्यक्ष : अच्छा तो अब मुझे पता चला कि यह शीर्षक है। परन्तु केबिनेट मिशन के वक्तव्य के पैरा २२ में कहा गया है कि सत्ता हस्तान्तरित करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले कुछ विषयों की व्यवस्था के लिए संघ की विधान-परिषद् और ब्रिटेन के बीच एक संधि पर विचार-विनिमय करना आवश्यक होगा। ब्रिटेन और संघ विधान-परिषद् के बीच किसी समझौते की कोई-न-कोई बातचीत चलानी ही होगी। यह नियम ५८ का अंग नहीं है। यह तो एक बिलकुल स्वतंत्र चीज है। संघ विधान-परिषद् केबिनेट मिशन के वक्तव्य के पैरा २२ को कार्यान्वित करने की निश्चय ही चेष्टा करेगी, लेकिन इन नियमों के अन्तर्गत नहीं, जिनका उद्देश्य अपना काम चलाने के लिए विधान-परिषद् का मार्ग प्रदर्शन करना है।

*श्री बी० दास : मेरा विचार है कि यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है जिस पर सभा को विचार करना चाहिए।

*अध्यक्ष : मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है। परन्तु प्रत्येक बात के लिए समय होता है। इस पर हम बाद में विचार करेंगे। एडवाइजरी कमेटी की तरह हम संघ पर विचार-विनिमय करने के लिए भी एक कमेटी नियुक्त करेंगे। लेकिन उसके लिए यह उपयुक्त समय नहीं है।

*श्री के० सन्तानम् (मद्रास : जनरल) : नियम ५८ के बारे में मुझे एक संशोधन पेश करना है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नियम ५८ (२) में "अन्तिम रूप से निर्णय" शब्द के बाद निम्न शब्द जोड़ दिये जायं : "अथवा गुट बनाने का आखिरी फैसला हो जाने पर।"

*अध्यक्ष : क्या नियम ५८ की धारा (१) के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है ? तो हम मान लेते हैं कि यह स्वीकार कर ली गई।

*श्री बी० गोपाल रेड्डी (मद्रास : जनरल) : यह इस प्रकार होनी चाहिए: "बहुत से प्रान्त और रियासतें अपनी धारा सभाओं के द्वारा जहां वे हों।" क्योंकि बहुत-सी रियासतों में इस समय धारा सभाएं नहीं हैं।

*श्री के० एम० मुंशी : मैंने एक और सदस्य को उत्तर देते हुए कहा था कि जहां धारा सभाएं नहीं होंगी, वहां यह धारा लागू नहीं होगी।

*श्री जयपालसिंह (बिहार : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या श्री मुंशी को "अथवा दरबार" शब्द जोड़ देने में कोई आपत्ति है ? इस प्रकार जहां धारा सभाएं नहीं हैं, वहां भी यह धारा लागू हो सकेगी।

*श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त : श्रीमान्, इस प्रकार की एक धारा उसमें जोड़ देनी चाहिए।

"यदि किसी रियासत में धारा सभा न हो तो रियासतों की जनता के स्वीकृत संघों के जरिये उनके विचार जान लिए जायं।"

मेरा विचार है कि इससे हमारा उद्देश्य पूरा हो जायगा।

*श्री के० एम० मुंशी : श्रीमान्, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ। धारा सभा एक अधिकृत संस्था है और यदि कहीं धारा-सभा नहीं है तो वहां उसके विचार जानने की जरूरत नहीं है।

*श्री एच० वी० कामथ (मध्यप्रांत और बरार : जनरल) : यदि हम "धारासभा" शब्द को बना रहने दें तो हम उन रियासतों को जहां धारासभाएं नहीं हैं, धारासभाएं स्थापित करने लिए विवश कर सकते हैं।

*श्री के० एम० मुंशी : मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है। यदि किसी रियासत में धारा सभा नहीं है जो उसे इस प्रश्न का निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है।

*अध्यक्ष : अब मैं श्री जयपाल सिंह के संशोधन पर वोट लेता हूं।

संशोधन अस्वीकृत कर दिया गया।

*अध्यक्ष : अब मैं श्री सन्तानम के संशोधन पर वोट लेता हूं।

संशोधन नामंजूर हो गया।

*श्री के० सन्तानम् : श्रीमान्। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नियम ५८ (२) (क) में "यदि प्रांतों के प्रतिनिधियों का बहुमत ऐसा चाहे" शब्दों की जगह ये शब्द "यदि सेक्शन ऐसा चाहे" जोड़ दिये जायं। इसकी वजह यह है कि हमें यह कहा गया है कि हम इस बात का निर्णय प्रांतों पर छोड़ दें कि क्या प्रस्ताव अथवा प्रारंभिक मसविदा भेजा जाय या नहीं। मान लीजिए कि कोई "सेक्शन" कहता है कि हमें तो केवल प्रस्ताव चाहिए। ऐसी हालत में कोई प्रान्त यह कैसे कह सकता है कि उसके पास विधान का मसविदा भेजा जाय ? इसलिए मैं कहता हूँ इसका निर्णय तो सेक्शन को ही करना चाहिए। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि प्रत्येक प्रान्त द्वारा यह निर्णय किया जाय कि वह क्या चाहता है अथवा प्रारंभिक मसविदा; केवल सेक्शन प्रस्ताव को ही यह निर्णय करने का अधिकार होगा कि उनके विधान-निर्माण का कार्य

किस तरीके से आगे बढ़ाया जाय। इस नियम में यह कहा गया है कि यह फैसला करना प्रान्त का अधिकार होगा कि यह प्रस्ताव के रूप में होना चाहिए अथवा विधान के मसविदे के रूप में है। "यदि प्रान्तों के प्रतिनिधियों का बहुमत ऐसा चाहे" शब्दों के स्थान पर 'यदि सेक्शन ऐसा चाहे' शब्द जोड़ दिये जायं।

*माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपाल स्वामी अय्यंगर (मद्रास : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे इस संशोधन के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहने की आज्ञा है? मेरा विचार है कि इस धारा के सम्बन्ध में श्री सन्तानम् द्वारा पेश किये गये प्रथम संशोधन का सार स्वीकार कर लिया जाय। परन्तु यदि संभव हो सके तो मैं उनके संशोधन में शाब्दिक परिवर्तन करना चाहूँगा जिससे कि उसे केबिनेट मिशन के वक्तव्य की भाषा के अनुरूप बनाया जा सके। हम यह कह सकते हैं, "किसी प्रान्त के विधान का अन्तिम रूप से निर्णय होने से पहले अथवा अंतिम रूप से यह निर्णय होने से पूर्व कि क्या एक गुट—विधान बनाया जाय अथवा नहीं।" इसे हम इस तरीके पर पेश कर सकते हैं।

जहां तक उनके दूसरे संशोधन का सम्बन्ध है यह जान बूझकर उन शब्दों में रखा गया है जैसा आप प्रस्तुत धारा में पाते हैं। क्योंकि इसका एक बहुत महत्त्वपूर्ण कारण है। किसी प्रान्त के प्रतिनिधियों के बहुमत की स्वीकृति अथवा इच्छा की बात इसलिए कही गयी है कि चूंकि इसका उद्देश्य केवल यह फैसला करना है कि क्या प्रान्त के पास प्रस्ताव भेजा जाय अथवा मूल विधान का मसविदा। मेरा कहना है कि "सी" जैसे सेक्शन में तो ऐसा होना सर्वथा संभव है यदि वह यह फैसला करे कि मूल विधान का मसविदा प्रान्त के पास न भेजा जाय तो संभव है कि जब आसाम प्रान्त के प्रतिनिधियों का बहुमत मूल विधान पर ही सोच विचार करना अधिक पसंद करे? इसलिए इस हालत में उनकी इच्छा की पूर्ति न हो सकेगी इसका अर्थ यह हो सकता है कि बंगाल मूल विधान नहीं चाहता। हो सकता है कि आसाम चाहता हो। यदि सेक्शन "सी" में आसाम के प्रतिनिधियों का बहुमत प्रस्ताव की बजाय अपने सामने मूल विधान ही रखना चाहता हो तो हम उन्हें ऐसा करने से क्यों रोकें?

*श्री एल० कृष्णस्वामी भारती (मद्रास : जनरल) : श्रीमान्, श्री सन्तानम् के संशोधन का आशय इस प्रकार के संशोधन से भी पूरा हो सकता है यदि उसमें ये शब्द जोड़ दिये जायं :—

"किसी प्रांत के विधान का अथवा किसी गुट के विधान का, अन्तिम रूप से निर्णय करने से पहले" जैसी कि इस समय व्यवस्था है। संघ विधान का निर्णय करने से पूर्व हमें उन प्रांतों के दृष्टिकोण को जान लेना आवश्यक है।

अध्यक्ष : क्या आपने इस संशोधन की कोई सूचना दी है?

*श्री एल० कृष्णस्वामी भारती : नहीं।

श्री के० सन्तानम् : श्रीमान्, यह तो एक सर्वथा भिन्न संशोधन है।

***श्री एच० वी० कामठ** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं एक छोटा-सा संशोधन पेश करना चाहता हूं और आशा करता हूँ कि मेरे माननीय मित्र श्री मुंशी को उसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। संशोधन इस प्रकार है :—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उप-धारा (२) में उसे अवसर दिया जायगा" शब्दों के बाद "उसकी धारा सभा के द्वारा" शब्द जोड़ दिये जायं।

इस प्रकार यह उप-वाक्यांश (१) के अनुरूप हो जायगा।

***श्री के० एम० मुंशी** : श्रीमान्, मैं श्री सन्तानम् का पहला संशोधन यदि उन्हें कोई आपत्ति न हो तो इस रूप में स्वीकार करने को तैयार हूँ। अब यह वाक्यांश इस प्रकार पढ़ा जायगा :—

"किसी प्रांत के विधान का अन्तिम रूप से निर्णय करने से पहले अथवा उस सेक्शन के लिए जिसमें संबद्ध प्रांत शामिल हैं, गुट विधान के निर्माण के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय करने से पहले।"

***एक माननीय सदस्य** : दूसरा वाक्यांश पहले आना चाहिए।

***श्री के० एम० मुंशी** : मेरी समझ में यह बात नहीं आई।

***अध्यक्ष** : उनका कहना है कि पहले आपको यह फैसला करना चाहिए कि क्या गुट-विधान बनाया जायगा अथवा नहीं।

***श्री के० एम० मुंशी** : श्रीमान्, केबिनेट मिशन के वक्तव्य के अनुसार पहले प्रांतीय विधान तैयार किया जायगा। यदि उनका संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो कार्यप्रणाली उलट जायगी।

***अध्यक्ष** : श्री कामठ के संशोधन का क्या हुआ ?

***श्री के० एम० मुंशी** : श्रीमान्, मुझे वह स्वीकार है। अवसर 'प्रांतीय धारा सभा के द्वारा' दिया जाय। इसे अधिक स्पष्ट कर देना बहतर होगा।

मैं श्री सतानम् के दूसरे प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

***डा० पी० एस० देशमुख (मध्यप्रांत और बरार : जनरल)** : क्या प्रांत इसी परिषद् में अपने प्रस्ताव तैयार नहीं करेंगे ?

***अध्यक्ष** : नहीं।

***श्रीयुत आर० के० चौधरी (आसाम : जनरल)** : क्या मैं यह सुझाव पेश कर सकता हूं कि 'लेजिस्टलेचर' शब्द के बजाय "असेम्बली" शब्द रखा जाय ; क्योंकि 'लेजिस्लेचर' में दोनों ही सभाएं शामिल हो सकती हैं।

*श्री के० एम० मुंशी : "लेजिस्लेचर" शब्द अधिक उपयुक्त है।। दोनों सभाओं को अवसर मिलना चाहिए।

*श्री आर० के० चौधरी : मुझे अपने हस्तक्षेप के लिए खेद है। लेजिस्लेटिव कौंसिल का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इस परिषद् के सदस्य लेजिस्लेटिव कौंसिल से नहीं, बल्कि लेजिस्लेटिव असेम्बली से चुने गए हैं।

श्री के० एम० मुंशी : श्रीमान्, मेरा तो इतना ही कहना है कि यह केवल सूचनार्थ भेजी जा रही है और मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि दोनों ही सभाएं इस पर अपनी राय क्यों न दें ।

*श्री धीरेन्द्रनाथदत्त : श्रीमान्, मुझे एक नया संशोधन पेश करना है। यदि श्री सन्तानम् के संशोधन पर काम किया जाय तो मुझे यह कहना है कि...

*अध्यक्ष : सभी संशोधन हमारे सामने हैं। उन्हें पहले ही पेश किया जा चुका है और ऊपर विचार विनिमय भी हो चुका है ।

*श्री धीरेन्द्रनाथदत्त : मैं यह कहना चाहता हूं कि वाक्यांश (ख) के रहते हुए इसमें अनियमितता उत्पन्न हो जाएगी...

*दीवान चमनलाल (पंजाब : जनरल) : क्या मैं यह सुझाव पेश कर सकता हूं कि निजी वार्तालाप करने की बजाय हमें संशोधन अपने सामने रखने चाहिएँ जिससे कि हम उन्हें समझ सकें।

*श्री धीरेन्द्रनाथदत्त : श्रीमान्, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं...

*अध्यक्ष : अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

*श्री धीरेन्द्रनाथदत्त : मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं...... (आर्डर, आर्डर की आवाजें)......मैं यह कहना चाहता हूँ कि इससे अव्यवस्था एवं नियम विरुद्धता उत्पन्न हो जायगी।

*श्री के० एम० मुंशी : दो अवस्थाएं हैं—प्रारम्भिक फैसला, जिसका उल्लेख (ख) में किया गया है और उसके बाद हम ये शब्द पाते हैं "अन्तिम निर्णय करने से पूर्व" यह बहुत स्पष्ट है और इसके लिए किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

*दीवान चमनलाल : क्या आप मसविदे में कोई परिवर्तन कर रहे हैं ?

*श्री के० एम० मुंशी : हां

*दीवान चमनलाल : क्या कृपया आप उसे पढ़ेंगे ?

*श्री के० एम० मुंशी : मैं सम्पूर्ण वाक्यांश को अभी पढ़े देता हूँ।

"किसी प्रान्त के विधान का अन्तिम निर्णय करने से पूर्व अथवा सेक्शन के

[श्री के० एम० मुंशी]

लिए जिसमें संबद्धित प्रान्त शामिल हैं, गुट-विधान के निर्माण के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय करने से पहले सम्बन्धित प्रान्त का उसकी धारा सभा के द्वारा निम्न बातों के बारे में उस अवधि के अन्दर जो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित की जायगी, अपने विचार प्रगट करने का अवसर दिया जायगा।

(क) ऐसे प्रस्तावों के सम्बन्ध में, जिनमें विधान की मुख्य बातों की रूपरेखा का उल्लेख किया गया हो अथवा, यदि प्रान्त के प्रतिनिधियों का बहुमत चाहता हो तो इस प्रकार के विधान के प्रारंभिक मसविदे पर, और

(ख) संबन्धित सेक्शन के प्रारंभिक निर्णय पर, कि क्या गुट विधान उन प्रान्तों के लिए तैयार किया जायगा जो उस सेक्शन में शामिल हैं और यदि ऐसा हो तो वह गुट किन-किन प्रान्तीय विषयों पर विचार करेगा।"

मैं इसमें थोड़ा-सा परिवर्तन करना चाहता हूं। एक के लिए तो यह कहा गया है कि "प्रान्त के प्रतिनिधियों का बहुमत" और दूसरे के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूँ कि (ख) में इसी तरह का यह वाक्यांश जोड़ दिया जाय "यदि प्रान्त के प्रतिनिधियों का बहुमत ऐसा चाहता हो।"

*श्री देवीप्रसाद खेतान : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि (ख) में इसे न जोड़ा जाय। बहरहाल कुछ भी हो, प्रारंभिक निर्णय होने पर और अन्तिम निर्णय करने से पहले धारा सभा के विचार जान लेने चाहिएं कि क्या बहुमत ऐसा चाहता है अथवा नहीं।

*श्री आर०वी० धुलेकर : मेरा निवेदन है कि "लेजिस्लेचर" शब्द संदेहास्पद है और उसकी जगह "असेम्बली" शब्द होना चाहिए।

*श्री के०एम० मुंशी : मुझे 'प्राविंशियल लेजिस्लेटिव असेम्बली' शब्द पर कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु श्रीमान्, यदि आप चाहें तो इस पर वोट ले सकते हैं। मैं इस मामले में तटस्थ हूं।

*अध्यक्ष : उस बात के अतिरिक्त जिसका उल्लेख श्री धुलेकर ने अभी किया था कि "प्राविंशियल लेजिस्लेटिव असेम्बली" शब्द रखे जायं, मैं सभा से यह जानना चाहता हूं कि श्री सन्तानम् का संशोधन स्वीकार करने के बाद श्री मुंशी ने जो मसविदा उपस्थित किया है, उस पर वह सहमत हैं या नहीं।

श्री मुंशी का मसविदा स्वीकार कर लिया गया।

*अध्यक्ष : अब मैं श्री धुलेकर का यह संशोधन पेश करता हूँ कि "लेजिस्लेचर" शब्द के स्थान पर "असेम्बली" शब्द रखा जाय।

*एक माननीय सदस्य : वाक्यांश (१) में पहले से ही "लेजिस्लेचर" शब्द विद्यमान है।

*अध्यक्ष : पहले वाक्यांश में "लेजिस्लेचर" शब्द विद्यमान है और इसमें भी "लेजिस्लेचर" शब्द का ही प्रयोग किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इसकी जगह "लेजिस्लेटिव असेम्बली" शब्द रखा जाय। जो सदस्य श्री घुलेकर के इस संशोधन के पक्ष में हैं कि "लेजिस्लेचर" शब्द के स्थान पर "लेजिस्लेटिव असेम्बली" शब्द रखा जाय, वे "हां" कहें।

सदस्यों ने हाथ उठाये और उनकी गणना के बाद यह संशोधन अस्वीकृत कर दिया गया।

*अध्यक्ष : पहले वाक्यांश को अब पास कर दिया गया है। अब हम दूसरे वाक्यांश को उठाते हैं। श्री सन्तानम्, क्या आप अपने संशोधन पर जोर देना चाहते हैं ?

*श्री सन्तानम् : मैं इस पर जोर नहीं देना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ......

*अध्यक्ष : जब आप उस पर जोर नहीं देना चाहते, तो उसका स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है।

वाक्यांश (२) (ख) स्वीकृत कर लिया गया।

*अध्यक्ष : अब मैं नियम ५८ पर सभा का मत लूंगा।

*श्री एल० कृष्णास्वामी भारती : श्रीमान्, अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि क्या जब गुट विधान बन जायगा तो उसे पुनः विधान परिषद् के पास भेजा जायगा अथवा नहीं ?

*माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर : क्या मैं यह बता सकता हूँ कि केबिनेट मिशन की यह योजना इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डालती कि गुट का विधान किस तरीके से तैयार होगा और उसे कौन तैयार करेगा। इसका निर्णय बाद को इसी परिषद् को करना है। वास्तव में योजना में केवल यही व्यवस्था है कि इस बात का निर्णय करना होगा कि क्या गुट-विधान बनाया जाय अथवा नहीं, और यदि वह बनाया जाय तो गुट के पास कौन-कौन से प्रान्तीय विषय रहने चाहिएं। इससे अधिक उसमें कुछ नहीं कहा गया है। इस बात का निर्णय हमें बाद में करना है कि क्या गुट-विधान गुट द्वारा तैयार किया जाय अथवा संघ-परिषद् द्वारा।

नियम ५८ संशोधित रूप में स्वीकृत कर लिया गया।

अध्याय १२—विविध

*श्री के० एम० मुंशी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अध्याय १२—विविध, नियम ५६ स्वीकार कर लिया जाय।

*श्री एल० कृष्णस्वामी भारती : इसमें गुट-विधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। यदि गुट-विधान बनाने का निर्णय किया गया तो प्रांतों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जा सकता है।

*श्री के० एम० मुंशी : इस बात का जवाब मेरे माननीय मित्र सर एन० गोपालस्वामी आयंगर द्वारा दिया जा चुका है। मिशन के वक्तव्य में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत गुट-विधान का निर्णय करने का अधिकार दिया गया हो। इसलिए इस सभा को इस बात का स्वाभाविक अधिकार प्राप्त है और इसके लिए किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

नियम ५६ स्वीकार कर लिया गया।

नियम ६०

*श्री के० एम० मुंशी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नियम ६० स्वीकार कर लिया जाय।

नियम ६० स्वीकार कर लिया गया।

नियम ६१, ६२, और ६३ स्वीकार कर लिए गए।

नियम ५३, ५४, ५५, ५६, और ५६ ए

*श्री के० एम० मुंशी : अब मैं उन नियमों को फिर पेश करता हूँ जिन्हें उनका दुबारा मसविदा तैयार करने के लिऐ छोड़ दिया गया था। उनमें से एक नियम ५६ (ए) है, जिसका सम्बन्ध "अनियमित" और "नाजायज कार्रवाइयों" की परिभाषा से है।

"५६-ए (१) यदि क्रिडेंशियल्स कमेटी अथवा इलेक्शन ट्रिब्यूनल की राय में जैसी भी परिस्थिति हो, सफल उम्मीदवार का निर्वाचन भारतीय व्यवस्थापिका सभा के निर्वाचन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट किसी प्रकार की नाजायज कार्रवाई के कारण दूषित होगया हो अथवा किसी नामजदगी की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति अथवा किसी वोट की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति अथवा कोई अवैध वोट पड़ने के कारण निर्वाचन पर काफी प्रभाव पड़ा हो उस किस्म का अनुचित प्रभाव डाला गया हो या उस किस्म का घूस दिया गया हो जिसका जिक्र केन्द्रीय असेम्बली के निर्वाचन सम्बन्धी नियमों में आया है और इसके कारण निर्वाचन स्वतंत्र रूप से न हो सका हो तो कमेटी या ट्रिब्यूनल, जैसी भी परिस्थित हो, अपनी रिपोर्ट में इस निर्वाचन को अवैध घोषित कैर देने की सिफारिश कर सकती है।

क्रेडेंशियल्स कमेटी अथवा इलेक्शन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट में, जैसा भी प्रसंग हो, इन बातों की सिफारिश रहनी चाहिए कि कुल खर्च क्या होगा

जिसे अदा करना होगा, यह खर्च कौन व्यक्ति और किसको चुकायगा और साथ ही इस बात की भी सिफारिश उसमें रहनी चाहिए कि नियम ५१ की रू से जमा की हुई जमानत की रकम से क्या कोई खर्च दिया जायगा और क्या जमानत की उक्त रकम लौटा दी जाय ?"

इस प्रकार सभी सम्भव स्थिति की व्यवस्था कर दी गई है। मैं आशा करता हूँ कि सभा इन नियमों को नियम ५३ से लेकर नियम ५६ तक जिसमें ५६—ए भी शामिल है—स्वीकार करेगी।

*अध्यक्ष : ये नियम कल उनका पुनः मसविदा तैयार करने के उद्देश्य से छोड़ दिये गए थे। श्री मुंशी ने अब उनका नया मसविदा पेश किया है। चूंकि उनके सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं पेश किया गया, इसलिए मैं उन्हें सभा के सम्मुख वोट लेने के लिए उपस्थित करता हूं।

नियम ५३, ५४, ५५, ५६ और ५६—ए स्वीकृत कर लिए गए।

*श्री जसपतराय कपूर (संयुक्तप्रांत : जनरल) : मैं "नाजायज कार्रवाइयों" के सम्बन्ध में एक संशोधन पेश करना चाहता हूं।

*माननीय सदस्यगण : नियम तो पास किया जा चुका है।

*अध्यक्ष : सभा के सामने इस समय कोई भी ऐसा मामला पेश नहीं है, जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य अपना संशोधन पेश करना चाहें। जब मैंने देखा कि कोई भी व्यक्ति आपत्ति नहीं कर रहा तो मैंने वह नियम सभा के सामने वोट लेने के लिए उपस्थित कर दिया।

*श्री जसपतराय कपूर : श्रीमान्, मुझे खेद है कि मैं अध्यक्ष का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सका।

नियम २६

*श्री के० एम० मुंशी : अब मैं नियम २६ (१) को स्वीकृति के लिए पेश करता हूँ, जिसे श्री आय्यंगर द्वारा उपस्थित किये गए सुझाव के प्रकाश में फिर से तैयार करना पड़ा है। वह वाक्यांश अब २६ (१) शामिल कर लिया गया है। मैं उसके दुबारा तैयार किये गए मसविदे को पढ़ता हूं।

> परिषद् के अधिवेशन के दिनों में असेम्बली चेम्बर और उसकी गैलरियों में परिषद् के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के प्रवेश की व्यवस्था अध्यक्ष के आदेशों के अनुसार होगी।
>
> मगर शर्त यह है कि जब परिषद् की बैठक बन्द कमरे में होगी तो सदस्यों और ड्यूटी पर तैनात अफसरों तथा स्टाफ के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति को असेम्बली चेम्बर अथवा उसकी गैलरियों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

[श्री के० एम० मुंशी]

(२) अध्यक्ष के आदेश पर परिषद् की बैठकें बन्द कमरे में हो सकती हैं।

(३) सारी कमेटियों की कार्यवाही बन्द कमरे में होगी।

नियम २६ स्वीकार कर लिया गया।

नियम २७

*श्री के०एम० मुंशी : इसके बाद अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में नियम २७ का उप-नियम (६) है। इस नियम का मसविदा भी फिर से तैयार किया गया है जो इस प्रकार है।

(६) "कोई भी सदस्य जिसे नामजद किया गया है, परिषद् द्वारा निर्वाचन करने से पूर्व अपना नाम वापस ले सकता है।

(७) निर्वाचन के लिए निर्धारित तारीख को उपाध्यक्ष परिषद् के सामने उन सदस्यों के नाम पढ़कर सुनाएंगे, जिन्हें उचित रूप से नामजद किया गया है और जिन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया है। इसके साथ ही उपाध्यक्ष उम्मीदवार के प्रस्तावकों और समर्थकों का नाम भी पढ़कर परिषद् को सुनाएंगें और यदि इस प्रकार मनोनीत केवल एक ही सदस्य होगा तो उसे वह नियमानुसार निर्वाचित घोषित कर देंगे। यदि इस प्रकार मनोनीत एक से अधिक सदस्य होंगे जो परिषद् अध्यक्ष का निर्वाचन बैलट (गुप्त मतदान) पद्धति द्वारा करेगी।

(८) यदि केवल दो ही उम्मीदवार होंगे तो जिस उम्मीदवार को गुप्त निर्वाचन पद्धति द्वारा अधिक वोट पड़ेंगे उसे ही निर्वाचित घोषित किया जायगा। यदि दोनों के बराबर-बराबर वोट पड़ेंगे तो निर्वाचन का फैसला लाटरी से किया जायगा।

(९) जब दो से अधिक उम्मीदवार नामजद किये गये हों और पहले गुप्त निर्वाचन में किसी भी उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त समस्त वोटों से अधिक वोट न मिले हों तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले होंगे उसे पृथक् कर दिया जायगा और निर्वाचन जारी रहेगा। हर बार निर्वाचन के समय जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिलेंगे उसे निर्वाचन से पृथक् कर दिया जायगा और अन्त में जब एक उम्मीदवार को अवशिष्ट उम्मीदवार अथवा उम्मीदवारों के कुल वोटों से अधिक वोट मिलेंगे, जैसो भी स्थिति हो, तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

(१०) यदि किसी बैलट (गुप्त) निर्वाचन में तीन या उससे अधिक उम्मीदवारों में से किसी एक को भी बराबर-बराबर वोट मिलेंगे और उनमें से एक को उप-नियम (८) के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से निर्वाचन से पृथक्

करना होगा और इस बात का फैसला कि समान वोटों वाले उम्मीदवारों में से किस को निर्वाचन से पृथक् किया जाय—लाटरी से किया जायगा।

नियम २७ के उपनियम (६), (७), (८), (६) और (१०) जिनका मसविदा फिर से तैयार किया गया था, स्वीकार कर लिये गए।

नियम ३३

*श्री के०एम० मुंशी : अगला नियम ३३ वां नियम है। उसके वाक्यांश (२) को पुनः इस प्रकार तैयार किया गया है:-

(२) "परिषद् द्वारा निर्वाचित उपाध्यक्षों में से किसी के रिक्त स्थान की पूर्त्ति ऐसे समय और ऐसे तरीके से जिसे अध्यक्ष निर्दिष्ट करें, समस्त परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से ही निर्वाचन के जरिये की जायगी।

तब सभा के कल के निर्णय के अनुसार वाक्यांश (३) और (४) उसमें से निकाल दिये जायंगे।

संशोधित रूप में नियम ३३ स्वीकृत कर लिया गया।

*श्री के०एम० मुंशी : इसके बाद केवल एक और वाक्यांश शेष रह जाता है और वह सेक्रेटरी के सम्बन्ध में है, जिसमें कहा गया है कि वह अपने पद के कारण कमेटियों का सेक्रेटरी रहेगा। इसका मसविदा तैयार हो रहा है।

नियम १८

*श्री के० एम० मुंशी : अब मैं नियम १८ को लेता हूँ अर्थात परिषद् में कौन-सी भाषायें व्यवहृत होंगी। यह एक बड़ा मनोरंजक विषय है।

श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह नियम इस थोड़े से परिवर्तन के अतिरिक्त—जो मुझे भी स्वीकार है—कि वाक्यांश (२) में 'परिषद् के सरकारी रिकार्ड' शब्दों की बजाय "परिषद् की कार्रवाई के सरकारी रिकार्ड" शब्द जोड़ दिये जायं, स्वीकार कर लिया जाय। अन्यथा, परिषद् का समस्त लिखा-पढ़ी इत्यादि तीनों ही भाषाओं में करनी होगी।

*डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी (बंगाल : जनरल) : इस नियम में कहा गया है कि जब कोई सदस्य अपनी प्रान्तीय भाषा में भाषण देगा तो उसके भाषण का अनुवाद सदस्यों को दिया जायगा। क्या मैं यह जान सकता हूं कि वह अनुवाद कब दिया जायगा?

*श्री के० एम० मुंशी : जब कि बहस चल रही होगी। जब कोई माननीय सदस्य अपनी भाषा में बोलेंगे, तो अन्य सदस्यों के लाभ के लिए उनके भाषण का अनुवाद उसी समय बांट दिया जायगा। यह उद्देश्य है। उसके बाद वह अनुवाद परिषद् की कार्रवाई में शामिल कर लिया जायगा।

*डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी : श्रीमान्, उसके बाद इसमें कहा गया है, "भाषण का सारांश सदस्य द्वारा प्रयुक्त भाषा से भिन्न भाषा में होगा।" क्या इसका अभिप्राय हिन्दुस्तानी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक से है ? इन दोनों भाषाओं के अतिरिक्त बहुत-सी भाषाएं हैं। यह वाक्यांश इस प्रकार होना चाहिए: "भाषण का सारांश हिन्दुस्तानी में अथवा अंग्रेजी में।"

*श्री के० एम० मुंशी : इस विषय पर हमने बहुत समय तक विचार विनियम किया है। इस सम्बन्ध में इतने अधिक विरोधी दृष्टिकोण हैं कि हमने यह फैसला किया कि इन परिस्थितियों में सबसे उत्तम उपाय यही होगा कि सारी बात सभापति की इच्छा पर छोड़ दी जाय।

श्री सेठ गोविन्ददास (मध्यप्रांत और बरार : जनरल) : मैं निम्न-लिखित संशोधन पेश करता हूं।

"मैं चाहता हूं कि दूसरी पंक्ति से "or english" शब्द हटा दिया जाय। बाद में जहां नियम यह कहता है कि—" शर्त यह है कि अध्यक्ष उन सदस्यों को, जो इन दोनों भाषाओं से अपरिचित हैं, इस परिषद् में अपनी मातृ भाषा में बोलने की अनुमति देंगे" यहां "either language" की जगह मैं चाहता हूं "the seid languuage" रखा जाय और उसके "mother tongue" के बाद "or english" रखा जाय।

इस समय जैसा कि नियम है उसके अनुसार हम लोग हिन्दी उर्दू यानी हिन्दुस्तानी या अंग्रेजी में यहां बोल सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि ६ तारीख के बाद जब से हमने अपनी कार्रवाई शुरू की, हिन्दुस्तानी के लिए कोई बंधन न रहने पर भी हम लोगों की यहां जितनी कार्रवाई हुई है वह ज्यादातर अंग्रेजी में ही हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब विधान-परिषद् स्वतंत्र भारत का विधान बनाने जा रही है तो यदि अंग्रेजी को ही अपनी राष्ट्रभाषा मानकर वह काम करना चाहती है तो यह एक बड़े दुख की बात है। अंग्रेजी कभी भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। मैं यह कहना चाहता हूं अपने मद्रासी भाइयों से अगर २५ वर्षों के बाद महात्माजी के प्रयत्नों के बाद, उतनी कोशिश के बाद भी और कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उसके बाद भी अगर वह हिन्दुस्तानी नहीं समझते हैं तो यह उनका दोष है, हमारा नहीं। और जब यह दोष उनका है तो इसके लिए जो कठिनाई उनके सामने उपस्थित है तो उन्हें उसे मंजूर करना पड़ेगा। यदि कुछ मद्रासी भाई हिन्दुस्तानी नहीं समझ सकते और इसके लिए हमारी विधान-परिषद् में, जिसे सत्तासम्पन्न सभा कहा जाता है और जो स्वतंत्र भारत का विधान बनाने के लिए बैठी है, अंग्रेजी का दौर-दौरा रहता है तो यह हमारी बरदाश्त के बाहर है। आप जानते हैं मैं बहुत कम बोलता हूँ

लेकिन जो सैद्धान्तिक बातें हैं उनके लिए हर किसी को अपने विचार आगे रखने को तैयार रहना चाहिए और उसी के आधार पर मैंने अपनी बातें कही हैं। मेरा विश्वास है कि मेरी इस तरमीम को जो अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं और हिन्दुस्तानी नहीं जानते उनको अंग्रेजी में बोलने की आजादी हो आप मंजूर करेंगे। इस तरमीम के बाद यहां जो कार्यवाही होगी, वह मैं आशा करता हूँ कि हिन्दुस्तानी भाषा में होगी न कि अंग्रेजी में।

जब हमारे नरम दल के भाई अंग्रेजी को ही अपनी राष्ट्र-भाषा मानते थे और यदि मानते नहीं थे तो कम से कम बनाना चाहते थे। लेकिन हमने देखा कि कि इतने वर्षों के बाद भी हिन्दुस्तान में कितने लोग अंग्रेजी पढ़ सके। अंग्रेजी आज कितने लोग समझ सकते हैं? हमें इतिहास से मालूम होता है कि विजेता जिनपर विजय प्राप्त कर लेता है उन पर वह अपनी भाषा लादना चाहता है। आयरलैंडके इतिहास में, इंगलैंड के इतिहास में हंगरी के इतिहास में अनेक जगह हमें यह देखने को मिलता है। जिन देशों पर विदेशियों ने अपनी भाषा लादनी चाही उन्होंने बराबर अपनी भाषा के लिए युद्ध किये और आखिर में विजय प्राप्त की। जहां तक आयरलैंड की "गैलिक" भाषा का सम्बन्ध है वह करीब करीब समाप्त हो चुकी थी लेकिन उन्होंने उसके लिए भी लड़ाई की और आखिर में आयरलैंड की जीत रही।

हिन्दुस्तानी को व्यवहार में लाने के लिए तीन कठिनाइयां पेश की जाती हैं। पहली बात यह कही जातीहै कि हमको ऐसे वैज्ञानिक शब्द नहीं मिलते जिनसे हमारी कुल कार्रवाई हिन्दुस्तानी में होसके। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सामने उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा दृष्टान्त मौजूद है जहां पर सारी पढ़ाई का माध्यम हिन्दुस्तानी है। हिन्दुस्तानी में वैज्ञानिक शब्दों को ढालने की उन्होंने कोशिश की,उसके लिए विशेषज्ञ रखे। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं निजाम स्टेट में कुल काम हिन्दुस्तानी भाषा में ही होता है। दूसरी कठिनाई यह बताई जाती है कि यहां सब लोग हिन्दुस्तानी नहीं बोल सकते। मैं यह नहीं चाहता कि जो लोग हिन्दुस्तानी नहीं बोल सकते उनको जबरदस्ती हिन्दुस्तानी में बोलने को कहा जाय। इसीलिए 'मदरटंग' के बाद मैंने अंग्रेजी शब्द जोड़ दिया है। जो लोग हिन्दुस्तानी नहीं बोल सकते उनको आजादी होगी कि वे अंग्रेजी में बोलें। तीसरी कठिनाई यह कही जाती है कि बहुत से लोग हिन्दुस्तानी नहीं समझ सकते। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो हिन्दुस्तानी न समझते हों। उनकी संख्या अंगुली पर गिनी जा सकती है। जो कठिनाई आज हमारे सामने लाई जाती है वह कांग्रेस के सामने भी लायी जाती थीं पर हमने देखा कि महात्मा गांधी के प्रयत्नों के बाद आज कांग्रेस में हिन्दुस्तानी में ही भाषण होते हैं। वहां पर जो लोग हिन्दुस्तानी नहीं जानते वही अंग्रेजी में भाषण देते हैं। यहां भी यही होना चाहिए। ९ तारीख से अब तक जो कार्यवाही विधान-परिषद् ने की है उसे देखते हुए यह मालूम होता है कि यहां पर अंग्रेजी का ही दौर-दौरा रहेगा।

[सेठ गोविन्ददास]

आज से २० वर्ष पहले जब मैं कौंसिल आफ स्टेट का मैम्बर था, मैंने इस सम्बन्ध में वहां भी एक प्रस्ताव रखा था। उस वक्त सर गोपाल स्वामी, जहां तक मुझे याद है, वहां मौजूद थे और उनको याद होगा कि उस समय कितनी बहस हुई थी। उस बहस में मैंने आयरलैंड के एक कवि का उद्धरण पढ़ा था, मैं अपने मद्रासी भाइयों के लाभ के लिए इस कथन को पढ़ना चाहता हूं। वह कथन अंग्रेजी में इस प्रकार है:—

"The nation without a mother-tongue can not be called a nation. The defence of ones mother tongue is a more powerful barrier against the intransision of foreigners than even the national barriers of rivers and mountains"

*दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर (मद्रास : जनरल) : मैं चाहता हूं कि भाषण का अनुवाद अंग्रेजी में हो।

*बहुत से माननीय मित्र : नहीं, नहीं।

*दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर : कम-से-कम उसका संक्षिप्त सार दिया जा सकता है।

*श्री जगतनारायण लाल (बिहार : जनरल) : उस अवस्था में इसी प्रकार की एक प्रार्थना सभा के इस ओर से—मुझे स्मरण है कि इस सभा के एक सदस्यकी ओर से प्रार्थना की गई थी—भी स्वीकार की जानी चाहिए।

*अध्यक्ष : कठिनाई वास्तविक है। सर अल्लादी इस समय इतने वृद्ध हो चुके हैं कि उनके लिए हिन्दुस्तानी सीखना कठिन है।

*श्री जगतनारायण लाल : उन लोगों का भी तो सवाल है जिनके लिए इतनी बड़ी आयु में अंग्रेजी सीखना मुश्किल है।

*अध्यक्ष : मैं भाषण का सार अंग्रेजी में बता दूंगा। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक भाषा होनी चाहिए और वास्तव में हम अंग्रेजी को अपनी राष्ट्र भाषा नहीं बना सकते। इस सम्बन्ध में वक्ता ने आयरलैण्ड का उदाहरण हमारे सामने रखा है।

*श्री के० सन्तानम् : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नियम १८ (१) में "अंग्रेजी" शब्द के बाद निम्नलिखित-धारा जोड़ दी जाय।

"पर शर्त यह है कि सब प्रस्ताव और संशोधन अंग्रेजी में पेश किये जाएंगे और जो सदस्य दोनों ही भाषाओं में बोल सकता है वह अंग्रेजी में भाषण देगा और"

यदि समय मिला और आवश्यकता पड़ी तो हम सभी हिन्दुस्तानी सीख

लेंगे।आज हम विधान-निर्माण के कार्य में व्यस्त हैं। हमें एक दूसरे को समझना है। उन भाषाओंपर समय गंवानेमें क्या लाभ हैं,जिन्हें हम समझते ही नहीं। मेरा ख्याल है कि मेरे हिन्दुस्तानी-प्रिय मित्र ऐसे प्रस्ताव या संशोधनों को नहीं पेश करना चाहते,जिन्हें हम समझते ही न हों। सेक्शन (ए) में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे सदस्य हैं जो पेचीदा और जटिल विषयों को न तो हिन्दुस्तानी में समझते हैं और न समझ ही सकते हैं और न वे उन विषयों पर बोल सकते हैं। मैं साधारण हिन्दुस्तानी समझ लेता हूं, परन्तु जब आपको वैधानिक विषयों पर सोच-विचार करना है तो आपको ठीक-ठीक और नपे-तुले शब्दों का प्रयोग करना होगा और ऐसे शब्द अभी हिन्दुस्तानी में हैं नहीं। विधान सम्बन्धी मामलों में यह जरूरी है कि कार्रवाई अंग्रेजी में हो। हमें व्यावहारिक तरीके को अपनाना चाहिए। मुझे हिन्दुस्तानी को राष्ट्र भाषा बनाने में तनिक भी आपत्ति नहीं है, परन्तु देश के अन्य भागों को एक निश्चित अवधि देना चाहिए जिसमें वे पैदा होने वालों के समकक्ष आ सकें। मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि हमें "विधान-निर्माण का कार्य एक साथ मिलकर करना चाहिए। हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और केवल भाषा-सम्बन्धी लड़ाई में ही नहीं फंस जाना चाहिए।"

श्री विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी (संयुक्तप्रांत : जनरल) : पूज्य सभापति जी,मैं आपकी इजाजत से एक तरमीम १८वें नियम में पेश करना चाहता हूं। यह तरमीम करीब-करीब उस तरमीम से मिलती है जो मेरे लायक दोस्त सेठ गोविन्ददासजी ने आपके सामने पेश की है।

अध्यक्ष : तब इसकी जरूरत ही क्या है ?

श्री विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी : नहीं इन दोनों में कुछ मौलिक अन्तर हैं इसीलिए मैं इसे आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यह इस प्रकार है।

१८ वें नियम के पहले हिस्से का पहला वाक्य हटा दिया जाय और उसकी जगह पर यह आ जाय:—

"परिषद् में कार्यवाही हिन्दुस्तानी (हिन्दी या उर्दू) में की जायगी पर शर्त यह है कि अध्यक्ष किसी सदस्य को, जो हिन्दुस्तानी से अच्छी तरह परिचित न हो, सभा के सामने अपनी मातृ-भाषा या अंग्रेजी में बोलने की इजाजत दे सकते हैं।"

सेठ गोविन्ददासजीने जो संशोधन आपके सामने पेश किया है उसका समर्थन करते हुए मैं उसमें एक तरमीम चाहता हूँ और इसी लिए मैंने यह संशोधन आपके सामने रखा है। उनके संशोधन के अनुसार जो थोड़ी भी हिन्दुस्तानी जानते हैं वह अंग्रेजी में नहीं बोल सकते। ऐसी दशा में उन लोगों को दिक्कत होगी जो दूसरे प्रान्तों से आते हैं और हिन्दुस्तानी अच्छी तरह से नहीं बोल सकते। ऐसे भी हमारे कुछ मेम्बर हैं जो अन्य प्रांतों के होते हुए भी हिन्दुस्तानी बड़ी अच्छी तरह से बोल सकते हैं जैसे हमारे योग्य मित्र डाक्टर पट्टाभि सीतारमैया। लेकिन कुछ मेम्बर मद्रास या

[श्री विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी]

अन्य प्रान्तों के ऐसे हैं जो हिन्दुस्तानी थोड़ी-बहुत बोल सकते हैं या समझ सकते हैं लेकिन अपने विचार पूरे तौर से नहीं प्रकट कर सकते। ऐसी दशा में जो लोग हिन्दुस्तानी से "अच्छी तरह से परिचित" नहीं है उनको इस प्रकार का अधिकार दे दिया जाय कि वे अंग्रेजी में बोल सकते हैं। इस तरह से जो एतराज लोगों को है वह भी दूर हो जायगा और साथ ही साथ राष्ट्र भाषा बनाने की भी हमारी समस्या हल हो जायगी। सही बात यह है कि हमारे नियमों में 'हिन्दुस्तानी' ही भाषा रहनी चाहिए "वा अंग्रेजी" (or english) के जो लफ्ज़ हैं वे हट जाने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि अंग्रेजी बोलने वालों की जो हिन्दुस्तानी में अच्छी तरह से नहीं बोल सकते हैं, पूरा मौका देना चाहिए कि वह अपने ख्यालात अच्छी तरह से जाहिर कर सकें। इसलिए मैं यह तरमीम चाहता हूं :—

"परिषद् में कार्यवाही हिन्दुस्तानी (हिन्दी या उर्दू) में की जायगी पर शर्त यह है कि अध्यक्ष किसी सदस्य को जो हिन्दुस्तानी से अच्छी तरह परिचित न हों, सभा के सामने अपनी मातृ-भाषा या अंग्रेजी में बोलने की इजाजत दे सकते हैं।"

मैं नियम बनाने वाली कमेटी को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने नियमों में हिन्दुस्तानी को भी स्थान दिया। लेकिन यह बहुत बड़े सन्तोष की बात नहीं है। अगर कोई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था होती जहां भिन्न-भिन्न देशों के लोग जमा होते वहां हिन्दुस्तानी को स्थान दिया जाता तो यह संतोष की बात होती। लेकिन आज हम अपने देश का विधान बना रहे है। ऐसी दशा में "हिन्दुस्तानी" को भी स्थान देना कोई बड़े सन्तोष की बात नही है। इसमें तो 'हिन्दुस्तानी' को ही स्थान होना चाहिए।

मैं आपके सामने बहुत अदब लेकिन जोर के साथ कहूँगा कि हम इस कान्स्टीट्यूएण्ट असेम्बली के काम के लिए अपनी भाषा हिन्दुस्तानी ही रखें लेकिन इस बात की भी सहूलियत दें कि जो लोग ज्यादा अच्छी तरह से अपने विचार अंग्रेजी में या अपनी मातृ-भाषा में अर्थात् अपनी प्रांतीय भाषा में प्रकट कर सकते हैं वह ऐसा करें। लेकिन हमारी भाषा यहां पर हिन्दुस्तानी ही होगी और जो लोग हिन्दुस्तानी से अच्छी तरह पर वाकिफ हैं वह हिन्दुस्तानी ही में अपने विचार प्रकट करेंगे।

अब यह कहा जाता है कि हमें नियम बनाने हैं, विधान बनाना है, ऐसी सूरत में यह जरूरी है कि अंग्रेजी में ही कार्य हो। मैं अदब के साथ कहूँगा कि ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर अगर हम हिन्दुस्तानी (हिन्दी या उर्दू) को नहीं अपनाते हैं तो हम आगे कभी नहीं अपना सकते। २५ वर्षों से हम इस प्रकार का प्रयत्न करते रहे हैं और महात्मा गांधी ने किस तरह से कांग्रेस में हिन्दुस्तानी के लिए प्रयत्न किया यह भी आपको मालूम है। कांग्रेस २५ सालों से उसके लिए प्रयत्न कर रही है। मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि इसके महत्व को समझ कर, राष्ट्रीय दृष्टि कोण से उसके

महत्व समझकर मेरी इस तरमीम को स्वीकार कीजिए। सेठ गोविन्ददास जी से भी मैं कहूँगा कि वह मेरी इस तरमीम को अपनी तरमीम में शामिल कर लें और इसे स्वीकार कर लें।

सेठ गोविन्ददास : मैं इस तरमीम को मंजूर करता हूँ।

***श्रीयुत आर० के० चौधरी :** श्रीमान् मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूँ कि कोई भी सदस्य जो दोनों में से किसी भी भाषा से "परिचित नहीं है" के स्थान पर "जो दोनों भाषाओं में से किसी एक में भी अपने आपको पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकता" शब्द रख दिये जायं।

इस संशोधन को पेश करने में मेरा उद्देश्य यह है। उदाहरण के तौर पर मैं हिन्दुस्तानी से काफी परिचित हूं परन्तु यदि मुझ से कुछ मिनट के लिए हिन्दुस्तानी में बोलने को कहा जाय तो मेरा शब्दभंडार समाप्त हो जायगा और मैं अपना-सा मुंह लेकर बैठ जाऊंगा। श्रीमान्, अनुभव के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी मैंने ऐसी सभा में हिन्दुस्तानी में भाषण देने का प्रयत्न किया है जहां अधिकांश लोग हिन्दुस्तानी बोलने वाले बैठे हों तो उन्होंने स्वयं दया करके मुझ से अंग्रेजी में बोलने को कहा है। मैं यह बात अपने व्यावहारिक अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ।

***अध्यक्ष :** अपने ऊपर दया करके अथवा आपके ऊपर दया करके? (हंसी)

***श्रीयुत आर० के० चौधरी :** मेरे ऊपर दया करके उन्होंने साफ-साफ मुझ से कहा कि आप अंग्रेजी में भाषण करें। श्रीमान्, ऐसीहालत में जो नियम इस समय हमारे सामने उपस्थित है उसमें कहा गया है कि सदस्यों से आशा की जाती है कि वे अंग्रेजी में ही बोलें यदि वे उससे परिचित न होंगे। हम अंग्रेजी भाषा का महत्व कम नहीं कर सकते। अब जब कि हम स्वाधीनता की देहली पर पहुच गए हैं हमें अधिक अवसरों पर अंग्रेजी का ही प्रयोग करना होगा। ज्यों-ज्यों विदेशों से हमारा संपर्क बढ़ता जायगा हमें अंग्रेजी सीखने की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेजी की बदौलत ही आज हम एक राष्ट्र बन सके हैं। अन्यथा मद्रास के लोगों के साथ बातचीत करने और संपर्क स्थापित करने के लिए हमारे पास और कोई साधन ही नहीं था। हमें मालूम है कि किस प्रकार अंग्रेजी के जरिये ही हमारे कुछ स्वर्गीय नेता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति बन गए हैं। श्रीमान्, हमें मालूम है कि हमारे कुछ नेता अंग्रेजी से इतने अधिक ओतप्रोत हो चुके हैं कि वे नाम भी अंग्रेजी ही में बोलते हैं। मेरी राय में हमें अंग्रेजी का महत्व किसी भी हालत में कम नहीं करना चाहिए।

***श्री रामनाथ गोयनका (मद्रास : जनरल)** श्री सन्तानम् के संशोधन पर मुझे एक संशोधन पेश करना है कि "और जो सदस्य दोनों ही भाषाओं में बोल

[श्री रामनाथ गोयनका]

सकता है वह अंग्रेजी में भाषण देगा और" शब्द हटा दिये जांय। तब यह संशोधन इस प्रकार होगा.—

"शर्त यह है कि प्रस्ताव और संशोधन अंग्रेजी में पेश किये जाएंगे।"

मेरे संशोधन का परिणाम यह होगा कि प्रस्ताव और संशोधन केवल अंग्रेजी में ही पेश किये जा सकेंगे। श्रीमान्, मैं उत्तर भारत का रहने वाला हूँ और मेरी मातृभाषा हिन्दुस्तानी है। हिन्दुस्तानी के प्रति मेरा प्रेम इस सभा के किसी भी व्यक्ति से कम नहीं है। सेठ गोविन्ददास ने हिन्दुस्तानीको भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का जोरदार समर्थन किया है। हम सभी हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं और इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है। परन्तु तथ्य यह है ...

*एक माननीय सदस्य : भारत की मातृभाषा

*श्री रामनाथ गोयनका : तथ्य यह है कि दक्षिणी भारत के ६-७ करोड़ लोग जो तामिल, तेडगू, कन्नड, मलायलम्, तुलू और अन्य भाषायें बोलते हैं हिन्दुस्तानी नहीं समझते। हजारों व्यक्ति यद्यपि वे हिन्दुस्तानी जानते हैं, फिर भी अभ्यास और सुविधाओं की कमी के कारण हिन्दुस्तानी नहीं बोल सकते। इस समय हम क्या कर रहे हैं हम भारत का विधान-निर्माण करने जा रहे हैं। जो विधान हम बनाने जा रहे हैं, जब कभी आवश्यकता पड़ेगी उसकी व्याख्या अदालत द्वारा कराई जायगी। आपकी अदालतों की भाषा क्या है ? क्या आप अपना विधान ऐसी भाषा में बनाने जारहे हैं जो आप की अदालतों की भाषा नहीं है ? जो भी शब्द आप प्रयोग करें वे ठीक-ठीक और नपे-तुले होने चाहिए और ऐसा न हो कि उनका भिन्न-भिन्न अर्थ और व्याख्या हो सके। विधान की भाषा ठीक-ठीक और नपी-तुली होनी चाहिए। जहां तक हिन्दी या उर्दू का सम्बन्ध है हिन्दी या उर्दू कह देना बड़ा आसान है ! हिन्दी और उर्दू के शब्दों के सम्बन्ध में मतभेद है। इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी और बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन सरीखे प्रमुख व्यक्तियों का वाद-विवाद सर्व विदित है। वास्तव में अभी तक हम यही फैसला नहीं कर सके कि हिन्दुस्तानी क्या है जो आखिरकार एक प्रचलित भाषा है। मान-लीजिए कोई व्यक्ति एक संशोधन पेश करना चाहता है जिसमें वह "भाग" शब्द का प्रयोग करता है और एक अन्य व्यक्ति उसकी जगह "हिस्सा" शब्द रखना चाहता है तो ऐसी हालत में जब कि दोनों का एक ही अर्थ है हम क्या करेंगे ? क्या हम समानार्थक शब्दों के बारे में लम्बा-चौडा वाद-विवाद करते रहेंगे, जबकि एक साधारणत : हिन्दी में प्रयुक्त होता है और दूसरा उर्दू में ?

*रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय (बिहार:जनरल) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अब इस प्रश्न पर वोट लिये जाएं।

*अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि हमने इस नियम अथवा संशोधन पर अभी तक कोई विचार ही नहीं किया है।

*रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : इस प्रश्न पर आधी बहस हो चुकी है और अब इस पर वोट लेने का समय आगया है ।

*श्री रामनाथ गोयनका : हमने केवल २० मिनट तक ही बहस की है। हो सकता है कि आपने कमेटी में इसपर दो दिन तक बहस की हो। जहां तक इस सभा का प्रश्न है इसमें इस प्रश्न पर केवल पन्द्रह मिनट से कुछ अधिक समय तक ही बहस हुई है।

श्रीमान्, हम दक्षिण भारत के रहने वाले हैं और दक्षिणात्य लोग हिन्दुस्तानी नहीं जानते। मेरे संशोधन का आशय केवल इतना ही है कि सदस्यों को चाहे वे युक्तियों और तर्कों को समझते हों अथवा नहीं, यह अवश्य पता होना चाहिए कि सभा में किस विषय पर बहस हो रही है। यदि आप मेरे संशोधन की अनुमति नहीं देते तो आपको यह मानना पड़ेगा कि विधान एक ऐसी भाषा में तैयार हो रहा है जिसे इस देश के ६–७ करोड़ व्यक्ति और कम-से-कम इस सभा के ६० सदस्य नहीं समझते। इस देश का विधान केवल ऐसी भाषा में तैयार होना चाहिए जिसे सब लोग समझ सकें।

*अध्यक्ष : आप यह बात कई बार कह चुके हैं। मेरे सामने अभी तीन और सदस्यों के नाम पड़े हैं, जिन्हें बोलना है। मेरे विचार में बहस के लिए बहुत कुछ बाकी नहीं रह गया। न्यूनाधिक रूप में हम निश्चय भी तय कर चुके हैं हमें इस ओर या उस ओर फैसला करना ही शेष रह गया है।

*श्री ओ० वी० अलगेसन (मद्रास : जनरल) : श्रीमान्, मुझे एक संशोधन पेश करना है जिसकी सूचना मैंने कल ११ बजे प्रातःकाल दे दी थी।

नियम १८ के सम्बन्ध में मुझे निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करने की अनुमति दी जाय :—

वाक्यांश (२) नियम १८ में (दोनों हिन्दी और उर्दू) शब्दों के बाद निम्न वाक्य जोड़ दिया जाय :—

> "और भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में अर्थात् तामिल, तेलगू, मलायलम्, कन्नड, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, आसामी और उड़िया में" (हर्ष ध्वनि)

मैं अपने संशोधन के समर्थन में चन्द शब्द कहना चाहता हूँ।

*अध्यक्ष : बहस बन्द कर देने का प्रस्ताव पेश किया जा चुका है और वह स्वीकृत भी हो चुका है।

*श्री के० एम० मुंशी : श्रीमान्, मैं कोई विस्तृत जवाब देकर सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता। निःसंदेह यह बात सभी मानते हैं कि हिन्दुस्तानी भारत की राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रीय विधान-परिषद् होने के नाते हिन्दुस्तानी को अंग्रेजी की अपेक्षा अधिक तरजीह दी जानी चाहिये, लेकिन हम अंग्रेजी को एकदम और सर्वथा विलांजलि नहीं दे सकते और इसलिए मुझे इनमें से एक भी संशोधन स्वीकार नहीं हैं।

*अध्यक्ष : अब मैं इन संशोधनों पर वोट लेने के लिए इन्हें सभा के सामने पेश करता हूँ। पहला संशोधन श्री विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी का है, जो सेठ गोविन्ददास द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। मेरा विचार है कि इसके विपक्ष में 'नहीं' वालों के वोट अधिक हैं।

*एक माननीय सदस्य : हम मत विभाजन चाहते हैं।

*अध्यक्ष : (वोटों की गिनती हो चुकने के बाद) इसके पक्ष में ३४ और विपक्ष में ७५ वोट आए हैं। इसलिए संशोधन अस्वीकृत किया जाता है।

अब मैं श्री सन्तानम् के संशोधन को लेता हूं कि नियम १८ (१) में "अंग्रेजी" शब्द के बाद निम्न धारा जोड़ दी जाय :—

> "शर्त यह है कि सब प्रस्ताव और संशोधन अंग्रेजी में पेश किये जाएंगे और जो सदस्य दोनों ही भाषाओं में बोल सकता है, वह अंग्रेजी में भाषण देगा" और इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में श्री रामनाथ गोयनका ने एक और संशोधन पेश किया है।

*श्री के० सन्तानम् : श्रीमान्, मुझे श्रीरामनाथ गोयनका द्वारा प्रस्तावित संशोधन स्वीकार है।

*अध्यक्ष : अब मैं श्री रामनाथ गोयनका के संशोधन के सहित श्री सन्तानम् के संशोधन को वोट लेने के लिए उपस्थित करता हूँ......पक्ष में ४६...... विपक्ष में ७०......।

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

*अध्यक्ष : अब रह जाता है तीसरा संशोधन—श्री रोहिणी कुमार चौधरी का। यह संशोधन इस प्रकार है :—

"नियम १८ (१) की तीसरी पंक्ति में 'अपरिचित शब्द के स्थान पर जो व्यक्ति अपने आप को पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकता' शब्द रख दिये जायं।"

*श्री के०एम०मुंशी : मुझे संशोधन स्वीकार है।

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

*अध्यक्ष : अन्तिम संशोधन श्री अलगेसन का है, जो इस प्रकार है:—

"वाक्यांश (२) नियम १८ में (दोनों हिन्दी और उर्दू) शब्दों के बाद निम्न वाक्य जोड़ दिया जाय–

"और भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में अर्थात्, तामिल, तेलगू, मलायलम्, कन्नड, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, आसामी और उड़िया।"

संशोधन अस्वीकृत कर दिया गया।

*अध्यक्ष : अब मैं नियम १८ पर वोट लेता हूं।

संशोधित नियम १८ स्वीकार कर लिया गया।

नियम १९

*श्री के० एम० मुंशी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम १९ स्वीकार किया जाय।

*अध्यक्ष : कल इस नियम को विचारार्थ स्थगित कर दिया गया था।

*सरदार उज्ज्वलसिंह (पंजाब : सिख) श्रीमान्, मैं दो संशोधन पेश करना चाहता हूँ जो मेरे नाम में हैं। पहला संशोधन इस प्रकार है :—

नियम १९ के उप-नियम (३) के बाद निम्नलिखित नया उप-नियम जोड़ दिया जाय—

"किसी भी ऐसे प्रश्न का निर्णय, जिसका सम्बन्ध किसी ऐसे विषय से हो जिसमें कोई बड़ा साम्प्रदायिक विषय उठाया गया हो जिसका प्रभाव सिक्खों पर पड़ता हो सिक्ख सम्प्रदाय उपस्थित और राय देने वाले प्रतिनिधियों के बहुमत और बैठक में उपस्थित और राय देनेवाले समस्त सदस्यों के पृथक्-पृथक् बहुमत से किया जायगा।

दूसरा संशोधन इस प्रकार है :—

"नियम १९ में उप-नियम (३) के बाद निम्न लिखित नया उप-नियम जोड़ दिया जाय:—

"किसी भी ऐसे प्रश्न का निर्णय, जिसका सम्बन्ध किसी ऐसे विषय से हो, जिसका प्रभाव पंजाब और उत्तर-पश्चिम के गुट के मामलों में अल्पसंख्यकों के संरक्षण और मौलिक अधिकारों की धाराओं के सम्बन्ध में सिक्खों पर पड़ता हो, सभा में उपस्थित और राय देने वाले सिक्ख प्रतिनिधियों के बहुमत से और उपस्थित और राय देने वाले समस्त सदस्यों के पृथक्-पृथक् बहुमत से किया जायगा।"

श्रीमान्, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं यह बता दूं कि सिक्ख इन दोनों संशोधनों के विषय को बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण समझते हैं। संघ विधान-परिषद् में मुसलमानों को साम्प्रदायिक फैसलों को रद्द करने का विशेष अधिकार दिया गया है और वस्तुतः १६ मईके वक्तव्यमें यह अधिकार दोनों ही सम्प्रदायों को दिया गया है।

[सरदार उज्ज्वलसिंह]

सिक्खों को भारत के तीन प्रमुख सम्प्रदायों में से एक स्वीकार किया गया है, लेकिन उन्हें संघ विधान-परिषद् या पंजाब और उत्तर-पश्चिम के सेक्शन में इस अधिकार से वंचित रखा गया है।

श्रीमान्, १६ मई के केबिनेट-मिशन के वक्तव्य में सिक्खों के संरक्षण की कोई व्यवस्था न करके उनके साथ जो अन्याय किया गया है, उस पर सिक्ख सम्प्रदाय द्वारा जोरदार क्षोभ प्रकट किया गया है और इस तथ्य को कांग्रेस ने भी २४ मई के अपने प्रस्ताव में जो उसने इस बारे में पास किया था—स्वीकार किया है। यह सभा भली-भांति जानती है कि केबिनेट-मिशन के वक्तव्य द्वारा सिक्खों के साथ किये गए इस अन्याय के परिणामस्वरूप ही उन्होंने विधान-परिषद् का बहिष्कार किया था। परन्तु कांग्रेस के नेताओं द्वारा सिक्खों से विधान-परिषद् की कार्रवाई में भाग लेने का आग्रह किया गया। पिछले ६ अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा पास किये गए एक प्रस्ताव में कांग्रेस ने सिक्खों को आश्वासन दिया कि वह सिक्खों को उसके पर्याप्त संरक्षण प्राप्त करने में हर संभव–सहायता प्रदान करेगी। श्रीमान्, मैं आपके सम्मुख सरदार वल्लभभाई पटेल के भाषण में और १२ जुलाई, १६४६ को समाचार पत्रों के नाम जारी किये गए उनके वक्तव्य के कुछ उद्धरण पेश करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था—

"केबिनेट-मिशन के प्रस्तावों में सबसे अधिक अन्याय सिक्खों के साथ किया गया है।"

मैं उनका सारा वक्तव्य नहीं पढ़ना चाहता, बल्कि उसके केवल दो-एक प्रासंगिक वाक्य आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सिक्खों से विधान-परिषद् में सम्मिलित होने की अपील करते हुए आपने कहा :—

"केबिनेट-मिशन की यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब उसने मुसलमानों को साम्प्रदायिक मामलों में निर्णय रद्द करने का विशेष अधिकार प्रदान किया है तो वही संरक्षण पंजाब में सिक्खों को क्यों नहीं दिया ? इस प्रकार के द्वेषपूर्ण भेद-भाव के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता। सिक्ख एक महान् और शूरवीर सम्प्रदाय है और उनकी उपेक्षा करना बड़ी भारी मूर्खता और विवेकहीनता है।"

इसके बाद श्रीमान्, १८ जुलाई को कामन्स सभा में इसी विषय का उल्लेख करते हुए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा :—

"परन्तु उनके दावों पर पूरी तरह से सोच-विचार करना आवश्यक है। भारतीय जनता के एक प्रमुख भाग के रूप में उनके साथ वही व्यवहार किया गया, जिनके वे अधिकारी हैं।"

आगे आपने कहा :—

"परन्तु उनके दावों पर पूरी तरह से सोच-विचार करना अत्यावश्यक

है, क्योंकि वे एक पृथक् और महत्त्वपूर्ण संप्रदाय हैं, जिसकी संस्कृति और स्वार्थों के लिए संरक्षण की आवश्यकता है।"

उसके बाद आपने कहा :—

"हम आशा करते हैं कि १६ मई के वक्तव्य के पैरा २० के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार-समिति स्थापित की जायगी, उसमें उन्हें पूर्ण प्रतिनिधित्व देकर इस परिस्थिति में कुछ सीमा तक सुधार किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त हमने दोनों ही मुख्य दलों से अनुरोध किया है—और उन दोनों ने ही हमारे अनुरोध पर अत्यधिक सहानुभूतिपूर्वक सोच-विचार किया—कि पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सेक्शन के मामलों में सिक्खों की मांग को जोरदार बनाने के लिये कोई विशेष उपाय निकाला जाय।"

श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि सेक्शनों की बैठक से पूर्व सिक्खों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था अवश्य कर दी जाय जिससे वे अपने स्वार्थों की रक्षा कर सकें और इस प्रकार के संरक्षणों की व्यवस्था केवल प्रारम्भिक अधिवेशन में ही की जा सकती है। उक्त दोनों संशोधनों में से किसी एक द्वारा भी पैरा १५ की धारा का उल्लंघन नहीं होता जो कि उस वक्तव्य का बुनियादी सिद्धान्त है। मैं यह अवश्य अनुभव करता हूं कि ये महत्त्वपूर्ण संशोधन हैं और हो सकता है कि विधान-परिषद् के कांग्रेसी नेताओं को उस विषय पर सोच विचार करने के लिए कुछ समय आवश्यक हो। परन्तु मैं इन संशोधनों को सभा के सम्मुख इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए उपस्थित करता हूं। हम सिक्ख सदस्यों को अपने सम्प्रदाय की ओर से आदेश दिया गया है कि जब तक सिक्खों के लिए इस प्रकार के संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की जाती तब तक हमारे लिए इस परिषद् की कार्रवाई में भाग लेना प्रायः असम्भव हो जायगा। इसलिए श्रीमान्, मैं ये दोनों संशोधन सभा के सोच-विचार के लिए उपस्थित करता हूं, परन्तु मैं इस बातके लिए जोर नहीं देता कि उन पर आज ही वोट लिए जायं। यदि आप ठीक समझें तो इन पर सोच-विचार जनवरी के अधिवेशन तक के लिए स्थगित कर दें।

*सरदार हरनामसिंह (पंजाब : सिक्ख) : अध्यक्ष महोदय ! सरदार उज्ज्वलसिंह द्वारा उपस्थित किये गए संशोधन बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इस सभा को यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि ये संशोधन इस समय क्यों पेश किये जा रहे हैं। जहां तक श्वेतपत्र का सम्बन्ध है, सभी इस बात से सहमत हैं—हो सकता है कि मुस्लिम लीग सहमत न हो—लेकिन शेष सभी दल सहमत हैं कि श्वेतपत्र में सिक्खों के साथ न्याय नहीं किया गया। कांग्रेस ने २५ जून, १९४६ को अपना निर्णय प्रकट करते हुए कहा था कि ये प्रस्ताव सिक्खों के लिए विशेषरूप से अनुचित एवं अन्यायपूर्ण हैं। ९ अगस्त को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक और प्रस्ताव पास किया था और इसमें भी उसने यही कहा था कि ये प्रस्ताव सिक्खों के लिए अन्यायपूर्ण

[सरदार हरनामसिंह]

हैं। कुछ दिन हुए महात्माजी का एक पत्र समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था। यह पत्र उन्होंने श्री गोपीनाथ बारदोलाई के नाम लिखा था। उस पत्र में महात्माजी ने, यह अनुभव करते हुए कि ये प्रस्ताव सिक्खों के प्रति अन्यायपूर्ण हैं, हमें एक सलाह दी है कि यदि इन प्रस्तावों में संशोधन न किया गया और यदि सिक्खों के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई तो उनके लिए सेक्सन 'बी' में बैठना बेकार होगा। इस सम्बन्ध में, मैं आपका ध्यान सर स्टैफर्ड क्रिप्स के वक्तव्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वापस पहुंचने पर १८ जुलाई को कामन सभा में भारत विषयक बहस पर अपना मत प्रकट करते हुए सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने यह स्वीकार किया कि पंजाब और उत्तर-पश्चिमी भाग के मामलों में सिक्खों की स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से उन्हें उनके लिए कुछ-न-कुछ अवश्य करना होगा। यदि पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सेक्शन के मामलों में सिक्खों की स्थिति दृढ़ करने के लिए कोई विशेष उपाय करने हैं तो मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वे उपाय, विधान-परिषद् के विभिन्न सेक्शनों में विभक्त होने से पूर्व, परिषद् के इसी प्रारंभिक अधिवेशन में इसी समय सोचे जायं। इसके अलावा सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने बताया है कि जब केबिनेट मिशन के सदस्य भारत में थे तो उन्होंने दोनों ही मुख्य दलों से अनुरोध किया और उन दोनों ने ही उनके अनुरोध पर अत्यधिक सहानुभूतिपूर्वक सोच विचार किया—कि पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सेक्शन के मामलों में सिक्खों को जोरदार स्थान देने के लिए कोई विशेष उपाय निकाला जाय। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस परिषद् पर पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सेक्शन के मामलों में सिक्खों को जोरदार स्थान देने की जिम्मेदारी और को सन्तोषजनक रूप से निभाना है तो यह काम उसे विधान-परिषद् के इसी प्रारंभिक अधिवेशन में करना होगा। मैं इस प्रश्न पर इस समय और अधिक विस्तार से विचार नहीं करना चाहता। परन्तु मैं साथ ही यह भी कह दूँ कि यदि इस सभा में उपस्थित सदस्य सरदार उज्ज्वलसिंह द्वारा पेश किये गए संशोधनों के वास्तविक अर्थों पर विचार करना चाहते हों तो वे समय ले सकते हैं और हम इन दोनों संशोधनों पर परिषद् के आगामी अधिवेशन में सोच विचार करने को तैयार हैं।

***श्री० के० एम० मुंशी :** मैं अपने माननीय मित्र सरदार उज्ज्वलसिंह का बहुत कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मेरा यह सुझाव मान लिया कि विधान-परिषद् के आगामी अधिवेशन तक के लिए इन संशोधनों पर विचार स्थगित कर दिया जाय। मुझे विश्वास है कि इस मामले में सभा के भी उतने ही दृढ़ विचार हैं जितने कि पंजाब के हमारे मित्रों के कि कुछ प्रत्याशित परिस्थितियों से उनकी स्थिति बहुत कठिन हो जायगी। जैसा कि बताया गया है कि इस देश के सभी दल और स्वयं लार्ड पैथिक लारेंस भी स्वीकार करते हैं कि जहां तक सिक्खों का संबन्ध है —उन्हीं के शब्दों में उन्हें पंजाब और सेक्शन 'बी'के मामलेमें एक जोरदार स्थान मिलना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण संशोधन पर सोच-विचार करने का यह शायद ही उचित

स्थान हो। हम इस समय केवल कार्य-प्रणाली सम्बन्धी नियमों पर ही बहस कर रहे हैं। मैं सरदार उज्ज्वलसिंह का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मेरी यह राय मान ली है।

*अध्यक्ष : हम सरदार उज्ज्वलसिंह के इन विशेष संशोधनों पर विचार विधान-परिषद् के आगामी अधिवेशन तक के लिए इस नियम को इसी शर्त के साथ पास करते हैं। मेरा खयाल है कि अब कोई और संशोधन बाकी नहीं है।

*श्री जसपतराय कपूर : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नियम १६ (१) (२) में "असेम्बली" शब्द के बाद "अथवा सेक्शन" शब्द जोड़ दिये जायं। इस संशोधन का उद्देश्य प्रत्यक्ष और स्पष्ट है। मैं जानता हूँ कि नियम ६२ के अनुसार ये सभी नियम जिन्हें हम इस समय पास कर रहे हैं उचित परिवर्त्तनों के साथ सेक्शनों पर भी लागू होंगे। परन्तु उपधारा(२) में उल्लिखित व्यवस्था के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, जिसके अनुसार अध्यक्ष को केवल एक ही वोट देने का अधिकार दिया गया है और वह भी उस परिस्थति में जब बराबर-बराबर वोट पड़ें मेरा विचार है कि इन शब्दों को जिनका मैंने प्रस्ताव किया है जोड़ देना बुद्धिमतापूर्ण होगा क्योंकि कभी कभी अधिक सावधानी से काम लेना और दूरदर्शितापूर्ण साबित होता है। इसी वजह से मेरा विचार है कि "सेक्शन" शब्द नियम १५ के मसविदे में शामिल किया गया है,जिस पर हम इसके बाद सोच विचार करेंगे। नियम १५ में जहां परिषद्-के लिए कोरम का प्रस्ताव किया गया है हमने उसमें "सेक्शन" शब्द भी मेरा विचार है एक मात्र इसी उद्देश्य से जोड़ दिया है कि ताकि इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण नियम के सम्बन्ध में हमारे विचार बहुत स्पष्ट रहे हैं।

*श्री के० एम० मुंशी : यदि हम इसमें "सेक्शन" शब्द जोड़ दें तो इसका मतलब यह होगा कि अन्य नियम सेक्शनों पर लागू नहीं होते। साधारण नियम में कहा गया है कि उचित परिवर्त्तनों के साथ ये नाम सेक्शनों पर भी लागू होंगे। इसलिए उसमें "सेक्शन" शब्द जोड़ देने का कोई कोरा लाभ नहीं है। यदि "सेक्शन" शब्द को छोड़ भी दें तब भी नियम १५ में परिवर्त्तन होने जा रहा है। मैं इस संबन्ध में माननीय मित्र को इत्मीनान दिलाता हूँ।

*पंडित जवाहरलाल नेहरू(संयुक्तप्रांत : जनरल) : इस प्रस्ताव के गुण-दोष के अतिरिक्त, मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस प्रकार इस अवसर के उपयुक्त कहा जा सकता है? हम इस सभा के लिए जाब्ते के नियम तैयार कर रहे हैं। हम कोई वैधानिक धाराएं नहीं बना रहे। यह काम बाद में किया जायगा। जब हम विधान पर सोच-विचार कर रहे हों तो इस प्रकार का विषय उपस्थित किया जा सकता है। लेकिन इस पर यहां सोच-विचार करना मुझे उपयुक्त नहीं प्रतीत होता।

*श्री के० एम० मुन्शी : हम इस समय सिक्खों के प्रस्ताव पर सोच-विचार नहीं कर रहे। वह तो स्थगित रखा गया है।

*माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू : तो मुझे खेद है।

*श्री के० सन्तानम् : किसी नियम के सम्बन्ध में उपस्थित किये गए संशोधन पर विचार स्थगित करने के बाद हम उस नियम को नहीं पास कर सकते।

*अध्यक्ष : यह तो सिर्फ एक आपसी समझौता है कि उस संशोधन पर उस समय सोच-विचार किया जायगा।

*श्री के० सन्तानम् : परन्तु वर्त्तमान नियम में केवल स्वतन्त्र प्रस्ताव द्वारा ही कोई संशोधन हो सकता है जिसे बाद में विचारार्थ पेश किया जा सकता है।

*माननीय पंडित रविशंकर शुक्ल (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल) : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या हम अध्यक्ष को दो वोट देने का अधिकार दे रहे हैं?

*श्री के० एम० मुंशी : हमने अध्यक्ष को दो वोट देने का अधिकार नहीं दिया है। अत्यधिक महत्त्वपूर्ण वैधानिक प्रस्ताव किसी कृत्रिम अतिरिक्त वोट की सहायता से नहीं पास किये जा सकते। यह वांछनीय भी नहीं है। इसलिए समान वोट पड़ने की स्थिति में उन्हें केवल एक ही वोट देने का अधिकार दिया गया है। यही इसका कारण है।

*एक माननीय सदस्य : मैं अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में एक संशोधन पेश करना चाहता हूं।

*श्री के० एम० मुंशी : प्रस्ताव पेश होने पर माननीय सदस्य अपना संशोधन रख सकते हैं।

नियम १६ उपर्युक्त शर्त के साथ स्वीकृत कर लिया गया।

नियम २३

*श्री के० एम० मुंशी : अब मैं नियम २३ को लेता हूं। इसमें कुछ शब्द बदलने हैं। इस नियम का पहला हिस्सा तो रस्मी है। इसमें दो धाराएं हैं। वे केबिनट मिशन के वक्तव्य के आधार पर बनाई गई है। पहले वाक्यांश बड़े-बड़े सांप्रदायिक प्रश्नों के संम्बन्ध में हैं और दूसरी एडवाइजरी कमेटी और सेक्शनों के कार्य के संबन्ध में हैं। जो एक दूसरे से अलग-अलग और स्वतंत्र हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभा उन्हें थोड़े से परिवर्त्तन के साथ स्वीकार कर लेगी। "अतिक्रमण" शब्द कुछ विरोधजनक शब्द प्रतीत होता है। मैंने उसमें परिवर्तन कर दिया है। इसके अलावा दूसरा वाक्यांश में "यूनियन" और "असेम्बली" के मध्य कांस्टीट्यूट (विधान) शब्द जोड़ रहा हूँ।

*एक माननीय सदस्य : कृपया इस वाक्यांश को पुनः पढ़कर सुनाइये।

***श्री के०एम० मुंशी :**

"इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था भी की जाती है कि कोई भी सेक्शन उन मामलों पर विचार नहीं करेगा जो संघ परिषद् की अधिकार सीमा और कार्य सीमा के अन्तर्गत आते हों अथवा केबिनेट मिशन के वक्तव्य के पैरा २० में उल्लिखित एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर संघ विधान-परिषद् को किसी निर्णय में परिवर्त्तन नहीं कर सकेगा।"

इसमें "संघ" शब्द इसलिए जोड़ा गया है ताकि यह स्पष्ट हो जाय कि यह केवल संघ विधान-परिषद् पर ही लागू होता है।

***श्री रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय :** नियम २३ के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि पहले वाक्यांश में यह कहा गया है कि जब किसी प्रस्ताव द्वारा कोई बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न उठाया जायगा तो अध्यक्ष उनसे प्रार्थना किये जाने पर फेडरल कोर्ट से परामर्श करेंगे। १६ मई के वक्तव्य के अनुसार ये शब्द इस प्रकार हैं:—

"परिषद् का सभापति इस बात का निर्णय करेगा कि उपस्थित प्रस्तावों में से कौन सा (अगर कोई हो) ऐसा है जिसके द्वारा मुख्य सांप्रदायिक प्रश्न उपस्थित होता है। यदि दोनों में से किसी भी प्रमुख संप्रदाय के सदस्य बहुमत से अनुरोध करें तो सभापति अपना निर्णय देने से पहले संघ न्यायालय की सलाह ले लेगा।"

अब इस नियम के वर्त्तमान स्वरूप के अनुसार यह कहा गया है कि ज्योंही यह दावा किया जायगा कि कोई प्रश्न बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न है तो सभापति अनिवार्यत: उसे संघ-न्यायालय के पास भेज देंगे। मेरा निवेदन है कि इन दोनों अवस्थाओं के दरमियान एक और अवस्था भी है। वह यह है कि सभापति ही इस बात का फैसला करेंगे कि क्या यह कोई बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न है या नहीं। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि:—

"बशर्ते कि किसी संशोधन द्वारा कोई बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न उठाने का दावा किया गया हो और सभापति निर्णय दें कि यह एक बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न है तो वे यदि उनसे बहुमत द्वारा प्रार्थना की जाय······"

***अध्यक्ष :** यदि वह निर्णय दे कि यह कोई बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न नहीं है तो फिर उसे संघ-न्यायालय के पास भेजने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

***श्री रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय :** फेडरल कोर्ट से सभापति परामर्श करेंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है और उससे स्पष्ट है कि पहले से ही यह मान लिया गया है। सभापति उठाए गए उस प्रश्न पर कोई निर्णय देंगे।

***माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपाल स्वामी आयंगर :** यदि सभापति उस दावे से सहमत हो जाते हैं जो इस बारे में किया गया है तो नियम २३ के व्यावहारिक भाग के अन्तर्गत निर्णय देनेका उन्हें पूर्ण अधिकार है। यह तो केवल

[मा० दीवानबहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर]
एक धारा है। वे व्यवस्था देने के सभी प्रश्नों का निर्णय कर सकते हैं। इसके प्रथम भाग का सम्बन्ध उन सभी विषयों से है जिनका सम्बन्ध कार्य संचालन से है। ऐसे मामलों में सभापति का निर्णय अन्तिम माना जायगा। मेरे माननीय मित्र द्वारा उठाया गया प्रश्न भी इसी के अन्तर्गत आ जाता है।

*रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : मेरा विचार है कि स्थिति को और अधिक स्पष्ट कर देना बेहतर होगा।

*श्री के० सन्तानम् : मेरा सुझाव है कि दूसरी धारा निषेधात्मक होने की बजाय, विभिन्न रूप से उपस्थित की जाय, जिसके द्वारा कमेटी का निर्णय सभी सेक्शनों पर बाध्य हो।

*श्री के० एम० मुंशी : ऐसी व्यवस्था नियम २३—ए के अन्तर्गत कर दी गई है। इस धारा में तो सिर्फ यही कहा गया है कि सेक्शन उन विषयों पर सोच-विचार नहीं करेंगे जो यूनियन की अधिकार सीमा के अन्तर्गत आते हों।

नियम २३ में कहा गया है कि सभापति का निर्णय अन्तिम माना जायगा। यदि मेरे माननीय मित्र इस वाक्यांश को नियम २३—ए के साथ मिला कर पढ़ें तो उन्हें पता चल जायगा कि वह बात भी जिस पर वे जोर दे रहे हैं इसी के अन्तर्गत आ जाती है।

*श्री एच० वी० कामठ : जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, मैं निजी रूप से इस पक्ष में हूं कि इस नियम को इसी रूप में रहने दिया जाय। यदि "अतिक्रमण" (Tresspass) शब्द पर विरोध-जनक अर्थ होने के कारण कोई आपत्ति हो तो उसकी जगह हम "आक्रमण" (Encroch)शब्द रख सकते हैं।

*श्री के० एम० मुंशी : शायद श्रीकामठ उस परिवर्त्तनको नहीं समझ सके जो मैंने पहले से ही कर दिया है। वह इस प्रकार है!

> "इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था भी की जाती है कि कोई भी सेक्शन उन मामलों पर सोच-विचार नहीं करेगा जो संघ-परिषद् की अधिकार-सीमा और कार्य-सीमाके अन्तर्गत आजाते हैं······

"आक्रमण" शब्द भी बड़ा कड़ा है।

*एक माननीय सदस्य : श्रीमान्, यदि यह प्रश्न उठे कि कौन-सा विषय संघ-परिषद् अथवा सेक्शन की अधिकार-सीमा के अन्तर्गत आता है तो फैसला कौन करेगा?

*अध्यक्ष : जब कभी ऐसा मौका आएगा तो उसका जवाब सभापति द्वारा दिया जायगा।

*श्री अनन्तशयनम् आयंगर (मद्रास : जनरल) : श्वेत पत्र के अन्तर्गत संघ-केन्द्र को तीन विषय दिये गए हैं और शेष विषय—उन विषयों के अतिरिक्त जिन्हें प्रांत स्वयं समूह के सुपुर्द करना चाहते हों—प्रांतीय विषय हैं। इस बात का निर्णय करने का अन्तिम अधिकारी कौन होगा कि कौन-कौन से विषय इन तीनों विषयों के अन्तर्गत आते हैं ? दूसरे वाक्यांश में कहा गया है :

"केबिनेट-मिशन के वक्तव्य के पैरा २० में उल्लिखित एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर संघ-विधान-परिषद् के किसी निर्णय······"

सेक्शनों पर केवल यही चीज लागू होगी। श्रीमान्, यह बहुत संकुचित है। इस धारा के वर्त्तमान शब्दों के अनुसार केवल वे ही निर्णय सेक्शनों पर बाध्य होंगे जो एडवाइजरी कमेटी की सलाह पर किये जाएंगे। मैं निम्न लिखित शब्दों को हटा देना चाहता हूं :—

"केबिनेट मिशन के वक्तव्य के पैरा २० में उल्लिखित एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर किए गए"······

इसका तात्पर्य यह होगा कि विधान-परिषद् द्वारा किए गए सब निर्णय सभी सेक्शनों और कमेटियों पर लागू होंगे। एडवाइजरी कमेटी केवल मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों, कबाइली इलाकों और दूसरों इलाकों जिनका सम्बन्ध वैदेशिक मामलों और रक्षा—व्यवस्था इत्यादि से नहीं है के सम्बन्ध में ही कुछ सीमित निर्णय कर सकती है। मैं निम्नलिखित शब्द हटा देना चाहता हूँ:—

"केबिनेट-मिशन के वक्तव्य के पैरा २० में उल्लिखित एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर किये गए······"

यही मेरा संशोधन है।

*श्री जसपतराय कपूर : नियम २३ की पंक्ति २ में, मैं "कार्य" शब्द के बाद "परिषद् का" शब्द जोड़ देना चाहता हूं।

*श्री के०एम०मुंशी : कार्य का अर्थ है, परिषद का कार्य। इसका अर्थ किसी अन्य संस्था का काम नहीं हो सकता।

*श्री जसपतराय कपूर : अब तक हम "परिषद् का कार्य" वाक्यांश का प्रयोग करते रहे हैं जिसकी परिभाषा नियम के अन्तर्गत की गई है। हमें एक ही बात पर दृढ़ रहना चाहिए और यहां भी हमें 'परिषद् का कार्य" शब्द ही प्रयुक्त करना चाहिए।

*दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में ये दोनों धाराएं केवल अत्यधिक सतर्कता के रूप में जोड़ी गई हैं। नियम २३ के मुख्य भाग का सम्बन्ध कार्य-प्रणाली से है। यह खयाल किया गया था कि कार्य-प्रणालीकी आड़ में आप कुछ विशेष काम

[दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर]

न करें। इन धाराओं को रखने की यही वजह है । यदि किसी प्रश्न का सम्बन्ध विधान के बुनियादी कानून से है अथवा इस बात से है कि क्या कुछ खास विषय प्रांतीय विषयोंकी सूचीके अन्तर्गत आतेहैं या नहीं, तो नियम २३के अन्तर्गत उसे किसी भी अवस्था में कार्य-प्रणाली से सम्बन्ध रखने वाला विषय नहीं माना जा सकता। यदि किसी प्रस्ताव द्वारा कोई ऐसा प्रश्न उठाया गया हो जिसके सम्बन्ध में यह दावा किया जाय कि यह एक बड़ा साम्प्रदायिक प्रश्न है तो उस पर श्वेत-पत्र की विशेष धारा लागू होगी। यह विचार किया गया था कि व्यवस्था लेने के बहाने आप वास्तविक रूप से किसी उचित विधान पर आक्रमण न कर सकें। यदि इन धाराओं को छोड़ भी दिया जाय, तो भी उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कार्य-प्रणाली की आड़ में सभापति उस व्यवस्था से मुंह नहीं मोड़ सकते जिसकी व्याख्या स्पष्ट और निश्चित शब्दों में श्वेत-पत्र के अन्तर्गत की गई है; चाहे उसका सम्बन्ध संघ-परिषद् के कार्यों से हो अथवा किसी बड़े सांप्रदायिक प्रश्न से। यदि इन धाराओं को हटा भी दिया जाय तब भी परिणाम एक ही होगा।

***माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर :** मैं एक बात अपने मित्र श्री सन्तानम् द्वारा पेश किये गए संशोधन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। श्री सन्तानम् का यह कहना है कि इन नियमों में एक स्वीकारात्मक धारा को जोड़ देना भी वांछनीय है, जिसका आशय यह है कि संघ-परिषद् द्वारा एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में किये गए निर्णय सभी सेक्शनों पर बाध्य होंगे। श्रीमान्, मेरे विचार में यह एक अच्छी चीज है और इसे पूर्णतः स्पष्ट कर देना आवश्यक है। मेरा प्रस्ताव है कि नियम २३ (ए) के अन्त में निम्न लिखित वाक्य भी जोड़ दिया जाय :–

"विधान-परिषद् द्वारा इस नियम के अन्तर्गत किये गए निर्णय सेक्शनों पर बाध्य होंगे।"

***श्री जसपतराय कपूर :** मेरे विचार में "परिषद् का" शब्द "कार्य" शब्द के बाद सम्मिलित कर लिया जाय।

***श्री के०एम० मुंशी :** मुझे संशोधन स्वीकार है।

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***श्री अनन्तशयनम् आयंगर :** मैं अपने संशोधन पर जोर देना चाहता हूँ।

***श्री के०एम० मुंशी :** मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

***अध्यक्ष :** उनका संशोधन यह है कि "केबिनेट-मिशन के वक्तव्य के पैरा २२ में उल्लिखित एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर किये गए" शब्द हटा दिये जायं।

संशोधन अस्वीकृत कर दिया गया।

*अध्यक्ष : अब मैं संपूर्ण नियम पर वोट लेता हूँ।

संशोधन सहित नियम २३ स्वीकार कर लिया गया।

नियम २३-ए

*श्री के०एम० मुंशी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नियम २३—ए स्वीकार कर लिया जाय।

*सरदार हरनामसिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अन्तिम पंक्ति से ऊपर की पंक्ति में "ये अधिकार" शब्दों की बजाय "ये निर्णय" शब्द रख दिये जायं। "ये निर्णय" शब्द अधिक उपयुक्त रहेंगे।

*श्री के० एम० मुंशी ; मुझे यह स्वीकार है।

*श्री एल० कृष्णास्वामी भारती : प्रस्ताव की चौथी पंक्ति में 'परिषद्' शब्द के स्थान पर 'संघ-विधान-परिषद्' शब्द रख दिये जायें।

*श्री के० एम० मुंशी : मुझे यह स्वीकृत है। ऐसा ही परिवर्त्तन ८ वीं पंक्ति में भी कर दिया जाय अर्थात् 'केवल परिषद् का विशेष कार्य, के स्थान पर 'संघ विधान-परिषद् का विशेष कार्य।" यह इसलिए किया गया है कि जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि यह धारा आवश्यक परिवर्त्तन सहित सेक्शनों पर लागू नहीं होगी। दूसरे नियम "परिषद्" शब्द की व्याख्या के अनुसार यह कहा गया है कि उससे अभिप्राय न केवल प्रारंभिक, बल्कि दूसरे अधिवेशन में भी है, जब कि हम यह बात निश्चय रूप से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह नियम अन्तिम अवस्था पर लागू होता है।

*श्री एल० कृष्णास्वामी भारती : प्रत्येक अवस्था में जब कभी "परिषद्" शब्द का उल्लेख होगा तो उसका अर्थ केवल संघ-विधान-परिषद् ही होगा। अन्यथा कठिनाई पैदा हो जायगी।

*श्री के० एम० मुंशी : माननीय सदस्य इस तथ्य की ओर बिलकुल ध्यान नहीं देते कि स्वयं केबिनेट मिशन के वक्तव्य में विधान-परिषद्, उसकी प्रारंभिक बैठक और संघ-विधान-परिषद् में भेद बताया गया है। यह नियम विधान-परिषद् वाली अवस्था में लागू हो सकता है। यही कारण है कि ये शब्द निश्चित रूप से प्रयुक्त किये गए हैं।

*श्री के० सन्तानम् : परिषद् की स्थिति वही है जो आज से लेकर अन्त तक रहेगी। हम प्रारंभिक, सरकारी और संघीय विधान-परिषद् में कोई भेद नहीं कर सकते।

*** माननीय दीवानबहादुर सर एन० गोपालस्वामीआयंगर :** मैं नियम २३ (ए) के अन्तिम भाग में यह संशोधन पेश करता हूँ। "यह काम विशेष रूप से होगा इत्यादि से लेकर "विधान" शब्द तक के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायं—

"ऐसी रिपोर्टों के बारे में विधान-परिषद् के निर्णय सेक्शनों पर लागू होंगे और उन्हें विधान के उपयुक्त भाग में सम्मिलित कर लिया जायगा।"

***श्री के० एम० मुंशी :** मुझे सर गोपालस्वामी आयंगर का यह संशोधन स्वीकार है।

***रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय :** इस नियम में "बुनियादी अधिकार" शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्या उनसे अभिप्राय सभी "बुनियादी अधिकारों" से है अथवा केवल अल्पसंख्यकों से सम्बन्ध रखने वाले अधिकारों से ?

***श्री के० एम० मुंशी :** एडवाइजरी कमेटी को तीन विषयों का निर्णय करना होगा—बुनियादी अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार और कबाइली और असम्मिलित क्षेत्र।

मुझे संशोधन स्वीकार है।

***अध्यक्ष :** मैं संशोधित नियम को वोट लेने के लिए उपस्थित करता हूं।

संशोधित नियम २३-ए स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष :** अभी दो-एक नियम और बाकी रह गए हैं और बेहतर होगा कि हम उन्हें भी समाप्त कर दें। यदि नियम अब पास कर लिये जाएं तो दोपहर बाद हम निर्वाचन कर सकते हैं।

नियम ४३-ए

***श्री के०एम० मुंशी :** श्रीमान्, सिर्फ एक ही नियम ऐसा रह गया है। जिसका मसविदा हमें दुबारा तैयार करना है और यह नियम सेक्रेटरी का अपने पद के कारण विभिन्न कमेटियों का सेक्रेटरी बनने के सम्बन्ध में था। इस सम्बन्ध में मैं निम्न मसविदा सभा की स्वीकृति के लिए पेश करता हूं। नियम ४३ (३) एक पृथक् नियम के रूप में रहेगा।

"४३-ए, इन नियमों की शर्तं के अनुसार परिषद् का सेक्रेटरी अपने पद के कारण तब तक प्रत्येक कमेटी का सेक्रेटरी माना जायगा, जब तक कि उस प्रस्ताव में जिसके अनुसार वह कमेटी बनाई गई है, कोई और व्यवस्था न की गई हो, और किसी भी सेक्शन का सेक्रेटरी अपने पद के कारण उस सेक्शन द्वारा स्थापित की गई किसी भी कमेटी का तब तक सेक्रेटरी रहेगा जब तक कि उस प्रस्ताव में जिसके अनुसार वह कमेटी बनाई गई है, कोई और व्यवस्था न की गई हो।"

इस प्रकार उस कठिनाई का निराकरण हो जाता है जो कल उठाई गई थी।

नियम ४३-ए स्वीकार कर लिया गया।

नियम १५

*श्री के० एम० मुंशी : अब केवल एक और नियम १५ रह जाता है, जिसका सम्बन्ध कोरम से है। यह नियम निःसंदेह विवादास्पद है और मेरा यह निवेदन है कि यह नितान्त आवश्यक नहीं है कि हम कोरम के सम्बन्ध में सभी धाराएं इसी बैठक में निर्धारित करें। इसलिए श्रीमान्, मेरा प्रस्ताव है कि नियम १५ के अलावा वर्त्तमान नियम स्वीकार कर लिए जायं और इस नियम पर अगले अधिवेशन में एक पृथक् नियम के रूप में सोच-विचार किया जाय।

इसलिए मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि संपूर्ण नियम १५ पर जनवरी में परिषद् की आगामी बैठक में सोच-विचार किया जाय।

*श्री के० सन्तानम् : मेरे विचार में किसी परिषद् के लिए यह कोई उचित कार्य-प्रणाली नहीं है।

*श्री के० एम० मुंशी : हम अपना काम एक संपूर्ण संस्था के रूप में कर रहे हैं और इसलिए किसी कोरम की आवश्यकता नहीं है। परिषद् की प्रारंभिक बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होती, अन्यथा उसके द्वारा किया गया सारा काम अनियमित माना जायगा। अब जबकि हमारी बैठक २० जनवरी को हो रही है, आज और कल में कोई फर्क नहीं रह जाता।

*श्री के० सन्तानम् : संपूर्ण नियम पर आगामी बैठक में सोच-विचार किया जा सकता है।

*श्री के० एम० मुंशी : कोरम का प्रश्न केवल सहायक संस्थाओं पर लागू होता है। नियम बनाने वाली संस्था पर वह नहीं लागू होता।

*अध्यक्ष : कठिनाई यह है कि हमें इस नियम पर बहस करने की जरूरत है और इसलिए उसे स्थगित कर देने का प्रस्ताव किया गया है।

*रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : हम इस नियम को वर्त्तमान रूप में पास कर सकते हैं और परिवर्त्तन-संबंधी सुझावों पर आगामी बैठक में सोच-विचार किया जा सकता है।

*अध्यक्ष : मैं यह मान लेता हूं कि सभा इस नियम को स्थगित करना स्वीकार कर लेगी।

*माननीय श्रीयुत गोपीनाथ बारदोलोई (आसाम : जनरल) : इस आश्वासन पर कि उसे बाद में पेश किया जायगा।

*श्री के० एम० मुंशी : जनवरी की बैठक के तत्काल बाद ही इस नियम का नोटिस दे दिया जायगा।

अध्यायों का पुनर्गठन और नियमों का पुनः संख्याकरण

*श्री के० एम० मुंशी : एक नियमित प्रस्ताव और शेष रह गया है। वह यह है कि अध्याय ३ से लेकर ६ तक का पुनर्गठन किया जाय जिससे कि वर्त्तमान अध्याय ३, अध्याय ६ के बाद आए। इसका उद्देश्य यह है कि "असेम्बली का काम" "सभापति" और "उप-सभापति" के बाद आना चाहिए।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

*अध्यक्ष : क्या मैं एक और सुझाव पेश कर सकता हूं ? नियमों की संख्या और उनका क्रम लगातार एक सिलसिले में रखा जाय।

*श्री के० एम० मुंशी : इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियमों की संख्या क्रमागत व्यवस्था के अनुसार रखी जाय।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

नियम १

*श्री के० एम० मुंशी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम १ पर तत्काल अमल शुरू हो जायगा।

*अध्यक्ष : मेरा विचार है कि सभा को यह मंजूर है।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

*श्री के० एम० मुंशी : अब मैं निम्न प्रस्ताव पेश करता हूं :—

"इन नियमों को नियमित रूप से स्वीकृत करने के लिए सभा की बैठक विधान-परिषद् के पूर्ण और खुले अधिवेशन के रूप में हो।"

प्रस्ताव स्वाकार कर लिया गया।

इसके बाद विधान-परिषद् का पूर्ण अधिवेशन १ बजकर ३५ मिनट पर सोमवार, २३ दिसम्बर, १९४६ को माननीय डा० राजेन्द्रप्रसाद के सभापतित्व में हुआ।

रूल्स आफ प्रोसीजर की स्वीकृति

*श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर (मद्रास : जनरल) : श्रीमान् ! मैं प्रस्ताव पेश करता हूं...।

*अध्यक्ष : कमेटी की स्थिति अब समाप्त हो गई है। अब सभा का पूर्ण अधिवेशन हो रहा है। श्री मुंशी ने प्रस्ताव पे किया है कि जिस रूप में कमेटी ने ये नियम पास किये हैं, उन्हें उसी रूप में पास किया जाय।

*श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर : मैं यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं:—

"हमने जो नियम पास किये हैं, उनके विपरीत कोई बात होते हुए भी अब तक इस परिषद् की जो भी कार्रवाई हुई है, उसे वैध और नियमित माना जायगा।"

हमने चुनाव के तरीके इत्यादि, अफसरों की नियुक्ति और इसी प्रकार की अन्य बातों के लिए नियम पास किये हैं और विस्तृत व्यवस्था की है। अब तक हमने जो कुछ भी किया है, चाहे ये नियम कुछ भी हों, हमने जो कुछ किया है, उसे वैध समझा जायगा।

*अध्यक्ष : यह प्रश्न तो नियम पास किये जाने के बाद उठेगा।

*श्री के० एम० मुंशी (बम्बई : जनरल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा की कमेटी ने जिस रूप में नियम स्वीकार किये हैं, उन्हें अब परिषद् द्वारा अपने पूर्ण अधिवेशन में स्वीकार कर लिया जाय।

*डा० पी० सुब्बारायन (मद्रास : जनरल) : मैं इसका समर्थन करता हूं।

*अध्यक्ष : मैं नियमों पर वोट लेने के लिए इन्हें सभा के सम्मुख पेश करता हूं।

नियम, जिस रूप में सभा की कमेटी द्वारा स्वीकार किये गए थे, स्वीकार कर लिये गए।

*श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर : श्रीमान्, मुझे यह प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाय कि जो नियम आज पास किये गए हैं उनके विपरीत कोई बात होते हुए भी इस परिषद् की अब तक की सब कार्रवाई वैध, उचित और लागू समझी जायगी।

*श्री के० एम० मुंशी : मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि सभा ने जो भी चीजें पास की हैं,वे सब बहुमत द्वारा की गई हैं। नियम बहुमत द्वारा पास किये गए हैं और केवल स्वीकृत होने पर ही उन्हें कार्यान्वित किया जाता है। इसलिए हमने इससे पूर्व जो कुछ भी किया है, उसे वैध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

*अध्यक्ष : मेरा विचार है कि यह अनावश्यक है।

हमने नियम तो पास कर लिये हैं, परन्तु अभी इन नियमों के अन्तर्गत कुछ कमेटियों का निर्वाचन करना शेष रह गया है। कल मैंने घोषणा की थी कि आप लोग आज १ बजे तक इन कमेटियों के लिए नाम पेश कर सकते हैं। हम १ बजे से पहले ये नियम नहीं पास कर सके। इस समय १ बजकर ३५ मिनट हो

[अध्यक्ष]
चुके हैं। मैं सदस्यों को दो बजे तक नामजदगियां पेश करने का समय देता हूँ। ये सेक्रेटरी के पास दी जा सकती हैं।

चुनाव करने के लिए और अगर कोई काम रह गया हो तो उसे पूरा करने के लिए हमारी बैठक चार बजे होगी।

*रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : शायद कुछ सदस्य यह जानना चाहें कि परिषद् की आगामी बैठक कब होगी।

||*अध्यक्ष : उसकी घोषणा बाद में की जायगी।

इसके बाद परिषद् दोपहर के भोजन के लिए ४ बजे तक स्थगित की गयी।

|| इस वाद-विवाद-पुस्तक में जहां भी 'अध्यक्ष' शब्द आया है, कृपया पाठक इसे 'सभापति' ही पढ़ें।

भारतीय विधान-परिषद

सोमवार, २३ दिसम्बर, सन् १९४६ ई०

खुला अधिवेशन

इसके बाद २३ दिसम्बर, सन् १९४६ ई० को सोमवार के दिन एक बज कर पैंतीस मिनट पर असेम्बली का पूर्ण अधिवेशन माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में हुआ।

जाब्ते के नियमों की स्वीकृति

*श्री एम० अनंतशयनम् आयंगर (मद्रास : जनरल) : श्रीमान, मैं विनय-पूर्वक प्रस्ताव करता हूँ.........।

*सभापति : सभा का कमेटी-स्वरूप अब खत्म हुआ। अब यह पूरी सभा की बैठक है। श्री० मुंशी का प्रस्ताव है कि कमेटी द्वारा पास किये हुये नियमों को स्वीकार कर लिया जाय।

*श्री एम० अनंतशयनम् आयंगर : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि......।

"हमने जो नियम पास किये हैं उनमें चाहे इसके विपरीत कुछ भी हो, इस असेम्बली की अब तक की सारी कार्यवाही न्यायसंगत और नियमित समझी जायगी।"

चुनाव इत्यादि करने, अफसरों को नियुक्त करने और दूसरी बातों के बारे में हमने नियमों और नियम-विधियों को स्वीकार कर लिया है। हमने अभी तक जो कुछ भी किया है और चाहे यह नियम जैसे भी हैं, यह सब न्यायसंगत समझा जायगा।

*सभापति : यह प्रश्न उस समय उठेगा, जब नियम पास हो जायेंगे।

*श्री के० एम० मुंशी (बम्बई : जनरल) : मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह असेम्बली अपने पूर्ण अधिवेशन में नियमों को उस रूप में स्वीकार करले, जैसे कि इन्हें सभा ने अपने कमेटी के स्वरूप में स्वीकार किया था।

*डा० पी० सुब्बारायन (मद्रास : जनरल) : मैं इसका समर्थन करता हूँ।

*सभापति : मैं नियमों को सभा के सामने रखता हूँ। सभा की कमेटी ने जिस रूप में नियमों को स्वीकार किया था उसी रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया गया।

---

*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

*श्री एम० अनंतशयनम् आयंगर : श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि...

"हमने आज जो नियम पास किये हैं उनमें चाहे इसके विपरीत कुछ भी हो इस असेम्बली की अब तक की सब कार्यवाही न्याय-संगत और नियमित समझी जायगी और वह बाध्य होगी।"

*श्री के० एम० मुंशी : मैं यह निवेदन करता हूँ कि इस सभा में जो कुछ भी हुआ है वह बहुमत से हुआ है। नियमों को बहुमत से स्वीकार किया गया है और स्वीकार होने पर वे प्रयोग में आ जाते हैं। इसलिये इसके पहले हमने जो कुछ किया है उसे न्याय-संगत ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

*सभापति : मैं समझता हूँ कि यह अनावश्यक है। अब चूंकि हमने नियमों को पास कर लिया है, हमें उनके अनुसार कुछ कमेटियों का चुनाव करना है। कल मैंने ऐलान किया था कि आप आज एक बजे तक इन कमेटियों के लिए नाम प्रस्तावित कर दें। एक बजे के पहले हम नियमों को पास नहीं कर सके। एक बज कर ३५ मिनट हो चुके हैं। यदि मेम्बर कुछ लोगों को नामजद करना चाहें तो मैं उन्हें दो बजे तक का समय देता हूँ। उनके नाम सेक्रेटरी को दे दिये जायें। चुनाव के लिये और कोई ऐसे अन्य मामलों के लिये जो हमें तय करने हों हम चार बजे सम्मिलित होंगे।

*राय बहादुर श्यामानंदन सहाय : कुछ मेम्बर जानना चाहेंगे कि असेम्बली की अगली बैठक कब होगी ?

*सभापति : यह बाद को ऐलान किया जायगा।

इसके बाद असेम्बली की बैठक दोपहर के भोजन के लिये चार बजे तक स्थगित रही।

दोपहर के भोजन के बाद चार बजे माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में असेम्बली की फिर बैठक हुई।

*सभापति : चूंकि दो दिन के बाद आज सभा का खुला अधिवेशन हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई मेम्बर ऐसे भी हैं जिन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं ? यदि कोई ऐसे मेम्बर हैं तो वे कृपा कर के अब रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दें। मैं समझता हूँ कि कोई नहीं है।

कमेटियों का चुनाव

क्रेडेंशियल कमेटी

*सभापति : नियमों के अनुसार, जिन्हें हमने स्वीकार कर लिया है, हमें कुछ कमेटियों का चुनाव करना है और उन कमेटियों के लिये नामों को पेश करने के लिये मैंने दो बजे तक का समय नियत किया था। अब मैं एक-एक कमेटी को लूंगा और पूछूंगा कि क्या उसके लिये चुनाव करना आवश्यक है। यदि जितने लोगों की जरूरत है, उतने ही नाम आये हों तो चुनाव की आवश्यकता न होगी। सबसे पहले मैं क्रेडेंशियल कमेटी को लेता हूँ। इस कमेटी के लिए पांच मेम्बरों को चुनना है और जो नाम प्रस्तावित किये गये हैं, वे ये हैं:—

श्री शरतचन्द्र बोस—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित।

डा० पी० के० सेन—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित।

बख्शी सर टेकचन्द—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित।

सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित।

मि० एफ० आर० एन्थॉनी—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित।

यही पांच नाम प्रस्तावित किये गये हैं। ये नामजदगियां नियमानुसार हैं। चूँकि पांच ही नाम प्रस्तावित किये गये हैं इसलिए चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पांच लोग चुन लिये गये। (हर्ष-ध्वनि)

हाउस कमेटी

*सभापति : अब मैं हाउस कमेटी को लेता हूँ। नियमों के अनुसार ११ मेम्बरों को प्रस्तावित करना है, यानी ग्यारह प्रान्तों में से हर प्रान्त का एक मेम्बर होना चाहिए। ये नाम प्रस्तावित किये गये हैं :—

श्री राधानाथ दास (बंगाल)—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित।

श्री अक्षयकुमार दास (आसाम)—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित।

श्री दीपनारायण सिन्हा (बिहार)—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित।

खान अब्दुल गफ्फार खां (सीमाप्रांत)—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित।

श्री जैरामदास दौलतराम (सिंध)—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित।

श्री नन्दकिशोर दास (उड़ीसा)—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित।

[सभापति]

श्री मोहनलाल सक्सेना (यू० पी०)—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित ।

श्री एच० वी० कामठ (सी० पी०)—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्ववारा प्रस्तावित ।

श्री० आर० आर० दिवाकर (बम्बई)—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित ।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन् (मद्रास)—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित ।

पंडित श्रीराम शर्मा (पंजाब)—श्री० सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित ।

कमेटी के लिये इन ग्यारह नामों को प्रस्तावित किया गया है। चंकि कुछ भी विरोध नहीं है, इसलिए घोषित किया जाता है कि ये चुन लिए गये ।

फिनेंस और स्टाफ कमेटी

*सभापति : अब हम फिनेंस और स्टाफ कमेटी पर आते हैं। इसमें नौ मेम्बर होने चाहिएँ लेकिन दस नाम प्रस्तावित किये गये हैं। मैं नामों को पढ़ कर सुनाऊंगा :—

श्री सत्यनारायण सिन्हा—श्री काला वेंकटराव द्वारा प्रस्तावित ।

श्री जैपाल सिंह—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित ।

श्री बी० आई० मुनिस्वामी पिलाई—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित ।

श्री सी० ई० गिब्बन—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित ।

श्री एन० वी० गैडगिल—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित ।

सेठ गोविंद दास—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित ।

श्री श्री प्रकाश—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित ।

राजकुमारी अमृतकौर—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित ।

सरदार हरनामसिंह—श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित ।

बर्दवान के महाराजाधिराज बहादुर सर उदयचंद महताब—दरभंगा के माननीय महाराजाधिराज सर कामेश्वरसिंह द्वारा प्रस्तावित ।

ये दस नाम प्रस्तावित किये गये हैं और नौ जगहें हैं। इसके लिये चुनाव करना आवश्यक होगा।

(इस अवसर पर कुछ भाषण दिये गये जिनके बारे में सभा की अनुमति से सभापति ने आज्ञा दी कि वे रिपोर्ट से निकाल दिये जायें।)

बर्दवान के महाराजाधिराज ने अपना नाम वापस ले लिया।

*सभापति : चूंकि जो लोग नामजद किये गये हैं उनकी संख्या वही है जो कमेटी के मेम्बरों की होनी चाहिए, इसलिए मैं अब घोषित करता हूँ कि ये नौ मेम्बर चुन लिए गये। (हर्षध्वनि)

---

१६ मई के बयान की व्याख्या के लिए उसे फेडरल कोर्ट के सामने रखने के बारे में सभापति का वक्तव्य

*सभापति : एक और बात है जिसे मुझे बता देना चाहिए। पहले एक बार मैंने कहा था कि १६ मई के बयान की व्याख्या के बारे में कुछ सन्देहों और झगड़ों को फेडरल कोर्ट के सामने रखने के प्रश्न पर सम्भवतः हमें विचार करना पड़े। मैं इन दिनों इसकी प्रतीक्षा करता रहा कि इस सभा के कोई मेम्बर इस आशय का कोई प्रस्ताव भेजेंगे या सुझाव रक्खेंगे। अभी तक फेडरल कोर्ट के सामने इस मामले को रखने के बारे में इस तरह का कोई संकेत नहीं मिला है। मैं यह मान लेता हूँ कि सभा की यह इच्छा है कि इस मामले को फेडरल कोर्ट के सामने रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। (हर्ष-ध्वनि) इसलिए यह सवाल अब नहीं उठता।

असेम्बली के इस अधिवेशन में हमें जो काम करना था उसे अब हम खत्म कर चुके हैं। अब हमें सभा स्थगित करनी होगी। हमने जो नियम स्वीकार किये हैं उनके अनुसार सभापति को असेम्बली के किसी अधिवेशन को तीन दिन से अधिक स्थगित करने का अधिकार नहीं है। यदि वह सभा को तीन दिन से अधिक स्थगित करना चाहें तो इसका अधिकार असेम्बली को ही है। मैं यह सुझाव पेश करता हूँ कि यह सभा २० जनवरी, सन् १९४७ ई० के ग्यारह बजे सुबह तक स्थगित रहे। यदि सभा की यह इच्छा हो तो मुझे बताया जाय।

*माननीय मेम्बर : जी हां।

*सभापति : अब यह सभा २० जनवरी, सन् १९४७ ई० के ग्यारह बजे सुबह तक स्थगित रहेगी।

इसके बाद असेम्बली २० जनवरी, सन् १९४७ ई०, सोमवार के दिन ग्यारह बजे सुबह तक स्थगित रही।

भारतीय विधान-परिषद्

सोमवार २० जनवरी, सन् १९४७ ई०

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कांस्टिट्यूशन हाल, नई दिल्ली में दिन के ग्यारह बजे माननीय डा० राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में हुई।

परिचय-पत्रों को देना और रजिस्टर पर हस्ताक्षर

नीचे लिखे मैम्बरों ने अपने परिचय-पत्र दिये और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये।

१. डा० एच. सी. मुखर्जी।

२. श्री बालकृष्ण शर्मा।

विधान-परिषद् के प्रतिनिधि-स्वरूप के बारे में पार्लियामेंट में लगाये हुए अभियोगों पर अध्यक्ष का वक्तव्य।

*अध्यक्ष : काम शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों के बारे में दो वक्तव्य देना चाहता हूं। पिछली दिसम्बर को कामन्स-सभा और लार्डस-सभा में कुछ ऐसे बयान दिये गये जिनमें इस असेम्बली के पिछले अधिवेशन के प्रतिनिधि-स्वरूप को अपमानित किया गया। इस सम्बन्ध में जो लोग बोले उनमें मि० चर्चिल और वाइकाउंट साइमन उल्लेखनीय हैं। मि० चर्चिल ने कहा कि यह असेम्बली जिस रूप में पिछली बार सम्मिलित हुई थी, इसमें हिन्दुस्तान की केवल एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व हुआ था। वाइकाउंट साइमन ने इसे कुछ अधिक स्पष्ट कर दिया और कहा कि यह असेम्बली "हिंदुओं की एक सभा है।" वे आगे चलकर पूछते हैं कि "क्या दिल्ली में होने वाली सवर्ण हिंदुओं की इस सभा को सरकार को अपने अर्थ में विधान-परिषद् समझना चाहिए?"

ये दोनों सज्जन उत्तरदायित्व-के सर्वोच्च पदों पर रहे हैं और हिंदुस्तान के मामलों से इनका बहुत काल तक निकट सम्बन्ध रहा है, चाहे वर्त्तमान राजनैतिक वाद-विवाद के सम्बन्ध में उनका जो भी मत हो, मुझे विश्वास है कि वे ऐसे बयान नहीं देना चाहेंगे जो वस्तु स्थिति के बिलकुल विपरीत हों और जिनसे दुष्टतापूर्ण अनुमान निकाले जा सकते हों। इसी कारण मैं इस अवसर पर रस्मी तौर पर सच्ची हालत बता देना आवश्यक समझता हूं। प्रारम्भिक अधिवेशन में २९६ मैम्बर भाग लेने वाले थे परन्तु उनमें से २१० मैम्बर आये। इन २१० मैम्बरों में से १५५ हिन्दू थे जब कि उनकी कुल संख्या १६० थी; ३० परिगणित जातियों के मैम्बर थे जब कि उनकी कुल संख्या ३१ थी; पांचों सिख मैम्बर थे; ६ देशी ईसाइयों के मैम्बर थे जब कि उनकी कुल संख्या ७ थी; पिछड़ी हुई जातियों के पांचों मैम्बर थे; एंग्लो इंडियनों के तीनों मैम्बर थे; पारसियों के तीनों मैम्बर थे; और मुसलमानों के ४ मैम्बर थे जब कि उनकी कुल संख्या ८० थी, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति निस्सन्देह उल्लेखनीय है। इसके लिए हम

---

*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[अध्यक्ष]
सबको खेद है। लेकिन जो आंकड़े मैंने दिए हैं, उनसे स्पष्ट है कि मुसलिम लीग के प्रतिनिधियों के अलावा हिन्दुस्तान की हर एक जाति के प्रतिनिधि, चाहे जिस पार्टी से उनका सम्बन्ध रहा हो, इस असेम्बली में आये और इसलिए इस असेम्बली को हिन्दुस्तान की "एक ही बड़ी जाति की प्रतिनिधि कहना" या "हिन्दुओं की एक सभा" या सवर्ण हिन्दुओं की सभा कहना, वस्तु स्थिति को बिलकुल गलत तरीके से रखना है। (हर्ष ध्वनि)

हिन्दुस्तान में प्रकाशित मंत्रिमंडल के १६ मई सन् १९४६ ई० के बयान और मैम्बरों को दी हुइ उसकी छपी हुई पुस्तिका-रूप में भिन्नता के बारे में अध्यक्ष का वक्तव्य।

*अध्यक्ष : मेम्बरों को याद होगा कि पं० जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर विधान-परिषद् में जो वाद-विवाद हो रहा था उसके सिलसिले में मि० जयपालसिंह ने यह बताया था कि मंत्रिमंडल का १६ मई सन् १९४६ ई० का बयान जैसा कि वह हिन्दुस्तान में प्रकाशित हुआ, और जैसा कि उसे असेम्बली के दफ्तर ने पुस्तिका के रूप में बांटा, उनमें भिन्नता है। जिस भिन्नता का हवाला दिया गया वह बयान के पैराग्राफ़ २० में थी। उनकी यह शिकायत थी कि जो बयान हिन्दुस्तान में पहले प्रकाशित हुआ था, उसमें सम्बन्धित हितों का पूरा प्रतिनिधित्व लिखा हुआ है और हमने दुबारा जिस रूप में उसे छापा उसमें सिर्फ उचित प्रतिनिधित्व लिखा हुआ है। इस बीच मैंने इस मामले की जांच करवाई।

भारत सरकार के प्रिन्सिपल इंफार्मेशन अफसर, जिन्होंने हिन्दुस्तान में बयान को शुरू में प्रकाशित किया, पूछने पर बताते हैं कि वह ठीक उस प्रति के अनुरूप छापा गया जो कि उन्हें मन्त्रिमण्डल के इंफार्मेशन अफ़सर से प्राप्त हुई। हमने जो पुस्तिका छापी है वह उस व्हाइट पेपर की ठीक नकल है जो कि पार्लियामेंट में पेश किया गया। यह जान पड़ता है कि हिन्दुस्तानमें प्रकाशित हुए बयान में उसे पार्लियामेंट में पेश करने के पहले मन्त्रिमंडल ने कुछ बदलाव कर दिये।

मि० जयपालसिंह ने जो भिन्नता बताई केवल वही नहीं है। कुछ अन्य भी है। लेकिन मुझे सन्तोष है कि जहां कहीं भी ये बदलाव किये गये हैं वहां वे अधिकतर केवल शाब्दिक हैं। लेकिन पैराग्राफ २० में जो बदलाव किया गया है वह केवल शाब्दिक है या नहीं, यह अपने-अपने मत की बात है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं नहीं समझता कि कोई खास बदलाव किया गया है।

स्टीयरिंग कमेटी के बारे में प्रस्ताव

*अध्यक्ष : अब कार्यक्रम में दूसरा विषय श्री सत्यनारायण सिनहा का प्रस्ताव है।

*श्री सत्यनारायण सिनहा (बिहार : जनरल) सभापति महोदय, मेरे नाम से जो प्रस्ताव है उसे मैं पेश करता हूं:–

> यह निश्चय किया जाता है कि यह असेम्बली विधान-परिषद् के नियमों के नियम ४०(१) में बताये हुये तरीके के अनुसार (अध्यक्ष के अलावा) उन ग्यारह मेम्बरों को चुनने का काम शुरू करती है जो स्टीयरिंग कमेटी के मेम्बर होंगे।"

श्रीमान् आपकी आज्ञा से मैं इस सभा के सामने इस कमेटी के बारे में उन नियमों को

पढ़ना चाहता हूँ जो कि हमने पिछले अधिवेशन में पास किये थे।

यह असेम्बली समय-समय पर ऐसे तरीके से जिसे वह उचित समझे, ग्यारह मेम्बरों के अलावा आठ अतिरिक्त मेम्बरों को चुनेगी जिनमें से चार मेम्बरों की जगहें देशी रियासतों के प्रतिनिधियों में से चुने जाने के लिए सुरक्षित रक्खी जायेंगी।

अध्यक्ष, पद की हैसियत से, स्टीयरिंग कमेटी के मेम्बर होंगे और पद की हैसियत से उसके सभापति भी होंगे। कमेटी अपने मेम्बरों में से किसी मेम्बर को उप-सभापति निर्वाचित करेगी जो सभापति की अनुपस्थिति में कमेटी के सभापति होंगे।

असेम्बली के सेक्रेटरी, पद की हैसियत से स्टीयरिंग कमेटी के सेक्रेटरी होंगे।

कमेटी में अकस्मात जो जगहें खाली होंगी उन्हें खाली होने पर असेम्बली चुनाव द्वारा यथाशीघ्र ऐसे तरीके से भरेगी जिसे कि सभापति निश्चित करेंगे।

४१(१) कमेटी :

(क) प्रतिदिन के काम को क्रमानुसार रक्खेगी।

(ख) एक तरह के प्रस्तावों और संशोधनों को एक साथ रक्खेगी और, यदि सम्भव हो तो, एक तरह के प्रस्तावों और संशोधनों पर सम्बन्धित पार्टियों को सहमत करायेगी।

(ग) असेम्बली और सेक्शनों के बीच, सेक्शनों के बीच, कमेटियों के बीच, और अध्यक्ष और असेम्बली के किसी भाग के बीच, सम्बन्ध स्थापित करने वाली साधारण समिति का काम करेगी और,

(घ) नियमों के आधीन या असेम्बली या अध्यक्ष द्वारा उसको सुपुर्द किये हुए किसी मामले को तय करेगी।

(२) स्टीयरिंग कमेटी के कार्य-संचालन के लिए अध्यक्ष स्थाई आज्ञायें जारी करेंगे।

यदि सभा मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करे तो अध्यक्ष यह ऐलान करेंगे कि किस तारीख और किस समय तक नाम प्राप्त हो जाने चाहिएं और यदि चुनाव की आवश्यकता हो तो वह कब तक होगा।

*श्री मोहनलाल सक्सेना : (संयुक्तप्रान्त : जनरल) : मैं इसका समर्थन करता हूँ।

*अध्यक्ष : क्या कोई मेम्बर इस प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं? चूंकि कोई सज्जन नहीं बोलना चाहते इसलिये मैं इस प्रस्ताव पर सभा की वोट लूंगा। प्रस्ताव यह है।

"यह निश्चय किया जाता है कि यह असेम्बली विधान-परिषद् के नियमों के नियम ४०(१) में बताये हुये तरीके के अनुसार (अध्यक्ष के अलावा) उन ग्यारह मेम्बरों को चुनने का काम शुरू करती है जो स्टीयरिंग कमेटी के मेम्बर होंगे।"

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

*अध्यक्ष : मुझे माननीय मेम्बरों को यह सूचित करना है कि आज पांच बजे तक नोटिस आफिस में स्टीयरिंग कमेटी के लिए नाम आ जाने चाहिएं। यदि आवश्यक होगा तो चुनाव अंडर-सेक्रेटरी के कमरे में (कमरा नं० २४ सतह की मंजिल, कांउसिल हाउस), २१ जनवरी को तीन और पांच बजे शाम के बीच होगा।

[सर एस० राधाकृष्णन]

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव—(पिछली संख्या से आगे)

*अध्यक्ष:—अब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिछले अधिवेशन में पेश किये हुए प्रस्ताव पर बहस शुरू करेंगे।

*सर एस० राधाकृष्णन (संयुक्त प्रांत जनरल) अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े हर्ष से यह सिफारिश करता हूं कि इस सभा को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिये। संशोधनों की जो सूची पेश की गई है उसमें मैं देखता हूं कि तीन अलग-अलग सवाल उठाये गये हैं—यानी आया इस तरह की घोषणा आवश्यक है, आया इस घोषणा पर विचार करने के लिये यह उचित समय है, और आया इस प्रस्ताव में जिन लक्ष्यों की ओर संकेत किया गया है उनके बारे में सभी लोग सहमत हैं या उनको बदलने या संशोधित करने की आवश्यकता है।

मेरा यह विश्वास है कि इस प्रकारकी घोषणा आवश्यक है। ऐसे लोग भी हैं जो वहमी हैं, जो हिचकिचाते रहते हैं, या जिन्हें इस विधान-परिषद् के कार्य से अत्यन्त दुराशा है। ऐसे लोग भी हैं जो दृढ़ता से कहते हैं कि मन्त्रिमंडल की योजना के अन्तर्गत देश में न तो वास्तविक एकता को स्थापित करना सम्भव होगा और न सच्ची स्वतन्त्रता या आर्थिक सुरक्षा को प्राप्त करना। वे हमसे कहते हैं कि उन्होंने पिंजड़े के अन्दर गिलहरियों को घूमते हुये देखा है और यह कि मन्त्रिमंडल के बयान की चौहद्दी के अन्दर हमारे लिये यह सम्भव न होगा कि हम उन क्रान्तिकारी परिवर्तनों को कर सकें जिनकी ओर देश बढ़ रहा है। वे इतिहास को सामने रखकर यह तर्क देते हैं कि हिंसात्मक कार्य द्वारा पहले से स्थापित संस्कारों का तख्ता उलट कर ही क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। अंग्रेजों ने राजसत्तात्मक एकतन्त्र को इसी तरह खत्म किया, संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने भी आरम्भ में सीधी चोट द्वारा ही स्वतन्त्रता प्राप्त की; फ्रांसीसी, बोल्शेवी, फासिस्ट और नाजी क्रान्तियां भी इन्हीं तरीकों से की गईं। हमसे कहा जाता है कि हम शान्तिपूर्वक उपायों से, सलाह लेकर या विधान परिषदों में बहस करके, क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हमारा जवाब यह है कि हमारा लक्ष्य भी वही है जो आपका। हम भारतीय समाज में मौलिक परिवर्तन करना चाहते हैं। हम अपनी राजनैतिक व आर्थिक पराधीनता का अन्त करना चाहते हैं। वे लोग जिनका आत्मबल बढ़ा चढ़ा होता, जिनकी दृष्टि संकुचित नहीं होती है, अवसर से लाभ उठाते हैं वे अपने लिये अवसर पैदा करते हैं। हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है और इससे लाभ उठाकर हम जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे तरीकों को काम में लाकर, जो पहले इतिहास में कभी काम में नहीं लाये गये, हमारे लिये अपने क्रांतिकारी उद्देश्यों को पूरा करना सम्भव है या नहीं। हम यही देखने के लिये कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे लिए आसानी से और तुरन्त ही दासत्व की अवस्था को त्याग कर स्वतंत्रता की अवस्था प्राप्त करना सम्भव है या नहीं। इस असेम्बली को यही आश्वासन देना है। हम उन सबसे, जो इस असेम्बली में नहीं आये हैं, यह कहना चाहते हैं कि हमारी इच्छा यह कभी भी नहीं है कि हम किसी वर्गविशेष की सरकार स्थापित करें। हम यहां किसी जाति-विशेष या किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिये कोई मांग करने नहीं आये हैं। हम यहां सभी भारतीयों के लिये स्वराज्य की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। हम हर प्रकार के स्वेच्छाचारी शासन को और विशेष

परम्परा की हर एक टूटी फूटी चीज को खत्म करने का प्रयत्न करेंगे। हम यहां ऐसी व्यवस्था करने के लिये सम्मिलित हुए हैं जिससे इस देश के जनसाधारण की, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या सम्प्रदाय के ही मौलिक आवश्यकतायें वास्तव में पूरी हो सकें। यदि तुरही से संदेशजनक आवाज निकले तो लोग हमारा समर्थन करने नहीं आयेंगे। इसलिये यह आवश्यक है कि हमारी तुरही की आवाज, हमारी शंखध्वनि, स्पष्ट हो जिससे लोगों के हृदय आल्हादित हों और वहमी व अलग रहने वाले लोगों को दुबारा यह आश्वासन मिले कि हम यहां इस संकल्प से आये हैं कि सारे भारतवर्ष को स्वाधीन बनायें और यह कि यहां किसी व्यक्ति को बिना किसी दोष के तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और किसी वर्ग को अपनी सांस्कृतिक उन्नति के लिए कुंठित न किया जायेगा। इसलिये मेरा विश्वास है कि इस प्रकार के लक्ष्य-सम्बन्धी घोषणा की आवश्यकता है और हमें उस समय के लिए रुके रहने की कोई आवश्यकता नहीं है जबकि इस असेम्बली में आज दिन से अधिक प्रतिनिधि आ जायेंगे।

अब मैं अपने लक्ष्य के विषय में कहूंगा। हम यह निश्चय करते हैं कि हिन्दुस्तान स्वतन्त्र सार्वभौम-सत्ता-सम्पन्न जन-तन्त्र होगा। स्वतन्त्रता के प्रश्न पर कोई मतभेद नहीं है। प्रधान-मन्त्री एटली अपने पहले वक्तव्य में, जो उन्होंने १ मार्च को दिया, कहते हैं:—

> "मैं आशा करता हूँ कि भारतीय ब्रिटिश कामनवेल्थ में रहने का निश्चय करेंगे। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने में उन्हें बहुत लाभ दिखाई देगा लेकिन यदि वह ऐसा निश्चय करें तो यह स्वतन्त्र इच्छा से होना चाहिये। ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश कामनवेल्थ के साथ किसी बाहरी दबाव से नहीं है। लेकिन इसके विपरीत यदि वह स्वतन्त्र होने का निश्चय करे तो हमारे मत में उसे इसका अधिकार है।"

मुस्लिम लीग और नरेश सब इस पर सहमत हैं। रियासतों की सन्धियों और सर्वोच्च-सत्ता के बारे में मन्त्रिमंडल ने नरेन्द्रमंडल के चांसलर को १२ मई, सन् १९४६ ई० को जो स्मृति-पत्र दिया है उसमें कहा गया है—

> "नरेन्द्रमंडल ने तब से इसका समर्थन किया है कि भारतीय रियासतों की भी आमतौर से सारे देश की तरह यही इच्छा है कि हिन्दुस्तान तुरन्त ही अपने पूर्ण विकसित स्वरूप को प्राप्त हो। सम्राट की सरकार ने भी अब यह घोषित कर दिया है कि यदि ब्रिटिश भारत की उत्तराधिकारी सरकार या सरकारें स्वतन्त्रता की घोषणा करें तो उनके रास्ते में कोई अड़ंगा न लगाया जायेगा। इन घोषणाओं का यह असर हुआ है कि सभी लोग जो हिन्दुस्तान के भविष्य के लिये चिन्तित हैं, चाहते हैं कि वह स्वाधीनता की स्थिति को प्राप्त हो, चाहे वह यह स्थिति ब्रिटिश कामनवेल्थ के अन्दर रहकर प्राप्त करें या उसके बाहर रह कर।"

कांग्रेस, मुस्लिम लीग और दूसरे संगठन और नरेश जो कोई भी हिन्दुस्तान के भविष्य के लिये चिन्तित हैं, यही चाहते है कि वह स्वतन्त्र हो, चाहे वह ब्रिटिश कामनवेल्थ के अन्दर रहें या बाहर।

महोदय, सम्राट की सरकार की स्वतन्त्रता की भेंट का उल्लेख करते हुए मि० चर्चिल ने १ जुलाई, सन् १९४६ ई० को कामन्स-सभा में कहा था—

[सर एस० राधाकृष्णन]

"लेकिन यह दूसरी बात है कि हम इस कार्यप्रणाली को छोटा कर दें और कहें लीजिए, स्वतन्त्रता अभी लीजिये" । यह सरकार देखेगी ही और वह भी जल्दी ही। उन्हें इसे नहीं भूलना चाहिए। सरकार जिन लोगों से बातचीत कर रही है उन्हें तुरन्त ही पूर्ण स्वतन्त्रता स्वीकार करने में संकोच नहीं होगा। यह होने ही वाला है।"

इस लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव का उद्देश्य मि०चर्चिल को निराश करना नहीं है। (वाह-वाह) यह उन्हें बताता है कि जिसकी आशा की जाती थी वह हो रहा है। आपने यह हमारी इच्छा पर छोड़ दिया कि हम ब्रिटिश कामनवेल्थ में रहें या न रहें। हम ब्रिटिश कामनवेल्थ में न रहने का निश्चय कर रहे हैं। क्या मैं इसका कारण बता सकता हूं ? जहां तक हिन्दुस्तान का सम्बन्ध है यह आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा या दक्षिणी अफ्रीका की तरह सिर्फ उपनिवेश नहीं हैं। इनका ग्रेट ब्रिटेन से जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध है। हिन्दुस्तान की जन-संख्या विशाल है और उसके विपुल प्राकृतिक साधन हैं। उसकी एक महान् सांस्कृतिक परम्परा रही है और बहुत काल तक उसने स्वतन्त्र जीवन व्यतीत किया है। इसलिए इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हिन्दुस्तान दूसरे उपनिवेशों की तरह एक उपनिवेश है।

इसके अलावा हमें इस पर विचार करना है कि संयुक्त राष्ट्र-संघ में जो कुछ हुआ उसका क्या अर्थ है। जब भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने हमारी प्रतिष्ठित सहचरी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित के नेतृत्व में दक्षिणी भारत के भारतीयों की सुरक्षा के लिए योग्यता से दलीलें पेश कीं तो ब्रिटेन ने कैसा रुख दिखाया। ग्रेट ब्रिटेन ने कैनेडा और आस्ट्रेलिया के साथ दक्षिणी अफ्रीका का समर्थन किया। न्यूजीलैंड ने किसी तरफ वोट नहीं दी। इससे यह स्पष्ट है कि ब्रिटेन और दूसरे उपनिवेशों के आदेशों में सामंजस्य है, लेकिन यह हिन्दुस्तान के लिए नहीं कहा जा सकता। ब्रिटिश कामनवेल्थ में रहने का कोई अर्थ नहीं है। हमें यह अनुभव नहीं होता कि ब्रिटिश कामनवेल्थ के विभिन्न भागों में रहते हुए हमें समान अधिकार प्राप्त हैं। आपमें से कुछ सज्जनों ने यह भी सुना होगा कि मि० चर्चिल और लार्ड टेम्पलवुड ने एक यूरोपीय संघ के लिये हाल में काम शुरू किया है जिसका अध्यक्ष और संरक्षक ग्रेट ब्रिटेन होगा। इससे भी मालूम होता है कि हवा का रुख क्या है।

फिर भी यदि हिन्दुस्तान ब्रिटिश कामनवेल्थ से अलग होने का भी निश्चय करे तो भी स्वेच्छा से सहयोग करने और व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक मामलों में एक दूसरे का हाथ बटाने के सैकड़ों तरीके हैं, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन ने इस संकट के समय जो रुख दिखाये यह उसी पर निर्भर है कि मैत्री, विश्वास और सामंजस्य की भावना से यह पारस्परिक सहयोग उत्तरोत्तर बढ़े या पारस्परिक विश्वास और कटुता से खत्म हो जायें। यह मालूम पड़ता है कि भारतीय रिपब्लिक से सम्बन्धित इस प्रस्ताव से मि० चर्चिल और उनके अनुयायी रुष्ट हो गये हैं। हमारे सभापति महोदय ने आज मि० चर्चिल के एक बयान का हवाला दिया है, मैं कुछ दूसरे बयानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा।

जब बर्मा के विषय में वाद-विवाद हुआ तो मि० चर्चिल ने कहा कि बर्मा उस समय

साम्राज्य में मिलाया गया था जब कि उनके पिता सेक्रेटरी थे और अब बर्मा को इसकी स्वतन्त्रता दे दी गई है कि वह साम्राज्य में रहे या न रहे। यह जान पड़ता है कि वे बर्मा और हिन्दुस्तान को अपनी पैत्रिक सम्पत्ति के भाग समझते हैं चूंकि अब वे हाथ से निकले जा रहे हैं, इसलिए उनको बहुत ही अफसोस हो रहा है।

हिन्दुस्तान के बारे में जब वाद-विवाद हो रहा था तो उन्होंने श्रीमान् सम्राट की सरकार से कहा कि उसे "मुसलमानों के प्रति, जिनकी संख्या ६ करोड़ है और हिन्दुस्तान के सैनिकों में जिनका बाहुल्य है"। और "४ से ६ करोड़ अछूतों के प्रति" अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखना चाहिये। भारत से सम्बन्धित वाद-विवाद और अन्तर्राष्ट्रीय बातचीत में सत्य का मान नहीं किया जाता। महान् कांग्रेस दल के प्रतिनिधियों के बारे में वे कहते हैं कि "वे परिश्रम से संगठित और बाहरी दबाव से बनाये हुए अल्प संख्यकों के वक्ता हैं जिन्होंने बलपूर्वक या चालबाजी से शक्ति अपने हाथों में ले ली है और वे उस शक्ति का प्रयोग विशाल जनसाधारण के नाम पर करते हैं, हालांकि उनका जनसाधारण से कभी का सम्बन्ध टूट गया है और उन पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं है।"

यह वह दल है जिससे सदस्यों ने जीवन के कष्टों का बहादुरी से सामना किया है, देश के लिए जिन्हें कष्ट झेलने पड़े हैं जिनका देश-प्रेम और त्याग संसार में अद्वितीय है और जिनका नेता एक ऐसा व्यक्ति है जो आज दिन हिन्दुस्तान के एक सुदूर प्रदेश में एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है और जिस वृद्ध पुरुष के कंधों पर राष्ट्र के शोक और सन्ताप का भार है। ऐसे दल का इस तरह उल्लेख करना, जैसे कि मि० चर्चिल ने किया है—मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं इसे क्या कहूं। (अफसोस की आवाजें) मि० चर्चिलके उद्‌गारों में कुछ भी गम्भीरता या विवेक नहीं है। उत्तेजनापूर्ण और असंगत बातें कहके और हमारे साम्प्रदायिक भेदभाव का उपहास करके उन्होंने इस अवसर पर व अन्य अवसरों पर अपने भाषण को प्रभावपूर्ण बनाया है। मैं यहां सिर्फ यह कहूंगा कि इस तरह के भाषणों और वक्तव्यों से यह नहीं हो सकता कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न करें। हां, इतना हो सकता है कि कुछ ढील-ढिलाव हो जाये और कष्ट अधिक काल तक झेलना पड़े। अंग्रेजों से सम्बन्ध टूट कर ही रहेगा और उसे टूटना ही चाहिये। इस सम्बन्ध के टूटने पर मैत्री और सद्‌भाव हो या दुःख और उत्पीड़न यह सबकुछ इस पर निर्भर है कि अंग्रेज इस महान् प्रश्न को किस तरह सुलझाते हैं।

रिपब्लिक एक ऐसा शब्द है जिसने इस देश के रियासतों के प्रतिनिधियों को विचलित कर दिया है। इस मंच से हमने यह कहा है कि भारतीय रिपब्लिक का यह अर्थ नहीं है कि नरेशों का शासन खत्म हो जायेगा, नरेश रह सकते हैं। यदि नरेश अपने को वैधानिक और रियासतों के लोगों के प्रति उत्तरदायी बना लें तो वे रहेंगे। यदि सर्वोच्च-शक्ति ही जिसने इस देश को जीत कर सार्वभौम सत्ता प्राप्त की है, लोगोंके प्रतिनिधियोंको अधिकार हस्तान्तरित कर रही है तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे लोग जो उस सर्वोच्च शक्तिके आधीन हैं वही करें जो कि अंग्रेज कर रहे हैं, उन्हें भी चाहिए कि वे लोगों के प्रतिनिधियों को अधिकार हस्तान्तरित करें।

हम यह नहीं कह सकते कि इस देश की गणतंत्रात्मक परम्परा नहीं रही है। इतिहास बतलाता है कि बहुत प्राचीनकाल से यह प्रथा चली आई है, जब उत्तर भारत के कुछ व्यापारी

[सर एस० राधाकृष्णन]

दक्षिण गये तो दक्षिण के एक नरेश ने उनसे पूछा 'आपका राजा कौन है' ? उन्होंने जवाब दिया, हम में से कुछ पर परिषद् शासन करती है, और कुछ पर राजा'।

केचिद्देशो गणाधीना केचिद् राजाधीना

पाणिनी, मेगस्थनीज और कौटिल्य, प्राचीन भारत के रिपब्लिकों का उल्लेख करते हैं। महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु की रिपब्लिक के निवासी थे।

लोगों की सार्वभौम सत्ता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हमारी यह धारणा है कि सार्वभौम सत्ता का आधार अंतिम रूपसे नैतिक सिद्धान्त है, मनुष्य मात्र का अन्तःकरण है। लोग और राजा भी उसके आधीन हैं। धर्म राजाओं का भी राजा है।

'धर्म्मम् क्षात्रस्य क्षात्रम्'

वह लोगों और राजाओं दोनों का शासक है। हमनें कानून की सार्वभौम सत्ता पर भी जोर दिया है। नरेश, जिनमें से बहुत से मेरे मित्र हैं, मंत्रिमंडल के वक्तव्य पर सहमत हैं और वे देश की भावी उन्नति में हाथ बंटाना चाहते हैं। मुझे आशा है कि वे अपने लोगों की उभरती हुई आकांक्षाओं की ओर ध्यान देंगे और अपने को उत्तरदायी बनायेंगे। यदि वे ऐसा करें तो वे देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लेंगे। हमारा नरेशों से कुछ द्वेष नहीं है। गणतंत्र या लोगों की सार्वभौम सत्ता पर जोर देने का यह अर्थ नहीं है कि हम नरेशों के शासन के विरुद्ध हैं। उसका सम्बन्ध देशी रियासतों की वर्तमान परिस्थिति या उनके प्राचीन इतिहास से नहीं है बल्कि यह रियासतों के लोगों की भविष्य की आकांक्षाओं की ओर संकेत करता है।

दूसरी बात जिसका उल्लेख इस प्रस्ताव में किया गया हैं वह भारतीय यूनियन के बारे में है। मंत्रिमंडल के बयान में हिन्दुस्तान के विभाजन के विरुद्ध निर्णय दिया गया है। भूगोल उसके विरुद्ध है। सैन्य संचालन में भी उससे रुकावट पड़ती है। इस समय जो धारा बह रही है वह बड़े-से-बड़े समूहों के अनुकूल है। देखिए अमरीका, कैनेडा और स्वीट्ज़रलैंड में क्या हुआ ? मिश्र सूडान से मिल जाना चाहता है, दक्षिण आयरलैंड उत्तरी आयरलैंड से मिल जाना चाहता है, फिलस्तीन विभाजन का विरोध कर रहा है। आधुनिक जीवन का आधार राष्ट्रीयता है न कि धर्म। एग्लनवाई के मिश्र में चलाए हुए स्वतन्त्रता के आन्दोलन, अरब में लारेन्स के साहसपूर्ण कार्य, कमालपाशा का तुर्की को बलपूर्वक पार्थिक रूप देना, इस ओर संकेत करते हैं कि धार्मिक राज्यों के दिन लद गए हैं। आजकल राष्ट्रीयता का जमाना है। इस देश में हिंदू और मुसलमान एक हजार वर्ष से भी अधिक समय से साथ-साथ रहते आये हैं। वे एक ही देश के रहनेवाले हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। उनकी जातीय परम्परा एक ही है। उन्हें एक ही प्रकार के भविष्य का निर्माण करना है। वे एक दूसरे में गुथे हुए हैं। हम अपने देश के किसी भी भाग को अलसटर की तरह अलग नहीं कर सकते। हमारा अल्सटर सार्वभौम है। यदि हम दो राज्य भी स्थापित करें तो उनमें बहुत बड़े अल्प-संख्यक समूह होंगे और ये अल्प संख्यक चाहे इन पर अत्याचार हो या न हो अपनी रक्षा के लिए अपनी सरहदों के उस पार से सहायता मांगेंगे। इससे निरंतर कलह होगा और वह उस समय तक चलता रहेगा जब तक भारत एक संयुक्त राष्ट्र न हो जाय। हम यह अनुभव करते हैं कि सभी लोगों को संगठित करने के लिए एक शक्तिशाली केन्द्र की आवश्यकता

है। लेकिन कुछ निर्देशों के कारण, चाहे वे वास्तविक हों या काल्पनिक, हमें एक ऐसे केन्द्र से सन्तोष कर लेना है जिसको केवल वे तीन विषय दिये गए हैं जिन्हें कि मंत्रिमंडल ने हमारे सामने रखा है। इस प्रकार हम प्रान्तीय स्वशासन के सिद्धान्त को अपनाकर काम कर रहे हैं जिसके अन्तरगत अवशिष्ट अधिकार प्रान्तों के ही होंगे। बिहार और बंगाल में जो घटनायें घटित हुई हैं उनको देखते हुए केन्द्र का शक्तिशाली होना आवश्यक है। लेकिन चूंकि ये कठिनाइयां हैं, हमारी तजवीज यह है कि एक बहुराष्ट्रीय राज्य का निर्माण किया जाय जिसमें विभिन्न संस्कृतियों को अपने विकास का पर्याप्त अवसर मिले।

समूहबन्दी के कारण हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन समूह बन्दी दो आवश्यक बातों पर निर्भर है, जोकि मंत्रिमंडल की योजना के ही अंग हैं, यानी यूनियन का केन्द्र और अवशिष्ट अधिकार प्राप्त प्रान्त। इन समूहों में भी बड़े-बड़े अल्प-संख्यक समूह होंगे। जो लोग अल्प-संख्यकों के अधिकारों पर जोर दे रहे हैं उन्हें ऐसे दूसरे लोगों को भी ये अधिकार देने होंगे जो समूहों में सम्मिलित हैं। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने १६ जुलाई सन् १६४६ ई० को जो वक्तव्य दिया उसमें कहा :—

> "यह भ्रम प्रकट किया गया है कि यह सम्भव है कि नये प्रान्तीय विधान इस प्रकार बनाये जायेंगे कि बाद को प्रान्तों के लिए सम्बन्ध विच्छेद करना असम्भव हो जायगा। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे सम्भव होगा। लेकिन यदि ऐसी कोई बात की जाय तो यह स्पष्टतः इस योजना के आधारभूत आशय के ही विपरीत होगा।"

सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने यह कहा है कि यदि निर्वाचन-समूहों को इस प्रकार बनाने का प्रयत्न किया गया कि प्रान्तों के लिए स्वेच्छा से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाय तो यह सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के शब्दों में इस योजना के आधारभूत आशय के ही विपरीत होगा। आखिर हमें साथ रहना है और यह बिल्कुल असम्भव है कि कोई विधान, जिसके अनुसार लोगों पर शासन होगा, उनकी इच्छा के विरुद्ध लागू किया जाय।

इस प्रस्ताव में मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख है। हम एक सामाजिक व आर्थिक क्रान्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम पार्थिक स्थिति को समुन्नत बनाने के अतिरिक्त हमें मनुष्य के अन्तःकरण की स्वतन्त्रता की भी रक्षा करनी है। जबतक कि स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न न की जाय केवल स्वतन्त्रता की दशाओं को पैदा करने से कोई लाभ न होगा। मनुष्य के मस्तिष्क को अपना विकास करने और पूर्णावस्था प्राप्त करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। मनुष्य की उन्नति उसके मस्तिष्क की क्रीड़ा से ही होती है। वह कभी सृजन करता है तो कभी विनाश और उसमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। हमें मनुष्य के अन्तःकरण की स्वतन्त्रता की सुरक्षा करनी है जिससे उसमें राज्य हस्तक्षेप न करे सके। आर्थिक दशाओं के सुधार के लिए यह आवश्यक है कि राज्य-व्यवस्था करें लेकिन इससे मनुष्य के अन्तःकरण की हत्या न होनी चाहिए।

हम आज एक महान् ऐतिहासिक नाटक के पात्रों के रूप में काम कर रहे हैं। चूंकि हम उसके अन्दर काम कर रहे हैं इसलिए हमें उसकी वृहद् रूप-रेखा का ज्ञान नहीं हो सकता। जो

[सर एस० राधाकृष्णन]
घोषणा आज हम कर रहे हैं वह वास्तव में अपने लोगों से एक प्रतिज्ञा है और सभ्य संसार से एक संधि है।

मि० चर्चिल ने मि० एलेक्जेंडर से यह सवाल पूछा कि क्या यह असेम्बली प्रमाणिक रूप से काम कर रही है ? मि० ऐलेक्जेंडर ने कहा कि: —

"मैं यह फिर कहता हूं कि विधान-परिषद् के लिए चुनाव की जो योजना थी, उसका कार्य समाप्त हो चुका है। यदि मुस्लिम लीग ने उसमें जाना स्वीकार नहीं किया तो आप एक नियमानुसार निर्वाचन असेम्बली को अपना कार्य करने से कैसे रोक सकते हैं ?"

मि० एलेक्जेंडर ने यह कहा। समूह बन्दी की व्याख्या के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हुईं। बहुत कुछ इच्छा न होते हुए भी कांग्रेस ने श्रीमान् सम्राट की सरकार की व्याख्या स्वीकार कर ली है। जो दो खंड रह जाते हैं उनसे अल्प-संख्यकों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा हो जाती है और शक्ति हस्तान्तरित होने पर जो प्रश्न उठेंगे उनको हल करने के लिए उनका महत्त्व वही होगा जो एक संधि का होता। विधान-परिषद् न्यायोचित रूप से काम कर रही है। सरकारी योजना का हर एक भाग पूर्णतया स्वीकार कर लिया गया है, और यदि हम अल्प संख्यकों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था कर सकेंगे—ऐसी सुरक्षा जिससे चाहे अंग्रेजों को या हमारे देश वासियों को संतोष हो या न हो परन्तु जिससे सभ्य संसार के अन्तःकरण को संतोष होगा तो, यद्यपि अंग्रेजों को ही उसे प्रयोग में लाने का अधिकार होगा, उन्हें कम से कम इस विधान को कानून का रूप देना ही होगा। यह आवश्यक है कि वे ऐसा करें, यदि इन शर्तों के पूरा होने पर भी हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता को स्थगित करने के लिए कोई बहाना ढूंढ़ा जाय तो यह इतिहास में सब से कठोर विश्वासघात का उदाहरण होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि अंग्रेज यह तर्क दें कि विधान-परिषद् ने मंत्रि-मंडल की योजना के आधार पर काम शुरू किया है और उसने १६ मई की मंत्रि-मंडल की योजना के हर एक खंड को स्वीकार कर लिया है और सभी अल्प संख्यकों की पर्याप्त सुरक्षा के लिए व्यवस्था कर दी है और इसलिए उन्हें इस विधान को प्रयोग में लाना चाहिए, तो यह इतिहास की एक सफलता होगी और इससे दो महान राष्ट्रों के बीच सहयोग और उनमें सद्भावना होगी। मि० एटली ने प्रधान मंत्री की हैसियत से १५ मार्च को जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा:—

"एशिया ऐसे विशाल देश में, युद्ध द्वारा विध्वस्त एशिया में, एक ऐसा देश है जो प्रजातंत्र के सिद्धान्तों को प्रयोग में लाने की चेष्टा करता रहा है। हमेशा ही मेरा अपना अनुभव यह रहा है कि राजनैतिक भारत एशिया का ज्योति हो सकता है। एशिया का ही नहीं वरन् संसार की ज्योति हो सकता है और उसके विभ्रान्त मस्तिष्क में एक आन्तरिक कल्पना जागृत कर सकता है और उसकी विचलित बुद्धि को उन्नति का मार्ग दिखा सकता है।"

ये दो उपाय हैं, विधान-परिषद् को स्वीकार कीजिये, उसके नियमों को स्वीकार कीजिये, देखिए कि अल्प-संख्यकों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा की गई है या नहीं। यदि की गई है तो उन्हें

कानून का रूप दीजिये। इससे आपको सहयोग मिलेगा। यदि सभी शर्तों के पूरा होने पर आप यह दिखाने की कोशिश करें कि कुछ बातें रह गई हैं तो यह समझा जायगा कि अंग्रेज सारी सरकारी योजना की भावना के प्रतिकूल जा रहे हैं और संसार की वर्तमान परिस्थिति में इसका इतना भयंकर परिणाम होगा कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं करना चाहता।

*श्री एन० वी० गाडगिल (बम्बई : जनरल): अध्यक्ष महोदय, माननीय पं० जवाहर लाल नेहरू ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करनेमें मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बहस में बताया गया था कि यह विधान-परिषद् इस प्रकार के प्रस्ताव पास करने की क्षमता नहीं रखती। इस सम्बन्ध में मैं आदर पूर्वक सभा का ध्यान मंत्रिमंडल के वक्तव्य के पहले पैरे की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें ब्रिटिश प्रधान मंत्री मि० एटली के भाषण का उद्धरण किया गया है। वह कहते हैं:—

"मेरे साथी इस इरादे से भारत जा रहे हैं कि वे उस देश को शीघ्रातिशीघ्र पूरी आजादी दिलाने की कोशिश करें। यह निश्चय करें कि भारत के वर्तमान शासन के स्थान में कौन से ढंग का शासन स्थापित हो सकता है; किन्तु इच्छा यही है कि भारत को शीघ्र ही इस काम में मदद दें जिससे वह इसका निश्चय करने के लिए उचित व्यवस्था कर सके।"—

यह तो स्पष्ट है महाशय, कि यह असेम्बली न केवल शासन का स्वरूप विकसित करने के लिए है बल्कि उसके विवरण को भी तैयार कर देने के लिए है। मैं यहां यह कह देना चाहता हूँ कि हम यहां विधान का मसविदा बनाने या तर्क वितर्क करने के लिए नहीं हैं। वास्तव में हम यहां कार्य-कारिणी के रूप में इकट्ठे हुए हैं और विधान-परिषद् की यह सभा स्वतंत्रता के संघर्ष की एक मंजिल है। शायद यह अन्तिम से पहले का या अन्तिम संघर्ष होगा। जिसके साथ इस स्वातंत्र्य-युद्ध का अन्त होगा जो गत ७५ वर्ष या उससे अधिक से पीढ़ी दर-पीढ़ी चल रहा है। हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने हमें संघर्ष की परम्परा सौंपी है; पर मुझे आशा है कि जब हमारी वर्तमान पीढ़ी समाप्त हो जायगी, तो वह बाद में आने वाली पीढ़ी को संघर्ष की परम्परा नहीं सौंपेगी; वह ऐसे रचनात्मक प्रयत्न की परम्परा छोड़ जायगी जिसके द्वारा भारत के भावी समाज का निर्माण होगा।

महोदय, उद्देश्य की परिभाषा बताने की आवश्यकता स्पष्ट है। भूतकाल में जिन लोगों ने इस संघर्ष में योग दिया है वे इने-गिने प्रोफेसर और प्रिवी कौंसिलर नहीं थे, बल्कि वे ऐसे लोग थे जो दरिद्रता में पसीने बहाते रहे हैं और अज्ञान में दबे रहे हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि वे इतने दिनों से किस ध्येय के लिए लड़ते रहे हैं और अन्ततः यदि हमारा बनाया विधान ब्रिटिश सरकार को स्वीकार न हुआ तो उन्हें किसके लिए लड़ना होगा, अब इस प्रस्ताव में मैं देखता हूं कि कोई भी ऐसी बात नहीं है, जिसके प्रति कोई भी व्यक्ति या दल जो स्वतंत्रता चाहता है, आपत्ति कर सकता है। पहली बात तो यह है कि हमारे ध्येय की परिभाषा की गई है, स्वतंत्र सर्वोच्च प्रजातंत्र। जहां तक मैं जानता हूं कि मुस्लिम लीग ने गत छः वर्षों में जितने प्रस्ताव पास हुए हैं उनमें उसने अपना ध्येय गण तंत्रात्मक स्वतंत्रता ही प्रकट किया है। वास्तव में आज जो इस्लामी मुल्क इस्लामी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है वह तुर्की भी प्रजातंत्र राज्य है। इसलिये मुस्लिम लीग को हमारे इस ध्येय में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अतएव हमें

[सर एन० वी० गाडगिल]

देखना चाहिए कि इस प्रस्ताव में क्या गुण हैं, और यदि यह बताया जा सके कि कोई बात आपत्तिजनक है, तो उसको तब समन्वित किया जा सकता है जब आपत्ति करने वाले यहां होंगे। पर जहां तक मैं देख पाता हूं मुझे कोई शब्दावली, कोई प्रस्ताव खण्ड ऐसा नहीं दीखता जिस पर आपत्ति की जा सकती हो।

इस प्रस्ताव के विभिन्न उप-पैराग्राफों—को लेने पर हम एक मुख्य बात सब जगह व्यवस्थित पाते हैं और वह है राष्ट्र की एकता या संयुक्तता। साथ ही सब प्रान्तों के विकास और वृद्धि की गुंजाइश है और कोई ऐसी बात नहीं रखी गई है जिससे किसी प्रान्त को अपने ध्येय तक पहुंचने में रुकावट हो और सभी का ध्येय सामान्य और पारस्परिक बाध्यता के अनुरूप होगा। साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इससे वह क्षेत्र प्राप्त हो जाता है जिसमें ऊँची राजनीति, ऊंची विद्वता, अच्छे व्यापार और बड़े उद्योग शिल्प के लिए ज्यादा गुंजाइश है। अगर इस प्रकार का संयुक्त राज्य होता है तो राजनैतिक सुरक्षा बढ़ जाती है और आर्थिक दृष्टि से उसमें संयुक्त राज्य में क्रम-विक्रम की शक्ति भी अधिक बढ़ जाती है। चाहे जिस दृष्टि से देखिए ऐसे राष्ट्र की जिसके सभी भौगोलिक खण्ड सम्मिलित हों और जिसका भारत नाम हो, सभी प्रान्तों के लिए आवश्यकता है और प्रत्येक वैधानिक राष्ट्र के लिए भी जो ऐसा संयुक्त राज्य में संन्निहित होगा इसकी आवश्यकता होगी। इसमें सम्मिलित होकर वे प्रान्त कुछ खोयेंगे नहीं और मेरी तुच्छ सम्मति में तो उन्हें बहुत कुछ लाभ ही होगा।

महोदय, इस प्रस्ताव में मौलिक अधिकार भी रखे गये हैं और जन साधारण इसके लिए इच्छुक हैं। यह अधिकार उन्हें मिलने-जुलने, भाषण करने तथा वे सभी प्रकार की नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है जो स्वतंत्र राष्ट्रों के विधान में है। कुछ आपत्तियां इस बात पर की गई थीं कि बहुत-सी बातें स्पष्ट नहीं हैं। पर यह साफ बात है कि सभी बातें इस तरहके प्रस्तावमें सम्मिलित नहीं की जा सकती हैं पर यदि मौलिक अधिकारों के बारे में रखे गये अंशों को ध्यान पूर्वक देखा जाय तो उसमें आर्थिक न्याय की व्यवस्था है जो तभी हो सकता है जब देश का उत्पादन समाज के हाथ में आ जाय। व्यक्तिगत उद्योग-धंधे भी रह सकते हैं, पर उनका क्षेत्र सीमित होगा। यदि आर्थिक न्याय प्राप्त करना है तो वह तभी प्राप्त हो सकता है जब उत्पादन के साधन राष्ट्र के हाथों में आजायं। इसलिये अगर आज सब बातें बिलकुल स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं तो मुझे निश्चय है कि जब यह सिद्धान्त विधान के अंगों में सम्मिलित कर लिये जायंगे तो सब बातें पूर्णतः स्पष्ट हो जायेंगी।

महोदय, यह एक प्रकार का भवन है—सारा प्रस्ताव इस सभा-भवन के समान ही संयुक्त है। इसका गुम्बद मेहराबों पर टिका हुआ है। इसी प्रकार प्रस्तावित स्वतंत्रता भी अनेक सिद्धान्तों की मेहराबों पर आधारित है जो प्रस्ताव में सम्मिलित हैं और जिन्होंने सारे ढांचे को सन्तुलन के रूप में शक्ति दे रखी है। जैसा कि मैंने कहा है यह प्रस्ताव अत्यन्त महत्त्व का है और यद्यपि यह मौलिक रूप में उस विधान का अंग नहीं बन सकता, जो अन्त में निर्मित होगा, पर यह एक प्रकार की आध्यात्मिक भूमिका है जो प्रत्येक धारा में, प्रत्येक खण्ड में और हर सूची में प्रस्तुत मिलेगा और जैसा कि मैं कह चुका हूं यह आवश्यक है। यह एक प्रकार की संचालित शक्ति होगी

जिसे वही प्राप्त कर सकेंगे जो विधान को विस्तृत रूप में निर्मित करनेवाले होंगे। वास्तव में यह एक नींव है। लोगों को मालूम हो जायगा कि उन्हें क्या मिलने वाला है। यह ऐसा विधान होगा जो उन नागरिकों में वफादारी की भावना जाग्रत करेगा, जिन पर वह लागू किया जानेवाला है। क्योंकि जब तक कोई विधान नागरिकों को अपने प्राण देकर भी अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरणा नहीं प्रदान करता तब तक वह उनकी वफादारी नहीं प्राप्त कर सकता।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा है यह असेम्बली ऐसी नहीं है जहां हम केवल विधान का मसविदा मात्र बनाने के लिए इकट्ठे हुए हों; यह तो एक प्रकार की कार्यकारिणी है। हम यहाँ इसलिए हैं कि जनता ने संघर्ष चलाया है और हमें विधान तय्यार करना है। अगर वह विधान तैयार कर लिया जाता है और उसकी स्वीकृति नहीं मिलती तो जनता पूछेगी कि उसका अनुमोदन क्या हुआ? उनके लिए मेरा यह नम्र जवाब है कि अनुमोदन दो प्रकार के हैं—एक नैतिक और दूसरा भौतिक। यदि हमारा विधान न्याययुक्त और देश के सभी हितों के लिए उपयुक्त है तो सबसे बड़ा अनुमोदन तो यही होगा, और दूसरा अनुमोदन है जनता की यह दृढ़ इच्छा कि वह जिस प्रकार की भी सरकार प्राप्त करने का निश्चय करती है वह मिल जाती है। और यदि वह किसी शक्ति द्वारा नहीं दी जाती, तो वह दृढ़ता की भावना केवल बौद्धिक नहीं रह जायगी; बल्कि वह ठोस रूप में काम करेगी, यद्यपि उसका निश्चित स्वरूप आज नहीं बताया जा सकता। मेरा निवेदन है कि ज्यों-ज्यों विधान-निर्माण का काम खण्डशः आगे बढ़ेगा और एक-एक धारा और अंग पर विचार होगा, तो लोगों को स्वयं मालूम हो जायगा कि क्या हो रहा है, और मेरा तो विश्वास है महोदय, कि क्रान्ति के लिए आवश्यक मनोवृत्ति वर्द्धित होकर उपयोग के लिए प्रस्तुत हो जायगी। मेरा निवेदन है कि हम विधान के खण्ड-खण्ड को लेकर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेंगे, इस देश में बृटिश शक्ति सूखती जायगी और जब तक हम अपनी सूची के अन्त तक पहुँचेंगे, हम देखेंगे कि जहांतक भारत का सम्बन्ध है बृटिश राज्य लुप्त हो चुका है। तब केवल बृटिश शक्ति की विधि-विहित विदाई ही बाकी रह जायगी, क्योंकि हम क्या स्पष्ट नहीं देख रहे हैं कि जिन्होंने भारत पर दमन, नृशंसता पूर्ण दमन और असामान्य कानूनों और आर्डिनेन्सों से राज्य किया था, उनके दिन लद गये हैं। वे चित्र कहां गये? वह सब उड़ गये। यह बात अब दीवार पर की गयी लिखावट की तरह साफ और स्पष्ट दीख रही है। अध्यक्ष महोदय, यह बतलाया गया है कि अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए बहुत आतुर हैं। वास्तव में बहुत दिनों पहले ही मेकाले लिख गया था कि बृटेन के लिए वह गौरव पूर्ण दिन होगा जब हिन्दुस्तानी अंग्रेजों से यह कह देंगे कि अब तुम हमारा देश खाली कर दो। हम तो उन्हें कितने दिनों से जाने के लिए कह रहे हैं। पर जो कुछ लार्ड मेकाले ने कहा या उसके सिवा जो साम्राज्य क्लाइव और हेस्टिंग्स के कपट और जाल से बना था और जो लगातार झूठे वादों पर कायम रहा और अब भी कूटनीतिक घोषणाओं के अनुसार जारी रखा जा रहा है और प्रवाहपूर्ण एवं लचीली सफाइयों के आधार पर टिकाया जा रहा है; वह अब समाप्त होना ही चाहिए। इस प्रकार की सफाई अब इस साम्राज्य को एक दिन भी अधिक नहीं टिकने दे सकती। अब तो उस जनता के हक में सब शक्तियां सौंप दी जानी चाहिए जिसने विदेशी-शासन में इतने लम्बे समय तक घोर कष्ट सहन किये हैं। अब वह दिन आना ही चाहिए जब उन्हें अपना सब कुछ प्राप्त हो जाय।

[सर एन० वी० गाडगिल]

यदि सत्ता सौंपने की क्रिया शान्तिपूर्वक होती है तो अच्छा ही है, पर यदि शान्ति के साथ न हुई और यदि संघर्ष अनिवार्य हो गया, और इतिहास का तकाजा है कि ऐसा संघर्ष होना ही चाहिए तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम तो लड़ना नहीं चाहते, पर अगर हमें लड़ना ही पड़ा तो हमारे पास आदमी भी है, साधन भी हैं और मस्तिष्क भी। पर ऐसा हुआ तो क्या होगा ? अंग्रेज जायेंगे—पूरे तौर से अपना सब कुछ लेकर जायंगे। उनके स्टाक और शेयर्स दुकान और कारखाने सब जायंगे, वह कुछ भी पीछे न छोड़ सकेंगे—कोई शुभेच्छा या सुस्मृति भी नहीं। उनका व्यापार और झण्डा दोनों इस देश से गायब हो जायगा। अब यह उन पर निर्भर है कि वे इस बात का निश्चय करें कि वे अपने इस महान् आदर्श के अनुसार चलेंगे जो लार्ड मेकाले कह गये थे, या वे अब भी चिपके रहकर अपनी वह अन्तिम दुर्दशा देखना चाहते हैं जिसका वर्णन मैंने अभी किया है।

अध्यक्ष महोदय, अब हम उस स्थिति को पहुँच गये हैं जब यह आवश्यक हो गया है कि हम स्पष्ट रूप में कह दें कि हम क्या चाहते हैं। हमें कहा गया है कि अन्य प्रश्न—जैसे अल्प-संख्यकों आदि के भी तो हैं—जिनका सुलझाना मुश्किल है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह समस्या तो विदेशी शक्ति की सृष्टि है। प्रयाग के सँगम के बाद कोई गंगा और यमुना के जल को साथ बहने से नहीं रोक सका। (हर्ष ध्वनि) क्योंकि वहां तीन नदियां, गंगा, यमुना और सरस्वती (बुद्धिमानी) मिल जाती हैं और फिर उसके बाद गंगा-यमुना के पानी के पृथक रूप में पहचाना नहीं जा सकता। समय आगया है जब दोनों सम्प्रदायों को अक्ल आयेगी और परिणाम यह होगा कि वह एक ऊंची एकता स्थापित करेंगे, एक ऊँचा सँयोग कायम करेंगे जिसमें सभी को जीवन और व्यक्तित्व को उच्चतम श्रेणी पर पहुँचने का अवसर मिलेगा। कहा जाता है कि हम जो कुछ चाहते हैं वह निकट भविष्य में प्राप्त होनेवाला नहीं है। संघर्ष चाहे छोटा हो या बड़ा—थोड़े समय का हो या लम्बा, यद्यपि हम उसका आह्वान नहीं करना चाहते—पर अगर वह आया तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो प्रतिनिधि यहां एकत्रित हुए हैं उनपर जो कार्य-भार डाला गया है, वह महान् और ऐतिहासिक है। मुझे सन्देह नहीं है कि वे इस अवसर का सदुपयोग करेंगे और इस प्राचीन देश को स्वतन्त्रता के ध्येय तक पहुँचायेंगे। ऐसे समाज की रचना करेंगे जिसमें मनुष्य की कद्र उसकी सम्पत्ति से नहीं, उसके गुणों से होगी, जिसमें मनुष्य का चरित्र ही उसकी कसौटी होगा, रुपये-पैसे नहीं; जिसमें गर्व को तिलांजलि दी जा चुकी होगी और ईर्ष्या जिह्वा से न निकल सकेगी; जिसमें पुरुष और स्त्री अपना मस्तक ऊंचा करके चलेंगे; जहां सब सुखी होंगे क्योंकि सभी समान होंगे, जिसमें धर्म युद्ध-क्षेत्र नहीं होंगे, क्योंकि सभी कर्त्तव्य की देवी के उपासक होंगे, जिसमें जाति का अभिमान भी नहीं होगा और जाति की हीनता-जनित लज्जा भी, क्योंकि सभी एक जाति के—अर्थात् कार्यकर्त्ताओं की जाति के होंगे, जहां सिद्धान्त मनुष्य को मनुष्य से पृथक् न करेंगे क्योंकि उनका सिद्धांत तो सबकी सेवा करना होगा, जहां स्वतंत्रता और सम्पन्नता प्राप्त होगी, क्योंकि किसी को शक्ति या समृद्धि का एकाधिकार नहीं प्राप्त होगा। सभी सुखी होंगे क्योंकि सभी समान होंगे। इसमें सन्देह नहीं कि यह एक स्वप्न है, पर उद्देश्य और ध्येय-पूर्ण जीवन के लिए स्वप्न

आवश्यक हैं। यह न हुआ तो मनुष्य का जीवन कौवे के समान हो जायगा—

'काकोपि जीवति चिरायः
बालिमथा भुंक्ते।'

अर्थात्, टुकड़ों पर तो कौआ भी बहुत दिन जीवित रहता है।

हम इस तरह का जीवन नहीं चाहते। निस्सन्देह यह एक स्वप्न है। पर मैं अन्त में यही कहूंगा कि जब तक हम ऐसे स्वप्न न देखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो जाति स्वप्न नहीं देखती वह नष्ट हो जाती है। (हर्ष ध्वनि)

माननीया विजय लक्ष्मी पण्डित : (संयुक्त प्रांत : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, सन् १९३७ ई० प्रांतीय स्वायत्त शासन के समारम्भ के बाद मुझे अपने प्रांत में पहला प्रस्ताव पेश करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था जिसके द्वारा स्वतन्त्र भारत का विधान बनाने के लिए विधान-परिषद् की स्थापना की मांग की गई थी। आज दस वर्ष बाद वह विधान-परिषद् यहां सम्मिलित हो रही है। यह स्वतंत्रता के मार्ग में एक ऐतिहासिक स्तम्भ है। फिर भी स्वतंत्रता तक पहुँचने में अभी कुछ कसर रह ही गयी है। साम्राज्यवाद बड़ी कठिनाई से मरता है, यद्यपि वह जानता है कि अब उसके दिन ढल गये है, फिर भी वह जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। बर्मा, इण्डोनेशिया और इण्डोचीन में जो कुछ हो रहा है, वह हमारे सामने है—लोग स्वतन्त्र होने के लिए जी-जान से जुट पड़े हैं फिर भी साम्राज्यवाद का पाया ऐसा मजबूत है कि वे उसे आसानी से उखाड़ सकने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। हर देश में प्रतिक्रियावादी जमा हो रहे हैं और वह अपनी रक्षा के बहाने साम्राज्यवादी शक्ति से चिपट कर उसकी शक्ति बढ़ा रहे हैं। हमने संयुक्त राष्ट्र-संघ के जन्म के समय सेनफ्रांसिस्को का दुःखद दृश्य देखा है। जो एशियाई राष्ट्र वहां एकत्रित हुए उन पर साम्राज्यवादियों का प्रभाव था, इसलिए वे स्वतन्त्र रूप में कुछ नहीं बोल सकते थे—केवल अपने देश की साम्राज्य शक्ति के सुर में सुर मिला रहे थे। उसका परिणाम यह देख लिया गया कि यद्यपि घोषणा-पत्र के शब्द वीरतापूर्ण थे, पर उसे क्रियात्मक रूप देने की नौबत नहीं आयी, क्योंकि उसके पीछे काफी ताकत नहीं थी। एशिया के लोग चुप रहे और उन्होंने उस घोषणा-पत्र के शब्दों को क्रियात्मक रूप देने का हठ नहीं किया। आज भी एशिया संयुक्तराष्ट्र परिषद् में यूरोप की अपेक्षा बहुत कम प्रतिनिधि भेज सका है और शायद इतिहास में यह पहला ही अवसर है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद् के गत अधिवेशन में स्वयं स्वतन्त्र न होकर भी एक देश अपनी आवाज उठा सका और सारे संसार की स्वतन्त्रता और पददलित एवं गुलाम प्रजाजन के उद्धार के लिए बोल सका (हर्ष ध्वनि)। संयुक्त राष्ट्र परिषद् ने इसे स्वीकार इसलिए किया कि भारत ने इस समय भी संसार का नेतृत्व करने की शक्ति दिखादी है। इसमें सन्देह नहीं कि स्वतन्त्र भारत एशिया का ही नहीं—सारे संसार का नेतृत्व करेगा।

और जब हम अपने देश का शासन-विधान बनाने के लिए अपनी इस असेम्बली में एकत्रित हो रहे हैं, तो हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि हमारा कर्त्तव्य केवल अपने लिए नहीं, सारे संसार के लिए है जो हमारी ओर देख रहा है।

हमारे सामने जो प्रस्ताव रक्खा गया है वह पूर्ण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर जोर देता है और प्रत्येक वैध दल को भी पूर्ण स्वतन्त्रता का आश्वासन देता है। इसलिए उसमें अल्प-

[श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित]

संख्यकों के भय करने का कोई कारण नहीं है। यद्यपि कुछ अल्पसंख्यकों को विशेष हित-रक्षा की आवश्यकता है, पर उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि वे एक पूरे राष्ट्र के अंग हैं और यदि बड़ी वस्तु को नुकसान पहुँचता है तो उसके अंग—अल्पसंख्यकों के हितों—की रक्षा का सवाल ही नहीं उठ सकता। स्वतन्त्र भारत में अल्पसंख्यकों को बाहरी शक्ति का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा और वे ऐसी मदद ढूंढेंगे तो उन्हे कोई 'धोखेबाज' कहे बिना नहीं रहेगा। इधर कई वर्षों से हम अधिकार की बातें बहुत कर रहे हैं और कर्त्तव्य की कम। किसी भी समस्या का इस तरह का समाधान करना एक दुर्भाग्य की बात होती है। हमारे सामने जो प्रस्ताव है वह ऐसी समस्याओं से सम्बन्ध रखता है जो हम सभी के लिए बुनियादी है और हम किसी विशेष अल्प-संख्यक जाति की रक्षा उसी हद तक कर सकते हैं जिस हद तक कि ये समस्याएं हल हों। प्रस्ताव में स्पष्ट कहा गया है कि स्वतन्त्र भारत में व्यक्ति और समूह को पूरी सामाजिक और आर्थिक स्वतन्त्रता होगी और हम अपने जीवन के नमूने के द्वारा अन्य राष्ट्रों के सामने आदर्श रख सकेंगे। ऐसी दशा में हमारे अपने जीवन का नमूना दुरुस्त होना चाहिए और वह सारे देश के सहयोग और उसकी शक्ति के द्वारा निश्चित होना चाहिए।

सभी एशियाई देशों में युगों से भारत ही प्रजातन्त्र के पक्ष में रहा है। हमारे सारे बहु-रंगी इतिहास में यही होता आया है कि लोकमत की विजय के लिए हमने सदा संघर्ष किया है। इधर हाल के वर्षों में बहुत बड़े संकट में पड़कर और व्यक्तिगत त्याग द्वारा इस देश के लोग प्रजातन्त्र के सिद्धांत पर डटे रहे हैं और आज हम दुनिया को यह दिखाने की स्थिति में हैं कि हम अपने आदर्श को कार्य रूप में परिणत कर करते हैं। जिस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है वह विषय और शब्दों में काफी स्पष्ट है; फिर भी मैं दो बातों पर जोर दूंगी।

हमारे सामने दो पहलू हैं—सक्रिय और निष्क्रिय। पहलू का सम्बन्ध देश से साम्राज्यवादी प्रभुत्व का नाश करने से है जिससे हम सभी सहमत हैं। पर सवाल का सक्रिय पहलू ही अधिक महत्वपूर्ण है जिसके अनुसार हमें अपने देश में समाज सत्तावादी प्रजातंत्र राज्य की स्थापना करना है जिससे भारत अपने ध्येय को प्राप्त कर संसार को स्थायी शान्ति का मार्ग दिखा सके। हमारे राष्ट्रीय इतिहास के इस अवसर पर हम अपनी शक्ति ऐसी बातचीत और कामों में नहीं गंवा सकते जिससे हमारे ध्येय की पूर्ति में बाधा पड़ती हो। न हमें अविवेकपूर्ण ऐसे भय ही होना चाहिए। हमें जो चुनौती दी गई है उसे ही स्वीकार करना चाहिए और इस चित्र के सक्रिय पहलू को प्राप्त करने के लिए साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए।

युद्ध की समाप्ति ने कई समस्याएं पैदा कर दी हैं जो स्वयं तो कठिन हैं हीं लेकिन समष्टि के सामने व्यक्ति की मांगों को रखने से वे और भी पेचीदा हो गई हैं। बहुत से राष्ट्र अब तक पराधीन होने के कारण न तो इसके समर्थन में ही आवाज उठा सकते हैं न विरोध में ही। किन्तु वर्तमान समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत अब भी बहुत कुछ कर सकता है और संसार में शान्ति और सुरक्षा कायम रखनेमें भी अपना योग दे सकता है। स्वतंत्र भारत उन्नति की शक्तियों के लिए एक ताकत बन जायगा। संयुक्त संसार निर्माण करने के इस युग में हम पृथक राष्ट्रों की बात नहीं कर सकते। हमें एक दुनिया बनाने के लिए काम करना है—वह दुनिया

जिसमें हिन्दुस्तान एक योग्य हिस्सेदार होगा भारत को नेतृत्व करने का अधिकार है। क्योंकि उसकी परम्परा ही ऐसी है और उसका वर्त्तमान भी ऐसा है कि अपनी समस्याओं की पेचीदगियों के होते हुए भी वह खड़ा है और उसने अपने आदर्शों की कद्र की है और उन्हें खो नहीं दिया है। भविष्य के लिए हमारी एक देन यह है कि राजनीतिक और सामाजिक असन्तोष का हमने अन्त किया है और उसके लिए हमें अपने देश में स्वतन्त्रता स्थापित कर उन सबके सहायक बनना दुनिया को आज़ाद कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब तक एशिया अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं प्राप्त कर लेता तब तक संसार एक होकर नहीं चल सकता। जो संसार समूहों में विभाजित है वह सुरक्षित नहीं रह सकता। एक विख्यात अमेरिकन ने कहा है—"कोई भी राष्ट्र आधा गुलाम और आधा स्वतन्त्र नहीं रह सकता। यही बात दुनिया के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है, क्योंकि आज़ादी का विभाजन नहीं हो सकता। हिन्दुस्तान सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अपने को आज़ाद कर ले तभी वह औरों को भी आज़ाद कर सकता है। और इस समय हमारे सामने जो प्रस्ताव है उसमें हम इस ध्येय की पूर्ति का प्रयत्न पाते हैं। इसके द्वारा हम उस प्रतिज्ञा को फिर करते हैं जो हमने कर रखी है। मैं सभा के सदस्यों से प्रार्थना करती हूं कि वे इस प्रस्ताव को पास करें और यह दिखादें कि उनका प्राचीन देश अच्छी तरह जानता है कि उसको चुनौती दी गई है और वह अपने भूतकालीन आदर्शों और परम्पराओं का पालन कर सकता है।

*प्रोफेसर एन० जी० रंगा (मद्रास : जनरल) : अध्यक्ष महोदय तथा मित्रो, मुझे इस प्रस्ताव का समर्थन करने में असीम प्रसन्नता हो रही है इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे इससे पूर्ण सन्तोष है, फिर भी जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, यह हमारे सामने भविष्य के लिये बड़ा ही प्रभावपूर्ण, विस्तृत और उदार विचार रखता है जिसकी ओर हमारे लोगों की दृष्टि है। लेकिन यह शर्त है कि एक बार हमारा नया विधान अस्तित्व में आ जाय। पर यह केवल उदार विचार मात्र नहीं है, क्योंकि वह केवल ऊंचे आदर्श और श्रेष्ठ विचार ही हमारे लोगों के सामने रखकर संतोष नहीं कर लेता। यह (प्रस्ताव) इस बात की जरूरत पर भी विचार करता है कि हमारी जनता को इसमें लिखित अधिकारों के उपभोग का आश्वासन दिया जाय, और इस रूप में यह प्रस्ताव, इस प्रकार के उन अन्य प्रस्तावों से कहीं आगे बढ़ जाता है जो संसार के विधानों में इसी प्रकार के विचारों को लेकर रखे गये थे।

एक और बात में भी यह प्रस्ताव और सभी प्रस्तावों से बहुत आगे बढ़ गया है। जब कि अन्य देशों के विधानों में जनता को विशेष रूप से यह आश्वासन नहीं दिया गया है कि उन्हें उनके आदर्श और ध्येय की प्राप्ति के लिए स्वातंत्र्य प्रदान किया जायगा। इस प्रस्ताव में यह बात बिल्कुल स्पष्ट करदी गई है कि हमारी जनता को जब कभी आवश्यक प्रतीत हुआ—कानून और नैतिक मापदण्ड की अनुकूलता की दशा में—कार्य स्वातंत्र्य प्राप्त होगा। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि समय-समय पर इस देश—तथा अन्य देशों में भी—सरकार जनता के इस अधिकार को नहीं मान सकती थी कि वह चाहे तो किसी खास कानून आर्डिनेंस और अपनी सरकार की मनमानी आज्ञा के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। सरकारें तो प्रजा को धमकी देकर कहा करती थीं कि उन्हें स्थापित कानून के विरुद्ध जाने का कोई अधिकार नहीं है। किन्तु महोदय, जब अन्य देशों के राजनीतिक तत्वज्ञानी संतुष्ट थे तो हैरोल्ड लॉस्की जैसे तत्वज्ञानी जनता को सावधान कर रहे थे कि

[प्रोफेसर एन० जी० रंगा]

वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार रहें, कर्त्तव्य के लिए प्रस्तुत रहें और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सन्नद्ध रहें। ऐसे समय पर केवल भारत में ही ऐसा अवसर मिला है—जिसका श्रेय महात्मा गांधी के नेतृत्व को है और सत्याग्रह का वह अस्त्र हमें मिला जिसे सामूहिक रूप में भी काम लेकर संगठित या असंगठित जनता अपने अधिकारों का प्रदर्शन कर सकती है और व्यक्तिगत रूप में भी उसका प्रयोग कर सकती है। हमने बार-बार अपने अधिकारों को दुहराने और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिये जोर देकर कानून या कानून के समूहों की धज्जियां उड़ा दी हैं। हमने उस रूपमें संसार को दिखा दिया है कि केवल इसी तरह हम नागरिक और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। राष्ट्र और व्यक्ति दोनों से गलतियां हो सकती हैं और उनकी गलतियों के विरुद्ध कोई रक्षा का उपाय होना चाहिए। यह उपाय सत्याग्रह के ही रूप में मिलेगा, इसलिए मैं ऊपर कहे गए कारण से भी प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ।

इस देश में अनेक लोग यह शिकायत करते सुने हैं कि अमुक दल तो इस असेम्बली में आया ही नहीं और फलाँ-फलाँ पार्टी तो इस असेम्बली के दायरे और उसके कार्य से दूर ही हैं, इसलिये हमें ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने का अधिकार नहीं है। जिस असेम्बली में किसी परिवार की जायदाद बढ़ाने की बात चल रही हो क्या उसमें कुनवे के सभी लोगों का हाजिर होना जरूरी है? क्या किसी परिवार का कोई ऐसा भी सदस्य है जो अपने परिवार की साम्पत्तिक और नैतिक अभिवृद्धि का विरोधी हो और उस परिवार के अधिकार को ही न चाहता हो? और यह प्रस्ताव तो बस इसी प्रकार का है। हम यहाँ इसलिये एकत्रित हुए हैं कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति दल और सारे देश की शक्ति और कर्त्तव्य कैसे बढ़ाये जा सकते हैं। इस मौके पर अगर हम में से कुछ लोग इस सभा में नहीं आसके हैं तो कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है कि अनेक निजी कारणों से कोई पार्टी अभी दूर हैं, पर उससे हमें आगे बढ़ने से नहीं रुकना चाहिए। हमें अपनी परम्परा, अपने अधिकार और अपने देश की शक्ति बढ़ाने से नहीं रुकना चाहिए।

महोदय, साथ ही मैंने कहा कि यह काफी नहीं है और मैं इसके बारे में कुछ शब्द और कहना चाहूँगा। यह तो बहुत अच्छा है कि हम अपने-अपने गांव वापस जाकर लोगों और दोस्तों से कहें कि हमने ऐसा प्रस्ताव पास कर लिया है और भविष्य में उनके सभी अधिकार सुरक्षित रहेंगे और अब उन्हें कोई डर नहीं रहा है। पर क्या इतना ही काफी होगा कि लोगों को काम काज की सुविधा और मौलिक अधिकार मिल जाये? अगर उन्हें कह दिया जाय कि वे अपने सभा-समितियों के जलसे कर सकेंगे और उन्हें सब तरह के नागरिक अधिकार मिल जायेंगे तो क्या वे खुश हो जायेंगे? क्या यह आवश्यक नहीं है कि जीवन में स्थिति ही ऐसी उत्पन्न कर दी जाय कि वह इन अधिकारों का आनन्द उठा सकें जो हम उनके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं? यह एक तथ्य है और दुःखद तथ्य है महाशय, कि हमारे करोड़ों देश-भाई उन अधिकारों का उपभोग भी नहीं कर पा रहे हैं जो हम उनके लिए यहाँ तैयार कर रहे हैं और जो सुविधाएँ उनके लिये सुखी की जा रही हैं उनसे फायदा नहीं उठा रहे हैं। वे शिक्षित नहीं हैं। आर्थिक दृष्टि से वे पिछड़े हुए हैं उन्हें दबा दिया गया है। उन पर अत्याचार हुआ है। सामाजिक दृष्टिसे वे पिछड़े हुए और पददलित हैं। इन लोगों के लिए अब बहुत सी बातें करनी होंगी और कुछ समय तक करनी

होंगी तब जाकर वे इन अधिकारों का उपभोग करने योग्य बन पायेंगे। उनको सहारा देने की ज़रूरत है। उनके लिए सीढ़ी की ज़रूरत है जिसके द्वारा वह उस पंच तक पहुँच सकें जहां से वह इन अधिकारों का मूल्य समझ सकें,इनकी कद्र कर सकें और वे इन अधिकारों का जो हम उनके सामने रख रहे हैं आनन्द भोग सकें।

"महोदय, अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत-कुछ कहा सुना जारहा है। वास्तव में अल्पसंख्यक कौन हैं ? तथाकथित पाकिस्तान प्रान्तों में हिन्दू अल्पसंख्यक नहीं हैं; और न सिक्ख ही। यही नहीं हिन्दुस्तान में मुस्लिम भी अल्पसंख्यक नहीं हैं। असली अल्पसंख्यक इस देश का जन-समूह है। वह लोग ऐसे दबा दिये गये हैं, उन्हें ऐसा पददलित कर दिया गया है कि वह साधारण नागरिक अधिकार की सुविधाओं का उपभोग नहीं कर सकते। स्थिति क्या है ? आप आदिवासियों के क्षेत्रों को जाइए। कानून के मुताबिक उनकी परम्परा के और उनके फिर्के के कानून के अनुसार उन्हें जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता, फिर भी व्यापारी वहां जाते हैं और उस नामधारी स्वतंत्र बाजार में उनकी जमीन छीन लेने में समर्थ हो जाते हैं। इस तरह यद्यपि कानून इस जमीन छीनने के विरुद्ध जाता है, फिर भी व्यापारी आदिवासियों को अनेक तरह के दस्तावेज लिखाकर सच्चा गुलाम और परम्परागत क्रीत दास बना लेते हैं। हमें साधारण गांव वालों के पास जाना चाहिए। महाजन वहीं अपने रुपये सहित पहुंचता है और गाँववालों को अपने वश में कर लेता है। वहां जमादार या मालगुजार भी तो हैं और कितने ही और ऐसे लोग हैं जो इन गरीब गांव वालों का शोषण करते हैं। इनमें आरम्भिक शिक्षा का भी प्रचार नहीं है। असली अल्पसंख्यक तो यह हैं जिनको रक्षा की जरूरत है और उसके आश्वासन की भी। उनकी आवश्यक रक्षा करने के लिए हमें इस प्रस्ताव से आगे और भी कुछ करना होगा।

पर यह बिलकुल सम्भव है कि हम सभी बातों को एक ऐसे प्रस्ताव में नहीं शामिल कर सकते। हमें इस प्रस्ताव के अभिप्राय पर विचार करना है और इसी हिसाब से विधान बनाना है। और यह विधान बनानेमें हमें देखना होगा कि मौलिक अधिकारों के एक घोषणा-पत्र की व्यवस्था की जाती है। हम उस पर सहमत हैं; पर इतना ही काफी नहीं होगा। कई अन्य देशों में भी मौलिक अधिकारों के घोषणा-पत्र तैयार हुए थे। पर इन मौलिक अधिकारों की उपेक्षा उनकी ही सरकारों ने की थी। इसलिए हमें अपने विधान में कुछ ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे जिनके द्वारा हमारी जनता राष्ट्र के शासन और उसके आश्रितों के विरुद्ध कानून की सहायता की मांग समय-समय पर कर सके और इस प्रकार देख सके कि यह मौलिक अधिकार उपभोग में लाये जाते हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस में समानता, भ्रातृता और स्वतंत्रता का आदर्श था और उन्होंने यह नियम बनाया कि जब पार्लियामेण्ट की बैठक हो रही हो तो उसके किसी सदस्यको जेलमें नहीं भेजा जा सकता। फिर भी उस अधिकार का निषेध कर दिया गया। फ्रांसीसी पार्लियामेण्ट के कई डिपुटी जेल भेज दिये गये और उनके विरुद्ध कोई संरक्षण काममें नहीं लाया गया। अमेरिका में कानून के सामने सब बराबर हैं, फिर भी आप देखिए उस देशमें नीग्रो कितने पद्दलित हैं। हमें अपने देशमें इस प्रकार की बातों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। इसके लिए हमें अपने कार्यकर्त्ताओं को—मजदूरों-किसानों को, सर्व साधारण को—इस योग्य बनाना चाहिए कि वह राष्ट्र से न्यायालय

[प्रो० एन० जी० रंगा]

जाने के और देशकी सर्वोच्च अदालत तक जाने के लिए खर्च माँग सकें और रक्षा की माँग कर सकें। आप जानते हैं गरीब लोग अदालत नहीं जा सकते और जब उन्हें राज्य के विरुद्ध लड़ना हो तो उनके लिये यह सोचना भी असम्भव है। जिस तरह आप फौजदारी के मामलों में गरीबों के लिये वकीलों का प्रबन्ध करते हैं, उसी प्रकार अगर आप बुनियादी अधिकारों को सामान्य जनता द्वारा काममें लाये जाने की व्यवस्था कर सकें तो कुछ सुरक्षा सम्भव है।

जनसमूह ही वास्तव में अल्पसंख्यक है, फिर भी वह इस तरह की सुरक्षाओं की मांग नहीं करता और जब वह इसके लिये मांग भी करते हैं तो वे यह नहीं कहते कि बिना इसके वैधानिक प्रगति हो ही नहीं सकती। उन्हें देश की और हमारी राष्ट्रीय प्रगति की अधिक चिन्ता है और वह हमें आगे बढ़ाते हैं। वह हमारे साथ रहते हैं। मैं नामधारी धार्मिक अल्पसंख्यकों से कहता हूँ कि वह उन लोगों से पाठ सीखें। हम किसके प्रतिनिधि समझे जाते हैं? अपने देश की सामान्य जनता के फिर भी हममें से अधिकांश ऐसे हैं जो जनता-सर्वसाधारण-से कोई सम्बन्ध नहीं रखते। हम उनके हैं; उनके लिये खड़े भी होना चाहते हैं; पर जनता विधान-परिषद् में नहीं आ सकती। इसमें समय लग सकता है; तब तक हम उनके विश्वासपात्र रहें-उनके लिये लड़ें और हम उनके पक्ष में बोलने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। जब हम लोग यह कर रहे हैं हमारे मुस्लिम लीगी दोस्त सारी दुनियां को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम उन्हें नुक्सान पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हैं इसलिये वह यहां आने की आशा नहीं रखते। और न हमें ही उनके आने की आशा है। उनसे इस स्थान पर ही कह देना चाहता हूँ कि यदि मुस्लिम लीग ने असहयोग का—कुछ न करने का—पथ ग्रहण कर रखा तो वह न केवल मुस्लिम जनता के लिए दुःखद होगा वरन् सारी जनता के लिए दुःख की बात होगी। कांग्रेस ने उन्हें सन्तुष्ट करने के लिए जो कुछ किया है उससे अधिक और क्या कर सकती है? हमारे मुस्लिम लीगी दोस्त हमारे पास आने, समझदारी की बातचीत करने और समझने-समझाने के बदले ब्रिटिश लोगों-अंग्रेजों के पास गये हैं। उन्हें एक एक करके इतनी रिआयतें दी जा चुकी हैं। इन हर रियायतंने इस देशके ध्येय स्वतन्त्रता-स्वराज्य के कुंज-पर काले परदे डाले हैं; इसके अलावा उन्होंने इस देश के लोगों में कटु भावना भरने के लिए बहुत से काम किये हैं। इन विविध संरक्षणों और अधिकारों को स्वीकार किया है और वे सब रियायतें भी स्वीकार की हैं जो वे ब्रिटेन से पाते रहे हैं। यह सब इसी इरादे से किया गया कि हम उनसे अपील करें कि वह यहां आजायें और देश के लिए विधान बनाने में हमारा हाथ बटायें। अगर वे न आयें तो क्या हम जहां के तहां रुके रहेंगे? कदापि नहीं। उन्हें मालूम होना चाहिए-साथ ही औरों को भी, जो उनको सहारा दे रहे हैं, कि कांग्रेस इस प्रकार आतंकित नहीं की जा सकती। हम इतिहास का निर्माण कर रहे हैं। हमारे विधानवादियों ने हमें बार-बार सलाह दी कि "भगवान् के लिए कानून के विरुद्ध न जाओ, इससे स्वराज्य नहीं मिलेगा, ब्रिटेन के साथ बातचीत चलाओ और उसी के साथ काम करो।" फिर भी हमने सत्याग्रह की शरण ली जिससे हम अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकें। हमने प्रगति की—इससे कौन इन्कार कर सकता है? यदि हम सीधा संघर्ष न करते तो क्या हम इस असेम्बली में होते? क्या मुस्लिम लीग इस तरह की बाधाएं उस अवस्था में डाल सकती थी जैसी अब डाल रही है?

हमारे इन वर्षों के संघर्ष और बलिदान का ही तो वह परिणाम है। हम ऐसी स्थिति प्राप्त कर चुके हैं कि अब ब्रिटिश सरकार हमारी प्रगति नहीं रोक सकती। ब्रिटिश साम्राज्यवाद इस बात की कोशिश में है कि उसे कुछ साथी ऐसे मिल जायें जो हमारे मार्ग में बाधा डालें—चाहे वह एक दिन या कुछ मिनट के लिए ही क्यों न हो। पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को सफलता नहीं मिलेगी। और क्या, हमारी जनता शीघ्र ही उस स्थिति में पहुँच जायगी जब वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उसके इस देश के साथियों सहित अलग करके आगे बढ़ने में मदद देगी। स्वयं मुस्लिम लीग की स्थिति क्या है? एक समय था, जब मि० जिन्ना कहते थे कि स्वतन्त्रता तो एक मृगतृष्णा मात्र है और भारत के लिए आजादी का दावा करना मूर्खतापूर्ण है। उन्होंने 'सीधे संघर्ष' को हास्यास्पद बताया और अब वह खुद ही आज़ादी का दावा करते हैं और उन्होंने घोषणा की है कि अब वह हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के पक्ष में हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग के मंच से कहा है कि वह "भारत छोड़ो" के पक्ष में हैं, यद्यपि उन्होंने इस नारे को "देश को हममें बाँट दो और फिर छोड़ो" के रूप में स्वीकार किया है, उन्होंने हमारा ही अनुसरण किया है। वह आज दो विधान-परिषद चाहते हैं जब कि कुछ ही समय पहले वह विधान-परिषद की बात सोचने के लिए भी तैयार नहीं थे। इससे क्या प्रकट होता है? मैं कहता हूँ कि अगर हम आगे बढ़ें तो मि० जिन्ना को भी बाध्य होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसका सीधा कारण यह है कि साधारण जनता—चाहे वह हिन्दू हों या मुसलमान—चाहे जिस सांम्प्रदाय की भी हो, अपने राजनीतिक नेताओंको इसके लिये प्रोत्साहित कर रही है कि वह आगे बढ़ें और उसी ढंग से जिस प्रकार हिन्दुस्तान आगे बढ़ सकता है। इस लिये मैं मुस्लिम लीग वालों से अनुरोध करता हूँ कि इस सभा में आजायें और हमारे साथ सहयोग करें बशर्ते कि वे अपने नवाबों और अपने जागीरदारों के स्वार्थों के समर्थन के लिये न आयें।

अभी कुछ ही दिनों पहले मि० जिन्ना दावा करते थे कि वह भी उतने ही प्रजातंत्रवादी हैं जितनी कि कांग्रेस। अगर वह प्रजातंत्रवादी हैं तो इस बात पर विचार करें कि किस सम्प्रदाय में गरीबों की संख्या अधिक है। हिन्दुओं का बहुत-सा प्रतिशतक गरीब नहीं हैं, पर मुसल्मानों में अमीर उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। सारे देश में मुस्लिम जनता सबसे गरीब है। उन्हें स्वतंत्र भारत की सब से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसके बिना कबीलों, हरिजन, मुस्लिम मजदूर या किसानों का उद्धार नहीं हो सकता। मि० जिन्ना और उसके साथी जितना ही मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, गुलामी की यंत्रणा उतनी ही बढ़ती जा रही है, उनका निजी समूह (मुस्लिम-गण) कोई भी प्रगति करने से वंचित है।

अन्त में, मैं इस सभा से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आवश्यक विधान का निर्माण समुचित रूप में किया जाय जिससे जनता को इस प्रस्ताव में वर्णित अनेक अधिकारों के उपभोग का अवसर मिले। इस प्रकार के विधान के बिना यह प्रस्ताव व्यर्थ हो जायेगा। यह एक प्रकार की पवित्र आशा ही बनी रह जायेगी और कुछ नहीं। यह सच है कि जब यह हमारी पाठ्य-पुस्तकों में सम्मिलित हो जायगा और हमारे बालक-बालिकाएं उसे अपने पाठ में पढ़ेंगे तो उससे शिक्षा का बहुत बड़ा काम हो जायगा! पर इतना ही काफी नहीं होगा। अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ था फिर भी जनता के सामान्य अधिकारों को सरकार ने निरर्थक बना दिया, इसलिये हमें विधान में आवश्यक व्यवस्था सम्मिलित कर लेनी चाहिए जिससे जन-समूह की हित-रक्षा हो और उन्हें

[प्रो० एन० जी० रंगा]

आश्वासन प्राप्त हो जाय कि वह अवसर भी उन्हें प्राप्त हो सकेंगे यदि वे इन अधिकारों का उपभोग कर सकेंगे।

*डा० पी० के० सेन (विहार : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूँ। मेरे पहले बहुत से वक्ता इस बैठक में बोल चुके हैं और इसके पहले की बैठक में भी। बहुत से पहलुओं पर पूरी तौर पर वाद-विवाद हो चुका है। मैं इन्हीं पहलुओं पर और वही बातें फिर दुहराना नहीं चाहता। पर मेरा ख्याल है कि यह प्रस्ताव अपनी सभी शाखाओं के साथ उसके पहले पास कर लेना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है जब कि हम स्वतंत्र भारत का विधान तैयार करने बैठे। यह भी आवश्यक है कि इस प्रस्ताव द्वारा जैसा कि इसमें रखा गया है—भारत को 'स्वतंत्र सर्वसत्तापूर्ण प्रजातंत्र' घोषित कर दें।

जैसा कि आजके सर्व प्रथम वक्ता ने कहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सन्दिग्ध, अनिश्चित और उपहासकर्त्ता हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम संसार में यह घोषित करदें कि हम अपने कर्त्तव्य पालन पर दृढ़ हैं और स्वतंत्र सर्वसत्ता पूर्ण प्रजातन्त्र जिसमें अन्तिम सत्ता प्रजाजन के हाथ में होगी और सभी शक्तियां और अधिकार प्रजा से ही प्राप्त होंगे। आज इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि सभी दलों के लोग इससे सहमत हैं। चाहे हम अपने दोस्त मुस्लिम लीगियों की बात करें या कांग्रेस की अथवा विभिन्न तथा आर्थिक अल्पसंख्यकों की, अछूतों की जो ऐसा शब्द है जिससे मुझे घृणा है—अथवा दबे और पददलित लोगों की, वास्तव में सभी हमारे भाई हैं जिन्हें तालिकाबद्ध जातियों में रखा गया है। इनमें किसी भी श्रेणी के राजनीतिक विचार को लीजिए, क्या उसमें तनिक भी सन्देह है कि सब का ध्येय स्वाधीनता है? ब्रिटिश सरकार ने भी, जो अब अधिकार सौंपने को तैयार हो गयी है, निश्चित रूप में घोषित किया है कि हमारा ध्येय स्वतन्त्रता या आजादी है। ऐसी स्थिति में हमारे लिये तो अनिवार्य है कि हम अपना प्रस्ताव इसी रूप में निर्मित करें।

मुझे इनमें से कुछ शब्द याद हैं जिनके साथ माननीय प्रस्तावक ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया है। वह मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा है—"यह हमारा निश्चय है, प्रतिज्ञा है और समर्पण है......" हां, यह समर्पण है। हम अभी अपने काम का प्रारम्भ ही कर रहे हैं अभी हमने ड्योढ़ी भी पार नहीं की है। हम लोग ड्योढ़ी में जमा हुये यात्री हैं और अब मन्दिर का प्रवेश-द्वार पार करने ही वाले हैं। यही वह समय है जब हमें समर्पण और आत्मार्पण की प्रतिज्ञा करनी चाहिए और इस काम को पूरा करना चाहिए जिसका बीड़ा हमने उठाया है। हम पर भारी जिम्मेदारी है और यह उचित है कि ऐसे अवसर पर काम वास्तविक रूप में आरम्भ करने के पहले हमें एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि हम योग्य प्रतिनिधियों को शोभा देने योग्य रूप में अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे और स्वतंत्र सर्वसत्तापूर्ण प्रजातंत्र के लिए विधान तैयार करेंगे।

इसका एक और पहलू है जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की है और वह मेरे विचार से बहुत महत्त्वपूर्ण है। यदि मैंने जो बात कही है वह प्रस्ताव के सिद्धांत के सम्बन्ध में है तो यह यथार्थ के सम्बन्ध में है। हमें केवल अपना ही विचार नहीं करना है, उनका भी करना है जो यहां

अब तक नहीं हैं। 'हम देश के लोगों' के पीछे कुछ 'अदृश्य लोग' भी हैं, हमारे मुस्लिम लीगी दोस्त और देशी राज्यों के प्रतिनिधि भी अभी निश्चित होने वाले हैं। यदि वे भी यहां आ जायें और यह सभा भी पूर्णतः नियुक्त हो जाये और सब जगहें भर जायें, तो भी वह ४० करोड़ जनता जिसके हम प्रतिनिधि हैं—यहां नहीं होगी। इसीलिए मैं यह बात दुहराता हूँ कि जो काम हमारे सामने है उसे करने में हमें सदा सचेत रहना होगा कि इन दृश्य लोगों द्वारा ही एसेम्बली पूर्णतः नहीं बन जाती, हमारे पीछे 'अदृश्य लोग' भी हैं। यह समझने पर ही हम ऐसा विधान बना सकेंगे जो इस विशाल राष्ट्र को सच्ची स्वतंत्रता, मानव-जीवन का सच्चा अधिकार—उसे मौलिक अधिकार कहिए या अल्पसंख्यकों के अधिकार अथवा जो भी नाम दीजिए—प्रदान करेगा। जब हम यह समझ कर कि हम स्वतंत्र भारत के प्रजातंत्र के लिये शासन-विधान तैयार कर रहे हैं, अपने काम को आगे बढ़ायंगे तो हम स्पष्ट देखेंगे कि अभी किन समस्याओं को हमें सुलझाना है। सभी कामों में हम सदा महात्मा गांधी की आत्मा की उपस्थिति अनुभव करेंगे वह शीश पर प्रकाशमान स्वरूप जो अपने कन्धे पर संकीर्णमना लोगों के शोक और पीड़ा का मनुष्य-मनुष्य और सम्प्रदाय-सम्प्रदाय के बीच फैले हुए ईर्ष्या, द्वेष, सन्देह और अविश्वास का बोझ ढो रहे हैं, परन्तु फिर भी जो अपना हृदय उस आशा से भरे हुए हैं जो हमारे भाग्य के निर्माता भगवान् में अटल श्रद्धा से उत्पन्न होती है, इसमें सन्देह नहीं है कि इस विधान-परिषद् में परमात्मा का हाथ दिखाई देता है जो इस देश और सारे जगत के भाग्य का निर्माण कर रहा है। उस सचेतन आशा और विश्वास की प्रेरणा से मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से और हमारे हार्दिक समर्थन के साथ पास होगा।

*श्री एस० नागप्पा—(मद्रास : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, मैं अस्थायी सरकार के माननीय उपाध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करने में बड़े आनन्द का अनुभव कर रहा हूं। यह प्रस्ताव सभी सम्प्रदायों और श्रेणियों को बहुत व्यापक अवसर प्रदान करता है। महोदय, मेरे कुछ दोस्तों ने पहले इस बात पर खेद प्रकट किया है कि कुछ लोग यहां उपस्थित नहीं हुए हैं। मेरा खयाल है कि जो हाज़िर नहीं हुए हैं उनके लिए हमें अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में वे यहाँ आने के अधिकारी भी नहीं हैं; क्योंकि वे हिन्दुस्तानी नहीं हैं। वे हिन्दुस्तानी कम और अधिक हैं; वे फारसी ज्यादा और हिन्दुस्तानी कम हैं—तुर्क अधिक हैं हिन्दुस्तानी कम। इसलिए वे विदेशों की ओर देखते हैं और इस देश की आज़ादी की ओर नहीं। यदि वे सचमुच इस देश की आजादी से दिलचस्पी रखते तो आज यहां उपस्थित होते और इस महान सभा में भाग लेकर देश को आजाद करने में सहायक होते। मैं समझता हूं कि हमारे जो दोस्त उन गैरहाजिरों के लिए दुखी हैं वह चाहें तो बाहर जा सकते हैं। हम हरिजन और आदिवासी इस भूमि के आदिम और सच्चे पुत्र हैं और हमें इसका शासन-विधान बनाने का पूरा हक है। तथाकथित सवर्ण हिन्दू भी सच्चे हिन्दुस्तानी नहीं हैं और चाहें तो वे भी चले जा सकते हैं। (बाधा) महोदय, आज हम अंग्रेजों को यह देश छोड़ने के लिए कह रहे हैं। किस लिए? क्या वह मनुष्य नहीं हैं? क्या वह इस देश में रहने का अधिकार नहीं रखते? हम उनसे इसलिए इस देश को छोड़कर चले जाने को कहते हैं कि वह विदेशी हैं। इसी तरह हम आर्यों को, जो प्रवासी हैं, देश छोड़ने के लिए कह सकते हैं। हमें अधिकार है कि हम मुसलमानों

[श्री एस० नागप्पा]

से, जो उस देश पर हमले करके घुसे थे, कह दें कि इस देश से निकल जाओ। इसमें सिर्फ एक बात विचारणीय है। इस देश के सवर्ण हिन्दुओं के जाने के लिए और कोई जगह नहीं है केवल यही विचार उनके पक्ष में है। अब हम सब हिन्दुस्तानी हैं। हम सबको यही सोचना चाहिए। भाईचारे से हम अपने बीच ऐक्य स्थापित करें। और शीघ्रातिशीघ्र अपने देश को स्वतंत्र करने का प्रयत्न करें। हममें से कोई भी किसी अन्य या तीसरे का गुलाम नहीं होना चाहता। सब स्वतंत्र होना चाहते हैं। महोदय, यह प्रस्ताव सबको समान अवसर प्रदान करता है। यह 'समान अवसर' शब्द केवल कानूनी किताब में ही नहीं पड़े रहने चाहिएं। इन्हें कार्य रूप में परिणत करना चाहिए। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि वह देश का शासक है। उसे समझा दिया जाना चाहिए कि वही देश का सच्चा शासक है।

महोदय, मुझे इस भूमि के अभागे सच्चे निवासियों की सुरक्षा पर कुछ नहीं कहना है। जब से हम आर्यों-द्वारा पराजित हुए हम उनके गुलाम बने हुए हैं। हमने कष्ट उठाये हैं; पर अब और दुःख भोगने को तैयार नहीं हैं। हमने अपनी जिम्मेदारियां समझ ली हैं हम जानते हैं कि हम अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं।

महोदय, बहुत से दोस्तों ने अल्पसंख्यकों के बारे में अनेक बातें कही हैं। मैं यह दावा नहीं करता कि हम धार्मिक अल्पसंख्यक या जातीय अल्पसंख्यक हैं। मैं दावा करता हूं कि हम राजनीतिक अल्पसंख्यक हैं। हम अल्पसंख्यक इसलिये हैं कि अब तक हमें स्वीकार नहीं किया गया था और हमें इस देश के शासन में समुचित भाग नहीं दिया गया था। पर यह बात हमेशा के लिए नहीं रह सकती। आपको मालूम है कि हमारी स्थिति कैसी रही है? यह प्रस्ताव हमें इसका अवसर देता है कि हम समानता का अधिकार प्राप्त करें और इस देश के शासन में समुचित भाग लें।

महोदय, हमारी संख्या देश की सारी जनसंख्या का पांचवां भाग है। किसी प्रजातन्त्र देश के लिए यह असम्भव है कि वह पंचमांश प्रजाकी उपेक्षा करे। मेरे जो दोस्त इस सभास्थल के बाहर हैं या इस महान एसेम्बली में भाग नहीं ले रहे हैं, वह इस बात को समझ सकते हैं। उनको सुविधा देने के लिए कांग्रेस बहुत दूर तक गई। इस वक्तव्य को स्वीकार करके भी हम वह सभी दे रहे हैं जो वे मांग रहे थे। हमारा यह ध्येय नहीं होना चाहिए कि चूंकि अमुक दल रो रहा है इसलिए हमें उदार बन जाना चाहिए और वे जो कुछ चाहें उन्हें देते जाना चाहिए। ऐसा मालूम होता है कि आप किसी विशेष सम्प्रदाय को सान्त्वना देने में ही लगे रहे हैं। आपने इतनी सहिष्णुता दिखाई है, इतनी उदारता प्रदर्शित की है और अपने हित की पर्वाह न करते हुए भी देते चले गये हैं। मेरा अब आपसे यही अनुरोध है कि अब सबके साथ न्याय होना चाहिए। अगर आप किसी अल्पसंख्यक जाति को अधिक जगहें देते हैं, तो उससे अन्य अल्पसंख्यकों को भी मांगने की गुंजाइश और अवसर जाता है। इस तरह मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कोई भी बहुमत सभी अल्पसंख्यकों को सन्तुष्ट कर सकता है? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दृढ़ संकल्प हों, शक्तिशाली हों और सब सम्प्रदायों के प्रति न्याय करें। चूंकि एक दल मांगता ही जाता है इसलिये आपको देते ही नहीं जाना चाहिए। यहां कहा गया है—मुझे खुशी

है कि पण्डितजी ने कृपा करके यह स्वीकार कर लिया है कि प्रस्ताव में यह शामिल किया जायगा कि अल्पसंख्यकों—पिछड़े हुए लोगों आदिवासियों और कबीलों एवं दलित वर्गों—की सुरक्षा की व्यवस्था की जायगी। इससे सभी सम्प्रदायों को समान अवसर प्राप्त हो जाता है और जाति और धर्म की कोई बात बाधक नहीं होती। मैं नहीं समझता कि एक खास दल ही ऐसी मांगें क्यों करता रहता है जो उचित और न्याय्य नहीं है? केवल मांगने के कारण ही आप देते चले जाते हैं। इससे तो अल्पसंख्यकों को अधिकाधिक मांगते जाने का अवसर मिलता है। इस प्रस्ताव में जो कुछ कहा गया है वह स्पष्ट है और इसकी शब्दावली सावधानी के साथ रखी गयी है। मेरा तो एक मात्र अनुरोध अब यही होगा कि इसमें प्रत्येक शब्द और उसके अभिप्राय को कार्य रूपमें परिणत किया जाय। केवल पास कर देने से प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं होता। उसे सौ फीसदी कार्य रूप में 'परिणत' करना चाहिए। तभी प्रस्ताव का मूल्य है। "दर्जे और अवसर की समानता" (Equality of status and of opportunity) शब्द कहे तो गए हैं। पर मैं कहूँगा कि समान अवसर का तो यह मतलब है कि कभी न कभी हरिजन को भी भारत के प्रधानमंत्री का पद प्राप्त हो। इस तरह का अवसर यहां होना चाहिए। समान अवसर को कार्यरूप में परिणत करना चाहिए। मैं एक और बात एसेम्बली के सामने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए पेश करना चाहता हूं। जनता इस महान् एसेम्बली की ओर देख रही है और इसके द्वारा जब ४० करोड़ निवासियों के भाग्य का निर्णय हो रहा है तो महोदय, मुझे आशा है कि इस प्रस्ताव का प्रत्येक शब्द; प्रत्येक अक्षर पूर्णतः कार्यरूप में परिणत किया जायगा।

*श्री जगत नारायण लाल (बिहार : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, मेरे लिये यह एक सुअवसर है कि मुझसे इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए कहा गया है। यह तो उचित ही हुआ कि इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को पं० जवाहरलाल नेहरूने उपस्थित किया; क्योंकि पण्डितजी ने ही सन् १९२६ ई० में मद्रास-कांग्रेस के अवसर पर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास कराया था। उन्हीं के राष्ट्रपतित्व में सन् १९२९ ई० कांग्रेस ने भारत की स्वाधीनता को अपना सिद्धान्त बनाया था। और सन् १९३४ ई० पण्डित जी ने हो कहा था कि "राजनीतिक और राष्ट्रीय दृष्टि से यदि यह स्वीकार किया गया और यह स्वीकार किया जाना ही चाहिए कि भारत की जनता ही भारत के भाग्य का फैसला कर सकती है और इसलिये उसे अपना विधान बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए तो यह काम विस्तृत मताधिकार द्वारा निर्वाचित विधान-परिषद् ही कर सकती है। जो स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं उनके लिए और कोई मार्ग नहीं है।" इसलिए विधान-परिषद् में इस स्मरणीय अवसर पर इस देश की ओर से पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किये गये इस प्रस्ताव का विशेष महत्व है। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव हममें से प्रत्येक सदस्य के लिए और सारे देश के लिए एक प्रतिज्ञा—एक गम्भीर निश्चय है। जब से इस एसेम्बली की बैठक आरंभ हुई है, उसके पहले से ही हम ब्रिटिश सरकार की मनोवृत्ति में एक परिवर्तन देख रहे हैं। हम यह कहना चाहेंगे कि इस सदी में और इससे पहले कितने ही शासन विधान एसेम्बलियों द्वारा बनाये गये है। यह तो ब्रिटिश सरकार को स्वयं सोचना चाहिए कि वह इस एसेम्बली को किस रूप में देखना चाहती है और वह कैसा विधान इससे स्वीकार कराना चाहती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का विधान हमारे सामने है जो सन् १७७४-७९ ई० में स्वातंत्र्य-

[श्री जगत नारायण लाल]

युद्ध के बाद बनाया गया था। वह हमारे शब्दों में हिंसात्मक क्रान्ति थी। उस स्वातंत्र्य युद्ध के बाद जो विधान बना था वह भी उन विधानों में एक था। बाद में १९ वीं सदी में अनेक विधान समझौतेके द्वारा बने। सन् १८६७ ई० में कनाडा का उपनिवेश एक संघ बना। शान्तिपूर्ण समझौते के बाद उसका विधान बना और उसका विकास हुआ और ब्रिटिश सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया। फिर सन् १९०० ई० में आस्ट्रेलियन उपनिवेश का सृजन एक शान्ति पूर्ण समझौते से बनाये हुए विधान द्वारा हुआ। साउथ अफ्रीका के यूनियन का भी एक उदाहरण हमारे सामने है। सन् १९०९ ई० में वह भी उपनिवेश बन गया और उसका निर्माण भी शान्तिपूर्वक निर्मित विधान के अनुसार हुआ। उसके बाद ताजा उदाहरण सन् १९२१ ई० में आयर्लैंड का है। उसे ब्रिटेन के साथ समझौता करने को कहा गया था। यह स्थिति छापामार युद्ध और लम्बे सिन-फीन आन्दोलन के बाद उत्पन्न हुई थी और वह भी जब ब्रिटिश सरकार अपने अथक परिश्रम से थक गयी/अलस्टर को अस्तित्व में ला दिया। आयर्लैंड का मामला सब से बाद का है और उसे ब्रिटिश सरकार को उसके वर्त्तमान मंत्रिमण्डल को याद रखना चाहिये। आयरिश लोगों के मस्तिष्क में अभी तक उस पीड़ा की याद ताज़ी है और सदा ताज़ी रहेगी और उसका परिणाम यह हुआ कि वे लोग ब्रिटेन से बिछुड़ गये और अभी तक उनका संयोग नहीं हो सका है। अगर भारतीय विधान परिषद् में बैठते हैं और विधान बनाना चाहते हैं तो मैं फिर दुहराता हूं कि यह ब्रिटिश सरकार के फैसले की बात है कि वह विधान आयर्लैंड के विधानके ढंग का होगा या अमेरिका के ढंग का अथवा उसका निर्माण शांन्ति-पूर्ण ढंग से होगा। लक्षणों से तो यही मालूम होता है कि ब्रिटिश सरकार ने अभी अलस्टर का ढंग नहीं छोड़ा है जिसे वह आयर्लैंड में और अन्य कई देशों में परीक्षा करके देख चुके हैं। यदि वे उस ढंग का अनुसरण करने के लिए हठ करते हैं तो परिणाम भी आयर्लैंड के ही ढंग का होगा। इसलिये मैं दुहराता हूँ और ब्रिटिश सरकारको सावधान करता हूं कि उसके लिए अच्छा यही होगा कि वह अपने लुभाने और कूटनीति के सभी उपायों से इस विधान परिषद् के कार्य को सफल करे और इसे अपने प्रयत्नों और हमारे सहयोग से सम्पन्न बनाये।

महाशय, मैं अब इतने विलम्ब के बाद कुछ अधिक न कहना चाहूँगा। मैं फिर दुहराना चाहता हूँ कि मैं इस प्रस्ताव को एक ऐसी प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय मानता हूँ कि जिसके द्वारा स्वतंत्र भारत की सृष्टि होगी। इस निश्चय के पीछे दृढ़ता है। यह दृढ़ता हमारी इच्छा और हमारा निश्चय है और हमें यह दृढ़ता और इच्छा-बल सारे राष्ट्रसे प्राप्त हुआ है जिसने हमें यहाँ भेजा है। मुझे आशा है कि जब समय आयेगा तो हम इस विधान-परिषद् को स्वतंत्र भारत का ऐसा विधान तैयार करते देखेंगे जो शान्ति के साथ अस्तित्व में आयेगा और यदि शान्ति से अस्तित्व में न आया तो यह ब्रिटिश सरकार के पसन्द किये हुए किसी अन्य ढंग से या आवश्यकतानुसार हमारे पसन्द किये हुए ढंग से अस्तित्व में आयेगा। महोदय, मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ, और आशा करता हूँ कि अन्त में जो प्रस्ताव डा० जयकर ने पेश किया था वह अब निरुपयोगी होने के कारण समय आने पर वापस ले लिया जायगा।

अलगूराय शास्त्री (संयुक्त-प्रान्त : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये आया हूँ जो हमारे देश के प्यारे नेता पण्डित जवाहरलाल नेहरू जी ने उपस्थित किया था। आज कोई हिन्दुस्तानी ऐसा अभागा नहीं है जो आज इस सभा और भवन में बैठकर हिन्दुस्तान का भावी विधान न बनाना चाहता हो। किसी भारतीयके लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है कि वह आज अपने देश का स्वाधीन विधान बनाने के लिए यहां आया है ? इस प्रस्ताव में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, जिन भावों का इसमें समावेश है वह ऐसे हैं कि जिनका समर्थन करने के लिए प्रत्येक हृदय लालायित है। यह प्रस्ताव ऐसा उच्चतम है और अपने अन्दर ऐसे भाव रखता है जिसकी कामना भारतीय सदियों से कर रहे हैं। एक दिन था जब कि यह हमारा राष्ट्र एक महान् राष्ट्र था और एक महान् स्वतन्त्र देश था। सदियां गुजर गईं, पराधीनता की बेड़ियां उसको जकड़े हुए हैं और उनकी टूटने की आकांक्षा को लेकर इस देश के युवक, इस देश की नारियां और इस देश के बूढ़े सब सतत प्रयत्न कर रहे हैं। आज वह दिन आया है जब हम इस जगह सब एकत्रित हुए हैं कि अपने राष्ट्र को स्वतन्त्र घोषित करेंगे जो इस प्रस्ताव के पहले भाग में था। आज देश के लिए इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती है कि आज हम केवल यह घोषित करें कि हम अपने राष्ट्र को स्वतन्त्र घोषित करेंगे। आज हम स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित नहीं कर रहे हैं बल्कि आज हम केवल व्यावहारिक दृष्टि से इतना कह रहे हैं कि हम इसे स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित करेंगे। यह मुसम्मम इरादा है। इसलिए इस प्रस्ताव को अपनाया है और इसका स्वागत करते हैं।

इस प्रस्ताव में यह बातें कही गई हैं कि हम जिस स्वतन्त्र राष्ट्र की घोषणा करते हैं उसमें वह सारे भाग भी सम्मिलित होंगे जो आज ब्रिटिश इंडिया के नाम से दुर्भाग्य की वजह से कहे जाते हैं। ब्रिटिश इंडिया "इंडिया" नहीं हैं। ब्रिटिश इंडिया, "इंडिया भारत" नहीं है। जिस भाग पर, भारत के जिस भू-भाग पर आज अंग्रेजी हुकूमत है, अंग्रेजों की हुकूमत का दौरदौरा है वह सारी भूमि स्वतन्त्र भाग राष्ट्र का न होगा। यही नहीं ब्रिटिश सत्ता के अन्दर जो भी भाग हैं और जो उनके अन्तर्गत हैं वह भी इस स्वतन्त्र राष्ट्र में सम्मिलित किये जायंगे, यह हमारी कामना है और यह इस प्रस्ताव की घोषणा है। यही नहीं, ऐसे भी अंग इस देश के अन्दर हैं जिनके ऊपर दूसरी सत्ता का अधिकार है। जैसे पांडिचेरी, गोआ, डैमन और ड्यू हैं। ये अंग जिन पर दूसरी सत्ता शासन कर रही है वह सब भारत के अंग हैं। हमारी कामना है ये सभी अंग स्वतन्त्र राष्ट्र में सम्मिलित हो जायंगे। इस प्रस्ताव की कल्पना क्या है, हम स्वतन्त्र राष्ट्र चाहते हैं और यही घोषित करना चाहते हैं और हम इन शब्दों का स्वागत करते हैं। पूर्वकाल से लेकर आज तक मनुष्य जीवन के ऊंचे आदर्श रहे हैं। मनुष्य भाई भाई की तरह-रहते हुए आये हैं। ऋग्वेद के ८ वें चरण में इस बात की कल्पना तो प्राचीन काल से की गई है कि मनुष्य में न कोई छोटा था और न कोई बड़ा था। जिस तरह से मां अपने पुत्र को मानती है उसी तरह से राजा भी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, यह कल्पना भी ऋगवेद के ८ वें चरण में मिलती है। जो समानता और आदर्श हमको पहिले से सिखाई गई है वही इस प्रस्ताव पर दोहराई गई है उसको देखकर हमको प्रसन्नता हुई। इसलिए मैं इसका समर्थन करने के लिए यहां पर आकर खड़ा हुआ हूँ।

[अलगूराय शास्त्री]

हमने देखा कि हम ऐसे राष्ट्र की कल्पना इस प्रस्ताव से कर रहे हैं जिस राष्ट्र में अन्न, वस्त्र की कमी न होगी, समान रूप से चीजें प्राप्त होंगी। इसमें हमको ऐसे आदर्श की ध्वनि मिलती है जिसमें कहा गया है "to each according to his needs and from each according to his capacity "ऐसी समानता का आदर्श इसमें उपस्थित है। भागवत के अन्दर जो शब्द राष्ट्र की समानता के लिए है वह इस प्रस्ताव में मिलते हैं। प्रजा की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना राष्ट्र का परम धर्म है। राजा के व्यवहार में प्रजा के लिए समानता होगी वह हमको इस आदर्श तक ले जाती है। उसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं पाया जाता है और न रक्खा गया है। वर्ग के एक दूसरे के इस भेद को हम मिटाना चाहते हैं। मनुष्य का व्यवहार दूसरों के साथ एक आदर्श के रूप में होना चाहिये यह हम चाहते हैं।

इस प्रस्ताव की यह घोषणा है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं। इसके आगे इस बात की भी कल्पना करते हैं कि हम जिस राष्ट्र की स्थापना करने जा रहे हैं, जो स्वतन्त्र राष्ट्र हमारा होगा वह स्वतन्त्र राष्ट्र इसलिए नहीं होगा कि वह अपनी सत्ता से एक पृथक् राष्ट्र बना लेगा। और उसको दुनिया की भलाई और बुराई से कोई मतलब न होगा। बल्कि इसमें कहा गया है कि यह महान् राष्ट्र अपने प्राचीन उसूल लेकर स्वतन्त्र होगा और अपनी उन्नति की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। हमारा राष्ट्र, हमारी सारी शक्तियां सारे विश्व के लिए होंगी और हम सारे संसार के साथ और मानवजाति की उन्नति के एक मात्र आधार पर, एक समुदाय के आधार पर सम्बन्ध स्थापित करेंगे और इससे संसार की सेवा करने लिए जीवन का उपयोग करेंगे।

इस प्रस्ताव के पीछे महान् आदर्श है, जो हमारे सामने रक्खा है। एक चीज जो सबसे बड़े महत्त्व की इस प्रस्ताव में है कि हम जिस राष्ट्र को बनाने जा रहे हैं उस राष्ट्र की स्वतंत्रता का जो अपहरण किया गया है, उस अपहरण से उसको निकाल कर स्वतंत्र बनायेंगे। वह जो स्वतंत्रता हमने हासिल की है उस स्वतंत्रता को हम बनाये रखने के लिये उसकी रक्षा करेंगे। इस प्रस्ताव में पुरातन धर्म के ऋग्वेद के प्राचीन आदर्श अच्छी तरह से अभिव्यक्त हुये हैं, यहां हमको 'देवाहितम् यदायुः' की बात जो कही गयी है वह इसमें सफाई के साथ कही गयी है। कोई भी राष्ट्र जिसकी स्वतंत्रता हासिल कर ली गयी हो, लेकिन वह अपनी सहन शक्ति से यदि कमजोर है तो वह जीवित नहीं रह सकता, उसकी रक्षा नहीं हो सकती। वही राष्ट्र अविचल है। ध्रुव है, निश्चल है, जिस राष्ट्र को प्रजा चाहती है 'इन्द्रस्त्वाभिरक्षतु'।

प्रजा जिसकी कामना करे ऐसा राष्ट्र, और जब हम social, economic और आर्थिक equality लोगों को देने जा रहे हैं, तो यकीनन वह प्रजावर्ग का राष्ट्र होगा। हमने इसमें कल्पना की है कि state power, सारे राष्ट्र की पूरी शासनशक्ति जनता के हाथ में हो। तभी हमने प्रजा के राज्य की कल्पना की है। हमने प्रजातन्त्र की कल्पना की है कि जिसमें राजा प्रजा का भेद मिट जाता है। वह राष्ट्र होता है, जिसके कि बारे में प्रसिद्ध कवि कालिदास ने कहा है कि:—

"वही राष्ट्र आदर्श राष्ट्र होगा जिस राष्ट्र में शासक और शासित के जो दयनीय भेद हैं वह न हों, जहां पर शासक द्वारा अत्याचार शोषण न हो और जहां पर प्रजा सतायी न जाती हो

और जेलों में सड़ायी न जाती हो। प्रजा उस राष्ट्र की कल्पना करेगी उस राष्ट्र को चाहेगी जिसमें कि ऋग्वेद की महान् आदर्श पूरे होते होंगे, //उसी राष्ट्र की कल्पना करेगी, उस राष्ट्र को चाहेगी जिसमें कि ~~ऋग्वेद के महान् आदर्श~~ पूरे ~~होते होंगे~~/। उसी राष्ट्र की कल्पना इस प्रस्ताव के द्वारा की गयी है। इसलिए हम इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। यह प्रस्ताव आज हमको ऐसी जगह ले आकर खड़ा कर देता है कि जहां से संसार इस बात को देखेगा कि हम जिस स्वाधीनता की कल्पना करते हैं, वह स्वाधीनता अपने स्वार्थ के लिए नहीं है उस स्वाधीनता में प्रजावर्ग के ऊपर जबरदस्ती शासन न होगा। यह तमाम चीजें महान् वैदिक आदर्शों की इसमें हम देखते हैं। वहां हम हजरत उमर से लेकर और यहां पर बहादुरशाह की हकूमत तक के मुस्लिम शासन काल में जिस बात की कल्पना रही है कि प्रजा का रक्षण प्रजा पालन के महान् आदर्श भी इसमें विद्यमान हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिन्ध पर कब्जा किया और उस पर अपना अधिकार जमाया तो हजरत उमर को उसने खत लिखा कि अपने अधीनस्थ सिन्धवासियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाय, वह राष्ट्र के इतिहासका बड़ा महत्त्वशाली document है और बड़ी भारी निधि है। इसमें हमें हजरत उमर का वह फतवा मिलता है जिसमें यह दर्ज है कि जो लोग तुम्हारे अधीन हो गये हैं, उनके साथ पुत्र की तरह व्यवहार करो, उनके पूजा घरों की रक्षा करो, उनके धन, जन और माल की रक्षा करो और उसी आदर्श को लेकर हुमायूं ने अकबर को निधि दी और बराबर वह चलती रही। अकबर के आईने अकबरी में प्रजा के साथ राजा का जो सम्बन्ध बतलाया गया है, उसमें किसी भी जगह नहीं है कि हम प्रजा को सतायें, उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण करें। पहले के शासक इन आदर्शों के कायल थे और आज हम उनको पूरा करने के लिये आये हैं, आज वह सब हमको पूरा करना है और यह प्रस्ताव उसकी तरफ हमें ले जाता है। आज हम इस भवन में बैठकर जब अंग्रेजी में बोलते हैं तो यहां हमारे मद्रास के लोगों को हमारी बातें समझने में आसानी होती है और अखबारों में publicity भी आसानी से हो जाती है। आज मैंने सोचा कि मैं हिन्दी में बोलूं। मेरे कानों में आज कब्रों में पड़े हुए बहादुरशाह के बच्चे कहते हैं कि "तुम किस जबान में बोलते हो? हम भी समझें। हमारे सदियों के अरमानों को हम भी सुनें।"

जायसी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसमें वर्णन है कि पृथ्वीराज और संयोगिता दोनों की राखें हमारी बातें सुनने के लिए लालायित हैं और सुनना चाहते हैं कि आप क्या करने आये हैं। आपकी क्या आकांक्षायें हैं, आदर्श हैं, यही वह सुनना चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि टूटी फूटी अंग्रेजी में मैं बोल सकता हूँ मगर मुझे लंदनवालों को नहीं सुनाना है, अपनी भारतीय जनता को सुनाना है। कब्रों में पड़ी हुई कितनी ही dynestieo और साम्राज्य दिल्ली के चारों तरफ पुराने मकबरों में वह कब्रें पूछती हैं, दफनाई हुई हड्डियां पूछती हैं कि तुम यहां क्या करने आये हो? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि हम तुम्हारे उन्हीं आदर्शों को लेकर जिनके कारण बहादुरशाह के बच्चों का खून हुआ, हमारा सन् १८५७ का बलवा हुआ और जिन आदर्शों को लेकर सदियों से हमारी जनता के बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरतों ने अपने जीवन, बलिदान किये, आज हम उन्हीं प्राचीन आदर्शों को लेकर हजारहा मुश्किलात होते हुए भी आगे बढ़े हैं और बढ़ते रहेंगे। हम अपने इस पुनीत निश्चय में दृढ़ हैं और अटल हैं और कोई भी

[अलगूराय शास्त्री]

शक्ति हमें अपने पथ से विचलित नहीं कर सकती। कोई चीज हमको झुका नहीं सकती, यह हमारा निश्चय है। हमारे सोये हुए बुजुर्गों की रूहें हमें पुकार-पुकार कर कहती हैं कि उन्हें उनकी भाषा में सुनाया जाय आज उनकी यह आकांक्षायें हैं, कामनायें हैं।

इसलिए मैंने हिन्दी भाषा में आपके साथ यह निवेदन करने की चेष्टा की। यह प्रस्ताव सर्वथा सब रूप से मानने के लायक है। जयकर साहब ने इस प्रस्ताव के postpone करने की बात की थी। जहां तक रवादारी का ताल्लुक है, हमने इसकी वार्ता, और डा० अम्बेडकर ने जो plea ली थी उसके आधार पर यह postpone किया गया था, लेकिन अड़ंगा लगाने की नीति से कोई आदमी अगर हमें रोकना चाहे, तो हम कदापि नहीं सुन सकते। Fight of freedom once begun……हम अपना कदम आगे बढ़ायेंगे और इस रवादारी में पड़कर हम उस काम को छोड़ने वाले नहीं है। श्री श्यामा का संशोधन यह जो काश्मीरी सिल्क का प्रस्ताव है, उसमें वह एक टाट का पेबन्द है। वह भी reject हो जाना चाहिए और जयकर साहिब का जो संशोधन है वह भी reject हो जाना चाहिये और यह अधिकृत रूप और मौलिक रूप में प्रस्ताव स्वीकृत हो जाना चाहिये।

*श्री राजकुमार चक्रवर्ती (बंगाल : जनरल): क्या मैं पूछ सकता हूँ कि स्टीयरिंग-कमेटी की सदस्यता के उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के लिए कब-तक का समय है ?

*अध्यक्ष: आज शाम के ३ बजे चुनाव के आरम्भ होने से पहले, किसी भी समय अब हम प्रस्ताव पर बहस जारी करते हैं। श्री माधव मेनन।

लक्ष्य-संबंधी प्रस्ताव—(गत संख्या से आगे)

*श्री के० माधव मेनन (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय ! पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। मैं जानता हूं कि इस प्रस्ताव के लिए किसी के बहुत समर्थन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका बहुत कम विरोध हुआ है। यह बहुत आवश्यक है कि अब हम इस प्रस्ताव को अविलम्ब स्वीकार कर लें। जैसा कि सर अल्लादी ने अपने भाषण में कहा है, किसी भी विधान-परिषद् की कार्यवाही में आप यह खोज निकालने में समर्थ न होंगे कि उस परिषद् का अन्य कार्य आरम्भ होने से पहले, ऐसा कोई प्रस्ताव पेश अथवा स्वीकार नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में हम काफी प्रतीक्षा कर चुके हैं और मेरे विचार में अब और देर करके हम अपने कर्त्तव्य से च्युत होने के ही भागी होंगे। हमें अनुभव करना चाहिये कि सारा देश आशा-भरी दृष्टि से हमारी ओर देख रहा है—यह जानने के लिए—कि हम उसके लिए क्या करने जा रहे हैं। एक-मात्र आपत्ति, यदि मैं उसे आपत्ति कह सकूँ, डाक्टर जयकर द्वारा पेश किया गया संशोधन है। सिद्धांत: डा० जयकर के संशोधन और मूल प्रस्ताव में अधिक अन्तर नहीं है, सिवा इसके कि डा० जयकर चाहते हैं कि हम लोग प्रतीक्षा करें ताकि उन लोगों को, जो इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, प्रस्ताव के विचार में भाग लेने का अवसर मिल सके। डा० जयकर का कहना है कि इस समय हमारे हिस्सेदारों में से दो अनुपस्थित हैं, जिनमें से एक की अनुपस्थिति का कारण हमें मालूम नहीं है और दूसरे का यहां उपस्थित होना ही असम्भव है। उचित ही है कि हमें इन लोगों की प्रतीक्षा करनी चाहिये। डा० जयकर ने कहा था कि २० जनवरी तक, जब कि हमारा दूसरा अधिवेशन होने को है, हम इन लोगों की प्रतीक्षा क्यों न कर लें। श्रीमान्, उनकी इच्छानुसार अब हम यह प्रतीक्षा कर चुके। आशा है कि डा० जयकर को यह आपत्ति करने का अवसर अब न रहेगा कि हम लोगों ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया।

डा० जयकर की यह-आपत्ति कि मंत्रि प्रतिनिधि मंडल के १६मई के वक्तव्य की शर्तों के अनुसार आरम्भिक बैठक में इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार करना हमारे लिए वर्जित है, स्वयं उनके ही प्रस्ताव के विरुद्ध है, जिसमें बताया गया है कि इस परिषद् के उद्देश्य व लक्ष्य क्या होने चाहियें। डा० जयकर ने कहा है कि उक्त प्रस्ताव में विधान के मूल तत्वों का उल्लेख न होना चाहिये। मैं नहीं समझता कि हम लोगों ने उसमें विधान की मूल बातों का उल्लेख किया है; हमने तो उसमें यही बताया है कि हमारे उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या हैं। डा० जयकर ने कहा (और उनके ऐसा कहने पर मुझे आश्चर्य भी हुआ) कि यदि मुस्लिम लीग सम्मिलित न होगी, तो देशी राज्य भी शामिल न होंगे। साथ ही, डा० जयकर ने बताया अथवा यों कहिये कि चित्र खींचा, कि यदि मुस्लिम लीग के शामिल होने से पहले हम लोगों ने यहां यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो देश में एक हिन्दुस्तान, एक पाकिस्तान और एक राजस्तान बनकर ही रहेगा। मुझे अनुभव हुआ कि जिस समय वे तीन 'स्तानों' —हिंदुस्तान, पाकिस्तान तथा राजस्तान—के प्रादुर्भाव का चित्र खींच रहे थे, उस समय मानों वे कल्पना लोक में निर्बाध विचरण कर रहे हों। मुझे निश्चय है कि ऐसा संयोग न होगा और ऐसे संयोग के विचार से हमें यह प्रस्ताव स्वीकार करने से डरना भी न चाहिये। यदि इस आधार पर कि अन्य लोग यहां उपस्थित नहीं हैं, हमने और विलम्ब किया, तो निश्चय ही इस प्रकार हम लोगों की जिद को ही बढ़ावा देंगे, मैं चाहता हूं कि हम ऐसा न करें, बल्कि प्रस्ताव का कार्य आगे बढ़ायें और बिना अधिक विलम्ब किये उसे स्वीकार कर लें।

* श्री बी० दास (उड़ीसा : जनरल) : अध्यक्ष महोदय ! पिछले अधिवेशन में हममें से कुछ लोगों का संकोचवश यह मत था कि यह प्रस्ताव बाद की किसी तारीख के लिए स्थगित कर दिया जाय, ताकि अनुपस्थित लोग भी उसके विचार में भाग ले सकें। इसका यह मतलब नहीं कि मैं स्वयं प्रस्ताव के पक्ष में पूर्णतया नहीं था। एक कांग्रेसजन तथा एक भारतीय होने के नाते, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव में प्रतिपादित सिद्धान्तों से पूर्णतः सहमत हूं। इसका यह अर्थ नहीं कि उक्त सिद्धान्तों का पहले कभी प्रतिपादन नहीं हुआ। किन्तु हम चाहते थे कि अपने विधान-निर्माण कार्य के आरम्भ में ही, हमारे लक्ष्य एवं उद्देश्यों का स्पष्टीकरण इस सभा में कर दिया जाय, और उसमें सभी सभा-

[श्री बी० दास]

सद सम्मिलित हों। फिर भी मुझे दुःख है कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि, जिनमें से कुछेक सार्वजनिक जीवन में हमारे साथी रहे हैं, अनुपस्थित हैं। उस समय मूर्खतावश हम में से कुछ लोगों ने सोचा था कि वे अब आ जायंगे और हमारे साथ राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं अधिकारों की घोषणा करेंगे और इस प्रकार आने वाली स्वतन्त्रता के प्रभात के आनन्द में रजामंदी से अपना हिस्सा लेंगे। पर यह सब नहीं होने का। समझ में नहीं आता कि मुस्लिम लीग के ये सदस्य जो पिछले बीस-तीस वर्षों से हमारे मित्र, प्रगाढ़ मित्र, प्रगाढ़ साथी तथा प्रगाढ़ सहयोगी रहे हैं, वर्त्तमान अवस्था में किस प्रकार पृथक रह सकते हैं।

मैं नहीं समझ सकता कि वे क्या चाहते हैं। कहा जाता है कि वे दो राष्ट्र चाहते हैं, वे पाकिस्तान चाहते हैं। अभी उस दिन म० गांधी ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तानी सूबे अथवा एक पाकिस्तान देश ले लेने दो, जिससे कि हम जान सकेंगे कि मुस्लिम राष्ट्र का सर्वोच्च आदर्श क्या है, जिससे कि वे दिखा सकें कि पाकिस्तान का देश हिन्दुस्तान से या पंथिस्तान से, जिसकी कि मांग सिख करते हैं, एक अधिक सुशासित देश है। हमारे मुस्लिम मित्रों को किस बात का डर है और उनकी अनुपस्थिति के कारण क्या हैं? महाशय, सम्बन्धित पार्टियां तीन हैं—ब्रिटिश, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। ब्रिटिश सरकार हमारे मार्ग का रोड़ा है। ६ दिसम्बर के वक्तव्य द्वारा, सम्राट् की सरकार ने अपने १६ मई के वक्तव्य का फिर जो स्पष्टीकरण किया है उससे भी यही प्रकट होता है कि अंग्रेज स्वाधीनता-प्राप्ति में भारत की सहायता नहीं कर रहे हैं। किन्तु वह कौन सी बात है, जो हमारे मुस्लिम मित्रों को रोक रही है? महाशय, भारतीय व्यवस्थापिका सभा का काम सँभालने के मेरे आरम्भिक काल में, 'कायदे आजम' मेरे राजनैतिक गुरु रहे हैं। एक मित्र के नाते मैं उनकी अब भी प्रशंसा करता हूं। किन्तु मुस्लिम लीग के नेता के रूप में मैं उन्हें नहीं समझ सका। मैं नहीं समझता कि वे क्या चाहते हैं। मुस्लिम लीग कार्य-समिति के अनेक सदस्य मेरे मित्र हैं और यहां उपस्थित अनेक लोगों के मित्र हैं। मैं नहीं समझ पाता कि अब्दुल मतीन चौधरी या नवाब इस्माईलखां या राजा गजनफरअलीखां या हुसैनइमाम तथा अन्य लोग हिन्दुस्तान में अथवा यूनियन में हिन्दुओं के साथ किस प्रकार भाई-भाई की तरह नहीं रह सकते? दुर्भाग्यवश, मुझे यह जानकर

खेद होता है कि मुस्लिम लीग के अधिकांश नेता तथाकथित हिन्दुस्तान में ही रहते हैं। अभी तक मैंने बंगाल या पंजाब के पाकिस्तानी सूबों का ऐसा कोई मुस्लिम लीगी नहीं पाया, जो इस देश अथवा संसार के पथ-प्रदर्शन के लिए किन्हीं महान् राजनैतिक सिद्धान्तों का प्रवर्त्तक हो या जिसने इन सिद्धान्तों की व्याख्या की हो। मेरा काम यहां, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मतान्तर बताने का नहीं है। मेरा काम इस मंच से मुस्लिम लीग से यह आग्रह करने का है कि वे लोग जो बाहर हमारे मित्र हैं, इस सभा में भी तुरन्त हमारे मित्र बनें। यदि पाकिस्तान के विषय में उनके विचार हमसे भिन्न हैं, तो उन्हें अपने विचार हमें बताने चाहियें। उन्हें, हमको बताना चाहिये कि आया वे एक स्वाधीन (जनतन्त्रात्मक) पाकिस्तान चाहते हैं, या वे औपनिवेशिक-पाकिस्तान चाहते हैं? वे क्या चाहते हैं? मैं मुस्लिम लीग के अपने मित्रों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे हमारे साथ अपने अति प्राचीन सम्पर्क पर, पड़ोसियों की पुरानी भावनाओं पर विचार करें और शीघ्र ही इस सभा की कार्यवाही में शामिल हो जायं, ताकि हम सब भारत को स्वाधीनता प्राप्त कराने में, जिसे हम हृदय से चाहते हैं, एक-साथ मिलकर कार्य कर सकें।

मुख्य प्रस्ताव पर, मैंने कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि उसमें उल्लिखित प्रत्येक बात से मैं सहमत हूँ। इन वर्षों में, इन्हीं बातों का हम स्वप्न देखते रहे हैं। मि० जिन्ना तथा अपने मुस्लिम लीगी मित्रों से एक बार फिर मैं यही आग्रह करता हूँ कि वे यहां आयें और हमें बतायें कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, वे हिन्दुओं को भी बतायें कि हिंदू क्या गलती कर रहे हैं, और मि० जिन्ना को एक स्वाधीन राष्ट्र बनाने नहीं देते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

*श्री देवेन्द्रनाथ सामन्त (बिहार : जनरल) : अध्यक्ष महोदय ! हमारे माननीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किये गये इस स्मरणीय प्रस्ताव पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का जो अवसर आपने कृपा करके प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ।

श्रीमान्, इस प्रस्ताव का पूरे हृदय से समर्थन करने में मुझे हर्ष है। इससे पहले अनेक अन्य वक्ता भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर चुके हैं और उन्होंने इस प्रस्ताव के उपस्थित तथा स्वीकार किये जाने की आवश्यकता, उपयोगिता तथा औचित्य पर अपने विचार

[श्री देवेन्द्रनाथ सामन्त]

प्रकट किये हैं। विभिन्न दृष्टि-कोणों से, उन्होंने इस प्रस्ताव पर बहस की हैं और उन्हीं तर्कों को फिर दोहरा कर मैं इस सभा का मूल्यवान् समय नहीं लेना चाहता। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, मैं, आपकी अनुमति से, केवल कुछ बातें ही कहना चाहता हूँ।

सर्वत्र ही यह स्वीकार किया जा चुका है कि जो विधान-परिषद् एक स्वतन्त्र भारत का विधान निर्मित करने जा रही है, वह इस देश के जन-समुदाय के अथक कष्ट-सहन तथा भारी त्याग का ही परिणाम है। अतएव, जो भी विधान तैयार किया जाय, वह ऐसा होना चाहिये कि उसके द्वारा जन-कल्याण की वृद्धि और समस्त देश का लाभ हो सके ।

विधान के निर्माता, जो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, अत्यन्त उत्तरदायी व्यक्ति हैं और अपने दायित्व-पूर्ण कर्त्तव्य का पालन करते हुए वे सतर्कता एवं बुद्धिमत्ता के साथ ऐसा विधान निर्मित करेंगे, जो सभी सम्बन्धित लोगों के लिए अधिक-से-अधिक हितकर हो।

उन सदस्यों की नेक-नीयती, ईमानदारी और सचाई पर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिये, जिन्होंने हमारे देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्त्ति और देश में शांति एवं सम्पन्नता की वृद्धि करने वाला विधान प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है।

विधान निर्मित करने में किन सिद्धान्तों का अनुसरण होगा और विधान में किन बातों की व्यवस्था रहेगी—यह सब उपस्थित प्रस्ताव में बताया जा चुका है।

सौभाग्य-वश प्रस्ताव में कहा गया है और यह उचित ही है कि जो भी विधान तैयार किया जायगा, उसके अन्तर्गत भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय का, पद, अवसर आदि की समानता का आश्वासन दिया जायगा और वह उन्हें प्राप्त होगा। इससे प्रकट है कि सब लोगों को उन्नति के लिए उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जो भी विधान तैयार होगा, उसमें अल्प-संख्यकों, पिछड़े हुए तथा कबायली इलाकों और दलित तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के संरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। अल्पसंख्यकों तथा उन अन्य लोगों को, जिनके संरक्षण का इस प्रकार आश्वासन दिया गया है, यदि कुछ सन्देह हो तो इसे दूर करने के लिए यह काफी होना चाहिये।

मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ क्षेत्रों में, विधान-परिषद् में तथाकथित अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण भी शंका उत्पन्न की जा रही है। इस सम्बन्ध में मेरा सविनय निवेदन है कि किसी अल्प-संख्यक वर्ग के लिए उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त विधान का निर्माण, उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की केवल पर्याप्तता पर नहीं, बल्कि अंततोगत्वा विधान-निर्माण का निर्देशन करने एवं उस पर नियंत्रण रखने वाले जन-समूह के सद्भाव पर अवलम्बित होता है। अतएव, मेरे तुच्छ विचार से, महत्व की चीज़ जन-समूह की सद्भावना है, न कि विधान-निर्मात्री संस्था में किसी सम्प्रदाय विशेष के प्रतिनिधित्व का परिमाण।

अतएव, किसी अल्प-संख्यक सम्प्रदाय का यह आपत्ति करना कि उसके प्रतिनिधियों की संख्या पर्याप्त नहीं, ठीक नहीं है; क्योंकि यदि वह सम्प्रदाय अन्य सम्प्रदायों की, जिन पर किसी विशेष मामले का निर्णय बहुत हद तक निर्भर होगा, सहानुभूति से वंचित हो जाता है, तो उसके प्रतिनिधियों की संख्या थोड़ी अधिक हो या कम, उससे कोई लाभ न होगा।

विधान-निर्माताओं की सचाई और ईमानदारी में विश्वास करके, परिगणित जातियों, आदिवासियों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों तथा पारसियों के अल्प-संख्यक सम्प्रदायों ने, विधान-परिषद् में, उनका प्रतिनिधित्व कम एवं अपर्याप्त होने पर भी, विधान-निर्माण कार्य में सहयोग देने का निश्चय किया है और यह उचित ही है। विधान-निर्माण में जन-समूह की आकांक्षाएं तथा उसका बल ही अब पथ-निर्देशक होगा।

विधान-निर्माण के कार्य में मुस्लिम लीग भी विधान-परिषद् में सम्मिलित होती यदि वह इस धारणा के वशीभूत न होती कि भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना से ही उसका सर्वाधिक हित-साधन होगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग को छोड़कर, देश में और कोई भी देश के विभाजन के पक्ष में नहीं है। आशा है कि भविष्य में, जनता का प्रत्येक वर्ग संयुक्तभारत की आवश्यकता अनुभव करेगा।

श्रीमान्, अब माननीय डाक्टर जयकर द्वारा पेश किये गये संशोधन पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है और यह आशाकरनी चाहिए कि संशोधन के प्रस्तावक महोदय उसे वापस ले सकेंगे।

श्रीमान्, हमारा यह महान देश, जिसे दुर्भाग्यवश विदेशी आधिपत्य में रहना पड़ा है और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने हर

[श्री देवेन्द्रनाथ सामंत]

सम्भव प्रकार से जिसका शोषण किया है, शीघ्र ही स्वाधीन होने तथा हर प्रकार के शोषण से मुक्त होने का अवसर लाभ करेगा।

आदिवासी जन, जो अन्य लोगों के साथ-साथ, ब्रिटेन-वासियों तथा उनके एजेंटों द्वारा अधिक से अधिक शोषित हुए हैं, अब यह विचार करके प्रसन्न हैं कि भविष्य में वे इस शोषण से त्राण पायेंगे और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति का सुअवसर उन्हें प्राप्त होगा।

श्रीमान्, चूंकि बहुत अधिक माननीय सदस्य प्रस्ताव का समर्थन कर चुके हैं अतएव मैं सभा का बहुमूल्य समय अधिक नहीं लेना चाहता। इन्हीं कुछ शब्दों से मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि वह सर्व-सम्मति से स्वीकार किया जायगा।

स्टीयरिंग कमेटी का चुनाव

*अध्यक्ष: सभा में बोलने के लिए दूसरे वक्ता का नाम पुकारने से पहले, मुझे घोषणा करनी है कि श्रीयुत् सोमनाथ लाहिरी तथा श्री लक्ष्मीनारायण साहू ने अपने नाम वापस ले लिये हैं। (हर्ष-ध्वनि) अतएव यह घोषित किया जाता है कि यह निम्न लिखित सदस्य, 'स्टीयरिंग कमेटी' के लिए निर्वाचित हो गये हैं —

१. माननीय मौलाना अबुलकलाम आजाद।
२. माननीय सरदार वल्लभ भाई जे० पटेल।
३. सरदार उज्ज्वलसिंह।
४. श्रीमती जी० दुर्गाबाई।
५. श्री एस० एच० प्रेटर।
६. श्री किरणशंकर राय।
७. श्री सत्यनारायण सिन्हा।
८. श्री एम० अनंतशयनम् आयंगर।
९. श्री एस० एन० माने।
१०. श्री के० एम० मुंशी।
११. दीवान चमनलाल।

यह घोषित किया जाता है कि ये लोग निर्वाचित हो गये हैं। अब तीसरे पहर मतगणना न होगी।

लक्ष्य-संबंधी प्रस्ताव— (गत भाषणों से आगे)

*रेवरेंड जेरोम डि'सौजा (मद्रास : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव जिस भावना से ओत-प्रोत है, उसकी मैं हृदय से प्रशंसा करता हूं। श्रीमान्, हमारी जनता के सभी वर्ग निःसंकोच भाव से स्वीकार करते हैं कि लोकतंत्रात्मक प्रणाली व्यापकरूप से प्रयोग में आये, किन्तु श्रीमान्, मैं नहीं जानता कि वे लोग जो इस पर अपना मौखिक विश्वास प्रकट करते हैं, उसका तात्पर्य भी पूरी तरह समझते हैं या नहीं और व्यावहारिक जीवन में हर प्रकार से, उसका पालन करने को तैयार हैं या नहीं।

श्रीमान, इस प्रस्ताव के किसी अंश के प्रति चाहे जो भी आपत्तियां की गयी हों, किन्तु मैं समझता हूं कि इसमें जनता के लिए संचालित जनता द्वारा जनता की सरकार की लोकतन्त्रात्मक प्रणाली के हर प्रकार स्वीकार्य सिद्धांत पर बड़ी सावधानी से पर्याप्त विचार किया गया है। प्रस्ताव जिस भावना से अनुप्रेरित है, यदि उसी भावना का प्रयोग इस सभा द्वारा निर्मित होने वाले विधान का विवरण निश्चित करने में होता रहा और यदि प्रान्तों तथा केन्द्र का दैनिक शासनप्रबन्ध भी इसी भावना से किया गया तो मेरा विचार है कि हमारी जनता में किसी वर्ग के लिए आपत्ति का कोई कारण न रह जायगा और साथ ही संतोष की भावना का उदय होगा।

डाक्टर अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा है कि प्रस्ताव के उद्देश्यात्मक अथवा सैद्धांतिक अंश में जो मत व्यक्त किया गया है, उसे सभी स्वीकार करते हैं, जिससे आभासित होता है कि प्रस्ताव का उक्त अंश राजनैतिक एवं पत्रकार जगत में एक साधारण बात है। महाशय, मुझे निश्चय नहीं है कि यह बात संसार के किसी भी भाग के लिए बिलकुल सच मानी जा सकती है, और यदि स्थूल रूप में वह सच भी मान ली जाय, तो भी हमें मानना पड़ेगा कि विशेष अवसरों पर हमें इन साधारणतः स्वीकार्य तथ्यों को दोहराने और गम्भीरता-पूर्वक एवम् ज़ोरदार शब्दों में उन्हें घोषित करने की आवश्यकता होती है। महान् यूरोपीय राजनीतिज्ञ टैलीरेण्ड के सम्बन्ध में कहा जाता है कि एक बार जब किसी भाव के विषय में यह आपत्ति की गई कि उक्त भाव तो "बिना कहे ही मान्य है" तो इसके उत्तर में टैलीरेण्ड ने कहा "एक बार उसे और दोहरा देने से, उसका प्रभाव और बढ़ जायगा"। मैं समझता हूँ

[रेवरेंड जेरोम डि'सौजा]

श्रीमान्, कि इस गम्भीर अवसर पर लोकतन्त्र में हमारे विश्वास की यह घोषणा एक गम्भीर, सार्वजनिक एवं अखंडनीय ढंग से की जा रही है। इस दृष्टि से मेरा विश्वास है कि हमारी जनता का प्रत्येक वर्ग, जिस सावधानी से नपी-तुली तथा सु-व्यवस्थित विधि से उक्त विश्वास व्यक्त किये गये हैं, उसका स्वागत करेगा। निःसंदेह इन सबके स्पष्टीकरण एवं विस्तार की आवश्यकता होगी। श्रीमान्, मुझे इस सभा का ध्यान उस दोहरे खतरे की ओर भी आकृष्ट करने की अनुमति दीजिये, जिसके प्रति मेरे विचार से, तैयार रहना आवश्यक है। एक ओर, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के उन सिद्धान्तों को प्रयोग में लाने में, जिनके विषय में इस भूमिकात्मक घोषणा में समुचित व्यवस्था है, रजामंदी और समझा-बुझाकर कार्य करने के बजाय, उसे बल द्वारा अथवा केन्द्रीय राज्य के अधिकार व शक्ति द्वारा अधिक सम्पन्न करने की इच्छा रोकना कठिन होगा, मैं कहता हूं कि देश-प्रेम और शीघ्रता से देश की उन्नति व सुधार के विचार से ही ऐसी इच्छा को रोक सकना कठिन होगा। यह ऐसी बलवती इच्छा है, कि अनेक महान् पुरुष तथा अपने देश के प्रेमी उसके शिकार हो चुके हैं। किन्तु व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं का इस प्रकार का दमन रोकने के लिए जिस ढंग से व्यवस्था की जायगी, मुझे आशा और विश्वास है, उसी के द्वारा हमारा महान् देश, सहमति तथा एक-मति के उक्त सिद्धांतों के पालन का एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा और राज्य को इतना शक्तिशाली नहीं बनायेगा कि जैसा कि पिछले किसी वक्ता ने कहा है, मनुष्य का व्यक्तित्व यंत्रवत् हो जाय। श्रीमान्, यह एक खतरा है।

दूसरा खतरा भी वास्तविक है। यह वह खतरा है, जिसका सम्बन्ध अल्प-संख्यक सम्प्रदाय के सदस्यों से है। खतरा इस बात का न होगा कि ईर्ष्या अथवा विरोध अथवा औचित्याभाव की किसी भ्रमात्मक धारणा द्वारा अल्प-संख्यकों के किन्हीं विशेषाधिकारों अथवा आवश्यक संरक्षणों का अतिक्रमण होगा। मैं नहीं समझता कि भारत के महान् बहु-संख्यक सम्प्रदाय अथवा उनके अतिसम्मानित प्रतिनिधियों में से कोई भी, इस प्रकार उक्त विशेषाधिकारों तथा संरक्षणों के अनुचित अतिक्रमण के दोषी होंगे। पर विशुद्ध किन्तु गलत देश-प्रेम और सादृश्य एवं सामंजस्य की इच्छा से—जो न तो संभव है और न शायद जिसकी आवश्यकता ही है—वे ऐसी व्यवस्था को स्वीकृति देने की कोशिश करें,

जो अल्प-संख्यकों तथा विशेष समुदायों को गहरी ठेस पहुंचाये और दुखी कर दे।

इस परिषद् के पिछले अधिवेशन में एक वक्ता ने, कुछ ऐसी बातों के साथ, जो इस सभा के सभी लोगों को स्वीकार्य थीं, एक ऐसी बात कही—अल्प-संख्यकों के सम्बन्ध में कुछ ऐसा विचार व्यक्त किया—जिसके विषय में मैं सविनय यही निवेदन कर सकता हूँ कि संभवत: उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। उक्त वक्ता ने कहा था कि 'कोई भी राष्ट्र, कोई भी महान् जन समुदाय, अपने अंतर्गत स्थायी अल्प-संख्यक जातियों के रहते हुए खुशहाल और जीवित नहीं रह सकता और किसी-न-किसी प्रकार हमें उनको अपने में ही 'जज्ब कर लेना' होगा उक्त वक्ता ने इस सम्बन्ध में संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका का उदाहरण भी दिया और कहा कि वहां पर अल्प-संख्यकों को 'जज्ब कर लेने' की यह प्रतिक्रिया शुरू भी हो चुकी है। श्रीमान्, जिस भाव से यह बात कही गई, उसे भी मैं समझता हूं। भाव यह था कि कुछ-न-कुछ सामंजस्य रहना चाहिए और समान हितों तथा अधिकारों को समान रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए तथा राज्य एवं राष्ट्र को इन्हीं समान हितों एवं अधिकारों की स्वीकृति के आधार पर संघटित किया जाना चाहिये। यह अत्यावश्यक है किन्तु, श्रीमान्, सांस्कृतिक, धार्मिक अथवा अन्य किसी रूप में 'जज्ब कर लेने' की बात ऐसी है, जिससे हमें अपनी रक्षा करना आवश्यक है। मुझे निश्चय है कि बहु-संख्यक सम्प्रदायों की यह इच्छा नहीं है और न इस गंभीर विचार-पूर्ण सभा का ही ऐसा मत है कि किसी भी अल्प-संख्यक जाति पर वे इस प्रकार की कोई भी चीज लागू करें, जिसके फलस्वरूप वह—अल्प-संख्यक जाति—इस प्रकार 'जज्ब' हो जाय। श्रीमान्, मैं चाहता हूं कि स्वीजरलैंड जैसे देश के उदाहरण को हम ध्यान में रखें। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी उनकी एक भाषा तथा एक ही सर्व-स्वीकृत विधान होने के बावजूद, भाषा पर आधारित अल्प संख्यकों को अपनी मातृभूमि की संस्कृति उन्नत करने की अनुमति प्राप्त है, चाहे उनकी यह मातृभूमि जर्मनी हो अथवा इटली या फ्रांस। कनाडा के विशाल कामनवेल्थ में, आज भी जनता के दो वृहत् समुदाय हैं, जिनमें एक तो स्काटिश तथा आंग्ल लोगों का समुदाय है और दूसरा प्राचीन फ्रांसीसी समुदाय है। किंतु ये दोनों ही समुदाय वहां पूर्ण सद्भाव से रहते हैं, अपनी-अपनी मातृ-भूमियों के रीति-रिवाजों का पालन करते हैं और स्वयं अपने साहित्य की उन्नति करते हैं। कनाडा की कामन-

[रिवरेंड जेरोम डि'सौजा]

वेल्थ के एक जन-समुदाय के लिए अन्य जन-समुदायों से सहयोग करना और उस देश के यश एवं सफलता के लिए, जो एक ही राष्ट्र माना जाता है, कार्य करना नितांत सरल हो गया है। स्वीजरलैंड में तीन ऐसे समुदाय हैं, जिनकी भाषाएं और धर्म भिन्न-भिन्न हैं, किन्तु वे एक राज्य-संघ के रूप में संघटित हैं, और यह राज्य-संघ ईर्ष्यालु लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा करना भली-भांति जानता है और शताब्दियों से उसने निश्चित रूप से अपनी रक्षा की है। श्रीमान्, मुझे विश्वास है कि इस देश की शक्ति उसके विभिन्न सम्प्रदायों के सदस्यों की शक्ति पर आधारित होगी। और ये सदस्य तब तक अपनी पूरी शक्ति न प्राप्त कर सकेंगे, जब तक कि वे अपने विश्वासों एवं आदर्शों के अनुसार स्वयं आचरण नहीं करते। जिस सांस्कृतिक स्वराज्य के पक्ष में मैं बोल रहा हूँ और राष्ट्रीयशक्ति के प्रतिकूल न होने की दशा में जिसका वचन भी दिया जा चुका है, वह कुछ अर्थों में राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध दीखते हुए भी, उसके अनुकूल ही है। इसमें संदेह नहीं, इन सांस्कृतिक विचित्रताओं को बढ़ा-चढ़ा कर बताने के भी ढंग हैं। किन्तु मुझे निश्चय है कि विभिन्न धार्मिक विश्वास रखते हुए भी, हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, आदि सारे सम्प्रदायों के लोगों के लिए इस महान देश से समान रूप में प्राप्त विरासत को स्वीकार करना और ऐसी समानता और सहमति प्राप्त करना सम्भव है जिसके कि आधार पर ही राष्ट्रीय एकता कायम की जा सकती है। श्रीमान्, स्वयं अपने-अर्थात् ईसाई सम्प्रदाय के संबन्ध में मैं जानता हूँ कि ऐसे भी अवसर आये हैं जब हमारे देश-वासियों ने इस सम्प्रदाय और धर्म को अनुचित रीति से एक ऐसी संस्कृति से सम्बद्ध माना है जो भारतीय नहीं थी और उसे भूल से यूरोपियन तौर-तरीके का अनुयायी समझा। किन्तु इस महान् सभा को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह आवश्यक नहीं है और हमेशा ऐसा रहा भी नहीं है और अनेक बार हमारे सम्प्रदाय के अनुयायियों ने चाहे वे किसी दूसरे देश से आये हों अथवा यहीं के हों, इस देश की सर्वोत्तम परम्पराओं के सर्वथा अनुकूल आचरण किया है। श्रीमान्, इस अधिवेशन की कार्रवाई शुरू होने के दिन बनारस विश्वविद्यालय के सम्मानित वाइस-चांसलर डाक्टर सर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने इस देश में सबसे पहले आने वाले अंग्रेज जेजू-

इट टामस स्टीवेंस का उल्लेख किया था और कहा था कि उनके बाद भारत में अनेक अंग्रेज व्यापारी तथा विजेता पधारे, और अब हम उस "आक्रमण" का अन्त देख रहे हैं। श्रीमान्, मैं इस सभा को विश्वास दिलाता हूं और मुझे निश्चय है कि सर एस० राधाकृष्णन् भी जानते हैं, कि उक्त अंग्रेज व्यापारियों तथा विजेताओं का उस 'जेजूइट' से, जो इन लोगों से पहले आया था, कोई सम्बन्ध नहीं था। इसके विपरीत, वह तो एक ऐसे समय में भारत आया था, जब स्वयं अपने देश में उसे सत्कारप्राप्त नहीं था और उत्पीड़न की धमकी देकर उसे वहां से निर्वा- सित कर दिया गया था। उस समय इस महान् देश ने उसे आतिथ्य प्रदान किया और उसने इस देश को अपना देश बना लिया, यहां की भाषा सीखी और एक ऐसी पुस्तक की रचना की, जिसके सम्बन्ध में मराठी विद्वानों का कहना है कि वह एक प्राचीन ग्रन्थ है, टामस स्टीवेंस का "पुराण" है। श्रीमान्, यही वह भावना है, जिससे प्रेरित होकर उक्त धर्म के अनुयायी यहां आना चाहते हैं और इसी भावना से हम, इस देश को समृद्धिशाली व ऐश्वर्यवान बनाने के लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य में सम्मिलित होना चाहते हैं।

मुझे इस सभा का समय अधिक न लेना चाहिए, किन्तु एक अन्य विषय के बारे में, जिसके सम्बन्ध में काफी कहा जा चुका है, मैं भी कुछ कहे बिना नहीं रह सकता। पर मुझे आशा है कि इस विषय में मैं कुछ ऐसी बात कह सकूंगा, जो नवीन होगी। जन-सत्ता के विषय में, और जन-सत्ता के सिद्धांत के साथ राजतंत्र सिद्धांत का मेल न बैठने की संभावना के विषय में तथा उससे उत्पन्न हो सकने वाली कठिनाइयों और खतरों के विषय में, बहुत-सी बातें कही गई हैं। श्रीमान्, जन-सत्ता का यह सिद्धांत कोई नया सिद्धांत नहीं है। यह १९वीं शताब्दी का सिद्धान्त नहीं है। यूरोप की राजनैतिक विचार-धारा का इतिहास बताता है कि १६वीं शताब्दी में ही वहां इस सिद्धान्त को लेकर एक संघर्ष उस समय उत्पन्न हुआ था, जब वहां के कुछ राजाओं ने 'शासन के ईश्वरीय अधिकार' का दावा किया था। और इस सभा को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि इन राजाओं के विरुद्ध दकियानूसी विचारकों तक ने अर्थात् उन विचारकों तक ने जो राजतन्त्रवादी थे, जनता की सत्ता का ही समर्थन किया था। सेंट राबर्ट बाइलर माइन तथा स्वारेज ने इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के विरुद्ध इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया

[रेवरेंड जेरोम डि'सौजा]

था, यद्यपि इन लोगों ने उसकी व्याख्या रूसो से भिन्न रूप में की थी। अपने उत्तरकाल में रूसो इस विचार के प्रवर्त्तक बने थे कि राज्य की शक्ति जनता से, जन-समुदाय के सर्वाधिकारों को संगृहीत एवं एकत्र करके प्राप्त होती है और यह समझ लिया जाता है कि जनता ने स्वयं अपने इन अधिकारों का समर्पण कर दिया है। किन्तु श्रीमान्, राज्य, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के समर्पण से जनित कोई अवांछनीय, पृथक् उत्पत्ति नहीं है। वह तो उस मनुष्य की प्रकृति का प्राकृतिक परिणाम है, जिसे अपने को एक आवश्यक केन्द्रीय अधिकार के साथ, सामाजिक एवं सामुदायिक जीवन में पूर्ण बनाना होता है। जैसा कि सर एस० राधाकृष्णन् कह चुके हैं, यह अधिकार नैतिक विधान से प्राप्त होता है और यही वह आधार है, जिस पर व्यक्तियों के तथा राज्य के अधिकार कायम किये जाते हैं। श्रीमान्, कुछ लोग, इस सर्वांतिम अधिकार को, उस सर्व शक्तिमान् ईश्वर से उत्पन्न बताना पसन्द करेंगे, जो इस विश्व का और समस्त नैतिक विधान का निर्माता है। श्रीमान्, इस बात पर खेद प्रकट किये बिना मैं नहीं रह सकता कि हमारी इस महत्वपूर्ण घोषणा में सर्व शक्तिमान् ईश्वर के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं है। मैं उन कारणों को भी समझता हूं, जिनके वश, इस प्रस्ताव के माननीय निर्माता तथा प्रस्तावक ने, उसमें ऐसी कोई चीज शामिल करना पसंद नहीं किया, जो एक धार्मिक शक्ति के रूप में हो। किन्तु श्रीमान्, अपना भाषण समाप्त करने से पहले आप मुझे इतना कहने की अनुमति तो देंगे ही कि यदि किसी भी प्रकार से, इस महत्वपूर्ण भूमिकात्मक घोषणा में सर्वशक्तिमान् ईश्वर का नाम भी सम्मिलित कर लिया गया होता, तो यह बात हर प्रकार हमारे इस विशाल देश की धारणा, विश्वास, भावना तथा उसकी प्राचीन सभ्यता के सर्वथा अनुकूल ही होती। श्रीमान्, यद्यपि यहां इसका उल्लेख नहीं किया गया है, किन्तु मेरी यह धारणा है कि अन्ततोगत्वा 'राज्य' को सर्वशक्तिमान् ईश्वर से ही वह सत्ता एवं समर्थन प्राप्त होता है, जिससे उसमें एक प्रकार की पवित्रता-सी आ जाती है। इससे मेरा मतलब किसी ऐसे सिद्धान्त के पक्ष में बोलने का नहीं है, जिससे 'राज्य' को ईश्वरीय माना जाता है। किन्तु मेरा मतलब यह अवश्य है कि 'राज्य' के प्रजाजनों को, जब वे उस 'राज्य' को स्वीकार कर लें और उसके नागरिक हो जायं, उसका आज्ञा-पालन हृदय से करना चाहिये और ऐसा सम-

भना चाहिये कि अपने देश की सरकार की शासन-सत्ता स्वीकार करना उनका कर्त्तव्य है। श्रीमान्, हम लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं। हमारा विश्वास है कि अनेक परिवर्त्तनों से पूर्ण 'इतिहास' का अभिनव आविर्भाव, आज भी किसी दैवी शक्ति का ही विधान है। यद्यपि ईश्वर के पवित्र नाम का उल्लेख यहां नहीं है, किन्तु मुझे पक्का विश्वास है कि यहां पर हम सब उसकी ही सुरक्षा में और उसके ही ऐश्वर्य से एकत्र हुए हैं और क्योंकि वह ही मनुष्यों के हृदयों को स्पंदित करता है, हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस गम्भीर एवं भूमिकात्मक घोषणा के साथ हमने जो विचार-विमर्श आरम्भ किया है, वह उसी परमात्मा की कृपा से यथोचित रूप से समाप्त होगा और जिस भूमि के लिए हम यह परिश्रम उठा रहे हैं, वह एक बार फिर नवीन शक्ति, नवीन समृद्धि एवं नवीन सुखसम्पन्नता के साथ उन्नति करेगी।

श्री एच० जे० खांडेकर (मध्य-प्रांत और बरार : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हिंदुस्तान का आज हम विधान बनाने जा रहे हैं, और इस अवसर पर मुझे इस बात की खुशी है कि जिस देश का हम विधान बनाना चाहते थे, हिंदुस्तान की जनता अपना खुद विधान बनाना चाहती थी, वह विधान बनाने का मौका आज हमारे सामने आया है। हिन्दुस्तान का जब विधान बनने जा रहा है, उसे हम लोगों को अपनी देशी भाषा में ही, अपनी राष्ट्रीय भाषा में ही बनाना चाहिए। यह भी हिंदुस्तानियों का एक फर्ज हो जाता है और इसी फर्ज को लेकर मैं अपना भाषण हिन्दुस्तानी में कर रहा हूँ। मैं उस जाति में से आता हूं जो जाति इस हिंदुस्तान में कई हजार सालों से पिछड़ी और दबी हुई है। मैं एक हरिजन हूँ और ऐसे हरिजनों की आवाज, और नौ करोड़ हरिजनों की आवाज, जो हिन्दुस्तान में हैं, उनकी आवाज आपके सामने रक्खूंगा। हरिजन समाज इस प्रस्ताव को बहुत आनन्द के साथ स्वीकार कर रहा है। इसका खास कारण यह है कि जितने भी अल्प-संख्यक लोग हैं, हिंदुस्तान के अन्दर उन सबका संरक्षण इस प्रस्ताव में बतलाया गया है। इस प्रस्ताव के खिलाफ और डा० जयकर के ऐमेन्डमेंट पर भाषण करते हुए मेरे मित्र डाक्टर अम्बेडकर ने यह कहा कि हिंदुस्तान की सेन्ट्रल गवर्नमेंट 'स्ट्रांग' चाहिए और हिंदुस्तान अखंड चाहिए। डा० अम्बेडकर के

[श्री एच० जे० खांडेकर]

इस भाषण पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि इंग्लैंड जाने के बाद जब इंग्लैंड में वह खुश न हो सके और उनको संतोष न हो सका, तो उसके बाद डा० अम्बेडकर साहब ने यह बयान किया, और मुझे उम्मीद है कि इस बयान पर वह कायम रहेंगे। परमात्मा अगर उन्हें और थोड़ी सद्बुद्धि दे दें तो मुझे यह भी उम्मीद है कि वह सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमान्ड छोड़ देंगे और साथ-साथ जो आज तक वह कहते हैं कि 'मैं हिन्दू नहीं हूँ' उसको भी छोड़ देंगे। मगर परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे और मुझे उम्मीद है कि परमात्मा उन्हें जरूर बुद्धि देगा।

हरिजनों की दशा अगर मैं बयान करना चाहूँ, आप लोगों के सामने, तो आपके हृदय पिघल जायंगे। हरिजनों के ऊपर आज तक अनंत अत्याचार और जुल्म हुए हैं और हो रहे हैं। मगर हमने बड़े धैर्य के साथ उन जुल्मों को सह लिया और यहां तक कि हमने कभी भी अपने धैर्य को छोड़ने की नहीं सोची। हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे और हिंदू रहते हुए ही हम अपने हक सम्पादन करेंगे, हम यह कभी नहीं कहेंगे कि हम हिंदू नहीं हैं। हम जरूर हिंदू हैं और हिंदू रहते हुए और हिंदुओं के साथ लड़कर अपने अधिकार प्राप्त करेंगे। हमें मालूम है नोआखाली के अन्दर और ईस्ट बंगाल के अन्दर जो अत्याचार हुए हैं, उन अत्याचारों में ९० फी सदी हरिजनों पर जुल्म हुए। उनके मकान जलाए गए, उनके बाल-बच्चे तबाह कर दिए गए, उनकी स्त्रियों पर, लड़कों पर अत्याचार किए गए। और इतना ही नहीं, कई हजार हरिजनों को धर्मान्तर करना पड़ा। यह सारी बातें होते हुए भी आज हम यह कभी नहीं सहन कर सकते कि किसी कौम को अगर उसकी संख्या के अनुसार ज्यादा अधिकार मिलें, याने वेटेज मिले, तो हरिजन भी अपनी संख्या के अनुसार वेटेज लेने के लिए लड़ेंगे। आज जो पिछड़ी हुई जाति है, तबाह जाति है, उसका क्या हुआ? पूना पैक्ट की आपको याद दिलाता हूँ, मैं अपने प्रान्त की मिसाल आपके सामने रखता हूँ। जहां सी० पी० के अन्दर हमारी तादाद २५ फीसदी है और संख्या के अनुसार हमें उस जगह २८ सीटें मिलनी चाहिए थीं, मगर वहां पूना पैक्ट को देखते हुए हमें सिर्फ २० जगहें मिली हैं। हमारी ८ जगहें कहां गईं। हमारे प्रान्त में ४ फीसदी मुसलमान भाई हैं। संख्या के अनुसार उन्हें वहां सिर्फ छः जगह मिलनी चाहिए थीं। मगर दुख की बात है कि हरिजनों की ८ जगहें छीनकर मुसल-

मान भाइयों को दी गईं। और उन्हें छः की जगह १४ जगहें मिलीं, इस तरह का अन्याय अब हरिजन नहीं सहन कर सकते। उनकी संख्या के अनुसार उन्हें अधिकार मिलने चाहिएं। आपके सेंशस में भले ही उनकी तादाद ४ या पांच करोड़ हो मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी पौपुलेशन कभी मुसलमानों से कम नहीं है। हम नौ करोड़ हैं और उसी के अनुसार हिस्सा हमें मिलना चाहिए! इसके लिए हमारी जाति कोशिश करेगी।

इस रेजोल्यूशन में एक बात की कमी है। और अगर प्रस्तावक महोदय उसको कबूल करें तो आज भी उसे बदल सकते हैं। इस प्रस्ताव में हर एक माइनोरिटी के अधिकार को सेफगार्ड करने की बात लिखी है। मगर दुख की बात है कि हिंदुस्तान के अन्दर एक करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें जन्म लेते ही बिना किसी जुल्म के जरायम पेशा बना दिया जाता है और ऐसे करीबन कई लाख लोग हैं हिंदुस्तान के अन्दर जिनकी औरतों, आदमी और बच्चों को इस कानून के मातहत जरायमपेशा बना दिया गया। उन लोगों के अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इन पर जुल्म लगाया हुआ है। चाहे वह चोर हों या न हों, लेकिन जिस दिन से वह जन्मते हैं, उस दिन से उन्हें चोर बना दिया जाता है। इस प्रस्ताव में इस कानून के हटाने के लिए जरूर कुछ होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि प्रस्तावक महोदय इस बात को महसूस करेंगे और अपने प्रस्ताव में इस कौम को सेफगार्ड करने के लिए जरूर कुछ जगहें रक्खेंगे।

जो ग्रूपिंग हुई है, और कांग्रेस ने उस ग्रूपिंग को मान लेने का प्रस्ताव पास किया है। हालांकि मैं कांग्रेसमैन हूं लेकिन मुझे इस प्रस्ताव से डर मालूम होता है और वह यह कि बी और सी ग्रूप के अन्दर जो हमारे डिप्रेस्ड क्लासेज के लोग हैं उनका क्या होगा; इस पर मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं, तब से सोच रहा हूँ जब से कांग्रेस ने इसे मंजूर किया है।

चाहे इंडिरेक्टली आज बंगाल में पाकिस्तान न हो, फिर भी हरिजन के ऊपर ईस्ट बंगाल में क्या जुल्म हुए। यह जो लोग वहां से देखकर आए हैं उन लोगों को खुद आश्चर्य मालूम हुआ। यहां जो हम अखबार पढ़ते हैं उससे मालूम होता है कि ६० फीसदी हरिजनों के ऊपर अत्याचार हुआ। अगर ग्रूपिंग मानने के बाद अप्रत्यक्ष पाकिस्तान हो गया तो मैं समझता हूँ कि एक भी अछूत जहां-जहां इस प्रकार का पाकिस्तान हो गया, जिन्दा नहीं रह सकता। जहां-जहां पाकिस्तान कायम करने का स्वप्न है वहां-वहां

[श्री एच० जे० खांडेकर]

हरिजनों को जबरदस्ती धर्मान्तर करना ही होगा या तो मरना होगा। वह गरीब हैं और किसी भी प्रकार से उन पर अत्याचार हो सकता है और लोग आज भी कर रहे हैं। हर कौम आज अपनी पोलिटिकल डिमांड्स के लिए अपनी ताकत बढ़ा रही है। ऐसा कोई दिन आ जायगा इस प्रपिंग से कि हमारी ताकत घट जायगी और बंगाल की दूसरी जातियों की संख्या बढ़ जायगी। और उनकी ताकत बढ़ने से एक भी हरिजन इन प्रान्तों में नहीं दिखलाई देगा। इसलिए इस पर विचार करते समय इन प्रान्तों में जहां हरिजनों की यह हालत है वहां उन्हें विशेष अधिकार देना होगा, और इसीलिए डाक्टर अम्बेडकर ने इस भय को देखते हुए यह कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और प्रान्तीय गवर्नमेंट में संख्या के अनुसार सीटें न दी गईं तो जो डर आज हमें बंगाल के बारे में है, जो मैंने खुद देखा है, हमारी कौम ने महसूस किया है कि वह डर कायम रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें पूरी सीटें दी जायं तो यह डर खत्म हो जावे। मैं इस प्रस्ताव का खूब हृदय से समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम लोग जो पिछड़ी कौम के हैं, हजारों सालों से जो हमें अधिकार-वंचित किया गया है, उनको प्राप्त कराने का सारे सदस्य प्रयत्न करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि आज तक मैंने देखा कि जहां-जहां हरिजनों की सीटें देने का सवाल आया वहां-वहां एक-एक दो-दो जगहें दी जाती हैं। लोकल बाडीज में कई प्रांतों में यह बात हो रही है। कई बार डिमांड किया कि हमारी संख्या के अनुसार जगह दी जायें। लेकिन कानून बनाये गये हैं कि हरिजन चुन कर न आयें तो एक ही सिलेक्ट किया जाय और सिलेक्ट न हो सकें तो एक ही नौमिनेट किया जाय। जहां हरिजनों की संख्या आधे से भी ज्यादा होती है वहां भी सिर्फ एक आदमी सिलेक्ट किया जाता है या एक ही आदमी नौमिनेट किया जाता है। इससे मालूम होता है कि आज भी हमारी ओर जनता का ध्यान आकर्षित नहीं है। इसलिए यह प्रयत्न करना चाहिए और जब-जब यह मौका आए, तो हमारी संख्या के अनुसार हमें हर जगह प्रतिनिधित्व दिया जाय। तभी हम समझेंगे कि हमारे लिए आप कुछ कर रहे हैं। अगर आप एक-एक दो-दो में खुश करना चाहते हैं तो वह बात अब नहीं चलेगी। हरिजन समाज अब जागृत हो गया है और उसके अधिकार क्या हैं वह समझ गया और वह सारे प्राप्त करने के लिए हरचन्द कोशिश

और अपनी ताकत लगा देंगे। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे अधिकारों को पूरी-पूरी तरह से ख्याल में रखेंगे और हमें इस स्थिति में न रखेंगे जिसमें हम अब तक रहे। इस आशा को लेकर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री० आर० वी० धुलेकर (संयुक्त प्रांत: जनरल)— अध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव को श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उपस्थित किया है और जिसका अनुमोदन हो चुका है और जिसके सम्बन्ध में अनेक प्रकार के व्याख्यान यहां पर हो चुके हैं, जिस प्रस्ताव के अंगों पर अनेक प्रकार की आपत्तियां प्रकट की गई हैं, उनके सम्बन्ध में विचार करते हुए मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

महात्मा गांधी ने मानव जीवन-तत्त्वों को दो शब्दों में रख दिया है, सत्य और अहिंसा। जो न्याय है, जो उचित है, जो धारण करने योग्य है अर्थात् धर्म है, वही सत्य है। जो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है, दूसरों के धन, वित्त और स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं करता; जो दूसरों के जीवन की, सामाजिक जीवन की रक्षा करता है वही सत्य है, वही अहिंसा है।

ये ही तत्त्व वेदों और उपनिषदों के सार हैं। ये ही समस्त धर्मों मत-मतान्तरों और शास्त्रों के सार हैं। ये ही कांग्रेस के ध्येय हैं और इन पर ही यह प्रस्ताव खड़ा है। भारतवर्ष की भावनाओं का, उसकी आकांक्षाओं का, उसकी सदिच्छाओं का, उसके उद्देश्यों का, यह प्रस्ताव मूर्त्तिमान व्यक्त स्वरूप है। जो देश इस समय अंग्रेजी साम्राज्य के अन्तर्गत परतन्त्रता में जकड़ा हुआ है वह स्वतन्त्र होकर क्या करना चाहता है और संसार में कैसे रहना चाहता है, यह प्रस्ताव उस स्वरूप का द्योतक है। सारांश इस प्रस्ताव का इस प्रकार है:—

"इस विधान परिषद ने यह दृढ़ संकल्प कर लिया है कि भारत को पूर्णरूपेण एक शक्ति-सम्पन्न प्रजातन्त्र स्वशासित-राष्ट्र घोषित करे और इसी लक्ष्य को सामने रखकर भविष्य के लिए विधान बनाये।

"भारतवर्ष की सीमाओं के भीतर जितने प्रान्त अथवा प्रदेश हैं चाहे वे अंग्रेजी राज्य में हों, चाहे वे देशी नरेशों के आधीन हों, चाहे वे अन्य विदेशी शक्तियों के आधीन हों, सभी प्रदेश स्वेच्छापूर्वक एक भारतीय संघ का निर्माण करेंगे।

"ऐसे प्रदेशों अथवा प्रान्तों को चाहे जिनकी सीमायें वर्त्तमान हों अथवा विधान द्वारा बदली जायं, आन्तरिक शासन में पूर्ण स्व-

[श्री आर० वी० धुलेकर]

तंत्रता होगी और जो अधिकार भारतीय संघ को स्वयं प्राप्त होने चाहिएं अथवा विधान द्वारा प्रान्तों तथा प्रदेशों ने दे दिये हों, ऐसे अधिकारों को छोड़कर सभी अधिकार प्रान्तों और प्रदेशों को स्वयं प्राप्त होंगे। इन मौलिक अधिकारों को हम मौलिक शेषाधिकार अथवा अंग्रेजी भाषा में रेजिड्यूएरी पावर्स कहते हैं।

"सर्व-शक्ति-सम्पन्न स्वतन्त्र भारत तथा उसके घटक-अंगों और शासन-सूत्रों की शासन-शक्ति का मूलाधार भारतीय जन-समूह है।

"ऐसे राष्ट्रों में समस्त भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा सामाजिक स्थान की और उन्नति के अवसर की समानता तथा विचार, धर्म, मत, उद्योग, व्यवहार और कार्यशैली-सभी की स्वतन्त्रता प्राप्त होगी, जो नियमबद्ध और नीति युक्त होगी।

"इन समस्त मौलिक तत्त्वों के संयोग से भारतीय प्रजातन्त्र राष्ट्र की भूमि अर्थात् हमारा हिंदुस्तान तथा उसके समस्त अधिकार सुरक्षित रखे जायंगे। भूमि, समुद्र तथा वायुमंडल के समस्त अधिकार जो न्याय पूर्वक और सभ्य राष्ट्रों के नियमों द्वारा भारत को प्राप्त होने चाहिए सदा के लिए अक्षुण्ण और सुरक्षित रखे जायेंगे।

"इन्हीं मौलिक तत्वों और सिद्धान्तों द्वारा, जिन पर हमारी विधान-परिषद् भारतीय प्रजातन्त्र रूपी भवन की नींव रख रही है, यह प्राचीन राष्ट्र भूमंडल पर अपना अधिकारयुक्त आदरणीय स्थान प्राप्त करेगा और समस्त जगत में शान्ति तथा मानव जाति को सुख प्राप्त कराने के कार्य में पूर्ण और स्वेच्छा-युक्त योग देगा।"

*श्री देशबन्धु गुप्त (दिल्ली) : श्रीमान्, एक व्यवस्था-सम्बन्धी प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी माननीय सदस्य को हस्तलिपि से कुछ पढ़ने का अधिकार प्राप्त है।

*अध्यक्ष : मैं नहीं समझता कि वे पढ़ रहे हैं। उन्होंने बहुत सी बातें लिख रखी हैं। (हंसी)

श्री आर० वी० धुलेकर : मैं बराबर ऐसे बोल सकता हूं जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं।

प्रेसीडेंट महोदय, कोई भी विचारवान मनुष्य इस प्रस्ताव के किसी भी अंग पर आपत्ति नहीं उठा सकता। समस्त भारतीयों को उनके स्वत्वों की रक्षा का वचन दिया गया है। अल्पसंख्यक समूहों के लिए विशेष अधिकारों का वचन दिया गया है। पिछड़ी हुई और पददलित जातियों पर जो अभी तक देशवासियों ने और

विदेशियों ने अन्याय किया है उसको पूर्ण रूप से हटाने तथा उनके लिए उन्नति के अवसरों को प्राप्त करा देने का वचन प्रस्ताव ने दिया है।

देशी राज्यों के लिए भी यह कह दिया गया है कि वे भी आन्तरिक प्रबन्ध में स्वतन्त्र रहेंगे और सब प्रकार के न्यायोचित अधिकार उनके सुरक्षित रहेंगे। हां, उनका वर्त्तमान अन्यायपूर्ण एकतंत्री शासन न चलेगा। क्योंकि एकतन्त्री अन्याय और प्रजा का हित दोनों परस्पर विरोधी हैं। मेरा विश्वास है कि कोई भी देशी नरेश अपनी प्रजा के मौलिक अधिकार अब आगे दबाये रखने का न तो दावा ही पेश करेगा और न साहस ही करेगा। न तो वहां की जनता इस प्रकार का अनुत्तरदायी शासन चलने देगी और न यह विधान-परिषद् भी किसी प्रकार की सहायता ऐसे अनुचित कार्य में कर सकती है।

एक और आपत्ति उठाई गई है; ऐसे प्रस्ताव की क्या आवश्यकता है? और यदि ऐसी आवश्यकता हो भी तो जब तक देशी राज्यों के प्रतिनिधि नहीं आये हैं तब तक ऐसा प्रस्ताव न उपस्थित करना चाहिए। कारण कि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को इस पर विचार करने का अवसर नहीं मिलता है। देशी राज्यों की अनुपस्थिति की आपत्ति बिलकुल निराधार है। यह स्पष्ट है कि कैबिनट मिशन के सन् १६ मई सन् १९४६ के बयानकी धारा १९-२के अनुसार प्रारम्भिक काल में देशी राज्यों के प्रतिनिधि आ ही नहीं सकते। परस्पर बातचीत व समझौता करने के लिए प्रारम्भ में देशी राज्य की (शिष्ट-समिति) निगोशिएटिंग कमेटी से ही हमें बात करनी होगी। इस विधान-परिषद् का बहुत-सा काम होजाने के पश्चात् अन्तिम अवस्था में पहुंच कर कहीं देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का कार्य विधान-परिषद में प्रारम्भ होता है। तब तक अपने उद्देश्यों को देशी राज्यों की जानकारी के लिए तथा उनकी प्रजा की जानकारी के लिए तथा अन्य सम्बधित मनुष्यों तथा समूह की जानकारी के लिए प्रकट न करना बुद्धिमत्ता नहीं है। ऐसा न करने से अनेक प्रकार के कुविचार और शंकाएं उत्पन्न होने की सम्भावना हो सकती है। हमारे सिद्धांत हमारे मूलाधार रूपी तत्त्व जगत् के सामने इस प्रस्ताव द्वारा रख दिए गए हैं। हर व्यक्ति इसे समझे, तौल ले, फिर हमारा साथ दे।

एक यह भी आपत्ति उठायी गई है कि मुस्लिम लीग के सदस्य यहां उपस्थित नहीं है, इसलिए यह प्रस्ताव अभी न लाया जावे। प्रथम

[श्री आर० वी० धुलेकर]

यह आपत्ति निरर्थक है। जब मुस्लिम लीग ने केबिनेट मिशन के बयान के आधार पर चुनाव में भाग लिया और नियमों को मानकर चुनाव भी कर लिया तो उनके प्रतिनिधियों का सम्मिलित न होना अनुचित है। मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों ही द्वारा प्रतिनिधियों के चुने जाने का अधिकार उन्हें दिया गया। ऐसी दशा में उनकी अनुपस्थिति का उत्तरदायित्व उन्हीं पर है। विधान-परिषद् के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि किसी सदस्य को उपस्थित होने पर बाध्य करे। यदि वह नहीं आता है तो वह अपने अधिकारों से स्वयं वंचित रहता है। अन्य सदस्यों का कोई अपराध नहीं है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को भी हानि पहुंचाता है।

द्वितीय यह कि ६ दिसम्बर सन् १९४६ ई० के ब्रिटिश-मन्त्रिमंडल में बयान के बाद तो रही-सही आपत्ति भी नहीं रह गयी। कांग्रेस ने उक्त ६ दिसम्बर वाले बयान को प्रस्ताव द्वारा मान लिया और मुस्लिम लीग को अवसर दिया कि वह अपने प्रतिनिधियों को विधान-परिषद् में सम्मिलित होने के लिए आज्ञा दे। विधान-परिषद् की प्रारम्भिक बैठक वर्त्तमान प्रस्ताव सहित लगभग एक मास के लिए स्थगित भी कर दी गयी। हमें दुःख है कि राष्ट्रीय महासभा ने जो सद्भावना तथा मित्रता का हाथ बढ़ाया उसका आदर मुस्लिम लीग ने नहीं किया। हो सकता है कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने अपना हाथ भी बढ़ाने का निश्चय कर लिया हो और अंतिम निर्णय करने के लिए उसे काफी समय न मिला हो। हम अब भी विश्वास करते हैं कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शीघ्र ही विधान-परिषद् में अपना योग्य स्थान लेंगे और अपने राष्ट्र को स्वतन्त्र, शक्तिमान और सुसम्पन्न बनाने में सहायता करेंगे।

भारतीय स्वयं विभाजित हैं, वे एक नहीं हो सकते। ऐसी निरर्थक कालिमा लगाने का अवसर शत्रुओं को काफी दिया जा चुका है। अब भी समय है कि हम उसे धो डालें। मुस्लिम लीगी भाइयों से यही मेरी करबद्ध प्रार्थना है।

इसी सिलसिले में एक बड़ा ही कुत्सित अन्यायपूर्ण आक्षेप किन्हीं स्वार्थी अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा है। उनमें ऐसे प्रसिद्ध राजनैतिक व्यक्ति भी हैं जैसे, लार्ड साइमन और मि० चर्चिल। वे कहते हैं कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में विधान-परिषद् एक "दुमकट जीव" (ट्रंकेटेड बाडी) है। ऐसी सभा के निर्णयों का

क्या मूल्य हो सकता है! इसका बनाया हुआ विधान ब्रिटिश सरकार कदापि न मानेगी और न कार्यान्वित ही करेगी। इस प्रकार के आक्षेप से निम्नतर और क्षुद्र कौन-सा आक्षेप हो सकता है! सभ्यता के परे तो है ही, बुद्धिमत्ता तथा राजनीति के तत्त्वों के भी विरुद्ध है। इसी श्रेणी के राजनैतिक मूर्ख पण्डितों ने बुद्धि और शक्ति से कमाये हुए बड़े-बड़े साम्राज्य और स्वतन्त्र देश रसातल को पहुँचा दिए। हमारे देखते-देखते रूसी जारशाही और हिटलर, मुसोलिनी और मेकाडो की तानाशाही डूब गयी। ब्रिटिश साम्राज्य-शाही का बेड़ा भी धीरे-धीरे अन्याय रूपी समुद्र में अब आन्दोलन रूपी ज्वारभाटे के थपेड़ों से नीचे बैठता जाता है। साम्राज्य तो डूबने से बच नहीं सकता। जर्मनी, जापान और इटली के इतिहास से कुछ सीखकर इंग्लैण्ड के राजनैतिक कर्णधार मि० एटली आदि यदि इंग्लैंड देश को, इंग्लैंड की जनता को, बचा लें तो बहुत अच्छा। सलाह देना हमारा काम है, आगे सुनने वाला सुने या न सुने।

मानवी इतिहास स्वयं लेखक है। उसकी लेखनी बिनचूक लिखती रहती है। निठुर सत्य ही लिखती है। बड़े और छोटे का मुंह नहीं देखती। महाभारत के लेखक व्यास ने अपनी निठुर लेखनी द्वारा जीवन में केवल एक बार असत्य बोलने के लिए, वह भी मिश्रित "नरो वा कुंजरो वा" के लिये सत्यवादी युधिष्ठिर को सदैव के लिए मिथ्यावादियों की पंक्ति में रखकर नर्क का भोग करा दिया।

ब्रिटेन के सामने इस समय भारत के साथ ४० करोड़ मनुष्यों के साथ न्याय बरतने का अवसर है। संधि हाथ से न जाने देना उसके हाथ में है, नहीं तो, 'का पछिताये होत है, जब चिड़ियां चुग गईं खेत'।

प्रस्ताव के उस अंग को ध्यान में रखकर जिसमें अल्पसंख्यक समूहों और पिछड़ी हुई तथा पद-दलित जातियों के लिए विशेष सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है, मैं दो-चार शब्द उनके प्रतिनिधियों से कहता हूं।

सुरक्षाधिकार, सेफगार्ड्स, का प्रश्न तभी उठता है जब अन्याय का भय हो। यदि ऐसा भय न हो तो कोई भी मनुष्य विशेष अधि-कार नहीं चाहता। इतिहास के पन्ने उलटिये। आप स्पष्ट पायेंगे कि कुछ असमानतायें ऐसी हैं जो समाज ने स्वयं स्वार्थवश अथवा मूर्खतावश उत्पन्न कर दी हैं जैसे, अस्पृश्यता। समाज के किसी बड़े अंग को अछूत बना देना और उसके मानवाधिकार छीन लेना कदापि क्षम्य नहीं है। उन अधिकारों को मानकर लौटा देने से ही

[श्री आर० वी० धुलेकर]

अपराध की भरपायी हो सकती है अन्यथा नहीं। हम ऐसा करने पर कटिबद्ध हैं । किन्तु जिस बिन्दु की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि हमारे समाज ने जो असमानतायें, नीच ऊंच की मर्यादायें बनायीं उसके लिए तो हम अपराधी हैं किन्तु विदेशियों ने यहां आकर अपनी राजसत्ता को कायम करने तथा उसे दृढ़ बनाने के लिए जिन असमानताओं को बढ़ा दिया है, उनके द्वारा परस्पर द्वेष और दुर्भावनाओं को उत्पन्न किया, नयी-नयी गुत्थियां बना दीं, किसी समस्या को मिटाने का प्रयत्न नहीं किया बल्कि उन्हें और गहर बना दिया। ब्राह्मण अब्राह्मण को, छूत अछूत को, हिन्दू मुसलमान को, हिन्दू सिख को, आदिबासी नवीनवासी को, कहां तक कहूं; स्त्री जाति और पुरुष जाति को, भाई भाई को अंग्रेजों ने अपनी दुरंगी कहूं कि नौरंगी, कुटिल चालों से अलग अलग कर दिया। क्या उनका भी अपराध हम अपने सर पर ही थोपना चाहते हैं ? अपराधों का भार ही लेना हो तो मैं अकेला इस भार को अपने सर पर रख लूं। किन्तु उस भार को सर पर रखकर उसी व्यवस्था को अथवा सुरक्षा के विशेष अधिकारों (स्पेशल सेफ-गार्ड्स) को अब भी आगे कायम रखना और चलाना अनुचित है। मैं कहना चाहता हूं और जरा मोटे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि कृपा कर जागिए। जिस सुरक्षा के विशेष अधिकारों (स्पेशल सेफ गार्डस)की आड़में अंग्रेज बहेलिया शिकार खेलता था, जिन विशेषाधिकारों की सुगंध सुंघाकर अंग्रेज ने आपको महानिद्रा के वश में कर लिया था उसी सुगंधियुक्त विष को अब न सूंघिये। यह विधान आप स्वयं बना रहे हैं। अब भेदाभेद मिटा दिया जायेगा। न कोई बहकाने वाला है और न किसी को बहकाने की आवश्यकता है। विशेषाधिकारों से असमानता नहीं मिट सकती। गड्ढों और टीलों को सुरक्षित रखकर समतल कैसे बनाया जा सकता है? आइये, हम सब मिलकर निर्भयहोकर असमानता हटायें, सबको समानाधिकार प्राप्त करायें।ध्यान रखिए,केवल प्रतिनिधियों की न्यूनाधिक संख्या से सुरक्षा (सेफ्टी) नहीं मिल सकती। संख्या की खींचातानी तो खाई खोदती है, भरती नहीं।

सन् १९१६ ई० में राष्ट्रीय महासभा ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मान लिया और विशेष प्रतिनिधि संख्या भी दी। ३० वर्ष में उसने हिन्दू मुसलमानों को गृहयुद्ध (सिविल वार) तथा देश के बंटवारे (पारटीशन) तक पहुंचा दिया। भाई को भाई के खून का

प्यासा बना दिया। जो चाल लार्ड मिंटो ने सन् १९०६ में चली थी वह काम कर गयी।

कुछ सज्जन कहते हैं कि विधान-परिषद् स्वतंत्र और शक्ति-सम्पन्न सभा नहीं है। वह तो अंग्रेजों के द्वारा निर्माण किया हुआ जंतु (क्रीचर) है। इसका जीवन ही निरर्थक है। फिर इसके द्वारा निर्मित्त विधान का क्या मूल्य है?

ऐसे सज्जनों को मैं बुद्धिहीन तो कह नहीं सकता। ऐसी धृष्टता मैं न करूंगा। किन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि भारतीय इतिहास से वे अनभिज्ञ अवश्य हैं। अधिक दूर न जाकर संक्षेप में इतना कह देना पर्याप्त समझता हूं कि १००० वर्ष पूर्व, जब कि किन्हीं कारणों से भारतीय समाज विश्रृङ्खल हो गया था और विदेशियों के आक्रमण को न सहकर उसके आधीन हो गया था, उसी समय से स्वाधीन होने की अग्नि निरन्तर भारतीयों के हृदय में जलती आ रही है। कभी बुझी नहीं। एक ओर उस अग्नि का स्वरूप साधु-संतों की परम्परा में प्रगट होता रहा है। स्वामी रामदास, गोस्वामी तुलसीदास, गुरु-नानक, स्वामी दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ आदि प्रभृति इस परम्परा के प्रतिनिधि हैं। दूसरी ओर शिवाजी, गुरू गोविंदसिंह, राणा प्रताप, झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, राजा राममोहन राय, लोकमान्य तिलक, पं० मोतीलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस प्रभृति इस अग्नि के राजनैतिक स्वरूप में प्रगट हुए। महात्मा गांधी और खान अब्दुलगफ्फारखां तो संत भी हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर तथा अन्य जिन-जिन विदेशी शासकों ने अपने को भारतीय मानने का जितने-जितने अंश में प्रयत्न किया उसी-उसी मात्रा में देशवासियों ने उन्हें अपनाया। अंग्रेजी शासन काल का भी यही इतिहास है। कोई भी दिन आज तक ऐसा नहीं मिल सकता जिस दिन कोई भी भारतीय अंग्रेजों के जेल में इस स्वतन्त्रता की चाह के कारण यातनाएं न सह रहा हो। स्वतन्त्रता का युद्ध इन २०० वर्षों में जारी रहा है। कांग्रेस के ६० वर्ष का इतिहास बलिदानों का इतिहास है। खुदीराम बोस, भगत-सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, तथा अन्य सहस्रों वीरों ने अपना बलि-दान चढ़ा दिया है। लाखों कांग्रेस-जनों ने अदम्य साहस और धैर्य का परिचय दिया है। बलिदानों के कारण इंग्लैंड धीरे-धीरे अपनी शक्ति मजबूर होकर छोड़ता जाता है। सन् १८९९, १९०९, १९१९ और सन् १९३४ के कानून सिद्ध करते हैं कि शनैः-शनैः भारतवासी इंग्लैंड के हाथ से शक्ति छीनते जाते हैं। सन् १९४०-४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन ने

[श्री० आर वी० धुलेकर]

तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ने, जो महायुद्ध से पैदा होगयी, इंग्लैंड को मजबूर कर दिया कि वह भारत को अब छोड़ दे। यह विधान-परिषद् इंग्लैंड के हाथों में से छीनी हुई शक्ति है। यह न तो दान है और न भेंट है।इंग्लैंड के हाथ इतने सबल नहीं हैं कि वह इसे वापिस ले सके। हमारा बनाया हुआ विधान इंग्लैंड को मानना पड़ेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। अमेरिका में युनाइटेड नेशन्स की सभा में जो अभी हौल में भारत की जीत हुई है, वह सिद्ध करती है कि भारत अब ब्रिटिश साम्राज्य का घरेलू मामला (फैमिली कंसर्न) नहीं है। भारत स्वयं बलवान और स्वतन्त्र राष्ट्र के पद को प्राप्त कर चुका है। श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित ने जो कार्य इस सम्बन्ध में किया है उसकी प्रशंसा के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं। भारत का माथा उन्होंने ऊंचा किया है और उनकी अमरकीर्ति भारत के इतिहास में सदैव सुवर्ण अक्षरों में चमकती रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, अब मेरा वक्तव्य समाप्ति पर है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। दो बातें कह कर समाप्त कर दूंगा।

पहली बात तो यह है कि समस्त भारतवासियों को और विशेष कर मुसलमान, सिख, दलित जातियों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को निर्भय हो जाना चाहिए। प्रातःस्मरणीय महात्मा गांधी, पूज्य खान अब्दुलगफ्फारखां, पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभभाई पटेल सरीखे नेताओं के हाथों में सबके अधिकार सुरक्षित हैं। इस प्रस्ताव द्वारा यह विधान-परिषद् घोषणा करती है और वचन देती है कि सबके साथ समान न्याययुक्त व्यवहार होगा, किसी पर कोई अन्याय न होगा।

ऐसी घोषणा की आवश्यकता अन्य राष्ट्रों को भी प्रतीत हुई। आइरिश रिपब्लिक की जनवरी २१, सन् १९१९ ई० की घोषणा को सदस्य देखें।

विधान-परिषद् के सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि हम हिन्दुस्तानी स्वतन्त्र होने के लिए हिमालय पर्वत की नाईं दृढ़, ऊंचे और शक्ति-सम्पन्न हैं। इंग्लैंड भी मेरे इन शब्दों को याद रखे।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*डा० एच० सी० मुखर्जी (बंगाल : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे अपने सम्प्रदाय का सम्बन्ध है, मैंने हमेशा "छोटे बालकों से मिलना चाहिए उनकी बात न सुनी जानी चाहिए" अंग्रेजी की

कहावत के सिद्धान्त के अनुसार व्यवहार करने का प्रयत्न किया है। इस विशेष अवसर पर मैं पण्डित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपस्थित किये गये प्रस्ताव के समर्थन में कुछ कहने के लिए विवश हूँ, क्योंकि दुनिया को मालूम होना चाहिए कि इस प्रस्ताव को हिन्दुस्तान के महान दलों का ही नहीं बल्कि छोटे अल्पसंख्यक समुदायों और लघु धार्मिक व सामाजिक समूहों का भी, जिनमें से एक का सदस्य मैं स्वयं हूं, समर्थन प्राप्त है। यही कारण है कि मैं भाषण देने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो भी कुछ कहा जा सकता है, वह मुझ से पहले बोलने वाले लोग विस्तार से कह चुके हैं। मेरी अपनी दिलचस्पी प्रस्ताव के पांचवे और छठे पैरों में है। मेरा आकर्षण इन्हीं बातों की ओर है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि अभी तक हमें कांग्रेस से जो नेतृत्व मिला है वह कांग्रेस के पास तभी तक कायम रह सकता है जब तक कि वह इन पैरों में बताये सिद्धान्तों पर चलती रहेगी।

जहां तक दूसरी बातों का सम्बन्ध है, मुझे अभी उनमें दिलचस्पी नहीं है। अभी तो मुझे यह देखकर दुःख होता है कि हमारे बीच हिन्दुस्तान में कठिनाई पैदा हुई। यहां मैं विभिन्न सम्प्रदायों का नाम नहीं लूंगा, किंतु मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि अल्पसंख्यक समुदाय चाहे छोटे हों या बड़े—उनकी कठिनाइयां नागरिक व राजनैतिक अधिकारों के उपभोग के सम्बंध में हैं। ये अधिकार मौलिक हैं और उन्हें हरेक सामाजिक व धार्मिक समुदाय पर लागू किया जा सकता है। जहां तक धार्मिक अधिकारों का सम्बन्ध है, हमें उपासना की स्वाधीनता प्राप्त है। आजकल हरेक मजहब लड़ाकू है। वे दिन लद चुके जब ईसाई मिशनरी, मुस्लिम मौलवी या सिख गुरु बिना किसी भय के बहुसंख्यक हिन्दू सम्प्रदाय पर हमले करते थे। आज प्रत्येक सम्प्रदाय लड़ाकू है और उसे दूसरों का धर्म-परिवर्त्तन करके उन्हें अपने में मिलाने की आजादी है। मेरी समझ में नहीं आता कि हम लोग—यहां मेरा मतलब ईसाईयों से है—इस सम्बन्ध में अपने प्रचार करने के अधिकारों के विषय में सन्देह क्यों करें।

कांग्रेस राष्ट्रीयता की अग्रदूत रही है और जब तक वह देश की उन्नति का नेतृत्व करती रहेगी तब तक मैं उस पर कोई शक या शुबहा नहीं करूंगा। वह शेष भारत का ही नहीं बल्कि छोटे-से-छोटे सम्प्रदाय का, जिसमें मेरा अपना सम्प्रदाय भी शामिल है, समर्थन प्राप्त करेगी।

[श्री आर० वी० धुलेकर]

*श्री प्रमथरंजन ठाकुर (बंगाल : जनरल) : इस प्रस्ताव पर हम कब तक बहस करते रहेंगे ?

*अध्यक्ष : मैं नहीं जानता। (हंसी)

*श्री आर.कृष्ण शर्मा (संयुक्तप्रान्त : जनरल) : क्या कोई सदस्य अब बहस समाप्त करने का प्रस्ताव कर सकता है ?

*अध्यक्ष : अवश्य, कोई भी सदस्य बहस समाप्त करने का प्रस्ताव कर सकता है।

*श्री एच० वी० पातस्कर (बम्बई : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपस्थित किये गये इस प्रस्ताव के समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव पर विभिन्न स्वार्थों व विचार-धाराओं के अनेक व्यक्ति मत प्रकट कर चुके हैं। मैं तो इसके सिर्फ कुछ ही पहलुओं पर और वह भी थोड़े से शब्दों में विचार प्रकट करूंगा।

पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि इस अवसर पर इस प्रस्ताव की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस प्रश्न का यही उत्तर है कि हमारा कार्य इतना महान् और पेचीदा है कि अभी इस प्रस्ताव को पास करना आवश्यक होगया है। श्रीमान्, आइये देखें कि हमें क्या करना है। हमारे कंधों पर भारत की लगभग ४० करोड़ जनता के लिए, जो सारे संसार की जनसंख्या की पांचवां भाग भी है, विधान बनाने की महान् जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, यह ४० करोड़ जनता धार्मिक दृष्टि से हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख व अन्य सम्प्रदायों व उप-सम्प्रदायों में बंटी हुई है। भारत की लगभग तिहाई भूमि में रियासतें हैं। ये रियासतें आधुनिक समय के प्रतिकूल हैं और मुझे बताया गया है कि उनकी संख्या लगभग ५१६ है। उनकी आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल विभिन्न और एक दूसरे के विपरीत है। मुझे ज्ञात हुआ है कि उनमें से कुछ की वार्षिक आय १००) रुपये से भी कम है। जहां तक शासन का सम्बन्ध है, इनमें से कुछ में स्वेच्छा-चारितापूर्ण व वैयक्तिक शासन भी है। अन्य रियासतों में हमें वैध शासन का प्रयत्न दिखाई देता है। इसके अलावा, ये ४० करोड़ मनुष्य उन्नति की विभिन्न अवस्थाओं को पहुँचे हुए हैं, जैसा कि पिछड़ी हुई जातियों व कबीलों के प्रदेशों के लोगों द्वारा उपस्थित किये गये दावों से स्पष्ट है। आर्थिक दृष्टि से भी हमारी अवस्थायें विभिन्न हैं। जहां हममें एक तरफ कुछ करोड़पति हैं, वहां दूसरी तरफ ऐसे भी

हैं जो भूखों मरने के निकट पहुँच चुके हैं या भूखों मर रहे हैं। शासन की दृष्टि से कहा जा सकता है कि विदेशियों की कृपा से हमें ऐसे प्रान्तों में विभाजित कर दिया गया है, जिनमें विषमताओं की कमी नहीं है, और इससे अनेक नयी समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं। ऐसे महान् राष्ट्र के लिए, जिसके अंग्रेजों के आने से पूर्व के काल में विदेशी आक्रमणों द्वारा किन्तु मुख्यतः ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा खंड और उप-खंड हो चुके हैं, हमें विधान तैयार करना है, और ऐसा विधान तैयार करना है जो इनमें से बहुतों के उपयुक्त हो और उनको मान्य हो, या जो इनमें से अधिक-से-अधिक व्यक्तियों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की तुष्टि कर सके।

यह स्वाभाविक है कि जब हम ऐसे विशाल जनसमूह के लिए विधान तैयार करने के कार्य का श्रीगणेश करते हैं तो ये खंड-उपखंड और भाग-उपभाग और भी बढ़ जाते हैं। वास्तव में इस भाग अथवा उस भाग या उपभाग के स्वार्थों की रक्षा के लिए जो भी कुछ मिल सके, प्राप्त करने के लिए छीना-झपटी मची हुई है। इनमें से कितने ही स्वार्थ तो परस्पर विरोधी हैं, जैसाकि हम परिषद् में प्रकट किये गये विचारों से भी जान चुके हैं। हम जानते ही हैं कि भारत अज्ञानता और निर्धनता का देश है और देश की ऐसी हालत में तथाकथित राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ लोगों का धार्मिक उन्माद से अनुचित लाभ उठाना बिल्कुल आसान है। संसार में ऐसा कोई भी अच्छा व आधुनिक विधान नहीं है, जो किसी एक धर्म पर आधारित हो। प्रत्येक धर्म का आधारभूत सिद्धांत, प्रादेशिक सीमाओं का विचार किये बिना, संसार की सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना है। हम "ईश्वर" को चाहे जिस नाम से पुकारें, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि मानव-समाज में भ्रातृत्व की भावना का प्रचार हो। धर्म का आरंभ मनुष्य जाति को ऊंचे स्तर तक उठाने के लिए होता है, किन्तु इसी धर्म को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध जघन्य-से-जघन्य पाप करने और मनुष्य को गिराकर पशु बना देने के लिए किया जा रहा है।

इस प्रकार हमारे सामने एक व्यापक व पेचीदी समस्या है। हमारे सामने मुसलमानों और हिन्दुओं के विरोध, हिन्दुओं और हिन्दुओं के विरोध की समस्या है। ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों, दलित जातियों, और पिछड़ी हुई जातियों की समस्या है। हमें स्त्रियों के अधिकारों की भी समस्या को हल करना है।

प्रत्येक समुदाय व वर्ग अपने अधिकारों का ही ध्यान रखता है

[एच० वी० पातस्कर]

और अपने लिए एक अधिकारपत्र पाने का दावा करता है। श्रीमान्, मुझे भय है कि विभिन्न समुदायों के लिए अधिकार प्राप्त करने की इस छीना-झपटी में कहीं साधारण व्यक्ति के अधिकारों की उपेक्षा न हो जाय—और आज सब से अधिक आवश्यकता साधारण व्यक्ति के अधिकार-पत्र की है। जहां तक मैं समझता हूं, इस प्रस्ताव का उद्देश्य सिर्फ भारतीयों को ही नहीं बल्कि सारे संसार को यह बता देना है कि हम क्या करने जारहे हैं। जिस किसी को भी हमारे इरादोंके बारे में भ्रम होगा वह इस प्रस्ताव द्वारा दूर हो जायगा और नेताओं के वक्तव्यों या प्रति-वक्तव्यों से जो काम नहीं हो सका है वह इस एक प्रस्ताव द्वारा हो जायगा। लोगों को इस व्यापक प्रस्ताव से विश्वास हो जाना चाहिए कि हम जो विधान बनाने जा रहे हैं उसमें प्रत्येक भारतीय नर-नारी के हित की—जाति, धर्म, सम्प्रदाय आर्थिक व सामाजिक पद का, भेदभाव किये बिना—रक्षा हो सकेगी। जिन लोगों ने परिषद् से बाहर रहने का फैसला किया है, यदि उनकी इससे तुष्टि नहीं हुई तो वह किसी भी प्रकार न हो सकेगी। हम प्रत्येक समुदाय के प्रति न्यायपूर्ण व उचित व्यवहार करने की चेष्टा करेंगे। परन्तु साथ ही हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि धमकियों से अथवा दबाव में आकर कहीं कोई गलत कार्य न कर बैठें। इस प्रकार अपने लक्ष्य का स्पष्टीकरण करके अपना कार्य करते हुए हम स्वाधीनता की ओर निर्भयतापूर्वक बढ़ेंगे और हमारे पथ में जो कठिनाइयां उपस्थित की जायंगी उन का सामना करेंगे। हम अपने स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और संसार में जो हलचल मची हुई है उसे दूर करने में स्वतंत्र भारत महत्त्वपूर्ण भाग ले सकेगा। श्रीमान्, इन शब्दों द्वारा मैं माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपस्थित किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री एस० एच० प्रेटर(मद्रास : जनरल) : श्रीमान्, इस प्रस्ताव पर प्रारंभिक वाद-विवाद में मेरे सम्प्रदाय के एक प्रतिनिधि ने विचार स्थगित रखने के डा० जयकर के संशोधन का समर्थन किया था। अब हम अनुभव करते हैं कि विचार स्थगित करना नियमविरुद्ध और अनुचित होगा, (वाह वाह) और परिषद् को इस प्रस्ताव को तुरन्त ही स्वीकार कर देना चाहिए।

प्रस्तावमें इस परिषद्का उद्देश्य निहित है अर्थात् यह कि शासनकी ऐसी प्रणालीको जन्म दियाजाय और उसकी स्थापनाकी जाय, जिससे

भारत को एक स्वतंत्र सार्वभौम-सत्तासम्पन्न राज्य का पद प्राप्त हो। यह प्रस्ताव स्वीकार करके यह परिषद् इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहला कदम उठायेगी और घोषित करेगी कि भारत को घरेलू मामलों में पूर्ण नियन्त्रण और अधिकार प्रदान करने की तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करने की हमारी इच्छा है।

यह स्वाधीनता-प्राप्ति इस बात पर निर्भर रहेगी कि हम अपनी स्वशासन की समस्या को हल कर पाते हैं या नहीं। प्रस्ताव में इस हल का आधार भी बताया गया है। यह प्रस्ताव वस्तुतः एक समझौता है। इसकी मुख्य बातें मंत्रि प्रतिनिधि मंडल के प्रस्तावों के अंतर्गत आती हैं, जिनमें कांग्रेस और लीग के दावों के मध्य का रास्ता निकाला गया है। सम्भव है कि ये प्रस्ताव इस दल या उस दल के लिए अरुचिकर हों; परन्तु वर्त्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि लोग उस सत्य को स्वीकार करें, जो उन्हें सबसे अधिक अरुचिकर है और अपने आदर्शों का सब के हित के लिए बलिदान करें। दो सत्य ऐसे हैं, जिन्हें अवश्य मान लेना चाहिए और यह दोनों ही सत्य इस प्रस्ताव में सम्मिलित कर लिये गए हैं। इनमें पहला सत्य तो यह है कि जो भी विधान बने उसका आधार प्रान्तीय स्वायत्त शासन होना चाहिए और दूसरा यहकि आंतरिक विषयों में सभी स्वतन्त्र प्रान्तों तथा रियासतों के एक संघ की स्थापना होनी चाहिए। हिन्दुस्तानके इतिहास ने हमें सबक सिखाया है कि मौर्य सम्राटोंके समयसे अंग्रेज़ोंके शासन-काल तक भारत ऐसे पृथक् राज्यों, राजतंत्रों और प्रान्तों का देश रहा है जिनमें सदासे पृथक् राष्ट्रीय विशेषताएँ और प्रथक् राष्ट्रीय संस्कृतियां विद्यमान रही हैं और इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रादेशिक-प्रेम की भावनाएं भी बढ़ती रही हैं। आज भारत का जो राष्ट्रीय विकास हम देख रहे हैं वह साम्प्रदायिक मतभेदों के कारण नहीं बल्कि इस प्रादेशिक-प्रेम ही का परिणाम है। बृटिश राज्य और शासन के प्रारम्भिक काल में केन्द्रीकरण की नीति का अवलम्बन किया गया था, किन्तु विकेन्द्रीकरण की अजेय शक्तियों के आगे केन्द्रीकरण-नीति को हार माननी पड़ी और केन्द्र से अधिकाधिक शक्ति प्रान्तों को मिलती गई और प्रान्तीय शासनों की स्वतंत्रता दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही गई। प्रान्तीय स्वायत्त शासन हमारे ऊपर कहीं बाहर से नहीं लादा गया, बल्कि उसका विकास देश की नैसर्गिक आवश्यकताओं के कारण हुआ—एक ऐसे देश की आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप, जिसमें कितनी ही रियासतें और प्रान्त थे और, जिसमें कितनी ही ज्ञातियों के लोग रहते थे, जिनकी सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक

[श्री एस० एच० प्रेटर]

आवश्यकताओं की पूर्त्ति केवल स्वायत्त शासन से ही हो सकती थी। इस प्रस्ताव में प्रान्तीय स्वायत्त शासन तथा अवशिष्ट अधिकार जो प्रान्तों को दिये गए हैं, इस से इस आवश्यकता की पूर्त्ति होती है। परन्तु यदि इतिहास ने हमें यह सिखाया है कि केवल प्रान्तीय स्वायत्त शासन के आधार पर नये विधान का निर्माण हो सकता है तो साथ ही उसने यह भी प्रामाणित कर दिया है कि इन सभी प्रान्तों का एक संघ और एक ऐसा राज्य भी बनना आवश्यक है, जिसमें एक ही केन्द्रीय सरकार रहे। विभिन्न प्रान्तों के मध्य संतुलन रखने वाली केन्द्रीय सत्ता का जब भी अभाव रहा है तब ही संघर्ष और विग्रह रहा है और देश के लिए इसका दुष्परिणाम दिखाई दिया है। इस प्रस्ताव में जैसे संघ की कल्पना की गई है केवल वैसे संघ द्वारा ही हम इस देश की जनता के लिए शान्ति और समृद्धि की आशा कर सकते है। केवल ऐसे संघ द्वारा ही हम राष्ट्र की अखंडता कायम रखते हुए विदेशी आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकते हैं। केवल ऐसे संघ द्वारा ही भारत संगठित होकर विश्व-राजनीति में प्रमुख स्थान प्राप्त कर सकता है। इस संघ के विरुद्ध चाहे जो भी शक्तियां क्यों न हों, किन्तु उसकी स्थापना होगी अवश्य, क्योंकि उसका आधार वास्तविकता और सत्य है। वह मनुष्य की गहरी आवश्यकताओं पर आधारित होगा। परन्तु यदि हमारे संघ को सिर्फ भौगोलिक ही नहीं, बल्कि मनुष्यों के मस्तिष्कों और हृदयों का वास्तविक संघ बनना है तो उसकी नींव में संदेह अथवा इस या उस दल का लाभ न होकर सहानुभूति, समझदारी और समझौते की वह भावना होनी चाहिए जिसमें राजनीतिज्ञता का सार निहित है।

इस तरह मैं अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर पहुंच जाता हूँ। प्रस्ताव में देश के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार पर जोर दिया गया है। उस में अल्पसंख्यकों के हितों की पूर्णरूप से रक्षा पर भी जोर दिया गया है। इस प्रश्न का सम्बन्ध सिर्फ लघु अल्पसंख्यक समुदायों से ही नहीं है, बल्कि इसका सम्बन्ध जनता के मुख्य भागों—हिन्दुओं और मुसलमानों से भी है, जो देश के विभिन्न भागों में अल्प-संख्यकों की स्थिति में होंगे। इस प्रकार अल्पसंख्यकों की रक्षा विधान की सब से महत्त्वपूर्ण समस्या बन जाती है, क्योंकि यदि हम एकता को अपना लक्ष्य मानते हैं तो यह एकता केवल उसी हालत में प्राप्त हो सकती है, जबकि प्रान्तों अथवा प्रान्तों के समूहों में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक व सामा-

जिक आवश्यकताओं की पूर्ति की यथोचित व्यवस्था की जाय। अतः यह समस्या इस परिषद् की सद्भावना, सहानुभूति तथा समझदारी पर निर्भर रहेगी। हमारी सभा सार्वभौम-सत्ता सम्पन्न है, किन्तु हमें अपना कार्य साधारण व्यवस्थापकों की भांति न करना चाहिए, जो किसी भावना से अनुप्राणित नहीं होते और जिन्हें सिर्फ बहुमत का ही ध्यान रहता है। हमें अपना कार्य समझौते की बातें करने वालों की तरह करना चाहिए, जो प्रत्येक निर्णय करते समय उन लोगों की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं, जिन पर उनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। ऐसी परम्परा स्थापित कर लेने पर हमारा काम आसानी से होगा। इस परिषद् में हमें देश के विभिन्न समुदायों के बीच समझौता करने के साधन प्राप्त हैं। आइये, हम सब मिलकर प्रयत्न करें और इन सामूहिक प्रयत्नों द्वारा समझौते की भावना से प्रेरित होकर सर्वसाधारण का कल्याण करें। (हर्ष-ध्वनि)

*अध्यक्ष : मेरा खयाल है कि माननीय डा० जयकर अपने संशोधन के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य देना चाहते हैं। यह वक्तव्य वे अब दे सकते हैं।

*माननीय डा० एम० आर० जयकर (बम्बई : जनरल) : श्रीमान्, आपने मुझे जो कुछ मिनट अपने संशोधन के सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिए दिये हैं इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। यह वक्तव्य मुझे उस संशोधन के सम्बन्ध में देना है, जो मैंने इस बहस की आरम्भिक अवस्था में पेश किया था। इस सभा को स्मरण होगा कि यह संशोधन कुछ खास बातों के कारण पेश किया गया था, जिनमें पहली बात मुस्लिम लीग व रियासतों को कार्यवाही में सुगमता से सम्मिलित होने का अवसर देना था। जहां तक मुस्लिम-लीग का सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि सभा ने मेरे संशोधन में उपस्थित किये गये सुझाव को बहुत कुछ स्वीकार कर लिया था। परिषद् ने अपनी कार्रवाई २० जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी। अब परिषद् और भी आगे बढ़ चुकी है और उसने सम्राट् की सरकार का ६ दिसम्बर वाला वक्तव्य भी स्वीकार कर लिया है। परिषद् ने यह सब किया, किन्तु मुस्लिम् लीग अभी तक नहीं आई। लीग आना चाहती भी है या नहीं—इसे कोई नहीं जानता। लीग ने २९ जनवरी तक अपने इरादों पर प्रकाश न डालने का निश्चय किया है, यद्यपि लीग भली भांति जानती थी कि उसकी बैठक से ९ दिन पहले—यानी इस महीने की २० तारीख को इस परिषद् की बैठक हो

[डा० एम० आर० जयकर]

रही है। अपने भाषण के बीच में मैंने समझौते के रूप में एक सुझाव उपस्थित किया था कि यदि परिषद् मंत्रि प्रतिनिधि-मंडलके वक्तव्य के १९वें पैरे की छठी उप-धारा के अनुसार सेक्शनों की बैठकें होने और उनके विधान बनने तक ठहरने को तैयार न हो, क्योंकि ऐसा बहुत देर बाद होगा—तो परिषद् को कम-से-कम अपने अगले अधिवेशन यानी २० जनवरी तक तो अवश्य ही ठहरना चाहिए, क्योंकि इससे मुस्लिम लीग को विचार करके निश्चय करने का समय मिल जायगा। चूंकि सुझाव मैंने किया था और परिषद् ने उसे स्वीकार कर लिया था इसलिए सम्मान का तकाजा है कि मैं अपने संशोधन को और आगे न बढ़ाऊं। (हर्ष ध्वनि) साथ ही मैं यह भी नहीं प्रकट करना चाहता कि जिन इरादों से प्रेरित होकर मैंने अपना संशोधन उपस्थित किया था उनसे मैं मुंह मोड़ रहा हूं, किन्तु मैंने जो सुझाव किया था, उसे परिषद् ने मानकर अपना वचन पूरा कर दिया है। इसलिए मैं अपने संशोधन को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। परन्तु ऐसा करते समय मैं सभा के आगे कुछ विचार रखना चाहता हूं। यदि उन विचारों को परिषद् पसन्द करे तो परिषद् को जो भी उचित जान पड़े वह स्वयं निश्चय कर सकती है। ये विचार कुछ थोड़े से हैं और मैं आपसे कुछ मिनट तक धैर्य रखने का अनुरोध करता हूं।

*अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य कोई नया प्रस्ताव कर रहे हैं?

*माननीयडा० एम० आर० जयकर : श्रीमान्, मैं कोई नया प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ यही सुझाव उपस्थित करना चाहता हूं कि परिषद् के सामने जो प्रस्ताव उपस्थित है उसके सम्बन्ध में कोई निश्चय करते समय परिषद को कुछ विचारों......।

*माननीय पं० गोविन्दवल्लभ पंत (संयुक्त प्रान्त : जनरल) : श्रीमान्, क्या मैं कह सकता हूं कि जहां तक मैं समझता हूं, डा० जयकर ने अपना संशोधन वापस ले लिया है। संशोधन वापस लेने के बाद उनके लिए नया भाषण देना अनुचित ही नहीं नियम-विरुद्ध भी होगा। पिछले अधिवेशन में जब उन्होंने भाषण दिया था तो उस समय उन्हें अपने विचार पूरी तरह प्रकट करने का अवसर मिला था। अब संशोधन वापस लेने के बाद......(कृपया माइक्रोफोन पर चले जाइये)......मैं कह रहा था कि डा० जयकर अपना संशोधन वापस ले चुके हैं। किसी व्यक्ति को जो भाषण दे चुका हो यदि वह चाहे तो अपना संशोधन वापस लेने का अवसर दिया जा सकता है।

अपना संशोधन वापस लेने के बाद उन्हें नया संशोधन इस अवस्था में पेश करके परिस्थिति को और न उलझा देना चाहिए। वे अपने विचार संशोधन के संक्षिप्त रूप में उपस्थित करें या नहीं—इससे कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता। यदि वे इस अवस्था में एक नया सुझाव उपस्थित करके परिषद् को कष्टप्रद परिस्थिति में डाल देते हैं तो यह कठिनाई उसे संशोधन का नाम न देने से दूर नहीं हो जाती। वह संशोधन फिर भी रहता है। अब इसका समय नहीं है। इसलिए विचार प्रकट करने के रूप में भी कोई नया प्रस्ताव उपस्थित करने की आज़ादी उन्हें नहीं मिल सकती। उन्हें जो विशेष अवसर मिला था उसकी अवधि अब बीत चुकी है। अब उनसे अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध किया जा सकता है। (एक आवाज : क्या कोई नया प्रस्ताव उपस्थित किया जा रहा है ?)

*अध्यक्ष : अब कोई नया प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता। मैंने तो डा० जयकर को संशोधन वापस लेते हुए अपनी स्थिति के स्पष्टीकरण का ही अवसर दिया था।

*माननीय डा० एम० आर० जयकर : अपना संशोधन वापस लेते हुए और इसका कारण बताते हुए मुझे इस सभा के आगे उसके विचारार्थ कुछ बातें रखने का भी अधिकार है।

*डा० पी० एस० देशमुख (मध्यप्रान्त व बरार : जनरल) : मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को अपना वक्तव्य पूरा करने का अवसर दिया जाय (वाह,वाह)। सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने संशोधन वापस लेने का अपना निश्चय प्रकट कर दिया है, उन्हें वक्तव्य देने से नहीं रोका जा सकता। अध्यक्ष महोदय ने उन्हें वक्तव्य देने का ही अवसर दिया था। वे कोई नया संशोधन उपस्थित नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने दिया जाय। मान लीजिये कि अपने भाषण के अन्त तक वे संशोधन वापस लेने का उल्लेख न करते तो जिन माननीय सदस्य ने उनका भाषण आगे होने देने पर आपत्ति की है, क्या उनकी आपत्ति नियमानुसार होती ? इसलिए सिर्फ इस वजह से कि डा० जयकर संशोधन वापस लेने के वाक्य का प्रयोग कर चुके हैं, उनके अपना भाषण समाप्त करने और जो कुछ वे कहना चाहते हैं वह कहने देने में कोई आपत्ति न होनी चाहिए। ऐसा करने की उन्हें आज़ादी होनी चाहिए और हम उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं।

[श्री आर० के० सिधवा]

*श्री आर० के० सिधवा (मध्यप्रान्त व बरार : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, पिछले भाषणकर्त्ता से इस सम्बन्ध में मेरा मतभेद है। डा० जयकर निश्चित रूप से कह चुके हैं कि वे दो सुझाव उपस्थित करना चाहते हैं। अब, श्रीमान्, यदि आप उन्हें वे सुझाव उपस्थित करने देते हैं तो आपको अन्य सदस्यों को अवश्य ही उन सुझावों पर उनके औचित्य या अनौचित्य पर—कुछ कहने का अवसर देना पड़ेगा। इस प्रकार यह सभा एक कष्टप्रद स्थिति में पड़ जायगी, जैसा कि माननीय पंतजी ठीक ही कह चुके हैं। डा० जयकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वे दो सुझाव उपस्थित करना चाहते हैं। ये सुझाव क्या हैं—मैं नहीं जानता। ये सुझाव अच्छे या बुरे जैसे भी हों परन्तु जब तक दूसरे सदस्यों को उनके सम्बन्ध में मत नहीं प्रकट करने दिया जाता तबतक उन्हें दर्ज नहीं किया जा सकता। इसलिए माननीय श्री पंत द्वारा उपस्थित किये गये सुझाव का मैं अनुमोदन करता हूं।

*अध्यक्ष : मेरे विचार में इस सम्बन्ध में अब और बहस की आवश्यकता नहीं है। मैं स्थिति को समझता हूं। मेरा विचार है कि डा० जयकर को संशोधन के सम्बन्ध में वक्तव्य देने का अधिकार अब नहीं रह गया है।

अब मैं सभा के सामने यह प्रस्ताव रखूंगा कि वह संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान करती है या नहीं।

परिषद् की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।

*श्री सी० एम० पुनाका (कुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपस्थित किये गये प्रस्ताव का मैं हृदय से समर्थन करता हूं। ऐसा करते समय मैं सभा का ध्यान उस बहस की ओर आकर्षित करता हूं, जो इस सम्बन्ध में परिषद् के बाहर हो चुकी है। इस बात पर आपत्ति की गयी है कि परिषद् को इस प्रकार का प्रस्ताव पास करने का कोई अधिकार है? मेरे खयाल में अपना कार्य आरम्भ करने से पूर्व हमारे लिए एक ऐसा प्रस्ताव पास करना आवश्यक ही है, जिसमें बताया गया हो कि हम यहां किस उद्देश्य से एकत्र हुए हैं। इस विचार से यह कहा जा सकता है कि इस सम्बन्ध में हमारा कार्य सरकारी वक्तव्य के विरुद्ध नहीं है। १६ मई, सन् १९४६ ई० के वक्तव्य में जो कुछ कहा गया है, हम बहुत कुछ उसी का समर्थन कर रहे हैं। सरकारी वक्तव्य में निर्धारित सीमाओं का हमने किंचित् भी अतिक्रमण नहीं किया है।

जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, मैं सभा का ध्यान भारत की जनता में निहित सार्वभौम सत्ता सम्बन्धी अधिकारों की तरफ आकर्षित करताहूँ। सार्वभौम सत्ता सम्बन्धी अधिकारों—खासकर रियासतों में सार्वभौम सत्ता सम्बन्धी अधिकारों के विषय में बाहर कुछ विवाद चल रहा है। ब्रिटिश भारत में सार्वभौम सत्ता जनता में निहित होने पर कोई आपत्ति नहीं करता और जब ऐसा है तो रियासतों में प्रजा की सार्वभौम सत्ता-सम्पन्नता के विरुद्ध क्या तर्क उठाया जा सकता है? श्रीमान्, यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि ऐसी रियासतें हैं, जिनमें राजा जनता पर राज्य करते हैं और ऐसी भी रियासतें हैं जिनमें बिना राजों के ही राजकाज चलता है। परन्तु जनता के बिना राजा की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मानवीय कार्यों में जनता की सार्वभौम सत्ता-सम्पन्नता एक माना हुआ तथ्य है, जिसका पता हमें ऐसे प्रस्तावों द्वारा ही नहीं, वरन् इतिहास से भी लगता है, जिसने प्रामाणित कर दिया है कि जनता ही राज्य की स्वामिनी है और वही राजे-महाराजों को शासन के प्रधान का पद देती है।

श्रीमान्, अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इसका दावा करने के बजाय कि एक अल्पसंख्यक समुदाय में लाखों या करोड़ों व्यक्ति हैं, मेरे विचार में हमें उन लाखों और करोड़ों व्यक्तियों का ध्यान करना चाहिए, जिन्हें अभी जन्म लेना है। हम यहां सिर्फ वर्त्तमान पीढ़ी के ही लिए विधान तैयार नहीं कर रहे हैं। हम यहां बैठ कर भावी पीढ़ियों के लिए भी विधान बना रहे हैं। और यह विधान वर्त्तमान पीढ़ी के साथ-साथ जो भावी पीढ़ियों के लिए बनाया जा रहा है इससे हमारे कर्त्तव्यकी गहनता और भी बढ़ गयी है। इसलिए हमें अधिक विचारशील, अधिक जिम्मेदार और अपने इरादों के सम्बन्ध में अधिक सुनिश्चित होना चाहिए। ऐसा करते समय यह हमारे अधिकार और कार्य-सीमा के भीतर की बात है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कार्य कर रहे हों उसे सामने रखें। सिर्फ एक-दूसरे को और अपनी करोड़ों जनता को ही नहीं बल्कि संसार को भी हमें अभी से बताना है कि हमारे सिद्धांत क्या हैं और हम किसलिए यहां एकत्र हुए हैं। इस प्रस्ताव में हमारे चिरकांक्षित उद्देश्य निहित हैं और इसीलिए श्रीमान्, मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूँ।

श्री० विश्वभरदयाल त्रिपाठी (संयुक्तप्रांत: जनरल): माननीय सभापति जी और साथियो, यह स्वाभाविक ही था कि जब हम अपने देश के लिए शासन-विधान बनाने जारहे हैं उस समय हम इस बात पर सोच

[श्री विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी]

लें कि हमारा भावी शासन-विधान, स्वतन्त्र भारत का शासन-विधान, किन बुनियादी उसूलों पर तैयार किया जायगा। इसलिए जो प्रस्ताव उन बुनियादी उसूलों पर हमारे सामने हमारे पूज्य नेता पं० जवाहरलालजी नेहरू ने पेश किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। इस प्रस्ताव के कुछ विशेष अंग हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अन्य बातों के अतिरिक्त उक्त बुनियादी उसूल प्रस्ताव के ४,५ और ६ पैराग्राफों में दिये हुए हैं। जहां तक इन सिद्धांतों का सम्बन्ध है, जो सिद्धांत इन पैराग्राफों में कहे गये हैं उनसे मैं पूर्णरूप से सहमत हूँ। परन्तु उससे सहमत होते हुए भी मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं और वह यह है कि यह उसूल सिर्फ हमारे ही शासन-विधान के लिए बुनियादी उसूलों के तौरपर नहीं माने जा रहे हैं, बल्कि दुनिया में शायद कोई भी शासन-विधान ऐसा नहीं है जहां पर इसी तरह के बुनियादी उसूल माने न गये हों। लेकिन भिन्न-भिन्न देशों के शासन विधानोंके अन्दर उन बुनियादी उसूलों के होते हुए भी या वहां के राजनीतिज्ञों द्वारा इस बातका ऐलान किये जाने के बावजूद भी कि इन उसूलों पर वहां का शासन-विधान चलेगा, हम देखते हैं कि उसूल व्यवहार रूप में माने नहीं जाते। आप अगर इंगलैण्ड का शासन-विधान देखें अथवा फ्रांस,अमेरिका या डच का शासन-विधान देखें या वहांके राजनीतिज्ञों के, वहां के शासकोंके ऐलानों को देखें, तो, आपको मालूम होगा कि किसी न किसी शक्ल में यह सिद्धांत उनको भी मान्य है। लेकिन बावजूद इस बातके हम यह देखते हैं कि उन उसूलों पर वे साम्राज्य अमल नहीं करते और उन्हें कार्यरूप में नहीं बरतते। आप देख रहे हैं कि आज एशिया भर में, इण्डोचायना में, जावा में, बर्मा और हिन्दुस्तान में वे योरोपीय साम्राज्य, जिनके शासन-विधान में वे उसूल मौजूद हैं फिर भी उन पर चलने की कोशिश नहीं करते। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस बात को सोचें कि किस तरह से हम इन उसूलों पर चल सकते हैं और व्यावहारिक रूप में हम इन उसूलों को अमल में ला सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत आवश्यक बात है।

मैं आपका ध्यान, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, तीन पैराग्राफोंकी तरफ खास तौर से दिलाना चाहता हूं। चौथे पैराग्राफ में यह कहा गया है कि हम एक ऐसे सर्वाधिकार पूर्ण स्वतन्त्र भारत (सौवरिन इंडिपेंडेंट इण्डिया) का विधान (कंस्टिट्यूशन) बनायेंगे जिसमें सब शक्ति तथा अधिकार 'जनता से प्राप्त' डिराइव्ड फ्राम दी पीपुल हों।

जहां तक इस उसूल का ताल्लुक है वह बहुत सही है, मुनासिब है और हर एक व्यक्ति इस उसूल का स्वागत करेगा। लेकिन जो राज-

[श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी]

अगर वह शक्ति वास्तव में जनता के हाथ में आती है, तो उनके प्रतिनिधि उसका अर्थ बिलकुल ठीक ढंग पर लगावेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने शासन-विधान में कोई ऐसा संरक्षण (सेफगार्ड) रखें, जिसमें यह न हो कि जिन लोगों के हाथ में राज-शक्ति जाय, वह इन सिद्धान्तों के अर्थ मनमाने ढंग पर लगावें। इसका एक ही इलाज हो सकता है और वह यह है कि जब हम शासन-विधान तैयार करने बैठें, उस समय हम पहले ही से यह निश्चित् कर दें कि हमारा जो शासन-विधान बनेगा, और उस शासन-विधान के अन्तर्गत जो राज्य स्थापित होगा, वह समाजवादी आधार पर होगा। अगर हम पहले से ही यह निश्चित् न कर देंगे तो इस बात का खतरा हो सकता है कि आगे चल कर शासक-वर्ग इन सब सिद्धान्तों का अर्थ अपने मनमाने ढंग से लगावे और जनता को उससे जितना लाभ होना चाहिए, उतना न हो।

आपके सामने मुस्लिम लीग और जिन्ना साहब के मुताल्लिक बहुत कुछ कहा गया है और उनमें से बहुत-सी बातें ठीक हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आज आप शासन-विधान बनाते समय यह निश्चित् कर दें कि आपका शासन-विधान समाजवादी आधार पर होगा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत-से मुसलमान भाई दिल से और खुशी से हमारे साथ चलने को तैयार हो जायंगे। जितने भी अल्पमत हैं, चाहे वे मुसलमान हों या हमारे हरिजन भाई, वे सभी अपने दिमाग में इस बात का संदेह और भय रखते हैं कि जब शासन-विधान बन जायगा तो नहीं मालूम कि किस तरह के शासक आयें और इन उसूलों के माने किस तरह से लगायें। लिहाजा अगर उनके भय और संदेह को दूर करना है तो हमें अभी से यह निश्चय कर देना चाहिए कि जो शासन-विधान हम बनायंगे और उस विधान के अनुसार जिस तरीके की सरकार बनेगी वह समाजवादी आधार पर होगी; वह निश्चय ही पूंजीवाद के आधार पर नहीं होगी। यह हमें स्पष्ट कर देना चाहिए। इसलिए मैंने एक तरमीम भी इस सिलसिले में की थी और यह सुझाव रखा था कि भारतवर्ष के पहले 'समाजवादी' (सोशलिस्ट) जोड़ दिया जाय। मैं फिर भी दरख्वास्त करूंगा कि यदि हम इस प्रस्ताव के सिद्धान्त को अमल में लाना चाहते हैं तो हमारे सामने एक यही उपाय है कि हम अपना शासन-विधान समाजवादी आधार पर बनायें। पं० जवाहरलालजी ने आरम्भ में भाषण देते हुए इन मेरी तरमीमों के बारे में कुछ बातें कही थीं, उन्होंने यह स्पष्ट सम्मति दी थी कि आगे चलकर

इस समाजवादी आधार पर ही अपना शासन-विधान बनाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने यह कहा कि इस समय हम यह नहीं चाहते कि इसपर किसी तरीके का मतभेद पैदा हो। लेकिन मैं फिर बहुत अदब के साथ कहूँगा कि इसमें मतभेद का सवाल नहीं है। यह तो एक उसूल का सवाल है और अगर हम वास्तव में देश की गरीब जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, अगर हम यह चाहते हैं कि सिर्फ यही नहीं कि अंग्रेजी हुकूमत यहां पर खत्म हो, बल्कि साथ ही साथ हमारा सामाजिक और आर्थिक ढांचा ऐसा बने जिसमें गरीब लोगों को पूरे तौर से आगे बढ़ने का मौका मिले, तो यह जरूरी है कि हम जो शासन-विधान तैयार करें वह समाजवाद के आधार पर हो। मैं समझता हूं कि हमारे देश में अल्पमतों (माइनारिटीज) की जितनी समस्याएं हैं, चाहे वे मुसलमानों की हों, चाहे हरिजन भाइयों की हों या अन्य समूहों की हों, उनका बहुत कुछ हल इससे हो जायगा। यह ठीक है कि हमारे बीच में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो समाजवाद के उसूलों को नहीं मानते हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है वह समाजवाद के उसूलों को पहले ही मान चुकी है। उसने अपने चुनाव के घोषणा-पत्र में बहुत स्पष्ट कहा है कि हम सामन्तशाही के तरीके को खत्म करना चाहते हैं और साथ ही साथ यह भी घोषित किया है कि हम बड़े-बड़े उद्योगों (इंडस्ट्रीज) का भी राष्ट्रीय-करण करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में कांग्रेस ने समाजवाद के प्रारम्भिक नियमों को पहले ही स्वीकार कर लिया है और जब उसने उसे स्वीकार कर लिया है तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम जो शासन-विधान यहां बैठकर बनावें वह उसी आधार पर हो। हो सकता है कि उस पर कुछ लोगों को एतराज हो, मगर मैं समझता हूं कि १०० में से ६६ या ६८ ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें उसमें किसी तरह का एतराज न होगा। जनता को तो पूरे तौर से तभी लाभ हो। सकता है, जब हम इस सिद्धांत को अपनालें और इसी आधार पर शासन-विधान तैयार करें।

एक और बुनियादी बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि जब हम इस बात का एलान करने जा रहे हैं कि हमारे देश में स्वतंत्र सर्वाधिकारपूर्ण प्रजातंत्र (इंडिपेंडेंट सोवरिन रिपब्लिक) कायम हो। तो ऐसी सूरत में हमें यह भी सोच लेना चाहिए कि हमारी यह विधान-परिषद् स्वयं सर्वाधिकारपूर्ण संस्था (सोवरिन बॉडी) है या नहीं है। अगर स्वयं हमें पूर्णाधिकार (सोवरिन राइटस्) प्राप्त नहीं हैं, तो हम कोई ऐसा शासन-विधान तैयार नहीं

[श्री विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी]

कर सकते जिसे पूरे अधिकार (सोवरिन राइटस्) प्राप्त हों। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यह विधान-परिषद् स्वतंत्र पूर्णाधिकारपूर्ण प्रजातंत्र (इंडिपेंडेंट सोवरिन रिपब्लिक) घोषित (प्रोक्लेम) करना चाहती है और ऐसा करने का निश्चय करती है। ऐसी हालत में एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा यह भी ऐलान कर देना चाहिए कि हमें शासन-विधान सम्बन्धी पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

१६ मई के स्टेट-पेपर के अनुसार आपके शासन सम्बन्धी अधिकारों में अनेक प्रकार की सीमायें रखी गई हैं। मुझे उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। आप सभी सज्जन अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मैं इस सिलसिले में एक बात कह देना चाहता हूं कि हम आज अगर इस कांस्टिट्यूएंट असेम्बली में मिलरहे हैं तो इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि उक्त स्टेट-पेपर ने हमारी इस संस्थाका निर्माण किया है बल्कि हमारे देश ने जो त्याग और तपस्या पिछले ५०-६० वर्षों से और खास तौर से पिछले ५ या ६ वर्षों से किया है उसीका यह परिणाम है कि यह कांस्टीट्यूएंट असेम्बली आपके सामने आई और अंग्रेज राजनीतिज्ञ इस बात पर मजबूर हुए कि आपकी कांस्टीट्यूएंट असेम्बली बनावेंऔर आपको अधिकार देने की बात कहें। मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हम लोग यहां पर जो जमा हुए हैं वह इस स्टेट-पेपर के परिणामस्वरूप नहीं बल्कि उस आंदोलन के परिणामस्वरूप जो हमने पिछले ५ या ६ वर्षों के अंदर किया है। वह सन् १९४२ ई० के आंदोलन का परिणाम है जब कांग्रेस ने क्विट-इंडिया (भारत छोड़ो) का प्रस्ताव देश के सामने पेश किया था। यह विधान-परिषद् आज़ाद हिंद फौज की बहादुराना कार्यवाहियों का परिणाम है जिसके कारनामे आज हमारे सामने हैं। यह हमारे पूज्य महान् क्रांतिकारी नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस के कारनामों का परिणाम है जिन्होंने इस बात को दिखला दिया कि किस तरह से देश की आज़ादी के लिए संगठन किया जा सकता है और बड़ी-बड़ी शक्तियों से लड़ा जा सकता है। लिहाजा, यह कहना कि स्टेट-पेपर के जरिये से इस विधान-परिषद का संगठन हुआ, बिल्कुल गलत है। हमारे राष्ट्र ने ५ या ६ वर्ष के अंदर इस देश के बाहर और भीतर जो कुछ भी किया उसीका आज यह परिणाम है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारी शक्ति जनता से आई है, न कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से। अतः हमें इस समय इस बात का ऐलान कर देना चाहिए कि यह कांस्टीट्यूएंट असेम्बली खुद एक सर्वा-

धिकारपूर्ण संस्था (सोवरिन बॉडी) है। उसको शक्ति जनता से प्राप्त हुई है, न कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और कोई भी सीमा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट अनुचित तरीके से हमारे ऊपर लगायेगी, उस सीमा को मानने के लिए हम कतई तैयार नहीं होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो उसूल इस प्रस्ताव में दिये गये हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए हम तमाम उन तरीकों को अख्तियार करेंगे जिन तरीकों से हम वाक़ई अपने देश में एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित कर सकें। और यह स्पष्ट है कि यह हमारा स्वतंत्र राष्ट्र समाजवाद के आधार पर होगा ताकि हमारे देश की गरीब जनता को ठीक-ठीक लाभ हो सके।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

*अध्यक्ष : इस प्रस्ताव पर हम कई दिन तक बहस कर चुके हैं। जहां तक मैं निर्णय कर पाया हूं, सदस्यगण अब बहस समाप्त करने के पक्ष में हैं। इसलिए मुझे आशा है कि कल सुबह हम बहस समाप्त करके इस प्रस्ताव को निबटा सकेंगे।

अब सभा कल ११ बजे तक के लिए स्थगित हो जायगी।

कल हम दूसरा प्रस्ताव उठायेंगे, जिसकी सूचना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी है और जिसपर आज विचार नहीं किया जा सका है।

*श्री के० संतानम् (मद्रास : जनरल) : क्या कल बजट पर भी विचार होगा?

*अध्यक्ष : कल हो सकता है। वह कार्य-सूची में है।

इसकेब ाद असेम्बली बुधवार, २२ जनवरी, सन् १९४७ ई० को ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गयी।

[माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू]

२६ जनवरी को पास करना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य से उस दिन रविवार पड़ता है।

*श्री एच०जी० खांडेकर : उस दिन परिषद् का अधिवेशन केवल कुछ मिनटों के लिए होना चाहिए, क्योंकि यह प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और उसे स्वाधीनता दिवस पर ही पास किया जाना चाहिए। २६ जनवरी को चूंकि रविवार है, इसलिए मैं अध्यक्ष-महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे कुछ मिनट के लिए उस दिन सभा का अधिवेशन बुलाएं इस प्रस्ताव पर विचार करके उसे पास किया जा सके।

अध्यक्ष : पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण हो जाने के बाद हम इस सुझाव पर विचार करेंगे। मैं इस सभा की रा लूंगाय कि क्या इसे आज पास किया जाय अथवा नहीं।

*माननीय सदस्य : आज ही।

*अध्यक्ष : तो फिर २२ जनवरीको ही २६ जनवरी समझ लिया जायगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू !

माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू (संयुक्त-प्रांत : जनरल) : साहबे सदर, ६ हफ्ते हुये कि मैंने इस प्रस्ताव को यहां पेश किया था। उस वक्त मेरा ख्याल था कि दो तीन दिन के अन्दर उसका फैसला होगा और वह मंजूर हो जायेगा लेकिन बाद में इस मजलिस ने फैसला किया कि इसको हम मुल्तवी करदें और लोगों को इस पर गौर करने का मौका दें। मुमकिन है कि मेरी तरह अक्सर साहिबान को भी यह फैसला नागवार गुजरा हो कि ऐसा अहम प्रस्ताव एक दफा उठाकर उसे मुल्तवी कर दिया जाये। लेकिन मुझे कोई शक नहीं रहा था कि जो फैसला मुल्तवी करने का किया गया था वह मुनासिब फैसला था। हमारे दिल में बेकरारी और बेताबी थी। महज इस रिजोल्यूशन के पास होने की नहीं (वह तो एक निशानी है) बल्कि इन बातों को हासिल करने के लिये जो उसमें लिखी हैं। उसके साथ यह भी इन्तिहा दर्जे की ख्वाहिश है कि इस काम में हम सब लोग मिलकर चलें और हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमी मंजिल तक पहुंचे। इस लिये मुनासिब था कि वह मुल्तवी हो और गौर करने का काफी मौका महज इस हाउस को ही नहीं बल्कि तमाम मुल्क को मिले। जो भी तरमीमें थीं और खास तौर से डाक्टर जयकर की तरमीम का बहुत कुछ मतलब मुल्तवी करने का था। मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने उस तरमीम को वापिस ले लिया और दूसरी तरमीमें भी वापस ली गईं इसके लिये भी मैं मशकूर हूं। मालूम नहीं कि इस हाउस के कितने मेम्बर इस रिजोल्यूशन पर बोल चुके। शायद ३०,४० या इससे भी ज्यादा। करीब-करीब हरेक ने पूरी तौर पर इसकी ताईद की, किसी ने मुखालफत नहीं की। कहीं-कहीं बाज बातों की तरफ तवज्जह दिलाई गई। मेरा ख्याल है कि अगर हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों की राय ली जाये तो हम देखेंगे कि सब उसकी ताईद में हैं। शायद कोई किसी खास बात पर ज्यादा तवज्जह दिलाये या कम। इस नीयत से यह रिजोल्यूशन पेश हुआ था और बड़े गौर खोज के बाद अलफाज जोड़े गये थे ताकि कोई ऐसी बात पेश न हो जो ज्यादा बहस तलब हो,

बल्कि हमारे करोड़ों आदमियों के दिलों में जो आरजुयें हैं उनको लफ्जी जामा पहना कर पेश करें। इस पर खास कुछ मेरे कहने की क्या जरूरत है लेकिन आपकी इजाजत से दो एक बातों की ओर तवज्जह दिलाऊंगा। एक वजह इसको मुल्तवी करने की वह थी कि हम चाहते थे कि हमारे जो भाई यहां नहीं आये हैं उनको यहां आने का मौका मिले। इसे मुल्तवी करके एक महीने का मौका दिया गया था, लेकिन अफसोसहै कि अब तक उन्होंने आने का फैसला नहीं किया लेकिन बहरसूरत जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, हम इस दरवाजे को खुला रखेंगे, आखिरी दम तक खुला रखेंगे और उनको, और हरेक को, जिनको यहां आने का हक है, पूरे तौर से आने का मौका देंगे। जाहिर है कि दरवाजा खुला है लेकिन हमारा काम नहीं रुक सकता। इसलिये जरूरी होगया कि इस रिज़ोल्यूशन को पूरी मंजिल तक पहुँचायें। मुझे उम्मीद है कि अब भी जो साहिबान बाहर हैं वे आने का फैसला करेंगे। बाज लोगों की राय थी (हालांकि वे इस रिज़ोल्यूशन से मुत्तफ़िक़ हैं) कि हमारे बाज और काम भी मुल्तवी होते जायें ताकि किसी के आने में कोई रुकावट न पड़े। मुझे इस राय से किसी कदर हमदर्दी है, लेकिन हमदर्दी होते हुये भी मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कोई साहब इस राय को पेश कर सकते हैं। इन्तजार करने का सवाल है, रिज़ोल्यूशन को मुल्तवी करने का नहीं। ६ हफ्ते हमने इन्तजार किया लेकिन दरअसल ६ हफ्ते का सवाल नहीं है, बल्कि इन्तजार करते-करते उमरें गुजर गई हैं। कब तक हम और इन्तजार करें? बहुत लोग इन्तजार करते-करते गुजर भी गये। अक्सर लोगों का भी आखिरी जमाना आ रहा है। इन्तजार काफी हो चुका अब ज्यादा इन्तजार नहीं हो सकता। चुनाचे हमें इस असेम्बली के काम को चलाना है, तेजी से चलाना है और जल्द खतम करना है क्योंकि आप याद रखिये कि असेम्बली का काम रिज़ोल्यूशन पास करना ही नहीं है। मैं तो यह कहूँगा कि कोन्स्टीट्यूशन बना देने से हो काम पूरा नहीं होगा। यह तो महज एक बुनियाद है। पहला काम इस असेम्बली का यह होगा कि इस कोन्स्टीट्यूशन के जरिये से हिन्दुस्तान में आजादी फैलायें भूखों को रोटी दें और नंगों को कपड़ा दें और हिन्दुस्तान के रहने वालों को मौका मिले कि वह पूरी तौर पर तरक्की कर सकें। यह एक बड़ा काम है। आज कल आप हिन्दुस्तान की तरफ देखें। हम यहां बैठे हैं मगर कितने ही शहरों में परेशानी हैं, कितने ही शहरों में झगड़े हो रहे हैं। झगड़ों की बड़ी चर्चा होती है जिन्हें फिरकावाराना झगड़ा कहते हैं। बदकिस्मती से हमें इनका कभी-कभी सामना करना पड़ता है लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल हिन्दुस्तान में है वह गरीबों और भूखों का है, किस तरह से इनको हल किया जाये। जिधर आप देखें यही सवाल है। अगर इस सवाल का हम जल्द फैसला नहीं कर सकते तो आपका सारा कागजी विधान और आईन फिजूल हो जाता है। इसलिये इस नक्शे को सामने रख कर कौन इन्तजार कर सकता है और हमारे काम को मुल्तवी कर सकता है? एक तरफ से आवाज आई है कि वालियान रियासत को पूरे तौर से यह रिज़ोल्यूशन पसन्द नहीं है क्योंकि इसमें चन्द हिस्से ऐसे हैं, जिन्हें वे समझते हैं कि वे उनके अख्तियारात में दखल देते हैं। बहर सूरत वह

[मा० पं० जवाहरलाल नेहरू]

यहाँ नहीं हैं। उनकी गैरहाजरी में हम कैसे कोई फैसला करें ? यह बात सही है कि वह यहां नहीं हैं लेकिन अगर हम उनका इन्तजार करेंगे तो इस नक्शे के मुताबिक इस कांस्टिट्यूएट असेम्बली के आखीर तक भी हम काम पूरा नहीं कर सकते। यह तो नामुमकिन बात है। हमारा बनाया हुआ नकशा यह नहीं था कि वह आखीर में आयें। हमने तो उनसे पहले ही आने के लिए कहा था। वह आयें तो उनका स्वागत है। हम उनको नहीं रोकते हैं। कुछ रुकावट है तो उनकी ही तरफ से है। एक महीना गुजरा आपने उनके नुमाइन्दों से मशविरा करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। हम मशविरा करने के लिये तैयार हैं गो कि अब तक हमें मौका नहीं मिला। इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमने वक्त नहीं मांगा। हम तो जल्द-से-जल्द इस काम को पूरा करना चाहते हैं। यह शिकायत उनकी है कि उसमें लिखा है "आखिरी फैसले का अख्तियार आम लोगों को हासिल है" (सोवरेनिटी बिलोंग्स टु दी पीपुल एंड रेस्टस बिद दी पीपुल) उन्हें इस बात पर ऐतराज है। ऐतराज मैं समझ सकता हूं क्योंकि जो लोग एक जमाने से पुराने ख्याल के बन गये हैं और एक ऐसी फिजा में रहते हैं, जिसमें नये ख्याल दिमाग में नहीं आते तो कोई ताज्जुब नहीं है कि वह आसानी से इन ख्यालों को न छोड़ पायें। लेकिन आजकल के जमाने में कोई शख्स यह कहे कि कुल अख्तियार एक इंसान को हासिल हैं और हुकूमत करने का हक उसको खुदा का दिया हुआ है या किसी और ताकत का तो यह एक अजीब व गरीब बात है। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई हिन्दुस्तान का आदमी चाहे वह रिआसती मुमालिक का हो या कहीं और का, कैसे इस बात को कहने की जुरअत कर सकता है। यह नामुनासिब बात है कि जो बात सैकड़ों वर्ष पहले दुनिया में उठी थी और नामंजूर हुई वह अब पेश की जाय। चुनाचे मैं उनसे निहायत अदब से कहूंगा कि ऐसी बातें कहने से वह अपनी हैसियत को कम करते हैं और अपनी जगह को कमजोर करते हैं और दुनिया के सामने एक गलत बात कहते हैं। कम-से-कम यह असेम्बली अपनी बुनियाद को नुक्सान नहीं पहुंचा सकती, अगर पहुंचायेगी तो सारे हमारे कांस्टीट्यूशन बनाने की बुनियाद गलत हो जायेगी।

आइन्दा हमारा ताल्लुक और मुल्कों से क्या होगा ,जब हम एक आजाद मुल्क और रिपब्लिक होंगे ? क्या ताल्लुक अंग्रेजों के मुल्क से होगा और क्या ताल्लुक दूसरे मुल्कों से होगा ? यह सवाल उठ सकता है। इस रिजोल्यूशन के मानी हैं कि हम पूरे तौर से आजाद हों और किसी और गिरोह में शरीक न हों, सिवाय ऐसे गिरोह के जो दुनिया में बन रहा है और जिसमें दुनिया के और मुल्क शामिल हैं। वाकई बात यह है कि आज जमाना बिलकुल बदल गया है, लफजों के मानी बदल रहे हैं। आजकल जो जरा भी गौर करता है वह यह समझ लेता है कि अगर कोई अन्देशा दूर हो सकता है, तो वह सिर्फ एक तरह से और वह यह कि दुनिया के मुल्क आपस में मिल कर काम करें और एक दूसरे की मदद करें। बहुत बड़े-बड़े नुक्स यूनाइटिड नेशन्स ऑरगेनाइजेशन्स में हो रहे हैं। हजारों दिक्कतें हैं, हजारों शक हैं जो एक-दूसरे पर किये जा रहे हैं। हमने कहा

है कि हम पूरे तौर से और मुल्कों से मिल-जुलकर इस काम में शरीक होंगे । हालांकि अंग्रेजों के मुल्क से और ब्रिटिश कामनवेल्थ के मुल्कों से शरीक होकर काम करना आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं कि हम अपनी पुरानी लड़ाई के किस्से को दिमाग से भुला दें और आज़ाद होने की पूरी तौर से कोशिश करें और दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ती रखें । लेकिन इस दोस्ती से हमारी आज़ादी में जरा भी कमी न होगी । यह रिजोल्यूशन कोई लड़ाई का नहीं है, बल्कि अपने हक को दुनिया के सामने रखने के लिए है और अगर इस हक के खिलाफ कोई बात ऐसी होगी तो हम उसका मुकाबला करेंगे । लेकिन यह रिजोल्यूशन एक दोस्ती और समझौते का है । हिन्दुतान के सब लोगों से चाहे वह किसी कौम और किसी मजहब के हों, और दुनिया के सब मुल्कों से और कौमों से जिसमें अंग्रेजों का मुल्क और ब्रिटिश कामनवेल्थ और दुनिया के और मुल्क भी शामिल हैं, यह रिजोल्यूशन सब से दोस्ती रखने का दावा करता है । यह आपके सामने इसी नीयत के साथ पेश किया गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे मंजूर करेंगे ।

एक भाई ने याद दिलाया है कि चार दिन के बाद वह दिन जिसे हम आज़ादी का दिन कहते हैं आने वाला है और मुनासिब होता कि यह रिजोल्यूशन उस दिन पेश होता । शायद एक मानों में यह मुनासिब होता, लेकिन मैं उनसे भी कहूँगा कि अगर हम एक मुनासिब काम पहले कर सकते हैं तो उसको एक साइत के लिए भी टालना मुनासिब नहीं है । जितना जल्द हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं करें, उसको एक घंटे के लिए भी मुल्तवी करना मुनासिब नहीं है ।

यह रिजोल्यूशन जो मैंने आपके सामने पेश किया है एक नई शक्ल में है, एक नये जामे में है । लेकिन यह एक लम्बे सिलसिले के बाद आया है । इसके पीछे कितने रिजोल्यूशन हैं, कितनी प्रतिज्ञायें हैं, कितने इकरारनामे हैं, जिसमें आज़ादी और 'क्विट इंडिया' यानी हिन्दुस्तान छोड़ो के प्रस्ताव भी शामिल हैं । इन रिजोल्यूशनों ने दुनिया में नाम हासिल किया है । अब वक्त आ गया है कि जो हमने इकरार किये थे, उनको पूरा करें । यह कैसे पूरा करें ? यह सब आप साहिबान के हाथ में है । चुनाचे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस रिजोल्यूशन को सिर्फ मंजूर ही नहीं करेंगे, बल्कि इसको एक इकरार समझ कर जल्द से जल्द पूरा करेंगे ।

मैं एक बात बाअदब आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे सामने बहुत-से सवाल आयंगे और आते हैं । अलहदा-अलहदा गिरोहों के लोग और अलहदा-अलहदा फिरकों के लोग अपने-अपने ढंग से इसको देखेंगे और बहस भी होगी, लेकिन हमेशा इस सवाल को याद रखना है कि छोटी बातों में और छोटी-छोटी बहसों में हम न बहक जायें, बल्कि उस बड़ी बात को सामने रखें कि अगर हिन्दुस्तान आज़ाद होता है तो हम सब हिन्दुस्तानी आज़ाद होंगे और अगर हिन्दुस्तान आज़ाद नहीं होता है तो हम सब गुलाम रहेंगे । अगर हिन्दुस्तान जिन्दा है तो हम भी जिन्दा हैं और सब फिरके और गिरोह भी जिन्दा हैं या आज़ाद हैं । अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अंग्रेजी में भी अर्ज कर दूं ।

[मा० पं० जवाहरलाल नेहरू]

*अध्यक्ष महोदय, आज ६ सप्ताह हुये कि इस महती सभा के सामने इस प्रस्ताव को पेश करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव उपस्थित करते समय मैंने अवसर की गम्भीरता और पवित्रता का अनुभव किया था। सभा के सामने मैंने केवल चुने हुये शब्दों का समूह, सिर्फ एक रस्मी प्रस्ताव ही नहीं रखा था। वरन् प्रस्ताव और उसके शब्द राष्ट्र की उस वेदना और आशाओं को व्यक्त करते थे जो आज फलवती होने जारही है।

उस अवसर पर यहां खड़ा होकर मैंने अनुभव किया था कि अतीत हमारे चतुर्दिक व्याप्त है और भविष्य भी अपना स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है। हम वर्तमान रूपी तलवार की धार पर चल रहे हैं और चूंकि मैं न केवल सभा के सदस्यों के सामने बोल रहा था बल्कि हिन्दुस्तान की ४० करोड़ जनता के आगे अपनी बात कह रहा था, और चूंकि यह महसूस कर रहा था कि हम नये जमाने में कदम रखने जा रहे हैं, मुझे ऐसा जान पड़ता था मानों हमारे पूर्वज हमारी कार्यवाही को देख रहे हैं और अगर हम ठीक दिशा में चल रहे हैं तो उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है। हमें ऐसा भी मालूम पड़ता था मानों हमारा सम्पूर्ण भविष्य जिसके हम संरक्षक हैं, प्रत्यक्ष हमारी आंखों के आगे अपना स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है। भविष्य का संरक्षक बनना बड़े दायित्व का काम था और अपने गौरवशाली अतीत का उत्तराधिकारी बनना भी दायित्वपूर्ण था। महान् अतीत और अपनी कल्पना के महान् भविष्य के बीच स्थित वर्तमान के किनारे हम खड़े थे और मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि अवसर की गम्भीरता का प्रभाव इस महती सभा पर भी अवश्य पड़ा था।

ऐसी अवस्था में मैंने यह प्रस्ताव सभा के सम्मुख रखा था और आशा की थी यह दो तीन दिनों में ही पास हो जायेगा और शीघ्र ही हम अपना अन्य काम प्रारम्भ कर देंगे। परन्तु एक लम्बे वाद-विवाद के बाद सभा ने उस पर और विचार आगे के लिये स्थगित रखना तय किया। मैं यह मंजूर करता हूं कि इससे मुझे थोड़ी निराशा भी हुई क्योंकि मैं इस बात के लिए अधीर हो रहा था कि हम लोग आगे बढ़ें। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि पथ में विलम्ब करके हम अपनी की हुई प्रतिज्ञा के प्रति झूठे बन रहे हैं। यह तो बहुत बुरा प्रारम्भ था कि हम लक्ष्य-सम्बन्धी आवश्यक प्रस्ताव को स्थगित करदें। क्या इसका यह मतलब है कि हमारा भविष्य का काम भी धीरे-धीरे होगा और जब तब स्थगित होता रहेगा? फिर भी मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि सभा ने अपनी बुद्धि से उस प्रस्ताव को स्थगित रखने का जो फैसला किया था वह दुरुस्त फैसला था क्योंकि हमने इन दो बातों पर सदा ध्यान दिया है। एक तो इस बात पर कि हमारा लक्ष्य तक पहुँचना नितान्त आवश्यक है और दूसरे इस बात पर कि हम यथा समय और अधिक से अधिक एकमत होकर अपने लक्ष्य पर पहुँचें। इसलिये मैं यह सादर कहता हूं कि यह ठीक ही हुआ कि सभा ने इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखनेका फैसला किया और इस तरह उसने न सिर्फ संसारकोही प्रकटकर दियाकि हमारी

यह आन्तरिक इच्छा है कि जो लोग नहीं आये हैं वे भी शरीक हों बल्कि देश के सभी लोगोंको इस बात का यकीन दिला दिया कि हम,सबका सहयोग पानेके लिए बहुत इच्छुक हैं। तब से आज ६ हफ्ते गुजर चुके हैं और इस बीच में अगर वे आना चाहते तो उनको काफी मौका मिला। दुर्भाग्य से उन्होंने अब तक आने का फैसला नहीं किया है और अभी भी अनिश्चय की अवस्था में पड़े हैं। मुझे इसका खेद है और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वे भविष्य में जब आना चाहें आयें, हम उनका स्वागत करेंगे। पर यह बात तो साफ-साफ समझ लेनी चाहिए और इसमें कोई गलतफहमी न होनी चाहिये कि भविष्य में हमारा काम रुकेगा नहीं, चाहे कोई आवे या न आवे। काफी इन्तजार किया जा चुका है। न केवल ६ हफ्ते बल्कि देश के बहुत से लोगों ने सालों तक इन्तजार किया है और देश ने तो कई पीढ़ियों तक प्रतीक्षा की है। आखिर हम कितना और इन्तजार करेंगे। और अगर हम लोग, हममें से कुछ लोग, जो सम्पन्न हैं इन्तजार कर भी सकते हैं तो भूखे और बिना अन्न मरनेवाले भला कैसे इन्तजार कर सकते हैं? यह प्रस्ताव भूखों को भोजन तो नहीं देगा पर यह उन्हें बहुत-सी बातों का विश्वास दिलाता है। यह उन्हें आजादी का, भोजन का और सब लोगों को अवसर देने का विश्वास दिलाता है।

इसलिये जितना जल्दी हम इसे कार्यान्वित करने में लग जायें उतना ही अच्छा है। हमने ६ हफ्ते तक इन्तजार किया और इस बीच में देश ने इस पर सोचा है विचार किया है। दूसरे देशों ने और दूसरे लोगों ने भी जिनकी इसमें दिलचस्पी है इस पर सोच-विचार किया है। इस प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिये हम लोग यहां पुनः समवेत हो रहे हैं। हमने इस पर एक लम्बा वाद-विवाद किया है और अब इसे मंजूर करने वाले ही हैं। मैं डा० जयकर और श्री सहाय का कृतज्ञ हूँ कि आप लोगों ने अपने संशोधन वापस ले लिये। डा० जयकर के उद्देश्य की सिद्धि तो प्रस्ताव को स्थगित रखने से हो चुकी थी और ऐसा जान पड़ता है कि सभा में ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रस्ताव से पूर्णतः सहमत न हो। हां, यह हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ा-बहुत शाब्दिक हेर फेर चाहते हों या इसके किसी भाग पर कम या वेशी जोर देना चाहते हों, पर जहां तक समूचे प्रस्ताव का सम्बन्ध है इसे सभा की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इसमें जरा भी शक नहीं कि इसको देश का भी पूर्ण समर्थन मिल चुका है।

इसकी कुछ आलोचना भी हुई है और खासकर कुछ राजा-महाराजाओं की ओर से। उनकी पहली शिकायत तो यह है कि रियासती प्रतिनिधियों की अनुपस्थित में यह प्रस्ताव न पास करना चाहिये था। अंशतः इस आलोचना से मैं सहमत हूँ। मेरा मतलब यह है कि मुझे खुशी होती अगर प्रस्ताव पास होते समय सारी रियासतों के, समस्त भारत के, उसके हर हिस्सों के, वास्तविक प्रतिनिधि यहां मौजूद होते। परन्तु अगर वे यहां मौजूद नहीं हैं तो इसमें हमारा दोष नहीं है। यह दोष तो मूलतः उस योजना का है जिसके आधीन हम कार्यवाही कर रहे हैं और हमारे सामने यही रास्ता है। चूंकि कुछ लोग यहां नहीं उपस्थित हो सकते, इसलिये क्या हम अपना काम स्थगित रख देंगे?

[मा० पं० जवाहरलाल नेहरू]
तब तो चूंकि रियासतों के प्रतिनिधि नहीं मौजूद हैं हम न केवल प्रस्ताव को बल्कि और भी बहुत काम स्थगित रख देंगे और यह एक भयानक बात होगी। जहां तक हमारा सम्बन्ध है वे यहां जल्द से जल्द. आ सकते हैं। यदि वे रियासतों के समुचित प्रतिनिधि भेजेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। गत ६ हफ्तों के अन्दर भी, हमने अपनी ओर से हर चन्द इस बात की कोशिश की कि हम रियासती कमेटी के सम्पर्क में आवें और कोई ऐसा रास्ता निकालें कि उनके वास्तविक प्रतिनिधि परिषद् में आ सकें। इसमें देर हुई है यह हमारा दोष नहीं है। हमें खुद इस बात की फिक्र है कि सभी लोग परिषद् में शामिल हों चाहें वे मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि हों, रियासतों के प्रतिनिधि हों या और कोई हों। इस दिशा में हमारा प्रयास जारी रहेगा ताकि इस सभा को यथासम्भव देश का पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। इसलिये हम इस प्रस्ताव को या और कामों को महज इस लिये स्थगित नहीं रख सकते कि कुछ लोग यहां मौजूद नहीं हैं।

एक दूसरी आपत्ति भी उठायी गई है। जनता के सर्वसत्ता-सम्पन्न होने के की जो कल्पना प्रस्ताव में की गई है वह कुछ नरेशों को पसन्द नहीं है। यह आपत्ति आश्चर्य-जनक है और मैं तो कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह नरेश हो या मन्त्री यदि सच-मुच इस पर आपत्ति करता है तो भारतीय रियासतों की वर्तमान शासन, पद्धति की तीव्र निन्दा के लिये उसकी यह आपत्ति ही काफी है। किसी भी व्यक्ति चाहे उसका दर्जा कितना भी बड़ा क्यों न हो, यह कहना कि ईश्वरदत्त विशेषाधिकार से मैं मनुष्य पर शासन करने आया हूँ नितान्त जघन्य है। यह परिकल्पना असह्य है और उसे यह सभा कभी भी मंजूर न करेगी। अगर सभा के सामने यह बात पेश की गई तो यह भी इसका तीव्र विरोध करेगी। हमने राजाओं के दैवी अधिकार के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना है। हमने इतिहासों में इसके सम्बन्ध में पढ़ा था और यह समझा था कि अब दैवी अधिकार की कल्पना समाप्त होगई। वह आज मुद्दत हुई दफना दी गई। यदि आज हिन्दुस्तान में या और भी कहीं कोई व्यक्ति इस दैवी अधिकार की चर्चा करता है तो उसकी यह चर्चा भारत की वर्तमान अवस्था से बिलकुल असंगत है। इसलिये मैं तो ऐसे व्यक्तियों को गम्भीरतापूर्वक यह सुझाव दूंगा कि यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं, दोस्ताना सलूक चाहते हैं, तो उस बात को कहना तो दूर रहा आप उसकी ओर इशारा भी न कीजिये। इस प्रश्न पर कोई समझौता न होगा।

परन्तु, जैसा कि पहले इस प्रस्ताव पर बोलते हुए मैंने स्पष्ट कहा था, यह प्रस्ताव इस बात को स्पष्ट कर देता है कि हम लोग रियासतों के अन्दरूनी मामलों में दखल नहीं दे रहे हैं। मैंने तो यहां तक कहा था कि हम रियासतों की राजतन्त्रीय-पद्धति में भी दखल न देंगे, यदि वहां की प्रजा इसे चाहती हो। मैंने ब्रिटिश कामनवेल्थ के अन्तर्गत आयरिश प्रजातंत्र का उदाहरण भी दिया था। और यह कल्पना भी मुझे ग्राह्य है कि भारतीय प्रजातंत्र के अन्तर्गत राजतंत्र भी रह सकते हैं, यदि प्रजा उन्हें चाहती हो। इस बात को तय करना एकमात्र उनका काम है। यह प्रस्ताव और सम्भवतः वह विधान भी, जो हम

बनायेंगे, इस मामले में कोई दखल न देगा। हां यह बात अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि भारत के भिन्न-भिन्न भागों में स्वतन्त्रता का स्तर एक सा हो, क्योंकि यह बात मेरी कल्पना से भी परे है कि भारत के कुछ भागों को तो प्रजातंत्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त हो और कुछ भागों को न प्राप्त हो। यह नहीं हो सकता। इससे झगड़े पैदा होंगे जैसा कि आज इस विशाल संसार में आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ मुल्क तो स्वतन्त्र हैं और कुछ पराधीन। इससे भी बड़ी मुसीबत यहां पैदा हो जायेगी अगर भारत के कुछ हिस्सों में तो आज़ादी हो और कुछ में न हो।

इस प्रस्ताव में, भारतीय रियासतों के शासन के लिये हम कोई खास पद्धति नहीं निर्धारित कर रहे हैं। हम इसमें इतना ही कहते हैं कि ये रियासतें जो खुद इतनी बड़ी हैं कि बतौर संघ के हों या कई मिलकर संघ बनावें स्वतन्त्र खुद मुख्तार प्रदेश होंगे। इनको सभी बातों में पूरी आजादी होगी सिवा उन चन्द मामलों के जो केन्द्र के आधीन होंगे। केन्द्र में भी इनके प्रतिनिधि रहेंगे और वहां भी इन मामलों पर विचार करने में इनका सहयोग लिया जायेगा। इसलिए यह प्रस्ताव रियासतों या इनके संघों के अन्द-रूनी हुकूमतों में कोई दखल नहीं देता है। ये खुदमुख्तार होंगे और जैसा मैंने कहा है अगर ये चाहेंगे तो बतौर अध्यक्ष के वैध या नियमानुमोदित राजतन्त्र रख सकते हैं। इस बात के लिये वे आज़ाद हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं भारत में और अन्य स्थानों में भी प्रजातन्त्र का हामी हूँ। पर इस सम्बन्ध में मेरे व्यक्तिगत विचार जो कुछ भी हों मैं उन्हें दूसरों पर नहीं लादना चाहता। मैं समझता हूं कि इस सभा की भी यह मर्जी नहीं है, वह उन मामलों में अपनी राय दूसरों पर लादे।

इसलिये इस प्रस्ताव पर जो आपत्ति एक रियासत के राजा ने की है, वह सिद्धान्त की दृष्टि से, सारी सत्ता जनता के हाथ में है उस सिद्धान्त के व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक परिणामों का ही विरोध करती है। इसके अलावा किसी को और कोई आपत्ति नहीं है, यह आपत्ति १मिनट भर भी नहीं टिक सकती। हम इस प्रस्तावमें यह दावा करते हैं कि हम लोग स्वतन्त्र सर्वसत्ता सम्पन्न भारतीय प्रजातन्त्र के लिये, अनिवार्यतः प्रजातन्त्र के लिये एक विधान तैयार करेंगे। प्रजातन्त्रके अलावा आखिर भारतमें हम और क्या रख सकते हैं? चाहे देशी रियासतों में जैसी भी व्यवस्था रखी जाय, यह असम्भव और अनुचित है और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि भारत के प्रजातंत्र के अलावा अन्य कोई शासन-पद्धति होगी।

अब प्रश्न यह आता है कि वह प्रजातन्त्र संसार के देशों से, इंग्लैण्ड से, ब्रिटिश कामनवेल्थ से कैसा सम्बन्ध रखेगा। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर हमने यह प्रतिज्ञा की है और बहुत दिनों तक की है कि हम ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद करेंगे क्योंकि हमारा यह सम्बन्ध ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक बन गया है। हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हम दुनिया से अलग रहेंगे या उन देशों के विरुद्ध रहेंगे जिन्होंने हम पर प्रभुता की है। इस अवसर पर जब हम स्वतन्त्रता के दरवाजे पर पहुँच गये हैं हम यह नहीं चाहते कि किसी भी देश के प्रति हम में लेश-मात्र भी शत्रुता की भावना हो। हम सबके साथ

[मा० पं० जवाहरलाल नेहरू]

दोस्ताना सलूक रखना चाहते हैं। हम ब्रिटिश जनता के साथ, ब्रिटिश कामनवेल्थ के सारे देशों के साथ दोस्ताना सलूक रखना चाहते हैं।

पर जिस बात पर मैं चाहता हूं कि यह सभा विचार करे वह यह है। जब ये शब्द और ये लेबुल बड़ी तेज़ी से अपना मतलब बदलते जा रहे हैं और आज की दुनिया में पृथकत्व नहीं रह गया है तो आप भी दूसरों से अलग नहीं रह सकते। आपको सहयोग करना ही होगा, नहीं तो संघर्ष कीजिये। बीच का कोई रास्ता नहीं है। हम शान्ति चाहते हैं। जहां तक हमारे बस की बात है हम किसी भी देश से लड़ना नहीं चाहते। और राष्ट्रों की तरह हमारा भी यही सम्भव और वास्तविक लक्ष्य है कि एक विश्व संगठन बनाने में हम सबको सहयोग दें। उस विश्व संगठन को आप चाहें एक दुनिया के नाम से पुकारिये या अन्य किसी नाम से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से उस विश्व-संगठन के निर्माण का प्रारम्भ हो चुका है। यह अभी बहुत कमजोर है, इसमें बहुत-सी खराबियां हैं, फिर भी इससे विश्व-संगठन का प्रारम्भ तो हो ही गया है और हिन्दुस्तान ने इस काम में सहयोग देने का वायदा कर लिया है। अब यदि हम इस विश्व संगठन की बात सोचतेहैं—इसमें दूसरे देशोंको अपना सहयोग देनेको बात सोचतेहैं। तो फिर यह सवाल कहां उठता है कि हम देशों के इस गुट या उस गुट के साथ हैं। सच बात तो यह है कि जितने ज्यादा गुट या गिरोह बनेंगे उतना ही यह विश्व-संगठन कमजोर होता जायेगा।

इसलिये उस विशाल संगठन को मजबूत बनाने के हेतु सभी देशों के लिये यह वांछनीय है कि वे अलग दल या गिरोह बनाने पर जोर न दें। मैं जानता हूँ कि ऐसे अलग-अलग दल और गुट आज संसार में हैं और उनके अस्तित्व ही के कारण उनमें परस्पर शत्रुता है और युद्ध की भी चर्चा उनमें चल रही है। मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, शान्ति रहेगी या संघर्ष होगा। हम कगार के किनारे खड़े हैं और भिन्न-भिन्न शक्तियां हमें दो विपरीत दिशाओं में खींच रही हैं। कुछ शक्तियां हमें सहयोग की ओर, शान्ति की ओर खींच रही हैं और कुछ कगार के नीचे, युद्ध और पार्थक्य की ओर ठेल रही हैं। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं कि यह बता सकूं कि आगे क्या होगा पर इतना जरूर जानता हूं कि जो लोग शान्ति चाहते हैं उन्हें अलग-अलग गुट बनाने का विरोध करना चाहिये। इन गुटों का आपस में विरोधी हो जाना लाजिमी है, स्वाभाविक है। इसलिये जहां तक इसकी वैदेशिक नीति की गति है, हिन्दुस्तान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वह दलों और गुटों से बिलकुल अलग रहना चाहता है और दुनिया के सारे देशों के साथ बराबरी के दर्जे पर सहयोग करना चाहता है। यह स्थिति है तो बड़ी मुश्किल की क्योंकि लोगों में जब एक दूसरे के प्रति शक भरा हुआ हो तो जो आदमी तटस्थ रहना चाहता है उसपर यह शक किया जाता है कि वह दूसरे दलके साथ हमदर्दी रखता है। यह बात हम हिन्दुस्तान में भी देख सकते हैं और संसार की राजनीति के व्यापक क्षेत्र में भी। अभी हाल में एक अमेरिकन राजनीतिज्ञ ने ऐसे शब्दों में हिन्दुस्तान की आलोचना की है जिससे जाहिर होता है कि अमेरिका के राजनीतिज्ञों में जानकारी

और समझ की बड़ी कमी है । चूंकि हम अपनी स्वतन्त्र नीति बरतते है, इसलिए मुल्कों का एक गिरोह यह समझता है कि हम दूसरे गिरोह के साथ हैं और दूसरा गिरोह यह समझता है कि हम उसके विरोधी के साथ हैं। यह तो होगा ही। अगर हम भारत को स्वतन्त्र प्रजातन्त्र बनाना चाहते हैं तो इसलिए नहीं कि हम दूसरे मुल्कों से जुदा हो जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि बहैसियत एक स्वतन्त्र राष्ट्र के शान्ति और स्वतन्त्रता की स्थापना के लिए हम सभी देशों को—ब्रिटेन को, ब्रिटिश कामनवेल्थ के राष्ट्रों को, अमेरिका को, रूस को तथा अन्य सभी छोटे-बड़े राष्ट्रों को—अपना पूरा सहयोग देना चाहते हैं। परन्तु हमारे और इन देशों के बीच वास्तविक सहयोग तभी हो सकता है जब हम यह समझते हों कि हम स्वतन्त्र होकर सहयोग दे रहे हैं न कि यह कि सहयोग देने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। तब तक कोई भी सहयोग सम्भव नहीं है जब तक मजबूर किये जाने का रंच-मात्र भी आभास हमें मिलेगा।

इसलिए मैं इस सभा के सामने इस प्रस्ताव की तारीफ करता हूं और मैं तो कहूँगा कि न सिर्फ सभा के ही सामने बल्कि दुनिया के सामने उसकी तारीफ करता हूं,ताकि यह बात साफ हो जाये कि यह प्रस्ताव सबके प्रति सद्भावना जाहिर करने की एक कोशिश है और इसके पीछे कोई शत्रुता की भावना नहीं है। हमने गुजरे हुए जमाने में बड़ी-बड़ी मुसीबतें झेली हैं, हमने काफी संघर्ष किया है और हो सकता है कि हमें फिर संघर्ष करना पड़े। पर महात्माजी के नेतृत्व में हमारी सदा यही कोशिश रही है कि दूसरों के साथ हमारा दोस्ती और सद्भावना का बर्ताव हो, यहां तक कि उनके साथ भी जो हमारे विरोधी हैं। हम नहीं जानते कि इसमें हम कहां तक कामयाब हुए हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं और हममें भी कमजोरियां हैं। फिर भी महात्माजी के सन्देश की एक गहरी छाप इस देश के करोड़ों आदमियों के दिलों पर पड़ी है और उस हालत में हम जब भी गलती पर हों या कुराह पर हों, इसे भूल नहीं सकते। हममें से कुछ लोग साधारण आदमी हो सकते हैं और कुछ महान्, पर चाहे हम साधारण मनुष्य हों या महान्, फिलहाल हम एक महान् उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कुछ-न-कुछ महत्ता की छाया हम पर पड़ती ही है। आज इस सभा में हम सब एक महान् उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और यह प्रस्ताव, जिसे मैंने पेश किया है, उस महान् उद्देश्य का कुछ-कुछ स्वप्न जाहिर करता है। हम इसे पास करेंगे और उम्मीद है कि इस प्रस्ताव के जरिये हम वह विधान बना पायेंगे जिसकी रूप-रेखा इसमें दी हुई है। मुझे विश्वास है कि वह विधान हमें असली आजादी देगा जिसके लिए हम इतने दिनों से रट लगा रहे थे और फिर वह आजादी हमारी भूखी जनता को खाना, कपड़ा और रहने की जगह देगी,उनकी उन्नति के लिए हर तरह के मौके देगी। मुझे यह भी विश्वास है कि इस विधान से दूसरे एशियाई मुल्कों को भी आजादी प्राप्त होगी। हम चाहे जितने भी अयोग्य हैं, हमें यह मान लेना चाहिए कि हम एक तरह से एशिया में आज स्वतन्त्रता-आन्दोलन के नेता बन गये हैं और हर काम में हमें अपने को उसी व्यापक दायरे में रखना चाहिए। जब किसी छोटी-मोटी बात से हममें मतभेद पैदा हो

[मा० पं० जवाहरलाल नेहरू]

जाये और इसकी वजह से हमारे सामने मुश्किलें और आपसी झगड़े दिखाई दें तो हम न सिर्फ प्रस्ताव को ही याद रखें, बल्कि उस बड़ी ज़िम्मेदारी को भी याद रखें जो हमारे कंधों पर है। ४० करोड़ भारतीय जनता की आज़ादी की ज़िम्मेदारी को, एशिया के एक विशाल भाग के नेतृत्व की जिम्मेदारी को, तथा सारे संसार की विशाल जन-संख्या के एक तरह से पथ-प्रदर्शक होने के दायित्व को, याद रखें। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम इस जिम्मेदारी को याद रखें तो सीट या ओहदे के लिए, इस दल या उस दल के चन्द छोटे-मोटे लाभों के लिए शायद हम कलह न करेंगे। एक बात जो हम सबों के दिमाग में साफ-साफ आ जानी चाहिए, वह यह है कि हिन्दुस्तान का कोई दल, कोई पार्टी,कोई धर्म या कोई सम्प्रदाय कभी भी सुखी और सम्पन्न न होगा अगर स्वयं हिन्दुस्तान सुखी और सम्पन्न नहीं है। अगर हिन्दुस्तान खत्म होता है तो हम सब खत्म हो जाते हैं, चाहे हमें एक सीट ज्यादा मिली या कम, चाहे हमें थोड़ी-विशेष सुविधा मिली या नहीं। अगर हिन्दुस्तान आनन्द में है, अगर वह एक महत्वपूर्ण स्वतन्त्र देश की तरह जीवित रहता है तो हमें भी आनन्द-ही-आनन्द है, चाहे हम किसी भी फिरके के हों, किसी भी धर्म के हों।

हम विधान बनायेंगे और मुझे उम्मीद है कि यह बहुत अच्छा विधान होगा। पर इस सभा का कोई सदस्य ऐसा भी समझता है कि स्वतन्त्र भारत अपना प्रादुर्भाव होने पर कोई भी बन्धन, भले ही वह इस सभा का ही बनाया क्यों न हो, मंजूर करेगा। स्वतंत्र भारत में तो एक शक्तिशाली राष्ट्र का तेज चारों तरफ चमकता दिखाई देगा। मैं यह नहीं जानता कि वह क्या करेगा और क्या नहीं करेगा; पर इतना जरूर जानता हूं कि वह अपने ऊपर कोई भी बंधन नहीं मंजूर करेगा। कुछ लोग यह सोचते हैं कि हम यहां जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें शायद आगामी दस या बीस वर्षों तक हाथ भी न लगाया जा सके, लेकिन अगर इसे हम आज नहीं कर लेते तो शायद पीछे हम न कर पायेंगे। मेरी समझ में यह बिलकुल मिथ्या भ्रम है, गलत खयाल है। सभा के सामने मैं यह बात नहीं रख रहा हूँ कि अमुक काम किया जाये और अमुक नहीं किया जाये। पर मैं सभा से यह अवश्य कहना चाहता हूं कि वह ऐसा समझे कि अब क्रान्तिकारी परिवर्तन शीघ्र ही होने वाले हैं। क्योंकि जब किसी राष्ट्र की आत्मा अपने बन्धनों को तोड़ बैठती है तो वह एक अनोखे ढंग से काम करने लगती है और उसे अनोखे ढंग से काम करना ही चाहिए। हो सकता है कि जो विधान यह सभा बनाये, उससे स्वतन्त्र भारत को सन्तोष न हो। यह सभा आने वाली पीढ़ी को या उन लोगों को, जो इस काम में हमारे उत्तराधिकारी होंगे, बांध नहीं सकती। इसलिए हमें अपने काम के छोटे-मोटे ब्यौरों पर माथापच्ची नहीं करनी चाहिए। ये ब्यौरे कभी भी टिकाऊ न होंगे अगर उन्हें हमने झगड़ा करके तय पाया। उसी चीज के टिकाऊ होने की सम्भावना है जिसे हम सहयोग से एकमत होकर पावेंगे। संघर्ष करके, दबाव डालकर, धमकी देकर हम जो कुछ भी हासिल करेंगे वह स्थायी न होगा। वह तो केवल एक दुर्भावना का सिलसिला छोड़

जायगा और इसलिए मैं सभा के सामने से इस प्रस्ताव की सिफारिश करता हूँ। अब मैं प्रस्ताव के अन्तिम पैरे को पढ़ देता हूं। पर अध्यक्ष महोदय, इसे पढ़ने के पहले एक बात और मैं कह देना चाहता हूं।

हिन्दुस्तान एक महान् देश है। प्रचुर साधनों के ख्याल से, जन-शक्ति के विचार से, स्थायित्व की दृष्टि से हर तरह यह एक महान् देश है। मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि आजाद हिन्दुस्तान विश्व-रंग-मच पर हर काम में अपना जबर्दस्त पार्ट अदा करेगा। भौतिक शक्ति के संकुचित क्षेत्र में भी वह पूरा हिस्सा लेगा और मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में वह जबरदस्त हिस्सा ले। आज संसार में भिन्न २ शक्तियों के बीच भिन्न२क्षेत्रोंमें संघर्ष चल रहाहै एटम बम और इसकी भिन्न-भिन्न शक्तियोंके बारेमें हम बहुतकुछ सुन रहे हैं। वस्तुत आज संसारमें दो प्रवृत्तियोंके बीच संघर्ष चल रहा है। एक ओर तो रचना-मूलक मानव-प्रवृत्ति है और दूसरी ओर है विनाश-मूलक दानव-प्रवृत्ति-जिसका एटम बम एक प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि भारत भौतिक शक्ति के क्षेत्र में अपना जबरदस्त हिस्सा तो लेगा ही, पर वह हमेशा रचनात्मक मानव-प्रवृत्ति पर ही जोर देगा। मुझे इस बात में जरा भी सन्देह नहीं है कि इस संघर्ष में, जो आज दुनिया के सामने भूत बनकर खड़ा है अन्त में एटम बम पर, दानव-प्रवृत्ति पर, मानव-प्रवृत्ति की जीत होगी। ईश्वर करे यह प्रस्ताव फलीभूत हो और वह समय आये जब इस प्रस्ताव केअनुसार यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना समुचित और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करे और संसार की शान्ति और मानव-कल्याण की उन्नति के लिए अपना पूरा तथा हार्दिक सहयोग दे।

*अध्यक्ष : इस प्रस्तावपर गंभीरतापूर्वक विचार करके आपके वोट देने का समय अब आगया है। मैं आशा करता हूँ कि इस अवसर की गंभीरता और इस प्रस्ताव में निहित प्रतिज्ञा और वचन की महत्ता को ध्यान रखते हुए प्रत्येक सदस्य इसके पक्ष में अपना वोट देते समय अपने स्थान पर खड़ा हो जायगा।

मैं प्रस्ताव पढ़ता हूँ :

(१) यह विधान-परिषद भारतवर्षको एक पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने का दृढ़ और गम्भीर संकल्प प्रकट करती और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिये एक विधान बनाया जाये :

(२) जिसमें उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा जो आज ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के अन्तर्गत तथा उनके बाहर भी हैं और आगे स्वतन्त्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हों; और

(३) जिसमें उपर्युक्त सभी प्रदेशों को, जिनकी वर्तमान सीमा चाहे कायम रहे या विधान-सभा और बाद में विधान के नियमानुसार बनाने या बदले, एक स्वाधीनइकाई या प्रदेशका दर्जा मिलेगा वा रहेगा उन्हें वे सब शेषाधिकार प्राप्त होंगे वा रहेंगे जो संघ को नहीं सौंपे जायेंगे और वे शासन तथा प्रबन्ध सम्बन्धी सभी अधिकारों को बरतेंगे, सिवाय उन अधिकारों और कामोंके जो

[मा० पं० जवाहरलाल नेहरू]

संघ को सौंपे जायेंगे अथवा जो संघ में स्वभावतः निहित या समाविष्ट होंगे या जो उससे फलित होंगे; और

(४) जिसमें सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भारत तथा उसके अंगभूत प्रदेशों और शासन के सभी अंगों की सारी शक्ति और सत्ता जनता द्वारा प्राप्त होगी; तथा

(५) जिसमें भारत के सभी लोगों को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अनुकूल निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, व राजनैतिक न्याय के अधिकार वैयक्तिक स्थिति व सुविधा की तथा मानवी समानता के अधिकार और विचारों की, विचारों को प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की, ईश्वरोपासना की, काम-धन्धे की, संघ बनाने वा काम करने की स्वतन्त्रता के अधिकार रहेंगे और माने जायेंगे; और

(६) जिसमें सभी अल्प-संख्यकों के लिए, पिछड़े हुये वा कबायली प्रदेशों के लिए तथा दलित और पिछड़ी हुई जातियों के लिए काफी संरक्षण-विधि रहेगी ; और

(७) जिसके द्वारा इस जनतन्त्र के क्षेत्र की अक्षुण्णता रक्षित रहेगी और जल, थल और हवा पर उसके सब अधिकार, न्याय और सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार रक्षित होंगे ; और

(८) यह प्राचीन देश संसार में अपना योग्य व सम्मानित स्थान प्राप्त करने और संसार की शान्ति तथा मानव जाति का हित-साधन करने में अपनी इच्छा से पूर्ण योग देगा।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने तब प्रस्ताव का हिन्दी रूपान्तर पढ़कर सुनाया।)

प्रस्ताव का उर्दू अनुवाद भी मेरे पास है। दुर्भाग्य से मैं उसे पढ़ नहीं सकता। यदि कोई और सदस्य इसे मेरी ओर से पढ़ सकें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

(उसके बाद श्री मोहनलाल सक्सेना ने प्रस्ताव का उर्दू अनुवाद पढ़ा।)

*अध्यक्ष : मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रस्ताव के पक्ष में वोट दें।

सभी सदस्यों ने खड़े होकर प्रस्ताव को स्वीकार किया।

भूटान और सिक्किम को नेगोशियेटिंग कमेटी के कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित करने का प्रस्ताव

*अध्यक्ष : अगला प्रस्ताव सिक्किम और भूटान के सम्बन्ध में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे पेश करेंगे।

*माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूँ—

"यह परिषद् निश्चय करती है कि २१ दिसम्बर, १६४६ के अपने प्रस्ताव के अनुसार (नरेन्द्र मंडल द्वारा नियुक्त नेगोशियेटिंग कमेटी तथा देशी रियासतों के अन्य प्रतिनिधियों से कतिपय विशेष विषयों के सम्बन्ध में विचार-विनिमय करने के लिए) जो कमेटी नियुक्त की गई थी, उसे अन्य बातों के अलावा भूटान और सिक्किम की विशेष समस्याओं पर विचार करने के लिए उन व्यक्तियों से विचार-विनिमय करने का, जिनसे बातचीत करना वह उचित समझेगी और इस परिषद् के सामने अपने कार्य की रिपोर्ट उपस्थित करने का भी अधिकार होगा।

श्रीमान्, क्या मैं यह स्पष्ट कर सकता हूं कि इस प्रस्ताव की जो प्रति सदस्यों को दी गई है, उसकी अन्तिम पंक्ति को छोड़कर पहली पंक्ति में थोड़ा-सा परिवर्तन करके उसे इस प्रकार पढ़ा जाय—"भूटान और सिक्किम की विशेष समस्याओं का विचार करने के लिए और परिषद् के सामने अपनी रिपोर्ट उपस्थित करने का"...

सभा को स्मरण होगा कि गत दिसम्बर में हमने एक प्रस्ताव पास किया था जिसके अनुसार नरेन्द्र-मंडल द्वारा नियुक्त नेगोशियेटिंग कमेटी तथा देशी रियासतों के अन्य प्रतिनिधियों से निम्न विषयों पर विचार-विनिमय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डा० पट्टाभि-सीतारमैया, श्री शंकरराव देव, सर एन० गोपालस्वामी आयंगर और मैं भी शामिल था:—

(अ) परिषद् में उन ६३ स्थानों के वितरण के निर्धारण का प्रश्न, जो केबिनेट मिशनके १६ मई वाले वक्तव्य के अन्तर्गत देशी रियासतों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, और

(ब) उस प्रणाली का निर्धारण, जिसके द्वारा रियासतों के प्रतिनिधि इस परिषद् में भेजे जायं और उसके बाद इस विचार-विनिमय के परिणाम की रिपोर्ट विधान-परिषद् के सामने उपस्थित की जाय। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चिय किया गया था कि बाद में अधिक-से-अधिक तीन और सदस्यों को इस कमेटी में लिया जा सकता है। इस कमेटी को दो विषयों पर विचार करना था, रियासतों के लिए सुरक्षित स्थानों का वितरण और उनका निर्धारण, और उस प्रणाली का निर्धारण जिसके द्वारा रियासतों के प्रतिनिधि इस परिषद् में भेजे जायं। एक प्रश्न यह उठ खड़ा हुआ है कि उन कतिपय क्षेत्रों के बारे में हमें क्या करना होगा जो भारतीय रियासतों में शामिल नहीं हैं। हमारे सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव में भूटान और सिक्किम का उल्लेख किया गया है।

एक प्रकार से भूटान भारत के संरक्षण में एक स्वतंत्र राज्य है। सिक्किम एक तरह से एक भारतीय रियासत है जो उससे भिन्न है। इसलिए भूटान को एक भारतीय रियासत की श्रेणी में रखना उचित नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि भारत के संबन्ध में भूटानकी भावी स्थिति क्या होगी? इस प्रश्न का निर्णय हमें भूटान के प्रतिनिधियों के परामर्श और सहयोग से करना है। इस विषय में किसी को मजबूर करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। गत अधिवेशन में अपने जो कमेटी नियुक्त की थी उसके विचारणीय

[मा० पं० जवाहरलाल नेहरू]

विषयों के अन्तर्गत आपको ऐसी किसी भी समस्या पर सोच-विचार करने का अधिकार नहीं है। ये विषय इस परिषद् में प्रतिनिधित्व के तरीके और स्थान के वितरण तक ही सीमित हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देशी नरेशों ने यह आपत्ति उठाई है कि हमने नेगोशियेटिंग कमेटी के विचारणीय विषय इतने सीमित क्यों रखे हैं? उन्हें सीमित रखने के प्रत्यक्ष कारण हैं—रियासतों के सम्बन्ध में बाद में उठने वाली सभी समस्याओं पर परिषद् में आने वाले उनके इन प्रतिनिधियों द्वारा ही सोच-विचार किया जायगा और उनके प्रतिनिधियों के यहाँ आने से पूर्व मुख्य समस्याओं के बारे हमारे लिए कोई अन्तिम निर्णय करना मूर्खतापूर्ण होगा। इसलिए हमने जान बूझ कर अपनी नेगोशियेटिंग कमेटी का कार्य सीमित रखा। परन्तु उसके कार्य-क्षेत्र को सीमित करके हमने उसे अन्य ऐसी समस्याओं पर सोच-विचार करने से रोक दिया जो देशी रियासतों से भिन्न प्रदेशों के सम्बन्ध में उठ सकती हैं, विशेषकर भूटान और सिक्किम के सम्बन्ध में और इस प्रस्ताव द्वारा उसे भूटान और सिक्किम के प्रतिनिधियों से भेंट करने और किसी भी विशिष्ट समस्या पर विचार-विनिमय करने का अधिकार दिया गया है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि आवश्यकता पड़े तो इस विधान-परिषद् को स्वतंत्र राज्यों से भी इस प्रकार की समस्याओं पर विचार-विनिमय करने का पूरा-पूरा अधिकार है। स्वतंत्र राज्यों के साथ अपने भावी सम्बन्धों के बारे में बातचीत करने का हमें निर्बाध रूप से अधिकार है। परन्तु इस समय मैं उस समस्या पर विचार नहीं कर रहा हूं। भूटान की चाहे जो भी स्थिति हो, यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हमें उसके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की शक्ति और अधिकार है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम भूटान की वर्तमान प्रतिष्ठा को किसी प्रकार भी कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह चाहे कुछ भी हो, यह तो मानना ही पड़ेगा कि वह भारतीय रियासतों से सर्वथा भिन्न होगी। हम अपनी कमेटी को केवल उनके प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय से और उसके बाद अपनी रिपोर्ट विधान-परिषद् के सम्मुख उपस्थित करने का ही अधिकार दे रहे हैं।

श्रीमान्, मैं इस प्रस्ताव को आपकी अनुमति से उपस्थित करता हूँ।

*माननीय पंडित गोविन्दवल्लभ पंत (संयुक्तप्रान्त : जनरल): मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है और उसका अनुमोदन भी कर दिया गया है। यदि कोई सदस्य भाषण देना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं ......(कुछ देर रुक कर)......तो क्या मैं यह मान लूं कि कोई भी व्यक्ति इस प्रस्ताव के संबन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता? मैं प्रस्ताव को वोट लेने के लिए उपस्थित करता हूँ......

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया

*अध्यक्ष: असेम्बली के बजट के सम्बन्ध में दो प्रस्ताव हैं।

*श्री एच० वी० कामठ (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल) : श्रीमान्, कल नेताजी श्रीसुभाषचन्द्र बोस की स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इस परिषद् के एक बड़े भाग ने असेम्बली को स्थगित करने की जो प्रार्थना की है उसकी ओर क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ ?

*अध्यक्ष : श्री कामठजी, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है हमारे पास कल के लिए कोई कार्य तैयार नहीं है, इसलिए प्रत्येक दशा में कल की छुट्टी होगी। (हर्ष-ध्वनि) ......श्री गाडगिल !

विधान-परिषद् के बजट के अनुमान

*श्री एन० वी० गाडगिल(बम्बई:जनरल) : मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं:-

"यह निश्चय किया जाता है कि यह परिषद् सन् १९४६।४७ ई० तथा सन १९४७।४८ की असेम्बली के लिए विधान-परिषद् के नियम ५० (१) के अनुसार फाइनेंस कमेटी और अधिकारियों द्वारा तैयार किये हुए आनुमानिक व्यय को, जिसे नत्थी की हुई सूची में दिखाया गया है, स्वीकार करती है।"

श्रीमान , जैसा कि नियमों में रखा गया है......

*श्री के० संतानम् (मद्रास : जनरल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय पर कमेटी में विचार करना चाहिए। यह उचित नहीं है कि हम दर्शकों की उपस्थिति में बजट पर वाद-विवाद करें इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि हमें कमेटी का रूप धारण कर लेना चाहिए।

*प्रो० एन० जी० (मद्रास : जनरल) : मैं इसका अनुमोदन करता हूँ।

*श्री विश्वनाथदास (उड़ीसा : जनरल) : मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

*श्री सोमनाथ लाहिरी (बंगाल : जनरल) : इस प्रस्ताव का सम्बन्ध जनता के धन से है। इस विषय पर जनता की उपस्थिति में वाद-विवाद करने से भयभीत होने का मुझे कोई कारण नहीं दीखता।

*अध्यक्ष : इस प्रस्ताव को पेश होने दीजिये। तब हम इस पर विचार करेंगे कि आया इस पर विचार-विनिमय कमेटी में होगा।

*श्री के० संतानम् : प्रस्ताव पेश हो चुका है। वह इस पर वक्तृता देने को हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यह गुप्त रूप से हो। कोई बात छिपाने या भयभीत होने की नहीं है परन्तु हम बोलने की स्वतन्त्रता चाहते हैं।

*अध्यक्ष : तब मैं इस सम्बन्ध में सभा की इच्छा जानना चाहता हूं। जो इस प्रस्ताव पर कमेटी में विचार करना चाहते हों वे कृपया 'हाँ' कहेंगे।

*माननीय बी० जी० खेर (बम्बई : जनरल) : सम्पूर्ण सभा को कमेटी का रूप धारण करना चाहिये।

*अध्यक्ष : वे जो कमेटी के पक्ष में हैं, 'हां' कहें।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

*अध्यक्ष : अब हम कमेटी का रूप धारण करेंगे और चूंकि कमेटी की बैठकें गुप्त रूप से होती हैं, इसलिए मैं दर्शकों से चले जाने की प्रार्थना करता हूँ।

(तब गैलरियां खाली कर दी गईं)

(इसके बाद कार्यवाही गुप्त रूप से हुई)

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

भारतीय विधान-परिषद्

शुक्रवार, २४ जनवरी सन् १९४७ ई०

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में दिन के ११ बजे अध्यक्ष डा० राजेन्द्रप्रसाद के सभापतित्व में हुई।

*अध्यक्ष : अब हम कार्यवाही शुरू करेंगे। परसों जब कार्यवाही समाप्त हुई थी तब हम समिति के रूप में बजट (आय-व्यय लेखा) पर बहस कर रहे थे। कुछ ऐसे संशोधन हैं, जिनको हाउस के समक्ष रखना ही है। मैं सुझाव पेश करता हूँ कि हम पहले उन प्रस्तावों को लें और उन्हें समाप्त करने के बाद अगर हमारे पास समय बचे तो फिर समिति के रूप में बैठकर बजट पर बहस करेंगे।

मुझे आशा है कि सदस्यों को मेरी बात स्वीकार है।

*श्री सत्यनारायण सिनहा (बिहार : जनरल) : अध्यक्ष जी, जब इसने पिछली बैठक स्थगित की थी तो हम समिति के रूप में थे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम विधिवत् यह प्रस्ताव करें कि सभा अब असेम्बली के खुले पूर्ण अधिवेशन में बैठ रही है।

*अध्यक्ष : मुझे आशा है कि सभा इस सुझाव को स्वीकार करती है।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

*अध्यक्ष : चूँकि सभा ने सुझाव स्वीकार कर लिया है इसलिए अब हम पूर्ण खुले अधिवेशन में बैठते हैं और प्रस्ताव लेते हैं।

अब मैं श्री सत्यनारायण सिनहा से कहता हूँ कि वह अपने नाम का प्रस्ताव पेश करें।

उपाध्यक्ष का चुनाव

खुली कार्यवाही:—

*श्री सत्यनारायण सिनहा : श्रीमान् अध्यक्षजी, मैं अपने नाम का नीचे लिखा प्रस्ताव पेश करता हूँ:—

> निश्चय हुआ कि यह असेम्बली विधान-परिषद के नियम १२ उपनियम (१) के अनुसार उपाध्यक्ष का चुनाव करने को कार्यवाही करे।

महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सभा के उपाध्यक्षों के बारे में कार्यवाही के वे नियम पढ़ूंगा जो गत बैठक में पास किये गए थे।

> असेम्बली के पांच उपाध्यक्ष होंगे। पांच उपाध्यक्षों में दो का चुनाव असेम्बली के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के निर्दिष्ट ढंग पर होगा।

---

*इस चिन्ह का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

विभागों द्वारा निर्वाचित सभापति असेम्बली के पद की स्थिति से उपाध्यक्ष होंगे।

अब नियम १६ के अनुसार असेम्बली के सभापतित्व के लिए यदि कोई उपाध्यक्ष न हो तो, असेम्बली को अधिकार है कि वह इस कार्य के लिए अपने किसी भी सदस्य को चुन ले। इसलिए अगर आप थोड़े समय के लिए अनुपस्थित भी हो जायंगे तो ऐसे अवसरों पर असेम्बली अपने सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष चुनकर अपनी कार्यवाही जारी रखेगी। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि हम इस अधिवेशन के दौरान में एक उपाध्यक्ष चुन लें। इसलिए मैं यह प्रस्ताव रखता हूँ और आशा करता हूँ कि हाउस इसे स्वीकार करेगा।

***माननीय पं० गोविन्द वल्लभ पन्त (संयुक्त प्रदेश : जनरल) :** मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

***अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ और समर्थन प्राप्त कर चुका है। मैं नहीं समझता कि उस पर किसी बहस की जरूरत है।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष :** आज ५ बजे शाम तक सेक्रेटरी से नामजदगी प्राप्त हो सकेगी। अगर चुनाव जरूरी हुआ तो वह कल दिन के ११ बजे से १२ बजे के बीच में सहायक मन्त्री (Under Secretary) के दफ्तर रूम नं० २४ में होगा, जो नीचे की मंजिल पर है।

एडवाइजरी कमेटी का चुनाव

***माननीय पं० गोविन्द वल्लभ पन्त :** श्रीमान् जी, मैं अपने नाम का प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा चाहता हूं जो इस प्रकार है :—

"यह असेम्बली निश्चय करती है कि मन्त्रि-मंडल मिशन के १६ मई १९४६ ई० की घोषणा के पैरा २० के अनुसार निम्न लिखित व्यवस्था की एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) बना दी जाये :—

१. (क) सलाहकार समिति में ६८ सदस्यों से अधिक नहीं होंगे और उसमें ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे जो असेम्बली के सदस्य नहीं है।

(ख) (अ) आरम्भ में इसमें ५२ सदस्य होंगे जिनका चुनाव असेम्बली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर एक परिवर्तनीय मत द्वारा होगा।

(आ) असेम्बली अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित ढंग पर सात सदस्य तक चुन सकती है।

(ग) अध्यक्ष किसी समय या कई अवसरों को मिलाकर कमेटी के लिए ९ सदस्यों तक को नामजद कर सकते हैं।

२. एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) ऐसी उपसमितियों की नियुक्ति करेगी जो पश्चिमोत्तर प्रदेश के कबाइली क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी प्रदेश के कबाइली क्षेत्र के लिए शासन की योजना तैयार करेगी और उन क्षेत्रों के लिए भी जो कबायली क्षेत्र जब कि क्षेत्र पृथक् और विशेष रूप में पृथक् कहे जाते हैं। इन समितियों में से प्रत्येक उस समय के लिए किसी खास कबाइली क्षेत्र से जो विचाराधीन हैं अधिक से अधिक दो सदस्य चुन (coopt.) कर सकेगी, जिससे उस क्षेत्र के बारे में उनसे विशेष सहायता प्राप्त हो सके।

३. एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) समय-समय पर ऐसी उपसमितियां नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझेगी।
४. एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) आखिरी रिपोर्ट यूनियन विधान-परिषद् को तीन मास के अन्दर भेजेगी और समय-समय पर अस्थायी रिपोर्ट भी भेज सकेगी।
५. एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) में जो इत्तफाकिया जगहें खाली होंगी उनके खाली होते ही जहां तक जल्द हो सकेगा उन पर उसी ढंग से नियुक्ति कर दी जायेगी जिस प्रकार आरम्भ में हुई थी।
६. अध्यक्ष, कमेटी की कार्यवाही के ढंग के बारे में, स्थायी आज्ञा प्रदान कर सकते हैं।

महोदय, यह प्रस्ताव न केवल १६ मई के वक्तव्य में व्याख्या की गई योजना के अनुसार है बल्कि इसने योजना की शब्दावली भी ग्रहण कर ली है। इस योजना के अनुसार एक समिति अल्प संख्यकों के अधिकार, नागरिक अधिकार और कबीले वाले पृथक् और विशेष रूप में पृथक् क्षेत्रों सम्बन्धी सवालों को हल करेगी। यदि यह कार्य हम पर डाला जाता तो हम इन सभी विषयों की अलग-अलग समितियां नियुक्त करते और पश्चिमोत्तर सीमाप्रदेश तथा उत्तरपूर्व सीमान्त के लिए दो समितियां वहां की समस्यायें सुलझाने के लिए नियुक्त कर देते, पर चूंकि योजना में एक ही समिति का विचार किया गया था, इसलिए हमने उस प्रस्ताव और पथ-प्रदर्शन के विरुद्ध जाना ठीक नहीं समझा। इसके फलस्वरूप कमेटी उससे बड़ी हो गई है जितनी बड़ी वह उस अवस्था में हो सकती थी जब कि प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग समिति बनाई जाती। यह कमेटी एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) कही जायेगी और यह वाक्यांश ४ के पैराग्राफ १६ के अनुसार नियुक्त हो रही है, जो इस प्रकार है :—

> "एक आरम्भिक सभा की जायेगी जिसमें कार्यवाही की सामान्य व्यवस्था का निर्णय होगा। अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों का चुनाव होगा और नागरिकों के अधिकार अल्पसंख्यकों और कबाइली तथा पृथक क्षेत्रों के अधिकारों के लिए एक सलाहकार-समिति बनेगी।

इस प्रकार यहां जिस ढाञ्चे का निर्देश किया गया है, उसके अनुसार हम साधारण अवस्था में अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही इस विषय को हाथ में लेने वाले थे। पर हमने गैरहाजिर सदस्यों का ख्याल रखते हुये ऐसा नहीं किया। हम मुस्लिम लीग के सदस्यों के आने के लिए सुविधायें पैदा करना चाहते थे और असेम्बली की कार्यवाही में उनका सहयोग चाहते थे। यह अफसोस की बात है कि अभी तक इस दिशा में हमारे प्रयत्न सफल नहीं हुये हैं। हमने न केवल इस विषय पर विचार करना ही स्थगित कर दिया जो इस वक्तव्य की योजना के अनुसार हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक था बल्कि कांग्रेस और भी आगे बढ़ी और उसने सम्राट्-सरकार तथा मुस्लिम लीग की उन व्याख्याओं को स्वीकार कर लिया जो उन्होंने वक्तव्य के कुछ विरोधाभासी वाक्यांशों के बारे में की थीं। यही नहीं, ब्रिटिश मन्त्रिमंडल ने ६ दिसम्बर की घोषणा के एक बड़े भाग को भी कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने ५ जनवरी को स्पष्ट रूप में लीग के प्रान्तीय बंटवारे सम्बन्धी खंड को भी स्वीकार करके उसकी घोषणा कर दी है। इस असेम्बली की बैठक २० तारीख को हुई थी। बीच में पन्द्रह दिन का समय था। हमने इस विषय का विचार स्थगित कर दिया था।

मुस्लिम लीग ने न केवल इस सभा में सम्मिलित होने का कोई रस्मी प्रस्ताव नहीं पास किया, बल्कि मुस्लिम लीग के विचारों की जानकारी का दावा करने वालों ने जो बयान दिये उससे उसकी प्रतिकूलता ही दिखाई देती है। इस असेम्बली के अधिकारियों को, मन्त्री या और किसी को मुस्लिम लीग के किसी जिम्मेदार प्रतिनिधि द्वारा यह इशारा भी नहीं मिला कि जिससे इस असेम्बली की बैठक स्थगित कर दी जाती या इसके आदेश-पत्र में और कार्यवाही सम्मिलित की जाती। ऐसी स्थिति में हम उस कार्यवाही को लेकर आगे बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते जो हमारे लिये निर्धारित, निश्चित और व्यवस्थित है। जिस मार्ग का अनुसरण किया जा रहा है उसके कारण अगर किसी को परेशानी और असुविधा होती है तो उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन्होंने पृथक् रहना ही पसन्द किया है। मैं समझता हूं कि सभी जिम्मेदार और निर्पेक्ष व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस तथा इस सभा के माननीय सदस्यों ने जितनी उनसे आशा की जाती थी मुस्लिम लीग के इस असेम्बली में विचार-विमर्ष के लिये भाग लेने को सुविधा देने के लिए उससे कहीं अधिक प्रयत्न किये हैं। किन्तु वह अभी तक अपने मूल विरोधी रुख पर डटे हैं और जो महान् और पवित्र कार्य हमें आगे करने हैं उसमें हाथ बटाने के लिये वे असेम्बली की कार्यवाही में भाग लेने को तैयार नहीं हैं।

मैं यह सब चर्चा करना आवश्यक समझता हूं। खासकर समाचार-पत्रों में तथा एक स्थानीय पत्र में निकले हुये कुछ लेखों को दृष्टि में रखते हुये नरम शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति के लिये, यह एक समझ में न आने वाली बात है कि इस विषय को और भी आगे के लिए स्थगित किया जा सकता है जो वास्तव में शुरू में ही किया जाना जाहिये था। इस सभा के माननीय सदस्यों ने अनुपस्थित सदस्यों के लिए जिस कोमल भाव से उत्कंठा प्रकट की है, उसकी न केवल कद्र ही नहीं की गई बल्कि उसका गलत अर्थ लगाया गया है। इस प्रश्न का दूसरा पहलू भी है। इस देश के लाखों लोग इस असेम्बली की कार्यवाही की परीक्षा बड़ी सूक्ष्मता से कर रहे हैं और यह जानने को उत्सुक हैं कि हम अपने ध्येय की ओर कहां तक आगे बढ़े हैं। प्रतिदिन का विलम्ब उन्हें निराश कर रहा है और दूसरी ओर इस बात का प्रबल विरोधी प्रचार किया जा रहा है कि यह असेम्बली तो धुंवे के रूप में ही समाप्त होगी इसके सभी प्रयत्न, कार्यवाही और महोद्योग व्यर्थ सिद्ध होंगे और इसका परिणाम कुछ न निकलेगा। ऐसी स्थिति में इस असेम्बली की सफलताओं में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिये कि इस सभा के माननीय सदस्यों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी का भार है। वे इस सभा की कार्यवाही अनिश्चित रूप में नहीं टाल सकते हैं और न वे मनोरथ को इतना टाल सकते हैं कि वह सर्वथा शांत हो जाय। इसलिये मैं विश्वास करता हूं कि माननीय सदस्य मेरे इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करेंगे।

जैसा कि वे जानते हैं, हमें मौलिक अधिकारों के लिये अल्पसंख्यकों के अधिकार और कबीले वाले तथा पिछड़ी हुई जातियों के क्षेत्रों के शासन के लिये व्यवस्था करना है। इस कमेटी के सामने जो काम है उसका खयाल रखते हुए प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित कर दी गयी है। हमारा देश बहुत विशाल है और अब तो यहां ४० करोड़ से भी अधिक लोगों की बस्ती हो गयी है। ऐसी स्थिति में कोई इस तरह की कमेटी के सदस्यों की संख्या कितनी ही घटाना चाहे फिर भी वह एक निश्चित संख्या के नीचे नहीं जा सकती। हमने सभी हितों और सभी प्रकार के लोगों

का खयाल रखा है और फिर भी संख्या इस प्रकार उचित रूप में निश्चित की है कि काम करने में कठिनाई न हो। इस कमेटी में ७२ सदस्य रखे गये हैं जब कि शुरू में इसमें ६८ सदस्यों की व्यवस्था सोची गयी थी। माननीय सदस्य जानते हैं कि नागरिक अधिकार पर हमें विधान बनाना है। उसके लिये हमें साधारण संस्था (General Body) के प्रतिनिधि चाहिए। मौलिक अधिकार से सभी का सम्बन्ध है और इसके बारे में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक का सवाल ही नहीं उठ सकता। वास्तव में लार्ड सभा में भारत-मंत्री ने गत मास जो भाषण दिया था उसमें यह बात निश्चित रूप में कही गयी थी कि नागरिकों के अधिकारों का प्रश्न समझने वाले सदस्य उसमें होंगे। फिर आपको उन सदस्यों का चुनाव करना है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को समझते हों। माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे देश में कितने अल्पसंख्यक हैं। हमारी संस्कृति बहुत प्रकार की पूर्णताओं से संयुक्त है और सौभाग्य से हमारे पास ऐसे दल हैं जो एक दूसरे की पूर्ति और सहायता करके एक पूर्ण वस्तु भारतीय राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसलिये हमने इस प्रस्ताव में आरम्भिक कमेटी के लिये ५२ सदस्यों की व्यवस्था रखी है, पर संशोधन के अनुसार, जिसे श्री मुंशी पेश करेंगे, संख्या ५२ नहीं ५० है। इन ५० में से केवल १२ साधारण विभाग के प्रतिनिधि होंगे। अन्य लोग अल्पसंख्यकों तथा कबीले वाले पृथक् क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। अल्पसंख्यकों को निम्न लिखित रूप में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा :—

बंगाल, पंजाब, सीमाप्रांत, बलूचिस्तान और सिंध के हिंदुओं को	७ प्रतिनिधि
संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, बम्बई, आसाम और उड़ीसा इन सात प्रांतों के मुसलमानों को	७ प्रतिनिधि
दलित जाति या तालिकाबद्ध जातिवालों को	७ प्रतिनिधि
सिखों को	६ प्रतिनिधि
हिन्दुस्तानी ईसाइयों को	४ प्रतिनिधि
पारसियों को	३ प्रतिनिधि
एंग्लोइंडियनों को	३ प्रतिनिधि
कबीलेवाले और पृथक् क्षेत्रों को	१३ प्रतिनिधि

इनके अतिरिक्त १० नामजदगियां अध्यक्ष जी करेंगे। प्रस्ताव में संख्या अधिक लिखी गयी है। अब जिन लोगों को नामजद किया जायेगा उनकी संख्यायें, श्री मुंशी द्वारा पेश किये जाने वाले संशोधन के अनुसार, ५ तो कबीले वाले क्षेत्रों के लिये अलग कर दिये जायेंगे, ७ मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रान्तों के लिए और शेष १० अध्यक्ष की व्यवस्था पर छोड़ दिये जायेंगे जिससे वह ऐसे लोगों को नामजद कर सकें जो कमेटी के कार्य में प्रवृत्त हो सकें और जिनके द्वारा ठोस और सतोषजनक फैसले पर पहुंचा जा सके। इस तरह कमेटी का निर्माण हो जायगा। किसी भी हालत में जो कुछ भी संख्या होगी उसमें अल्प संख्यकों, पृथक् क्षेत्र वालों और कबीले वाले क्षेत्रों के निवासियों की आवाज कमेटी में अधिक होगी। वह अपना चाहा फैसला कर सकेंगे और कोई भी अन्य भाग बहुमत न प्राप्त कर सकेगा। इस तरह यह कमेटी अल्प संख्यकों और पिछड़े हुए क्षेत्रों का पूर्णप्रतिनिधित्व करेगी और हमें आशा है कि ऐसे फैसले पर पहुंचेगी जिससे उनकी स्थिति मजबूत हो जायेगी और अधिकार पूर्णतः सुरक्षित। इस प्रस्ताव के दूसरे पैराग्राफ (वाक्य-समूह) में पश्चिमो-

तर के कबीले वालों तथा उत्तरपूर्व की आदि निवासी जातियों के क्षेत्रों तथा पृथक् एवं विशेष रूप में पृथक् क्षेत्रों के शासन के लिये सब कमेटियां (उपसमितियां) नियुक्त करने की व्यवस्था रखी गयी है। इस काम के लिए छोटी उपसमितियों की नियुक्ति आवश्यक होगी क्योंकि उनमें तो घटनास्थल पर अध्ययन करने वालों की ही जरूरत होगी और जब तक विशेषज्ञों द्वारा निकटतम रूप में सवालों पर विचार न होगा और विशेषज्ञों की राय तथा स्थानीय लोकमत को ज्ञात न कर लिया जायगा तब तक विशेष क्षेत्रों के लिये सापेक्ष परिणाम प्राप्त न हो सकेंगे। कुछ सब कमेटियों (उपसमितियों) की नियुक्ति के अतिरिक्त प्रस्ताव उन सब कमेटियों को अधिकार भी देता है कि वह उस खास क्षेत्र के दो सदस्य और चुन (Coopt कर) ले जिसके प्रश्नों पर उस समय विचार हो रहा हो और जहां तक उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में इस प्रकार के सदस्यों द्वारा चुने गये (Coopted) सज्जनों की आवश्यकता हो।

खंड ४ उस समय की सीमा निर्धारित करता है जिसके अन्दर इस एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) की अन्तिम रिपोर्ट पेश कर दी जाये। यह काम तीन महीने के अन्दर हो जाना चाहिए। यदि माननीय सदस्य पैरा २० को देखेंगे तो उन्हे ये शब्द मिलेंगे:—

> नागरिक अधिकारों, अल्प संख्यकों और कबीले वाले क्षेत्रों तथा पृथक् क्षेत्रों के बारे में जो एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) नियुक्त होगी उसमें तत्सम्बन्धी सभी हितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, और उनका काम होगा कि वे यूनियन कान्स्टीट्यूऐन्ट असेम्बली (संयुक्त विधान-परिषद्) को मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों की रक्षा के वाक्यांशों (Clauses) कबीले वाले और पृथक् क्षेत्रों के शासन की योजनाओं की रिपोर्ट में और यह परामर्श दे कि वे अधिकार प्रान्तीय दलीय विभाजन या संयुक्तविधान में से किसमें सम्मिलित किये जायें।

इस एडवाइडरी कमेटी (सलाहकार समिति) का काम तेजी से चलाने की आवश्यकता है, जिससे उसकी सिफारिश इस सभा को जहां तक हो सके जल्द मिल जाये और समय का दुरुपयोग न हो। इस एडवाइडरी कमेटी (सलाहकार समिति) की कार्यवाही के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत प्रस्ताव जब तक सामने न आजाये तब तक केन्द्रीय संयुक्त असेम्बली (Central Union Assembly) को इस रिपोर्ट पर विचार करना चाहिये जिससे प्रान्तीय या आवश्यकता हुई तो बंटवारे के विधान (Group Constitution) पर विचार करते समय वह उस कार्य को ठीक तौर पर आरम्भ कर सके। इस लिए यह वांछनीय है कि इस कमेटी (समिति) की रिपोर्ट शीघ्र पहुँचे और इसलिए यह व्यवस्था तैयार की गयी है।

मैंने तथ्यात्मक वर्णन और विश्लेषण देने का प्रयत्न किया है और कुछ हद तक विचाराधीन प्रस्ताव की व्यवस्था भी कर दी है। माननीय सदस्यों और अध्यक्ष की अनुमति से मैं कुछ सामान्य बातें भी कहना चाहता हूँ। वैधानिक चर्चाओं में अल्प संख्यक का प्रश्न सब जगह आगे आता है। इस चट्टान पर कितने ही विधान इससे टकराकर नष्ट हो चुके हैं। अल्पसंख्यकों सम्बन्धी प्रश्नों के सन्तोषजनक हल पर स्वतन्त्र भारत का स्वास्थ्य, क्रियाशीलता और शक्ति निश्चित है और यह यहाँ हमारी बहस के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त हो सकता है। अल्पसंख्यकों का सवाल बहुत बढाया भी नहीं जा सकता। अब तक यह दंगों, पारस्परिक अविश्वास और भारतीय राष्ट्र के

विभिन्न अंगों में भिन्नता बढ़ाने के लिये काम में लाया जाता रहा है। साम्राज्यवाद का विकास ही ऐसे ही झगड़ों के आधार पर होता है, वह ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ाने में ही दिलचस्पी लेती है। अब तक अल्पसंख्यकों को इस तरह उकसाया और प्रभावित किया जाता रहा है जिससे मिलाप और एकता में बाधा पड़ती रही है। पर अब यह जरूरी हो गया है कि एक नया अध्याय शुरू किया जावे और हम सब अपने उत्तरदायित्व को समझें। जब तक अल्पसंख्यकों को पूरा सन्तोष न हो जायेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम शान्ति भी अनवरत रूप से नहीं कायम कर सकते। इसलिये जो कुछ भी किया जा सके वह किया जाना चाहिये। वास्तव में यदि १६ मई का वक्तव्य न भी होता तो भी हम इस प्रकार की कमेटी (समिति) बनाने का प्रस्ताव करते। यदि माननीय सदस्य इस सभा द्वारा सर्वसम्मति से पास किये गये लक्ष्य मूलक (ओबजेक्टिव रेजोल्यूशन) प्रस्ताव को देखेंगे तो वे इन शब्द को खंड (५) और (६) में देखेंगे :—

> जिसमें भारत के सभी लोगों (जनता) को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अनुकूल निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय के अधिकार वैयक्तिक स्थिति व सुविधा की, तथा मानवी समानता के अधिकार और विचारों की, विचारों के प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की,ईश्वरोपासना की, काम धन्धे की, संघ बनाने व काम करने की स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे और माने जावेंगे और जिसमें सभी अल्पसंख्यकों के लिये पिछड़े हुये व कबायली प्रदेशों के लिये तथा दलित और पिछड़ी हुई जातियों के लिये काफी संरक्षण विधि रहेगी।

इस प्रकार सभा ने सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव की बुनियादी बातों को पहले ही स्वीकार कर लिया है। इस बात से अल्पसंयख्कों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। इन अधिकारों को साररूप में पहले ही से और स्वेच्छापूर्वक इस सभा के सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। मैं समझता हूँ कि इस एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) में ऐसे फैसले पर पहुंचने के लिये ऐसी प्रत्येक बात का पूर्ण प्रयत्न किया जायेगा जो अल्पसंख्यकों को सन्तुष्ट कर सके। माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे और यदि वे नहीं अवगत हैं तो मैं यह बताकर उन्हें कोई गुप्त बात नहीं बता रहा हूँ कि इस कमेटी की सारी शक्ति का निर्णय इस सभा में उपस्थित सभी अल्पसंख्यकों की इच्छा के अनुसार किया गया है। यह उनकी पूर्ण स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करती है। हमने सन्तोष और तृप्ति दिलाने के लिये सभी बातों की ओर कम विचार लगाया है। विधान-निर्माण का कार्य क्रियात्मक है और हमें काल्पनिक भूलभुलैयों में गुमराह नहीं हो जाना चाहिये हमें समस्याओं पर यथार्थवाद की दृष्टि से देखना चाहिये और हमें इस बात का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये कि हम जो भी फैसला करते हैं वह न्याय ही नहीं है बल्कि वे लोग भी उसे न्याययुक्त समझते हैं जिस पर यह लागू होना है। हम विश्वास करते हैं कि इस कमेटी में विभिन्न अल्पसंख्यकों की इच्छाओं का ध्यान रक्खा जायेगा और उसके लिये सन्तोषजनक होंगे।

इस सम्बन्ध में मैं अल्पसंख्यकों को भी हाल के कुछ वर्षों की ऐतिहासिक घटनायें स्मरण दिलाना चाहूँगा। माननीय सदस्य इस बात की अभिज्ञता रखते होंगे कि प्रथम विश्व-युद्ध के बाद कई राज्य बनाये गये थे खासकर पूर्वीय यूरोप में और अल्पसंख्यकों की रक्षा के कानून भी इन राज्यों के विधानों में जोड़ दिये गये थे। ऐसे राज्यों में चेकोस्लावेकिया, आस्ट्रिया, बल-

गारिया, पोलैंड आदि के नाम लिये जा सकते हैं। उनके विधानों में न केवल ऐसे कानून का समावेश ही किया गया बल्कि संयुक्त और साथी कहे जाने वाले और उस समय बनाये गये नये राज्यों के समझौतों के समय सन्धि में इनको गम्भीर प्रतिज्ञा के रूप में उल्लिखित किया गया। इन नव निर्मित राज्यों में, जो अल्पसंख्यक थे उन्हें, इन संयुक्त और साथी राष्ट्रों ने आश्वासन दिये। अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् और राष्ट्र संघ ने घोषणायें प्रकाशित करायें। पर उन सबका परिणाम क्या हुआ? इन राज्यों में रहने वाले अल्पसंख्यकों पर इतने नृशंस अत्याचार, भीषण दबाव और घोर जुल्म हुए जैसे जितने कि अन्य किन्हीं अल्पसंख्यकों पर न हुये होंगे और उन अल्प-संख्यक जातियों में से कुछ तो अपना अस्तित्व तक खो बैठी और न जाने कहां गायब हो गयी। अल्प संख्यकों को अपनी रक्षा के लिये बाहरी शक्ति की ओर नहीं देखना चाहिये। इससे उन्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी। इतिहास से जो पाठ मिला है उसे भुला नहीं देना चाहिए। उनको यह पाठ अपने हृदय और मस्तिष्क में जमा लेना चाहिए कि उन्हें इन लोगों से ही रक्षा प्राप्त हो सकती है जिनके बीच ये रहते हैं तथा पारस्परिक शुभेच्छा, विश्वास, हार्दिक बन्धुत्व और शुभचिन्तन स्थापित करके ही बहु संख्यक और अल्प संख्यक सभी के हितों की रक्षा हो सकती है। आशा है इतिहास का यह पाठ भुला नहीं दिया जायेगा!

मुझे अल्प संख्यकों या मौलिक अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के विवरण का प्रयत्न यहां नहीं करना है। फिर मैं एक ऐसी दूषित मनोवृत्ति का हवाला दिये बिना नहीं रह सकता जो इस देश में कई वर्षों से जोर पकड़ रही है। व्यक्तिगत नागरिक जो राष्ट्र का मेरुदंड है, और सामाजिक जीवन का धुरी और केन्द्र है और जिसकी प्रसन्नता और सन्तोष समाज के सभी पुर्जों का ध्येय होना चाहिये, वह इस विवेकहीन संस्था-सम्प्रदाय-में खो गया है। हम यहां तक भूल गये हैं कि कोई नागरिक इस रूप में भी हो सकता है। हमारी ऐसी अप्रिय और हेय आदत हो गई है कि हम सदा साम्प्रदायिक रूप में सोचते हैं, नागरिक के रूप में नहीं। (करतल ध्वनि) किन्तु आखिर नागरिकों से ही सम्प्रदाय बनता है और इस रूप में व्यक्ति ही सारे यन्त्र का भीतरी भाग है और वही सारी प्रवृत्ति और उन्नति का साधन और उपाय है। पक्के शासक और राजनीतिज्ञ का लक्ष्य यही होना चाहिये कि उसके द्वारा व्यक्तिगत नागरिक को प्रसन्नता और सुख प्राप्त हो। इसलिये हमें यह याद रखना चाहिये कि नागरिक ही मुख्य चीज है। समाज के स्तूप का ऊर्ध्वभाग यह नागरिक ही है और वही उसकी बुनियाद भी है। अतः उसका महत्व, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी पवित्रता सदैव स्मरण रखना चाहिये। मौलिक अधिकारों का महत्व समझ सकेंगे, क्योंकि इन अधिकारोंको ठीक तौर पर समझ लेने पर ही मनुष्य की उन्नति निर्भर करती है। चार स्वतंत्रताओं वाला अटलांटिक चार्टर, पेइन (Paine) और वेल्स के समय के मानवीय अधिकारों के चार्टर से गत वर्ष तक की इस घोषणा में मानव जाति के सुन्दर विकास का इतिहास सन्निहित है। आखिर हमें तो याद रखना है कि संसार-की सभी मानवी प्रयत्नों का ध्येय और उद्देश्य एक ही है और वह है एक जगत्-राज्य (World State)की स्थापना जिसमें सभी नागरिक व्यापक दृष्टिकोण रखेंगे, कानून की दृष्टि में समान होंगे और उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समुन्नति के लिये पूर्ण सुअवसर प्राप्त होगा। हम देखते हैं कि हमारे ही देश में हमें दलित जातियों की ओर विशेष ध्यान देना है, परिगणित जातियों और पिछड़ी हुई जातियों का खास ख्याल रखना है, हमें अपनी

चूकों के लिये प्रायश्चित करना है। 'गलतियों' शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। हमें उनको सामान्य स्तर पर लाने के लिये सभी शक्य प्रयत्न करने होंगे और यह हमारे और उनके दोनों के भले की बात है कि जो त्रुटि रह गयी है उसकी पूर्ति करदी जाये। लड़ी की मजबूती की परीक्षा उसकी कमजोर से कमजोर कड़ी से की जाती है, इसलिये जब तक प्रत्येक कड़ी पूर्णतः पुनर्शक्ति नहीं प्राप्त कर लेती हमें स्वस्थ राजनैतिक समुदाय जन नहीं मिल सकते। मुझे आशा है कि यह सलाहकार-समिति (एडवाइजरी कमेटी) वह आदर्श अपने सामने रखेगी जिसके लिये मानवता ने काम किए हैं। यह ऐसी शक्ति और ऐसे अधिकार गढ़ने का प्रयत्न करेगी जिससे यह असेम्बली न केवल एक विधान तैयार कर सकेगी बल्कि भारत की स्वतंत्रता भी प्राप्त कर लेगी। हम यहां केवल नियम निष्ठतापूर्ण काम करने नहीं आये है वरन् ऐसे सच्चे कार्य के लिये हैं जिसकी पूर्ति हमें करनी ही है। हमें आशा करनी चाहिए कि यह एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) एकता और बन्धुत्व लायेगी, शुभकांक्षा और सद्विश्वास उत्पन्न करेगी और वर्त्तमान राजनैतिक स्थिति में जो पारस्परिक संघर्ष प्रवेश कर गया है उसे दूर कर देगी तथा इस कमेटी को कार्यवाहियों के फलस्वरूप हम भारत की स्वतंत्रता का मैदान तैयार कर लेंगे जिसके लिये हम जीवित हैं, जिसके लिये कितने ही मर चुके हैं और जिसके लिये यह जीवन कायम रखने योग्य है। (घोर करतल ध्वनि)

*अध्यक्ष : सरदार हरनामसिंह इस प्रस्ताव का समर्थन करने जा रहे हैं।

*सरदार हरनामसिंह : (पंजाब : सिख) : श्री अध्यक्षजी, १६ मई के वक्तव्य के अनुसार जो (सलाहकार-समिति) एडवाइजरी कमेटी बनानी है वह अनेक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी है। हम सभी मानते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक समस्या ही उन्नति में वर्षों से बाधा डालती रही है और इसका सन्तोषजनक हल हो जाने पर देश समृद्धिशाली हो जायगा। हमने लक्ष्य-मूलक प्रस्ताव में रखा है कि भारत के भावी विधान में अल्पसंख्यकों की रक्षा की यथोचित व्यवस्था रखनी होगी। जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, सन् १६२२ ई० से ही जब भारत के लिये विधान-परिषद् की मांग की गई थी, कितने ही प्रस्ताव पास किये गये हैं जिनमें स्पष्ट कहा गया है कि अल्प संख्यकों की रक्षा के लिए ऐसे विधान बनाने हैं जिनसे उन अल्पसंख्यकों को सन्तोष हो। इसलिए मैं प्रसन्न हूं कि इस सभा में स्थित कांग्रेस-दल ने इस संस्था का विधान विधान-परिषद् के सभी सदस्यों को सौंप दिया है। इस एडवाइजरी कमेटी द्वारा प्रस्तावित साम्प्रदायिक समस्या का आखिरी हल क्या होगा, यह कोई अभी नहीं कह सकता पर यह तो सभी मानते हैं कि सारी साम्प्रदायिक रूपरेखा इस माइनरिटी कमेटी (अल्प संख्यक समिति) के सामने है। अल्पसंख्यकों की रक्षा के वाक्यांश जो इस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले हैं उसका वर्त्तमान तथ्यों से कुछ सम्बन्ध है। अल्प संख्यकों की रक्षा के वाक्यांश धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शासन व्यवस्था सम्बन्धी और राजनैतिक वातावरण वाले हैं। इसके बाद भारत के सम्प्रदायों ने गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट के कुछ विधानों पर जोर डाला है कि वे ज्यों-के-त्यों रखे जायं जिससे उन्हें समुचित संरक्षण प्राप्त हो। एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) उसके अनुसार रिपोर्ट तैयार करेगी या नहीं यह बात मैं अभी नहीं कह सकता। वह विधान हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि एंग्लो-इंडियनों को भारत सरकार की २४२ धारा मिली हुई है। कुछ और सम्प्रदायों ने उसे अपने लिए प्राप्त विशेष अधिकारों (Weightage) पर जोर दिया

(सरदार हरनामसिंह)

कुछ ने पृथक् चुनाव जारी रखने की जिद दिखाई है। इन कुछ विधानों से गये वर्षों में कुछ खराबियां हुई होंगी, पर मुझे विश्वास है कि यह एडवाइजरी कमेटी अल्पसंख्यकों की रक्षा के सवाल पर सभी दृष्टियों से विचार करेगी और देश के व्यापक हित के लिए जो उपयोगी होगा और जो अल्पसंख्यकों के स्वार्थों के अनुकूल होगा वह इस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में शामिल किया जायगा।

श्रीमान् जी, इस एडवाइजरी कमेटी और इसके कार्य को ठीक तौर पर समझने के लिए हमें उस लम्बे पत्र-व्यवहार को देख जाना पड़ेगा जो मौलाना अब्बुल कलाम आजाद, मि० जिन्ना और लार्ड पेथिक लारेंस के बीच हुआ है। मौलाना आजाद ने जो पत्र लार्ड पैथिक लारेंस को लिखे हैं उनमें से एक पत्र में इस बात पर हठ किया गया है कि साम्प्रदायिक समस्या सुलझाने के लिए सभी सम्बद्ध दलों की स्वीकृति आवश्यक है, और वास्तव में १२, मई सन् १९४६ ई० को जब कांग्रेस ने समझौते के लिए जो आठ शर्तें आधार भूत रूप से में निश्चित की थी उनमें छठी शर्त यह थी कि जहां तक अल्प संख्यक सम्प्रदायों का सम्बन्ध है कांग्रेस सम्बद्ध सम्प्रदायों से सलाह लेना आवश्यक समझती है जिससे समस्या का हल ठीक तौर से हो सके। इसलिए मुझे आशा है कि जब एडवाइजरी कमेटी अल्प संख्यकों की रक्षा और मौलिक अधिकार के प्रस्ताव तैयार करने के लिए बैठती है तो इसमें सारी बातें इस तरह से आ जानी चाहिए कि वे बड़े और छोटे सभी हितों के अनुकूल हों जिससे छोटे-बड़े सभी सम्प्रदाय इस कमेटी की सिफारिशों पर संतोष प्रकट करें। इन थोड़े शब्दों के साथ मैं पं० गोविन्दबल्लभ पन्त के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

***अध्यक्ष :** मैं देखता हूँ कि आदेश-पत्र (Order papers) में कई संशोधनों की सूची दी गई है। मेरे ख्याल में सुविधा इस बात में होगी कि प्रत्येक वाक्यांश के साथ उसका संशोधन पेश हो। ऐसी दशा में वे सदस्य जो किसी वाक्यांश पर संशोधन पेश करना चाहें वे तब पेश करें जब मैं उस वाक्यांश का नाम लूं।

पहिले खण्ड १ (क) आता है, जिसके संशोधन की सूचना श्री मुन्शी ने दी है।

श्री डम्बरसिंह गुरंग (बंगाल : जनरल) : श्रीमान् जी, किसी संशोधन के पेश करने के पूर्व एक सूचना सम्बन्धी आपत्ति है। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि संशोधनों की सूचना देने के लिए कोई समय नियत किया है या नहीं? यह प्रस्ताव तो सदस्यों में अभी बांटा गया है। सदस्यों को कुछ समय तो मिलना चाहिए।

***अध्यक्ष :** मैं समझता हूँ कि यह प्रस्ताव कई दिन पहिले बांटा गया था।

***श्री डम्बरसिंह गुरंग :** पर यह तो सदस्यों को अभी अभी बांटा गया है। यह कई दिन पहले दल की सभा में भी बांटा गया होगा।

अध्यक्ष : नहीं, नहीं, पंडित पन्त ने जो प्रस्ताव पेश किया है वह कई दिनों पहले बांटा गया था।

श्री डम्बरसिंह गुरंग : मेरा कहना यह है कि इस समय यहां मुस्लिम लीग नहीं है। यह दल की सभा में बांटा गया था।

***अध्यक्ष :** नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको गलतफहमी हो गई है। मैं उस प्रस्ताव की बात

कह रहा हूँ जिसे पंडित पन्त ने पेश किया है, इस प्रस्ताव की सूचना सदस्यों को कई दिन पहले दी गई थी। कोई और भी संशोधन अभी तक पेश नहीं किया गया है।

श्री डम्बरसिंह गुरंग : पर यह प्रस्ताव तो सदस्यों को अभी दिया गया है।

अध्यक्ष : यहां हाउस में ? मुझे भय है कि आप किसी और प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। यह तो कई दिनों पहले बांटा गया था। श्री मुन्शी, आइये !

***श्री के० एम० मुंशी (बम्बई : जनरल) :** मैंयह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के पैरा (वाक्य समूह) १ के सब पैरा (उप-वाक्य समूह) (क) में ४८ की संख्या ७२ कर दी जाय जैसा कि पं० गोविन्दबल्लभ पंत पहले ही बता चुके हैं। प्रस्ताव के दूसरे भाग में जो व्यवस्था की गयी है उसके अनुसार संख्या बढ़ानी आवश्यक है। इसलिए मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं।

अध्यक्ष : क्या खंड १ में और भी संशोधन हैं ? और कोई नहीं। मैं श्री मुंशी के संशोधन पर मत (वोट) लेता हूं।

संशोधन स्वीकार किया गया।

***श्री अध्यक्ष :** अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं देखता हूं रेवरेंड निकोल्स राय ने संशोधन की सूचना दी है।

***माननीय रेवरेंड जे. जे. एम. निकोल्स राय (आसाम : जरनल) :** मैं संशोधन नहीं उपस्थित करूंगा।

***अध्यक्ष :** तो फिर हम (ख) (अ) को लेते हैं। श्री संतानम ने संशोधन की सूचना दी है।

***श्री के० सन्तानम :** मैं उपस्थित नहीं करना चाहता।

***अध्यक्ष :** फिर श्री-मुंशी !

***श्री के० एम० मुंशी :** अध्यक्ष महोदय, मैं खंड (ख) (अ) में जो संशोधन करना चाहता हूं, वह इस प्रकार है :—

यह कि पैरा (वाक्य-समूह) १ के सब-पैरा (उप-वाक्य) समूह (ख) (अ) में जहां ५२ सदस्य शब्द आरम्भ होता है:—

'५२ सदस्य, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एक परिवर्तनीय मत द्वारा चुने जायेंगे'

उपरोक्त शब्दों के स्थान में "निम्न लिखित सदस्य" कर दिया जाय।

नाम संशोधन में दिए गये हैं। वाक्य का रूप इस प्रकार हो जायेगा।

"इसमें आरम्भ में नीचे लिखे सदस्य होंगे:—

और इसके बाद नामों की सूची होगी। मैं नाम पढ़ दूंगा। सभा के सामने प्रस्तावक ने विभिन्न श्रेणी के सदस्यों का जिक्र पहले ही किया है और मैं उनके नाम श्रेणी-विभाजन की दृष्टि से ही पढ़ूंगा।

श्री जयरामदास दौलतराम	सिन्ध से।
श्री माननीय मेहरचन्द खन्ना	उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्त से।
डा० गोपीचंद भार्गव	पंजाब से।

(श्री के० एम० मुन्शी)

श्री बख्शी सर टेकचन्द　　पंजाब से

डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष　　बंगाल से।

श्री सुरेन्द्रमोहन घोष　　बंगाल से।

डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी　　बंगाल से।

फिर तालिकाबद्ध जातियों के प्रतिनिधियों की सूची आती है:—

सरदार पृथ्वीसिंह आजाद।

श्री धर्मप्रकाश।

श्री एच० जे० खाँडेकर।

श्री माननीय जगजीवनराम।

श्री पी० आर० ठाकुर।

डा० बी० आर० अम्बेडकर।

श्री वी० आई० मुनिस्वामी पिल्लई।

अगले छः सदस्यों का दल सिखों का है:—

सरदार जोगेन्द्रसिंह।

श्री माननीय सरदार बल्देव सिंह।

सरदार प्रतापसिंह।

सरदार हरनामसिंह।

सरदार उज्ज्वलसिंह।

सरदार कर्त्तारसिंह।

अगले चार नाम हिन्दुस्तानी ईसाइयों के हैं:—

डा० एच० सी० मुकर्जी।

डा० आलबन डि-सौजा।

श्री सालवे।

श्री रोचे विक्टोरिया।

अगले तीन नाम एंग्लो इंडियनों के हैं:—

श्री एस० एस० प्रेटर।

श्री फ्रैंक रेजीनाल्ड एन्थॉनी।

श्री एम० बी० एच० कॉलिन्स।

अगले तीन नाम पारसियों के हैं:—

सर होमी मोदी।

श्री एम० आर० मसानी।

श्री आर० के० सिधवा।

नम्बर ३१, श्री रूपनाथ ब्रह्म आसाम की समतल भूमि की कबाइली जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

नम्बर ३२, खान अब्दुलगफ्फार खां पश्चिमोत्तर के कबीले वालों के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते है। इस क्षेत्र के दो और सदस्य अध्यक्ष नामजद करेंगे।

खान अब्दुस् समदखां बलूचिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

माननीय रेवरें जे॰ जे॰ एम॰ निकोलस राय।

नम्बर ३५ में नाम गलत हिज्जों से लिखा हुआ है। यह श्री मायंग नोकचा होना चाहिए।

मुझे मालूम नहीं इस नाम का उच्चारण कैसे किया जाता है। यह पश्चिमोत्तर के कबीलों के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके बाद तीन नाम और हैं जो पृथक आंशिक पृथक् और क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं।

श्री फूलभान शाह।

श्री देवेन्द्रनाथ सामन्त।

श्री जयपालसिंह जो बिहार के पृथक् क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीन और सदस्य अध्यक्ष नामजद करेंगे।

इसके पश्चात् बारह साधारण नाम आते हैं।

आचार्य जे॰ बी॰ कृपलानी।

माननीय मौलाना अबुलकलाम आजाद।

माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल।

माननीय श्री राजगोपालाचार्य।

राजकुमारी अमृतकौर।

श्रीमती हंसा मेहता।

माननीय पं॰ गोविंद वल्लभ पंत।

माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन।

सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर।

श्री के॰ टी॰ शाह।

श्री के॰ एम॰ मुन्शी।

मैं यह संशोधन पेश करता हूं।

***आचार्य जे. बी. कृपलानी : (संयुक्त : प्रान्त जनरल)** : मैं इसका समर्थन करता हूं।

***अध्यक्ष** : क्या कोई और संशोधन नहीं है? श्री मुन्शी आपके नाम पर एक और संशोधन है।

***श्री के॰ एम॰ मुंशी** : श्रीमान् जी, वह इस समय उपयुक्त नहीं है।

***अध्यक्ष** : और भी कई हैं क्या आप उन्हें भी पेश न करेंगे?

***श्री के॰ एम॰ मुंशी** : नहीं, श्रीमान् जी।

*** अध्यक्ष** : एक और संशोधन है जिसकी सूचना रेवरण्ड निकोल्सराय ने दे रखी है।

*श्री जयपालसिंह : छः हजार वर्ष से, श्री किरणशंकरराय, उस समय से आप गैर आदि वासी इस देश में आये हैं।

महाशय, प्रस्तावक तथा समर्थक ने यह प्रकट किया है कि इस (एडवाइजरी कमेटी) सलाहकार-समिति में तैयारी व विभाजन किस प्रकार किया गया है। आदिवासियों के लिए यह जीवन और मरण का सवाल है। मैं कांग्रेस के नेताओं को बधाई देता हूँ और उन अल्पसंख्यकों को भी जो अपनी जनसंख्या के अनुपात से अधिक जगहें पा गये हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। सिक्खों, ईसाइयों, एंग्लोइंडियनों और पारसियों को उनके लिए प्राप्य से अधिक जगहें दी गई हैं मैं उनसे ईर्ष्या नहीं करता, पर यह सच है कि उन्हें उनके प्राप्य से अधिक जगहें दी गई हैं, जब कि हमारे लोगों की जो इस देश के असली और प्राचीन निवासी हैं स्थिति भिन्न ही है। फिर भी मैं असंतोषन हीं प्रकट करता। मेरे उद्देश्य के लिये तो केवल पण्डित जी को रखना काफी है, पर वे सदस्य नहीं हैं। मैं इस देश के सभी आदिवासियों और कबीले वालों का हित पं० जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंप दूंगा, और फिर मुझे उपस्थित रहने की जरूरत भी नहीं है। मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम संख्या पर नहीं निर्भर करते। उस मत (वोट) की संख्या पर नहीं निर्भर करते जो यहां एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) में दिये जायेंगे। हम तो मौन रहते आये हैं। मैं कोई शिष्टमण्डल (डेपुटेशन) लेकर सरदार पटेल या अध्यक्ष जी, आपके पास नहीं गया, कि हमारे यह अधिकार, यह दावे और यह प्राप्य हैं। मैं इसे इस हाउस और एडवाइजरी कमेटी की सद्बुद्धि पर छोड़ता हूँ, कि वह छः हजार वर्ष के कष्टों को अब दूर कर देंगे। दूसरी जगह जब एक बार मैंने कहा था कि हमारे भारतीय राष्ट्र के एक खास दल को विशेष सुविधा प्रतिनिधि (Weightage) मिल गई है तो उस दल ने नाराजगी जाहिर की थी। मैं आप से कहता हूँ कि मुझे इस बात की कोई चिन्ता नहीं है कि सिक्खों को एडवाइजरी कमेटी में या और कहीं ६० जगहें मिलती हैं। तो मैं उन्हें बधाई दूंगा। मैं कांग्रेस को इस कथन पर धन्यवाद देता हूँ कि अल्पसंख्यकों के प्रश्न को आवश्यकता से अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता जैसा कि पं० गोविंदवल्लभ पन्त ने कहा है। पर जहां तक आदिवासियों और कबीले वालों का सम्बन्ध है क्या उसे आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया गया है ? क्या यह ईमानदारी से कहा जा सकता है कि आप ने किसी भी रूप में उनकी स्थिति को आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया है ? मैं और जगहें प्राप्त करने के लिए वकालत नहीं कर रहा हूँ। मैंने कोई संशोधन भी नहीं भेजा है और न कोई संशोधन पेश ही कर रहा हूँ; पर मैं इस सभा और देश का ध्यान यदि मैं ऐसा कह सकता हूँ तो अपनी इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यहां हमारी परीक्षा हो रही है, अब तक हम बड़ी आसानी से कह दिया करते थे कि ब्रिटेन ने, केवल ब्रिटेन ने ही तुम्हें आंशिक पृथक् क्षेत्र और पृथक् क्षेत्र में रख कर चिड़ियाघर में डाल रखा है। क्या आप कोई पृथक् व्यवहार कर रहे हैं ? मैं यह सवाल करता हूँ, मैं एडवाइजरी कमेटी से पूछता हूँ कि मेरा नाम उसमें है, पर मेरा नाम है, इसलिए मैं कहता हूँ कि उसमें किसी ,आदि वासी या कबीले वाली स्त्री का भी नाम नहीं है, उसे क्यों छोड़ दिया गया ? एडवाइजरी कमेटी में कोई आदि वासी या फिरके वाली स्त्री का नाम नहीं है। जो लोग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए जिम्मेदार थे उन्हें यह बात सूझी ही नहीं। मैं नहीं कहता कि

(जयपालसिंह)

स्त्री का नाम चुना जाय पर यह महत्त्व की बात है कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया। इसी प्रकार मैं यह भी कहता हूँ कि तेरह या जितनी भी संख्या निश्चित की गई है, वह मुझे स्वीकार है। मैं और कुछ नहीं कहता, पर मैं उस अज्ञान को प्रकट कर देना चाहता हूँ जो इस संख्या के सुझाव से प्रकट है या आदिवासी या कबीले वाले क्षेत्रों के सदस्यों की नामजदगी से प्रकट है। सारे देश के कबीले वालों का आदिवासियों का स्वभाव देखिये, मुझे उस गड़बड़ी से कोई झगड़ा नहीं है जो हर दसवें वर्ष मनुष्य-गणना के समय जन संख्या की गिनती करते समय की जाती है, उसके अनुसार सब से बाद की प्राप्त आदिवासियों और कबीले वालों की संख्या २५४ लाख है। मैं इसे मंजूर करता हूँ, इसमें हम देखते हैं कि आदिवासियों में सब से अधिक संख्या मुन्डा बोलने वालों की है। अगर आप उनकी १६४१ ई० की संख्या जोड़कर देखें तो वह ४३ लाख पहुँचेगी। उसके बाद गौंडों की संख्या आती है। हमें एक गौंड प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व दिया गया है। मुझे इसकी खुशी है। इसके बाद भीलों का नम्बर आता है, जो २३ लाख हैं। इस कमेटी में कोई भील नहीं है। इस प्रकार औरांव ११ लाख हैं इस कमेटी में एक भी औरांव नहीं है। अध्यक्ष जी अभी समय कीमती है। पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहीं अन्यत्र कहा है कि जितने दिन जाते हैं प्रति दिन १०००० रुपया खर्च होता है, मैं समझता हूँ कि ढाई करोड़ आदिवासियों और कबीले वालों की जिन्दगी १०००० रुपया प्रति दिन से ज्यादा कीमती है। यह एक ऐसा अवसर है जब आप आज्ञा दें तो मुझे अपनी बात कहनी ही चाहिए, मैं देखता हूँ कि किसी न किसी कारण से मौलिक अधिकार समिति, (फ़ंडामैन्टल राइट्स कमेटी) में कोई भी आदिवासी या कबीले वाले सदस्य नहीं हैं।

***माननीय पं० गोविंद वल्लभ पन्त :** कोई अलग कमेटी नहीं है। केवल एक कमेटी है।

***श्री जयपालसिंह :** अपने भाषण में आपने विचार प्रकट किया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विचार करने वाली कमेटी में कुछ सदस्य रखे जा रहे हैं।

माननीय पं० गोविंद बल्लभ पन्त : नहीं, वह तो एडवाइजरी कमेटी पर निर्भर करता है, वह जैसी भी सब कमेटियां चाहें बना सकती हैं।

***श्री जयपाल सिंह :** बहुत अच्छा, मैं मानता हूं जैसा कि मैं कहता हूं सभी आदिवासी या कबीले वाले दलों के सदस्य सम्मिलित करने का उपाय नहीं है। १६४१ ई० में जो मनुष्य गणना की गई थी उसके अनुसार १७७ आदिवासी जातियां या कबीले वाले थे। यह प्रकट है कि १७७ सदस्यों का लिया जाना असम्भव है, पर जितनी भी संख्या निर्धारित की हैं, मुझे स्वीकार है। अध्यक्ष महाशय, पर मैं अपने लोगों के प्रति कर्तव्यबद्ध हूं कि मैं इस हाउस को बताऊं कि यह आदिवासी या कबीले वाले प्रश्न पर विचार जैसा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्वतन्त्र सर्वोच्च प्रजातन्त्रीय प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था, गहनता और भावुकता के साथ करना होगा। सभा की परीक्षा हो रही है, हमें देखना है कि क्या होता है?

***माननीय पं० गोविंद वल्लभ पन्त :** सब ठीक ही होगा।

***अध्यक्ष :** आदेश पत्र में संशोधन उपस्थित करने के बारे में कुछ गलतफहमी हो

गई थी। मैं इस ख्याल में था कि और संशोधन नहीं हैं। अब मैं देखता हूं कि अभी कई और संशोधन बाकी हैं। अब बाकी संशोधन पेश होने चाहिये।

***श्री के० एम० मुन्शी : (क) में या (ख) में ?**

***अध्यक्ष : पूरे प्रस्ताव में जितने भी संशोधन हैं।**

***श्री के० एम० मुन्शी : मेरे नाम में जो और संशोधन हैं वह इस प्रकार हैं—**

"पैरा (वाक्य समूह) एक का सब पैरा (ख) (अ) (उपवाक्य समूह) हटा दिया जाय।" और सब पैराग्राफ इस प्रकार है ("असेम्बली उस ढंग से जिस तरह अध्यक्ष उचित समझें सात सदस्य तक चुन सकती है")

जैसा कि हाउस देखेगा बाद में अध्यक्ष द्वारा सदस्यों की संख्या ७ बढ़ा दी गई है। जिसका मतलब यह है कि संख्या ६ से बढ़कर १२ तक पहुंच गई है। इसलिए अब मैं वह संशोधन भी पेश करूंगा जो मेरे नाम पर है और जो प्रस्ताव के पहले पैरा के सब पैरा (उपवाक्य समूह, (ग) से सम्बद्ध है।

प्रस्ताव के पहले पैरा (वाक्य समूह) के सब (उपवाक्य समूह) (ख) में संख्या १२ के स्थान में संख्या ६ रख दी जाये और शब्द "जिनमें ७ मुसलमान होंगे जो मद्रास, बम्बई, संयुक्तप्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा और आसाम के प्रतिनिधि होंगे" बढ़ा दिये जायं। उद्देश्य यह है कि हिन्दू बहुमत वाले प्रांतों से अल्प संख्यकों के सदस्य इस कमेटी के लिए निर्वाचित होंगे। यही मूल विचार था, पर चूंकि यह प्रारम्भिक बैठक इस समय स्थगित होने जा रही है, अगर मुस्लिम लीग इसमें आ गई तो फिर केवल सात सदस्य चुनने के लिए आरम्भिक सभा बुलाना मुश्किल होगा। इसीलिए मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं। यदि आरंभिक सभा अप्रैल या अन्य किसी तारीख के लिए स्थगित हो जाती है और मुस्लिम लीग इस बीच आ जाती है, तो सात हिन्दू बहुसंख्यक प्रान्तों से सात मुस्लिम सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामजद किये जा सकते हैं और इस कमेटी में सम्मिलित हो सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वे सभी इस हाउस द्वारा स्वीकार कर लिए जायें, इसलिए मैं सभी संशोधनों को एक साथ पेश करता हूं।

***अध्यक्ष :** क्या कोई और भी संशोधन है ? पैरा २ (कोई नहीं) पैराग्राफ ३ ! (कोई नहीं)

मैं समझता हूं कि सर एन० गोपाल स्वामी अय्यंगर को कोई संशोधन पेश करना है।

***माननीय सर एन० गोपाल स्वामी अय्यंगर (मद्रास : जनरल) :** श्री अध्यक्ष जी, जाब्ते के ४८ वें नियम के अनुसार जिस प्रस्ताव द्वारा किसी कमेटी का निर्माण होगा, वही यह भी व्यक्त करेगा कि कितने सदस्यों की उपस्थिति (कोरम) कमेटी के कार्य संचालन के लिए अनिवार्य होगी। जो प्रस्ताव पेश किये गये हैं उनमें ऐसा नहीं किया गया है। यह आज्ञामूलक व्यवस्था है और इस चूक की पूर्ति के लिए मैं आपसे नियम २६ के अनुसार स्वीकृत मांगता हूं कि मुझे यह नया संशोधन पेश करने की स्वीकृति दी जाये जिसकी सूचना मैंने पहले से नहीं दे रखी है। संशोधन इस प्रकार है—

प्रस्ताव के पैरा (वाक्य समूह) ३ के बाद नीचे लिखा वाक्य पैरा ३ (क) के

[माननीय सर एन० गोपाल स्वामी आयंगर]

समय कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई रखा जायेगा।"

*श्री के० एम० मुन्शी : मुझे पैराग्राफ ४ में संशोधन पेश करना है। पैराग्राफ ४ इस प्रकार है—

"एडवाइजरी कमेटी संयुक्त वैधानिक असेम्बली को तीन मास के अन्दर अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश करेगी और बीच में वह समय-समय पर अस्थायी रिपोर्ट भी भेज सकती है।"

इसमें मेरे संशोधन द्वारा इस परिवर्तन की मांग की गयी है—

पैराग्राफ ४ में 'तीन मास' और 'और' के बीच में ये शब्द रख दिये जायं 'प्रस्ताव की तारीख से'। और फिर 'समय' शब्द के पश्चात् पूर्ण विराम के स्थान में अर्ध विराम रखा जाय और आगे निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं, पर मौलिक अधिकारों पर एक अस्थायी रिपोर्ट इस तारीख से छः सप्ताह के अन्दर और अल्पसंख्यकों पर एक अस्थायी रिपोर्ट इस तारीख से दस सप्ताह के अन्दर भेजेगी।

रूप में बढ़ा दिया जाये। कमेटी और उसकी कमेटियां (उपसमितियां) के सदस्यों का कोरम इस

श्रीमान् जी, वाक्यांश ४ संशोधन के बाद इस प्रकार हो जायगा।

एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) यूनियन कान्स्टीट्युएन्ट असेम्बली (संयुक्त वैधानिक असेम्बली) को इस प्रस्ताव की तारीख से तीन मास के अन्दर अन्तिम रिपोर्ट भेजेगी और वह इस तारीख से छः सप्ताह के अन्दर मौलिक अधिकार। (Fundamental Rights) और अल्प संख्यकों के अधिकार पर दस सप्ताह के अन्दर ऐसी अस्थायी रिपोर्ट देगी।

श्रीमान् जी, मेरा अगला संशोधन पैरा ५ में है। यह इस प्रकार है (प्रस्ताव के पांचवें पैरा में "उसी ढंग से" शब्दों से लेकर पैरा के अन्त तक के शब्दों के स्थान में "अध्यक्ष की नामजदगी द्वारा" शब्द रख दिये जायें।)

पांचवें पैराग्राफ का मूल रूप इस प्रकार है :—

एडवाइजरी कमेटी में जो जगहें इत्तफाकिया खाली होंगी उनकी पूर्ति जहां तक शीघ्र सम्भव होगा, उसी ढंग से की जायेगी जिस ढंग से मूल रूप में की गयी थी।

इस संशोधन का उद्देश्य है आकस्मिक बात हो जाने की अवस्था में उसके लिए व्यवस्था रखना जब असेम्बली की यह आरम्भिक बैठक स्थगित होगी, तो कमेटी काम करेगी। अगर बीच में कोई जगह खाली हुई तो उसे विधान-परिषद की अगली बैठक तक भरना असम्भव हो जायेगा। इसीलिये यह अधिकार-अध्यक्ष को दिया जाना चाहिये जिससे जगह खाली होते ही वह उस पर सदस्य की नियुक्ति कर सकें। श्रीमान् जी, यही संशोधन मुझे पेश करने हैं।

*श्री एफ० आर० एन्थॉनी (बंगाल : जनरल) : श्री अध्यक्ष जी, मैं इस बहस में पड़ने की इच्छा नहीं रखता, पर दुर्भाग्यवश पहले वक्ता ने यह कहा है कि एंग्लोइंडियनों को भी अधिक प्रतिनिधित्व मिल गया है, जिससे मुझे खड़ा होना पड़ा है। यद्यपि मैं साम्प्रदायिक नेता हूँ, फिर भी मैंने साम्प्रदायिकता के खरगोश को खदेड़ने में सदा अनिच्छा ही प्रकट की है, और भद्दे

साम्प्रदायिक श्वान-युद्ध में पड़ने की तो और भी अनिच्छा रखता हूँ। पर मैं समझता हूँ कि सभा के कुछ सदस्यों को स्टेट पेपर के बारे में और उसके निर्माता के वास्तविक उद्देश्य के बारे में गलतफहमी हो गई है। महाशय, अगर यह अनुभव किया जाये कि अल्प संख्यकों के लिए एडवाइजरी कमेटी की आवश्यकता नहीं है तो मैं इसे मानने के लिए तैयार हूँ। पर जब तक आप ने अल्प संख्यकों के लिये कमेटी बना रखी है, और जब अल्पसंख्यक जातियां अपने अधिकारों के लिए हठ कर रही है फिर चाहे वह सच्चे हों या तथाकथित, तब तो अन्य अल्प संख्यक जातियों खास कर अपेक्षाकृत छोटी, अपनी रक्षा के लिए प्रतिनिधित्व मांगती ही रहेंगी। मैं श्री जयपालसिंह के कथन से सहमत हूँ कि अधिकांश अल्पसंख्यक अपने हित-रक्षा पं० नेहरू जैसे नेता के हाथ में सौंपने को तैयार है। मैं पहला आदमी होऊंगा और कह दूंगा कि यह "अपनी रक्षा उनके हाथों में सौंप दो"। पर दुर्भाग्यवश इन मामलों का फैसला ऐसे ऊंचे दर्जे पर नहीं हो रहा है। इस देश में सभी उस उच्चता के व्यक्ति नहीं है। दुर्भाग्यवश आज कल साम्प्रदायिकता की प्रवृत्ति पहले से अधिक दृढ़ और दावेदार बन गई है और मैं चाहता हूँ कि साम्प्रदायिकता की यह अभिवृद्धि कुछ कम हो जाये।

श्रीमान् जी, हम विशेष राजाज्ञा पत्र (State Paper) पर विचार कर रहे हैं। हम मन्त्रिमण्डल मिशन के वक्तव्य के २०वें पैरा पर विचार कर रहे हैं। पैरा २० का विशेष विवरण सर स्टेफर्ड क्रिप्स की सरकारी व्यवस्था में प्रकट है। सर स्टेफर्ड या मंत्रिमण्डल मिशन हमारे संस्था सम्बन्धी अनुपात से कोई वास्ता नहीं रखते। यह संस्था का अनुपात इसी देश की प्रिय पुकार है। सर स्टेफर्ड ने विशेष रूप में कहा था कि एडवाइजरी कमेटी की स्थापना इसलिए हुई है कि अल्पसंख्यक का नहीं, छोटे अल्पसंख्यक (Small Minorities) को एक अवसर मिले कि वह अल्प संख्यकों सम्बन्धी विधान पर प्रभाव डाल सकें। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि मन्त्रिमण्डल का यह इरादा है कि हिन्दुस्तानी ईसाइयों ऐंग्लो इंडियनों और आदि वासी और कबीले वाले क्षेत्रों के निवासियों को खास प्रतिनिधित्व दिया जाये, और यद्यपि हमने मेल और बन्धुत्व के वातावरण के लिए यह अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया है पर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जगहों के बांटने में शायद मन्त्रिमण्डल के इरादे को ध्यान में नहीं रखा गया। खास कर मेरे सम्प्रदाय के बारे में तो यही बात है। यदि सभा को यह धोखा हुआ हो कि मेरे सम्प्रदाय को अधिक जगहें मिली हैं तो मैं उसके इस भ्रम का निवारण कर देना चाहता हूं। मन्त्रिमण्डल मिशन का यह स्पष्ट इरादा था कि छोटे अल्पसंख्यकों अर्थात्, हिन्दुस्तानी ईसाइयों, एंग्लोइंडियनों और कबीले वाले या आदि वासियों को इस एडवाइजरी कमेटी द्वारा अपने निर्णय का प्रभाव डालने का अवसर मिलना चाहिए। और किसी छोटी अल्पसंख्यक जाति का जिक्र नहीं किया गया। यह सवाल कि अन्य अल्पसंख्यकों को बढ़ा कर उसके इरादे की पूर्ति की गयी या नहीं, मैं अभी इस पर जोर नहीं देता। पर मंत्रिमण्डल मिशन के दिमाग में उस समय अवश्य ही कोई ऐसी बात थी जब उन्होंने यह व्यवस्था बनाई थी। उनके सामने विभिन्न अल्प संख्यकों के मामले थे। उन्होंने यह बात समझ ली कि अमुक अल्पसंख्यक यद्यपि संख्या में कम हैं पर उनके हितों की रक्षा का सवाल बड़ा है और उन्हें सामान्य राजनीतिक ढांचे में उनके हितों की रक्षा करनी है और उनका मुख्य ध्येय इस एडवाइजरी कमेटी की स्थापना करने में यह था कि

[श्री एफ० आर० एन्थॉनी]
अल्पसंख्यकों, खासकर इन तीनों अल्प संख्यकों को ऐसा अवसर मिले कि वह अपने फैसले को प्रभावित कर सकें।

श्री डम्बरसिंह गुरुङ्ग : श्रीमान् जी, श्रीयुत मुन्शी ने एडवाइजरी कमेटी की जो सूची पेश की है उसमें मैं किसी गोरखा का नाम नहीं देख रहा हूं मैं १६ मई के मंत्रिमण्डल मिशन के २० वें वाक्यांश का हवाला नहीं देना चाहता पर मैं हाउस का ध्यान उस ओर अवश्य आकर्षित करना चाहता हूं जो कुछ ही दिन पहले सभा के उद्देश्य के प्रस्तावों को पेश करते हुए पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था। प्रस्ताव के पैराग्राफ ६ में कहा गया है—

"जिसमें अल्प संख्यकों, पिछड़े हुओं तथा आदिवासी एवं कबीले वालों तथा दलितों को पर्याप्त सुविधाएं दी जायेंगी।"

एडवाइजरी कमेटी का काम विधान-परिषद् को वह सलाह देना है जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों, पिछड़े हुओं और कबीले वालों तथा आदि वासियों की हित-रक्षा का विधान बन जाये। यह मानी हुई बात है कि इस कमेटी में इन सभी श्रेणियों के प्रतिनिधि होने चाहिये। अब अगर एडवाइजरी कमेटी में गोरखा नहीं हैं तो उनकी ओर से कौन बोलेगा और उनके अधिकारों और हितों की रक्षा कौन करेगा? इसमें सन्देह नहीं कि गोरखा एक विशिष्ट अल्प संख्यक दल है और कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि वह भारत की बहुत पिछड़ी हुई जाति है। गोरखाओं को अगर इस रूप में प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ है तो उन्हें इस रूप में प्राप्त करने का अधिकार है कि वह पृथक क्षेत्रों और आंशिक पृथक् क्षेत्रों के निवासी हैं क्योंकि दार्जिलिंग जिले में तीन लाख से अधिक गोरखे रहते हैं, वह एक आंशिक पृथक क्षेत्र (partially excluded area) है। इसके अतिरिक्त कबीले वालों में भी उनकी गिनती हो सकती है क्योंकि बंगाल की सन् १९४१ ई० की मर्दमशुमारी में गोरखों को कबीले वालों में गिना गया है। अगर गोरखों को ऐसी कमेटी में भी जगह न मिली जहां दलित और पिछड़े हुए लोगों की हित रक्षा का सवाल है तो मैं एक गोरखा के रूप में विधान-परिषद का सदस्य होने में लाभ नहीं देखता। अभी उस दिन राष्ट्रपति कृपलानी ने मुझसे कहा था कि गोरखा तो अपनी तलवार से लड़ेंगे। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। गोरखों ने भारत के शासकों के लिए लड़ाई लड़ी है, पर अब गोरखों ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने का फैसला किया है पर साथ ही मैं हाउस से अपील कर देना चाहता हूं कि उनके मामले पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये, क्योंकि शिक्षा और अर्थ की दृष्टि से भी वह बहुत पिछड़े हुए हैं और चूंकि एडवाइजरी कमेटी ही एक ऐसी कमेटी है जहां यह सब बातें पेश की जा सकती हैं और उन पर बहस की जा सकती है। मैं हाउस से प्रार्थना करता हूं कि वह इन बातों पर विचार करे।

***श्री के० एम० मुंशी** : महाशय, क्या मैं प्रस्ताव कर्ता के रूप में इसका जवाब दे सकता हूँ?

***अध्यक्ष** : (श्री के० सन्तानम से) क्या आप बोलना चाहते हैं?

***श्री के० सन्तानम्** : श्रीमान् जी, मैं इस प्रस्ताव पर दो बातें कहना चाहता हूँ। मुझे भय है कि एडवाइजरी कमेटी को अपना स्वरूप बहुत व्यापक और अनुचित हद तक नहीं बढ़ाना

चाहिए। इसको ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिये कि सारी असेम्बली या उसके अंगों के कार्यक्षेत्र में अनुचित प्रवेश कर ले। उदाहरण के लिये अगर यह ऐसे मामलों में जाती है कि संयुक्त निर्वाचन बनाम पृथक् निर्वाचन पर विचार करने लगे या प्रतिनिधित्व का परिमाण निश्चय करने में अपनी शक्ति लगा दे तो कमेटी का काम बहुत कठिन हो जायेगा। मैं इस विषय को विस्तृत नहीं करना चाहता। और मैं कमेटी के कार्य को कठिन नहीं बनाना चाहता, केवल मैं उनके विचार पर छोड़ता हूँ

दूसरी बात यह है कि हमें रिपोर्ट के बारे में किस प्रकार काम करना है। साधारणत: रिपोर्ट सभा के सामने पेश की जाती है पर अगर हम इस असेम्बली के बैठने तक रिपोर्ट पेश करने की प्रतीक्षा करते हैं, तो हमें इसके विचार के लिये १०।१५ दिन ठहरना पड़ेगा। इसका मतलब होगा हाउस के समय का दुरुपयोग। इसलिए मेरी राय है कि कमेटी से प्राप्त करते ही आप रिपोर्ट बांटने की आज्ञा हाउस से ले लें, जिससे हम जब फिर मिलें तो हम सब तैयार हो कर आयें और हाउस का समय व्यर्थ न जाये। अन्यथा शिकायत के लिए वैध आधार मिल जायगा क्योंकि एक दो या तीन दिन की सूचना काफी नहीं है। हमें कम से कम एक पखवारे पहले सूचना मिलनी चाहिए। अगर आप हाउस के पास रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा करते हैं और उसके बाद पन्द्रह दिन और रुकते हैं तो कितना खर्च, कितनी परेशानी और कठिनाई होगी, आप जानते ही हैं। इसलिए मैं यह दो सुझाव आप के विचार के लिए पेश करता हूँ।

*राय बहादुर श्यामनन्दन सहाय : मुझे इसमें वैधानिक आपत्ति है। श्री मुंशी ने जो संशोधन रखा है वह कोई ऐसा ढंग नहीं बताता जिससे इस कमेटी के बाद के चुनाव किये जा सकें, क्योंकि मूल आदेश कि चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एक परिवर्तनीय वोट द्वारा होगा, श्री मुंशी के संशोधन से गिर गया। इस कारण यदि सुझाव के लिये आये हुए श्री मुंशी के नामों के अतिरिक्त एक दो और नाम आ जाते हैं तो चुनाव का ढंग क्या होगा? श्री मुंशी का संशोधन तो जाब्ते के नियमों के अन्तर्गत कार्य को उलट देगा। मुझे आशा है आप ऐसा न होने देंगे। मैं इसीलिए आपका यह निर्णय जानना चाहता हूँ कि संशोधनयुक्त प्रस्ताव में सुझाये गये नामों के अतिरिक्त एक दो नाम और आ गये तो चुनाव किस ढंग से होगा?

*श्री के० एम० मुंशी : वैधानिक आपत्ति के बारे में मुझे यह कहना है कि नियम ४६ यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि हाउस चुनाव का ढंग बदल सकता है। नियम इस प्रकार है:—

> "जब तक कि कमेटी का निर्माण करने वाला विधान इसके विपरीत व्यवस्था न देता हो, ऐसी सब कमेटियों के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एक परिवर्तनीय मत द्वारा चुने जायेंगे।"

इस लिये महाशय, यह देखा जा सकता है कि इस में वैधानिक आपत्ति की कोई बात है ही नहीं।

*राय बहादुर श्यामनन्दन सहाय : मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि नियम ४६ (२) में जिस जाब्ते की रूपरेखा बतायी गयी है, उसकी पूर्ति हो जाती यदि श्री सन्तानम् अपना वह

[रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय]

संशोधन पेश कर देते जिससे मूल प्रस्ताव के शब्दों को बदल कर वे "साधारण वितरणीय मत द्वारा" शब्द रखना चाहते थे। चूंकि श्री सन्तानम् ने अपना वह संशोधन पेश नहीं किया, इसलिये कोई जाब्ता नहीं रखा गया। इसलिए नियम ४६ (२) लागू नहीं होता।

*अध्यक्ष : मेरे ख्याल में नियम ४६ का वाक्यांश इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि मुन्शी ने जो संशोधन पेश किया है वह विधि विहित है!

***दाक्षायणी वेलायुदान : (मद्रास : जनरल)** : अध्यक्ष जी, मैं इस सभा के ध्यान में यह बात डालना चाहती हूं कि मुस्लिम प्रांतों में हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिये सात सदस्यों का विधान है। मैं देखती हूं कि हिन्दुओं में किसी भी हरिजन का नाम सम्मिलित नहीं है। हम हरिजन अपने को हिन्दू जाति का ही अंग समझते है और हमें मुस्लिम प्रान्तों में हिन्दू प्रतिनिधित्व करने का पूरा अधिकार है। हमें बंगाल सिन्ध या पंजाब में हिन्दुओं का प्रतिनिधत्व करने का अधिकार हैं। किसी ने अभी कहा है कि सूची में तो हरिजनों के सात सदस्य पहले ही से है। पर इस का तो यह मतलब नहीं हुआ कि मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों में हम हरिजन हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। इसलिये मैं केवल हाउस के ध्यांन में यह बात लाना चाहती थी कि वह इस खयाल में न रहें कि यहां हरिजन केवस भारत के हरिजनों का ही प्रतिनिधित्व करने आये है। हम दावा करते हैं कि हम हिन्दुओं के अंग हैं। सवर्ण हिन्दुओं का यह कर्तव्य है कि उन्होंने जो वायदे किये है उनके अनुसार एक हरिजन को हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्त में भेजें। पर किसी को यह नहीं समझ लेना चाहिये कि मैं सूची में अपना नाम लिखाने आई हूं मुझे ऐसी इच्छां नहीं है, क्यों कि मैं उन प्रान्तों का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहती, पर ऐसे हरिजन हैं जो मुस्लिम बहुमत प्रधान प्रान्तों से आए हैं और जो अपने प्रान्तों में हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने का प्रत्येक अधिकार रखते हैं। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि हाउस इस बात का विचार करे कि मेरी राय उन मौलिक सिद्धान्तों के विरूद्ध नहीं है जो आगे आने वाले हैं।

*** श्री लक्ष्मी नारायण साहु (उड़ीसा : जनरल)** : महाशय, मैं हाउस को यह सूचित करने के लिए उठा हूं कि श्री मुंशी के सुझाव में उड़ीसा की उपेक्षा की गयी है। हमें सदा का अनुभव है कि चूंकि हम सीधे सादे लोग हैं इसलिए हमारी उपेक्षा की जाती है। अब तो उड़ीसा का दावा इतना बड़ा है कि मेरी समझ में हाउस उसके नाम सम्मिलत करने से इन्कार न करेगा। पहली बात तो यह है कि उड़ीसा का दो तिहाई भाग आंशिक पृथक् (partially encluded) और पृथक (encluded) क्षेत्र है और फिर भी यद्यपि श्री मुंशी द्वारा रखी गई सूची में १३ नाम ऐसे क्षेत्रों में रखे गए हैं, पर उड़ीसा का कोई नाम नहीं है। इसके अतिरिक्त हाउस के बिचार के लिए और भी एक बात है। श्री मुंशी की सूची के अनुसार उड़ीसा में कोई हिन्दू नहीं है, और फिर भी प्रतिनिधित्व एक मुसलमान को दिया जायगा। सचमुच अनुचित है। वहां का बहुमत बिना प्रतिनिधित्व का है और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि हाउस इस बात की ओर विशेष ध्यान देगा। मुझे माननीय पंडित गोविंदबल्लभ पन्थ के प्रस्ताव पर बोलना चाहिए। पर चूंकि आपने यह कहा है कि श्री मुंशी का प्रस्ताव विधिविहित है और मैं उसका विरोध भी नहीं करता हूं फिर भी राय बहादुर श्यामानन्दन सहायजी की तरह मैं यह अनुभव करता हूं कि इस

महत्त्व-पूर्ण मामले में हमें एक परिवर्तनीय मत की प्रणाली काम में लानी चाहिए। इससे यह सवाल सबके लिए सन्तोषजनक रूप में हल हो जायगा।

*श्रीजयरामदास दौलतराम (सिन्ध जनरल) : मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि इस कमेटी के महत्त्व को देखते हुए और जिस प्रकार के नाजुक मामले में इसका उपयोग करना है उसका ख्याल रखते हुए यहां ऐसी बहस नहीं होनी चाहिये जिससे इसका कार्यक्षेत्र सीमित हो जाये। इस कमेटी में बहुसंख्यक और अल्प संख्यक सभी के प्रतिनिधि हैं और देश के सभी भागों से आये हैं और मेरे ख्याल में उन्हें १६ मई के वक्तव्य में और अन्यत्र जो कुछ कहा गया है, बहस करने और फैसले पर पहुंचने का मौका मिलना चाहिये कि अल्पसंख्यकों की रक्षा वाले खंड कहां तक पर्याप्त व्यवस्था देते हैं। चूंकि यह मामला ऐसा है कि उस पर लम्बी बहस से और अधिक वाद-विवाद बढ़ेगा इसलिये मैं अधिक कुछ न कहूंगा और आशा करूंगा कि एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) इस बात पर अल्पसंख्यक और सर्वसामान्य दोनों ही दृष्टियों से विचार करेगी और सारे देश की राष्ट्रीय भावनाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अल्प-संख्यकों की मांगों की पूर्ति करने का प्रयत्न करेगी।

*श्री एस० नागप्पा (मद्रास : जनरल) : अध्यक्ष जी, मैं इस सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इन ५० सदस्यों में कुछ सम्प्रदायों को विशेष रूप में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया है। यदि यह सभी सम्प्रदायों के लिए समान है, इसमें सात हिन्दू, सात मुसलमान, सात परिगणित जातियां हैं, तो मैं यह नहीं समझता कि किस आधार पर इन संस्थाओं का निर्णय किया गया है। उदाहरण के लिए यदि आप कहें कि सात ऐसे प्रांत हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्या में हैं और वहां के हिन्दुओं की रक्षा करनी है और फिर चूंकि सात हिन्दू प्रांत ऐसे हैं जहां हिंदुओं का बहुमत है इसलिए सात मुसलमानों को अपने हितों की रक्षा के लिए कमेटी में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए तो यह बात अच्छी है। पर हरिजनों का क्या होगा? वह प्रायः सभी प्रान्तों में अल्पसंख्यक हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप इन प्रान्तों की जन-संख्या देखें तो मुस्लिम बहु-संख्यक प्रान्तों के सभी हिन्दू हरिजनों के बराबर नहीं हैं और यही बात हिन्दूप्रमुख प्रान्तों में भी है। और अब पारसी नई अल्पसंख्यक जाति के रूप में लाये गये हैं। अब तक यह जाति अपने को अल्पसंख्यकों में नहीं लिखाती थी। सहसा इस अल्पसंख्यक एडवाइजरी कमेटी में इस जाति को अल्पसंख्यक जाति के रूप से श्रेणीबद्ध कर दिया गया है। मैं नहीं समझता महोदय, कि यह पारसी जाति किस प्रकार की सुरक्षा चाहती है। वह समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त कर चुकी है तथा आर्थिक और शिक्षा-सम्बन्धी स्थिति में ऊंची है। फिर वह कौन से खास संरक्षण हैं जो इस पारसी जाति को अपेक्षित हैं। यही बात एंग्लो इंडियनों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। उनकी संख्या बहुत कम है, पर उन्हें प्रतिनिधित्व बहुत दे दिया गया है। इससे तो दलितवर्ग को ७ के बदले ११ जगहें दे देनी चाहिए थीं। अब अगर कुछ न किया जा सके तो मैं सभी चुने गये सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे खास सम्प्रदाय के हित के लिए वहां लड़ने का विचार छोड़ दें। वे एकता का भाव अपनायें और ऐसा करें जिससे सभी सम्प्रदायों को लाभ पहुँचे, सभी में एकता और समृद्धि का प्रसाद हो। इस उद्देश्य से उन्हें यह देखना चाहिए कि खास तौर पर ऐसी जातियां जिन्हें अपनी संख्या के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ है, उनकी हितरक्षा अवश्य

[श्री एस० नागप्पा]

हो। अभी कुछ ही दिन पहले हमने इस विधान-निर्माण के उद्देश्यों का प्रस्ताव पास किया है। हमें उसके अभिप्राय के अनुसार चलते हुए यह देखना चाहिए कि सभी जातियों को समुचित स्थान प्राप्त हो, यद्यपि उदाहरण के लिए ५० में केवल ७ ही हरिजन यहां हैं। यह वर्तमान सदस्यों की संख्या का लगभग सातवां भाग है। वह अपने हित के लिए लड़ सकते हैं। फिर भी वह अल्प-संख्यक ही हैं। सम्भव है उनकी आवाज सुनी न जाय। इसलिए मैं उन सभी सदस्यों से जो चुने गये हैं प्रार्थना करता हूँ कि वह बहुसंख्यक होते हुए भी हरिजनों को ठीक तौर पर समझें और यदि उनकी मांग उचित है तो उसे पूरी करें। सारी नहीं तो उनकी कम से कम मांग तो अवश्य पूरी करें। इस विश्वास के साथ मैं निर्वाचित सदस्यों को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसी जातियों के साथ जो युगों से कष्ट उठा रही हैं, पूरा न्याय हो और उन्हें वह सब कुछ दिया जाय जिसके वे अधिकारी हैं।

***माननीय रेवरेन्ड जे० जे० एम० निकोल्सराय :** महाशय इस सूची में ५० सदस्य हैं। मैं इसमें दो नाम और बढ़ाना चाहता था, पर श्री मुंशी से बातचीत करने के बाद मैंने इस संख्या में फेरफार न करने का निश्चय किया। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि आसाम में अल्प-संख्यक अनेक हैं। वहां के कबायली क्षेत्र भारत के अन्य क्षेत्रों से भिन्न हैं। प्रत्येक क्षेत्र का रहन-सहन और संस्कृति अलग-अलग है। ऐसी कमेटी में उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पर मैं पैराग्राफ २ में देखता हूँ कि एडवाइजरी कमेटी जो सब कमेटियां नियुक्त करेगी कुछ और सदस्य चुन (Coopt) सकेंगी। इससे सम्भवतः हमारी समस्या का समाधान हो जायेगा। मैं उसे पढ़ सुनाता हूँ :—

"एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) ऐसी सब कमेटियां (उपसमितियां) नियुक्त करेगी जो पश्चिमोत्तर पूर्वोत्तर की फिर्केवाली जातियों के क्षेत्रों एवं आंशिक पृथक् क्षेत्रों की शासन व्यवस्था के लिए योजनाएं तैयार करेंगी। इस तरह की सभी सब कमेटियां अभी अपने खास फिरके वाले क्षेत्र से दो सदस्य से अधिक नहीं चुन (coopt) सकती। यह सदस्य उन्हें उस क्षेत्र के काम में सहायता पहुँचायेंगे।"

इसमें सन्देह नहीं कि इससे आदिवासी और फिर्केवाले क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा जिससे वे एडवाइजरी कमेटी पर अपनी इच्छायें प्रकट कर सकेंगे। इस दृष्टि से सभा के सम्मुख पेश किया गया प्रस्ताव बिलकुल सन्तोषजनक है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं बहुत पसन्द करता यदि कोई और हिन्दुस्तानी ईसाई इस सूची में जोड़ा गया होता। मैं देखता हूँ कि उड़ीसा को बिलकुल ही प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

***एक माननीय सदस्य :** आन्ध्र के बारे में आप क्या कहते हैं?

***माननीय रेवरेन्ड जे० जे० एम० निकोल्स राय :** मैं चाहता हूँ कि उड़ीसा से एक ईसाई को प्रतिनिधित्व मिले। अध्यक्ष महोदय, वहां के ईसाई समाज के प्रतिनिधित्व के बारे में विचार कर सकते हैं। चार हिन्दुस्तानी ईसाई सदस्यों को इस सूची में स्थान मिला हुआ है। मैं केवल एक की वृद्धि चाहता हूँ। इस अनुरोध के साथ मैं विश्वास करता हूँ कि प्रस्ताव सभा को

मान्य है और पूर्णतः सन्तोषजनक है। जिन कुछ अल्प संख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उन्हें अध्यक्ष द्वारा नामजदगी से और सब कमेटियों द्वारा चुने (Cooapt) जाने से प्रतिनिधित्व मिल सकता है।

*श्री बी० दास (उड़ीसा : जनरल) : महाशय, आज सुबह यहां का जो वातावरण है और तीन-चार दिन से नई दिल्ली का जो वातावरण हो रहा है वह मुझे १६३०-३१ के वातावरण की याद दिलाता है! अपने भूतकालीन अनुभवों के आधार पर मैं यह सोचता हूँ कि अल्प संख्यकों को पहले से ज्यादा स्थान मिले हुए हैं। इस तरह की शिकायतें तो सदा ही रहेंगी। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि अल्प संख्यक केवल न्याय, समानता और सद्व्यवहार ही नहीं चाहते बल्कि तीसरे दल के दबाव से संरक्षण और अधिक स्थान की मांग करते हैं। अल्प संख्यकों की समस्या द्वारा हमारी मुख्य समस्या को—भारत की स्वतन्त्रता को—ढक नहीं दिया जाना चाहिए।

पूर्व वक्ताओं ने एक बात पर विशेष जोर दिया था कि बहुसंख्यक हिन्दू प्रान्तों को एडवाइजरी कमेटी में अपने बहुसंख्यक सम्प्रदाय के लिए प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मैं उनके साथ हूँ और मैं उड़ीसा के बहुसंख्यक हिन्दू सम्प्रदाय के लिये ऐसे प्रतिनिधित्व की माग करता हूँ। उड़ीसा को इस बहस में अवश्य सम्मिलित किया जाये जिससे वह उस अनुचित बोझ का हिसाब लगा सके जो उसे अपनी अल्पसंख्यक जातियों के कारण उठाना पड़ेगा।

बहुत सम्भव है कि आगे चलकर एडवाइजरी कमेटी में अड़चन उपस्थित हो जाये। मैं उससे फैसले का अनुमान नहीं करता और न मैं उस एडवाइजरी कमेटी का सदस्य ही हूँ। पर अल्प-संख्यक अखिल भारतीय आधार पर अधिकाधिक संरक्षण, आर्थिक सुविधायें, प्रतिनिधित्व तथा ज्यादा जगहें मांगते जायेंगे। अखिल भारतीय आधार पर ऐसी मांगें तथा उन पर फैसले गरीब उड़ीसा प्रान्त के लिए बड़े संकटप्रद सिद्ध हो सकते हैं। अगर अल्पसंख्यकों पर सिर्फ की जाने वाली कोई कम से कम रकम मुकर्रर कर दी गई। फिर भी कुछ कम से कम रकम तो परिगणित जातियों और आदिवासियों एवं फिरकेवालों पर खर्च करना ही होगा। जिन दिनों बिहार उड़ीसा से अलग नहीं हुआ था उन दिनों का बिहार का कम से कम खर्च उड़ीसा का आज अधिक से अधिक खर्च बन गया है। उड़ीसा की प्रति व्यक्ति की वार्षिक आमदनी लगभग ढाई रुपये है जब कि अन्य प्रान्तों की २० रुपये है। मैं यह कह कर कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ कि एडवाइजरी कमेटी में उड़ीसा का एक हिन्दू प्रतिनिधि भी रखा जाना चाहिये।

मैं कल्पना करता हूँ कि स्वतन्त्र भारत में अवशिष्ट अधिकार (Reseduary Powers) प्रान्तों को मिलेंगे। क्या मेरे यहां के साथी यह बात समझ रहे हैं कि संरक्षण और अधिक प्रतिनिधित्व की पुकार से छोटे प्रान्तों को कितनी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। और गरीब प्रान्तों पर कितनी भीषण कठिनाइयां-शासन सम्बन्धी और आर्थिक लागू हो जायेंगी। इससे शासन भंग हो जाने की आशंका हो सकती है।

एडवाइजरी कमेटी इतनी विस्तृत जरूर होनी चाहिए जिससे वह हिन्दू बहुमत के प्रान्तों को हिन्दू प्रतिनिधियों को ले सके ताकि वह उन प्रांतों की आय-व्यय और अर्थ सम्बन्धी व्यवस्था को समझ सके। हमें एडवाइजरी कमेटी के ऐसे लोगों के किसी भी निर्णय का प्रबल विरोध करना होगा जो उड़ीसा की माली, आर्थिक अवस्था को समझते तक नहीं। हम कोई

[श्री बी० दास]

भी संरक्षण, आर्थिक अथवा अन्य स्वीकार नहीं करेंगे और न अनुचित बोझ या कठिनाई ही सहन कर सकेंगे।

*श्री सत्यनारायण सिनहा : मेरा प्रस्ताव है कि अब बहस बन्द की जाय।

*श्री आर० के० सिधवा (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल) : क्या मैं कुछ शब्द कह सकता हूं महाशय ?

*अध्यक्ष : बहस बन्द करने का प्रस्ताव (Closure) रखा जा चुका है। प्रस्ताव है कि बहस बन्द करने की कार्यवाही अमल में लाई जाये।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

*अध्यक्ष : पन्त जी, यह प्रस्ताव आपका था। क्या आप संशोधन स्वीकार करते हैं ?

*माननीय पंडित गोविन्दबल्लभ पन्त : महोदय, मैं श्री मुंशी द्वारा पेश किये गये संशोधनों को स्वीकार करता हूँ। कुल मिलाकर मेरे प्रस्ताव का आशातीत स्वागत हुआ। यह एक नाजुक सवाल है, खास कर जब व्यक्तियों की नामजदगी का प्रश्न सामने आ जाता है। ऐसी समस्याओं के अनेक ऐसे परेशानी भरे रूप हमारे सामने आ जाते हैं जिन पर आसानी से काबू नहीं किया जा सकता और जिन्हें बिलकुल अवैयक्तिक रूप में सुलझाया नहीं जा सकता। इसलिये यदि श्री जयपालसिंह की अपेक्षा भी अधिक प्रबल विरोध और कटु आलोचना करने वाले वक्ता होते तो मुझे आश्चर्य न होता। मैंने देखा कि वह अनर्गल भाषण कर रहे हैं और मुझे ऐसा जान पड़ा कि उनके भाषण की उग्रता उनके भावहीनता का पूरक थी। मैंने आदिवासियो या फिरकेवालों के विरुद्ध कोई सुझाव भी नहीं किया था। मेरा विश्वास है कि इन आदिवासियों और फिरकेवालों की ओर हमने उतना ध्यान नहीं दिया और न अपने हाथों उनकी उतनी क्रियात्मक सेवा ही कर सके जिससे कि वे अधिकारी थे। मैं समझता हूँ कि हमारा उनके प्रति एक कर्तव्य है और हमें उनको आगे बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये। मेरे और उनके (श्री जयपालसिंह) के बीच यह मामला नहीं है। जब मैंने यह सुझाव रखा था कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए बाहरी शक्तियों का मुंह ताकना बुद्धिमानी नहीं है, तो मेरा लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष या किसी दल अथवा वर्ग की ओर नहीं था।

मैं इस प्रश्न पर बतौर चेतावनी के चन्द शब्द कहना चाहता हूं जो बड़े महत्व के हैं और जो प्राय: बड़े उद्वेग जनक होते हैं। केवल उसी के कारण मैंने हाल के वर्षों की पोलैंड, बलगेरिया, चेकोस्लोवाकिया, आस्ट्रिया और पूर्वीय यूरोप के अन्य राजों की घटनाओं की ओर ध्यान दिलाया था क्योंकि ऐसे समय जब हम विधान बनाने जा रहे हैं इन अनुभवों को ध्यान में रखना जरूरी है। यह सुझाया गया था कि चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतानुसार होना चाहिये था। वस्तुत: इसी सिद्धांत के आधार पर चुनाव हुआ था। जैसा कि मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण के शुरू में कहा था यह सदस्य अपने सम्प्रदायों या दलों और साथियों द्वारा चुने गये हैं, हम इस सारी असेम्बली की स्वीकृति की मुहर इसलिये चाहते थे कि एडवाइजरी कमेटी बड़ी ही महान समस्याओं पर विचार करेगी और हम कमेटी के प्रत्येक सदस्य में ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देना चाहते थे जो इस सभा की स्वीकृति द्वारा कमेटी के सदस्यों में अवश्य ही पैदा हो सकता है। इस प्रकार इस

कमेटी के लिए ठोस नैतिक नींव निर्मित करने के लिए यह उपाय किया गया था, पर जैसा कि पहले कह चुका हूं कमेटी के सदस्यों के चुनाव सर्व सम्मत थे। इस सभा के भी सब सदस्य केवल कुछ अनुपस्थितों को छोड़ कर इन नामों से सहमत थे और यह नाम पूरी सभा (General Body) के सामने रखने के पहले, हर दल के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधि चुन लिए थे, मैं नहीं समझता कि इससे अधिक सन्तोषजनक ढंग काम में लाया जा सकता था। यह तो एडवाइजरी कमेटी की कार्य-वाही के लिए शुभ चिन्ह हैं कि इसके सदस्य न केवल अपने दलों द्वारा बल्कि इस सभा के प्रत्येक सदस्य और सभी सदस्यों द्वारा चुने गए हैं। इससे उन्हें वह स्थिति प्राप्त हो गई है जो उनके लिए श्रद्धा और कद्रदानी का कारण बनेगी। महोदय, कुछ प्रांतों के कई नाम छूट जाने का जिक्र किया गया है। मैं स्वीकार करता हूं कि और भी कई सदस्य इस कमेटी में जोड़े जा सकते थे। यहां हम बौद्धिक और जनहित भावना का यथेष्ट प्रतिनिधित्व देख रहे हैं, और जिन-जिन को कमेटी में लिया जा सकता था उनसे कमेटी का हित ही हो सकता था, पर इस प्रकार के मामलों में क्रियात्मक सीमाएं हुआ करती हैं और आपको यह देखना होगा कि कहीं बहुत से अच्छे लोगों के आधिक्य से ही ढांचा न टूट जाय। गुण और श्रेष्ठता की भी मर्यादा होती है, वह ऐसी नहीं होनी चाहिये कि मनुष्य की क्रियाशीलता ही नष्ट हो जाय, वह ऐसी होनी चाहिये जिससे दोष सहन किये जा सकें। नहीं तो यदि आप स्वर्ग-निर्माण करने या प्लेटो का प्रजातन्त्र लाने के इच्छुक हैं तो आप कभी क्रियात्मक रूप में कुछ नहीं कर पायेंगे। इसलिये स्थिति की कठोर यथार्थता के कारण बाध्य हो हमें वह संख्या ७० के लगभग रखनी पड़ी है और गम्भीर कार्यवाही के लिए तो यह संख्या भी अधिक है। हमने यहां संख्या कम करदी है। इसका कारण यह नहीं है कि जो कुछ कहा गया है हम उसकी कदर नहीं करते या हम इस सभा के माननीय सदस्यों की सहायता नहीं चाहते; बल्कि इसका कारण यह है कि कमेटी इससे अधिक बोझ सहन न कर सकेगी। इसके कारण किसी भी क्षेत्र में कोई अविश्वास या सन्देह नहीं होना चाहिए। आखिर ऐसी कमेटियों में साधारणतः मत गणना द्वारा फैसले नहीं किये जाया करते। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथी का दृष्टिकोण समझता है। हर व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने साथियों के विचारों को समझेंगे, यही आदान-प्रदान की भावना होनी चाहिये। इस प्रकार की कमेटी का निश्चय बहुमत के वोट द्वारा नहीं, सर्वसम्मत रूप में होना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूं कि माननीय सदस्य इस बात पर विवाद कर सकते है कि जो सदस्य संख्यायें निश्चित की गई हैं वह प्रत्येक प्रात की जनसंख्या के अनुपातानुसार पूर्ण नहीं हैं। ऐसे मामलों में लाखों करोड़ों जनता और उसके स्वार्थ के बारे में हम गज की माप काम में नहीं ला सकते और दो परिगणित जाति वालों के घटा देने या एक एंग्लो इंडियन के घटा देने से क्या कोई खास फर्क पड़ता है? मैं ऐसा नहीं समझता। डा० अम्बेडकर या श्री एन्थोनी जैसे योग्य एक ही सदस्य उतना कर सकते है जितने आधे दर्जन या इससे भी अधिक मिल कर नहीं कर सकते। संख्या की अपेक्षा चरित्रबल का अधिक महत्व है जिससे सदस्यों को प्रेरणा मिलती है। इस तरह के मामलों मैं इन बातों का ख्याल रखना चाहिये। मुझे आशा है कि जब यह कमेटी काम शुरू करेगी तो अफ़सोस करने का कोई मौका न होगा और सब मिलकर इस कमेटी को उस समय बधाई देंगे जब यह अपना कार्य समाप्त करेगी।

*अध्यक्ष : पण्डित पन्त जी, आपने सर एन०गोपाल स्वामी आयंगर के संशोधन पर कुछ नहीं कहा।

*माननीय पं० गोविंद बल्लभ पन्त : मैं वह संशोधन स्वीकार करता हूं।

*अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश किया जा चुका है और उसके बाद संशोधन उपस्थित किये जा कर प्रस्ताव कर्ता द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं इसलिए अब संशोधित प्रस्ताव पढ़ा जायगा, जो इस प्रकार है—

"यह असेम्बली निश्चय करती है कि मन्त्रि-मण्डल-मिशन के १६ मई सन् १९४६ के पैराग्राफ २० के अनुसार एक एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) निम्नलिखित ढंग से निर्मित की जाय।"

१. (क) एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) में ७२ सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं होंगे और इसमें वह सदस्य भी लिए जा सकते हैं जो इस असेम्बली के सदस्य नहीं हैं।

(ख) आरम्भ में इसमें नीचे लिखे सदस्य होंगे—

१. श्री जयराम दास दौलतराम।
२. माननीय श्री मेहरचन्द खन्ना।
३. डा० गोपीचन्द भार्गव।
४. बख्शी सर टेकचन्द।
५. डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष।
६. श्री सुरेन्द्र मोहन घोष।
७. डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी।
८. श्री पृथ्वीसिंह आज़ाद।
९. श्री धर्म प्रकाश।
१०. श्री एच० जे० खांडेकर।
११. माननीय श्री जगजीवनराम।
१२. श्री पी० आर० ठाकुर।
१३. डा० बी० आर० अम्बेडकर।
१४. श्री वी० आई० मुनिस्वामी पिल्लई।
१५. सरदार जोगेन्द्रसिंह।
१६. माननीय सरदार बलदेवसिंह।
१७. सरदार प्रतापसिंह।
१८. सरदार हरनामसिंह।
१९. सरदार उज्ज्वलसिंह।
२०. ज्ञानी कर्त्तारसिंह।
२१. डा० एच० सी० मुकर्जी।
२२. डा० आल्बन डी० सौज़ा।
२३. श्री साल्वे।

२४. श्री रोची विक्टोरिया।
२५. श्री एस० एच० प्रेटर।
२६. श्री फ्रैंक रेजिनाल्ड एन्थॉनी।
२७. श्री एम० बी० एच० कॉलिन्स
२८. सर होमी मोदी।
२६. श्री एम० आर० मसानी।
३०. श्री आर० के० सिधवा।
३१. श्री रूपनाथ ब्रह्म।
३२. श्री खान अब्दुल गफ्फार खां।
३३. खान अब्दुलसमद खां।
३४. श्री माननीय रेवरेंड जे० जे० एम० निकोल्सराय।
३५. श्री मयंग मोकचा।
३६. श्री फूलभान शाह।
३७. श्री देवेन्द्रनाथ सामन्त।
३८. श्री जयपालसिंह।
३६. आचार्य जे० बी० कृपलानी।
४०. माननीय मौलाना अब्बुल कलाम आजाद।
४१. माननीय सरदार जे० बल्लभ भाई पटेल।
४२. माननीय श्री सी० राजगोपालाचार्य।
४३. राजकुमारी अमृतकौर।
४४. श्रीमती हंसा मेहता।
४५. माननीय पं० गोविदवल्लभ पन्त।
४६. माननीय श्री गोपीनाथ वार्दोलोई।
४७. माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन।
४८. दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर।
४६. श्री के० टी० शाह।
५०. श्री के० एम० मुंशी।

(ग) अध्यक्ष किसी भी समय या विभिन्न समयों पर कमेटी के २२ सदस्यों तक की नामजदगी कर सकते हैं, जिनमें ७ मुसलमान होंगे, जो मद्रास, बम्बई, संयुक्तप्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, उड़ीसा और आसाम का प्रतिनिधित्व करेंगे।

२. एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) सब कमेटियों (उप-समितियों) की स्थापना करेगी, जो पश्चिमोत्तर के फ़िरकेवाले क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी आदिवासी और फ़िरके वाले क्षेत्रों और पृथक् एवं आंशिक पृथक क्षेत्रों की शासन व्यवस्था की योजना बनायेगी। इस तरह की प्रत्येक कमेटी (उपसमिति) सदस्य तक उन क्षेत्रों से चुन (Co-opt) सकती है जिस पर उस

[अध्यक्ष]

समय वह उपसमिति विचार कर रही होगी और वह सदस्य सब-कमेटी को अपने क्षेत्रों के बारे में ज्ञातव्य बातों द्वारा सहायता करेंगे।

३. एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) समय समय पर आवश्यकता के अनुसार और भी सब कमटियां (उप-समितियां) नियुक्त कर सकती है।

३. (क) कमेटी या उसकी किसी भी सब कमेटी का कोरम सम्बन्धित कमेटी या सब कमेटी की तात्कालिक सदस्य संख्या का एक तिहाई होगा।

४. एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) इस प्रस्ताव की तारीख से तीन मास के अन्दर अंतिम रिपोर्ट संयुक्त विधान-परिषद् के पास भेजेगी और समय-समय पर अस्थायी रिपोर्ट भी भेज सकती है। परन्तु बुनियादी अधिकारों पर वह अपनी अस्थायी रिपोर्ट प्रस्ताव पास होने की तारीख से छः सप्ताह के अन्दर भेजेगी और अल्प संख्यकों के अधिकारों पर वह अपनी अस्थायी रिपोर्ट प्रस्ताव पास होने की तारीख से दस हफ्ते के अन्दर भेजेगी।

५. एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) में जो इत्तफाकिया जगहें खाली होंगी उन्हें जहां तक हो सकेगा खाली होने के बाद शीघ्र ही अध्यक्ष महोदय नामजदगी द्वारा भर देंगे।

६. अध्यक्ष कमेटी की कार्यवाही के ढंग के बारे में स्थायी आज्ञा दे सकते हैं।

अब मैं इस संशोधित प्रस्ताव पर मत लूंगा।

प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

*अध्यक्ष : दोपहर बाद तीन बजे हम फिर मिलेंगे और उस समय हम कमेटी में आय-व्यय के लेखे (बजट) पर विचार करेंगे। इसलिए दर्शकगण दोपहर बाद की बैठक में पधारने का कष्ट न करें।

इसके बाद भोजन के लिए असेम्बली तीन बजे तक स्थगित हुई।

विधान परिषद् भोजन के बाद तीन बजे अध्यक्ष माननीय डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में कमेटी (समिति) के रूप में फिर समवेत हुई।

आय-व्यय के आनुमानिक बजट पर बहस समाप्त हुई।

फिर तीन बजकर ५५ मिनट पर विधान-परिषद का पूर्ण अधिवेशन हुआ।

विधान-परिषद् का आनुमानिक आय-व्यय (बजट)

*अध्यक्ष : श्री गाडगिल इस प्रस्ताव को बाजाब्ता पेश करेंगे।

***श्री एन० वी० गाडगिल (बम्बई : जनरल)** : मैं यह प्रस्ताव बाजाब्ता पेश करता हूँ। वास्तव में खुले अधिवेशन में यह पेश किया गया था और विधिवत पेश होने के बाद सभा प्रस्ताव द्वारा कमेटी में बदल गई।

***एक माननीय सदस्य** : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव विधिवत पेश हो चुका है और उसका समर्थन भी हो चुका है। अब मैं इस पर मत लेता हूँ। मैं एक बार प्रस्ताव फिर पढ़ दूंगा:—

"निश्चय हुआ कि असेम्बली, असेम्बली के १६४६-४७ और १६४७-४८ का आनुमानिक खर्च के विवरण को, जैसा कि विधान परिषद के नियम ५० (१) के अनुसार स्टाफ और अर्थ-समिति (Financial Committee) ने तैयार की गई सम्बद्ध सूची में दिखाया गया है, स्वीकार करती है।

"निश्चय हुआ कि असेम्बली विधान-परिषद के नियम ५१ (१) के अनुसार असेम्बली के सदस्यों का उप-वेतन (allowance) नियत करती है कि स्टाफ और अर्थ कमेटी द्वारा स्वीकृत सम्बद्ध सूची में दिखाया गया है।

मुझे सारा विवरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सदस्यों को उसकी जानकारी है। मैं प्रस्ताव पर मत लेता हूँ।......

बजट पास होता है।

बजट मंजूर किया गया।

*अध्यक्ष : इससे हमारा आज का काम समाप्त हुआ।

*श्री देशबन्धु गुप्त (दिल्ली) : क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं श्रीमान ? क्या इस सम्बन्ध में कोई फैसला किया गया है कि विधान-परिषद की नौकरी करने वालों पर सरकारी नौकरी के नियम लागू होंगे ?

*अध्यक्ष : कुछ भी फैसला नहीं हुआ है। हमारे सेवक सरकारी नौकर नहीं हैं।

*श्री देशबन्धु गुप्त : इन पर सरकारी नौकरी के नियम लागू होंगे या नहीं ?

*श्री अध्यक्ष : हम अपने नियम रख सकते हैं। हमारा सरकारी नियमों से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो सरकारी नौकरी से उधार के रूप में लिये गये हैं वे अपनी राजभक्ति और वफादारी अपने ढंग की रख सकते हैं।

कल हम खुली बैठक में फिर मिलेंगे। कुछ प्रस्ताव लिये जायंगे।

कल ग्यारह बजे तक के लिए बैठक स्थगित होती है।

इसके बाद असेम्बली शनिवार, २५ जनवरी सन् १६४७ ई० के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

—— • ——

विषय-सूची

गोपनीय
केवल सदस्यों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए

भारतीय विधान-परिषद्

बुधवार, २२ जनवरी, सन् १९४७ ई०।

(खुले अधिवेशन की कार्यवाही)

*अध्यक्ष : असेम्बली के बजट के सम्बन्ध में दो प्रस्ताव हैं।

*श्री एच० वी० कामठ (मध्यप्रान्त तथा बरार : जनरल) : श्रीमान्, कल नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस की स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इस परिषद् के एक बड़े भाग ने असेम्बली को स्थगित करने की जो प्रार्थना की है उसकी ओर क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ ?

*अध्यक्ष : श्री कामठ जी, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, हमारे पास कल के लिए कोई कार्य तैयार नहीं है, इसलिए प्रत्येक दशा में कल की छुट्टी होगी (हर्षध्वनि) मिस्टर गाडगिल।

विधान-परिषद् के बजट के अनुमान

*श्री एन० वी० गाडगिल (बम्बई : जनरल): मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं–

"यह निश्चय किया जाता है कि यह परिषद सन् १९४६-४७ई० तथा सन् १९४७-४८ ई० की असेम्बली के लिए विधान-परिषद् के नियम ५० (१) के अनुसार फाइनेंस कमेटी और अधिकारियों द्वारा तैयार किये हुए आनुमानिक व्यय को, जिसे नत्थी की हुई सूची में दिखाया गया है, स्वीकार करती है।

श्रीमान्, जैसा कि नियमों में रखा गया है.........

* श्री के० संतानम् (मद्रास:जनरल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय पर कमेटी में विचार करना चाहिए। यह उचित नहीं है कि हम दर्शकों की उपस्थिति में बजट पर वाद-विवाद करें। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि हमें कमेटी का रूप धारण कर लेना चाहिए।

*प्रो० एन० जी० रङ्गा (मद्रास:जनरल): मैं इसका अनुमोदन करता हूं।

*श्री विश्वनाथदास (उड़ीसा जनरल) : मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

*श्री सोमनाथ लाहिरी (बंगाल:जनरल) : इस प्रस्ताव का सम्बन्ध जनता के धन से है। इस विषय पर जनता की उपस्थिति में वाद-विवाद करने से भयभीत होने का मुझे कोई कारण नहीं दीखता।

*अध्यक्ष : इस प्रस्ताव को पेश होने दीजिये तब हम इस पर विचार करेंगे कि आया इस पर विचार-विनिमय कमेटी में होगा।

---

*इस चिन्ह का अर्थ है कि यह अंग्रेज़ी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

*श्री के० संतानम् : प्रस्ताव पेश हो चुका है। वह इस पर वक्तृता देने को हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि यह गुप्त रूप से हो। कोई बात छिपाने या भयभीत होने की नहीं है परन्तु हम बोलने की स्वतन्त्रता चाहते हैं।

अध्यक्ष : तब मैं इस सम्बन्ध में सभा की इच्छा जानना चाहता हूं। जो इस प्रस्ताव पर कमेटी में विचार करना चाहते हों वे कृपया "हां" कहें।

*माननीय ०बीजी०खेर (बम्बई जनरल) : सम्पूर्ण सभा को कमेटी का रूप धारण करना चाहिये।

*अध्यक्ष : वे जो कमेटी के पक्ष में हैं "हां" कहें।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

*अध्यक्ष : तब हम कमेटी का रूप धारण करेंगे और चूंकि कमेटी की बैठकें गुप्तरूप से होती हैं इसलिये मैं दर्शकों से चले जाने की प्रार्थना करता हूँ।

(तब गैलरियां खाली करदी गईं)

(इसके बाद कार्यवाही गुप्त रूप से हुई।)

(गुप्त कार्यवाही)

*श्री एन० वी० गाडगिल : यह अनुमान इस परिषद् की नियुक्त की हुई कमेटी ने तैयार किये हैं और नियमों के अनुसार वे इस सभा की स्वीकृति के लिये पेश किये जाते हैं।

स्पष्ट रूप से यह ऐसा विषय है कि इसमें कोई व्यक्ति दृढ़ता से कोई बात नहीं कह सकता। मैं यह करनाचाहता हूँ कि मेरे पास जो भी सूचनायें हैं वे आपको दे दूं और इस विषय को परिषद् के अन्तिम निर्णय के लिये छोड़ दूं।

अध्यक्ष महोदय, आपको विदित होगा कि फाइनेंशियल कन्वेंशन विधान-परिषद् की बैठकों से सम्बन्धित आर्थिक व्यवस्था का निश्चय करता है। इस फाइनेंशियल कन्वेंशन के नियमों से पता लगता है कि विधान-परिषद् के व्यय के लिये वाइसराय विधान-परिषद् के अध्यक्ष को आवश्यकतानुसार धन-राशि देने का प्रबन्ध करेगा। अध्यक्ष से आशा की जाती है कि वे विस्तृत आनुमानिक विवरण दें और विधान-परिषद् अध्यक्ष को दो शर्तों पर यह धन-राशि दी जायेगी। उनमें से एक शर्त यह है कि केन्द्रीय धारा-सभा की स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी इसे स्वीकार करे और धन-राशि के लिये केन्द्रीय धारा-सभा के बजट अधिवेशन में प्रस्ताव स्वीकार किया जाये। स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी ने गत जुलाई मास में सन् १९४६-४७ ई० के लिये ४७ लाख रुपयों की स्वीकृति दी थी और उस समय नियम अप्राप्य थे। इसलिए एक आनुमानिक ब्यौरा परीक्षण के तौर पर बनाया गया था और उसी के आधार पर गत नवम्बर मास में केन्द्रीय धारा-सभा ने सन् १९४६-४७ ई० के आर्थिक वर्ष में होने वाले संभावित व्यय को दृष्टि में रखते हुए १७ लाख रुपये के व्यय के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया था।

अब कुछ अनुमानों के आधार पर, सन् १९४६-४७ ई० और सन् १९४७-४८ ई० के लिए आनुमानिक ब्यौरे तैयार किये गए हैं। एक अनुमान यह है कि सन् १९४७-४८ ई० में समस्त विधान-परिषद् की बैठकें चार मास तक होंगी और इसके सचिवालय की बैठकें भी इतने ही समय के लिए होंगी। इसके अतिरिक्त परिषद् द्वारा नियुक्त कई कमेटियों की बैठकें होंगी। अब मैंने आज्ञा-पत्र पर छपे हुये कई संशोधन देखे हैं और इनसे पता लगता है कि आलोचना तीन दिशाओं में की गई है। कुछ संशोधन अधिकारियों के ऊंचे वेतनों के विरोध में हैं, कुछ थोड़ा वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन की नीची दरों के विरोध में हैं और कुछ विधान-परिषद् के सदस्यों के भत्ते के बारे में। इस खास विषय की भी दो विचार धारायें हैं। इस सम्बन्ध में एक मत यह है कि वर्तमान भत्ते अपर्याप्त हैं और दूसरा मत यह है कि ये भत्ते बहुत अधिक और कई हैं।

पहली बात अधिकारियों को अधिक वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में है। ऐसे संशोधनों में कोई सार नहीं है। सैद्धान्तिक रूप से हममें से कोई भी आपत्ति कर सकता है परन्तु वास्तविकता को भी हम भुला नहीं सकते। अधिकांश अधिकारियों की सेवायें विभिन्न सरकारी विभागों से मांगी हुई हैं। आपको याद है कि ९ दिसम्बर को जब यह विधान-परिषद् सम्मिलित हुई थी, तो यहां एक संगठन विद्यमान था। यह स्पष्ट है कि विधान-परिषद् का मामला अज्ञात तो न था परन्तु यह निश्चित है कि यह क्षेत्र अचिन्त्रित और अपरीक्षित था। इसलिए इसके जिम्मेवार अधिकारियों को बहुत सावधानी के साथ चलना पड़ता था और ९ दिसम्बर अर्थात् विधान-परिषद् के सम्मिलित होने के दिन से पूर्व तक उन्होंने जो कुछ भी किया परिषद् को उससे सन्तोष था क्योंकि आपको १० दिसम्बर की कार्यवाही में अब तक के कार्य की स्वीकृति लेने के सम्बन्ध में इस परिषद् का एक प्रस्ताव मिलेगा जिसे पेश करते हुये पं० जवाहरलाल नेहरू ने उस संगठन के कार्य की प्रशंसा की थी। अब इस संगठन के दो अंग हैं जिनमें से एक सलाहकार अंग है और दूसरा प्रबन्धात्मक। आपको विदित होगा कि सलाहकार अंग के अन्तर्गत विधान के सलाहकार, अनुसंधान करने वाले अधिकारी और इस कार्य के लिए अत्यन्त आवश्यक अन्य कर्मचारी सम्मिलित हैं। सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी तथा अंडर सेक्रेटरी प्रबंधात्मक अंग के अंतर्गत आते हैं और सन् १९४७-४८ के लिये ११ अतिरिक्त डिप्टी सेक्रेटरी नियुक्त करने का प्रस्ताव है जो यदि इसकी अत्यन्त आवश्यकता हुई तो, प्रांतीय विधानों का मसविदा तैयार करेंगे और इस तरह इस काम के लिये प्रत्येक प्रांत का कम से कम एक अधिकारी आ सकेगा और यह अधिकारी अपने प्रांत की हर प्रकार की सूचना दे सकेगा और एक डिप्टी सेक्रेटरी ऐसा होगा जो विधानों का मसविदा बनाने में विशेषज्ञ होगा।

अब अधिकारियों के अधिक वेतन के सम्बन्ध में......

*श्री एल० कृष्णास्वामी भारती (मद्रास : जनरल): श्रीमान, मुझे एक व्यवस्था सम्बन्धी आपत्ति करनी है। यह स्पष्ट है कि श्री गाडगिल ऐसे संशोधनों का

[श्री एल० कृष्णास्वामी भारती]
उत्तर दे रहे हैं जो प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, भविष्य में जब ये संशोधन पेश किये जायें तो प्रस्तावक महोदय इन विचारों का उत्तर देते समय प्रकट करें तो अच्छा होगा। मेरे विचार में इस समय ऐसे संशोधनों का उत्तर देना नियमानुसार नहीं है जिनको कि प्रस्तुत भी नहीं किया गया है।

*श्री एन० वी० गाडगिल : यद्यपि ये संशोधन पेश नहीं किये गये हैं तथापि ये आज्ञा-पत्र पर आ चुके हैं। मैं केवल कुछ सूचना दे रहा हूँ जिसके प्रकाश में कुछ सदस्य अपने संशोधन पेश करना पसन्द न करेंगे।

अब अधिकारियों के ऊंचे वेतन के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि ये अधिकारी वही वेतन पा रहे हैं जो कि उन्हें उनके विभागों में मिल रहे थे। यदि आप इनकी सेवायें समाप्त करना चाहते हैं तो दूसरी बात है; परन्तु यदि आप उन्हें रखना चाहते हैं तो उन्हें वही वेतन देने होंगे जो कि वे इससे पूर्व अपने विभागों में पाते थे।

क्लर्कों और छोटे सेवकों को थोड़ा वेतन देने के सम्बन्ध में दूसरी आलोचना के बारे में मैं परिषद् को बताना चाहता हूं कि यद्यपि दफ्तरी और इसी श्रेणी के अन्य छोटे सेवकों का वेतन १४ रु० है किंतु यह आधारभूत वेतन है। परिषद् को यह जान-कर दिलचस्पी होगी कि हम प्रत्येक सेवक को आधारभूत वेतन के अतिरिक्त १८ रु० मंहगाई का भत्ता, ३ रु० मकान का किराया, ३ रु० सवारी का भत्ता ३ रु० १२ आ० अनाज की क्षतिपूर्ति का भत्ता और ३ रु० अतिरिक्त वेतन देते हैं। उन्हें कुल मिलाकर २८ रु० १२ आ० और १४ रु० मिलते हैं। परिषद् को यह सूचना देकर विश्वासघात न होगा कि फाइनेंस कमेटी यह निश्चय किया है कि केन्द्रीय वेतन कमेटी की सिफारिशों के स्वीकार होने पर समस्त स्थायी और अस्थायी छोटी श्रेणी के सेवकों को सेवा-काल के पिछले दिनों से बढ़ोतरी देदी जायेगी।

विधान-परिषद् के सदस्यों को दिये हुए भत्तों के सम्बन्ध में तीसरी आलोचना के विषय में मेरे मित्र श्री जयपालसिंह विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे। लेकिन मैं, सन् १९४७-८ ई० के बजट के आंकड़ों में अवरोधित धन-राशि के सम्बन्ध में, कुछ प्रकाश डालना आवश्यक समझता हूँ और मैं इससे अधिक नहीं कहूँगा। कुछ सदस्यों के व्यक्तिगत अनुभव के अतिरिक्त हमारे पथ-प्रदर्शन के लिए और कोई चारा न था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे सामने दो विचार-धारायें थी। एक के अनुसार भत्ते अधिक थे और दूसरी के अनुसार भत्ते की दरें कम थीं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय धारा-सभा के उदाहरण से हमारा पथ-प्रदर्शन हुआ, केन्द्रीय धारा-सभा के सदस्यों को ३० रु० दैनिक भत्ता और १५ रु० मार्ग-व्यय मिलता है। यहां दोनों का एकीकरण करके ४५ रुपये रखे गये हैं। देश की गरीबी को दृष्टि में रखते हुए कुछ इसे भी अधिक बताते हैं। मैं इस दृष्टिकोण की साहसपूर्वक सराहना करता हूं। इस भत्ते को कम करने का यह अर्थ होगा कि केवल सम्पन्न, अमीर और राजा लोग ही विधान बनाने में भाग ले सकते हैं। जिन लोगों ने देश-सेवा में अपना सम्पूर्ण जीवन अर्पित कर दिया है

और जिनके पास पैतृक या स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं है उन्हें विधान-परिषद् से विदा होना पड़ेगा। उन्हें १२ महीने या इससे भी अधिक समय तक अपने काम धन्धों को छोड़कर निश्चित रूप से यहां रहना होगा। चूंकि केन्द्रीय धारा-सभा के सदस्यों को भी यही भत्ता मिलता है इसलिए मेरे विचार में ४५ रु० बहुत अधिक नहीं हैं। यदि हम ४५ रु० का मिलान प्रान्तीय धारा सभाओं के सदस्यों को मिलने वाले भत्ते से करें तो इसका ठीक संतुलन होता है। इसलिये मेरे विचार से ४५ रु० बहुत अधिक नहीं हैं।

दूसरी आलोचना के अनुसार यह भत्ता बहुत कम है। यह रकम कुछ सदस्यों के लिए कम है। उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है और उनको सचाई के साथ इससे अधिक की आवश्यकता हो सकती है। कमेटी ने मध्यवर्ती मार्ग ग्रहण किया है और मुझे आशा है कि परिषद् इसे स्वीकार करेगी। इसके साथ मार्ग-व्यय के भत्ते की भी व्यवस्था है। चूंकि सन् १९४७।४८ ई० की अवरुद्ध सहायता में यह भी दिखाई गई है इस लिए मैंने इसका हवाला दिया है। मार्गव्यय का भत्ता पहले दर्जे के किराये का १½ है, इस पर आपत्ति की जा सकती है। यह कहा जा सकता है कि कुछ पहले दर्जे में, कुछ दूसरे दर्जे में और कुछ तीसरे दर्जे में यात्रा करते हैं। इस भत्ते का यह उद्देश्य नहीं है कि लोग पहले दर्जे में ही यात्रा करें क्योंकि यात्री को अपने सेक्रेटरी और नौकर भी अपने साथ लाने होते हैं। यह रकम इस विचार से रक्खी गई है कि इससे सबका खर्च पूरा हो जाय। हम में से बहुतों को अपने-अपने प्रान्तों में सार्वजनिक कार्यों के कारण आवश्यक रूप से हवाई जहाज से यात्रा करनी होती है। और हवाई-यात्रा का व्यय पहले दर्जे के किराये से साधारण रूप से ड्योढ़ा है। मेरे विचार में इन सब बातों को सोचते हुये आपके सम्मुख रखे गये आनुमानिक ब्यौरों को आप स्वीकार करेंगे। श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं।

*एक माननीय सदस्य : श्रीमान्, क्या सूचनार्थ यह बता सकेंगे कि सेवायें उधार लेने के समय सेक्रेटरी का वेतन क्या था?

*अध्यक्ष : हम इन सब प्रश्नों पर प्रस्ताव पेश होने पर विचार करेंगे। प्रस्ताव का एक दूसरा भाग है जिसे श्री जयपालसिंह पेश करेंगे।

*श्री जयपालसिंह (बिहार:जनरल) श्री प्रधानजी, मैं अपना प्रस्ताव पेश करने से पूर्व श्री गाडगिल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का रस्मी तौर से अनुमोदन करता हूँ। मैं सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे कर्मचारियों और अर्थ-समिति के लिए अपने बनाये हुए नियमों को पढ़ने का कष्ट करें। मेरे विचार में यदि सदस्यगण उन नियमों को भली-भांति देख लें तो परिषद् का अनावश्यक बातों में व्यय होने वाला बहुत समय बच जायगा।

उदाहरण के लिए यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि नियुक्तियां प्रधान द्वारा होती हैं। मैं नियम की धारा पढ़े देता हूं इससे यह बात स्पष्ट हो जायेगी।

"कमेटी का काम यह होगा कि वह अध्यक्ष को असेम्बली के दफ्तर में होने वाली जगहों और उनके लिए वेतनों के बारे में सलाह दे, असेम्बली से

[श्री जयपालसिंह]

उसके अफसरों और मेम्बरों को दिये जाने वाले भत्तों के बारे में सिफारिश करे और असेम्बली में पेश होने के लिए बजट और पूरक बजट तैयार करे।"
हमें मि० गाडगिल याद दिला चुके हैं कि यह परिषद् ६ दिसम्बर को सम्मिलित होने से पूर्व हुए कार्य को स्वीकार कर चुकी है। मेरे विचार में हमने रस्मी तौर से उस दिन से पूर्व हुए कार्य की दूसरे दिन स्वीकृति दी थी। इसके बाद विधान-परिषद् ने स्टाफ और फाइनेंस कमेटी की नियुक्ति की है और हमने अपने सामने आने वाली समस्याओं पर विस्तार पूर्वक विचार किया है। मैं परिषद् को बता देना चाहता हूं कि विधान-परिषद् के कर्मचारियों की संख्या बढ़ते हुये कार्य को देखते हुये बहुत कम है। सदस्यों को विदित है कि कर्मचारियों के अभाव में बारी-बारी से ही उनकी सेवा की जा सकती है। विधान-परिषद् के वर्तमान कर्मचारियों में से ६० प्रतिशत कर्मचारी केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारों के विविध विभागों से लिये गये हैं। १० प्रतिशत कर्मचारी अपनी योग्यता और विधान-परिषद् में होने वाले कार्य को देखते हुए भर्ती किये गये हैं। इसलिये परिषद् भली-भांति महसूस करेगी कि वेतनादि की सुविधायें तय करने में हमारा बहुत कम हाथ है। सरकारी कर्मचारी बहुत से नियमों से बंधे हैं।

*अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपने प्रस्तुत होने वाले प्रस्ताव की सीमा में ही रहें।

*श्री जयपालसिंह : मैं नियमित रूप से प्रस्ताव पेश करता हूँ :

"यह निश्चय किया जाता है कि यह विधान-परिषद् अपने नियम ५१ (१) के अनुसार अधिकारियों और फाइनेंस कमेटी द्वारा स्वीकृत सदस्यों के भत्तों को जो कि नत्थी किये हुए परिशिष्ट में दिखाये गये हैं, स्वीकार करती है।"

मेरे माननीय मित्र श्री गाडगिल पहले ही हमारी कठिनाइयों को सुझा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इच्छा रहते हुये भी हम इन दरों को बढ़ाने में असमर्थ थे। केन्द्रीय धारा-सभा का उदाहरण हमारे सामने था। जहाँ सदस्यों को ३० रु० दैनिक भत्ता और १५ रु० मार्ग व्यय का भत्ता मिलता है। मैं जानता हूँ कि कुछ सदस्यों को ४५ रु० तय होने पर निराशा हुई होगी। विधान-परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के समय समाचार पत्रों में सदस्यों को ७५ रु० भत्ता दिये जाने की सूचना प्रकाशित हुई थी। मैं यह कहूँगा कि सदस्यों को यहाँ आने पर जब यह विदित हुआ कि उन्हें ७५ रु० के स्थान पर ३० रु० कम मिलेंगे तो उन्हें निराशा हुई होगी। मैं किसी भेद का उद्‌घाटन नहीं कर रहा हूँ। इस सम्बन्ध में अन्तर्कालीन सरकार के सदस्यों ने भी अपनी सम्मति दी थी। मैं यह नहीं कहता कि उनसे सलाह ली गई थी उन्होंने ठीक रूप से या भूल से ऐसा अनुभव किया था कि ७५ रु० सम्भवत; बहुत अधिक हैं और यह भत्ता केन्द्रीय धारा सभा के

सदस्यों को दिये जाने वाले भत्ते को देखते हुए काफी ठीक है। इसीलिये यह रकम कम है। स्टाफ और फाइनेंस कमेटी में, राजकुमारी अमृतकौर को छोड़ कर, हम सब एक मत से ४५ रु० दिये जाने के पक्ष में थे। हमने ४५ रु० का भत्ता क्यों तय किया मैं इस प्रश्न को छेड़ना आवश्यक नहीं समझता हूँ। इस भत्ते को बढ़ाने के लिने एक संशोधन है। राजकुमारी अमृतकौर द्वारा घुमाया हुआ एक ऐसा पत्र भी है जिसमें कहा गया है कि ४५ रु० का भत्ता बहुत अधिक है, यह ३० रु० होना चाहिये।

*एक माननीय सदस्य : वह पत्र कहां है ?

*श्री जयपालसिंह : अध्यक्ष महोदय क्या मैं उसे पढ़ दूं।

*अध्यक्ष : मेरी राय में उसे पढ़ना आवश्यक नहीं है।

*श्री जयपालसिंह : दुर्भाग्य से, राजकुमारी अमृतकौर को विधान-भवन में यू० एन० ई० एस० सी० ओ० की मीटिंग में भाग लेना पड़ा था। वे कमेटी में विचार विनिमय के समय उपस्थित न थीं परन्तु उन्होंने मेरे द्वारा परिषद् को यह कहलवाना चाहा कि उनका कमेटी से इस खास बात में मतभेद है और उनकी राय में केवल ३० रु० ही होना चाहिये उससे अधिक नहीं। मेरा प्रस्ताव है कि दैनिक भत्ता और मार्ग व्यय के भत्ते का भेद हटा दिया जाये और यह परिषद् दोनों को मिला कर एक मुश्त ४५ रु० स्वीकार करले। इस समय और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं रस्मी तौर से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष : अब परिषद् के सम्मुख बजट और दोनों प्रस्ताव वाद-विवादके लिये पेश हो चुके हैं। यदि सदस्यों ने बजट को पढ़ लिया है और यदि वे इस पर आज बहस कर सकते हो तो अब भी १५ मिनट शेष हैं।

*कुछ माननीय सदस्य : आज नहीं।

*अध्यक्ष : तब हम इस पर परसों सुबह ११ बजे विचार करेंगे।

तब असेम्बली शुक्रवार २४ जनवरी सन् १९४७ ई० के दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

भारतीय विधान-परिषद्

शुक्रवार, २४ जनवरी, सन् १९४७ ई०

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कांस्टीटयूशन हाल नई दिल्ली में ग्यारह बजे दिन में माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई।

(गुप्त कार्यवाही)

*अध्यक्ष : अब हम कार्य आरंभ करेंगे। परसों उठने से पहले हम बजट पर बहस करने के लिये कमेटी के रूप में बैठे हुये थे। कुछ प्रस्ताव परिषद् में पेश करने के लिये हैं। मेरा यह सुझाव है कि सब से पहले हम उन प्रस्तावों को लें और उन पर कार्यवाही करलें तब फिर यदि हमारे पास समय बचे तो बजट पर बहस करने के लिये फिर कमेटी का रूप धारण कर लें।

मुझे आशा है कि सदस्य इसे स्वीकार करेंगे।

*श्री सत्यनारायण सिनहा (बिहार:जनरल): अध्यक्ष महोदय, हम पिछली बार परिषद् की कार्यवाही स्थगित करने से पहले कमेटी का रूप धारण किये हुए थे इस लिये अब यह प्रस्ताव करना आवश्यक है कि इस सभा का अधिवेशन अब पूरी असेम्बली का खुला अधिवेशन है।

*अध्यक्ष : मुझे आशा है कि सभा इस सुझाव को स्वीकार करती है।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

*अध्यक्ष : चूंकि सभा ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है इसलिये अब हम खुला अधिवेशन करेंगे और प्रस्तावों पर विचार करेंगे।

(प्रस्ताव पेश किये गये और उन पर विचार समाप्त हुआ)

(खुली कार्यवाही)

*अध्यक्ष : हम तीसरे पहर ३ बजे फिर सम्मिलित होंगे और हम उस समय कमेटी के रूप में बजट पर विचार करेंगे। इसलिये दर्शकगण तीसरे पहर के अधिवेशन में उपस्थित होने का कष्ट न करें।

तब असेम्बली दोपहर के भोजन के लिये ३ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

विधान-परिषद् की बैठक दोपहर के भोजन के बाद माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में फिर हुई।

विधान-परिषद् के बजट के अनुमान

*अध्यक्ष : हम अब बजट पर बहस आरंभ करेंगे। बजट पेश हो चुका है। मुझे कुछ संशोधनों की सूचना मिली है। क्या प्रस्तावक श्री लाहरी यहां हैं ? हम अब कमेटी के रूप में हैं।

*श्री जयपालसिंह (बिहार: जनरल) : अध्यक्ष महोदय, क्या आवश्यक कोरम पूरा है ?

*अध्यक्ष : हां, श्री लाहिरी।

*श्री सोमनाथ लाहिरी (बंगाल: जनरल) : महोदय, मैं आज्ञापत्र पर अंकित संशोधनों को पेश करता हूं। सदस्यों का समय बचाने के लिये मैं उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझता। मैं अपने समस्त संशोधन पृथक्-पृथक् प्रस्तुत करता हूँ ताकि कोई सदस्य जो एक संशोधन के पक्ष में हों और दूसरे के पक्ष में न हों तो वे उसी एक पक्ष में सम्मिति दे सकें और दूसरे के लिये न दें।

(१) श्री गाडगिल के प्रस्ताव के अन्त में पूर्णविराम को निकाल दिया जाये और निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

बजट में सन् १६४७-४८ ई० के लिये 'एलाउंसेज और आनरेरिया' की साधारण मद के अधीन दी हुई रक़म के अतिरिक्त जो नीचे दिये हुए सिद्धान्तों के अनुसार विधान-परिषद् के मेम्बरों के भत्ते का हिसाब लगाने के बाद फिर से निश्चित की जाव:-

(!) सदैव से असेम्बली के अधिवेशन के स्थान से भिन्न-भिन्न स्थानों पर रहने वाले सदस्यों के मार्ग व्यय के रूप में स्टीमर या रेल के तीसरे दर्जे के किराये का दूना।

(!!) असेम्बली के अधिवेशन की समाप्ति तक या अन्य कार्यों की समाप्ति तक जिसमें अधिवेशन या अन्य कार्यों से अधिक से अधिक ३ दिन पूर्व और ३ दिन पश्चात का समय भी शामिल हो, बाहर से आने वाले सदस्यों को दैनिक भत्ते के स्थान पर निःशुल्क भोजन, निवास और अधिवेशन स्थान से इधर-उधर जाने के लिये यात्रा की व्यवस्था हो। भोजन, निवास और इधर-उधर जाने की सुविधा विधान-परिषद् का सेक्रेटरियेट प्रदान करे।

(२) सन् १६४७-४८ के लिए 'अधिकारियों के वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत अनुवाद और प्रकाशन विभाग के आनुमानिक बजट में निम्नांकित परिवर्तन किये जावें।

(!) डाइरेक्टर आफ पब्लिसिटी का वेतन घटा कर १००० रु० मासिक किया जाये।

(!!) रिसर्च अफसरों का वेतन घटाकर ३००-२५-५०० के ग्रेड में रक्खा जाये

(३) (प्रकाशन विभाग) कर्मचारियों के वेतन शीर्षक के अन्तर्गत निम्न प्रकार परिवर्तन किये जायें।

(!) बी० ग्रेड के क्लर्कों के वेतन की दर बढ़ा कर ८०,५,१००,१०,२०० को जाये।

(!!) चपरासियों के वेतन की दर बढ़ा कर ४०,२,६० की जाये।

(४) सदस्यों के लिये निश्चित किये गये भत्तों और अधिकारियों के ऊंचे वेतन पर वाद-विवाद उठाने के लिए अधिकारियों के वेतन तथा एलाउंस और आनरेरिया

[श्री सोमना]

शीर्षकों के अन्तर्गत आनुमानिक पूंजी से नाममात्र की कटौती के रूप में १०० रु० कम किये जायें।

(५) सन् १९४७-४८ ई० के बजट के विस्तृत अनुमानों में निम्नांकित अधिकारियों के वेतन कम करके उनको उनके नाम के आगे दी हुई रकमें वेतन के रूप में दी जायें।

सेक्रेटरी	१००० रु० प्रतिमास
सैक्शन सेक्रेटरी	८०० रु० प्रतिमास
डिपुटी सैक्रेटरी	७०० रु० प्रतिमास
असिस्टेंट सैक्रेटरी	६००, रु० २५ रु० ८०० रु०
सुपरिंटेंडेंट	५०० रु०, ४० रु० ७०० रु०

(६) सन् १९४७-४८ ई० के बजट के विस्तृत अनुमानों में अंडर सैक्रेटरी, वैलफेयर आफिसर, और मार्शल की जगहें समाप्त कर दी जायें।

(७) सन् १९४७-४८ ई० के बजट के विस्तृत अनुमानों में 'कर्मचारियों के वेतन' शीर्षक के अधीन निम्नांकित कर्मचारियों के वेतन बढ़ाकर उनको उनके नाम के आगे दी हुई रकमें वेतन के रूप में दी जायें।

५० रु० से २०० रु० और ६० रु० से २३० रु० के ग्रेड में असिस्टेंट या

ए ग्रेडक्लर्कों को—	१००—४३० रु०
बी० ग्रेड क्लर्क	८०,५,१००,१०,२०० रु०
मोटर ड्राइवर	१०० रु० मासिक
डिस्पैच राइडर	८० रु० मासिक
कम्पाउंडर	८० रु० मासिक
अरदली	४०,२,६० रु०

छोटे कर्मचारी (चपरासी, दफ्तरी, जमादार आदि ४०,२, ६० रु०)

(८) सन् १९४७-४८ के बजट के विस्तृत अनुमानों में 'कर्मचारियों के वेतन' शीर्षक के अधीन कान्स्टीटुयेंट क्लब के मैनेजर और लाइब्रेरियन की जगहें समाप्त कर दी जाये।

(९) नत्थी किये हुये परिशिष्ट में पृष्ठ १ पर वाक्य खंड १ में टेवलिंग एन्ड डेली एलाउंस को निकाल कर उसकी जगह नीचे दिया हुआ लेख रक्खा जाये।

सदस्यों को नई दिल्ली से उनके निवास-स्थान तक आने जाने का किराया सिर्फ तीसरे दर्जे के किराये से दूना दिया जाये।

(१०) नत्थी किये हुये परिशिष्ट में पृष्ठ ३ पर (ई०) डेली एलाउंसिस आदि को निकाल कर उसके स्थान पर नीचे दिया हुआ लेख रखा जाये।

विधान-परिषद् के सदस्यों को निःशुल्क भोजन, निवास और अधिवेशन के स्थान पर आने और वहां से वापस जाने के लिये सवारी का निःशुल्क प्रबन्ध सेक्रेटरियेट द्वारा किया जाये।

मेरे सभी संशोधनों का उद्देश्य यह है कि ऊंचे अफसरों का वेतन कम किया जाय और अधिक से अधिक वेतन १००० रु० रक्खा जाय; कुछ ऐसी जगहों को समाप्त किया जाय जो अनावश्यक प्रतीत होती हैं; कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाय और इस सभा के माननीय सदस्यों के भत्ते में कुछ परिवर्त्तन किया जाय। सबसे प्रथम मैं ऊंचे अफसरों के वेतन के प्रश्न को उठाता हूं। श्रीमान्‌जी, आपको विदित है कि बजट में सबसे अधिक वेतन ४००० रु० रखा गया है। आप सब ही जानते हैं कि हिन्दुस्तान जैसे गरीब देश के लिए ४००० रु० बहुत अधिक वेतन है। मैंने इस प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री गाडगिल की दलील सुनी है कि ये आई० सी० एस० के आदमी है, इनके लिये भारत सरकार ने एक निश्चित वेतन तय किया है और इसलिए इस वेतन को कितना भी कम करने की हमारी इच्छा हो, हम इसे कम नहीं कर सकते। मैंने एक प्रमुख नेता से भी सुना है कि हमें पैतृक सम्पत्ति के रूप में यह व्यवस्था मिली है। मेरे विचार में उनका मतलब आई० सी० एस० से है। यह व्यवस्था असेम्बली के कार्य-संचालन के लिए है और हमें इस व्यवस्था के लिये उनके जीवन-स्तर के अनुसार वेतन देना होगा। हमें इस पैतृक सम्पत्ति का निभाना होगा। इसके लिये मुझे बहुत खेद है। आई० सी० एस० ब्रिटिश साम्राज्यशाही की व्यवस्था है। यह देश में साम्राज्यशाही शासन को चलाने के लिये थे और इनका जीवन-स्तर जनता के शोषण पर अवलम्बित था न कि जनता की आवश्यकताओं पर। मुझे इसका कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि हम उस व्यवस्था को क्यों बनाये रक्खें? मैं तो यहां तक कहूँगा कि इस असेम्बली में हमारा यही कार्य है कि हम पुरानी व्यवस्थाओं को हटा कर नई व्यवस्था बनायें। इसलिए महोदय, मेरे विचार से यदि हम विज्ञापन प्रकाशित करें तो हमें बहुत अच्छे कांग्रेसजन, बहुत योग्य कांग्रेसजन तथा अन्य लोग थोड़े वेतन पर काम करने के लिये तैयार मिलेंगे और वे देवी आई० सी० एस० से किसी प्रकार भी कम सन्तोषजनक न होंगे। इससे यह न समझा जाय कि मैं उन लोगों पर आक्षेप कर रहा हूं जो वर्त्तमान पदों को सुशोभित करते हैं। मैं उनकी योग्यता या अयोग्यता से परिचित नहीं हूँ। मैं कार्यपद्धति के सम्बन्ध में बोल रहा हूँ। ऐसी खर्चीली कार्यपद्धति जिसे कुछ नेता उत्तराधिकार में मिली हुई बताते हैं अवश्य समाप्त होनी चाहिये। यह ऐसी बहुमूल्य पैतृक सम्पत्ति नहीं है जिसे रक्खा ही जाये। यदि हम जनता की आवश्यकता और इच्छानुसार भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें इस पैतृक सम्पत्ति को समाप्त करना ही चाहिये। श्रीमान्‌जी, यह कितनी दयनीय बात है कि बजट के उल्लेखानुसार हम एक आदमी को ४००० रु० मासिक वेतन दे रहे हैं और एक माननीय सदस्य का सन्तोष के साथ यह कहते हुए पाता हूं कि थोड़े वेतन के कर्मचारी यह भत्ता और वह भत्ता पाते हैं और इस प्रकार एक आदमी को ४२ रु० ८ आ० मिलता है। हे भगवान्! माननीय सदस्य ने इसका जोड़ लगाया और सभा को बड़े साहस से बताया कि उन्हें १४ रु० नहीं ४२ रु० ८ आ० मिलता है। इसके लिये खेद भी न था। मुझे यह देखकर लज्जा आती है कि एक आदमी को ४२ रु० ८ आ० मिलता है और दूसरा ४००० रु० पाता है; जो पहले आदमी के वेतन से १०० गुने हैं

[श्री सोमनाथ लाहिरी]

और फिर भी हमें शर्म नहीं आती। इसलिये मैंने यह सुझाव रखा है कि थोड़े वेतन पाने वाले कर्मचारियों की जिनमें केवल छोटे सेवक और नीचे ग्रेड के क्लर्क शामिल हैं, इस सीमा तक वेतन वृद्धि होनी चाहिये कि वे जीवित रह सकें। इस सम्बन्ध में एक पुराना तर्क दिया गया है कि पे-कमीशन उनकी दशा की जांच कर रहा है, कुछ सिफारशें की जायेंगी और पे-कमीशन की सिफारशों की प्रतीक्षा तो कीजिये। ठीक युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व कांग्रेस ने भारत में एक बहुत अच्छा नियम बनाया था। कांग्रेस ने सोचा था कि ५०० रु० से अधिक कोई वेतन नहीं होना चाहिये और उस समय कांग्रेस-मंत्रियों ने उस वेतन को स्वीकार किया और मैं कहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने जनता की आवश्यकता के अनुसार काम किया। इस सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि ठीक उसी समय बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस मन्त्रि-मंडल ने एक लेबर इंक्वारी कमेटी बैठाई और उस कमेटी ने सिफारिश की कि एक मजदूर के जीवन-निर्वाह के लिये कम से कम आधार भूत वेतन ५५ रु० होना चाहिये। यह सिफारिश बम्बई लेबर इंक्वारी कमेटी ने सन् १९३८ ई० में की थी। यह भी ठीक था। जैसे ही कांग्रेस मंत्रिमंडल ने एक निश्चित जीवन-स्तर निश्चित किया, लेबर इंक्वारी कमेटी ने भी युद्ध काल से पूर्व न्यूनतम वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये कम से कम ५५ रु० वेतन देने का निश्चय किया। आज जब कि मूल्य तिगुने बढ़ गये हैं यदि हम उसी नियम को लागू करें तो एक मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए कम से कम ५५ रु० के तिगुने यानी १६५ रु० मासिक वेतन की आवश्यकता होगी। पं० जवाहरलाल नेहरू ने राजनैतिक प्रस्ताव पर बोलते हुए एक बहुत अच्छा सिद्धान्त घोषित किया कि हममें से जो थोड़े-बहुत सम्पन्न हैं वे प्रतीक्षा कर सकते हैं लेकिन गरीब लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते। यह बहुत सत्य है। परन्तु वास्तविक व्यवहार में हम क्या देखते हैं? इसे व्यावहारिक रूप देने में हम देखते हैं कि बिना पे-कमीशन के या किसी अन्य निर्णय की प्रतीक्षा किये हुये प्रान्तीय मन्त्रियों को अधिकतम निश्चित ५०० रु० वेतन के स्थान पर १५०० रु० और अन्तर्कालीन सरकार के मन्त्रियों को ५५०० रु० वेतन मिलता है।

*अध्यक्ष : हम मन्त्रियों के बेतन पर बहस नहीं कर रहे हैं।

*श्री सोमनाथ लाहिरी : मैं तुलनात्मक रूप में यह कह रहा हूँ और मेरे विचार में मेरा ऐसा कहना न्यायोचित है।

*अध्यक्ष : माननीय सदस्य को बजट की सीमा के भीतर ही रहना चाहिये।

*श्री सोमनाथ लाहिरी : मैं केवल तुलना कर रहा हूँ। जब कि एक १४ रु० पाने वाले चपरासी का प्रश्न उठता है तो हम पे-कमीशन की प्रतीक्षा के लिये कहते हैं। यह एक अनोखी कार्यप्रणाली है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि पं० जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा है उसका हमें पालन नहीं करना चाहिये? क्या आपके कहने का मतलब जनता को यह बताने का है कि पं० जवाहरलाल का यह कथन कि सम्पन्न प्रतीक्षा कर

सकते हैं परन्तु गरीब लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते। केवल दर्शकों को खुश करने के लिये या क्या मैं ऐसा नहीं सोचता। यदि आप भी ऐसा नहीं समझते तो आपको निर्धारित नियम के अनुसार कार्य करना चाहिये और अपने न्यून वेतन भोगी कर्मचारियों को पे-कमीशन या अन्य किसी की प्रतीक्षा किये बिना जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक वेतन देने में शीघ्रता करनी चाहिये। आप यहाँ चपरासियों को जानते हैं। मैंने उनसे पूछा है, मैं उनसे मिला हूं। वे यहाँ प्रातः ९ बजे आते हैं और रात्रि को ७ बजे लौटते हैं और कभी-कभी उन्हें ७ बजे के बाद तक भी प्रतीक्षा करनी होती है और यदि उन्हें ७ बजे के बाद ठहरने का आदेश होता है तो केवल चार आने पारिश्रमिक मिलता है आप उन्हें १४ रु० वेतन + २१ रु० मँहगाईका भत्ता देते हैं और आप यह भी कहते हैं कि पे-कमीशन उन्हें ५५ रु० देगा और इससे आपको बहुत आत्मसन्तोष होता है। मुझे यह कहना चाहिये कि जब हम स्वतन्त्र भारतका विधान बनाने जारहे हैं और जबकि आपने ही सब व्यक्तियों को समान अवसर देने का प्रस्ताव स्वीकार किया है तो जनता आपके यहाँ के क्रियाकलाप को देख रही है। यदि आप सन्तुष्ट होकर अपने न्यून वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन ५५ रु० से आरम्भ करते हैं और वह भी पे-कमीशन की रिपोर्ट निकलने के बाद, ईश्वर जाने वह निकलेगी कि नहीं, तो जनता को आपके बड़े बड़े राजनैतिक तथा अन्य प्रस्तावों में कही हुई बातों पर विश्वास न होगा। इसलिये मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करता हूँ कि मुझे उच्च अधिकारियों के वेतन से कोई द्वेष नहीं, उन्हें जो मिल रहा है मिलने दीजिये लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि न्यून वेतन भोगियों को कम से कम इतना तो दीजिये ही कि उसके सहारे वे जीवित रह सकें और कार्य कर सकें। एक आदमी जो प्रातः ९ बजे आता है और रात्रि को ७ बजे जाता है ४२ रु० वेतन पाता है। उसके ५, ६ या ७ बच्चे हो सकते हैं तथा सम्भव है कि वह सम्पूर्ण परिवार का पालन पोषण करता हो उसके बारे में थोड़ा सोचिये तो सही। कुछ सदस्य हंस रहे हैं। वे इन बातों पर हंस सकते हैं परन्तु जिनको इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वे इन बातों पर नहीं हंस सकते और मेरे विचार में किसी आदमी को यदि वह मनुष्य है तो इन बातों पर हंसना भी नहीं चाहिये। मैंने कुछ जगहों को घटाने का भी सुझाव रखा है। उदाहरण के लिये डिपुटी सैक्रेटरी के पद पर एक अवकाश प्राप्त व्यक्ति को पुनः नियुक्त किया गया है। इतने अधिक अधिकारी रखने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसलिये मैंने सुझाव रखा है कि कुछ जगहों को समाप्त करके कुछ बचत की जाये। कार्यकुशलता और यहाँ व्यय होने वाले धन के सम्बन्ध में मुझे भय है कि यहां विचार पूर्वक धन व्यय नहीं किया जाता। पिछले दिन फाइनेंस कमेटी के एक सदस्य ने मुझे बताया कि विधान-परिषद् के असिस्टेंट सैक्रेटरी अन्य सरकारी विभाग-फैडरल कोर्ट में गत वर्ष ४०० रु०, वेतन पा रहे थे। जैसे ही वे यहां आये आपने उन्हें ७५० रु० दिये हैं। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सत्य है और यदि सत्य है तो हमारे कर्मचारियों के लिये निश्चत किये हुये वेतन के सम्बन्ध में जांच होनी चाहिये। हमारे हाथ में जनता का धन है। हम इसे अपने निजी धन की तरह व्यय नहीं

[श्री सोमनाथ लाहिरी]

कर सकते। इसे जांच के लिये जनता के सामने रखना पड़ेगा इसमें सन्देह नहीं कि इस विषयको आपने इस गोपनीय अधिवेशन में रखकर जनता की जांच से बचा लिया है। इससे यह प्रकट होता है कि चित्त दोषी है। मैं आशा करता हूँ कि आप इन बातों पर विचार करेंगे। मुझे आशा है कि कम से कम अध्यक्ष महोदय जिन्हें नियुक्तियां करने का अन्तिम अधिकार है इस सम्बन्ध में जांच करेंगे और यदि कुछ आर्थिक बचत हो सके तो उसे भी देखेंगे।

अन्त में अब मैं सदस्यों के एलाउंस और आनरेरिया सम्बन्धी विषय पर आता हूँ। मुझे इस सम्बन्ध में बहुत सावधानी से बोलना चाहिए क्योंकि इससे दूसरे लोगों को दुःख होने की सम्भावना है। मैं निम्न मध्यम श्रेणी के सदस्यों की कठिनाई को अनुभव करता हूँ जो कि अपना अधिकांश समय, यदि सम्भव हुआ तो पूरा समय, इस कार्य के लिये देना चाहते हैं। इसलिये यदि उनकी यह मांग हो कि उन्हें धन कमाने के झंझट में न डाला जावे परन्तु जीवन-निर्वाह के लिये इतना वेतन मिले ताकि वे यह काम कर सकें तो यह बात समझ में आ सकती है परन्तु आप यह भी अवश्य समझ लें कि यह प्रान्तीय या केन्द्रीय धारा-सभा नहीं है जो वर्षों या ५ वर्ष तक चलती रहेगी। यह विधान-परिषद् है। हमें सोच लेना चाहिए कि इस असेम्बली के कार्य को समाप्त करने के लिये १ वर्ष पर्याप्त होगा क्योंकि यहां हमें देश के मौलिक सिद्धान्तों को निश्चित करना हैं और तब धारा-सभाओं का चुनाव करना है। जैसा कि पं० जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि हमारी जनता और हमारे जन-समूह प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इसलिये जितनी शीघ्रता से हम यहां अपना कार्य समाप्त करें हमारी जनता के लिये उतना ही उत्तम होगा। इसलिये इस असेम्बली का कार्य ऐसा है जो पूर्णतया केन्द्रीय धारा-सभा या प्रान्तीय धारा-सभाओं के कार्य के समान नहीं है। मैं यहां सदस्यों से अपील करता हूं कि जब वे अपने देश का विधान बनायें तो देखें कि वह अपने देशवासियों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो और उनको अपने आचरण से उनके सामने आदर्श रखना चाहिये। उन्हें अपने रहन-सहन का उदाहरण भी लोगों के सामने रखना चाहिये जो जहां तक हो सके उन दशाओं के अनुरूप हो जिनमें इस देश के अधिकांश लोग रहते हैं।

इसलिये मैंने यह सुझाव रखा है कि आपके लिये निःशुल्क भोजन, निःशुल्क निवास और तीसरे दर्जे के दूने मार्ग-व्यय सहित निःशुल्क आने-जाने की व्यवस्था होनी चाहिये। यह हममें से प्रत्येकके लिये इतना काफी है कि हम यहां अपना कार्य कर सकें। हमें इससे अधिक कुछ नहीं चाहिये। आप इस पर विचार कीजिये। क्या आप एक साधारण किसान-समूह के सम्मुख जाकर यह कह सकते हैं कि मैं पहले दर्जे में यात्रा करता हूँ और तुम्हारे लिये विधान बनाने के हेतु ४५) रु० प्रतिदिन पाता हूं। तनिक सोचिये तो सही, जब आप किसानों के पास जाकर यह कहेंगे कि आप पहले दर्जे में यात्रा करते हैं और ४५) रु० प्रतिदिन उनके लिये विधान बनाने के लेते हैं तो साधारण

किसान इसे किस तरह पसन्द करेंगे। उन्हें १ मास में या सम्भवत: १ वर्ष में ४५ रु० मिलते हैं। इसलिये आप जो कुछ अपने लिये सुझावें उसका, हमारी जनता की औसत आमदनी से और जन-साधारण के जीवन-स्तर से कुछ सम्बन्ध होना चाहिये। यदि आप वर्त्तमान दरों से अपना भत्ता लेंगे तो जन-साधारण इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि आप उनकी भलाई के लिये कोई विधान बना रहे हैं।

मैं जानता हूँ कि अनेकों सदस्यों ने बड़े-बड़े त्याग किये हैं और वे दूसरी तरह से जो कुछ पैदा करते उसकी अपेक्षा ४५ रु० का प्रतिदिन का भत्ता बहुत कम है। परन्तु फिर भी वे जनता की सेवा के लिये यहां आये हैं। वे ब्रिटिश साम्राज्यशाही से राज-शक्ति लेनेके लिये यहां आये हैं। अपने देश के युद्ध का यह एक अंग है और इसलिये उन्हें रुपये पैसे का विचार न करना चाहिये। इसलिये मैं इस सभा से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस ओर ध्यान दे कि जो भत्ता हम अपने लिये स्वीकार करें उसका सम्बन्ध जन-साधारण की औसत आमदनी से होना चाहिए। हमें निःशुल्क भोजन व निवास और यात्रा-व्यय मिलना चाहिये अन्य कोई भत्ता नहीं।

इन कुछ शब्दों के साथ, मैं अपना संशोधन परिषद् की स्वीकृति के लिये पेश करता हूँ।

*अध्यक्ष : क्या श्री लाहिरी अपने सब संशोधन पेश कर रहे हैं।

*श्री सोमनाथ लाहिरी : जी हां, मैं उन्हें अलग-अलग पेश करूंगा।

*अध्यक्ष : अब संशोधन पेश किये जा सकते हैं।

*डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी : (बंगाल : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधनों को वापस लेने से पूर्व चन्द शब्द कहना चाहता हूँ। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि संशोधन वापस लेने का यह अर्थ नहीं है कि मैं अपने विचारों को वापस लेता हूँ। मैं इस संशोधन को अपनी पार्टी के निश्चयानुसार वापस ले रहा हूँ। मेरी भावना भी वही है जो मेरे कम्यूनिस्ट मित्र श्री लहिरी की है। मैं वास्तव में अनुभव करता हूं कि हमें ऐसे बजट को स्वीकार नहीं करना चाहिये जिसमें सेक्रेटरी के लिये ४००० रु० मासिक वेतन की और एक दफ्तरी के लिये १४ रु० ८ आ० मासिक वेतन की व्यवस्था हो, मेरा वास्तव में यह विचार है कि हमें ऐसा बजट स्वीकार नहीं करना चाहिये। यदि हम ऐसे बजट को स्वीकार करेंगे और जनता को इसका पता लगेगा तो वे यह सोचेंगे कि आखिर हमसे ऐसी ही आशा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि युद्ध से पूर्व सन १९३७ ई० में यह तय हुआ था कि कांग्रेस-मन्त्री वेतन के रूप में ५०० रु० के अतिरिक्त और कुछ न लें। इस निश्चय के पीछे यह भावना थी कि भारतवर्ष एक गरीब देश है जहां जनता की औसत आमदनी बहुत कम है, इसलिये राज्य के ऊंचे से ऊंचे अधिकारी को भी ५०० रु० से अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिये। यद्यपि भारतवर्ष समाजवादी राष्ट्र नहीं है फिर भी उस समय यह सोचा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी बहुत कुछ समान

[डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी]
होनी चाहिये। यह सन् १६३७ ई० की बात है। इसके बाद युद्ध प्रारम्भ हो गया और उसके दुष्परिणाम से मुद्राप्रसार और मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई। मूल्य तीन या चार गुना बढ़ गये हैं। इसलिये अधिकतम वेतन २००० रु० तक और समानरूप से न्यूनतम वेतन ५० रु० या कुछ अधिक बढ़ाना न्यायोचित होगा। इसलिये मैंने अपने संशोधन में यह प्रस्ताव रखा है कि सेक्रेटरी को २००० रु० मासिक दिये जायें और न्यूनतम वेतन ५० रु० से कम न हो। मेरी वास्तविक इच्छा न्यूनतम वेतन १०० रु० रखने की है परन्तु इसके स्वीकार होने की आशा कम है। इसलिये मैंने पहली बार ५० रु० का ही प्रस्ताव किया है।

महोदय, यदि मेरे संशोधन स्वीकार करने में कठिनाइयां हों और यदि परिस्थिति हमें इन ऊंचे वेतनों को जारी रखने के लिये बाध्य करे तो हमें जनता को इसकी सूचना दे देनी चाहिये। हमें जनता को वर्त्तमान वेतन जारी रखने का कारण बता देना चाहिये। अन्यथा जनसाधारण को हमारे सम्बन्ध में भ्रम होगा और इस भ्रम का बुरा परिणाम होगा। भविष्य में यदि हम कोई नवीन आन्दोलन करें तो वह जन-साधारण की शक्ति पर ही निर्भर होगा। इसलिये हम जो कुछ करें उसे सावधानी से करें। मेरी तुच्छ सम्मति में इस बजट को स्वीकार करने की अपेक्षा हम पूर्ववत धन लेते रहें।

भत्तों के सम्बन्ध में मेरी राय यह है कि हमें ३० रु० दैनिक से अधिक नहीं लेना चाहिये। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपने संशोधनों को वापस लेता हूँ।

(दूसरे सदस्यों ने अपने संशोधन पेश नहीं किये)

*अध्यक्ष : ये ही सब संशोधन हैं जिनकी मुझे सूचना मिली है। अब प्रस्ताव और संशोधनों पर वाद-विवाद होना है। मैं समझता हूं कि राजकुमारी अमृतकौर एक वक्तव्य देना चाहती हैं। वे ऐसा कर सकती हैं।

*एक माननीय सदस्य : क्या आप हमें भी वक्तव्य देने की आज्ञा देंगे?

अध्यक्ष : हम उस वक्तव्य को वाद-विवाद का अंग मानेंगे।

*राजकुमारी अमृतकौर (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे हस्ताक्षर कर्त्ताओं की ओर से जिस वक्तव्य को पढ़ने की आज्ञा दी है उसे पढने से पूर्व मैं यह बताना चाहती हूं कि हम इस वक्तव्य को बिना पढ़े ही प्रस्तुत करने के लिये इच्छुक थे क्योंकि हम इस विषय पर आगे वाद-विवाद नहीं चाहते हैं। जैसा हम इस परिषद के अधिकांश सदस्यों के विचारों से परिचित हैं वे भी हमारे विचारों को भली भाँति जानते हैं। परन्तु हमें बताया गया है कि जो कुछ बोला नहीं जाता वह दर्ज नहीं किया जा सकता। चूंकि यह ऐसा विषय है जिसे हम गहराई के साथ अनुभव करते हैं और हम अपने विचारों को दर्ज करवाना चाहते हैं, इसलिये इसे पढ़ने के अतिरिक्त हमारे लिये और कोई चारा नहीं है। "

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस परिषद् के सम्मुख स्वीकृति के लिये रखे गये बजट-प्रस्तावों के विरोध में एक वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहूंगी जिसमें हममें से कुछ सदस्यों की सम्मति प्रकट की गई है। जिस पार्टी के सदस्य होने का हमें सौभाग्य प्राप्त है उसके बहुमत के विरोध में हम कोई संशोधन पेश नहीं कर रहे हैं परन्तु हम अपने इस वक्तव्य को दर्ज करवाना चाहते हैं।

सैक्रेटेरियेट के विषय को हम आपके चतुर हाथों में इस आशा से छोड़ते हैं कि यदि आपको अवसर मिले तो जब कभी वह मिले उस समय उसके खर्च में जो कुछ भी कमी आप कर सकें, करें। इस सम्बन्ध में हमारी सम्मति यह है कि अधिकतम और न्यूनतम वेतनों की दरों का अन्तर हाल ही में परिषद् द्वारा स्वीकृत लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव की भावना के प्रतिकूल है।

चूंकि इस परिषद् के सदस्यों के एलाउंस और आनरेरिया पर सबसे अधिक खर्च होगा इसलिये हम अनुभव करते हैं कि वे अपने एलाउंस घटाकर ३० रु० रखने के लिये राजी हो जायें। इस प्रकार स्वयं कम खर्ची करके हम उस जनता के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकेंगे जिसके कि हम प्रतिनिधि हैं। महोदय, हमें आशा है कि आप उन व्यक्तियों को ३० रु० एलाउंस लेने की स्वीकृति देंगे जो इतना ही लेना चाहें।

सदस्यों के मार्ग-व्यय के सम्बन्ध में हम यह सुझाव रखेंगे कि प्रत्येक सदस्य जिन दर्जों में यात्रा करें उसकी घोषणा करें और उन्हें किराये का १$\frac{3}{4}$ पाने का अधिकार होना चाहिये।

*श्री आर० के० सिधवा (मध्यप्रांत तथा बरार : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि राजकुमारी अमृतकौर ने जो विचार प्रकट किये हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में भली भांति विदित है कि ऊंची और नीची श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन का अन्तर बहुत अधिक है। ५० या ७५ वर्षों से कांग्रेसजनों का यह कहना है कि वेतन के इस भारी अन्तर को सहन नहीं करना चाहिये। इसे ठीक किया जाये और विशेष रूप से उस अवस्था में जब कि हम देश के लिये विधान बना रहे हैं और हमें ध्यान रहे कि ऐसा भेद-भाव और इतना अन्तर नहीं रहना चाहिये, यह हमारे लिये कोई नई बात नहीं है।

महोदय, हम जिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं उन्हें हम भली भांति जानते हैं। हम जो करना चाहते हैं उसका निर्णय करने में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। आज समाज का सम्पूर्ण ढांचा इस प्रकार का बना हुआ है कि हमें उसे गिराना ही है। इस ढांचे को नष्ट करने के लिये ही हमने इस विधान-परिषद् को स्थापित किया है। हम समाज का नया ढांचा चाहते हैं और समाज के उस नये ढांचे में हमारी उत्कट इच्छा है कि ऐसे अन्तर नहीं होने चाहिये। न्यून वेतन भोगी कर्मचारी को निश्चित रूप से इतना वेतन देना पड़ेगा कि वह उसके भोजन और वस्त्र के लिये पर्याप्त हो। इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

वेशन के २१६००० रु० के आंकड़ों को ही लेलें तो १४०८००० रु० के बजट के मुकाबले में केवल ४३२००० रु० व्यय होंगे। यह वास्तविकता है, जिसे मैं परिषद् के सम्मुख रखना चाहता हूं। यदि यहां कोई असत्य धारणा हो तो मैं उसे ठीक करना चाहता हूं। भत्तों के सम्बन्ध में हमें बताया गया है कि ३० रु० पर्याप्त हैं। १ रु० भी पर्याप्त है। ३० रु० ही क्यों दिये जायें ? जब हम ३० रु० में जीवन निर्वाह कर सकते हैं तो १ रु० में भी गुजर कर सकते हैं। कांग्रेसजन सादा जीवन व्यतीत करना जानते हैं। हम सन् १६२० ई० से महात्मा गांधी के सादे जीवन के सिद्धान्तों का पालन करने का यत्न कर रहे हैं। निस्संदेह हम उनके जीवन-स्तर के समकक्ष नहीं पहुंच सकते। यदि उनके जीवन-स्तर के समकक्ष पहुंच जायें तो हम एक भिन्न प्रकार के मनुष्य बन जायेंगे। हम गत २६ वर्षों से अपनी शक्ति-भर उनके पीछे चलने का यत्न कर रहे हैं। महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या हजारों रुपये पैदा करने वाले कांग्रेसजनों ने अपने सर्वस्व का बलिदान नहीं किया ? व्यक्तिगत उदाहरणों से तर्क सिद्ध न होगा। मैं अपने सम्बन्ध में आप को बताना चाहता हूं कि सन् १६२० ई० के पूर्व मैं भी हजारों रुपये मासिक पैदा कर रहा था। आज दिन हममें से बहुतों ने अपने धन्धे और व्यापार छोड़ दिये हैं। श्रीमान् क्या यह त्याग नहीं है ? किनके लिये ? यह देश की भलाई के लिये है, यह गरीब जनता की भलाई के लिये है। अन्तिम समय में हमसे गरीबों के हित में कम वेतन लेने के लिये कहने का कोई अर्थ नहीं है। श्रीमान्, हमारा इतिहास इसका प्रमाण है कि कांग्रेस ने सैकड़ों हजारों रुपये बलिदान किये हैं मेरा मतलब यह है कि पिछला इतिहास इस बात का प्रमाण है कि गरीब जनता के हितार्थ कांग्रेसजन त्याग करनेके लिये हमेशा इच्छुक रहे हैं। प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस मंत्रियों और कांग्रेस के सदस्यों ने क्या त्याग किया इसका उदाहरण मैं आपके सम्मुख रक्खूंगा। कांग्रेस की कार्यकारिणी ने मन्त्रियों को ५०० रु० तथा सदस्यों को ७५ रु० और तीसरे दर्जे का दूना किराया दिये जाने का निश्चय किया।

*अध्यक्ष : श्री सिधवा, हम कांग्रेस के सदस्यों के वेतन पर वाद-विवाद नहीं कर रहे हैं। हम कर्मचारियों के वेतन और विधान-परिषद् के सदस्यों के भत्ते पर वाद-विवाद कर रहे हैं।

*श्री आर०के०सिधवा : बहुत अच्छा महोदय, मैं जानता हूं कि उन दिनों मंत्रियों का वेतन हजारों में था। उन्होंने देश के लिए त्याग किया और ५०० रु० लिये, सदस्यों ने ७५ रु० स्वीकार किया और अधिक खर्च स्वयं पूरा किया। मेरे अपने प्रांत में जब कि २५० रु० वेतन मिलता था, ६ कांग्रेसी सदस्यों ने जिन्होंने ७५ रु० से अधिक खर्च करके केवल ७५ रु० मासिक लिये और सरकारी खजाने में लगभग ३६००० रु० जमा कराये। हमें अपने निर्वाचन-क्षेत्र में यात्रा करनी होती है, लिखने के सामान, छपाई, टाइप तथा दूसरी चीजों का खर्च भी उठाना होता है। हमें अपने निर्वाचकों के लिये कार्य करना होता है। असेम्बली में पार्टी लीडर होने के नाते अन्य व्ययों का विचार न करते

[श्री आर० के० सिधवा]

हुये मैंने ७५ रु० लेने की स्वीकृति दी और हमने देशभक्त कांग्रेसजनों की हैसियत से अपनी प्रतिज्ञा को निभाया।

इसलिये यह कहना उचित नहीं है कि कांग्रेसजन सतर्क नहीं हैं, और गरीब जनता की दशा को सुधारना नहीं चाहते। ऐसा भी तर्क रखा जा सकता है कि इस हॉल के ऊपर केवल नये परिवर्तनों के लिए ७ लाख रुपये क्यों व्यय किये गये? श्रीमान, मैं जानना चाहता हूं कि इस लम्बे-चौड़े बिछे हुए फर्श को गरम करने की क्या आवश्यकता है? यह सामान और मूल्यवान ज़रदोजी के कपड़े क्यों हैं? सजावट के लिए यह प्रकाश क्यों है? हम किसी भी हॉल में आसानी से ५०० कुर्सियां रख सकते थे। यदि कोई हॉल न मिलता तो हम एक तम्बू तान लेते। हम उसमें ५०० कुर्सियां लगा सकते थे। हम ऐसे भी अपना कार्य कर सकते थे। यह कांस्टीट्यूशन क्लब क्यों है जिस पर ५०००० रु० व्यय किया गया है? ऐसी बात नहीं है कि मैं इसे पसन्द नहीं करता लेकिन आलोचक भारतवर्ष की गरीबी के नाम पर समान रूप से यह भी आलोचना कर सकता है कि इस हॉल पर ७ लाख रुपये और क्लब पर ५०००० रु० व्यर्थ नष्ट किये गये हैं। मैं यह भी कहूंगा कि जहां तक भत्तों का सम्बन्ध है, मैं आपको बतादूं, ४५ रु० बहुत बड़ी राषि जान पड़ती है। जब कांग्रेस कार्यकारिणी ने सन् १९३८ ई० में प्रांतीय मंत्रियों और सदस्यों के वेतन निश्चित किये तो उनका ध्यान केन्द्रीय धारा सभा के सदस्यों के भत्तों की ओर आकर्षित किया गया था......।

*अध्यक्ष : मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा कि आप मन्त्रियों के वेतनों पर वाद-विवाद न करें।

*श्री आर० के० सिधवा : नहीं महोदय, मैं मन्त्रियों के वेतन के प्रश्न को नहीं उठा रहा हूं। कार्यकारिणी ने घोषित किया था कि हम केन्द्रीय धारा-सभा के सदस्यों के भत्तों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी परस्थिति अनोखी है, वहां उनके मकान नहीं हैं, वे बहुत दूर से आते हैं, इसलिये उनके भत्तों में हस्तक्षेप न किया जाये, और यह विचार सही था। इसी प्रकार मैं जानता हूँ कि विधान-परिषद् के सदस्यों को अत्यधिक खर्च उठाना पड़ता है। हमें अनिवार्य रूप से अपने भोजन के लिये १० रु० प्रतिदिन देना होता है और यह बहुत उचित है। श्रीमान् कुछ सदस्यों के साथ उनके सेक्रेटरी तथा कर्मचारी भी हैं। कभी-कभी हमें भोजन के लिये अन्यत्र निमन्त्रण मिलता है और शिष्टाचार के नाते हम भी उन्हें भोजन पर बुलाते हैं। ये ऐसे व्यय हैं जिनका विस्तृत विवरण नहीं दिया जा सकता। हम उन मित्रों से, उन माननीय सदस्यों से, जिनका भिन्न मत है, प्रार्थना करते हैं वे कंस्टिट्यूशन हाउस में आयें और देख लें कि हम किस तरह का आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे सज्जन भी हैं जो सुविधाजनक स्थिति में हैं और जिनके पास बड़े-बड़े मकान हैं और उनको उनका किराया नहीं देना होता, उन्हें मुफ्त में भोजन मिलता है, उनके पास मुफ्त

में मोटरकार हैं,और सैकड़ों आदमी और सेवक उनकी आज्ञा का पालन करने के लिये उपस्थित रहते हैं। यदि मैं ऐसी स्थिति में होता तो एक पाई भी न लेता। मैं ऐसी सुविधा-जनक स्थिति में नहीं हूँ। पहले दर्जे में यात्रा करने के प्रश्न के बारे में हम से कहा गया है कि हम जिस दर्जे में यात्रा करें उसका प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें और उसी के अनुसार किराया लें। यह सदस्यों पर आक्षेप है और यह उचित नहीं है। कभी-कभी मैं वायु-यान से आता हूँ। कराची से देहली तक का भाड़ा १५० रु० है और सामान के लिये १ मन के लिये नहीं १ पौंड के लिये १२ आने भाड़ा देना होता है। पिछली बार चूंकि मुझे वायुयान से यात्रा करनी पड़ी मैं अपना सामान अपने मित्र के पास छोड़ गया क्योंकि सामान पर इतना भाड़ा सहन नहीं कर सकता था। अब स्थितिं ऐसी है। ऐसी बात नहीं कि मैं वायुयान से यात्रा करना पसन्द करता हूँ, लेकिन अनेकों कार्यों के कारण ऐसा करना पड़ता है। समय का बड़ा महत्त्व है। नेता समय की बचतके लिये वायुयान से यात्रा करते हैं। उनके पास सारे भारत के कार्य होते हैं। हमारे पास प्रांतीय कार्य हैं। यह भली भांति जानते हुये कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में क्या निश्चय होगा, मैं वहां जाना स्थगित कर सकता था, परन्तु कर्त्तव्य पालन के लिये मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में सम्मिलित हुआ। गत ३६ वर्षों से मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठकों और कांग्रेस अधिवेशनों में सम्मिलित हुआ हूँ लेकिन कांग्रेस से या जनता से मैंने कभी एक पाई भी नहीं ली। फिर भी हमें कहा जाता है कि यह शुरू......

*आचार्य जे० बी० कृपलानी (संयुक्तप्रांत : जनरल) : क्या आपको यह रुपया इस सभा से लेना है ?

*श्री आर० के० सिधवा : मैं इसलिये कह रहा हूं कि आप गरीबों के नाम पर कम लेने के लिए तर्क कर रहे हैं। मेरा उत्तर यह है कि हम पहले से ही बिना जनता के धन का दुरुपयोग किए हुए ऐसा कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं। इससे अधिक कुछ नहीं।

* अध्यक्ष : कृपा करके संक्षेप में कहिये ।

*श्री आर० के सिधवा : श्रीमान् जी, कुछ सदस्य अपने सेक्रेटरी और नौकर आदि साथ लाते हैं। मेरी पुत्री मेरे सेक्रेटरी का कार्य करती है। वह एक स्टैनो-ग्राफर और टाइपिस्ट है और मेरे प्रान्तीय कार्यों को भी देखती है। पिछली बार मैं उसे अपने साथ लाता परन्तु यहां की स्थिति देखना चाहता था। यदि मैं अगली बार उसे साथ लाऊं तो मैं निश्चित रूप से दूसरे दर्जे में यात्रा करूंगा। १५० रु० देकर वायुयान यात्रा करके मुझे हानि उठानी पड़ेगी। श्रीमान् हमारी आत्मा जानती है कि हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए १ पाई भी नहीं लेते। हम एक महान् उद्देश्यके लिए, देशकी अधिक भलाई के लिए व्यय करते हैं। इसलिए जो मित्र हमारा विरोध करते हैं वे यह समझें कि हमारी आलोचना करना उचित नहीं है। पं० मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में

[श्री आर० के० सिधवा]
स्वराज्य पार्टी के वे दिन मुझे याद आते हैं, जो असेम्बली-प्रवेश के पक्ष में थे वे बदलने वाले बताये गये और दूसरे न बदलने वाले समझे गये जिसका अर्थ यह था कि हम बुरे थे और वे अच्छे थे। आज भी जो कम एलाउंस लेने के पक्षपाती हैं उनकी गणना अच्छों में हैं और हम बुरे लोग समझे जाते हैं।

श्री आर० वी० धुलेकर (संयुक्त प्रान्त : जनरल) : सभापति जी, मैं इस प्रस्ताव पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। जिस प्रकार से श्रीमती राजकुमारी जी ने बयान दिया है उसी प्रकारसे मैं भी बयान देना चाहता हूं बाइबिलमें यह लिखा हुआ है कि जिस समय एक धनी मनुष्य प्रभु ईसा के पास गया और उनसे कहा कि हमको अपना शिष्य बना लीजिए और दीक्षा दीजिए, तो उन्होंने यह कहा कि धनी मनुष्य के लिए स्वर्ग में पहुँचना उतना ही आसान नहीं वरन् असम्भव है, जितना ऊँटके लिए असम्भव है कि वह सुईके छेद में से बाहर निकल जाय।

दूसरा बयान जो मैं देना चाहता हूं वह यह है कि एक समय लोकमान्य तिलक जब कांग्रेस में बयान दिया तो उन्होंने यह कहा "God helps those who help themselves" तो मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीमतीजी कृपा करके जो बयान हमको दे रही हैं यदि वह बयान अपने लिये दे दें तो बहुत अच्छा हो।

*अध्यक्ष : व्यक्तिगत आक्षेप न कीजिए।

श्री आर० वी० धुलेकर : हमसे यह कहा जाता है कि यह भत्ता अधिक है। लेकिन मैंउनसे निवेदन करना चाहता हूं और मेम्बर साहिबानसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रश्न इतनी बड़ी सभा में उपस्थित करने योग्य बात नहीं है क्योंकि जो कांग्रेस में कार्य करते हैं वह रात-दिन इस बात की चिन्ता में रहते है कि भारतवर्ष किस प्रकार उन्नत हो और अपनी पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करले। इसलिए मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो यहां पर उपस्थिति हैं वह किसी प्रकार नहीं चाहते कि कोई रुपया भारतवर्ष का हम पर खर्च हो या हम उससे कोई लाभ उठा लें। इतना कह कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

*एक माननीय सदस्य : अब प्रश्न रखा जा सकता है।

*अध्यक्ष : वाद-विवाद समाप्त करने का प्रस्ताव पेश हो चुका है। जो वाद-विवाद समाप्त करने के पक्ष में हैं वे 'हां' कहेंगे।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

*अध्यक्ष : अब मैं संशोधनों पर वोट लूंगा। मैं श्री लाहिरी का प्रत्येक संशोधन अलग-अलग लूंगा अथवा क्या मैं सब को एक साथ रखूं?

*बहुत से माननीय सदस्य : सब एक साथ।

*अध्यक्ष : श्री लाहिरी क्या आप अपने संशोधनों को अलग-अलग रखना चाहेंगे या सब को एक साथ ?

*श्री सोमनाथ लाहिरी : सब को एक साथ लीजिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि वोट लेने में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता।

*अध्यक्ष : जो श्री लाहिरी के संशोधनों के पक्ष में हैं वे 'हां' कहेंगे।

*दो या तीन माननीय सदस्य : हां।

*अध्यक्ष : जो इसके विरोध में हैं 'नहीं' कहेंगे।

*बहुत से माननीय सदस्य : नहीं।

*अध्यक्ष : विरोधी जीत गये। संशोधन स्वीकार नहीं हुए। चूंकि संशोधन स्वीकार नहीं हुए इसलिए मैं अब प्रस्तावों पर वोट लूंगा। दो प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं, एक श्री गाडगिल द्वारा और दूसरा श्री जयपालसिंह द्वारा।

जो श्री गाडगिल के प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे 'हां' कहेंगे।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

*अध्यक्ष : जो श्री जयपालसिंह के प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे 'हां' कहेंगे।

प्रस्ताव स्वीकर कर लिया गया।

*अध्यक्ष : वह प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। इसका यह अर्थ है कि बजट के दोनों भाग स्वीकार कर लिये गये।

हमने बजट पर कमेटी-रूप में वाद-विवाद किया है। मेरे विचार से यह आवश्यक है कि अब हम असेम्बली का खुला अधिवेशन करें और रस्मी तौर से बजट स्वीकार करें।

तब असेम्बली पूरे अधिवेशन के रूप में सम्मिलित हुई।

भारतीय विधान-परिषद्

शुक्रवार, २४ जनवरी सन् १९४७ ई०

भारतीय विधान परिषद् का खुला अधिवेशन फिर माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में कांस्टिट्यूशन हाल नई दिल्ली में ३ बजकर ४५मिनट पर हुआ।

विधान-परिषद् के बजट के अनुमान

*अध्यक्ष : श्री गाडगिल नियमित रूप से प्रस्ताव पेश करेंगे।

(खुली कार्यवाही)

*श्री एन० वी० गाडगिल (बम्बई : जनरल) : मैं नियमित रूप से प्रस्ताव पेश करता हूँ। वास्तव में यह खुले अधिवेशन में पेश हुआ था और नियमित रूप से इसे पेश करने के बाद इस परिषद् ने कमेटी का रूप धारण करने का निश्चय किया था।

*एक माननीय सदस्य : मैं इसका अनुमोदन करता हूँ।

*अध्यक्ष : प्रस्ताव नियमित रूप से पेश हो चुका है और उसका अनुमोदन भी हो चुका है। अब मैं प्रस्तावों पर वोट लूंगा। मैं उन्हें एक बार फिर पढ़ूंगा।

"यह निश्चय किया जाता है कि यह परिषद् सन् १९४६-४७ ई० तथा सन् १९४७-४८ ई० की असेम्बली के लिए विधान-परिषद् के नियम ५० (१) के अनुसार फाइनेंस कमेटी और अधिकारियों द्वारा तैयार किये हुए आनुमानिक व्यय को, जो नत्थी की हुई सूची में दिखाया गया है, स्वीकार करती है।"

यह निश्चय किया जाता है कि यह विधान-परिषद् अपने नियम ५१ (१) के अनुसार अधिकारियों और फाइनेंस कमेटी द्वारा स्वीकृत सदस्यों के भत्तों को, जो नत्थी किये हुए परिशिष्ट में दिखाए गए हैं, स्वीकार करती है।

पूरे परिशिष्ट को पढ़ने की मुझे आवश्यकता नहीं क्योंकि सदस्यों को परिशिष्ट का विवरण विदित है।

मैं प्रस्तावों पर वोट लेता हूँ।

बजट स्वीकार किया जाता है।

प्रस्ताव और बजट स्वीकार कर लिये गये।

*अध्यक्ष : अब आज का कार्य समाप्त हो चुका है।

*श्री देशबन्धु गुप्त (दिल्ली) : श्रीमान्, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या इसका कुछ निश्चय हुआ है कि विधान-परिषद् के कर्मचारियों पर सरकारी नौकरी के नियम लागू होंगे?

*अध्यक्ष : कुछ निश्चय नहीं हुआ है। हमारे कर्मचारी सरकारी नौकर नहीं हैं।

*श्री देशबन्धु गुप्त : क्या उन पर सरकारी नौकरी के नियम लागू होंगे या नहीं ?

*अध्यक्ष : हम अपने नियम बना सकते हैं। हमें सरकारी नियमों से कोई मतलब नहीं है। जिनकी सेवायें सरकार से उधार ली गई हैं वे अपने तरीके से स्वामि-भक्ति और राज्य-भक्ति बरत सकते हैं।

हम कल खुले अधिवेशन में फिर मिलेंगे। कुछ प्रस्तावों पर विचार होगा।

हम कल सुबह ११ बजे तक के लिए सभा स्थगित करते हैं।

तब असेम्बली शनिवार, तारीख २५ जनवरी सन् १६४७ ई०सुबह ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

(मूल्य ४ आने)

भारतीय विधान-परिषद्

शनिवार, २५ जनवरी, सन् १९४७ ई०

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में दिन के ग्यारह बजे से माननीय डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपाध्यक्ष का चुनाव

*अध्यक्ष : माननीय उपाध्यक्ष के पद के लिए डाक्टर एच० सी० मुखर्जी ही अकेले उम्मीदवार हैं जिनको वैध रूप से नामजद किया गया है। इसलिए मैं उन्हें नियमित रूप से निर्वाचित घोषित करता हूँ।

अब डा० पट्टाभिसीतारमैया उस प्रस्ताव को पेश करेंगे जो उनके नाम में है।

बिजिनेस कमेटी का चुनाव

डा० बी० पट्टाभि सीतारमैया : (मद्रास : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, जो तजवीज मेरे सुपुर्द की गई है, मैं आपके सामने पहले अंग्रेजी में पढ़ कर सुनाता हूँ : –

"यह परिषद् निश्चय करती है कि निम्न-लिखित सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की जाय :

१. माननीय सर एन० गोपालस्वामी आयंगर,
२. श्री के० एम० मुंशी,
३. श्री विश्वनाथदास।

जो सम्पूर्ण भारत का विधान बनाने के लिए इस परिषद् की भावी कार्यवाहियों के क्रम, सिफारिश और परिषद् की बैठक का अगला अधिवेशन शुरू होने से पहले अपनी रिपोर्ट पेश करें"।

हिंदुस्तानी में इसका मतलब मैं बतलाऊंगा। इस प्रस्ताव का मतलब यह है कि इस प्रस्ताव के द्वारा एक कमेटी, जिसमें तीन बुजुर्ग सदस्य होंगे, मुकर्रर की जाय। इनका काम यह होगा कि आयन्दा (भविष्य) के कार्यक्रम का सिलसिला निर्णय करके सिफारिश करें और अपना निवेदन आगामी बैठक शुरू होने से पहले ही पेश करें।

यह तजवीज देखने में तो छोटी सी मालूम होती है मगर काफी अहम है। हमने यहां तक एक मंजिल काट ली है। फर्ज कीजिये एक आदमी सफर पर निकलने वाला है और पहला हिस्सा आसानी से काट लेता है। मगर थोड़ी देर के बाद उसके रास्ते में कितनी ही कठिनाइयां पेश आयंगी और कितनी-कितनी रुकावटें पेश आयेंगी, जिनकी आड़ में और रुकावटें डाली जायंगीं, इसलिए वह क्या करता

* इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[डा० बी० पट्टाभि सीतारमैया]

है ? वह सफर को मुल्तवी करके और अहलकारों को आगे भेजकर जितनी कठिनाइयां पेश आ सकती हैं उनका अन्दाज करना चाहता है। हूबहू हम भी इस वक्त पर वही काम करना चाहते हैं और एक कमेटी मुकर्रर करके उसके द्वारा यह मालूम करना चाहते हैं कि आयन्दा हमें अपना कार्यक्रम किस रीति से चलाना चाहिए। किन सिलसिलों में हम को काम करने की जरूरत है, इस कमेटी को मुकर्रर करने का यही मकसद है। आपको याद होगा कि कल एक मुशावर्ती कमेटी मुकर्रर की गई है और आज उसके बाद एक और कमेटी मुकर्रर की जायगी। इसकी मदद से हमें मालूम होगा कि आयन्दा मैंर्कजी हुकूमत का कार्यक्रम कैसा होना चाहिए। इन बातों के साथ मैं इस तजवीज को आपके सामने पेश करता हूं और कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

*श्री बी० गोपाल रेड्डी : मैं इसकी ताईद करता हूँ।

*अध्यक्ष : क्या कोई इस पर बोलना चाहता है ?

*डा० बी० पट्टाभिसीतारमैया : श्रीमान्, इस सम्बन्ध में एक छोटा सा संशोधन है।

*अध्यक्ष : श्री सत्यनारायण सिनहा ने एक संशोधन की सूचना दी है।

*श्री सत्यनारायण सिनहा (बिहार : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सविनय निवेदन करता हूँ कि इस प्रस्ताव के अन्त में नीचे लिखा पैरा जोड़ दिया जाय :

"परिषद् आगे निश्चय करती है कि इस कमेटी की बैठक के लिए कम-से-कम दो सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी"।

*अध्यक्ष : डा० पट्टाभि सीतारमैया, क्या आप यह सशोधन मंजूर करते हैं ?

*डा० बी० पट्टाभि सीतारमैया : मैं संशोधन मंजूर करता हूँ।

*अध्यक्ष : तो मैं संशोधित प्रस्ताव पर वोट लेता हूं।

प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

यूनियन केन्द्र के सुपुर्द विषयों की कमेटी

*माननीय श्री सी० राजगोपालाचार्य (मद्रास: जनरल) : मैं अपने नाम से भेजे प्रस्ताव को पेश करता हूँ। प्रस्ताव इस प्रकार है:—

चूंकि मन्त्रि प्रतिनिधि मण्डल के १६ मई वाले वक्तव्य के पैरा १५ (१) में जो विषय यूनियन केन्द्र के सुपुर्द किये गये हैं, वह खुलासा और आम तौर पर चार मोटी-मोटी श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, और चूंकि संघ-विधान और अन्य विधानों के निर्माण के लिए तथा इसलिए कि संघ-विधान और अन्य विधानों की—जिनका जिक्र वक्तव्य के पैराग्राफ १९ खंड (५ में आया है — धाराओं में कोई पुनरावृत्ति या परस्पर विरोध न हो और इन सब विधानों में एकरूपता लायी जा सके

उन विषयों की सीमा समझ लेना आवश्यक है, और चूंकि वक्तव्य के पैराग्राफ १६ के खंड ५) में उल्लिखित विधानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले उन बातों की सूची तैयार कर लेना आवश्यक है जो यूनियन के सुपुर्द विषयों के अन्तर्गत है और उनसे परस्पर सम्बंधित है।

यह परिषद् निश्चय करती है—

(अ) कि, उक्त विषयों की जांच करने तथा १५ अप्रैल, १६४७ तक इस परिषद के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए एक कमेटी बनायी जाय जिसके एकाकी हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार चुने गये शुरू के बारह सदस्य हों, तथा

(ब) कि, अध्यक्ष इस कमेटी में दस और व्यक्ति बढ़ा सकते हैं और इन सब अतिरिक्त सदस्यों या इनमें से किसी सदस्य का चुनाव उनके किसी भी समय और किसी भी तरीके से अध्यक्ष निश्चयानुसार कर सकते हैं।

श्रीमान्, मैं इस विषय पर पहले ही विचार करना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव पर तीन संशोधन पेश होने वाले हैं। यह संशोधन सहायक विषयों से सम्बन्ध रखते हैं। श्री मुन्शी और श्री सत्यनारायण सिनहा उनको समय आने पर पेश करेंगे और मैं उन्हें स्वीकार करने का इरादा रखता हूँ। इसलिए संशोधनों के स्वीकार होने पर मूल-प्रस्ताव जैसा बन जायगा, उसे मैं अभी उसी शक्ल में पढ़ूंगा, ताकि सारे मामले को समझने में सहूलियत हो। प्रस्ताव का पहला अंश, अर्थात् भूमिका पहले की तरह ज्यों-की-त्यों बनी रहती है, किंतु उसका परिवर्त्तित अंश बदलकर इस प्रकार हो जाता है:

"यह परिषद् निश्चय करती है—

(अ) कि एक कमेटी जिसके निम्न सदस्य हों।

१—माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू......

*श्री सी० ई० गिब्बन (मध्यप्रान्त तथा बरार : जनरल) : श्रीमान्जी, मुझे यहां पर वैधानिक आपत्ति है। जब तक इस प्रकार के संशोधन सरकारी तौर से पेश नहीं हो जाते तथा प्रस्तावक उन्हें मंजूर नहीं कर लेता तब तक उनको मूल-प्रस्ताव में कैसे मिलाया जा सकता है ?

*अध्यक्ष : उन्होंने संशोधन का कोई अंश नहीं मिलाया है। वह उसे केवल पढ़ रहे हैं।

*श्री सी० ई० गिब्बन : संशोधन पेश होने से पहले वह उसे मंजूर कर रहे हैं।

*अध्यक्ष : उनका कहना है कि वह उसे स्वीकार करने का इरादा करते हैं।

*माननीय श्री सी० राजगोपालाचार्य : मैंने प्रस्ताव को उसी रूप में पढ़ दिया है जैसा वह पत्र पर दर्ज है तथा जो संशोधन प्रसारित किये गये हैं मैंने उनका ज़िक्र

[माननीय श्री सी० राजगोपालाचार्य]

किया है। मेरा ख्याल है कि यदि मैंने सदस्यों को पहले से ही बता दिया कि मैं उन संशोधनों को स्वीकार करने का इरादा रखता हूं तो उससे बहुत समय बच जायगा। मैं उसे (प्रस्ताव को) पढ़ रहा हूं ताकि सारा विषय साफ-साफ समझा जा सके। यदि आज्ञा हो तो मैं उसे आगे पढ़ूं।

*अध्यक्ष—पढ़िये।

*माननीय श्री सी० राजगोपालाचार्य—परिवर्त्तित अंश इस प्रकार है:

"यह परिषद् निश्चय करती है—

(क) कि एक कमेटी बनायी जाय जिसके शुरू में निम्नांकित सदस्य हों:

१—माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू।
२—श्री शरतचन्द्र बोस।
३—डा० पट्टाभि सीतारमैया।
४—माननीय पंडित गोविन्दवल्लभ पंत।
५—श्री जयरामदास दौलतराम।
६—श्री विश्वनाथदास।
७—माननीय सर एन० गोपाल स्वामी आयंगर।
८—बख्शी सर टेकचन्द।
९—दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर।
१०—श्री डी० पी० खेतान।
११—श्री एम० आर० मसानी।
१२—श्री के० एम० मुंशी।

यह कमेटी उक्त विषयों की जांच करके १५ अप्रैल, १९४७ तक परिषद् के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे।

(ख) अध्यक्ष इस कमेटी में दस व्यक्ति और बढ़ा सकते हैं तथा इन सब अतिरिक्त सदस्यों या उनमें से किसी का चुनाव ऐसे समय और ऐसे तरीके से किया जा सकता है जैसा कि अध्यक्ष तय करें।

(ग) कमेटी का कोरम फिलहाल कमेटी के सम्पूर्ण सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगा, तथा कमेटी की इत्तफाकिया खाली जगहें, खाली होने के बाद जहां तक हो सके जल्दी, असेम्बली के सदस्यों में से ही अध्यक्ष द्वारा नामजदगी से पूरी करदी जायंगी"।

श्रीमान्, इस प्रस्ताव का उद्देश्य विधान बनाने में इस परिषद् की मदद करना है ताकि भविष्य में, जब परिषद् के विभिन्न विभाग आपस में सम्पर्क रखकर या न रख कर अपना-अपना विधान बनाने लगें तो उनकी विभिन्न कार्यवाहियों में पुनरावृत्ति

या परस्पर विरोध की गुंजाइश न रह जाय। इसलिए मुझे उन संभावनाओं को स्पष्ट करने की आज्ञा दी जाय जिनसे हम बचना चाहते हैं।

श्रीमान्, इस परिषद् के सुपुर्द बड़ा गंभीर कार्य किया गया है, इतना कठिन है कि इससे पहले दुनिया की किसी विधान-परिषद् को शायद ही करना पड़ा हो। जिन मतभेदों को तय करना है, वे अगणित हैं, जिस जनसंख्या को संतुष्ट करना है वह बहुत बड़ी है, और जो समस्याएं इस परिषद् के सामने हैं वह इतनी जटिल हैं जितनी इससे पहले शायद ही किसी विधान-परिषद् के सामने उपस्थित हुई हों। ब्रिटिश सरकार की घोषणा ने सारी बातें काफी साफ कर दी हैं, लेकिन फिर भी हम जितनी चाहते हैं, वे उतनी साफ नहीं हुई हैं। यदि हम ब्रिटिश सरकार की घोषणा को, जिस पर इस परिषद् का कार्यक्रम निर्भर है, परीक्षा करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें किसी विषय को स्पष्टतया तय नहीं किया गया।

नं०१—यह तय किया गया है कि हमें संयुक्त भारत के लिए विधान बनाना है।

नं०२—हमें ऐसा विधान बनाना है कि जहां केन्द्र को रक्षा, यातायात तथा विदेशी मामलों के अधिकार दिये गये हैं तथा उनके साथ ही उक्त विभागों के लिए आवश्यक धन इकट्ठा करने के भी अधिकार प्राप्त हैं।

और तीसरी बात यह है कि एक दूसरा सिद्धांत नियत किया गया है कि अवशिष्ट अधिकार(Residuary powers)अर्थात् वे समस्त अधिकार,जो केन्द्रीय सरकार को हस्तांतरित नहीं किये गये हैं, प्रांतों के हाथ में रहने चाहिए। इसके बाद चौथी बात यह है — एक सहायक बात और तय की गयी है कि प्रांत जिन गुटों में शामिल हों और वे उनको, जो अपने अधिकार देने के लिए राजी हो जायं, वह अधिकार उन गुटों को मिल जायंगे। यूनियन के विषयों के अलावा दूसरे सभी विषय तथा अवशिष्ट अधिकार प्रांतों के पास रहने चाहिएं। यूनियन के विषयों तथा अधिकारों के अतिरिक्त शेष सभी विषय तथा अधिकार रजवाड़ों के पास बने रहेंगे। यह घोषणा के वाक्यांश १५ के (३) तथा (४) उपवाक्यांश हैं। आगे यह निर्धारित किया गया है कि विधान पर दस वर्ष बाद पुनर्विचार हो सकेगा तथा इस पुनर्विचार के सिलसिले में प्रारम्भिक कार्रवाई करने का अधिकार प्रांतों को ही दिया गया है—ये सिद्धांत वाक्यांश १५ में दिये हुए हैं।

लेकिन हमें इस पर कुछ और गौर से विचार करना चाहिए। उपवाक्यांश (१) में दिया है :—

"उक्त विषयों के लिए जितने धन की जरूरत हो उसे इकट्ठा करने के लिए सभी आवश्यक अधिकार यूनियन को होने चाहिएं।'

दर असल, अधिकारों का मतलब उन कानूनों को लागू करने का अधिकार होगा जो धन मुहैया करने के लिए जरूरी होते हैं तथा, ऐसा होने पर उनके अन्तर्गत धन वसूल करने और संभवतः जहां-कहीं इस सिलसिले में आवश्यकता पड़े, उचित अदालती कार्रवाई जारी करने का अधिकार अपने आप आ जाता है। अब यदि हमारे अधिकारों का मतलब इस प्रकार के अधिकारों से नहीं है तो ऐसे अधिकार किस काम

[माननीय श्री सी० राजगोपालाचार्य]

के! किंतु इस आशय की पूर्त्ति के लिए यहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गयी। फिर यदि हम धारा १९ पर विचार करते हैं, जो धारा १५ में लिखे गये सिद्धान्तों को अमल में लाने की कार्य विधि बताती है तो उसमें हमें एक विचित्र त्रुटि दिखाई देती है। वाक्यांश १९ के उपवाक्यांश (५) में बताया गया है कि विभाग (Sections) प्रांतीय विधान बनाने का कार्य प्रारम्भ करेंगे और फिर वे यह भी तय करेंगे कि गुट-विधान बनाया जाय या नहीं; और यदि गुट-विधान बनाया जाय तो कौन-कौन से प्रांतीय विषय गुट के सुपुर्द किये जांय। फिर विभागों (सेक्शनों) तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधि यूनियन का विधान बनाने के लिए एकत्रित होंगे। लेकिन इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गयी कि गुट-विधान कब और कैसे तय किया जायगा। सेक्शन इसका फैसला करेंगे कि गुट-विधान बनेगा या नहीं, और वे यह भी तय करेंगे कि कौन-कौन से प्रांतीय विषय गुटों के सुपुर्द किये जांय। इन दो बातों के अलावा स्वयं गुट-विधान को निश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

इसके बाद यदि हम अल्पसंख्यकों की कमेटी की व्यवस्थाओं की परीक्षा करें तो वहां हम यही देखते हैं। एडवाइजरी कमेटी मौलिक अधिकारों की सूची, अल्पसंख्यकों के बचाव के वाक्यांशों तथा कबायली और पृथक् क्षेत्रों की शासन योजना पर यूनियन विधान-परिषद् के पास अपनी रिपोर्ट भेजेगी; और उसे इस बारे में भी सलाह देगी कि यह अधिकार प्रांत, गुट अथवा यूनियन में से किस के विधान में शामिल किये जांय। अब हम तर्क द्वारा इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब एडवाइजरी कमेटी अपनी रिपोर्ट यूनियन-परिषद् के पास भेजती है तो यूनियन-परिषद् को यह फैसला करने का अधिकार होना चाहिए कि उक्त अधिकार प्रांत, गुट अथवा यूनियन किसके विधान में शामिल किये जांय। यदि प्रांत या गुट का विधान पहले ही निश्चित हो जाय और बाद में यूनियन-परिषद् की बैठक में यह फैसला हो कि उक्त अधिकार प्रांत या गुट विधान में शामिल किये जांय, तो फिर किस कार्य-विधि का अनुसरण किया जायगा? इसलिए, यदि हम मंत्री-मिशन की घोषणाओं के मन्तव्यों अथवा इस परिषद् के प्रस्तावों पर अमल करने से पहले हमें आपस में पर्याप्त सम्पर्क रखना होगा। जो कार्यक्रम वाक्यांश १९ में निर्धारित किया गया है, यदि हम अक्षरशः उसकी व्याख्या करते हैं और यह मान लेते हैं कि जिस-जिस बैठक में, जो कुछ करने के लिए कहा है उसे हम अभी यहां करलें तथा और कुछ न करें तो हम मन्त्री-मिशन की घोषणा के स्पष्ट इरादों को पूरा कर दिखाने के लिए अन्त में भारी मुश्किलों में पड़ जायंगे। इन सब बातों पर विचार करते हुए यह आवश्यक हो गया है—हमें यह आवश्यक जान पड़ता है कि यह प्रस्ताव एक ऐसी कमेटी बनाने के लिए पेश किया जाय जो उक्त विषयों पर आवश्यक विचार करेगी और प्रारम्भिक अधिवेशन समाप्त होने से पहले इस सभा के सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी, ताकि हम अपना भावी कार्यक्रम तैयार कर सकें।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, इस परिषद् को बड़े गम्भीर विषयों पर

विचार करना है और हमें बहुत कुछ सोच-विचार करना पड़ेगा। हमारा इस ख्याल से काम नहीं चल सकता कि हम यहां पर केवल पहले से तय-शुदा फैसलों, विचारों तथा कार्यक्रमों पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाने आए हैं। इस विधान-परिषद् में हमें काफी सारगर्भित तथा स्वतन्त्र सोच-विचार करना है, इसलिए जो काम हमारे सामने हैं उनको दृष्टि में रखते हुए हमें एक सिलेक्ट कमेटी की सहायता की आवश्यकता है जो हमारे मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करके हमें सलाह दे सके। इस उद्देश्य से ही इस कमेटी के बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस कमेटी का ध्येय मन्त्री-मिशन के वक्तव्य के महत्त्वपूर्ण इरादों तथा इस प्रकार के अन्य किसी इरादे को नष्ट करने का नहीं है। यह कमेटी हमें हमारी कठिनाइयों तथा उनका हल ढूंढ निकालने में मदद देगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहूँगा कि यह न केवल सभ्यता या सौजन्य का ही तक़ाज़ा है बल्कि राजनीतिज्ञता का भी तक़ाज़ा है कि जब हम किसी मामले पर सोच-विचार करें तो उनका ख्याल रखें जो गैरहाजिर हैं, जो अपने से गैर हैं।

यही कारण है कि प्रत्येक प्रस्ताव पेश करते समय माननीय सदस्यों ने उन लोगों के उद्देश्यों तथा इरादों का भी पूरा ध्यान रखा है जो अभी तक परिषद् में उपस्थित नहीं हैं। हम देखते हैं कि गलतफहमी पैदा होने की अनेक सम्भावनाएं हैं। हम उन कठिनाइयों को पहले से ही जानने तथा उनकी संभावनाओं को यथाशक्ति दूर करने की कोशिश करते हैं। अतः इस बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग अनुपस्थित हैं वह मेरे द्वारा प्रस्तावित इस कमेटी के उद्देश्य को समझने में भूल न करें। मुस्लिमलीग की नीति अपने लिए एक पृथक् सर्वसत्ता सम्पन्न राज्य प्राप्त करना है। किन्तु इस विधान-परिषद् ने अपना काम मन्त्री-मिशन के वक्तव्य के आधार पर करना शुरू किया है। और यदि सम्राट की सरकार की घोषणा में कोई चीज साफ शब्दों में कही गयी है तो वह यह है कि भारत में केवल एक सर्वसत्ता-सम्पन्न राज्य होगा। यह बात असंदिग्ध रूप से साफ करदी गयी है कि भारत को दो सर्वसत्ता-सम्पन्न राज्यों में बाटने की बात सोची नहीं जा सकती। इससे जो कुछ हम कर रहे हैं उनमें से बहुत सी बातों का अपने आप स्पष्टीकरण हो जाता है और हमारे बीच जिन गलतफहमियों की सम्भावना हैं उनमें से बहुत सी दूर हो जाती हैं। मैं इस प्रकार भी कह सकता हूँ कि लीग ने अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए गलत रास्ता अख्तियार किया है। यदि उन्होंने अपनी मांगों को वहां तक ही सीमित रखा होता जहां तक अपनी नीति के अनुसार न्यायतः वे मांग सकते थे, तो शायद लीग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती और वह वर्त्तमान कठिनाइयों में न पड़ती। लीजिए अब मैं बिलकुल साफ-साफ कहता हूं। मुस्लिम लीग के लिए सब से बड़ी कठिनाई यह है कि अब उसे परिषद् में शामिल होना पड़ेगा और इस तरह उसे निर्भ्रांतरूप से खुले तौर पर भारत में केवल एक सर्वसत्ता सम्पन्न राज्य स्वीकार करना पड़ेगा। यही कारण है कि उसे परिषद् में शामिल होना भारी पड़ रहा है और इसके लिए बारंबार टालमटोल की जा रही है। यही कारण है

[माननीय श्री सी० राजगोपालाचार्य]

कि बड़े-बड़े दल अपने विचार-विनिमय के लिए जो तारीखें नियत करते हैं,लीग हमेशा अपनी बैठकों की तारीखें उनके बाद ही मुकर्रर करती है। यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि परिषद् की पिछली बैठक के स्थगित होने के बाद भी लीग अभी तक अपना फ़ैसला करने तथा हमारे साथ शामिल होने में असमर्थ है। हमें दूसरे पक्ष की भी कठिनाइयां समझनी चाहिए। यदि लीग अब परिषद् में आती है तो वह अपनी 'अलग रहने की नीति' छोड़कर तथा यह अच्छी तरह समझ-बूझ कर आती है कि भारत केवल एक सर्वसत्ता-सम्पन्न राज्य होगा। यह काम यकायक करना उसके लिए कठिन है। हमें इन कठिनाइयों को महसूस करना चाहिए और उनकी इस देर का गलत मतलब न लगाना चाहिए। हम चाहते हैं कि मुस्लिमलीगी सदस्यों को इस समय इस परिषद् में आने तथा हमारे साथ मिलकर काम करने में जो अड़चनें हैं उन्हें हम भलीभांति समझकर यथा सम्भव शीघ्रता से अपना काम प्रारम्भ कर दें। उन्हें इस विषय पर सोचने दीजिए। हमें उनको शामिल होने के लिए काफी समय देना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जब तक वह अपना कोई फैसला नहीं करते तब तक हम अपना काम ही बन्द कर दें, सोच विचार करना छोड़ दें तथा हाथ-पर-हाथ रखे बैठे रहें। इसका परिणाम यह होगा कि हमारा काम अनिश्चित् काल तक टलता रहेगा। इसलिए श्रीमान्, मुझे इस प्रस्ताव की सिफारिश करने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि हमें प्रस्तावित बारह सदस्यों की उक्त कमेटी बना देनी चाहिए, ताकि वह सब कठिनाइयों को सोच सकें और हमें सलाह दे सकें जिससे हम भारत के लिए एक ऐसा विधान बना सकें जिससे उन लोगों के लिए कोई अड़चन पैदा न हो, जिन्हें उसपर अमल करना पड़ेगा। यह विधान केन्द्र के लिए एक स्थायी और दृढ़ विधान होगा और इसमें प्रांतों के लिए भी स्थायी और दृढ़ विधान होंगे जिनपर, केन्द्र के आधीन और एक राज्य के अन्तर्गत जिसकी परिकल्पना की जा रही है—अमल किया जायगा।

इसलिए, श्रीमान् मैं निवेदन करता हूं कि सभा द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय। जैसा कि मैंने पहले कहा है इस पर दो संशोधन आए हैं। उनमें एक संशोधन का उद्देश्य यह है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाने वाले सदस्यों के स्थान में १२ सदस्यों को नियुक्त कर दिया जाय जिनके नाम इस भवन को निश्चित रूप से बता दिए जायं। दूसरे का उद्देश्य कोरम निश्चित करना और समय-समय पर खाली होने वाले स्थानों की पूर्त्ति की व्यवस्था करना है। मैं इन संशोधनों के साथ प्रस्ताव सामने रखता हूँ।

*अध्यक्ष : श्रीयुत् मुंशी अपना संशोधन पेश कर सकते हैं।

*श्री सत्यनारायण सिन्हा : क्या मुझे वह प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा दी जा सकती है?

*अध्यक्ष : हां।

*श्री सत्यनारायण सिनहा : श्रीमान्, मैं इन संशोधनों को आपकी आज्ञानुसार पेश करता हूँ जो श्री मुंशी के नाम से आये हैं :—

"कि प्रस्ताव के (अ) अंश में, उन शब्दों के स्थान में जिनका प्रारम्भ 'बारह सदस्यों' तथा अंत 'एकमात्र परिवर्त्तनीय वोट' के साथ होता है, निम्न अंश रख दिया जायः—

'नीचे लिखे सदस्य —

१—माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू।
२—श्री शरतचन्द्रबोस।
३—डा० पट्टाभि सीतारमैया।
४—माननीय पंडित गोविंदवल्लभ पंत।
५—श्री जयरामदास-दौलतराम।
६—श्री विश्वनाथदास।
७—माननीय सर एन० गोपालस्वामी आयंगर।
८—बख्शी सर टेकचन्द।
९—दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर।
१०—श्री डी० पी० खेतान।
११—श्री एम० आर० मसानी।
१२—श्री के० एम० मुंशी।"

यदि श्रीमान्, आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं दूसरा संशोधन भी पेश कर दूं।

*श्री सी० ई० गिब्बन : श्रीमान्, मुझे एक और कानूनी उज्र है। जब श्री मुंशी जिन्होंने इन संशोधनों की सूचना दी है, सभा-भवन में मौजूद नहीं तो क्या उनकी गैर-हाजिरी में उन्हें और कोई पेश कर सकता है?

*अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि यदि अध्यक्ष की अनुमति मिल जाय तो उन्हें कोई भी पेश कर सकता है।

*श्री सत्यनारायण सिनहा : दूसरा संशोधन, जो श्री मुंशी के नाम से आया है और जिसे मैं पेश कर रहा हूँ, वह इस प्रकार है :—

"कि (अ) अंश के अंत में लिखा 'और' शब्द निकाल दिया जाय और तथा (ब) अंश के अन्त का 'पूर्णविराम' 'कामा' में बदल दिया जाय और नीचे लिखा अंश उसमें जोड़ दिया जायः—

"तथा (स) कि कमेटी की इत्तफाकिया खाली जगहें, खाली होने के बाद जहां तक हो सके जल्द, असेम्बली के सदस्यों में से ही अध्यक्ष द्वारा नामजदगी से पूरी कर दी जायंगी।"

इस प्रस्ताव का तीसरा संशोधन मेरे नाम से आया है और मैं उसे पेश करता हूं।

"(अ) अंश के अन्त का 'और' शब्द निकाल दिया जाय तथा (ब) अंश के

[श्री सत्यनारायण सिन्हा]

अन्त का 'पूर्णविराम' 'कामा' में बदल दिया जाय और नीचे लिखे अंश को उसमें नए पैराग्राफ की तरह जोड़ दिया जाय :—

"(स) कि कमेटी के सम्पूर्ण सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति फिलहाल कमेटी के कोरम के लिए अनिवार्य होगी।"

*श्री पी० आर० ठाकुर (बंगाल : जनरल) : यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, और यह मुकर्रर की जाने वाली कमेटी उन विषयों पर विचार करेगी जो केन्द्र के लिए सुरक्षित रखे जायंगे। मेरे मित्र माननीय श्री राजगोपालाचार्य ने देश भर में अमन-चैन कायम रखने तथा अकालों की रोकथाम करने के बारे में कुछ नहीं कहा। यह दोनों चीजें आवश्यक हैं और मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि हम बंगाली इनके कड़ुवे फल अच्छी तरह चख चुके हैं—अभी हाल में हमें बंगाल में साम्प्रदायिक दंगों का सामना करना पड़ा और अकाल भी पड़ चुका है। हमने स्थानीय सरकार से मदद मांगी, लेकिन वह मदद देने में असमर्थ थी, और हम केन्द्र से कोई अपील न कर सके। दूसरी बात यह है कि जब अन्तरिम सरकार बनी तो वायसराय महोदय ने कहा कि यह सरकार प्रांतीय सरकारों के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यदि केन्द्र साम्प्रदायिक दंगा तथा अकाल का शिकार होने वाले प्रांतों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता तो वहां की जनता पर क्या बीतेगी, उसका ख्याल हमें करना होगा। मैं आशा करता हूँ कि यह कमेटी इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, ताकि देश भर में अमन-चैन बनाए रखने और अकाल की रोकथाम करने के बारे में कार्रवाई की जा सके। दूसरी बात, जो मैं इस परिषद् के जरिए कांग्रेस हाईकमान्ड के सामने लाना चाहता हूँ, यह है कि न मालूम क्यों लोगों के दिल में यह ख्याल हो रहा है कि कांग्रेस हाईकमान्ड जनता के प्रति हमदर्दी नहीं रखता। वह बंगाल की कीमत पर आजादी हासिल करना चाहता है। मैं आशा करता हूं कि यह कमेटी इस पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, ताकि भविष्य में बंगाल न तो साम्प्रदायिक दंगों से पीड़ित हो सके और न अकाल से ही।

*श्री जयपालसिंह (बिहार : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी ही आकर्षक सूची है और मुझे इसके खिलाफ कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ कि श्री सत्यनारायण सिनहा द्वारा प्रस्तावित किए गए नाम बड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों के हैं। लेकिन अब जब कि श्री राजगोपालाचार्य का कहना है कि (ब) के अन्तर्गत अध्यक्ष कमेटी में दस व्यक्तियों को और बढ़ा सकते हैं तो मैं यहां कुछ कहने की आवश्यकता महसूस करता हूं। इसका अर्थ यह कि श्री राजगोपालाचार्य ने हमारे अनुपस्थित मित्रों के लिए जगह छोड़ दी है। यदि उन्होंने यह बता दिया होता कि पहले प्रस्तावित बारह नामों के बाद, अध्यक्ष अब जिन सदस्यों को नामजद करेंगे वह अमुक-अमुक दलों या गुटों में से होने चाहिएं तो मुझे कुछ कहने की जरूरत न थी। सूची

देखने से प्रतीत होता है कि यह योजना एकता के लिए नहीं, वरन् समानता (Uniformity) के लिए है। मिसाल के तौर पर, मैंने इस सूची में डा० जयकर, डा० अम्बेडकर तथा डा० देशमुख—जैसे व्यक्तियों के नाम देखना पसन्द किया होता।

*माननीय श्री सी० राजगोपालाचार्य : अध्यक्ष महोदय, क्या आप वक्ता से माइक्रोफोन के पास आकर बोलने की प्रार्थना करेंगे ? मैं उनकी आवाज सुनने में असमर्थ हूँ।

* श्री जयपालसिंह : जब मैं कल चीखकर बोला तो पं० गोविन्दवल्लभ पंत ने समझा कि मैं बहुत उग्र हो रहा था और मैंने अपने मन में सोचा कि आज सवेरे मैं धीरे-धीरे बोलूंगा। लेकिन, अब मैं श्री राजगोपालाचार्य के फायदे के लिए, चाहे पं० गोविन्दवल्लभ पन्त कुछ भी महसूस क्यों न करें, चिल्ला कर बोलूंगा। मैं श्री राजगोपालाचार्य की सुविधा के लिए अपनी आवाज तेज करूंगा।

* अध्यक्ष : माइक्रोफोन (ध्वनिविस्तारक यन्त्र) के सामने आकर चिल्लाने की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी बोलने की।

* श्री जयपालसिंह : यदि चारों ओर माइक्रोफोन लगे होते तो मुझे उस माईक्रोफोन के पास आने की आवश्यकता न होती, तब तो यहां से ही चारों ओर सदस्यों पर निगाह डालने से काम चल जाता। मेरा निवेदन है कि जब श्री राजगोपालाचार्य ने यह कहा कि भविष्य में अध्यक्ष द्वारा नामजद होने वाले दस सदस्यों के स्थान हमारे अनुपस्थित मित्रों के लिए सुरक्षित हैं, तो मैंने सोचा कि उन विभागों, गुटों तथा दलों को, जिनका यहां बताए गए बारह व्यक्तियों के बीच कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, शामिल करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी गयी। मैं जानता हूं कि जहां तक हमारे वर्ग का सम्बन्ध है, इस सभा का रुख आज भी वैसा ही प्रतीत होता है जैसा उनके प्रति अतीत काल में रहा है कि उन्हें जीवन की अच्छी चीजों से हमेशा के लिए महरूम कर दिया जाय।

यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यह मेरी अपनी धारणा है, चाहे वह ठीक भले ही न हो। हो सकता है कि कम महत्वपूर्ण कमेटियां हमारे साथ ईमानदारी का बर्ताव करें। मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी समझ में इसका कोई कारण नहीं आता कि यहां भी कबीलेवालों को कोई प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा सकता था। जब मैं यह कहता हूँ कि इस कमेटी में मैंने डा० जयकर, डा० अम्बेडकर तथा डा० देशमुख सरीखे धुरन्धर पंडितों को देखना पसन्द किया होता तो मैं कोई संशोधन पेश नहीं कर रहा, वरन् अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ। जिन बारह सदस्यों के नाम ऊपर बताये गये हैं, मेरी समझ में उन्हीं की भांति यह भी उच्च कोटि की सेवा कर सकते हैं। मैं संशोधन पेश नहीं करता, किन्तु मैं यह कहने के लिए लाचार हूँ कि जब मैंने देखा कि इस कमेटी की सदस्यता से कबायली क्षेत्रों को एकदम दूर रखा गया है और इसके साथ ही हमारे उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी जिनके नाम मैं पहले बता चुका हूँ, तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा।

*सरदार हरनामसिंह (पंजाब : सिख) : मेरी मंशा इस प्रस्ताव पर भाषण देने की नहीं है। किन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि यह एक ऐसी कमेटी नहीं है जिसमें साम्प्रदायिक अथवा कबायली प्रतिनिधित्व आवश्यक—परम आवश्यक—हो। जैसाकि प्रस्ताव में बताया गया है, यह कमेटी सिर्फ यूनियन-विषयों की सीमा को जानने के लिए बनाई गई है। इस कमेटी का उद्देश्य यूनियन-विषयों की व्यापकता स्थिर करना नहीं है। इसलिए मैं सभा से निवेदन करता हूँ कि उसका कोई सदस्य साम्प्रदायिक अथवा कबायली प्रतिनिधित्व के लिए आग्रह न करे। इस कमेटी में इस सभा के सर्वोत्तम व्यक्तियों को शामिल होना चाहिये जो यूनियन-विषयों के क्षेत्र और सीमा के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार करके पेश करें। जब यह रिपोर्ट सभा के सामने आयगी तब हम जो कुछ चाहेंगे वह सुझाव पेश कर सकेंगे।

*प्रो० एन० जी० रंगा (मद्रास : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि डा० अम्बेडकर का नाम इस सूची में शामिल कर लिया जाय और जिन सदस्यों के नाम सुझाये गये हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि उनमें से कोई एक सदस्य अपना नाम वापस ले लें।

*माननीय श्री सी० राजगोपालाचार्य : श्रीमान्, मैं इस सभा से निवेदन करूंगा कि वह इस पर अन्य दृष्टिकोण से विचार न करके केवल उस दृष्टिकोण से ही विचार करे जो श्री हरनामसिंह ने सामने रखा है। फिर भी, यदि आप इन नामों को एक बार फिर पढ़ें तो आप इनमें उन व्यक्तियों को पायेंगे जिनका किसी दल से सम्बन्ध नहीं है, जिनका समय कठिन समस्याओं का सामना करने और कठिन गुत्थियों को सुलझाने में बीता है तथा कानून बनाने की कला में जिन्हें कम या बेशी विशेषज्ञ कहा जा सकता है। अंश (ब) के मुताबिक, इस कमेटी में अध्यक्ष दस व्यक्तियों को और बढ़ा सकते हैं। अध्यक्ष को यह अधिकार व्यर्थ ही नहीं दिया गया है। उन्हें यह अधिकार त्रुटियां दूर करने के लिए दिया गया है। जब मुस्लिमलीगी सदस्य, जो इस समय अनुपस्थित हैं, शामिल हो जायेंगे तो अध्यक्ष इस स्थिति पर विचार करेंगे। तब हम जान सकेंगे कि असली बात क्या है? दरअसल, इस प्रस्ताव का इरादा यह नहीं कि अध्यक्ष नामज़दगी के इस अधिकार का मनमाने ढंग से उपयोग करें। जब मुस्लिमलीगी सदस्य शामिल होंगे तो वह उनके विचारों को मालूम करेंगे और वह उनसे अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजने को कहेंगे। इस प्रकार लीगी प्रतिनिधि भी आ जायेंगे।

से न चूकेंगे जिनमें कुछ के नाम अभी यहां पर बताये गये हैं। तब, यह कमेटी एक मजबूत कमेटी बन जायगी। इसी भरोसे पर मैं सभा से प्रार्थना करता हूँ कि वह मौजूदा संशोधनों के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

* अध्यक्ष : अब मैं यह प्रस्ताव वोट के लिए रखता हूँ। क्या प्रस्ताव को फिर पढ़ने की आवश्यकता है ? (माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।)

* एक माननीय सदस्य : प्रो० रंगा का संशोधन क्या हुआ ?

* अध्यक्ष : श्री रंगा ने संशोधन थोड़े ही पेश किया है। उन्होंने तो केवल एक सुझाव दिया है। अब मैं संशोधित प्रस्ताव को वोट के लिए रखता हूँ।

संशोधित प्रस्ताव मंजूर हो गया।

* अध्यक्ष : मेरे पास 'आर्डर पेपर' पर श्रीमती जी० दुर्गाबाई तथा श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर का एक प्रस्ताव है। मैं समझता हूँ, उनका इरादा इसे पेश करने का नहीं।

सभा स्थगित करने का प्रस्ताव

* श्री सत्यनारायण सिनहा (बिहार : जनरल) : मैं निम्न प्रस्ताव पेश करता हूँ जो मेरे नाम से आया है :

"परिषद् की यह प्रारम्भिक बैठक अप्रैल की उस तारीख तक स्थगित होती है जिसे आगे चल कर स्वयं अध्यक्ष मुकर्रर कर सकेंगे।"

श्रीमान्, मैं बता सकता हूँ कि प्रारम्भिक अधिवेशन की अगली बैठक में हम आम कार्यक्रम तथा यूनियन कमेटी की रिपोर्ट और अन्य किन्हीं विषयों पर, जो परिषद् के सामने आ सकते हों, विचार करेंगे।

* श्री के० सन्तानम् (मद्रास : जनरल) : श्रीमान्, हमें यहां एक वैधानिक आपत्ति है। मैं नहीं समझता कि जैसा अभी कहा गया है उस तरह तारीख को अनिश्चित कैसे छोड़ा जा सकता है; क्योंकि नियम २१ के पहले खण्ड में लिखा है कि अध्यक्ष अधिवेशन स्थगित न करेंगे······।

* अध्यक्ष—मेहरबानी करके माइक्रोफोन पर आ जाइये।

* श्री मोहनलाल सक्सेना (संयुक्त प्रान्त : जनरल) : मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ।

श्री सेठ गोविंददास : अध्यक्षजी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव की क्या जरूरत है। यह अध्यक्षजी के हाथ में है कि वह इस परिषद् का अधिवेशन कब बुलायें। पहले भी जब अधिवेशन मुल्तवी हुआ था तब क्या कोई प्रस्ताव पास किया गया था ? इसलिए मेरा ख्याल है कि इस प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं है। आज यह अधिवेशन मुल्तवी हो रहा है। अब आपको अधिकार है कि जब चाहें उसको बुला लें।

*अध्यक्ष : २१ वें नियम के मुताबिक परिषद् की बैठक उन तारीखों को होगी जिनको समय-समय पर अध्यक्ष मुकर्रर कर दिया करेंगे, किंतु इसमें शर्त यह कि अध्यक्ष कभी एक बार में तीन दिन से अधिक समय के लिए अधिवेशन को स्थगित न करेंगे और यदि वह ऐसा करना चाहेंगे तो उसके लिए परिषद् की अनुमति आवश्यक होगी। इसके अलावा अध्यक्ष अधिवेशन को अगले चालू दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि इस नियम के अन्तर्गत, यदि अधिवेशन को तीन दिन से अधिक समय के लिए स्थगित करना है तो सभा की अनुमति लेना आवश्यक है।

*श्री के० संतानम् : मेरा कहना यह कि अधिवेशन परिषद् की अनुमति से एक निश्चित तारीख तक के लिए स्थगित होना चाहिए, अन्यथा अध्यक्ष को ३० दिन की ढिलाई मिल जाती है जबकि उन्हें इस बारे में केवल तीन दिन की गुंजाइश दी गयी है। मैं प्रस्ताव के गुणदोष के विचार से उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। नियम-निर्मातृ-समिति ने नियमों को बड़ा कठिन बना दिया है और उसे देखते हुए मेरी समझ में यह ठीक न होगा अगर हम नियमों का सही अर्थ नहीं लगाते।

*अध्यक्ष : २१ वें नियम के मुताबिक परिषद् की बैठक उन तारीखों को होगी जिनको समय-समय पर अध्यक्ष मुकर्रर करें किन्तु इसमें शर्त यह है कि अध्यक्ष कभी एक बार तीन दिन से अधिक समय के लिए अधिवेशन को स्थगित न करेंगे, और यदि वह ऐसा करना चाहेंगे तो उसके लिए परिषद् की अनुमति आवश्यक होगी। इस नियम में यह नहीं बताया गया कि अधिवेशन एक निश्चय तारीख के लिए स्थगित होना चाहिए। इसमें जो कुछ बताया गया है वह इतना ही है कि यदि अधिवेशन तीन दिन से अधिक समय के लिए स्थगित करना है तो सभा की मंजूरी लेनी पड़ेगी।

*एक माननीय सदस्य : ६८वां नियम आपको पर्याप्त अधिकार देता है।

*अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि २१वां नियम ही काफी है।

*श्री एच० वी० कामठ : मध्यप्रान्त तथा मद्रास : जनरल : यद्यपि मैं सिद्धांततः इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करता फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसे अधिक स्पष्ट और साफ होना चाहिए। जब हमारी पिछली बैठक दिसम्बर में हुई थी तो हमने आशा की थी कि प्रारम्भिक अधिवेशन उस महीने में खत्म हो जायगा...[माननीय सदस्य] (नहीं, नहीं)। तब हमारी बैठक जनवरी के लिए स्थगित हो गयी। अब हम फिर अप्रैल तक के लिए टाल रहे हैं। इसका मतलब यह कि प्रारम्भिक अधिवेशन छः महीने से भी ऊपर चला जायगा। उन माननीय सदस्यों को, जो आज अनुपस्थित हैं, यह साफ-साफ बता देना चाहिए कि परिषद् निश्चय करती है कि भविष्य में उसका अधिवेशन स्थगित न किया जायगा। हम प्रारम्भिक अधिवेशन में उन सदस्यों का सहयोग पाने के लिए उत्सुक थे। हम उन लोगों का, जो आज अनुपस्थित हैं, सहयोग पाने की इच्छा रखते हैं और हम चाहते हैं कि वह विधान बनाने में हमारा हाथ बटाएं। लेकिन यह

सब होते हुए भी, क्योंकि कुछ लोग अनुपस्थित हैं, हम प्रारम्भिक अधिवेशन को बारम्बार स्थगित नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि यह विचार इस प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाय कि बैठक इतने अधिक दिनों के लिए स्थगित न की जायगी कि उसकी तारीख अप्रैल के बाद जाकर पड़े और इस प्रारम्भिक अधिवेशन को फिर भविष्य में और स्थगित न किया जायगा।

*अध्यक्ष : क्या आप कोई संशोधन पेश कर रहे हैं ?

*श्री एच० वी० कामठ : यदि आप चाहें तो मैं संशोधन पेश करूंगा।

*अध्यक्ष : मुझे इस बारे में कोई चाह नहीं ।

*श्री एच० वी० कामठ : मैं इसे पेश करूंगा।

*माननीय सर एन० गोपालस्वामी आयंगर (मद्रास : जनरल) : श्रीमान्, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उन विचारों पर फिर दृष्टि डालें जो इस सिलसिले में आपने पहले प्रकट किये हैं। मैं समझता हूँ कि श्री संतानम् का कथन बिल्कुल दुरुस्त है। २१ वें नियम का परिवर्त्ती अंश यह है:—

"कि परिषद् की बैठक उन तारीखों को होगी जिनको अध्यक्ष परिषद् के कार्य-स्थिति का ध्यान रखते हुए, समय-समय पर मुकर्रर करेंगे............।"

अगला वाक्य नियम के उक्त अंश में केवल शर्त रख देता है कि केवल सीमा निर्धारित करता है। अर्थात्—

"शर्त यह कि सभापति अधिवेशन को तीन दिन से अधिक समय के लिए स्थगित न करेंगे, और यदि वह ऐसा करना चाहेंगे तो असेम्बली की मंजूरी लेना आवश्यक होगी।"

श्रीमान्, यदि मैं भूल नहीं करता तो यह शर्तिया फिकरा अध्यक्ष को तारीख न निश्चित करने का अधिकार नहीं देता। इसका अर्थ केवल यह है कि यदि अध्यक्ष कोई तारीख नियत करते हैं और वह अधिवेशन स्थगित होने के तीन दिन के बाद जाकर कभी पड़ती है, तो उसके लिए परिषद् की मंजूरी लेने की जरूरत है। लेकिन मेरी समझ से तारीख मुकर्रर करना लाजिमी है। सभी मुमकिन कानूनी और दूसरी उलझनों से बचने के लिए, मेरा सुझाव है कि उक्त शर्तिया फिकरे के अनुसार हम अप्रैल में कोई तारीख मुकर्रर करदें।

*अध्यक्ष : इस विषय पर कानूनी आपत्ति प्रकट की जा चुकी है और मैं उस पर अपनी रूलिंग दे चुका हूं। मैं नहीं समझता हूँ कि जब हमारी बैठक स्थगित होने जा रही हो तो उस समय अगली बैठक के लिए मुझे तारीख निश्चित ही कर देनी चाहिए। मैं तारीख बाद में भी निश्चित कर सकता हूं। यह सुझाव अभी हाल में पेश भी किया जा चुका है।

*माननीय श्री सी० राजगोपालाचार्य : बैठक तीन दिन से अधिक समय तक स्थगित करने के लिए सभा की मंजूरी मिलने पर, अध्यक्ष को समय-समय पर अधिकार होगा कि वह तीन दिन के बाद की कोई भी तारीख मुकर्रर करे।

*श्री एच० वी० कामठ : आपकी अनुमति से, श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'मुकर्रर करें' शब्दों के बाद एक कामा लगा दिया जाय और उसके आगे निम्न शब्द जोड़ दिए जायं :—

"और इस परिषद् की प्रारम्भिक बैठक को और आगे स्थगित न किया जायगा।"

श्री सेठ गोविन्ददास : सभापति जी, मिस्टर कामठ ने जो सुधार पेश किया है उसका मैं विरोध करना चाहता हूं। बात यह है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज हम यह समझते हैं कि अप्रैल से आगे हमें इस प्राथमिक अधिवेशन को मुलतवी नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय यदि हमें इस बात की जरूरत मालूम हुई कि हमें इसको बढ़ाना चाहिये तो हम इस प्रस्ताव से बंध जावेंगे और आगे नहीं बढ़ा सकेंगे यह अनुचित बात है। इसलिये मैं समझता हूँ कि जो सत्यनारायणसिंह जी का प्रस्ताव है उसे हमें पास करना चाहिए। न हमें कोई तारीख मुकर्रर करना चाहिये कि हम अप्रैल में कब मिलेंगे और न यही स्वीकार करना चाहिये कि आगे हम इसे मुल्तवी न करेंगे। इसलिये मैं इस संशोधन का जो मि० कामठ ने रक्खा है, विरोध करता हूं।

*अध्यक्ष : क्या और कोई बोलना चाहता है?

*माननीय सदस्य : नहीं।

*अध्यक्ष : श्री सत्यनारायण सिनहा, क्या आप जवाब देना चाहते हैं?

*श्री सत्यनारायण सिनहा : जब यह प्रस्ताव तैयार किया गया तो हमने इस प्रश्न के हरेक पहलू पर विचार किया और हमने इस बारे में कोई जिक्र न करने का फैसला किया कि प्रारम्भिक अधिवेशन की भविष्य में और बैठक बुलाने का कोई मौका आयगा या नहीं। मैं कामठ जी से अपील करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लें। मैं नहीं समझता कि उनके अपने इस संशोधन पर आग्रह करने से कोई मतलब हल हो सकेगा।

*श्री एच० वी० कामठ : स्थिति, जैसी है।

*माननीय सदस्य : ऑर्डर, ऑर्डर.........।

*श्री एच० वी० कामठ : मैं संशोधन वापस लेने जा रहा हूँ।

*अध्यक्ष : अब मैं प्रस्ताव पर मत लेता हूँ।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया

उपाध्यक्ष को बधाइयां

*अध्यक्ष—इसके बाद हमारा काम समाप्त हो जाता है। कुछ मित्रों का सुझाव है कि सदस्यों को मौका दिया जाय कि वे डा० मुखर्जी के उपाध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें बधाई दें। किसी व्यक्ति द्वारा बधाई दी जाने से पहले ही मैं उन्हें अपनी ओर से सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। क्या कोई बोलना चाहता है?

*रेवरंड जेरोम डी' सोजा (मद्रास : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, इस परिषद् के उपाध्यक्ष चुनने के लिए, मुझे डाक्टर एच० सी० मुकर्जी को दिलो मुबारकबाद देने में बहुत खुशी है। मुझे विश्वास है कि मैं इस मुबारकबाद के जरिए इस गौरवशालिनी सभा की भावनाओं को भी मैं जाहिर कर रहा हूँ। डा० मुकर्जी वह व्यक्ति हैं जिन्हें हमारे देश की प्रत्येक जाति व वर्ग आदर की दृष्टि से देखता है। उन्होंने बंगाल में एक शिक्षा-विशारद की हैसियत से प्रशंसनीय काम किए हैं। उनका सम्बन्ध एक ईसाई संस्था से है जिसने अन्य ईसाई संस्थाओं के साथ मिल-जुलकर काम किया है। उनकी विचारशीलता, उनकी देश भक्ति, उनके विनम्र और आकर्षक स्वभाव से सब परिचित हैं और श्रीमान्, मुझे विश्वास है कि यदि उन्हें किसी मौके पर इस सभा की कार्यवाही का संचालन करना पड़ा तो वह उसे उस ढंग से पूरा करेंगे जिसे मैं अगर शानदार न कहूँ तो यही कहूँगा कि वह आपके ढंग से मिलता-जुलता होगा जिसकी आपने मिसाल पेश की है। मैं इस विषय पर सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। एक बार फिर डा० मुकर्जी को हार्दिक बधाई देते हुए, इस काम में उनकी सफलता के लिए शुभ कामनाएं प्रकट करता हूं।

*श्री विश्वनाथदास (उड़ीसा : जनरल) : श्रीमान्, विधान-परिषद् के उपाध्यायक्ष चुने जाने के लिए, मैं डा० मुकर्जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। डा० मुकर्जी इस पद के लिए पूर्णतया योग्य हैं। उनके चुनाव से साबित हो जाता है कि अल्प-संख्यक जातियों को बहु-संख्यक जातियों से किसी प्रकार की आशंका न होनी चाहिए। उनको चुनकर, अल्प-संख्यक जातियों के अलावा बंगाल को भी सम्मान प्रदान किया गया है। मुझे मालूम है कि अखिल भारतीय ईसाई संघ के अध्यक्ष होने के कारण, उन्हें साम्प्रदायिकता के दलदल में खींचने के लिए अनेक बार कोशिशें की जा चुकी हैं। उन्होंने सफलता-पूर्वक इन प्रयासों का सदा विरोध किया। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि वह इस परम्परा को निभाते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में सफलता प्राप्त करेंगे। हम उन्हें अपना सहयोग देने में कोई कसर न उठा रखेंगे। मैं उनकी मार्ग प्रशस्ति की कामना करता हूँ।

श्री एच० जे० खांडेकर : सभापति जी, मैं डाक्टर मुकर्जी को बधाई देता हूँ।

मैं यहां उस जाति से आता हूँ जिसे आज हरिजन कहते हैं। इस देश के अन्दर यह जाति नौ करोड़ के करीब है और उनकी ओर से मैं डाक्टर साहब को बधाई

[श्री एच० जे० खांडेकर]
देता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि असेम्बली का काम वह बहुत ठीक तरह से करके सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इतना कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा।

*डा० जोजेफ आलबन डी' सोज़ा (बम्बई : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, अपने मित्र रेवरेंड जेरोम डी' सोज़ा के प्रत्येक शब्द का मैं समर्थन करता हूँ। जो उन्होंने डा० मुकर्जी के उपाध्यक्ष चुने जाने के सम्बन्ध में कहे हैं। डा० मुकर्जी उन पांच अध्यक्षों के बीच पहले उपाध्यक्ष हैं जो निकट भविष्य में इस महती परिषद् के लिए नियुक्त होने वाले हैं। श्रीमान्, यदि मैं इस समय डा० मुकर्जी का सम्बन्ध खासकर उस सम्प्रदाय से व्यक्त करूं जिस सम्प्रदाय—इस महान् राष्ट्र के भारतीय ईसाई सम्प्रदाय, का मैं स्वयं हूँ तो इसके लिए मुझे क्षमा किया जाय। श्रीमान् मैं समझता हूं और अनुभव करता हूँ कि डाक्टर एच० सी० मुकर्जी की नियुक्ति द्वारा वास्तव में भारत के भारतीय ईसाई सम्प्रदाय को सम्मानित किया गया है।

श्रीमान्, क्या इस अवसर पर मैं भारतीय ईसाइयों को एडवाइजरी कमेटी में प्रतिनिधित्व मिलने का उल्लेख कर सकता हूँ? हमें इस कमेटी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला हुआ है और मैं डाक्टर एच० सी० मुकर्जी से आशा करता हूं कि वह एडवाइजरी कमेटी के इस विभाग को अपनी पूर्ण योग्यता द्वारा हर मुमकिन मदद देंगे ताकि वह भारतीय ईसाई जाति के मामलों को पूर्ण संतोषजनक रीति से निबटा सकें। जैसा कि फादरजेरोम आपको पहले ही बता चुके हैं, डा० मुकर्जी ने, दर असल, बहुत बड़े-बड़े काम किये हैं। बंगाल प्रांत में, उन्होंने यह साबित कर दिया है कि राजनीतिज्ञता के मामलों तथा अन्य सभी दिशाओं में, वह भारत के उस भाग के जगमगाते हुए सितारे हैं।

श्रीमान्, यह बिल्कुल संभव है कि वह भी किसी दिन उन्हें इस सभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करनी पड़े और यदि कभी ऐसा मौका आता है तो, जैसा कि फादर जेरोम ने कहा है, मुझे विश्वास है कि श्रीमान्, वह अपना काम उतनी ही अच्छी तरह पूरा कर दिखायेंगे जितनी अच्छी तरह करने का श्रेय प्राप्त है। मैं डाक्टर एच० सी० मुकर्जी को बधाई देता हूँ और मैं एक बार फिर कहता हूं कि उनको बधाई देने के बहाने मैं भारतीय ईसाई जाति को उस सम्मान के लिए बधाई दे रहा हूँ जो उसे प्रदान किया गया है। आपको अनेक धन्यवाद।

*डाक्टर एच० सी० मुकर्जी (बंगाल : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, देवियो और सज्जनो। मैं यकीन करता हूँ कि आप मुझे यहां आप-बीती सुनाने के लिए पहले से ही क्षमा करेंगे। मैं आपके सामने वह कहानी बयान करने जा रहा हूँ कि मैं ईसाई साम्प्रदायिकता के दलदल से निकलकर कैसे राष्ट्रवादी ईसाई बना। यह मेरे जीवन की केवल एक आकस्मिक घटना थी जिसने मुझे राजनीति के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। यह और कुछ नहीं, सिर्फ एक जिद की बात थी। कुछ लोगों ने मुझे चुनाव में खड़े होने के लिए उकसाया, किन्तु जब वक्त आया तो वह साथ छोड़कर लम्बी तान

गये। पर मैंने यह दिखा देने का पक्का इरादा कर लिया कि यद्यपि मैं अभी तक सोलहों आने एक अध्यापक ही रहा हूं, फिर भी एक अध्यापक के लिए यह संभव है कि वह रुपया ऐंठने वाले किसी भी मतदाता से बेहतर आदमी हो सकता है। मैं जिन महाशय के विरुद्ध चुनाव लड़ रहा था वह दैवयोग से मुझसे अधिक अनुभवी व्यक्ति थे और वह मेरी अपेक्षा अपनी जाति की अधिक काल से सेवा करते आ रहे थे। यह भी कुछ दिनों की हवा थी कि राष्ट्रीय भावनाओं की अपेक्षा साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काना अधिक उपयोगी साबित होता था। मैं अत्यन्त लज्जापूर्वक स्वीकार करता हूं कि तब मैंने भी जो कुछ जी में आया वह किया। मेरे प्रतिद्वन्द्वी ने साम्प्रदायिकता के नाम पर अपील की। मैंने इस आधार पर उससे भी अधिक जोरदार अपील की। इस प्रकार मैंने राजनीति में पदार्पण किया। किंतु जब सदस्यों ने मुझसे भारतीय ईसाइयों की अखिल भारतीय कौंसिल के अध्यक्ष की हैसियत से, गरीब ईसाइयों के पास जाकर उनकी हालत देखने की प्रार्थना की तो मुझे उस समय मालूम हुआ कि भारतीय गरीब ईसाइयों की हालत भी भारतीय गरीब हिन्दुओं तथा मुसलमानों से किसी कदर बेहतर नहीं। बस, उसी समय मैं साम्प्रदायिकता की कीचड़ से बाहर निकला और राष्ट्रवादी बन गया। यदि आज आपने मुझे उपाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित कर सम्मानित किया है तो, विश्वास रखिये कि जब तक मैं उस पर रहूंगा मैं सम्प्रदायवादी की भांति कभी आचरण न करूंगा, वरन् मैं अपने देश की गरीब जनता के प्रति अपने कर्तव्य का पूरा-पूरा ध्यान रखूंगा। मैं वकील नहीं; मैं नीतिज्ञ भी नहीं। मैंने अपने जीवन के बयालीस वर्ष अध्यापक अथवा विद्यार्थी बनकर बिताये हैं। मैं नहीं जानता कि, आपने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं पूरी करने के काबिल भी हूं या नहीं; लेकिन मैं एक बात अवश्य जानता हूँ कि मैं उसे ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करूंगा, और इस प्रकार मैं इस सभा की शान बढ़ाने और अपनी उस जाति के लिए नेकनामी कमाने की आशा करता हूँ जिसके पक्ष में कम-से-कम फिलहाल एक बात तो कही ही जा सकती है कि उसने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने देश की प्रगति में कभी भी कोई रोड़ा नहीं अटकाया।

(जोरदार हर्षध्वनि)।

अध्यक्ष के नाम श्री सोमनाथ लाहिरी का पत्र

*श्री एच० वी० कामठ : अध्यक्ष महोदय, काम खत्म होने से पहले मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं आपका ध्यान उस तथ्य की ओर आकृष्ट करूं कि हममें से कइयों को उस पत्र की कापियां मिली हैं जो माननीय मित्र, श्री सोमनाथ लाहिरी ने आपके नाम भेजा है। श्रीमान्, मैं निवेदन करता हूँ कि हमें यहां भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की उस राजनीति के बारे में कुछ भी कहना अभीष्ट नहीं जिस पर हम में से अनेक लोगों के विचार भिन्न-भिन्न हैं।

*सरदार हुकमसिंह : श्रीमान्, यहां पर यह कानूनी आपत्ति पैदा होती है कि श्री सत्यनारायण सिंह द्वारा पेश किया गया वह प्रस्ताव पास हो चुका है जिसके

[श्री एच० वी० कामठ]
अनुसार यह बैठक अप्रैल की किसी तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गयी है। इस सूरत में अब कोई काम नहीं किया जा सकता।

*अध्यक्ष : मैंने श्री कामठ को इस सभा के सामने उस एक तथ्य को पेश करने की अनुमति देदी है जिसे उसके सामने लाने की आवश्यकता है। कुछ दिन हुए, मुझे श्री सोमनाथ लाहिरी से एक पत्र मिला था जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली और विधान परिषद् की कार्यवाही से सम्बन्ध रखने वाले कागजात तथा भाषणों के लिए तैयार किये गये नोट उठा ले गयी। उन्होंने यहां पर अपने अधिकार का प्रश्न उठाते हुए लिखा है कि क्या पुलिस की यह कार्यवाही न्यायपूर्ण है और क्या मैं उनके बचाव के लिए कुछ कर सकता हूँ? यही वह घटना है, जिसे कामठ जी बताना चाहते हैं। इसलिए मैंने उन्हें सारा दास्तान कह सुनाने की अनुमति दे दी है। मामला यह है कि जब मुझे यह पत्र मिला तो मैंने उसे कानूनी सलाहकार के पास भेज दिया, क्योंकि उस पर विचार करने के साथ कानूनी सवाल पैदा हो जाता है। मुझे यह पत्र आज सवेरे ही मिला है। इसलिए मैं अभी यह निश्चय नहीं कर सका कि इस बारे में कार्यवाही की जानी चाहिए अथवा क्या कार्यवाही आवश्यक है। जब मैं इस मामले का अध्ययन कर लूंगा तो मैं उस पर विचार करूंगा, और यदि किसी कार्यवाही की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं वह करूंगा; और यदि वह मेरे वश की न होगी तो मैं सारे मामले को वहीं छोड़ दूंगा।

*श्री सोमनाथ लाहिरी (बंगाल:जनरल) : क्या मैं, श्रीमान्, आपको यहां याद दिला सकता हूँ कि आप सिर्फ इस परिषद् के अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि अंतरिम सरकार के सदस्य भी हैं?

*अध्यक्ष : इस सभा-भवन में, मैं और कुछ नहीं हूँ।

अब यह सभा अप्रैल के महीने की उस तारीख तक स्थगित की जाती है जिसे मैं बाद में मुकर्रर कर सकता हूँ।

इसके बाद, परिषद् अप्रैल के महीने की उस तारीख तक के लिये स्थगित की गयी जिसे आगे चलकर माननीय अध्यक्ष मुकर्रर कर सकेंगे।